

Ministry of Human Resource Development

Government of India

Chapter	Contents	Page No
	Introduction	3
PART I. SCHOOL EDUCATION		
1	Early Childhood Care and Education: The Foundation of Learning	7
2	Foundational Literacy and Numeracy: An Urgent & Necessary Prerequisite to Learning	8
3	Curtailling Dropout Rates and Ensuring Universal Access to Education at All Levels	10
4	Curriculum and Pedagogy in Schools: Learning Should be Holistic, Integrated, Enjoyable and Engaging	11
5	Teachers	20
6	Equitable and Inclusive Education: Learning for All	24
7	Efficient Resourcing and Effective Governance through School Complexes/Clusters	28
8	Standard-setting and Accreditation for School Education	30
PART II. HIGHER EDUCATION		
9	Quality Universities and Colleges: A New and Forward-looking Vision for India's Higher Education System	33
10	Institutional Restructuring and Consolidation	34
11	Towards a More Holistic and Multidisciplinary Education	36
12	Optimal Learning Environments and Support for Students	38
13	Motivated, Energized and Capable Faculty	40
14	Equity and Inclusion in Higher Education	41
15	Teacher Education	42
16	Re-imagining Vocational Education	43
17	Catalyzing Quality Academic Research in all Fields through a New National Research Foundation	45
18	Transforming the Regulatory System of Higher Education	46

National Education Policy 2020

19	Effective Governance and Leadership for Higher Education Institutions	49
PART III. OTHER KEY AREAS OF FOCUS		
20	Professional Education	50
21	Adult Education and Life Long Learning	51
22	Promotion of Indian Languages, Arts and Culture	53
23	Technology Use and Integration	56
24	Online and Digital Education: Ensuring Equitable Use of Technology	58
PART IV. MAKING IT HAPPEN		
25	Strengthening the Central Advisory Board of Education	60
26	Financing: Affordable and Quality Education for All	60
27	Implementation	61
	List of Abbreviations used	63

National Education Policy 2020

Introduction

Education is fundamental for achieving full human potential, developing an equitable and just society, and promoting national development. Providing universal access to quality education is the key to India's continued ascent, and leadership on the global stage in terms of economic growth, social justice and equality, scientific advancement, national integration, and cultural preservation. Universal high-quality education is the best way forward for developing and maximizing our country's rich talents and resources for the good of the individual, the society, the country, and the world. India will have the highest population of young people in the world over the next decade, and our ability to provide high-quality educational opportunities to them will determine the future of our country.

The global education development agenda reflected in the Goal 4 (SDG4) of the 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by India in 2015 - seeks to "ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all" by 2030. Such a lofty goal will require the entire education system to be reconfigured to support and foster learning, so that all of the critical targets and goals (SDGs) of the 2030 Agenda for Sustainable Development can be achieved.

The world is undergoing rapid changes in the knowledge landscape. With various dramatic scientific and technological advances, such as the rise of big data, machine learning, and artificial intelligence, many unskilled jobs worldwide may be taken over by machines, while the need for a skilled workforce, particularly involving mathematics, computer science, and data science, in conjunction with multidisciplinary abilities across the sciences, social sciences, and humanities, will be increasingly in greater demand. With climate change, increasing pollution, and depleting natural resources, there will be a sizeable shift in how we meet the world's energy, water, food, and sanitation needs, again resulting in the need for new skilled labour, particularly in biology, chemistry, physics, agriculture, climate science, and social science. The growing emergence of epidemics and pandemics will also call for collaborative research in infectious disease management and development of vaccines and the resultant social issues heightens the need for multidisciplinary learning. There will be a growing demand for humanities and art, as India moves towards becoming a developed country as well as among the three largest economies in the world.

Indeed, with the quickly changing employment landscape and global ecosystem, it is becoming increasingly critical that children not only learn, but more importantly learn how to learn. Education thus, must move towards less content, and more towards learning about how to think critically and solve problems, how to be creative and multidisciplinary, and how to innovate, adapt, and absorb new material in novel and changing fields. Pedagogy must evolve to make education more experiential, holistic, integrated, inquiry-driven, discovery-oriented, learner-centred, discussion-based, flexible, and, of course, enjoyable. The curriculum must include basic arts, crafts, humanities, games, sports and fitness, languages, literature, culture, and values, in addition to science and mathematics, to develop all aspects and capabilities of learners; and make education more well-rounded, useful, and fulfilling to the learner. Education must build character, enable learners to be ethical, rational, compassionate, and caring, while at the same time prepare them for gainful, fulfilling employment.

The gap between the current state of learning outcomes and what is required must be bridged through undertaking major reforms that bring the highest quality, equity, and integrity into the system, from early childhood care and education through higher education.

The aim must be for India to have an education system by 2040 that is second to none, with equitable access to the highest-quality education for all learners regardless of social or economic background.

This National Education Policy 2020 is the first education policy of the 21st century and aims to address the many growing developmental imperatives of our country. This Policy proposes the revision and revamping of all aspects of the education structure, including its regulation and governance, to create a new system that is aligned with the aspirational goals of 21st century education, including SDG4, while building upon India's traditions and value systems. The National

National Education Policy 2020

Education Policy lays particular emphasis on the development of the creative potential of each individual. It is based on the principle that education must develop not only cognitive capacities - both the 'foundational capacities' of literacy and numeracy and 'higher-order' cognitive capacities, such as critical thinking and problem solving – but also social, ethical, and emotional capacities and dispositions.

The rich heritage of ancient and eternal Indian knowledge and thought has been a guiding light for this Policy. The pursuit of knowledge (*Jnan*), wisdom (*Pragyaa*), and truth (*Satya*) was always considered in Indian thought and philosophy as the highest human goal. The aim of education in ancient India was not just the acquisition of knowledge as preparation for life in this world, or life beyond schooling, but for the complete realization and liberation of the self. World-class institutions of ancient India such as Takshashila, Nalanda, Vikramshila, Vallabhi, set the highest standards of multidisciplinary teaching and research and hosted scholars and students from across backgrounds and countries. The Indian education system produced great scholars such as Charaka, Susruta, Aryabhata, Varahamihira, Bhaskaracharya, Brahmagupta, Chanakya, Chakrapani Datta, Madhava, Panini, Patanjali, Nagarjuna, Gautama, Pingala, Sankardev, Maitreyi, Gargi and Thiruvalluvar, among numerous others, who made seminal contributions to world knowledge in diverse fields such as mathematics, astronomy, metallurgy, medical science and surgery, civil engineering, architecture, shipbuilding and navigation, yoga, fine arts, chess, and more. Indian culture and philosophy have had a strong influence on the world. These rich legacies to world heritage must not only be nurtured and preserved for posterity but also researched, enhanced, and put to new uses through our education system.

The teacher must be at the centre of the fundamental reforms in the education system. The new education policy must help re-establish teachers, at all levels, as the most respected and essential members of our society, because they truly shape our next generation of citizens. It must do everything to empower teachers and help them to do their job as effectively as possible. The new education policy must help recruit the very best and brightest to enter the teaching profession at all levels, by ensuring livelihood, respect, dignity, and autonomy, while also instilling in the system basic methods of quality control and accountability.

The new education policy must provide to all students, irrespective of their place of residence, a quality education system, with particular focus on historically marginalized, disadvantaged, and underrepresented groups. Education is a great leveler and is the best tool for achieving economic and social mobility, inclusion, and equality. Initiatives must be in place to ensure that all students from such groups, despite inherent obstacles, are provided various targeted opportunities to enter and excel in the educational system.

These elements must be incorporated taking into account the local and global needs of the country, and with a respect for and deference to its rich diversity and culture. Instilling knowledge of India and its varied social, cultural, and technological needs, its inimitable artistic, language, and knowledge traditions, and its strong ethics in India's young people is considered critical for purposes of national pride, self-confidence, self-knowledge, cooperation, and integration.

Previous Policies

The implementation of previous policies on education has focused largely on issues of access and equity. The unfinished agenda of the National Policy on Education 1986, modified in 1992 (NPE 1986/92), is appropriately dealt with in this Policy. A major development since the last Policy of 1986/92 has been the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 which laid down legal underpinnings for achieving universal elementary education.

Principles of this Policy

The purpose of the education system is to develop good human beings capable of rational thought and action, possessing compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper and

National Education Policy 2020

creative imagination, with sound ethical moorings and values. It aims at producing engaged, productive, and contributing citizens for building an equitable, inclusive, and plural society as envisaged by our Constitution.

A good education institution is one in which every student feels welcomed and cared for, where a safe and stimulating learning environment exists, where a wide range of learning experiences are offered, and where good physical infrastructure and appropriate resources conducive to learning are available to all students. Attaining these qualities must be the goal of every educational institution. However, at the same time, there must also be seamless integration and coordination across institutions and across all stages of education.

The fundamental principles that will guide both the education system at large, as well as the individual institutions within it are:

- **recognizing, identifying, and fostering the unique capabilities of each student**, by sensitizing teachers as well as parents to promote each student's holistic development in both academic and non-academic spheres;
- **according the highest priority to achieving Foundational Literacy and Numeracy** by all students by Grade 3;
- **flexibility**, so that learners have the ability to choose their learning trajectories and programmes, and thereby choose their own paths in life according to their talents and interests;
- **no hard separations** between arts and sciences, between curricular and extra-curricular activities, between vocational and academic streams, etc. in order to eliminate harmful hierarchies among, and silos between different areas of learning;
- **multidisciplinarity** and a **holistic education** across the sciences, social sciences, arts, humanities, and sports for a multidisciplinary world in order to ensure the unity and integrity of all knowledge;
- **emphasis on conceptual understanding** rather than rote learning and learning-for-exams;
- **creativity and critical thinking** to encourage logical decision-making and innovation;
- **ethics and human & Constitutional values** like empathy, respect for others, cleanliness, courtesy, democratic spirit, spirit of service, respect for public property, scientific temper, liberty, responsibility, pluralism, equality, and justice;
- **promoting multilingualism and the power of language** in teaching and learning;
- **life skills** such as communication, cooperation, teamwork, and resilience;
- **focus on regular formative assessment for learning** rather than the summative assessment that encourages today's 'coaching culture';
- **extensive use of technology** in teaching and learning, removing language barriers, increasing access for *Divyang* students, and educational planning and management;
- **respect for diversity** and **respect for the local context** in all curriculum, pedagogy, and policy, always keeping in mind that education is a concurrent subject;
- **full equity and inclusion** as the cornerstone of all educational decisions to ensure that all students are able to thrive in the education system;
- **synergy in curriculum across all levels of education** from early childhood care and education to school education to higher education;
- **teachers and faculty as the heart of the learning process** – their recruitment, continuous professional development, positive working environments and service conditions;
- a **'light but tight' regulatory framework** to ensure **integrity, transparency, and resource efficiency** of the educational system through audit and public disclosure while encouraging innovation and out-of-the-box ideas through **autonomy, good governance, and empowerment**;
- **outstanding research** as a corequisite for outstanding education and development;
- **continuous review** of progress based on sustained research and regular assessment by educational experts;

National Education Policy 2020

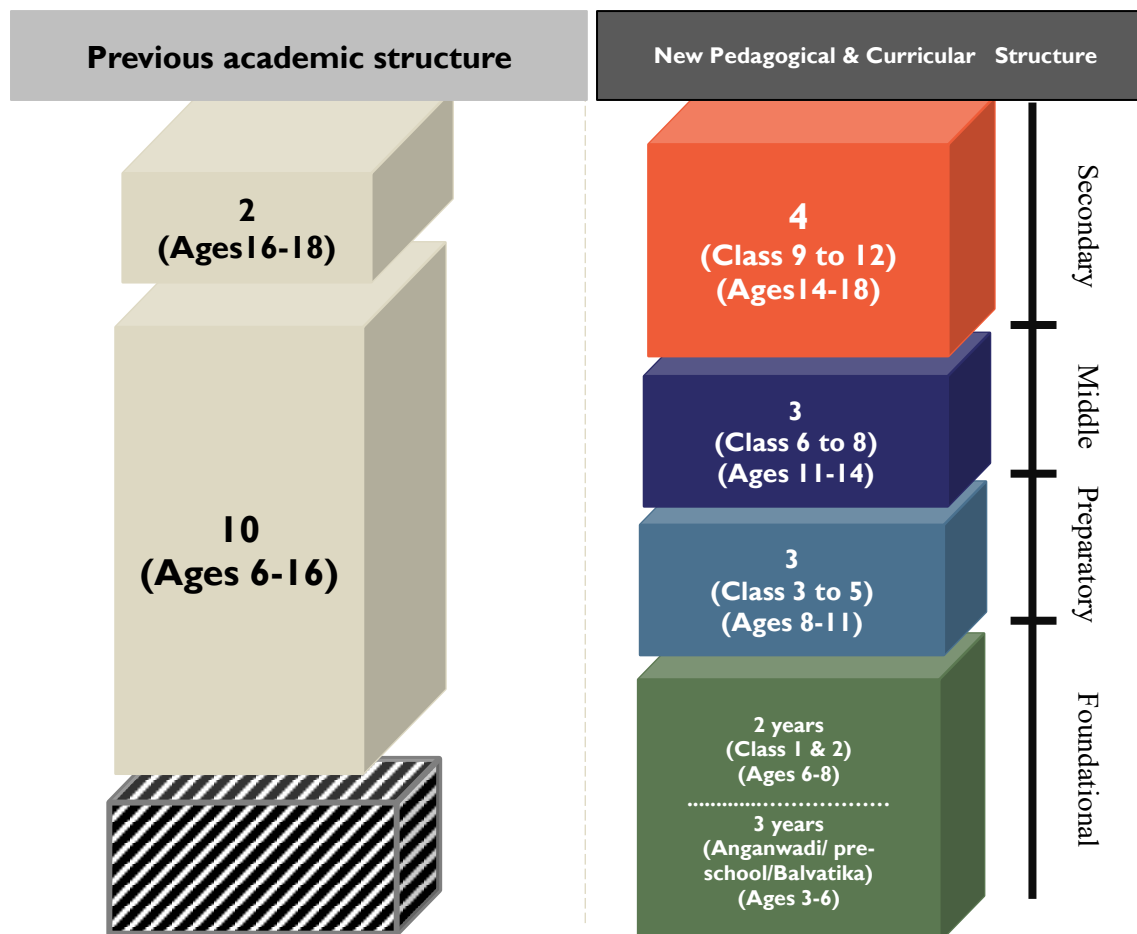
- **a rootedness and pride in India**, and its rich, diverse, ancient and modern culture and knowledge systems and traditions;
- **education is a public service**; access to quality education must be considered a basic right of every child;
- **substantial investment in a strong, vibrant public education system** as well as the encouragement and facilitation of true philanthropic private and community participation.

The Vision of this Policy

This National Education Policy envisions an education system rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming India, that is Bharat, sustainably into an equitable and vibrant knowledge society, by providing high-quality education to all, and thereby making India a global knowledge superpower. The Policy envisages that the curriculum and pedagogy of our institutions must develop among the students a deep sense of respect towards the Fundamental Duties and Constitutional values, bonding with one's country, and a conscious awareness of one's roles and responsibilities in a changing world. The vision of the Policy is to instill among the learners a deep-rooted pride in being Indian, not only in thought, but also in spirit, intellect, and deeds, as well as to develop knowledge, skills, values, and dispositions that support responsible commitment to human rights, sustainable development and living, and global well-being, thereby reflecting a truly global citizen.

Part I. SCHOOL EDUCATION

This policy envisages that the extant 10+2 structure in school education will be modified with a new pedagogical and curricular restructuring of 5+3+3+4 covering ages 3-18 as shown in the representative figure and elaborated in detail later under Chapter 4.



Currently, children in the age group of 3-6 are not covered in the 10+2 structure as Class 1 begins at age 6. In the new 5+3+3+4 structure, a strong base of Early Childhood Care and Education (ECCE) from age 3 is also included, which is aimed at promoting better overall learning, development, and well-being.

1. Early Childhood Care and Education: The Foundation of Learning

1.1. Over 85% of a child's cumulative brain development occurs prior to the age of 6, indicating the critical importance of appropriate care and stimulation of the brain in the early years in order to ensure healthy brain development and growth. Presently, quality ECCE is not available to crores of young children, particularly children from socio-economically disadvantaged backgrounds. Strong investment in ECCE has the potential to give all young children such access, enabling them to participate and flourish in the educational system throughout their lives. Universal provisioning of quality early childhood development, care, and education must thus be achieved as soon as possible, and no later than 2030, to ensure that all students entering Grade 1 are school ready.

1.2. ECCE ideally consists of flexible, multi-faceted, multi-level, play-based, activity-based, and inquiry-based learning, comprising of alphabets, languages, numbers, counting, colours, shapes, indoor and outdoor play, puzzles and logical thinking, problem-solving, drawing, painting and other visual art, craft, drama and puppetry, music and movement. It also includes a focus on developing social capacities, sensitivity, good behaviour, courtesy, ethics, personal and public cleanliness, teamwork, and cooperation. The overall aim of ECCE will be to attain optimal outcomes in the domains of: physical and motor development, cognitive development, socio-emotional-ethical development, cultural/artistic development, and the development of communication and early language, literacy, and numeracy.

1.3. A National Curricular and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education (NCPFECCE) for children up to the age of 8 will be developed by NCERT in two parts, namely, a sub-framework for 0-3 year-olds, and a sub-framework for 3-8 year-olds, aligned with the above guidelines, the latest research on ECCE, and national and international best practices. In particular, the numerous rich local traditions of India developed over millennia in ECCE involving art, stories, poetry, games, songs, and more, will also be suitably incorporated. The framework will serve as a guide both for parents and for early childhood care and education institutions.

1.4. The overarching goal will be to ensure universal access to high-quality ECCE across the country in a phased manner. Special attention and priority will be given to districts and locations that are particularly socio-economically disadvantaged. ECCE shall be delivered through a significantly expanded and strengthened system of early-childhood education institutions consisting of (a) stand-alone Anganwadis; (b) Anganwadis co-located with primary schools; (c) pre-primary schools/sections covering at least age 5 to 6 years co-located with existing primary schools; and (d) stand-alone pre-schools - all of which would recruit workers/teachers specially trained in the curriculum and pedagogy of ECCE.

1.5. For universal access to ECCE, Anganwadi Centres will be strengthened with high-quality infrastructure, play equipment, and well-trained Anganwadi workers/teachers. Every Anganwadi will have a well-ventilated, well-designed, child-friendly and well-constructed building with an enriched learning environment. Children in Anganwadi Centres shall take activity-filled tours - and meet the teachers and students of their local primary schools, in order to make the transition from Anganwadi Centres to primary schools a smooth one. Anganwadis shall be fully integrated into school complexes/clusters, and Anganwadi children, parents, and teachers will be invited to attend and participate in school/school complex programmes and vice versa.

1.6. It is envisaged that prior to the age of 5 every child will move to a "Preparatory Class" or "Balavatika" (that is, before Class 1), which has an ECCE-qualified teacher. The learning in the Preparatory Class shall be based primarily on play-based learning with a focus on developing cognitive, affective, and psychomotor abilities and early literacy and numeracy. The mid-

day meal programme shall also be extended to the Preparatory Classes in primary schools. Health check-ups and growth monitoring that are available in the Anganwadi system shall also be made available to Preparatory Class students of Anganwadi as well as of primary schools.

1.7. To prepare an initial cadre of high-quality ECCE teachers in Anganwadis, current Anganwadi workers/teachers will be trained through a systematic effort in accordance with the curricular/pedagogical framework developed by NCERT. Anganwadi workers/teachers with qualifications of 10+2 and above shall be given a 6-month certificate programme in ECCE; and those with lower educational qualifications shall be given a one-year diploma programme covering early literacy, numeracy, and other relevant aspects of ECCE. These programmes may be run through digital/distance mode using DTH channels as well as smartphones, allowing teachers to acquire ECCE qualifications with minimal disruption to their current work. The ECCE training of Anganwadi workers/teachers will be mentored by the Cluster Resource Centres of the School Education Department which shall hold at least one monthly contact class for continuous assessment. In the longer term, State Governments shall prepare cadres of professionally qualified educators for early childhood care and education, through stage-specific professional training, mentoring mechanisms, and career mapping. Necessary facilities will also be created for the initial professional preparation of these educators and their Continuous Professional Development (CPD).

1.8. ECCE will also be introduced in Ashramshalas in tribal-dominated areas and in all formats of alternative schooling in a phased manner. The process for integration and implementation of ECCE in Ashramshalas and alternative schooling will be similar to that detailed above.

1.9. The responsibility for ECCE curriculum and pedagogy will lie with MHRD to ensure its continuity from pre-primary school through primary school, and to ensure due attention to the foundational aspects of education. The planning and implementation of early childhood care and education curriculum will be carried out jointly by the Ministries of HRD, Women and Child Development (WCD), Health and Family Welfare (HFW), and Tribal Affairs. A special joint task force will be constituted for continuous guidance of the smooth integration of early childhood care and education into school education.

2. Foundational Literacy and Numeracy: An Urgent & Necessary Prerequisite to Learning

2.1. The ability to read and write, and perform basic operations with numbers, is a necessary foundation and an indispensable prerequisite for all future schooling and lifelong learning. However, various governmental, as well as non-governmental surveys, indicate that we are currently in a learning crisis: a large proportion of students currently in elementary school - estimated to be over 5 crore in number - have not attained foundational literacy and numeracy, i.e., the ability to read and comprehend basic text and the ability to carry out basic addition and subtraction with Indian numerals.

2.2. Attaining foundational literacy and numeracy for all children will thus become an urgent national mission, with immediate measures to be taken on many fronts and with clear goals that will be attained in the short term (including that every student will attain foundational literacy and numeracy by Grade 3). The highest priority of the education system will be to achieve universal foundational literacy and numeracy in primary school by 2025. The rest of this Policy will become relevant for our students only if this most basic learning requirement (i.e., reading, writing, and arithmetic at the foundational level) is first achieved. To this end, a National Mission on Foundational Literacy and Numeracy will be set up by the Ministry of Human Resource Development (MHRD) on priority. Accordingly, all State/UT governments will immediately prepare an implementation plan for attaining universal foundational literacy and numeracy in all primary schools, identifying stage-wise targets and goals to be achieved by 2025, and closely tracking and monitoring progress of the same.

2.3. First, teacher vacancies will be filled at the earliest, in a time-bound manner - especially in disadvantaged areas and areas with large pupil-to-teacher ratios or high rates of illiteracy. Special

National Education Policy 2020

attention will be given to employing local teachers or those with familiarity with local languages. A pupil-teacher ratio (PTR) of under 30:1 will be ensured at the level of each school; areas having large numbers of socio-economically disadvantaged students will aim for a PTR of under 25:1. Teachers will be trained, encouraged, and supported - with continuous professional development - to impart foundational literacy and numeracy.

2.4. On the curricular side, there will be an increased focus on foundational literacy and numeracy - and generally, on reading, writing, speaking, counting, arithmetic, and mathematical thinking - throughout the preparatory and middle school curriculum, with a robust system of continuous formative/adaptive assessment to track and thereby individualize and ensure each student's learning. Specific hours daily - and regular events over the year-on activities involving these subjects will be dedicated to encourage and enthuse students. Teacher education and the early grade curriculum will be redesigned to have a renewed emphasis on foundational literacy and numeracy.

2.5. Currently, with the lack of universal access to ECCE, a large proportion of children already fall behind within the first few weeks of Grade 1. Thus, to ensure that all students are school ready, an interim 3-month play-based 'school preparation module' for all Grade 1 students, consisting of activities and workbooks around the learning of alphabets, sounds, words, colours, shapes, and numbers, and involving collaborations with peers and parents, will be developed by NCERT and SCERTs.

2.6. A national repository of high-quality resources on foundational literacy and numeracy will be made available on the Digital Infrastructure for Knowledge Sharing (DIKSHA). Technological interventions to serve as aids to teachers and to help bridge any language barriers that may exist between teachers and students, will be piloted and implemented

2.7. Due to the scale of the current learning crisis, all viable methods will be explored to support teachers in the mission of attaining universal foundational literacy and numeracy. Studies around the world show one-on-one peer tutoring to be extremely effective for learning not just for the learner, but also for the tutor. Thus, peer tutoring can be taken up as a voluntary and joyful activity for fellow students under the supervision of trained teachers and by taking due care of safety aspects. Additionally, it will also be made far easier for trained volunteers - from both the local community and beyond - to participate in this large-scale mission. Every literate member of the community could commit to teaching one student/person how to read, it would change the country's landscape very quickly. States may consider establishing innovative models to foster such peer-tutoring and volunteer activities, as well as launch other programmes to support learners, in this nationwide mission to promote foundational literacy and numeracy.

2.8. Enjoyable and inspirational books for students at all levels will be developed, including through high-quality translation (technology assisted as needed) in all local and Indian languages, and will be made available extensively in both school and local public libraries. Public and school libraries will be significantly expanded to build a culture of reading across the country. Digital libraries will also be established. School libraries will be set up - particularly in villages - to serve the community during non-school hours, and book clubs may meet in public/school libraries to further facilitate and promote widespread reading. A National Book Promotion Policy will be formulated, and extensive initiatives will be undertaken to ensure the availability, accessibility, quality, and readership of books across geographies, languages, levels, and genres.

2.9. Children are unable to learn optimally when they are undernourished or unwell. Hence, the nutrition and health (including mental health) of children will be addressed, through healthy meals and the introduction of well-trained social workers, counsellors, and community involvement into the schooling system. Furthermore, research shows that the morning hours after a nutritious breakfast can be particularly productive for the study of cognitively more demanding subjects and hence these hours may be leveraged by providing a simple but energizing breakfast in addition to midday meals. In locations where hot meals are not possible, a simple but nutritious meal, e.g., groundnuts/chana mixed with jaggery and/or local fruits may be provided. All school children shall undergo regular

health check-ups especially for 100% immunization in schools and health cards will be issued to monitor the same.

3. Curtailing Dropout Rates and Ensuring Universal Access to Education at All Levels

3.1. One of the primary goals of the schooling system must be to ensure that children are enrolled in and are attending school. Through initiatives such as the Sarva Shiksha Abhiyan (now the Samagra Shiksha) and the Right to Education Act, India has made remarkable strides in recent years in attaining near-universal enrolment in elementary education. However, the data for later grades indicates some serious issues in retaining children in the schooling system. The GER for Grades 6-8 was 90.9%, while for Grades 9-10 and 11-12 it was only 79.3% and 56.5%, respectively - indicating that a significant proportion of enrolled students drop out after Grade 5 and especially after Grade 8. As per the 75th round household survey by NSSO in 2017-18, the number of out of school children in the age group of 6 to 17 years is 3.22 crore. It will be a top priority to bring these children back into the educational fold as early as possible, and to prevent further students from dropping out, with a goal to achieve 100% Gross Enrolment Ratio in preschool to secondary level by 2030. A concerted national effort will be made to ensure universal access and afford opportunity to all children of the country to obtain quality holistic education—including vocational education - from pre-school to Grade 12.

3.2. There are two overall initiatives that will be undertaken to bring children who have dropped out back to school and to prevent further children from dropping out. The first is to provide effective and sufficient infrastructure so that all students have access to safe and engaging school education at all levels from pre-primary school to Grade 12. Besides providing regular trained teachers at each stage, special care shall be taken to ensure that no school remains deficient on infrastructure support. The credibility of Government schools shall be re-established and this will be attained by upgrading and enlarging the schools that already exist, building additional quality schools in areas where they do not exist, and providing safe and practical conveyances and/or hostels, especially for the girl children, so that all children have the opportunity to attend a quality school and learn at the appropriate level. Alternative and innovative education centres will be put in place in cooperation with civil society to ensure that children of migrant labourers, and other children who are dropping out of school due to various circumstances are brought back into mainstream education.

3.3. The second is to achieve universal participation in school by carefully tracking students, as well as their learning levels, in order to ensure that they (a) are enrolled in and attending school, and (b) have suitable opportunities to catch up and re-enter school in case they have fallen behind or dropped out. For providing equitable and quality education from the Foundational Stage through Grade 12 to all children up to the age of 18, suitable facilitating systems shall be put in place. Counsellors or well-trained social workers connected to schools/school complexes and teachers will continuously work with students and their parents and will travel through and engage with communities to ensure that all school-age children are attending and learning in school. Trained and qualified social workers from civil society organizations/departments of Social Justice and Empowerment and government functionaries dealing with empowerment of Persons with Disabilities at the State and district level, could be connected to schools, through various innovative mechanisms adopted by State/UT Governments, to help in carrying out this important work.

3.4. Once infrastructure and participation are in place, ensuring quality will be the key in retention of students, so that they (particularly, girls and students from other socio-economically disadvantaged groups) do not lose interest in attending school. This will require a system of incentives for deploying teachers with knowledge of the local language to areas with high dropout rates, as well as overhauling the curriculum to make it more engaging and useful.

3.5. To facilitate learning for all students, with special emphasis on Socio-Economically Disadvantaged Groups (SEDGs), the scope of school education will be broadened to facilitate multiple pathways to learning involving both formal and non-formal education modes. Open and Distance Learning (ODL) Programmes offered by the National Institute of Open Schooling (NIOS)

and State Open Schools will be expanded and strengthened for meeting the learning needs of young people in India who are not able to attend a physical school. NIOS and State Open Schools will offer the following programmes in addition to the present programmes: A, B and C levels that are equivalent to Grades 3, 5, and 8 of the formal school system; secondary education programmes that are equivalent to Grades 10 and 12; vocational education courses/programmes; and adult literacy and life-enrichment programmes. States will be encouraged to develop these offerings in regional languages by establishing new/strengthening existing State Institutes of Open Schooling (SIOS).

3.6. To make it easier for both governments as well as non-governmental philanthropic organizations to build schools, to encourage local variations on account of culture, geography, and demographics, and to allow alternative models of education, the requirements for schools will be made less restrictive. The focus will be to have less emphasis on input and greater emphasis on output potential concerning desired learning outcomes. Regulations on inputs will be limited to certain areas as enumerated in Chapter 8. Other models for schools will also be piloted, such as public-philanthropic partnerships.

3.7. Efforts will be made to involve community and alumni in volunteer efforts for enhancing learning by providing at schools: one-on-one tutoring; the teaching of literacy and holding of extra-help sessions; teaching support and guidance for educators; career guidance and mentoring to students; etc. In this regard, the support of active and healthy senior citizens, school alumni and local community members will be suitably garnered. Databases of literate volunteers, retired scientists/government/semi government employees, alumni, and educators will be created for this purpose.

4. Curriculum and Pedagogy in Schools: Learning Should be Holistic, Integrated, Enjoyable, and Engaging

Restructuring school curriculum and pedagogy in a new 5+3+3+4 design

4.1. The curricular and pedagogical structure of school education will be reconfigured to make it responsive and relevant to the developmental needs and interests of learners at different stages of their development, corresponding to the age ranges of 3-8, 8-11, 11-14, and 14-18 years, respectively. The curricular and pedagogical structure and the curricular framework for school education will therefore be guided by a 5+3+3+4 design, consisting of the Foundational Stage (in two parts, that is, 3 years of Anganwadi/pre-school + 2 years in primary school in Grades 1-2; both together covering ages 3-8), Preparatory Stage (Grades 3-5, covering ages 8-11), Middle Stage (Grades 6-8, covering ages 11-14), and Secondary Stage (Grades 9-12 in two phases, i.e., 9 and 10 in the first and 11 and 12 in the second, covering ages 14-18).

4.2. The Foundational Stage will consist of five years of flexible, multilevel, play/activity-based learning and the curriculum and pedagogy of ECCE as mentioned in para 1.2. The Preparatory Stage will comprise three years of education building on the play, discovery, and activity-based pedagogical and curricular style of the Foundational Stage, and will also begin to incorporate some light text books as well as aspects of more formal but interactive classroom learning, in order to lay a solid groundwork across subjects, including reading, writing, speaking, physical education, art, languages, science, and mathematics. The Middle Stage will comprise three years of education, building on the pedagogical and curricular style of the Preparatory Stage, but with the introduction of subject teachers for learning and discussion of the more abstract concepts in each subject that students will be ready for at this stage across the sciences, mathematics, arts, social sciences, and humanities. Experiential learning within each subject, and explorations of relations among different subjects, will be encouraged and emphasized despite the introduction of more specialized subjects and subject teachers. The Secondary Stage will comprise of four years of multidisciplinary study, building on the subject-oriented pedagogical and curricular style of the Middle Stage, but with greater depth, greater critical thinking, greater attention to life aspirations, and greater flexibility and student choice of subjects. In particular students would continue to have the option of exiting after Grade 10

and re-entering in the next phase to pursue vocational or any other courses available in Grades 11-12, including at a more specialized school, if so desired.

4.3. The above-described stages are purely curricular and pedagogical, designed to optimize learning for students based on the cognitive development of children; they will inform the development of National and State curricula and teaching-learning strategies at each stage, but parallel changes to physical infrastructure will not be required.

Holistic development of learners

4.4. The key overall thrust of curriculum and pedagogy reform across all stages will be to move the education system towards real understanding and towards learning how to learn - and away from the culture of rote learning as is largely present today. The aim of education will not only be cognitive development, but also building character and creating holistic and well-rounded individuals equipped with the key 21st century skills. Ultimately, knowledge is a deep-seated treasure and education helps in its manifestation as the perfection which is already within an individual. All aspects of curriculum and pedagogy will be reoriented and revamped to attain these critical goals. Specific sets of skills and values across domains will be identified for integration and incorporation at each stage of learning, from pre-school to higher education. Curriculum frameworks and transaction mechanisms will be developed for ensuring that these skills and values are imbibed through engaging processes of teaching and learning. NCERT will identify these required skill sets and include mechanisms for their transaction in the National Curriculum Framework for early childhood and school education.

Reduce curriculum content to enhance essential learning and critical thinking

4.5. Curriculum content will be reduced in each subject to its core essentials, to make space for critical thinking and more holistic, inquiry-based, discovery-based, discussion-based, and analysis-based learning. The mandated content will focus on key concepts, ideas, applications, and problem-solving. Teaching and learning will be conducted in a more interactive manner; questions will be encouraged, and classroom sessions will regularly contain more fun, creative, collaborative, and exploratory activities for students for deeper and more experiential learning.

Experiential learning

4.6. In all stages, experiential learning will be adopted, including hands-on learning, arts-integrated and sports-integrated education, story-telling-based pedagogy, among others, as standard pedagogy within each subject, and with explorations of relations among different subjects. To close the gap in achievement of learning outcomes, classroom transactions will shift, towards competency-based learning and education. The assessment tools (including assessment “as”, “of”, and “for” learning) will also be aligned with the learning outcomes, capabilities, and dispositions as specified for each subject of a given class.

4.7. Art-integration is a cross-curricular pedagogical approach that utilizes various aspects and forms of art and culture as the basis for learning of concepts across subjects. As a part of the thrust on experiential learning, art-integrated education will be embedded in classroom transactions not only for creating joyful classrooms, but also for imbibing the Indian ethos through integration of Indian art and culture in the teaching and learning process at every level. This art-integrated approach will strengthen the linkages between education and culture.

4.8. Sports-integration is another cross-curricular pedagogical approach that utilizes physical activities including indigenous sports, in pedagogical practices to help in developing skills such as collaboration, self-initiative, self-direction, self-discipline, teamwork, responsibility, citizenship, etc. Sports-integrated learning will be undertaken in classroom transactions to help students adopt fitness as a lifelong attitude and to achieve the related life skills along with the levels of fitness as envisaged in the Fit India Movement. The need to integrate sports in education is well recognized as it serves to

foster holistic development by promoting physical and psychological well-being while also enhancing cognitive abilities.

Empower students through flexibility in course choices

4.9. Students will be given increased flexibility and choice of subjects to study, particularly in secondary school - including subjects in physical education, the arts and crafts, and vocational skills – so that they can design their own paths of study and life plans. Holistic development and a wide choice of subjects and courses year to year will be the new distinguishing feature of secondary school education. There will be no hard separation among ‘curricular’, ‘extracurricular’, or ‘co-curricular’, among ‘arts’, ‘humanities’, and ‘sciences’, or between ‘vocational’ or ‘academic’ streams. Subjects such as physical education, the arts and crafts, and vocational skills, in addition to science, humanities, and mathematics, will be incorporated throughout the school curriculum, with a consideration for what is interesting and safe at each age.

4.10. Each of the four stages of school education, in accordance with what may be possible in different regions, may consider moving towards a semester or any other system that allows the inclusion of shorter modules, or courses that are taught on alternate days, in order to allow an exposure to more subjects and enable greater flexibility. States may look into innovative methods to achieve these aims of greater flexibility and exposure to and enjoyment of a wider range of subjects, including across the arts, sciences, humanities, languages, sports, and vocational subjects.

Multilingualism and the power of language

4.11. It is well understood that young children learn and grasp nontrivial concepts more quickly in their home language/mother tongue. Home language is usually the same language as the mother tongue or that which is spoken by local communities. However, at times in multi-lingual families, there can be a home language spoken by other family members which may sometimes be different from mother tongue or local language. Wherever possible, the medium of instruction until at least Grade 5, but preferably till Grade 8 and beyond, will be the home language/mother tongue/local language/regional language. Thereafter, the home/local language shall continue to be taught as a language wherever possible. This will be followed by both public and private schools. High-quality textbooks, including in science, will be made available in home languages/mother tongue. All efforts will be made early on to ensure that any gaps that exist between the language spoken by the child and the medium of teaching are bridged. In cases where home language/mother tongue textbook material is not available, the language of transaction between teachers and students will still remain the home language/mother tongue wherever possible. Teachers will be encouraged to use a bilingual approach, including bilingual teaching-learning materials, with those students whose home language may be different from the medium of instruction. All languages will be taught with high quality to all students; a language does not need to be the medium of instruction for it to be taught and learned well.

4.12. As research clearly shows that children pick up languages extremely quickly between the ages of 2 and 8 and that multilingualism has great cognitive benefits to young students, children will be exposed to different languages early on (but with a particular emphasis on the mother tongue), starting from the Foundational Stage onwards. All languages will be taught in an enjoyable and interactive style, with plenty of interactive conversation, and with early reading and subsequently writing in the mother tongue in the early years, and with skills developed for reading and writing in other languages in Grade 3 and beyond. There will be a major effort from both the Central and State governments to invest in large numbers of language teachers in all regional languages around the country, and, in particular, for all languages mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution of India. States, especially States from different regions of India, may enter into bilateral agreements to hire teachers in large numbers from each other, to satisfy the three-language formula in their respective States, and also to encourage the study of Indian languages across the country. Extensive use of technology will be made for teaching and learning of different languages and to popularize language learning.

National Education Policy 2020

4.13. The three-language formula will continue to be implemented while keeping in mind the Constitutional provisions, aspirations of the people, regions, and the Union, and the need to promote multilingualism as well as promote national unity. However, there will be a greater flexibility in the three-language formula, and no language will be imposed on any State. The three languages learned by children will be the choices of States, regions, and of course the students themselves, so long as at least two of the three languages are native to India. In particular, students who wish to change one or more of the three languages they are studying may do so in Grade 6 or 7, as long as they are able to demonstrate basic proficiency in three languages (including one language of India at the literature level) by the end of secondary school.

4.14. All efforts will be made in preparing high-quality bilingual textbooks and teaching-learning materials for science and mathematics, so that students are enabled to think and speak about the two subjects both in their home language/mother tongue and in English.

4.15. As so many developed countries around the world have amply demonstrated, being well educated in one's language, culture, and traditions is not a detriment but indeed a huge benefit to educational, social, and technological advancement. India's languages are among the richest, most scientific, most beautiful, and most expressive in the world, with a huge body of ancient as well as modern literature (both prose and poetry), film, and music written in these languages that help form India's national identity and wealth. For purposes of cultural enrichment as well as national integration, all young Indians should be aware of the rich and vast array of languages of their country, and the treasures that they and their literatures contain.

4.16. Thus, every student in the country will participate in a fun project/activity on 'The Languages of India', sometime in Grades 6-8, such as, under the '*Ek Bharat Shrestha Bharat*' initiative. In this project/activity, students will learn about the remarkable unity of most of the major Indian languages, starting with their common phonetic and scientifically-arranged alphabets and scripts, their common grammatical structures, their origins and sources of vocabularies from Sanskrit and other classical languages, as well as their rich inter-influences and differences. They will also learn what geographical areas speak which languages, get a sense of the nature and structure of tribal languages, and learn to say commonly spoken phrases and sentences in every major language of India and also learn a bit about the rich and uplifting literature of each (through suitable translations as necessary). Such an activity would give them both a sense of the unity and the beautiful cultural heritage and diversity of India and would be a wonderful icebreaker their whole lives as they meet people from other parts of India. This project/activity would be a joyful activity and would not involve any form of assessment.

4.17. The importance, relevance, and beauty of the classical languages and literature of India also cannot be overlooked. Sanskrit, while also an important modern language mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution of India, possesses a classical literature that is greater in volume than that of Latin and Greek put together, containing vast treasures of mathematics, philosophy, grammar, music, politics, medicine, architecture, metallurgy, drama, poetry, storytelling, and more (known as 'Sanskrit Knowledge Systems'), written by people of various religions as well as non-religious people, and by people from all walks of life and a wide range of socio-economic backgrounds over thousands of years. Sanskrit will thus be offered at all levels of school and higher education as an important, enriching option for students, including as an option in the three-language formula. It will be taught in ways that are interesting and experiential as well as contemporarily relevant, including through the use of Sanskrit Knowledge Systems, and in particular through phonetics and pronunciation. Sanskrit textbooks at the foundational and middle school level may be written in Simple Standard Sanskrit (SSS) to teach Sanskrit through Sanskrit (STS) and make its study truly enjoyable.

4.18. India also has an extremely rich literature in other classical languages, including classical Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Odia. In addition to these classical languages Pali, Persian, and Prakrit; and their works of literature too must be preserved for their richness and for the pleasure and enrichment of posterity. As India becomes a fully developed country, the next generation will want to

partake in and be enriched by India's extensive and beautiful classical literature. In addition to Sanskrit, other classical languages and literatures of India, including Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Odia, Pali, Persian, and Prakrit, will also be widely available in schools as options for students, possibly as online modules, through experiential and innovative approaches, to ensure that these languages and literature stay alive and vibrant. Similar efforts will be made for all Indian languages having rich oral and written literatures, cultural traditions, and knowledge.

4.19. For the enrichment of the children, and for the preservation of these rich languages and their artistic treasures, all students in all schools, public or private, will have the option of learning at least two years of a classical language of India and its associated literature, through experiential and innovative approaches, including the integration of technology, in Grades 6-12, with the option to continue from the middle stage through the secondary stage and beyond.

4.20. In addition to high quality offerings in Indian languages and English, foreign languages, such as Korean, Japanese, Thai, French, German, Spanish, Portuguese, and Russian, will also be offered at the secondary level, for students to learn about the cultures of the world and to enrich their global knowledge and mobility according to their own interests and aspirations.

4.21. The teaching of all languages will be enhanced through innovative and experiential methods, including through gamification and apps, by weaving in the cultural aspects of the languages - such as films, theatre, storytelling, poetry, and music - and by drawing connections with various relevant subjects and with real-life experiences. Thus, the teaching of languages will also be based on experiential-learning pedagogy.

4.22. Indian Sign Language (ISL) will be standardized across the country, and National and State curriculum materials developed, for use by students with hearing impairment. Local sign languages will be respected and taught as well, where possible and relevant.

Curricular Integration of Essential Subjects, Skills, and Capacities

4.23. While students must have a large amount of flexibility in choosing their individual curricula, certain subjects, skills, and capacities should be learned by all students to become good, successful, innovative, adaptable, and productive human beings in today's rapidly changing world. In addition to proficiency in languages, these skills include: scientific temper and evidence-based thinking; creativity and innovativeness; sense of aesthetics and art; oral and written communication; health and nutrition; physical education, fitness, wellness, and sports; collaboration and teamwork; problem solving and logical reasoning; vocational exposure and skills; digital literacy, coding, and computational thinking; ethical and moral reasoning; knowledge and practice of human and Constitutional values; gender sensitivity; Fundamental Duties; citizenship skills and values; knowledge of India; environmental awareness including water and resource conservation, sanitation and hygiene; and current affairs and knowledge of critical issues facing local communities, States, the country, and the world.

4.24. Concerted curricular and pedagogical initiatives, including the introduction of contemporary subjects such as Artificial Intelligence, Design Thinking, Holistic Health, Organic Living, Environmental Education, Global Citizenship Education (GCED), etc. at relevant stages will be undertaken to develop these various important skills in students at all levels.

4.25. It is recognized that mathematics and mathematical thinking will be very important for India's future and India's leadership role in the numerous upcoming fields and professions that will involve artificial intelligence, machine learning, and data science, etc. Thus, mathematics and computational thinking will be given increased emphasis throughout the school years, starting with the foundational stage, through a variety of innovative methods, including the regular use of puzzles and games that make mathematical thinking more enjoyable and engaging. Activities involving coding will be introduced in Middle Stage.

National Education Policy 2020

4.26. Every student will take a fun course, during Grades 6-8, that gives a survey and hands-on experience of a sampling of important vocational crafts, such as carpentry, electric work, metal work, gardening, pottery making, etc., as decided by States and local communities and as mapped by local skilling needs. A practice-based curriculum for Grades 6-8 will be appropriately designed by NCERT while framing the NCFSE 2020-21. All students will participate in a 10-day bagless period sometime during Grades 6-8 where they intern with local vocational experts such as carpenters, gardeners, potters, artists, etc. Similar internship opportunities to learn vocational subjects may be made available to students throughout Grades 6-12, including holiday periods. Vocational courses through online mode will also be made available. Bagless days will be encouraged throughout the year for various types of enrichment activities involving arts, quizzes, sports, and vocational crafts. Children will be given periodic exposure to activities outside school through visits to places/monuments of historical, cultural and tourist importance, meeting local artists and craftsmen and visits higher educational institutions in their village/Tehsil/District/State.

4.27. “Knowledge of India” will include knowledge from ancient India and its contributions to modern India and its successes and challenges, and a clear sense of India’s future aspirations with regard to education, health, environment, etc. These elements will be incorporated in an accurate and scientific manner throughout the school curriculum wherever relevant; in particular, Indian Knowledge Systems, including tribal knowledge and indigenous and traditional ways of learning, will be covered and included in mathematics, astronomy, philosophy, yoga, architecture, medicine, agriculture, engineering, linguistics, literature, sports, games, as well as in governance, polity, conservation. Specific courses in tribal ethno-medicinal practices, forest management, traditional (organic) crop cultivation, natural farming, etc. will also be made available. An engaging course on Indian Knowledge Systems will also be available to students in secondary school as an elective. Competitions may be held in schools for learning various topics and subjects through fun and indigenous games. Video documentaries on inspirational luminaries of India, ancient and modern, in science and beyond, will be shown at appropriate points throughout the school curriculum. Students will be encouraged to visit different States as part of cultural exchange programmes.

4.28. Students will be taught at a young age the importance of “doing what’s right”, and will be given a logical framework for making ethical decisions. In later years, this would then be expanded along themes of cheating, violence, plagiarism, littering, tolerance, equality, empathy, etc., with a view to enabling children to embrace moral/ethical values in conducting one’s life, formulate a position/argument about an ethical issue from multiple perspectives, and use ethical practices in all work. As consequences of such basic ethical reasoning, traditional Indian values and all basic human and Constitutional values (such as *seva*, *ahimsa*, *swachchhata*, *satya*, *nishkam karma*, *shanti*, sacrifice, tolerance, diversity, pluralism, righteous conduct, gender sensitivity, respect for elders, respect for all people and their inherent capabilities regardless of background, respect for environment, helpfulness, courtesy, patience, forgiveness, empathy, compassion, patriotism, democratic outlook, integrity, responsibility, justice, liberty, equality, and fraternity) will be developed in all students. Children will have the opportunity to read and learn from the original stories of the Panchatantra, Jataka, Hitopadesh, and other fun fables and inspiring tales from the Indian tradition and learn about their influences on global literature. Excerpts from the Indian Constitution will also be considered essential reading for all students. Basic training in health, including preventive health, mental health, good nutrition, personal and public hygiene, disaster response and first-aid will also be included in the curriculum, as well as scientific explanations of the detrimental and damaging effects of alcohol, tobacco, and other drugs.

4.29. All curriculum and pedagogy, from the foundational stage onwards, will be redesigned to be strongly rooted in the Indian and local context and ethos in terms of culture, traditions, heritage, customs, language, philosophy, geography, ancient and contemporary knowledge, societal and scientific needs, indigenous and traditional ways of learning etc. – in order to ensure that education is maximally relatable, relevant, interesting, and effective for our students. Stories, arts, games, sports, examples, problems, etc. will be chosen as much as possible to be rooted in the Indian and local geographic context. Ideas, abstractions, and creativity will indeed best flourish when learning is thus rooted.

National Education Policy 2020

National Curriculum Framework for School Education (NCFSE)

4.30. The formulation of a new and comprehensive National Curricular Framework for School Education, NCFSE 2020-21, will be undertaken by the NCERT - based on the principles of this National Education Policy 2020, frontline curriculum needs, and after discussions with all stakeholders including State Governments, Ministries, relevant Departments of the Central Government, and other expert bodies, and will be made available in all regional languages. The NCFSE document shall henceforth be revisited and updated once every 5-10 years, taking into account frontline curriculum.

National Textbooks with Local Content and Flavour

4.31. The reduction in content and increased flexibility of school curriculum - and the renewed emphasis on constructive rather than rote learning - must be accompanied by parallel changes in school textbooks. All textbooks shall aim to contain the essential core material (together with discussion, analysis, examples, and applications) deemed important on a national level, but at the same time contain any desired nuances and supplementary material as per local contexts and needs. Where possible, schools and teachers will also have choices in the textbooks they employ - from among a set of textbooks that contain the requisite national and local material - so that they may teach in a manner that is best suited to their own pedagogical styles as well as to their students and communities' needs.

4.32. The aim will be to provide such quality textbooks at the lowest possible cost -namely, at the cost of production/printing - in order to mitigate the burden of textbook prices on the students and on the educational system. This may be accomplished by using high-quality textbook materials developed by NCERT in conjunction with the SCERTs; additional textbook materials could be funded by public-philanthropic partnerships and crowd sourcing that incentivize experts to write such high-quality textbooks at cost price. States will prepare their own curricula (which may be based on the NCFSE prepared by NCERT to the extent possible) and prepare textbooks (which may be based on the NCERT textbook materials to the extent possible), incorporating State flavour and material as needed. While doing so, it must be borne in mind that NCERT curriculum would be taken as the nationally acceptable criterion. The availability of such textbooks in all regional languages will be a top priority so that all students have access to high-quality learning. All efforts will be made to ensure timely availability of textbooks in schools. Access to downloadable and printable versions of all textbooks will be provided by all States/UTs and NCERT to help conserve the environment and reduce the logistical burden.

4.33. Concerted efforts, through suitable changes in curriculum and pedagogy, will be made by NCERT, SCERTs, schools, and educators to significantly reduce the weight of school bags and textbooks.

Transforming Assessment for Student Development

4.34. The aim of assessment in the culture of our schooling system will shift from one that is summative and primarily tests rote memorization skills to one that is more regular and formative, is more competency-based, promotes learning and development for our students, and tests higher-order skills, such as analysis, critical thinking, and conceptual clarity. The primary purpose of assessment will indeed be for learning; it will help the teacher and student, and the entire schooling system, continuously revise teaching-learning processes to optimize learning and development for all students. This will be the underlying principle for assessment at all levels of education.

4.35. The progress card of all students for school-based assessment, which is communicated by schools to parents, will be completely redesigned by States/UTs under guidance from the proposed National Assessment Centre, NCERT, and SCERTs. The progress card will be a holistic, 360-degree, multidimensional report that reflects in great detail the progress as well as the uniqueness of each

learner in the cognitive, affective, and psychomotor domains. It will include self-assessment and peer assessment, and progress of the child in project-based and inquiry-based learning, quizzes, role plays, group work, portfolios, etc., along with teacher assessment. The holistic progress card will form an important link between home and school and will be accompanied by parent-teacher meetings in order to actively involve parents in their children's holistic education and development. The progress card would also provide teachers and parents with valuable information on how to support each student in and out of the classroom. AI-based software could be developed and used by students to help track their growth through their school years based on learning data and interactive questionnaires for parents, students, and teachers, in order to provide students with valuable information on their strengths, areas of interest, and needed areas of focus, and to thereby help them make optimal career choices.

4.36. The current nature of secondary school exams, including Board exams and entrance exams - and the resulting coaching culture of today - are doing much harm, especially at the secondary school level, replacing valuable time for true learning with excessive exam coaching and preparation. These exams also force students to learn a very narrow band of material in a single stream, rather than allowing the flexibility and choice that will be so important in the education system of the future.

4.37. While the Board exams for Grades 10 and 12 will be continued, the existing system of Board and entrance examinations shall be reformed to eliminate the need for undertaking coaching classes. To reverse these harmful effects of the current assessment system, Board exams will be redesigned to encourage holistic development; students will be able to choose many of the subjects in which they take Board exams, depending on their individualized interests. Board exams will also be made 'easier', in the sense that they will test primarily core capacities/competencies rather than months of coaching and memorization; any student who has been going to and making a basic effort in a school class will be able to pass and do well in the corresponding subject Board Exam without much additional effort. To further eliminate the 'high stakes' aspect of Board Exams, all students will be allowed to take Board Exams on up to two occasions during any given school year, one main examination and one for improvement, if desired.

4.38. In addition to introducing greater flexibility, student choice, and best-of-two attempts, assessments that primarily test core capacities must be the immediate key reforms to all Board exams. Boards may over time also develop further viable models of Board Exams that reduce pressure and the coaching culture. Some possibilities include: a system of annual/semester/modular Board Exams could be developed - that each test far less material, and are taken immediately after the corresponding course is taken in school - so that the pressure from exams is better distributed, less intense, and less high-stakes across the Secondary Stage; all subjects and corresponding assessments, beginning with mathematics, could be offered at two levels, with students doing some of their subjects at the standard level and some at a higher level; and Board exams in certain subjects could be redesigned to have two parts – one part of an objective type with multiple-choice questions and the other of a descriptive type.

4.39. With regard to all of the above, guidelines will be prepared by NCERT, in consultation with major stakeholders, such as SCERTs, Boards of Assessment (BoAs), the proposed new National Assessment Centre etc., and teachers prepared, for a transformation in the assessment system by the 2022-23 academic session, to align with the NCFSE 2020-21.

4.40. To track progress throughout the school years, and not just at the end of Grades 10 and 12 - for the benefit of students, parents, teachers, principals, and the entire schooling system in planning improvements to schools and teaching-learning processes - all students will take school examinations in Grades 3, 5, and 8 which will be conducted by the appropriate authority. These examinations would test achievement of basic learning outcomes, through assessment of core concepts and knowledge from the national and local curricula, along with relevant higher-order skills and application of knowledge in real-life situations, rather than rote memorization. The Grade 3 examination, in particular, would test basic literacy, numeracy, and other foundational skills. The results of school examinations will be used only for developmental purposes of the school education

system, including for public disclosure by schools of their overall (anonymized) student outcomes, and for continuous monitoring and improvement of the schooling system.

4.41. It is proposed to set up a National Assessment Centre, PARAKH (Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development), as a standard-setting body under MHRD that fulfils the basic objectives of setting norms, standards, and guidelines for student assessment and evaluation for all recognized school boards of India, guiding the State Achievement Survey (SAS) and undertaking the National Achievement Survey (NAS), monitoring achievement of learning outcomes in the country, and encouraging and helping school boards to shift their assessment patterns towards meeting the skill requirements of the 21st century in consonance with the stated objectives of this Policy. This Centre will also advise school boards regarding new assessment patterns and latest researches, promote collaborations between school boards. It will also become an instrument for the sharing of best practices among school boards, and for ensuring equivalence of academic standards among learners across all school boards.

4.42. The principles for university entrance exams will be similar. The National Testing Agency (NTA) will work to offer a high-quality common aptitude test, as well as specialized common subject exams in the sciences, humanities, languages, arts, and vocational subjects, at least twice every year. These exams shall test conceptual understanding and the ability to apply knowledge and shall aim to eliminate the need for taking coaching for these exams. Students will be able to choose the subjects for taking the test, and each university will be able to see each student's individual subject portfolio and admit students into their programmes based on individual interests and talents. The NTA will serve as a premier, expert, autonomous testing organization to conduct entrance examinations for undergraduate and graduate admissions and fellowships in higher education institutions. The high quality, range, and flexibility of the NTA testing services will enable most universities to use these common entrance exams - rather than having hundreds of universities each devising their own entrance exams - thereby drastically reducing the burden on students, universities and colleges, and the entire education system. It will be left up to individual universities and colleges to use NTA assessments for their admissions.

Support for Gifted Students/Students with Special Talents

4.43. There are innate talents in every student, which must be discovered, nurtured, fostered, and developed. These talents may express themselves in the form of varying interests, dispositions, and capacities. Those students that show particularly strong interests and capacities in a given realm must be encouraged to pursue that realm beyond the general school curriculum. Teacher education will include methods for the recognition and fostering of such student talents and interests. The NCERT and NCTE will develop guidelines for the education of gifted children. B.Ed. programmes may also allow a specialization in the education of gifted children.

4.44. Teachers will aim to encourage students with singular interests and/or talents in the classroom by giving them supplementary enrichment material and guidance and encouragement. Topic-centered and Project-based Clubs and Circles will be encouraged and supported at the levels of schools, school complexes, districts, and beyond. Examples include Science Circles, Math Circles, Music & Dance Performance Circles, Chess Circles, Poetry Circles, Language Circles, Drama Circles, Debate Circles, Sports Circles, Eco-Clubs, Health & Well-being Clubs/ Yoga Clubs and so on. Along these lines, high-quality national residential summer programmes for secondary school students in various subjects will also be encouraged, with a rigorous merit-based but equitable admission process to attract the very best students and teachers from across the country including from socio-economically disadvantaged groups.

4.45. Olympiads and competitions in various subjects will be conducted across the country, with clear coordination and progression from school to local to state to national levels, to ensure that all students may participate at all levels for which they qualify. Efforts will be made to make these available in rural areas and in regional languages to ensure widespread participation. Public and private universities, including premier institutions like the IITs and NITs, would be encouraged to use merit-

based results from National, and International Olympiads, and results from other relevant national programmes, as part of the criteria for admissions into their undergraduate programmes.

4.46. Once internet-connected smart phones or tablets are available in all homes and/or schools, online apps with quizzes, competitions, assessments, enrichment materials, and online communities for shared interests will be developed, and will work to enhance all the aforementioned initiatives, as group activities for students with appropriate supervision of parents and teachers. Schools will develop smart classrooms, in a phased manner, for using digital pedagogy and thereby enriching the teaching-learning process with online resources and collaborations.

5. Teachers

5.1. Teachers truly shape the future of our children - and, therefore, the future of our nation. It is because of this noblest role that the teacher in India was the most respected member of society. Only the very best and most learned became teachers. Society gave teachers, or gurus, what they needed to pass on their knowledge, skills, and ethics optimally to students. The quality of teacher education, recruitment, deployment, service conditions, and empowerment of teachers is not where it should be, and consequently the quality and motivation of teachers does not reach the desired standards. The high respect for teachers and the high status of the teaching profession must be restored so as to inspire the best to enter the teaching profession. The motivation and empowerment of teachers is required to ensure the best possible future for our children and our nation.

Recruitment and Deployment

5.2. To ensure that outstanding students enter the teaching profession - especially from rural areas - a large number of merit-based scholarships shall be instituted across the country for studying quality 4-year integrated B.Ed. programmes. In rural areas, special merit-based scholarships will be established that also include preferential employment in their local areas upon successful completion of their B.Ed. programmes. Such scholarships will provide local job opportunities to local students, especially female students, so that these students serve as local-area role models and as highly qualified teachers who speak the local language. Incentives will be provided for teachers to take up teaching jobs in rural areas, especially in areas that are currently facing acute shortage of quality teachers. A key incentive for teaching in rural schools will be the provision of local housing near or on the school premises or increased housing allowances.

5.3. The harmful practice of excessive teacher transfers will be halted, so that students have continuity in their role models and educational environments. Transfers will occur in very special circumstances, as suitably laid down in a structured manner by State/UT governments. Furthermore, transfers will be conducted through an online computerized system that ensures transparency.

5.4. Teacher Eligibility Tests (TETs) will be strengthened to inculcate better test material, both in terms of content and pedagogy. The TETs will also be extended to cover teachers across all stages (Foundational, Preparatory, Middle and Secondary) of school education. For subject teachers, suitable TET or NTA test scores in the corresponding subjects will also be taken into account for recruitment. To gauge passion and motivation for teaching, a classroom demonstration or interview will become an integral part of teacher hiring at schools and school complexes. These interviews would also be used to assess comfort and proficiency in teaching in the local language, so that every school/school complex has at least some teachers who can converse with students in the local language and other prevalent home languages of students. Teachers in private schools also must have qualified similarly through TET, a demonstration/interview, and knowledge of local language(s).

5.5. To ensure an adequate number of teachers across subjects - particularly in subjects such as art, physical education, vocational education, and languages - teachers could be recruited to a school or school complex and the sharing of teachers across schools could be considered in accordance with the grouping-of-schools adopted by State/UT governments.

National Education Policy 2020

5.6. Schools/school complexes will be encouraged to hire local eminent persons or experts as ‘master instructors’ in various subjects, such as in traditional local arts, vocational crafts, entrepreneurship, agriculture, or any other subject where local expertise exists, to benefit students and help preserve and promote local knowledge and professions.

5.7. A technology-based comprehensive teacher-requirement planning forecasting exercise will be conducted by each State to assess expected subject-wise teacher vacancies over the next two decades. The above described initiatives in recruitment and deployment will be scaled as needed over time, to fill all vacancies with qualified teachers, including local teachers, with suitable incentives for career management and progression as described below. Teacher education programmes and offerings will also align with the vacancies thus projected.

Service Environment and Culture

5.8. The primary goal of overhauling the service environment and culture of schools will be to maximize the ability of teachers to do their jobs effectively, and to ensure that they are part of vibrant, caring, and inclusive communities of teachers, students, parents, principals, and other support staff, all of whom share a common goal: to ensure that our children are learning.

5.9. The first requirement in this direction will be to ensure decent and pleasant service conditions at schools. Adequate and safe infrastructure, including working toilets, clean drinking water, clean and attractive spaces, electricity, computing devices, internet, libraries, and sports and recreational resources will be provided to all schools to ensure that teachers and students, including children of all genders and children with disabilities, receive a safe, inclusive, and effective learning environment and are comfortable and inspired to teach and learn in their schools. In-service training will have inputs on safety, health and environment at workplace in schools to ensure that all teachers are sensitized to these requirements.

5.10. State/UT Governments may adopt innovative formats, such as school complex, rationalization of schools, without in any way reducing accessibility, for effective school governance, resource sharing, and community building. The creation of school complexes could go a long way towards building vibrant teacher communities. The hiring of teachers to school complexes could automatically create relationships among schools across the school complex; it would also help ensure excellent subject-wise distribution of teachers, creating a more vibrant teacher knowledge base. Teachers at very small schools will not remain isolated any longer and may become part of and work with larger school complex communities, sharing best practices with each other and working collaboratively to ensure that all children are learning. School complexes could also share counsellors, trained social workers, technical and maintenance staff, etc. to further support teachers and help create an effective learning environment.

5.11. In collaboration with parents and other key local stakeholders, teachers will also be more involved in the governance of schools/school complexes, including as members of the School Management Committees/School Complex Management Committees.

5.12. To prevent the large amounts of time spent currently by teachers on non-teaching activities, teachers will not be engaged any longer in work that is not directly related to teaching; in particular, teachers will not be involved in strenuous administrative tasks and more than a rationalized minimum time for mid-day meal related work, so that they may fully concentrate on their teaching-learning duties.

5.13. To help ensure that schools have positive learning environments, the role expectations of principals and teachers will explicitly include developing a caring and inclusive culture at their schools, for effective learning and the benefit of all stakeholders.

5.14. Teachers will be given more autonomy in choosing aspects of pedagogy, so that they may teach in the manner they find most effective for the students in their classrooms. Teachers will also focus

on socio-emotional learning - a critical aspect of any student's holistic development. Teachers will be recognized for novel approaches to teaching that improve learning outcomes in their classrooms.

Continuous Professional Development (CPD)

5.15. Teachers will be given continuous opportunities for self-improvement and to learn the latest innovations and advances in their professions. These will be offered in multiple modes, including in the form of local, regional, state, national, and international workshops as well as online teacher development modules. Platforms (especially online platforms) will be developed so that teachers may share ideas and best practices. Each teacher will be expected to participate in at least 50 hours of CPD opportunities every year for their own professional development, driven by their own interests. CPD opportunities will, in particular, systematically cover the latest pedagogies regarding foundational literacy and numeracy, formative and adaptive assessment of learning outcomes, competency-based learning, and related pedagogies, such as experiential learning, arts-integrated, sports-integrated, and storytelling-based approaches, etc.

5.16. School Principals and school complex leaders will have similar modular leadership/management workshops and online development opportunities and platforms to continuously improve their own leadership and management skills, and so that they too may share best practices with each other. Such leaders will also be expected to participate in 50 hours or more of CPD modules per year, covering leadership and management, as well as content and pedagogy with a focus on preparing and implementing pedagogical plans based on competency-based education.

Career Management and Progression (CMP)

5.17. Teachers doing outstanding work must be recognized and promoted, and given salary raises, to incentivize all teachers to do their best work. Therefore, a robust merit-based structure of tenure, promotion, and salary structure will be developed, with multiple levels within each teacher stage, that incentivizes and recognizes outstanding teachers. A system of multiple parameters for proper assessment of performance will be developed for the same by State/UT Governments that is based on peer reviews, attendance, commitment, hours of CPD, and other forms of service to the school and the community or based on NPST given in Para 5.20. In this Policy, in the context of careers, 'tenure' refers to confirmation for permanent employment, after due assessment of performance and contribution, while 'tenure track' refers to the period of probation preceding tenure.

5.18. Further, it will be ensured that career growth (in terms of tenure, promotions, salary increases, etc.) is available to teachers within a single school stage (i.e., Foundational, Preparatory, Middle, or Secondary), and that there is no career progression-related incentive to move from being teachers in early stages to later stages or vice versa (though such career moves across stages will be allowed, provided the teacher has the desire and qualifications for such a move). This is to support the fact that all stages of school education will require the highest-quality teachers, and no stage will be considered more important than any other.

5.19. Vertical mobility of teachers based on merit will also be paramount; outstanding teachers with demonstrated leadership and management skills would be trained over time to take on academic leadership positions in schools, school complexes, BRCs, CRCs, BITEs, DIETs as well as relevant government departments.

Professional Standards for Teachers

5.20. A common guiding set of National Professional Standards for Teachers (NPST) will be developed by 2022, by the National Council for Teacher Education in its restructured new form as a Professional Standard Setting Body (PSSB) under the General Education Council (GEC), in consultation with NCERT, SCERTs, teachers from across levels and regions, expert organizations in teacher preparation and development, expert bodies in vocational education, and higher education institutions. The standards would cover expectations of the role of the teacher at different levels of expertise/stage, and the competencies required for that stage. It will also comprise standards for

performance appraisal, for each stage, that would be carried out on a periodic basis. The NPST will also inform the design of pre-service teacher education programmes. This could be then adopted by States and determine all aspects of teacher career management, including tenure, professional development efforts, salary increases, promotions, and other recognitions. Promotions and salary increases will not occur based on the length of tenure or seniority, but only on the basis of such appraisal. The professional standards will be reviewed and revised in 2030, and thereafter every ten years, on the basis of rigorous empirical analysis of the efficacy of the system.

Special educators

5.21. There is an urgent need for additional special educators for certain areas of school education. Some examples of such specialist requirements include subject teaching for children with disabilities/*Divyang* children at the Middle and Secondary school level, including teaching for specific learning disabilities. Such teachers would require not only subject-teaching knowledge and understanding of subject-related aims of education, but also the relevant skills for understanding of special requirements of children. Therefore, such areas could be developed as secondary specializations for subject teachers or generalist teachers, during or after pre-service teacher preparation. They will be offered as certificate courses, in the pre-service as well as in-service mode, either full time or as part-time/blended courses - again, necessarily, at multidisciplinary colleges or universities. Greater synergy will be enabled between the course curriculum of NCTE and RCI to ensure adequate availability of qualified special educators who can handle subject teaching as well.

Approach to Teacher Education

5.22. Recognizing that the teachers will require training in high-quality content as well as pedagogy, teacher education will gradually be moved by 2030 into multidisciplinary colleges and universities. As colleges and universities all move towards becoming multidisciplinary, they will also aim to house outstanding education departments that offer B.Ed., M.Ed., and Ph.D. degrees in education.

5.23. By 2030, the minimum degree qualification for teaching will be a 4-year integrated B.Ed. degree that teaches a range of knowledge content and pedagogy and includes strong practicum training in the form of student-teaching at local schools. The 2-year B.Ed. programmes will also be offered, by the same multidisciplinary institutions offering the 4-year integrated B.Ed., and will be intended only for those who have already obtained Bachelor's Degrees in other specialized subjects. These B.Ed. programmes may also be suitably adapted as 1-year B.Ed. programmes, and will be offered only to those who have completed the equivalent of 4-year multidisciplinary Bachelor's Degrees or who have obtained a Master's degree in a specialty and wish to become a subject teacher in that specialty. All such B.Ed. degrees would be offered only by accredited multidisciplinary higher education institutions offering 4-year integrated B.Ed. programmes. Multidisciplinary higher education institutions offering the 4-year in-class integrated B.Ed. programme and having accreditation for ODL may also offer high-quality B.Ed. programmes in blended or ODL mode to students in remote or difficult-to-access locations and also to in-service teachers who are aiming to enhance their qualification, with suitable robust arrangements for mentoring and for the practicum-training and student-teaching components of the programme.

5.24. All B.Ed. programmes will include training in time-tested as well as the most recent techniques in pedagogy, including pedagogy with respect to foundational literacy and numeracy, multi-level teaching and evaluation, teaching children with disabilities, teaching children with special interests or talents, use of educational technology, and learner-centered and collaborative learning. All B.Ed. programmes will include strong practicum training in the form of in-classroom teaching at local schools. All B.Ed. programmes will also emphasize the practice of the Fundamental Duties (Article 51A) of the Indian Constitution along with other Constitutional provisions while teaching any subject or performing any activity. It will also appropriately integrate environmental awareness and sensitivity towards its conservation and sustainable development, so that environment education becomes an integral part of school curricula.

National Education Policy 2020

5.25. Special shorter local teacher education programmes will also be available at BITEs, DIETs, or at school complexes themselves for eminent local persons who can be hired to teach at schools or school complexes as ‘master instructors’, for the purpose of promoting local professions, knowledge, and skills, e.g., local art, music, agriculture, business, sports, carpentry, and other vocational crafts.

5.26. Shorter post-B.Ed. certification courses will also be made widely available, at multidisciplinary colleges and universities, to teachers who may wish to move into more specialized areas of teaching, such as the teaching of students with disabilities, or into leadership and management positions in the schooling system, or to move from one stage to another between foundational, preparatory, middle, and secondary stages.

5.27. It is recognized that there may be several pedagogical approaches internationally for teaching particular subjects; NCERT will study, research, document, and compile the varied international pedagogical approaches for teaching different subjects and make recommendations on what can be learnt and assimilated from these approaches into the pedagogies being practiced in India.

5.28. By 2021, a new and comprehensive National Curriculum Framework for Teacher Education, NCFTE 2021, will be formulated by the NCTE in consultation with NCERT, based on the principles of this National Education Policy 2020. The framework will be developed after discussions with all stakeholders including State Governments, relevant Ministries/Departments of Central Government and various expert bodies, and will be made available in all regional languages. The NCFTE 2021 will also factor in the requirements of teacher education curricula for vocational education. The NCFTE will thereafter be revised once every 5-10 years by reflecting the changes in revised NCFs as well as emerging needs in teacher education.

5.29. Finally, in order to fully restore the integrity of the teacher education system, stringent action will be taken against substandard stand-alone Teacher Education Institutions (TEIs) running in the country, including shutting them down, if required.

6. Equitable and Inclusive Education: Learning for All

6.1. Education is the single greatest tool for achieving social justice and equality. Inclusive and equitable education - while indeed an essential goal in its own right - is also critical to achieving an inclusive and equitable society in which every citizen has the opportunity to dream, thrive, and contribute to the nation. The education system must aim to benefit India’s children so that no child loses any opportunity to learn and excel because of circumstances of birth or background. This Policy reaffirms that bridging the social category gaps in access, participation, and learning outcomes in school education will continue to be one of the major goals of all education sector development programmes. This Chapter may be read in conjunction with Chapter 14 which discusses analogous issues of Equity and Inclusion in Higher Education.

6.2. While the Indian education system and successive government policies have made steady progress towards bridging gender and social category gaps in all levels of school education, large disparities still remain - especially at the secondary level - particularly for socio-economically disadvantaged groups that have been historically underrepresented in education. Socio-Economically Disadvantaged Groups (SEDGs) can be broadly categorized based on gender identities (particularly female and transgender individuals), socio-cultural identities (such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs, and minorities), geographical identities (such as students from villages, small towns, and aspirational districts), disabilities (including learning disabilities), and socio-economic conditions (such as migrant communities, low income households, children in vulnerable situations, victims of or children of victims of trafficking, orphans including child beggars in urban areas, and the urban poor). While overall enrolments in schools decline steadily from Grade 1 to Grade 12, this decline in enrolments is significantly more pronounced for many of these SEDGs, with even greater declines for female students within each of these SEDGs and often even steeper in higher education. A brief status overview of the SEDGs that come within socio-cultural identities is given in following sub-sections.

6.2.1. According to U-DISE 2016-17 data, about 19.6% of students belong to Scheduled Castes at the primary level, but this fraction falls to 17.3% at the higher secondary level. These enrolment drop-offs are more severe for Scheduled Tribes students (10.6% to 6.8%), and differently-abled children (1.1% to 0.25%), with even greater declines for female students within each of these categories. The decline in enrolment in higher education is even steeper.

6.2.2. A multiplicity of factors, including lack of access to quality schools, poverty, social mores & customs, and language have had a detrimental effect on rates of enrolment and retention among the Scheduled Castes. Bridging these gaps in access, participation, and learning outcomes of children belonging to Scheduled Castes will continue to be one of the major goals. Also, the Other Backward Classes (OBCs) which have been identified on the basis of historically being socially and educationally backward also need special focus.

6.2.3. Tribal communities and children from Scheduled Tribes also face disadvantages at multiple levels due to various historical and geographical factors. Children from tribal communities often find their school education irrelevant and foreign to their lives, both culturally and academically. While several programmatic interventions to uplift children from tribal communities are currently in place, and will continue to be pursued, special mechanisms need to be made to ensure that children belonging to tribal communities receive the benefits of these interventions.

6.2.4. Minorities are also relatively underrepresented in school and higher education. The Policy acknowledges the importance of interventions to promote education of children belonging to all minority communities, and particularly those communities that are educationally underrepresented.

6.2.5. The Policy also recognizes the importance of creating enabling mechanisms for providing Children With Special Needs (CWSN) or *Divyang*, the same opportunities of obtaining quality education as any other child.

6.2.6. Separate strategies will be formulated for focused attention on reducing the social category gaps in school education as outlined in the following sub-sections.

6.3. The critical problems and recommendations regarding ECCE, foundational literacy and numeracy, access, enrolment and attendance discussed in Chapters 1–3, are particularly relevant and important for underrepresented and disadvantaged groups. Therefore, the measures from Chapters 1–3 will be targeted in a concerted way for SEDGs.

6.4. In addition, there have been various successful policies and schemes such as targeted scholarships, conditional cash transfers to incentivize parents to send their children to school, providing bicycles for transport, etc., that have significantly increased participation of SEDGs in the schooling system in certain areas. These successful policies and schemes must be significantly strengthened across the country.

6.5. It will also be essential to take into account research that ascertains which measures are particularly effective for certain SEDGs. For example, providing bicycles and organizing cycling and walking groups to provide access to school have been shown to be particularly powerful methods in increasing participation of female students - even at lesser distances - because of the safety benefits and comfort to parents that they provide. One-on-one teachers and tutors, peer tutoring, open schooling, appropriate infrastructure, and suitable technological interventions to ensure access can be particularly effective for certain children with disabilities. Schools providing quality ECCE reap the greatest dividends for children who come from families that are economically disadvantaged. Meanwhile, counsellors and/or well-trained social workers that work with and connect with students, parents, schools, and teachers in order to improve attendance and learning outcomes have been found to be especially effective for children in urban poor areas.

National Education Policy 2020

6.6. Data shows that certain geographical areas contain significantly larger proportions of SEDGs. Also, there are geographical locations that have been identified as Aspirational Districts which require special interventions for promoting their educational development. Hence, it is recommended that regions of the country with large populations from educationally-disadvantaged SEDGs should be declared Special Education Zones (SEZs), where all the schemes and policies are implemented to the maximum through additional concerted efforts, in order to truly change their educational landscape.

6.7. It must be noted that women cut across all underrepresented groups, making up about half of all SEDGs. Unfortunately, the exclusion and inequity that SEDGs face is only amplified for the women in these SEDGs. The policy additionally recognizes the special and critical role that women play in society and in shaping social mores; therefore, providing a quality education to girls is the best way to increase the education levels for these SEDGs, not just in the present but also in future generations. The policy thus recommends that the policies and schemes designed to include students from SEDGs should be especially targeted towards girls in these SEDGs.

6.8. In addition, the Government of India will constitute a ‘Gender-Inclusion Fund’ to build the nation’s capacity to provide equitable quality education for all girls as well as transgender students. The fund will be available to States to implement priorities determined by the Central government critical for assisting female and transgender children in gaining access to education (such as the provisions of sanitation and toilets, bicycles, conditional cash transfers, etc.); funds will also enable States to support and scale effective community-based interventions that address local context-specific barriers to female and transgender children’s access to and participation in education. Similar ‘Inclusion Fund’ schemes shall also be developed to address analogous access issues for other SEDGs. In essence, this Policy aims to eliminate any remaining disparity in access to education (including vocational education) for children from any gender or other socio-economically disadvantaged group.

6.9. Free boarding facilities will be built - matching the standard of Jawahar Navodaya Vidyalayas - in school locations where students may have to come from far, and particularly for students who from socio-economically disadvantaged backgrounds, with suitable arrangements for the safety of all children, especially girls. Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas will be strengthened and expanded to increase the participation in quality schools (up to Grade 12) of girls from socio-economically disadvantaged backgrounds. Additional Jawahar Navodaya Vidyalayas and Kendriya Vidyalayas will be built around the country, especially in aspirational districts, Special Education Zones, and other disadvantaged areas, to increase high-quality educational opportunities. Pre-school sections covering at least one year of early childhood care and education will be added to Kendriya Vidyalayas and other primary schools around the nation, particularly in disadvantaged areas.

6.10. Ensuring the inclusion and equal participation of children with disabilities in ECCE and the schooling system will also be accorded the highest priority. Children with disabilities will be enabled to fully participate in the regular schooling process from the Foundational Stage to higher education. The Rights of Persons with Disabilities (RPWD) Act 2016 defines inclusive education as a ‘system of education wherein students with and without disabilities learn together and the system of teaching and learning is suitably adapted to meet the learning needs of different types of students with disabilities’. This Policy is in complete consonance with the provisions of the RPWD Act 2016 and endorses all its recommendations with regard to school education. While preparing the National Curriculum Framework, NCERT will ensure that consultations are held with expert bodies such as National Institutes of DEPD.

6.11. To this end, schools/school complexes will be provided resources for the integration of children with disabilities, recruitment of special educators with cross-disability training, and for the establishment of resource centres, wherever needed, especially for children with severe or multiple disabilities. Barrier free access for all children with disabilities will be enabled as per the RPWD Act. Different categories of children with disabilities have differing needs. Schools and school complexes will work and be supported for providing all children with disabilities accommodations and support

mechanisms tailored to suit their needs and to ensure their full participation and inclusion in the classroom. In particular, assistive devices and appropriate technology-based tools, as well as adequate and language-appropriate teaching-learning materials (e.g., textbooks in accessible formats such as large print and Braille) will be made available to help children with disabilities integrate more easily into classrooms and engage with teachers and their peers. This will apply to all school activities including arts, sports, and vocational education. NIOS will develop high-quality modules to teach Indian Sign Language, and to teach other basic subjects using Indian Sign Language. Adequate attention will be paid to the safety and security of children with disabilities.

6.12. As per the RPWD Act 2016, children with benchmark disabilities shall have the choice of regular or special schooling. Resource centres in conjunction with special educators will support the rehabilitation and educational needs of learners with severe or multiple disabilities and will assist parents/guardians in achieving high-quality home schooling and skilling for such students as needed. Home-based education will continue to be a choice available for children with severe and profound disabilities who are unable to go to schools. The children under home-based education must be treated as equal to any other child in the general system. There shall be an audit of home-based education for its efficiency and effectiveness using the principle of equity and equality of opportunity. Guidelines and standards for home-based schooling shall be developed based on this audit in line with the RPWD Act 2016. While it is clear that the education of all children with disabilities is the responsibility of the State, technology-based solutions will be used for the orientation of parents/caregivers along with wide-scale dissemination of learning materials to enable parents/caregivers to actively support their children's learning needs will be accorded priority.

6.13. Most classrooms have children with specific learning disabilities who need continuous support. Research is clear that the earlier such support begins, the better the chances of progress. Teachers must be helped to identify such learning disabilities early and plan specifically for their mitigation. Specific actions will include the use of appropriate technology allowing and enabling children to work at their own pace, with flexible curricula to leverage each child's strengths, and creating an ecosystem for appropriate assessment and certification. Assessment and certification agencies, including the proposed new National Assessment Centre, PARAKH, will formulate guidelines and recommend appropriate tools for conducting such assessment, from the foundational stage to higher education (including for entrance exams), in order to ensure equitable access and opportunities for all students with learning disabilities.

6.14. The awareness and knowledge of how to teach children with specific disabilities (including learning disabilities) will be an integral part of all teacher education programmes, along with gender sensitization and sensitization towards all underrepresented groups in order to reverse their underrepresentation.

6.15. Alternative forms of schools, will be encouraged to preserve their traditions or alternative pedagogical styles. At the same time, they will be supported to integrate the subject and learning areas prescribed by the NCFSE into their curricula in order to reduce and eventually eliminate the underrepresentation of children from these schools in higher education. In particular, financial assistance will be provided to introduce science, mathematics, social studies, Hindi, English, State languages, or other relevant subjects in the curriculum, as may be desired by these schools. This would enable children studying in these schools to attain the learning outcomes defined for Grades 1–12. Furthermore, students in such schools would be encouraged to appear for State or other Board examinations and assessments by the NTA, and thereby enroll in higher education institutions. Capacities of teachers in the teaching of science, mathematics, language, and social studies will be developed including orientation to new pedagogical practices. Libraries and laboratories will be strengthened and adequate reading materials like books, journals, etc., and other teaching-learning materials will be made available.

6.16. Within SEDGs, and with respect to all the above policy points, special attention will be given to reduce the disparities in the educational development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. As a part of the efforts to enhance participation in school education, special hostels in dedicated regions, bridge courses, and financial assistance through fee waivers and scholarships will be offered to

talented and meritorious students from all SEDGs on a larger scale, especially at the secondary stage of education, to facilitate their entry into higher education.

6.17. Under the aegis of the Ministry of Defence, State Governments may encourage opening NCC wings in their secondary and higher secondary schools, including those located in tribal dominated areas. This will enable harnessing of the natural talent and unique potential of students, which in turn would help them to aspire to a successful career in the defence forces.

6.18. All scholarships and other opportunities and schemes available to students from SEDGs will be coordinated and announced by a single agency and website to ensure that all students are aware of, and may apply in a simplified manner on such a 'single window system', as per eligibility.

6.19. All the above policies and measures are absolutely critical to attaining full inclusion and equity for all SEDGs - but they are not sufficient. What is also required is a change in school culture. All participants in the school education system, including teachers, principals, administrators, counsellors, and students, will be sensitized to the requirements of all students, the notions of inclusion and equity, and the respect, dignity, and privacy of all persons. Such an educational culture will provide the best pathway to help students become empowered individuals who, in turn, will enable society to transform into one that is responsible towards its most vulnerable citizens. Inclusion and equity will become a key aspect of teacher education (and training for all leadership, administrative, and other positions in schools); efforts will be made to recruit more high-quality teachers and leaders from SEDGs in order to bring in excellent role models for all students.

6.20. Students will be sensitized through this new school culture, brought in by teachers, trained social workers and counsellors as well as through corresponding changes to bring in an inclusive school curriculum. The school curriculum will include, early on, material on human values such as respect for all persons, empathy, tolerance, human rights, gender equality, non-violence, global citizenship, inclusion, and equity. It would also include more detailed knowledge of various cultures, religions, languages, gender identities, etc. to sensitize and develop respect for diversity. Any biases and stereotypes in school curriculum will be removed, and more material will be included that is relevant and relatable to all communities.

7. Efficient Resourcing and Effective Governance through School Complexes/Clusters

7.1. While the establishment of primary schools in every habitation across the country-driven by the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), now subsumed under the Samagra Shiksha Scheme and other important efforts across the States - has helped to ensure near-universal access to primary schools, it has also led to the development of numerous very small schools. According to U-DISE 2016–17 data, nearly 28% of India's public primary schools and 14.8% of India's upper primary schools have less than 30 students. The average number of students per grade in the elementary schooling system (primary and upper primary, i.e., Grades 1–8) is about 14, with a notable proportion having below 6; during the year 2016–17, there were 1,08,017 single-teacher schools, the majority of them (85743) being primary schools serving Grades 1–5.

7.2. These small school sizes have rendered it economically suboptimal and operationally complex to run good schools, in terms of deployment of teachers as well as the provision of critical physical resources. Teachers often teach multiple grades at a time, and teach multiple subjects, including subjects in which they may have no prior background; key areas such as music, arts, and sports are too often simply not taught; and physical resources, such as lab and sports equipment and library books, are simply not available across schools.

7.3. The isolation of small schools also has a negative effect on education and the teaching-learning process. Teachers function best in communities and teams, and so do students. Small schools also present a systemic challenge for governance and management. The geographical dispersion, challenging access conditions, and the very large numbers of schools make it difficult to reach all schools equally. Administrative structures have not been aligned with the increases in the number of school or with the unified structure of the Samagra Shiksha Scheme.

7.4. Although consolidation of schools is an option that is often discussed, it must be carried out very judiciously, and only when it is ensured that there is no impact on access. Such measures are nevertheless likely to result only in limited consolidation, and would not solve the overall structural problem and challenges presented by the large numbers of small schools.

7.5. These challenges will, by 2025, be addressed by State/UT governments by adopting innovative mechanisms to group or rationalize schools. The objective behind this intervention would be to ensure that every school has: (a) adequate number of counsellors/trained social workers and teachers (shared or otherwise) for teaching all subjects including art, music science, sports, languages, vocational subjects, etc; (b) adequate resources (shared or otherwise), such as a library, science labs, computer labs, skill labs, playgrounds, sports equipment and facilities, etc.; (c) a sense of community is built to overcome the isolation of teachers, students, and schools, through joint professional development programmes, sharing of teaching-learning content, joint content development, holding joint activities such as art and science exhibitions, sports meets, quizzes and debates, and fairs; (d) cooperation and support across schools for the education of children with disabilities; and (e) improved governance of the schooling system by devolving all finer decisions, to Principals, teachers, and other stakeholders within each group of schools and treating such a group of schools, which range from the foundational stage through the secondary stage, as an integrated semi-autonomous unit.

7.6. One possible mechanism for accomplishing the above would be the establishment of a grouping structure called the school complex, consisting of one secondary school together with all other schools offering lower grades in its neighbourhood including Anganwadis, in a radius of five to ten kilometers. This suggestion was first made by the Education Commission (1964–66) but was left unimplemented. This Policy strongly endorses the idea of the school complex/cluster, wherever possible. The aim of the school complex/cluster will be greater resource efficiency and more effective functioning, coordination, leadership, governance, and management of schools in the cluster.

7.7. The establishment of school complexes/clusters and the sharing of resources across complexes will have a number of other benefits as a consequence, such as improved support for children with disabilities, more topic-centred clubs and academic/sports/arts/crafts events across school complexes, better incorporation of art, music, language, vocational subjects, physical education, and other subjects in the classroom through the sharing of teachers in these subjects including use of ICT tools to conduct virtual classes, better student support, enrolment, attendance, and performance through the sharing of social workers and counsellors, and School Complex Management Committees (rather than simply School Management Committees) for more robust and improved governance, monitoring, oversight, innovations, and initiatives by local stakeholders. Building such larger communities of schools, school leaders, teachers, students, supporting staff, parents, and local citizens would energize and empower the schooling system, and in a resource-efficient manner.

7.8. The governance of schools will also improve and become far more efficient with school complexes/clusters. First, the DSE will devolve authority to the school complex/cluster, which will act as a semi-autonomous unit. The District Education Officer (DEO) and the Block Education Officers (BEO) will interact primarily with each school complex/cluster as a single unit and facilitate its work. The complex itself will perform certain tasks delegated by the DSE and will deal with the individual schools within it. The school complex/cluster will be given significant autonomy by the DSE to innovate towards providing integrated education and to experiment with pedagogies, curriculum, etc., while adhering to the National Curricular Framework (NCF) and State Curricular Framework (SCF). Under this organization, schools will gain in strength, will be able to exercise greater freedom, and will contribute towards making the complex more innovative and responsive. Meanwhile, the DSE will be able to focus on the aggregate level goals that need to be achieved, improving overall system effectiveness.

7.9. The culture of working to a plan, both short-term and long-term ones, will be developed through such complexes/clusters. Schools will develop their plans (SDPs) with the involvement of their SMCs. These plans will then become the basis for the creation of School Complex/Cluster Development Plans (SCDPs). The SCDP will also involve the plans of all other institutions

associated with the school complex, such as vocational education institutions, and will be created by the principals and teachers of the school complex with the involvement of the SCMC and will be made available publicly. The plans will include human resources, learning resources, physical resources and infrastructure, improvement initiatives, financial resources, school culture initiatives, teacher development plans, and educational outcomes. It will detail the efforts to leverage the teachers and students across the school complex to develop vibrant learning communities. The SDP and SCDP will be the primary mechanism to align all stakeholders of the school, including the DSE. The SMC and SCMC will use the SDP and SCDP for oversight of the functioning and direction of the school and will assist in the execution of these plans. The DSE, through its relevant official, e.g., the BEO, will endorse and confirm the SCDP of each school complex. It will then provide the resources (financial, human, physical, etc.) necessary to achieve the SCDPs, both short-term (1-year) and long-term (3-5 years). It will also provide all other relevant support to the school complexes to achieve the educational outcomes. The DSE and the SCERT may share specific norms (e.g., financial, staffing, process) and frameworks for development of the SDP and SCDP with all schools, which may be revised periodically.

7.10. To further enhance cooperation and positive synergy among schools, including between public and private schools, the twinning/pairing of one public school with one private school will be adopted across the country, so that such paired schools may meet/interact with each other, learn from each other, and also share resources, if possible. Best practices of private schools will be documented, shared, and institutionalized in public schools, and vice versa, where possible.

7.11. Every State will be encouraged to strengthen existing or establish “Bal Bhavans” where children of all ages can visit once a week (e.g., on weekends) or more often, as a special daytime boarding school, to partake in art-related, career-related, and play-related activities. Such Bal Bhavans may be incorporated as a part of school complexes/clusters if possible.

7.12. The school should be a point of celebration and honour for the whole community. The dignity of the school as an institution should be restored and important dates, such as the foundation day of the school, will be celebrated along with the community and the list of important alumni may be displayed and honoured. Furthermore, the un-utilized capacity of school infrastructure could be used to promote social, intellectual, and volunteer activities for the community and to promote social cohesion during non-teaching / schooling hours and may be used as a “Samajik Chetna Kendra”.

8. Standard-setting and Accreditation for School Education

8.1. The goal of the school education regulatory system must be to continually improve educational outcomes; it must not overly restrict schools, prevent innovation, or demoralize teachers, principals, and students. All in all, regulation must aim to empower schools and teachers with trust, enabling them to strive for excellence and perform at their very best, while ensuring the integrity of the system through the enforcement of complete transparency and full public disclosure of all finances, procedures, and educational outcomes.

8.2. At present, all main functions of governance and regulation of the school education system - namely, the provision of public education, the regulation of education institutions, and policymaking - are handled by a single body, i.e., the Department of School Education or its arms. This leads to conflict of interests and excessive centralized concentration of power; it also leads to ineffective management of the school system, as efforts towards quality educational provision are often diluted by the focus on the other roles, particularly regulation, that the Departments of School Education also perform.

8.3. The current regulatory regime also has not been able to curb the commercialization and economic exploitation of parents by many for-profit private schools, yet at the same time it has all too often inadvertently discouraged public-spirited private/philanthropic schools. There has been far too much asymmetry between the regulatory approaches to public and private schools, even though the goals of both types of schools should be the same: to provide quality education.

National Education Policy 2020

8.4. The public education system is the foundation of a vibrant democratic society, and the way it is run must be transformed and invigorated in order to achieve the highest levels of educational outcomes for the nation. At the same time, the private/philanthropic school sector must also be encouraged and enabled to play a significant and beneficial role.

8.5. The key principles and recommendations of this Policy regarding the State school education system, the independent responsibilities within that system, and the approach to its regulation are as follows:

- (a) The Department of School Education, which is the apex state-level body in school education, will be responsible for overall monitoring and policymaking for continual improvement of the public education system; it will not be involved with the provision and operation of schools or with the regulation of schools, in order to ensure due focus on the improvement of public schools and to eliminate conflict of interests.
- (b) The educational operations and service provision for the public schooling system of the whole State will be handled by the Directorate of School Education (including the offices of the DEO and BEO, etc.); it will work independently to implement policies regarding educational operations and provision.
- (c) An effective quality self-regulation or accreditation system will be instituted for all stages of education including pre-school education - private, public, and philanthropic - to ensure compliance with essential quality standards. To ensure that all schools follow certain minimal professional and quality standards, States/UTs will set up an independent, State-wide, body called the State School Standards Authority (SSSA). The SSSA will establish a minimal set of standards based on basic parameters (namely, safety, security, basic infrastructure, number of teachers across subjects and grades, financial probity, and sound processes of governance), which shall be followed by all schools. The framework for these parameters will be created by the SCERT in consultation with various stakeholders, especially teachers and schools.

Transparent public self-disclosure of all the basic regulatory information, as laid down by the SSSA, will be used extensively for public oversight and accountability. The dimensions on which information has to be self-disclosed, and the format of disclosure will be decided by the SSSA in accordance with global best practices for standard-setting for schools. This information will have to be made available and kept updated and accurate by all schools, on the aforementioned public website maintained by the SSSA and on the schools' websites. Any complaints or grievances from stakeholders or others arising out of the information placed in the public domain shall be adjudicated by the SSSA. Feedback from randomly selected students will be solicited online to ensure valuable input at regular intervals. Technology will be employed suitably to ensure efficiency and transparency in all work of the SSSA. This will bring down significantly the heavy load of regulatory mandates currently borne by schools.

- (d) Academic matters, including academic standards and curricula in the State will be led by the SCERT (with close consultation and collaboration with the NCERT), which will be reinvigorated as an institution. The SCERT will develop a School Quality Assessment and Accreditation Framework (SQAAF) through wide consultations with all stakeholders. The SCERT will also lead a "change management process" for the reinvigoration of CRCs, BRCs, and DIETs which must change the capacity and work culture of these institutions in 3 years, developing them into vibrant institutions of excellence. Meanwhile, certification of competencies of students at the school-leaving stage will be handled by the Boards of Assessment/Examination in each State.

8.6. The culture, structures, and systems that empower and provide adequate resources to schools, institutions, teachers, officials, communities, and other stakeholders, will also build concomitant accountability. Each stakeholder and participant of the education system will be accountable to perform their role with the highest level of integrity, full commitment, and exemplary work ethic.

Each role of the system will have explicitly articulated role expectations and rigorous assessment of their performance vis-à-vis these expectations. The assessment system will be objective and developmentally oriented, while ensuring accountability. It will have multiple sources of feedback and assessment, to ensure a full view of the performance (and will not just be linked simplistically, e.g., to ‘marks’ of students). The assessment will recognize that outcomes such as educational attainment of students have multiple intervening variables and extraneous influences. It will also recognize that education requires teamwork, particularly at the level of the school. Promotion, recognition, and accountability of all individuals will be based on such performance assessment. All functionaries will be responsible to ensure that this development, performance, and accountability system is run with high integrity, and systematically, within their span of control.

8.7. Public and private schools (except the schools that are managed/aided/controlled by the Central government) will be assessed and accredited on the same criteria, benchmarks, and processes, emphasizing online and offline public disclosure and transparency, so as to ensure that public-spirited private schools are encouraged and not stifled in any way. Private philanthropic efforts for quality education will be encouraged - thereby affirming the public-good nature of education - while protecting parents and communities from arbitrary increases in tuition fees. Public disclosure on the school website and on the SSSA website - for both public and private schools - would include (at the very least) information on the numbers of classrooms, students, and teachers, subjects taught, any fees, and overall student outcomes on standardized evaluations such as the NAS and SAS. For schools controlled/managed/aided by the Central government, the CBSE in consultation with the MHRD shall prepare a framework. All the education institutions will be held to similar standards of audit and disclosure as a 'not-for-profit' entity. Surpluses, if any, will be reinvested in the educational sector.

8.8. The standard-setting/regulatory framework and the facilitating systems for school regulation, accreditation, and governance shall be reviewed to enable improvements on the basis of the learnings and experiences gained in the last decade. This review will aim to ensure that all students, particularly students from underprivileged and disadvantaged sections, shall have universal, free and compulsory access to high-quality and equitable schooling from early childhood care and education (age 3 onwards) through higher secondary education (i.e., until Grade 12). The overemphasis on inputs, and the mechanistic nature of their specifications – physical and infrastructural – will be changed and requirements made more responsive to realities on the ground, e.g., regarding land areas and room sizes, practicalities of playgrounds in urban areas, etc. These mandates will be adjusted and loosened, leaving suitable flexibility for each school to make its own decisions based on local needs and constraints, while ensuring safety, security, and a pleasant and productive learning space. Educational outcomes and the transparent disclosure of all financial, academic, and operational matters will be given due importance and will be incorporated suitably in the assessment of schools. This will further improve India's progress towards achieving Sustainable Development Goal 4 (SDG4) of ensuring free, equitable, and quality primary and secondary education for all children.

8.9. The aim of the public-school education system will be to impart the highest quality education so that it becomes the most attractive option for parents from all walks of life for educating their children.

8.10. For a periodic ‘health check-up’ of the overall system, a sample-based National Achievement Survey (NAS) of student learning levels will be carried out by the proposed new National Assessment Centre, PARAKH with suitable cooperation with other governmental bodies- such as the NCERT– that may assist in assessment procedures as well as data analysis. The assessment will cover students across government as well as private schools. States will also be encouraged to conduct their own census-based State Assessment Survey (SAS), the results of which will be used only for developmental purposes, public disclosure by schools of their overall and anonymized student outcomes, and for continuous improvement of the school education system. Until the establishment of the proposed new National Assessment Centre, PARAKH, NCERT may continue to carry out NAS.

8.11. Finally, the children and adolescents enrolled in schools must not be forgotten in this whole process; after all, the school system is designed for them. Careful attention must be paid to their safety and rights- particularly girl children - and the various difficult issues faced by adolescents, such as substance or drug abuse and forms of discrimination and harassment including violence, with clear, safe, and efficient mechanisms for reporting and for due process on any infractions against children's/adolescents' rights or safety. The development of such mechanisms that are effective, timely, and well-known to all students will be accorded high priority.

Part II. HIGHER EDUCATION

9. Quality Universities and Colleges: A New and Forward-looking Vision for India's Higher Education System

9.1. Higher education plays an extremely important role in promoting human as well as societal well-being and in developing India as envisioned in its Constitution - a democratic, just, socially-conscious, cultured, and humane nation upholding liberty, equality, fraternity, and justice for all. Higher education significantly contributes towards sustainable livelihoods and economic development of the nation. As India moves towards becoming a knowledge economy and society, more and more young Indians are likely to aspire for higher education.

9.1.1. Given the 21st century requirements, quality higher education must aim to develop good, thoughtful, well-rounded, and creative individuals. It must enable an individual to study one or more specialized areas of interest at a deep level, and also develop character, ethical and Constitutional values, intellectual curiosity, scientific temper, creativity, spirit of service, and 21st century capabilities across a range of disciplines including sciences, social sciences, arts, humanities, languages, as well as professional, technical, and vocational subjects. A quality higher education must enable personal accomplishment and enlightenment, constructive public engagement, and productive contribution to the society. It must prepare students for more meaningful and satisfying lives and work roles and enable economic independence.

9.1.2. For the purpose of developing holistic individuals, it is essential that an identified set of skills and values will be incorporated at each stage of learning, from pre-school to higher education.

9.1.3. At the societal level, higher education must enable the development of an enlightened, socially conscious, knowledgeable, and skilled nation that can find and implement robust solutions to its own problems. Higher education must form the basis for knowledge creation and innovation thereby contributing to a growing national economy. The purpose of quality higher education is, therefore, more than the creation of greater opportunities for individual employment. It represents the key to more vibrant, socially engaged, cooperative communities and a happier, cohesive, cultured, productive, innovative, progressive, and prosperous nation.

9.2. Some of the major problems currently faced by the higher education system in India include:

- (a) a severely fragmented higher educational ecosystem;
- (b) less emphasis on the development of cognitive skills and learning outcomes;
- (c) a rigid separation of disciplines, with early specialisation and streaming of students into narrow areas of study;
- (d) limited access particularly in socio-economically disadvantaged areas, with few HEIs that teach in local languages
- (e) limited teacher and institutional autonomy;
- (f) inadequate mechanisms for merit-based career management and progression of faculty and institutional leaders;
- (g) lesser emphasis on research at most universities and colleges, and lack of competitive peer-reviewed research funding across disciplines;
- (h) suboptimal governance and leadership of HEIs;
- (i) an ineffective regulatory system; and
- (j) large affiliating universities resulting in low standards of undergraduate education.

9.3. This policy envisions a complete overhaul and re-energising of the higher education system to overcome these challenges and thereby deliver high-quality higher education, with equity and inclusion. The policy's vision includes the following key changes to the current system:

- (a) moving towards a higher educational system consisting of large, multidisciplinary universities and colleges, with at least one in or near every district, and with more HEIs across India that offer medium of instruction or programmes in local/Indian languages;
- (b) moving towards a more multidisciplinary undergraduate education;
- (c) moving towards faculty and institutional autonomy;
- (d) revamping curriculum, pedagogy, assessment, and student support for enhanced student experiences;
- (e) reaffirming the integrity of faculty and institutional leadership positions through merit-appointments and career progression based on teaching, research, and service;
- (f) establishment of a National Research Foundation to fund outstanding peer-reviewed research and to actively seed research in universities and colleges;
- (g) governance of HEIs by high qualified independent boards having academic and administrative autonomy;
- (h) "light but tight" regulation by a single regulator for higher education;
- (i) increased access, equity, and inclusion through a range of measures, including greater opportunities for outstanding public education; scholarships by private/philanthropic universities for disadvantaged and underprivileged students; online education, and Open Distance Learning (ODL); and all infrastructure and learning materials accessible and available to learners with disabilities.

10. Institutional Restructuring and Consolidation

10.1. The main thrust of this policy regarding higher education is to end the fragmentation of higher education by transforming higher education institutions into large multidisciplinary universities, colleges, and HEI clusters/Knowledge Hubs, each of which will aim to have 3,000 or more students. This would help build vibrant communities of scholars and peers, break down harmful silos, enable students to become well-rounded across disciplines including artistic, creative, and analytic subjects as well as sports, develop active research communities across disciplines including cross-disciplinary research, and increase resource efficiency, both material and human, across higher education.

10.2. Moving to large multidisciplinary universities and HEI clusters is thus the highest recommendation of this policy regarding the structure of higher education. The ancient Indian universities Takshashila, Nalanda, Vallabhi, and Vikramshila, which had thousands of students from India and the world studying in vibrant multidisciplinary environments, amply demonstrated the type of great success that large multidisciplinary research and teaching universities could bring. India urgently needs to bring back this great Indian tradition to create well-rounded and innovative individuals, and which is already transforming other countries educationally and economically.

10.3. This vision of higher education will require, in particular, a new conceptual perception/understanding for what constitutes a higher education institution (HEI), i.e., a university or a college. A university will mean a multidisciplinary institution of higher learning that offers undergraduate and graduate programmes, with high quality teaching, research, and community engagement. The definition of university will thus allow a spectrum of institutions that range from those that place equal emphasis on teaching and research i.e., Research-intensive Universities, those that place greater emphasis on teaching but still conduct significant research i.e. Teaching-intensive Universities. Meanwhile, an Autonomous degree-granting College (AC) will refer to a large multidisciplinary institution of higher learning that grants undergraduate degrees and is primarily focused on undergraduate teaching though it would not be restricted to that and it need not be restricted to that and it would generally be smaller than a typical university.

10.4. A stage-wise mechanism for granting graded autonomy to colleges, through a transparent system of graded accreditation, will be established. Colleges will be encouraged, mentored, supported, and incentivized to gradually attain the minimum benchmarks required for each level of

accreditation. Over a period of time, it is envisaged that every college would develop into either an Autonomous degree-granting College, or a constituent college of a university - in the latter case, it would be fully a part of the university. With appropriate accreditations, Autonomous degree-granting Colleges could evolve into Research-intensive or Teaching-intensive Universities, if they so aspire.

10.5. It must be clearly stated that these three broad types of institutions are not in any natural way a rigid, exclusionary categorization, but are along a continuum. HEIs will have the autonomy and freedom to move gradually from one category to another, based on their plans, actions, and effectiveness. The most salient marker for these categories of institutions will be the focus of their goals and work. The Accreditation System will develop and use appropriately different and relevant norms across this range of HEIs. However, the expectations of high quality of education, and of teaching-learning, across all HEIs will be the same.

10.6. In addition to teaching and research, HEIs will have other crucial responsibilities, which they will discharge through appropriate resourcing, incentives, and structures. These include supporting other HEIs in their development, community engagement and service, contribution to various fields of practice, faculty development for the higher education system, and support to school education.

10.7. By 2040, all higher education institutions (HEIs) shall aim to become multidisciplinary institutions and shall aim to have larger student enrolments preferably in the thousands, for optimal use of infrastructure and resources, and for the creation of vibrant multidisciplinary communities. Since this process will take time, all HEIs will firstly plan to become multidisciplinary by 2030, and then gradually increase student strength to the desired levels.

10.8. More HEIs shall be established and developed in underserved regions to ensure full access, equity, and inclusion. There shall, by 2030, be at least one large multidisciplinary HEI in or near every district. Steps shall be taken towards developing high-quality higher education institutions both public and private that have medium of instruction in local/Indian languages or bilingually. The aim will be to increase the Gross Enrolment Ratio in higher education including vocational education from 26.3% (2018) to 50% by 2035. While a number of new institutions may be developed to attain these goals, a large part of the capacity creation will be achieved by consolidating, substantially expanding, and also improving existing HEIs.

10.9. Growth will be in both public and private institutions, with a strong emphasis on developing a large number of outstanding public institutions. There will be a fair and transparent system for determining increased levels of public funding support for public HEIs. This system will give an equitable opportunity for all public institutions to grow and develop, and will be based on transparent, pre-announced criteria from within the accreditation norms of the Accreditation System. HEIs delivering education of the highest quality as laid down in this Policy will be incentivized in expanding their capacity.

10.10. Institutions will have the option to run Open Distance Learning (ODL) and online programmes, provided they are accredited to do so, in order to enhance their offerings, improve access, increase GER, and provide opportunities for lifelong learning (SDG 4). All ODL programmes and their components leading to any diploma or degree will be of standards and quality equivalent to the highest quality programmes run by the HEIs on their campuses. Top institutions accredited for ODL will be encouraged and supported to develop high-quality online courses. Such quality online courses will be suitably integrated into curricula of HEIs, and blended mode will be preferred.

10.11. Single-stream HEIs will be phased out over time, and all will move towards becoming vibrant multidisciplinary institutions or parts of vibrant multidisciplinary HEI clusters, in order to enable and encourage high-quality multidisciplinary and cross-disciplinary teaching and research across fields. Single-stream HEIs will, in particular, add departments across different fields that would strengthen the single stream that they currently serve. Through the attainment of suitable accreditations, all HEIs will gradually move towards full autonomy - academic and administrative - in order to enable this vibrant culture. The autonomy of public institutions will be backed by adequate public financial

support and stability. Private institutions with a public-spirited commitment to high-quality equitable education will be encouraged.

10.12. The new regulatory system envisioned by this Policy will foster this overall culture of empowerment and autonomy to innovate, including by gradually phasing out the system of ‘affiliated colleges’ over a period of fifteen years through a system of graded autonomy, and to be carried out in a challenge mode. Each existing affiliating university will be responsible for mentoring its affiliated colleges so that they can develop their capabilities and achieve minimum benchmarks in academic and curricular matters; teaching and assessment; governance reforms; financial robustness; and administrative efficiency. All colleges currently affiliated to a university shall attain the required benchmarks over time to secure the prescribed accreditation benchmarks and eventually become autonomous degree-granting colleges. This will be achieved through a concerted national effort including suitable mentoring and governmental support for the same.

10.13. The overall higher education sector will aim to be an integrated higher education system, including professional and vocational education. This Policy and its approach will be equally applicable to all HEIs across all current streams, which would eventually merge into one coherent ecosystem of higher education.

10.14. University, worldwide, means a multidisciplinary institution of higher learning that offers undergraduate, graduate, and Ph.D programmes, and engages in high-quality teaching and research. The present complex nomenclature of HEIs in the country such as ‘deemed to be university’, ‘affiliating university’, ‘affiliating technical university’, ‘unitary university’ shall be replaced simply by ‘university’ on fulfilling the criteria as per norms.

11. Towards a More Holistic and Multidisciplinary Education

11.1. India has a long tradition of holistic and multidisciplinary learning, from universities such as Takshashila and Nalanda, to the extensive literatures of India combining subjects across fields. Ancient Indian literary works such as Banabhatta’s Kadambari described a good education as knowledge of the 64 Kalaas or arts; and among these 64 ‘arts’ were not only subjects, such as singing and painting, but also ‘scientific’ fields, such as chemistry and mathematics, ‘vocational’ fields such as carpentry and clothes-making, ‘professional’ fields, such as medicine and engineering, as well as ‘soft skills’ such as communication, discussion, and debate. The very idea that all branches of creative human endeavour, including mathematics, science, vocational subjects, professional subjects, and soft skills should be considered ‘arts’, has distinctly Indian origins. This notion of a ‘knowledge of many arts’ or what in modern times is often called the ‘liberal arts’ (i.e., a liberal notion of the arts) must be brought back to Indian education, as it is exactly the kind of education that will be required for the 21st century.

11.2. Assessments of educational approaches in undergraduate education that integrate the humanities and arts with Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) have consistently showed positive learning outcomes, including increased creativity and innovation, critical thinking and higher-order thinking capacities, problem-solving abilities, teamwork, communication skills, more in-depth learning and mastery of curricula across fields, increases in social and moral awareness, etc., besides general engagement and enjoyment of learning. Research is also improved and enhanced through a holistic and multidisciplinary education approach.

11.3. A holistic and multidisciplinary education would aim to develop all capacities of human beings -intellectual, aesthetic, social, physical, emotional, and moral in an integrated manner. Such an education will help develop well-rounded individuals that possess critical 21st century capacities in fields across the arts, humanities, languages, sciences, social sciences, and professional, technical, and vocational fields; an ethic of social engagement; soft skills, such as communication, discussion and debate; and rigorous specialization in a chosen field or fields. Such a holistic education shall be, in the long term, the approach of all undergraduate programmes, including those in professional, technical, and vocational disciplines.

11.4. A holistic and multidisciplinary education, as described so beautifully in India's past, is indeed what is needed for the education of India to lead the country into the 21st century and the fourth industrial revolution. Even engineering institutions, such as IITs, will move towards more holistic and multidisciplinary education with more arts and humanities. Students of arts and humanities will aim to learn more science and all will make an effort to incorporate more vocational subjects and soft skills.

11.5. Imaginative and flexible curricular structures will enable creative combinations of disciplines for study, and would offer multiple entry and exit points, thus, removing currently prevalent rigid boundaries and creating new possibilities for life-long learning. Graduate-level, master's and doctoral education in large multidisciplinary universities, while providing rigorous research-based specialization, would also provide opportunities for multidisciplinary work, including in academia, government, and industry.

11.6. Large multidisciplinary universities and colleges will facilitate the move towards high-quality holistic and multidisciplinary education. Flexibility in curriculum and novel and engaging course options will be on offer to students, in addition to rigorous specialization in a subject or subjects. This will be encouraged by increased faculty and institutional autonomy in setting curricula. Pedagogy will have an increased emphasis on communication, discussion, debate, research, and opportunities for cross-disciplinary and interdisciplinary thinking.

11.7. Departments in Languages, Literature, Music, Philosophy, Indology, Art, Dance, Theatre, Education, Mathematics, Statistics, Pure and Applied Sciences, Sociology, Economics, Sports, Translation and Interpretation, and other such subjects needed for a multidisciplinary, stimulating Indian education and environment will be established and strengthened at all HEIs. Credits will be given in all Bachelor's Degree programmes for these subjects if they are done from such departments or through ODL mode when they are not offered in-class at the HEI.

11.8. Towards the attainment of such a holistic and multidisciplinary education, the flexible and innovative curricula of all HEIs shall include credit-based courses and projects in the areas of community engagement and service, environmental education, and value-based education. Environment education will include areas such as climate change, pollution, waste management, sanitation, conservation of biological diversity, management of biological resources and biodiversity, forest and wildlife conservation, and sustainable development and living. Value-based education will include the development of humanistic, ethical, Constitutional, and universal human values of truth (*satya*), righteous conduct (*dharma*), peace (*shanti*), love (*prem*), nonviolence (*ahimsa*), scientific temper, citizenship values, and also life-skills; lessons in *seva*/service and participation in community service programmes will be considered an integral part of a holistic education. As the world is becoming increasingly interconnected, Global Citizenship Education (GCED), a response to contemporary global challenges, will be provided to empower learners to become aware of and understand global issues and to become active promoters of more peaceful, tolerant, inclusive, secure, and sustainable societies. Finally, as part of a holistic education, students at all HEIs will be provided with opportunities for internships with local industry, businesses, artists, crafts persons, etc., as well as research internships with faculty and researchers at their own or other HEIs/research institutions, so that students may actively engage with the practical side of their learning and, as a by-product, further improve their employability.

11.9. The structure and lengths of degree programmes shall be adjusted accordingly. The undergraduate degree will be of either 3 or 4-year duration, with multiple exit options within this period, with appropriate certifications, e.g., a certificate after completing 1 year in a discipline or field including vocational and professional areas, or a diploma after 2 years of study, or a Bachelor's degree after a 3-year programme. The 4-year multidisciplinary Bachelor's programme, however, shall be the preferred option since it allows the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education in addition to a focus on the chosen major and minors as per the choices of the student. An Academic Bank of Credit (ABC) shall be established which would digitally store the academic credits earned from various recognized HEIs so that the degrees from an HEI can be awarded taking into account credits earned. The 4-year programme may also lead to a degree 'with

Research' if the student completes a rigorous research project in their major area(s) of study as specified by the HEI.

11.10. HEIs will have the flexibility to offer different designs of Master's programmes: (a) there may be a 2-year programme with the second year devoted entirely to research for those who have completed the 3-year Bachelor's programme; (b) for students completing a 4-year Bachelor's programme with Research, there could be a 1-year Master's programme; and (c) there may be an integrated 5-year Bachelor's/Master's programme. Undertaking a Ph.D. shall require either a Master's degree or a 4-year Bachelor's degree with Research. The M.Phil. programme shall be discontinued.

11.11. Model public universities for holistic and multidisciplinary education, at par with IITs, IIMs, etc., called MERUs (Multidisciplinary Education and Research Universities) will be set up and will aim to attain the highest global standards in quality education. They will also help set the highest standards for multidisciplinary education across India.

11.12. HEIs will focus on research and innovation by setting up start-up incubation centres; technology development centres; centres in frontier areas of research; greater industry-academic linkages; and interdisciplinary research including humanities and social sciences research. Given the scenario of epidemics and pandemics, it is critical that HEIs take the lead to undertake research in areas of infectious diseases, epidemiology, virology, diagnostics, instrumentation, vaccinology and other relevant areas. HEIs will develop specific hand holding mechanisms and competitions for promoting innovation among student communities. The NRF will function to help enable and support such a vibrant research and innovation culture across HEIs, research labs, and other research organizations.

12. Optimal Learning Environments and Support for Students

12.1. Effective learning requires a comprehensive approach that involves appropriate curriculum, engaging pedagogy, continuous formative assessment, and adequate student support. The curriculum must be interesting and relevant, and updated regularly to align with the latest knowledge requirements and to meet specified learning outcomes. High-quality pedagogy is then necessary to successfully impart the curricular material to students; pedagogical practices determine the learning experiences that are provided to students, thus directly influencing learning outcomes. The assessment methods must be scientific, designed to continuously improve learning and test the application of knowledge. Last but not least, the development of capacities that promote student wellness such as fitness, good health, psycho-social well-being, and sound ethical grounding are also critical for high-quality learning.

Thus, curriculum, pedagogy, continuous assessment, and student support are the cornerstones for quality learning. Along with providing suitable resources and infrastructure, such as quality libraries, classrooms, labs, technology, sports/recreation areas, student discussion spaces, and dining areas, a number of initiatives will be required to ensure that learning environments are engaging and supportive, and enable all students to succeed.

12.2. First, in order to promote creativity, institutions and faculty will have the autonomy to innovate on matters of curriculum, pedagogy, and assessment within a broad framework of higher education qualifications that ensures consistency across institutions and programmes and across the ODL, online, and traditional 'in-class' modes. Accordingly, curriculum and pedagogy will be designed by institutions and motivated faculty to ensure a stimulating and engaging learning experience for all students, and continuous formative assessment will be used to further the goals of each programme. All assessment systems shall also be decided by the HEI, including those that lead to final certification. The Choice Based Credit System (CBCS) will be revised for instilling innovation and flexibility. HEIs shall move to a criterion-based grading system that assesses student achievement based on the learning goals for each programme, making the system fairer and outcomes more comparable. HEIs shall also move away from high-stakes examinations towards more continuous and comprehensive evaluation.

National Education Policy 2020

12.3. Second, each institution will integrate its academic plans ranging from curricular improvement to quality of classroom transaction - into its larger Institutional Development Plan (IDP). Each institution will be committed to the holistic development of students and create strong internal systems for supporting diverse student cohorts in academic and social domains both inside and outside formal academic interactions in the classroom. For example, all HEIs will have mechanisms and opportunities for funding of topic-centred clubs and activities organized by students with the help of faculty and other experts as needed, such as clubs and events dedicated to science, mathematics, poetry, language, literature, debate, music, sports, etc. Over time, such activities could be incorporated into the curriculum once appropriate faculty expertise and campus student demand is developed. Faculty will have the capacity and training to be able to approach students not just as teachers, but also as mentors and guides.

12.4. Third, students from socio-economically disadvantaged backgrounds require encouragement and support to make a successful transition to higher education. Universities and colleges will thus be required to set up high-quality support centres and will be given adequate funds and academic resources to carry this out effectively. There will also be professional academic and career counselling available to all students, as well as counsellors to ensure physical, psychological and emotional well-being.

12.5. Fourth, ODL and online education provide a natural path to increase access to quality higher education. In order to leverage its potential completely, ODL will be renewed through concerted, evidence-based efforts towards expansion while ensuring adherence to clearly articulated standards of quality. ODL programmes will aim to be equivalent to the highest quality in-class programmes available. Norms, standards, and guidelines for systemic development, regulation, and accreditation of ODL will be prepared, and a framework for quality of ODL that will be recommendatory for all HEIs will be developed.

12.6. Finally, all programmes, courses, curricula, and pedagogy across subjects, including those in-class, online, and in ODL modes as well as student support will aim to achieve global standards of quality.

Internationalization

12.7. The various initiatives mentioned above will also help in having larger numbers of international students studying in India, and provide greater mobility to students in India who may wish to visit, study at, transfer credits to, or carry out research at institutions abroad, and vice versa. Courses and programmes in subjects, such as Indology, Indian languages, AYUSH systems of medicine, yoga, arts, music, history, culture, and modern India, internationally relevant curricula in the sciences, social sciences, and beyond, meaningful opportunities for social engagement, quality residential facilities and on-campus support, etc. will be fostered to attain this goal of global quality standards, attract greater numbers of international students, and achieve the goal of ‘internationalization at home’.

12.8. India will be promoted as a global study destination providing premium education at affordable costs thereby helping to restore its role as a Vishwa Guru. An International Students Office at each HEI hosting foreign students will be set up to coordinate all matters relating to welcoming and supporting students arriving from abroad. Research/teaching collaborations and faculty/student exchanges with high-quality foreign institutions will be facilitated, and relevant mutually beneficial MOUs with foreign countries will be signed. High performing Indian universities will be encouraged to set up campuses in other countries, and similarly, selected universities e.g., those from among the top 100 universities in the world will be facilitated to operate in India. A legislative framework facilitating such entry will be put in place, and such universities will be given special dispensation regarding regulatory, governance, and content norms on par with other autonomous institutions of India. Furthermore, research collaboration and student exchanges between Indian institutions and global institutions will be promoted through special efforts. Credits acquired in foreign universities will be permitted, where appropriate as per the requirements of each HEI, to be counted for the award of a degree.

Student Activity and Participation

12.9. Students are the prime stakeholders in the education system. Vibrant campus life is essential for high-quality teaching-learning processes. Towards this end, students will be given plenty of opportunities for participation in sports, culture/arts clubs, eco-clubs, activity clubs, community service projects, etc. In every education institution, there shall be counselling systems for handling stress and emotional adjustments. Furthermore, a systematized arrangement shall be created to provide the requisite support to students from rural backgrounds, including increasing hostel facilities as needed. All HEIs will ensure quality medical facilities for all students in their institutions.

Financial support for students

12.10. Financial assistance to students shall be made available through various measures. Efforts will be made to incentivize the merit of students belonging to SC, ST, OBC, and other SEDGs. The National Scholarship Portal will be expanded to support, foster, and track the progress of students receiving scholarships. Private HEIs will be encouraged to offer larger numbers of free ships and scholarships to their students.

13. Motivated, Energized, and Capable Faculty

13.1. The most important factor in the success of higher education institutions is the quality and engagement of its faculty. Acknowledging the criticality of faculty in achieving the goals of higher education, various initiatives have been introduced in the past several years to systematize recruitment and career progression, and to ensure equitable representation from various groups in the hiring of faculty. Compensation levels of permanent faculty in public institutions have also been increased substantially. Various initiatives have also been taken towards providing faculty with professional development opportunities. However, despite these various improvements in the status of the academic profession, faculty motivation in terms of teaching, research, and service in HEIs remains far lower than the desired level. The various factors that lie behind low faculty motivation levels must be addressed to ensure that each faculty member is happy, enthusiastic, engaged, and motivated towards advancing her/his students, institution, and profession. To this end, the policy recommends the following initiatives to achieve the best, motivated, and capable faculty in HEIs.

13.2. As the most basic step, all HEIs will be equipped with the basic infrastructure and facilities, including clean drinking water, clean working toilets, blackboards, offices, teaching supplies, libraries, labs, and pleasant classroom spaces and campuses. Every classroom shall have access to the latest educational technology that enables better learning experiences.

13.3. Teaching duties also will not be excessive, and student-teacher ratios not too high, so that the activity of teaching remains pleasant and there is adequate time for interaction with students, conducting research, and other university activities. Faculty will be appointed to individual institutions and generally not be transferable across institutions so that they may feel truly invested in, connected to, and committed to their institution and community.

13.4. Faculty will be given the freedom to design their own curricular and pedagogical approaches within the approved framework, including textbook and reading material selections, assignments, and assessments. Empowering the faculty to conduct innovative teaching, research, and service as they see best will be a key motivator and enabler for them to do truly outstanding, creative work.

13.5. Excellence will be further incentivized through appropriate rewards, promotions, recognitions, and movement into institutional leadership. Meanwhile, faculty not delivering on basic norms will be held accountable.

13.6. In keeping with the vision of autonomous institutions empowered to drive excellence, HEIs will have clearly defined, independent, and transparent processes and criteria for faculty recruitment. Whereas the current recruitment process will be continued, a 'tenure-track' i.e., suitable probation period shall be put in place to further ensure excellence. There shall be a fast-track promotion system

for recognizing high impact research and contribution. A system of multiple parameters for proper performance assessment, for the purposes of ‘tenure’ i.e., confirmed employment after probation, promotion, salary increases, recognitions, etc., including peer and student reviews, innovations in teaching and pedagogy, quality and impact of research, professional development activities, and other forms of service to the institution and the community, shall be developed by each HEI and clearly enunciated in its Institutional Development Plan (IDP).

13.7. The presence of outstanding and enthusiastic institutional leaders that cultivate excellence and innovation is the need of the hour. Outstanding and effective institutional leadership is extremely important for the success of an institution and of its faculty. Excellent faculty with high academic and service credentials as well as demonstrated leadership and management skills will be identified early and trained through a ladder of leadership positions. Leadership positions shall not remain vacant, but rather an overlapping time period during transitions in leadership shall be the norm to ensure the smooth running of institutions. Institutional leaders will aim to create a culture of excellence that will motivate and incentivize outstanding and innovative teaching, research, institutional service, and community outreach from faculty members and all HEI leaders.

14. Equity and Inclusion in Higher Education

14.1. Entry into quality higher education can open a vast array of possibilities that can lift both individuals as well as communities out of the cycles of disadvantage. For this reason, making quality higher education opportunities available to all individuals must be among the highest priorities. This Policy envisions ensuring equitable access to quality education to all students, with a special emphasis on SEDGs.

14.2. The dynamics and also many of the reasons for exclusion of SEDGs from the education system are common across school and higher education sectors. Therefore, the approach to equity and inclusion must be common across school and higher education. Furthermore, there must be continuity across the stages to ensure sustainable reform. Thus, the policy initiatives required to meet the goals of equity and inclusion in higher education must be read in conjunction with those for school education.

14.3. There are certain facets of exclusion, that are particular to or substantially more intense in higher education. These must be addressed specifically, and include lack of knowledge of higher education opportunities, economic opportunity cost of pursuing higher education, financial constraints, admission processes, geographical and language barriers, poor employability potential of many higher education programmes, and lack of appropriate student support mechanisms.

14.4. For this purpose, additional actions that are specific to higher education shall be adopted by all Governments and HEIs:

14.4.1. Steps to be taken by Governments

- (a) Earmark suitable Government funds for the education of SEDGs
- (b) Set clear targets for higher GER for SEDGs
- (c) Enhance gender balance in admissions to HEIs
- (d) Enhance access by establishing more high-quality HEIs in aspirational districts and Special Education Zones containing larger numbers of SEDGs
- (e) Develop and support high-quality HEIs that teach in local/Indian languages or bilingually
- (f) Provide more financial assistance and scholarships to SEDGs in both public and private HEIs
- (g) Conduct outreach programmes on higher education opportunities and scholarships among SEDGs
- (h) Develop and support technology tools for better participation and learning outcomes.

14.4.2. Steps to be taken by all HEIs

National Education Policy 2020

- (a) Mitigate opportunity costs and fees for pursuing higher education
- (b) Provide more financial assistance and scholarships to socio-economically disadvantaged students
- (c) Conduct outreach on higher education opportunities and scholarships
- (d) Make admissions processes more inclusive
- (e) Make curriculum more inclusive
- (f) Increase employability potential of higher education programmes
- (g) Develop more degree courses taught in Indian languages and bilingually
- (h) Ensure all buildings and facilities are wheelchair-accessible and disabled-friendly
- (i) Develop bridge courses for students that come from disadvantaged educational backgrounds
- (j) Provide socio-emotional and academic support and mentoring for all such students through suitable counselling and mentoring programmes
- (k) Ensure sensitization of faculty, counsellor, and students on gender-identity issue and its inclusion in all aspects of the HEI, including curricula
- (l) Strictly enforce all no-discrimination and anti-harassment rules
- (m) Develop Institutional Development Plans that contain specific plans for action on increasing participation from SEDGs, including but not limited to the above items.

15. Teacher Education

15.1. Teacher education is vital in creating a pool of schoolteachers that will shape the next generation. Teacher preparation is an activity that requires multidisciplinary perspectives and knowledge, formation of dispositions and values, and development of practice under the best mentors. Teachers must be grounded in Indian values, languages, knowledge, ethos, and traditions including tribal traditions, while also being well-versed in the latest advances in education and pedagogy.

15.2. According to the Justice J. S. Verma Commission (2012) constituted by the Supreme Court, a majority of stand-alone TEIs - over 10,000 in number are not even attempting serious teacher education but are essentially selling degrees for a price. Regulatory efforts so far have neither been able to curb the malpractices in the system, nor enforce basic standards for quality, and in fact have had the negative effect of curbing the growth of excellence and innovation in the sector. The sector and its regulatory system are, therefore, in urgent need of revitalization through radical action, in order to raise standards and restore integrity, credibility, efficacy, and high quality to the teacher education system.

15.3. In order to improve and reach the levels of integrity and credibility required to restore the prestige of the teaching profession, the Regulatory System shall be empowered to take stringent action against substandard and dysfunctional teacher education institutions (TEIs) that do not meet basic educational criteria, after giving one year for remedy of the breaches. By 2030, only educationally sound, multidisciplinary, and integrated teacher education programmes shall be in force.

15.4. As teacher education requires multidisciplinary inputs, and education in high-quality content as well as pedagogy, all teacher education programmes must be conducted within composite multidisciplinary institutions. To this end, all multidisciplinary universities and colleges - will aim to establish, education departments which, besides carrying out cutting-edge research in various aspects of education, will also run B.Ed. programmes, in collaboration with other departments such as psychology, philosophy, sociology, neuroscience, Indian languages, arts, music, history, literature, physical education, science and mathematics. Moreover, all stand-alone TEIs will be required to convert to multidisciplinary institutions by 2030, since they will have to offer the 4-year integrated teacher preparation programme.

15.5. The 4-year integrated B.Ed. offered by such multidisciplinary HEIs will, by 2030, become the minimal degree qualification for school teachers. The 4-year integrated B.Ed. will be a dual-major holistic Bachelor's degree, in Education as well as a specialized subject such as a language, history, music, mathematics, computer science, chemistry, economics, art, physical education, etc. Beyond

the teaching of cutting-edge pedagogy, the teacher education will include grounding in sociology, history, science, psychology, early childhood care and education, foundational literacy and numeracy, knowledge of India and its values/ethos/art/traditions, and more. The HEI offering the 4-year integrated B.Ed. may also run a 2-year B.Ed., for students who have already received a Bachelor's degree in a specialized subject. A 1-year B.Ed. may also be offered for candidates who have received a 4-year undergraduate degree in a specialized subject. Scholarships for meritorious students will be established for the purpose of attracting outstanding candidates to the 4-year, 2-year, and 1-year B.Ed. programmes.

15.6. HEIs offering teacher education programmes will ensure the availability of a range of experts in education and related disciplines as well as specialized subjects. Each higher education institution will have a network of government and private schools to work closely with, where potential teachers will student-teach along with participating in other activities such as community service, adult and vocational education, etc.

15.7. In order to maintain uniform standards for teacher education, the admission to pre-service teacher preparation programmes shall be through suitable subject and aptitude tests conducted by the National Testing Agency, and shall be standardized keeping in view the linguistic and cultural diversity of the country.

15.8. The faculty profile in Departments of Education will necessarily aim to be diverse and but teaching/field/research experience will be highly valued. Faculty with training in areas of social sciences that are directly relevant to school education e.g., psychology, child development, linguistics, sociology, philosophy, economics, and political science as well as from science education, mathematics education, social science education, and language education programmes will be attracted and retained in teacher education institutions, to strengthen multidisciplinary education of teachers and provide rigour in conceptual development.

15.9. All fresh Ph.D. entrants, irrespective of discipline, will be required to take credit-based courses in teaching/education/pedagogy/writing related to their chosen Ph.D subject during their doctoral training period. Exposure to pedagogical practices, designing curriculum, credible evaluation systems, communication, and so on will be ensured since many research scholars will go on to become faculty or public representatives/communicators of their chosen disciplines. Ph.D students will also have a minimum number of hours of actual teaching experience gathered through teaching assistantships and other means. Ph.D. programmes at universities around the country will be re-oriented for this purpose.

15.10. In-service continuous professional development for college and university teachers will continue through the existing institutional arrangements and ongoing initiatives; these will be strengthened and substantially expanded to meet the needs of enriched teaching-learning processes for quality education. The use of technology platforms such as SWAYAM/DIKSHA for online training of teachers will be encouraged, so that standardized training programmes can be administered to large numbers of teachers within a short span of time.

15.11. A National Mission for Mentoring shall be established, with a large pool of outstanding senior/retired faculty – including those with the ability to teach in Indian languages – who would be willing to provide short and long-term mentoring/professional support to university/college teachers.

16. Reimagining Vocational Education

16.1. The 12th Five-Year Plan (2012–2017) estimated that only a very small percentage of the Indian workforce in the age group of 19–24 (less than 5%) received formal vocational education Whereas in countries such as the USA the number is 52%, in Germany 75%, and South Korea it is as high as 96%. These numbers only underline the urgency of the need to hasten the spread of vocational education in India.

16.2. One of the primary reasons for the small numbers of students receiving vocational education is the fact that vocational education has in the past focused largely on Grades 11–12 and on dropouts in Grade 8 and upwards. Moreover, students passing out from Grades 11–12 with vocational subjects often did not have well-defined pathways to continue with their chosen vocations in higher education. The admission criteria for general higher education were also not designed to provide openings to students who had vocational education qualifications, leaving them at a disadvantage relative to their compatriots from ‘mainstream’ or ‘academic’ education. This led to a complete lack of vertical mobility for students from the vocational education stream, an issue that has only been addressed recently through the announcement of the National Skills Qualifications Framework (NSQF) in 2013.

16.3. Vocational education is perceived to be inferior to mainstream education and meant largely for students who are unable to cope with the latter. This is a perception that affects the choices students make. It is a serious concern that can only be dealt with by a complete re-imagination of how vocational education is offered to students in the future.

16.4. This policy aims to overcome the social status hierarchy associated with vocational education and requires integration of vocational education programmes into mainstream education in all education institutions in a phased manner. Beginning with vocational exposure at early ages in middle and secondary school, quality vocational education will be integrated smoothly into higher education. It will ensure that every child learns at least one vocation and is exposed to several more. This would lead to emphasizing the dignity of labour and importance of various vocations involving /Indian arts and artisanship.

16.5. By 2025, at least 50% of learners through the school and higher education system shall have exposure to vocational education, for which a clear action plan with targets and timelines will be developed. This is in alignment with Sustainable Development Goal 4.4 and will help to realize the full potential of India’s demographic dividend. The number of students in vocational education will be considered while arriving at the GER targets. The development of vocational capacities will go hand-in-hand with the development of ‘academic’ or other capacities. Vocational education will be integrated in the educational offerings of all secondary schools in a phased manner over the next decade. Towards this, secondary schools will also collaborate with ITIs, polytechnics, local industry, etc. Skill labs will also be set up and created in the schools in a hub and spoke model which will allow other schools to use the facility. Higher education institutions will offer vocational education either on their own or in partnership with industry and NGOs. The B.Voc. degrees introduced in 2013 will continue to exist, but vocational courses will also be available to students enrolled in all other Bachelor’s degree programmes, including the 4-year multidisciplinary Bachelor’s programmes. HEIs will also be allowed to conduct short-term certificate courses in various skills including soft skills. ‘Lok Vidya’, i.e., important vocational knowledge developed in India, will be made accessible to students through integration into vocational education courses. The possibility of offering vocational courses through ODL mode will also be explored.

16.6. Vocational education will be integrated into all school and higher education institutions in a phased manner over the next decade. Focus areas for vocational education will be chosen based on skills gap analysis and mapping of local opportunities. MHRD will constitute a National Committee for the Integration of Vocational Education (NCIVE), consisting of experts in vocational education and representatives from across Ministries, in collaboration with industry, to oversee this effort.

16.7. Individual institutions that are early adopters must innovate to find models and practices that work and then share these with other institutions through mechanisms set up by NCIVE, so as to help extend the reach of vocational education. Different models of vocational education, and apprenticeships, will also be experimented by higher education institutions. Incubation centres will be set up in higher education institutions in partnership with industries.

16.8. The National Skills Qualifications Framework will be detailed further for each discipline vocation and profession. Further, Indian standards will be aligned with the International Standard Classification of Occupations maintained by the International Labour Organization. This Framework will provide the basis for Recognition of Prior Learning. Through this, dropouts from the formal

system will be reintegrated by aligning their practical experience with the relevant level of the Framework. The credit-based Framework will also facilitate mobility across ‘general’ and vocational education.

17. Catalysing Quality Academic Research in All Fields through a new National Research Foundation

17.1. Knowledge creation and research are critical in growing and sustaining a large and vibrant economy, uplifting society, and continuously inspiring a nation to achieve even greater heights. Indeed, some of the most prosperous civilizations (such as India, Mesopotamia, Egypt, and Greece) to the modern era (such as the United States, Germany, Israel, South Korea, and Japan), were/are strong knowledge societies that attained intellectual and material wealth in large part through celebrated and fundamental contributions to new knowledge in the realm of science as well as art, language, and culture that enhanced and uplifted not only their own civilizations but others around the globe.

17.2. A robust ecosystem of research is perhaps more important than ever with the rapid changes occurring in the world today, e.g., in the realm of climate change, population dynamics and management, biotechnology, an expanding digital marketplace, and the rise of machine learning and artificial intelligence. If India is to become a leader in these disparate areas, and truly achieve the potential of its vast talent pool to again become a leading knowledge society in the coming years and decades, the nation will require a significant expansion of its research capabilities and output across disciplines. Today, the criticality of research is more than ever before, for the economic, intellectual, societal, environmental, and technological health and progress of a nation.

17.3. Despite this critical importance of research, the research and innovation investment in India is, at the current time, only 0.69% of GDP as compared to 2.8% in the United States of America, 4.3% in Israel and 4.2% in South Korea.

17.4. The societal challenges that India needs to address today, such as access for all its citizens to clean drinking water and sanitation, quality education and healthcare, improved transportation, air quality, energy, and infrastructure, will require the implementation of approaches and solutions that are not only informed by top-notch science and technology but are also rooted in a deep understanding of the social sciences and humanities and the various socio-cultural and environmental dimensions of the nation. Facing and addressing these challenges will require high-quality interdisciplinary research across fields that must be done in India and cannot simply be imported; the ability to conduct one’s own research also enables a country to much more easily import and adapt relevant research from abroad.

17.5. Furthermore, in addition to their value in solutions to societal problems, any country's identity, upliftment, spiritual/intellectual satisfaction and creativity is also attained in a major way through its history, art, language, and culture. Research in the arts and humanities, along with innovations in the sciences and social sciences, are, therefore, extremely important for the progress and enlightened nature of a nation.

17.6. Research and innovation at education institutions in India, particularly those that are engaged in higher education, is critical. Evidence from the world’s best universities throughout history shows that the best teaching and learning processes at the higher education level occur in environments where there is also a strong culture of research and knowledge creation; conversely, much of the very best research in the world has occurred in multidisciplinary university settings.

17.7. India has a long historical tradition of research and knowledge creation, in disciplines ranging from science and mathematics to art and literature to phonetics and languages to medicine and agriculture. This needs to be further strengthened to make India lead research and innovation in the

21st century, as a strong and enlightened knowledge society and one of the three largest economies in the world.

17.8. Thus, this Policy envisions a comprehensive approach to transforming the quality and quantity of research in India. This includes definitive shifts in school education to a more play and discovery-based style of learning with emphasis on the scientific method and critical thinking. This includes career counselling in schools towards identifying student interests and talents, promoting research in universities, the multidisciplinary nature of all HEIs and the emphasis on holistic education, the inclusion of research and internships in the undergraduate curriculum, faculty career management systems that give due weightage to research, and the governance and regulatory changes that encourage an environment of research and innovation. All of these aspects are extremely critical for developing a research mindset in the country.

17.9. To build on these various elements in a synergistic manner, and to thereby truly grow and catalyze quality research in the nation, this policy envisions the establishment of a National Research Foundation (NRF). The overarching goal of the NRF will be to enable a culture of research to permeate through our universities. In particular, the NRF will provide a reliable base of merit-based but equitable peer-reviewed research funding, helping to develop a culture of research in the country through suitable incentives for and recognition of outstanding research, and by undertaking major initiatives to seed and grow research at State Universities and other public institutions where research capability is currently limited. The NRF will competitively fund research in all disciplines. Successful research will be recognized, and where relevant, implemented through close linkages with governmental agencies as well as with industry and private/philanthropic organizations.

17.10. Institutions that currently fund research at some level, such as the Department of Science and Technology (DST), Department of Atomic Energy (DAE), Department of Bio-Technology (DBT), Indian Council of Agriculture Research (ICAR), Indian Council of Medical Research (ICMR), Indian Council of Historical Research (ICHR), and University Grants Commission (UGC), as well as various private and philanthropic organizations, will continue to independently fund research according to their priorities and needs. However, NRF will carefully coordinate with other funding agencies and will work with science, engineering, and other academies to ensure synergy of purpose and avoid duplication of efforts. The NRF will be governed, independently of the government, by a rotating Board of Governors consisting of the very best researchers and innovators across fields.

17.11. The primary activities of the NRF will be to:

- (a) fund competitive, peer-reviewed grant proposals of all types and across all disciplines;
- (b) seed, grow, and facilitate research at academic institutions, particularly at universities and colleges where research is currently in a nascent stage, through mentoring of such institutions;
- (c) act as a liaison between researchers and relevant branches of government as well as industry, so that research scholars are constantly made aware of the most urgent national research issues, and so that policymakers are constantly made aware of the latest research breakthroughs; so as to allow breakthroughs to be optimally brought into policy and/or implementation; and
- (d) recognise outstanding research and progress

18. Transforming the Regulatory System of Higher Education

18.1. Regulation of higher education has been too heavy-handed for decades; too much has been attempted to be regulated with too little effect. The mechanistic and disempowering nature of the regulatory system has been rife with very basic problems, such as heavy concentrations of power within a few bodies, conflicts of interest among these bodies, and a resulting lack of accountability. The regulatory system is in need of a complete overhaul in order to re-energize the higher education sector and enable it to thrive.

18.2. To address the above-mentioned issues, the regulatory system of higher education will ensure that the distinct functions of regulation, accreditation, funding, and academic standard setting will be performed by distinct, independent, and empowered bodies. This is considered essential to create checks-and-balances in the system, minimize conflicts of interest, and eliminate concentrations of power. To ensure that the four institutional structures carrying out these four essential functions work independently yet at the same time and work in synergy towards common goals. These four structures will be set up as four independent verticals within one umbrella institution, the Higher Education Commission of India (HECI).

18.3. The first vertical of HECI will be the National Higher Education Regulatory Council (NHERC). It will function as the common, single point regulator for the higher education sector including teacher education and excluding medical and legal education, thus eliminating the duplication and disjunction of regulatory efforts by the multiple regulatory agencies that exist at the current time. It will require a relook and repealing of existing Acts and restructuring of various existing regulatory bodies to enable this single point regulation. NHERC will be set up to regulate in a ‘light but tight’ and facilitative manner, meaning that a few important matters particularly financial probity, good governance, and the full online and offline public self-disclosure of all finances, audits, procedures, infrastructure, faculty/staff, courses, and educational outcomes will be very effectively regulated. This information will have to be made available and kept updated and accurate by all higher education institutions on a public website maintained by NHERC and on the institutions’ websites. Any complaints or grievances from stakeholders and others arising out of the information placed in public domain shall be adjudicated by NHERC. Feedback from randomly selected students including differently-abled students at each HEI will be solicited online to ensure valuable input at regular intervals.

18.4. The primary mechanism to enable such regulation will be accreditation. The second vertical of HECI will, therefore, be a ‘meta-accrediting body’, called the National Accreditation Council (NAC). Accreditation of institutions will be based primarily on basic norms, public self-disclosure, good governance, and outcomes, and it will be carried out by an independent ecosystem of accrediting institutions supervised and overseen by NAC. The task to function as a recognized accreditor shall be awarded to an appropriate number of institutions by NAC. In the short term, a robust system of graded accreditation shall be established, which will specify phased benchmarks for all HEIs to achieve set levels of quality, self-governance, and autonomy. In turn, all HEIs will aim, through their Institutional Development Plans (IDPs), to attain the highest level of accreditation over the next 15 years, and thereby eventually aim to function as self-governing degree-granting institutions/clusters. In the long run, accreditation will become a binary process, as per the extant global practice.

18.5. The third vertical of HECI will be the Higher Education Grants Council (HEGC), which will carry out funding and financing of higher education based on transparent criteria, including the IDPs prepared by the institutions and the progress made on their implementation. HEGC will be entrusted with the disbursement of scholarships and developmental funds for launching new focus areas and expanding quality programme offerings at HEIs across disciplines and fields.

18.6. The fourth vertical of HECI will be the General Education Council (GEC), which will frame expected learning outcomes for higher education programmes, also referred to as ‘graduate attributes’. A National Higher Education Qualification Framework (NHEQF) will be formulated by the GEC and it shall be in sync with the National Skills Qualifications Framework (NSQF) to ease the integration of vocational education into higher education. Higher education qualifications leading to a degree/diploma/certificate shall be described by the NHEQF in terms of such learning outcomes. In addition, the GEC shall set up facilitative norms for issues, such as credit transfer, equivalence, etc., through the NHEQF. The GEC will be mandated to identify specific skills that students must acquire during their academic programmes, with the aim of preparing well-rounded learners with 21st century skills.

18.7. The professional councils, such as the Indian Council for Agricultural Research (ICAR), Veterinary Council of India (VCI), National Council for Teacher Education (NCTE), Council of Architecture (CoA), National Council for Vocational Education and Training (NCVET) etc., will act

as Professional Standard Setting Bodies (PSSBs). They will play a key role in the higher education system and will be invited to be members of the GEC. These bodies, after restructuring as PSSBs, will continue to draw the curricula, lay down academic standards and coordinate between teaching, research and extension of their domain/discipline, as members of the GEC. As members of the GEC, they would help in specifying the curriculum framework, within which HEIs may prepare their own curricula. Thus, PSSBs would also set the standards or expectations in particular fields of learning and practice while having no regulatory role. All HEIs will decide how their educational programmes respond to these standards, among other considerations, and would also be able to reach out for support from these standard-setting bodies or PSSBs, if needed.

18.8. Such a system architecture will ensure the principle of functional separation by eliminating conflicts of interests between different roles. It will also aim to empower HEIs, while ensuring that the few key essential matters are given due attention. Responsibility and accountability shall devolve to the HEIs concomitantly. No distinction in such expectations shall be made between public and private HEIs.

18.9. Such a transformation will require existing structures and institutions to reinvent themselves and undergo an evolution of sorts. The separation of functions would mean that each vertical within HECI would take on a new, single role which is relevant, meaningful, and important in the new regulatory scheme.

18.10. The functioning of all the independent verticals for Regulation (NHERC), Accreditation (NAC), Funding (HEGC), and Academic Standard Setting (GEC) and the overarching autonomous umbrella body (HECI) itself will be based on transparent public disclosure, and use technology extensively to reduce human interface to ensure efficiency and transparency in their work. The underlying principle will be that of a faceless and transparent regulatory intervention using technology. Strict compliance measures with stringent action, including penalties for false disclosure of mandated information, will be ensured so that Higher Education Institutions are conforming to the basic minimum norms and standards. HECI itself will be resolving disputes among the four verticals. Each vertical in HECI will be an independent body consisting of persons having high expertise in the relevant areas along with integrity, commitment, and a demonstrated track record of public service. HECI itself will be a small, independent body of eminent public-spirited experts in higher education, which will oversee and monitor the integrity and effective functioning of HECI. Suitable mechanisms will be created within HECI to carry out its functions, including adjudication.

18.11. Setting up new quality HEIs will also be made far easier by the regulatory regime, while ensuring with great effectiveness that these are set up with the spirit of public service and with due financial backing for long-term stability. HEIs performing exceptionally well will be helped by Central and State governments to expand their institutions, and thereby attain larger numbers of students and faculty as well as disciplines and programmes. Public Philanthropic Partnership models for HEIs may also be piloted with the aim to further expand access to high-quality higher education.

Curbing Commercialization of Education

18.12. Multiple mechanisms with checks and balances will combat and stop the commercialization of higher education. This will be a key priority of the regulatory system. All education institutions will be held to similar standards of audit and disclosure as a 'not for profit' entity. Surpluses, if any, will be reinvested in the educational sector. There will be transparent public disclosure of all these financial matters with recourse to grievance-handling mechanisms to the general public. The accreditation system developed by NAC will provide a complementary check on this system, and NHERC will consider this as one of the key dimensions of its regulatory objective.

18.13. All HEIs - public and private - shall be treated on par within this regulatory regime. The regulatory regime shall encourage private philanthropic efforts in education. There will be common national guidelines for all legislative Acts that will form private HEIs. These common minimal guidelines will enable all such Acts to establish private HEIs, thus enabling common standards for

private and public HEIs. These common guidelines will cover Good Governance, Financial Stability & Security, Educational Outcomes, and Transparency of Disclosures.

18.14. Private HEIs having a philanthropic and public-spirited intent will be encouraged through a progressive regime of fees determination. Transparent mechanisms for fixing of fees with an upper limit, for different types of institutions depending on their accreditation, will be developed so that individual institutions are not adversely affected. This will empower private HEIs to set fees for their programmes independently, though within the laid-out norms and the broad applicable regulatory mechanism. Private HEIs will be encouraged to offer freeships and scholarships in significant numbers to their students. All fees and charges set by private HEIs will be transparently and fully disclosed, and there shall be no arbitrary increases in these fees/charges during the period of enrolment of any student. This fee determining mechanism will ensure reasonable recovery of cost while ensuring that HEIs discharge their social obligations.

19. Effective Governance and Leadership for Higher Education Institutions

19.1. It is effective governance and leadership that enables the creation of a culture of excellence and innovation in higher education institutions. The common feature of all world-class institutions globally including India has indeed been the existence of strong self-governance and outstanding merit-based appointments of institutional leaders.

19.2. Through a suitable system of graded accreditation and graded autonomy, and in a phased manner over a period of 15 years, all HEIs in India will aim to become independent self-governing institutions pursuing innovation and excellence. Measures will be taken at all HEIs to ensure leadership of the highest quality and promote an institutional culture of excellence. Upon receiving the appropriate graded accreditations that deem the institution ready for such a move, a Board of Governors (BoG) shall be established consisting of a group of highly qualified, competent, and dedicated individuals having proven capabilities and a strong sense of commitment to the institution. The BoG of an institution will be empowered to govern the institution free of any external interference, make all appointments including that of head of the institution, and take all decisions regarding governance. There shall be overarching legislation that will supersede any contravening provisions of other earlier legislation and would provide for constitution, appointment, modalities of functioning, rules and regulations, and the roles and responsibilities of the BoG. New members of the Board shall be identified by an expert committee appointed by the Board; and the selection of new members shall be carried out by the BoG itself. Equity considerations will also be taken care of while selecting the members. It is envisaged that all HEIs will be incentivized, supported, and mentored during this process, and shall aim to become autonomous and have such an empowered BoG by 2035.

19.3. The BoG shall be responsible and accountable to the stakeholders through transparent self-disclosures of all relevant records. It will be responsible for meeting all regulatory guidelines mandated by HECI through the National Higher Education Regulatory Council (NHERC).

19.4. All leadership positions and Heads of institutions will be offered to persons with high academic qualifications and demonstrated administrative and leadership capabilities along with abilities to manage complex situations. Leaders of an HEI will demonstrate strong alignment to Constitutional values and the overall vision of the institution, along with attributes such as a strong social commitment, belief in teamwork, pluralism, ability to work with diverse people, and a positive outlook. The selection shall be carried out by the BoG through a rigorous, impartial, merit-based, and competency-based process led by an Eminent Expert Committee (EEC) constituted by the BoG. While stability of tenure is important to ensure the development of a suitable culture, at the same time leadership succession will be planned with care to ensure that good practices that define an institution's processes do not end due to a change in leadership; leadership changes will come with sufficient overlaps, and not remain vacant, in order to ensure smooth transitions. Outstanding leaders will be identified and developed early, working their way through a ladder of leadership positions.

19.5. While being provided with adequate funding, legislative enablement, and autonomy in a phased manner, all HEIs, in turn, will display commitment to institutional excellence, engagement with their

local communities, and the highest standards of financial probity and accountability. Each institution will make a strategic Institutional Development Plan on the basis of which institutions will develop initiatives, assess their own progress, and reach the goals set therein, which could then become the basis for further public funding. The IDP shall be prepared with the joint participation of Board members, institutional leaders, faculty, students, and staff.

Part III. OTHER KEY AREAS OF FOCUS

20. Professional Education

20.1. Preparation of professionals must involve an education in the ethic and importance of public purpose, an education in the discipline, and an education for practice. It must centrally involve critical and interdisciplinary thinking, discussion, debate, research, and innovation. For this to be achieved, professional education should not take place in the isolation of one's specialty.

20.2. Professional education thus becomes an integral part of the overall higher education system. Stand-alone agricultural universities, legal universities, health science universities, technical universities, and stand-alone institutions in other fields, shall aim to become multidisciplinary institutions offering holistic and multidisciplinary education. All institutions offering either professional or general education will aim to organically evolve into institutions/clusters offering both seamlessly, and in an integrated manner by 2030.

20.3. Agricultural education with allied disciplines will be revived. Although Agricultural Universities comprise approximately 9% of all universities in the country, enrolment in agriculture and allied sciences is less than 1% of all enrolment in higher education. Both capacity and quality of agriculture and allied disciplines must be improved in order to increase agricultural productivity through better skilled graduates and technicians, innovative research, and market-based extension linked to technologies and practices. The preparation of professionals in agriculture and veterinary sciences through programmes integrated with general education will be increased sharply. The design of agricultural education will shift towards developing professionals with the ability to understand and use local knowledge, traditional knowledge, and emerging technologies while being cognizant of critical issues such as declining land productivity, climate change, food sufficiency for our growing population, etc. Institutions offering agricultural education must benefit the local community directly; one approach could be to set up Agricultural Technology Parks to promote technology incubation and dissemination and promote sustainable methodologies.

20.4. Legal education needs to be competitive globally, adopting best practices and embracing new technologies for wider access to and timely delivery of justice. At the same time, it must be informed and illuminated with Constitutional values of Justice - Social, Economic, and Political - and directed towards national reconstruction through instrumentation of democracy, rule of law, and human rights. The curricula for legal studies must reflect socio-cultural contexts along with, in an evidence-based manner, the history of legal thinking, principles of justice, the practice of jurisprudence, and other related content appropriately and adequately. State institutions offering law education must consider offering bilingual education for future lawyers and judges - in English and in the language of the State in which the institution is situated.

20.5. Healthcare education needs to be re-envisioned so that the duration, structure, and design of the educational programmes need to match the role requirements that graduates will play. Students will be assessed at regular intervals on well-defined parameters primarily required for working in primary care and in secondary hospitals. Given that people exercise pluralistic choices in healthcare, our healthcare education system must be integrative meaning thereby that all students of allopathic medical education must have a basic understanding of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy (AYUSH), and vice versa. There shall also be a much greater emphasis on preventive healthcare and community medicine in all forms of healthcare education.

20.6. Technical education includes degree and diploma programmes in, engineering, technology, management, architecture, town planning, pharmacy, hotel management, catering technology etc., which are critical to India's overall development. There will not only be a greater demand for well-qualified manpower in these sectors, it will also require closer collaborations between industry and higher education institutions to drive innovation and research in these fields. Furthermore, influence of technology on human endeavours is expected to erode the silos between technical education and other disciplines too. Technical education will, thus, also aim to be offered within multidisciplinary education institutions and programmes and have a renewed focus on opportunities to engage deeply with other disciplines. India must also take the lead in preparing professionals in cutting-edge areas that are fast gaining prominence, such as Artificial Intelligence (AI), 3-D machining, big data analysis, and machine learning, in addition to genomic studies, biotechnology, nanotechnology, neuroscience, with important applications to health, environment, and sustainable living that will be woven into undergraduate education for enhancing the employability of the youth.

21. Adult Education and Lifelong Learning

21.1. The opportunity to attain foundational literacy, obtain an education, and pursue a livelihood must be viewed as basic rights of every citizen. Literacy and basic education open up whole new worlds of personal, civic, economic, and lifelong-learning opportunities for individuals that enable them to progress personally and professionally. At the level of society and the nation, literacy and basic education are powerful force multipliers which greatly enhance the success of all other developmental efforts. Worldwide data on nations indicate extremely high correlations between literacy rates and per capita GDP.

21.2. Meanwhile, being a non-literate member of a community, has innumerable disadvantages, including the inability to: carry out basic financial transactions; compare the quality/quantity of goods purchased against the price charged; fill out forms to apply for jobs, loans, services, etc.; comprehend public circulars and articles in the news media; use conventional and electronic mail to communicate and conduct business; make use of the internet and other technology to improve one's life and profession; comprehend directions and safety directives on the street, on medicines, etc.; help children with their education; be aware of one's basic rights and responsibilities as a citizen of India; appreciate works of literature; and pursue employment in medium or high-productivity sectors that require literacy. The abilities listed here are an illustrative list of outcomes to be achieved through adoption of innovative measures for Adult Education.

21.3. Extensive field studies and analyses, both in India and across the world, clearly demonstrate that volunteerism and community involvement and mobilization are key success factors of adult literacy programmes, in conjunction with political will, organizational structure, proper planning, adequate financial support, and high-quality capacity building of educators and volunteers. Successful literacy programmes result not only in the growth of literacy among adults, but also result in increased demand for education for all children in the community, as well as greater community contribution to positive social change. The National Literacy Mission, when it was launched in 1988, was largely based on the voluntary involvement and support of the people, and resulted in significant increases in national literacy during the period of 1991–2011, including among women, and also initiated dialogue and discussions on pertinent social issues of the day.

21.4. Strong and innovative government initiatives for adult education - in particular, to facilitate community involvement and the smooth and beneficial integration of technology - will be affected as soon as possible to expedite this all-important aim of achieving 100% literacy.

21.5. First, an outstanding adult education curriculum framework will be developed by a new and well-supported constituent body of the NCERT that is dedicated to adult education, so as to develop synergy with and build upon NCERT's existing expertise in establishing outstanding curricula for literacy, numeracy, basic education, vocational skills, and beyond. The curriculum framework for adult education will include at least five types of programmes, each with clearly defined outcomes: (a) foundational literacy and numeracy; (b) critical life skills (including financial literacy, digital literacy, commercial skills, health care and awareness, child care and education, and family welfare);

(c) vocational skills development (with a view towards obtaining local employment); (d) basic education (including preparatory, middle, and secondary stage equivalency); and (e) continuing education (including engaging holistic adult education courses in arts, sciences, technology, culture, sports, and recreation, as well as other topics of interest or use to local learners, such as more advanced material on critical life skills). The framework would keep in mind that adults in many cases will require rather different teaching-learning methods and materials than those designed for children.

21.6. Second, suitable infrastructure will be ensured so that all interested adults will have access to adult education and lifelong learning. A key initiative in this direction will be to use schools/ school complexes after school hours and on weekends and public library spaces for adult education courses which will be ICT-equipped when possible and for other community engagement and enrichment activities. The sharing of infrastructure for school, higher, adult, and vocational education, and for other community and volunteer activities, will be critical for ensuring efficient use of both physical and human resources as well as for creating synergy among these five types of education and beyond. For these reasons, Adult Education Centres (AECs) could also be included within other public institutions such as HEIs, vocational training centres, etc.

21.7. Third, the instructors/educators will be required to deliver the curriculum framework to mature learners for all five types of adult education as described in the Adult Education Curriculum Framework. These instructors will be trained by the National, State, and district level resource support institutions to organize and lead learning activities at Adult Education Centres, as well as coordinate with volunteer instructors. Qualified community members including from HEIs as part of each HEI's mission to engage with their local communities will be encouraged and welcomed to take a short training course and volunteer, as adult literacy instructors, or to serve as one-on-one volunteer tutors, and will be recognized for their critical service to the nation. States will also work with NGOs and other community organizations to enhance efforts towards literacy and adult education.

21.8. Fourth, all efforts will be undertaken to ensure the participation of community members in adult education. Social workers/counsellors travelling through their communities to track and ensure participation of non-enrolled students and dropouts will also be requested, during their travels, to gather data of parents, adolescents, and others interested in adult education opportunities both as learners and as teachers/tutors. The social workers/counsellors will then connect them with local Adult Education Centres (AECs). Opportunities for adult education will also be widely publicized, through advertisements and announcements and through events and initiatives of NGOs and other local organizations.

21.9. Fifth, improving the availability and accessibility of books is essential to inculcating the habit of reading within our communities and educational institutions. This Policy recommends that all communities and educational institutions - schools, colleges, universities and public libraries - will be strengthened and modernized to ensure an adequate supply of books that cater to the needs and interests of all students, including persons with disabilities and other differently-abled persons. The Central and State governments will take steps to ensure that books are made accessible and affordable to all across the country including socio-economically disadvantaged areas as well as those living in rural and remote areas. Both public and private sector agencies/institutions will devise strategies to improve the quality and attractiveness of books published in all Indian languages. Steps will be taken to enhance online accessibility of library books and further broad basing of digital libraries. For ensuring vibrant libraries in communities and educational institutions, it will be imperative to make available adequate library staff and also devise appropriate career pathways and CPD for them. Other steps will include strengthening all existing libraries, setting up rural libraries and reading rooms in disadvantaged regions, making widely available reading material in Indian languages, opening children's libraries and mobile libraries, establishing social book clubs across India and across subjects, and fostering greater collaborations between education institutions and libraries.

21.10. Finally, technology will be leveraged to strengthen and even undertake the above initiatives. Quality technology-based options for adult learning such as apps, online courses/modules, satellite-based TV channels, online books, and ICT-equipped libraries and Adult Education Centres, etc. will

be developed, through government and philanthropic initiatives as well as through crowd sourcing and competitions. In many cases, quality adult education could thereby be conducted in an online or blended mode.

22. Promotion of Indian Languages, Arts, and Culture

22.1. India is a treasure trove of culture, developed over thousands of years and manifested in the form of arts, works of literature, customs, traditions, linguistic expressions, artefacts, heritage sites, and more. Crores of people from around the world partake in, enjoy, and benefit from this cultural wealth daily, in the form of visiting India for tourism, experiencing Indian hospitality, purchasing India's handicrafts and handmade textiles, reading the classical literature of India, practicing yoga and meditation, being inspired by Indian philosophy, participating in India's unique festivals, appreciating India's diverse music and art, and watching Indian films, amongst many other aspects. It is this cultural and natural wealth that truly makes India, "Incredible India", as per India's tourism slogan. The preservation and promotion of India's cultural wealth must be considered a high priority for the country, as it is truly important for the nation's identity as well as for its economy.

22.2. The promotion of Indian arts and culture is important not only for the nation but also for the individual. Cultural awareness and expression are among the major competencies considered important to develop in children, in order to provide them with a sense of identity, belonging, as well as an appreciation of other cultures and identities. It is through the development of a strong sense and knowledge of their own cultural history, arts, languages, and traditions that children can build a positive cultural identity and self-esteem. Thus, cultural awareness and expression are important contributors both to individual as well as societal well-being.

22.3. The arts form a major medium for imparting culture. The arts - besides strengthening cultural identity, awareness, and uplifting societies - are well known to enhance cognitive and creative abilities in individuals and increase individual happiness. The happiness/well-being, cognitive development, and cultural identity of individuals are important reasons that Indian arts of all kinds must be offered to students at all levels of education, starting with early childhood care and education.

22.4. Language, of course, is inextricably linked to art and culture. Different languages 'see' the world differently, and the structure of a language, therefore, determines a native speaker's perception of experience. In particular, languages influence the way people of a given culture speak with others, including with family members, authority figures, peers, and strangers, and influence the tone of conversation. The tone, perception of experience, and familiarity/'*apnapan*' inherent in conversations among speakers of a common language are a reflection and record of a culture. Culture is, thus, encased in our languages. Art, in the form of literature, plays, music, film, etc. cannot be fully appreciated without language. In order to preserve and promote culture, one must preserve and promote a culture's languages.

22.5. Unfortunately, Indian languages have not received their due attention and care, with the country losing over 220 languages in the last 50 years alone. UNESCO has declared 197 Indian languages as 'endangered'. Various unscripted languages are particularly in danger of becoming extinct. When senior member(s) of a tribe or community that speak such languages pass away, these languages often perish with them; too often, no concerted actions or measures are taken to preserve or record these rich languages/expressions of culture.

22.6. Moreover, even those languages of India that are not officially on such endangered lists, such as the 22 languages of Eighth Schedule of the Constitution of India, are facing serious difficulties on many fronts. Teaching and learning of Indian languages need to be integrated with school and higher education at every level. For languages to remain relevant and vibrant, there must be a steady stream of high-quality learning and print materials in these languages including textbooks, workbooks, videos, plays, poems, novels, magazines, etc. Languages must also have consistent official updates to their vocabularies and dictionaries, widely disseminated, so that the most current issues and concepts can be effectively discussed in these languages. Enabling such learning materials, print materials, and

National Education Policy 2020

translations of important materials from world languages, and constantly updating vocabularies, are carried out by countries around the world for languages such as English, French, German, Hebrew, Korean, and Japanese. However, India has remained quite slow in producing such learning and print materials and dictionaries to help keep its languages optimally vibrant and current with integrity.

22.7. Additionally, there has been a severe scarcity of skilled language teachers in India, despite various measures being taken. Language-teaching too must be improved to be more experiential and to focus on the ability to converse and interact in the language and not just on the literature, vocabulary, and grammar of the language. Languages must be used more extensively for conversation and for teaching-learning.

22.8. A number of initiatives to foster languages, arts, and culture in school children have been discussed in Chapter 4, which include a greater emphasis on music, arts, and crafts throughout all levels of school; early implementation of the three-language formula to promote multilingualism; teaching in the home/local language wherever possible; conducting more experiential language learning; the hiring of outstanding local artists, writers, craftspersons, and other experts as master instructors in various subjects of local expertise; accurate inclusion of traditional Indian knowledge including tribal and other local knowledge throughout into the curriculum, across humanities, sciences, arts, crafts, and sports, whenever relevant; and a much greater flexibility in the curriculum, especially in secondary schools and in higher education, so that students can choose the ideal balance among courses for themselves to develop their own creative, artistic, cultural, and academic paths.

22.9. To enable the key latter initiatives, a number of further actions will be taken in tandem at the higher education level and beyond. First, to develop and teach many of the courses of the type mentioned above, an excellent team of teachers and faculty will have to be developed. Strong departments and programmes in Indian languages, comparative literature, creative writing, arts, music, philosophy, etc. will be launched and developed across the country, and degrees including 4-year B.Ed. dual degrees will be developed in these subjects. These departments and programmes will, in particular help to develop a large cadre of high-quality language teachers - as well as teachers of art, music, philosophy and writing - who will be needed around the country to carry out this Policy. The NRF will fund quality research in all these areas. Outstanding local artists and craftspersons will be hired as guest faculty to promote local music, art, languages, and handicraft, and to ensure that students are aware of the culture and local knowledge where they study. Every higher education institution and even every school or school complex will aim to have Artist(s)-in-Residence to expose students to art, creativity, and the rich treasures of the region/country.

22.10. More HEIs, and more programmes in higher education, will use the mother tongue/local language as a medium of instruction, and/or offer programmes bilingually, in order to increase access and GER and also to promote the strength, usage, and vibrancy of all Indian languages. Private HEIs too will be encouraged and incentivized to use Indian languages as medium of instruction and/or offer bilingual programmes. Four-year B.Ed. dual degree programmes offered bilingually will also help, e.g. in training cadres of science and mathematics teachers to teach science bilingually at schools across the country.

22.11. High-quality programmes and degrees in Translation and Interpretation, Art and Museum Administration, Archaeology, Artefact Conservation, Graphic Design, and Web Design within the higher education system will also be created. In order to preserve and promote its art and culture, develop high-quality materials in various Indian languages, conserve artefacts, develop highly qualified individuals to curate and run museums and heritage or tourist sites, thereby also vastly strengthening the tourism industry.

22.12. The Policy recognizes that the knowledge of the rich diversity of India should be imbibed first hand by learners. This would mean including simple activities, like touring by students to different parts of the country, which will not only give a boost to tourism but will also lead to an understanding and appreciation of diversity, culture, traditions and knowledge of different parts of India. Towards this direction under '*Ek Bharat Shrestha Bharat*', 100 tourist destinations in the country will be identified where educational institutions will send students to study these destinations and their

history, scientific contributions, traditions, indigenous literature and knowledge, etc., as a part of augmenting their knowledge about these areas.

22.13. Creating such programmes and degrees in higher education, across the arts, languages, and humanities, will also come with expanded high-quality opportunities for employment that can make effective use of these qualifications. There are already hundreds of Academies, museums, art galleries, and heritage sites in dire need of qualified individuals for their effective functioning. As positions are filled with suitably qualified candidates, and further artefacts are procured and conserved, additional museums, including virtual museums/e-museums, galleries, and heritage sites may contribute to the conservation of our heritage as well as to India's tourism industry.

22.14. India will also urgently expand its translation and interpretation efforts in order to make high-quality learning materials and other important written and spoken material available to the public in various Indian and foreign languages. For this, an Indian Institute of Translation and Interpretation (IITI) will be established. Such an institute would provide a truly important service for the country, as well as employ numerous multilingual language and subject experts, and experts in translation and interpretation, which will help to promote all Indian languages. The IITI shall also make extensive use of technology to aid in its translation and interpretation efforts. The IITI could naturally grow with time, and be housed in multiple locations including in HEIs to facilitate collaborations with other research departments as demand and the number of qualified candidates grows.

22.15. Due to its vast and significant contributions and literature across genres and subjects, its cultural significance, and its scientific nature, rather than being restricted to single-stream Sanskrit Pathshalas and Universities, Sanskrit will be mainstreamed with strong offerings in school - including as one of the language options in the three-language formula - as well as in higher education. It will be taught not in isolation, but in interesting and innovative ways, and connected to other contemporary and relevant subjects such as mathematics, astronomy, philosophy, linguistics, dramatics, yoga, etc. Thus, in consonance with the rest of this policy, Sanskrit Universities too will move towards becoming large multidisciplinary institutions of higher learning. Departments of Sanskrit that conduct teaching and outstanding interdisciplinary research on Sanskrit and Sanskrit Knowledge Systems will be established/strengthened across the new multidisciplinary higher education system. Sanskrit will become a natural part of a holistic multidisciplinary higher education if a student so chooses. Sanskrit teachers in large numbers will be professionalized across the country in mission mode through the offering of 4-year integrated multidisciplinary B.Ed. dual degrees in education and Sanskrit.

22.16. India will similarly expand its institutes and universities studying all classical languages and literature, with strong efforts to collect, preserve, translate, and study the tens of thousands of manuscripts that have not yet received their due attention. Sanskrit and all Indian language institutes and departments across the country will be significantly strengthened, with adequate training given to large new batches of students to study, in particular, the large numbers of manuscripts and their interrelations with other subjects. Classical language institutes will aim to be merged with universities, while maintaining their autonomy, so that faculty may work, and students too may be trained as part of robust and rigorous multidisciplinary programmes. Universities dedicated to languages will become multidisciplinary, towards the same end; where relevant, they may then also offer B.Ed. dual degrees in education and a language, to develop outstanding language teachers in that language. Further, it is also proposed that a new institution for Languages will be established. National Institute (or Institutes) for Pali, Persian and Prakrit will also be set up within a university campus. Similar initiatives will be carried out for institutes and universities studying Indian arts, art history, and Indology. Research for outstanding work in all these areas will be supported by the NRF.

22.17. Efforts to preserve and promote all Indian languages including classical, tribal and endangered languages will be taken on with new vigour. Technology and crowdsourcing, with extensive participation of the people, will play a crucial role in these efforts.

22.18. For each of the languages mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution of India, Academies will be established consisting of some of the greatest scholars and native speakers to

determine simple yet accurate vocabulary for the latest concepts, and to release the latest dictionaries on a regular basis (analogous to the successful efforts for many other languages around the world). The Academies would also consult with each other, and in some cases take the best suggestions from the public, in order to construct these dictionaries attempting to adopt common words whenever possible. These dictionaries would be widely disseminated, for use in education, journalism, writing, speechmaking, and beyond, and would be available on the web as well as in book form. These Academies for Eighth Schedule languages will be established by the Central Government in consultation or collaboration with State Governments. Academies for other highly spoken Indian languages may also be similarly established by the Centre and/or States.

22.19. All languages in India, and their associated arts and culture will be documented through a web-based platform/portal/wiki, in order to preserve endangered and all Indian languages and their associated rich local arts and culture. The platform will contain videos, dictionaries, recordings, and more, of people (especially elders) speaking the language, telling stories, reciting poetry, and performing plays, folk songs and dances, and more. People from across the country will be invited to contribute to these efforts by adding relevant material onto these platforms/portals/wikis. Universities and their research teams will work with each other and with communities across the country towards enriching such platforms. These preservation efforts, and the associated research projects, e.g., in history, archaeology, linguistics, etc., will be funded by the NRF.

22.20. Scholarships for people of all ages to study Indian Languages, Arts, and Culture with local masters and/or within the higher education system will be established. The promotion of Indian languages is possible only if they are used regularly and if they are used for teaching and learning. Incentives, such as prizes for outstanding poetry and prose in Indian languages across categories, will be established to ensure vibrant poetry, novels, nonfiction books, textbooks, journalism, and other works in all Indian languages. Proficiency in Indian languages will be included as part of qualification parameters for employment opportunities.

23. Technology Use and Integration

23.1. India is a global leader in information and communication technology and in other cutting-edge domains, such as space. The Digital India Campaign is helping to transform the entire nation into a digitally empowered society and knowledge economy. While education will play a critical role in this transformation, technology itself will play an important role in the improvement of educational processes and outcomes; thus, the relationship between technology and education at all levels is bi-directional.

23.2. Given the explosive pace of technological development allied with the sheer creativity of tech-savvy teachers and entrepreneurs including student entrepreneurs, it is certain that technology will impact education in multiple ways, only some of which can be foreseen at the present time. New technologies involving artificial intelligence, machine learning, block chains, smart boards, handheld computing devices, adaptive computer testing for student development, and other forms of educational software and hardware will not just change what students learn in the classroom but how they learn, and thus these areas and beyond will require extensive research both on the technological as well as educational fronts.

23.3. Use and integration of technology to improve multiple aspects of education will be supported and adopted, provided these interventions are rigorously and transparently evaluated in relevant contexts before they are scaled up. An autonomous body, the National Educational Technology Forum (NETF), will be created to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning, administration, and so on, both for school and higher education. The aim of the NETF will be to facilitate decision making on the induction, deployment, and use of technology, by providing to the leadership of education institutions, State and Central governments, and other stakeholders, the latest knowledge and research as well as the opportunity to consult and share best practices. The NETF will have the following functions:

National Education Policy 2020

- a) provide independent evidence-based advice to Central and State Government agencies on technology-based interventions;
- b) build intellectual and institutional capacities in educational technology;
- c) envision strategic thrust areas in this domain; and
- d) articulate new directions for research and innovation.

23.4. To remain relevant in the fast-changing field of educational technology, the NETF will maintain a regular inflow of authentic data from multiple sources including educational technology innovators and practitioners and will engage with a diverse set of researchers to analyze the data. To support the development of a vibrant body of knowledge and practice, the NETF will organize multiple regional and national conferences, workshops, etc. to solicit inputs from national and international educational technology researchers, entrepreneurs, and practitioners.

23.5. The thrust of technological interventions will be for the purposes of improving teaching-learning and evaluation processes, supporting teacher preparation and professional development, enhancing educational access, and streamlining educational planning, management, and administration including processes related to admissions, attendance, assessments, etc.

23.6. A rich variety of educational software, for all the above purposes, will be developed and made available for students and teachers at all levels. All such software will be available in all major Indian languages and will be accessible to a wide range of users including students in remote areas and *Divyang* students. Teaching-learning e-content will continue to be developed by all States in all regional languages, as well as by the NCERT, CIET, CBSE, NIOS, and other bodies/institutions, and will be uploaded onto the DIKSHA platform. This platform may also be utilized for Teacher's Professional Development through e-content. CIET will be strengthened to promote and expand DIKSHA as well as other education technology initiatives. Suitable equipment will be made available to teachers at schools so that teachers can suitably integrate e-contents into teaching-learning practices. Technology-based education platforms, such as DIKSHA/SWAYAM, will be better integrated across school and higher education, and will include ratings/reviews by users, so as to enable content developers create user friendly and qualitative content.

23.7. Particular attention will need to be paid to emerging disruptive technologies that will necessarily transform the education system. When the 1986/1992 National Policy on Education was formulated, it was difficult to predict the disruptive effect that the internet would have brought. Our present education system's inability to cope with these rapid and disruptive changes places us individually and nationally at a perilous disadvantage in an increasingly competitive world. For example, while computers have largely surpassed humans in leveraging factual and procedural knowledge, our education at all levels excessively burdens students with such knowledge at the expense of developing their higher-order competencies.

23.8. This policy has been formulated at a time when an unquestionably disruptive technology - Artificial Intelligence (AI) 3D/7D Virtual Reality - has emerged. As the cost of AI-based prediction falls, AI will be able to match or outperform and, therefore, be a valuable aid to even skilled professionals such as doctors in certain predictive tasks. AI's disruptive potential in the workplace is clear, and the education system must be poised to respond quickly. One of the permanent tasks of the NETF will be to categorize emergent technologies based on their potential and estimated timeframe for disruption, and to periodically present this analysis to MHRD. Based on these inputs, MHRD will formally identify those technologies whose emergence demands responses from the education system.

23.9. In response to MHRD's formal recognition of a new disruptive technology, the National Research Foundation will initiate or expand research efforts in the technology. In the context of AI, NRF may consider a three-pronged approach: (a) advancing core AI research, (b) developing and deploying application-based research, and (c) advancing international research efforts to address global challenges in areas such as healthcare, agriculture, and climate change using AI.

23.10. HEIs will play an active role not only in conducting research on disruptive technologies but also in creating initial versions of instructional materials and courses including online courses in cutting-edge domains and assessing their impact on specific areas such as professional education. Once the technology has attained a level of maturity, HEIs with thousands of students will be ideally placed to scale these teaching and skilling efforts, which will include targeted training for job readiness. Disruptive technologies will make certain jobs redundant, and hence approaches to skilling and deskilling that are both efficient and ensure quality will be of increasing importance to create and sustain employment. Institutions will have autonomy to approve institutional and non-institutional partners to deliver such training, which will be integrated with skills and higher education frameworks.

23.11. Universities will aim to offer Ph.D. and Masters programmes in core areas such as Machine Learning as well as multidisciplinary fields “AI + X” and professional areas like health care, agriculture, and law. They may also develop and disseminate courses in these areas via platforms, such as SWAYAM. For rapid adoption, HEIs may blend these online courses with traditional teaching in undergraduate and vocational programmes. HEIs may also offer targeted training in low-expertise tasks for supporting the AI value chain such as data annotation, image classification, and speech transcription. Efforts to teach languages to school students will be dovetailed with efforts to enhance Natural Language Processing for India’s diverse languages.

23.12. As disruptive technologies emerge, schooling and continuing education will assist in raising the general populace’s awareness of their potential disruptive effects and will also address related issues. This awareness is necessary to have informed public consent on matters related to these technologies. In school, the study of current affairs and ethical issues will include a discussion on disruptive technologies such as those identified by NETF/MHRD. Appropriate instructional and discussion materials will also be prepared for continuing education.

23.13. Data is a key fuel for AI-based technologies, and it is critical to raise awareness on issues of privacy, laws, and standards associated with data handling and data protection, etc. It is also necessary to highlight ethical issues surrounding the development and deployment of AI-based technologies. Education will play a key role in these awareness raising efforts. Other disruptive technologies that are expected to change the way we live, and, therefore, change the way we educate students, include those relating to clean and renewable energy, water conservation, sustainable farming, environmental preservation, and other green initiatives; these will also receive prioritized attention in education.

24. Online and Digital Education: Ensuring Equitable Use of Technology

24.1. New circumstances and realities require new initiatives. The recent rise in epidemics and pandemics necessitates that we are ready with alternative modes of quality education whenever and wherever traditional and in-person modes of education are not possible. In this regard, the National Education Policy 2020 recognizes the importance of leveraging the advantages of technology while acknowledging its potential risks and dangers. It calls for carefully designed and appropriately scaled pilot studies to determine how the benefits of online/digital education can be reaped while addressing or mitigating the downsides. In the meantime, the existing digital platforms and ongoing ICT-based educational initiatives must be optimized and expanded to meet the current and future challenges in providing quality education for all.

24.2. However, the benefits of online/digital education cannot be leveraged unless the digital divide is eliminated through concerted efforts, such as the Digital India campaign and the availability of affordable computing devices. It is important that the use of technology for online and digital education adequately addresses concerns of equity.

24.3. Teachers require suitable training and development to be effective online educators. It cannot be assumed that a good teacher in a traditional classroom will automatically be a good teacher in an online classroom. Aside from changes required in pedagogy, online assessments also require a

different approach. There are numerous challenges to conducting online examinations at scale, including limitations on the types of questions that can be asked in an online environment, handling network and power disruptions, and preventing unethical practices. Certain types of courses/subjects, such as performing arts and science practical have limitations in the online/digital education space, which can be overcome to a partial extent with innovative measures. Further, unless online education is blended with experiential and activity-based learning, it will tend to become a screen-based education with limited focus on the social, affective and psychomotor dimensions of learning.

24.4. Given the emergence of digital technologies and the emerging importance of leveraging technology for teaching-learning at all levels from school to higher education, this Policy recommends the following key initiatives:

- (a) **Pilot studies for online education:** Appropriate agencies, such as the NETF, CIET, NIOS, IGNOU, IITs, NITs, etc. will be identified to conduct a series of pilot studies, in parallel, to evaluate the benefits of integrating education with online education while mitigating the downsides and also to study related areas, such as, student device addiction, most preferred formats of e-content, etc. The results of these pilot studies will be publicly communicated and used for continuous improvement.
- (b) **Digital infrastructure:** There is a need to invest in creation of open, interoperable, evolvable, public digital infrastructure in the education sector that can be used by multiple platforms and point solutions, to solve for India's scale, diversity, complexity and device penetration. This will ensure that the technology-based solutions do not become outdated with the rapid advances in technology.
- (c) **Online teaching platform and tools:** Appropriate existing e-learning platforms such as SWAYAM, DIKSHA, will be extended to provide teachers with a structured, user-friendly, rich set of assistive tools for monitoring progress of learners. Tools, such as, two-way video and two-way-audio interface for holding online classes are a real necessity as the present pandemic has shown.
- (d) **Content creation, digital repository, and dissemination:** A digital repository of content including creation of coursework, Learning Games & Simulations, Augmented Reality and Virtual Reality will be developed, with a clear public system for ratings by users on effectiveness and quality. For fun based learning student-appropriate tools like apps, gamification of Indian art and culture, in multiple languages, with clear operating instructions, will also be created. A reliable backup mechanism for disseminating e-content to students will be provided.
- (e) **Addressing the digital divide:** Given the fact that there still persists a substantial section of the population whose digital access is highly limited, the existing mass media, such as television, radio, and community radio will be extensively used for telecast and broadcasts. Such educational programmes will be made available 24/7 in different languages to cater to the varying needs of the student population. A special focus on content in all Indian languages will be emphasized and required; digital content will need to reach the teachers and students in their medium of instruction as far as possible.
- (f) **Virtual Labs:** Existing e-learning platforms such as DIKSHA, SWAYAM and SWAYAMPRAKASHA will also be leveraged for creating virtual labs so that all students have equal access to quality practical and hands-on experiment-based learning experiences. The possibility of providing adequate access to SEDG students and teachers through suitable digital devices, such as tablets with pre-loaded content, will be considered and developed.
- (g) **Training and incentives for teachers:** Teachers will undergo rigorous training in learner-centric pedagogy and on how to become high-quality online content creators themselves using online teaching platforms and tools. There will be emphasis on the teacher's role in facilitating active student engagement with the content and with each other.

- (h) **Online assessment and examinations:** Appropriate bodies, such as the proposed National Assessment Centre or PARAKH, School Boards, NTA, and other identified bodies will design and implement assessment frameworks encompassing design of competencies, portfolio, rubrics, standardized assessments, and assessment analytics. Studies will be undertaken to pilot new ways of assessment using education technologies focusing on 21st century skills.
- (i) **Blended models of learning:** While promoting digital learning and education, the importance of face-to-face in-person learning is fully recognized. Accordingly, different effective models of blended learning will be identified for appropriate replication for different subjects.
- (j) **Laying down standards:** As research on online/digital education emerges, NETF and other appropriate bodies shall set up standards of content, technology, and pedagogy for online/digital teaching-learning. These standards will help to formulate guidelines for e-learning by States, Boards, schools and school complexes, HEIs, etc.

24.5 Creating a Dedicated Unit for Building of World Class, Digital Infrastructure, Educational Digital Content and Capacity

Technology in education is a journey and not a destination and capacity will be needed to orchestrate the various ecosystem players to implement policy objectives. A dedicated unit for the purpose of orchestrating the building of digital infrastructure, digital content and capacity building will be created in the Ministry to look after the e-education needs of both school and higher education. Since technology is rapidly evolving, and needs specialists to deliver high quality e-learning, a vibrant ecosystem has to be encouraged to create solutions that not only solve India's challenges of scale, diversity, equity, but also evolve in keeping with the rapid changes in technology, whose half-life reduces with each passing year. This centre will, therefore, consist of experts drawn from the field of administration, education, educational technology, digital pedagogy and assessment, e-governance, etc.

Part IV. MAKING IT HAPPEN

25. Strengthening the Central Advisory Board of Education

25.1. Achieving successful implementation of this policy demands a long-term vision, availability of expertise on a sustained basis, and concerted action from all concerned encompassing National, State, institutional, and individual levels. In this context, the Policy recommends strengthening and empowering the Central Advisory Board of Education (CABE) which will have a much greater mandate and not only a forum for widespread consultation and examination of issues relating to educational and cultural development. The remodeled and rejuvenated CABE shall also be responsible for developing, articulating, evaluating, and revising the vision of education in the country on a continuous basis, in close collaboration with MHRD and the corresponding apex bodies of States. It shall also create and continuously review the institutional frameworks that shall help attain this vision.

25.2. To bring the focus back on education and learning, it is desirable that the Ministry of Human Resource Development (MHRD) be re-designated as the Ministry of Education (MoE).

26. Financing: Affordable and Quality Education for All

26.1. The Policy commits to significantly raising educational investment, as there is no better investment towards a society's future than the high-quality education of our young people. Unfortunately, public expenditure on education in India has not come close to the recommended level of 6% of GDP, as envisaged by the 1968 Policy, reiterated in the Policy of 1986, and which was further reaffirmed in the 1992 review of the Policy. The current public (Government - Centre and States) expenditure on education in India has been around 4.43% of GDP (Analysis of Budgeted

National Education Policy 2020

Expenditure 2017-18) and only around 10% of the total Government spending towards education (Economic Survey 2017-18). These numbers are far smaller than most developed and developing countries.

26.2. In order to attain the goal of education with excellence and the corresponding multitude of benefits to this Nation and its economy, this Policy unequivocally endorses and envisions a substantial increase in public investment in education by both the Central government and all State Governments. The Centre and the States will work together to increase the public investment in Education sector to reach 6% of GDP at the earliest. This is considered extremely critical for achieving the high-quality and equitable public education system that is truly needed for India's future economic, social, cultural, intellectual, and technological progress and growth.

26.3. In particular, financial support will be provided to various critical elements and components of education, such as ensuring universal access, learning resources, nutritional support, matters of student safety and well-being, adequate numbers of teachers and staff, teacher development, and support for all key initiatives towards equitable high-quality education for underprivileged and socio-economically disadvantaged groups.

26.4. In addition to one-time expenditures, primarily related to infrastructure and resources, this Policy identifies the following key long-term thrust areas for financing to cultivate an education system: (a) universal provisioning of quality early childhood care education; (b) ensuring foundational literacy and numeracy; (c) providing adequate and appropriate resourcing of school complexes/clusters; (d) providing food and nutrition (breakfast and midday meals); (e) investing in teacher education and continuing professional development of teachers; (f) revamping colleges and universities to foster excellence; (g) cultivating research; and (h) extensive use of technology and online education.

26.5. Even the low level of funding on education in India, is frequently not spent in a timely manner at the District/institution level, hampering the achievement of the intended targets of those funds. Hence, the need is to increase efficiency in use of available budget by suitable policy changes. Financial governance and management will focus on the smooth, timely, and appropriate flow of funds, and their usage with probity; administrative processes will be suitably amended and streamlined so that the disbursement mechanism may not lead to a high volume of unspent balances. The provisions of GFR, PFMS and 'Just in Time' release to implementing agencies will be followed for efficient use of government resources and avoiding parking of funds. Mechanism of performance-based funding to States / HEIs may be devised. Similarly, efficient mechanism will be ensured for the optimal allocation and utilization of funds earmarked for SEDGs. The new suggested regulatory regime, with clear separations of roles and transparent self-disclosures, empowerment and autonomy to institutions, and the appointment of outstanding and qualified experts to leadership positions will help to enable a far smoother, quicker, and more transparent flow of funds.

26.6. The Policy also calls for the rejuvenation, active promotion, and support for private philanthropic activity in the education sector. In particular, over and above the public budgetary support which would have been otherwise provided to them, any public institution can take initiatives towards raising private philanthropic funds to enhance educational experiences.

26.7. The matter of commercialization of education has been dealt with by the Policy through multiple relevant fronts, including: the 'light but tight' regulatory approach that mandates full public self-disclosure of finances, procedures, course and programme offerings, and educational outcomes; the substantial investment in public education; and mechanisms for good governance of all institutions, public and private. Similarly, opportunities for higher cost recovery without affecting the needy or deserving sections will also be explored.

27. Implementation

27.1. Any policy's effectiveness depends on its implementation. Such implementation will require multiple initiatives and actions, which will have to be taken by multiple bodies in a synchronized and

systematic manner. Therefore, the implementation of this Policy will be led by various bodies including MHRD, CABE, Union and State Governments, education-related Ministries, State Departments of Education, Boards, NTA, the regulatory bodies of school and higher education, NCERT, SCERTs, schools, and HEIs along with timelines and a plan for review, in order to ensure that the policy is implemented in its spirit and intent, through coherence in planning and synergy across all these bodies involved in education.

27.2. Implementation will be guided by the following principles. First, implementation of the spirit and intent of the Policy will be the most critical matter. Second, it is important to implement the policy initiatives in a phased manner, as each policy point has several steps, each of which requires the previous step to be implemented successfully. Third, prioritization will be important in ensuring optimal sequencing of policy points, and that the most critical and urgent actions are taken up first, thereby enabling a strong base. Fourth, comprehensiveness in implementation will be key; as this Policy is interconnected and holistic, only a full-fledged implementation, and not a piecemeal one, will ensure that the desired objectives are achieved. Fifth, since education is a concurrent subject, it will need careful planning, joint monitoring, and collaborative implementation between the Centre and States. Sixth, timely infusion of requisite resources - human, infrastructural, and financial - at the Central and State levels will be crucial for the satisfactory execution of the Policy. Finally, careful analysis and review of the linkages between multiple parallel implementation steps will be necessary in order to ensure effective dovetailing of all initiatives. This will also include early investment in some of the specific actions (such as the setting up of early childhood care and education infrastructure) that will be imperative to ensuring a strong base and a smooth progression for all subsequent programmes and actions.

27.3. Subject-wise implementation committees of experts in cooperation and consultation with other relevant Ministries will be set up at both the Central and State levels to develop detailed implementation plans for each aspect of this Policy in accordance with the above principles to achieve the goals of the Policy in a clear and phased manner. Yearly joint reviews of the progress of implementation of the policy, in accordance with the targets set for each action, will be conducted by designated teams constituted by MHRD and the States, and reviews will be shared with CABE. In the decade of 2030-40, the entire policy will be in an operational mode, following which another comprehensive review will be undertaken.

Abbreviations

ABC	Academic Bank of Credit
AI	Artificial Intelligence
AC	Autonomous degree-granting College
AEC	Adult Education Centre
API	Application Programming Interface
AYUSH	Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy
B.Ed.	Bachelor of Education
BEO	Block Education Officer
BITE	Block Institute of Teacher Education
BoA	Board of Assessment
BoG	Board of Governors
BRC	Block Resource Centre
B.Voc	Bachelor of Vocational Education
CABE	Central Advisory Board of Education
CBCS	Choice Based Credit System
CBSE	Central Board of Secondary Education
CIET	Central Institute of Educational Technology
CMP	Career Management and Progression
CoA	Council of Architecture
CPD	Continuous Professional Development
CRC	Cluster Resource Centre
CWSN	Children With Special Needs
DAE	Department of Atomic Energy
DBT	Department of Biotechnology
DEO	District Education Officer
DIET	District Institute of Education and Training
DIKSHA	Digital Infrastructure for Knowledge Sharing
DSE	Directorate of School Education
DST	Department of Science and Technology
ECCE	Early Childhood Care and Education
EEC	Eminent Expert Committee
GCED	Global Citizenship Education
GDP	Gross Domestic Product
GEC	General Education Council
GER	Gross Enrolment Ratio
GFR	General Financial Rule
HECI	Higher Education Commission of India
HEGC	Higher Education Grants Council
HEI	Higher Education Institutions
ICAR	Indian Council of Agricultural Research
ICHR	Indian Council of Historical Research
ICMR	Indian Council of Medical Research
ICT	Information and Communication Technology
IDP	Institutional Development Plan
IGNOU	Indira Gandhi National Open University
IIM	Indian Institute of Management
IIT	Indian Institute of Technology
IITI	Indian Institute of Translation and Interpretation
ISL	Indian Sign Language
ITI	Industrial Training Institute
M.Ed.	Master of Education
MBBS	Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
MERU	Multidisciplinary Education and Research Universities
MHFW	Ministry of Health and Family Welfare

National Education Policy 2020

MHRD	Ministry of Human Resource Development
MoE	Ministry of Education
MOOC	Massive Open Online Course
MOU	Memorandum of Understanding
M. Phil	Master of Philosophy
MWCD	Ministry of Women and Child Development
NAC	National Accreditation Council
NAS	National Achievement Survey
NCC	National Cadet Corps
NCERT	National Council of Educational Research and Training
NCF	National Curriculum Framework
NCFSE	National Curriculum Framework for School Education
NCFTE	National Curriculum Framework for Teacher Education
NCIVE	National Committee for the Integration of Vocational Education
NCPFECCE	National Curricular and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education
NCTE	National Council for Teacher Education
NCVET	National Council for Vocational Education and Training
NETF	National Educational Technology Forum
NGO	Non-Governmental Organization
NHEQF	National Higher Education Qualifications Framework
NHERC	National Higher Education Regulatory Council
NIOS	National Institute of Open Schooling
NIT	National Institute of Technology
NITI	National Institution for Transforming India
NPE	National Policy on Education
NPST	National Professional Standards for Teachers
NRF	National Research Foundation
NSQF	National Skills Qualifications Framework
NSSO	National Sample Survey Office
NTA	National Testing Agency
OBC	Other Backward Classes
ODL	Open and Distance Learning
PARAKH	Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic development
PCI	Pharmacy Council of India
PFMS	Public Financial Management System
Ph.D	Doctor of Philosophy
PSSB	Professional Standard Setting Body
PTR	Pupil Teacher Ratio
R&I	Research and Innovation
RCI	Rehabilitation Council of India
RPWD	Rights of Persons with Disabilities
SAS	State Achievement Survey
SC	Scheduled Caste(s)
SCDP	School Complex/Cluster Development Plans
SCERT	State Council of Educational Research and Training
SCF	State Curricular Framework
SCMC	School Complex Management Committee
SDG	Sustainable Development Goal
SDP	School Development Plan
SEDG	Socio-Economically Disadvantaged Group
SEZ	Special Education Zone
SIOS	State Institutes of Open Schooling
SMC	School Management Committee
SQAACF	School Quality Assessment and Accreditation Framework
SSA	Sarva Shiksha Abhiyan
SSS	Simple Standard Sanskrit

National Education Policy 2020

SSSA	State School Standards Authority
ST	Scheduled Tribe(s)
STEM	Science, Technology, Engineering, and Mathematics
STS	Sanskrit Through Sanskrit
SWAYAM	Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds
TEI	Teacher Education Institution
TET	Teacher Eligibility Test
U-DISE	Unified District Information System for Education
UGC	University Grants Commission
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UT	Union Territory
VCI	Veterinary Council of India

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९ मसुदा

सारांश

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यासाठी स्थापित समिती

अध्यक्ष

के. कस्तुरीरंगन, माजी संचालक, इस्रो, बेंगळूरु

सदस्य

- अ. वसुधा कामत, माजी कुलगुरु, एस. एन. डी. टी. महिला विद्यापीठ, मुंबई
- आ. मंजुळ भार्गव, आर. ब्रॅडन फ्रॅड प्रोफेसर ऑफ मॅथेमॅटिक्स, प्रिन्स्टन विद्यापीठ, यूएसए
- इ. राम शंकर कुरील, माजी संस्थापक कुलगुरु, बाबासाहेब आंबेडकर समाजशास्त्र विद्यापीठ, मध्य प्रदेश
- ई. टी. व्ही. कट्टीमणी, कुलगुरु, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विद्यापीठ, अमरकंटक, मध्य प्रदेश
- उ. कृष्ण मोहन त्रिपाठी, शिक्षण संचालक (माध्यमिक) आणि माजी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक व इंटरमीडिएट परीक्षा मंडळ, उत्तर प्रदेश
- ऊ. मजहर असिफ, प्राध्यापक, पर्शियन व मध्य आशियाई अभ्यास केंद्र, भाषा, साहित्य व सांस्कृतिक अभ्यास विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, नवी दिल्ली
- ऋ. एम. के. श्रीधर, माजी सदस्य सचिव, कर्नाटक राज्य शोध परिषद, बेंगळूरु, कर्नाटक

सचिव

- ल. शकीला टी. शमसू, विशेष कार्य अधिकारी (राष्ट्रीय शिक्षण धोरण), उच्च शिक्षण विभाग, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली

मसुदा समितीचे सदस्य

- अ. मंजुळ भार्गव, आर. ब्रॅडन फ्रॅड प्रोफेसर ऑफ मॅथेमॅटिक्स, प्रिन्स्टन विद्यापीठ, यूएसए
- आ. के. रामचंद्रन, सल्लागार, राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्था, नवी दिल्ली
- इ. अनुराग बेहर, सीईओ, अझीम प्रेमजी फाउंडेशन व कुलगुरु, अझीम प्रेमजी विद्यापीठ, बेंगळूरु
- ई. लीना चंद्रन वाडिया, ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन, मुंबई

दूरदृष्टी

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९ भारताला केंद्रस्थानी मानून अशा शिक्षण प्रणालीची कल्पना करते जी सर्वाना उच्च दर्जाचे शिक्षण प्रदान करून आपल्या राष्ट्राला सातत्याने न्याय्य व चैतन्यमय ज्ञानी समाजामध्ये परिवर्तित करण्यात थेट योगदान देते.

धोरणाचा आढावा – महत्वाचे मुद्दे

१. शालेय शिक्षण

- अ. प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील शिक्षण: सदर धोरण प्रारंभिक वर्षांच्या महत्वावर भर देते आणि २०२५ सालापर्यंत ३ ते ६ वयोगटातील सर्व मुलांना प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील दर्जेदार निगा व शिक्षण दिले जात असल्याची दक्षता घेणे, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. याकरिता गुंतवणुकीमध्ये लाक्षणिक वाढ करून नवनवीन उपक्रम राबविण्याचाही या धोरणाच्या उद्दिष्टामध्ये समावेश आहे.
- आ. पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान: इयत्ता पहिली ते पाचवीमध्ये प्रारंभिक भाषा व गणित यांच्याकडे विशेष ध्यान पुरविले जाईल. सन २०२५ पर्यंत इयत्ता पाचवी व त्यापुढील इयत्तेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यास पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान आत्मसात होत असल्याची दक्षता घेणे, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
- इ. अभ्यासक्रम व अध्यापनशास्त्र: शालेय शिक्षणासाठी ५+३+३+४ रचनेवर आधारित बौद्धिक विकास व अध्ययनाच्या तत्वांवर आधारित एक अभिनव विकासात्मकदृष्ट्या योग्य अभ्यासक्रम व अध्यापनशास्त्र रचना विकसित करण्यात आली आहे. शाळांमध्ये विज्ञान, समाजशास्त्र, कला, भाषा, क्रीडा, गणित इ. सर्व विषयांवर समान भर देताना व्यावसायिक (पेशाविषयक) व शैक्षणिक शाखांचे एकीकरण करण्यात येईल.
- ई. वैश्विक प्रवेश: सन २०३० पर्यंत विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून सर्व शालेय शिक्षणामध्ये १००% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो (म्हणजेच एकूण विद्यार्थ्यांपैकी पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे गुणोत्तर) आत्मसात करणे, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
- उ. न्याय्य व सर्वसमावेशक शिक्षण: जन्म व कौटुंबिक पार्श्वभूमी यांच्याशी निगडित परिस्थितीमुळे कोणतेही मूल शिकण्याच्या व प्रगतीच्या एकाही संधीला मुकणार नाही, याची हमी देण्यासाठी या धोरणामध्ये अनेक नियोजित उपाययोजना अंतर्भूत आहेत. यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी विशेष शिक्षण झोनदेखील उभारण्यात येतील.
- ऊ. शिक्षक: शिक्षकांची नेमणूक अतिशय सक्षम व पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे करण्यात येईल. शिक्षकांना गुणवत्तेच्या निकषांनुसार बढती देण्यात येईल. कामगिरीचे बहुस्रोतांवर आधारित नियमित मूल्यमापन करण्यात येईल आणि शैक्षणिक प्रशासक किंवा शिक्षकांचे शिक्षक होण्यासाठी श्रेणी प्रगमनाचे (प्रोग्रेशन) मार्ग उपलब्ध असतील.

क्र. शालेय अनुशासन: शाळांची व्यवस्था व आयोजन शालेय संकुलांमध्ये (शालेय संकुल म्हणजे १०-२० शासकीय शाळांचा समूह) करण्यात येईल. अनुशासन व प्रशासन यांचे हे मूलभूत एकक असेल. याद्वारे सक्षम व्यावसायिक शिक्षक समुदायासोबतच पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), शैक्षणिक सुविधा (उदा. ग्रंथालये) व मनुष्यबळ (उदा. कला व संगीत शिक्षक) अशा सर्व प्रकारच्या साधनांची उपलब्धता होत असल्याची दक्षता घेता येईल.

ल. शालेय विनियमन: स्वारस्यसंघर्ष टाळण्याहेतू शाळांचे विनियमन व प्रचालन स्वतंत्र समित्यांकरवी करण्यात येईल. धोरणनिर्मिती, विनियमन (रेग्युलेशन), प्रचालन (ऑपरेशन्स) व शैक्षणिक बाबींकरिता सुस्पष्ट व स्वतंत्र प्रणाली अस्तित्वात असतील.

२. उच्च शिक्षण

अ. नवीन संरचना (आर्किटेक्चर): विशाल, सर्वसाधनसमृद्ध, चैतन्यमय बहुविध शाखांनी सुसज्ज संस्थांद्वारे उच्च शिक्षणासाठी नवीन दूरदृष्टी व संरचना (आर्किटेक्चर) परिकल्पित करण्यात आली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेली ८०० विद्यापीठे व ४०,००० महाविद्यालये सुमारे १५,००० उत्कृष्ट संस्थांमध्ये संकलित करण्यात येईल.

आ. उदारमतवादी शिक्षण: विज्ञान, कला, मानवतावाद, गणित व व्यावसायिक क्षेत्रांचा एकात्मिक व सखोल अनुभव मिळण्याच्या उद्देशाने पदवीपूर्व (अंडरग्रॅज्युएट) स्तरावरील व्यापक स्वरूपाचे उदारमतवादी कला शिक्षण अंमलात आणण्यात येईल. यामध्ये कल्पनाविलासी व लवचिक अभ्यासक्रमाची रचना, अभ्यासाचे कल्पक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षणाचे एकीकरण आणि बहुविध प्रवेश/प्रस्थान बिंदू (एंट्री/एक्झिट पॉइंट्स) असतील.

इ. अनुशासन: संस्थांचे अनुशासन शैक्षणिक, प्रशासकीय व आर्थिक स्वायत्ततेवर आधारित असेल. प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्था एका स्वतंत्र मंडळाकडून प्रशासित असेल.

ई. विनियमन: आर्थिक विश्वसनीयता साध्य करण्यासाठी संस्थांचे विनियमन 'सुटसुटीत पण कडक' पद्धतीचे असेल आणि स्वारस्यसंघर्ष टाळण्याहेतू जनहितार्थ उद्देशाने करावयाची शाळांची प्रमाणित उभारणी, वित्तपुरवठा, प्रमाणन (एक्रेडिटेशन) व विनियमन स्वतंत्र समित्यांकरवी करण्यात येईल.

३. शिक्षक शिक्षण

शिक्षक सज्जता कार्यक्रम अतिशय कसून घेण्यात येतील आणि सदर कार्यक्रम चैतन्यमय, बहुविध शाखांनी सुसज्ज असलेल्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये राबविण्यात येतील. बहुविध शाखांनी सुसज्ज असलेल्या या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये स्तरानुसार, विषयवार राबविण्यात येणारा व एकीकरण केलेला ४ वर्षांचा 'बॅचलर ऑफ एज्युकेशन' हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून पदवी संपादित करणे, हा शिक्षक होण्याचा प्रमुख मार्ग असेल. दुय्यम दर्जाच्या व अकार्यक्षम शिक्षक शिक्षण संस्था बंद करण्यात येतील.

४. पेशाविषयक शिक्षण

सर्व प्रकारचे पेशाविषयक/व्यावसायिक शिक्षण उच्च शिक्षण प्रणालीचा अविभाज्य घटक असेल. स्वतंत्र तांत्रिक विद्यापीठे, आरोग्यशास्त्र विद्यापीठे, विधी व कृषी विद्यापीठे किंवा या क्षेत्रातील किंवा तत्सम इतर क्षेत्रांतील संस्था बंद करण्यात येतील.

५. व्यावसायिक शिक्षण

व्यावसायिक शिक्षण सर्व प्रकारच्या शिक्षणाचा अविभाज्य घटक असेल. सन २०२५ पर्यंत सर्व शिकाऊ विद्यार्थ्यांपैकी किमान ५०% विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणाचा लाभ मिळावा, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

६. नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन

संपूर्ण देशभर संशोधन व नवकल्पना या गोष्टींचा प्रसार वेगाने व्हावा, या हेतूने नवीन संस्थेची स्थापना करण्यात येईल.

७. शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञान

वर्गातील शिक्षण प्रक्रिया सुधारण्यासाठी, शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासास साहाय्य करण्यासाठी, वंचित गटांना मिळणाऱ्या शिक्षणाच्या संधी वाढविण्यासाठी आणि शैक्षणिक नियोजन, प्रशासन व व्यवस्थापन सुसूत्रबद्ध करण्यासाठी शिक्षणाच्या सर्वच स्तरांवर योग्य पद्धतीने तंत्रज्ञान समाविष्ट करणे, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

८. प्रौढ शिक्षण

युवकांमध्ये व प्रौढांमध्ये १००% साक्षरता साध्य करणे, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

९. भारतीय भाषांना चालना

हे धोरण सर्व भारतीय भाषांचे संवर्धन, वृद्धी व चैतन्य अबाधित राहील, हे सुनिश्चित करेल.

१०. शिक्षणासाठी वित्तपुरवठा

सार्वजनिक शिक्षणाचा विस्तार व पुनरुज्जीवन करण्यास्तव मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक क्षेत्रातून गुंतवणूक करण्यात येईल.

११. राष्ट्रीय शिक्षण आयोग

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोग किंवा नॅशनल एज्युकेशन कमिशनची स्थापना करण्यात येईल. हा आयोग भारतातील शैक्षणिक दूरदृष्टीचा परिरक्षक (कस्टोडियन) असेल.

धोरणाचा तपशील – महत्वाचे मुद्दे

शालेय शिक्षण

१. प्रारंभिक बाल्यावस्था निगा व शिक्षण यांचे सबलीकरण

उद्देश: सन २०२५ पर्यंत ३-६ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत, सुरक्षित, उच्च दर्जायुक्त, विकासात्मकदृष्ट्या योग्य निगा व शिक्षण प्रदान करणे.

सदर धोरण मुलांच्या जीवनातील प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील शिक्षणाच्या महत्वावर आणि या शिक्षणामुळे व्यक्तीला संपूर्ण आयुष्यभर होणाऱ्या चिरंतन फायद्यांवर भर देते.

- अ. स्थानिक गरजा, भौगोलिकता व विद्यमान पायाभूत सुविधा यांबाबत बहुआयामी दृष्टिकोन ठेवल्यास प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील शिक्षणासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधांचा महत्वपूर्ण विस्तार आणि सबलीकरण होईल.
- आ. विशेषतः सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित असलेले जिल्हे/ठिकाणे यांच्याकडे विशेष लक्ष पुरविले जाईल आणि त्यांना प्राधान्य दिले जाईल. दर्जा व निष्पत्ती यांची योग्य देखरेख करण्यासाठी प्रक्रिया अस्तित्वात आणण्यात येतील.
- इ. शिक्षक व पालक या दोघांच्याही दृष्टीने विचार करून प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम व अध्यापनशास्त्र यांचा आराखडा विकसित करण्यात येईल. या आराखड्यामध्ये ०-३ वयोगटातील मुलांना योग्य आकलनात्मक उत्तेजना देण्यासाठी पूरक मार्गदर्शक सूचना व ३-८ वयोगटातील मुलांसाठी पूरक शैक्षणिक मार्गदर्शक सूचना यांचा समावेश असेल.
- ई. स्तरानुसार प्रशिक्षण, मार्गदर्शन (मेंटॉरिंग) आणि निरंतर व्यावसायिक विकास व कारकीर्द आराखडा (करियर मॅपिंग) यांच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात याकरिता प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील शिक्षणामध्ये अध्यायन-सुलभ वातावरणनिर्मिती व उच्च दर्जेदार शिक्षकांचे व्यावसायिकरणही करण्यात येईल.
- उ. (सध्याच्या 'मनुष्यबळ विकास मंत्रालया'चे नाव बदलून 'शिक्षण मंत्रालय' करण्यात येईल.) आणि प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील शिक्षणाचे सर्व पैलू व घटक शिक्षण मंत्रालयाच्या कार्यक्षेत्रात येतील. परिणामतः, प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील शिक्षण उर्वरित शालेय शिक्षणाशी जोडण्यात येईल. संबंधित हस्तांतरण आराखड्यास (ट्रांझिशन प्लॅन) शिक्षण मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांच्याकडून सन २०१९ पर्यंत संयुक्तरित्या अंतिम स्वरूप देण्यात येईल.
- ऊ. संबंधित नियमांचे अनुपालन होत असल्याची हमी मिळण्यासाठी सर्व शालेयपूर्व शिक्षण प्रदान करणाऱ्या (खाजगी, शासकीय व धर्मादायी) संस्थांकरिता प्रभावी दर्जेदार विनियमन किंवा प्रमाणन (एक्रेडिटेशन) प्रणाली निर्माण करण्यात येईल.
- क. आपल्या मुलांच्या शैक्षणिक गरजांना सक्रियपणे साहाय्य करण्याहेतू पालकांना सक्षम करण्यासाठी व्यापक पुरस्कार (एंडव्होर्स) व उपलब्ध माहितीचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार करून सहभागी भागधारकांकडून (स्टेकहोल्डर्स) मागण्या निर्माण करण्यात येतील.

लृ. ३-६ वयोगटातील सर्व मुलांसाठी मोफत व सक्तीचे दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध होत असल्याची दक्षता घेण्यासाठी 'शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९' ('दि राईट टू एज्युकेशन ऍक्ट, २००९') चा विस्तार करण्यात येईल.

२. सर्व मुलांना पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान आत्मसात होत असल्याची दक्षता

उद्देश: सन २०२५ पर्यंत इयत्ता पाचवी व त्यापुढील इयत्तेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यास पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान आत्मसात होणे.

हे धोरण प्रारंभिक भाषा व गणित यांच्याशी निगडित गंभीर अध्ययन समस्या जाणते आणि त्यांच्या निवारणास सर्वोच्च प्राधान्य प्रदान करते.

- अ. पोषण व अध्ययन एकमेकांशी घनिष्टपणे संबंधित आहेत. माध्यान्ह भोजन कार्यक्रमाचा विस्तार करण्यात येईल – पूर्वप्राथमिक व प्राथमिक शालेय विद्यार्थ्यांना पोषक नाश्ता व माध्यान्ह भोजन या दोन्ही गोष्टी पुरविण्यात येतील. मुलांना सदैव दर्जेदार अन्न पुरविण्यात यावे याकरिता कार्यक्रमावरील खर्च तत्कालीन अन्नखर्च व महागाई यांच्याशी जोडण्यात येईल.
- आ. इयत्ता पहिली ते पाचवीमध्ये प्रारंभिक भाषा व गणित यांच्याकडे विशेष ध्यान पुरविले जाईल. इयत्ता पहिली ते पाचवीमधील विद्यार्थ्यांना पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान आत्मसात व्हावे यासाठी व त्याचसोबाबत मूल्यमापन व दर्जेदार साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी सशक्त प्रणाली उभी करण्यावर वाढीव लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. राष्ट्रीय शिक्षक पोर्टलवर भाषा व गणित साहित्य यांचा राष्ट्रीय स्तरावरील संग्रह (रिपॉझिटरी) उपलब्ध असेल.
- इ. शिक्षकांना शिकविताना सोयीस्कर व्हावे याकरिता उपयुक्त तांत्रिक साहित्य व साहाय्य पुरविण्याची चाचणी घेण्यात येईल आणि वाचन व संवाद यांची सवय व संस्कृतीची बांधणी करण्याच्या हेतूने सार्वजनिक व शालेय ग्रंथालयांचा विस्तार करण्यात येईल.
- ई. इयत्ता पहिलीमधील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी असलेला 'शालेय पूर्वतयारी अभ्यास' आयोजित करण्यात येईल.
- उ. पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान यावर नव्याने भर देण्याच्या उद्देशाने शिक्षक शिक्षणाची पुनर्रचना करण्यात येईल.
- ऊ. (सहयोगी शिक्षकांसाठी) राष्ट्रीय शिक्षक कार्यक्रम व (समुदायातील आरेखन निर्देशकांसाठी) दोषनिवारक निर्देशन साहाय्य कार्यक्रम (रिमेडिअल इंस्ट्रक्शनल एड्स प्रोग्रॅम) सुरु करण्यात येईल.
- ऋ. प्रत्येक शालेय स्तरावर विद्यार्थी – शिक्षक यांचे गुणोत्तर ३०:१ असे राहील, याची खात्री देण्यात येईल.
- ल. समाजसेवक व समुपदेशक सर्व मुलांचे मानसिक आरोग्य अबाधित राखणे, मुले शाळा सोडून न जाणे, पालकांचा सहभाग व स्थानिक समुदायांची जमवाजमव करण्याची खात्री देतील. तसेच पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान संबंधित धोरणाची उद्दिष्टे पार पाडण्यासाठी स्वयंसेवकांचा उपयोग करण्यात येईल.

३. सर्व स्तरावरील शिक्षणामध्ये सर्वांना वैश्विक प्रवेश व त्यांना शिक्षणप्रवाहात टिकवून ठेवणे

उद्देश: सन २०३० पर्यंत ३-१८ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीच्या दर्जेदार शालेय शिक्षणास प्रवेश मिळून शिक्षणामध्ये त्यांचा सहभाग होणे.

मुलांचा शाळेमध्ये होणारा प्रवेश वाढत असला तरी यथावकाश मुलांची शाळेतून होणारी गळती आपल्याला थांबविता येत नसल्याबाबत हे धोरण चिंता व्यक्त करते.

- अ. सन २०३० पर्यंत विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून शालेयपूर्व काळापासून ते माध्यमिक शिक्षणापर्यंत १००% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो साध्य करावयाचा आहे.
- आ. शाळेतील मुलांच्या भरतीच्या संख्येत वाढ करणे, ज्या ठिकाणी शालेय सेवा आजवर देता आलेली नाही किंवा कमी प्रमाणात उपलब्ध आहे अशा ठिकाणी नवीन सुविधा विकसित करणे, आणि सर्व विद्यार्थ्यांसाठी, विशेषतः मुलींसाठी, संपूर्ण सुरक्षेची हमी देऊन शाळेत ये-जा करण्यासाठी दळणवळण सेवा व वसतिगृहाची सेवा आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करून देणे, अशा उपाययोजनांमधून शालेय प्रवेशाची दरी कमी करण्याचा मानस आहे.
- इ. शाळेत प्रवेश घेतलेल्या मुलांच्या दैनंदिन उपस्थितीचा व अध्ययनाच्या निष्पत्तीचा आढावा घेणे, तसेच शिक्षक, समाजसेवक व स्वयंसेवक यांच्यामार्फत शाळेतून गळती होणाऱ्या व शाळेत न येणाऱ्या मुलांच्या संख्येवर पाळत ठेवणे आणि शाळेबाहेरील पौगंडावस्थेतील मुलांसाठी कार्यक्रम राबवून मुलांचा शालेय शिक्षणातील सहभाग व अध्ययन वाढविले जाईल. औपचारिक व अनौपचारिक शैक्षणिक माध्यमांमधून अध्ययनाचे वेगवेगळे मार्ग उपलब्ध करून दिले जातील आणि सोबतच खुले शालेय शिक्षण (ओपन स्कूलिंग) व दूरवरून शालेय शिक्षण (डिस्टन्स स्कूलिंग) व तंत्रज्ञान मंच वापरण्याची साधने यांचे सबलीकरण करण्यात येईल.
- ई. जर आरोग्यविषयक कारणास्तव विद्यार्थी शाळेत उपस्थित राहू शकत नसतील तर त्यांनी त्वरित शाळेत रुजू होण्यास आवश्यक असलेल्या उपाययोजना करण्यात येतील. त्यामध्ये शाळेत आरोग्यसेवकांची नेमणूक करणे, तसेच याविषयी विद्यार्थी, पालक व व्यापक प्रमाणावर समाजामध्ये जनजागृती करणे आणि त्यांना योग्य आरोग्य सेवांशी संपर्क करून देणे या बाबींचा समावेश होतो.
- उ. शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाच्या अनुपालनाच्या आवश्यक बाबी व अटी शिथिल करण्यात येतील आणि त्याचसोबत (शारीरिक व मानसिक) सुरक्षा, प्रवेश व समावेश, नफाविरहित तत्त्वावर शाळांचे प्रचालन आणि अध्ययनाच्या निष्पत्तीची किमान मानके याबाबत खातरजमा करण्यात येईल. यामुळे स्थानिक पातळीवर गरजेनुसार बदल करून व पर्यायी विकल्प उपलब्ध करून शासकीय व गैरशासकीय संस्थांसाठी शाळा सुरु करणे सुलभ केले जाईल.

ऊ. शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाचा विस्तार करून शालेयपूर्व शिक्षणापासून इयत्ता बारावीपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येईल.

४. शालेय शिक्षणासाठी अभिनव अभ्यासक्रम व अध्यापनशास्त्र रचना

उद्देश: घोषपट्टीद्वारे करण्यात येणारे अध्ययन कमी करून त्याऐवजी सर्वांगीण विकास आणि शोधक विचारक्षमता, सर्जनशीलता, शास्त्रीय मनन, सुसंवाद, परस्परसहकार्य, बहुभाषिकता, समस्या निवारण, नीतीतत्त्वे, सामाजिक बांधिलकी व अंकीय साक्षरता अशा २१ व्या शतकातील अभिनव कौशल्यांवर आधारित अध्ययनाला चालना देण्यासाठी सन २०२२ पर्यंत अभ्यासक्रम व अध्यापनशास्त्र यांमध्ये आमूलाग्र बदल करणे.

सध्याच्या शालेय शिक्षणाचा अभ्यासक्रम व अध्यापनशास्त्र अध्ययनार्थींच्या विकसनाच्या विविध टप्प्यांवर त्यांच्या गरजा व कल यांच्याशी सुसंगत होण्यासाठी अभ्यासक्रमाची व अध्यापनशास्त्राची पुनर्रचना करण्यात येईल.

अ. त्यामुळे सध्याच्या शालेय शिक्षणाचा अभ्यासक्रम व अध्यापनशास्त्र यांची रचना व शालेय शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाचा आराखडा ५+३+३+४ मांडणीनुसार बनविला जाईल:

- पायाभूत स्तर (वय ३-८ वर्षे): शीघ्र बौद्धिक विकास; खेळ व शोधनावर आधारित अध्ययन
- तयारीचा स्तर (वय ८-११ वर्षे): खेळ व शोधन यांच्यावर आधारित बांधणी; रचनात्मक अध्ययनाकडे संक्रमणाची सुरुवात
- मधील स्तर (वय ११-१४ वर्षे): विषयांमधील संकल्पना शिकणे; पौगंडास्थेतील वाटचालीस सुरुवात
- दुसरा स्तर (वय १४-१८ वर्षे): उदरनिर्वाह व उच्च शिक्षण यासाठी तयारी; युवा प्रौढत्वाकडे संक्रमण

आ. दुसऱ्या स्तरामध्ये चार वर्षांचा बहुशाखीय अभ्यासक्रम असेल आणि त्यामध्ये विषयातील खोली, शोधक विचारक्षमता, जीवनातील महत्वाकांक्षांकडे ध्यान देण्याची क्षमता विकसित केली जाईल आणि त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना विषय निवडीस वाव असेल.

इ. सर्वांगीण अध्ययनार्थी विकसित करण्याच्या दृष्टीने शालेय शिक्षणाचे साहित्य व प्रक्रिया यांची पुनर्रचना करण्यात येईल. अभ्यास अधिक खोलवर अभ्यास व्हावा व प्रायोगिक अध्ययन अधिक प्रमाणात व्हावे यासाठी अभ्यासक्रमाचा भार थोडासा कमी करून तो महत्वाच्या संकल्पना व आवश्यक कल्पना यांच्यापुरताच मर्यादित ठेवण्यात येईल.

ई. भाषा, शास्त्रीय मनन, सौंदर्यशास्त्र व कला यांची जाण, सुसंवाद, नैतिक कारणमीमांसा, अंकीय साक्षरता, भारताविषयी ज्ञान, स्थानिक समुदाय, देश व जगाला भेडसावत असलेल्या गंभीर व महत्वाच्या समस्यांचे ज्ञान यांमध्ये प्रभुत्व प्राप्त करण्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल.

उ. अभ्यासक्रम लवचिक असेल ज्यामध्ये अभ्यासक्रमांतर्गत, सहअभ्यासक्रम किंवा अभ्यासक्रमबाह्य असा किंवा कला व विज्ञान असा किंवा 'व्यावसायिक' व 'शैक्षणिक' असा स्पष्ट भेद नसेल. यामुळे विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शालेय स्तरादरम्यान विषय बदलण्याची संधी व पर्याय उपलब्ध असतील.

- ऊ. किमान इयत्ता पाचवीपर्यंत किंवा शक्यतो इयत्ता आठवीपर्यंत शिक्षण स्थानिक भाषेत/मातृभाषेत असेल आणि गरजेनुसार लवचिक भाषा (द्विभाषा) दृष्टिकोन अंमलात आणण्यात येईल.
- क. गरजेनुसार व शक्य असेल तिथे उच्च दर्जाची पाठ्यपुस्तके स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून देण्यात येतील आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक शैक्षणिक साहित्य विकसित करण्यात येईल.
- ख. संपूर्ण देशभरातून त्रिभाषीय सूत्र हिरिरीने राबविण्यात येईल. भाषा शिक्षक विकसित करून त्यांची नेमणूक करण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येतील.
- ग. इयत्ता सहावी ते आठवीदरम्यान सर्व विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्ये व कलाकुसर याविषयी संपूर्ण एका वर्षाचा सर्वेक्षण (सर्व्हे) कोर्स करावा लागेल. यामुळे शालेय शिक्षणादरम्यानच मुलांना व्यावसायिक क्षेत्राचा अनुभव मिळण्यास सुरुवात होईल. इयत्ता नववी ते बारावीमधील मुलांना पारंपरिक शैक्षणिक विषयांसोबतच व्यावसायिक विषयांची निवड करण्याची संधी असेल. त्याबाबत मुलांना दोन्ही प्रकारचे अभ्यासक्रम मिश्र पद्धतीने निवडण्याची मुभा असेल.
- घ. सन २०२० च्या समाप्तीपर्यंत राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याची पुनर्रचना करून त्यामध्ये सुधारणा करून तो सर्व प्रांतीय भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल. नवीन पाठ्यपुस्तके विकसित करण्यात येतील आणि त्यांची उच्च दर्जाची भाषांतरे निर्माण करण्यात येतील.
- च. विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी साहाय्य होईल अशा प्रकारे मूल्यमापनामध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात येतील. (बोर्डाच्या परीक्षांसह) सर्व परीक्षा मुलांच्या मूळ संकल्पना व कौशल्ये आणि त्यासोबत उच्चस्तरीय क्षमता तपासतील. सन २०२५ पर्यंत मध्यस्तरीय व त्यावरील सर्व शालेय शिक्षणाचे मूल्यमापन अनुकूल संगणकीय चाचणी (एंडाष्टिव्ह कम्प्युटराईझ्ड टेस्टिंग) पद्धतीने करण्यात येईल. सन २०२०/२०२१ पासून पुढे वर्षभरात शाळांमधून विविध बुद्धिमापन चाचण्या व निरनिराळ्या विषयांच्या चाचण्या घेण्यात येतील आणि स्वायत्त राष्ट्रीय चाचणी संस्थेकडून या चाचण्यांचे प्रशासन करण्यात येईल.
- छ. विद्यार्थ्यांमधील असामान्य प्राविण्य व स्वारस्य शोधण्यात येतील आणि शाळा ते जिल्हास्तरीय संस्था, निवासी वासंतिक कार्यक्रम, ऑलिंपियाड्स व स्पर्धा यांच्यामार्फत विषयवार व प्रकल्पवार पद्धतीने त्यांचे विकसन करण्यात येईल.

५. शिक्षक – बदलाचे प्रणेते

उद्देश: शालेय शिक्षणातील सर्व स्तरावरील सर्व विद्यार्थ्यांना व्यासंगी, उत्स्फूर्त, उच्चशिक्षित, व्यावसायिकदृष्ट्या प्रशिक्षित आणि सुसज्ज शिक्षकांकडून शिकविले जाईल, याची दक्षता घेणे.

या धोरणानुसार शिक्षक 'समाजातील सर्वात महत्वाच्या व्यक्ती आहेत आणि भविष्यातील अपेक्षित बदलाचे प्रणेते' आहेत. दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी करण्यात येणारे कोणत्याही प्रयत्नाचे यश शिक्षकांच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते.

अ. वंचित, ग्रामीण व आदिवासी भागातील हुशार विद्यार्थ्यांना चार वर्षांचा एकीकृत केलेला बी. एड. अभ्यासक्रम घेता यावा याकरिता त्यांच्यासाठी गुणवत्तेवर आधारित शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येईल. काही बाबतीत, त्यांना त्यांच्या स्थानिक भागात रोजगाराची हमी देण्यात येईल. विशेषतः विद्यार्थिनींवर खास लक्ष केंद्रित करण्यात येईल.

आ. सर्व शाळांमधील शिक्षकांची नियुक्ती 'सर्वसमावेशक शिक्षक आवश्यकता नियोजन' यावर आधारित कडक व नियमबद्ध प्रक्रियेतून केली जाईल. अशा निवडीदरम्यान उमेदवारांमध्ये वैविध्य राखण्यासोबत स्थानिक शिक्षकांना व स्थानिक भाषेवर प्रभुत्व असणाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. यातील पहिली पायरी असेल पुनर्रचना करण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता चाचणीमध्ये (टीचर एलिजिविलिटी टेस्ट) उत्तीर्ण होणे. त्यानंतर मुलाखत घेतली जाऊन सोबतच अध्यापनाचे प्रात्यक्षिकही सादर करावे लागेल. हल्ली अनेक राज्यांमध्ये करण्यात येते त्यानुसार शिक्षकांची नियुक्ती जिल्हास्तरावर करण्यात येऊन त्यांची नेमणूक शालेय संकुलामध्ये करण्यात येईल. अशा शिक्षकांच्या सेवेची कालमर्यादा निश्चित स्वरूपाची असेल आणि तंत्रज्ञानानावर आधारित पारदर्शक प्रणालीनुसार नियमाप्रमाणे त्यांच्या बदल्या करण्यात येतील. ग्रामीण भागात शिकविण्यास प्रोत्साहित करण्याहेतू शिक्षकांना आर्थिक व इतर पद्धतीचे लाभ देण्यात येतील.

इ. सन २०२२ पर्यंत देशभरातून 'शिक्षक सेवक' किंवा 'पॅरा टीचर्स' (अपात्र, कंत्राटी शिक्षक) नियुक्त करण्याची प्रक्रिया बंद करण्यात येईल.

ई. निरंतर शिक्षक व्यावसायिक विकास अतिशय लवचिक व विभागवार रचना केलेल्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल. यामध्ये स्वतःला काय शिकायचे आहे आणि कशा प्रकारे शिकायचे आहे, हे शिक्षक ठरवू व निवडू शकतील. शिक्षकपदी नव्याने काम करावयास सुरुवात केलेल्या उमेदवारांसाठी खास ओळख सत्र (इंडक्शन) आयोजित करण्यात येईल व त्यांच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करण्याच्या प्रक्रिया अस्तित्वात आणल्या जातील. पसंतीनुरूप व्यावसायिक विकास करता यावा व प्रत्येक शिक्षकाच्या व्यावसायिक कारकिर्दीच्या आलेखाचे मूल्यमापन करता यावे यासाठी सर्व राज्यांनी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली अस्तित्वात आणावी. याचा अभ्यासक्रम ठरविण्याची कोणतीही मध्यवर्ती पद्धती नसेल तसेच कॅस्केड मॉडेल पद्धतीचे प्रशिक्षण नसेल आणि

कडक नियमदेखील नसतील. अशा कार्यक्रमांमध्ये प्रशिक्षण देणारे प्रशिक्षक काळजीपूर्वक निवडले जातील, त्यांना प्रभावीपणे प्रशिक्षण दिले जाईल आणि त्यांच्या भूमिकेमध्ये यासाठी कालावधी असेल.

- उ. शिक्षकांच्या कार्याचे सुलभीकरण होण्यास्तव अपेक्षित विद्यार्थी – शिक्षक गुणोत्तरासोबतच पुरेशा पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), सुविधा व अध्ययन साहित्य पुरविले जाईल. सर्व विद्यार्थी योग्य अध्ययन करीत आहेत की नाही याबाबत शिक्षकांना खातरजमा करता यावी म्हणून सर्व स्तरांवर दोषनिवारक कार्यक्रम (रिमेडिअल प्रोग्रॅम्स) निर्माण करण्यात येतील.
- ऊ. शालेय कामकाजाच्या वेळेत शिक्षकांच्या अध्यापनकार्यात कोणत्याही स्वरूपाचा व्यत्यय येता कामा नये. (उदा. माध्यान्ह भोजन बनविणे, शाळेसाठी साहित्य जमविणे, इ.) उलटपक्षी, निष्कारण किंवा रजा मंजूर नसताना शाळेतून अनुपस्थित राहिल्यास शिक्षकांना जबाबदार धरण्यात येईल.
- ऋ. प्रत्येक मुख्याध्यापक आणि/किंवा शाळेचे प्राचार्य सुदृढ शालेय विकास प्रक्रिया व साहाय्यक शालेय संस्कृती निर्माण करण्यास जबाबदार असतील. अशा प्रकारची संस्कृती शाळेमध्ये रुजण्यास साहाय्य व्हावे यास्तव शालेय व्यवस्थापन समितीस समजावून सांगण्यात येईल आणि शालेय शिक्षण संचालनालयातील अधिकारी याबाबत समितीच्या सदस्यांना उपयुक्त माहिती किंवा प्रशिक्षण देतील.
- लृ. सर्व विद्यार्थ्यांचा शिक्षण प्रवाहामध्ये समावेश होण्यास्तव शिक्षकांसाठी व शिक्षकांच्या प्रशिक्षकांसाठी भारतीय भाषांमधील उच्च दर्जाच्या साहित्याची निर्मिती करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल.
- एँ. सर्व विद्यमान शैक्षणिक साहाय्य संस्थांचे सबलीकरण करण्यासाठी काळजीपूर्वक नियोजन करून शैक्षणिक साहाय्य संस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल.
- ऐ. अध्यापनकार्याची किमान विशिष्ट वर्षे पूर्ण केल्यानंतर त्या अनुभवाच्या जोरावर शिक्षक शैक्षणिक प्रशासन किंवा शिक्षकांच्या प्रशिक्षणकार्यात योगदान देऊ शकतील. दूरगामी विचार करता, सर्व शैक्षणिक प्रशासकीय पदे केवळ उत्तम शिक्षक असणाऱ्या व प्रशासनामध्ये रस असणाऱ्या उमेदवारांसाठीच राखीव ठेवण्यात येतील.

६. देशातील प्रत्येक मुलासाठी न्याय्य व सर्वसमावेशक शिक्षण

जन्म व कौटुंबिक पार्श्वभूमी यांच्याशी निगडित परिस्थितीमुळे भारतातील एकही मूल शिकण्याच्या व प्रगतीच्या कोणत्याही संधीला मुक्त नये आणि भारतातील सर्व मुलांना लाभदायक ठरेल अशा प्रकारची शिक्षण प्रणाली घडविणे या धोरणाचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे.

उद्देश: सर्व मुलांना अध्ययनाच्या व उत्कर्षाच्या समान संधी मिळाव्यात आणि सन २०३० पर्यंत सर्व लिंगाच्या व सामाजिक वर्गवारीच्या सहभागामध्ये व अध्ययनाच्या निष्पत्तीमध्ये समानता असावी या उद्देशाने एक सर्वसमावेशक व न्याय्य शिक्षण प्रणाली अस्तित्वात आणणे.

- अ. कमी प्रतिनिधित्व असणाऱ्या गटांमधील किंवा वंचित मुलांच्या बाबतीत प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण, पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान, शालेय उपलब्धता, शालेय प्रवेश व उपस्थिती यांच्याशी निगडित असलेल्या धोरणातील कृतींकडे विशेष लक्ष व साहाय्य पुरविले जाईल.
- आ. देशभरातून वंचित प्रदेशांमध्ये विशेष शिक्षण झोन्स उभारण्यात येतील. स्पष्ट सामाजिक विकास व सामाजिक आर्थिक निदर्शक (इंडिकेटर) यांच्या आधारे राज्यातील अशा प्रकारचे झोन्स घोषित करण्यासाठी राज्य शासनास प्रोत्साहित करण्यात येईल. तसेच राज्य शासनाने खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयास केंद्र शासन २:१ गुणोत्तरानुसार आर्थिक साहाय्य पुरवेल. कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या गटांच्या किंवा वंचित गटांच्या समावेशाबद्दल सदर धोरणामध्ये नमूद केल्यानुसार या झोन्सनी नियोजित पद्धतीने कृती करणे आणि त्याबाबत केंद्र शासन व राज्य शासन यांनी संयुक्तरित्या कसून देखरेख करणे, ही महत्वपूर्ण कल्पना असेल.
- इ. या धोरणातील काही ठळक उपक्रम पुढीलप्रमाणे आहेत: शिक्षकांना वारंवार प्रशिक्षण देऊन त्यांचे ज्ञान व कौशल्य अद्ययावत ठेवणे, शैक्षणिकदृष्ट्या कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या गटांमधील किंवा वंचित गटांमधील शिक्षकांच्या भरतीसाठी पर्यायी मार्ग खुले करणे, ज्या शाळांमध्ये शैक्षणिकदृष्ट्या कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या गटांमधील किंवा वंचित गटांमधील अध्ययनार्थींचे प्रमाण अधिक आहे तिथे विद्यार्थी शिक्षक गुणोत्तर २५:१ पेक्षा अधिक नसेल याची दक्षता घेणे, छळ, धमक्या व लिंग आधारित हिंसा याविषयी उपाययोजना करणारी यंत्रणा स्थापित करून सर्वसमावेशक शालेय वातावरण निर्माण करणे, बहिष्कार टाकण्याच्या कृती बंद पाडणे, सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने अभ्यासक्रमांमध्ये सुधारणा करणे.
- ई. राष्ट्रीय शैक्षणिक माहिती संग्रहामध्ये (नॅशनल रिपॉझिटरी ऑफ एज्युकेशनल डेटा) प्रत्येक विद्यार्थ्याची संपूर्ण व अद्ययावत माहिती जतन करण्यात येईल. केंद्रीय शैक्षणिक सांख्यिकी विभागाकडून (सेंट्रल एज्युकेशनल स्टॅटिस्टिक्स डिव्हिजन) सदर माहितीचे विश्लेषण करण्यात येईल.
- उ. शिष्यवृत्त्या, कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या गटांमधील किंवा वंचित गटांमधील विद्यार्थ्यांसाठी साधने व सुविधा विकसित करणे, सर्वसमावेशनासाठी आणि जिल्हे व संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी विशेष आर्थिक साहाय्य व आधार

देणे अशा विधायक उपक्रमांकरिता खास निर्माण करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय निधीमार्फत वैयक्तिक विद्यार्थ्यांना आर्थिक साहाय्य या धोरणातून देण्यात येत आहे. साहाय्याच्या पर्यायी मार्गांमध्ये राष्ट्रीय अध्यापन कार्यक्रमांमध्ये व दोषनिवारक सूचना साधन कार्यक्रमांमध्ये भरती, माध्यान्ह भोजनासोबत अतिरिक्त नाश्ता आणि विशेष इंटर्नशिप संधी यांचा समावेश होतो. सर्वसमावेशक शिक्षणावरील संशोधनालाही आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल.

- ऊ. शालेय शिक्षक व विद्यार्थिनींमधील लिंग असमानतेवर उपाययोजना करण्यासाठी महिलांचा सहभाग व मुलींना शिक्षण प्रदान करणे, शासनाने आदिवासी, जातीनिहाय व धर्मनिहाय समूहांमधील मुलांसाठी योजिलेले सर्व लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचत असल्याची दक्षता घेण्यासाठी त्यांना शिक्षण प्रदान करणे, शहरी भागातील गरीब कुटुंबांमधील विद्यार्थ्यांना योग्य जीवनमान मिळावे यासाठी त्यांना शिक्षण प्रदान करणे, दिव्यांग तसेच तृतीयपंथी मुलांना शिक्षण प्रदान करणे, यासोबतच परिसरातील शाळांमधील पायाभूत स्तरापासून ते इयत्ता बारावीपर्यंतच्या मुख्य प्रवाहातील मुलांवर निरंतर व आणखी उमेदीने लक्ष केंद्रित करणे, या बाबी सदर धोरणाची ठळक उद्दिष्टे आहेत.

७. शालेय संकुलाच्या माध्यमातून शालेय शिक्षणामध्ये अनुशासन

उद्देश: उपलब्ध साधने एकमेकांसोबत वाटून घेता यावीत व शालेय अनुशासन अधिक स्थानिक, प्रभावी व कार्यक्षम व्हावे या उद्देशाने शाळांना 'शालेय संकुलां'मध्ये गटबद्ध करण्यात आले आहे.

सध्या अनेक शासकीय शाळांना, विशेषतः छोट्या शाळांना, साधनांची टंचाई जाणवत असल्याची समस्या समोर आली आहे. शालेय संकुलांची उभारणी केल्यामुळे हा प्रश्न निकालात निघेल. अनेक शाळांचे भौगोलिक स्थलांतर न करताही त्या एकाच संस्थात्मक व प्रशासकीय छताखाली आणल्या जातील. त्यामुळे मुलांसाठी कोणतीही तडजोड किंवा गैरसोय निर्माण न होता अतिशय प्रभावी व कार्यक्षम प्रशासकीय यंत्रणा अस्तित्वात येईल.

अ. सन २०२३ पर्यंत राज्य शासन लोकसंख्येचे प्रमाण, संधानता (कनेक्टिव्हिटी) व इतर स्थानिक मुद्द्यांचा विचार करून शाळांना विविध शालेय संकुलांमध्ये गटबद्ध करेल. गटबद्ध करण्याच्या या उपक्रमामध्ये विद्यमान शाळांच्या अवस्थांचे पुनर्विलोकन करून ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या अतिशय कमी आहे (उदा. < २० विद्यार्थी) अशा शाळांचे विलीनीकरण करण्यात येईल. मात्र असे करताना मुलांना शाळेमध्ये ये-जा करण्यात कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये म्हणून दळणवळणाची आवश्यक सुविधा पुरविण्यात येईल. या माध्यमातून राज्य शासनाला विद्यमान शाळांच्या अवस्थेची छाननी करण्याचीही संधी मिळेल.

आ. शालेय संकुलांमुळे मुख्य प्रवाहापासून थोड्याशा वेगळ्या पडलेल्या छोट्या शाळांचा अलगपणा नाहीसा होईल आणि शैक्षणिकदृष्ट्या व प्रशासकीयदृष्ट्या एकत्र काम करण्यासाठी व एकमेकांना साहाय्य करण्यासाठी शिक्षकांचा व प्राचार्यांचा एक विशाल समुदाय निर्माण होईल. शासकीय शालेय प्रणालीसाठी शालेय संकुल हे प्राथमिक प्रशासकीय युनिट असेल.

इ. एखादे विशिष्ट शालेय संकुल म्हणजे एकमेकांशी जोडल्या गेलेल्या किंवा एकसंध असलेल्या प्रदेशातील १०-२० शासकीय शाळांचा समूह असेल. त्या ठिकाणी शिक्षणाच्या पायाभूत स्तरापासून ते इयत्ता बारावीपर्यंतचे शिक्षण प्रदान करण्यात येईल. माध्यमिक शाळेचे प्राचार्य या शालेय संकुलाचे प्रमुख असतील.

ई. एखादे विशिष्ट शालेय संकुल म्हणजे एक असे निम-स्वायत्त (सेमी ऑटोनॉमस) युनिट असेल ज्यामध्ये शिक्षणाच्या पायाभूत स्तरापासून ते इयत्ता बारावीपर्यंतचे शिक्षण प्रदान करण्यात येईल. यामध्ये एक माध्यमिक शाळा (सेकंडरी स्कूल) असेल (इयत्ता नववी ते बारावी) आणि त्याच्या आसपास सर्व शासकीय शाळा मूलभूत/प्राथमिक व माध्यमिक शालेय शिक्षण प्रदान करतील.

उ. शाळांना शालेय संकुलांमध्ये गटबद्ध केल्यामुळे विषयांचे शिक्षक, क्रीडा, संगीत व कला शिक्षक, समुपदेशक आणि समाजसेवक यांच्यासह सर्व साधनसुविधा शाळांना एकमेकांसोबत गरजेनुसार वाटून घेणे शक्य होईल. याशिवाय या एकीकरणामुळे प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, आय. सी. टी. उपकरणे, संगीत वाद्ये, क्रीडा उपकरणे व

साहित्य, क्रीडांगणे, इत्यादी भौतिक साधनसामुग्रीही एकमेकांसोबत नियोजनबद्ध पद्धतीने वाटून घेणे शक्य येईल. परिणामी, सार्वजनिक साधनसुविधांचा इष्टतम विनियोग होईल.

- ऊ. प्रारंभिक तीन वर्षांचे पायाभूत शिक्षण देणाऱ्या शाळा, व्यावसायिक शिक्षण व प्रौढ शिक्षण देणाऱ्या संस्था, शिक्षक साहाय्य संस्था व एकमेकांशी भौगोलिकदृष्ट्या जवळ असलेल्या किंवा जोडलेल्या परिसरातील दिव्यांग मुलांना साहाय्य देणे यांच्यासह सर्वांना एकमेकांच्या कामामध्ये साहाय्य करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या **शैक्षणिक सुविधांचा संलग्न संच** तयार करणे, हा शालेय संकुल निर्मितीमागील महत्वपूर्ण उद्देश आहे. जिल्ह्यातील उच्च शिक्षण संस्थाही याबाबत सर्वतोपरी साहाय्य करतील. (उदा. शिक्षक व्यावसायिक विकासास साहाय्य करणे).
- ऋ. प्रत्येक संकुलासाठी सर्वसमावेशक **शिक्षक विकास आराखडा** आखण्यात येईल आणि सहयोगी अध्ययन समुदाय जाणीवपूर्वक विकसित केले जातील व साप्ताहिक बैठका, शिक्षक अध्ययन केंद्रे अशा प्रक्रियांमधून त्याला शाश्वत ठेवण्यात येईल. यासोबत परिसंवाद (सेमिनार्स), वर्गातील देखरेखीतून मार्गदर्शन (इन क्लास मॅन्टॉरिंग), अनुभव भेटी, इत्यादींमधून सातत्याने व्यावसायिक विकास घडवून आणण्यात येईल. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था आणि ब्लॉक व क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स यांच्यासह शैक्षणिक व शिक्षक साहाय्य प्रणालीही शालेय संकुल प्रणालीशी सुसंगत करण्यात येईल.
- लृ. प्रत्येक शालेय संकुलामध्ये एक **शालेय संकुल व्यवस्थापन समिती** असेल ज्यामध्ये संकुलातील सर्व शाळांचे व त्यासोबत प्रौढ शिक्षण केंद्र, गट साधन केंद्र (क्लस्टर रिसोर्स सेंटर) इत्यादींसह संकुलाशी संलग्न असणाऱ्या इतर संस्थांचे प्रतिनिधीही असतील. शाळेच्या वतीने राज्य शासन व तिच्या समित्या यांच्या कामकाजामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार या समितीला असेल. सदर समिती शिक्षकांच्या कामगिरीच्या मूल्यमापनामध्येही मोलाची व मध्यवर्ती भूमिका पार पाडेल.
- एँ. प्रारंभी प्रत्येक शाळा स्वतःचा विकास आराखडा तयार करेल. त्यावरून **शालेय संकुलाचा विकास आराखडा** आखण्यात येईल आणि तत्पश्चात, त्याला शालेय शिक्षण विभागाकडून अनुमोदन देण्यात येईल. शालेय प्रणालीच्या देखरेखीसाठी व त्यांचे कार्य सुरळीत होऊन त्यांच्या सबलीकरणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये **डिस्ट्रिक्ट एज्युकेशन कौन्सिल/ जिल्हा शिक्षण परिषद** स्थापन करण्यात येईल.

८. शालेय शिक्षणाचे विनियमन

उद्देश: शालेय शिक्षणामध्ये सचोटी व पारदर्शकता रहावी, आणि शैक्षणिक निष्पत्तीमध्ये निरंतर सुधारणा व्हावी या हेतूने शिक्षणप्रणालीच्या गुणवत्तेला व अभिनव उपक्रमांना चालना देण्यासाठी प्रभावी विनियमन व प्रमाणन (एँक्रेडीटेशन) यंत्रणा राबवून भारतीय शालेय शिक्षण प्रणालीमध्ये नवचैतन्य आणणे.

विनियमन शैक्षणिक सुधारणेचे साधन बनले पाहिजे आणि त्यामुळे भारतीय शाळेत शिक्षण प्रणालीस उर्जितावस्था आली पाहिजे.

- अ. संघर्ष स्वारस्य टाळता यावे या हेतूने शाळांचे विनियमन व प्रचालन (ऑपरेशन्स) स्वतंत्र समितीकडून करण्यात येईल. धोरणनिश्चिती, विनियमन, प्रचालन व शैक्षणिक बाबींकरिता सुस्पष्ट, स्वतंत्र प्रणाली अस्तित्वात असेल.
- आ. प्रत्येक राज्यासाठी राज्य शालेय नियंत्रण प्राधिकरण (स्टेट स्कूल रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी) नावाची अर्ध न्यायिक अधिकार स्वरूपाची स्वतंत्र राज्यव्यापी नियंत्रण समिती निर्माण करण्यात येईल, तर संपूर्ण राज्यातील शासकीय शालेय प्रणालीचे प्रचालन शालेय शिक्षण संचालनालयाकडून सांभाळले जाईल.
- इ. **सदर विनियमन** शालेय गुणवत्ता मूल्यमापन व मान्यता आराखडा (स्कूल क्वालिटी ऍसेसमेंट अँड एँक्रेडीटेशन फ्रेमवर्क) याला अनुसरून असलेल्या मान्यता प्रणालीवर आधारित असेल. सदर आराखडा केवळ मूलभूत निकषांबाबत उपाययोजना करेल आणि शाळा सुरू करण्याची अनुज्ञप्ती कळवेल. शाळा स्वमान्यता घेतील आणि लेखा परीक्षा करण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात येईल. वरील प्रक्रिया शासकीय व खाजगी अशा दोन्ही स्वरूपाच्या शाळांना लागू राहील.
- ई. विनियमनाची अंमलबजावणी सध्याच्या निरीक्षण दृष्टिकोनातून (इंस्पेक्टोरियल ऍप्रोच) करण्यात येणार नाही. त्याऐवजी शाळांसंबंधित सर्व इत्यंभूत माहिती सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे पालकच वस्तुतः या विनियमनाचे नियंत्रक राहतील.
- उ. राज्यातील शाळांसाठी आवश्यक असलेली मानकांची रचना व अभ्यासक्रम यांच्यासह सर्व शैक्षणिक बाबी 'राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद' यांच्याकडून कार्यान्वित होतील. शालेय स्तरावरील (शाळा सोडोपर्यंत) घेण्यात येणाऱ्या क्षमता परीक्षांच्या प्रमाणपत्रांसाठीच्या बाबी प्रमाणपत्र/परीक्षा मंडळांकडून हाताळल्या जातील आणि ते याकरिता आवश्यक अर्थपूर्ण परीक्षाही घेतील. मात्र, (पाठ्यपुस्तकांसह) अभ्यासक्रम ठरविण्यामध्ये त्यांची कोणतीही भूमिका नसेल.
- ऊ. **खाजगी परोपकारी भावनेतून चालविण्यात येणाऱ्या शाळांच्या** सत्कार्याला प्रोत्साहन देण्यात येईल आणि त्यांच्याबाबत विनियमनाचा भार कमी करण्यात येईल. त्याचबरोबर व्यावसायिक स्वरूपात आर्थिक लाभ मिळविण्याच्या उद्देशाने शाळा चालविणाऱ्या खाजगी शाळाचालकांना मज्जाव करण्यात येईल.

- क्र. शासकीय व खाजगी शाळा यांचे एकसमान निकष, मापदंड व प्रक्रिया यांच्या आधारे विनियमन करण्यात येईल. त्याचसोबत जनहितार्थ खाजगी शाळांना आणि खाजगी परोपकारी उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यात येईल.
- ल. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद प्रत्येक राज्यासाठी शालेय गुणवत्ता मूल्यमापन व मान्यता आराखडा विकसित करेल. राज्य शालेय नियंत्रण प्राधिकरण (स्टेट स्कूल रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी) मान्यतेच्या प्रणालीवर आधारित विनियमन करण्यासाठी वरील आराखड्याचा वापर करेल.
- ऐ. शाळा व शालेय संस्था यांना अभ्यासक्रम निवडण्याची लवचिकता व स्वातंत्र्य असेल. मात्र, निवडण्यात येणारे अभ्यासक्रम राष्ट्रीय/ राज्यस्तरीय अभ्यासक्रम आराखड्याशी सुसंगत असले पाहिजेत.
- ऐ. सर्व समित्या व संस्था वार्षिक तसेच मध्यकालीन (३-५ वर्षे) मुदतीचे आराखडे बनवतील. संबंधित उच्च नियामक मंडळाकडून रीतसर पुनर्विलोकन प्रक्रिया निर्माण करण्यात येईल.
- ए. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडून नमुना तत्वावर विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन स्तराचे 'राष्ट्रीय संपादनूक सर्वेक्षण' (नॅशनल अचिव्हमेंट सर्व्हे) करण्याची प्रक्रिया तशीच चालू राहील. राज्य शासनदेखील जनगणनेवर आधारित 'राज्य संपादनूक सर्वेक्षण' (स्टेट अचिव्हमेंट सर्व्हे) करू शकते.
- ऐ. 'शिक्षणाचा अधिकार' शालेय विनियमन व अनुपालन यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा वैधानिक घटक असल्यामुळे त्याचे पुनर्विलोकन करण्यात येईल आणि सदर धोरण सक्षम करण्यासाठी व तो अधिनियम अस्तित्वात आल्यानंतर त्यापासून मिळालेल्या शिकवणीवर आधारित नियोजित सुधारणा अंमलात आणण्यासाठी अधिनियमामध्ये योग्य सुधारणा करण्यात येतील.

ઉચ્ચ શિક્ષણ

१. नवीन संस्थात्मक पायाभूत सुविधा (आर्किटेक्चर)

उद्देश: उच्च शिक्षण प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल करणे, देशभरात जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्था निर्माण करणे - सन २०३५ पर्यंत ग्राँस एनरोलमेंट रेशो किमान ५०% पर्यंत वाढविणे.

विशाल, सर्वसाधनसमृद्ध, चैतन्यमय बहुविध शाखांनी सुसज्ज संस्थांद्वारे उच्च शिक्षणासाठी नवीन दूरदृष्टी व संरचना (आर्किटेक्चर) परिकल्पित करण्यात आली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेली ८०० विद्यापीठे व ४०,००० महाविद्यालये सुमारे १५,००० उत्कृष्ट संस्थांमध्ये संकलित करण्यात येईल.

अ. नवीन उच्च शिक्षण पायाभूत सुविधा (आर्किटेक्चर) अध्यापन व संशोधनासाठी **विशाल, सर्वसाधनसमृद्ध, चैतन्यमय बहुविध शाखांनी सुसज्ज असलेल्या स्वायत्त संस्थांची** उभारणी करेल. यामुळे उच्च शिक्षण देशात सर्वदूर पोहोचेल व शैक्षणिक संस्थांची क्षमता वाढेल आणि त्याचसोबत सबळ शैक्षणिक समुदायाची निर्मिती होईल. विविध विषय व क्षेत्रांशी निगडित अभ्यासक्रम उपलब्ध असलेल्या या उच्च शिक्षण संस्था बहुविध शाखांनी सुसज्ज असतील.

आ. विशिष्ट उद्देशानुसार निर्माण करण्यात येणाऱ्या उच्च दर्जाच्या **तीन प्रकारच्या संस्था** अस्तित्वात येतील:

- प्रकार १ – यामध्ये जागतिक दर्जाचे संशोधन व सर्व शाखांसाठी उच्च दर्जाचे अध्यापन करण्यात येईल.
- प्रकार २ – यामध्ये सर्व शाखांसाठी उच्च दर्जाचे अध्यापन करण्यासोबत संशोधनामध्ये महत्वपूर्ण योगदान देण्यात येईल.
- प्रकार ३ – यामध्ये सर्व शाखांसाठी उच्च दर्जाचे अध्यापन करताना पदवीपूर्व (अंडरग्रॅज्युएट) शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल.

इ. विद्यमान संस्थांचे एकीकरण व पुनर्रचना करून आणि सोबत काही नवीन संस्था निर्माण करून सदरील पुनर्रचना अतिशय पद्धतशीरपणे व काळजीपूर्वक करण्यात येईल. नवीन संस्थात्मक शिक्षण पायाभूत सुविधेच्या (आर्किटेक्चरच्या) उत्प्रेरणासाठी 'नालंदा अभियान' (मिशन नालंदा) व 'तक्षशिला अभियान' (मिशन तक्षशिला) सुरु करण्यात येतील. या अभियानांचा भाग म्हणून कार्यास गतिशीलता आणणाऱ्या काही संस्था, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स/बहुशाखीय शिक्षण व संशोधन विद्यापीठे यांचीही उभारणी करण्यात येऊ शकते.

ई. सर्व संस्था **विद्यापीठे** असतील किंवा **पदवी प्रदान करणारी स्वायत्त महाविद्यालये** असतील.

उ. सार्वजनिक क्षेत्रातील उच्च शिक्षणाचा विस्तार व पुनरुज्जीवन होण्याच्या दृष्टीने अतिशय रास्त व पारदर्शक प्रणालीद्वारे सार्वजनिक क्षेत्रातून मोठी गुंतवणूक करण्यात येईल.

ऊ. **दुर्लक्षित किंवा वंचित भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये** उच्च दर्जाच्या संस्थांची उभारणी प्राधान्यक्रमी असेल.

ऋ. ही नवीन संस्थात्मक पायाभूत सुविधा (आर्किटेक्चर) व्यावसायिक क्षेत्रांसह सर्व क्षेत्रांना सामावून घेईल.

२. उच्च दर्जाचे उदारमतवादी शिक्षण

उद्देश: उच्च शिक्षणासाठी निवडलेल्या शाखेमध्ये, विषयामध्ये व क्षेत्रामध्ये सखोल विशेष ज्ञान आत्मसात करून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया रचण्याच्या उद्देशाने अधिक कल्पक व विस्तृत स्वरूपाच्या उदारमतवादी शिक्षणाकडे वाटचाल करणे.

सर्व पदवीपूर्व (अंडरग्रॅज्युएट) अभ्यासक्रमांमध्ये उदारमतवादी शिक्षणाचा दृष्टिकोन एक प्रमुख वैशिष्ट्य असेल. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया रचण्याच्या उद्देशाने अधिक कल्पक व लवचिक अभ्यासक्रम, अभ्यासाच्या विविध शाखांचे व विषयांचे कल्पक मिश्रण व एकीकरण केलेल्या कार्यक्रमांमध्ये अनेक आगमन व बहिर्गमन मार्गांचा (एंट्री व एक्झिट पॉईंट्स) समावेश असेल.

अ. घटनात्मक मूल्ये विकसित करण्याच्या हेतूने विस्तृत बहुशाखीय अनुभव व संधी देणारे उदारमतवादी शिक्षण उच्च शिक्षणाचा पाया असेल. यातूनच विद्यार्थ्यांमध्ये महत्वाच्या जीवन क्षमता, विषयांची सखोल जाण व समाजाशी नैतिक बांधिलकीचा भाव विकसित होईल. पदवीपूर्व (अंडरग्रॅज्युएट) स्तरावर पेशाविषयक व व्यावसायिक क्षेत्रांसह सर्व प्रकारच्या शाखांसाठी, कार्यक्रमांसाठी व क्षेत्रांसाठी हाच दृष्टिकोन असेल.

आ. केंद्र शासन 'इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ टेक्नॉलॉजी'च्या (आयआयटी) धर्तीवर दहा 'इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ लिबरल आर्ट्स'/'बहुशाखीय शैक्षणिक व संशोधन विद्यापीठांची उभारणी करेल.

इ. अभ्यासक्रमाच्या कल्पक व लवचिक रचनेमुळे अभ्यासाच्या विविध शाखांचे व विषयांचे कल्पक मिश्रण निर्माण करणे शक्य होईल आणि विद्यार्थ्यांना अनेक उपयुक्त आगमन व बहिर्गमन मार्ग (एंट्री व एक्झिट पॉईंट्स) प्राप्त होतील. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेली एकसुरी, चाकोरीबद्ध अभ्यासक्रमांची पद्धत मोडीत काढता येईल आणि आजीवन शिकण्याच्या शक्यता निर्माण करता येतील. पदवी (मास्टर्स व डॉक्टरेट) स्तरीय शिक्षण सखोल संशोधनावर आधारित विशेषज्ञता (स्पेशलायझेशन) उपलब्ध करून देईल.

ई. पदवीपूर्व (अंडरग्रॅज्युएट) पदवीचा कालावधी ३ ते ४ वर्षांचा असू शकेल. यादरम्यानच्या कालावधीत संस्था विद्यार्थ्यांना योग्य प्रमाणपत्र प्रदान करून अनेक बहिर्गमन मार्ग (एक्झिट पॉईंट्स) व संधी उपलब्ध करून देऊ शकतात. (पेशाविषयक व व्यावसायिक क्षेत्रांसह) कोणत्याही शाखेचा किंवा क्षेत्राचा २ वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर 'प्रगत पदविका' (एडव्हान्स्ड डिप्लोमा) किंवा १ वर्ष अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर प्रमाणपत्र प्रदान करू शकते.

उ. ४ वर्षांचा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना उदारमतवादी शिक्षणाचा चौफेर व सखोल अभ्यास करण्याची सुवर्णसंधी देईल. प्रमुख व दुय्यम विषय निवडीनुसार (मेजर व मायनर) या अभ्यासक्रमाला 'बॅचलर ऑफ लिबरल आर्ट्स' असे संबोधण्यात येईल. ३ वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर 'बॅचलर' पदवी मिळेल. विद्यार्थ्यांनी जर संबंधित विषयामध्ये संशोधन कार्य केले असल्यास त्याला दोन्ही अभ्यासक्रमांमध्ये 'ऑनर्स'सह पदवी मिळू शकते.

- ऊ. काही विशिष्ट व्यावसायिक शाखांमध्ये (उदा. शिक्षक शिक्षण, अभियांत्रिकी, वैद्यकशास्त्र, विधी) पदवीपूर्व (अंडरग्रॅज्युएट) पदवी अभ्यासक्रमामध्ये केवळ ४ वर्षांचा (किंवा त्याहून अधिक कालावधीचा) अभ्यासक्रम उपलब्ध असू शकतो.
- क्र. संस्थांना पदव्युत्तर (मास्टर्स) अभ्यासक्रमाच्या रचनेमध्ये विविध पर्याय प्रदान करण्याची मुभा असेल. उदा. काही बाबतीत २ वर्षांचा अभ्यासक्रम असेल ज्यामध्ये दुसरे वर्ष पूर्णतः संशोधनामध्ये व्यतीत केले जाईल, ज्यांनी ३ वर्षांचा पदविका (अंडरग्रॅज्युएट) अभ्यासक्रम पूर्ण केला असेल, ५ वर्षांचा एकीकरण केलेला पदव्युत्तर (मास्टर्स) अभ्यासक्रम असू शकेल, आणि ४ वर्षांचा पदविका (अंडरग्रॅज्युएट) अभ्यासक्रम 'ऑनर्स'सह पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी केवळ १ वर्षांचाच पदव्युत्तर (मास्टर्स) अभ्यासक्रमही उपलब्ध असेल.
- ल. पीएच. डी. करिता प्रवेश घेण्यासाठी पदव्युत्तर (मास्टर्स) पदवी किंवा ४ वर्षांचा पदविका (अंडरग्रॅज्युएट) अभ्यासक्रम 'ऑनर्स'सह पूर्ण केलेला असणे आवश्यक असेल. एम्. फिल. अभ्यासक्रम बंद करण्यात येईल.

३. अध्ययनास पोषक वातावरण निर्माण करणे

उद्देश: अभ्यासक्रम आनंददायी, सखोल व परस्परसंवादी असेल, अध्यापनशास्त्र विद्यार्थ्यांना विषयाशी बांधून ठेवणारे व प्रभावी असेल आणि विद्यार्थ्यांना अध्ययनक्रियेतून अधिकाधिक निष्पत्ती व्हावी व त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी त्यांची काळजी घेणारे मदतशील वातावरण राहील, याची दक्षता घेणे.

उच्च शिक्षणातील अभ्यासक्रम व अध्यापनशास्त्र पारंपरिक घोकंपट्टीवर आधारित यांत्रिक प्रक्रियेनुसार शिक्षण देणारे नसेल. त्यामुळे तरुण लोकांना लोकशाहीतील जागरूक नागरिक व कोणत्याही क्षेत्रातील यशस्वी व्यावसायिक अशा दुहेरी भूमिकेतून समाजासाठी योगदान देता येईल.

अ. 'राष्ट्रीय उच्च शिक्षण पात्रता आराखडा' ('नॅशनल हायर एज्युकेशन क्वालिफिकेशन्स फ्रेमवर्क') अतिशय चैतन्यमय व सखोल अभ्यासक्रम विकसित करेल. त्यामध्ये विविध क्षेत्रात व विषयात प्रदान करण्यात येणाऱ्या पदवी/पदविका/प्रमाणपत्र यांच्याशी निगडित अध्ययन निष्पत्ती साकारण्यात येईल. शैक्षणिक, व्यावसायिक व पेशाविषयक क्षेत्रांमध्ये समानता व गतिशीलता आणण्यासाठी बरील आराखडा 'राष्ट्रीय कौशल्ये पात्रता आराखडा'शी ('नॅशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन्स फ्रेमवर्क') संलग्न करण्यात येईल.

आ. पसंतीनुरूप क्रेडिट प्रणालीमध्ये (चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टिम) बदल करण्यात येईल आणि त्यामध्ये लवचिकता व नाविन्य यावे यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्यात येईल.

इ. प्रभावी अध्यापनशास्त्रीय पद्धतींमधून उत्तेजनावर्धक अध्ययन अनुभव प्रदान करण्यात येतील; तसेच सर्व विद्यार्थ्यांनादेखील सामाजिक प्रतिबद्धतेच्या अर्थपूर्ण संधी प्रदान करण्यात येतील. विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन केवळ शैक्षणिक निकषांवर न करता त्यांची व्यापक क्षमता व स्वभाव गुणधर्मही पाहिले जातील.

ई. शिक्षणाची फलश्रुती अधिक सरस व्हावी म्हणून विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक, आर्थिक व भावनिक साहाय्य सदैव उपलब्ध राहील.

उ. खुले शिक्षण व दूरस्थ शिक्षणाच्या (डिस्टन्स लर्निंग) कक्षा रुंदावण्यात येतील. ही बाब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो ५०% पर्यंत वाढविण्यामध्ये मोलाची भूमिका बजावेल. ऑनलाईन अंकीय संग्रह (ऑनलाईन डिजिटल रिपॉझिटरी), संशोधनासाठी अर्थसाहाय्य, सुधारित विद्यार्थी सेवा, एमओओसी यांना गुणांकनानुसार देण्यात येणारी मान्यता, इत्यादी उपाययोजना करून अशा प्रकारचे शिक्षण वर्गातर्गत शिकविल्या जाणाऱ्या सर्वोच्च दर्जाच्या शिक्षणपद्धतींच्या बरोबरीचे राहील, याची दक्षता घेण्यात येईल.

ऊ. संस्थात्मक सहकार्य, आणि विद्यार्थी व अध्यापक यांच्यातील गतिशीलता याद्वारे शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण साधण्यात येईल. निवडक भारतीय विद्यापीठांमध्ये आंतरराष्ट्रीय शिक्षणासाठी आंतरविद्यापीठ केंद्राची स्थापना करण्यात येईल.

४. उत्साही, सहभागी होणारे व सक्षम अध्यापक

उद्देश: उच्च सक्षमता व दृढ बांधिलकी असलेले आणि अध्यापन व संशोधनामध्ये सर्वोत्कृष्टता प्राप्त करण्यासाठी उत्साही असलेले सबळ अध्यापक वर्ग निर्माण करणे

उच्च शिक्षण संस्थांच्या यशामधील सर्वात महत्वाचा व निर्णायक पैलू म्हणजे अध्यापकांचा दर्जा व सहभाग. सदर धोरण अध्यापकांना पुन्हा एकदा उच्च शिक्षणाच्या केंद्रस्थानी स्थानापन्न करते.

- अ. प्रत्येक संस्थेकडे पुरेसा अध्यापक वर्ग असेल. त्याद्वारे सर्व कार्यक्रम, अभ्यासक्रम, विषय व क्षेत्र यांच्या गरजा भागविल्या जातील, अपेक्षित विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर (३०:१) राखण्यात येईल आणि अध्यापकवर्गामध्ये वैविध्य राखण्यात येईल.
- आ. आजवर तासिका तत्वावर, अभ्यागत किंवा कंत्राट पद्धतीने करण्यात येणारी अध्यापकांची नियुक्ती ताबडतोब बंद करण्यात येईल.
- इ. अध्यापकांची भरती त्यांचे शैक्षणिक नैपुण्य, अध्यापनाच्या क्षमता व सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये समाजसेवेसाठी असलेला त्यांचा कल यांच्यावर आधारित असेल.
- ई. योग्य पद्धतीने साकारलेली कायमस्वरूपी रोजगार (कालावधी) अनुचिन्हन प्रणाली (पर्मनंट एम्प्लॉयमेंट (टेनॉर) ट्रॅक सिस्टिम) अंमलात आणण्यात येईल. सन २०३० पर्यंत सदर प्रणाली खाजगी संस्थांसह देशातील सर्व संस्थांमध्ये पूर्णतः कार्यान्वित करण्यात येईल.
- उ. अध्यापकांना त्यांच्या कोर्सेससाठी अभ्यासक्रमाचे पर्याय निवडण्यासाठी व शैक्षणिक स्वातंत्र्यानुसार संशोधन करण्यासाठी सक्षम करण्यात येईल.
- ऊ. सर्व संस्था अध्यापकांसाठी निरंतर व्यावसायिक विकास आराखडा विकसित करतील आणि त्या आराखड्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया ठरवतील. सदर आराखड्यामध्ये क्षेत्र/विषय यांमध्ये क्षमता विकास, अध्यापनशास्त्रीय क्षमता, संशोधन व पद्धतींमधील योगदान यांचा समावेश असावा.
- ऋ. अध्यापक भरती व विकास, कारकीर्द श्रेणीबदल, मानधन व्यवस्थापन या बाबी प्रत्येक संस्थेच्या संस्थात्मक विकास आराखड्याचा भाग असतील.

५. सबळ अनुपालन व स्वायत्तता

उद्देश: सक्षम व नैतिक मूल्याधिष्ठित नेतृत्वाने प्रणित स्वतंत्र, स्वयंशासित उच्च शिक्षण संस्था निर्माण करणे

उच्च दर्जाच्या शिक्षणासाठी व संशोधनासाठी पोषक सुसंस्कृत वातावरणामध्ये बौद्धिक क्षोभ होणे आवश्यक असते - हे सुसंस्कृत वातावरण उच्च शिक्षण प्रदान करणाऱ्या संस्थांचे अनुशासन ठरवते.

- अ. उच्च शिक्षण संस्थांचे अनुशासन संपूर्ण शैक्षणिक व प्रशासकीय स्वायत्तता असलेल्या स्वतंत्र मंडळांकडून केले जाईल. सदर मंडळ, तिचे अध्यक्ष व कुलगुरु/संचालक (प्रमुख कार्यकारी अधिकारी) यांची निर्मिती व नियुक्ती अनुशासनामध्ये शासनासह इतर कुणाचाही होऊ शकणारा कोणत्याही प्रकारचा संभाव्य बाह्य हस्तक्षेप टाळण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, आणि त्यामुळे संस्थेशी पराकोटीची वचनबद्धता असलेल्या उच्च क्षमतेच्या लोकांची संस्थेशी असलेली बांधिलकी वृद्धिंगत करेल.
- आ. सर्व उच्च शिक्षण संस्था स्वायत्त स्वयंशासित संस्था असतील आणि 'मान्यता' (एँफिलिएशन) प्रदान करण्याची पद्धत बंद करण्यात येईल. 'मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांना' स्वायत्त पदवी प्रदान करणारी महाविद्यालये या अर्थी विकसित करण्यासाठी आवश्यक साहाय्य केले जाईल आणि 'मान्यताप्राप्त विद्यापीठे' चैतन्यमय बहुशाखीय संस्थांमध्ये विकसित करण्यात येतील.
- इ. विनियमन निकषांनुसार खाजगी व सरकारी संस्थांना एकसमान मानण्यात येईल. शिक्षणाचे व्यापारीकरण थांबविले जाईल आणि परोपकारी वृत्तीने शिक्षणप्रसार करण्यास प्रयत्नशील असणाऱ्या व्यक्तींना व संस्थांना उत्तेजन दिले जाईल.
- ई. शिक्षण प्रणाली - तिची संस्कृती, रचना व यंत्रणा - यांमध्ये स्वायत्तता खोलवर रुजविली जाईल. अध्यापकांना अध्यापनशास्त्राचा दृष्टिकोन, विद्यार्थी मूल्यमापन व संशोधन यांच्यासह इतर शैक्षणिक बाबींमध्ये स्वातंत्र्य दिले जाईल व अभ्यासक्रमाबाबत सबलीकरण केले जाईल. संस्थांना शैक्षणिक व प्रशासकीय स्वायत्तता असेल. यामध्ये नवीन कार्यक्रम, उपक्रम सुरू करणे व राबविणे, अभ्यासक्रम ठरविणे, विद्यार्थी प्रवेश संख्या ठरविणे, साधनांच्या गरजा ठरविणे, आणि अनुशासन व व्यक्ती व्यवस्थापन प्रणालीसह स्वतःच्या अंतर्गत प्रणाली विकसित करण्याचा समावेश असेल. उच्च शिक्षण संस्था खऱ्या अर्थी स्वायत्त, स्वतंत्र व स्वयंशासित संस्थांमध्ये विकसित करण्यात येतील.

६. विनियमनाच्या प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल

उद्देश: उच्च शिक्षणामध्ये सर्वोत्तम कामगिरी व सामुदायिक उत्साहवर्धन होण्यास चालना मिळावी या उद्देशाने प्रभावी, सक्षम बनविणारे व परस्परसंवादी विनियमन अस्तित्वात आणणे

- अ. प्रमाणन, अर्थसहाय्य, मान्यताप्राप्ती व विनियमन ही कार्ये वेगवेगळी करण्यात येतील आणि सदर कार्ये स्वतंत्र मंडळांकडून करण्यात येतील. यामुळे सत्तेचे केंद्रीकरण व स्वारस्यसंघर्ष टाळता येईल.
- आ. व्यावसायिक शिक्षणासह सर्व प्रकारच्या उच्च शिक्षणासाठी केवळ राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियंत्रण प्राधिकरण (नॅशनल हायर एज्युकेशन रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी) ही एकच नियंत्रण यंत्रणा असेल. सर्व विद्यमान नियंत्रण मंडळांचे रूपांतर व्यावसायिक प्रमाणन मंडळांमध्ये (प्रोफेशनल स्टॅंडर्ड सेटिंग बॉडीज) करण्यात येईल.
- इ. सध्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (युनिव्हर्सिटी ग्रॅन्ट कमिशन) रूपांतर उच्च शिक्षण अनुदान परिषदेमध्ये (हायर एज्युकेशन ग्रॅन्ट कौन्सिल) करण्यात येईल.
- ई. 'सामान्य शिक्षण परिषदे'ची स्थापना करण्यात येईल आणि उच्च शिक्षणाचे 'पदवी गुणधर्म' म्हणजेच 'अपेक्षित अध्ययन निष्पत्ती' परिभाषित करण्यासाठी या परिषदेकडून 'राष्ट्रीय उच्च शिक्षण पात्रता आराखडा' (नॅशनल हायर एज्युकेशन क्वालिफिकेशन्स फ्रेमवर्क) विकसित करण्यात येईल.
- उ. मूलभूत निकषांवर आधारित मान्यता विनियमनासाठी आधारभूत असेल. 'राष्ट्रीय मूल्यमापन व मान्यता परिषद' (नॅशनल ऍसेसमेंट अँड ऍक्रेडिटेशन कौन्सिल) मान्यता प्रदान करणाऱ्या संस्थांची संपूर्ण साखळी विकसित करेल व पूर्ण प्रक्रियेची देखरेख करेल.
- ऊ. शासकीय व खाजगी उच्च शिक्षण संस्थांसाठी एकच सामायिक नियंत्रण पद्धती असेल. खाजगी क्षेत्रातून परोपकारी वृत्तीने पुढाकार घेणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहित केले जाईल.
- क. नियंत्रण प्रणालीमध्ये राज्य शासनातील उच्च शिक्षण विभागाचा धोरणस्तरावर समावेश असेल. राज्य उच्च शिक्षण परिषद सदर नियंत्रण प्रणालीला आवश्यक साहाय्य पुरवेल व स्वतःकडील सर्वोत्तम कार्यपद्धतींची देवाणघेवाण करेल.

शिक्षक शिक्षण

१. शिक्षकांची कसून पूर्वतयारी

उद्देश: शिक्षक शिक्षण प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल करून बहुशाखीय महाविद्यालयांमध्ये व विद्यापीठांमध्ये शिक्षक शिक्षण प्रणाली राबवून आणि सर्व शालेय शिक्षकांसाठी चार वर्षांचा एकीकृत केलेला बॅचलर पदवी अभ्यासक्रम अस्तित्वात आणून शिक्षकांना साहित्य, अध्यापनशास्त्र व सराव यांमध्ये सर्वोच्च दर्जाचे प्रशिक्षण दिले जात असल्याची दक्षता घेणे.

अध्यापन हा नैतिकदृष्ट्या व बौद्धिकदृष्ट्या अतिशय आव्हानात्मक व्यवसाय आहे. नवीन शिक्षकांना प्रचंड मेहनत घेऊन कसून पूर्वतयारी करावी लागते आणि शिक्षकी पेशामध्ये असलेल्या व्यक्तींना निरंतर व्यावसायिक विकास आणि शैक्षणिक व व्यावसायिक साहाय्य गरजेचे असते.

अ. शिक्षकांच्या तयारीसाठी ४ वर्षांचा एकीकृत केलेला बॅचलर ऑफ एज्युकेशन कार्यक्रम बहुशाखीय संस्थांमध्ये पदवीपूर्व अभ्यासक्रमाद्वारे प्रदान करण्यात येईल. सदर अभ्यासक्रमामध्ये शैक्षणिक विषय व शिक्षक तयारी अभ्यास या दोहोंचा समावेश असेल. स्तरनिहाय व विषयनिहाय असलेला हा अभ्यासक्रम शालेयपूर्व (प्री-स्कूल) पासून माध्यमिक स्तर (इयत्ता बारावी) या इयत्तांसाठी आवश्यक असलेल्या कला व क्रीडा यांच्यासह सर्व विषयांसाठी शिक्षकांची पूर्वतयारी करून घेईल. व्यावसायिक शिक्षण किंवा विशेष शिक्षण यांचाही या अभ्यासक्रमात समावेश असेल.

आ. ४ वर्षांचा बी. एड. अभ्यासक्रम इतर पदवीपूर्व पदवीसमान असेल आणि ४ वर्षांचा बी. एड. अभ्यासक्रम पूर्ण करणारे विद्यार्थी पदव्युत्तर (मास्टर्स पदवी) अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यास पात्र राहतील.

इ. सध्याचा २ वर्षांचा बी. एड. अभ्यासक्रम सन २०३० पर्यंत कायम राहील. सन २०३० नंतर केवळ ४ वर्षांचा बी. एड. अभ्यासक्रम प्रदान करणाऱ्या संस्थांनाच २ वर्षांचा अभ्यासक्रम प्रदान करता येईल. कोणतीही एखादी पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना सदर अभ्यासक्रम प्रदान करण्यात येतील.

ई. सन २०३० नंतर इतर कोणत्याही प्रकारचे पूर्व-सेवा शिक्षक तयारी अभ्यासक्रम प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

उ. शिक्षक शिक्षण केवळ **बहुशाखीय संस्थांमध्येच** प्रदान करण्यात येईल. शैक्षणिक दृष्टिकोन, विषय व अध्यापनशास्त्र यांच्या सखोल सैद्धांतिक आकलनासाठी, तसेच सैद्धांतिक ज्ञान व प्रात्यक्षिक ज्ञान यांच्यातील परस्परमेळ दृढ होण्यासाठी विविध विषयांमधील उत्तम प्रतीच्या पूर्व-सेवा शिक्षक तयारीला नैपुण्याची गरज असते. याकरिता शिक्षणाच्या मुख्य क्षेत्रांमध्ये व इतर सर्व शैक्षणिक विषयांमध्ये विविध तऱ्हेचे विशेषज्ञ उपलब्ध असणे व एकमेकांशी जोडलेल्या शाळा उपलब्ध असणे, ही काळाची गरज आहे.

ऊ. दुय्यम दर्जाच्या, कार्यरत नसलेल्या व मोडकळीस आलेल्या शिक्षक शिक्षण संस्था बंद करण्यात येतील.

व्यावसायिक शिक्षण

१. व्यावसायिक शिक्षणाला उच्च शिक्षणामध्ये पुनःएकीकरण करणे आणि व्यावसायिक शिक्षणाचे पुनरुत्थान करणे

उद्देश: सर्वोच्च दर्जाच्या व्यावसायिक क्षमता निर्माण करतानाच विस्तृत स्वरूपाच्या योग्यता व २१व्या शतकातील कौशल्ये, सामाजिक-मानवी आशयाची जाण आणि प्रबळ नैतिक विचारसरणी अस्तित्वात आणण्याच्या उद्देशाने व्यावसायिकांच्या तयारीसाठी सर्वांगीण दृष्टीकोनाची मुहूर्तमेढ रोवणे

व्यावसायिकांच्या पूर्वतयारीमध्ये नैतिकता व सार्वजनिक क्षेत्राचे महत्त्व यांचे शिक्षण, अभ्यासाच्या विषयाचे व संबंधित शाखेचे शिक्षण, आणि प्रक्रिया पद्धतींच्या सरावाचे शिक्षण अंतर्भूत असणे आवश्यक आहे – हे घडण्यासाठी व्यावसायिक शिक्षण केवळ ठराविक बाबतीत आत्मसात केलेल्या विशेष ज्ञानापुरते घडून उपयोगी नाही.

अ. व्यावसायिक शिक्षण एकंदर उच्च शिक्षण प्रणालीचा अविभाज्य भाग असेल. येथून पुढे स्वतंत्र/एकएकटी तांत्रिक विद्यापीठे, आरोग्यशास्त्र/वैद्यकीय विद्यापीठे, विधी व कृषी विद्यापीठे, किंवा या आणि अशा इतर क्षेत्रातील संस्थांची उभारणी बंद करण्यात येईल. या धोरणानुसार व्यावसायिक किंवा सामान्य शिक्षण प्रदान करणाऱ्या सर्व संस्था सन २०३० पर्यंत दोन्ही प्रकारचे शिक्षण सहजगत्या प्रदान करण्याइतपत प्रगत व प्रगल्भ होणे आवश्यक आहे.

आ. कृषी शिक्षणाचे त्याच्या संलग्न शाखांसोबत पुनरुज्जीवन करण्यात येईल. जरी देशातील एकूण विद्यापीठांपैकी अंदाजे ९% विद्यापीठे ही कृषी विद्यापीठे असली तरी उच्च शिक्षणाचा विचार करता कृषी व संलग्न शाखांमध्ये १% हून कमी प्रवेश घेतले जातात. अधिक कुशल पदवीधर व तंत्रज्ञ, नाविन्यपूर्ण संशोधन आणि तंत्रज्ञान व चांगल्या पद्धती यांच्याशी जोडलेला बाजारपेठ आधारित विस्तार या सर्व घटकांच्या आधारे कृषी उत्पादन वाढविण्याकरिता कृषी व संलग्न शाखांची क्षमता व दर्जा सुधारणे अत्यावश्यक आहे. सामान्य शिक्षणाशी एकत्रित केलेल्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून कृषी व पशुवैद्यकशास्त्र या क्षेत्रांमध्ये व्यावसायिक निर्मितीची क्षमता वाढविण्याची गती लक्षणीयदृष्ट्या वाढविण्यात येईल. स्थानिक ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान व उदयोन्मुख तंत्रज्ञान यांचे आकलन करून त्यांचा यथोचित वापर करू शकणारे आणि त्याचसोबत जमिनीचे घटते उत्पादन, वातावरणातील बदल, आपल्या वाढत्या लोकसंख्येला पर्याप्त अन्नसाठा, इत्यादी गंभीर समस्यांची सखोल जाण असणारे व्यावसायिक विकसित करण्यासाठी कृषी शिक्षणाची रचना बदलण्यात येईल. कृषी शिक्षण प्रदान करणाऱ्या संस्थांचा तेथील स्थानिक समुदायांना थेट लाभ झाला पाहिजे. तंत्रज्ञानाची मुहूर्तमेढ रोवणे व त्याचा प्रसार करणे या आवश्यक बाबींना चालना देण्यासाठी कृषी तंत्रज्ञान पार्क्सची उभारणी करणे, हा एक दृष्टिकोन असू शकतो.

इ. विधी शिक्षणाच्या कार्यक्रमाची पुनर्रचना करण्यात येईल. न्यायाची कवाडे सर्वसामान्यांना सहजगत्या उघडी असावीत व न्यायनिवाडा दीर्घकाळ रखडत न राहता वेळेवर न्याय मिळावा याकरिता विधीक्षेत्रातील

व्यावसायिक शिक्षण जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक, आणि सर्वोत्तम कार्यपद्धती व नवनवीन तंत्रज्ञान स्वीकारणारे असले पाहिजे. त्यासोबतच सदरचे विधी शिक्षण न्यायाच्या संवैधानिक मूल्यांना – सामाजिक, आर्थिक व राजकीय मूल्यांना – जाणणारे व त्यातून उजळून निघालेले असले पाहिजे. तसेच लोकशाही, न्यायविषयक कायदे व मानवी हक्क यांच्या उपयुक्ततेतून व अंमलबजावणीतून राष्ट्रीय पुनर्रचना करण्याच्या दृष्टीने संयुक्तिक असले पाहिजे. **विधिशास्त्राच्या अभ्यासक्रमामध्ये** कायदेशीर विचारसरणी, न्याय तत्त्वे, न्यायशास्त्राचे अनुसरण व इतर संबंधित साहित्यसामग्री पुराव्यानुसार मांडताना तत्कालीन सामाजिक – सांस्कृतिक आशयदेखील योग्यपणे व पुरेशा प्रमाणात प्रतीत झाला पाहिजे.

राज्यात विधी शिक्षण प्रदान करणाऱ्या राज्यातील सर्व संस्थांनी भविष्यातील वकिलांना व न्यायाधीशांना विधी शिक्षण **द्विभाषीय शिक्षणपद्धतीनुसार** प्रदान करण्याचा गांभीर्याने विचार करावा. या दोन भाषांमध्ये इंग्रजीसोबत तो अभ्यासक्रम ज्या राज्यात स्थित असेल तेथील राज्यभाषेचा समावेश व्हावा. यामुळे भाषांतराच्या गरजेपोटी न्यायदानामध्ये होणारा विलंब कमी करता येऊ शकतो.

- ई. **आरोग्य सेवा शिक्षणामध्ये** महत्वपूर्ण बदल करण्यात येतील. या क्षेत्राशी निगडित व्यक्ती जी भूमिका पार पाडतात त्यानुसार आरोग्य सेवा अभ्यासक्रमाचा कालावधी, रचना व आखणी करण्यात येईल. उदाहरणार्थ, प्रत्येक आरोग्य सेवा प्रक्रियांमध्ये/कार्यामध्ये (उदा. ईसीजी काढणे किंवा वाचणे) पात्रता पूर्ण केलेला डॉक्टर गरजेचा नसतो. सर्व **एमबीबीएस पदवीधरांकडे** पुढील बाबी असल्याच पाहिजेत: १) वैद्यकीय कौशल्ये २) रोगाचे निदान करण्याची कौशल्ये ३) शल्यचिकित्साविषयक कौशल्ये व ४) आपत्कालीन कौशल्ये. प्रामुख्याने प्राथमिक निगा देणे व दुय्यम इस्पितळांमध्ये कार्यरत राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्यांसाठी ठराविक अंतराने काळजीपूर्वक ठरविलेल्या निकषांच्या आधारे विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन केले जाईल. **एमबीबीएसचे पहिले व दुसरे वर्ष विज्ञान शाखेच्या सर्व पदवीधरांसाठी सामायिक कालावधी** असेल. त्यानंतर विद्यार्थी त्यांच्या आवडीनुसार एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग किंवा इतर कोणताही विशेष विषय निवडू शकतात. इतर वैद्यकीय शाखेच्या, उदा. नर्सिंग, बीडीएस, इ. पदवीधरांनाही एमबीबीएस अभ्यासक्रमाला समांतर प्रवेश (लॅटरल एंट्री) घेण्यास परवानगी असेल. वैद्यकीय शिक्षण पात्रता आराखडा (मेडिकल एज्युकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क) याबाबत आवश्यक कार्यवाही करेल. **नर्सिंग शिक्षणाचा दर्जा** उंचावण्यात येईल, नर्सिंग व इतर उपशाखांसाठी एक राष्ट्रीय मान्यता समितीची (नॅशनल ऍक्रेडिटेशन बॉडी) स्थापण्यात येईल. आपल्या देशातील लोक आजारपणात साधारणतः **विविध प्रकारच्या वैद्यकीय उपचारपद्धतींचा आधार** घेतात. त्यामुळे आपली वैद्यकीय शैक्षणिक पद्धती अशा विविध शाखांचे एकीकरण करणारी असावयास हवी. म्हणजेच ऍलोपथी वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना आयुर्वेद, योग, निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध व होमिओपॅथी (आयुष) अशा इतर वैद्यकीय शाखांचे मूलभूत ज्ञान आत्मसात असले पाहिजे. हीच बाब वर नमूद केलेल्या इतर वैद्यकीय शाखांच्या विद्यार्थ्यांनाही लागू असेल. तसेच सर्व प्रकारच्या आरोग्य सेवा शिक्षणामध्ये **प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा व सामुदायिक औषधे** यांच्यावरही खास भर दिला पाहिजे.

उ. तांत्रिक शिक्षणापुढे विशिष्ट आव्हाने आहेत कारण या शाखा पूर्णतः ज्ञानाधिष्ठित नाहीत आणि संपूर्णपणे कौशल्याधिष्ठितही नाहीत. तसेच जसजसा तंत्रज्ञानाचा मानवजातीवरील प्रभाव वाढत जाईल तसतसा तांत्रिक शिक्षण व इतर शाखा यांच्यातील एकएकटे काम करण्याची शैलीही लोप पावत जाईल. भविष्यात कैक दशकांसाठी सर्व क्षेत्रांमध्ये उच्चविभूषित लोकांची प्रचंड मागणी राहीलच. पण त्याचसोबत नवकल्पना व संशोधन यांच्या चालना मिळण्यासाठी उद्योगजगत व शैक्षणिक संस्था यांच्यामध्ये अधिक दृढ परस्परसहकार्य असण्याची गरज भासेल. सध्याच्या व भविष्यात उपयुक्त ठरतील अशा दोन्ही पद्धतींसाठी सुसज्ज असलेले आणि उदयोन्मुख विज्ञान व तंत्रज्ञान यांचा पुरेपूर विनियोग करणारे व त्याचसोबत बदलत्या सामाजिक - आर्थिक व पर्यावरणीय आशयानुसार आपल्या कृतीतून प्रतिसाद देऊ शकणारे व्यावसायिक तयार करण्यासाठी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान या **कार्यक्रमांमध्ये सुधारणा** करण्यात येतील. विविध, बहुतांश वेळा अनोळखी बाबतीत आपले ज्ञान व कौशल्ये वापरण्याची आणि व्यावसायिक विचारसरणी व नीतीतत्त्वे आत्मसात करण्याची क्षमता विद्यार्थ्यांमध्ये विकसित व्हावी याकरिता **अभ्यासक्रमाचे पुनरुज्जीवन** करण्यात येईल. **नवीन व उदयोन्मुख अभ्यासशाखांच्या**, उदा. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, बिग डेटा ऍनॅलिसिस, इत्यादींच्या समावेशाबद्दल **व्युहरचनात्मक भर** देण्यात येईल.

संस्थांना प्रदान करण्यात येणारी मान्यता व मानांकन यांमुळे उद्योगजगत व अध्यापकवर्ग यांच्यातील परस्परसहकार्य वाढण्यास **प्रोत्साहन** मिळेल आणि विद्यार्थ्यांच्या औद्योगिक अनुभवात भर पडून नवनवीन इंटरनशिप संधी निर्माण होण्याचे प्रमाण वाढेल.

राष्ट्रीय संशोधन फाऊंडेशन

१. दर्जेदार शैक्षणिक संशोधनाचा यथार्थ विनियोग करणे

उद्देश: विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये संशोधनाचे बीजारोपण होऊन त्याची वृद्धी व्हावी या हेतूने देशभरातील सर्व शैक्षणिक शाखांमध्ये संशोधन व नवकल्पना याबाबत चालना देणे – स्पर्धात्मक सहयोग-पुनर्विलोकनाद्वारे (पियर रिव्ह्यू) करण्यात येणारा अर्थपुरवठा, मार्गदर्शन (मेंटॉरिंग) व सुलभीकरण यांमधून संशोधनासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे.

विशाल व चैतन्यमय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमध्ये व ती टिकविण्यामध्ये, समाजाचा दर्जा उंचाविण्यामध्ये आणि राष्ट्राला अत्युच्च कामगिरी करण्यास प्रेरित करण्यामध्ये संशोधन व नवकल्पना अतिशय मध्यवर्ती भूमिका बजावतात. वातावरण, तंत्रज्ञान, लोकसंख्येचे चलन (पॉप्युलेशन डायनॅमिक्स) आणि अशा गोष्टींमध्ये जगभर झपाट्याने होत असलेल्या बदलांमुळे कणखर व सशक्त संशोधन प्रणाली अस्तित्वात असणे अतिशय महत्वाचे झाले आहे.

अ. संसदेमध्ये कायदा संमत करून भारत सरकारची एक स्वायत्त संस्था या अर्थी नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनची स्थापना करण्यात येईल. त्यास रु. २०,००० कोटी (~ जीडीपीच्या ०.१%) इतके वार्षिक अनुदान देण्यात येईल. पुढील दशकामध्ये दर्जेदार संशोधनासाठी असलेली देशाची क्षमता जसजशी विकसित होत जाईल, तसतसे हे अनुदानही टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात येईल.

आ. या फाऊंडेशनच्या प्राथमिक आवाक्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश असेल:

- शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये सर्व शाखांमध्ये होत असलेल्या संशोधनास स्पर्धात्मक, सहयोग-पुनर्विलोकन (पियर रिव्ह्यू) पद्धतीद्वारे अर्थपुरवठा करणे
- देशभर शैक्षणिक संस्थांमध्ये संशोधन क्षमतेची बांधणी करणे
- संशोधक, शासन व उद्योगजगत यांदरम्यान लाभदायी नातेसंबंध निर्माण करणे की जेणेकरून निकडीच्या राष्ट्रीय समस्यांबाबत प्राधान्याने संशोधन होईल आणि संशोधनातून निष्पन्न झालेल्या अभिनव उपाययोजना सर्वसामान्य जनतेच्या लाभार्थी राबवून त्यांच्या समस्यांचे निवारण करणे
- विशेष पुरस्कार व परिसंवाद (सेमिनार्स) यांच्याद्वारे उत्कृष्ट संशोधनाचा सन्मान करणे

इ. या फाऊंडेशनमध्ये प्रारंभी चार प्रमुख विभाग असतील – विज्ञान, तंत्रज्ञान, समाजशास्त्रे आणि कला व मानव विज्ञान.

लक्ष केंद्रित करावयाच्या अतिरिक्त महत्वाच्या बाबी

१. शैक्षणिक तंत्रज्ञान

उद्देश: शिक्षकांची अध्यापनाबाबतची पूर्वतयारी व विकास यांच्या साहाय्यार्थ; अध्यापन, अध्ययन व मूल्यमापन पद्धती सुधारणे; वंचित गटांना मिळणारी शिक्षणाची सुविधा वृद्धिंगत करणे; आणि शैक्षणिक नियोजन, प्रशासन व व्यवस्थापन यांच्यात सुसूत्रता आणणे अशा बाबींकरिता शिक्षणाच्या सर्व स्तरांमध्ये तंत्रज्ञानाचा समावेश करणे

१) अध्यापन, अध्ययन व मूल्यमापन पद्धती सुधारणे; २) शिक्षकांची अध्यापनाबाबतच्या पूर्वतयारीस व त्यांच्या निरंतर व्यावसायिक विकासास साहाय्य करणे; ३) वंचित गटांना मिळणारी शिक्षणाची सुविधा वृद्धिंगत करणे; आणि शैक्षणिक नियोजन, प्रशासन व व्यवस्थापन यांच्यामध्ये सुसूत्रता आणणे अशा बाबींकरिता शिक्षणाच्या सर्व स्तरांमध्ये तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात येत असल्याबाबतची दक्षता घेणे, हे सदर धोरणाचे उद्दिष्ट राहील.

अ. तंत्रज्ञानाचे प्रेरण (इंडक्शन) म्हणजेच (प्रथमतः उपयोगात आणणे), उपयोजन (डिप्लॉयमेंट) व वापर करण्याबाबत निर्णयप्रक्रियेत सुलभता यावी, या उद्देशाने **राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच (नॅशनल एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी फोरम)** नावाच्या स्वायत्त संस्थेची स्थापना करण्यात येईल. यासाठी शैक्षणिक संस्था, राज्य शासन व केंद्र शासन यांचे नेतृत्व आणि इतर भागधारक (स्टेकहोल्डर्स) यांना अद्ययावत ज्ञान व संशोधन पुरवून त्यासोबत एकमेकांकडे असलेल्या सर्वोत्तम कार्यपद्धतींविषयी एकमेकांशी सल्लामसलत व देवाणघेवाण करण्याची संधी देण्यात येईल.

आ. अंकीय संग्रह (डिजिटल रिपॉझिटरी), तंत्रज्ञानाच्या विनियोगाबाबत शिक्षकांची तयारी, योग्यताप्राप्त साहाय्य व संशोधन यांच्याद्वारे तंत्रज्ञानाचा शैक्षणिक प्रक्रियांमध्ये (उदा. अध्यापनशास्त्रामध्ये साधन या अर्थी भाषांतराचे साहाय्य, निरंतर व्यावसायिक विकास घडविणे व ऑनलाईन कोर्सेस, इत्यादी पुरविणे) समावेश करण्यात येईल. संशोधनकार्यासाठी व तंत्रज्ञानाच्या विनियोगास समुचित साहाय्य व्हावे याकरिता शैक्षणिक तंत्रज्ञानामध्ये उत्कृष्टता केंद्रांची (सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स) स्थापना करण्यात येईल.

इ. शैक्षणिक माहितीच्या राष्ट्रीय संग्रहामध्ये (नॅशनल रिपॉझिटरी ऑफ एज्युकेशनल डेटा) अंकीय स्वरूपात संस्था, शिक्षक व विद्यार्थ्यांची सर्व इत्यंभूत माहिती जतन करण्यात येईल.

२. व्यावसायिक शिक्षण

उद्देश: शाळा, महाविद्यालये व विद्यापीठे अशा सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश करणे. सन २०२५ पर्यंत सर्व शिकाऊ विद्यार्थ्यांपैकी किमान ५०% विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणाचा लाभ देणे.

सदरचे धोरण भारतातील वैविध्यपूर्ण कुशल लोकसंख्येच्या पूर्ण क्षमतेनुसार त्यांची प्रगती करण्याहेतू सन २०२५ पर्यंत शालेय व उच्च शिक्षण प्रणालीमधून किमान ५०% विद्यार्थ्यांचा कौशल्यविकास करण्याचे ध्येय प्रतीत करते.

अ. पुढील दशकभरात व्यावसायिक शिक्षण सर्व शिक्षण संस्थांमध्ये टप्प्याटप्प्याने समाविष्ट करण्यात येईल. कौशल्य त्रुटी विश्लेषण (स्किल गॅप ऍनॅलिसिस) व स्थानिक संधींचे मॅपिंग यांनुसार कार्यक्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात येईल. तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण उदारमतवादी शिक्षणाच्या व्यापक दृष्टिकोनाचा भाग असेल. व्यावसायिक शिक्षणाच्या एकीकरणासाठी असलेली राष्ट्रीय समिती या प्रयत्नावर देखरेख ठेवेल.

आ. सदर बदल शैक्षणिक संस्था, तांत्रिक संस्था व उद्योगजगत यांच्यातील परस्परसहकार्यातून सुलभरित्या करण्यात येईल. एकीकरणासाठी एका स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात येईल.

इ. प्रत्येक शैक्षणिक शाखा/व्यावसायिक शाखा/पेशाकरिता 'राष्ट्रीय कौशल्ये पात्रता आराखडा' ('नॅशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन्स फ्रेमवर्क') अधिक सविस्तरपणे विस्तृत करण्यात येईल. तसेच आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन) अधिपत्याखाली असलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण मानकानुसार भारतीय मानके सुसंगत केली जातील. सदर आराखड्याच्या आधारावर पूर्वी प्राप्त केलेल्या अध्ययनास अधिकृत मान्यता देण्यात येईल. याद्वारे औपचारिक शिक्षण प्रणालीतून मध्येच बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रात्यक्षिक अनुभवाच्या आधारे आराखड्याच्या संबंधित स्तरामध्ये पुढील शिक्षणासाठी पुनःप्रवेश देण्यात येईल. सदर आराखड्यामुळे सामान्य शिक्षण व व्यावसायिक शिक्षण यांदरम्यान गतिशीलता आणणे सुलभ होईल.

ई. सन २०३०-३५ पर्यंत पदवीपूर्व स्तरामधील व्यावसायिक शिक्षण एकूण विद्यार्थीप्रवेशाच्या ५०% पर्यंत वाढविण्यात येईल. उच्च शिक्षण संस्था स्वतंत्रपणे किंवा उद्योगजगताच्या सहयोगाने विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करू शकतात.

उ. उच्च शिक्षण संस्था व्यावसायिक शिक्षणाच्या मॉडेल्समध्ये आणि ऍप्रेंटिसशिपच्या रचनेमध्ये गरजेनुसार प्रयोग करू शकतात. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये उद्योगजगताच्या सहयोगाने विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षण केंद्रे (इन्क्युबेशन सेंटर्स) उभारण्यात येतील.

१. 'लोक विद्या', म्हणजेच भारतामध्ये विकसित करण्यात आलेले ज्ञान, विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण अभ्यासक्रमामध्ये एकीकरण करून प्रदान करण्यात येईल.

३. प्रौढ शिक्षण

उद्देश: सन २०३० पर्यंत युवा व प्रौढ साक्षरता दर १००% पर्यंत आत्मसात करणे आणि प्रौढ शिक्षण व इतर शैक्षणिक उपक्रम/कार्यक्रम यांचा लक्षणीयदृष्ट्या विस्तार करणे

साक्षरता व मूलभूत शिक्षण व्यक्तिगत, नागरी, आर्थिक व आजीवन अध्ययन संधींमधील व्यक्तींचा सहभाग सक्षम करते – हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. तथापि, आपल्या युवा व प्रौढ लोकसंख्येचा अविश्वसनीय वाटेल इतका मोठा हिस्सा अद्याप निरक्षर आहे.

- अ. पुढील पाच व्यापक कार्यक्षेत्रांच्या दृष्टीने प्रौढ शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (नॅशनल क्युरिकलम फ्रेमवर्क) विकसित करण्यात येईल – मूलभूत साक्षरता व अंकज्ञान, अत्यावश्यक जीवन कौशल्ये, व्यावसायिक कौशल्ये, मूलभूत शिक्षण व निरंतर शिक्षण. सदर आराखड्याशी सुसंगत असेल अशा प्रकारे मूल्यमापनाच्या व प्रमाणनाच्या निकषांसह पाठ्यपुस्तके व अध्ययन साहित्यसामग्री विकसित करण्यात येईल.
- आ. प्रौढ शिक्षण केंद्रातील व्यवस्थापक व निर्देशक यांचा **संवर्गाला** आणि त्यांच्यासोबत राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षण अध्यापक कार्यक्रमाच्या (नॅशनल ऍडल्ट एज्युकेशन ट्युटर्स प्रोग्रॅम) माध्यमातून तयार केलेल्या व्यक्तिगत अध्यापकांच्या मोठ्या संघाला प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी कार्यान्वित करण्यात येईल.
- इ. सहभागी उमेदवारांच्या शोधनासाठी **विद्यमान दृष्टिकोन व कार्यक्रम** वापरण्यात येतील. समुदायातील स्वयंसेवकांना याकरिता प्रोत्साहित केले जाईल. समुदायातील प्रत्येक साक्षर सदस्याला किमान एका निरक्षर व्यक्तीला वाचायला शिकविण्यास प्रवृत्त करणे, ही महत्वाची व्यूहरचना ठरू शकते. याविषयी **व्यापक स्वरूपात जनजागृती** करण्यात येईल. **स्त्री साक्षरतेवर विशेष भर** देण्यात येईल.

४. भारतीय भाषांना चालना

उद्देश: सर्व भारतीय भाषांचे संवर्धन, वृद्धी व चैतन्य अबाधित राखले जाईल याची दक्षता घेणे

आदिवासी भाषांसह सर्व भारतीय भाषांना जेव्हा योग्य सन्मान दिला जाईल तेव्हाच देशातील प्रत्येक प्रदेशाच्या संस्कृतीचे व परंपरांचे खऱ्या अर्थी अंतर्भावाची व संवर्धनाची पूर्तता होईल आणि शाळेमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांकडून त्यांचे आकलन सर्वार्थाने साध्य होईल. अशा प्रकारे मूलतःच समृद्ध असलेल्या भारतीय भाषांचे व साहित्यांचे संवर्धन करणे अत्यावश्यक आहे.

- अ. देशभरातून भारतीय भाषा व साहित्य यांचे सक्षम कार्यक्रम राबविणे, भाषा शिक्षकांची व अध्यापकांची भरती, एकाग्रतेने केलेले संशोधन आणि शास्त्रीय भाषांना चालना या उपक्रमांद्वारे भारतीय भाषा, साहित्य व शास्त्रीय शब्दकोष यांच्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल.
- आ. शास्त्रीय भाषा व साहित्य यांना चालना देण्याकरिता अस्तित्वात असलेल्या विद्यमान राष्ट्रीय संस्थांचे सबलीकरण करण्यात येईल. पाली, फारसी व प्राकृत भाषांसाठी राष्ट्रीय संस्थेची स्थापना करण्यात येईल.
- इ. देशभरातून एकसमान विनियोगासाठी उपयुक्त ठरावी या हेतूने एक शब्दकोष विकसित करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा आयोगाच्या उपक्रमाचे नूतनीकरण करण्यात येईल आणि त्यामध्ये केवळ भौतिक शास्त्रांचाच नव्हे तर सर्व शैक्षणिक विषयांचा, शाखांचा व क्षेत्रांचा समावेश करण्यास्तव त्याचा व्यापक स्वरूपात विस्तार करण्यात येईल.

राष्ट्रीय शिक्षण आयोग

१. शिक्षणामध्ये आमूलाग्र बदल: राष्ट्रीय शिक्षण आयोग

उद्देश: एका नव्या राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाच्या अधिपत्याखाली दूरदृष्टीपासून अंमलबजावणीपर्यंत प्रत्येक बाबतीत सर्व स्तरांवर न्याय्यता व सर्वोत्तमता देण्यासाठी भारतीय शिक्षण प्रणाली परस्परसहयोगाने कार्यान्वित करणे

भारतीय शिक्षण प्रणालीला असे प्रेरणादायी नेतृत्व हवे आहे जे हाती घेतलेल्या विधायक कार्याची सर्वोत्तम अंमलबजावणीसुद्धा करेल.

- अ. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च समिती या नाते 'राष्ट्रीय शिक्षण आयोग' किंवा 'दि नॅशनल एज्युकेशन कमिशन'ची स्थापना करण्यात येईल.
- आ. केंद्रीय शिक्षणमंत्री या आयोगाचे उपाध्यक्ष राहतील आणि आयोगाच्या दैनंदिन कामकाजासाठी थेट जबाबदार राहतील.
- इ. या आयोगामध्ये ख्यातनाम शिक्षणतज्ज्ञ, संशोधक, केंद्रीय मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री व विविध क्षेत्रातील ख्यातनाम व्यावसायिक यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. या आयोगातील सर्व सदस्य अतिशय निष्णात आणि संबंधित क्षेत्रामध्ये सार्वजनिकरित्या बहुमूल्य योगदान दिलेले असतील आणि सदर व्यक्ती निर्विवाद सचोटीच्या व स्वतंत्र विचारसरणीच्या असतील.
- ई. हा आयोग भारतातील शिक्षणाचा परिरक्षक (कस्टोडियन) असेल. हा आयोग आपल्या समाजातील वैविध्याचे जतन करताना शिक्षणाबाबत एकीकृत राष्ट्रीय दूरदृष्टी निर्माण करेल. सदर आयोग सर्व संबंधित कृतीकारक घटक आणि राष्ट्रीय, राज्य व संस्था स्तरावरील नेते यांच्याकडून प्रभावी व समक्रमित (म्हणजे परस्परांमध्ये समन्वय असलेला) दृष्टिकोन आणि कृती घडवून आणेल.
- उ. कामकाजातील समन्वय व सुसूत्रता अबाधित राखण्यासाठी सदर आयोग सर्व राज्यांसोबत बारकाईने व दक्षतेने कार्यरत राहील. राज्य शासने आवश्यकतेनुसार राज्य स्तरीय उच्च समिती नेमू शकतील. अशा समितीचे नाव 'राज्य शिक्षण आयोग' किंवा 'दि स्टेट एज्युकेशन कमिशन' असे असेल.

शिक्षणासाठी आर्थिक साहाय्य

१. शिक्षणासाठी आर्थिक साहाय्य

- अ. सदर धोरण शैक्षणिक गुंतवणूक वाढविण्यासाठी वचनबद्ध आहे कारण त्यास विश्वास वाटतो की, समाजाच्या भविष्याचा एकत्रितरित्या विचार करता समाजाच्या सर्वांगीण लाभासाठी शिक्षणापेक्षा अधिक उपयुक्त व सुयोग्य अशी दुसरी कोणतीही गुंतवणूक अस्तित्वात नाही.
- आ. त्यामुळे येत्या १० वर्षांच्या कालावधीत केंद्र शासन व सर्व राज्य शासने या दोघांकडून शिक्षणक्षेत्रामध्ये होणारी शासकीय गुंतवणूक २०% पर्यंत वाढविण्याची परिकल्पना सदर धोरणामध्ये मांडण्यात येते.
- इ. अध्ययन साधनसामग्री, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा व निकोप विकासासाठीच्या आवश्यक बाबी, पोषणविषयक साहाय्य, पुरेसा अध्यापकवर्ग, शिक्षक विकास आणि वंचित गटांसाठी व कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या गटांसाठी न्याय्य व उच्च दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून देणाऱ्या सर्व उपक्रमांना साहाय्य अशा महत्वपूर्ण घटकांसाठी आवश्यक असलेल्या अर्थसाहाय्याबाबत कोणतीही तडजोड करण्यात येणार नाही.
- ई. सदर धोरण शिक्षणक्षेत्रामध्ये खाजगी स्वरूपात परोपकारी उपक्रमांचे पुनरुज्जीवन, सक्रिय प्रचार आणि साहाय्य करण्यासाठी सर्वांना आवाहन करते. कोणत्याही शैक्षणिक सत्कार्यासाठी नफाविरहित तत्त्वावरील संपूर्ण जनहितार्थ निधीचा विनियोग विद्यमान संस्थांच्या महत्वपूर्ण गरजा भागविण्यासाठी करण्यात येईल.
- उ. प्रारंभी एकदाच, मुख्यतः पायाभूत सुविधेसाठी (इन्फ्रास्ट्रक्चर) व साधनसामग्रीसाठी, करावयास लागणाऱ्या खर्चाव्यतिरिक्त पुढील महत्वाच्या बाबतीत अर्थसाहाय्य लागणार असल्याचे सदर धोरणात प्रतीत होते: १) प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील शिक्षणाचा विस्तार व सुधारणा, २) पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान साध्य होत असल्याची खात्री, ३) शालेय संकुलांना पुरेशा व योग्य साधनसामग्रीचा पुरवठा, ४) अन्न व पोषण (नाश्ता व माध्यान्ह भोजन), ५) शिक्षक शिक्षण व शिक्षकांचा निरंतर व्यावसायिक विकास, ६) महाविद्यालये व विद्यापीठे यांच्यात लक्षणीय सुधारणा, आणि ७) संशोधन.
- ऊ. निधींचा तरल, वेळेनुसार व योग्य पुरवठा होईल आणि त्यांचा विनियोग सचोटीने होईल यावर शासन व व्यवस्थापन विशेष भर देईल. सदर बाब भूमिकांचे सुस्पष्ट विलगीकरण, संस्थांचे सबलीकरण व त्यांना देण्यात येणारी स्वायत्तता, नेतृत्वयोग्य भूमिका आणि सुज्ञ पर्यवेक्षण यांकरिता प्रभावी लोकांची नियुक्ती अशा उपाययोजनांद्वारे साध्य करण्यात येईल.
- क्र. 'सुटसुटीत पण कडक' विनियमन दृष्टिकोन, शासकीय शिक्षणामध्ये मुबलक गुंतवणूक, आणि पारदर्शक सार्वजनिक माहिती प्रकटनासह उत्तम अनुशासनासाठी उपयुक्त यंत्रणा यांच्यासह बहुविध संबंधित आघाड्यांद्वारे शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाची बाब सदर धोरणामध्ये हाताळण्यात आली आहे.

२. भविष्यातील वाटचाल

शिक्षणाशी संबंधित सर्व घटकांमध्ये व समित्यांमध्ये नियोजन व सूत्रबद्धता याबाबत सुसंगती अबाधित राहून सदर धोरणाची अंमलबजावणी त्यामध्ये अभिप्रेत असलेल्या आत्मीयतेने व उद्देशाने होत असल्याची खात्री व्हावी म्हणून सदर धोरणामध्ये विविध समित्यांकरवी करण्यात येणाऱ्या महत्वपूर्ण कृती, त्यासाठी अपेक्षित असलेला कालावधी व पुनर्विलोकनाचा आराखडा मांडण्यात आला आहे.

मानवजातीच्या प्रत्येक युगामध्ये मनुष्याच्या सर्व पूर्वपिढ्यांनी जे काही निर्मिलेले आहे ते ज्ञानातून मांडलेले आहे.
त्यामध्ये येणारी नवी पिढी स्वतःच्या योगदानाची भर घालते.

मोबिअसच्या पट्टीचे तत्त्व ज्ञानाच्या शाश्वत, विकसनशील व जिवंत स्वरूपाचे प्रतीक आहे
- ज्याला ना आरंभ आहे, ना शेवट आहे.

या सातत्यपूर्ण प्रयत्नाद्वारे ज्ञानाची निर्मिती, संक्रमण, विनियोग व प्रसारण करणे, ही या धोरणांची परिकल्पना आहे.

प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019





प्रारूप

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019

संदेश

शिक्षा एक राष्ट्रीय लक्ष्य है। यह एक ऐसा उत्प्रेरक साधन है जिससे देश के बच्चों और युवाओं का भविष्य रूपांतरित हो सकता है। भारत की 1.2 अरब जनसंख्या का लगभग आधा 26 वर्ष से कम है और 2026 तक यह संभावना है कि 29 वर्ष की औसत आयु के साथ यह दुनिया का सबसे युवा देश होगा। इस जनसांख्यिकी का लाभ उठाने के लिए, हमारे सुयोग्य प्रधान मंत्री जी की अगुआई में सरकार ने यह वादा किया है कि लोगों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान संबंधी आवश्यकताओं के बदलते परिदृश्य का सामना करने के लिए ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा जिसका उद्देश्य होगा छात्रों को ज़रूरी कौशलों एवं ज्ञान से लैस करना और विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अकादमिक क्षेत्र और इंडस्ट्री में लोगों की कमी को दूर करते हुए, देश को नॉलेज सुपरपावर के रूप में स्थापित करना।

मानव संसाधन मंत्रालय ने एक जनवरी 2015 से एक अभूतपूर्व परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत की जो सहयोग आधारित, बहु-हितधारक, बहु-आयामी, बॉटम अप, लोक-केन्द्रित, समावेशी और सहभागी प्रक्रिया थी। इसमें कई स्तरों पर परामर्श किये गए - ऑनलाइन, विशेषज्ञों के साथ, थीम आधारित एवं ज़मीनी स्तर के परामर्श जिसमें गाँव, ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय, जिला, राज्य, मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आयोजित की गयी वृहदकाय प्रक्रिया ने हर नागरिक को इस विशाल कार्य से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। विस्तृत हितधारकों के साथ कई वैयक्तिक एवं गहराईपूर्ण विमर्श आयोजित किये गए। इसके उपरान्त हमने भूतपूर्व कैबिनेट सचिव, स्वर्गीय टी.एस.आर. सुब्रमनियन की अध्यक्षता में “नयी शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति” का गठन किया। इस समिति द्वारा मई 2016 में अपनी रिपोर्ट सौंपी गयी जिसके आधार पर मंत्रालय ने “नयी शिक्षा नीति(प्रारूप) 2016 हेतु कुछ सुझाव ” को तैयार किया।

सभी सुझावों को देखने-परखने और दिसम्बर 2018 तक शिक्षा नीति का प्रारूप सौंपने के लिए सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प विभूषण, डा. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में ‘नयी शिक्षा नीति को तैयार करने हेतु समिति’ का गठन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मुझे यह कहते

हुए हर्ष हो रहा है कि समिति ने इस चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य को स्वीकार किया और स्वयं की भी कुछ परामर्श प्रक्रियाओं को संपन्न किया। सभी की पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता एवं जवाबदेही जैसे बुनियादी स्तंभों पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2018 को अपने देश के बच्चों और युवाओं के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मैं गौरवान्वित हूँ। इसमें लीक से हट कर जिन नवीन सुधारों की अनुशंसा की गयी है उनके माध्यम से नवीन प्रतिमान स्थापित करते हुए, हमारे छात्रों, शिक्षकों और शैक्षिक संस्थाओं को उपयुक्त योग्यताओं और क्षमताओं से लैस करने और जीवंत भारत के लिए एक समर्थकारी और नवी कृषि शैक्षिक तंत्र को सृजित किया जायेगा। मुझे यकीन है कि आने वाले वर्षों में भी यह नीति उम्मीदों पर खरी साबित होगी। हममें से प्रत्येक व्यक्ति से मेरा आग्रह है कि जिन बदलावों की हमने कल्पना की है उन्हें लागू करने के लिए हम सब मिल कर काम करें।

प्रकाश जावडेकर

प्रति

श्री प्रकाश जावडेकर

सम्माननीय मंत्री, मानव विकास मंत्रालय

भारत सरकार

आदरणीय श्री जावडेकर जी

सबसे पहले, जो गुरुतर दायित्व आपने मुझे और मेरे साथी सदस्यों को सौंपा था और उसे पूरा करने में हमें आपसे जो सहयोग और समर्थन मिला उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।

हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 (प्रारूप) आपको सौंप रहे हैं।

हमने एक ऐसी नीति निर्मित करने की कोशिश की है जो हमारी समझ में शैक्षिक परिदृश्य को परिवर्तित कर देगी ताकि हम युवाओं को वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर सकें। यह एक ऐसी यात्रा रही है जिसमें हर सदस्य ने वैयक्तिक और सामूहिक रूप से, हमारे देश के व्यापक शैक्षिक परिदृश्य के विभिन्न आयामों को शामिल करने की कोशिश की है। यह नीति सभी की पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता एवं जवाबदेही जैसे मार्गदर्शी उद्देश्यों पर आधारित है। पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक, हमने इस क्षेत्र को एक अविच्छिन्न निरंतरता में देखा है और साथ ही व्यापक परिदृश्य के, इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया है।

हर चरण में आपसे मिले उदार सहयोग के लिए हम आपके ऋणी हैं और हमें विश्वास है कि आपके विचारशील नेतृत्व में, आपका मंत्रालय इस नीति में कल्पित, वांछित लक्ष्यों को पाने की कोशिश करेगा।


महोदय, शिक्षा, मानव संसाधन, संजुल मंगिव

क.स. २०१७
दृष्टांत, जिया
११. ११. १९८०

Committee for Draft National Education Policy

1	K. Kasturirangan Chairman Former Chairman, ISRO Honorary Distinguished Scientific Advisor, ISRO Ex- Member of Parliament (nominated Rajya Sabha) Raman Research Institute, Bengaluru
2	Vasudha Kamat Member Former Vice-Chancellor, SNDT Women's University, Mumbai
3	K.J. Alphons Member <i>(discontinued on assuming office as Union Minister of State for Electronics and Information Technology, Culture, and Tourism since 3 September 2017)</i> Noida
4	Manjul Bhargava Member R. Brandon Fradd Professor of Mathematics, Princeton University Princeton, USA
5	Ram Shankar Kureel Member Former Founder Vice Chancellor of Baba Saheb Ambedkar University of Social Sciences Madhya Pradesh
6	T.V. Kattimani Member Vice-Chancellor, Indira Gandhi National Tribal University Amarkantak, Madhya Pradesh
7	Krishna Mohan Tripathy Member Director of Education (Secondary) and Former Chairperson of Uttar Pradesh High School and Intermediate Examination Board Allahabad, Uttar Pradesh
8	Mazhar Asif Member Professor, Centre for Persian and Central Asian Studies, School of Language, Literature and Culture Studies Jawaharlal Nehru University, New Delhi
9	M.K. Sridhar Member Former Member Secretary, Karnataka Knowledge Commission Bengaluru, Karnataka
10	Rajendra Pratap Gupta Member <i>(co-opted member resigned in December 2017)</i> Former Advisor to Union Minister of Health and Family Welfare, Government of India
11	Shakila T. Shamsu Member OSD (NEP), Department of Higher Education Ministry of Human Resource Development, New Delhi

Abbreviations

AI	Accreditation Institution
AC	Advisory Council
AEC	Adult Education Centre
AESDC	Adult Education and Skill Development Centres
AICTE	All India Council for Technical Education AIDS/STD Acquired Immune Deficiency Syndrome/ Sexually Transmitted Diseases
AISHE	All India Survey of Higher Education
AIU	Association of Indian Universities
AU	Agriculture University
AYUSH	Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy
B.A.	Bachelor of Arts
B.Ed	Bachelor of Education
B.Sc.	Bachelor of Science
B.Voc	Bachelor of Vocation
BA	Binary Accreditation
BCI	Bar Council of India
BDS	Bachelor of Dental Surgery

BEO	Block Education Officer
BLA	Bachelor of Liberal Arts
BLE	Bachelor of Liberal Education
BoG	Board of Governors
BRC	Block Resource Centre
CAD/CAM	Computer-Aided Design/ Computer-Aided Manufacturing
CBCS	Choice Based Credit System
CDAC	Centre for Development of Advanced Computing
CEP	Continuing Education Programme
CESD	Central Educational Statistics Division
CFTI	Centrally Funded Technical Institutions
CHC	Community Health Centre
CIAE	Central Institute of Adult Education
CIET	Central Institute of Educational Technology
CNE	Continuing Nursing Education
CPD	Continuous Professional Development
CRC	Cluster Resource Centre
CSR	Corporate Social Responsibility
CSTT	Commission for Scientific and Technical Terminology
CTE	College of Teacher Education

CU	Central Universities
CWSN	Children With Special Needs
DAE	Department of Atomic Energy
DARE	Department of Agricultural Research and Education
DBT	Department of Biotechnology
DCI	Dental Council of India
DEC	District Education Council
DEO	District Education Officer
DIET	District Institute of Education and Training
DSE	Directorate of School Education
DST	Department of Science and Technology
DTE	Department of Technical Education
EC	Executive Council
ECCE	Early Childhood Care and Education
ED	Executive Director
EMT-B	Emergency Medical Technicians-Basic
FOSSEE	Free and Open Source Software in Education
GA	Graded Accreditation
GDA	General Duty Assistants
GDP	Gross Domestic Product

GEC	General Education Council
GER	Gross Enrolment Ratio
GNM	General Nursing and Midwifery
GoI	Government of India
HBCSE	Homi Bhabha Centre for Science Education
HEGC	Higher Education Grants Council
HEI	Higher Education Institutions
HRDC	Human Resource Development Centre
IAF	Institutional Accreditation Framework
IAS	Indian Academy of Sciences
IASE	Institute of Advanced Studies in Education
IB	Independent Board
ICAR	Indian Council of Agricultural Research
ICDS	Integrated Child Development Services
ICMR	Indian Council of Medical Research
ICT	Information and Communication Technology
IDP	Institutional Development Plan
IIEC	India International Education Centre
IILA	Indian Institute of Liberal Arts
IIT	Indian Institute of Technology

INAE	Indian National Academy of Engineering
INC	Indian Nursing Council
INI	Institutions of National Importance
INSA	Indian National Science Academy
InSCED	Indian Standard Classification of Education
ISCO	International Standard Classification of Occupations
ISL	Indian Sign Language
ITI	Industrial Training Institute
IUC	Inter-University Consortium
JRMB	Joint Review and Monitoring Board
KGBV	Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya
LMIS	Labour Market Information System
LSS	Licence to Start a School
MBBS	Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
MCI	Medical Council of India
MERU	Multidisciplinary Education and Research Universities
MHFW	Ministry of Health and Family Welfare
MHRD	Ministry of Human Resource Development
MN	Mission Nalanda
MoE	Ministry of Education

MOOC	Massive Open Online Course
MOU	Memorandum of Understanding
MSDE	Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
MSME	Micro, Small and Medium Enterprises
MT	Mission Takshashila
MWCD	Ministry of Women and Child Development
NAAC	National Assessment and Accreditation Council
NAS	National Achievement Survey
NASI	National Academy of Sciences, India
NATP	National Adult Tutors Programme
NCC	National Cadet Corps
NCERT	National Council of Educational Research and Training
NCF	National Curriculum Framework
NCFAE	National Curriculum Framework for Adult Education
NCTE	National Council for Teacher Education
NCVET	National Council for Vocational Education and Training
NCVIE	National Committee for the Integration of Vocational Education
NDF	National Doctoral Fellow
NEC	National Education Commission

NEET	National Eligibility cum Entrance Test
NETF	National Educational Technology Forum
NGO	Non Governmental Organisation
NHEQF	National Higher Education Qualifications Framework
NHERA	National Higher Education Regulatory Authority
NIEPA	National Institute of Educational Planning and Administration
NIOS	National Institute of Open Schooling
NIT	National Institutes of Technology
NITI Aayog	National Institution for Transforming India
NLM	National Literacy Mission
NLP	Natural Language Processing
NMC	National Medical Commission
NMEICT	National Mission on Education through
ICT NPDF	National Post Doctoral Fellow
NPSDE	National Policy on Skills Development and Entrepreneurship
NQR	National Qualifications Register
NRED	National Repository of Educational Data
NRF	National Research Foundation
NROER	National Repository of Open Educational Resources

NSDA	National Skill Development Agency
NSDC	National Skill Development Corporation
NSQF	National Skills Qualifications Framework
NSS	National Service Scheme
NTA	National Testing Agency
NTP	National Tutors Programme
OBC	Other Backward Classes
ODL	Open and Distance Learning
OER	Open Educational Resources
PHC	Primary Health Centre
PI	Principal Investigator
PM	Prime Minister
PSSB	Professional Standard Setting Body
PSSCIVE	Pandit Sundarlal Sharma Central Institute of Vocational Education
PSUs	Public Sector Units
PTR	Pupil Teacher Ratio
QPs-NOS	Qualification Packs - National Occupational Standards
R&I	Research and Innovation
RCI	Rehabilitation Council of India

RIAP	Remedial Instructional Aides Programme
RIE	Regional Institute of Education
RjSA	Rajya Shiksha Aayog
RMSA	Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan
ROI	Return on Investment
RPL	Recognition of Prior Learning
RSA	Rashtriya Shiksha Aayog
RSAAC	RSA Appointment Committee
RTE Act	Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009
RUSA	Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan
SC	Scheduled Caste(s)
SCC	Standing Committee on Coordination
SCERT	State Council of Educational Research and Training
SCMC	School Complex Management Committee
SDG	Sustainable Development Goal
SDP	School Development Plan
SEC	State Education Commission
SEZ	Special Education Zone
SHEC	State Higher Education Council

SIOS	State Institutes of Open Schooling
SKP	Skill Knowledge Provider
SMC	School Management Committee
SQAAF	School Quality Assessment and Accreditation Framework
SQAAS	School Quality Assessment and Accreditation System
SSA	Sarva Shiksha Abhiyan
SSC	Sector Skill Council
SSDMs	State Skill Development Mission
SSRA	State School Regulatory Authority
SSS	Simple Standard Sanskrit
ST	Scheduled Tribe(s)
STEAM	Science, Technology, Engineering, Art & Design, and Mathematics
STEM	Science, Technology, Engineering, and Mathematics
STS	Sanskrit through Sanskrit
SVE	School of Vocational Education
SWAYAM	Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds
TEI	Teacher Education Institution
TET	Teacher Eligibility Test
TLC	Total Literacy Campaign

U-D ISE	Unified District Information System for Education
UGC	University Grants Commission
ULB	Urban Local Bodies
UME	Union Minister for Education
URG	Underrepresented Group(s)
UT	Union Territory
VCI	Veterinary Council of India
VEI	Vocational Education Institutions
VESB	Vocational Education Skills Board
WIPO	World Intellectual Property Organization

विषय - सूची

प्रस्तावना	30
विज्ञान	55

भाग I. स्कूली शिक्षा

1. प्रारम्भिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा: सीखने की बुनियाद	58
2. बुनियादी साक्षरता एवं संख्याज्ञान	71
3. ड्रॉपआउट बच्चों को शिक्षा से पुनः जोड़ना और सभी तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना	85
4. स्कूलों में शिक्षाक्रम और शिक्षणशास्त्र	96
4.1. स्कूली शिक्षा के लिए एक नया शिक्षाक्रमीय और शिक्षणशास्त्रीय ढांचा	
4.2. विद्यार्थियों का समग्र विकास	
4.3. मूलभूत अधिगम और तार्किक चिंतन को समृद्ध करने के लिए शिक्षाक्रम की विषय-वस्तु को कम करना	
4.4. कोर्स चुनाव में एक लचीलापन लाकर विद्यार्थियों को सशक्त बनाना	
4.5. मातृ भाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षा; बहु-भाषिकता और भाषा की शक्ति	
4.6. मूलभूत विषयों और कौशलों का शिक्षाक्रमीय एकीकरण	
4.7. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क	
4.8. स्थानीय विषय-वस्तु और सन्दर्भों के साथ राष्ट्रीय पाठ्य-पुस्तकें	

4.9. विद्यार्थी विकास के लिए आकलन को बदलना

4.10. क्षेत्र-विशेष में रुचि रखने वाले और प्रतिभावान विद्यार्थियों की सहायता

5. शिक्षक

157

5.1. प्रभावी शिक्षक नियुक्ति और पदस्थापन

5.2. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अनुकूल स्कूल का वातावरण और संस्कृति

5.3. सतत पेशेवर विकास

5.4. करियर मैनेजमेंट

5.5. शिक्षक शिक्षा का दृष्टिकोण

6. समतामूलक और समावेशी शिक्षा

191

6.1. शिक्षा में अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के उत्थान हेतु प्रयास

6.2. क्रॉस कटिंग थीम के रूप में लड़कियों की शिक्षा

6.3 अनुसूचित जाति के समुदायों और अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बद्ध बच्चों की शिक्षा

6.4 आदिवासी समुदाय के बच्चों की शिक्षा

6.5. अल्पसंख्यक समुदायों के अल्प-प्रतिनिधित्व वाले समूहों के बच्चों की शिक्षा

6.6. शहरी निर्धन परिवारों के बच्चों की शिक्षा

6.7. ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा

6.8. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा

7. स्कूल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से प्रभावी गवर्नेंस और

कुशल संसाधन उपलब्धता

217

- 7.1. स्कूल कॉम्प्लेक्स द्वारा छोटे स्कूलों का अलगाव समाप्त करना
- 7.2. स्कूल कॉम्प्लेक्स द्वारा स्कूलों का बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना
- 7.3. स्कूल कॉम्प्लेक्स द्वारा एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देना
- 7.4. स्कूल कॉम्प्लेक्स के द्वारा शिक्षकों के लिए बेहतर सहयोग
- 7.5. स्कूल कॉम्प्लेक्स का प्रशासन और प्रबंधन
- 7.6. स्कूल कॉम्प्लेक्स द्वारा प्रभावी गवर्नेंस
- 7.7. स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रत्येक स्कूल का प्रभावी गवर्नेंस और प्रबंधन

8. स्कूली शिक्षा का विनियमन (Regulation)

एवं प्रमाणन (Accreditation)

244

- 8.1 स्कूल शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा और भूमिकाएँ
- 8.2. जवाबदेही के साथ स्वायत्तता का प्रत्यायन
(Accreditation for autonomy with accountability)
- 8.3. विनियमन, प्रमाणन और निजी स्कूलों का निरीक्षण
- 8.4. RTE-ऐक्ट के निहितार्थ
- 8.5. विद्यालयी शिक्षण प्रणाली के कामकाज का मूल्यांकन
- 8.6. बच्चों और किशोरों के शिक्षा के अधिकारों का संरक्षण

भाग II. उच्च शिक्षा

9. गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय:	
भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नई और भविष्योन्मुखी दूरदृष्टि	276
10. संस्थागत पुनर्गठन और समेकन	292
11. लिबरल शिक्षा की तरफ कुछ कदम	307
11.1. लिबरल एजुकेशन: स्नातक कार्यक्रमों में ऊर्जा के संचार हेतु	
11.2. स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में ऊर्जा का संचार करने हेतु लिबरल शिक्षा एप्रोच	
11.3. लिबरल एजुकेशन एप्रोच के जरिये पेशेवर शिक्षा को समृद्ध बनाना	
11.4. लिबरल एजुकेशन और शोध:	
एक दूसरे को पोषित करना और सामर्थ्यवान बनाना	
11.5. उच्च शिक्षा में कार्यक्रम, डिग्री और अन्य सर्टिफिकेशन	
12. छात्रों के सीखने के श्रेष्ठ माहौल और उनकी सहायता	330
12.1. नवाचारी और उत्तरदायी शिक्षाक्रम और शिक्षण शास्त्र	
12.2. सीखने और विकास के लिए छात्रों की सहायता	
12.3. मुक्त और दूरस्थ अधिगम:	
जीवन भर सीखने के अवसर और पहुँच को समृद्ध करने के लिए शिक्षाक्रम और शिक्षण-शास्त्र	
12.4. उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण	
13. ऊर्जावान, जुड़ाव रखने वाले और सक्षम संकाय	353
13.1. उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय को वापिस केंद्र में स्थापित करना	
14. राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान (NRF)	366
14.1. एक नवीन अनुसंधान संस्थान का गठन करना	

- 14.2. सशक्त और कड़े पीयर रिव्यू के द्वारा आए अनुसंधान प्रस्तावों को वित्त पोषित करना
- 14.3. सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुसंधान की क्षमता का विकास करना
- 14.4. शासन, उद्योग और शोधार्थियों के बीच लाभकारी जुड़ाव बनाना
- 14.5. NRF द्वारा वित्त पोषित किए गए अनुसंधानों में से उत्कृष्ट अनुसंधानों को अवार्ड और राष्ट्रीय सेमिनारों द्वारा पहचाना दिलाना

15. शिक्षक शिक्षा

393

- 15.1. शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में सत्यनिष्ठा की बहाली
- 15.2. शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में लाना
- 15.3. विश्वविद्यालयों में शिक्षा के विभाग
- 15.4. शिक्षक शिक्षा के शिक्षक
- 15.5. उच्च शिक्षा में शिक्षक

16. पेशेवर शिक्षा

408

- 16.1. पूर्व स्नातक शिक्षा
- 16.2. पेशेवराना क्षमता का नियोजन
- 16.3. स्नातकोत्तर शिक्षा एवं शोध
- 16.4. संकाय सदस्य
- 16.5. गवर्नेंस, विनियमन एवं प्रमाणन
- 16.6. कृषि एवं अन्य सम्बद्ध अनुशासन
- 16.7. कानूनी शिक्षा
- 16.8. स्वास्थ्य सेवा शिक्षा

16.9. तकनीकी शिक्षा	
17. उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सशक्त प्रभावी शासन और प्रभावी नेतृत्व	432
17.1. सशक्त शासन और प्रभावी नेतृत्व	
18. नियामक प्रणाली का रूपांतरण	448
18.1. नियामक प्रणाली की रूप-रेखा और बनावट	
18.2. प्रत्यायन विनियमन का आधार	
18.3. मानकों को तय करने वाले निकाय	
18.4. अन्य निकायों की भूमिका	
18.5. नए उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना	
18.6. समान नियामक व्यवस्था	

भाग III. अतिरिक्त प्रमुख फोकस क्षेत्र

19. शिक्षा में प्रौद्योगिकी	474
19.1. एक नये राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी मंच की स्थापना	
19.2. प्रौद्योगिकी को शामिल करने के प्रति दृष्टिकोण	
19.3. शिक्षक की तैयारी और सतत पेशेवर विकास	
19.4. शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार	
19.5. शैक्षिक पहुँच को बढ़ाना	
19.6. शैक्षिक योजना और प्रबंधन को व्यवस्थित करना	
19.7. प्रभावी प्रौद्योगिकी (Disruptive Technology)	

20. व्यवसायिक शिक्षा 503

- 20.1. व्यवसायिक शिक्षा का सभी स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों के साथ एकीकरण
- 20.2. रूपरेखा और मानक
- 20.3. सेकेंडरी स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा
- 20.4. उच्च शिक्षा के अभिन्न अंग के तौर पर व्यवसायिक शिक्षा
- 20.5. युवाओं एवं प्रौढ़ों के लिए व्यवसायिक शिक्षा
- 20.6. विशिष्ट महत्व वाले क्षेत्र

21. प्रौढ़ शिक्षा 526

- 21.1. प्रौढ़ शिक्षा की पाठ्यचर्या के ढाँचे का विकास
- 21.2. आधारभूत सुविधाओं और सब तक पहुँच को सुनिश्चित करना
- 21.3. प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं (वालंटियर्स) के केंद्र का प्रशिक्षण
- 21.4. प्रौढ़ शिक्षा में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना

22. भारतीय भाषाओं का संवर्धन और प्रसार 544

भाग IV. शिक्षा में बदलाव

23. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 550

परिशिष्ट - क्रियान्वयन

A1. वित्तपोषण 560

A1.1. शिक्षा – समाज के लिए संभवतः सर्वोत्तम निवेश

A1.2. अपर्याप्त निवेश और अन्य वित्तीय मुद्दे

A1.3. शिक्षा में गुणवत्ता और समता को बढ़ाने के लिए
बड़े निवेश की नीति

A1.4. अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी ?

A1.5. एक-मुश्त खर्च

A2. भावी कदम 592

A2.1. नीति क्रियान्वयन

A2.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शीय सिद्धांत

A2.3. कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश (रोड मैप) हेतु दृष्टिकोण:
विविध निकायों के नेतृत्व में उठाये जाने वाले मुख्य कदम

A2.4. निष्कर्ष

अनुबंध: भाग I 611

- I. Drafting Committee for
Draft National Education Policy
- II. Peer Reviewers of the Draft
National Education Policy
- III. Secretariat to the Committee for
Draft National Education Policy

- IV. Technical Secretariat to the Committee
for Draft National Education Policy
- V. परामर्श प्रक्रिया : पुनरावलोकन
- VI. Meetings of the Committee for Draft
National Education Policy
- VII. Details of Consultations by the Committee for Draft
National Education Policy (July 2017 onwards)
- VIII. आभार

अनुबंध: भाग II

611

- IX. Appendix IX
- X. Appendix X
- XI. Appendix XI
- XII. Appendix XII
- XIII. Appendix XIII
- XIV. Appendix XIV



प्रस्तावना

प्रस्तावना

समिति की यात्रा

जब मुझे मानव संसाधन विकास के माननीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जून 2017 में, छह महीने के भीतर एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाली एक समिति की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया, तो मैं आसानी से तैयार हो गया था। उस समय मुझे लगा था कि यह समिति टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति द्वारा पहले से ही किए गए व्यापक कार्य और बाद में एमएचआरडी द्वारा लाए गए 'ड्राफ्ट नेशनल एडुकेशन पॉलिसी, 2016 के कुछ इनपुट्स' पर आधारित होगी। हम उन इनपुट्स का भी उपयोग करेंगे जो 2015 की शुरुआत में आए थे, जब एनईपी (NEP) पर पहली बार विचार-विमर्श शुरू हुआ था। यह सब 6 महीने में काफी मुमकिन लग रहा था। हालांकि इसके बाद जो कुछ भी हुआ वह पूरी तरह से अलग था।

जब समिति के सदस्यों ने नीति के लिए अपनी शुरुआती इनपुट्स को साझा करना शुरू किया और जब मैंने पहले के दो दस्तावेजों की विषयवस्तु का आकलन करने का काम किया तो मुझे सदस्यों की योग्यता और उन दस्तावेजों के माएने समझ में आने लगे थे। यह बहुत जल्दी स्पष्ट हो गया था कि यह समिति अपनी सोच में रचनात्मक, लीक से हटकर और कुछ विशिष्ट होने जा रही थी।

हर एक सदस्य ने अपनी पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता के आधार पर विशिष्ट इनपुट के साथ अपनी एक खास और अलग सोच को प्रदर्शित किया। सदस्यों ने हमारे समाज और शिक्षा से उसके संबंध और उसपर प्रभाव के बारे में समृद्ध और अहम जानकारीयाँ दीं। विचारों की इस विविधता ने नीति को बनाने में एक नयापन ला दिया। यह काफी वाज़ेह था कि ऐसी टीम एक महत्वपूर्ण संपदा थी, और अध्यक्ष के रूप में मुझे इस समिति की क्षमता और ताक़त का अधिक से अधिक उपयोग करना था। यह मेरे लिए चुनौती थी।

कमेटी के काम शुरू करने के लगभग तुरंत बाद, हमें व्यक्तिगत, संस्थानों, संगठनों और लोगों के समूहों से मिलने के अनुरोध आने लगे। इसमें विभिन्न शैक्षिक विचारधाराओं और विचारों, विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि, और देश के विभिन्न हिस्सों के लोग शामिल थे। जो वास्तव में हमारे देश की विविधता के विस्तार को समाहित किए हुए थे।

इसमें कई लोग ऐसे भी शामिल थे जो असाधारण व्यक्तित्व हैं, और इस देश में शिक्षा के मुद्दों पर गहराई से काम और गहन अध्ययन किया है। वे शिक्षा को लेकर काफी उत्साह में थे और समिति के साथ अपने विचारों को साझा करना चाहते थे। उनमें से कितनों ने पहले अपने इनपुट्स दिये थे, मगर तब भी नयी समिति से मिलने के लिए उत्सुक थे। मैंने यह निर्णय किया कि जो भी हमसे मिलने के एप्पोजेंटमेंट माँगता हो हमें सबसे मिलना चाहिए। हमने जल्द ही यह महसूस किया कि सुझाव व सलाह जो शुरु में थोड़ी ही जल्द ही इतनी ज्यादा हो गयी कि संभालना मुश्किल होने लगा।

देश के संपूर्ण हिस्से से मिली प्रतिक्रिया ने हमें अपने खुद के जनादेश के दूरगामी प्रभाव का एहसास कराया। हमें यह स्पष्ट हुआ के गहरे, बहुआयामी और व्यवहारिक ज्ञान और जो हमें सुझाव मिल रहे थे उनके साथ न्याय करने के लिए हमें मौजूदा दस्तावेजों में काफी फेर-बदल करनी होगी। अक्टूबर 2017 के मध्य तक हमने इस हकीकत को स्वीकार कर लिया था कि हम अपनी सोच में सीमित होने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं और हमें पूरी तरह से नई और दूरदर्शी नीति तैयार करने के लिए साहसिक निर्णय लेना चाहिए। इस विचार को मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जोर देकर कहा था कि भारत और दुनिया में शिक्षा क्षेत्र के गतिशील और तेजी से बदलते स्वरूप के संदर्भ में एनईपी (NEP) कम से कम दो दशकों के लिए प्रासंगिक और उपयुक्त होना चाहिए।

सभी सदस्यों इस काम को अंजाम देने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। इसमें उन्हें एक बहुत ही समर्पित सचिवालय द्वारा सहयोग किया गया। इसमें हमने 2018 की शुरुआत में एक मसौदा समिति को भी जोड़ा। जब दस्तावेज अपने अंतिम चरण में था तब हमने देश के कुछ प्रमुख शिक्षा विचारकों के विचार मांगे जिन्होंने दस्तावेज के सहकर्मी शिक्षक (peer reviewers) के रूप में कार्य किया। निसंदेह माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं। काम की प्रगति की समीक्षा करना, नए विचारों को साझा करना, हमें अतिरिक्त विषयों का पता लगाने के सुझाव देना व हर तरीके से हमारी सहायता करते रहे हैं।

भारत में शिक्षा प्रणाली का विज़न

(A vision for the Education System in India)

भारत की नई शिक्षा प्रणाली के विज़न को इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को स्पर्श करे। एक ओर देश के कई बढ़ते विकासात्मक जरूरतों में योगदान करने में उनकी क्षमता के अनुरूप हो, और दूसरी ओर एक न्याय संगत और निष्पक्ष समाज बनाने की दिशा में भी हो। हमने भारत की परंपराओं और मूल्यों के अनुरूप रहते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप एक नई प्रणाली बनाने के लिए शिक्षा के स्वरूप, इसके विनियमन और गवर्नेंस के सभी पहलुओं में संशोधन का प्रस्ताव दिया है।

1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाए गए ऐतिहासिक मानवअधिकार की सार्वभौमिक घोषणा बताती है कि “सभी को शिक्षा का अधिकार है”। घोषणा में अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि “कम से कम प्रारंभिक और मौलिक चरणों में, शिक्षा मुक्त होनी चाहिए” और “प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी”। और यह भी कि शिक्षा मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और मानवाधिकारों के मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान को प्रोत्साहित और मजबूत करने के लिए निर्देशित की जाएगी।

यह विचार की शिक्षा का परिणाम ‘मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास’ के रूप में होना चाहिए जो “लर्निंग: द ट्रेज़र विदिन” जैसे प्रभावी रिपोर्टों में दिखता है, जो जैक्स डेलर्स की अध्यक्षता में 21 वीं सदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने 1996 में यूनेस्को को प्रस्तुत किया था। रिपोर्ट में तर्क प्रस्तुत किया गया था कि जीवन भर की शिक्षा चार स्तंभों पर आधारित है; 1. जानने के लिए सीखना- ज्ञान का एक मुख्य हिस्सा प्राप्त करना और यह सीखना कि सीखते कैसे हैं, ताकि ज़िंदगी भर शिक्षा द्वारा मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाया जा सके; 2. करने के लिए सीखने- न केवल एक व्यावसायिक कौशल प्राप्त करना, बल्कि कई परिस्थितियों से निपटने और टीमों में काम करने की क्षमता और कौशल का एक पैकेज जो किसी को व्यावहारिक जीवन की विभिन्न चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाता है; 3. साथ रहने के लिए सीखना- अन्य लोगों की समझ विकसित करना और अनेकवाद के मूल्यों, आपसी समझ और शांति के प्रति सम्मान की भावना में परस्पर-निर्भरता की क़दर करे; 4. होने के लिए सीखना- किसी के व्यक्तित्व को विकसित करना और स्वायत्तता, निर्णय और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ कार्य करने में सक्षम होना, साथ

ही यह भी ध्यान रखना कि शिक्षा किसी व्यक्ति की क्षमता के किसी भी पहलू: स्मृति, तर्क, सौन्दर्य बोध, शारीरिक क्षमता और संचार कौशल की उपेक्षा नहीं करता है।

शिक्षा के इस तरह के व्यापक और स्पष्ट नजरिए जिसमें विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास शामिल है, विशेष तौर पर प्रत्येक की रचनात्मक क्षमता के विकास, उसके समृद्धि और जटिलता में, हाल के वर्षों में तेजी से लोकप्रिय हुआ है। यूनेस्को, ओईसीडी, विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनामिक फोरम और ब्रूकिंग संस्थान की हालिया रैपोर्टों में निकले नतीजे और सर्वसम्मति को हाइलाइट किया है। विद्यार्थियों को न केवल संज्ञानात्मक कौशल (जिसमें पढ़ने-लिखने और गणना के मूलभूत कौशल और उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल जैसे आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान कौशल दोनों शामिल हैं) शामिल होने चाहिए बल्कि सामाजिक और भावनात्मक कौशल, जिन्हें 'सॉफ्ट स्किल्स' भी कहा जाता है, जिसमें सांस्कृतिक जागरूकता और सहानुभूति, दृढ़ता और धैर्य, टीमवर्क और नेतृत्व का भी विकास हो। जिस प्रक्रिया से बच्चे और वयस्क इन दक्षताओं को प्रपट करते हैं, उन्हें सामाजिक और भावनात्मक अधिगम (social and emotional learning 'SEL') कहते हैं। संज्ञानात्मक विज्ञान की दुनिया में जो विकास हुआ है, उस आधार पर इस विचार से गहरा लगाव है कि इन सामाजिक और भावनात्मक दक्षताओं को सभी शिक्षार्थियों द्वारा हासिल करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अकादमिक, सामाजिक, और भावनात्मक रूप से दक्ष बनना चाहिए। नीति यह मानती है कि शिक्षा को एक व्यापक रूप में समझना जरूरी है, और इस सिद्धांत को शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रियाओं के बदलाव में सुधारों की रहनुमाई करनी चाहिए।

भारत के विरासत की देन

(Drawing from India's Heritage)

भारत के समग्र शिक्षा का एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, जैसे इस दुनिया के जीवन या स्कूल के बाहर के जीवन के लिए तैयारी करना, बल्कि स्वयं का पूर्ण बोध और मुक्ति भी उद्देश्य था। स्वामी विवेकानंद के अनुसार *“शिक्षा सूचना या जानकारी की वह मात्रा नहीं है जिसे आपके मस्तिष्क में डाल कर वहाँ कोलाहल पैदा कि जाती है और जो आपके जीवन बार समझ*

नहीं आता। हमारे पास जीवन निर्माण, आदमी बनाने, विचारों को आत्मसात करने वाला चरित्र होना चाहिए। यदि आपने पाँच विचारों को आत्मसात किया है और उनको अपना जीवन और किरदार बनाया है तो आपके पास हर उस व्यक्ति के बनिस्बत अधिक शिक्षा है जिसने पूरे पुस्तकालय को कंठस्थ कर लिया है। यदि शिक्षा सूचनाओं/जानकारियों के समान होती है, तो पुस्तकालय दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हैं और इनसाइक्लोपीडिया सबसे महान ऋषि हैं।

भारतीय शिक्षा प्रणाली ने चारक और सुश्रुत, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, चाणक्य, पतंजलि और पाणिनी जैसे कई विद्वानों को पैदा किया है। उन्होंने विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे जैसे- गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और सर्जरी, सिविल इंजीनियरिंग और वास्तुकला, जहाज निर्माण और नेविगेशन, योगा, ललित कला, शतरंज और अन्य। बौद्ध धर्म और दुनिया पर इसके गहन प्रभाव (विशेष तौर पर दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन में), ने संयुक्त राज्य अमेरिका में चीन के पूर्व राजदूत 'हु शिह' को यह कहने के लिए प्रेरित किया कि "भारत ने सीमा पार बिना किसी एक सैनिक भेजे चीन पर बीस शताब्दियों पूर्व ही सांस्कृतिक विजय प्राप्त कर ली थी और उस पर अपना प्रभुत्व जमाया हुआ है"। भारत में शिक्षा केवल संस्कृतियों के मिश्रण से समृद्ध हुई थी जो आक्रमणों के पहले से शुरू हुआ और अंग्रेजों के आने तक चला। देश ने इन प्रभावों में से कई को अवशोषित किया है और उन्हें अपनी अनूठी संस्कृति में मिला लिया है।

सांस्कृतिक रूप से बेशुमार भाषाओं और बोलियों के साथ साथ, सात शास्त्रियों नृत्यों के रूप और दो शास्त्रियों संगीतों के प्रकार, लोक कला और संगीत की अच्छी विकसित परम्पराएँ, मिट्टी के पात्र, मूर्तियाँ और कांसे, उम्दा वास्तुकला, असाधारण व्यंजन, हरेक प्रकार के शानदार टेक्सटाइल और भी बहुत कुछ, ये सब जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारी महान विविधता को प्रदर्शित करता है। विश्व धरोहरों के लिए इन समृद्ध विरासतों को न केवल भावी पीढ़ी के लिए पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली के जरिए बढ़ाना चाहिए और इसे नए उपयोग में भी लाना चाहिए। उदाहरण के लिए, विद्यार्थियों की रचनात्मकता और मौलिकता को विकसित करने और उन्हें नया करने या नई खोज करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करने के लिए उन्हें 'लिबरल आर्ट एजुकेशन' में शामिल किया जा सकता है। जैसा कि आइन्सटाइन ने बच्चों के एक समूह से कहा था "इस बात को ध्यान में रखें कि जो अद्भुत और आश्चर्यजनक चीजें आप स्कूल में सीखते हैं वह कई पीढ़ियों का काम है, यह सब आपकी विरासत के तौर पर आपके

हार्थों में डाला जाता है ताकि आप इसे प्राप्त कर सके, इसका सम्मान कर सकें, इसमें कुछ जोड़ सकें और एक दिन निष्ठापूर्वक अपने बच्चों को सौंप दें। इसी तरह सामूहिक रूप से कुछ बड़ी चीजों या परम्पराओं का निर्माण कर हम साधारण लोग अमरता प्राप्त करते हैं।

पिछली शिक्षा नीतियों को आगे ले जाना

(Taking Forward the Agenda of Previous Education Policies)

आजादी के बाद के दशकों में, हमने बड़े पैमाने पर सबके लिए शिक्षा की पहुँच बनाने में व्यस्त रहे हैं, और दुर्भाग्य से शिक्षा की गुणवत्ता पर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पिछली दो शिक्षा नीतियों का कार्यान्वयन अभी भी अधूरा है। एनपीई (NPE) 1986 का अधूरा अजेंडा, जो 1992 में संशोधित हुआ (एनपीई 1986/92) उसे उचित रूप से इस नीति में शामिल किया गया है। एनपीई 1986/92 के बनने के बाद एक बड़ा विकास सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए संवैधानिक और कानूनी आधार का स्थापित होना है। संविधान (86वीं संशोधन) अधिनियम 2002, जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A सम्मिलित है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में परिकल्पना करता है। बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जो अप्रैल 2010 में लागू हुआ, वह प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पढ़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि कुछ पहलुओं में तरक्की के बावजूद शिक्षा प्रणाली में आज एक नीरसता, उबाऊपन और बोरियत बनी हुई है। जिसमें हमारी प्राचीन परंपराओं के बिल्कुल उलट, विद्यार्थियों को उनकी व्यक्तिगत क्षमता के लिए विकसित नहीं किया जाता है।

एनपीई (NPE) 1986/92 के बनने के बाद कई महत्वपूर्ण विकास हुए हैं, जिसने इस समय एक नई नीति को बनाना जरूरी कर दिया है। एनपीई 1986/92 इंटरनेट क्रांति से ठीक पहले तैयार किया गया था जो तकनीक की क्षमता को पहचानते हुए पिछले कुछ दशकों के आमूल परिवर्तन का अंदाज़ा नहीं लगा पाया। तब से हम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए तकनीक को अपनाने के साथ-साथ गवर्नेंस और शिक्षा में योजना और प्रबंधन में इसके उपयोग को लेकर काफी धीमे रहे हैं जो कि काफी घातक रहा है। युवा शिक्षार्थी आज एक ऐसी पीढ़ी से संबंध रखते हैं जो तकनीक-समृद्ध वातावरण में जन्मी

और पली-बढ़ी है। वे उन तकनीकों का उपयोग करेंगे जिनका अभी तक आविष्कार नहीं हुआ है और उन नौकरियों में जाएँगे जो वर्तमान में मौजूद नहीं है। वैश्वीकरण और एक नॉलेज इकॉनमी और नॉलेज सोसायटी की माँग इस बात पर जोर देती है कि शिक्षार्थियों द्वारा नए कौशलों के अधिग्रहण की नियमित रूप से आवश्यकता है, और उन्हें यह सीखना कि सीखते कैसे हैं, ताकि वह आजीवन सीखने वाले बनें। नए ज्ञान की पीढ़ी और उसके प्रयोग के बीच संकीर्ण समय अंतराल, खासकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षार्थियों के बदलते सामाजिक व व्यक्तिगत आवश्यकताओं और उभरते राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के लिए उनकी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यचर्या का समय-समय पर नवीनीकरण करना आवश्यक बना देता है। भारत सौभाग्यशाली है कि 'जनसांख्यिक लाभांश' केवल 20 वर्षों से थोड़ा अधिक ही रहने की आशा है। इसलिए यह ज़रूरी है कि देश में बच्चे और युवा ज्ञान, कौशल, मनोभाव और मूल्यों के साथ साथ रोजगार-योग्य कौशल से लैस हो जो उन्हें भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक बदलाव में योगदान करने में सक्षम बनाएगा।

वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखण

(Alignment with the global sustainable development goal)

वैश्विक शिक्षा के विकास एजेंडा की दिशा सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडा के सतत विकास लक्ष्य 4 (SDG4) में दिखाई पड़ता है। SDG4, 2030 तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। SDG4 के सात लक्ष्यों में से पाँच गुणवत्ता शिक्षा और सीखने के प्रतिफल पर केंद्रित है। अतः SDG4 एक सर्वव्यापी लक्ष्य है जो प्रत्येक राष्ट्र के लिए लागू होता है कि वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता को स्थायी रूप से लाने का प्रयास करे। यह एक बड़ी चुनौती है और इसको समझने की शुरुआत शिक्षा के शुरुआती हिस्से में होनी चाहिए। भविष्य कि शिक्षा का दूसरा पहलू शिक्षा से जुड़े अन्य आयामों से निपटना है। ज्ञान अगर सभी क्षेत्रों / आयामों से जुड़ा होगा तो वह परिवर्तनकारी भी होगा। SDG4 का एक अतिमहत्वपूर्ण पहलू गुणवत्ता शिक्षा को सम्मिलित करना और इसको प्रोत्साहित करना है और शिक्षा के क्षेत्र में

काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह की सोच को विकसित करने की आवश्यकता है।

जब विद्यार्थी और शिक्षक उद्देश्य पूर्ण अधिगम अनुभव में संलिप्त होते हैं तो शैक्षिक अवसर पैदा होते हैं जो विद्यार्थियों को कई तरीकों से विकसित करने में मदद करते हैं। इसके लिए स्पष्ट लक्ष्यों को एक दुरुस्त पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र में बदलने के कौशल की जरूरत होती है, और सार्थक सीखने के अवसरों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षकों, स्कूल और शैक्षिक प्रशासकों के नेतृत्व की जरूरत होती है। संक्षेप में, सीखने को बढ़ावा देने या सहायता प्रदान करने के लिए सहायक संगठनों, संसाधनों, और अच्छी नीतियों सहित एक प्रभावी प्रणाली की आवश्यकता होती है। इस तरह के बड़े लक्ष्य को सीखने में सहायक होने के लिए पूरी शिक्षा प्रणाली को फिर से साँचे में ढालने की जरूरत है, वरना एसडीजी (SDGs) के किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है। मात्र शैक्षिक नवाचार से सफलता प्राप्त नहीं होगी।

शिक्षा के लिए एकीकृत मगर लचीला दृष्टिकोण (An Integrated Yet flexible Approach to Education)

वर्तमान नीति की शुरुआत ईसीसीई (Early Childhood Care and Education) को स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर (पूर्व प्राथमिक शिक्षा के 3 साल एवं ग्रेड 1 व 2) के रूप में देखते हुए होती है, जिसमें 3 -8 वर्ष की आयु के बीच के बहुत छोटे बच्चों के लिए खेलने व खोज आधारित सीखने के लिए एक ही पाठ्यचर्या और शैक्षणिक चरण हों। 2002 में हुए 86वें संवैधानिक संशोधन में 3 वर्ष की आयु के बाद तक के बच्चों के लिए ईसीसीई (ECEC) का प्रावधान बढ़ा दिया और इस प्रतिबद्धता को सम्मान दिया गया है। यह नीति बच्चों में संज्ञानात्मक क्षमताओं/कौशलों के विकास में अंतर का संज्ञान लेती है। पहले 5 वर्षों का लचीलापन बच्चों के विभिन्न संज्ञानात्मक कौशलों को एक समान करने में मदद करेगा। इसके बाद 3 साल (ग्रेड 3, 4 व 5) की बुनियादी शिक्षा का एक प्रारंभिक चरण होगा जिसमें कुछ पाठ्य पुस्तकों के साथ-साथ अधिक औपचारिक कक्षा अधिगम के पहलुओं को शामिल किया जाएगा। मध्य विद्यालय शिक्षा के अगले 3 वर्षों (ग्रेड 6, 7 और 8) से लेकर माध्यमिक शिक्षा चरण (ग्रेड 9, 10, 11, 12) तक में ज्यादा अमूर्त चिंतन और विषय शिक्षण शामिल होगा। माध्यमिक शिक्षा के आखिर 4 वर्षों के चरण में किसी

अध्ययन के स्नातक कार्यक्रम के अगले चरण की तैयारी के साथ 'लिबरल आर्ट्स शिक्षा' को जल्दी शुरू करने की सुविधा होगी। इसके अलावा उपयुक्त निकास विकल्पों के साथ बहु-विषयक अध्ययन करना आसान होगा।

शिक्षा के विकास के लिए एक व्यापक नीति की अवधारणा और मसौदा तैयार करने में, समिति ने शिक्षा के विभिन्न चरणों के परस्पर संबद्धता को ध्यान में रखा है और यह कैसे निरंतरता, संगतता और प्रक्रियाओं को सक्षम बनाएगा और अंत में देश के लिए एक शैक्षिक रोडमैप को साकार करेगा। हमने माध्यमिक शिक्षा चरण की शुरुआत करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान में जाने के लिए कई निकास और प्रवेश विकल्प प्रदान किए हैं। कोई विद्यार्थी जो भले ही अपनी पढ़ाई बंद कर चुका है, वह उच्च स्तर में फिर से प्रवेश और निरंतर शिक्षा के लिए योग्य होगा, इसके लिए नीति तैयार करते समय उपयुक्त योजनाएँ दिए गए हैं। समिति ने इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया है कि शैक्षिक ढाँचे के कई आयाम एक मजबूत शैक्षिक प्रगति के समग्र रूपरेखा के भीतर होना चाहिए।

अंतरसंबद्धता की अवधारणा विद्यार्थियों को उचित उन्मुखीकरण के जरिए उच्च स्तर पर आगे की पढ़ाई के लिए तैयार करती है, जो कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर में लागू किए जाने वाले लिबरल शिक्षा के शुरुआती प्रयासों से आएगी। लिबरल आर्ट्स शिक्षा की मजबूत बुनियाद और विभिन्न स्तरों पर व्यवसायिक शिक्षा का प्रावधान सभी स्नातक शिक्षा का हिस्सा है। स्नातक शिक्षा का चौथा वर्ष भी परास्नातक और डॉक्टरेट स्तर की शिक्षा में बिना किसी बाधा के एकीकृत हो सकते हैं। लंबे समय में, यह एकीकृत अवधारणा व्यवसायिक शिक्षा को स्नातक शिक्षा की मुख्यधारा में लाने में भी मदद करेगा, इससे शिक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण पैदा होगा और नीति की भावना समग्र रूप में साकार हो सकेगी।

अंत में, परस्पर संबद्धता की अवधारणा सामाजिक संदर्भ में शिक्षा के स्थान पर लागू होती है, जो दोनों को प्रभावित करती है और इससे प्रभावित होती है। नीति शैक्षिक प्रयासों की सफलता के लिए समुदाय के स्वामित्व को महत्वपूर्ण मानती है, चाहे वह विद्यालय परिसर प्रबंधन समिति के माध्यम से एक स्कूल परिसर का स्वामित्व हो या शैक्षिक कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए स्वयंसेवा के माध्यम से हो। यह समुदाय आधारित संगठन और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा समान प्रयासों के अभिसरण और समुदाय सदस्यों की

विशेषज्ञता को शामिल करने की परिकल्पना करता है, जैसा कि संस्थान कई तरीकों से समुदाय की प्रगति में योगदान करते हैं।

उच्च शिक्षा में लिबरल आर्ट दृष्टिकोण

(Liberal arts approach in higher education)

नालंदा और तक्षशिला के समय से या उससे भी पहले से भारत में, उच्च शिक्षा का इतिहास यह बताता है कि मानवीय ज्ञान के सभी पहलू और अन्वेषण मौलिक रूप से जुड़े हैं। एक व्यापक और एकीकृत शिक्षा के माध्यम से प्रदान की जाने वाली ज्ञान की समग्र प्रकृति विद्यार्थियों को जीवन, कार्य और समाज के प्रभावी सदस्य बनने की तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इस संदर्भ में, जिस लिबरल एजुकेशन को आज हम विभिन्न विषयों की सारणी के माध्यम से दिखाते हैं, जिसमें कला, मानविकी, गणित और विज्ञान शामिल हैं, दुनिया भर के कई उच्च अध्ययन के संस्थानों ने ठीक ढंग से एक विशेष क्षेत्र के गहन अध्ययन के साथ एकीकृत करके कार्यान्वित किया है। इस तरह के प्रयास, जो विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के साथ मानविकी और कला को एकीकृत करते हैं, पर उपलब्ध आकलन इसके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। बहुत स्पष्ट तौर पर, सीखने की सामान्य क्रिया और इस का आनंद लेने के अलावा, यहाँ के परिणामों में अन्य बातों के साथ अधिक आलोचनात्मक चिंतन, उच्च स्तरीय चिंतन, गहन अधिगम, विषय-वस्तु की दक्षता, समस्या समाधान, टीम वर्क और संचार कौशल शामिल है। भले ही भारत में व्यवस्थित शोध अध्ययनों के माध्यम से इस तरह के निर्णायक आकलन अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी दूसरी जगहों पर उपलब्ध आकलन के निष्कर्ष स्नातक स्तर पर उदार शिक्षा (लिबरल एजुकेशन) शुरू करने के लिए पर्याप्त और ठोस हैं। ये विद्यार्थियों को भविष्य में विभिन्न रोजगार परिदृश्यों के लिए अपनी राह तैयार करने, साथ ही अपने पेशे में दूसरी भूमिकाएँ निभाने हेतु तैयार करते हैं। स्नातक स्तर की शिक्षा कि यह नीति वर्तमान संदर्भ के लिए तो माफिक है ही बल्कि भविष्य में भी मानवीय प्रयासों की बहुलता और साथ ही साथ संबंधित तंत्रों की बढ़ती अनिश्चितताओं के लिए भी उपयुक्त है।

उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान पर फोकस

(Focus on High Quality Research)

परास्नातक (Masters) और डॉक्टरेट स्तर को मास्टर डिग्री में कम से कम तीन रूट के प्रावधान के साथ मजबूत किया जा रहा है- एक साल की डिग्री, दो साल की डिग्री और एकीकृत 5 साल की डिग्री। मास्टर्स डिग्री में, विषय विशेष में उपयुक्त क्षमता को मजबूत करने के लिए तथा विद्यार्थियों को एक शोध डिग्री हेतु तैयार करने के लिए, शोध एक महत्वपूर्ण घटक होगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमी विश्वविद्यालय स्तर पर अनुसंधान की योजना और कार्यान्वयन के लिए सुसंगत दिशा का अभाव है। हमने इस बड़ी कमी को दूर करने के लिए पहली बार एक नया राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान (एनआरएफ/NRF) प्रस्तावित किया है, जो शिक्षा प्रणाली के भीतर मुख्य रूप से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करेगा। एनआरएफ (NRF) विज्ञान, तकनीक, सामाजिक विज्ञान और कला एवं मानविकी के चार व्यापक क्षेत्रों को शामिल करेगा। वर्तमान में कमजोर समर्थन प्राप्त विषयों जैसे सामाजिक विज्ञान और मानविकी को मजबूत करने के अलावा, एनआरएफ (NRF) बहु-विषयक स्वरूप के विभिन्न अनुसंधान प्रयासों के बीच सामंजस्य भी लाएगा।

वित्त पोषण प्रदान करने के अलावा, एनआरएफ (NRF) परामर्श के एक नए स्थापित किए जाने वाले औपचारिक तंत्र के माध्यम से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शोध क्षमता के विकास और निर्माण की आवश्यकता का भी ध्यान रखेगा। एनआरएफ (NRF) के कामकाज के सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए जरूरी है: 1. हितधारकों और अनुसंधान समूहों के बीच तालमेल लाना 2. नियंत्रण तथा बीच के सुधारों के लिए एक तंत्र का निर्माण, और 3. व्यापक स्तर पर विश्वविद्यालयों और उनके समकक्षों के बीच की कड़ियों को मजबूत किया जाना। एनआरएफ (NRF) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों विशेष कर उन संस्थानों में शोध को बढ़ावा देगा जो अब तक देश के अनुसंधान परिदृश्य में बड़े खिलाड़ी नहीं हैं। इसके लिए देश में प्रमुख संस्थानों के प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं को शामिल करते हुए एक संस्थागत सलाह तंत्र के माध्यम से अनुसंधान करने की क्षमता का निर्माण करने में मदद करेगा।

शिक्षा प्रणाली के रूपान्तरण को सुगम बनाना (Facilitating Transformation of Education System)

शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की इस नीति की यह परिकल्पना बिना बहुत ही अनुभवी और उत्साही स्कूल शिक्षकों और कॉलेज शिक्षकों के संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए उनकी तैयारी पूरी होनी पड़ेगी। इसलिए शिक्षकों की तैयारी, उनका आमुखीकरण तथा प्रशिक्षण की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा संस्थानों को लेनी पड़ेगी। ये ऐसे संस्थान या विश्वविद्यालय होने चाहिये जहां सभी प्रकार के कोर्स और पाठ्यक्रम चलते हों। शिक्षण के द्वारा शिक्षा व्यवस्था के विकास के अतिरिक्त शिक्षकों की भूमिका शोध, संस्था के निर्माण तथा छात्रों के पूर्ण विकास में भी होगी और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा।

स्कूलों के संदर्भ में, स्कूल कॉम्प्लेक्स का विकास एक नयी परंपरा को विकसित करेगा जिससे कॉमन संसाधनों का समुचित उपयोग हो पाएगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव सबसे पहले 1964-66 की स्कूल कमिशन की रिपोर्ट में की गयी थी। फिर एनपीई 1986/92 की प्रोग्राम ऑफ एक्शन में भी इसको शामिल किया गया था लेकिन इसे लागू करने में चूक हुई। हमें परिवर्तन के प्रति अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है जिससे बदलाव की इस प्रक्रिया को ध्यान से क्रियान्वित किया जा सके और सफल स्कूल कॉम्प्लेक्स की प्रक्रियाओं को अन्य जगहों तक फैलाया जा सके। खुलेपन और संसाधनों की सामूहिक इस्तेमाल की यह संस्कृति हमारी सोच और प्रवृत्ति को बदलने में काफी मदद करेगा और इस नीति का सफल क्रियान्वयन हो पाएगा। एक ज्ञानवान समाज (Knowledge Society) के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें एक उत्तरदायी शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है जो तभी हो सकता है जब हमारे शिक्षा संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि इस नीति में दर्शाये गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सक्षम और स्वतंत्र हों।

इस नीति में उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रशासन को एक एकीकृत इकाई के तौर पर देखा गया है जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रम संबंधित, प्रशासनिक और वित्तीय मामले शामिल होंगे। इन्हें जरूरी स्वायत्तता हासिल होगी जिससे की ये ज्यादा स्वतंत्र और कुशल बन पाएंगे। इनमें काँट-छांट का कोई भी प्रयास इन्हें वास्तव में कमजोर करेगा। इसलिए हमें किसी भी प्रकार की छोटी स्वायत्तता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन इस स्वायत्तता के

साथ ही जिम्मेदारियों के मानदंड भी तय करने पड़ेंगी जिससे की वो अपनी स्वायतता का सही मायनों में इस्तेमाल करें। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए बड़ी संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले लोगों जैसे वाइस चान्सलर, संस्थानों के डाइरेक्टर, रजिस्ट्रार, नीति निर्माता, प्रशासक, आदि की जरूरत पड़ेगी। इस नीति के अनुसार इनकी भूमिका शिक्षा जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और इसके लिए उनकी ट्रेनिंग या आमुखीकरण आदि की भी जरूरत पड़ेगी। इस किस्म की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग जरूरी ढांचे बनाएगा।

विश्वविद्यालयी शिक्षा की संरचना का निरूपण प्रत्येक स्तर पर शोध को शामिल करते हुए एक बहु विषयक उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में किया गया है। यह नीति विश्वविद्यालय और कॉलेज में अनुसंधान और विकास की एक मायी संस्कृति विकसित होते देखना चाहती है। ऐसी उम्मीद है की आने वाले सालों में विश्वविद्यालयों में बहु विषयक उच्च शिक्षा जिसमें कृषि, चिकित्सा और कानून जैसे व्यवसायिक विषयों का भी समावेश होगा, उपलब्ध होगा। इसी के साथ वहाँ शोध के भी अच्छे मौके उपलब्ध होंगे। इससे विद्यार्थियों को ना केवल सम्पूर्ण शिक्षा के मौके मिलेंगे बल्कि उन्हें अपनी पसंद के विषयों का अध्ययन करने तथा अपनी रचनात्मकता और मौलिकता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

जहां तक इन पर नियंत्रण का सवाल है हमने अपनी संस्तुति इस प्रमुख सिद्धान्त के आधार पर की है कि विनियमन, शिक्षा की व्यवस्था, प्रमाणन, वित्त पोषण तथा स्तर का निर्धारण आदि एक अलग इकाई के द्वारा किया जाएगा और यहाँ भी प्रयास होगा कि नियंत्रण कम से कम हो। इससे हितों के द्वंद तथा अधिकारों के केंद्रण को भी रोका जा सकेगा।

भ्रष्टाचार शिक्षा के गवर्नेंस को प्रभावित करने वाला एक एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है। हमारी लोक प्रणालियों से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का संकल्प इस विश्वास के साथ स्थापित किया गया है कि ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिकता की बुनियाद के बिना हम एक देश के रूप में महानता हासिल नहीं कर पाएंगे। भ्रष्टाचार की प्रकृति केवल वित्तीय या मौद्रिक नहीं है। यह ऐसी कोई भी रुकावट हो सकती है जो जनता की भलाई के लिए महत्वपूर्ण प्रणालियों के संचालन में निष्पक्षता, नैतिकता व ईमानदारी को कम करती है। इसके लिए अकुशल प्रणालियों को फिर से बनाने और प्रभावी नेतृत्व और नए संकल्प के साथ काम करने की आवश्यकता होगी। दृष्टिकोण ऐसी होनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि राजनीतिक पहल और प्रशासनिक प्रणालियों दोनों शिक्षा प्रणाली में

बदलाव के लक्ष्य को पूरा करे और निहित स्वार्थों की ताकत को समाप्त करे। विनियमन की पारदर्शिता और दक्षता में सुधार और सार्वजनिक संसाधनों का निवेश उन क्षेत्रों में करें जिससे प्रभावी परिवर्तन के लिए पूंजी का निर्माण हो।

वर्तमान नीति राष्ट्रीय प्रयासों के कई ऐसे घटकों को शामिल करती है जो वर्तमान एमएचआरडी (MHRD) के अधिकारों से परे हैं। समिति एक अति महत्वपूर्ण निकाय बनाने के महत्व को समझती है जो केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर व्यापक रूप से विविध संस्थानों और विभागों में विकसित हो रहे प्रयासों को समन्वित व एकीकृत करेगा। इसके लिए एक संस्थागत तंत्र होगा जिसके पास इसे संभव बनाने के लिए आवश्यक अधिकार होंगे। हमने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (RSA/NEC) बनाने का यहाँ एक अहम सुझाव दिया है। शिक्षा को समग्र रूप से ही प्रदान किया जाना चाहिए और शिक्षा प्रणाली को तेजी से बदलते पर्यावरण और नॉलेज सोसायटी की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गवर्नेंस के लिए एक नया दृष्टिकोण लाएगा, जो शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों के माध्यम से काफी विशेषज्ञता प्राप्त करेगा और 21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों के अनुरूप निगरानी प्रदान करेगा। आरएसए के लिए संगठनात्मक व्यवस्था और समनव्य ढाँचा देश के सबसे उच्चतम राजनीतिक स्तरों से अपने अधिकार प्राप्त करेंगे। इस सर्वोच्च निकाय को स्वयं प्रधानमंत्री की ज़िम्मेदारी के तहत रखा जा रहा है। ताकि देश की सरकार के सर्वोच्च अधिकारी की भूमिका के रूप में प्रधानमंत्री आवश्यक तालमेल बनाने और इस राष्ट्रीय प्रयास को दिशा प्रदान करने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें, एक नॉलेज सोसाइटी के लिए देश के एक सम्पूर्ण विज्ञान के एक भाग के रूप में।

नीति को तैयार करते समय हमारे पास गुणवत्ता और मात्रा दोनों में प्रामाणिक आकड़ें इकट्ठा करने की एक गंभीर समस्या थी। शिक्षा नीतियां काफी हद तक शिक्षा के महत्वपूर्ण मापदंडों के विकास के पैटर्न में रुझानों के विश्लेषण का परिणाम है। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के रुझानों और पैटर्न का अध्ययन करने के लिए डाटा संग्रह, संगठन, क्षमता का विश्लेषण और निर्माण के लिए देश में एक बड़ा प्रयास किया जाता है। हमने सुझाव दिया है कि एनआईईपीए (NIEPA) को मजबूत किया जाए और एनआईईपीए (NIEPA) के अंदर एक स्वतंत्र स्वायत्त इकाई के रूप में एक नए सीईएसडी (CESD) के तहत सभी डेटा एकीकरण, विश्लेषण और कार्य के रेंज को समेकित और विस्तारित किया जाए।

राष्ट्रीय विकास को सुविधाजनक बनाना (Facilitating National Development)

भारत 2032 तक संयुक्त राज्य और चीन के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी जगह बनाने की महत्वाकांक्षा रखता है, इसी अवधि के दौरान यह नीति एक बड़ा परिवर्तन लाएगी। भारत अभी छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम 5-7 वर्षों में 5 ट्रिलियन तक पहुँचकर चौथे या पाँचवें स्थान पर पहुँच जाएंगे। 2030-2032 तक हम 10 ट्रिलियन से अधिक की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। हमारी 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि ज्ञान संसाधनों से संचालित होगी। हमने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के निहितार्थ पर ध्यान नहीं दिया है। यह पूरी तरह से अलग परिस्थिति होगी। व्यवस्था और तंत्र हमें अलग तरीके से सोचने के लिए मजबूर करता है और इस मील के पत्थर को हासिल करने से पूरे देश में इसके प्रभाव व परिणाम होंगे। क्या हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन के अलावा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हैं और आने वाले वर्षों में इसे बनाए रखने के लिए आश्वस्त होंगे? ऐसा करने के लिए हमें ज्ञान की माँगों, तकनीकों और जिस तरह से ये समाज रहते और काम करते हैं, के संदर्भ में सभी आवश्यक गुण और विशेषताओं के साथ एक मजबूत शिक्षा प्रणाली के आधार पर नॉलेज सोसायटी की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में भारत को नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए चौथी औद्योगिक क्रांति का लाभ उठाने का आह्वान विशेष रूप से उपयुक्त है।

पुनरावृत्ति के जोखिम पर भी, यह समझना जरूरी होगा कि 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने से हमें वह धन मिलेगा जिसकी हमें आवश्यकता है, लेकिन यदि हम अभी खर्च नहीं करेंगे तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना आसान नहीं होगा। जिस मानव संसाधन की जरूरत होगी उसे तैयार करने के लिए हम 10 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुँचने का इंतजार नहीं कर सकते। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा होंगी जो हाल में देश के कुछ हिस्सों में चल रही है, लेकिन पूरे देश को इसमें शामिल करने की आवश्यकता है। इसलिए, हमें अभी उस वित्त को जुटाने के प्रयास करने चाहिए जो शिक्षा की जरूरत है और इसे जल्दी करना चाहिए। परिपूर्णता की खातिर, हमने इस नीति को अगले दशक के भीतर हकीकत में

बदलने के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता का एक मोटा और प्रारंभिक अनुमान शामिल किया है। इसी प्रकार, इस नीति को लागू करने के लिए हमें जो व्यापक कदम उठाने की जरूरत है, वे भी परिशिष्ट में शामिल हैं। ये दोनों कार्यान्वयन के लिए ज़्यादातर दिशा-निर्देशों की प्रकृति में हैं और सीधे तौर पर नीति का हिस्सा नहीं हैं।

नीति का कार्यान्वयन पूरी तरह सुनिश्चित करना

(Ensuring Implementation in spirit and Intent)

भले ही इस नीति में बहुत कुछ सोचा गया हो, लेकिन यह हमारे लिए एक प्रतिभाशाली नॉलेज सोसायटी के सपने को साकार करने के लिए काफी नहीं है। नीति को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे कई और कदम हमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उठाने होंगे। यह सावधानीपूर्वक योजना बनाने और एक अच्छी तरह से सोची समझी कार्यान्वयन रणनीति पर निर्भर करेगा, जो व्यवहारिकता और जमीनी वास्तविकताओं के अनुरूप हो। यह समाज के विभिन्न वर्गों के दृष्टिकोण से भी प्रभावित होगा (जो भारत के संदर्भ में स्वाभाविक रूप से जटिल है), साथ ही साथ हम इसके कार्यान्वयन में सभी योजनाओं और कार्यान्वयन प्रयासों के केंद्र में राष्ट्रीय हित को रखते हुए सबसे कठोर/सख्त प्रॉफिश्रल्स, बौद्धिक, नैतिक और नीतिपरक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कितने अच्छे से तैयार हैं।

नीतिगत उद्देश्यों और पहलों के व्यापक रूप रेखा के भीतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित किया जाएगा- 1. अपनी परिस्थितियों और संदर्भों के अनुसार नीति के व्यापक उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राथमिकता दें और उन्हें अपने अनुसार अनुकूलित करें; 2. राष्ट्रीय नीतिगत उद्देश्यों के व्यापक दायरे में राज्य अपने लिए विशिष्ट लक्ष्य तय करें और शिक्षा क्षेत्र के विकास/कार्यक्रम की योजनाएँ बनाएं; 3. शिक्षा क्षेत्र में पूर्व की उपलब्धियों, उभरती राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, संसाधनों की उपलब्धता और संस्थागत क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त मध्यवर्ती लक्ष्य (जैसे 2025 और 2030) तय करना चाहिए। हाशिये और बहिष्कृत समूहों की शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा प्रणाली शिक्षार्थियों के विविध समूहों की परिस्थितियों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसके अनुकूल प्रतिक्रिया देने के लिए रणनीतियाँ और प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन को तैयार करेगी। इसलिए चुनौती यह है कि नीति को उस भावना से लागू करना होगा जिसमें व्यक्त किया गया है। मुझे भरोसा है कि हम ऐसा कर पाएँगे। पूर्व में, कई समूहों ने भारत में गुणवत्तापूर्ण

शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और मैं विश्वास करता हूँ कि वह ऐसा करना जारी रखेंगे। कई संगठनों और संस्थाओं के साथ-साथ हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और सिख समुदायों, ईसाई मिशनरी समूहों, जैन संप्रदायों और कई अन्य सांस्कृतिक, श्रद्धा-आधारित और सामुदायिक संगठनों द्वारा शुरुआती समय में बनाए गए काफी संस्थान हैं, जिनमें से कई आज भी देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। इन सब और अन्य योगदानों को इस नीति द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा को देखते हुए और भी ऊँचाइयों तक पहुँचाना चाहिए। आगे बढ़ने पर, नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक भारतीय को अपना आवश्यक रूप से श्रेष्ठ योगदान देने की जरूरत होगी। हमने इस आवश्यकता को समझा है और इस नीति के माध्यम से सभी के योगदान को विधिसंगत बनाने के रास्ते तैयार करने की कोशिश की है, लेकिन इस योगदान को नीति में उल्लेखित गवर्नेंस में सुधारों के माध्यम से सभी को समग्र व सुसंगत तरीके से एक साथ रखा जाना चाहिए। यह उस तरह की प्रतिबद्धता और नेतृत्व चाहेगा जिसे हमने स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से नहीं देखा है।

नीति की सफलता पूरी तरह से इसके कार्यान्वयन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के बारे में बहुत अच्छी बात कही थी “..... मुझे लगता है कि यह एक अच्छा संविधान है लेकिन इसका बुरा होना भी निश्चित है अगर वो लोग जो इसपर काम करेंगे वो बहुत बुरे हैं। वहीं पर अगर संविधान बुरा हो लेकिन अगर इस पर काम करने वाले लोग बहुत अच्छे हैं तो यह अच्छा हो सकता है। संविधान का कार्य संविधान की प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर नहीं करता है....” हालांकि एनईपी (NEP) की तुलना संविधान से नहीं की जानी चाहिए लेकिन इस देश के 50% से अधिक लोगों जो 25 साल से कम उम्र के हैं के जीवन पर इसका प्रभाव असाधारण होगा, और इसलिए इसे अत्यधिक सावधानी और प्रतिबद्धता से लागू करने की जरूरत है। आने वाले वर्षों में जिस परिमाण से बच्चों और युवाओं को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएँगे उस हिसाब से भारत और इसके लोगों के भविष्य की दिशा तय होगी। इस देश के भविष्य के लिए एक शिक्षा प्रणाली के बारे में विचार करते समय तथा वर्तमान की अपनी शिक्षा प्रणाली की अवस्था को देखते हुए ये बातें हमेशा हमारे दिमाग में थीं। चुनौतियाँ कई हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसका दृढ़ता से सामना करना और इसे सफल बनाना इस महान राष्ट्र की क्षमता के अंदर है।

शैक्षिक प्रयासों का समाज पर या समाज का शैक्षिक प्रयासों पर जो असाधारण प्रभाव पड़ता है, पर विचार करते हुए यह जरूरी है कि नॉलेज सोसायटी के निर्माण के विभिन्न

पहलुओं के लिए सामाज की प्रतिक्रिया को हम अनदेखा नहीं करें, जिसके लिए इस नीति द्वारा केंद्रीय भूमिका निभाए जाने की उम्मीद है। इसके लिए हमें कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जैसे, मानसिकता, दृष्टिकोण और संस्कृति के साथ-साथ व्यक्तिगत, संस्थागत, प्रणालीगत और सामाजिक स्तरों जैसे कई पहलू। हालाँकि आर्थिक और अमली जामा पहनाने के दृष्टिकोण से यह एक चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव की तरह लग सकता है लेकिन जो हमने अभी तक नहीं पहचाना है वह यह है कि इस देश में ऐसी बौट सारी एजेंसीयों और व्यक्ति हैं जो स्वेच्छा से सहायता प्रदान करने के लिए आगे आएँगे यदि उन्हें आश्वस्त किया जाए कि नॉलेज सोसायटी के निर्माण एक नैतिक दृष्टिकोण है तथा इसे सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से किया जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 भारतीय लोगों, उनकी परंपराओं, संस्कृतियों और भाषाओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलते, ज्ञान आधारित समाजों की आवश्यकताओं को संबोधित करने तथा शिक्षा प्रणाली के रूपांतरण और उसमें एक जीवंतता लाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मानव पूंजी, जो पूंजी का सबसे महत्वपूर्ण रूप है, ही आवश्यक बदलाव को बढ़ावा देगा और यह सुरक्षित एवं मजबूत है। सबसे अधिक प्राथमिकता उच्च गुणवत्ता और व्यापक शिक्षा तक सबकी पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए दी गई है, जो भारत के निरंतर विकास, प्रगति और वैश्विक मंच पर- आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समानता, पर्यावरण की देख-रेख, वैज्ञानिक उन्नति और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में नेतृत्व का समर्थन करेगा तथा व्यक्तिगत, देश और दुनिया की भलाई के लिए हमारे देश की समृद्ध प्रतिभाओं और संसाधनों को विकसित करने के लिए करेगा। गुणवत्ता और समता की सोच पर स्थापित शिक्षा प्रणाली को स्थायी विकास के लिए अहम माना जाता है। यह उभरती हुई ज्ञान अर्थव्यवस्था और समाज, सामाजिक-आर्थिक बदलाव, और एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और संवेदनशील समाज के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।

आभार नोट

(A Note of Gratitude)

व्यक्तिगत तौर पर, मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति के प्रत्येक सदस्यों के प्रति अपना गहरा आभार प्रकट करता हूँ।

समिति की गतिविधियों के गठन में प्रोफ़ेसर एम.के.श्रीधर की बड़ी भूमिका थी, जिसमें विचार-विमर्श के संचालन के तरीके बनाना भी शामिल था। बैठकों के लिए एजेंडा की सावधानीपूर्वक समीक्षा करना व्यक्तिगत/संगठनों/एजेंसियों की पहचान और चुनाव करना जिनके साथ बातचीत होनी चाहिए, और साथ ही साथ नीति के निर्माण के निहितार्थों के साथ कई मोर्चों पर समय पर अलर्ट प्रदान करने में आपकी अहम भूमिका थी। शिक्षा के क्षेत्र में उनका व्यापक ज्ञान और अनुभव विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित उपयुक्त रणनीतियों को तैयार करने के लिए समिति के लिए एक बहुमूल्य संपत्ति साबित हुई।

प्रोफ़ेसर मंजुल भार्गव ने कई महत्वपूर्ण विचारों को रखा, उनमें से कई आउट-ऑफ-द-बॉक्स और भविष्य के लिए काफी प्रासंगिक थे। मैं विशेष रूप से श्रेष्ठता और यथार्थवाद के उच्चतम मानकों को ध्यान में रखते हुए एक नीति बनाने और मसौदा तैयार करने के उद्देश्य के प्रति उनके समर्पण और प्रतिबद्धता की असाधारण भावना से काफी प्रभावित हुआ हूँ। समिति के सभी महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेने के लिए वह स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका से कई बार भारत आए। उनके बारे में अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए मेरे शब्द विफल हो रहे हैं।

प्रोफ़ेसर वसुधा कामत समिति की एक अहम सदस्य थीं, जिनके पास देश की शिक्षा प्रणाली का असाधारण अनुभव था। वह अपने ज्ञान और विद्वता के उच्चतम स्तर की नीति के कई तत्वों को उचित जोर देने और दिशा प्रदान करने के लिए शैक्षिक प्रयासों की एक विस्तृत स्पेक्ट्रम को तैयार किया। नीति को तैयार करने में मदद करने के अलावा, वह इस नीति से संबंधित कई मुद्दों पर हमारे द्वारा रखे गए विचार, निर्णय आदि की महत्वपूर्ण आंतरिक आलोचक भी साबित हुईं।

श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश के अपने ज्ञान और स्कूली शिक्षा के अनुभव को लेकर आए। उन्होंने एक विद्यार्थी, शिक्षक, साथ ही एक बुनियादी ढाँचे, वित्तपोषण आदि के मुद्दों के संदर्भ में स्कूली शिक्षा की अच्छी और जो उतनी अच्छी नहीं है विशेषताओं को समिति के ध्यान में लाया। स्कूली शिक्षा के संबंध में नीति तैयार करने में उनके विचार काफी प्रभावशाली रहे।

प्रोफेसर टी.वी. कट्टीमानी ने समाज के वंचित वर्ग से संबंधित शैक्षिक मुद्दों के अपने व्यापक और गहन ज्ञान के साथ देश की जनजातिय आबादी को विशेष ध्यान में रखते हुए समिति को बहुत ही दुर्लभ जानकारीयाँ और समझ प्रदान की जो हमारे द्वारा वंचितों को शिक्षित करने के लिए नीति तैयार करने का आधार बनी।

प्रोफेसर मज़हर आसिफ की सामान्य रूप से भाषाओं की विद्वता, साथ ही साथ क्लासिकल और आधुनिक भाषाओं के विकास के उनके महत्वपूर्ण ज्ञान, इस क्षेत्र में एक व्यापक नीति को परिभाषित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे।

प्रोफेसर रामशंकर कुरील ने विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं पर बहुत व्यापक, विचारणीय और उपयुक्त टिप्पणीयाँ प्रदान की, जिसमें खासकर गवर्नेंस के संदर्भ को लेकर और जरूरी सुधार लाने की आवश्यकता पर थी। इसके अलावा, कृषि शिक्षा के मुद्दों पर उनकी गहरी समझ ने न केवल कृषि के संबंध में, बल्कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यापक पहलुओं के बारे में जानकारीयाँ प्रदान की।

भले ही समिति के विचार विमर्श के केवल शुरुआती चरण में ही श्री के.जे. अल्फोंस का जुड़ाव रहा हो, लेकिन उनके लिखित विचार बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए, और समिति ने उनके कई उपयोगी सुझावों को उपयुक्त रूप से शामिल किया है। उन्होंने भारत सरकार में केन्द्रीय मंत्री की सेवा करने के लिए जाने के बाद भी समिति की प्रगति में निरंतर रुचि दिखाई।

आखिर में परंतु एक महत्वपूर्ण बात, समिति के सचिव के रूप में डॉक्टर शकीला शम्सू ने एजेंडा और मिनटों की तैयारियों के माध्यम से समिति के विचार विमर्श का लगातार समर्थन करने, दिल्ली एवं अन्य जगहों पर बैठकें आयोजित करने और मंत्रालयों के पूर्व अध्ययनों से कई महत्वपूर्ण इनपुट उपलब्ध कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा, उनके व्यापक अनुभव और उसके बाद की जाने वाली टिप्पणीयाँ जो

उन्होंने नीति के कई प्रमुख मुद्दों पर की थीं, उसी को अंतिम रूप देने के लिए महत्वपूर्ण थीं। डॉ. शम्सू को जब भी समिति के सदस्यों को या कहीं और किसी बारे में जानकारी देनी पड़ी तो उनकी पेशेवर क्षमता ने उन्हें स्पष्टता और फोकस के साथ नीति को व्यक्त करने की सलाहियत प्रदान की।

संपादकीय कार्यों के साथ-साथ प्रतिपादन की शैली सहित नीति को अंतिम रूप देने के लिए हमने प्रोफेसर के. रामचंद्रन और प्रोफेसर अनुराग बेहार दोनों को समिति की गतिविधियों के भाग के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

प्रोफेसर रामचंद्रन शिक्षा के सभी पहलुओं पर एक चलता-फिरता एनसाइक्लोपीडिया साबित हुए, जो वास्तव में नीति बनाने के दौरान महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उचित व्याप्ति सुनिश्चित करने के लिए एक महान संपत्ति के रूप में थे। वह इससे पहले कई प्रारंभिक नीतियों का मसौदा तैयार करने का एक हिस्सा रहे हैं, और शिक्षा की नीति और योजना के मामलों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सक्रिय रहे हैं। उनकी आश्चर्यजनक ऊर्जा के साथ उनका जुनून और उत्साह दस्तावेज़ के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए सतत प्रयास के दौरान एक शानदार तरीके से हमारी सहायता की।

प्रोफेसर अनुराग बेहार शिक्षा प्रणाली की योजना और कार्यान्वयन के अपने व्यापक ज्ञान के माध्यम से नीति को बनाने और उसका मसौदा तैयार करने के प्रयासों और विशेष रूप से अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में एक अहम व्यक्ति साबित हुए। इस देश की बहुआयामी शैक्षिक प्रणाली की सुक्ष्मताओं में उनकी गहरी समझ दस्तावेज़ को अंतिम रूप देने के हमारे निरंतर प्रयासों के लिए वास्तव में मूल्यवान रहा है। इसके अलावा जटिल विचारों को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करने और उन्हें सामान्य पाठक के लिए एक आसान रूप में प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता असाधारण थी।

दस्तावेज़ को तैयार करने की अंतिम चरण में, हमने एक पियर रिव्यू कमेटी को हमारे काम की समीक्षा के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया। इस भूमिका में, श्री जयप्रकाश नारायण, जो 'फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' के महासचिव हैं और शिक्षा में गहरी रुचि रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ने नीति के प्रारूप संस्करण का, विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के संबंध में, एक महत्वपूर्ण आकलन किया।

प्रोफेसर पी. रामाराव इस देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद और वर्तमान में भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष हैं। दशकों से इस देश की कई अनुसंधान और अकादमिक गतिविधियों की समीक्षा करने में इनकी भूमिका रही है। उन्होंने बहुत ही बारीकी से हमारे प्रारूप को देखा है और विशेष रूप से उच्च और व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए बहुत बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। उच्च शिक्षा से संबंधित गवर्नेंस पर उनका अवलोकन बहुत ही प्रासंगिक था।

श्री मोहन दास पाई, जो वर्तमान में मणिपाल ग्लोबल शिक्षा के अध्यक्ष हैं, ने दस्तावेज के संबंध में कई स्पष्ट टिप्पणियाँ और अवलोकन प्रदान किया। उनकी स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों की व्यापक समझ और संख्याओं को याद करने की अदम्य क्षमता जो उनकी टिप्पणियों को प्रमाणित करने के लिए उपयुक्त था, खासतौर से यह उपयोगी रहा।

डॉ विजय केलकर, एक प्रमुख बुद्धिजीवी और देश के कई विकास संबंधी मुद्दों के अपने व्यापक ज्ञान के साथ हमें नीति पर एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य दिया। शिक्षा के विशिष्ट मुद्दों को रेखांकित करने के लिए उन्होंने जिस दृष्टिकोण को अपनाया था उसने विषय-वस्तुओं और विषयों के व्यापक करने में काफी मदद किया।

एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर जे.एस राजपूत, पिछली सुब्रमण्यम समिति के सदस्य थे, और शिक्षा से संबंधित मामलों से निपटने के उनके व्यापक अनुभव ने उन्हें नीति के कई पहलुओं पर अत्यंत मूल्यवान सुझाव प्रदान करने में सक्षम बनाया।

इसी तरह, शिक्षा के जमीनी स्तर पर अपने व्यापक अनुभव के साथ, पुणे के 'ब्रिहण महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स', के पूर्व प्रिंसिपल, प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे ने दस्तावेज के प्रारूप पर बहुत विचारशील प्रतिक्रिया दी।

डॉ. लीना वाडिया ने समिति के समग्र प्रयासों में मदद की, अपने निर्माणात्मक चरणों से लेकर नीति के विभिन्न पहलुओं को तैयार करने के गंभीर चरणों तक और दस्तावेज के प्रारूप के अंतिम संस्करण को साकार करने में मदद की।

डॉ. विजय कुमार ने नीति के निर्माण के कई पहलुओं पर प्रमुखता से सहायता प्रदान करने की भूमिका निभाई, जिसमें उपलब्ध आकड़ों का प्रारम्भिक रुझान विश्लेषण और शिक्षा में प्रौद्योगिकी के कई पहलू शामिल हैं।

तकनीकी सचिवालय के अन्य सदस्यों के बारे में, डॉ. विजय चंद्रा ने भारतीय भाषाओं पर अपने किए हुए काम को प्रयोग में लाया, श्री चेतन सिंहई ने उच्च शिक्षा पर अपना शोध कार्य; जबकि श्री गौरिशा जोशी और श्रीमति सौम्या ने तकनीकी सचिवालय और परामर्श का समनव्य किया।

श्री हेमराज मंत्रालय और समिति के सचिवालय के बीच की कड़ी थे जो बैठकों के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक था। साथ ही उन्होंने ने समिति को प्रशासनिक सहायता भी प्रदान की। श्री शकील कुरेशी समिति को मंत्रालय के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारीयों/सूचनाओं से अवगत कराते रहे, और अध्यक्ष के लिए बैठकों हेतु दिल्ली की उनकी यात्राओं के दौरान लॉजिस्टिक संबंधी सहायता का समनव्य किया। श्री रामानन्द ने भी मंत्रालय से उचित सहायता प्रदान की।

प्रो. डी.पी सिंह, वर्तमान में यूजीसी (UGC) के अध्यक्ष और एनएएस (NAAC) के पूर्व निदेशक ने न केवल समिति के काम को सुविधाजनक बनाया, बल्कि बहुत ही उपयोगी और व्यावहारिक इनपुट भी प्रदान किए। आईसीटीएस (ICTS) से प्रोफेसर राजेश गोपाकुमार और प्रोफेसर स्पेंटा वाडिया समान रूप से सहायक रहे। इसी प्रकार से आईसीटीएस, यूजीसी, एनएएस और अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी समस्त सहायता काफी महत्वपूर्ण रही।

व्यावसायिक शिक्षा के नीतिगत पहलुओं को तैयार करने में, मैं प्रोफेसर एन.आर माधव मेनन (लीगल एजुकेशन), डॉ. एस. अयप्पन (कृषि शिक्षा), डॉ. बी.एन सुरेश (इंजीनियरिंग शिक्षा), डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी और डॉ. अलेक्स थोमस (चिकित्सा शिक्षा) द्वारा प्रदान किए गए सबसे महत्वपूर्ण इनपुट्स, सुझाव और मार्गदर्शन को नहीं भूल सकता। उन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में बहुत प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को चुना था ताकि वे प्रासंगिक नीति प्रक्रियाओं को तैयार करने में सहायता कर सकें। वर्तमान में एआईसीटीई (AICTE) के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे ने इंजीनियरिंग शिक्षा के संदर्भ में समिति के विभिन्न विचार-विमर्शों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सलाहकार की भूमिका निभाई।

उच्च शिक्षा के पूर्व सचिव श्री के.के शर्मा और वर्तमान में श्री आर. सुब्रमण्यम ने प्रारूप तैयार करने के सभी मामलों में निरंतर रुचि ली और समय-समय पर दस्तावेजों की प्रगति पर नज़र रखने के अलावा अपने स्वयं के इनपुट्स और राय प्रदान की। मैं उच्च शिक्षा के पूर्व संयुक्त सचिव श्री राकेश रंजन और वर्तमान में डॉ. श्रवण कुमार की उनके उच्च शिक्षा

से जुड़े पहलुओं के प्रति योगदान की प्रशंसा करना चाहूँगा। इसी प्रकार से, स्कूली शिक्षा और साक्षरता के पूर्व सचिव श्री अनिल स्वरूप और वर्तमान में श्रीमति रीना राय स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मैं इस नीति को तैयार करने व इसकी प्रक्रियाओं में कई संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई अमूल्य सहायता को भी स्वीकार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करना, शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के काम में एक बड़ी संख्याओं में लगे लोगों और संगठनों द्वारा प्रदान किए गए विचारों और सुझावों के बिना संभव नहीं हुआ होता। समिति इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने में उनके अपार सहयोग और योगदान के लिए उनके प्रति गहरे आभार को दर्ज करती है।

के. कस्तूरीरंगन

बंगलुरु



विज़न

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 एक भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके, हमारे राष्ट्र को एक न्यायसंगत और जीवंत ज्ञान समाज में लगातार बदलने में योगदान देती है।



भाग I

स्कूली शिक्षा

अध्याय 1

प्रारम्भिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा: सीखने की बुनियाद

उद्देश्य:

वर्ष 2025 तक 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्ण, विकासात्मक स्तर के अनुरूप देखभाल और शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करना।

बच्चे के सीखने की प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती है। न्यूरोसाइंस के साक्ष्य बताते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है। आरंभिक वर्षों में बच्चे के मस्तिष्क के सतत विकास तथा वृद्धि को प्रेरित करने के लिए विकासात्मक स्तर के अनुरूप देखभाल और प्रोत्साहन बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आरंभिक वर्षों में विभिन्न स्तरों पर उपेक्षा या अभावों का सामना करने वाले बच्चों के मस्तिष्क के स्कैन के विश्लेषण से मस्तिष्क के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास में दुर्भाग्यपूर्ण कमियों का पता चलता है। इसके साथ ही संज्ञानात्मक एवं भावनात्मक प्रक्रियाओं पर भी इसके विपरीत प्रभावों की जानकारी मिलती है। मस्तिष्क के उचित विकास के लिए बच्चे के आरंभिक 6 वर्षों के दौरान उत्कृष्ट देखभाल, उचित पालन-पोषण, शारीरिक गतिविधियों, मनोसामाजिक वातावरण और संज्ञानात्मक तथा भावनात्मक उत्प्रेरणा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसका असर उसके जीवन भर सीखने की प्रक्रियाओं पर पड़ता है।

संज्ञानात्मक विज्ञान के ये प्रमाण विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों के परिणाम हैं। ये परिणाम प्रारम्भिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा (Early Childhood Care

and Education / ECCE) के विभिन्न स्तरों के बच्चों पर किये गए अध्ययनों पर आधारित हैं। NCERT द्वारा वर्ष 1992 में 30,000 बच्चों पर किए गए “प्राथमिक कक्षाओं में ठहराव पर शालापूर्व शिक्षा का प्रभाव” शीर्षक अध्ययन में शालापूर्व-शिक्षा के अनुभवों और ठहराव की दरों के बीच प्रत्यक्ष और मजबूत सह-संबंध दिखता है। इसके साथ ही यह प्राथमिक तथा इसके आगे की कक्षाओं से संबन्धित सीखने के प्रतिफल के सम्बन्धों को भी प्रदर्शित करता है। इस विषय से संबन्धित विभिन्न वैश्विक अध्ययन भी इसी प्रकार के दीर्घकालिक प्रभावों को दिखाते हैं। जैसे गुणवत्तापूर्ण शाला-पूर्व शिक्षा का अधिक आय, गृह-स्वामित्व की उच्च दर, बेरोजगारी, अपराध और गिरफ्तारी की निम्न दरों से दृढ़ संबंध है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में अनुमानित है कि एक सशक्त ECCE कार्यक्रम भारत द्वारा किये जा सकने वाले बेहतरीन निवेशों में से एक होगा। अनुमान है कि इस प्रक्रिया में निवेश किए गए प्रत्येक 1 रुपये से 10 रुपये या उससे अधिक का प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। सारांशतः यह माना गया है कि ECCE में निवेश से बच्चों को एक अच्छे, नैतिक, विचारवान, रचनात्मक, समानुभूति-पूर्ण और योगदान देने में सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित होने का सबसे बेहतरीन मौका मिलता है।

विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों पर किए गए अध्ययन स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करते हैं कि वे बच्चे जिनकी शिक्षा देर से शुरू होती है वे अपने पूरे स्कूली शिक्षण के वर्षों के दौरान पीछे रह जाते हैं। वर्तमान समय में भारत में सीखने की गंभीर चुनौती है, यहां बच्चे प्राथमिक स्कूल में नामांकित तो हैं लेकिन बुनियादी साक्षरता और गणना जैसे मूलभूत कौशलों को सीखने में भी असफल हो रहे हैं। इस संकट के एक बहुत बड़े हिस्से की शुरुआत कक्षा-1 में दाखिले से भी बहुत पहले होती नज़र आती है। जो बच्चे कक्षा-1 में प्रवेश ले रहे हैं, उनमें से बड़ी संख्या में वे हैं जो प्रारम्भिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा (ECCE) के बहुत ही सीमित अनुभव से गुजरे हैं। इसके साथ ही 6 वर्ष की आयु से कम के भी बहुत से बच्चे उपयुक्त पूर्व-प्राथमिक विकल्पों की कमी के कारण कक्षा-1 में प्रवेश ले रहे हैं। प्रायः ये बच्चे उससे आगे के शिक्षा में बहुत पीछे रह जाते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के दौरान कक्षा-1 में 6-वर्ष की आयु से पहले प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या 70 लाख से अधिक थी (U-DISE 2016-17)।

औपचारिक स्कूली शिक्षा हेतु तैयारी की प्रक्रिया (grade school-preparedness) में यह अंतर विशेष रूप से सुविधा सम्पन्न और वंचित समूहों के बीच नज़र आता है। इसका कारण यह है कि सुविधा सम्पन्न परिवारों से संबन्धित विद्यार्थियों को बेहतर पोषण, स्वास्थ्य

देखभाल और निश्चित रूप से पूर्व-प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच के साथ ही रोल-मॉडल, प्रिंट के अनुभव, स्कूल की भाषा का बेहतर अनुभव और घर पर ही सीखने का एक समृद्ध वातावरण मिलता है। ECCE में निवेश सभी बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था में संपूर्णता के साथ भाग लेने और आगे बढ़ने की संभावनाएँ खोलता है। ECCE समता सुनिश्चित करने का सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम हो सकता है। बच्चों के मानसिक विकास से लेकर उनकी स्कूल जाने की तैयारी, सीखने के बेहतर नतीजों, समानता और न्याय, रोजगार के लायक बनने और देश के आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए भारत को 'सभी की पहुँच वाले और गुणवत्तापूर्ण ECCE में निवेश करना चाहिए।

ECCE का अभिप्राय क्या है ? तीन साल से पहले की उम्र के दौरान गुणवत्तापूर्ण ECCE में माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य और पोषण दोनों पर ध्यान देना शामिल हैं। साथ ही साथ बातचीत, खेल-कूद, चलने-फिरने, ध्वनि व संगीत और विशेष रूप से दृश्य और स्पर्श के साथ अन्य ज्ञानेन्द्रियों की क्रियाशीलता के द्वारा संज्ञानात्मक तथा भावनात्मक उत्प्रेरण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उम्र के इस पड़ाव में भाषाओं, संख्याओं और सामान्य समस्या निवारण की परिस्थितियों से रूबरू होना महत्वपूर्ण है।

ECCE की संकल्पना में 3 से 6 वर्ष की आयु तक के लिए स्वास्थ्य की देखभाल और पोषण के साथ ही साथ महत्वपूर्ण कौशलों जैसे कि खुद से तैयार होने का कौशल, मोटर-कौशल, स्वच्छता, अपने देखभाल करने वालों से दूर रह पाने का कौशल, अपने साथियों के बीच सहज महसूस करने का कौशल, नैतिक मूल्यों का विकास (जैसे कि सही और गलत के बीच के अंतर को समझ पाना), चलने-फिरने एवं व्यायाम द्वारा शारीरिक विकास, अभिभावकों और अन्य लोगों के समक्ष भावनाओं को व्यक्त करना और उनसे संवाद स्थापित करना, किसी काम को पूरा करने के लिए लंबे समय तक बैठने का और सामान्यतया सभी प्रकार की अच्छी आदतों को विकसित करने का कौशल शामिल है।

इस उम्र में व्यक्तिगत तथा सामूहिक खेल आधारित शिक्षण को बच्चे की जन्मजात क्षमताओं, सहयोग की भावना, टीम-वर्क, सामाजिक मेलजोल, करुणा, समता, समावेश, संवाद, सांस्कृतिक सम्मान, खुशमिज़ाजी, जिज्ञासा, रचनात्मकता जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशलों के विकास लिए उपयोगी माना जाता है। साथ ही शिक्षकों, साथी विद्यार्थियों, स्टाफ के सदस्यों तथा अन्य लोगों के साथ सफलतापूर्वक एवं सम्मानपूर्वक बातचीत करने की क्षमता भी इससे विकसित होती है। गुणवत्तापूर्ण ECCE इन वर्षों के दौरान अक्षरों,

भाषाओं, संख्याओं, गिनती, रंगों, आकारों, चित्रकला/पेंटिंग, इनडोर – आउटडोर खेलों, पहेलियों और तार्किक चिंतन, दृश्यकला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत और अंग-संचालन पर ज़ोर देता है।

भारत किस प्रकार से एक बेहतरीन ECCE सुनिश्चित कर सकता है: ECCE के अंतर्गत हुए वर्तमान शोध यह स्पष्ट करते हैं कि 8 वर्ष के कम उम्र के बच्चे, अपने लिए नीतियों या किसी पूर्वनिर्धारित समय सीमा द्वारा तय समय और दिशा का अनुसरण नहीं करते। इसके फलस्वरूप शालापूर्व व कक्षा 1 और 2 के बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात उनकी अपनी विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहा है। यह केवल 8 वर्ष की उम्र तक ही हो पाता है कि बच्चे पूर्वनिर्धारित शिक्षण प्रक्रियाओं से सामंजस्य बिठाना शुरू कर पाते हैं।

अतः यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि 3-8 वर्ष की आयु-वर्ग के बच्चों के लिए एक लचीली, बहुमुखी, बहुस्तरीय, खेल-आधारित, गतिविधि-आधारित और खोज-आधारित शिक्षा उपलब्ध हो। इसी के साथ यह भी स्वाभाविक ही है कि शाला-पूर्व (3-6 वर्ष की आयु) के तीन साल से लेकर कक्षा 2 (8 वर्ष की आयु) के अंत तक की अवधि को एक 'एकल शिक्षण इकाई' अर्थात् "बुनियादी स्तर" के रूप में देखा जाए। अतः बच्चे के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस बुनियादी स्तर के लिए एक समेकित और मूलभूत पाठ्यक्रम को विकसित करने और लागू करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ इससे संबन्धित शिक्षकों की तैयारी की भी आवश्यकता है।

वर्तमान समय में प्रारम्भिक बाल्यावस्था से संबन्धित शिक्षण के प्रमुख केंद्र आंगनवाड़ी और निजी पूर्व-प्राथमिक विद्यालय हैं। गैर-सरकारी संस्थाओं और अन्य संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले केन्द्रों में आने वाले बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। भारत के उन क्षेत्रों में, जहां इसे बेहतर तरीके से लागू किया गया है, समन्वित बाल विकास योजनाओं (Integrated Child Development Services / ICDS) के तत्वावधान में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की आंगनवाड़ी प्रणाली ने (विशेष रूप से माताओं और शिशुओं की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए) उल्लेखनीय कार्य किया है। इन केन्द्रों ने सही मायनों में अभिभावकों को सहायता प्रदान की है और समुदायों के निर्माण में मदद की है। साथ ही इन केन्द्रों ने पोषण एवं स्वास्थ्य से संबन्धित जागरूकता, रेफरल सेवा और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से संपर्क स्थापित करने में मदद की है, और ऐसा करते हुए

करोड़ों बच्चों को स्वस्थ-विकास और अधिक उपयोगी जीवन के लिए तैयार किया है। लेकिन कुछ आवश्यक संज्ञानात्मक कामों, खेल और सीमित अवधि के लिए देखभाल प्रदान करते हुए अधिकांश आंगनवाड़ियाँ ECCE के शैक्षणिक पहलुओं पर बहुत ही कम ध्यान दे पायी हैं। वर्तमान में आंगनवाड़ियों में संसाधनों की आपूर्ति और शिक्षा के बुनियादी ढांचे में काफी कमी है, नतीजतन उनका झुकाव 2-4 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल करने की ओर अधिक होता है और शैक्षिक रूप से महत्वपूर्ण 4-6 वर्ष की आयु सीमा के बच्चों की तरफ कम। इसका एक और कारण प्रशिक्षित शिक्षकों या फिर आरंभिक शिक्षा के लिए समर्पित शिक्षकों की बेहद कमी भी है।

इस बीच निजी और अन्य पूर्व-प्राथमिक विद्यालय मुख्य रूप से प्राथमिक विद्यालयों के पूर्ववर्ती विस्तार के रूप में कार्य करते हैं। बच्चों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा और शैक्षणिक संसाधन प्रदान करते ये विद्यालय उच्च छात्र-शिक्षक अनुपात (Pupil Teacher Ratio / PTR) के होते हैं, इनके पास खेल तथा गतिविधि आधारित आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योग्य शिक्षा की बहुत ही सीमित व्यवस्था होती है और ये शिक्षण की औपचारिक और रटंत प्रणाली से युक्त होते हैं। आमतौर पर यहाँ नियुक्त शिक्षक भी प्रारम्भिक बचपन की शिक्षा में प्रशिक्षित नहीं होते। ये आमतौर पर स्वास्थ्य के पहलुओं पर कम ध्यान देते हैं, और 0-4 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए काम नहीं करते।

अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा हाल ही में (2017) कराए गए “प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा का प्रभाव” विषयक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि देश में विद्यालय में दाखिले के समय, पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूरी कर चुके, बच्चों के एक बहुत बड़े तबके के पास विद्यालयी-शिक्षा में प्रवेश के लिए जरूरी दक्षताओं का अभाव था। इस प्रकार हम पाते हैं कि विद्यालय तक पहुँच की समस्याओं के साथ ही साथ आवश्यक योग्यतायें विकसित करने वाले पाठ्यक्रम का अभाव, योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक शैक्षणिक विधियों की कमी, अगर सभी नहीं तो भी बहुत ज्यादा, प्रारम्भिक बाल्यावस्था के शिक्षण कार्यक्रमों में मौजूद हैं।

यह नीति इस बात की अनुसंशा करती है कि उपरोक्त दिशानिर्देशों को शामिल करते हुये NCERT प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा तैयार करे। इसका क्रियान्वयन एक पर्याप्त रूप से विस्तृत और सशक्त आंगनवाड़ियों, मौजूदा प्राथमिक स्कूलों के साथ स्थित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों/अनुभागों और पूर्व-

प्राथमिक विद्यालयों के प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा प्रणाली के माध्यम से किया जाए। इनमें ऐसे कार्यकर्ताओं/शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा जो ECCE पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र में विशेष रूप से प्रशिक्षित हों।

विभिन्न कलाओं, कहानियों, गीत, कविताओं, रिश्तेदारों का जुटना आदि से संबंधित सदियों से चली आ रही कई समृद्ध भारतीय परम्पराओं को ECCE के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढाँचे में शामिल करना आवश्यक है ताकि स्थानीय प्रासंगिकता, आनंद, उत्साह, संस्कृति और समुदाय की पहचान की भावना बरकरार रखी जा सके। बच्चों के पालन, पोषण और शिक्षण में पारंपरिक रूप से परिवारों की भूमिकाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। परिवारों को पारंपरिक भूमिकाओं को पूरा करने हेतु सक्षम बनाने के लिए पारिवारिक-अवकाश के नियम बनाना महत्वपूर्ण हैं, जो कि माता-पिता को शुरुआती वर्षों में अपने बच्चों की देखभाल की सुविधा प्रदान करते हैं।

6 वर्ष की आयु से पूर्व के सभी बच्चों की प्रारम्भिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के प्रति सार्वजनिक प्रणाली की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए यह नीति अनुशंसा करती है कि ECCE को RTE-एक्ट के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया जाए। वर्ष 2002 में हुआ 86वाँ संविधान संशोधन राज्यों को '6 वर्ष की आयु पूरा करने से पहले तक के समस्त बच्चों को ECCE प्रदान करने' के लिए निर्देशित करता है, और ऐसा करते हुए ECCE के सर्वव्यापीकरण के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। RTE एक्ट की धारा 11 भी, प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा में संभावित सार्वजनिक प्रावधानों पर कहती है कि "तीन वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को प्राथमिक-शिक्षा के लिए तैयार करने और छः वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए ECCE प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ऐसे बच्चों के लिए मुफ्त शाला-पूर्व शिक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करे। देश और इसके बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण ECCE से संबंधित अपनी महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए यह ज़रूरी है कि यह यथाशीघ्र लागू हो।

वर्ष 2025 तक सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण ECCE के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विशिष्ट नीतिगत प्रयास इस प्रकार होंगे:

P1.1 प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा की पाठ्यचर्या और शैक्षिक रूपरेखा: उपरोक्त सिद्धांतों और दिशा-निर्देशों के तहत, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए आवश्यक पाठ्यक्रमणीय और शैक्षणिक रूपरेखा के विकास को शामिल करने के लिए NCERT के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाएगा।

इस रूपरेखा के दो भाग होंगे:

- a. इसका पहला भाग 0-3 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित दिशा-निर्देशों की रूपरेखा से संबंधित होगा, जो कि इस आयु-वर्ग के शिशुओं और बच्चों के उचित संज्ञानात्मक उद्दीपन पैदा करने हेतु माता-पिता और आंगनवाड़ी शिक्षकों/कार्यकर्ताओं उपयोग का होगा। इसके दिशा-निर्देशों में सरल तथा कम लागत वाली शिक्षण सहायक सामग्रियों (जैसे- प्लास्टिक की बोतल और रंगीन गोलियों की सहायता से झुनझुने का निर्माण, साधारण संगीत ध्वनियों और बजाए जा सकने वाले ऐसे उपकरणों का निर्माण जिन पर कि छड़ी से प्रहार किया जा सके और अखबार को मोड़कर टोपी या नाव का निर्माण आदि) के निर्माण की प्रक्रियाएँ शामिल होंगी; इन्हें आंगनवाड़ियों में शिल्प अभ्यास के रूप में शामिल किया जा सकता है और समुदायों में अभिभावकों के मध्य भी वितरित किया जा सकता है।
- b. दूसरा भाग 3 से 8 वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों (बुनियादी-स्तर) से जुड़े शैक्षणिक रूपरेखा से संबंधित होगा। यह भाग अभिभावकों के साथ ही साथ आंगनवाड़ियों, पूर्व-प्राथमिक स्कूलों और कक्षा 1 और 2 के उपयोग के लिए होगा। इसके अंतर्गत एक लचीली, बहुस्तरीय, खेल, गतिविधि, और शोध-आधारित सीखने की प्रणाली विकसित करने पर ज़ोर दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य छोटे बच्चों को अक्षरों, संख्याओं, स्थानीय भाषा/मातृभाषा और अन्य भाषाओं में साधारण बातचीत, रंगों, आकारों, ध्वनियों, अंग-संचालन, खेल-कूद और चित्रकला, संगीत तथा स्थानीय कलाओं के घटकों को सिखाना होगा। इसके साथ ही वैसे दक्षताओं जैसे जिज्ञासा, धैर्य, टीम-वर्क, सहयोग, संवाद और समानुभूति जैसे सामाजिक-भावनात्मक कौशलों का विकास करना भी होगा जो स्कूल में जाने से पूर्व की तैयारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यह शैक्षिक ढांचा अभ्यासों, पहेलियों, रंगी जा सकने वाली किताबों, बिन्दुओं को मिलाने वाले चित्र, कहानियों, कविताओं, गीत,

खेल आदि से संबन्धित सुझावों को भी शामिल करेगा जो बच्चों को बुनियादी स्तर पर विकसित होने में मदद करेगा।

इस रूपरेखा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, बच्चों में विकास की दृष्टि से उपयुक्त उत्कृष्ट बहुभाषी कौशलों के विकास के लिए समर्पित होगा। 0-3 वर्ष की अवधि के दौरान और फिर बुनियादी स्तर से संबन्धित 3-8 वर्ष की अवधि के दौरान बच्चे अत्यंत तीव्रता से भाषा सीखते हैं। भाषा सीखना बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

ECCE के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) और इसके राज्य और स्थानीय स्तर के अन्य विभिन्न संस्करणों में भी भारत की समृद्ध परम्पराओं, राष्ट्रीय के साथ-साथ स्थानीय ज्ञान, प्रथाओं, नवाचारों, कला, गीत, कहानियों, कविताओं, पहेलियों आदि को भी व्यापकता से शामिल किया जाएगा।

P1.2. प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा से संबन्धित सुविधाओं का विस्तार और

सुदृढीकरण: 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा की नवीन पाठ्यचर्चा और शैक्षणिक रूपरेखा को एक चतुर्मुखी-दृष्टिकोण प्रदान किया जाएगा:

a. शैक्षिक घटक को मजबूत बनाने के लिए आंगनवाड़ी प्रणाली का

सुदृढीकरण और विस्तार: 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 3-6 वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक उद्दीपन की तकनीकों और खेल-आधारित बहुस्तरीय शिक्षण में विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देशभर के केन्द्रों में नियुक्त किया जाएगा जिससे कि प्रत्येक आंगनवाड़ी में ऐसा कम से कम एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता हो। प्रत्येक आंगनवाड़ी को प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के पाठ्यक्रमणीय और शैक्षणिक रूपरेखा के अनुसार बेहतरीन शैक्षणिक सामग्रियों से लैस किया जाएगा। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक माँ और बच्चे की आंगनवाड़ी केन्द्रों तक पहुँच सरल और

निःशुल्क हो, आवश्यकता के अनुरूप देश भर में अतिरिक्त गुणवत्तापूर्ण केन्द्रों (additional quality centers) को स्थापित किया जाएगा। इन आंगनवाड़ी केन्द्रों का लक्ष्य होगा कि वे स्वास्थ्य और पोषण के महत्वपूर्ण घटकों से युक्त एक उत्कृष्ट शैक्षणिक केंद्र बनें।

b. आंगनवाड़ियों को प्राथमिक स्कूलों के साथ स्थापित करना:

आंगनवाड़ी द्वारा प्रदान की जा रही व्यापक सेवाओं और प्राथमिक-स्कूल के सामंजस्यपूर्ण वातावरण में अपने भाई-बहनों और साथियों के साथ सीखने के एक बेहतर अवसर प्रदान करने की दृष्टि से जहां तक संभव हो, आंगनवाड़ियों को पहले से अवस्थित प्राथमिक-विद्यालयों के साथ स्थापित करना अभिभावकों तथा बच्चों के लिए लाभदायक होगा। नए आंगनवाड़ी केन्द्रों और प्राथमिक-स्कूलों के निर्माण हेतु स्थान निर्धारण करते समय आंगनवाड़ियों और प्राथमिक-स्कूलों को साथ-साथ एक परिसर में स्थापित करने की उच्च प्राथमिकता दी जाएगी जिससे कि बेहतर और सशक्त विद्यालयीय-समुदायों का निर्माण किया जा सके।

c. पूर्व-प्राथमिक शालाओं को प्राथमिक स्कूलों के साथ स्थापित करना:

वैकल्पिक रूप से, 3-6 वर्ष आयु-वर्ग के लिए तीन वर्ष की गुणवत्तापूर्ण शालापूर्व-शिक्षा को मौजूदा या नए प्राथमिक-स्कूलों के साथ जोड़ दिया जाएगा। विशेष रूप से पूर्व-प्राथमिक विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे संयुक्त (composite) विद्यालयों में स्वास्थ्य, पोषण और बच्चों के विकास पर ध्यान देने वाली सेवाएँ उपलब्ध होंगी। ऐसे मामलों और इन क्षेत्रों में 0-3 वर्ष की आयु-वर्ग से संबंधित देखभाल और शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य नजदीकी आंगनवाड़ी केन्द्रों के जिम्मे होगा।

d. पूर्व-प्राथमिक शालाओं का निर्माण: उन क्षेत्रों में जहाँ पहले से

अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्र व प्राथमिक विद्यालय 3-6 वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, में अलग से उच्च-गुणवत्तायुक्त पूर्व-प्राथमिक शालाओं को स्थापित किया जाएगा। स्वास्थ्य, पोषण और बच्चों के विकास पर ध्यान देने जैसी

आवश्यक सेवाओं के द्वारा इन पूर्व-प्राथमिक शालाओं को सहायता प्रदान की जाएगी।

उपरोक्त चारों दृष्टिकोणों को स्थानीय आवश्यकताओं और भौगोलिक तथा स्थानीय बुनियादी ढांचों की व्यावहारिकता को ध्यान में रखकर लागू किया जाएगा। कुल मिलाकर, लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि 0-6 वर्ष के प्रत्येक बच्चे के पास गुणवत्तापूर्ण ECCE की पहुँच सरल और निशुल्क हो। इसके लिए सभी राज्यों में इन चारों विधियों में से प्रत्येक की गुणवत्ता और परिणामों की उपयुक्त निगरानी की आवश्यकता होगी।

ECCE की समतावादी प्रकृति के कारण उन जिलों या स्थानों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी और विशेष ध्यान दिया जाएगा जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से ज्यादा वंचित हैं।

3-8 वर्ष के आयु-वर्ग से संबंधित प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा की पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रूपरेखा की प्रकृति बहुस्तरीय और खेल-आधारित होने के कारण, आंगनवाड़ी केन्द्रों और पूर्व-प्राथमिक शालाओं में (तब भी जब ये प्राथमिक-स्कूलों के साथ ही अवस्थित होंगे) किसी प्रकार का अलगाव नहीं होगा। ऐसा अलगाव तभी किया जा सकेगा जब आधारभूत संरचना सीमित हो या कोई सामाजिक कारण हो।

सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों और पूर्व-प्राथमिक शालाओं को क्षेत्र के किसी एक प्राथमिक स्कूल से भौतिक या फिर औपचारिक/शैक्षणिक रूप से, स्कूल-कॉम्प्लेक्स के सबसे निचले पायदान के रूप में जोड़ा जाएगा (देखें P7.3.1)।

P1.3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा का

निरीक्षण: प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के सभी पहलू मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) के दायरे में आएंगे, जिससे कि पूर्व-प्राथमिक स्कूल के स्तर से ही पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्रीय निरंतरता को सुनिश्चित किया जा सके और शिक्षा के आधारभूत पहलुओं पर देशव्यापी रूप से पर्याप्त ध्यान दिया जा सके।

महिला और बाल विकास मंत्रालय (MWCD) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MHFW) के परामर्श से, प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के स्कूली शिक्षा

प्रणाली में एकीकरण और वित्तीय प्रभावों को समझने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जायेगी। इस योजना को 2019 के अंत तक MWCD, MHFW और MHRD द्वारा संयुक्त रूप से गठित एक विशेष कार्य बल द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

वर्तमान में आंगनवाड़ी केंद्र MWCD के दायरे में आते हैं। इस बात की परवाह किए बिना कि कौन सा मंत्रालय आधिकारिक रूप से आंगनवाड़ियों (जो मंत्रालयों और संयुक्त टास्क फोर्स द्वारा संयुक्त रूप से तय किया जाएगा) का संचालन करेगा, नीति इस बात पर जोर देती है कि आंगनवाड़ियों और पूर्व-प्राथमिक शालाओं में ECCE से संबंधित पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र की योजना और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी, ठीक उसी प्रकार से, MHRD की होगी- जैसे कि ICDS में स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी MHFW की होती है। इस परिवर्तन से समस्त आंगनवाड़ियों, पूर्व-प्राथमिक शालाओं और प्राथमिक स्कूलों में MHRD द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा और आधारभूत शिक्षा के सुचारु एकीकरण में बहुत मदद मिलेगी।

P1.4. सीखने की उपयुक्त परिस्थितियों की रूपरेखा (design of learning-friendly environments): आंगनवाड़ियों, पूर्व-प्राथमिक स्कूलों और प्राथमिक स्कूलों में सीखने के अनुकूल उच्च-गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा होगा। अच्छा समय व्यतीत करने और सीखने के लिए आकर्षक और प्रेरणादायक स्थानों के निर्माण हेतु संज्ञान विशेषज्ञों (Cognitive Scientist), प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के विशेषज्ञों, कलाकारों, और वास्तुकारों को (आबंटित निधि के अंदर ही) भी सम्मिलित कर राज्यवार (या क्षेत्रीय आधार पर) समितियों का निर्माण किया जाएगा।

आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के केन्द्रों का भौतिक वातावरण स्वागतयोग्य और प्रेरणादायक होगा। यह सुरक्षित, स्वस्थ, प्रकाशयुक्त, बुनियादी संरचना, पेयजल और शौचालयों से लैस होगा। कक्षा-कक्ष लचीली बैठक व्यवस्था से युक्त होगा और अधिगम सामग्रियाँ सुरक्षित, उद्दीपित करने वाली, विकासात्मक रूप से उपयुक्त और सस्ती होने के साथ पर्यावरण के अनुकूल और स्थानीय स्रोतों से प्राप्त सामग्रियों से निर्मित होंगी। हालांकि अधिगम सामग्रियों के चयन और निर्माण में

शिक्षकों की मुख्य भूमिका होगी, लेकिन इसमें बच्चों को भी शामिल किया जा सकता है। चित्र-कार्ड, पहेलियाँ, डोमिनोज़, चित्र कथाएँ, ब्लॉक, सरल वाद्ययंत्र, नंबर टावर व रॉड, कठपुतलियाँ, कला-शिल्प से संबंधित सामग्रियाँ और रंग भरने की किताबें आदि अधिगम सामग्रियों के कुछ उदाहरण हैं। उच्चस्तर के उद्दीपन व जुड़ाव के लिए वर्णमाला, शब्द, संख्या, आकार, रंग आदि से युक्त पोस्टर एवं ग्राफिक्स को बच्चों की लंबाई के स्तर के अनुसार दीवारों पर लगाया जाएगा।

P1.5. प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षकों का पेशेवर विकास (Professionalization of high quality educators for early childhood education): राज्य सरकारें स्तर निर्धारित विशेष प्रशिक्षणों, मेंटरिंग तंत्रों और करियर मैपिंग के द्वारा प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए पेशेवर रूप से योग्य शिक्षाविदों के कैडर तैयार करेंगी। इन शिक्षकों की आरंभिक पेशेवर तैयारी और फिर उनके सतत पेशेवर विकास (Continuous Professional Development / CPD) के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।

ICDS के बाल्यावस्था शिक्षा के घटक को संभालने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को, प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा से संबंधित 6 महीने के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा।

P1.6 ECCE के लिए एक गुणवत्तापूर्ण नियामक प्रणाली स्थापित करना: राष्ट्रीय ECCE पॉलिसी (2013) की संस्तुतियों के अनुसार ECCE के लिए एक प्रभावी, गुणवत्ता नियामक प्रणाली विकसित की जाएगी। आवश्यक गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए यह नियामक प्रणाली सभी पूर्वप्राथमिक स्कूलों-सार्वजनिक, निजी एवं अनुदानित- को नियमित करेगी।

P1.7. हितधारकों की ओर से प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा की मांग उत्पन्न करना: ECCE की अपरिहार्यता को समझाने और इसकी मांग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि इससे संबंधित सभी हितधारकों, जैसे कि नीति निर्माताओं, अभिभावकों, शिक्षकों एवं समुदाय सदस्यों को यह समझ हो कि एक छोटे बच्चे की आवश्यकताएँ, हमारी प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं

से कितनी अलग है। यह समझ भी होना ज़रूरी है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति एक बच्चे के सम्पूर्ण जीवन काल में सीखने और विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है।

इसलिए अभिभावकों को अपने बच्चे की सीखने की प्रारम्भिक जरूरतों को पूरा करने में सहयोग सकने के लिए सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों की सूचनाओं, मीडिया कैम्पेन, पूर्व-प्राथमिक शैक्षिक कार्यक्रमों और अभिभावकों के बीच सीधे संवाद एवं सरल प्रक्रियाओं और सामाग्री का बड़े पैमाने पर प्रसार किया जाएगा और इसे प्राथमिकता प्रदान करते हुए इसका सतत विस्तार किया जाएगा।

P1.8. प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा को शामिल करने के लिए RTE-ऐक्ट का

विस्तार: बच्चे के मस्तिष्क विकास के सबसे महत्वपूर्ण दौर में विकास की जरूरतों के अनुरूप सीखने की आवश्यकता और महत्व को देखते हुए, 3-6 वर्ष के आयु-वर्ग में मुफ्त और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को RTE-ऐक्ट के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया जाएगा (देखें P.8.4.1)। यहाँ 'अनिवार्य' का आशय है कि सरकारी तंत्र ECCE सेवाओं के माध्यम से, सामाजिक-आर्थिक रूप से सर्वाधिक वंचित समाज के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए 3-6 वर्ष आयु-वर्ग के सभी बच्चों को उचित और गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक बुनियादी ढाँचा, सुविधाएँ और शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।

अध्याय 2

बुनियादी साक्षरता एवं संख्याज्ञान

उद्देश्य:

2025 तक पांचवी कक्षा एवं उससे उपर के सभी विद्यार्थी बुनियादी साक्षरता एवं संख्याज्ञान अर्जित कर सकें।

पढ़ने-लिखने की क्षमता, और संख्याओं के साथ बुनियादी संक्रियाएं करने की दक्षता स्कूल के साथ ही भविष्य में भी सीखने समझने के लिए एक आवश्यक एवं अनिवार्य अपेक्षा है। हालांकि कई सरकारी और गैर-सरकारी सर्वेक्षण के बाद ये स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है कि वर्तमान समय में सीखने से संबंधित कई बुनियादी कौशलों से विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या वंचित है। यह संख्या 5 करोड़ तक आंकि गई है। वे प्रारम्भिक शिक्षा में बुनियादी साक्षरता एवं संख्याज्ञान जैसे— साधारण वाक्यों को पढ़कर समझने की योग्यता और सामान्य जोड़-बाकी करने से वंचित है।

कई अध्ययनों से पता चलता है कि, वर्तमान शैक्षिक प्रणाली में, एक बार जब छात्र मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान में पिछड़ जाते हैं तो वे वर्षों तक उसी स्तर पर बने रहते हैं। कई सक्षम छात्रों ने खुद को इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पाया है। वे इससे उभरने में असमर्थ हैं। कई छात्रों के लिए, यह स्कूल में उपस्थित नहीं होने या पूरी तरह से छोड़ने के लिए एक प्रमुख कारण बन गया है। शिक्षकों ने वर्तमान की इस समस्या की व्यापकता के कारण अत्यधिक कठिनाई का सामना किया है। उन्हें किसी कक्षा के अनिवार्य पाठ्यक्रम को पूरा कराने में भी काफी मुश्किल होती है- इस कारण बड़ी संख्या में छात्र पीछे छूट गए हैं।

इस संकट को तुरंत प्रभाव से चिन्हित करना अनिवार्य है ताकि बुनियादी सीखना स्कूलों में सुनिश्चित किया जा सके, और सभी छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करने का अवसर

मिल सके। यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं की जाती है, तो अगले कुछ वर्षों में देश सीखने की प्रणाली और साक्षरता से करीब 10 करोड़ या अधिक छात्रों को खो सकता है। यह संख्या काफी बड़ी है। साधारणतया कोई भी देश इसकी अनुमति नहीं देता है। करोड़ों व्यक्तियों कि संख्या एक देश के लिए काफी बड़ी है।

सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को बनाए रखना तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान बनना चाहिए। अपने स्कूल, शिक्षक, अभिभावकों और समुदायों के साथ छात्रों को इस महत्वपूर्ण लक्ष्य और अभियान को पूरा करने के लिए हर तरह से तत्काल सहायता और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यही वास्तव में भविष्य में सीखने का आधार भी बनाता है।

सीखने का संकट एवं इसके मूलभूत कारण ? छात्रों का एक बड़ा हिस्सा जो प्राथमिक स्कूल के वर्षों के दौरान पीछे रह जाता है वह वास्तव में पहली कक्षा के शुरुआती कुछ सप्ताहों में ही पिछड़ जाता है। इस वर्तमान संकट का एक बड़ा कारण बच्चों के स्कूल आने के पहले की तैयारी में कमी से जुड़ी है। यह समस्या पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों और उन बच्चों के साथ है, जिनकी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच नहीं है। यह बड़ी संख्या में उन बच्चों को प्रभावित करता है जो वंचित सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं।

प्रारंभिक वर्षों की स्कूली शिक्षा भी बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान पर बहुत कम जोर देती है – जैसे, भाषाओं के पढ़ने, लिखने – बोलने एवं गणितीय विचारों और सोच पर। वास्तव में, प्रारंभिक ग्रेड में पाठ्यक्रम रटने और अधिक यांत्रिक शैक्षणिक कौशल की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जबकि बुनियादी दक्षताओं की तरफ उचित ध्यान नहीं दिया जाता है।

सिद्धांततः किया यह जाना चाहिए कि छात्रों को पढ़ने, लिखने, बोलने, गिनने, गणित, गणितीय और तार्किक सोच, समस्या को सुलझाने और रचनात्मक होने की तैयारी करा कर एक ठोस आधार दिया जाये। इससे भविष्य में उनका, सभी तरह का, सीखना अधिक तेज़, अधिक सुखद और अधिक वैयक्तिकृत एवं जीवपर्यन्त आसान हो जायेगा। प्रारंभिक स्कूलों के पाठ्यक्रम और शिक्षण, शिक्षाशास्त्र के इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ही डिजाइन किया जाना चाहिए।

शिक्षकों की क्षमता भी मूलभूत कौशल की प्राप्ति में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। वर्तमान में, कुछ शिक्षकों को ही एक बहुस्तरीय, खेल-आधारित तथा छात्र-केंद्रित शिक्षण शैली में प्रशिक्षित होने का अवसर मिला है। एक अनुसंधान के अनुसार (ECCE, कृपया देखें—P1.5) प्रारंभिक कक्षा, विशेष रूप से ग्रेड 1 और 2 में, के छात्रों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे अपने स्कूल के शुरुआती वर्षों में स्वाभाविक रूप से विभिन्न स्तरों और गति के साथ सीखते हैं, जबकि वर्तमान औपचारिक प्रणाली बहुत ही सामान्य स्तर से शुरू होती है और सभी के लिए एक जैसी ही होती है, इसलिए कई छात्र तुरंत पीछे होने लगते हैं।

शिक्षक की पदस्थापन से संबंधित पहलू भी संकट का एक और कारक है। शिक्षक की पदस्थापन या शिक्षकों का अभाव - जो कभी-कभी खेल-आधारित शिक्षण, बहुस्तरीय और व्यक्तिगत सीखने के लिए एक बाधा बनता है। शिक्षक—विद्यार्थी सन्तुलन (पीटीआर) यदि 30: 1 से अधिक होता है जो कि अक्सर वंचित इलाकों में देखा जाता है, वह भी बच्चों के सीखने को प्रभावित करता है। कुछ और पहलू भी हैं जैसे शिक्षक यदि कहीं बाहर से पद स्थापित होकर आता है तो वहां बच्चों एवं शिक्षकों के बीच भाषा संबंधित बाधाएं आती हैं। बच्चे इस बात से संघर्ष करते रहते हैं जिस भाषा में उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो उनकी भाषा नहीं है या उनके आस-पास नहीं बोली जाती।

एक अजनबी भाषा में अवधारणाओं पर समझ बनाना बच्चों के लिए मुश्किल होता है और उनका ध्यान भी अक्सर इसमें नहीं रहता है। यह बहुत ही पहले ही और अच्छे तरीके से स्थापित हो चुका है कि शुरुआती दिनों में बच्चों को अगर उनकी मातृभाषा में सिखाया जाए तो वो काफी सहज महसूस करते हैं और उनका सीखना भी तेज और अच्छा होता है।

बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण सीखने के संकट में एक और महत्वपूर्ण कारक है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह अच्छी तरह से प्रलेखित है कि पोषण सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से शुरुआती वर्षों में। असलियत यह है कि, हमारे बहुत से बच्चों को पर्याप्त मात्र में आवश्यक पोषण (गुणवत्ता और मात्रा दोनों संदर्भों में) प्राप्त नहीं होता है।

भूख और कुपोषण वास्तव में बहुत से बच्चों को स्कूल में उचित ध्यान देने में सक्षम होने से रोकते हैं- काफी छात्रों के लिए, स्कूल में प्रदान किया जाने वाला दोपहर का भोजन एकमात्र भोजन होता है।

इस संकट से उबरने के लिए तत्काल रूप से क्या किया जा सकता है? ECCE (अर्ली चाइल्डहुड केयर अँड ऐडुकेशन) एक बच्चे के विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होने के साथ ही शुरुआती ग्रेड-स्कूल कि तैयारी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। एक बार ECCE (अर्ली चाइल्डहुड केयर ऐडुकेशन) की पहुंच पूरे देश में स्थापित हो जाती है (जैसा कि Chapter 1 वर्णित है) तो स्कूल के लिए तैयारी के अभाव की समस्या और छात्रों के शुरुआती कक्षाओं में इतनी जल्दी पीछे रहने की समस्या, छात्रों की भावी पीढ़ियों के लिए बहुत कम हो जाएगी।

हालांकि, वो सभी छात्र, छात्राएँ जो पहले से ही ग्रेड स्कूल में हैं और जो वर्तमान में इस संकट के केंद्र में बने हुए हैं, उन सभी को इस स्थिति से उपर लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा अभियान चलाना होगा एवं उन बच्चों के लिए तत्काल कार्य करना होगा जो शुरुआती ग्रेड्स में पीछे छूट गये हैं।

इस समस्या की गंभीरता के कारण अकेले शिक्षकों को ही इसके लिए देशव्यापी प्रयास करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए सबके समर्पण की आवश्यकता है जिसमें समुदाय की भागीदारी अत्यंत जरूरी है। विद्यार्थी स्वयं भी इस संबंध में पहला प्रमुख संसाधन हो सकते हैं। दुनिया भर के अध्ययन पीयर लर्निंग (साथियों से सीखना) को ना केवल शिक्षार्थी के सीखने के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए भी बेहद प्रभावी बताते हैं। एक पुरानी भारतीय कहावत है कि "ज्ञान एकमात्र ऐसी वस्तु है जो बांटने से बढ़ती है"। वास्तव में, प्राचीन गुरुकुल प्रणाली की भी यह महत्वपूर्ण पहचानों में से एक था। पीयर ग्रुप्स की स्थापना महज़ बुनियादी साक्षरता एवं संख्याज्ञान तक ही नहीं बल्कि विद्यालय स्तर पर सभी विषयों के साथ इसे स्थापित किया जाना चाहिए। इससे सीखने के परिणाम एवं प्रतिफल बेहतर होंगे।

स्थानीय समुदाय से मदद के प्रयास भी किए जाने चाहिए। स्थानीय समुदाय के वे पढ़े-लिखे सदस्य जो इस संकट में पढ़ाने और सहायता करने की इच्छा रखते हैं, शिक्षकों की सलाह एवं मार्गदर्शन के तहत, स्कूल के दौरान या बाद में उपचारात्मक कक्षाओं के माध्यम से छात्रों की मदद करेंगे। स्थानीय समुदाय के ये सदस्य, छात्रों और शिक्षकों के बीच भाषा के अंतर को भी दूर करने में सक्षम होंगे। ये स्थानीय प्रशिक्षक सच्चे नायक होंगे। प्रयास होगा कि अधिकांश स्थानीय प्रशिक्षक महिलाएं और लड़कियां हों।

यहाँ यह महत्वपूर्ण होगा कि स्थानीय समुदाय के वोलन्टीर्स का इस मिशन में शामिल होने कि प्रक्रिया आसान हो। वोलियन्टर के रूप में समुदाय के जो योग्य सदस्य अपने समुदायों या राष्ट्र के लिए एक सेवाभावी काम करना चाहते हैं उनका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्हें शिक्षकों के मार्गदर्शन और समन्वय के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान के विशेष पहलुओं को सिखाने के मौके दिये जाने चाहिए। *यदि समुदाय का प्रत्येक साक्षर सदस्य किसी एक छात्र / व्यक्ति को पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है तो इससे देश का परिदृश्य बहुत जल्दी बदल जाएगा। इस मिशन को अत्यधिक प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाएगा।*

शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। वंचित क्षेत्रों या उन क्षेत्रों में जहां शिक्षक-बच्चे का अनुपात (पीटीआर) ज्यादा हो या जहां साक्षरता की दर निम्न हो, वहाँ स्थानीय शिक्षकों, विशेष रूप से महिला शिक्षकों को नियुक्त करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। वर्तमान शिक्षकों एवं भविष्य के शिक्षकों को ECCE के प्रासंगिक पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे वे ग्रेड 1 और 2 के विभिन्न स्तरों के छात्रों को खेल-आधारित और मल्टीलेवल लर्निंग तरीकों से सिखाने में सक्षम होंगे।

शिक्षाक्रम में बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा – और प्राथमिक स्तर पर आमतौर पर पढ़ने, लिखने, बोलने, गिनने, अंकगणित और गणितीय सोच पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण होगा। प्राथमिक विद्यालयों में इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रतिदिन अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसा देखा गया है कि वर्ष भर में विभिन्न मौकों पर इन विषयों से संबन्धित गतिविधियां करने से छात्रों का सीखना रोचक एवं सफल रहता है।

अन्त में हमें बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य भी) पर भी गंभीरता पूर्वक काम करना होगा। इसके लिए स्कूलों में पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाएगी तथा बच्चों की मदद के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं (कौनसेलर्स) की मदद ली जाएगी। इसके साथ ही वर्तमान में संचालित गरीब उन्मूलन के कई सारे कार्यक्रमों जो स्कूली व्यवस्था के दायरे के बाहर के हैं से भी मदद मिलेगी। कई सारे अध्ययनों से यह पता चलता है कि सुबह का पौष्टिक नास्ता कई सारे मुश्किल विषयों को समझने में काफी मददगार होता है। इसके लिए मध्यान भोजन के अलावा सुबह के समय पौष्टिक नास्ते की भी व्यवस्था की जाएगी।

विद्यार्थियों के जल्द से जल्द बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान प्राप्त करने में उन्हें हर स्तर पर मदद करने वाली इस राष्ट्रीय अभियान के लिए सुझाए गए उपायों में निम्न बातें शामिल हैं:

P2.1. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार: पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक स्कूल के छात्रों को पौष्टिक नाश्ता (जैसे दूध और एक केला) और दोपहर का भोजन दोनों दिया जाये। यह नाश्ते और दोपहर के भोजन के बीच के समय को अधिक उत्पादक बनाने में मदद करेगा, विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए। भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सुबह और दोपहर के भोजन के कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च को महंगाई घटने—बढ़ने के अनुसार तय करना होगा। इसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है।

P2.2. विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान पर ध्यान केन्द्रित कर इसे बढ़ावा देना: स्कूल और कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम एवं समय—सारणी को फिर से तैयार करना होगा ताकि बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इससे छात्रों को पढ़ने और गणित के प्रति रोचक माहौल मिलेगा। इस दिशा में जो पहल किया जाएगा उसमें निम्न बातें शामिल हैं:

- a. पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं के लिए हर दिन समर्पित रूप से गणित और पढ़ने के घंटे, एवं चौथी व पांचवी कक्षा के लिए एक अतिरिक्त घंटे लेखन के लिए तय किया जाए। नाश्ते और दोपहर के भोजन के बीच का समय इन विषयों के लिए सबसे प्रभावी समय हो सकता है।
- b. वर्ष में कई बार "भाषा सप्ताह" और "गणित सप्ताह" जैसे कार्यक्रम आयोजित हों जिससे बच्चे उनमें प्रतिभाग करें एवं भाषा एवं गणित के इर्द-गिर्द कई तरह की गतिविधियां का प्रदर्शन कर सकें।
- c. नियमित रूप से "भाषा मेला" और "गणित मेला" जैसे कार्यक्रम आयोजित हों। इन दोनों विषयों में बच्चे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करें; इसके साथ ही माता-पिता, शिक्षक, समुदाय के सदस्यों और पड़ोसी स्कूलों को भी इसमें शामिल किया जाये जिससे यह एक सामुदायिक कार्यक्रम भी बन सके।

- d. साप्ताहिक रूप से भाषा और गणित-केंद्रित स्कूल असेंबली का आयोजन किया जाये एवं भाषा और गणित से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से लेखकों और गणितज्ञों की वर्षगांठ आदि को उत्सवों के रूप में मनाया जाये।
- e. पुस्तकालय के आसपास साप्ताहिक गतिविधियाँ कि जानी चाहिए - जैसे कहानी, रंगमंच, समूह में पढ़ना, लिखना और बच्चों के द्वारा बनाये मूल लेखन और अन्य कलाओं का प्रदर्शन किया जा सके।
- f. साप्ताहिक मजेदार पहेली-हल करने जैसे सत्र किये जाने चाहिए जो स्वाभाविक रूप से तार्किक और गणितीय सोच को विकसित करने में मदद करे ।
- g. "कक्षाकक्षिए गणित" और "व्यावहारिक जीवन में मौजूद गणित" के बीच संबंध का संबंध पता करने के लिए नियमित रूप से गतिविधियाँ करवायी जानी चाहिए ।

P2.3. भाषा और गणित कि कार्यपुस्तिकाएँ: स्कूल की पाठ्यपुस्तक के अलावा कक्षा 1 से 5 के प्रत्येक बच्चे के पास भाषा और गणित कि कार्यपुस्तिकाएँ भी हों। इससे प्रत्येक बच्चे को अपनी गति से काम करने के लिए कक्षा स्तर के अनुरूप-उपयुक्त, रचनात्मक और आकर्षक अभ्यास के अवसर मिलेंगे। यह पाठ्यपुस्तक के पूरक के रूप में काम करेंगी जिससे पाठ पर विभिन्न तरह के अभ्यास बनाने में मदद मिलेगी। इससे शिक्षक का समय भी बचेगा एवं शिक्षकों को यह पहचानने में मदद मिलेगी कि प्रत्येक बच्चा क्या कर सकता है एवं उसकी मदद के लिए क्या किया जा सकता है।

P2.4. भाषा और गणित से संबंधित संसाधनों का राष्ट्रीय स्तर पर संकलन की व्यवस्था: National Teacher's Portal (DIKSHA) में बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक विशेष संयोजन किया जाएगा । ये रिसोर्स देशभर से एकत्रित किये जाएंगे और इनका उपयोग नीचे उल्लेखित दो विशेष पहलों के लिये किया जाएगा।

P2.5. नेशनल ट्यूटरस प्रोग्राम (NTP): एक राष्ट्रीय ट्यूटरस कार्यक्रम (NTP) स्थापित किया जाएगा, जहां प्रत्येक स्कूल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले को ट्यूटर्स के रूप में सप्ताह में पांच घंटे के लिए इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ये ट्यूटरस अन्य विद्यार्थी (आमतौर पर नीची कक्षाओं वाले) जिन्हें मदद की ज़रूरत होगी, के लिए ट्यूटर का काम करेंगे। URG से ट्यूटर्स का चयन विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। पीयर ट्यूटर के रूप में चुने जाने को एक सम्मानजनक स्थिति माना जाएगा। राज्य हर साल इसके लिए एक प्रमाण पत्र भी देगा कि कितने समय इन्होंने विद्यालय स्तर पर सेवा दी।

P2.6. रेमेडियल इन्सट्रक्सन ऐड्स प्रोग्राम: शुरुआती 10 वर्षों के लिए एक अस्थायी 10-वर्षीय परियोजना के रूप में रेमेडियल इन्सट्रक्सन ऐड्स कार्यक्रम (RIAP) को स्थापित किया जाएगा जो स्थानीय समुदायों से अनुदेशकों (इंस्ट्रक्टरस विशेषकर महिलाएं) की पहचान करेगा। ये अनुदेशक उन छात्रों की औपचारिक रूप से मदद करेंगे जो बहुत पीछे रह गये हैं। ये अनुदेशक (इन्सट्रक्सनल सहयोगी) स्कूल के समय के बाद, स्कूल समय के दौरान तथा लंबे अवकाश के दिनों में विशेष कक्षाओं को आयोजन करेंगे। इतने पीछे रह गए विद्यार्थी बिना किसी अतिरिक्त मदद के आगे नहीं बढ़ सकते। जहां भी और जब भी संभव होगा इन बच्चों का उनकी सीखने की गति और स्तर के अनुसार समूह भी बनाए जाएंगे।

इन्सट्रक्सनल सहयोगी सही मायनो में स्थानीय नायक होंगे- वे ऐसे छात्रों को वापस वापस लाएंगे जो स्कूल से बाहर थे या स्कूल में उपस्थित नहीं होते। IAs स्थानीय समुदायों में से होंगे और वो या तो स्नातक या कक्षा 12 उत्तीर्ण होंगे। यह इस पर निर्भर करेगा की उनके समय में उनके इलाके में सबसे अधिक शिक्षण जिस भी स्तर तक उपलब्ध था उसमें वो अच्छा प्रदर्शन करने वालों में से रहे हैं।

इन्सट्रक्सनल सहयोगी के चुनाव में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि इन स्थानीय रोल मॉडल्स का विविध संग्रह सुनिश्चित किया जा सके। यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकांश IAs महिलाएं हों। उनसे उम्मीद होगी की वे अन्य महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करेंगी और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अपने समुदायों की शैक्षिक प्रणाली का हिस्सा बनने में मदद करेंगी। इससे स्कूली शिक्षा में लड़कियों

के नामांकन और ठहराव में भी बहुत मदद होगी। इस पद के लिए प्रशिक्षण विशेष रूप से बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान के शिक्षण पर केंद्रित होगा।

अगर इन्सट्रक्सनल ऐड्स (IAs) यदि बी.एड करना चुनते हैं तो उन्हें उचित प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके बाद अगर वो शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनके IA के रूप में किए गए कार्य के अनुभव को चुनाव में वरीयता दी जाएगी। इसके साथ ही आंगनवाड़ियों और पूर्व प्राथमिक विद्यालय में चाइल्डहुड ऐडुकेशन शिक्षक बनने के लिए भी इनको प्रशिक्षित किया जाएगा।

इस प्रयास की सफलता दो महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करती है। यह सुनिश्चित करना होगा कि इन्सट्रक्सनल ऐड्स का चुनाव निस्पक्षता से किया जाए और उनके काम के लिए उन्हें जरूरी पुस्तिकाएं एवं सामग्री भी दी जाये।

P2.7. बड़े पैमाने पर समुदाय और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी को

प्रोत्साहित करना: योग्य स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं (जैसे कि सेवानिवृत्त शिक्षक और सेना के अधिकारी, पड़ोसी स्कूलों के योग्य छात्र, और देश भर से सामाजिक रूप से जागरूक कॉलेज के स्नातक) को भी बड़े पैमाने पर गैर-लाभकारी तरीके से NTP और RIAP में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। ये सभी शैक्षणिक वर्ष के दौरान तथा गर्मी की छुट्टियों में भी अपने समुदायों और देश के लिए सेवाभावी रूप में कार्य करेंगे। इस प्रकार NTP और RIAP दोनों कार्यक्रमों में दो धाराएँ होंगी: पहला पारंपरिक (पीयर ट्यूटर्स और स्थानीय समुदाय से चुने गए और परिश्रमिक प्राप्त IAs) और दूसरा स्वैच्छिक; इन कार्यक्रमों के विस्तार के इन दोनों साधनों को अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वयंसेवक को राज्य और देश के लिए उनके अमूल्य योगदान का सम्मान करते हुए भारत सरकार (GOI) से प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा और ट्यूटर या IAs के रूप में दिए गए समय का उसमें हवाला दिया जाएगा।

P2.8. NTP और RIAP कार्यक्रमों का प्रबंधन:

शिक्षकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे कक्षा में प्रत्येक छात्र के सीखने के स्तर का आकलन करें, और उन छात्रों की पहचान करें, जो योग्य शिक्षक बनेंगे। साथ ही वे उन छात्रों की भी पहचान करेंगे जो NTP ट्यूटर्स और RIAP उपचारात्मक सत्रों से लाभ उठा सकते हैं। शिक्षक IAs की भर्ती के लिए प्रिंसिपल के साथ मिलकर काम करेंगे, और NTP और

RIAP दोनों कार्यक्रमों के लिए इच्छुक स्वयंसेवकों को नियुक्त करने पर विचार करेंगे। शिक्षक प्रत्येक बच्चे की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए ट्यूटर्स और IAs के साथ प्रबंधन और लगातार काम करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक बच्चा जल्द से जल्द औसत कक्षा के स्तर के साथ सीख सकें।

P2.9. नियमित रूप से एडिटिव असेसमेन्ट: स्कूलों में सभी स्तरों पर एडिटिव असेसमेन्ट की एक मजबूत प्रणाली विकसित और कार्यान्वित की जाएगी। शिक्षकों को नियमित रूप से प्रत्येक छात्र की प्रगति का मूल्यांकन करने में मदद करने के लिए और यह पता लगाने के लिए कि प्रत्येक छात्र सीखने की निरंतरता पर कहां है, यह जरूरी है। यह प्रक्रिया छात्रों के लिए सटीक और व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाने में काफी मदद करती है। एडिटिव असेसमेन्ट परीक्षाओं में स्मृति आधारित प्रक्रियाओं को कम करने में मदद करेगा। कंप्यूटर-आधारित एडिटिव असेसमेन्ट पहले माध्यमिक विद्यालय में लागू किया जाएगा। 2023 तक जब सभी स्कूलों में कंप्यूटर और टैबलेट उपलब्ध हों जाएंगे सभी छात्र इस प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे। (देखें P4.9.3)

P2.10. शिक्षकों के सहायक के रूप में अन्य तकनीकी उपक्रमों की योजना बनाना: शिक्षक को विभिन्न तकनीकी उपक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। विशेषकर कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन और संबंधित सॉफ्टवेयर उनके लिए व्यापक रूप से उपलब्ध होंगे। इस तरह के उपक्रम में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में स्मार्टफोन और टैबलेट पर ऐप और गेम शामिल होंगे, जो साक्षरता, संख्याज्ञान और अन्य मूलभूत पाठ्यक्रम सामग्री को सिखाने में मदद करते हैं। इससे एडिटिव असेसमेन्ट और व्यक्तिगतरूप से सीखने के भी कई अवसर मिलेंगे। इस तरह के उपक्रमों को कभी भी शिक्षकों के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाएगा, बल्कि शिक्षक और छात्रों द्वारा लर्निंग एड्स के रूप में इनका उपयोग किया जाएगा।

P2.11. पहली कक्षा के सभी छात्रों के लिए स्कूल तैयारी के लिए मॉड्यूल: जैसा कि विभिन्न साक्ष्यों से पता चलता है कि बड़ी संख्या में छात्र पहली कक्षा के पहले महीने के भीतर ही पीछे रह जाते हैं। 2019 में प्रारम्भ से पहली कक्षा में तीन महीने के "स्कूल तैयारी मॉड्यूल" से शुरुआत होगी जो यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि छात्रों के पास पहले से क्या है, वे क्या जानते हैं। सामान्यतः

पहली कक्षा के पाठ्यक्रम को शुरू करने से पहले यह तत्परता के साथ बच्चों के सीखने के स्तर को जानने के लिए बेहद जरूरी है। एनसीईआरटी इस स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए एक फ्रेम वर्क एवं पाठ्यक्रम और शैक्षणिक रणनीति विकसित करेगा जो सभी जगह पहली कक्षा के शिक्षकों को वितरित किया जाएगा। पहली कक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित कार्यपुस्तिकाओं और अन्य शिक्षण सामग्री भी इससे जुड़ी हुई होगी।

छात्रों के प्रति सहानुभूति और सहायता के कौशल विकसित करने के साथ ही इस मॉड्यूल पर कार्य करने के दौरान छात्र एक-दूसरे की मदद करेंगे। यह एक ठोस आधार सुनिश्चित करेगा और सभी शिक्षार्थियों में अपनी स्कूली शिक्षा के लिए उत्साह और साथियों के लिए सहानुभूति विकसित करेगा। ये मॉड्यूल अक्षर, शब्द, रंग, आकार और संख्याओं के साथ खेलने के मौके प्रदान करेगा और साथ ही सक्रिय रूप से अभिभावकों को भी इसमें शामिल करेगा।

P2.12. अभिभावकों की भागीदारी का महत्व: कई शैक्षिक अनुसंधान बच्चों की शिक्षा पर घर के वातावरण के महत्वपूर्ण प्रभाव की ओर इशारा करते हैं। अभिभावकों की साक्षरता, संख्याज्ञान या शैक्षिक स्थिति की परवाह किए बिना उनके बच्चों के सीखने को अनुकूलित करने में उनका सहयोग काफी महत्वपूर्ण है। अभिभावकों को अपने बच्चों के शिक्षकों के साथ हर साल कम से कम दो बार और उससे भी अधिक बार मिलने के लिए कहा जाएगा ताकि वे अपने बच्चों की शिक्षा को ट्रैक करने, प्रोत्साहित करने और उनका अनुकूलन करने में मदद कर सकें। शिक्षक भी नियमित रूप से बच्चों के स्कूल की पढ़ाई, सीखने और प्रगति में अभिभावकों की भागीदारी को विकसित करने के प्रयास करेंगे। इसके लिए वे ऐसी वर्कशीट, गतिविधियाँ या असाइनमेंट देंगे जो बच्चे घर पर अपने अभिभावक की मदद से कर सकेंगे।

P2.13. बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान के लिए शिक्षक शिक्षा का नया स्वरूप: सेवा पूर्व या सेवा के दौरान किए जाने वाले शिक्षक शिक्षा या प्रशिक्षणों में बुनियादी भाषा एवं गणित के शिक्षण के साथ साथ ECCE एवं बहुस्तरीय गतिविधि-आधारित शिक्षण पर नए सिरे से बल दिया जाएगा। यह बदलाव

शिक्षक के लिए विशेष रूप से पहली एवं दूसरी कक्षा में कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए काफी प्रासंगिक होगा।

शिक्षक शिक्षा के सभी स्तरों पर रटंत प्रणाली की जगह सीखने के साथ-साथ ज्यादा रोचक कक्षाएं, एडिटिव और फॉरमेटिव असेसमेंट आदि की रणनीतियां शामिल होगी। इसके साथ ही शिक्षण यह भी समझने का प्रयास करेंगे की किस प्रकार ट्यूटर्स, रेमेडियल इंस्ट्रक्टर, और तकनीक आदि (जैसे स्मार्टफोन या टैबलेट के लिए ऐप) का इस्तेमाल बच्चों के सीखने के लिए किया जाना चाहिए। पहली कक्षा में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वो किस प्रकार पहले तीन महीनों में किए जाने वाले "स्कूल तैयारी मॉड्यूल" को नियमित पाठ्यक्रम में शामिल कर सकें। इसके लिए एक 5-दिवसीय क्षमतासंवर्धन कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

P2.14. शिक्षकों के समुचित पदस्थापन और उनकी बेहतर कार्य-स्थितियों व प्रत्येक स्कूल में शिक्षक-छात्र अनुपात 30:1 के नीचे सुनिश्चित करना: बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान के लिए कई उपाय करने की आवश्यकता होगी। जैसे पीटीआर 30:1 से कम हो। शिक्षक रिक्तियों को तत्काल भर दिया जाएगा ताकि पीटीआर न केवल एक क्लस्टर या ब्लॉक स्तर पर बल्कि हर स्कूल में सुनिश्चित हो। स्थानीय क्षेत्रों के शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे बच्चों एवं शिक्षक के बीच भाषा को लेकर जो अन्तर है उसको दूर किया जा सके। शिक्षकों की उपस्थिति कक्षा में उचित पीटीआर सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षकों के लिए ऐसी परिस्थितियाँ बनानी होंगी कि लगभग 100% शिक्षक उपस्थिति प्राप्त की जा सके। विशेष रूप से, शिक्षकों को प्रशासनिक या अन्य कार्यों के बजाय अपने छात्रों के साथ ज्यादा समय बिताने के अवसर मिले। (देखें P5.2.3)

P.2.15. स्कूल और सार्वजनिक (सरकारी) पुस्तकालयों को विस्तार देना एवं पढ़ने और संवाद करने की संस्कृति को विकसित करना: पढ़ने की संस्कृति बनाने के लिए, देश भर में सार्वजनिक और स्कूल पुस्तकालयों का विस्तार किया जाएगा, और इसमें स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में - विशेष रूप से बच्चों की किताबें भी शामिल होंगी। स्कूल और स्कूल परिसरों में स्थानीय भाषाओं में

पुस्तकों का एक बड़ा चयन किया जाएगा और शिक्षक सक्रिय रूप से बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए एवं उन्हें घर ले जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। छात्रों को उनकी पसंदीदा पुस्तकों / कहानियों के अंश पढ़ने और मौखिक सारांश एवं अपने स्वयं के विचारों को प्रत्येक सप्ताह या महीने में अपनी कक्षा के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे। ताकि पढ़ने के साथ-साथ संवाद एवं बोलने का कौशल विकसित हो सके। चूंकि छात्र एक से अधिक भाषा सीखते हैं तो इन पाठ और प्रस्तुतियों को अन्य भाषाओं में भी तैयार किया जाएगा।

P2.16. परामर्शदाताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका: सामाजिक कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं (कौन्सलर्स) को छात्रों के साथ काम करने के लिए स्कूल में लिया जाएगा। (देखें P3.8) – वे बच्चों, उनके माता-पिता, शिक्षक, ट्यूटर्स, IAs और समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ काम करेंगे तथा में स्कूल में बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करेंगे तथा उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेंगे।

P2.17. स्थानिय समुदाय और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को संघठित करना: शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों, समुदाय के सदस्यों और आम जनो को सीखने की समस्या को समाप्त करने के लिए भागीदार होना होगा। सीखने की समस्या को दूर करने के इस राष्ट्रीय मिशन में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। इस दिशा में बड़े पैमाने पर मीडिया अभियान चलाना होगा। इस दिशा में स्कूलों और उनके समुदायों के बीच प्रत्यक्ष रूप से संचार को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे कि देश भर से इसके लिए उत्साही नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। इससे NTP और RIAP कार्यक्रमों के लिए समुदाय के सदस्यों और स्वैच्छिक कार्यकर्ता के जुड़ाव में भी मदद होगी। इसके साथ ही कम से कम, यह सिद्धांत कायम हो कि प्रत्येक साक्षर नागरिक कम से कम एक बच्चे (या वयस्क) को पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो। (chapter 21 भी देखें)

अन्त में पुनः दोहराने के लिए हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक सभी प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक रूप से बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान को हासिल करना है। कोई भी नीति हमारे छात्रों लिए काफी हद तक

अप्रासंगिक हो जाएगी यदि हम बुनियादी शिक्षा (पढ़ने, लिखने और बुनियादी साक्षरता एवं संख्याज्ञान स्तर पर अंकगणित) को हासिल नहीं कर लेते हैं।

अध्याय 3

ड्रॉपआउट बच्चों को शिक्षा से पुनः जोड़ना और सभी तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना

उद्देश्य:

वर्ष 2030 तक 3 से 18 वर्ष आयुवर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा की पहुँच एवं भागीदारी सुनिश्चित करना

स्कूली शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख लक्ष्य है कि बच्चे स्कूल में नामांकित हैं और नियमित रूप से स्कूल आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान और RTE-एक्ट जैसे प्रयासों से हाल के वर्षों में भारत ने प्राथमिक शिक्षा में शतप्रतिशत नामांकन हासिल करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। U-DISE आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016-17 में कक्षा 1 से 5 तक के लिए सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrollment Ratio/GER) 95.1% था। लेकिन आगे की कक्षाओं से जुड़े आंकड़े कुछ गंभीर मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए GER जहाँ 90.7% था, वहीं कक्षा 9-10 और 11-12 के लिए यह क्रमशः 79.3% और 51.3% था। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि नामांकित विद्यार्थियों का एक महत्वपूर्ण (बड़ा) हिस्सा कक्षा 5 के बाद और विशेष रूप से कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015 में स्कूल जाने की आयु (6 से 18 आयु वर्ग) वाले 6.2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर थे।

इन बच्चों को जल्द से जल्द शिक्षा से पुनःजोड़ना और नामांकित बच्चों को ड्रॉपआउट होने से रोकना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के ड्रॉपआउट होने / स्कूल छोड़ने के कारण क्या है?

इससे जुड़े एक महत्वपूर्ण कारण का उल्लेख अध्याय 1 और 2 में किया गया है। समय बीतने के साथ स्कूल में बहुत से बच्चे अपने को बहुत तेजी से पिछड़ता हुआ पाते हैं, कुछ इस तरह से पिछड़ता हुआ कि बहुत से बच्चे कक्षा 5 या कक्षा 8 तक भी बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते और स्कूल जाना उनके लिए समय की बरबादी बन जाता है।

स्कूल तक पहुँच की समस्या एक प्रमुख चिंता का विषय है। हालांकि पहुँच की इस समस्या को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में बहुत हद तक दूर कर लिया गया है। वर्ष 2016-17 में प्राथमिक और उच्चप्राथमिक स्कूल बच्चों के एक बहुत बड़े तबके के पहुँच में थे, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों तक पहुँच आज भी बहुत सीमित है। वर्ष 2016-17 में भारत में प्रत्येक 100 प्राथमिक स्कूल/सेक्शन के लिए लगभग 50 उच्चप्राथमिक स्कूल/सेक्शन, 20 माध्यमिक स्कूल/सेक्शन, और सिर्फ 9 उच्च माध्यमिक स्कूल/सेक्शन मौजूद थे। इसका अर्थ है कि बहुत से बच्चों के लिए सबसे नजदीकी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल हतोत्साहित करने की सीमा तक दूर हैं। यह व्यवहारिक तथा सुरक्षित आवागमन की सुविधा से रहित इतनी दूर है कि वहाँ तक पैदल नहीं पहुँचा जा सकता।

सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दे भी ड्रॉपआउट दर के बढ़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। शीघ्र-विवाह और बाल-विवाह से जुड़ी प्रथाओं, लिंग तथा जाती से जुड़ी तथाकथित भूमिकाओं, और बच्चों व किशोर लड़के लड़कियों पर काम करने के दायित्व के कारण इन्हें माध्यमिक स्कूलों में नहीं भेजा जाता। अक्सर अपने छोटे भाई-बहनों के देखभाल से जुड़ी जरूरतें भी बड़े बच्चों को स्कूल जाने से रोकती हैं। खराब स्वास्थ्य, स्वच्छता से संबंधित जागरूकता की कमी या फिर भोजन से जुड़ी अस्वास्थ्यकर आदतों वाले क्षेत्रों के बच्चों पर गंभीर बीमारियों का खतरा हमेशा रहता है, फलस्वरूप ये बच्चे या तो नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो पाते या फिर स्कूल आने में पूरी तरह से असमर्थ होते हैं।

स्कूलों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और सुरक्षा की कमी एक चिंताजनक मुद्दा है। बहुत सारे बच्चे और विशेष रूप से लड़कियाँ उपयोग में आने लायक शौचालयों की कमी के कारण स्कूल छोड़ देती हैं, इसके अतिरिक्त विशेष रूप से लड़कियाँ या फिर अल्प

प्रतिनिधित्व समूह (Underrepresented Groups/URGs) के बच्चे उत्पीड़न और सुरक्षा से संबन्धित समस्याओं के कारण स्कूल छोड़ देते हैं। कभी कभी स्कूल से बच्चों की साइकिलें चोरी हो जाने के कारण भी वे स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं।

इन सबके साथ ही कुछ छोटे और किशोर बच्चे उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि वे स्कूलों को रुचिकर या उपयोगी नहीं पाते।

ड्रॉपआउट बच्चों को पुनः स्कूल तक लाने और अन्य बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए ये दो कदम उठाए जाने बहुत जरूरी हैं।

पहला तो यह कि **स्कूलों को प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी ढांचा मुहैया करवाना जिससे कि सभी विद्यार्थियों को** पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्तरों पर एक सुरक्षित और आकर्षक स्कूल उपलब्ध हो सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले से उपलब्ध विद्यालयों का उन्नयन और विस्तार, बिना विद्यालय वाले क्षेत्रों में नए गुणवत्ता पूर्ण स्कूलों का निर्माण, आवश्यकतानुसार बच्चों को सुरक्षित और व्यावहारिक आवागमन के साधनों की व्यवस्था और/या छात्रावास की सुविधा सुनिश्चित करनी होगी। इससे सभी बच्चों को उपयुक्त स्तर के गुणवत्तापूर्ण स्कूलों में शिक्षा का अवसर मिल सकेगा।

दूसरा यह कि **सावधानीपूर्वक बच्चों और उनके सीखने के स्तर की निगरानी** द्वारा स्कूलों में उनकी शतप्रतिशत भागीदारी के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम इस ओर निरंतर प्रयास करें और सुनिश्चित करें कि a) बच्चे नामांकित हैं और विद्यालय नियमित आ रहे हैं, और b) स्कूल छोड़ चुके या शिक्षण स्तर में पिछड़े हुए बच्चों के लिए पुनःनामांकन और उपचारात्मक शिक्षण के उपयुक्त अवसर उपलब्ध हों। RTE एक्ट के “मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा” के पहलू को आवश्यक रूप से लागू किया जाए, साथ ही कक्षा 12 तक के स्तर की शिक्षा और 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को RTE एक्ट के दायरे में लाया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूल जाने की उम्र के सभी बच्चे विद्यालयों में नामांकित हैं और सीख रहे हैं, विद्यालय परिसरों में नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्शदाता, अभिभावकों, शिक्षकों, और समुदाय के साथ लगातार काम करेंगे।

बुनियादी ढांचे और भागीदारी पर कार्य हो जाने के बाद बच्चों को स्कूल से जोड़े रखने के लिए शिक्षा से संबन्धित सभी क्षेत्रों में **गुणवत्ता** को सुनिश्चित करना आवश्यक है, जिससे

कि विद्यार्थी और अभिभावक स्कूल जाने में रुचि दिखाएँ। इसके लिए उन क्षेत्रों में जहाँ विशेष रूप से ड्रॉपआउट दर अधिक है **सबसे अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए**। साथ ही **पाठ्यचर्या को और अधिक दिलचस्प (जीवन से जुड़ी हुई), गतिशील, और प्रासंगिक बनाने के लिए इसमें आमूल-चूल बदलाव** आवश्यक है। अंतिम दोनों बिन्दुओं पर आगे के दो अध्यायों में क्रमशः विस्तार से चर्चा की जाएगी।

अतः यह अध्याय स्कूल के लिए प्रभावी बुनियादी ढांचे के निर्माण और फिर इसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के दो आधारभूत मुद्दों पर केन्द्रित होगा।

स्कूल के लिए प्रभावी बुनियादी ढांचे का निर्माण

P3.1. बुनियादी ढांचे की पहुँच की समस्या को हल करना: वर्ष 2030 तक बुनियादी स्तर से कक्षा 12 के स्तर के लिए शत प्रतिशत GER (100% GER) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर और विशेष रूप से कक्षा 9 से 12 के स्तर के स्कूल / सेक्शन की संख्या और पहुँच के क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा।

इस रणनीति में शामिल है;

- a. उन क्षेत्रों के स्कूलों की नामांकन क्षमता में वृद्धि करना जहाँ बहुत अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं;
- b. शिक्षा की कम-पहुँच और बिना-पहुँच वाले क्षेत्रों में नयी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण करना; और
- c. जब भी संभव हो ऐसे अलग-अलग मौजूदा प्राथमिक, उच्च-प्राथमिक, माध्यमिक, और उच्च-माध्यमिक विद्यालयों, विशेष रूप से ऐसे विद्यालय जो कम उपस्थिती के कारण अपने दम पर अकेले बने रहने में सक्षम नहीं हैं, का एक स्कूल कॉम्प्लेक्स (समेकित स्कूल) के रूप में समेकन किया जाना चाहिए।

विभिन्न कक्षा स्तरों के व्यापक दायरे वाले इन विद्यालय (स्कूल कॉम्प्लेक्स) के अपने फायदे हैं जैसे: सामग्रियों और मानवीय संसाधन को आवश्यकतानुसार

साझा करना, विद्यार्थियों के लिए बुनियादी स्तर से उच्च-माध्यमिक स्तर के शिक्षण और व्यापक अवसरों की उपलब्धता, और विभिन्न आयुवर्ग के भाई-बहनों और पड़ोसियों के लिए साथ-आने-जाने और एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के अवसर।

आरंभिक वर्षों में विद्यालय का निकट स्थित होना आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र/राज्य/जिले में वहाँ कि स्थानीय परिस्थितियों/वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों के निर्माण, विस्तार और समेकन से संबंधित उचित मानदंड निर्धारित किए जाएंगे। स्कूल की पहुँच से संबंधित वर्तमान कठोर मानदंडों (जो कि पूरी तरह से निवास स्थान से दूरी पर आधारित है) को स्थानीय भौगोलिक एवं जनसांख्यिकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लचीला बनाया जाएगा। इसका ध्यान रखना होगा कि ऐसा करने से विद्यालय तक पहुँच, गुणवत्ता, समता और सुरक्षा से संबंधित मानकों से कोई समझौता न हो।

P3.2. परिवहन सुविधाओं से संबंधित सहायता: बिन्दु P3.1 में वर्णित विद्यालयों के निर्माण, विस्तार और समेकन से संबंधित बिन्दुओं पर कार्य के साथ साथ स्कूलों तक सड़क और परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के कार्य किये जायेंगे। शिक्षा तक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए बड़े बच्चों को और विशेष रूप से लड़कियों को साइकिल उपलब्ध करवाई जाएंगी (स्कूल में साइकिल की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए), और जहां तक संभव हो इस व्यवस्था के साथ कि विद्यार्थी समूहों में विद्यालय आएँ-जाएँ।

स्कूल आने-जाने की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से छोटे बच्चों, लड़कियों, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (Children With Special Needs / CWSN) के आवागमन के लिए अन्य उपयुक्त साधनों जैसे कि स्कूल-बस, पैदल समूहों का निर्माण, पेड वाकिंग एस्कॉर्ट्स (paid walking escorts), कि व्यवस्था की जायेगी या फिर यात्रा भत्ता भी दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों या फिर ऐसे स्थानों पर जहां स्कूल के रास्ते पैदल आवागमन के लिए उपयुक्त या सुरक्षित नहीं हैं में समुदाय सदस्यों (जैसे कि स्कूल के किसी बच्चे के अभिभावक) को साइकिल-रिक्शा भी प्रदान किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति को 2 से

4 बच्चों के स्कूल से सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए मानदेय पर नियुक्त किया जा सकेगा।

P3.3. छात्रावास कि सुविधाओं से संबन्धित सहायता: विद्यालय के उन क्षेत्रों में जहां बच्चों को अधिक दूर से आना पड़ता हो, और/या उन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से वंचित वर्गों (disadvantaged economic background) से आते हैं, के लिए सभी बच्चों और विशेष रूप से लड़कियों (लड़कियों के छात्रावास अलग होंगे और उनमें महिला वार्डन और सुरक्षाकर्मी होंगे) की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त व्यवस्था के साथ नवोदय विद्यालयों के स्तर से मिलते जुलते रहने (कमरों) और खाने कि मुफ्त सुविधा से युक्त छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाली लड़कियों की सहभागिता को गुणवत्ता युक्त स्कूलों में बढ़ाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) को सुदृढ़ किया जाएगा और उनका विस्तार कक्षा 12 तक किया जाएगा।

P3.4. सुरक्षा सुनिश्चित करना: विद्यार्थियों (विशेष रूप से लड़कियों और अन्य URGs के लिए) की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों में सभी स्तरों पर उचित व्यवस्था बनाई जायेगी। इसमें सुरक्षित आधारभूत संरचनाओं (सड़क और आवागमन के साधनों को समाहित करते हुए) के निर्माण, आवश्यकतानुसार सुरक्षाकर्मियों (विशेष रूप से महिला सुरक्षाकर्मी) की नियुक्ति, स्थानीय पुलिस बल का सहयोग, और विद्यार्थियों के उत्पीड़न तथा अन्य ज़्यादातियों की शिकायत/सुनवाई के लिए विश्वसनीय/सक्षम तंत्र की व्यवस्था और फिर इन शिकायतों की शीघ्रता पूर्वक समीक्षा और उचित कार्यवाही करना शामिल है। बच्चों की शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाल अधिकारों के उल्लंघन के प्रति ज़ीरो-टोलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी।

स्कूल के रास्ते में या स्कूल के भीतर होने वाले उत्पीड़न की घटनाओं की वजह से स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों और अन्य बच्चों को ऐसी घटनाओं से बचाने के लिए संस्था प्रधान, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर कानूनी प्रक्रियाओं को लागू करने वाली संस्थाएं/निकाय परस्पर मिलकर काम करेंगे जिससे कि बदमाशों

की पहचान की जा सके, उन्हें अनुशासित किया जा सके और आवश्यकता पड़ने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सके।

एक 24x7 हेल्पलाइन नंबर भी जनता के बीच प्रसारित किया जाएगा। स्थानीय पुलिस सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर माता-पिता और छात्रों को स्कूल के भीतर और बाहर, उत्पीड़न की घटनाओं की पहचान और शिकायत दर्ज करने के लिए शिक्षित करेगी। उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां ड्रॉपआउट दर के अधिक होने का एक प्रमुख कारण उत्पीड़न है।

भागीदारी और सीखना सुनिश्चित करना

- P3.5. स्कूल में विद्यार्थी उपस्थिति का अनुश्रवण:** सभी छात्रों की उपस्थिति पर नज़र रखने के लिए स्थानीय स्तर पर शिक्षकों और SMC के सहयोग से एक पारदर्शी और विश्वसनीय प्रणाली स्थापित की जाएगी। किसी भी छात्र की अनुपस्थिति के कारणों से संबंधित पूछताछ के लिए अभिभावकों से संपर्क किया जाएगा। उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रभावी रणनीतियों, जैसे कि सुबह और दोपहर के भोजन का प्रावधान, और शतप्रतिशत या लगभग शतप्रतिशत उपस्थिति वाले छात्रों को सम्मान और पुरस्कार दिए जायेंगे।
- P3.6. शिक्षण में पिछड़ रहे बच्चों की निगरानी:** शिक्षक एडेप्टिव एसेसमेंट के द्वारा लगातार बच्चों के सीखने के प्रतिफलों का आकलन करेंगे जिससे कि उन बच्चों की पहचान की जा सके जो कि पिछड़ रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षक ऐसे बच्चों के अभिभावकों से परामर्श कर इन विद्यार्थियों के लिए सीखने की व्यक्तिगत रणनीतियाँ निर्धारित करेंगे, जिसमें कि उन्हें उपचारात्मक शिक्षण के कार्यक्रमों जैसे कि NTP और RIAP से जोड़ा जा सके; P2.5 और P2.6 देखें।
- P3.7. स्कूल से बाहर के (ड्रॉपआउट) बच्चों की सतत निगरानी (tracking):** सामाजिक कार्यकर्ताओं, संस्था-प्रधानों, समुदाय के सदस्यों और SMC के सहयोग से सभी ड्रॉपआउट बच्चों और गैर नामांकित (आउट-ऑफ-स्कूल) बच्चों को ट्रैक करने और उनका डेटाबेस बनाने के लिए क्षेत्र-विशेष के लिए उपयुक्त और स्थानीय

रूप से प्रासंगिक तंत्र का विकास किया जाएगा। स्कूल परिसर में नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता कि यह जिम्मेदारी होगी कि वह डेटाबेस का प्रबंधन करे, समुदाय से रिश्ता बनाये, और यह सुनिश्चित करे कि डेटाबेस में मौजूद प्रत्येक बच्चे पर नज़र रखी जा सके और उसे स्कूल लौटने में मदद की जा सके।

P3.8. सामाजिक कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं की भूमिका: ऐसी परिस्थितियों में जब कि a) नामांकित विद्यार्थी सामान्य से अधिक दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहते हैं, b) नामांकित विद्यार्थी का अधिगम स्तर तेजी से गिर रहा हो, या c) ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल में नामांकित नहीं हुए हैं या जो ड्रॉपआउट हो गए हैं, स्कूल-कॉम्प्लेक्स में नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे बच्चों और उनके अभिभावकों से सक्रिय रूप से मिलेंगे और समझेंगे कि वे स्कूल क्यों नहीं आ रहे, नामांकित क्यों नहीं हो रहे, या उनको सीखने में समस्याएँ क्यों आ रही हैं। इसके उपरान्त (परामर्शदाताओं के सहयोग से) उनकी उपस्थिति / नामांकन सुनिश्चित करने में मदद करेंगे, और (शिक्षकों के सहयोग से) उन्हें NTP और RIAP जैसे उपचारात्मक शिक्षण या सीखने के वैकल्पिक कार्यक्रमों से जोड़ेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता CWSN को पहचानने और उनके सीखने के उचित प्रबंधन में भी मदद करेंगे जिससे शिक्षा प्रणाली से उनका जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सके।

P3.9. बच्चों के स्वास्थ्य में स्कूलों की भूमिका: अमूमन बच्चे सफाई की उचित व्यवस्था के अभाव, खाने से जुड़ी अस्वास्थ्यकर प्रथाओं, और उपयुक्त सावधानियों के अभाव के कारण बीमार पड़ जाते हैं और फिर बाद में इन बीमारियों के कारण ड्रॉपआउट हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को जल्द से जल्द पुनः स्कूल से जोड़ने के लिए स्कूल, सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्शदाता, और स्वास्थ्यकर्मी, अभिभावकों, विद्यार्थियों, और समुदाय को अच्छे स्वास्थ्य, स्वच्छता, और समय से टीकाकरण के अभ्यास के लिए शिक्षित करेंगे और उन्हें उचित स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने में भी मदद करेंगे। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने और फिर इसी क्रम में उनकी स्कूल में उपस्थिति और प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए उन क्षेत्रों के स्कूल-कॉम्प्लेक्स में स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।

P3.10. लंबे समय तक स्कूल से बाहर रहे किशोरों के लिए शिक्षा के दूसरे मौके मुहैया

कराना: कई वर्षों से स्कूल से बाहर रहे बच्चों या किशोरों के मामलों में, उन्हें सार्थक शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए स्थायी कार्यक्रमबद्ध पहल की जाएगी। उन स्थानों पर जहां NTP और RIAP जैसे उपचारात्मक शिक्षा के कार्यक्रम काफी नहीं हैं, वहाँ स्कूली शिक्षा प्रणाली द्वारा मान्यताप्राप्त और प्रमाणित (accredited) ब्रिज-प्रोग्राम या उसके समान कार्यक्रम चलाये जायेंगे। इससे दूसरे मौके से जुड़े कार्यक्रम की पहुँच सुनिश्चित होगी।

शिक्षा के दूसरे मौके से जुड़े शैक्षणिक मौकों के साथ व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास (लोगों को शीघ्रता पूर्वक रोजगारपरक बनाने के लिए बाज़ार संचालित पाठ्यक्रम) के अवसरों के विस्तार के लिए संस्थागत क्षमताओं के सुदृढीकरण के कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी।

15 वर्ष या उससे अधिक आयु के ड्रॉपआउट जो कि शिक्षा में बहुत पीछे रह गए हैं या लगभग निरक्षर रह गए हैं को बुनियादी साक्षरता और व्यावहारिक साक्षरता (functional literacy) हासिल करने के लिए प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा। इसके बाद यदि आवश्यकता होगी तो उन्हें नव-साक्षर वयस्कों के लिए आयोजित व्यावसायिक प्रशिक्षणों में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए इस प्रकार के सर्वथा उपयुक्त समाधान से संबन्धित निर्णय स्वयं विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों, स्कूल के शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के परामर्श से लिए जाएंगे।

P3.11. सीखने के लिए विविध मार्गों को प्रशस्त करना (Enabling multiple

pathways to learning): CWSN और प्रवासी मजदूरों के बच्चों सहित सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए स्कूली शिक्षा के दायरे को विस्तृत कर इसमें औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से संबन्धित विभिन्न विकल्पों को शामिल किया जाएगा। इस प्रक्रिया का प्रमुख ज़ोर प्रौद्योगिकी के उपयोग से नवीन शैक्षिक मंचों के विकास और उनके प्रयोग पर होगा। इसके अंतर्गत ई-संसाधनों का विकास, उनका प्रसार, ई-लर्निंग की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, और आवश्यकतानुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया का आरंभ करना शामिल होगा।

औपचारिक स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने में वंचित बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (National Institute of Open Schooling / NIOS) द्वारा प्रस्तावित ओपन एंड डिस्टेन्स लर्निंग (Open and Distance Learning / ODL) कार्यक्रमों का विस्तार और सुदृढीकरण किया जाएगा। लक्षित समूहों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए NIOS किशोरों और वयस्कों सहित, 14 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षार्थियों के लिए ओपन बेसिक एजुकेशन (Open Basic Education) प्रदान करना जारी रखेगा। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त निम्न कार्यक्रम भी प्रस्तावित किए जाएंगे: औपचारिक स्कूली शिक्षा के कक्षा 3, 5, और 8 के स्तर के समकक्ष A, B, और C स्तर (level) के कार्यक्रम; कक्षा 10 और 12 के स्तर के समकक्ष माध्यमिक शैक्षिक कार्यक्रम; व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रम; साक्षारता कार्यक्रम और जीवन-संवर्धन कार्यक्रम। राज्यों को इन कार्यक्रमों को राज्य की आवश्यकताओं के हिसाब से क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित करने और इसके लिए स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (State Institute of Open Schooling / SIOS) की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

P3.12. स्कूल के विभिन्न प्रारूपों को अनुमति देना और RTE एक्ट में वर्णित इनपुट

से संबन्धित प्रतिबंधों को लचीला बनाना: सरकारी और गैर-सरकारी लोककल्याणकारी संस्थाओं के लिए स्कूलों के निर्माण की प्रक्रिया को आसान बनाने, सांस्कृतिक, भौगोलिक, और जनसांख्यिकीय आधारों पर स्थानीय विविधताओं को प्रोत्साहित करने, और इसके साथ ही गुरुकुल, पाठशाला, मदरसा और होम-स्कूलिंग जैसे शिक्षा के वैकल्पिक प्रारूपों की अनुमति देने के लिए स्कूलों से संबन्धित RTE एक्ट के आवश्यक मापदण्डों को पर्याप्त हद तक लचीला किया जाएगा। इनपुट की प्रक्रियाओं पर जोर कम होगा और सीखने के वांछित परिणामों से संबन्धित आउटपुट क्षमता पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इनपुट से संबन्धित नियम बच्चों की सुरक्षा (शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों), पहुँच और समावेश, स्कूलों की गैर-लाभकारी प्रकृति, सीखने के प्रतिफल से संबन्धित न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करने तक सीमित होंगे। गुणवत्तापूर्ण स्कूलों के निर्माण के लिए पर्याप्त लचीला रुख इस्तिथार करना विद्यार्थियों के लिए अधिक शैक्षणिक विकल्प मुहैया कराएगा, और विद्यालयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का

माहौल तैयार करेगा, जिससे कि अधिक और उच्च-गुणवत्ता वाले स्कूलों तक पहुँच बढ़ेगी। स्कूलों से संबंधित अन्य मॉडलों का पायलट किया जाएगा जैसे लोककल्याणकारी संस्थाओं और सार्वजनिक भागीदारी से संचालित स्कूल।

P3.13. माध्यमिक शिक्षा को शामिल करने के लिए RTE एक्ट का विस्तार: यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर्ष 2030 तक कक्षा 12 के स्तर तक के सभी विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा में नामांकित हो और इसके सहभागी बनें, मुफ्त और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण उच्च माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9 से 12; सामान्यतया 14 से 18 वर्ष आयुवर्ग के लिए) को RTE एक्ट के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया जाएगा (P8.4.1 देखें)।

अध्याय 4

स्कूलों में शिक्षाक्रम और शिक्षणशास्त्र

उद्देश्य:

2022 तक शिक्षाक्रम और शिक्षणशास्त्र में आमूल-चूल बदलाव करना ताकि रटने के प्रचलन को खत्म किया जा सके और इसकी जगह 21वीं शताब्दी में आवश्यक ज्ञान, मूल्य, रुझान, हुनर और कौशल जैसे तार्किक-चिंतन, सृजनात्मकता, वैज्ञानिक सोच, संवाद और सहयोग की क्षमता, बहु-भाषिकता, समस्या-समाधान, नैतिक चिंतन और कर्म, सामाजिक जिम्मेदारी व सरोकार और डिजिटल साक्षरता आदि के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

4.1. स्कूली शिक्षा के लिए एक नया शिक्षाक्रमीय और शिक्षणशास्त्रीय ढांचा

स्कूल शिक्षा व्यवस्था का “10+2” ढांचा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक के रूप में देखा जाता है- उस वक्त के लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावी अनुशांसा थी जिसने देश भर में शिक्षा के ढांचे को एक जैसा बनाने और इसका मानकीकरण करने में मदद की। देश के कई हिस्सों में 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत 12 वर्षीय

शिक्षा में 1 से 12 तक की ग्रेड/कक्षाएं शामिल हैं जिसमें ग्रेड 1-5 को प्राथमिक, ग्रेड 6-8 को उच्च प्राथमिक, ग्रेड 9-10 को माध्यमिक और ग्रेड 11-12 को उच्च माध्यमिक/प्री-यूनिवर्सिटी/इंटरमीडिएट, या जूनियर कॉलेज के नाम से जाना जाता है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 50 वर्षों में स्कूली शिक्षा की इस 10+2 व्यवस्था ने देश को काफी मदद की, इसकी तरक्की में अपनी योगदान दिया – और पूरी स्कूली शिक्षा व्यवस्था को समरूपता देने में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन यदि हम इस नीति के विज्ञान के मुताबिक शिक्षा देना चाहते हैं और अपने युवाओं को 21वीं सदी के लिए सही ढंग से तैयार करना चाहते हैं तो हमें शिक्षा के कुछ नए ढांचे और व्यवस्थाएं बनानी ही होंगी। इन 50 वर्षों के दौरान जो नयी सामाजिक और आर्थिक ज़रूरतें उभरी, रोज़गार से जुड़ीं चिंताएं उभरी, और साथ ही साथ शिक्षा के मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विमर्शों, अध्ययनों व अनुसंधानों के ज़रिये बच्चों के सीखने-सिखाने के सम्बन्ध में अनेक नयी समझ विकसित हुई। ये सब भी इस नीति के विज्ञान को बल देती हैं और इस ओर इशारा करती हैं कि हमें समय के मुताबिक एक नयी व्यवस्था चाहिए।

इस नीति में स्कूली शिक्षा में जिन बदलावों की बात की गई है वे खास तौर खेल-आधारित ECCE के संज्ञानात्मक महत्व (जो बच्चों की 3 वर्ष की उम्र से शुरू होगी) को और सभी विद्यार्थियों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मुहैया करवाने की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए की हैं- इन सब बदलावों को पहले 3 अध्यायों में भी बताया गया है। साथ ही, स्कूल जाने की उम्र 3 से 18 साल के दौरान बच्चों में कई तरह के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, और भौतिक बदलाव होते हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए समय-समय पर शिक्षाक्रम और शिक्षण के तौर-तरीकों में भी बदलाव करने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, जैसा कि अध्याय 1 में कहा भी गया है, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि 8 वर्ष की उम्र के पहले बच्चे खेल, गतिविधि, स्वयं-खोजने आदि बहुस्तरीय, सहज और अधिक लचीले तरीकों से बेहतर सीखते हैं। जबकि 8 वर्ष की उम्र तक आते-आते बच्चे सीखने के निर्धारित तौर-तरीकों के मुताबिक अपने को ढालने लगते हैं। यह सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ग्रेड 3 तक आते-आते सीखने-सिखाने के तौर-तरीकों में बदलाव करना शुरू किया जा सकता है- खेल, गतिविधि और खोजने के तौर-तरीके के साथ-साथ औपचारिक तौर-तरीकों को भी शामिल करना शुरू किया जा सकता है- जैसे कुछ पाठ्यपुस्तकों को शामिल किया जाना।

जबकि, 11 वर्ष की उम्र तक आते-आते बच्चों में अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित होना शुरू हो जाती है। इस अवस्था में (जहाँ बच्चे अमूमन ग्रेड 6 में होते हैं) इसलिए यह काफी लाभदायक होगा कि बच्चों को उनकी कक्षाओं में विषय-विशेष के शिक्षक मिले ताकि उनके लिए अलग-अलग विषयों की जटिल और उच्च स्तर की संकल्पनाओं को सीखना संभव हो सके। 14 वर्ष की उम्र तक आते-आते (ग्रेड 9) किशोर अपने भविष्य के जीवन के बारे में सोचना और योजना बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस अवस्था में स्कूली शिक्षा को सीखने-सिखाने के तौर तरीके ना केवल पिछली अवस्था के तौर तरीकों को आधार बनाते हुए आगे विकसित करने होंगे बल्कि बच्चों को आगे के भविष्य जैसे विश्वविद्यालयों की पढ़ाई, काम की दुनियाँ और आगे के जीवन के लिए तैयार करना भी शुरू करना होगा। इस अवस्था में विद्यार्थियों को अनेकों विकल्प मिलने चाहिए और इनमें से अपनी-अपनी प्रतिभा, रुचि, लक्ष्य, और महत्वाकांक्षा के मुताबिक चुनने की आज़ादी भी होनी चाहिए। व्यवसायिक और आर्ट्स कोर्स तक विद्यार्थियों की पहुँच भी सुनिश्चित हो। इस अवस्था में यदि एक सेमेस्टर सिस्टम बनाया जाय जिसके तहत एक बड़ी संख्या में अलग-अलग स्तर के विषयों से बच्चे रु-ब-रु हो सकें, इनका अध्ययन कर सकें तो यह उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा।

इसलिए विद्यार्थियों के समग्र और परिपूर्ण विकास से जुड़े उपरोक्त संज्ञानात्मक और व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, स्कूल शिक्षा के लिए निम्न नयी शिक्षाक्रमीय और शिक्षण-शास्त्रीय व्यवस्था सही मायनों में शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव के लिए बेहद मददगार साबित होगी, और परिणाम स्वरूप हमारी पूरी शिक्षा-व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी (यहाँ ध्यान रखना होगा कि स्कूलों का भौतिक स्वरूप [physical infrasturcture] भी इनके शिक्षण-शास्त्रीय और शिक्षाक्रमीय बदलावों के मुताबिक ही तब्दील किये जायेंगे और विकसित किये जायेंगे ताकि ये सीखने-सिखाने की प्रक्रियाओं में मदद कर सकें।)

P4.1.1. 5+3+3+4 के नए ढांचे में स्कूल शिक्षाक्रम और शिक्षणशास्त्र को पुनर्गठित

करना: बच्चों के विकास के अलग-अलग पड़ावों में - जो उनकी उम्र की भिन्न अवस्थाओं में विकसित होते हैं जैसे 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18- उनकी ज़रूरतें और रुचि भिन्न होती हैं। हमें उनकी इन्ही ज़रूरतों और रुचियों को पोषित करने और इनके विकास को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने के लिए हमारे स्कूली शिक्षाक्रम और शिक्षण-शास्त्र को पुनर्गठित करना होगा। इसलिए स्कूली शिक्षा

के लिए शिक्षाक्रम की रूपरेखा, शिक्षाक्रम और शिक्षण-शास्त्र अब 5+3+3+4 डिजाईन के मुताबिक संचालित किये जायेंगे:

- 5 वर्षों की बुनियादी अवस्था (Foundational Stage): 3 वर्ष
प्री-प्राइमरी स्कूल के और ग्रेड 1, 2
 - 3 वर्षों की प्राथमिक अवस्था (Preparatory or Latter Primary):
ग्रेड 3, 4, 5
 - 3 वर्षों की माध्यमिक अवस्था (Middle or Upper Primary): ग्रेड 6, 7, 8
 - 4 वर्षों की उच्च अवस्था (High or Secondary): ग्रेड 9, 10, 11, 12
- a. 5 वर्षों की बुनियादी अवस्था में जो कुछ भी सीखना-सिखाना होगा उसमें एक लचीलापन होगा और इसमें बहुस्तरीय, खेल-आधारित, गतिविधि आधारित, स्वयं-खोजने के अवसर पर आधारित सीखना-सिखाना होगा। यहाँ लगातार ECCE में हो रहे नए अनुसंधानों द्वारा विकसित समझ की और बच्चों के संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास में मददगार भारतीय पारंपरिक तौर-तरीकों को शामिल किया जाता रहेगा।
- b. प्राथमिक अवस्था में 3 वर्ष की शिक्षा होगी। यहाँ पिछली अवस्था (बुनियादी अवस्था) के शिक्षण के तौर तरीकों – जैसे खेल-आधारित, गतिविधि-आधारित, स्वयं-खोज करने के अवसर पर आधारित सीखने-सिखाने के तौर तरीके – पर आगे निर्मित और विकसित करना होगा। और साथ ही साथ पाठ्यपुस्तकों को भी शामिल करना शुरू करना होगा। और इसी के साथ कुछ औपचारिक तौर-तरीकों को भी। अधिकांश शिक्षक यहाँ जेनेरलिस्ट शिक्षक होंगे (Generalist Teacher अर्थात् ऐसे व्यक्ति जो ना केवल अपने विषय के विशेषज्ञ होंगे बल्कि विभिन्न विषयों की एक विस्तृत समझ रखते होंगे और इसके चलते प्राथमिक स्तर के विभिन्न विषयों को समग्रता में पढ़ाने में सक्षम होंगे)। हालांकि कुछ एक भाषा और कला के शिक्षक (इन विषयों में विशेषज्ञ के रूप में) यहाँ होने की सम्भावना है लेकिन वे पूरे स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में अपना योगदान देंगे (ना केवल प्राथमिक स्तर पर)। इस अवस्था का उद्देश्य विभिन्न विषयों

से मिलकर बनी – जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, कला, भाषा, विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा, आदि- एक एकीकृत बुनियादी और सामान्य (general) समझ को विकसित करना होगा जो एक नीव का काम करेगी ताकि आगे की अवस्थाओं में इस पर कुछ चुनिन्दा विषयों में गहरी विशेषज्ञता विकसित करने में मदद मिले।

- c. माध्यमिक इस अवस्था में शिक्षा 3 वर्षों की होगी। यहाँ प्राथमिक अवस्था की तुलना में अधिक औपचारिक शिक्षण के तौर-तरीकें और शिक्षाक्रम की ओर झुकाव होगा। इसलिए यह काफी लाभदायक होगा कि बच्चों को उनकी कक्षाओं में विषय-विशेष के शिक्षक मिले ताकि उनके लिए अलग-अलग विषयों (गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, आदि) की जटिल और उच्च स्तर की संकल्पनाओं को सीखना संभव हो सके। इन सबकी विशेषज्ञता के अलावा इस बात पर भी जोर रहेगा कि बच्चे यहाँ विषयों के बीच के संबंधों को समझे और उन्हें खुद एक्सप्लोर करना सीखें।
- d. उच्च अवस्था चार वर्षीय बहु-अनुशासनिक अध्ययन होगा। यहाँ माध्यमिक अवस्था में इस्तेमाल की जाने वाली विषय-केन्द्रित शिक्षण और शिक्षाक्रम को ही इस्तेमाल किया जाएगा पर एक गहरी और व्यापक समझ के साथ। यह सब विद्यार्थियों की जीवन-अभिलाषाओं को ध्यान में रखते हुए और उन्हें अधिक से अधिक विकल्प चुनाव के अवसर मुहैया के उद्देश्य के साथ किया जाना है। उच्च माध्यमिक अवस्था में प्रत्येक वर्ष को 2 सेमेस्टर में बांटा जाएगा। इस तरह 4 वर्षों में कुल 8 सेमेस्टर होंगे। प्रत्येक विद्यार्थी हर सेमेस्टर में 5 से 6 विषय लेगा। यहाँ कुछ ऐसे विषय होंगे जो सबके लिए कॉमन होंगे; लेकिन साथ-ही-साथ यहाँ कई विकल्प भी उपलब्ध होंगे जिनके अंतर्गत विद्यार्थी विभिन्न ऐच्छिक विषयों (कला, व्यवसायिक विषय, और शारीरिक शिक्षा जिनमें शामिल होगी) में से अपनी रुचि, रुझान और प्रतिभा के मुताबिक चुन सकेंगे और इनमें पारंगतता हांसिल कर पायेंगे। एक मोड्यूलर बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था बनायी जाएगी और इस तरह से इसे गढ़ा जाएगा ताकि यह विद्यार्थियों की केवल तार्किक चिंतन की क्षमताओं, केन्द्रीय संकल्पनाओं और सिद्धांतों की समझ, और प्रत्येक विषय में उच्च स्तरीय कौशल और हुनर

को जांच सके। यह व्यवस्था कॉमन कोर्स को गहराई से समझने के साथ अन्य ऐच्छिक विषयों में अधिक विकल्पों को मुहैया करवाएगी। “हायर सेकण्ड्री” या “जूनियर कॉलेज” जैसे सिस्टम अब खत्म हो जायेंगे। ग्रेड 11 और 12 इस उच्च अवस्था के अभिन्न अंग माने जायेंगे।

इन सभी अवस्थाओं में भारतीय और स्थानीय परम्पराओं को और साथ ही साथ नैतिक चिंतन, सामाजिक-भावनात्मक सीख, तार्किक चिंतन, डिजिटल लिटरेसी, वैज्ञानिक सोच, भाषाओं का ज्ञान, और संवाद के हुनर कुछ इस तरह विद्यार्थियों में उनकी अवस्था (स्टेज) के मुताबिक हो कि वे अपनी अवस्था के शिक्षाक्रम और शिक्षण के तौर-तरीके के मुताबिक उनमें विकसित की जा सके।

उपरोक्त सभी अवस्थाएं पूरी तरह से शिक्षाक्रमीय और शिक्षण-शास्त्रीय अवस्थाएं हैं। इन्हें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के मुताबिक उनका बेहतर और अधिक से अधिक सीखना हो यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से डिजाइन किया गया है। आगे इन्हीं के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर के शिक्षाक्रमों और सीखने-सिखाने के तौर तरीकों को विकसित किया जाएगा। लेकिन इन अवस्थाओं के विभाजन से हू-ब-हू मिलते हुए भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बदलाव किये जाए यह आवश्यक नहीं है।

4.2. विद्यार्थियों का समग्र विकास

सभी अवस्थाओं में शिक्षाक्रम और शिक्षण-शास्त्र में जो भी सुधार प्रस्तावित किये जा रहे हैं उनका एक ही मूल उद्देश्य है कि पूरी शिक्षा-व्यवस्था को इस तरह पुनर्गठित किया जाय कि यह रटने की ओर ले जाने के बजाय बच्चों को सीखा कैसे जाय यह सिखाने में सक्षम बने। उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों में 21 वीं सदी के लिए ज़रूरी हुनर, कौशल, ज्ञान और मूल्य विकसित किये जाए और साथ ही साथ वे एक समग्र और पूर्ण व्यक्ति के रूप में विकसित हों। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षाक्रम और शिक्षण-शास्त्र को पूर्ण रूप से बदला और पुनर्गठित किया जाएगा।

P4.2.1. स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया और विषय-वस्तु को नयी दिशा देना: पूरी स्कूली शिक्षा के शिक्षाक्रम को इस प्रकार दिशा दी जाएगी कि विद्यार्थियों का समग्र विकास हो और उनके उच्च स्तर के हुनर और कौशल जैसे तार्किक चिंतन, सृजनात्मकता, सहयोग की भावना, टीम में काम करने के रुझान, सामाजिक सरोकार और जिम्मेदारी का भाव, बहु-भाषिकता और डिजिटल लिटरेसी आदि को विकसित किया जा सके। इस तरह रटने की ओर ले जाने वाली सभी प्रक्रियाओं को खत्म करते हुए यह अब विद्यार्थियों को उनके सन्दर्भ और स्वाभाविक जिज्ञासा और प्रेरणा के साथ सीखने में मदद करेगी। साथ ही साथ विश्लेषण, तर्क, संवाद, और जीवन में ज्ञान के प्रयोग आदि की ओर बच्चों में रुझान विकसित हो और इनमें वे पारंगत हों ऐसे इरादे के साथ इसकी सभी प्रक्रियाओं को गढ़ा जाएगा।

शिक्षाक्रम का उद्देश्य यह होगा कि विद्यार्थियों को सभी शिक्षाक्रमीय दायरों जैसे खेल, विज्ञान, कला भाषा, साहित्य, नैतिक बोध आदि में पारंगत किया जाए ताकि वे अपनी संभावनाओं के मुताबिक विकसित हों।

4.3. मूलभूत अधिगम और तार्किक चिंतन को समृद्ध करने के लिए शिक्षाक्रम की विषय-वस्तु को कम करना

अनेकों शिक्षकों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के अवलोकन और अनुभव इस नीति को प्राप्त हुए। इनसे पता चलता है कि हमारे शिक्षाक्रमों के अन्दर इतनी विषय-वस्तु ठूस दी गयी है कि वे अब विद्यार्थियों के लिए भारी बोझ बन गयी है। 1993 की MHRD Yashpal Committee Report “Learnig without Burden” और NCF-2005, दोनों दस्तावेज़ इस बात की सलाह देते हैं कि यदि हम अपने स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा को अधिक समग्र, पूर्ण, विश्लेषण और तार्किक चिंतन को बढ़ावा देने वाली बनाना चाहते हैं तो हमें इसकी बारी भोझ बन गयी विषय-वस्तु को घटाना ही होगा। इन दस्तावेजों में जो गहन शोध पर आधारित अनुशंसाएँ की गयी थी वे आज बेहद प्रासंगिक हैं, शायद इतना कि पहले कभी ना रही हों। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह आज तय शिक्षाक्रम को पूरा करने की आपा-धापी रहती है वह विद्यार्थियों को उनके सीखने को कुंद करती है,

वे तार्किक चिंतन, स्वयं खोजकर सीखने, विश्लेषण करने, और एक सार्थक समझ बनाने से कोसो दूर हो जाते हैं- उनका पूरा ध्यान सिर्फ चीज़ों को रट लेने पर केन्द्रित हो जाता है।

P4.3.1. अधिक समग्र, अनुभव-आधारित, विमर्श-आधारित, विश्लेषण-आधारित सीखना हो इसके लिए हमें शिक्षाक्रम के हर विषय की विषय-वस्तु को घटाना होगा और कुछ मूलभूत केन्द्रीय विषय-वस्तु पर केन्द्रित करना होगा: शिक्षाक्रम के सभी दायरों (विषय-क्षेत्रों) में विषय-वस्तु को घटाकर इसे उनके कुछ मूलभूत और केन्द्रीय संकल्पनाओं और सिद्धांतों पर फोकस करना होगा। ऐसा करने से सीखने-सिखाने की प्रक्रिया अधिक सहज बनेगी और इसमें सवाल उठाने, उन पर बहस और चिंतन करने, मूलभूत संकल्पनाओं और सिद्धांतों का जीवन में प्रयोग करने और इनकी एक गहरी समझ विकसित करने का स्पेस बनेगा। सीखना-सिखाना जब अधिक विमर्शशील बनेगा तो इसमें सवाल उठाने को प्रेरित किया जाएगा, उन पर एक सहज भाव के साथ मस्ती, सहयोग, एक्सप्लोरेशन और अनेक गतिविधियों के तत्व शिक्षण प्रक्रियाओं में शामिल किये जायेंगे ताकि विद्यार्थियों में सीखने के सार्थक अनुभव और इन पर गहरी समझ विकसित की जा सके।

4.4. कोर्स चुनाव में एक लचीलापन लाकर विद्यार्थियों को सशक्त बनाना

शिक्षाक्रम की विषय-वस्तु के बोझ को कम कर और इनके फोकस को अधिक रचनात्मक और संवाद व चिंतन पर केन्द्रित कर हम विद्यार्थियों के सीखने में एक गहराई और सार्थकता लायेंगे। लेकिन इसके साथ-साथ यदि हम उन्हें कोर्स चुनाव में अधिक लचीलापन भी दें तो हम उन्हें अधिक सशक्त बना रहे होंगे। विद्यार्थियों को यदि हम कोर्स चुनाव में अधिक लचीलापन दें, खास तौर पर सेकेंडरी स्तर पर, तो स्कूल में वे अपने समय का समुचित प्रयोग कर पाएंगे, और विशेष तौर पर वे विभिन्न विषयों के साथ कुछ समय बिताएंगे, उन्हें समझेंगे, तो शायद बेहतर अंदाजा लगा पाएंगे कि उन्हें किन विषयों में रुचि है और किन

विषयों को अंततः वे आगे अध्ययन करना चाहते हैं, और आगे के जीवन में किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञता पर बेहद जोर अभी नहीं देना चाहिए, यह थोड़ा बाद में होना चाहिए, ताकि बच्चों के चुनाव पर उनके अभिभावकों और समाज की सोच का असर ना पड़े; बल्कि वे विषयों के साथ अपनी रुचि, चिंतन-मनन और अनुभवों के आधार पर ही उन्हें चुने।

सभी विषय और अध्ययन क्षेत्र जिसमें कलाएं, हस्त-कला, खेल, शामिल हैं, किसी भी समाज और व्यक्ति के विकास और समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हमारे विद्यार्थियों को इन सब क्षेत्रों के अनुभव उनके शिक्षाक्रम के तहत मिले और एक समग्र विकास के ओर वे बढ़ें। विशेष तौर पर कोई एक्स्ट्रा-करीकुलर और को-करीकुलर गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए; ऐसी सभी गतिविधियों को हमें करीकुलर या शिक्षाक्रमीय गतिविधि के रूप में ही पहचानना चाहिए। शिक्षा की एक समग्र एप्रोच वही हो सकती है जो विद्यार्थियों को सशक्त बनाती हो और उन्हें चुनाव की आज़ादी देती हों; साथ ही साथ शिक्षाक्रम के तहत सभी विषयों को विद्यार्थियों की अपनी रुचि, रुझान और चुनाव के मुताबिक समान महत्व देती हों।

P4.4.1. विषयों के चुनाव में अधिक लचीलापन: विद्यार्थियों को अब अधिक आज़ादी और चुनाव में अधिक लचीलापन दिया जाएगा ताकि वे अपने लिए खुद विषयों को चुन सकें- खास तौर पर सेकेंडरी स्कूल के स्तर पर- इनमें शारीरिक शिक्षा, कलाएं, व्यवसायिक कलाएं आदि भी शामिल हैं। इसके चलते विद्यार्थियों को खुद अपने अध्ययन क्षेत्रों को चुनने और अपने जीवन की दिशा को तय करने में मदद मिलेगी। लगातार समग्र विकास पर जोर और साल दर साल अनेको विषयों में से चुनने की आज़ादी सेकेंडरी स्कूल शिक्षा की एक नयी और खास विशेषता होगी।

P4.4.2. करीकुलर, एक्स्ट्रा-करीकुलर, या को-करीकुलर के नाम पर विषय-वस्तु का कोई कड़ा विभाजन नहीं: स्कूल के सभी विषय शिक्षाक्रम का हिस्सा समझे जायेंगे। जिस तरह आमतौर पर खेल, योग, नृत्य, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग, शिल्प, मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी का काम, बागवानी, बिजली का काम आदि तमाम कौशलों और विषयों को एक्स्ट्रा-करीकुलर, को-करीकुलर आदि नामों से पुकारा जाता है; यह अब नहीं होगा। NCERT नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के

मुताबिक पाठ्य-पुस्तकें और पाठ्यक्रमों को तैयार करेगी ताकि इन सब विषयों को राष्ट्रीय शिक्षाक्रम में शामिल किया जा सके। SCERT इन्हें बाद में अपने राज्यों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए संपादित कर सकते हैं और इनमें कुछ अतिरिक्त सामग्री जोड़ सकते हैं। शारीरिक शिक्षा, कलाएं और व्यवसायिक हस्तशिल्प आदि विषयों को पूरे स्कूली शिक्षाक्रम में गंभीरता के साथ इस तरह शामिल किया जाएगा ताकि इन्हें विद्यार्थी रुचि के साथ अपने स्कूली शिक्षा की हर अवस्था में सीख सके और सुरक्षित तरह से सीख सके।

P4.4.3. विज्ञानों और कलाओं के बीच कोई कड़ा विभाजन नहीं: सभी विद्यार्थियों को कलाओं और मानविकी विषयों और साथ ही साथ विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों के गहरे अध्ययन के अवसर मिलेंगे। उच्च शिक्षा में इनके बीच किसी तरह का कड़े विभाजन को हतोत्साहित किया जाएगा। (देखें सेक्शन 11.2)

P4.4.4. “अकादमिक” और “व्यवसायिक” स्ट्रीम्स के बीच कोई कड़ा विभाजन नहीं: एलीमेंट्री और सेकेंडरी शिक्षा के शिक्षाक्रमों में सुनिश्चित किया जाएगा कि अकादमिक और व्यवसायिक स्ट्रीम्स के बीच कोई कड़ा विभाजन ना हों। और सभी विद्यार्थियों को इन दोनों स्ट्रीम्स के हुनर, ज्ञान और कौशल विकसित करने का मौका मिले। तेजी के साथ बदलते वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में किसी खास हुनर या कौशल की तुलना में बुनियादी क्षमताएं और कौशल ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को एलीमेंट्री स्टेज से ही विभिन्न तरह के व्यवसायिक क्षेत्रों के अनुभव मिलने शुरू हो जायेंगे। सीखना प्रमुख रूप से अनुभवों पर आधारित होगा और इस उद्देश्य के साथ होगा कि बच्चे सभी तरह के कामों के प्रति सम्मान का भाव रखें। सभी विद्यार्थी व्यवसायिक कोर्स जैसे कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्थानीय व्यापार और हस्तशिल्प आदि का अध्ययन करेंगे जो कि उनके औपचारिक शिक्षाक्रम का हिस्सा होंगे और उन्हें इनमें गहरी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करेंगे। जिन विषयों और क्षेत्रों पर जोर होगा उनकी जिले के स्तर पर काफी गंभीरता के साथ योजना बनायी जाएगी। और स्कूलों को इसके मुताबिक पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन मुहैया करवाए जायेंगे ताकि ये अपने-अपने इलाकों में एक गहन व्यवसायिक शिक्षा मुहैया करवा सकें। स्कूली शिक्षा के दौरान, विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर से रु-ब-रु होने का मौका मिलेगा और रोजगार की दुनियाँ जो लगातार परिवर्तनशील हैं

उसके रुझानों के मुताबिक शिक्षाक्रम में विषयों की उपलब्धता और चुनने की आज़ादी दी जाएगी।

4.5. मातृ भाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षा; बहु-भाषिकता और भाषा की शक्ति

भाषा से जुड़े मुद्दे शिक्षा के लिए सबसे अधिक महत्व रखते हैं। भाषा संवाद का माध्यम होने के अतिरिक्त किसी व्यक्ति, समाज और इसके सामुदायिक संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने और इसके सम्प्रेषण का माध्यम भी है। किसी भी तरह के ज्ञान-अर्जन या ज्ञान निर्माण और सभी संज्ञानात्मक और सामाजिक गतिविधियों में भाषा सीधे-सीधे मध्यस्तता करती है। बाल-विकास, बाल मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान में हुए अध्ययन यह बताते हैं कि बच्चे अपनी मातृ भाषा में सबसे बेहतर सीखते हैं। 2 से 8 वर्ष की उम्र के दौरान बच्चों में अनेक भाषाओं को सीखने की ग़ज़ब की क्षमता होती है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक क्षमता है जिसको पोषित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार बहु-भाषिकता के अनेकों फायदें हैं जिनका हमारे जीवन में खासा महत्व है।

मातृ भाषा/घर की भाषा में शिक्षा

यह सर्वविदित तथ्य है कि बच्चे सभी महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को अपनी मातृ भाषा या अपने घर की भाषा में जल्दी और बेहतर सीखते हैं। यह नीति इस बात से सहमत है कि बड़ी भारी संख्या में बच्चे ऐसे स्कूलों में जा रहे हैं जहाँ ऐसी भाषा में शिक्षा दी जाती है जो उन्हें समझ में नहीं आती। इसके चलते वे सीखना शुरू करने से पहले ही पिछड़ने लगते हैं और अंततः शिक्षा की प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। इसलिए यह बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आरंभिक वर्षों में बच्चों की कक्षाएं उनकी अपनी भाषाओं में चलाई जाएं। दूसरी ओर, जो पाठ्यपुस्तकें (खास तौर पर विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें) भारतीय भाषाओं में लिखी गयी हैं उनकी क्वालिटी अंग्रेजी में लिखी गयी पाठ्यपुस्तकों की क्वालिटी जैसी नहीं है। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि स्थानीय भाषाओं का (जिसमें जनजातीय भाषाएँ भी शामिल हैं) सम्मान

किया जाए और इन भाषाओं में बेहतरीन पाठ्य-पुस्तकें लिखी जाए और जब भी संभव हो इन भाषाओं में पढ़ाने वाले बेहतरीन शिक्षकों को शिक्षण के लिए लगाया जाय।

P4.5.1. मातृ भाषा/घर की भाषा शिक्षा के माध्यम (medium of instruction) रूप में: जहाँ तक भी संभव हो – कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन वांछनीय तो यह है कि यह ग्रेड 8 तक हो- सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में होने वाले संवाद का माध्यम मातृ भाषा/घर की भाषा/स्थानीय भाषा में होंगे। इसके बाद, घर की भाषा/मातृ भाषा को लगातार एक भाषा के रूप में जहाँ तक संभव हो सिखाना चाहिए। इसी प्रकार उच्च दर्जे की पाठ्य-पुस्तकें, जिसमें विज्ञान भी शामिल है, जरूरत के मुताबिक और जितना संभव है स्थानीय भाषा/मातृ भाषा में मुहैया करवाई जाएगी- उदाहरण के लिए Indian Translation and Interpretation Mission के तहत यह कार्य हो (देखें P4.8.4) या फिर राज्य के स्तर पर इसके समकक्ष एजेंसी द्वारा हो। यदि कहीं इस प्रकार की पाठ्य-पुस्तकें या पठन सामग्री उपलब्ध नहीं हैं; यहाँ तक कि यदि वे प्रादेशिक/राज्य की भाषा में भी हैं तो ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिक्षक और बच्चों के बीच के संवाद बच्चों की मातृ भाषा/घर की भाषा में ही हो।

स्कूली शिक्षा व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए अपने श्रेष्ठ प्रयास करेगी कि वे सभी प्रादेशिक भाषाएँ जो बड़े स्तर पर बच्चों की घर की भाषा/मातृ भाषा के रूप में बोली जाती हैं उन्हीं को शिक्षा का माध्यम (Medium of Instruction) बनाया जाए। हालांकि व्यवस्था को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे स्कूल भी पर्याप्त संख्या में स्थापित किये जाए जो प्रादेशिक अल्पसंख्यक-भाषाओं में शिक्षा देते हो।

P4.5.2. जिनकी भाषा निर्देशों की भाषा (Medium of Instruction) से अलग है उनके लिए द्विभाषी एप्रोच: शिक्षाक्रम एक लचीली-भाषा एप्रोच को बढ़ावा देगा। कक्षा में इसे प्रोत्साहित करेगा। शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाएगा द्विभाषी एप्रोच को अपनाएँ न केवल संवाद में बल्कि सीखने-सिखाने की सामग्री भी द्विभाषी हो, ताकि जिन विद्यार्थियों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा अलग है उन्हें स्कूल की भाषा में पारंगत होने में सहायता मिले।

P4.5.3. स्कूलों में तीन या इससे अधिक भाषाओं से एक्सपोज़र: छोटे बच्चों में भाषा को सीखने की क्षमताओं को पोषित करने और इन्हें समृद्ध करने के लिए प्री-स्कूल और ग्रेड 1 से ही तीन ओर इससे अधिक भाषाओं का एक्सपोज़र देना शुरू किया जायेगा ताकि ग्रेड 3 तक आते-आते ना केवल इन भाषाओं में बोलने लगे बल्कि इन भाषाओं की लिपि को भी पहचानने लगे और इनमें लिखे बेसिक टेक्स्ट को पढ़ने लगे। जहाँ तक लिखने की बात है, तो ग्रेड 3 तक तो बच्चे निर्देशों के माध्यम (medium of instruction) में लिखना सीखेंगे, लेकिन बाद में धीरे-धीरे अन्य भाषाओं की लिपि से भी उनका परिचय कराया जायेगा।

P4.5.4. साइन लैंग्वेज का मानकीकरण: इंडियन साइन लैंग्वेज (ISL) को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। इसके अनुसार राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बघिर बच्चों के लिए शिक्षाक्रम बनाए जायेंगे। स्थानीय साइन लैंग्वेज को भी समान महत्व के साथ देखा जाएगा और जहाँ कहीं भी ज़रूरत और इसकी प्रासंगिकता है वहाँ इसे सिखाया भी जाएगा।

बहु-भाषिकतावाद और भाषा की शक्ति

बहु-भाषिकता भारत के लिए एक अनिवार्यता है, और किसी भी व्यक्ति के सीखने के अवसरों को समृद्ध करने और उसकी समझ को व्यापक करने में यह एक वरदान है, ना कि कोई बोझ। यदि बच्चों को कम उम्र में ही अलग-अलग भाषाओं का माहौल मिले तो वे बहुत तेजी से इन्हें सीख लेते हैं। अनेकों अध्ययनों में पाया गया है कि वे बच्चे जो बहु-भाषी होते हैं, एकल-भाषी बच्चों की तुलना में तेज सीखते हैं और अपने-अपने जीवन में बेहतर कर रहे हैं। यह बच्चों को बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाती है और अपने जीवन में एक से अधिक तरीकों से सीखने और सोचने में सक्षम बनाती है, क्योंकि बहु-भाषिकता के चलते वे अनेक तरह के साहित्य, और इनमें प्रयोग होने वाले उपमाएं, शब्द, अभिव्यक्ति के तौर-तरीके आदि अर्जित कर लेते हैं जो उन्हें बेहतर संवाद और चिंतन में मदद करते हैं। बहु-भाषी भारत बेहतर शिक्षित और राष्ट्र के रूप में बेहतर संगठित होगा। और तो और, भारत की भाषाएँ दुनियाँ की सबसे समृद्ध और वैज्ञानिक भाषाओं में से एक हैं,

इनका एक विशाल प्राचीन और आधुनिक साहित्य उपलब्ध है जिसने भारत की राष्ट्रीय पहचान को गढ़ने में मदद की है।

बावजूद इसके की भारतीय भाषाएँ अपनी अभिव्यक्ति-क्षमता में, वैज्ञानिकता और साहित्य की विशालता में इतनी समृद्ध हैं; यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि भारतीय स्कूलों और समाज में अंग्रेजी के प्रति (शिक्षा के माध्यम के रूप में और बोल-चाल की भाषा के रूप में भी) इतना आकर्षण और आग्रह है। तार्किक दृष्टि से देखें तो अंग्रेजी अन्य भाषाओं में विचार अभिव्यक्ति के लिए कोई बेहतर भाषा हो ऐसा बिलकुल भी नहीं है। इसके उलट, भारतीय भाषाएँ हमारी संस्कृति और सन्दर्भों में ज्यादा प्रासंगिक हैं और हमारे अनुभवों को सदियों से हमारे विचारों को अभिव्यक्त करती आ रही हैं। साथ ही साथ इन्हें सदियाँ लगी विकसित होने में। और तो और, भारतीय भाषाएँ अधिक वैज्ञानिक रूप से स्ट्रक्चर्ड हैं- आपको इनमें बहुत सारे व्याकरणिय अपवाद नहीं मिलेंगे, ना ही बेहद जटिल शब्द-विन्यास मिलेंगे, और ना गैर-ध्वन्यात्मक मिलेंगे। बल्कि इनमें एक विशाल प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य उपलब्ध है जिसमें एक “अपनापन” है, अपने घर की खुशबू है और अपने भारतीय सन्दर्भ की समझ भी। यही वह बात है जो इन भाषाओं को हमारे लिए आसान बनाती हैं, हमें इनसे जोड़ती है, और बच्चों और बड़ों के लिए बोलने और पढ़ने के माध्यम के रूप में प्रासंगिक बनाती है। और स्कूली विषयों के अंतर्गत गूढ़ और गहन विमर्श और संकल्पनाएँ सीखना भी सहज और प्रासंगिक बनाती है।

तो फिर क्या कारण है कि ज्यादातर लोग भारत में शिक्षा के माध्यम और संवाद की भाषा के रूप में अंग्रेजी को ही महत्व क्यों देते हैं? जबकि तकनीकी रूप से विकसित दुनियाँ के सभी देश अपनी भाषा को ही इन दोनों उद्देश्यों से इस्तेमाल करते हैं। इसका उत्तर शायद यह है कि भारत की आज़ादी के बाद से आर्थिक रूप से अगड़े अभिजात वर्ग के लोगो ने अंग्रेजी को अपना लिया। भारत में करीब 15% लोग ही अंग्रेजी बोलते हैं, जो पूरी तरह से आर्थिक रूप से अभिजात वर्ग के ही लोग हैं। और तो और, जाने-अनजाने यह अभिजात वर्ग अंग्रेजी का प्रयोग उन कामों में, जिन्हें ये नियंत्रित करते हैं, एंट्री पाने के लिए एक टेस्ट की तरह करते हैं। ये अंग्रेजी को अभिजात वर्ग में शामिल होने की एक शर्त के रूप में भी देखते हैं। अभिजात वर्ग अंग्रेजी को “शिक्षित” होने की एक शर्त के रूप में भी देखते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि ये अंग्रेजी को ऐसे कामों में एंट्री की पूर्व शर्त के रूप में रखते हैं जहाँ अंग्रेजी का कोई काम नहीं या उसका कोई महत्व नहीं है। इस दुखद परिदृश्य और नज़रिये ने पूरे समाज को भाषा के आधार वंचित कर दिया है। इसके चलते लोगों को सभी

ऊँची आमदनी वाले कामों और उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर से वंचित कर दिया जाता है।

अभिजात वर्ग के इस नजरिये ने आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगो को अभिजात वर्ग का हिस्सा बनने और ऊँची आमदनी वाले रोजगारों से महरूम रखा है। ऐसा नहीं है कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके में मेहनती, ज्ञानवान, प्रखर, हुनरमंद और अच्छे शिक्षित लोग नहीं हैं, बस उन्हें अंग्रेजी राज और वर्तमान अभिजात वर्ग की भाषा अंग्रेजी नहीं आती। इस पूरी स्थिति ने सभी आम भारतीय अभिभावकों में एक कृत्रिम सी आकांक्षा को जन्म दिया है जिसके चलते वे अपने बच्चों को उस भाषा को बोलने के लिए मजबूर करते हैं जो उनकी भाषा है ही नहीं।

यदि हम वास्तव में समाज, शिक्षा और रोजगार व्यवस्था में सच्चे अर्थों में समानता स्थापित करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अंग्रेजी की इस सत्ता को पूरे देश में रोकना होगा। इसके लिए प्रमुख रूप से पढ़े-लिखे और अभिजात वर्ग को ही कोशिश करनी होगी। उन्हें जहाँ भी संभव हो भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल करना होगा और इन भाषाओं को महत्व और सम्मान देना होगा, खास तौर पर लोगो को रोजगार के वक्त चयनित करने, किसी भी प्रकार के सामाजिक आयोजनों में, और सभी स्कूलों और शिक्षा संस्थानों में, और रोजमर्रा की बोल-चाल में। पिछले कुछ समय में भारतीय भाषाओं ने जो अपना महत्व और गौरव खोया है, वह उन्हें वापस मिलना चाहिए। पूरे देश में स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भाषा शिक्षण के पद सृजित किये जाने चाहिए ताकि देश भर के अलग-अलग स्थानों के अलग-अलग तबकों और समुदायों के लोग आपस में जुड़ सकें।

यह सही है कि बच्चों में भाषा को सीखने की बेहद समृद्ध क्षमता होती है, यह भी सही है कि हमें अंग्रेजी की इस सत्ता को रोककर अभिजात वर्ग और बाकी के समाज में जो खाई बन गयी उसे पाटने की जरूरत है; लेकिन इसके अतिरिक्त हमें भारतीय भाषाओं के शिक्षण के साथ-साथ अंग्रेजी का भी सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में बढ़िया क्वालिटी का शिक्षण करना चाहिए। जोर इस बात पर हो कि बच्चे अंग्रेजी में धारा-प्रवाह में बोलें और अपने रोजमर्रा के सभी काम इसमें कर सकें। इसके साथ-साथ शिक्षा के माध्यम के रूप में और भारतीय सन्दर्भ में संस्कृति, कला, साहित्य के गहन अध्ययन के लिए हमें घर की भाषा और भारतीय भाषाओं का ही इस्तेमाल करना चाहिए।

हम सब जानते हैं कि जिस तरह 1960 के दशक में सोचा जाता था कि अंग्रेजी विश्व की भाषा बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि सभी विकसित देश अपनी ही भाषाओं को इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ही भारत के सन्दर्भ में सुझाया जा रहा है कि उसे अपनी भाषाओं को ही सभी क्रियाकलापों और शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। अन्यथा इसकी भाषाओं की विविधता, विरासत और इनकी समृद्धता नष्ट हो जाएगी। इसलिए यह आग्रह किया जा रहा है कि भारत में हम अपने सभी रोजमर्रा के व्यवहार में अपनी भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल करें, इस तरह इनके प्रचार-प्रसार में सहायता मिलेगी। (देखें अध्याय 22)

इसमें कोई शक नहीं कि अंग्रेजी कई क्षेत्रों में एक कॉमन भाषा पूरे विश्व में बन गयी है, जैसे विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। आज अव्वल दर्जे के वैज्ञानिक जर्नल प्रमुख रूप से अंग्रेजी में ही प्रकाशित किये जाते हैं। इस लिए विद्यार्थियों के लिए, खास तौर पर उनके लिए जो उच्च शिक्षा विज्ञान के क्षेत्र में करना चाहते हैं, या ज़रूरी हैं कि वे अंग्रेजी और अपनी घर की भाषा, दोनों में पारंगत हो ताकि वे दोनों भाषाओं में धारा-प्रवाह में विज्ञान पर संवाद कर सकें। ऐसा सभी तकनीकी रूप से विकसित देशों में होता है।

P4.5.5. स्कूलों में त्रिभाषा फ़ॉर्मूला की निरंतरता: संवैधानिक प्रावधानों और भारतीय जन, प्रादेशिक क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें त्रिभाषा फ़ॉर्मूला को लगातार बनाए रखना होगा। यह फ़ॉर्मूला अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बाद से अपनाया गया, बाद में 1986 और 1992 की शिक्षा नीतियों में भी इसे अपनाया गया और फिर पुनः NCF 2005 में भी इस पर जोर दिया गया।

हालांकि, यह अब शोध में भी निकल कर आया है कि 2 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक की उम्र में बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता बहुत ही प्रखर होती है; साथ ही बहु-भाषिकता बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए बेहद फायदेमंद है, इसलिए बच्चों को अब उनके आरम्भिक वर्षों में ही, बुनियादी अवस्था और उसके बाद, तीन भाषाओं को सिखाया जाएगा।

P4.5.6. त्रिभाषा फ़ॉर्मूला का अमल: हमारे बहु-भाषी देश में बहु-भाषिक क्षमताओं के विकास और इनके बढ़ावों के लिए त्रिभाषा फ़ॉर्मूला को शिद्दत के साथ अमल में लाया जाएगा। हालांकि इसका हिंदी भाषी क्षेत्रों में बेहतर अमल किया जाना

चाहिए, यहाँ राष्ट्रीय समन्वयन के लिए स्कूलों में हिंदी के अतिरिक्त भारत की अन्य भाषाओं को भी सिखाना चाहिए। इससे भारतीय भाषाओं का, इन भाषाओं के शिक्षकों का, इनके साहित्य का ओहदा बढ़ेगा, और हमारे विद्यार्थियों की समझ और दृष्टि को भी व्यापक बनाने में यह मदद करेगा।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा पूरे देश की प्रांतीय भाषाओं और खास तौर पर अनुसूची 8 की भाषाओं के शिक्षकों पर अच्छी खासी मात्रा में निवेश किया जाएगा। पूरे देश में भारतीय भाषाओं के अध्ययन और इनके बढ़ावों के लिए, और सभी राज्यों में त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू करने के लिए सभी राज्य अन्य राज्यों के साथ अनुबंध कर सकते हैं जिसके अंतर्गत एक-दूसरे राज्य से भारी मात्रा में भाषा के शिक्षकों की सेवाओं को लिया जा सकेगा।

P4.5.7. भाषा शिक्षण के लिए शिक्षकों की नियुक्ति: ऐसे स्थानों पर जहाँ की भाषा बोलने वाले शिक्षकों की यदि वहां कमी है तो विशेष प्रयास किये जायेंगे और विशेष रूप से स्कीम चलाई जाएगी जिसके तहत यहाँ ऐसे शिक्षकों (जिसमें रिटायर्ड शिक्षक भी शामिल हैं) को नियुक्त किया जाएगा जो यहाँ की स्थानीय भाषा बोल सकते हैं। पूरे भारत भर में एक देशव्यापी प्रयास किया जाएगा जिसके तहत भारतीय भाषाओं के शिक्षकों को तैयार किया जाएगा।

P4.5.8. विज्ञान को दो भाषाओं में सीखना: विद्यार्थियों का माध्यम उनकी स्थानीय/घर की भाषा है वे ग्रेड 8 या उससे पहले विज्ञान को दो भाषाओं में सीखेंगे ताकि ग्रेड 10 के अंत तक आते-आते वे विज्ञान पर दोनों भाषाओं – अपनी स्थानीय या घर की भाषा और अंग्रेजी – में बात कर सकें और काम कर सकें।

इससे विद्यार्थियों में विज्ञान के सिद्धांतों और संकल्पनाओं के बारे में चिंतन करने के एक से अधिक रास्ते और तरीकें विकसित होंगे। इस तरह हम भविष्य के ऐसे वैज्ञानिकों को तैयार कर सकेंगे जो अपने काम को अपने परिवारों, स्थानीय टी.वी. चैनलों, अखबारों, अपने गृह राज्य और शहरों/कस्बों के बच्चों के साथ उनकी भाषाओं में बात कर सकें, इन्हें साझा कर सकें और अगली पीढ़ी को प्रेरित कर सकें।

विज्ञान को द्विभाषी होना एक वरदान के समान है, अधिकाँश नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक एक से अधिक भाषाओं में विज्ञान पर सोचते-समझते रहे हैं। वर्तमान में अनेकों वैज्ञानिक यह कहते पाए जाते हैं कि वे विज्ञान पर अपनी घर की भाषा/मातृभाषा में चिंतन करने और बोलने में असमर्थ हैं, और इसके चलते ना केवल उनके सोचने-विचारने की क्षमता बाधित हुई है बल्कि उनके अपने समुदायों में उनकी पहुँच बाधित हुई है।

P4.5.9. त्रि-भाषा फ़ॉर्मूला में लचीलापन: जो विद्यार्थी अध्ययन की जा रही तीन भाषाओं में कोई एक या दो भाषाओं को बदलना चाहते हैं तो ग्रेड 6 या 7 में बदल सकते हैं बशर्ते वे तीनों भाषाओं में (जिनमें से एक साहित्य के स्तर पर) सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में अपनी पारंगतता को दिखा पाते हैं (देखें **P4.9.5**)। क्योंकि भाषा पारंगतता के लिए मोड्यूलर बोर्ड परीक्षा प्रत्येक भाषा में कुछ बुनियादी क्षमताओं को ही जांचेंगी, इसलिए ग्रेड 6 में भाषा के चुनाव में यह बदलाव अवश्य ही संभव है यदि विद्यार्थी ऐसा करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में पूरी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों को द्वारा विद्यार्थियों की मदद की जाएगी। इसलिए, भाषाओं के कुछ अतिरिक्त विकल्प चुनाव एक अधिक लचीलेपन के साथ मिडिल स्कूल के स्तर पर दिए जाएंगे।

P4.5.10. सेकेंडरी स्कूल में विदेशी भाषाएँ: सेकेंडरी स्कूल के दौरान उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी रुचि है, विदेशी भाषाओं (जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज़, जैपनीज़) को सीखने-सिखाने के अवसर मुहैया करवाए जायेंगे। उन्हें इन भाषाओं के चुनाव के विकल्प दिए जायेंगे और इनके कोर्स उपलब्ध करवाए जायेंगे। विदेशी भाषा एक विकल्प होगी जिनका चुनाव विद्यार्थी कर सकते हैं लेकिन यह त्रिभाषा (जो वे त्रिभाषा फ़ॉर्मूला के तहत सीख रहे होंगे) के स्थान पर नहीं होगी। क्योंकि हमें देश में कुछ बेहतरीन अनुवादक चाहिए, इसलिए विदेशी भाषाओं के शिक्षण में भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं के बीच अनुवाद के अभ्यास एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किये जायेंगे।

P4.5.11. भाषा सीखने-सिखाने की एप्रोच: शिक्षा की बुनियादी अवस्था (प्री-स्कूल से ग्रेड 2 तक) में भाषाओं को आनंददायी तरीकों से सिखाया जाएगा जिसमें संवाद और रोज़मर्रा के इस्तेमाल पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। संस्कृत भारती और Alliance Francaise जैसी संस्थाएं जो भारत में क्रमशः संस्कृत और फ्रेंच सिखाते हैं इनके भाषा शिक्षण को एक मॉडल की तरह देखा जा सकता है, और यदि ज़रूरत हो तो अन्य भाषाओं के शिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बुनियादी स्तर पर भाषा शिक्षण में मुख्यतः संवाद पर ध्यान होना चाहिए (वर्ण और कुछ बेसिक शब्दों को पढ़ने की क्षमता के साथ)। प्रिपेटरी अवस्था तक आते-आते भाषा शिक्षण में प्रत्येक भाषा की लिपि में पढ़ना और लिखना शामिल होगा। मिडिल स्टेज तक आते-आते लिखने पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा। सभी स्तरों पर भाषा शिक्षण में बोलने से सम्बंधित खूब अभ्यास शामिल किये जायेंगे (खास तौर पर अपने घर की या स्थानीय भाषा में) ताकि विद्यार्थियों की हर भाषा में अभिव्यक्ति की क्षमता को प्रखर बनाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, घर की भाषा/स्थानीय भाषा या द्वितीय भाषा की क्षमताओं को भारतीय साहित्य – प्राचीन से लेकर आधुनिक तक- के अध्ययन के माध्यम से और प्रखर बनाया जाएगा (P4.5.12 – P4.5.16 को भी देखें)। इन भाषाओं के सीखने-सिखाने को इन भाषाओं के थिएटर, फिल्म और संगीत पर चर्चा और विमर्श करते हुए और समृद्ध किया जाएगा। शिक्षा के सभी स्तरों पर, खास तौर पर सेकेंडरी स्टेज पर, फिल्म, संगीत और थिएटर या अन्य कलाओं पर विमर्श और चर्चा स्तर मुताबिक की जाएगी।

राज्य की भाषा और इसके साहित्य के शिक्षण में अन्य आंचलिक भाषाओं के साहित्य (जैसे खड़ीबोली, अवधी, मैथिलि, ब्रज, और उर्दू आदि) को भी इसमें शामिल किया जाएगा ताकि इन भाषाओं को भी समान सम्मान मिले, इनमें बच्चों की रुचि बढ़े, और पूरा शिक्षण अधिक समृद्ध बने।

भारत की भाषाओं से एक्सपोज़र: आधुनिक और शास्त्रीय

दुनियाँ भर में विकसित देशों ने यह दिखाया है कि अपनी भाषा, संस्कृति और परम्पराओं में अच्छे से शिक्षित होना शैक्षिक, सामाजिक, और तकनीकी विकास के लिए बाधक नहीं बल्कि बहुत ही सहायक है। इसलिए यह सिफारिश की जा रही है कि जिस तरह हाल के वर्षों में हमने अपनी भाषा, संस्कृति, कला की उपेक्षा की इसे खत्म किया जाय और इन्हें पुनः इनका ज़रूरी सम्मान और उचित स्थान दिया जाय। देश के ये सब सांस्कृतिक संसाधन लोगो को खुशी के साथ, सृजनात्मकता और कुशलता के साथ अपना काम करने; खुद की अस्मिता, अभिव्यक्ति, और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ एक अच्छे इंसान के रूप में विकसित होने में काफी मदद करते हैं।

भारत की भाषाएँ दुनियाँ भर की सबसे समृद्ध, वैज्ञानिक, सबसे सुन्दर और बेहद भावबोधक भाषाओं में से एक हैं। इनमें एक विशाल मात्रा में शास्त्रीय और आधुनिक साहित्य (काव्य और गद्य दोनों) उपलब्ध है। इन सबके साथ फिल्म और संगीत मिलकर हमारे देश की अस्मिता और पूँजी हैं। देश की अखंडता और सांस्कृतिक समृद्धता के लिए ज़रूरी है कि हमारे विद्यार्थी, हमारे युवा इस विशाल और समृद्ध भाषा संसार से और हमारी साहित्यिक पूँजी से वाकिफ़ हों।

P4.5.12. भारत की भाषाओं पर कोर्स: ग्रेड 6-8 के दौरान देश का हर विद्यार्थी भारत की भाषाओं में एक कोर्स करेगा। इस कोर्स के ज़रिये विद्यार्थी इन भाषाओं में समानता और इनके फ़र्क, इनकी शब्दावली, लिपि, व्याकरण की संरचना, इनके उद्भव और इनके संस्कृत और अन्य शास्त्रीय भाषाओं से सम्बन्ध, इन पर एक-दूसरे के प्रभाव, आदि तमाम मुद्दों पर सीखेंगे। हमारे विद्यार्थी यह भी सीखेंगे कि भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है और वे जनजातीय भाषाओं की प्रकृति और संरचना को भी समझेंगे। वे सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में कुछ पंक्तियाँ जैसे अभिवादन करना और कुछ मज़ाक और कछ रोज़मर्रा में काम आने वाले वाक्यों का प्रयोग करना सीखेंगे। इसी तरह इन प्रमुख भाषाओं के साहित्य से भी उनका परिचय होगा (जैसे प्रमुख टेक्स्ट और लेखकों का परिचय और उनके चुनिन्दा टेक्स्ट का अध्ययन)। ऐसी कक्षा हमारे विद्यार्थियों के लिए बेहद कारगर साबित होगी, इससे उन्हें हमारी सांस्कृतिक

धरोहर का पता चलेगा और भविष्य में वे बेहतर रूप से अलग-अलग क्षेत्रों के भारतीय लोगो से संवाद स्थापित कर पायेंगे।

NCERT, SCERTs और पूरे देश के भाषाविदों के साथ मिलकर इस महत्वपूर्ण कोर्स को विकसित करेंगे।

P4.5.13. पूरे शिक्षाक्रम में भारतीय साहित्य के महान कार्यों से प्रासंगिक अंशों को

शामिल करना: भारत की सभी भाषाओं में रचे गए शास्त्रीय और आधुनिक साहित्य से स्कूली शिक्षाक्रम के सभी विषयों में प्रासंगिक अंशों को विद्यार्थियों के माध्यम की भाषा (Medium of Instruction) में अनुवाद कर शामिल करना चाहिए; जैसे रबिन्द्रनाथ टैगोर के काम को दर्शन, लेखन, नीतिशास्त्र या इतिहास की कक्षाओं में शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार के अध्ययन से हमारे विद्यार्थी भारत के महान प्रेरणादायी लेखन से रु-ब-रु होंगे। (P4.5.14-P4.5.15 भी देखें)

भारत के शास्त्रीय साहित्य और भाषाएँ

भारत की शास्त्रीय भाषाओं और इनके साहित्यों के महत्व, प्रासंगिकता और सौन्दर्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हालाँकि संस्कृत एक महत्वपूर्ण आधुनिक भाषा भी है (अनुसूची 8), लेकिन इसमें रचे गए शास्त्रीय साहित्य भी इतने विशाल है कि लेटिन और ग्रीक भाषाओं के सारे साहित्य को मिला दे तो भी यह इनसे ज्यादा होगा। इसमें गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, राजनीति, चिकित्सा, वास्तु, धातुकर्म, नाटक, काव्य, कहानी, और भी बहुत कुछ लिखा गया और सभी तरह के लोगों ने – धर्म को मानने वाले, धर्म को ना मानने वाले, विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगो ने हजारों सालों तक लगातार लिखा।

पाली, फ़ारसी और प्राकृत जैसी भाषाओं के अलावा, भारत में अन्य शास्त्रीय भाषाओं जैसे शास्त्रीय तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयाली, और ओड़िया आदि के बहुत समृद्ध साहित्य उपलब्ध है। हमें इन्हें सहेज कर रखने की ज़रूरत है ताकि हमारी भावी पीढ़ी को इनकी समृद्धता और आनंद से परिचित करवाया जा सके। जब भारत एक पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनेगा तो इसकी भावी पीढ़ी इसके

समृद्ध और विशाल साहित्य, जिसमें महान बौद्धिक और सांस्कृतिक पूँजी समाहित है, को अध्ययन करना और इससे सीखना चाहेगी और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहेगी।

P4.5.14. संस्कृत का अध्ययन और इसके विशाल साहित्य का ज्ञान: संस्कृत विभिन्न

विषयों के ज्ञान का विशाल भण्डार रही है। इसमें गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, राजनीति, चिकित्सा, वास्तु, धातुकर्म, नाटक, काव्य, कहानी, और भी बहुत कुछ लिखा गया और हर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने लिखा। संस्कृत (और प्राकृत) ने भारत की ज्ञान की खोज की परम्परा और खास तौर पर 64 कलाओं या लिबरल आर्ट्स का अध्ययन करने में एक महती भूमिका निभायी है।

संस्कृत के इस महत्वपूर्ण योगदान और भारत की अन्य भाषाओं के विकास और राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता को बनाने में इसकी महती भूमिका को देखते हुए संस्कृत का और इसकी वैज्ञानिक प्रकृति का अध्ययन करने की सुविधाओं को सृजित करना होगा। साथ ही साथ संस्कृत के विभिन्न लेखकों और विद्वानों के (जैसे कालिदास और भास के नाटक) के प्राचीन और मध्यकालीन लेखन के प्रासंगिक अंशों को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यापक स्तर पर इस्तेमाल की जाएगी।

जहाँ कहीं भी प्रासंगिक हो वहाँ स्कूल शिक्षाक्रम के हर विषय में संस्कृत के उस साहित्य को शामिल किया जायेगा जिसने इतिहास को बदलने में मदद की- जैसे भास्कर की गणित पर कवितायें और पहेलियाँ जो विद्यार्थियों को गणित में रुचि लेने में मदद करेगी और इसके अध्ययन को सहज बनाएगी, इसी तरह पंचतंत्र की कहानियाँ नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल की जाएगी।

अनुसूची 8 में शामिल सभी भाषाओं के साथ संस्कृत को भी स्कूल और उच्च शिक्षा में एक ऐच्छिक भाषा के रूप में रखा जायेगा। फाउंडेशनल और मिडिल स्कूल स्तर पर संस्कृत की पाठ्य-पुस्तकें दुबारा से Simple Standard Sanskrit (SSS) में लिखी जाएगी ताकि Sanskrit through Sanskrit (STS) सिखाई जा सके और इसे आनंददायी बनाया जा सके।

P4.5.15. भारत की सभी शास्त्रीय भाषाओं में कोर्स उपलब्ध करवाना: संस्कृत के अलावा भारत की अन्य शास्त्रीय भाषाओं पाली, फ़ारसी, प्राकृत, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयाली, और ओड़िया आदि के समृद्ध साहित्य के शिक्षण को स्कूलों में व्यापक रूप से उपलब्ध करवाया जायेगा। ताकि हम इन्हें सहेज कर रख सकें। खास तौर पर उन राज्यों में जहाँ इन्हें सबसे बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है और पोषित किया जा सकता है। इन सब और अन्य शास्त्रीय भाषाओं के भारत भर में विभिन्न लेखकों के द्वारा रचे गए साहित्य को हमारे शिक्षाक्रम में समुचित स्थान दिया जायेगा और साहित्य व लेखन की कक्षाओं में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जायेगा कि वे इनके विशाल और समृद्ध साहित्य का अध्ययन करें (जैसे शास्त्रीय तमिल में संगम काव्य, पाली में जातक कथाएँ, ओड़िया में सरला दास का कार्य, कन्नड़ में हरिश्चंद्र काव्य, फ़ारसी में अमीर खुसरो का काम, कबीर का काव्य आदि)।

P4.5.16. शास्त्रीय भाषा पर एक दो-वर्षीय प्रासंगिक कोर्स: हमारे बच्चों के समृद्ध विकास के लिए और इन भाषाओं के कलात्मक और गौरवमयी परंपरा को सहेज कर रखने के लिए सभी स्कूलों (सरकारी या प्राइवेट) के सभी बच्चे ग्रेड 6-8 में कम से कम एक भारतीय शास्त्रीय भाषा पर दो-वर्षीय कोर्स करेंगे, जिसमें उन्हें यह विकल्प दिया जायेगा कि वे इस भाषा का अध्ययन लगातार सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी शिक्षा में भी करते रह सकते हैं। ऐसे सभी कोर्स को अधिक रुचिकर और आनंददायी बनाने के लिए समाज के अलग-अलग तबकों से आये लेखकों के साहित्य को यहाँ शामिल किया जायेगा और इनका अध्ययन किया जायेगा। और इनके स्वर, इनके उद्भव और इनके आधुनिक भाषाओं पर प्रभावों को समझा जाएगा।

उन विद्यार्थियों ने जिन्होंने त्रि-भाषा फ़ॉर्मूला के तहत तीन में से एक भाषा के रूप में संस्कृत को चुना होगा, वे कोई और आधुनिक या शास्त्रीय भाषा इस दो-वर्षीय कोर्स के लिए चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी हिंदी-भाषी क्षेत्र के विद्यार्थी ने तीन भाषाओं में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी को चुना हो तो दो वर्षीय कोर्स के लिए भारत के किसी अन्य क्षेत्र की भाषा जैसे तमिल को चुन सकता है।

4.6. मूलभूत विषयों और कौशलों का शिक्षाक्रमीय एकीकरण

जहाँ एक तरफ विद्यार्थियों को अपने लिए अपना शिक्षाक्रम चुनने के विकल्प होंगे और उनमें एक लचीलापन भी, वहीं दूसरी ओर इस नीति द्वारा यह भी माना जा रहा है कि कुछ ऐसे विषय और कौशल होंगे जो सबको सीखने होंगे ताकि वे इस तेजी से बदलती दुनियाँ में एक बेहतर, अच्छा, सफल, नवाचारी, परिवर्तनशील, उत्पादक इंसान बन सकें। भाषाओं में पारंगतता के अलावा जो हुनर और कौशल इनमें शामिल हैं वे हैं- डिजिटल लिटरेसी, भारत की समझ, स्थानीय समुदायों, राज्यों, राष्ट्र और विश्व की चुनौतियाँ और समस्याएँ।

4.6.1. वैज्ञानिक सोच (Scientific Temper)

P4.6.1.1. पूरे शिक्षाक्रम में वैज्ञानिक सोच को विकसित करना और प्रमाणों पर आधारित चिंतन को विद्यार्थियों में बढ़ावा देना: शिक्षाक्रम के सभी दायरों में – विज्ञान और परम्परागत तौर पर “गैर-विज्ञान” विषयों में भी – प्रमाण-आधारित चिंतन और वैज्ञानिक विधियों को शामिल किया जाएगा ताकि विश्लेषणात्मक, तार्किक, तर्कसंगत, मात्रात्मक, चिंतन को शिक्षाक्रम के सभी दायरों में बढ़ावा मिले।

उदहारण के लिए इतिहास में हम पूछ सकते हैं, “पुरातात्विक और साहित्यिक प्रमाणों के आलोक में कौन से ऐतिहासिक परिदृश्य संभव लगते हैं?”। संगीत/भौतिकी में कोई पूछ सकता है कि, “संगीत के सुरों में किस ध्वनि-आवर्ती का प्रयोग हो ताकि संगीत की मधुरता को सुनिश्चित किया जा सके?”। नीतिशास्त्र में कोई पूछ सकता है कि, “समाज को क्या सकारात्मक फ़ायदे होंगे यदि इसका प्रत्येक सदस्य नैतिक कर्म करें?”

शिक्षाक्रम के सभी दायरों में प्रमाण-आधारित और वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देने से यह विद्यार्थियों को स्वाभाविक रूप से तर्कसंगत, नैतिक, और सहानुभूति-शील व्यक्ति बनने में मदद करेंगे और इसके चलते ये भविष्य में

एक बेहतर, तर्कसंगत, और नैतिक निर्णय ले सकेंगे। प्रमाण-आधारित चिंतन और वैज्ञानिक सोच, शिक्षण के ऐसे महत्वपूर्ण तत्व भी हैं जो विद्यार्थियों को सीखना कैसे होता है यह सीखना, नयी परिस्थितियों में ढलना, और जीवनपर्यन्त सीखने वाला बनना आदि गुण भी उनमें विद्यार्थियों में विकसित करते हैं।

4.6.2. कला और सौन्दर्य-बोध

कोई भी शिक्षा जो सृजनात्मकता और नवाचार पर जोर देती हो उसमें कलाओं को शामिल किया ही जाना चाहिए। अब यह एक सर्वविदित तथ्य है कि जो लोग (जिसमें वैज्ञानिक और इंजिनियर शामिल हैं) अपने बचपन में कलाओं को सीख पाए वें व्यस्क जीवन में अधिक उत्पादक, सृजनशील, और नवाचारी होते हैं।

खास तौर पर देखने को मिलता है कि बच्चों में संगीत उन्हें भावनात्मक रूप से बेहतर मजबूत और उनमें सहयोग की भावना व सृजनशीलता का विकास करता है। अनेकों वृहद्-स्तरीय शोध यह दिखाते हैं कि जो बच्चे संगीत सीखते और इसका अभ्यास करते हैं वें गणित और रीडिंग में अधिक स्कोर अर्जित करते हैं। यह भी पाया गया है कि जिन स्कूलों में संगीत कार्यक्रम चलाये जाते हैं वहां पास होने वाले छात्रों की संख्या तुलनात्मक रूप से कहीं अधिक है। जिन बच्चों ने बचपन में संगीत सीखा है उनके व्यस्क और किशोर जीवन में वें व्यसन और हिंसा से कहीं अधिक दूर रहे हैं। इसी तरह नोबेल पुरस्कार विजेताओं का एक सर्वे हुआ है जिसमें पाया गया कि सभी क्षेत्रों में 6 गुणा से भी अधिक पुरस्कार विजेता वें लोग हैं जो या तो अपने आप खुद अच्छे संगीतकार हैं या अपने जीवन में संगीत में गहरी अभिरुचि रखते हैं।

ये सभी तथ्य यह दिखाते हैं कि यदि कलाओं और खासतौर पर संगीत को विद्यार्थियों को बचपन से ही सिखाया जाए तो आगे चलकर यह उनके किशोर और व्यस्क जीवन में बेहद उपयोगी साबित होता है। भारत में कलाओं की एक समृद्ध परंपरा रही है, खास तौर पर संगीत में भी, इसलिए सभी विद्यार्थियों को हर स्तर पर इन चरित्र-निर्माण और सृजनात्मक गतिविधियों में भागीदारी निभाने का मौका मिलना चाहिए।

इसलिए निम्न नीतिगत कदम उठाये जा रहे हैं:

P4.6.2.1. बच्चों के आरंभिक वर्षों में संगीत और कला के अनुभव: सभी बच्चों को उनकी बुनियादी अवस्था से ही भारतीय शास्त्रीय संगीत (कर्णाटीक और/अथवा हिन्दुस्तानी) की शिक्षा मिलनी चाहिए जहाँ वे इनके सुरों, रागों और धुनों से रु-ब-रु हों और विभिन्न गतिविधियों जैसे गायन अभ्यास, ताली, आदि के माध्यम से इन्हें सीखें और समझें। इसी तरह लोक संगीत, लोक कला, हस्त-कला, गायन और वाद्य संगीत आदि से भी एक्सपोज़र दिया जाना है। साधारण, सस्ते वाद्य यंत्र जैसे जायिलोफोन (Xylophones) और शेकर्स (Shakers) सभी प्री-स्कूलों और स्कूलों में उपलब्ध, खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए, ताकि वे संगीत सीख सकें, इसका अनुभव कर सकें।

कला अनुभवों में थिएटर, काव्य, पेंटिंग, ड्राइंग, और शिल्पकला, और व्यवसायिक कला जैसे कारपेंट्री और एम्ब्रायडरी/सिलाई, आदि को भी शामिल किया जाएगा।

इन सब कलाओं को सिखाने के तौर-तरीकें विद्यार्थियों के उम्र के मुताबिक होंगे और सुरक्षित होंगे। यह सब शिक्षकों द्वारा और विशेष रूप से ट्रेड और व्यवसायिक कलाकारों और संगीतकारों द्वारा स्कूलों और स्कूल कॉम्प्लेक्स के स्तर पर सिखाया जायेगा।

कला और संगीत पर इस तरह काम करने से स्थानीय कला परम्पराओं और सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित करने में मदद मिलेगी।

P4.6.2.2. कम से कम एक कला को गहन अध्ययन के लिए लेना: कुछ बेसिक कलाओं चाहे वह वाद्य-संगीत हो या गायन, शिल्प, ड्राइंग, पेंटिंग, या कोई व्यवसायिक हस्त-शिल्प, इन सब की सीखने और इनसे रु-ब-रु होने के लिए जो भी समय इन पर लगाया जाता है उसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को किसी एक कला को गहन अध्ययन के लिए लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा, भले ही वे विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे विषयों को भविष्य में पढ़ने की योजना बना रहे हों। ऐसा करने से भले ही उनकी विशेषज्ञता किसी भी विषय में हो कला के अनुभव और समझ उन्हें अपने क्षेत्र में अधिक सृजनशील और नवाचार की ओर ले जाएगी।

P4.6.2.3. अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक कला को पहुँचाने के लिए तकनीक का

इस्तेमाल: विद्यार्थियों तक कला पहुँचे इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे देश भर के बेहतरीन और जाने-माने कलाकारों की प्रस्तुतियों को व्यवसायिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाय और उन्हें कक्षाओं में दिखाया जाय। उन्हें देखते हुए शिक्षक और विद्यार्थी इनकी बारीकियों को समझ सकते हैं और इनका अभ्यास कर सकते हैं। यह देखा गया है कि यह एक सीखने का आसान और मजेदार तरीका है।

P4.6.2.4. स्थानीय कलाकारों के साथ संवाद: स्थानीय कलाकारों और हस्त-शिल्पियों

को स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा और उनकी सेवाएँ छोटी-छोटी प्रस्तुतियों से लेकर पूरी-पूरी कक्षाओं तक को चलाने में ली जायेंगी। इसके चलते हम यह सुनिश्चित कर पाने में सफल होंगे कि स्थानीय कलाओं को अधिक सराहा जा सके, इनका आनंद लिया जा सके, इनको बेहतर प्रतिनिधित्व मिले और प्रत्येक समुदाय में इन्हें पोषित किया जा सके। विद्यार्थियों में मानवता, सृजनशीलता, नवाचार आदि के विकास के लिए एक अधिक समग्र, कलात्मक, आनंदप्रद, सहयोगात्मक, बहु-अनुशास्रिक शिक्षा की ही ज़रूरत होगी।

4.6.3. मौखिक और लिखित संवाद

आधुनिक दुनिया में दोनों प्रकार के संवाद - मौखिक और लिखित - बहुत तेज़ी से महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन का एक बड़ा हिस्सा संदेश, निवेदन, सवाल, विचार, फीडबैक, किस्से-कहानी, और अन्य कई तरह के टेक्स्ट एक-दूसरे को भेजते हैं- या तो लिखकर या किसी डिजिटल फॉर्म में। दुनियाँ भर के नियोक्ताओं (employers) के सर्वे बताते हैं कि मौखिक संवाद के कौशल को वे सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए उनके यहाँ नौकरी पाने के लिए जो आवेदक आते हैं उनमें वे उनके मौखिक संवाद के कौशल को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। स्पष्ट और सटीक बोलने, सुनने, सवाल करने, विमर्श करने, लिखने के साथ-साथ आत्म-विश्वास, वाकपटुता, दोस्ताना व्यवहार, व्यापक सोच

और खुलापन आदि तमाम चीज़ें सभी मैनेजर और लीडर के लिए बुनियादी और ज़रूरी हुनर और कौशल समझे जाते हैं।

इसलिए यह नीति स्कूली व्यवस्था के लिए यह ज़रूरी मानती है कि यह हमारे विद्यार्थियों को एक उत्कृष्ट वक्ता बनाए। विद्यार्थी जब भाषाएँ सीखते हैं तब उन्हें अपने शिक्षकों और सहपाठियों के साथ उस भाषा में बोलने और लिखने के अभ्यास नियमित रूप से करवाए जाने चाहिए। सबसे मूलभूत सिद्धांत भाषा शिक्षण में यह होगा कि विद्यार्थियों को उनके फाउंडेशनल स्टेज के समय से ही लगातार प्रत्येक हफ्ते कुछ मिनट उन तमाम मुद्दों पर जो उन्हें पसंद है, सभी के सामने बोलने का मौका दिया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रयास निम्नलिखित होंगे:

P4.6.3.1. फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी वर्षों के दौरान “शो एंड टेल” (“Show and tell”) सेशन: “शो एंड टेल” (“दिखाओ और बताओ”, हिंदी में) एक ऐसा तरीका है जो भारत और दुनिया के अन्य देशों में बच्चों में सार्वजनिक रूप से बोलने और सुनने और उनमें आपस में संवाद करने की क़ाबिलियत को विकसित करने में खासा सफल रहा है। सभी बच्चे जो ग्रेड जो प्राइमरी स्कूल में हैं ग्रेड 1 से ही अपने शिक्षकों के साथ प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक बार “दिखाओ और बताओ” सत्र में शामिल होंगे। इन सत्रों में शिक्षक और विद्यार्थी अपने सबसे प्रिय खेल, खिलौने, परिवार के फोटो, फूल, बच्चों की किताबें, कहानियाँ, व्यक्तिगत किस्से और कहानियाँ (जो अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों, त्योहारों, छुट्टियों प्रिय विषयों और पाठों पर हो सकते हैं) को लेकर आयेंगे और इन पर कुछ देर पूरी कक्षा के सामने बोलेंगे। पहले पहल तो ये सत्र बच्चों की अपनी घर के भाषा में होंगे लेकिन धीरे-धीरे यह उन भाषाओं में भी आयोजित किये जायेंगे जिन्हें बच्चे सीख रहे हैं। सत्रों को और अधिक रुचिकर और संवादपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक और कक्षा के विद्यार्थी हर प्रस्तुतीकरण के बीच में या फिर अंत में कुछ सवाल और अपनी जिज्ञासाओं को रखेंगे। इन सत्रों में शिक्षक अपनी प्रिय वस्तुओं या किस्सों से शुरुआत करेंगे और प्रस्तुतीकरण का एक तरीका और मॉडल सभी बच्चों के सामने रखेंगे, इस तरह वे सही मायनों में बच्चों के साथ सहज हो पाएंगे और बच्चे आपस में घुल-मिल पाएंगे।

मिडिल स्कूल में भी ये सत्र लगातार चलते रहेंगे लेकिन वहां थोड़े गंभीर मुद्दों पर बातचीत होगी और प्रत्येक सप्ताह में केवल एक पीरियड इसके लिए रखा जाएगा। यहाँ भी विद्यार्थी अपने प्रिय वस्तुओं या मुद्दों और अनुभवों पर ही बोलेंगे जैसे कोई समाचार, गैजेट, स्थानीय कला या त्यौहार, या फिर अपनी कोई कला, कविता कहानी आदि।

P4.6.3.2. मिडिल और सेकेंडरी स्टेज में प्रत्येक विषय में संवाद को शामिल करना:

मिडिल और सेकेंडरी स्टेज में भी कक्षा के सामने आकर बोलना चलता रहेगा, लेकिन अब यहाँ थोड़ा अधिक गंभीर और विषय-विशेष के मुद्दों पर बात अधिक होगी। जैसे किसी विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों को किसी समस्या के हल पर बोलने के लिए कहा जा सकता है, ऐसे ही नैतिक मूल्यों पर बात करते वक्त किन्हीं नैतिक समस्याओं पर बोलने के लिए कहा जा सकता है या फिर अपने जीवन से कोई अनुभव पर बोलने के लिए कहा जा सकता है। शिक्षक लगातार यह नोट करते रहेंगे कि किस बच्चे की रुचि किन चीज़ों में है और फिर उन्हें उन्हीं चीज़ों पर बोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ताकि सभी बच्चों का मनोबल बढे और अपने सहपाठियों के बीच अपनी बात को रखने का आत्मविश्वास उनमें विकसित हो।

मिडिल और सेकेंडरी स्टेज में बच्चे औपचारिक रूप से भारत की और विश्व की कृषि, तकनीक, चिकित्सा, वैज्ञानिक, और पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दों और समस्याओं पर बोलना सीखेंगे (P4.6.10.1 और P4.6.10.2 देखें)। ये सभी आयाम विद्यार्थियों को अवश्य ही विश्व और हमारे देश की समस्याओं के हल में भविष्य में अपना योगदान देने में मदद करेंगे।

4.6.4. शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, और खेल

शारीरिक शिक्षा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह बच्चों में माँसपेशियों और हृदय को मजबूत बनाने, शरीर को ताकतवर और लचीला बनाने

में बेहद मददगार है। यह बच्चों को उनके अपने और अन्य प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है। और तो और, खेल खेलते हुए बच्चे विभिन्न तरह के रुझान और कौशल अर्जित करते जाते हैं जैसे सहयोग, टीम में काम करने की क्षमता, समस्याओं को हल करने का कौशल, अनुशासन, जिम्मेदारी, दृढ़ता आदि। यह सर्वविदित है कि शारीरिक गतिविधि चिंता और तनाव को कम करने और इससे निजात पाने और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने का एक बेहतरीन माध्यम है। ये सभी विशेषताएं कक्षा-कक्ष में भी बेहतर प्रदर्शन के लिए भी जरूरी हैं। अध्ययन बताते हैं कि जो विद्यार्थी शारीरिक रूप से सक्रिय हैं वे अपने स्कूल के अकादमिक कामों को भी बेहतर कर पाते हैं। और, जो लोग अपने बचपन में शारीरिक रूप से काफी सक्रिय रहते हैं वे अपने व्यस्क जीवन में भी अधिक सक्रिय और स्वस्थ पाए जाते हैं, तथा एक लम्बा जीवन जीते हुए अधिक उत्पादक बने रहते हैं।

इसके लिए निम्न कदम उठाये जायेंगे:

P4.6.4.1. फाउंडेशनल स्टेज पर शिक्षाक्रम में शारीरिक शिक्षा, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और खेल को शामिल करना: स्थानीय स्तर पर सुविधाओं और शिक्षकों की उपलब्धता के मुताबिक सभी विद्यार्थी स्कूल में सभी स्तरों पर एक नियमित कालांश में विभिन्न खेल-कूद और कसरत जिसमें योग, खेल, मार्शल आर्ट्स, नृत्य, बागवानी, और अन्य गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्राप्त करेंगे। स्कूलों में खेलने के मैदान उपलब्ध करवाए जायेंगे। यदि स्कूल में मैदान नहीं होंगे तो स्कूल कॉम्प्लेक्स में इन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा, और यदि ज़रूरत होगी तो यातायात के साधन भी मुहैया करवाए जायेंगे, ताकि सभी विद्यार्थियों को खेलों में भागीदारी करने और इनमें उत्कृष्टता हासिल करने के अवसर मिले। स्कूल कॉम्प्लेक्स के अन्दर के स्कूलों के बीच और स्कूल-कॉम्प्लेक्स के बीच खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जाएगा, इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा और प्रेरित किया जाएगा।

4.6.5. समस्या-समाधान और तार्किक चिंतन

जिस तरह स्वस्थ और सक्रीय रहने के लिए शरीर की कसरत जरूरी है वैसे ही दिमाग की कसरत भी जरूरी है। रणनीति, तर्क और शब्द पहेली, मजेदार गणित के खेल आदि बच्चों को बौद्धिक रूप से प्रेरित करने और इनमें तार्किक चिंतन विकसित करने में काफी मदद करते हैं। ये तर्क करने की काबलियत उनके पूरे स्कूली जीवन में और आगे के पूरे व्यस्क जीवन में उनके काफी काम आता है।

अनेकों तरह की पहेलियाँ, लकड़ी के गुटकों के साथ काम करना, भूल-भुलैया के खेल खेलना आदि तमाम गतिविधियाँ बच्चों में स्थानिक चिंतन को विकसित करने में मदद करती हैं। रणनीति के खेल जैसे शतरंज आदि बच्चों में समस्या समाधान और रणनीति बनाने के हुनर विकसित करते हैं।

शब्द और तर्क पहेलियाँ एक आनंददायी तरीका है जिसके जरिये बच्चों में निगमनात्मक तर्क करने क्षमता विकसित की जा सकती है। साधारण सी पहेलियाँ बच्चों में तर्क करने और रचनात्मक चिंतन को मजेदार तरीके से विकसित करने में मदद करती हैं। जैसे:

- यदि एक अँधेरे कमरे के एक दराज में 10 लाल जुराबें और 10 नीली जुराबें रखी हैं, कितनी जुराबें हमें इस दराज से हटानी पड़ेगी यदि हम चाहते हैं कि यहाँ किसी एक रंग की केवल 2 जुराबें बची रह जाएँ?
- एक किसान जिसके पास एक लोमड़ी, एक बकरी और एक गोभी का फूल है, वह नदी पार करना चाहता है। लेकिन मुश्किल यह है कि नाव में केवल दो चीज़ें ही समा सकती हैं, एक किसान और दूसरी लोमड़ी, या बकरी या फिर गोभी। यदि किसान गोभी को अपने साथ ले जाता है तो पीछे लोमड़ी बकरी को खा सकती है, और यदि लोमड़ी को ले जाता है तो बकरी गोभी को खा लेगी। कैसे फिर किसान इन तीनों को बिना किसी नुकसान के नदी पार ले जा सकता है?
- डोमिनो खेल का एक मुहरा दो वर्ग से मिलकर बना है, 1x2, जो चेस-बोर्ड के एक-दूसरे के बराबर में स्थित वर्गों को घेरता है। क्या 32 डोमिनो मुहरें 8 x 8 चेस-बोर्ड को पूरा-पूरा ढक लेंगी? यदि किसी 8 x 8 चेस-बोर्ड में विकर्ण पर बने विपरीत दिशाओं में वर्गाकार कोनों को काट दिया जाए तो क्या 31 डोमिनो मुहरें इस बोर्ड को पूरा-पूरा ढक पाएंगी? क्यों और क्यों नहीं? (एक वाक्य में उत्तर दें!)

जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाएँ वैसे-वैसे उनसे पूछी जाने वाली पहेलियों या समस्याओं को अंकगणित और अन्य जटिल तत्वों को मिलाकर अधिक चुनौतीपूर्ण बनाया जा सकता है।

भाषा की पहेलियाँ बच्चों को भाषायी चिंतन में पारंगत करती हैं- जैसे उत्तरी और दक्षिणी भाषाओं में ऐसी प्रतियोगिता जो बच्चों से किसी चुने गए मुद्दे पर एक पैराग्राफ लिखने को कहे जिसमें कोई भी ओष्ठ-ध्वनि (प, फ, ब, भ, और म) ना हो, या फिर अंग्रेजी में, जहाँ कोई भी “e” वर्ण इस्तेमाल ना किया जाय- यह सब चुनौतियाँ बच्चों के लिए मजेदार हो सकती है और आसानी से भाषा के साथ खेलना और इसे समझने में उनकी मदद करती हैं।

इसी तरह अंकगणित की पहेलियाँ बच्चों में संख्याओं और मात्रात्मक चिंतन के प्रति सहज बनाने में मदद करती हैं। जैसे:

- कोई भी अपनी पसंद का एक सिंगल डिजिट ले लो और इसे 9 से गुणा करो। फिर गुणा के बाद जो संख्या आई उसे 12345679 से गुणा करो। क्या हुआ? और क्यों?
- आप क्या लेना पसंद करेंगे: a). आज 1 करोड़; या b). आज 1 रुपया, कल 2 रुपए, परसों 4 रुपए, आदि प्रत्येक दिन के रुपयों का दुगुना अगले 30 दिनों तक?

उदहारण के लिए ऊपर दी गयी आखरी पहेली दरअसल भारतीय पहेली है जो एक प्रसिद्ध प्राचीन कहानी में मिलती है। इस कहानी में एक गरीब लेकिन बेहद बुद्धिमान लड़की राजा से रोज पिछले दिन से दुगुने चावल लेने के लिए कहती हैं और कुछ ही दिनों में वह राजा के पूरे भण्डार जितना चावल ले लेती है। इसमें 2 की घात और इसके चलते संख्याओं में विशाल वृद्धि के बारे में पता चलता है।

आज की दुनिया में विज्ञान, गणित, वित्त और अन्य क्षेत्रों में बड़ी संख्याओं का महत्व हम सब जानते हैं, इसलिए बच्चों को इनके बारे में बताना और इनके प्रति सहज बनाना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अभी बच्चे केवल 1 करोड़ तक गिनना सीखते हैं, जो कि आज की दुनिया में अपर्याप्त है। आज के आधुनिक समय में बच्चों को सबसे पहले 10 की घात: एक, दस, सौ, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम्, 10 पदम्, शंक, 10 शंक, महाशंक, सिखाना चाहिए ताकि वे बड़ी संख्याओं को समझ सकें और इन्हें अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। ये सब संख्याएं

अन्य विषयों में भी शामिल की जा सकती हैं ताकि बच्चों का सीखना और समृद्ध हो। कुछ रुचिकर उदाहरण बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, वित्त, और भूगर्भशास्त्र आदि विषयों से लिए जा सकते हैं- जैसे इंसानी मस्तिष्क में कोशिकाओं की संख्या, या गैलेक्सी में तारों की संख्या लगभग 1 खरब है, भारत की GDP लगभग 20 नील रुपए है, और पृथ्वी पर रेत के कण लगभग एक महाशंक हैं!

भारत में गणित की पहेलियों और मजेदार सवालों की एक परंपरा रही है- सामान्यता: ये कविता के रूप में लिखे जाते रहे हैं, जैसे भास्कर द्वितीय का काम – यह भी विद्यार्थियों के लिए मजेदार, लाभकारी और शिक्षाप्रद होगा। विभिन्न तरह की गतिविधियों और पहेलियों आदि के माध्यम से सीखने-सिखाने को सभी विषयों में मजेदार और शिक्षाप्रद बनाया जा सकता है। यह बच्चों में स्कूल के अन्दर होने वाले सीखने-सिखाने की प्रक्रियाओं से जुड़ने और बौद्धिक क्षमताओं और रचनात्मकता के विकास में भी बेहद मददगार हैं।

P4.6.5.1. शिक्षाक्रम में खेल, पहेली, समस्या-समाधान की गतिविधियाँ शामिल

करना: खेल, पहेलियाँ, समस्या-समाधान की गतिविधियाँ आदि जिनमें शब्द-पहेली जैसे कि ऊपर वर्णन किया गया है भी शामिल हैं। ये सभी मिलकर बच्चों में स्थानिक चिंतन, रणनीति, तर्क और अंकगणित की क्षमताएं और बड़ी संख्याओं से खेलने व इनके साथ सहज बनाने में मदद करती हैं। इसलिए पूरे शिक्षाक्रम में इन्हें शिद्दत और संजीदगी के साथ शामिल किया जाएगा। खास तौर पर गणित के शिक्षाक्रम में इन्हें बच्चों में तार्किक चिंतन, मात्रात्मक चिंतन, रचनात्मकता के प्रति आकर्षण और सहजता साथ ही साथ इनमें कुशलता विकसित करने के लिए शामिल किया जाएगा। जो भी गतिविधियाँ शामिल की जाएगी उनमें सवाल या समस्याएँ भारतीय सन्दर्भ में होंगे, भारतीय परम्पराओं की बेहद रुचिकर और समृद्ध पहेलियाँ और समस्याओं को भी भारी मात्र में इनमें शामिल किया जाएगा। खासतौर पर शतरंज को, जिसका उद्भव भारत में ही हुआ है, भी एक बौद्धिक कसरत के रूप में खूब बढ़ावा दिया जाएगा।

4.6.6. व्यवसायिक एक्सपोज़र और कौशल

हमारा देश ठीक ढंग से चले इसके लिए व्यवसायिक शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए यह स्कूली शिक्षा के शिक्षाक्रम में व्यवसायिक शिक्षा का एक्सपोज़र बच्चों को दिया जाना काफी लाभकारी है। इसमें कोई शक नहीं की कुछ व्यवहारिक व्यवसायिक किस्म का प्रशिक्षण युवा विद्यार्थियों के लिए हमेशा आनंद की चीज़ होती है, और कुछ के लिए यह भविष्य की राह भी बन जाती है। जबकि कुछ के लिए यह श्रम के प्रति एक समानजनक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद भी करता है।

P4.6.6. व्यवसायिक एक्सपोज़र: फाउंडेशनल और एलीमेंट्री स्टेज पर ही कुछ बुनियादी और महत्वपूर्ण जीवन-कौशल और विभिन्न आजीविका साधनों (जैसे बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी का काम, बिजली का काम, आदि) को बच्चों के स्तर और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिखाया जाएगा ताकि वे हाई स्कूल पूरा करने से पहले विभिन्न तरह के आजीविका के साधनों में रुचि लेने लगे और इनके बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें सीख लें। कुछ कलाओं जैसे बागवानी या मिट्टी के साथ काम को तो फाउंडेशनल अवस्था (3-8 वर्ष की उम्र के दौरान) में ही सिखाना शुरू किया जाएगा ताकि बच्चे अपने हाथों से काम करें और इस तरह के अनुभवों से सीखें। काम करना और सीखना एक दूसरे के पूरक बन सकें।

स्कूल ऐसे आजीविका के साधनों और हुनरों को चुन सकते हैं जो स्थानीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्कूलों या स्कूल कॉम्प्लेक्स द्वारा स्थानीय कलाकारों और दस्तकारों की सेवाओं को लिया जाएगा ताकि वे स्कूलों में बच्चों को अपनी कलाओं और कौशलों को सिखा सकें। इन सभी लोगों को कॉम्प्लेक्स के सभी स्कूलों में अपनी सेवाएँ देने के लिए बुलाये जा सकते हैं।

P4.6.6.2. ग्रेड 6, 7, या 8 में व्यवसायिक कौशलों और हस्तकलाओं पर सर्वे कोर्स:

ग्रेड 6-8 के दौरान प्रत्येक विद्यार्थी एक साल भर लम्बा सर्वे कोर्स करेगा जिसके तहत सभी बच्चे बढ़ई, बिजली, धातुकर्म, बागवानी, मिट्टी आदि के कामों और कौशलों का सीधे खुद अनुभव करेंगे। ये कोर्स स्थानीय स्तर पर

जिस तरह के हुनर और कौशलों कि जरूरत है इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों और स्थानीय समुदायों द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

P4.6.6.3. सेकेंडरी स्कूल शिक्षाक्रम में व्यवसायिक कोर्स के विकल्प पर्याप्त मात्र में शामिल करना: सेकेंडरी स्कूलों में ग्रेड 9-12 के दौरान परंपरागत अकादमिक कोर्स के साथ-साथ व्यवसायिक कोर्स भी चलाये जायेंगे और सभी विद्यार्थियों को इन्हें करने की छूट होगी। सभी विद्यार्थियों की इन कोर्स तक पहुँच होगी। विद्यार्थियों को कई विकल्प मुहैया करवाए जायेंगे ताकि वे अकादमिक कोर्स के साथ व्यवसायिक कोर्स भी अलग-अलग तरह से अपनी-अपनी रुचि और प्रतिभा के मुताबिक चुन सकें। वे अपने अकादमिक कोर्स को कौशल शिक्षा, खेल और कला, और अन्य हुनरों को मिलाकर अपने लिए कोर्स चुन पायेंगे।

4.6.7. डिजिटल साक्षरता और कम्प्यूटेशनल चिंतन

P4.6.7.1. डिजिटल साक्षरता का समन्वयन: बेसिक स्तर पर ने शिक्षाक्रम में सभी विद्यार्थियों के लिए डिजिटल साक्षरता को समन्वित किया जाएगा। जिस तरह की भी डिजिटल सुविधाएं स्कूल स्तर पर उपलब्ध होगी उसके मुताबिक ही बच्चों के लिए वर्कशीट और मूल्यांकन हेतु अभ्यास बनाए जायेंगे।

उच्च स्तर के शिक्षाक्रमों की निम्न उद्देश्यों की पूर्ती को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा:

a. कम्प्यूटेशनल चिंतन (यानि के ऐसा चिंतन जो कंप्यूटर की मदद से समस्याओं की व्याख्या करता है और इनके समाधान ढूंढता है) जो कि आज के डिजिटल युग में एक बुनियादी कौशल है;

b. प्रोग्रामिंग और अन्य कंप्यूटर-आधारित गतिविधियाँ

इन विषयों में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के एक हिस्से के रूप में कुछ उचित लर्निंग आउटकम को पहचाना जायेगा और इनकी व्याख्या की जाएगी। फिर

इन पर आधारित उच्च प्राथमिक से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक के विभिन्न कोर्स चलाये जायेंगे और इनके लिए पर्याप्त कंप्यूटर संसाधन और शिक्षक भी मुहैया करवाए जायेंगे।

4.6.8. नीतिपरक और नैतिक चिंतन

नीतिशास्त्र आरंभिक शिक्षाक्रम से लेकर आगे की उच्चतर कक्षाओं तक पूरी स्कूली शिक्षा में सिखाया जाना पुनः एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। यह बच्चों को एक अच्छा इंसान बनने, अच्छा चरित्र विकसित करने, एक उत्पादक जीवन जीने और समाज को सकारात्मक योगदान देने के लिए तैयार करता है। इसके लिए जिन मुख्य कदमों को उठाया जाएगा वे निम्न हैं:

P4.6.8.1. पूरे स्कूल शिक्षाक्रम में बुनियादी नीतिपरक और नैतिक चिंतन को

शामिल करना: विद्यार्थियों को उनकी युवा अवस्था से ही “जो सही है वो करने” का महत्व सिखाया जायेगा और नीतिगत निर्णयों- जैसे कहीं मेरा यह कदम दूसरों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा?, क्या यह चीज़ करना सही है? - को लेने के लिए जिस तार्किक फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है वह भी उन्हें विकसित करने में मदद की जाएगी। बाद के वर्षों में फिर इसे आगे और व्यापक बनाया जाएगा और धोखा, हिंसा, विचारों की चोरी, असहिष्णुता, सहनशीलता, आदि मुद्दों के सन्दर्भ में बच्चों के साथ विमर्श होंगे। जिससे कि वे जीवन को जीने के तौर तरीकों पर अपनी एक समझ बना सकें, अपने लिए कुछ मूल्यों को चुनाव कर सकें, कुछ दृष्टिकोण विकसित कर सकें और जीवन के हर दायरे में नैतिक रूप से काम कर सकें।

शिक्षाक्रम में नीतिपरक और नैतिक जागरूकता और चिंतन के समन्वयन को अलग-अलग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से बढ़ावा दिया जायेगा। प्रत्यक्ष तरीकों में नीतिगत और नैतिक जागरूकता और चिंतन के विकास के लिए विशेष तौर पर डिजाईन की गई पठन-सामग्री और गतिविधियां शामिल होंगी। अप्रत्यक्ष तरीकों में समानता और भाईचारे, संवेदनशीलता, दया, सहनशीलता, क्षमा, शान्ति, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, बलिदान, राष्ट्रप्रेम जैसे मूल्य और

नैतिक और नीतिपरक सिद्धांतों पर केन्द्रित विषय-वस्तु को भाषा, साहित्य, इतिहास, और सामाजिक-विज्ञान विषयों में शामिल किया जायेगा और इन पर विमर्श होगा।

P4.6.8.2. नीतिपरक और नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों को शामिल करना: जैसा कि

P4.6.8.1 में कहा गया है, इसके परिणामस्वरूप सभी बच्चों में भारतीय मूल्यों जैसे सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, निष्काम कर्म, सहनशीलता, ईमानदारी पूर्ण कड़ी मेहनत, महिलाओं के प्रति आदरभाव, बुजुर्गों के प्रति आदरभाव, सभी के लिए आदरभाव, पर्यावरण के लिए आदरभाव आदि की परंपरा को पोषित और विकसित किया जाएगा, भले ही बच्चे किसी भी पृष्ठभूमि से आये हो, इन मूल्यों को सभी में समान रूप से विकसित किया जायेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये सभी गुण और विशेषताएं भारत की तरक्की और विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। कूड़ेदान का उपयोग, शौचालय का उपयोग और उपयोग के बाद उन्हें साफ़ करना, लाइन में खड़े होकर सब्र के साथ इन्तजार करना, अपने आस-पास के लोगो के साथ आदर के साथ व्यवहार करना, सबकी मदद करना उनकी भी जिन्हें हम नहीं जानते, वंचितों की मदद करना, दान देना, आदि कुछ ऐसे बुनियादी मूल्य हैं जो सामाजिक सरोकार और जीवन के लिए आवश्यक है और पूरी स्कूली शिक्षा में इन्हें सिखाया जायेगा और बच्चों में विकसित किया जायेगा।

P4.6.8.3. संवैधानिक मूल्यों का विकास: स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर शिक्षा की

प्रक्रिया और विषय-वस्तु का उद्देश्य बच्चों में संवैधानिक मूल्यों की समझ और इन्हें जीवन में अमल में लाने की क्षमताएँ विकसित करना होगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूरे स्कूली शिक्षाक्रम और स्कूल के माहौल का निर्माण किया जाएगा। जो संवैधानिक मूल्य बच्चों में विकसित किये जायेगे उनमें शामिल हैं- लोकतांत्रिक सोच, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, निष्पक्षता के प्रति प्रतिबद्धता; विभिन्नता, बहुलता और समावेश जैसे मूल्यों को अपनाना; मानवता और भाईचारे का भाव; वैज्ञानिक सोच और तार्किक चिंतन और सार्वजनिक संवाद के प्रति प्रतिबद्धता; शान्ति; संवैधानिक तरीकों से सामाजिक कर्म करना; राष्ट्र की एकता और अखंडता और भारत के निरंतर उत्थान और सुधार और इसके नैतिक और अच्छी उपलब्धियों पर गर्व करना।

P4.6.8.4. विद्यार्थियों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के भाव को विकसित

करना: उपरोक्त के साथ विद्यार्थियों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के भाव को विकसित करना महत्वपूर्ण होगा। भारत एक स्वतंत्र देश और समाज है, लेकिन यह स्वतंत्रता तब मिलती है जब सभी नागरिक अपना काम ठीक ढंग से करें और तभी सच्चे अर्थों में एक समाज समृद्ध बनता है और आगे बढ़ता है।

विद्यार्थियों को यह सिखाया जायेगा कि वे अपने आस-पास के लोगों और समाज के दबाव में ना आये, बल्कि वह करें जिसे लेकर वे आश्वस्त हैं और जुनूनी हैं। यह किसी भी समाज के लिए अच्छा है कि उसके सदस्य वो काम करें जिसमें वे सबसे अच्छा कर सकते हैं और सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस सबको ध्यान में रखते हुए पूरी शिक्षा-व्यवस्था को इस तरह बनाया जाएगा कि वह विद्यार्थियों को उनके अपनी रुचि के मुताबिक अपने अध्ययन के विषयों का चुनाव कर सकने और उसे अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय भी दे पाये।

P4.6.8.5. बुनियादी स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रशिक्षण - अपनी और अपने आस-पास

दूसरों की सेवा के रूप में: शिक्षाक्रम में स्वास्थ्य - जिसमें निवारक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, फर्स्ट-ऐड, आदि शामिल हैं - में एक बुनियादी प्रशिक्षण शामिल किया जाएगा। इसके साथ शराब, तम्बाकू, और अन्य मादक पदार्थों के क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं वैज्ञानिक रूप से इन्हें समझाया जाएगा। सेकेंडरी स्कूल में महिलाओं के प्रति आदरभाव, सुरक्षा, परिवार नियोजन, STD रोकथाम, यौन उत्पीड़न, आदि की समझ विकसित करने के उद्देश्य से यौन शिक्षा को भी शिक्षाक्रम में शामिल किया जाएगा।

P4.6.8.6. सामाजिक-भावनात्मक अधिगम: विशाल संख्या में हुए नए वैज्ञानिक शोध

अध्ययन यह बताते हैं कि स्कूलों में सामाजिक-भावनात्मक सीखने-सिखाने का काम होता है तो विद्यार्थियों में आगे चलकर बेहतर संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास होता है और वे सामाजिक गतिविधियों में अधिक रचनात्मक तरीके से जुड़ पाते हैं। ऐसी गतिविधियों के उदहारण जो बच्चों में

सामाजिक-भावनात्मक अधिगम को बढ़ावा देते हैं – जैसे टीम या समूह में कार्य करना, सभी ग्रेड की कक्षाओं को साथ लाकर उनमें खेल की गतिविधि करना, रोल प्ले, समस्याओं का समाधान, सहायता और दया भाव की कहानी सुनना और सुनाना, मननशील लेखन, लोगो के बीच बोलना और कला।

P4.6.8.7. भारतीय समाज और साहित्य से प्रेरणादायी पाठों को शामिल करना: भारत

में ऐसे अनेक लोक साहित्य और कहानियाँ हैं जिनके बारे में हम परम्परागत रूप से अपने बच्चों को बताते और सुनाते आ रहे हैं। जिन महत्वपूर्ण मूल्यों का जिक्र ऊपर किया गया है उन्हें सिखाने में हम इनका इस्तेमाल करते रहे हैं। पंचतंत्र, जातक, हितोपदेश और अन्य मौलिक कहानियों और भारतीय परंपरा के अन्य प्रेरणादायी किस्से बच्चों को पढ़ने और सीखने के मौके मिलेंगे। इसी तरह समानता, स्वतंत्रता, और भाईचारे के मूल्यों को समझने और आत्मसात करने के लिए बच्चों को संविधान के कुछ अंश भी पढ़ने को दिए जाएंगे। इतिहास में हुए विभिन्न महान भारतीयों के जीवन के मूल्यवान हिस्सों को बच्चों के साथ साझा करना उन्हें उपरोक्त मूल्यों के प्रति जागरूक बनाने में बेहद मददगार होगा। ऐसे महान भारतीयों में महात्मा गाँधी, ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक, महावीर आचार्य, गौतम बुद्ध, श्री ओरबिन्दो, बाबा साहेब अम्बेडकर, श्री रबिन्द्रनाथ टैगोर, डॉ. एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी, श्रीनिवास रामानुजन, डॉ. सी. वी. रमण और डॉ. होमी भाभा और सभी भारत रत्न से सम्मानित लोग शामिल होंगे। लेकिन इनके अलावा भी वे सभी लोग होंगे जिन्होंने इन मूल्यों को अपने जीवन में उतारा और इनके मुताबिक जीवन जिया। इसी प्रकार दुनिया भर के अलग-अलग क्षेत्रों के महान नायकों का अध्ययन किया जाएगा जैसे अल्बर्ट आइन्स्टीन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला आदि ताकि विद्यार्थियों को उतरोत्तर प्रेरित किया जा सके।

P4.6.8.8. नीतिपरक और नैतिक चिंतन पर कोर्स: पूरे स्कूली शिक्षाक्रम में P4.6.8.1 –

P4.6.8.7 तक को शामिल करने के अलावा, ग्रेड 6-8 के दौरान विद्यार्थियों को नीतिपरक और नैतिक चिंतन में एक साल के कोर्स की भी आवश्यकता है। जहाँ नीतिशास्त्र के विषय को, जैसा कि ऊपर व्याख्या की गयी है, अधिक गहराई और व्यवस्थित तरीके से सिखाया जाएगा। जिसमें पूरी कक्षा की

भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और भारत और विश्व के महान दार्शनिकों द्वारा गढ़े गए तर्कों के आधार पर यहाँ विमर्श किये जायेंगे। सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, निष्काम कर्म, सहनशीलता, ईमानदारी पूर्ण कड़ी मेहनत, महिलाओं के प्रति आदरभाव, बुजुर्गों के प्रति आदरभाव, सभी के लिए आदरभाव, पर्यावरण के लिए आदरभाव आदि मूल्यों और सिद्धांतों को फिर इस सन्दर्भ उठाया जाएगा और इन पर विमर्श किया जाएगा। हाई स्कूल में इससे भी ऊँचे स्तर का सेमेस्टर कोर्स दर्शन, नीतिशास्त्र, और नैतिक चिंतन पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

4.6.9. भारत का ज्ञान

भारतीय साहित्य और परम्परा अनेकों-अनेक विषयों और क्षेत्रों में गंभीर और गहन ज्ञान को समाहित किये हुए हैं- इनमें गणित, दर्शन, कला, तर्क, व्याकरण, कानून, काव्य, नाटक, खगोलशास्त्र, रसायनशास्त्र, धातुकर्म, जीवविज्ञान, प्राणिशास्त्र, पारस्तिथिकी, पर्यावरण संरक्षण, चिकित्सा, वास्तुशास्त्र, जल प्रबंधन, कृषि, संगीत, नृत्य, योग, मनोविज्ञान, राजनीति, दंतकथाएं, और शिक्षा शामिल हैं। ये सभी ज्ञान हमारी प्राचीन और आधुनिक साहित्यों, लोककलाओं, स्थानीय मौखिक और जनजातीय परम्पराओं आदि में निहित हैं और हमारी संस्कृति और ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने में मदद करती हैं। फिर भी आश्चर्य की बात है कि भारत के मुकाबले बाहर के देशों में लोग इन ज्ञानों से ज्यादा परिचित हैं।

उदहारण के लिए, गणित में, तथाकथित पाईथोगोरियन प्रमेय, फिबोनैकी संख्या, पास्कल का त्रिभुज क्रमशः बौद्धयान, विराहंक और पिंगला संकल्पनाओं के रूप में भारत में ही खोजे गए थे और इनकी व्याख्या बेहद कलात्मक और आकर्षक ढंग से की गयी है। शून्य की संकल्पना और इसका स्थानीय मान सिस्टम में प्रयोग जिस तरह आज की दुनिया में किया जाता है और जिसके बिना आधुनिक तकनीक और कंप्यूटर संभव ही नहीं होते, लगभग 2000 वर्ष पूर्व भारत में ही आर्यभट्ट द्वारा विकसित किया गया था। ऋणात्मक संख्या - और शून्य व ऋणात्मक संख्याओं के बीजगणितीय नियम - राजस्थान में ब्रह्मगुप्त द्वारा विकसित किये गए थे। इसी तरह भास्कर द्वितीय और माधव ने क्रमशः कर्णाटक और

केरल में कैलकुलस की नीवें रखी और गणित और अन्य क्षेत्रों में भी अपने योगदान दिए। ये सभी ऐतिहासिक और बुनियादी तथ्य आज हमारे युवाओं को पढाये नहीं जाते।

ना केवल ऐतिहासिक रूप से सही होने के लिए बल्कि भारतीय परम्पराओं को इनकी सम्पूर्णता में समझने और सीखने के लिहाज़ से भी हमें ज्ञान की दुनिया में भारतीय योगदानों और जिन सन्दर्भों में ये विकसित हुए उन्हें अपने विद्यार्थियों को सिखाना चाहिए और स्कूली शिक्षाक्रम में इन्हें शामिल करना चाहिए। ताकि हमारे विद्यार्थियों में एक गहरी समझ, इस धरती से उनका जुड़ाव, देश के प्रति गौरव और आत्म-सम्मान का भाव विकसित हो।

हमारे देश में कई बेहतरीन, सही रूप से वैज्ञानिक और गहरी समझ-बूझ रखने वाले विद्वान मौजूद हैं जो हमारी विभिन्न विषयों में परंपरागत ज्ञान व्यवस्था में पारंगत हैं जिसमें जनजातीय ज्ञान भी शामिल है। हमें उनकी मदद लेनी चाहिए ताकि भारतीय ज्ञान परम्पराओं के सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक पहलुओं को सही-सही और वैज्ञानिक तरीके से सभी कक्षाओं के स्कूली शिक्षाक्रम में शामिल किया जा सके। कुछ विशेष प्रयास निम्न रूप में किये जा सकते हैं:

P4.6.9.1. शिक्षाक्रम में भारतीय ज्ञान व्यवस्था को शामिल करना: आज के स्कूली शिक्षाक्रम में और पाठ्यपुस्तकों में जहाँ कहीं भी प्रासंगिक है वहाँ तथ्यात्मक रूप से सही और एक जुड़ाव के साथ, आकर्षण के साथ ज्ञान के क्षेत्र में भारतीय प्रयासों के योगदान (उन सन्दर्भों के साथ जिनमें इन परम्पराओं का उद्भव और विकास हुआ) को शामिल किया जायेगा। गणित, दर्शन, कला, तर्क, व्याकरण, कानून, काव्य, नाटक, खगोलशास्त्र, रसायनशास्त्र, धातुकर्म, जीवविज्ञान, प्राणिशास्त्र, पारस्तिथिकी, पर्यावरण संरक्षण, चिकित्सा, वास्तुशास्त्र, जल प्रबंधन, कृषि, संगीत, नृत्य, योग, मनोविज्ञान, राजनीति, दंतकथाएं, आदि विषय-क्षेत्रों से प्रासंगिक मुद्दों को चुना जायेगा और शिक्षाक्रम में इन्हें शामिल किया जाएगा।

P4.6.9.2. पाठ्य-पुस्तकों और शिक्षाक्रम में स्थानीय और आदिवासी ज्ञान व्यवस्थाओं को शामिल करना: स्थानीय और आदिवासी ज्ञान परम्पराओं और व्यवस्थाओं को भी शिक्षाक्रमों में शामिल किया जायेगा। यह उन प्रदेशों में अधिक विस्तार से किया जाएगा जहाँ इस तरह की ज्ञान परंपरा और

व्यवस्थाएं वहाँ की स्थानीय ज़रूरतों और रिवाजों की दृष्टि से अधिक प्रासंगिकता और महत्व रखती हैं।

P4.6.9.3. भारतीय ज्ञान व्यवस्था पर कोर्स: सेकेंडरी स्कूल स्तर पर एक कोर्स भारतीय ज्ञान व्यवस्था पर उपलब्ध करवाया जाएगा (ऐसा एक कोर्स NCERT ने पहले डिजाईन भी किया था)। यह एक ऐच्छिक कोर्स के रूप में होगा। और उन विद्यार्थियों के लिए होगा जो इस विषय में अधिक गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं।

4.6.10. समसामयिक मुद्दे (Current Affairs)

स्कूलों में जो ज्ञान बच्चों को दिया जाता है वह ना तो अंतिम है और ना ही पूर्ण है, यह तो बस भविष्य में एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का माध्यम है। विशेष तौर पर, स्कूल और यूनिवर्सिटी के बाद जिन कामों में हमारे विद्यार्थी जा रहे होंगे, वे सब तात्कालिक विश्व परिदृश्यों और वास्तविकताओं से संचालित हो रहे होंगे। इसलिए हमें कक्षा और बाहरी दुनिया के बीच के जुड़ाव को हमेशा महत्व देना चाहिए, इन्हें कभी भी अलग-अलग नहीं करना चाहिए।

स्कूली शिक्षाक्रम में अधिकांश विषय-वस्तु – भले ही यह बुनियादी क्यों ना हो – अब लगता है जड़ हो गयी है। दरअसल पाठ्य-पुस्तकों के रूप में इसे प्रस्तुत करने से यह जड़ हो जाता है। इसलिए अब ज़रूरी है कि कम से कम एक विषय तो ऐसा हो जो पूरी तरह से एक गतिशील विषय-वस्तु पर केन्द्रित हो- खास तौर पर ऐसी विषय-वस्तु तो स्कूली ज्ञान और वास्तविक दुनिया के बीच एक सेतु का काम करे।

ऐसी गतिशील विषय वस्तु तात्कालिक आर्थिक परिदृश्य, हाल में हुए वैज्ञानिक आविष्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में हुई तरक्की, दुनिया भर में बदलते राजनितिक और कूटनीतिक समीकरण, संगीत और कला के रुझान, जेंडर सम्बन्धी मुद्दे, पर्यावरण की चिंताएं आदि तमाम मुद्दों पर केन्द्रित होगी जिनका हमारे विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य के जीवन से सीधे-सीधे सरोकार है।

P4.6.10.1. ग्रेड 7-8 के दौरान सभी विद्यार्थियों के लिए समुदाय, राष्ट्र और विश्व

के ज्वलंत मुद्दों पर कोर्स: ग्रेड 7-8 में सभी विद्यार्थी दुनिया भर में समुदायों के लोगो द्वारा जिन ज्वलंत मुद्दों और चुनौतियों का सामना किया जा रहा है उन पर एक कोर्स करेंगे (प्रत्येक सप्ताह एक पीरियड – एक सत्र में)। इस कक्षा में विद्यार्थी उन मुद्दों पर विमर्श करेंगे जिनका या तो वे वर्तमान में या अपने भविष्य के जीवन में सामना करेंगे। जैसे, वर्तमान की जलवायु में परिवर्तन, स्वच्छता, जल, स्वच्छ भारत, जेंडर समानता, सामाजिक न्याय, विज्ञान और इसके समाज से रिश्ते और अंतःक्रियाएं, सर्व-शिक्षा जैसे इस शिक्षा नीति की समस्याएँ, आदि तमाम मुद्दे शामिल होंगे। मुद्दे ऐसे होंगे जो तात्कालिक रूप से ज्वलंत है, गतिशील है और परिचियात्मक है ताकि विद्यार्थी इनसे परिचित हो सके, और इनके संभव समाधानों की ओर इनका ध्यान जाए। इसमें समाज के स्तर पर किस तरह की जागरूकता और ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है यह भी स्पष्ट हो। यह कोर्स बच्चों के बीच संवाद को बढ़ावा देगा- चुने गए मुद्दों पर हर विद्यार्थी को कुछ ना कुछ वाक्य बोलने होंगे, वे क्या दृष्टि, विचार, सरोकार, चिंता, अनुभव, और आकांक्षाएं रखते हैं उन्हें यह साझा करना होगा।

P4.6.10.2. ग्रेड 9-12 में सभी विद्यार्थियों के लिए समसामयिक मुद्दों पर कोर्स:

विद्यार्थी जिन मुद्दों पर P4.6.10.1 में विमर्श करेंगे और इन्हें जानेंगे, ग्रेड 9-12 में इन पर अब अगले और ऊँचे स्तर के विमर्शों में शामिल होंगे। यहाँ भी प्रत्येक सप्ताह में एक पीरियड रखा जाएगा, और तात्कालिक अखबारी समाचारों, फिल्मों, पत्र-पत्रिकाओं, किताबों आदि से संसाधनों को जुटाया जाएगा और चर्चा की जाएगी। लेखों को शिक्षकों द्वारा कक्षा में पढ़ा जाएगा या विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दिया जाएगा, इसके बाद इस पर उप-समूहों या व्यक्तिगत स्तर पर या फिर कक्षा के स्तर पर बहस और विमर्श होगा।

एक भौगोलिक क्षेत्र के समसामयिक मुद्दों के शिक्षक एक समय-अंतराल पर आपस में मिलेंगे और यह विमर्श करेंगे कि अगले महीने की समसामयिक मुद्दों की कक्षाओं में किन मुद्दों पर बात की जानी है। इसे इस कोर्स की विषय-वस्तु नवीनतम बनी रहेगी और संसाधन-सम्पन्न रहेगी। साथ ही साथ इनमें प्रादेशिक विद्वानों/लेखकों के लेख और साहित्य को भी शामिल किया जा सकेगा और उन पर विमर्श को प्रेरित किया जा सकेगा। यह स्थानीय पुट इस कोर्स को

विद्यार्थियों के जीवन और अनुभवों से जोड़ेगा और इसे अधिक प्रासंगिक बनाएगा।

शिक्षक की भूमिका मुख्यतः चुने गए लेखों की विषय-वस्तु को सरल और सहज तरीके से विद्यार्थियों के समक्ष रखना होगी यह तब तक हो सकता है जब तक बच्चे खुद पढ़ कर समझ लेने, उसका विश्लेषण करने और इसे समझ लेने का कौशल अर्जित नहीं कर लेते। शिक्षक, चर्चा को ज़रूरत पड़ने पर दिशा देने का काम करेंगे और जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी वहाँ उचित सवाल उठाएंगे। इसके अलावा हालांकि वे ज्यादातर समय चुप ही रहेंगे और अपने विचार रखने से बचेंगे ताकि बच्चे अपने खुद के विचार और तर्क गढ़ सकने में सक्षम बनें। यह ज़रूरी होगा कि कक्षा में विभिन्न तरह की पाठ्य और दृश्य सामग्री, विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा, कला, साहित्य, और संगीत के क्षेत्रों से चुनकर इक्कठी की जाए। साथ ही साथ सामाजिक मुद्दों जैसे पितृसत्ता और नस्लवाद आदि पर भी सामग्री शामिल की जाएगी।

4.7. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क

P4.7.1. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का संशोधन: NCF-2005 बेहतर, रचनात्मक किस्म के सीखने को सुनिश्चित करने के लिए बेहतरीन रणनीतियों को रेखांकित करता है और आज भी प्रासंगिक है। 2020 के अंत तक इस नीति द्वारा उठाये गए सरोकारों और मुद्दों और साथ ही साथ शिक्षा के बदलते परिदृश्य के आलोक में यह दस्तावेज संशोधित किया जाएगा और इसका नवीनीकरण किया जाएगा। यह सभी आंचलिक भाषाओं में अनुदित किया जाएगा और उपलब्ध करवाया जाएगा।

4.8. स्थानीय विषय-वस्तु और सन्दर्भों के साथ राष्ट्रीय पाठ्य-पुस्तकें

स्कूली शिक्षाक्रम में विषय वस्तु के भार को कम करना, इसमें अधिक लचीलापन लाना, रटने के स्थान पर रचनात्मक एप्रोच के मुताबिक सीखने-सिखाने पर जोर देना आदि सभी आग्रहों के साथ-साथ हमें पाठ्य-पुस्तकों को भी बदलने की ज़रूरत होगी। तभी सही मायनों में हम बदलाव की ओर बढ़ पायेंगे। सभी पाठ्य-पुस्तकें इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनायी जानी चाहिए कि उनमें बेहद ज़रूरी और केन्द्रीय और मूल विषय-वस्तु ही हो, जो राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मानी गयी है। इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि स्थानीय सन्दर्भों और ज़रूरतों के मुताबिक जो सप्लीमेंट्री सामग्री आवश्यक है वह भी उनमें हो। जहाँ कहीं भी संभव हो वहाँ शिक्षक को यह आज़ादी हो कि वह कई पाठ्य-पुस्तकों और अन्य पठन-सामग्री से अपनी ज़रूरत के मुताबिक चुनाव करे और ऐसी सामग्री को चुने जिसमें उसकी ज़रूरत की राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सामग्री मौजूद हो। ताकि वे विद्यार्थियों और समुदायों की ज़रूरत और शिक्षण की मांग के मुताबिक जो भी श्रेष्ठ तरीका हो उसके मुताबिक शिक्षण कर सकें।

उद्देश्य यह होगा कि पाठ्य-पुस्तकें बेहतरीन गुणवत्ता की भी हो और कम से कम कीमत की भी हो ताकि विद्यार्थियों और शिक्षा-व्यवस्था पर वित्तीय भार कम से कम पड़े। यह तभी संभव है यदि NCERT की पाठ्य-पुस्तकों के साथ SCERT द्वारा बनायी गयी पाठ्य-पुस्तकों को भी इस्तेमाल किया जाए। इनके अतिरिक्त जो भी पठन-सामग्री जुटाई जाएगी उसके लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और क्राउडसोर्सिंग के ज़रिये उच्च गुणवत्ता के लेखन और निर्माण किया जा सके और विशेषज्ञों को बेहतरीन गुणवत्ता की पठन-सामग्री विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और उन्हें वित्तीय मानदेय दिए जा सके। राज्य अपने शिक्षाक्रम और पाठ्यपुस्तकें विकसित करेंगे (NCERT के शिक्षाक्रम फ्रेमवर्क और पाठ्य-पुस्तकों को आधार बनाते हुए इन्हें विकसित किया जा सकता है) ताकि इनमें प्रादेशिक सन्दर्भ शामिल हो सके। राज्य में बनी पाठ्य-पुस्तकों तक सभी विद्यार्थियों की पहुँच हो इसके लिए प्राथमिकता इस बात को दी जाएगी कि सभी प्रादेशिक भाषाओं में ये पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध हों।

P4.8.1. NCERT पाठ्य-पुस्तकों का संशोधन: शिक्षाक्रम में प्रत्येक विषय की विषय-वस्तु का भार कम करना है (देखें सेक्शन 4.3) इसलिए NCERT की पाठ्य-पुस्तकों को संशोधित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक विषय की पाठ्य-पुस्तक में केवल केन्द्रीय और मूल सामग्री ही हो। दूसरा, सेक्शन 4.7 में NCF के संशोधित स्वरूप जिसमें रचनात्मक एप्रोच को ध्यान में रखते हुए, खुद-खोजने, विश्लेषण और आनंददायी तरीके से सीखने पर जोर होगा, को भी ध्यान में रखना होगा और इसके आधार पर ही पाठ्य-पुस्तकों में ज़रूरी संशोधन किये जाएंगे। NCERT कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी विकसित कर सकता है जो विभिन्न राज्यों द्वारा मूल सामग्री को समृद्ध बनाने के लिए इस्तेमाल किये जा सकते हैं।

P4.8.2. राज्य स्तर पर पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण: ऐसा राष्ट्रीय शिक्षाक्रम जो स्थानीय सन्दर्भों और इनके अंतर्गत को उचित स्थान देता है, इसे ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य में स्थित SCERT को पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण के लिए प्रेरित किया जाएगा। इन पाठ्य-पुस्तकों में निम्न चीज़ें शामिल की जाएगी:

- a. NCERT की मूल सामग्री,
- b. कोई भी ऐसी सप्लीमेंट्री सामग्री जो NCERT ने विकसित की हो और वह राज्य के अपने सन्दर्भ में प्रासंगिक हो,
- c. अन्य कोई सामग्री जो SCERT या स्थानीय जिलों ने तैयार की हो जिसमें ज़रूरत के मुताबिक स्थानीय सन्दर्भों को जगह मिली हो। उद्देश्य यहाँ भी यही होगा कि पाठ्य-पुस्तकों में विषय-वस्तु का कम से कम भार हो और ये रचनात्मक एप्रोच के साथ, विश्लेषण-आधारित और आनंददायी तरीके से 21 वीं सदी में ज़रूरी कौशलों और ज्ञान को प्रस्तुत करती हों।

पाठ्य-पुस्तकों का उद्देश्य केवल सही और प्रासंगिक सामग्री को ही इनमें शामिल करना होगा, यदि कोई अप्रमाणित परिकल्पना या अंदाजा शामिल किया जाता है तो यह साफ़-साफ़ शब्दों में लिखा जाएगा कि यह अप्रमाणित है।

समीक्षा के बाद, SCERT यदि चाहे तो NCERT द्वारा निर्मित पाठ्य-पुस्तकों, जिनमें राष्ट्रीय स्तर की मूल सामग्री और सप्लीमेंट्री सामग्री शामिल है, को भी अपना सकते हैं और इनमें यदि आवश्यक ना हो तो बिना किसी बदलाव के भी अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए NCERT की संगीत विषय पर पाठ्य-पुस्तक में मुख्यतः हिन्दुस्तानी और कार्नेटिक संगीत पर कुछ बुनियादी और मूल सामग्री होगी। जबकि महाराष्ट्र के सन्दर्भ में इसमें अभंग और लावणी और अन्य स्थानीय लोक शैलियों और संगीत परम्पराओं पर कुछ अतिरिक्त सामग्री जोड़ी जा सकती है। SCERT द्वारा ऐसी पाठ्य-पुस्तकों को अपनाया जा सकता है और कम से कम कीमत पर प्रकाशित किया जा सकता है।

P4.8.3. अतिरिक्त विषयों के लिए पाठ्यपुस्तक और सामग्री: स्कूली पाठ्यचर्या में लचीलेपन के कारण, NCERT/SCERT पाठ्यपुस्तक और अन्य पढ़ने-सीखने की सामग्री अतिरिक्त विषयों के लिए विकसित की जाएगी। उधारण के लिए, कम्प्यूटर साइन्स, संगीत और साहित्य। सारी पाठ्यपुस्तकों में राष्ट्रीय और भारतीय स्वाद आना चाहिए, जहां भी मुमकिन या ज़रूरी हो।

P4.8.4. उच्च-गुणवत्ता का अनुवाद: एक Indian Institute of Translation and Interpretation (IITI) स्थापित किया जाएगा, यह किसी मौजूदा राष्ट्रीय संस्थान या केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत उसकी एक यूनिट के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह राज्य के सहयोग और साझे प्रयास के तहत स्थापित किया जाएगा। यह विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच और भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं के बीच महत्वपूर्ण दस्तावेजों और सामग्री को उच्च दर्जे के अनुवाद करेगा। IITI में उन्नत किस्म की सुविधाएं होगी और इसमें आधुनिक एप्रोच के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में सामग्री का अनुवाद किया जाएगा। IITI में देश भर से बहु-भाषी भाषा विशेषज्ञ होंगे जो भारतीय भाषाओं को प्रसारित और प्रचारित करने में मदद करेंगे। विशेष रूप से, IITI के माध्यम से, NCERT द्वारा विकसित की गयी सभी पाठ्य-पुस्तकें और सुझाई गई सीखने-सिखाने की सामग्री (जो कि SCERT के साझे प्रयास से निर्मित की जाएगी) को सभी मुख्य भारतीय भाषाओं अनुदित किया जाएगा और उपलब्ध करवाया जाएगा।

P4.8.5. स्कूलों में पाठ्य-पुस्तकों के चुनाव को अधिक लचीला और समृद्ध करने के लिए कुछ नए तरीकों से पाठ्य-पुस्तकों को बनाना: स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों को नए ढंग से विकसित करने हेतु, इन्हें सभी प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध करवाने हेतु, और शिक्षकों को अधिक से अधिक लचीलापन और चुनाव के अधिक विकल्प देने हेतु ताकि वे अपने तरीको और सन्दर्भों की ज़रूरत के मुताबिक शिक्षण कर सके- कुछ पब्लिक और प्राइवेट स्कीम विकसित की जाएगी ताकि प्रादेशिक भाषाओं में, सभी स्तरों और विषयों की उत्कृष्ट पाठ्य-पुस्तकें लिखने और विकसित करने के लिए लेखकों को पुरस्कार और वित्तीय अनुदान दिए जा सके।

ऐसी पाठ्य-पुस्तकों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विशेषज्ञों की एक स्वायत्त निकाय द्वारा मंजूरी दी जाएगी। पाठ्य-पुस्तकों को मंजूरी तब दी जाएगी जब उनमें निम्न विशेषताओं होंगी:

- a. राष्ट्रीय मूल शिक्षाक्रमीय सामग्री, जहाँ कहीं भी प्रासंगिक हो वहाँ स्थानीय सामग्री – जो राज्य द्वारा आवश्यक मानी गयी हो,
- b. सृजनात्मक, नया, और आकर्षक प्रस्तुतीकरण,
- c. विषय-वस्तु की सटीकता, प्रमाणिकता और सत्यता

ऐसी पाठ्यपुस्तकें शिक्षकों और विद्यार्थियों को भी न्यूनतम दामों पर उपलब्ध होगी- प्रिंटिंग की कीमत पर। खर्च का मॉडल क्या होगा जिसके तहत लेखकों की पहचान, उन्हें राशि का भुगतान या इसके लिए क्राउडसोर्स का इंतजाम कैसे होगा यह प्रत्येक पब्लिक या प्राइवेट-फिलान्थ्रोपिक स्कीम के लिए अलग से तय किया जाएगा।

4.9. विद्यार्थी विकास के लिए आकलन को बदलना

सेक्शन 4.2 से लेकर सेक्शन 4.8 तक शिक्षाक्रम में किये जाने वाले जिन बदलावों का जिक्र किया गया है, उन सबको वर्तमान आकलन की प्रक्रियाओं और तौर-तरीकों में बदलाव करने के साथ ही हासिल किया जाना चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था में आज आकलन का उद्देश्य (जिसमें मुख्यतः रटने को ही जांचा जाता है) ही बदला जाना चाहिए- इसका उद्देश्य रटने की क्षमता को जांचने की बजाय बच्चों के सीखने और उनके विकास में मदद करना होना चाहिए। साथ ही साथ इसका उद्देश्य बच्चों की रचनात्मक क्षमताओं, उनकी विश्लेषण करने, तार्किक चिंतन करने, अवधारणात्मक समझ और स्पष्टता को जांचना होना चाहिए। आकलन का मुख्य उद्देश्य सीखने में मदद करना होना चाहिए- इसे शिक्षकों, विद्यार्थियों और पूरी शिक्षा व्यवस्था की मदद करनी चाहिए। ताकि सभी विद्यार्थियों के विकास और उनके सीखने को अधिकतम सीमा तक प्राप्त करने के लिए शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं और तौर-तरीकों में लगातार परिवर्तन किये जा सकें।

स्कूल की पढाई के दौरान हमारा ध्यान फोर्मेटिव और विकासात्मक आकलन पर होना चाहिए। सीखने के आकलन का उद्देश्य मूल अवधारणाओं और ज्ञान को जांचने का होना चाहिए। इसके साथ इसका उद्देश्य बच्चों की रचनात्मक क्षमताओं, उनकी विश्लेषण करने, तार्किक चिंतन करने और इसका जीवन में प्रयोग करने की क्षमता को जांचना होना चाहिए। आकलन की यह एप्रोच पूरी शिक्षा व्यवस्था में होनी चाहिए। स्कूल की सभी विषयों की परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं, विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाएं, विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं, रोजगार के लिए परीक्षाएं आदि तमाम परीक्षाओं के लिए यही एप्रोच होना चाहिए।

दुर्भाग्यवश, वर्तमान परीक्षाओं की प्रकृति - जिसके चलते एक पूरी कोचिंग संस्कृति विकसित हो गयी है- कुछ ऐसी है कि यह विद्यार्थियों के भले की बजाय उनका नुकसान अधिक कर रही है - खास तौर पर सेकेंडरी स्कूल स्तर पर, जहाँ यह बच्चों का कीमती वक्त उनसे छीन लेती है जिसका उपयोग कर वे सही मायनों में बेहद प्रासंगिक और महत्वपूर्ण ज्ञान को सीख सकते थे। इसके उलट वे इस कीमती वक्त को कोचिंग और परीक्षाओं की तैयारी करने में लगाते हैं।

वर्तमान बोर्ड परीक्षाओं ने भी विद्यार्थियों के सार्थक सीखने को बाधित किया है। ग्रेड 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं को हमने इतना महत्व दे रखा है कि इनके आधार पर बच्चों के विश्वविद्यालयों में प्रवेश और रोजगार के रास्ते तय होते हैं जिसके चलते विद्यार्थी, शिक्षक, और पूरी व्यवस्था इनकी तयारी में ही लगी रहती है, जबकि इसके चलते बच्चे सार्थक सीखने से वंचित ही रह जाते हैं।

- पहला, ग्रेड 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं जो केवल कुछ दिन की होती है लेकिन उनके पूरे जीवन पर ये इतना तनाव और दबाव बनाती हैं कि बच्चे एक भय में जीते हैं। इसके चलते एक हानिकारक कोचिंग संस्कृति पनप चुकी है। इन कुछ दिनों की परीक्षाओं को इतना महत्व दिया जाता है कि बच्चों के जीवन की बाकी सब चीजें गौण हो जाती हैं। उनके जीवन का दारोमदार अब उनका इन परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन पर निर्भर करने लगता है। सार्थक सीखने, पुख्ता समझ, चिंतन, विश्लेषण, करके देखना और सीखना आदि तमाम महत्वपूर्ण चीजें तो कहीं उपेक्षित हो जाती हैं और इनकी जगह रटना, परीक्षाओं में अच्छे प्रदर्शन के लिए कोचिंग लेना आदि मशीनी प्रक्रियाओं ने ले ली हैं।
- दूसरा, वर्तमान बोर्ड परीक्षाओं का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ये बच्चों पर दबाव बनाती है कि वे केवल कुछ विषयों पर अपना ध्यान केन्द्रित करें और अन्य विषयों की उपेक्षा करें। इसके चलते उनका समग्र विकास बाधित होता है। बच्चों पर बहुत युवा अवस्था में ही कुछ विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने दबाव बनना शुरू हो जाता है। एक बेहद कृत्रिम सा बंटवारा शुरू हो जाता है- बच्चे कला, विज्ञान, कॉमर्स जैसे स्ट्रीम में बाँट दिए जाते हैं। इस तरह के विशेषज्ञता के आग्रह के चलते यह स्ट्रीम का बंटवारा विद्यार्थियों को अपने मन मुताबिक, अपनी रुचि और प्रतिभा मुताबिक विभिन्न विषयों को मिलाकर पढ़ने की कोई आज़ादी नहीं देता। इस तरह सभी विद्यार्थियों में उनके विशेषज्ञता के मुताबिक विषयों को ही आँका जाता है और इसके चलते वे कभी भी दूसरे बेहद महत्वपूर्ण विषयों को सीख ही नहीं पाते। उदहारण के लिए विज्ञान के विद्यार्थी हमारे देश में शायद ही कभी मानविकी, कला, व्यवसायिक विषय या खेल ग्रेड 8 के बाद पढ़ पाते हैं। यह परीक्षाएं दरअसल बहु-अनुशासनिकता को बाधित करती हैं।

- तीसरा, ये बोर्ड परीक्षाएं केवल दो बार ली जाती हैं- ग्रेड 10 और 12 में- तो ज़ाहिर है कि ये परीक्षाएं अधिकांशतः समेटिव होगी ना कि फॉर्मेटिव जो कि अपने आप में एक अवसर को गंवा देने जैसा है। परीक्षाएं एक ऐसा अनुभव होना चाहिए जिनसे बच्चे कुछ सीखें और जिससे भविष्य में अपने अन्दर कुछ सुधार कर सकें। लेकिन वर्तमान परीक्षा व्यवस्था इन उद्देश्यों के साथ नहीं दिखती।

बोर्ड परीक्षाओं के ये नकारात्मक प्रभाव विश्वविद्यालयों की मौजूदा प्रवेश परीक्षाओं में भी देखने को मिलते हैं- विशेष रूप से यहाँ भी एक खतरनाक कोचिंग संस्कृति पनप चुकी है और रटने पर यहाँ भी जोर दिखता है। खास तौर पर हालात तब और भी खराब हो जाते हैं जब कुछ विश्वविद्यालय अपनी प्रवेश परीक्षाएं अलग से लेती हैं – इसके चलते बच्चे अपनी 12 वीं की कक्षा में रात-दिन अलग-अलग किस्म की परीक्षाओं के लिए रटते रहते हैं। जब यह वक्त उन्हें अपने सीखने में लगाना चाहिए था तब वे यह सब रटते रहते हैं और अलग-अलग परीक्षाओं में शामिल होने के लिए देश भर में घूमते रहते हैं।

और तो और इन सब परीक्षाओं में अनेक परीक्षाएं ऐसी है जो साल में एक ही दिन होती हैं, यदि विद्यार्थी से किसी कारणवश ये परीक्षा छूट गयी तो उसे पूरे वर्ष इंतज़ार करना पड़ता है। समय, स्थान, विषय-वस्तु आदि में चुनाव के विकल्पों का ना होना, परीक्षाओं की फीस आदि सब मिलकर बच्चों पर एक खतरनाक तनाव और दबाव बनाते हैं। स्नातकोत्तर स्तर की प्रवेश परीक्षाएं भी इसी तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं।

इसलिए सेकेंडरी स्कूल के दौरान बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं के इन खतरनाक और नुकसानदायक प्रभावों को खत्म करने के लिए यह ज़रूरी है कि इन बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं को पुनर्गठित किया जाए ताकि ये समग्र विकास को बढ़ावा दे, लचीला और व्यक्तिगत शिक्षाक्रम चुनने के विकल्प दे, और फॉर्मेटिव आकलन पर केन्द्रित हों। अगर हम इन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर निम्न बदलाव करने होंगे:

- समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड परीक्षाओं को विभिन्न विषयों में होना चाहिए
- विद्यार्थी अपनी रुचि के मुताबिक अनेकों विषयों को चुन सकें और इनमे बोर्ड परीक्षाएं दे सकें

- बोर्ड परीक्षाओं को सरल बनाना होगा, सरल से यहाँ अर्थ है कि ये मुख्यतः मूल क्षमताओं की जांच करें, ना कि कोचिंग में महीनों की रटाई की। वे सभी विद्यार्थी जो स्कूल में एक बेसिक प्रयास अपने अध्ययन में कर रहे हैं वे इन परीक्षाओं को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के पास कर लें
- जब भी बच्चे अपने को सबसे ज्यादा तैयार पाए तब ही वे परीक्षा दें - बच्चे जिस सेमेस्टर में अपने को तैयार पाते हैं उसमें वे परीक्षा दे सकें, उस विषय-विशेष की ही दें जिसमें वे तैयार हैं।

इस तरह की व्यवस्था कई देशों द्वारा अपनाई गयी है। और उनके इस स्ट्रक्चर की वजह से ही वहाँ कोचिंग संस्कृति अभी विकसित नहीं हो पाई है।

विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा के लिए भी यही सिद्धांत अपनाए जाने चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) (देखें P4.9.6) विभिन्न विषयों में साल में कई बार उच्च गुणवत्ता के मोड्यूलर प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करेगी। जिसमें तर्क से लेकर मात्रात्मक चिंतन, भाषा और विशेषज्ञ विषयों में जैसे विज्ञान, कला, व्यवसायिक विषय आदि में परीक्षाओं आदि को शामिल किया जाएगा। यूनिवर्सिटी अपनी-अपनी प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने की जगह उपरोक्त परीक्षाओं को कॉमन टेस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकेंगी। इस तरह बच्चों पर और यूनिवर्सिटी पर भी भार कम होगा। इन परीक्षाओं का फायदा यह होगा कि विद्यार्थी अपनी रुचि और प्रतिभा के मुताबिक अलग-अलग विषयों की एकरेंज का चुनाव कर पाएंगे और यूनिवर्सिटी भी प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तिगत विषय के पोर्टफोलियो को देख पाएंगे और इसके मुताबिक अपने यहाँ दाखिला दे पायेंगे।

इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि NTA एक प्रीमियर, विशेषज्ञ, स्वायत्त टेस्टिंग संस्था के रूप में काम करें और उच्च शिक्षा के लिए फ़ेलोशिप और प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करें। NTA को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि यह क्षमताओं का आकलन एक स्केल पर पारदर्शी, गहन और सक्षम तरीके से करे। यह टेस्ट तैयार करने, इसका आयोजन करने और इसका विश्लेषण करने के लिए श्रेष्ठ तकनीकों और एप्रोच का इस्तेमाल करें। यह तमाम बोर्ड की परीक्षाओं को सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए श्रेष्ठ विषय विशेषज्ञ, साइकोमैट्रिशियन, आईटी सुरक्षा के जानकार लोगो की मदद लेगा और परीक्षाओं का आयोजन करेगा।

आखिर में, सभी परीक्षाएं जैसे बोर्ड और प्रवेश परीक्षाएं कोई जीने-मरने का दाँव नहीं होगी, विद्यार्थियों को अनेक अवसर इनमें बैठने के लिए दिये जाएंगे (कम से कम दो अवसर तो दिए जाएंगे)।

P4.9.1. सीखने और विकास के लिए आकलन का एक नया पैराडाइम: NCF 2020

के सिद्धांतों को पूरा करने के लिए, NCERT 2022 तक इस आकलन व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने तथा उसके लिए शिक्षकों को तैयार करने की गाइडलाइन्स विकसित करेगा। इसका पूरा फोकस फोर्मेटिव आकलन – सीखने के लिए आकलन – पर होगा।

इन बदलाव के अंतर्गत, आकलन को पुनर्गठित किया जाएगा ताकि यह मूल सिद्धांतों और कौशलों के साथ तार्किक चिंतन, विश्लेषण, अवधारणात्मक स्पष्टता को जांचे, ना कि रटने को। यह एप्रोच सभी तरह की परीक्षाओं के लिए इस्तेमाल की जाएगी – स्कूली परीक्षाओं से लेकर प्रवेश परीक्षाओं तक, राष्ट्रीय या राज्य स्तर के अचीवमेंट सर्वे से लेकर यूनिवर्सिटी परीक्षाओं और रोज़गार परीक्षाओं तक। परीक्षाएँ अब जीवन-मरण का सवाल नहीं होगी, विद्यार्थियों के ऊपर आये बोझ और तनाव को कम करने के लिए विभिन्न मौके दिए जाने का प्रावधान होगा।

P4.9.2. शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार के लिए फोर्मेटिव

आकलन: स्कूल के स्तर पर, समय-समय पर सीखने के ऐसे विकासात्मक आकलन किये जाते रहेंगे जो महीने में कम से कम एक बार सभी विषय क्षेत्रों में होंगी। इससे शिक्षक और विद्यार्थी अपने सीखने की और उसके लिए तैयार योजना का आकलन लगातार केआर सकेंगे। समय के साथ, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों और विद्यार्थियों को ऊँचे स्तरों के क्वेश्चन-बैंक ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाएंगे। क्योंकि आकलन फोर्मेटिव होगा और इसका फोकस बच्चों की मूल अवधारणाओं के बारे में स्पष्टता, उच्च स्तरीय कौशल और इनके जीवन में प्रयोग आदि को जांचना होगा। इसलिए सेकेंडरी स्टेज में ओपन-बुक परीक्षाओं के साथ-साथ पोर्टफोलियो का भी आकलन हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है।

शिक्षक अपनी परीक्षाएं, क्विज और पोर्टफोलियो आदि खुद तैयार करेंगे। इनकी मदद से शिक्षक अपने प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उसके सीखने के स्तर, गति, समस्याओं आदि को समझ सकेंगे और इन्हें ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत पाठ योजना को लगातार बदलते और संशोधित करते रह सकेंगे। साथ ही साथ विद्यार्थी के सीखने को ट्रैक करते रहने के लिए भी ये काफी मदद करेंगे।

ये सभी परीक्षाएं, क्विज, पोर्टफोलियो ऐसे विद्यार्थियों को पहचानने में मदद करेंगे जो स्थानीय स्तर पर विषय-विशेष के क्लब और सर्कल आदि में भागीदारी करने के एक बेहतरीन दावेदार हो सकते हैं। इनमें से कुछ विद्यार्थियों को सहपाठी-ट्यूटर भी बनाया जा सकता है और इन्हें NTP और RIAP जैसे कार्यक्रमों के तहत विषय-विशेष में लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं।

P4.9.3. अनुकूलक कम्प्यूटरकृत टेस्टिंग की पायलेटिंग करना: एक बार जब स्कूलों में कम्प्यूटर और इन्टरनेट मुहैया हो जाए तब सभी स्तरों पर – खास तौर पर मिडिल और सेकेंडरी स्टेज पर – आकलन कम्प्यूटरकृत किये जा सकते हैं, ताकि शिक्षकों की मदद से विद्यार्थी अपने प्रदर्शन को नियमित देख सकें और अपने व्यक्तिगत अधिगम योजना और लक्ष्यों में जरूरी बदलाव कर सकें। बोर्ड आदि की ज्यादा औपचारिक परीक्षाएँ भी धीरे धीरे इसी माध्यम से भी की जा सकती हैं। इससे विद्यार्थियों के लिए यह आसान हो जाएगा कि वो एक या दो बार इन आकलनों में शामिल हो कर अपनी तैयारी कर सकें।

P4.9.4. कक्षा 3, 5 और 8 में सेंसस परीक्षाएँ: विद्यार्थियों के पूरे स्कूली जीवन में होने वाले विकास को समझने के लिए कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के अतिरिक्त सभी विद्यार्थी ग्रेड 3, 5, और 8 में राज्यों द्वारा तय सेन्सस परीक्षाओं में बैठेंगे। ये सभी परीक्षाएँ भी बच्चों की स्तर के अनुसार मूल अवधारणाओं के बारे में स्पष्टता, उच्च स्तरीय कौशल और इनके जीवन में प्रयोग आदि को ही जांचेगी, ना कि रटने की क्षमता को। ग्रेड 3 की सेन्सस परीक्षा खास तौर पर बच्चों में साक्षरता, संख्या ज्ञान, और बुनियादी कौशलों की जांच करेगी। इन परीक्षाओं का फायदा बच्चों, उनके अभिभावक, शिक्षक, प्रिन्सिपल, स्कूल मैनेजमेंट आदि सभी को मिलेगा – इसके आधार पर शिक्षण प्रक्रिया और सीखने की गति को दिशा मिलेगी।

P4.9.5. बोर्ड परीक्षाओं का पुनर्गठन: बोर्ड परीक्षाओं को विद्यार्थियों के द्वारा चुने गए विषयों में मूल अवधारणात्मक समझ, कौशल, उच्च श्रेणी की दक्षताएं आदि की जांच करने हेतु काफी हद तक पुनर्गठित किया जाएगा। उद्देश्य यह होगा कि ये परीक्षाएं शिक्षाक्रम की तरह लचीली और सरल बनें – ऐसे विद्यार्थी जो अपने स्कूल में एक बुनियादी प्रयास करते हैं वे बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के इन परीक्षाओं को पास कर लें- बिना किसी कोचिंग के, बिना रटें। इस तरह बोर्ड परीक्षाएँ कुछ बुनियादी अधिगम, कौशल और विश्लेषण की क्षमता को जांचने के लिए होंगी। बोर्ड परीक्षाओं की खतरनाक प्रवृत्तियों – जिनके चलते ये एक जीने-मरने का दाँव जैसे बन गयी हैं- खत्म करने के लिए लचीला बनाया जाएगा- विद्यार्थियों को अब अपने स्कूल के किसी भी साल में दो बार इन परीक्षाओं को देने का विकल्प उपलब्ध करवाया जाएगा।

जैसे ही कम्प्यूटरकृत टेस्टिंग व्यापक स्तर पर उपलब्ध होगी वैसे ही बोर्ड परीक्षाओं में अनेक बार बैठने के विकल्प उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।

परीक्षा व्यवस्था को अधिक लचीला बनाने के लिए इसे अब “मोड्यूलर बोर्ड परीक्षा” एप्रोच से बदला जाएगा। इस एप्रोच के अंतर्गत प्रत्येक सेमेस्टर में विषयों की एक रेंज में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके चलते अब विद्यार्थी अपने हर सेमेस्टर में केवल किसी एक विषय में भी बोर्ड परीक्षा दे पाएंगे।

एक मॉडल के रूप में यह प्रस्तावित किया जा रहा है कि सेकेंडरी स्कूल के दौरान प्रत्येक बच्चे को गणित में दो सेमेस्टर की बोर्ड परीक्षाएं; दो विज्ञान में, एक भारतीय इतिहास में, एक विश्व इतिहास में, एक वर्तमान भारत के ज्ञान में, एक नीतिशास्त्र और दर्शन में, एक अर्थशास्त्र में, एक वाणिज्य और व्यापार में, एक डिजिटल लिटरेसी में/ कम्प्यूटेशनल थिंकिंग में, एक कला, एक शारीरिक शिक्षा, और दो व्यवसायिक विषयों में देनी होगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक विद्यार्थी को तीन बेसिक भाषा बोर्ड परीक्षाएं भी देनी होगी जो उनकी त्रि-भाषा फ़ॉर्मूला की पारंगतता को जांचेगी। और साथ ही साथ प्रत्येक विद्यार्थी को भारत की एक भाषा (साहित्य स्तर पर) में भी बोर्ड परीक्षा देनी होगी।

आगे के स्तरों के विषयों जैसे गणित, सांख्यिकी, विज्ञान, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इतिहास, कला, भाषा, और व्यवसायिक विषयों में अतिरिक्त बोर्ड परीक्षाओं के विकल्प मौजूद होंगे। विद्यार्थियों से अपेक्षा होगी कि वे कुल मिलाकर कम से कम 24 विषय बोर्ड परीक्षाओं में बैठें, एक सेमेस्टर में औसतन 3 परीक्षाएं। और ये परीक्षाएं स्कूलों में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के स्थान पर होंगे ताकि बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का अतिरिक्त बोझ ना आए। कुछ बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल वाले हिस्सों को स्थानीय स्तर पर ही जांचा जाएगा- यह आकलन राज्य द्वारा तय किये पैराडाइम के अनुसार किया जाएगा। और विद्यार्थी के आकलन रिपोर्ट पर प्रैक्टिकल और लिखित परीक्षा के ग्रेड अलग-अलग अंकित किये जाएंगे।

याद कीजिये कि विद्यार्थियों को सेकेंडरी स्कूल के दौरान 40+ सेमेस्टर कोर्स लेने हैं, इसलिए 15 या इससे अधिक सेमेस्टर कोर्स पूरी तरह से विद्यार्थी द्वारा तय किये जाएंगे और स्थानीय स्तर पर तय किये जाएंगे। इनका आकलन भी स्थानीय स्तर पर स्कूलों द्वारा ही होगा। इनमें वे विषय भी शामिल होंगे जिन्हें परंपरागत रूप से को-करीकुलर या एक्स्ट्रा-करीकुलर समझा जाता है।

P4.9.6. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मजबूत बनाना ताकि यह कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित कर सके: स्वायत्त NTA विभिन्न अकादमिक, शैक्षिक, और साइकोमीट्रिक विशेषज्ञों से लैस होगा और 2020 से अलग-अलग विषयों के टेस्ट और Aptitude Test लेना शुरू करेगा। ये टेस्ट साल भर में कई बार आयोजित किये जाएंगे ताकि यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा पर अनावश्यक रूप से बढ़ रहे दबाव को कम किया जा सके। NTA टेस्ट का उद्देश्य NCF द्वारा सुझाए गए कॉमन करिकुलम के मुताबिक हर विषय में बतायी गयी बुनियादी अवधारणाओं, ज्ञान, और उच्च स्तरीय कौशल का आकलन करना होगा ताकि यह यूनिवर्सिटी और कॉलेज को प्रवेश के बारे में निर्णय लेने में मदद कर सके।

हालांकि उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए इनकी अपनी प्रवेश परीक्षा को आधार बनाया जाएगा, लेकिन इन अधिकांश संस्थानों और नियोक्ताओं को प्रेरित किया जाएगा कि वे NTA टेस्ट को ही दाखिले या रोज़गार का

आधार बनाए ताकि उनके ऊपर और विद्यार्थियों पर बोझ को कम किया जा सके। इससे हर साल विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड 12 के दौरान अलग-अलग संस्थानों और नियोक्ताओं द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं का जो तनाव और बोझ उन पर आ जाता है और उनका कीमती वक्त जाया होता है, इसे रोका जा सकता है। NTA कुछ प्रक्रियाओं को तय करेगी और इन्हें स्थापित करेगी ताकि यूनिवर्सिटी / उच्च शिक्षा संस्थाओं में दाखिले की प्रक्रिया को आसान और सरल बनाया जा सके (जैसे विद्यार्थियों के स्कोर सीधे संस्थानों को भेजना)। यह ऐसी और प्रक्रियाओं को भी तय करेगा और स्थापित करेगा जिनके माध्यम से यह उन सब संस्थाओं से जुड़ेगा जो विद्यार्थियों को स्कालरशिप देती हैं।

NTA पूरे देश में टेस्ट सेंटर स्थापित करेगा और इनके सुचारु रूप से काम करने के लिए कुछ गहन प्रक्रियाओं को तय करेगा। टेस्ट अधिक से अधिक भाषाओं – जितना भी संभव है- में आयोजित करवाए जाएंगे। लम्बे समय में ये टेस्ट उन सभी भाषाओं में उपलब्ध करवाए जाएंगे जो देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण के माध्यम के रूप में इस्तेमाल होती हैं। साथ ही साथ NTA टेस्ट सामग्री को अनेकों भाषाओं में एक भरोसेमंद तरीके से अनुदित करवाने के लिए भी प्रक्रियाओं को तय करेगा। वरीयता कंप्यूटर-आधारित टेस्टिंग को दी जाएगी (पैक्टिकल कौशलों के आकलन को छोड़कर) जैसे- ICT युक्त प्रौढ़ शिक्षा केंद्र और स्कूल, जहाँ यह संभव नहीं है वहाँ पेपर-पेंसिल टेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा – जब तक वहाँ भी कंप्यूटर –आधारित टेस्टिंग सुविधाएँ नहीं आ जाती।

NTA अपने द्वारा लिए गए टेस्ट की वैद्वता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाएगा ताकि देश और विदेश के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में दाखिले के लिए इसके टेस्ट की साख बनी रहे। NTA देश और विदेश के संस्थानों के साथ अपने क्षमतावर्धन के लिए पार्टनरशिप करेगा। यह स्कूल सिस्टम्स, HEIs, PSSBs (देखें P18.3.1) और शिक्षा व्यवस्था के अन्य सभी संस्थानों के साथ मिलकर करीब से काम करेगा। यह एक एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना भी कर सकता है जिसमें उपरोक्त संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और यह सुनिश्चित करेगा कि NTA सुचारु रूप से काम करे और इसके कामों की प्रासंगिकता बनी रही।

NTA पूरे देश के स्तर पर काम करेगा इसलिए यह देश भर के आकलन सम्बन्धी आकड़ों के स्टोरहाउस के रूप में भी काम कर सकता है। इन आकड़ों को यह बाहरी अकादमिक संस्थाओं को शैक्षिक शोध हेतु और नीति निर्माताओं के साथ उचित नैतिक मानकों के तहत साझा कर सकता है। आकलन, आकड़ों के एक्त्रीकरण और अन्य प्रयास जैसे शोध और सभी हितधारकों को आकलन के प्रति जागरूक बनाने और उन्हें इसके बारे में शिक्षित करने, फोर्मेटिव आकलन पर क्षमता-वर्धन करने जैसे कार्यों के माध्यम से NTA पूरे देश में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच को सुधारने में अपनी महती भूमिका निभा सकता है।

4.10. क्षेत्र-विशेष में रुचि रखने वाले और प्रतिभावान विद्यार्थियों की सहायता

प्रत्येक विद्यार्थी में कुछ ना कुछ स्वाभाविक प्रतिभा है, जिसे पहचानने, पोषित करने और विकसित करने की ज़रूरत है। ये प्रतिभाएं अपने आप को विभिन्न तरह की रुचियों, रुझानों, क्षमताओं आदि के रूप में खुद को अभिव्यक्त करती हैं। जो लोग किसी क्षेत्र-विशेष में गंभीर रूप से रुचि लेते हैं और क्षमताएं विकसित करते हुए पाए जाते हैं, उनकी मदद की जानी चाहिए और सामान्य स्कूल शिक्षाक्रम से परे जाकर उन्हें क्षेत्र विशेष में काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

वर्तमान स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शिक्षाक्रम को जिस तरह सिखाया जाता है उससे लगता है कि यहाँ “एक नाप सबको फिट आता है” वाली एप्रोच काम में ली जाती है। यहाँ अलग-अलग बच्चों की उनकी ज़रूरतों के मुताबिक शिक्षाक्रम और शिक्षण के तौर-तरीकों में बदलाव करने की गुंजाइश ना के बराबर है। किसी एक कोर्स में सभी विद्यार्थी एक प्रकार के निर्देश पाते हैं, एक ही असाइनमेंट उन्हें दिए जाते हैं, एक जैसे अधिगम-आकलन, और पहले से तय समय-सारणी के मुताबिक आकलन होते हैं। यह नीति ऐसा मानती है और इसे रेखांकित करती है कि ऐसे विद्यार्थियों की पुरजोर सहायता करनी चाहिए जो किसी क्षेत्र-विशेष में रुचि दिखाते हैं, उसमें असामान्य प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं।

ऐसे विद्यार्थियों की मदद में आगे लिखी बातें शामिल होंगी: हमारे शिक्षण के तौर-तरीकों में ऐसे विद्यार्थियों की रुचि और प्रतिभा का ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। शिक्षकों को ऐसे विद्यार्थियों के रुझान, रुचि और प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए अपनी कक्षा में ऐसे अनुभवों और माहौल का निर्माण करना। इनके मुताबिक अकादमिक रणनीति तय करना, समुचित थीम या मुद्दे-आधारित अधिगम गतिविधियों को कल्पित करना, प्रोजेक्ट-आधारित गतिविधियों को तैयार करना आदि तमाम वो कदम हैं जो इनकी रुचि और प्रतिभा को प्रेरित करेंगे।

गणित में, “गणित सर्कल” एक खासा सफल तरीका है (बुल्गारिया और रूस में, और अभी हाल में अमेरिका में) ऐसे युवा विद्यार्थियों में गणित की समझ को बढ़ाने का जिनकी गणित में विशेष रुचि और प्रतिभा है। दुनिया के सबसे बेहतरीन गणितज्ञों में से कई इसी सिस्टम से निकल कर आये हैं। इस सर्कल के अंतर्गत होता यह है कि स्कूल या यूनिवर्सिटी की सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाता है, हर सप्ताह के अंत में या शाम को जब स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं चल रही होती, कुछ ऐसे विद्यार्थी और उनके शिक्षक (सामान्य तौर पर ग्रेड 6 और इसके ऊपर के) जिनकी गणित में अपने शिक्षाक्रम से परे भी रुचि है और गणित में काफी प्रतिभाशाली हैं, एक जगह इक्कट्ठा होते हैं और गणित की विभिन्न आनंददायी गतिविधियों को करते हैं। इन गतिविधियों में तमाम तरह की चीज़ें शामिल होती हैं जैसे कुछ समस्याओं का समाधान ढूँढना, कुछ स्थानीय गणितज्ञों और गणित शिक्षकों के लेक्चर आयोजित करना, या फिर गणित के कुछ ऐसे खेल खेलना जो दिमाग को उद्दीप्त करते हों। एक “गणित सर्कल” सामान्य तौर पर हफ्ते में एक या दो बार मिलता है, और कुछ स्थानीय उत्साही शिक्षकों या यूनिवर्सिटी के या हाई स्कूल के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों द्वारा आयोजित किया जाता है। यह इन सबके लिए एक अच्छा अवसर होता है जहाँ ये लोग मिलकर गणित की किसी एक समस्या पर एक सामान्य रुचि के लोगो के साथ मिलकर गहराई से सोचने का और इस पर विमर्श करने का मौका मिलता है। इन “गणित सर्कल” की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी प्रतिष्ठित गणितज्ञों और दानदाताओं के नाम पर रखे जाते जो स्थानीय स्तर पर काफी प्रतिष्ठित होते हैं।

इसी तरह, जहाँ कहीं भी ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं वहाँ मुद्दों पर केन्द्रित, प्रोजेक्ट-आधारित क्लब, सर्कल सभी विषयों में बनाए जा सकते हैं, और इन्हें स्कूल, स्कूल कॉम्प्लेक्स, जिले और आगे के स्तरों पर स्थापित किया जा सकता है। विज्ञान सर्कल, संगीत सर्कल, चेस सर्कल, पोएट्री सर्कल, भाषा सर्कल, वाद-विवाद सर्कल आदि ऐसे

समूहों के तमाम उदहारण हो सकते हैं। यदि स्कूल के बाहर इन्हें बनाया गया है तो विद्यार्थियों और शिक्षकों के यातायात आदि पर खर्च के लिए इन समूहों की वित्तीय सहायता का इंतजाम किया जाना चाहिए। इसी तर्ज पर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए समर रेजिडेंशियल कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर चलाये जाने चाहिए और इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इन कार्यक्रमों में मेरिट आधारित दाखिले किये जा सकते हैं ताकि विषय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आकर्षित किया जा सके। इसी प्रकार ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षक अपने स्तर पर सप्लीमेंट्री सामग्री देकर, इनका मार्गदर्शन या मदद कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्न हो सकते हैं:

P4.10.1. क्षेत्र-विशेष में रुचि रखने वाले और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान

और इनका विकास: शिक्षक ऐसे विद्यार्थियों की पहचान करेंगे और अपने मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, प्रोजेक्ट्स, और सप्लीमेंट्री सामग्री देकर इनकी मदद करेंगे। प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षण को हर स्तर पर बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है ताकि विभिन्न तरह की प्रतिभा, रुचियाँ और रुझान बच्चों में विकसित हो सकें। स्कूल, स्कूल कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक, और जिले के स्तर पर बनाए गए मुद्दे-आधारित, प्रोजेक्ट-आधारित क्लब में भेजने के लिए ऐसे विद्यार्थियों को चुना जाएगा। इनकी मदद की जाएगी और शिक्षकों की मदद के साथ इन्हें क्लब को संचालित करने का मौका दिया जाएगा।

P4.10.2. स्कूल कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक, और जिले के स्तर पर मुद्दे-आधारित, प्रोजेक्ट-

आधारित क्लब बनाना: पूरे देश में विद्यार्थियों में क्षेत्र-विशेष में रुचि और प्रतिभा के विकास के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक, और जिले के स्तर पर मुद्दे-आधारित, प्रोजेक्ट-आधारित क्लब अलग-अलग विषयों में जैसे गणित, विज्ञान, संगीत, चेस, काव्य, भाषा, साहित्य, वाद-विवाद, खेल, आदि में स्थापित किये जाएंगे। इन्हें स्थानीय विद्यार्थियों की ज़रूरत के हिसाब से अनुदान राशि दी जाएगी। विद्यार्थियों के अलावा शिक्षकों को भी ऐसे क्लब के लिए आवेदन भेजने की प्रेरित किया जाएगा। इन क्लबों में उपस्थिति के स्तर को और यहाँ की यातायात और शैक्षिक ज़रूरतों को देखते हुए वित्तीय सहायता तय की जाएगी।

P4.10.3. देश भर में विभिन्न विषयों में रुचि रखने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए मुद्दे-आधारित रेजिडेंशियल समर कार्यक्रम चलाने के लिए एक केन्द्रीय रूप से अनुदानित व्यवस्था को स्थापित करना: केन्द्रीय रूप से अनुदानित कुछ नए समर रेजिडेंशियल कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चलाये जाने चाहिए और इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इन कार्यक्रमों में मेरिट आधारित, विषय-आधारित दाखिले किये जायेंगे। ये वर्ष में एक बार ऐसे संस्थानों द्वारा आयोजित किये जाएंगे जो इन्हें अपने संस्थान में होस्ट करना चाहते हैं। P4.10.2 में वर्णित विभिन्न प्रकार के क्लब और सर्कल इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी करने स्वाभाविक रूप से आगे आएँगे।

P4.10.4. ओलम्पियाड और प्रतियोगिताएँ: पूरे देश भर में विभिन्न विषयों में ओलम्पियाड और प्रतियोगिताओं को मजबूत किया जाएगा। स्कूल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इन्हें स्तरवार स्थापित किया जाएगा और संचालित किया जाएगा। जो भी इन ओलम्पियाड और प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा उसे उन विभिन्न विषयों में अंतरराष्ट्रीय ओलम्पियाड में शामिल होने के लिए अनुदान दिया जाएगा। पूरे देश की प्राइवेट और सार्वजनिक यूनिवर्सिटीज को मंजूरी दी जाएगी और प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ओलम्पियाड के स्कोर और साथ ही साथ प्रादेशिक और राष्ट्रीय मुद्दे-आधारित समर कार्यक्रमों के नतीजों को इनके अंडर-ग्रेजुएट कार्यक्रमों में दाखिले का आधार बनाए।

P4.10.5. क्षेत्र-विशेष में रुचि रखने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए इन्टरनेट-आधारित एप्प, आकलन और ऑनलाइन कम्युनिटीज: जब सभी विद्यार्थियों के हाथ में इन्टरनेट से जुड़े स्मार्ट फ़ोन और टेबलेट आ जाएंगे, तब ऑनलाइन एप्प - जिनके अन्दर क्विज, प्रतियोगिता, आकलन, सप्लीमेंट्री सामग्री, और ऑनलाइन कम्युनिटीज आदि होंगे- विकसित किये जाएंगे ताकि एक कॉमन रुचि के लोग आसानी से एक-दूसरे से जुड़ सकें और P4.10.1 से लेकर P4.10.4 तक के सेक्शन में जिन प्रयासों का जिक्र किया गया है उन्हें अमल में लाने का काम करेंगे।

अध्याय 5

शिक्षक

उद्देश्य:

स्कूल शिक्षा के सभी स्तर के सभी विद्यार्थियों का शिक्षण उत्साहित, प्रेरित, उच्च योग्यता वाले, प्रशिक्षित और निपूर्ण शिक्षकों द्वारा हो

शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को ढालते हैं, अतः हमारे राष्ट्र के भविष्य को भी ढालते हैं। शिक्षकों के माध्यम से ही हमारे बच्चों में मूल्यों, ज्ञान, समानुभूति, रचनात्मकता, नैतिक मूल्य, जीवन कौशल और सामाजिक जिम्मेदारियों का विकास होता है। इस प्रकार से शिक्षक शिक्षा प्रणाली के केंद्र में हैं और एक प्रगतिशील, न्यायी, शिक्षित और सम्पन्न समाज की ओर अग्रसर करने के लिए एक आवश्यक माध्यम है।

प्राचीन भारत के समाज में इसी नेक काम के कारण शिक्षक सबसे ज्यादा सम्मानित सदस्य थे। सिर्फ सबसे अच्छे और विद्वान ही शिक्षक बनते थे। विद्यार्थियों को निर्धारित ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए समाज शिक्षकों/गुरुओं को उनकी ज़रूरतों की सारी चीज़ें प्रदान करता था। गुरुओं को रचनात्मक प्रक्रियाएं अपनाने की पूर्ण स्वायत्तता दी गयी थी। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, शिक्षण करने का पूर्ण प्रयास करते थे, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी अपने सामर्थ्य को प्राप्त कर सके।

लेकिन वर्तमान समय में निस्संदेह शिक्षकों के स्तर में गिरावट आयी है, और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षकों की शिक्षा, भर्ती, पदस्थापन, सेवा की परिस्थितियां और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति निम्न स्तर पर है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह चिंताजनक स्थिति में है। समाज में शिक्षकों के लिए उच्च दर्जा और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करना होगा जिससे देश के सर्वश्रेष्ठ लोग इस पेशे में आने को प्रेरित हों। इससे शिक्षा वह उच्च स्तर हासिल करेगी जिससे हमारे विद्यार्थियों और देश का उत्कृष्ट भविष्य सुनिश्चित होगा।

वो क्या है जो उत्कृष्ट शिक्षक और शिक्षण को बनाता है?

भारत और विश्वभर में किये गए शोध और प्राप्त अनुभव यह दर्शाते हैं कि शिक्षक, शिक्षक शिक्षा, स्कूल संसाधन और स्कूल संस्कृति में ऐसी कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं जो उत्कृष्ट शिक्षक और शिक्षण को सुनिश्चित करती हैं।

- एक शिक्षक जोश से भरा, प्रेरित और अपने विषय की विषय वस्तु, शिक्षण शास्त्र अथवा प्रैक्टिस में विद्वान/निपूण होना चाहिए।
- यह ज़रूरी है कि शिक्षक जिन विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं उनके सन्दर्भों को समझ पाए और उनके समुदाय से उनका गहरा जुड़ाव हो।
- शिक्षकों के अच्छे प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि, शिक्षकों को सम्मान, सहयोग और अहमियत दी जाये। उल्लास से भरे और आनन्दित शिक्षक और बच्चे एक उत्कृष्ट शिक्षण और सीखने की व्यवस्था बनाते हैं। खास तौर पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए रोज़ के सीखने सिखाने के माहौल को सुरक्षित, आनन्दित और लुभावना होना चाहिए।
- शिक्षक और उनके स्कूल, स्कूल कॉम्प्लेक्स और कक्षा-कक्ष में प्रभावी शिक्षण के लिए ज़रूरी सीखने-सिखाने की सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए।
- शिक्षकों को शिक्षण गतिविधियों के अतिरिक्त या फिर उनकी विशेषज्ञता से अलग विषयों को पढ़ाने का बोझ नहीं डालना चाहिए।
- शिक्षकों को अपने और विद्यार्थियों के अनुसार शिक्षण के नवीन तरीकों का इस्तेमाल करने की स्वायत्तता अनिवार्यतः होनी चाहिए।
- शिक्षकों के सीखने के लिए CPD (Continuous Professional Development) के विभिन्न अवसर उपलब्ध होने चाहिए जिसमें वह विषयवस्तु और शिक्षण शास्त्र में आये नए विचारों और परिवर्तन को समझ सके।
- शिक्षकों को एक जीवंत पेशेवर समुदाय का हिस्सा होने का आभास और गर्व होना चाहिए।
- जिन स्कूलों में शिक्षक काम करते हैं, वहां पर संवेदनशीलता, सहयोग की भावना, और समावेशी संस्कृति होनी चाहिए। यह उत्कृष्टता, जिज्ञासा, समानुभूति और

समता को प्रोत्साहित करती है। स्कूल संस्कृति का विकास प्रधानाचार्यों, स्कूल काम्प्लेक्स के प्रधान, SMCs और स्कूल काम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमीटी(SCMCs) को मिल कर करना चाहिए।

- आखिर में, शिक्षकों का करियर प्रबंधन और तरक्की (जिसमें पदोन्नति/ वेतन संरचना और स्कूल तथा स्कूल कॉम्प्लेक्स के नेतृत्व का चयन शामिल है) उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और योग्यता पर आधारित होगी। इसके मूल्यांकन के स्पष्ट मानक बनाये जायेंगे।

आज के समय में ऐसे कौनसे प्रमुख मुद्दे हैं जो शिक्षक और शिक्षक शिक्षा को प्रभावित करते हैं? दुर्भाग्यवश, उत्कृष्ट शिक्षकों और शिक्षण के इन दस लक्ष्यों में से ज्यादातर की पूर्ती नहीं हो पा रही है। इसके कई कारण हैं:

- पहला, ऐसे कुछ ही संस्थान हैं जो स्पष्ट रूप से इस बात को लेकर लक्षित हैं कि वे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों या जिनमें शिक्षण के उत्कृष्ट गुण हैं, उनको ही नियुक्त करेंगे। विशेष रूप से, आज कल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कोई भी साक्षात्कार नहीं होता और ना ही कक्षा में शिक्षण कार्यों का प्रदर्शन जांचा जाता है जिससे उनके उत्साह और रुचि का पता नहीं चलता। अक्सर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) जैसी लिखित परीक्षा का शिक्षण योग्यता से कोई खास सह-संबंध नहीं होता।
- दूसरा, आज के समय में शिक्षक शिक्षा गंभीर रूप से पिछड़ी है और संकट में है। हमारे देश में लगभग 17000 शिक्षक शिक्षा संस्थान हैं और उनमें से लगभग 92 प्रतिशत निजी स्वामित्व वाले हैं। अलग अलग गहन अध्ययन जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा गठित जस्टिस जे. एस. वर्मा कमिशन (2012) का अध्ययन भी शामिल हैं, दर्शाते हैं कि इन संस्थानों की एक बड़ी संख्या अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास भी नहीं करते हैं। इसके बजाय ये व्यावसायिक दुकानों की तरह काम कर रही हैं जहाँ न्यूनतम पाठ्यक्रम और कार्यक्रम की जरूरतों की भी पूर्ती नहीं की जाती और यहाँ सिर्फ डिग्रीयों की खरीद-फरोख्त होती है। शिक्षक शिक्षा

की सत्यनिष्ठा तब तक प्राप्त नहीं की जा सकती जब तक ऐसी परिपाटी को पूर्ण रूप से बंद नहीं कर दिया जाता।

इसके अलावा, बचे हुए नेक इरादों वाले शिक्षक शिक्षा संस्थान में से ज्यादातर ऐसे संस्थान हैं जहाँ केवल शिक्षक शिक्षा ही होती है। इनके पास अच्छी शिक्षक शिक्षा जिसमें विभिन्न विषयों कि विषयवस्तु, शिक्षण शास्त्र और अन्य व्यवहारिक कौशल मुहैया कराने की काबिलियत नहीं हैं।

- तीसरा, शिक्षकों के पदस्थापन में बहुत सारी गंभीर समस्याएं और अप्रभावी कार्यप्रणाली है। सरकारी डाटा के अनुसार देश में शिक्षकों के दस लाख पद रिक्त हैं।

इसका एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में है और कुछ इलाकों में तो 60:1 से अधिक PTR है। PTRs की समस्या से ज्यादा चिंताजनक यह मुद्दा है कि कुछ क्षेत्रों के स्कूलों में ज़रूरी विषयों के शिक्षक तक नहीं हैं। बहुत से स्कूलों की यह गंभीर समस्या है कि उनके पास ऐसे शिक्षक भी नहीं हैं जिनकी पाठ्यक्रम के मुख्य विषयों में विशेषज्ञता हो। कई बार तो एक हिंदी के शिक्षक को गणित, या फिर एक विज्ञान के शिक्षक को इतिहास पढ़ाने को कहा जाता है। ज्यादातर स्कूलों में संगीत या कला के शिक्षक नहीं हैं और भाषा के शिक्षकों की गंभीर कमी है।

एक और गंभीर मुद्दा शिक्षकों के पदस्थापन से सम्बंधित है। शिक्षकों का अक्सर दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रत्याशित तबादला हो जाता है जिससे शिक्षक (उनके विद्यार्थी और स्कूल भी) बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अचानक से शिक्षक के चले जाने से विद्यार्थियों पर और विशेष रूप से छोटे विद्यार्थियों की शिक्षा और मनोदशा पे गहरे प्रभाव होते हैं। तबादलें शिक्षकों को स्कूल और समुदाय से मज़बूत सम्बन्ध बनाने से भी रोकते हैं। शिक्षकों के कार्यकाल में स्थिरता होनी चाहिए क्योंकि यह शैक्षिक परिणामों को सीधा सीधा प्रभावित करता है।

इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा शिक्षकों के पदस्थापन के साथ जुड़ा है, कि ज्यादातर विद्यार्थियों के प्रेरणास्रोत उनके अपने समुदाय के लोग या उनकी मात्र भाषा बोलने वाले शिक्षक नहीं होते। यह आवश्यक है, और विशेष रूप से दूरस्थ, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में तो बहुत जरूरी है कि कम से कम कुछ शिक्षक स्थानीय इलाकों वाले या स्थानीय भाषा बोलने वाले ही नियुक्त किये

जायें। इससे शिक्षक बिना झिझके और प्रभावी ढंग से विद्यार्थियों और समुदाय से बातचीत कर सकेंगे और विद्यार्थियों के लिए उनके अपने स्थानीय रोल मॉडल भी होंगे।

- चौथा, **बहुत से स्कूलों में बुनियादी ढांचे, संसाधनों और सामग्री की कमी है** जिससे शिक्षक अपने काम में सहजता महसूस नहीं करते हैं। शुद्ध पेयजल, इस्तेमाल योग्य शौचालय और बिजली की कमी ऐसी शुरूआती समस्याएं हैं जिसका समाधान प्राथमिकता से करना होगा। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त सीखने के संसाधनों और सामग्री की कमी एक आम मुद्दा है। शिक्षकों की सहायता हेतु मानव संसाधन, जैसे समाज सेवक, सलाहकार और रेमेडीयल इंस्ट्रक्टर भी उपलब्ध नहीं हैं।
- पांचवा, **शिक्षकों को अक्सर अपने ज्यादातर समय में गैर शैक्षिक गतिविधियां करने को कहा जाता है**, जैसे की मिड डे मील, चुनाव संबंधी और विभिन्न प्रशासनिक कार्य। यह शिक्षकों के शिक्षण कार्य में गंभीर बाधा उत्पन्न करते हैं।
- छठा, **गुणवत्ता पूर्ण पेशेवर विकास के लिए ज्यादा अवसर उपलब्ध नहीं हैं।** शिक्षक अक्सर यह बताते हैं कि शिक्षकों के विकास हेतु कार्यशालाएं उनके लिए प्रासंगिक नहीं रहती, बल्कि बहुत से शिक्षकों के पास यह अवसर भी नहीं होता। ऐसी कुछ ही शिक्षक संस्थाने हैं जो शिक्षकों को यह अवसर प्रदान करती हैं कि वे अपने विचारों और अच्छी प्रैक्टिसेस को आपस में साझा करें और एक दुसरे से सीखें।
- आखिर में, **शिक्षकों के वेतन, पदोन्नति, करियर मैनेजमेंट और स्कूल व्यवस्था में नेतृत्व के पदों से सम्बंधित कोई भी औपचारिक मेरिट आधारित व्यवस्था नहीं है**, बल्कि ये गुटबाजी, किस्मत या वरिष्ठता पर आधारित है। शिक्षक प्रेरित हो और वे बेहतरीन काम कर सकें व उनके उच्च गुणवत्ता पूर्ण काम को पहचान मिल सके, इसके लिए ज़रूरी है कि मेरिट आधारित औपचारिक व्यवस्था बनाई जाए और शिक्षकों को काम करने का अच्छा माहौल, और उच्च कोटि का नेतृत्व प्रदान किया जाए।

इस पेशे की उच्च प्रतिष्ठा पुनःस्थापित करने के लिए और देश भर में शिक्षक और शिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा सकता है?

शिक्षण पेशे की उच्च प्रतिष्ठा को पुनःस्थापित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षक अपने प्रयासों में ज्यादा से ज्यादा प्रभावी और परिणामदायक हो, शिक्षक शिक्षा व्यवस्था, भर्ती और पदस्थापन प्रणाली, सेवा की शर्तें, पेशेवर विकास और करियर मैनेजमेंट की प्रक्रियाओं में पूरी तरह से आमूलचूल बदलाव करने होंगे।

इसके लिए, यह नीति कल्पित करती है कि शिक्षण पेशे के इन मुख्य क्षेत्रों में पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तन किये जाएँ, जिससे वर्तमान में शिक्षण को प्रभावित करने वाले सात उल्लेखित मुद्दों को संबोधित किया जा सके। इससे पूर्व में चर्चित बेहतरीन शिक्षण के दस लक्ष्यों की भी पूर्ति हो सकेगी।

नियुक्ति और पदस्थापन: यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षण के पेशे में उत्कृष्ट विद्यार्थी ही दाखिल हों - खासतौर से ग्रामीण इलाकों में - **देश भर में उत्कृष्ट चार वर्षीय एकीकृत बेचलर इन एजुकेशन (बी.एड) कार्यक्रम में अध्ययन हेतु एक बड़ी संख्या में मेरिट आधारित छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था बनाई जाएगी।**

ग्रामीण इलाकों में, **विशेष मेरिट आधारित छात्रवृत्ति को स्थापित किया जाएगा** जिसमें विद्यार्थियों के चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद स्थानीय क्षेत्रों में सुनिश्चित रोज़गार भी शामिल होगा। सुनिश्चित रोज़गार सम्मिलित यह छात्रवृत्ति, उत्कृष्ट छात्रों को स्थानीय रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराएगी जिससे वे अपने क्षेत्र में आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बन सके।

ग्रामीण इलाकों में उत्कृष्ट शिक्षकों के पदस्थापन को और बढ़ावा देने के लिए, उन शिक्षकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो ग्रामीण इलाकों में शिक्षण के कार्य का चयन करेंगे। खास तौर पर उन ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर वर्तमान में शिक्षकों की सबसे ज्यादा कमी है और उत्कृष्ट शिक्षकों की ज्यादा ज़रूरत है। ग्रामीण इलाकों में नए शिक्षकों को निकट आवास आवास खोजने में समस्या होती है। अक्सर शिक्षकों को जो निकटतम आवास उपलब्ध होता है वह कई किलोमीटर दूरी पर होता है। **अतः ग्रामीण स्कूल में पदस्थापित शिक्षकों**

के लिए एक मुख्य प्रोत्साहन यह होगा कि उनको स्कूल परिसर के निकट स्थानीय आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

शिक्षकों के अत्यधिक तबादलों की नुकसानदायक प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगा दी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि शिक्षक समुदाय के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकें और समुदाय के प्रति समर्पित हों। इससे शिक्षकों के कार्य और शैक्षिक परिवेश में भी निरंतरता आएगी। सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में ही तबादला होगा, जैसे दाम्पत्य या अन्य पारिवारिक मुद्दों हेतु। इसके अलावा तबादला तभी संभव होगा यदि स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति में मुख्य परिवर्तन आये हो, या फिर उत्कृष्ट शिक्षकों को पदोन्नति द्वारा नेतृत्व पद पर जाने की अनुशंसा की गई हो।

शिक्षण के पेशे में सिर्फ उत्कृष्ट लोगों के प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए TETs को सुदृढ़ किया जायेगा और इसके लिए परीक्षा सामग्री को पाठ्यक्रम, विषयवस्तु और अध्यापन आधारित बनाया जायेगा।

इसके अलावा, विषय शिक्षकों **कि नियुक्ति के लिए उनके संबंधित विषयों में NTA परीक्षा प्राप्तांक को भी ध्यान में रखा जाएगा।**

आखिर में स्कूल और स्कूल काम्प्लेक्स में शिक्षकों की भर्ती के दौरान, उनमें शिक्षण के प्रति रुचि और प्रोत्साहन को मापने के लिए **कक्षा में शिक्षण का प्रदर्शन और साक्षात्कार एक अभिन्न प्रक्रिया होगी।** इन साक्षात्कारों का उपयोग स्थानीय भाषा में शिक्षण में सहजता और दक्षता का आकलन करने के लिए भी किया जाएगा, जिससे हर स्कूल और स्कूल काम्प्लेक्स में कम से कम कुछ शिक्षक ऐसे हों जो विद्यार्थियों से उनकी स्थानीय भाषा में बातचीत कर सकें। यह विशेष रूप से दूरस्थ, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में ज़रूरी है कि भर्ती किये गए शिक्षकों कि एक महत्वपूर्ण संख्या स्थानीय हो या फिर स्थानीय भाषा बोलती हो, जिससे वे विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ धाराप्रवाह और प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकें।

विषयों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए, खासतौर पर कला, शारीरिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, और भाषा जैसे विषयों के लिए एक स्कूल के बजाय स्कूल काम्प्लेक्स (स्थानीय क्षेत्र के स्कूलों का एक समूह जिसमें एक माध्यमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूलों के अन्दर कुछ पूर्व माध्यमिक स्कूल शामिल हैं) में शिक्षकों की नियुक्ति

की जाएगी। ये शिक्षक स्कूल काम्प्लेक्स के सभी स्कूलों में आवश्यकतानुसार अध्यापन करेंगे। (सेक्शन 7.2 देखें)

लंबे समय में, स्थायी शिक्षक बनने के लिए चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री एक न्यूनतम आवश्यकता होगी। हालांकि स्थानीय ज्ञान और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए, **स्कूल और स्कूल काम्प्लेक्स को यह अनुमति और उपयुक्त संसाधन प्रदान किये जायेंगे जिससे स्थानीय प्रख्यात व्यक्तियों या विशेषज्ञों को “स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्टर” के रूप में नियुक्त किया जा सके। ये इंस्ट्रक्टर अलग अलग विषयों के होंगे जैसे पारंपरिक स्थानीय कला, व्यावसायिक शिल्प, उद्यमशीलता, कृषि या और कोई अन्य विषय जिसमें स्थानीय विशेषज्ञता मौजूद हो, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो और स्थानीय ज्ञान को संरक्षित तथा उसको बढ़ावा देने में मदद करें।**

आने वाले दो दशकों में शिक्षकों और विषयों की ज़रूरतों का आंकलन करने के लिए **देश भर में और प्रत्येक राज्य में एक व्यापक और विस्तृत योजना लागू की जाएगी।** नियुक्ति और पदस्थापन के लिए ऊपर चर्चित सभी पहलों का समय के अनुसार विस्तार किया जाएगा। इसका लक्ष्य होगा कि सारी रिक्तियों को उत्कृष्ट शिक्षकों से भरा जाए जिनमें बेहतरीन स्थानीय शिक्षक भी शामिल हों।

काम करने का वातावरण और संस्कृति: स्कूलों में काम करने के वातावरण और संस्कृति की पूरी तरह से मरम्मत करने का प्राथमिक लक्ष्य यही है कि शिक्षकों के काम करने की क्षमताएं बढ़ें और उनका काम प्रभावी हो। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि वे एक जीवंत, संवेदनशील और समावेशी शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों, प्रधानाचार्यों तथा अन्य सहायक स्टाफ़ द्वारा बने एक समुदाय का हिस्सा बने। विद्यार्थियों के सीखने को सुनिश्चित करना ही इस समुदाय का लक्ष्य होगा।

इस दिशा में सबसे पहली ज़रूरत यह है कि सुनिश्चित किया जाए कि स्कूलों की सेवा स्थिति अच्छी और सुखद हो। बच्चे और शिक्षक अपने स्कूल में सीखने और सिखाने के लिए सहज और प्रोत्साहित रहें इसके लिए **पर्याप्त और सुरक्षित बुनियादी ढाँचा, जिसमें इस्तेमाल योग्य शौचालय, स्वच्छ पेयजल, सीखने के लिए अनुकूल स्वच्छ और आकर्षक स्थान, बिजली, कम्प्यूटर और इंटरनेट जैसी सुविधाएं स्कूलों में उपलब्ध कराना ज़रूरी होगा।**

इस दौरान, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस (सेक्शन 7.4 देखें) का निर्माण एक जीवंत शिक्षक समुदाय को बनाने में मददगार होगा। जैसा की पहले ही उल्लेखित है, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस में शिक्षकों की नियुक्ति और सहभाजन से अपनेआप स्कूल कॉम्प्लेक्स के स्कूलों में अंतरसंबंध बन जाएंगे। इससे सभी स्कूल कॉम्प्लेक्सेस में विषयों के शिक्षकों की समुचित उपलब्धता होगी।

बहुत छोटे स्कूलों के शिक्षक भी अब अलग नहीं रहेंगे और बड़े स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के समुदाय के साथ मिलकर काम करेंगे।

शासन की सबसे छोटी इकाई के रूप में स्कूल कॉम्प्लेक्स का निर्माण शिक्षकों का एक जीवंत समुदाय बनाने में सहायक होगा। इससे वे उत्कृष्ट प्रैक्टिस को आपस में सांझा कर सकेंगे और अपने लिए एक सहयोगात्मक और सामूहिक रूप से काम करने का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। जिससे एक सशक्त संस्कृति और विद्यार्थियों के सीखने को सुनिश्चित किया जा सकेगा। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के सभी स्कूल परामर्शदाताओं, समाज सेवकों, तकनीकी और मरम्मत करने वाले स्टाफ सदस्यों और रेमीडियल इंस्ट्रक्टर की सेवाओं को भी आपस में सांझा करेंगे, इससे शिक्षकों की और सहायता होगी और सीखने के लिए प्रभावी वातावरण का निर्माण होगा।

अभिभावकों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानीय हितधारकों के साथ साथ **स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के प्राशासन में शिक्षक भी SMCs और SCMCs के सदस्य के रूप में शामिल होंगे।**

अक्सर शिक्षकों का ज़्यादातर समय गैर शैक्षिक गतिविधियां करने में चला जाता है। इसको समय को बचाने के लिए शिक्षकों को वो सरकारी कार्य जो शिक्षण से सीधे सम्बंधित नहीं हैं उनको करने की अनुमति नहीं होगी (कुछ गिने चुने कार्यों को छोड़कर जो कक्षा के कार्यों में बाधा नहीं डालते)। विशेष रूप से चुनाव सम्बंधित कार्य, मिड डे मील को पकाना, और अन्य जटिल प्रशासनिक कार्य नहीं करेंगे जिससे वे पूरी तरीके से शिक्षण अधिगम कार्यों में ध्यान दे सकेंगे।

यह सुनिश्चित करने की लिए कि स्कूल में सीखने के लिए सकारात्मक माहौल हो, और बच्चे अधिक प्रभावी ढंग से सीखें, **प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की अपेक्षित भूमिका में यह**

स्पष्ट रूप से शामिल होगा कि वे स्कूल में एक संवेदनशील और समावेशी संस्कृति का निर्माण करें।

अंततः शिक्षकों को पाठ्यक्रम और शिक्षण के छोटे पहलुओं को चयनित करने के लिए ज्यादा स्वायत्तता दी जाएगी, जिससे वे उन तरीकों से पढ़ा सकें जो उनकी कक्षाओं और समुदायों के विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रभावी हो। शिक्षकों को ऐसी शिक्षण विधि अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा जिससे विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफल में वृद्धि हो।

सतत पेशेवर विकास: शिक्षकों को खुद में सुधार करने के लिए और पेशे से सम्बंधित आधुनिक विचार और नवाचारों को सीखने के लिए सतत अवसर दिए जायेंगे। शिक्षक के अपने स्वयं के विकास के रास्ते चुन सके इसको सुनिश्चित करने के लिए **CPD की माड्यूलर एप्रोच को अंगीकृत किया जाएगा।**

शिक्षक के विकास हेतु स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तरीय, शिक्षण और विषयवस्तु कि कार्यशालाओं के साथ साथ ऑनलाइन माड्यूल भी सभी शिक्षकों के लिए उपलब्ध होंगे। इनमें से शिक्षक अपने विकास हेतु उचित अवसर का चुनाव कर सकेंगे। शिक्षकों को अपने विचार और सर्वोत्तम प्रेक्टिसिस को साझा करने के लिए अवसर/मंच (मुख्य रूप से ऑनलाइन अवसर/मंच) का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगा कि वे स्वयं के पेशेवर विकास के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घंटों के CPD कार्यक्रम में हिस्सा लें।

नेतृत्वकर्ता, जैसे स्कूल के प्रधानाचार्य और स्कूल काम्प्लेक्स के प्रमुख के लिए एक समान माड्यूलर लीडरशिप/मैनेजमेंट कार्यशालाएं और ऑनलाइन विकास के अवसर होंगे। साथ ही साथ इन अवसर/मंच के द्वारा वे अपने लीडरशिप और मैनेजमेंट कौशल को लगातार विकसित करेंगे ताकि वे अपनी सर्वोत्तम प्रेक्टिसिस को साझा कर सकें। इन संस्था प्रमुखों से भी यह अपेक्षित है कि वे भी प्रति वर्ष 50 घंटों के CPD कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसमें लीडरशिप और मैनेजमेंट के साथ विषयवस्तु, शिक्षण शास्त्र और शिक्षण संबंधी कार्यक्रम शामिल होंगे।

करियर मैनेजमेंट:

शिक्षण के पेशे के सम्मान को पुनःस्थापित करने के लिए शिक्षकों के करियर मैनेजमेंट में बदलाव लाना एक अहम् कार्य है। बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को वेतन वृद्धि, पदोन्नती और सम्मान दिया जाना चाहिए ताकि उर्जावान शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों और समुदाय के लिए अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन मिले।

अतः एक सशक्त मेरिट आधारित पदोन्नती और वेतन व्यवस्था का निर्माण किया जायेगा। इसमें शिक्षकों के प्रत्येक पद बहुस्तरीय होंगे ताकि बेहतरीन और दृढ़निश्चित शिक्षकों को पदोन्नती और वेतन में बढ़त द्वारा प्रोत्साहित किया जा सके। शिक्षकों के प्रदर्शन के सही आंकलन के लिए मल्टीप्ल पैरामीटर्स कि एक व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा। आंकलन की यह व्यवस्था सहकर्मियों और विद्यार्थियों द्वारा की गयी समीक्षा, उपस्थिती, प्रतिबद्धता, CPD के घंटे और स्कूल और समुदाय में की गई अन्य सेवा पर आधारित होगा। मेरिट आधारित आंकलन से प्रत्येक शिक्षक के कार्यकाल सम्बंधित निर्णय, पदोन्नति की दर और वेतन में बढ़त को निर्धारित करा जाएगा।

वर्टिकल मोबाइलिटी

उत्कृष्ट शिक्षक जिन्होंने लीडरशिप और मैनेजमेंट के कौशलों को दर्शाया होगा, उनको समय के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे वे आगे चल कर स्कूल, स्कूल कॉम्प्लेक्स और ब्लॉक रिसोर्स सेंटर (BRCs), क्लस्टर रिसोर्स सेंटर (CRCs), BITEs (ब्लॉक शिक्षक शिक्षण संस्थान) और जिला शिक्षक शिक्षण संस्थान (DIETs) में अकादमिक नेतृत्व कर सकेंगे।

शिक्षक शिक्षा के लिए दृष्टिकोण: यह समझते हुए की बेहतरीन शिक्षकों को विषय वस्तु और शिक्षण शास्त्र के अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण कि ज़रूरत होती है, शिक्षक शिक्षा को धीरे धीरे बहुअनुशासनिक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सीमित किया जाएगा। बहुअनुशासनिक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का यह लक्ष्य (P10.4 देखें) होगा कि वे शिक्षा के उत्कृष्ट विभागों का निर्माण करेंगे जो बी.एड और एम्.एड डिग्री के कार्यक्रमों को उपलब्ध कराएंगे।

2030 तक शिक्षण के लिए 4 वर्षीय लिब्रल एकीकृत बी.एड डिग्री एक न्यूनतम योग्यता होगी। इसमें अलग अलग विषयवस्तु और शिक्षण शास्त्र को पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ

एक मज़बूत अभ्यास के प्रशिक्षण के लिए स्थानीय स्कूलों में लम्बे समय के लिए विद्यार्थी शिक्षण भी शामिल होगा। 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड डिग्री कार्यक्रम उपलब्ध कराने वाले बहुअनुशासनिक संस्थान, दो वर्षीय बी.एड/डी.एल.एड (जो अब बी.एड के नाम से जाना जाएगा) कार्यक्रम भी उपलब्ध कराएंगी। दो वर्षीय बी.एड कार्यक्रम उन्ही लोगो के लिए उपलब्ध होगा जिनके पास किसी खास विषय में स्नातक डिग्री होगी। जिन लोगो के पास चार साल की बहुअनुशासनिक स्नातक डिग्री या फिर किसी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होगी और वे उस विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं, उन लोगो के लिए एक साल के बी.एड. कार्यक्रम का विकल्प भी उपलब्ध होगा। यह बी.एड. डिग्री सिर्फ 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड डिग्री कार्यक्रम उपलब्ध कराने वाली मान्यता प्राप्त बहुअनुशासनिक संस्थान ही उपलब्ध कराएंगी।

सारे बी.एड. कार्यक्रमों में विस्वसनीय और नवाचारी शिक्षण शास्त्र के साथ बुनियादी साक्षरता और गणना, बहुस्तरीय शिक्षण और मूल्यांकन, CWSN शिक्षण, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, और अधिगम केन्द्रित शिक्षा शामिल होगी। सारे बी.एड. कार्यक्रमों में कक्षाकक्ष में शिक्षण के प्रदर्शन और स्थानीय स्कूलों में विद्यार्थी शिक्षण अनिवार्यतः शामिल होगा। बी.एड. डिग्री कार्यक्रमों के बहुअनुशासनिक होने के कारण, चाहे वो किसी भी समयावधि का हों, उनको बहुअनुशासनिक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ही उपलब्ध कराया जाएगा।

BITEs, DIETs या स्कूल कॉम्प्लेक्स में स्थानीय शिक्षकों के लिए कुछ विशेष छोटे शिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके लिए **प्रख्यात स्थानीय व्यक्तियों को “स्पेशल इंस्ट्रक्टर” के रूप में नियुक्त किया जाएगा जिससे कि स्थानीय ज्ञान और कौशल जैसे स्थानीय कला, संगीत, कृषि, व्यवसाय, खेल, बढ़ईगीरी और अन्य व्यवसायिक कौशलों को बढ़ावा मिले।**

बी. एड. करने के पश्चात जो विद्यार्थी शिक्षा के किसी विशेष क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं जैसे विशेष जरूरतों के विद्यार्थियों को पढ़ाना, या फिर स्कूली व्यवस्था में लीडरशिप और मैनेजमेंट, ऐसे लोगों के लिए छोटे सर्टिफिकेट कोर्स व्यापक रूप से उपलब्ध होंगे। यह बहुअनुशासनिक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ही उपलब्ध कराये जायेंगे।

आखिर में, शिक्षक शिक्षा व्यवस्था कि प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए, देश भर में मौजूद हजारों रद्दी एकल शिक्षक शिक्षा संस्थानों (स्टैंडअलोन टीचर एजुकेशन इंस्टिट्यूशन TEIs) को जल्द से जल्द बंद कर दिया जायेगा।

5.1. प्रभावी शिक्षक नियुक्ति और पदस्थापन

P5.1.1. उत्कृष्ट विद्यार्थियों को शिक्षण पेशे में प्रवेश करने को प्रोत्साहित करने के लिए मेरिट आधारित छात्रवृत्ति: अच्छा प्रदर्शन करने वाले हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति एक बड़ी संख्या में उपलब्ध करवाई जाएगी जिससे वे देश भर के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में एक बेहतरीन 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम में पढ़ सकेंगे। इस तरह कि छात्रवृत्ति के निधिकरण और स्थापना के लिए सरकार, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, और परोपकारी संगठनों में सहभागिता की जाएगी। यह छात्रवृत्तियां मुख्य रूप से सुविधा से वंचित विद्यार्थियों के लिए होंगी। छात्रवृत्ति स्कूल में प्रदर्शन, NTA के अंक और भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर दी जाएगी।

ग्रामीण और आदिवासीय क्षेत्रों या उन क्षेत्रों में जहाँ स्थानीय भाषा में शिक्षकों की निपूणता कम है, उन क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए कुछ विशेष मेरिट आधारित छात्रवृत्ति को स्थापित किया जाएगा। इसके तहत चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री प्राप्त करने के बाद स्थानीय इलाकों में निश्चित रोज़गार भी शामिल होगा। यह इलाके के बेहतरीन विद्यार्थियों के लिए स्थानीय नौकरियों के अवसर प्रदान करेगा और स्थानीय रोल मॉडल तैयार करेगा। साथ ही साथ ये सुनिश्चित करेगा कि पर्याप्त संख्या में स्कूलों में स्थानीय भाषा और संस्कृति को जानने वाले शिक्षक हों और जो विद्यार्थियों और अभिभावकों से उनकी भाषा में बातचीत करने में सहज हो। इस छात्रवृत्ति के लिए महिला उम्मीदवारों को खासतौर पर लक्षित किया जाएगा जिससे स्थानीय महिला रोल मॉडल की संख्या में वृद्धि होगी।

P5.1.2. शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाएं: शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जायेगा | इससे समाज में शिक्षकों के पेशे के प्रति भरोसा और सम्मान पैदा होगा जिससे शिक्षकों में आत्मविश्वास आएगा |

नियुक्ति के लिए पहली स्क्रीनिंग TET से होगी | वर्तमान में मौजूद TETs को बेहतर और सुदृढ़ बनाया जाएगा जिससे अभिलाषी शिक्षकों की क्षमता और ज्ञान का अधिक सार्थक परिक्षण सुनिश्चित हो सकेगा | स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों (बुनियादी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, और माध्यमिक) को शामिल करते हुए TET को विस्तृत किया जाएगा | इसके अतिरिक्त विषय - शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उनके सम्बंधित विषय में प्राप्त NTA परीक्षा के अंको को भी शामिल किया जाएगा | प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के लिए TETs (राज्य या फिर केंद्र स्तरीय परीक्षा) और NTA की परीक्षा को पास करना जल्द से जल्द अनिवार्य किया जायेगा |

लिखित परीक्षाओं से शिक्षक की स्थानीय भाषा पर पकड़, शिक्षण के प्रति जोश और उत्साह को नहीं आंका जा सकता जो की एक उत्कृष्ट शिक्षक के गुणों में शामिल है | इसलिए इच्छुक शिक्षकों के लिए दूसरे चरण की स्क्रीनिंग (चयन प्रक्रिया) स्थापित की जायेगी | इसमें साक्षात्कार और 5-7 मिनट तक कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन शामिल होगा | दूसरे चरण की स्क्रीनिंग (चयन प्रक्रिया) को स्थानीय BRC में करा जाएगा, और अगर यह संभव नहीं है तो टेलीफोन के माध्यम से साक्षात्कार और शिक्षण प्रदर्शन का विडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा सकेगा |

P5.1.3. इच्छित छात्र शिक्षक अनुपात (प्यूपिल टीचर रेशियो (PTR)) की प्राप्ति:

छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों की स्कूल में नियुक्ति करने की प्रक्रिया को एक बेहतर और विद्यार्थियों की जरूरतों के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया से बदला जाएगा | शिक्षकों की नियुक्ति स्कूल कॉम्प्लेक्स में होने की वजह से शिक्षक वहां के सभी स्कूलों में उपलब्ध हो पायेंगे, इसीलिए इस व्यवस्था में इतनी लागत नहीं लगेगी जितनी हर एक स्कूल में प्रत्येक स्तर और विषय के शिक्षकों की पूर्ति में लगती है | स्कूल कॉम्प्लेक्स में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापना की जायेगी जिससे यह सुनिश्चित होगा

कि काम्प्लेक्स के हर स्कूल में विषय शिक्षण सम्बंधित ज़रूरतें पूरी हो सकें। विषय जैसे कला, संगीत, व्यावसायिक शिल्प, खेल और योग के शिक्षक और स्थानापन्न शिक्षक, काम्प्लेक्स के सभी स्कूलों में अपनी सेवा उपलब्ध करायेंगे।

P5.1.4. स्थायी शिक्षकों के साथ साथ विविधता सुनिश्चित करना: हर स्तर, मुख्य रूप से बुनियादी, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर में शिक्षकों को नियुक्त करते वक्त, स्थानीय शिक्षक और धाराप्रवाह स्थानीय भाषा बोलने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा इसलिए होगा ताकि शिक्षक विद्यार्थियों, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों के साथ आसानी से संवाद कर पायें। विविधता को मद्देनज़र रखते हुए शिक्षकों को नियुक्त और पदस्थापित किया जाएगा, साथ ही साथ URG से नियुक्ति करने पे बल दिया जाएगा। इससे शिक्षा ज्यादा से ज्यादा समावेशी बन पायेगी और हर स्थानीय इलाके में URG से आये विद्यार्थियों के लिए रोल माडल्स होंगे।

P5.1.5. शिक्षकों का किसी खास स्कूल काम्प्लेक्स में पदस्थापन: जैसा कि आजकल ज्यादातर राज्यों में किया गया है, शिक्षकों को जिले में नियुक्त किया जाएगा और फिर किसी स्कूल काम्प्लेक्स में पदस्थापित किया जाएगा। उसके बाद स्कूलों की ज़रूरत के अनुसार शिक्षकों को उनके स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। कुछ खास विषय जैसे कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा और व्यवसायिक कला में पूरे काम्प्लेक्स के सभी स्कूलों के लिए कुछ शिक्षक उपलब्ध रहेंगे। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इन विषयों की शिक्षा सभी स्कूलों में हो रही हो।

P5.1.6. ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन: उत्कृष्ट शिक्षकों को ग्रामीण, आदिवासिय और दूरस्थ इलाकों में जहाँ उनकी विशेष रूप से ज़रूरत है, वहाँ शिक्षण कार्य हेतु प्रेरित करने के लिए उचित प्रोत्साहनों को निर्धारित किया जाएगा। इन प्रोत्साहनों में विशेष रूप से स्कूल परिसर के निकट आवास उपलब्ध कराना शामिल होगा जिससे शिक्षकों के सामने अक्सर आने वाली इस समस्या का निवारण किया जा सकेगा।

P5.1.7. शिक्षक-छात्र-समुदाय के संबंधों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए

शिक्षकों की तबदीली को रोकना/कम करना: शिक्षकों के स्कूल काम्प्लेक्स के समुदाय के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए, शिक्षकों के स्कूल काम्प्लेक्स के बाहर तबादले नहीं किये जायेंगे। शिक्षकों कि इच्छा, कार्यकाल, पद और स्थानीय भाषा बोलने की क्षमता के आधार पर शिक्षकों एक बार पुनः पदस्थापन किया जा सकता है। लेकिन भविष्य में बाकी सारी नियुक्तियां खाली पद और विषय/स्तर/स्थानीय भाषा की आवश्यकता को देखकर ही विशिष्ट स्कूल काम्प्लेक्स में होगी। अगर शिक्षक के तबादले को रोका नहीं जा सकता तो राज्य सरकारों को तबादले इस तरह से करने चाहिए कि उस समुदाय में शिक्षकों की नियुक्तियों और उपस्थिति में निरन्तरता बनी रहे। शिक्षकों का कार्यकाल किसी एक स्कूल में कम से कम 5 से 7 साल का होगा और एक स्पष्ट आईटी प्रक्रिया द्वारा नियम व समानुभूति आधारित तबादलों की व्यवस्था लागू की जाएगी। इस तरह के कदम के लिए उपयुक्त कानून की भी आवश्यकता होगी

P5.1.8. पैरा- टीचर्स की प्रेक्टिस को खत्म करना: 2022 तक देश भर में “पैरा- टीचर्स”

(शिक्षाकर्मी, शिक्षामित्र, आदि) व्यवस्था को बंद कर दिया जाएगा। यह इस वजह से किया जायेगा कि शिक्षक पूरी तरीके से अपने काम के प्रति समर्पित हों और समुदाय के साथ लम्बे समय तक गहरे संबंध बनायें।

P5.1.9. नए प्रशिक्षित शिक्षकों का स्कूलों में इन्डक्शन: शिक्षकों के विकास पे किये

गए शोध और समझ, इस बात पर ध्यान आकर्षित करती है कि नियुक्ति का शुरुवाती दौर महत्वपूर्ण होता है और इसमें सहायता और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। सारे नए शिक्षकों को अपने पहले दो वर्षों में किसी CPD केंद्र जैसे BRC, CRC, BITE या DIET जो की स्कूल काम्प्लेक्स से संबध है में पंजीकृत कर दिया जाएगा। इससे उनको मार्गदर्शन मिलेगा और वे अपने साथी समुदाय के साथ संघटित हो पाएंगे। शिक्षकों के इन्डक्शन कार्यक्रमों को इस तरीके से डिजाईन किया जायेगा कि उसमे बैठकों, स्कूल आधारित मेंटरिंग और अन्य शिक्षकों के साथ चर्चा का एक मिश्रण होगा। इन्डक्शन के दौरान नए शिक्षकों को पुराने शिक्षकों (लगभग 80% कार्यभार) के मुकाबले कम काम दिया जा

सकता हैं। विषय की इकाई की योजना, माड्यूलस पर चर्चा, समीक्षा करना, योजनायें और अनुभवों पर समझ, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के संसाधनों का ज्ञान और उनका इस्तेमाल, मूल्यांकन की तकनीकें, व्यक्तिगत शिक्षण, समूह कार्य आयोजित करना और सहयोगपूर्ण तरीकों से सीखना, कक्षा कक्ष का प्रबन्धन, काम्प्लेक्स और समुदाय के साथ संबंध और संपर्क बनाना, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें खास किस्म की मेंटरिंग की ज़रूरत होगी और शिक्षक के शुरुवाती समय पर इन चीजों पर मुख्य ध्यान रहेगा।

P5.1.10. टीचर प्लानिंग (कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, उसकी योजना):

शिक्षकों की नियुक्ति एक पुष्ट प्रक्रिया के द्वारा की जाएगी जो इस बात पर आधारित होगी कि किस जगह कितने विषयों के शिक्षक और कितने स्पेशल शिक्षक की ज़रूरत हैं। जितने शिक्षकों की आवश्यकता है, उसके लिए एक सचेत और व्यापक नियोजन किया जाएगा और साथ ही स्कूल काम्प्लेक्स का सीमांकन भी किया जायेगा। यह प्रक्रिया हर पांच वर्षों में केन्द्र और राज्य स्तर पर दोहराई जाएगी। प्रत्येक स्कूल काम्प्लेक्स या एकल स्कूल स्तर पर आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की पूर्ति और सहभाजन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार निधि की व्यवस्था प्राथमिकता से करेगी। प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित रोज़गार सहित बी.एड छात्रवृत्तियों की संख्या टीचर रिक्रूयमेंट प्लानिंग के अभ्यास में इकट्ठे किये आंकड़ों से निर्धारित होगी।

5.2. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अनुकूल स्कूल का वातावरण और संस्कृति

उत्साहित व प्रेरित शिक्षक और बच्चे एक अच्छे सीखने-सिखाने के वातावरण को बनाते हैं।

विद्यालयों को छात्रों और शिक्षकों के लिए मनोहर, लुभावना और प्रेरणादायक होना चाहिए। यह साफ़, सुन्दर और स्वच्छ हो और शिक्षकों के पास अपने दायित्व को निभाने के लिए

आवश्यक स्वतंत्रता, आधारभूत सुविधाएँ और संसाधन होने चाहिए | यह ज़रूरी है कि शिक्षक खुद को स्कूल और जिस समुदाय में वो काम कर रहे हैं उसका हिस्सा माने और उसमें वे पूरी तरीके से शामिल हों | इसलिए उनको आवश्यकतानुसार आधारभूत सुविधाएँ और सामग्री उपलब्ध करायी जाएंगी जिससे वे सुरक्षित व सम्मानित महसूस करें और अच्छे स्वास्थ्य के साथ प्रभावी शिक्षण कर सके |

P5.2.1. पर्याप्त भौतिक संरचना, सुविधाएं और सीखने के संसाधन: प्रत्येक स्कूल में और उनके स्कूल काम्प्लेक्स के अन्दर पर्याप्त भौतिक संरचना, सुविधाएं और सीखने के संसाधन उपलब्ध कराएँ जायेंगे | वर्ष 2022 तक सभी विद्यालयों में निर्धारित मानकों के आधार पर आवश्यक सुविधाएं, सुरक्षित एवं अच्छे सीखने का वातावरण बनाने का काम पूरा कर लिया जायेगा और उसकी समीक्षा की जाएगी | इसके निर्माण और रखरखाव के लिए निधि की व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकारें मिल कर करेगी |

2022 तक सभी स्कूलों जिनमें बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है में बिजली के कनेक्शन करा दिए जायेंगे और उनसे कम से कम दर से शुल्क लिया जाएगा | 2022 तक बेहतर शिक्षण के लिए सभी स्कूलों में कम्प्यूटर और इंटरनेट, अलग काबिलियत वाले विद्यार्थियों (डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स) की सहायता के लिए मूलभूत व्यवस्थाएँ और सामग्री, स्कूल परिसर के अन्दर स्वच्छ पेयजल, लड़के और लड़कियों के इस्तेमाल योग्य अलग अलग शौचालय और हाथ धोने के लिए मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध होगी | प्रभावी ढंग से विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए मूलभूत व्यवस्थाएँ और शिक्षण सामग्री में इस्तेमाल योग्य कक्षाकक्ष बोर्ड, जीवंत पुस्तकालय, विज्ञान के प्रयोग और प्रयोगशाला सम्बंधित सामग्री, कला/शिल्प सामग्री, कम्प्यूटर रूम, व्यावसायिक प्रशिक्षण के कक्ष और साथ ही साथ फर्नीचर सुसज्जित कक्षाकक्ष भी इसमें शामिल हैं |

प्रमुख शिक्षाविद, संज्ञानात्मक वैज्ञानिक, कलाकार और आर्किटेक्ट के साथ लर्निंग स्पेस डिजाईन पर परामर्श किया जाएगा जो सीखने के स्थान को अनुकूल और लुभावना बनायेंगे और इसमें स्थानीय संस्कृति, कला और परम्पराओं का भी पुट होगा | नए विद्यालयों का निर्माण इन सब बातों को ध्यान में रख के किया जाएगा |

P5.2.2. संवेदनशील और समावेशी विद्यालय संस्कृति: विद्यालयों में यह प्रयास किया जाएगा कि वह एक संवेदनशील, समावेशी और सहयोगपूर्ण संस्कृति का निर्माण और प्रदर्शन करें। इसका जिक्र प्रमुख शिक्षक/प्रधानाचार्य और शिक्षकों की सेवा शर्तों में किया जाएगा। संवेदनशील और समावेशी संस्कृति का निर्माण करने की प्रकृति और क्षमताओं का विकास एक अभिन्न उद्देश्य के रूप में सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा और CPD में शामिल किया जाएगा। स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) को स्कूल में एक संवेदनशील और समावेशी संस्कृति बनाने के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस प्रकार कि संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन (DSE) के कर्मचारी अपने कार्यों का पुनःस्थापन करेंगे। यह उनके अपेक्षित कार्यों में अंकित किया जाएगा।

समावेशी, संवेदनशील और सहयोगपूर्ण संस्कृति की प्रेक्टिस को स्कूलों के बीच में साझा किया जाएगा। अच्छी और नवाचारी प्रैक्टिसेज को मान्यता दी जाएगी - जैसे प्रधानाचार्य का शिक्षकों से आदरपूर्वक संवाद करना, शिक्षकों का विद्यार्थियों और अभिभावकों से आदरपूर्वक बातचीत करना; जिम्मेदारियों का सुनियोजन; सीखने के संसाधनों की सबकी उपलब्धता, व्यवस्थित स्कूल कैलेंडर और टाइम टेबल, स्कूल में शिक्षकों और विद्यार्थियों की भागीदारी; और सभी समुदाय के विद्यार्थियों (खास तौर से वंचित समूह) के साथ बिना भेदभाव और समानता का व्यवहार।

P5.2.3. यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक पूरी लगन और क्षमता के साथ पढ़ा सकेंगे और कोई भी गैर शिक्षण कार्य नहीं करेंगे: स्कूल के निर्धारित कार्यक्रमों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा ताकि शिक्षक अपने काम का पूरा समय शिक्षण कार्य को करने और उसमें निपूरणता लाने में बिता सकें।

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित चुनाव ड्यूटी और कुछ सर्वे के अलावा शिक्षकों को स्कूल के दौरान कोई भी गैर शिक्षण गतिविधि नहीं करनी होगी न ही करने के लिए कहा जाएगा। गैर शिक्षण कार्य जैसे मिड डे मील बनाना, टीकाकरण अभियान में भाग लेना, स्कूल में सामग्री की खरीदारी या कोई भी समय लेने वाला प्रशासनिक कार्य शिक्षकों द्वारा नहीं किया जायेगा। गैर

शैक्षणिक कार्य के लिए स्टाफ को नियुक्त किया जाएगा जो ज़रूरत अनुसार स्कूल काम्प्लेक्स में सभी स्कूलों के लिए उपलब्ध रहेंगे। स्कूल में बिना किसी कारण या बिना छुट्टी लिए अनुपस्थित पाए गए शिक्षक जबाबदेह होंगे।

P5.2.4. उपचारात्मक शिक्षा: शिक्षकों की मदद करने के लिए सभी स्तरों पर उपचारात्मक कार्यक्रम संयोजित किए जाएंगे जिससे कि बच्चे अपनी क्षमता अनुसार सीखें। NTP और RIAP जैसे रिमीडियल कार्यक्रमों का संचालन स्वयं शिक्षक करेंगे। शिक्षक उन विद्यार्थियों की पहचान करेंगे जिन्हें पीयर ट्यूटर या IAs की सेवाओं की ज़रूरत है और उनका शीघ्र ही ट्यूटर और सहयोगियों से संपर्क करायेंगे। शिक्षक ट्यूटर का भी चयन करेंगे और उनका NTP/IAs के कार्य में भी मार्गदर्शन करेंगे जिससे उन विद्यार्थियों को जिन्हें विशेष सहायता की ज़रूरत है, मदद मिले। RIAP एक समयबद्ध कार्यक्रम है और किसी भी मायने में सहायक या ट्यूटर शिक्षकों की जगह नहीं ले सकते हैं। दीर्घावदी में, RIAP के पूरा होने के बाद, यह शिक्षकों की ज़िम्मेदारी होगी कि वे उन विद्यार्थियों को पहचानें, जो पाठ्यक्रम में पिछड़ रहे हैं और उनके साथी विद्यार्थियों व अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर सहायता करें। शिक्षकों के कार्य भार को उपयुक्त रूप से नियोजित किया जाएगा जिससे वे इन महत्वपूर्ण कार्यों को कर सकेंगे

P5.2.5. अकादमिक सहायक संस्थानों को नया करना (SCERT, BITE, DIET, BRC, CRC, CTE, IASE): स्कूल में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा में सहायक आधारभूत संरचना संबंधी विकास करने के लिए BITEs, DIETs, BRCs, CRCs, और अन्य अकादमिक सहायक संस्थाने एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक निवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह संस्थानें स्कूल आधारित शिक्षक सहयोग और मार्गदर्शन, संसाधनों की उपलब्धता, पेशेवर विकास और गुणवत्ता की जांच और निरीक्षण में मदद करते हैं। दीर्घकाल में शिक्षकों की सहायता और शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार में जिला और उप जिला स्तर पर इन सहायक संस्थानों की एक अच्छे से संयोजित और संसाधित व्यवस्था जो की सीधे स्कूल काम्प्लेक्स से जुड़ी होगी, कारगर रहेगी। इस व्यवस्था में स्कूल काम्प्लेक्स स्तर पर CRCs को BRCs के ज़रिये BITEs और DIETs से जोड़ा जाएगा। इसे शिक्षा के दीर्घकालिक उद्देश्य और स्कूलों की गुणवत्ता और शिक्षक शिक्षा में सुधार के

लक्ष्य में शामिल किया जायेगा | मौजूदा अकादमिक संस्थानों को मज़बूती देने के लिए एक चिंतनशील योजना का निर्माण और उसका क्रियान्वयन किया जायेगा |

P5.2.6. समुदाय से जुड़ाव: स्थानीय प्राशासन को बढ़ाने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण हितधारकों (शिक्षक समेत) को शासन की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए, प्रत्येक शिक्षक को बारी बारी से SMC और SCMC का सदस्य बनाकर समुदाय के साथ जुड़ने और काम करने का मौका दिया जाएगा |

P5.2.7. शिक्षकों के लिए भारतीय भाषाओं में पाठन सामग्री: शिक्षक और अध्यापक शिक्षकों के लिए उच्च गुणवत्ता की सामग्री को भारतीय भाषाओं में विकसित किया जाएगा | आदिवासिय भाषाओं को प्राथमिकता दी जाएगी | इससे यह सुनिश्चित होगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्थानीय भाषा में हो और सभी बच्चे उसमें शामिल हो सके | इसमें नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निधि की व्यवस्था की जाएगी और इसे लम्बे समय में किया जाएगा | उन विश्वविद्यालयों/विभागों को ढूँढा और उनकी सहायता की जाएगी जो अनुवाद और पुष्टिकरण के काम की ज़िम्मेदारी लेंगे | सामग्री को डिजिटल और प्रिंट, दोनों में निकाला जाएगा | शिक्षक और अध्यापक शिक्षकों को स्थानीय भाषा में सामग्री निर्माण के लिए प्रेरित किया जाएगा |

5.3. सतत पेशेवर विकास

शिक्षकों की रुचियों के विकास, उनकी निरंतर शिक्षा और अपने पेशे में तरक्की के लिए CPD के प्रति एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना होगा | शिक्षक के लिए विभिन्न अवसरों को उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें शिक्षक अपने अनुभवों, प्रक्टिसेस और विचारों को एक दुसरे के साथ साझा कर सकें और अपने ज्ञान को सुदृढ़ कर सकें |

शिक्षक अपने पेशे में इस तरह का विकास कर पायेंगे कि वे स्कूलों में अकादमिक संयोजक या निरीक्षक, शैक्षिक प्रशासक, मार्गदर्शक और शिक्षक शिक्षा संस्थानों में संकाय सदस्य बन सकेंगे | एक सामान्य प्रक्रिया है कि कुछ शिक्षक क्लस्टर और BRC में विशेषज्ञ (रिसोर्स

पर्सन) के रूप में काम करते हैं, इस प्रक्रिया को करियर में उन्नति के अवसर की तरह देखा जाएगा जिसका 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होगा। इस नई भूमिका को निभाने के लिए अनुभवी शिक्षकों का काम ना सिर्फ स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना होगा, बल्कि शिक्षक कि तैयारी सम्बंधित कार्यक्रम को बेहतर बनाना भी होगा। CPD में यह आवश्यक होगा कि शिक्षकों की पहुँच मान्यता प्राप्त प्रमाणित और माड्यूलर कार्यक्रमों तक हो।

P5.3.1. शिक्षकों के सतत पेशेवर विकास के लिए लचीला और मॉड्यूलर दृष्टिकोण:

शिक्षकों की पहुँच होनी चाहिए कि वे अल्प समयावधि के सर्टिफिकेट कौर्स कर सकें। मॉड्यूलर दृष्टिकोण के अंतर्गत शिक्षक क्रेडिट्स और डिप्लोमा अर्जित कर सकेंगे जिसे निश्चित मापदंडों अनुसार प्रोफेशनल डिग्री (एम् ए इन एजुकेशन या एम्.एड डिग्री) में रूपांतरित किया जा सकेगा। विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों में या फिर पेशेवर विकास केन्द्रों में इन प्रमाणित कोर्सेज को उपलब्ध कराया जाएगा। यह पूर्ण कालिक, अंशकालिक, सायंकालिक, मिश्रित और आनलाईन प्रारूप में भी उपलब्ध होंगे। शिक्षकों को शोध करने और पेशेवर समुदाय से संपर्क के अवसर भी प्राप्त होंगे जिससे वे पेशेवर ज्ञान को विकसित और साझा कर पायेंगे। सेवारत शिक्षकों को, विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों को एक महत्वपूर्ण विद्यार्थी समूह के रूप में देखना चाहिए ताकि कार्यक्रमों को शिक्षकों के शोध और शिक्षा की आवश्यकता अनुसार विकसित और उपलब्ध कराया जाए।

पेशेवर विकास की यह ज़रूरतें और मार्ग वर्तमान में पहले से स्थापित कार्यक्रमों के अतिरिक्त है जिनमें कार्यशालाएं, सेमीनार, छोटे कोर्स, शिक्षकों कि बैठकें, सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा कोर्स शामिल है जो शिक्षणशास्त्र, शिक्षा की समझ, स्कूल में समाज सेवा, प्रशासन और नेतृत्व जैसे विषयों से सम्बंधित है।

P5.3.2. सतत पेशेवर विकास में सुधार: निम्न विचारों को ध्यान में रखते हुए सभी CPD कार्यक्रमों की रूप रेखा को बदला जाएगा:

- a. सभी स्तर और विषयों के एकीकृत पाठ्यक्रम का निर्माण करा जाएगा। इसमें विषयवस्तु, विषयवस्तु का शिक्षणशास्त्रीय ज्ञान, स्कूल संस्कृति का

विकास, कक्षाकक्ष प्रक्रियाएँ तथा प्रधानाचार्य/प्रमुख संचालक/स्कूल काम्प्लेक्स प्रमुख के लिए प्रबंधन, प्रशासन, संसाधनों की साझेदारी, वित्त का प्रभावी संचालन और नेतृत्व शामिल होगा।

- b. शिक्षक यह चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे क्या और किस विधि से सीखना चाहते हैं। शिक्षकों को सीखने की विभिन्न विधाओं में से चयन करने के अवसर दिए जायेंगे। जैसे: विशेषज्ञ द्वारा संचालित, सहकर्मियों के सहयोग से, स्व निर्देशित, कार्यशाला, मिश्रित, आनलाईन आदि। यह सभी CPD पाठ्यक्रम से मार्गदर्शित होंगे और इसमें छोटी और बड़ी कार्यशालाएँ, छोटी चर्चाएँ, एक्सपोज़र विजिट, कक्षा कक्ष में प्रदर्शन, आनलाईन ऐप और विषय वस्तु, तथा अन्य रचनात्मक तरीके शामिल होंगे।
- c. शिक्षक प्रत्येक वर्ष में अपने चयनित माध्यमों से CPD के कम से कम 50 घंटों के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

P5.3.3. शिक्षकों का स्व निर्देशित पेशेवर विकास: सभी राज्यों को एक तकनीकी व्यवस्था बनानी चाहिए जो विकल्प आधारित CPD को सुनिश्चित कर सके और इससे प्रत्येक शिक्षक की पेशेवर मार्ग को देखा जा सके। व्यक्तिगत विकास के लक्ष्यों पर आधारित इस व्यवस्था को शिक्षक, मुख्य शिक्षक और प्रधानाध्यापक को विकास के दृष्टिकोण से उपयोग करना चाहिए। इन प्रयासों के लिए अच्छी अकादमिक और सामाजिक समझ की जरूरत है, लेकिन इनको जरूर से किया जाना चाहिए ताकि “आदेश और नियंत्रण” के तरीके से सीखने की जगह खुद/साथियों से सीखने की संस्कृति विकसित हो। CPD को स्कूल काम्प्लेक्स में ही किया जाएगा और इसमें नज़दीकी CRCs को उपयोग में लाया जाएगा। CRCs में सुधार करके इनको सीखने के एक संसाधित और मनोहर मंच में तब्दील किया जायेगा। नियमित बातचीत की प्रक्रिया जैसे स्कूल काम्प्लेक्स की बैठकों को सहकर्मियों की सहायता से CPD के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।

P5.3.4. सतत पेशेवर विकास के लिए आनलाईन संसाधन: CPD के लिए ICT का व्यापक इस्तेमाल किया जाएगा | शिक्षकों को स्कूल और घर में इंटरनेट और तकनीकी मंच उपलब्ध कराये जायेंगे | CPD का कोई केंद्रीकृत मॉडल, कैस्केड मॉडल या सख्त मानदंड नहीं होंगे |

ICT आधारित CPD को करने के लिए सन्दर्भ व्यक्ति का ध्यानपूर्वक चयन किया जाएगा तथा इनकी भूमिका का एक निश्चित कार्यकाल होगा | इन सन्दर्भ व्यक्तियों की क्षमताओं का CPD की गुणवत्ता पर खास असर होगा, इसीलिए उनकी क्षमताओं को विकसित करने के उचित निवेश किया जायेगा | इनको उत्कृष्ट शिक्षकों में से चयनित किया जाएगा और इन्हें अपने ज्ञान का लगातार विकास करने के लिए अवसर प्रदान किए जायेंगे |

CPD के विकास और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिविल सोसाइटी के साथ सहकार्यता को बढ़ावा दिया जाएगा | ये कार्यक्रम स्पष्ट पाठ्यक्रम के ढांचे पर आधारित होंगे जो शिक्षण, विषयों के परस्पर संबंध, स्कूल संस्कृति, संचालन, प्रबंधन, संसाधनों के सहभाजन और नेतृत्व जैसे मुद्दों को संबोधित करेंगे |

P5.3.5. स्कूल में शिक्षक विकास की प्रक्रिया: प्रत्येक प्रमुख शिक्षक और/अथवा स्कूल प्रधानाध्यापक स्कूल में शिक्षक विकास की एक मज़बूत प्रक्रिया को बनाने के लिए उत्तरदायी होंगे | साथ ही साथ एक मददगार स्कूल संस्कृति का निर्माण करेंगे जहाँ पर शिक्षक अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकेंगे | इस कार्य को शिक्षकों की भूमिका में परिभाषित और मूल्यांकित किया जाएगा | इस प्रयास में शिक्षक और प्रमुख शिक्षक स्कूल काम्प्लेक्स में उपस्थित समुदाय की सहायता ले सकते हैं |

P5.3.6. उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान: ऐसे उत्कृष्ट शिक्षक जो अपने स्कूल में अच्छे, नवीन, और परिवर्तनकारी प्रयास कर रहे हैं तथा विद्यार्थियों, अभिभावकों, प्रधानाध्यापकों और स्कूल काम्प्लेक्स प्रमुखों द्वारा नामांकित और अनुशंसित हैं, उनको स्कूल, स्कूल काम्प्लेक्स, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे वार्षिक उत्सवों पे सम्मानित और प्रोत्साहित किया जायेगा |

5.4. करियर मैनेजमेंट

P5.4.1. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टेन्योर ट्रैक सिस्टम सभी स्तर पर शिक्षकों को नियुक्त करने के एक टेन्योर ट्रैक सिस्टम को स्थापित किया जाएगा | इस टेन्योर ट्रैक सिस्टम में शिक्षकों को 3 वर्ष के लिए प्रोबेशन/कार्यकाल पर रखा जाएगा और इसके बाद उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर उनका स्थायीकरण किया जाएगा | स्थायीकरण/कार्यकाल का निर्णय कई कारकों पर निर्भर करेगा जिसमें सहकर्मियों द्वारा समीक्षा, कार्य समर्पण और कक्षा कक्ष मूल्यांकन भी शामिल है | इसके समीक्षा का ढांचा SCERTs द्वारा बनाया जाएगा | यह सिर्फ कथान्वय/वृत्तांत पर आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि इसमें दीर्घकालिक कार्यों का तथ्यों सहित मूल्यांकन और आंकलन शामिल होना चाहिए | इस मूल्यांकन के बहु-स्रोत होने चाहिए; सहकर्मियों द्वारा समीक्षा, निरीक्षक और अभिभावक द्वारा समीक्षा, और काम का वास्तविक प्रमाण इसमें शामिल होने चाहिए | यह व्यवस्था पेशेवर रूप से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होगी |

P5.4.2. स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में सेवा की परिस्थिति में समानता: जल्द से जल्द और लम्बे समय में, शिक्षकों का वेतन और कार्य करने की शर्तें उनकी सामाजिक और पेशेवर दायित्वों के अनुरूप रखी जाएंगी | यह इस प्रकार की होनी चाहिए कि प्रतिभावान शिक्षकों को आकर्षित और काम करने के लिए प्रेरित कर पाए | बुनियादी स्तर से माध्यमिक स्तर तक सभी शिक्षकों के लिए उनके कार्य के अनुसार मानक सेवा की शर्तें और समान वेतन होगा | सभी शिक्षकों को अपने शिक्षण के स्तर (बुनियादी, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च प्राथमिक स्तर) में बने रहते हुए करियर में उन्नति (वेतन, पदोन्नति, आदि) करने के अवसर प्राप्त होंगे | इस कदम को यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया जाएगा कि स्कूल के एक ही स्तर में बने रहते हुए ही शिक्षकों के करियर में उन्नति (वेतन और पदोन्नति) हो | यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बुनियादी स्तर से अगले स्तर के शिक्षण पे जाने पर शिक्षक को करियर प्रगति से संबंधित कोई

प्रोत्साहन न प्राप्त हो (हालाँकि स्तर बदलने की अनुमति होगी यदि शिक्षक कि रुचि और योग्तायें आगे जाने के अनुसार हो)।

यह इस बात का समर्थन करने के लिए है कि स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों के लिए उच्च गुणवत्ता के शिक्षकों की आवश्यकता होगी और इस प्रकार किसी एक स्तर को दूसरे स्तर से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझा जाएगा। बल्कि बुनियादी शिक्षा को बराबर एहमियत दी जाएगी और बुनियादी स्तर की शिक्षा के लिए उच्च योग्यता के शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। अतः दस वर्षों में (2030 तक) सभी शिक्षकों के लिए 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम अनिवार्य हो जाएगा और सभी स्तरों पर सबका वेतन और पदोन्नति व्यवस्था समान कर दी जाएगी।

P5.4.3. पदोन्नति और वेतन बढ़त द्वारा पेशेवर प्रगति: वर्तमान में शिक्षक जिस स्तर के स्कूली शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, उसी स्तर पर रहते हुए शिक्षक मेरिट आधारित पदोन्नति और वेतन बढ़त से अपने करियर में प्रगति कर सकेंगे। इसका उद्देश्य होगा कि एक स्पष्ट पदोन्नति और वेतन प्रगति मार्ग स्थापित हो जिससे पेशेवर विकास और उपलब्धि को चिह्नित किया जा सकेगा और शिक्षकों के उत्कृष्ट काम को निरंतर प्रोत्साहित किया जा सके।

प्रत्येक स्तर में शिक्षकों के लिए कम से कम पांच पदोन्नति के स्तर होंगे, जिनको अर्ली टीचर (बिना कार्यकाल के), अर्ली टीचर (कार्यकाल के साथ), प्रोफ़ीशिएन्ट टीचर, एक्सपर्ट टीचर और मास्टर टीचर में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रत्येक पदोन्नति स्तर/दर्जे पर वेतन का एक निर्धारित स्तर होगा, जिसको शिक्षक मेरिट और प्रदर्शन के अनुसार प्राप्त कर सकेंगे।

इन स्तरों के लिए पेशेवर मानकों को निर्धारित किया जायेगा (नीचे P5.4.4 देखें) जिसमें इन स्तरों में शिक्षकों से अपेक्षाएँ भी शामिल होंगी। जैसे, मास्टर टीचर से यह अपेक्षित है स्कूल शिक्षण के अतिरिक्त वह स्वयं अपने क्षेत्र के शिक्षकों के CPD के लिए रिसोर्स पर्सन के रूप में भी कार्य करेगा।

P5.4.4. शिक्षकों के लिए पेशेवर मानक: स्पष्ट रूप से बनाये गए पेशेवर मानक शिक्षकों के करियर का मार्गदर्शन करेंगे। 2022 तक एक समान मार्गदर्शन के

लिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स (NPST) को विकसित किया जाएगा। इसका समन्वयन राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (नेशनल काउन्सिल ऑफ टीचर्स एड्युकेशन (NCTE) और NCERT द्वारा किया जाएगा। इसमें SCERTs, सभी स्तर और क्षेत्रों के शिक्षक, शिक्षक की तैयारी और विकास हेतु संस्थान और उच्च शिक्षण संस्थान भी शामिल होंगी।

प्रत्येक राज्य, स्वयं के विशिष्ट मानक; राज्य प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स (SPST) को विकसित कर सकता है, जिसका समन्वयन SCERT कर सकता है। इन मानकों के आधार पर शिक्षकों का करियर मैनेजमेंट होगा जिसमें कार्यकाल (प्रोबेशनरी/ टेन्योर ट्रैक पीरियड के बाद), पेशेवर विकास के प्रयास, वेतन बढ़त, पदोन्नति और अन्य मान्यता शामिल होंगे। कार्यकाल अवधि या वरिष्ठता के बजाय सिर्फ निर्धारित मानकों के आधार पर पदोन्नति और वेतन में प्रगति होगी।

2030 में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पेशेवर मानकों की समीक्षा की जाएगी और उनमें संशोधन होगा। उसके बाद हर दस वर्षों में व्यवस्था की गुणवत्ता का सख्त आनुभविक विश्लेषण किया जाएगा। शिक्षकों से अपेक्षित अलग अलग स्तर की दक्षताएँ और क्षमताओं को इन मानकों में शामिल किया जाएगा। इसमें प्रत्येक स्तर के शिक्षकों के परफॉर्मेंस अप्रैज़ल के मानक भी शामिल होंगे। यह एक निश्चित समयावधि के अंतराल पर किया जाएगा और मुख्य रूप से वेतन में बढ़त के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

इन परफॉर्मेंस अप्रैज़ल के मानकों में कठोर सूचक जिनपे समझौता नहीं किया जा सकता हैं (जैसे नियमित उपस्थिति, समय की पाबंदी, वित्तीय शिष्टाचार, शारीरिक दण्ड का इस्तेमाल न करना, आवश्यक स्कूल समारोह और बैठकों में प्रतिभागिता, आदि) और अन्य सूचक (साफ्ट इंडीकेटर्स जैसे कक्षाकक्ष में प्रभावी पशिक्षण, विद्यार्थियों की प्रगति का विकासात्मक मूल्यांकन, सीखने सिखाने की सामग्री का प्रभावी उपयोग, अभिभावकों और विद्यार्थियों के साथ सहभागिता और बातचीत की गुणवत्ता, स्कूल में गुणवत्ता पूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन) जो पेशेवर अभ्यास और क्षमताओं से सम्बंधित हैं, उनको शामिल किया जाएगा।

NPST और SPST, सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की डिजाईन के बारे में भी सूचित करेंगे।

इस कार्य की शुरुआत के लिए NCERT द्वारा पहले से ही विकसित परफॉर्मेंस इंडिकेटर फार एलीमेंटरी टीचर्स (PINDICS), एक उपयोगी दस्तावेज़ हो सकता है।

P5.4.5. शिक्षकों के लिए परफॉर्मेंस अप्रैज़ल (वार्षिक या उच्च आवृत्ति): शिक्षकों के परफॉर्मेंस अप्रैज़ल के लिए SPST आधार निर्धारित करेगा। यह मूल्यांकन प्रमुख शिक्षक और स्कूल काम्प्लेक्स के प्रमुख द्वारा किया जाएगा। वैसे ही प्रमुख शिक्षक के लिए स्कूल काम्प्लेक्स के प्रमुख और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। स्कूल काम्प्लेक्स के सभी प्रमुख का मूल्यांकन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) और जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) द्वारा किया जाएगा। यह मूल्यांकन स्पष्ट रूप से दर्ज किये गए शिक्षकों के कार्यों के तथ्य/प्रमाण पर होगा। जिसमें अनिवार्य रूप से स्कूल में उपस्थिति, स्कूल रिकार्ड, कक्षाकक्ष का अवलोकन, सहकर्मियों द्वारा समीक्षा और विद्यार्थियों की प्रगति शामिल होगी। SMC की मूल्यांकन से सहमती होनी चाहिए। 2022 तक प्रत्येक राज्य के SCERT द्वारा इस प्रक्रिया की रूपरेखा विस्तृत कर ली जायेगी।

इस प्रक्रिया से शिक्षकों की जबाबदेही को भी निर्धारित किया जा सकेगा। शिक्षक स्कूल में शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए वे विद्यार्थियों, अभिभावकों, समुदाय और जनता को जबाबदेह होंगे। शिक्षा प्रणाली में इससे पेशेवर निष्ठा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यह ध्यान देने की बात है कि सशक्तीकरण और स्वायत्तता सच्ची जबाबदेही की पूर्व शर्तें हैं और वहीं दूसरी ओर एक धमकाने/डरानेवाला वातावरण गुणवत्ता का प्रतिरोधक है। एक ऐसी जबाबदेही व्यवस्था जिसमें कुछ बातें समझौते योग्य नहीं हों और जो शिक्षकों को प्रभावी सुधार लाने में सहायक हो, वह सबसे प्रभावी ढंग से कार्य कर पायेगी। यह व्यवस्था शिक्षकों के सशक्तीकरण और स्वायत्तता को सुनिश्चित करते हुए जबाबदेही के विभिन्न कारकों को सुनिश्चित करेगी। NPST के आधार पर, SCERTs अपने अपने राज्यों में

शिक्षकों कि स्वायत्तता और सशक्तीकरण के लिए एक ढांचा और मानदंड भी विकसित करेंगे | यह उनके SPSTs का भाग होगा |

P5.4.6. शीर्ष की ओर गतिशीलता द्वारा पेशेवर प्रगति: करियर में प्रगति के लिए शिक्षक अपने स्तर और शिक्षा के स्तर के अलग अलग दर्जों में आगे बढ़ने के अलावा शैक्षिक प्रशासन या शिक्षक शिक्षा में भी आगे बढ़ सकेंगे | एक शिक्षक अपने उत्कृष्ट और स्पष्ट रूप से परिभाषित उपलब्धियां को प्रदर्शित करने के बाद निम्न चयन कर सकता है:

- a. शैक्षिक प्रशासन में जाना, या
- b. अध्यापक शिक्षक बनना | लम्बे समय में CRCs, BRCs, BITEs, DIETs, SCERTs, आदि में शैक्षिक प्रशासन के सभी पद उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगे जिनकी प्रशासनिक कार्यों में रुचि है और अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं | शैक्षिक प्रशासन और शिक्षक शिक्षा में आने के पेशेवर मानक NPST और SPSTs द्वारा निर्धारित किये जायेंगे | इसमें कम से कम उत्कृष्ट शिक्षण, नेतृत्व कौशल/प्रबंधन का अनुभव और प्रशिक्षण की ज़रूरत होगी |

5.5. शिक्षक शिक्षा का दृष्टिकोण

शिक्षक शिक्षा में बहुअनुशासनिक निवेश की आवश्यकता है, जिसमें उच्च गुणवत्ता की विषयवस्तु एवं शिक्षण शास्त्र का उचित मिश्रण हो | यह तभी प्राप्त हो सकता है जब शिक्षक की तैयारी समग्र संस्थानों में होगी जहाँ पर बहुअनुशासनिक अकादमिक कार्यक्रम और वातावरण उपलब्ध होंगे | परिणाम स्वरूप, शिक्षक की तैयारी को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए सभी स्तर पर शिक्षक की तैयारी हेतु कार्यक्रमों को बड़े बहुअनुशासनिक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में आयोजित कराया जाएगा | बहुअनुशासनिक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक शिक्षा यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षक शिक्षा पर उच्च शिक्षा के अन्य क्षेत्रों का प्रभाव हो और विद्यार्थी शिक्षक एक खुले माहौल में बहुत से अकादमिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए जैसे पुस्तकालय, इंटरनेट, पाठ्यक्रम और

अतिरिक्त गतिविधियों के माध्यम से अपना विकास कर सके। शिक्षा प्राप्त कर रहे शिक्षक अन्य विषयों के साथियों के संपर्क में आयेंगे और शिक्षा से सम्बंधित विषयों जैसे मनोविज्ञान, बाल विकास और सामाजिक विज्ञान के संकाय द्वारा पढ़ाये जायेंगे, इससे वे स्नातक होने के बाद अधिक प्रभावशाली शिक्षक के रूप में उभरेंगे। बहुअनुशासनिक वातावरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि एकीकृत कार्यक्रमों के अनुशासनात्मक घटकों को उपयुक्त विभाग के विशिष्ट सदस्य ही पढ़ाएंगे।

बी.एड. कार्यक्रम के पाठ्यक्रम के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें विशेष परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता है। जिनमें बहुस्तरीय शिक्षण, चर्चा आधारित और रचनावादी अधिगम, बुनियादी साक्षरता/संख्याज्ञान पर जोर, समावेशी शिक्षणशास्त्र, मूल्यांकन, भारत और भारतीय संस्कृति का ज्ञान, और 21 शताब्दी के विद्यार्थियों में विभिन्न कौशल विकास जैसे समस्या समाधान, आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन, नैतिक तर्कशीलता, संवाद और चर्चा की क्षमता, शामिल है।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विश्वविद्यालयों के बी.एड कार्यक्रम आस पास के अलग अलग स्तर के स्कूलों से सम्बद्ध हों। इसमें भावी शिक्षक ऊपर दिए कौशलों को उभारने और वास्तव में शिक्षण अनुभव प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी शिक्षण करेंगे। बी.एड, विद्यार्थियों का यह प्रशिक्षण और सम्पूर्ण शिक्षा उत्कृष्ट शिक्षकों के निर्माण के लिए ज़रूरी होगा।

जब तक चार वर्षीय एकीकृत बी.एड कार्यक्रम बहुअनुशासनिक विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित किये जा रहे हैं, तब तक ऐसी भ्रष्ट और रद्दी शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बिना कुछ शिक्षण किये सिर्फ डिग्रीयां बेचती हैं को बंद किया जायेगा। शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की निष्ठा और गुणवत्ता के लिए यह शीघ्र बंद करना आवश्यक है। 2030 तक शिक्षक शिक्षा के सारे बी.एड. कार्यक्रमों का संचालन सिर्फ बहुअनुशासनिक महाविद्यालयों में ही होगा।

शिक्षक शिक्षा में बदलाव के लिए उच्च शिक्षा व्यवस्था में जो आवश्यक कदम लेने हैं, उनकी अध्याय 15 में विस्तार से बताया गया है। नीचे शिक्षक शिक्षा के दृष्टिकोण के कुछ मूलभूत पहलुओं के बदलावों के बारे में बताया गया है। स्कूलों में जोशीले, प्रेरित, सुयोग्य और सम्पूर्ण रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों को सुनिश्चित करने के लिए इन बदलावों को अपनाया जाएगा।

P5.5.1. शिक्षक शिक्षा को विश्वविद्यालय व्यवस्था में लाना; 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड.

कार्यक्रम: सभी स्तर (बुनियादी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक) की शिक्षक शिक्षा बहुअनुशासनिक विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षण व्यवस्था में होगी। यह स्तर अनुसार 4 वर्षीय एकीकृत बी. एड. कार्यक्रम के रूप में होगी जिसमें विषय वस्तु, शिक्षण शास्त्र और व्यवहारिक प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा के लिए 4 वर्षीय एकीकृत बी. एड. कार्यक्रम को विश्वविद्यालय स्तर पर ड्यूल डिग्री (शिक्षा के साथ किसी अन्य विषय में) स्नातक कार्यक्रम के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार से इसमें दोनों, अनुशासनिक और शिक्षक की तैयारी सम्बंधित कोर्स शामिल होंगे।

प्रत्येक बी.एड. कार्यक्रम को 10-15 स्कूलों के साथ सम्बद्ध कर दिया जाएगा जहाँ पर विद्यार्थी शिक्षक का शिक्षण का प्रशिक्षण होगा। बी.एड. कार्यक्रम के विद्यार्थी इनमें से किसी एक स्कूल में एक निश्चित समय के लिए विद्यार्थी शिक्षण करेंगे। यहाँ पर इनको एक शिक्षक द्वारा मेंटर किया जायेगा। पहले ये मेंटर की कक्षा का ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे और फिर उस कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाएँगे तथा मेंटर से फीडबैक भी लेंगे। मेंटर के मार्गदर्शन में बी.एड. के विद्यार्थी रेमिडियल कार्य और अन्य शिक्षण सम्बंधित कार्य भी करेंगे।

शिक्षा के अलग अलग क्षेत्र जिसके लिए बी.एड. कार्यक्रम में शिक्षक तैयार किये जायेंगे:

- a. बुनियादी और प्राथमिक स्तर के स्कूल में जनर्लिस्ट (एक से अधिक विषय पढ़ाने वाला) शिक्षक;
- b. उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्कूल में विषयों के शिक्षक;
- c. स्पेशल एजुकेशन के लिए शिक्षक;
- d. कला के शिक्षक (विजुअल और परफोर्मिंग आर्ट);
- e. व्यवसायिक शिक्षा के लिए शिक्षक; और
- f. शारीरिक शिक्षा के लिए शिक्षक।

चार वर्षीय डिग्री अन्य स्नातक डिग्री के बराबर होगी | चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. के विद्यार्थी आगे चल कर अपने विषय या शिक्षण शास्त्र के किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में दाखिले के लिए योग्य होंगे |

P5.5.2. शिक्षण में लेट्रल एंट्री के लिए दो वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम: स्नातक डिग्री धारकों के लिए दो वर्ष का बी.एड. कार्यक्रम अनेक विषयों में उपलब्ध होंगे | इससे स्कूल के अलग अलग स्तर के लिए जैसे उच्च प्राथमिक और माध्यमिक में विषयों के शिक्षक तैयार हो सकेंगे | इस कार्यक्रम में कठोर व्यवहारिक प्रशिक्षण शामिल होगा | चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम के अतिरिक्त दो वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम उपलब्ध होने से वो लोग भी शिक्षण पेशे में आ पाएंगे जो पढाई के अगले स्तर पे है | इससे शिक्षण पेशे में विविधता भी आएगी | यह दो वर्षीय कार्यक्रम कॉलेज ऑफ़ टीचर एजुकेशन (CTEs), रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एजुकेशन (RIEs) और अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध होगा जब तक चार वर्षीय एकीकृत डिग्री विश्वविद्यालयों में अपने शुरुआती दौर में है और पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी चार वर्षीय स्नातक डिग्री नहीं प्राप्त कर लेते | इसके बाद दो वर्षीय डिग्री सिर्फ़ उन बहुअनुशासनिक संस्थानों में रहेगी जहाँ पर चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम उपलब्ध होगा | उन विद्यार्थियों के लिए जिनके पास चार वर्षीय लिब्रल बैचलर्स डिग्री है, या वो जिनके पास विषय का शिक्षक बनने के लिए विशेष योग्यता है (जैसे किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री); उनके लिए दो वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम के बनिस्पत एक कम समय का उपयुक्त रूप से संरचित विशेष बी.एड. कार्यक्रम कराया जा सकता है | यह कार्यक्रम चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. उपलब्ध कराने वाले बहुअनुशासनिक संस्थानों द्वारा ही चलाया जा सकता है |

P5.5.3. विशिष्ट विषयों के लिए स्पेशियलाईज्ड इंस्ट्रक्टर: कुछ विशिष्ट विषयों के लिए या फिर स्थानीय दक्षता जिसमें स्थानीय पारंपरिक कला, संगीत, व्यवसायिक कौशल, भाषा, कविता, साहित्य, व्यापार या अन्य स्थानीय कौशल शामिल हैं, उनके लिए स्थानीय विशेषज्ञों को “स्पेशियलाईज्ड इंस्ट्रक्टर” के रूप में नियुक्त किया जाएगा | स्कूल काम्प्लेक्स द्वारा संचालित एक छोटे दस दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम के बाद ये “स्पेशियलाईज्ड इंस्ट्रक्टर” स्कूल और स्कूल काम्प्लेक्स में पढ़ाएंगे | यह स्थानीय कला, भाषा, कौशल, आदि को पाठ्यचर्या

में आसानी से शामिल होने में मदद करेगा और समुदाय के प्रख्यात सदस्यों को आगे आने और विद्यार्थियों के साथ अपना ज्ञान साझा करने के लिए प्रेरित करेगा।

P5.5.4. घटिया एकल शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बंद करना: भ्रष्ट और खराब शिक्षक शिक्षा संस्थानों की समीक्षा और उनको बंद करने की प्रक्रिया को तुरन्त शुरू कर दिया जाएगा। अच्छे TEIs को अपने आप को 3 से 5 वर्षों में बहुअनुशासनिक HEIs में तब्दील करने का अवसर होगा। खराब प्रदर्शन करने वाले शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बंद करने के लिये नेशनल हाईर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी (NHERA) के सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (RSA) द्वारा एक ठोस कानून (चैप्टर 23 देखें) बनाया जायेगा। यह संस्थाने चलाने वाले लोग अपनी संस्थान का अन्य उपयोग, जैसे व्यवसायिक शिक्षा करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सेक्शन 16.1 भी देखें

P5.5.5. चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम के शिक्षण शास्त्रीय पहलू: बहुअनुशासनिक ज्ञान और विद्यार्थी द्वारा चयनित विशिष्ट विषयवस्तु ज्ञान के अलावा चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम के शिक्षण शास्त्रीय पहलू में थ्योरी और प्रैक्टिस का मिश्रण होगा। विद्यार्थी इस कार्यक्रम में विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों के साथ शिक्षार्थी केन्द्रित और सहयोगपूर्ण सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं के बारे में सीखेंगे। उनके कोर्स में प्रशिक्षण की वैविधता शामिल होगी। जैसे अवांछनीय समूहों की महिलाओं, सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों और अलग काबिलियत वाले लोगों को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए। प्रशिक्षणार्थी शिक्षण के इन तरीकों को अपने शिक्षण अभ्यास में उपयोग करेंगे जिससे उन्हें कक्षाकक्ष का अनुभव प्राप्त हो सकेगा। लिखित परीक्षा कि जगह, या फिर इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट, रुबरिक्स, पोर्टफोलियो, कांसेप्ट मैप और माक क्लासरूम अवलोकन जैसी प्रक्रियाएँ होंगी। इससे नियमित रूप से शिक्षा के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति का निरंतर मूल्यांकन होता रहेगा।

P5.5.6. विशिष्ट शिक्षक: स्कूल शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट शिक्षकों की तात्कालीन आवश्यकता है। इन विशिष्ट ज़रूरतों के कुछ उदाहरण हैं, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर में CWSN के लिए विषयों के शिक्षक, एकमात्र रुचि और प्रतिभा वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षक और ऐसे छात्र जिनको सीखने में

कठिनाई (लर्निंग डिसेबिलिटी) होती है, उनके लिए शिक्षक । इन शिक्षकों को सिर्फ विषय शिक्षण ज्ञान और विषय सम्बंधित शिक्षा के उद्देश्यों की समझ ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की विशेष ज़रूरतों को समझने के लिए उपयुक्त कौशल भी होने चाहिए ।

एक सामान्य स्पेशल एज्युकटर प्राथमिक स्कूल के विषय क्षेत्र में और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर में विषय शिक्षक के रूप में निपुण हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं की एक स्पेशल एज्युकटर को स्कूल के उच्च स्तर पर विषय शिक्षण का पर्याप्त ज्ञान हो । इसी तरह से एकमात्र रुचि और प्रतिभा रखने वाले विद्यार्थियों की अच्छी शिक्षा एक अनुभवी शिक्षक द्वारा ही हो सकती है । अतः इन क्षेत्रों में विषय शिक्षकों और सामान्य शिक्षकों को उनके शुरुआती दौर में या फिर सेवा पूर्व शिक्षक की तैयारी पूरी होने के बाद द्वितीय विशेषज्ञता विकसित की जा सकती है। इसके लिए सेवारत मोड उनको प्रमाणित कोर्स बहुअनशासनिक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पूर्णकालिक या अंशकालिक/मिश्रित कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा ।

अध्याय 6

समतामूलक और समावेशी शिक्षा

उद्देश्य:

एक समतामूलक और समावेशी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना जिससे सभी बच्चों के सीखने और सफल होने के समान अवसर उपलब्ध हों और परिणामस्वरूप वर्ष 2030 तक सभी लैंगिक और सामाजिक वर्गों की शिक्षा में भागीदारी और सीखने के प्रतिफल के स्तर पर समानता सुनिश्चित हो.

शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता हासिल करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य है, बल्कि समतामूलक और समावेशी समाज निर्माण के लिए भी अनिवार्य कदम है, जिससे हर नागरिक को सपने संजोने, विकास करने और राष्ट्र-हित में योगदान देने के अवसर उपलब्ध हों। दुर्भाग्य से, लैंगिक, सामाजिक-आर्थिक और विशेष-आवश्यकता जैसे कारकों के आधार पर होने वाले पूर्वाग्रह और पक्षपात के कारण लोगों की शिक्षा व्यवस्था से लाभान्वित होने की क्षमता प्रभावित होती है जिससे सामाजिक दरारें बढ़ती हैं। यह राष्ट्र के विकास और प्रगति को बाधित करती हैं। यह नीति एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को गढ़ने का लक्ष्य रखती है जिससे भारत का कोई भी बच्चा, अपने जन्म या पृष्ठभूमि सम्बन्धी परिस्थितियों के कारण सीखने और श्रेष्ठता की ओर बढ़ने के अवसर से वंचित न रह जाये।

आंकड़े बताते हैं कि पिछले तीन दशकों में भारतीय शिक्षा व्यवस्था (और एक के बाद एक आई सरकारी नीतियों ने) स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर लैंगिक और सामाजिक वर्गों के बीच गैर-बराबरी को दूर करने में काफी पहल तक सफलता पायी है। इसके बावजूद, ऐतिहासिक रूप से अल्प-प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए बड़ी असमानताएं, विशेषकर माध्यमिक स्तर पर, आज भी मौजूद हैं।

शिक्षा में URGs के अंतर्गत व्यापक रूप से विशेष लैंगिक पहचान (जिनमें महिलाएं और ट्रांसजेंडर शामिल हैं), सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान (जैसे SC, ST, OBCs, मुस्लिम और

प्रवासी समुदाय), विशेष आवश्यकता वाले (जिन्हें सीखने में विशेष चुनौतियाँ पेश आती हैं) और विशेष सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों वाले (जैसे शहरी गरीब) लोग आते हैं। हालाँकि कक्षा 1 से 12 तक लगातार ही सकल नामांकन में गिरावट देखी जाती है (जिसका पूरे देश के स्तर पर ही समाधान खोजे जाने की जरूरत है और अध्याय 3 में इस पर चर्चा भी की गयी है)। इनमें से कई URGs के सन्दर्भ में नामांकन में गिरावट कहीं ज्यादा नज़र आती है। U-DISE 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार SC समुदाय के बच्चों का प्रतिशत जो प्राथमिक स्तर पर 19.6 था, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर घटकर 17.3 प्रतिशत रह गया। नामांकन में यह गिरावट ST छात्रों (10.6 प्रतिशत से घटकर 6.8 प्रतिशत), मुस्लिम छात्रों (15 प्रतिशत से घटकर 7.9 प्रतिशत) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (1.1 प्रतिशत से घटकर 0.25 प्रतिशत) में और भी ज्यादा नज़र आती है। इन URGs के अंतर्गत केवल छात्राओं के आंकड़े देखें तो नामांकन में और भी अधिक गिरावट दिखती है। उच्च शिक्षा में URGs के नामांकन में गिरावट और बढ़ जाती है।

इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि गैर-बराबरी प्राथमिक स्तर से ही बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करती है। URGs के बच्चों की शिक्षा के शुरुआती वर्षों से लेकर स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर पेश आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए और उनके समावेश और समान भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए तुरंत ही उचित कदम उठाये जाने चाहिए। ऐसे बच्चे बड़े होकर एक समावेशी और समता-मूलक समाज के अंग बनेंगे और परिणामस्वरूप राष्ट्र में शांति, समरसता और उत्पादकता में वृद्धि होगी।

शिक्षा में भेदभाव और निष्कासन क्यों होते हैं ? URGs के बच्चों का शिक्षा से निष्कासन का पहला मूल कारण स्कूलों तक, विशेषकर गुणवत्तापूर्ण स्कूलों तक उनकी पहुँच का नहीं होना है। पिछले दशक में स्कूलों तक पहुँच के मामले में भारी वृद्धि होने के बावजूद अल्प-प्रतिनिधित्व वाले समूहों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में पूर्व-प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच को लेकर आज भी बहुत बाधाएं मौजूद हैं (कृपया देखें – अध्याय 1 और 3)।

हालाँकि, समस्या पहुँच भर की नहीं है। यदि URGs से कोई बच्चा एक गुणवत्तापूर्ण स्कूल में दाखिला पाने में सफल भी हो जाता है तो भी बहुत से कारक उसके सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये कारक कम उपस्थिति, निम्न अधिगम स्तर और अधिक ड्राप आउट दर को जन्म देते हैं। बहुत से आर्थिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनैतिक कारणों से

उपजे भेदभावपूर्ण व्यवहारों का एक जटिल संजाल है जो ऐसी रुकावटों को जन्म देता है।

भेदभाव और निष्कासन दोनों में **गरीबी** एक प्रमुख भूमिका निभाती है। स्कूल उपलब्ध होने के बावजूद गरीब अपने बच्चों को स्कूल भेज पाने में और स्कूल जारी रखने में संघर्ष करते दिखते हैं। गरीब परिवारों के बच्चे पोषण सम्बन्धी कमियों से भी जूझते हैं जिसका सीधा असर उनके सीखने पर पड़ता है। गरीब क्षेत्रों के स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण मूलभूत सुविधाओं, उपयोग में आने लायक सुरक्षित शौचालय और सुरक्षित पीने के पानी की उपलब्धता में कमी इत्यादि सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समुदायों के बच्चों की शिक्षा के प्रति एक घोर संवेदनहीनता दिखाते हैं। स्कूलों में अच्छे पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और शैक्षणिक सामग्रियों की अनुपलब्धता का वंचित समुदायों के बच्चों की शिक्षा पर सबसे गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है क्योंकि उन्हें घर पर तो इस तरह के शैक्षिक संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं।

भेदभावपूर्ण व्यवहारों का एक बड़ा कारण प्रचलित **सामाजिक रस्मों-रिवाज़ और पूर्वाग्रह** होते हैं, जैसे कि बहुत से समुदायों का यह विश्वास है कि लड़कियों को औपचारिक शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है! समाज में विभिन्न वर्गों के साथ होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार का प्रभाव स्कूल में भी स्पष्ट दिखता है, जैसे स्कूल में बैठक व्यवस्था का जातिगत आधार पर होना और स्कूल में होने वाले कुछ कार्यों (जैसे रसोई, सफाई आदि) को लड़कियों से ही करवाना। बच्चों पर स्कूल स्तर पर व्यवस्थाजन्य भेदभाव का शिकार होने के दूरगामी परिणाम होते हैं, जैसे कि इन समूहों के बहुत कम लोग ही बड़े होने पर शिक्षक, स्कूल नेतृत्व और शिक्षा विभागीय सेवाओं को हासिल कर पाते हैं और नियुक्त होते भी हैं तो उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भेदभाव का दुष्चक्र इस प्रकार जारी रहता है।

आखिर में - स्कूली **पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकें** भी अक्सर इस दिशा में एक भूमिका निभाती हैं। कुछ समुदायों के लिए औपचारिक शिक्षा और उनके अपने जीवन के बीच सम्बन्ध स्पष्ट नहीं होते क्योंकि पाठ्यचर्या में उनके सन्दर्भ से, उनकी परिचित और महत्वपूर्ण चीज़ों/मुद्दों का समावेश नहीं होता जिनसे वे जुड़ाव महसूस करें। वास्तव में, प्रचलित पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण पद्धतियों के विश्लेषण से एक ऐसा पक्षपातपूर्ण दृश्य उभरता है जिसमें समाज के 'प्रभावशाली' लोगों के विचारों को ही प्रधानता दी जाती है - उदाहरण

स्वरूप, पाठ्यपुस्तकों में परिवार का कमाऊ सदस्य अधिकांशतः पुरुष ही होता है; कहानियों में बच्चों के नाम सभी समुदायों से नहीं होते और शायद ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का कोई जिक्र उनमें आता हो। इस प्रकार हमारी बहुत सी कक्षागत प्रक्रियाएं वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के बच्चों को प्रेरित और प्रोत्साहित नहीं करतीं।

पूर्ण समता-मूलक और समावेशी स्कूल स्थापित करने की दिशा में क्या किया जा सकता है? अध्याय 1 से 3 में आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल, बुनियादी साक्षरता/संख्या ज्ञान और शिक्षा में पहुँच/नामांकन/उपस्थिति से जुड़ी जिन समस्याओं और नीतिगत कदमों की चर्चा की गयी है वह अल्प प्रतिनिधित्व वाले और वंचित समूहों के सन्दर्भ में प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अध्याय 1-3 में सुझाए गए उपायों पर URG के सन्दर्भ में अवश्य ही सम्मिलित प्रयास किये जाने चाहिए। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में बहुत सी सफल नीतियाँ और योजनायें (जैसे चयनित समूहों को छात्रवृत्तियाँ, माता-पिता को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करने हेतु सशर्त कैश ट्रान्सफर, स्कूल आने-जाने के लिए साईकिल उपलब्ध कराना) क्रियान्वित की गयी हैं, जिनसे कुछ क्षेत्रों में URGs की स्कूली व्यवस्था में भागीदारी में काफी वृद्धि हुई है। बीते वर्षों की इन सफल नीतियों और योजनाओं को और सशक्त बनाते हुए URGs के लिए देश भर में पुनः लागू करना चाहिए।

अध्ययन द्वारा यह भी अवश्य जांचना होगा कि कौन से उपाय किस URGs के लिए ज्यादा प्रभावी रहे हैं। उदाहरण के लिए, अपेक्षाकृत छोटी दूरियों के लिए भी, साईकिल उपलब्ध कराना और समूह में पैदल अथवा साईकिल द्वारा स्कूल आने-जाने को प्रोत्साहित करने जैसे कदम शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने में बहुत कारगर साबित हुये हैं। कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के सन्दर्भ में 'हर बच्चे के लिए एक ट्यूटर' और मुक्त विद्यालय (ओपन स्कूलिंग) प्रभावी उपाय हो सकते हैं। ऐसे स्कूल जहाँ गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था होती है, वे सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के बच्चों के लिए विशेषरूप से लाभकारी होते हैं। इसी प्रकार, शहरी गरीब क्षेत्रों में बच्चों की उपस्थिति और अधिगम स्तर में सुधार के लिए एक प्रभावी तरीका सामाजिक कार्यकर्ताओं और सलाहकारों को नियुक्त करना हो सकता है जो बच्चे, अभिभावक, शिक्षक और स्कूलों के बीच एक सेतु का काम करेंगे।

आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में URG रहते हैं। इस नीति के अनुसार ऐसे URGs बाहुल्य वाले क्षेत्रों को विशिष्ट शिक्षा क्षेत्र (स्पेशल एजुकेशन ज़ोन – SEZs) का दर्जा दिया जाए जहाँ उपरोक्त सभी नीतियों और योजनाओं को समग्र रूप से, केंद्र एवं राज्य सरकारों के अतिरिक्त बज़ट प्रावधान और सम्मिलित प्रयासों द्वारा लागू किया जाये जिससे इन क्षेत्रों के शैक्षिक परिदृश्य में वास्तविक बदलाव आ सके।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सभी URG में आधी संख्या महिलाओं की ही होती है और दुर्भाग्य से, URGs के साथ होने वाले अन्याय का सामना औरों से ज्यादा महिलाओं को करना पड़ता है। यह नीति समाज में महिलाओं की विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका, उनके वर्तमान और भावी पीढ़ियों के आचार-विचार को आकार देने में दिए जाने वाले योगदान को रेखांकित करते हुए कहती है कि URGs की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था उनकी वर्तमान और भावी पीढ़ियों के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने का सर्वोत्तम तरीका होगा। अतः नीति के अनुसार URGs के बच्चों के उत्थान के लिए बनायी जा रही नीतियाँ और योजनाएं विशेष रूप से URGs की लड़कियों पर केन्द्रित होनी चाहिए।

उपरोक्त सभी नीतियाँ और उपाय सभी URGs के समग्र रूप से समावेशन के लिए नितांत आवश्यक तो हैं पर पर्याप्त नहीं हैं। इसके साथ ही स्कूली संस्कृति में बदलाव भी जरूरी होगा। स्कूली शिक्षा व्यवस्था में भागीदार – सभी शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रशासकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सलाहकारों और विद्यार्थियों को – सभी विद्यार्थियों की जरूरतों के प्रति, समता और समावेश के विचार के प्रति और सभी व्यक्तियों के लिए आदर और सम्मान के प्रति संवेदनशील बनाने की जरूरत होगी। ऐसी शैक्षिक संस्कृति ही विद्यार्थियों के सशक्तिकरण का सबसे अच्छा तरीका है, जो अंततः समाज को अपने सबसे कमजोर नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के निर्वाह के लिए सक्षम बनायेंगे। समता और समावेश, शिक्षक शिक्षा (और नेतृत्व, प्रशासकीय और अन्य पदों हेतु होने वाले प्रशिक्षण) का एक मुख्य बिंदु होगा और URGs से उच्च क्षमतावान शिक्षक और लीडर्स को नियुक्त करने के प्रयास किये जायेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ प्रेरणास्रोत भी बनेंगे।

इस प्रकार शिक्षक और अन्य शिक्षा कर्मियों (जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता और सलाहकार) एवं स्कूल पाठ्यचर्या में किये आवश्यक बदलाव द्वारा स्थापित एक नयी स्कूली संस्कृति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने का आधार बनेगी। स्कूली पाठ्यचर्या से पक्षपातपूर्ण बातों/अंशों को हटाया जायेगा, ऐसी सामग्री को बढ़ाया जायेगा जो सभी

समुदायों के लिए प्रासंगिक हो और जिससे वे जुड़ाव महसूस करें। साथ ही सभी व्यक्तियों के प्रति सम्मान, समानुभूति, सहिष्णुता, समावेश और समता जैसे मानवीय मूल्यों को विकसित करने में सहायक सामग्री को जोड़ा जायेगा।

6.1. शिक्षा में अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के उत्थान हेतु

प्रयास

यह नीति स्कूली शिक्षा में सभी URGs के सहयोग हेतु तीव्र और संगठित नीतिगत प्रयासों की परिकल्पना करती है। इस सेक्शन में उन नीतिगत प्रयासों विवरण दिया गया है जो समता और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए किए जाएंगे और जो सभी URGs के लिए विशेष महत्व रखती हैं। आगामी सेक्शन में उन नीति सम्बन्धी प्रयासों की चर्चा होगी जो विशेषरूप से URGs के लिए हैं और जिन्हें और सशक्त किये जाने की आवश्यकता है।

P6.1.1. अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के छात्रों के लिए अध्याय 1-3 में दिए गए नीतिगत प्रावधानों पर जोर देना: अध्याय 1 से 3 में आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल, बुनियादी साक्षरता/गणना और शिक्षा में पहुँच/नामांकन/उपस्थिति के सन्दर्भ में जिन महत्वपूर्ण शैक्षिक मुद्दों को उठाया गया है वे URGs के विद्यार्थियों के सन्दर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। अध्याय 1-3 में वर्णित नीतिगत कदमों पर URGs के छात्रों के सन्दर्भ में विशेष बल दिया जायेगा।

P6.1.2. विशिष्ट शिक्षा क्षेत्र (स्पेशल एजुकेशन ज़ोन) स्थापित करना: देश भर के वंचित क्षेत्रों में विशिष्ट शिक्षा क्षेत्र स्थापित किये जायेंगे। यह देखा गया है कि मानव विकास सूचकांकों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में भी विकास को लेकर क्षेत्रीय असमानताएँ हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में URGs के छात्र अपेक्षाकृत काफी अधिक संख्या में हैं। राज्यों को प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे सामाजिक विकास और सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों के आधार पर कुछ निश्चित क्षेत्रों (जैसे कि मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र) को SEZ का दर्जा दें!

राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में किये गए हर एक रुपए के खर्च पर केंद्र सरकार अपनी ओर से 2:1 के अनुपात में अतिरिक्त निवेश करेगी और प्रति-बच्चा खर्च हेतु सहयोग प्रदान करेगी। यह अतिरिक्त निवेश इन क्षेत्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न मर्दों में खर्च किया जायेगा, जिनमें इस अध्याय और अध्याय 1-3 में दिये गए नीतिगत प्रावधानों को लागू करना, विशेषरूप से ढांचागत सुविधाओं का निर्माण, शैक्षणिक संसाधनों और शिक्षक क्षमतावर्धन हेतु विशेष सहयोग शामिल है। इन क्षेत्रों में अन्य रचनात्मक शैक्षिक प्रयास भी प्रयोग के तौर पर किए जाएँगे और सतत निरीक्षण द्वारा उनके परिणामों के आधार पर उनमें आवश्यक बदलाव किये जायेंगे।

मूल विचार यह है कि देश के सर्वाधिक जरूरतमंद क्षेत्रों में URGs के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य के साझा और सतत निरीक्षण में सभी नीतिगत प्रावधानों को सम्मिलित रूप से लागू किया जाये जिससे जल्द ही कुछ ठोस सकारात्मक बदलाव देखने को मिलें।

P6.1.3. शिक्षकों की उपलब्धता और क्षमतावर्धन:

- a. **शिक्षकों की तैयारी में समावेशी शिक्षा:** समावेशी शिक्षा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्कूली शिक्षा के शिक्षक, स्कूल नेतृत्व और अन्य शिक्षा-विभागीय कर्मियों के सेवापूर्व और सेवारत दोनों प्रकार के व्यावसायिक विकास माध्यमों का एक अभिन्न अंग होगी। ये कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे कि सभी शिक्षकों को विभिन्न शिक्षार्थियों के प्रति निरंतर संवेदनशील बनाया जाये जिससे वे विभिन्न शिक्षार्थियों, विशेष रूप से URGs, और अन्य - शिथिल शारीरिक विकास, शारीरिक-मानसिक असमर्थता और मानसिक आघात झेल रहे बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। राज्य और जिले अपने विशिष्ट सन्दर्भों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करेंगे। विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे समता और समावेश जैसे विषय पर सर्टिफिकेट कोर्स चलायें। शिक्षकों को भी ऐसे कोर्स करने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

- b. **URG से शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वैकल्पिक उपाय:** URGs से उच्च क्षमतावान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकल्पिक उपाय सोचे जायेंगे जिससे URG से शिक्षकों की कमी दूर हो। इन प्रयासों में सामान्यतः प्रचलित 'प्रशिक्षण के पश्चात् नियुक्ति मॉडल' की जगह 'नियुक्ति के पश्चात् प्रशिक्षण मॉडल' को अपनाने की जरूरत होगी।
- c. **छात्र-शिक्षक अनुपात:** URGs के छात्र-बाहुल्य वाले स्कूलों में PTR 25:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। यह अनुपात इस बात को ध्यान में रखकर सोचा गया है कि इन सभी स्कूलों में तब तक निरंतर कुछ उपचारात्मक उपाय और ब्रिज गतिविधियाँ करना आवश्यक होगा जब तक कि अधिगम स्तर में असमानताएँ दूर नहीं हो जातीं।

P6.1.4. स्कूलों में समावेशी वातावरण निर्माण: डराने-धमकाने, भेदभाव और उत्पीड़न को दूर करने हेतु व्यवस्था स्थापित करना: समावेश के भाव का उल्लंघन करने वाली प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रियाएं समाप्त की जाएँगी और समय-सारिणी और अकादमिक कैलेंडर जैसी संस्थागत प्रक्रियाएं ऐसी हों जो समुदायों और शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करती हों। URG के शिक्षार्थियों की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने, निजता के हनन को रोकने, शैक्षणिक संसाधनों पर पहुँच, गतिविधियों और आयोजनों (जिनमें खेल और आत्म-रक्षा सिखाने हेतु कक्षाएं शामिल हैं) में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्कूल नियम बनायेंगे और उन्हें लागू करेंगे।

- a. **समावेश का उल्लंघन करने वाली प्रक्रियाओं को समाप्त करना:** समता और समावेश हेतु स्पष्ट मानदंड निर्धारित होंगे जिनका पालन स्कूलों को करना होगा। स्कूलों में समता और समावेशन की स्थिति की जाँच हेतु मानदंड विकसित किये जायेंगे और स्कूल के प्रमाणन और स्व-मूल्यांकन प्रक्रियाओं में इन आधारों पर पर्याप्त जोर दिया जायेगा।
- b. **शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना:** विविध संस्कृतियों और परम्पराओं के प्रति सभी विद्यार्थियों में संवेदनशीलता और सम्मान विकसित करना होगा। इस हेतु विभिन्न कदम उठाये जायेंगे, उदाहरण के तौर पर

पाठ्यचर्या में विविध सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों सम्बन्धी विवरण शामिल करना और समुदाय विशेष या मान्यता-विशेष को लेकर व्यक्तियों की लेबलिंग पर प्रश्नचिह्न उठाना आदि। सहनशीलता, समावेश, समता, सहानुभूति, सेवा आदि मानवीय मूल्यों को पूरी पाठ्यचर्या में ही सम्मिलित किया जायेगा।

- c. **समावेशी पाठ्यचर्या:** स्कूल पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और सीखने-सिखाने की सामग्री (विशेषकर पाठ्यपुस्तकों) की समीक्षा कर उनमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में निहित पूर्वाग्रहों और रुढ़िवादी विचारों की पहचान कर उनसे मुक्त किया जायेगा।

P6.1.5. डेटाबेस का रखरखाव: नेशनल रिपोजिट्री ऑफ़ एजुकेशनल डेटा (NRED) में प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में नवीनतम जानकारी रखी जाएगी। हालाँकि कुछ शैक्षिक सूचकांक तो सभी URGs के लिए एक समान होंगे, विशेष समूहों के लिए विशेष सूचकांकों को भी ट्रैक किया जा सकता है। नेशनल इंस्टिट्यूट और एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (NIEPA) शैक्षिक दृष्टि से URGs के विद्यार्थियों को ट्रैक करने की प्रणाली विकसित करेगा। URGs के डेटा को दर्ज करने और विश्लेषित करने के साधन उपलब्ध होने से URGs के बच्चों की शिक्षा में प्रगति की प्रभावी निगरानी संभव होगी। सेंट्रल एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न (CESD), जिसे NIEPA में स्थापित किया जायेगा, इस डेटा का विश्लेषण करेगा जिससे इन समूहों को लक्ष्य बनाकर की जा रही पहलों की रूपरेखा निर्माण और क्रियान्वयन में मदद मिले।

P6.1.6. विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करना:

- a. **लक्षित समूहों को छात्रवृत्तियां:** एक विशेष राष्ट्रीय कोष URG छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां देने और संसाधनों और सुविधाओं के विकास के लिए स्थापित किया जायेगा। एक ही राष्ट्रीय एजेंसी या एकल खिड़की (single window) व्यवस्था के द्वारा, छात्र, एक सरलीकृत रूप में वित्तीय सहायता के लिए आवेदन भी कर पाएंगे और सहायता या सुविधाएँ प्राप्त न होने की स्थिति में शिकायत भी दर्ज करा पाएंगे। साथ ही, यह डेटा

NRED से भी जुड़ा होगा जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी छात्र इस सहायता या सुविधा से वंचित न हो और हमेशा उसकी निजता और गरिमा का भी सम्मान हो।

b. **सहयोग के वैकल्पिक साधन:** छात्रवृत्तियों के अलावा, सहयोग के दूसरे साधन निम्न हो सकते हैं:

- NTP और RIAP कार्यक्रमों में शैक्षिक रोल मॉडल, ट्यूटर, IAs के रूप में URGs से प्रतिभावान और मेधावी छात्रों का चयन किया जाना।
- मध्याह्न भोजन व्यवस्था के समान गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए, विशेषकर आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन के अलावा 'सुबह के नाश्ते' की व्यवस्था।
- URG के विकास से सम्बद्ध विभिन्न विभागों के अंतर्गत विशेष इंटरनशिप के अवसर उपलब्ध कराना।

P6.1.7. जिले और संस्थानों को पहुँच और समावेशन हेतु वित्तीय एवं अन्य सहयोग प्रदान करना:

- a. **जिलेवार वित्तीय सहायता:** जिन जिलों की पहचान विशेष सन्दर्भ आधारित रणनीतिक हस्तक्षेप करने और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए की गयी है, वहां पहुँच और समावेश सम्बन्धी पहल के लिए वित्तीय सहयोग का प्रावधान होगा। इसके साथ-साथ जिलों को यह स्वायत्तता भी होगी कि वह इसको जिले के हितधारकों द्वारा अपनी विशेष आवश्यकताओं के आधार पर चिन्हित किए गए ज़रूरतों पर खर्च कर सकें।
- b. **संस्थानों के लिए पर्याप्त वित्तीय और अन्य संसाधन उपलब्ध कराना:** URGs के विद्यार्थियों की विशिष्ट शैक्षिक ज़रूरतों की पहचान करने और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक पहल करने वाले संस्थानों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे। (उदाहरण के लिए

सम्बंधित समुदाय से अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, विशेष URG की जरूरतों के मुताबिक अनुवादित सामग्री, समुदाय की आवश्यकताओं की पहचान और उनके सदस्यों में स्कूल शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति आदि)

c. समावेशी शिक्षा पर स्वतंत्र शोध के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध

कराना: इसमें शिक्षकों का क्षमता संवर्धन और उन सभी योजनाओं, जो समावेशी शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए चलायी जा रही हैं, के प्रभाव का मूल्यांकन करना शामिल होगा और URG के विद्यार्थियों के ड्रॉप आउट हो जाने और निम्न अधिगम स्तर के कारणों की पहचान और समाधान खोजना शामिल होगा।

P6.1.8. अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के सहयोग हेतु नीति का समन्वित और

एकीकृत क्रियान्वयन: URGs की स्कूल शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाने के लिए किये जा रहे सभी प्रयास निश्चित लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किए जाएंगे और उनमें सावधानीपूर्वक परस्पर तालमेल सुनिश्चित किया जायेगा। शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हालाँकि मूल रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सम्बंधित राज्य/केंद्र शासित विभागों/शिक्षा मंत्रालय की है, फिर भी URGs के सदस्यों की भागीदारी हेतु एक अनुकूल व्यवस्था-तंत्र (इकोसिस्टम) तैयार किया जायेगा (उदाहरण के लिए, विशेष समूहों के सशक्तिकरण, आरंभिक वर्षों में स्वास्थ्य और पोषण, परिवहन सुविधाओं आदि के लिए समर्पित विशेष मंत्रालय)।

6.2. क्रॉस कटिंग थीम के रूप में लड़कियों की शिक्षा

दीर्घ काल से भारतीय समाज में महिलाओं और लड़कियों की ऊँची हैसियत रही है और उनकी शिक्षा को महत्व दिया जाता रहा है। हजारों वर्ष पूर्व भी, इतिहास का आरंभिक काल दर्शाता है कि महिलाएं भारतीय समाज के ताने-बाने में और राजनीति, धर्म, रक्षा, साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाती आई हैं। लड़कियों तक शिक्षा की पहुँच ही

वह मार्ग है जिससे गरीबी और हिंसा दूर होगी। यह सामुदायिक स्वास्थ्य को तो बढ़ाता ही है, साथ ही आने वाली पीढ़ियां भी इससे लाभान्वित होती हैं। इस कारण भारतीय समाज के उत्थान हेतु एक मुख्य रणनीतिक पहल महिलाओं और लड़कियों के उत्थान के लिए समेकित ध्यान देना होगा।

उपरोक्त कारणों से और शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए, यह नीति, जेंडर को नीति क्रियान्वयन के सभी पहलुओं में एक अन्तर्निहित प्राथमिकता के रूप में देखती है। मुख्य प्रयासों में शामिल होंगे:

P6.2.1. बालिका शिक्षा के लिए राज्यों और सामुदायिक संगठनों के बीच

साझेदारी: भारत सरकार सभी लड़कियों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ करने में सक्षम हो इस हेतु एक 'जेंडर समावेश कोष' विकसित किया जायेगा जो निम्न पांच स्तंभों पर केन्द्रित होगा:

- a. स्कूल व्यवस्था में 100 प्रतिशत और उच्च शिक्षा में अधिकाधिक लड़कियों की भागीदारी सुनिश्चित करना
- b. सभी स्तरों पर शैक्षिक उपलब्धि में लड़के-लड़कियों के बीच अंतर को कम करना
- c. जेंडर समता और समावेश हेतु मानसिकता में बदलाव लाना और नुकसानदेह प्रथाओं को समाप्त करना
- d. लड़कियों में नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देना जिससे वर्तमान समय और भविष्य में रोल मॉडल तैयार हों
- e. जो भी प्रभावी तरीके और सीख उपलब्ध हों उनके प्रसार के लिए सिविल सोसाइटी के साथ संवाद को बेहतर करना

इस कोष द्वारा दो प्रकार के अनुदान, 'फॉर्मूला' और 'विवेकाधीन', दिये जा सकेंगे। 'फॉर्मूला' अनुदान राज्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उन प्राथमिकताओं के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध होगा जो महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा में पहुँच की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं (जैसे स्वच्छता और शौचालय, साइकिल, सशर्त कैश ट्रांसफर आदि)।

विवेकाधीन अनुदान राज्यों को ऐसे समुदाय आधारित प्रभावी हस्तक्षेप करने हेतु दिया जायेगा जो लड़कियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में भागीदारी में स्थानीय और विशेष सन्दर्भ में मौजूद बाधाओं को दूर करेंगे। विवेकाधीन अनुदान समुदाय स्तर पर महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा में आ रही उन चुनौतियों पर खर्च किया जायेगा जिनके लिए पैसा उपलब्ध नहीं है। इन चुनौतियों की पहचान व्यापक और स्वतंत्र रूप से किए गए अध्ययनों द्वारा की जाएगी। विवेकाधीन अनुदान के कुछ प्रतिशत हिस्से का, समुदाय आधारित संगठनों की कार्यक्रम क्रियान्वयन क्षमता जाँच और क्षमता वृद्धि में तकनीकी सहायता हेतु उपयोग किया जायेगा। जिन राज्यों को इस अनुदान से राशि मिलेगी वे राज्य, शिक्षा में जेंडर की खाई को कम करने के प्रयासों के रूप में सिविल सोसाइटी से सुझाव आमंत्रित करने के लिए से विस्तृत योजना बनाएँगे।

P6.2.2. शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देना: स्कूल में संस्था प्रमुख, शिक्षक, छात्रावास वार्डन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सुरक्षा गार्ड और खेल प्रशिक्षक एवं अन्य पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षा में महिलाओं को काम पर रखने और बनाए रखने को सुगम बनाने के लिए सुविधा के लिए, संशोधित मातृत्व लाभ अधिनियम लागू किया जाएगा जिससे शिक्षकों को 'शिशु गृह (क्रेच)' की सुविधा उपलब्ध हो। नेतृत्व विकास, प्रोत्साहन कार्यक्रम, शिक्षक शिक्षा, भर्ती और नौकरी में बनाए रखने के प्रयासों से यह सुनिश्चित होगा कि महिलाएं बच्चों की शिक्षा में अग्रणी भूमिका निभाएंगी।

स्कूल शिक्षकों (विशेष रूप से कुछ ग्रामीण स्कूलों में) के बीच लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए, शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों स्तर पर योग्यता और वरीयता से समझौता किए बिना, महिला शिक्षक भर्ती के लिए वैकल्पिक रास्ते विकसित किए जाएंगे। उदाहरण के लिए, महिला शिक्षकों के कम अनुपात वाले ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, सर्वश्रेष्ठ छात्राओं और उस क्षेत्र के IAs को उत्कृष्ट शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों से जुड़ने और शिक्षक बनने हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। साथ ही प्रयास किये जायेंगे कि

अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें इन्हीं क्षेत्रों में नियुक्त करने को प्राथमिकता दी जाये।

P6.2.3. स्कूल की सुरक्षा को प्राथमिकता देना: सभी स्कूलों में, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे विश्वसनीय तंत्र विकसित किए जाएंगे जिससे स्कूल डराने-धमकाने, भेदभाव और उत्पीड़न से मुक्त हों। लड़कियों की सुरक्षा और स्कूल सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश विकसित किए जाएंगे और इन्हें संस्थागत प्रमाणन के लिए पात्रता शर्तों का एक हिस्सा बनाया जाएगा। इस ढांचे में स्कूल में होने वाली लिंग आधारित हिंसा को रोकने और उचित कार्रवाई के लिए शिक्षकों और प्रशासकों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण शामिल होगा। महिला शौचालयों का निर्माण किया जायेगा और वहां मासिक धर्म स्वच्छता सम्बन्धी उत्पाद नियमित रूप से उपलब्ध करवाए जायेंगे।

स्कूल के बाहर भी लड़कियों की सुरक्षा के प्रश्न को उनकी उपस्थिति और समग्र शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना गया है। दुर्भाग्य से, कुछ क्षेत्रों में, लड़कियां स्कूल आने-जाने में असुरक्षित महसूस करती हैं। इसलिए लड़कियों की स्कूल तक सुरक्षित और भरोसेमंद आवा-जाही सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जायेंगे जिनमें साइकिल उपलब्ध कराने जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।

P6.2.4. स्कूल अनुपस्थिति को बढ़ाने वाली सामाजिक प्रथाओं और जेंडर सम्बन्धी रुढ़ियों हेतु कदम उठाना: लड़कियों के स्कूल छोड़ने के कारणों को पहचानने और खत्म करने के लिए स्कूल और सामाजिक कार्यकर्ता अभिभावकों से सामाजिक मुद्दों पर नियमित चर्चा करेंगे। चर्चा के बिन्दुओं में से कुछ हैं - बाल विवाह, लड़कियों की हाई स्कूल और उससे आगे की पढ़ाई न करने देना, अल्प-आयु में ही लड़कों से कमाने की अपेक्षाएं रखना, महिलाओं के रोजगार करने के प्रति नकारात्मक दृष्टि रखना, स्कूल जाने की उम्र के बच्चों से पारिवारिक पेशे सम्बन्धी या घर के काम करवाना, कुल-मिलाकर औपचारिक शिक्षा की जगह दूसरी चीजों को प्राथमिकता देना। मध्यम और उच्च उत्पादकता वाली नौकरियों के बेहतर पद हासिल करने और

आर्थिक रूप से स्वायत्त होने के लिए भी औपचारिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, महिला शिक्षक जैसे प्रभावशाली रोल मॉडल की उपस्थिति (कृपया देखें P6.2.2.) महिलाओं की क्षमता और महत्वाकांक्षाओं के बारे में सामाजिक धारणाओं को बदलने में मदद करेगी।

P6.2.5. स्कूलों में जेंडर सम्बन्धी संवेदनशीलता: सभी शैक्षणिक संस्थानों और संबद्ध कार्यालयों को अनिवार्य रूप से लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता सत्र करने होंगे, जिनमें शामिल हैं - रुढ़िबद्ध लैंगिक भूमिकाओं को तोड़ना, लड़के-लड़की दोनों के साथ समान व्यवहार और उत्पीड़न मुक्त वातावरण का महत्व, लड़कियों और महिलाओं को उपलब्ध कानूनी सुरक्षा और अधिकार, जैसे लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), बाल विवाह निषेध अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम (उसमें संशोधन के साथ), कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम। शिक्षक और शिक्षा प्रशासकों के प्रशिक्षणों का लक्ष्य जेंडर संवेदनशीलता और समावेशी कक्षा प्रबंधन होगा।

P6.2.6. URG की लड़कियों पर ध्यान देने का महत्व: समाज और अगली पीढ़ियों के सामाजिक व्यवहार और शैक्षिक मूल्यों को आकार देने में महिलाओं की विशेष भूमिका होती है। साथ ही URG में भी उनका प्रतिनिधित्व कम होता है। अल्प प्रतिनिधित्व वाले सामाजिक-आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक समूहों के उत्थान हेतु किए जाने वाले सभी नीतिगत प्रयास विशेष रूप से इन समूहों के लड़कियों और महिलाओं पर केन्द्रित होंगी।

6.3. अनुसूचित जाति के समुदायों और अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बद्ध बच्चों की शिक्षा

विभिन्न ऐतिहासिक और भाषाई कारकों के कारण, SC और OBC समुदाय कई स्तरों पर गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं। स्कूली शिक्षा में सामाजिक वर्गों के बीच पहुँच, भागीदारी और अधिगम स्तर सम्बन्धी गैर-बराबरी को दूर करना सभी शिक्षा क्षेत्र के विकास

कार्यक्रमों का एक प्रमुख लक्ष्य बना रहेगा। इस गैर-बराबरी को दूर करने के लिए वर्तमान में चल रहे कार्यक्रम, और सेक्शन 6.1 में दी गयी नीति तो जारी रहेगी ही, साथ ही और जो कदम उठाये जायेंगे उनमें शामिल हैं:

P6.3.1. SC और OBC समुदायों से शिक्षकों की भर्ती: वंचित समुदायों के सशक्तिकरण के लिए उच्च शिक्षा में उठाये गए कदमों के कारण हाशिये पर जी रहे समुदायों के काफी सदस्यों ने शिक्षण डिग्री हासिल की है। फिर भी उनसे जुड़ी कई समस्याओं के चलते उन्हें नौकरी हासिल करने में मुश्किल होती है। इस सन्दर्भ में सम्बंधित मंत्रालयों और विभागों को उनकी क्षमता वृद्धि हेतु विशेष पहल लेने की जरूरत है जिससे उन्हें स्कूलों में, विशेषकर अपने गृह क्षेत्रों में जहाँ वे श्रेष्ठ रोल मॉडल बन सकें, शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया जा सके।

ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में जहाँ SC और OBC शिक्षक अपेक्षाकृत कम संख्या में हैं, SC और OBC समुदायों से सर्वश्रेष्ठ छात्रों और IAs को उत्कृष्ट शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों से जुड़ने और शिक्षक बनने हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएँगी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें इन्हीं क्षेत्रों में नियुक्त करने को प्राथमिकता दी जायेगी।

P6.3.2. अनुवादित शिक्षण सामग्री: बहुत से SC और OBC समुदायों के बच्चों की भाषा राजकीय/आधिकारिक भाषा से भिन्न होती है। इस कारण वे अपने सहपाठियों की तुलना में, जिनके स्कूल और घर की भाषा में शायद अंतर न हो, शुरु से ही समस्या का सामना करते हैं क्योंकि उन्हें स्कूली प्रक्रियाओं में भागीदारी हेतु एक नयी भाषा सीखनी पड़ती है। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी सरल पठन सामग्री इस्तेमाल की जाएगी जो स्थानीय स्तर पर बोली जाने वाली भाषा में हो। इस सामग्री को स्थानीय स्तर पर BITE/DIET के संकाय सदस्यों या अन्य अकादमिक समन्वयकों की निगरानी में बनाई जाएगी। ऐसे शिक्षकों के चयन के लिए, जो स्थानीय स्तर पर बोली जाने वाली विभिन्न भाषाएँ बोल सकते हों, सम्मिलित प्रयास किया जायेगा जिससे वे बच्चों के सीखने के माध्यम के रूप में इन भाषाओं का इस्तेमाल कर सकें और उनका सीखना बेहतर हो।

6.4 आदिवासी समुदाय के बच्चों की शिक्षा

बहुत से ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों से आदिवासी समुदाय और आदिवासी बच्चे कई स्तरों पर गंभीर वंचनाओं का सामना करते हैं। आदिवासी समुदाय के बच्चे अक्सर स्कूली शिक्षा के अप्रासंगिक होने और अकादमिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उनके जीवन से कटे होने की बात करते हैं। हालाँकि आदिवासी बच्चों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगे लेकिन कभी-कभी बच्चों को भौगोलिक बाधाओं, सजगता की कमी, प्रबंधन और समुदाय में इन सुविधाओं की जानकारी के अभाव के कारण इन कार्यक्रमों का लाभ नहीं मिल पाता। इस कारण सेक्शन 6.1 में वर्णित सभी नीतिगत प्रावधान आदिवासी समुदाय के लिए भी बहुत महत्व रखते हैं।

P6.4.1. सार्थक शिक्षा: आदिवासी समुदायों के लिए शिक्षा को सार्थक बनाने इसके लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण को उनके संदर्भ में ढाला जाएगा। दुर्भाग्य से, स्कूल में होने वाली शिक्षा की अप्रासंगिकता बच्चों के समक्ष एक प्रमुख समस्या रहती है। जिसका एक कारण तो यह है कि पाठ्यचर्या की रूपरेखा और शिक्षण गतिविधियों में बच्चों को जगह नहीं मिलती और दूसरा शिक्षक उनकी भाषा और संस्कृति को न समझ पाते हैं और न उससे जुड़ाव बना पाते हैं।

शिक्षा को सार्थक बनाने के लिए इन सभी पक्षों पर योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है। पाठ्यचर्या को उनके संदर्भ के अनुसार ढालना और उसमें आदिवासी ज्ञान परम्पराओं का समावेश एक अनिवार्य और तत्काल लिए जाने वाला कदम होगा। जबकि इस समुदाय के विद्यार्थी शिक्षक बनने के लिए जरूरी योग्यता हासिल करें इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना एक दीर्घकालिक कदम होगा। दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए, आदिवासी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ छात्रों और IAs को उत्कृष्ट शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों से जुड़ने और शिक्षक बनने हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएँगी और शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें इन्हीं क्षेत्रों में नियुक्त करने की प्राथमिकता दी जायेगी।

बच्चों की आरंभिक वर्षों की शिक्षा में जहाँ तक संभव होगा स्थानीय आदिवासी भाषाओं में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने और संवाद और शिक्षण के माध्यम के रूप में इन भाषाओं के इस्तेमाल हेतु समेकित प्रयास किये जायेंगे। मातृभाषा से स्कूल में शिक्षण की भाषा तक सहज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए द्विभाषी-पाठ्यपुस्तकें तैयार की जाएँगी और द्विभाषी शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

P6.4.2. समुदाय समन्वयक: राज्य स्तर और आदिवासी बहुल-जिलों में आदिवासी समुदायों से चयन कर समुदाय समन्वयक नियुक्त किये जायेंगे। ये समन्वयक आदिवासी मामलों के मंत्रालय और विभागों की गतिविधियों में सहयोग करेंगे और शैक्षिक कार्यक्रमों की निगरानी करेंगे जिससे इन समुदायों के बच्चों के लिए निर्धारित सुविधाओं का लाभ उन्हें मिले।

6.5. अल्पसंख्यक समुदायों के अल्प-प्रतिनिधित्व वाले समूहों के बच्चों की शिक्षा

यह नीति सभी अल्पसंख्यक और धार्मिक समुदायों, विशेषकर शैक्षिक रूप से अल्प-प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के बच्चों में शिक्षा के प्रसार के महत्व को स्वीकार करती है।

स्कूल और उच्च शिक्षा व्यवस्था में धार्मिक समुदायों में से सबसे कम भागीदारी मुस्लिम समुदाय की है। हालाँकि मुस्लिम बच्चों के नामांकन और ठहराव में काफी सुधार हुआ है फिर भी मुसलमानों और जनसंख्या के दूसरे समूहों के बीच अंतर बहुत ज्यादा है। मुस्लिम बच्चों के प्राथमिक शिक्षा में नामांकन का स्तर राष्ट्रीय औसत से कम है और यह अंतर उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर और बढ़ जाता है। इस सन्दर्भ में सेक्शन 6.1 में दिए नीतिगत प्रावधान मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए भी लागू होंगे। साथ ही P6.1.2. में वर्णित मुस्लिम बहुल विशेष शिक्षा क्षेत्रों में मुस्लिम बच्चों की भागीदारी और अधिगम स्तर सुधार के लिए विशेष कदम उठाये जायेंगे। उच्च शिक्षा के स्तर पर जिन क्षेत्रों में अल्प-प्रतिनिधित्व वाले अन्य अल्पसंख्यक या धार्मिक समूह हैं तो उन्हें भी अवश्य विशेष शिक्षा क्षेत्र का दर्जा दिया जाना चाहिए।

मुस्लिम और अन्य अल्प-प्रतिनिधित्व वाले अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों की स्कूली शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए जो कुछ और प्रयास किये जायेंगे, वे हैं:

P6.5.1. मुस्लिमों और अन्य शैक्षिक रूप से अल्प-प्रतिनिधित्व वाले अल्पसंख्यकों को स्कूली शिक्षा को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आपूर्ति-पक्षीय (supply-side) हस्तक्षेप: मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बेहतरीन स्कूलों की व्यवस्था की जाएगी और जहाँ जरूरत हो वहाँ भाषा सम्बन्धी बाधाओं को दूर करने के लिए उर्दू या अन्य घरेलू भाषाओं के जानकार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

उच्च शिक्षा में मुस्लिम और अन्य अल्प-प्रतिनिधित्व वाले अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए तैयार तीन भाषा वाले फ़ॉर्मूला के अनुसार बुनियादी साक्षरता और गणना और विज्ञान, गणित और कला विषयों में मजबूत नींव तैयार करने पर जोर होगा। जिन क्षेत्रों में शैक्षिक रूप से अल्प-प्रतिनिधित्व वाले भाषाई और अल्प-संख्यक समूहों की बहुलता है उनके लिए विशेष कदम उठाये जायेंगे। उदाहरण के लिए, मुस्लिम और अन्य अल्प-प्रतिनिधित्व वाले अल्प-संख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान करने की व्यवस्था करना। इन विद्यार्थियों की पहचान 'नेशनल टेस्टिंग सर्विस' के अंकों के आधार पर होगी।

P6.5.2. मदरसे, मकतब और अन्य परंपरागत और धार्मिक स्कूलों का सशक्तिकरण और उनकी पाठ्यचर्या का आधुनिकीकरण: मौजूदा हिन्दू, सिक्ख, जैन, बौद्ध और दूसरी परम्पराओं के परंपरागत और धार्मिक स्कूलों को अपनी परंपरा और शिक्षण पद्धतियों के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा, पर साथ ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुरूप उनको अपनी पाठ्यचर्या में विषय और सीखने के अन्य क्षेत्रों के समावेश में सहयोग किया जायेगा जिससे इन स्कूलों के बच्चों का उच्च शिक्षा में अल्प-प्रतिनिधित्व कम हो और अंततः समाप्त हो जाये। परंपरागत और धार्मिक संस्थानों की पाठ्यचर्या के आधुनिकीकरण के लिए क्रियान्वित कार्यक्रमों को विस्तार दिया जायेगा एवं सशक्त किया जायेगा:

- a. पाठ्यचर्या में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य प्रासंगिक भाषाओं के समावेश के लिए परंपरागत सांस्कृतिक और धार्मिक स्कूलों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे कक्षा 1 से 12 तक के लिए निर्धारित अधिगम स्तर हासिल कर सकें।
- b. मदरसे, मकतब और अन्य परंपरागत और धार्मिक संस्थानों, जैसे कि बौद्ध मठों में चलने वाले स्कूल के बच्चों को राज्य की बोर्ड परीक्षाओं एवं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा संचालित परीक्षा में भागीदारी हेतु अनुमति देने के साथ-साथ प्रोत्साहित भी किया जायेगा जिससे वे उच्च शिक्षा में प्रवेश करें।
- c. विज्ञान, गणित, भाषा और सामाजिक अध्ययन विषयों के शिक्षण में शिक्षकों का क्षमतावर्धन किया जायेगा और साथ ही नयी शिक्षण पद्धतियों के प्रति उन्मुखीकरण किया जायेगा।
- d. पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं को समृद्ध किया जायेगा और पर्याप्त पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

6.6. शहरी निर्धन परिवारों के बच्चों की शिक्षा

शहरी निर्धन परिवारों में लगभग एक करोड़ बच्चे रहते हैं और यह संख्या निरंतर बढ़ रही है (हालाँकि यह आशा की जाती है कि जल्द ही ऐसे कदम उठाये जायेंगे जिससे इस संख्या में कमी आये)। इन शहरी गरीब बच्चों में से लगभग आधे गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार हैं जबकि तीन-चौथाई निरक्षर हैं। रोजगार की तलाश में इनके परिवारों का अपने मूल घर छोड़कर दूसरे राज्यों के शहरों में आ जाने के परिणामस्वरूप ये बच्चे न तो अपने राज्य की संस्कृति से परिचित हो पाते हैं और न ही शहरी जीवन से जुड़ाव बना पाते हैं। इससे माता-पिता और बच्चों के बीच बड़ा पीढ़ीगत खाई बन जाती है। साक्षरता, स्कूल और खेलने के अवसरों के अभाव के चलते अक्सर ये बच्चे और किशोर दुर्भाग्यपूर्ण और हानिकारक आदतों, जैसे नशे और छोटे-मोटे अपराध में फँस जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार एक तिहाई बेघर बच्चे मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं।

शहरी निर्धन परिवारों के बहुत से बच्चों के बचाव का एक मात्र रास्ता उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करना है जिससे वे समाज के खुशहाल और उत्पादक सदस्य बनें। अध्याय 1-3 (और 6.1 में) दिए बहुत से नीतिगत बिंदु शहरी निर्धन परिवारों के बच्चों की दृष्टि से विशेष रूप से प्रासंगिक हैं जिन्हें तत्काल लागू किया जाना चाहिए।

शहरी निर्धन बच्चों के लिए अतिरिक्त विशेष नीतिगत बिन्दुओं में शामिल हैं:

P6.6.1. शैक्षिक पहुँच को लेकर केन्द्रित प्रयास: शहरी निर्धन परिवारों के बच्चों की स्कूली शिक्षा में पहुँच बढ़ाने के लिए अधिक ध्यान दिया जायेगा। असेवित और अल्प-सेवित क्षेत्रों में नए स्कूलों की स्थापना के लिए, मौजूदा स्कूलों की नामांकन क्षमता वृद्धि के लिए और शहरी निर्धन क्षेत्रों से बच्चों की इन स्कूलों तक सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के साथ भागीदारी को मजबूत किया जायेगा।

P6.6.2. सामाजिक कार्यकर्ताओं और सलाहकारों की भूमिका: अध्ययन दर्शाते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की इस कार्य में भागीदारी शहरी निर्धन परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने के लिए सबसे प्रभावी हस्तक्षेप हो सकता है। P6.6.1. के अनुसार, शहरी निर्धन क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा में पहुँच बढ़ाने वाले नए और मौजूदा स्कूल श्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं और

सलाहकारों को नियुक्त करने हेतु भी निवेश करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता से जो अपेक्षा होगी, वे हैं – शहरी निर्धन क्षेत्रों में बच्चों और उनके अभिभावकों की पहचान करना, उन्हें स्कूल का महत्व समझाना, उनके साथ मिलकर स्कूल पहुँचने के सुरक्षित माध्यमों (जैसे समूह में स्कूल जाना) और मार्गों की योजना बनाना, अभिभावकों को बच्चों के अधिगम स्तर के बारे में जानकारी देना और बच्चे की शिक्षण-प्रक्रिया से जुड़ने में उनकी मदद करना (जिसमें अभिभावक-शिक्षक गोष्ठी आयोजित करना शामिल है), बच्चों की अपनी मातृभाषा और संस्कृति से जुड़ाव बनाये रखने में मदद करना और बच्चों को हानिकारक गतिविधियों से दूर रखना। कुल-मिला कर, शिक्षा सलाहकारों की मदद से पूरी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आवश्यकनुसार बच्चों और उनके परिवारों के लिए सलाह और सहयोग हेतु उपलब्ध रहना।

P6.6.3. शहरी निर्धन लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनी पाठ्यचर्या:

पाठ्यचर्या के कुछ भागों को पुनर्गठित किया जायेगा जिससे शहरी निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को अपने शहरी निर्धन क्षेत्रों में जीवन जीने में मदद मिले। इसमें शामिल होगा – स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे, स्वच्छ पेयजल, मादक पदार्थों से होने वाले नुकसान, नैतिकता, अहिंसा, लैंगिक समानता के मुद्दे, महिलाओं के प्रति आदर, सभी पृष्ठभूमियों के लोगों के प्रति सहनशीलता और समानुभूति, बहुभाषिकता, तकनीकी (जैसे स्मार्ट फ़ोन) के अनुचित प्रयोग से होने वाले नुकसान, तकनीकी के लाभ, वित्तीय साक्षरता, रोजगार की आकांक्षा और उच्च शिक्षा और कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण। शहरी निर्धन परिवारों के बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा, सीखने के अवसर और भावी सुरक्षा और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पाठ्यचर्या तैयार किया जायेगा।

6.7. ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा

P6.7.1. ट्रांसजेंडर बच्चों की स्कूल शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करना: इस नीति का मानना है कि ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने और उनके साथ समाज और शिक्षा में होने वाले भेदभाव और तिरस्कार को

दूर करने के लिए तत्काल उपयुक्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। ट्रांसजेंडर बच्चों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना ऐसे बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किये जाने वाले प्रयासों का एक अंग होगा। स्कूल में ऐसा अनुकूल और सुरक्षित वातावरण बनाने की प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें इन बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का हनन न हो। स्कूल, स्कूल कॉम्प्लेक्स और सामाजिक कार्यकर्ता ट्रांसजेंडर बच्चे और उनके माता-पिता के साथ सलाह-मशविरा करके उनके नामों के इस्तेमाल, शौचालय और उनकी लैंगिक पहचान से जुड़ी अन्य जगहों तक पहुँच को लेकर योजना बनायेंगे। पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों में ट्रांसजेंडर बच्चों से जुड़े मुद्दों और उनके सरोकारों को ध्यान में रखकर आवश्यक बदलाव किये जायेंगे जिससे उनकी सीखने सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिले। शिक्षकों को भी ट्रांसजेंडर बच्चों से जुड़े मुद्दों और उनकी सीखने सम्बन्धी आवश्यकताओं को लेकर संवेदनशील किया जायेगा।

P6.7.2. सिविल सोसाइटी समूहों की भागीदारी: ऐसे सिविल सोसाइटी समूह को इन बच्चों के लिए योजना बनाने और उनके क्रियान्वयन में शामिल किया जायेगा जिन्हें ट्रांसजेंडर बच्चों के साथ काम करने की समझ और काफी अनुभव हो। स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर ट्रांसजेंडर बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सिविल सोसाइटी समूहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित होगी। राज्यों के शिक्षा निदेशालय और NCPCR/SCPCR से भी और अधिक सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा होगी जिससे स्कूल जाने वाली उम्र के सभी ट्रांसजेंडर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाए।

6.8. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा

इस नीति के अनुसार, CWSN बच्चों को किसी भी अन्य बच्चे के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम (The RTE Act Amendment Act), जो 1 अगस्त, 2012 को प्रभाव में

आया, CWSN को, विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 2005 (Persons with Disabilities Act, 2005) और नेशनल ट्रस्ट अधिनियम में दी परिभाषा के अनुसार RTE अधिनियम के दायरे में लाता है जिससे CWSN को भी निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध है। RTE अधिनियम CWSN बच्चों की कक्षा 8 तक की स्कूल शिक्षा पूरी करने तक अथवा 18 वर्ष का होने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। RTE अधिनियम गंभीर और गहरी विकलांगता के शिकार बच्चों के माता-पिता को घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था करवाने का विकल्प भी देता है। सेक्शन 6.1 में दिए सभी नीतिगत बिंदु CWSN के सन्दर्भ में भी महत्वपूर्ण हैं।

हर CWSN बच्चे को सार्थक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो, इस हेतु जो अतिरिक्त नीतिगत पहल की जाएँगी, उनमें शामिल हैं:

- P6.8.1. सामान्य स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेश:** CWSN बच्चों को पड़ोस के स्कूल से जोड़ना और बुनियादी स्तर से लेकर कक्षा 12 तक स्कूली प्रक्रियाओं में भागीदारी सुनिश्चित करना शिक्षा कार्यक्रमों की प्राथमिकता बनी रहेगी।
- P6.8.2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयासों के लिए आर्थिक सहयोग:** स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स को CWSN बच्चों के समावेश के लिए आर्थिक सहयोग हासिल करने हेतु स्पष्ट और कुशल प्रक्रियाएं बताई जाएँगी। गंभीर और विविध विकलांगता के शिकार बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह आर्थिक सहायता गाँव/ब्लॉक स्तर पर संसाधन केंद्र स्थापित करने हेतु भी उपलब्ध होगी। ये केंद्र माता-पिता/अभिभावकों को अंश-कालिक या पूर्ण-कालिक तौर पर घर पर ही शिक्षण और कौशल विकास हेतु सहयोग करेंगे (यदि उपलब्ध हो तो इसमें ISL या अन्य स्थानीय सांकेतिक भाषा, और NIOS के द्वारा उपलब्ध प्रावधानों तक पहुँच शामिल है)।
- P6.8.3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्कूलों में पहुँच:** CWSN बच्चों की स्कूल में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्कूल में बाधा-रहित संरचनाएं, रैंप, रेलिंग, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अनुकूल शौचालय और आवागमन

की उचित व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। दीर्घावधि में तो सभी स्कूलों में ये सब सुविधाएँ उपलब्ध होने का लक्ष्य होगा, अंतरिम समय में स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स आवश्यकनुसार इन सुविधायों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर पाएंगे।

P6.8.4. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेश: CWSN बच्चे अपने सहपाठियों और शिक्षकों के साथ सहज रूप से कक्षा में भागीदारी कर सकें, इस हेतु सहायक यन्त्र, उपयुक्त प्रौद्योगिकी-आधारित उपकरण, साथ ही पर्याप्त और भाषा की दृष्टि से उपयुक्त पठन-पाठन सामग्री (जैसे ब्रेल और बड़े अक्षरों में छपी सरल प्रारूप वाली पाठ्यपुस्तकें) उपलब्ध करायी जाएँगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थानीय सन्दर्भ में प्रभावी समाधान खोजने के लिए किये जाने वाले शोध कार्यों को मदद दी जाएगी। जो अन्य कदम उठाये जायेंगे, उनमें शामिल हैं - कारगर और औपचारिक मूल्यांकन, उपयुक्त शैक्षिक प्लेसमेंट और व्यक्तिगत शैक्षिक योजना (IEP) निर्माण।

P6.8.5. घर में ही शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान: गंभीर और गहरी विकलांगता वाले बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते, उनके लिए घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी जिससे वे NIOS जैसी सुविधा के जरिये स्कूली शिक्षा पूरी कर सकें। प्राथमिकता इस बात की होगी कि माता-पिता/देखभालकर्ताओं का अभिमुखीकरण हो और व्यापक स्तर पर पठन-पाठन सामग्री का प्रसार किया जाये जिससे माता-पिता/देखभाल-कर्ता बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक हो सकें।

CWSN के लिए समावेशी शिक्षा के कार्यक्रम CWSN के लिए बने संसाधन केंद्र और इच्छुक NGOs और स्वयंसेवी संगठनों के साथ साझेदारी में क्रियान्वित किये जायेंगे। समावेशी शिक्षा, जागरूकता कार्यक्रम, सामुदायिक लामबंदी, CWSN की त्वरित पहचान और आंकलन के कार्य में स्थानीय संसाधन केन्द्रों और NGOs को शामिल किया जायेगा।

P6.8.6. श्रवण-बाधित बच्चों के लिए मुक्त विद्यालय की उपलब्धता: NIOS, ISL (अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा) पढ़ाने के लिए और ISL के द्वारा अन्य बुनियादी विषयों के शिक्षण के लिए उच्च गुणवत्ता के मॉड्यूल विकसित करेगा।

P6.8.7. क्रॉस डिसेबिलिटी (Cross-Disability) प्रशिक्षण प्राप्त विशेष शिक्षक

और चिकित्सक: शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की जरूरतों का पूरी करने से ध्यान रख सकें, इस हेतु हर स्कूल कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स के सभी स्कूलों में कार्य करने हेतु पर्याप्त संख्या में क्रॉस डिसेबिलिटी प्रशिक्षण प्राप्त विशेष शिक्षक नियुक्त करेगा। ब्लॉक स्तर पर संसाधन केन्द्र, स्कूल कॉम्प्लेक्स स्तर पर विशेष शिक्षक के साथ मिलकर गंभीर और बहु-विकलांगता के शिकार शिक्षार्थियों के पुनर्वास और शैक्षिक जरूरतों की पूर्ति में सहयोग करेंगे और इस प्रकार ऐसे विद्यार्थियों के लिए घर पर ही उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और कौशल विकास में माता-पिता/अभिभावकों के सहायक बनेंगे।

P6.8.8. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां:

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्कूली शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेषकर माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर प्रतिभावान और मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां अधिक उदार पैमाने पर प्रदान की जाएंगी जिससे उच्च शिक्षा में उनका प्रवेश सुगम हो।

अध्याय 7

स्कूल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से प्रभावी गवर्नेंस और कुशल संसाधन उपलब्धता

उद्देश्य:

स्कूलों के समूह को स्कूल कॉम्प्लेक्स का रूप दिया जाना जिससे संसाधनों का साझा उपयोग सुगम बने और स्थानीय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी गवर्नेंस सुनिश्चित हो।

भारतीय स्कूली व्यवस्था के फैलाव से सम्बंधित उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ

भारत ने प्राथमिक स्तर पर लगभग शत-प्रतिशत नामांकन हासिल कर लिया है। इस सन्दर्भ में लैंगिक समानता भी हासिल हुई है और सर्वाधिक वंचित समूहों की भी प्राथमिक स्कूलों तक पहुँच बनी है। यह प्रशंसनीय उपलब्धियाँ हैं और इन्हें इस अर्थ में स्वीकार भी किया जाना चाहिए, साथ ही यह मानते हुए कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है।

यह प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था के फैलाव की बदौलत संभव हुआ है, विशेषकर सर्व शिक्षा अभियान और देश भर के राज्यों के अन्य प्रयासों द्वारा हर बसाहट में प्राथमिक स्कूल स्थापित करने से हो पाया है। हर बसाहट के एक किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक

स्कूल उपलब्ध होने के सिद्धांत ने स्कूल तक पहुँच को तो सुनिश्चित किया परन्तु इसने कुछ दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों और चुनौतियों को भी जन्म दिया है।

U-DISE, 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार, भारत के 28% सरकारी प्राथमिक स्कूलों और 14.8% उच्च प्राथमिक स्कूलों में 30 से भी कम छात्र पढ़ते हैं। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में प्रति कक्षा औसतन 14 छात्र हैं। जबकि बहुत से स्कूलों में तो यह औसत मात्र 6 है। वर्ष 2016-17 में 119,303 स्कूल एकल शिक्षक विद्यालय थे। इनमें से अधिकांश (94,028) कक्षा 1 से 5 वाले प्राथमिक स्कूल थे।

संक्षेप में कहें तो, हमारी स्कूल विस्तार की रणनीति ने पहुँच तो उपलब्ध कराई है लेकिन साथ ही बहुत कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को भी जन्म दिया है। अब यह हमारी स्कूली व्यवस्था की संरचनात्मक वास्तविकता है और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में मौजूद कई गंभीर चुनौतियों का कारण भी। मुख्य रूप से तीन गंभीर किस्म की चुनौतियाँ हैं:

पहली चुनौती यह है कि बहुत कम संख्या वाले स्कूलों का संचालन जटिल होने के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि एक अच्छे स्कूल को चलाने के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता होती है, उतना छोटे स्कूलों के लिए संभव नहीं होता। इस स्थिति का सबसे बड़ा प्रभाव शिक्षकों के पदस्थापन और महत्वपूर्ण भौतिक संसाधनों की उपलब्धता पर पड़ता है। इस कारण होने वाले कुछ सर्वाधिक गंभीर परिणाम हैं:

- शिक्षकों के एक साथ कई कक्षाएं पढ़ानी पड़ती हैं (जिसे बहु-कक्षीय शिक्षण कहा जाता है)। हालाँकि बहुत सी स्थितियों में विभिन्न उम्र के बच्चों का एक साथ सीखना बहुत उपयोगी होता है, लेकिन बहु-कक्षीय शिक्षण ही एक-मात्र विकल्प होने जैसी व्यवस्थागत मजबूरी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बहुत ही नुकसानदेह है।
- शिक्षकों को बहुत से विषय पढ़ाने पड़ते हैं, अक्सर वे विषय भी जिनमें उनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं होती। यह समस्या कक्षा 6 से 8 में अधिक गंभीर हो जाती है।
- संगीत, खेल, कला जैसे विषय जिन्हें परंपरागत रूप से सह पाठ्यक्रम विषय/क्षेत्र (को कुरीकुलर) माना जाता है, उनके लिए शायद ही कभी शिक्षक नियुक्त किये जाते हैं।

- ऐसे स्कूलों में भौतिक संसाधन जैसे प्रयोग किट, प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तकालय की पाठ्यपुस्तकें बहुत ही अपर्याप्त संख्या में होती हैं।

दूसरी चुनौती है कि छोटे स्कूल गवर्नेंस और प्रबंधन की दृष्टि से एक व्यवस्थागत चुनौती पेश करते हैं। स्कूलों की बड़ी संख्या, उनका भौगोलिक फैलाव और वहां पहुँच पाने में आने वाली चुनौतियों के कारण किसी भी प्रयास का सभी स्कूलों तक समान रूप से पहुँच पाना कठिन होता है। इससे सुधार हेतु ली जा रही पहलों, स्कूलों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं (जैसे कि BRC, DIET) और पूरी शिक्षा व्यवस्था के साथ एक स्कूल की अंतर्क्रिया ना होने से शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही स्कूलों के फैलाव के साथ प्रशासनिक ढाँचे को विस्तार नहीं हो पाने से स्थिति और गंभीर हुई है।

तीसरा – कम शिक्षक और कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का शैक्षणिक गुणवत्ता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होना उसके सबसे गंभीर परिणामों में से एक है। दुःख की बात यह है कि इस पक्ष पर ही सबसे कम ध्यान दिया जाता है। इस मुद्दे के दो पक्ष हैं। पहला – सीखने के उचित माहौल के लिए समान उम्र के कम से कम 15 छात्रों के समूह की आवश्यकता होती है। हमारे अधिकांश स्कूलों में यह स्थिति नहीं है। दूसरा – शिक्षक समूह में ज्यादा बेहतर और प्रभावी ढंग से काम करते हैं। हमारी व्यवस्थागत वास्तविकता यह है कि कक्षा 1-8 तक के 80% स्कूलों में तीन या उससे कम शिक्षक हैं। ऐसे छोटे स्कूलों की वजह से शिक्षक अलग-थलग पड़ जाते हैं और उनका पेशेवराना विकास बाधित होता है।

हालाँकि, स्कूलों का समेकन (कंसोलीडेशन) एक ऐसा विकल्प है जिसकी अक्सर चर्चा होती है पर ऐसे किसी भी प्रयास को करते समय अवश्य ही यह ध्यान रखे जाने की जरूरत है कि इसका ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों तक पहुँच पर नकारात्मक असर न हो। अतः समेकन बहुत सोच-समझ कर किये जाने की जरूरत है। इसी कारण एक छोटे पैमाने पर ही समेकन संभव दिखता है जिससे छोटे स्कूलों के कारण उपजी समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित करके इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। सुझाव यह है कि एक माध्यमिक स्कूल और उसके पड़ोस के पाँच से दस मील के दायरे में स्थित कक्षा 1-8 तक के छोटे स्कूलों को एक स्कूल कॉम्प्लेक्स के रूप में गठित किया जाये। यह सुझाव सर्वप्रथम शिक्षा आयोग (1964-66) ने दिया था लेकिन इसका क्रियान्वयन नहीं किया गया। यहाँ हम इस विचार को अपनाकर स्कूल कॉम्प्लेक्स के रूप में उसके विस्तार देने की बात कर रहे हैं।

लक्ष्य है स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षकों को परस्पर सहयोग उपलब्ध कराना जिससे उनका अलगाव समाप्त हो। बहुत सी प्रशासनिक, संस्थागत, गवर्नेंस और प्रबंधन सम्बन्धी जिम्मेदारियों को स्कूल कॉम्प्लेक्स को सौंपने से निम्न संभावनाएं खुलेंगी:

- शिक्षक, संस्था-प्रधान और अन्य सहयोगी स्टाफ के जीवंत समूहों का विकास
- स्थानीय स्तर के सभी बच्चों की आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा को एक-सूत्र में बांधना
- पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला और उपकरण, कम्प्यूटर लैब, खेल सुविधाएँ आदि संसाधनों का साझा उपयोग। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता, सलाहकार (काउन्सलर) संगीत, कला, भाषा और शारीरिक शिक्षा के विशेषज्ञ शिक्षकों जैसे मानवीय संसाधनों का भी स्कूल कॉम्प्लेक्स के सभी स्कूलों का लाभान्वित होना
- उपकरण, लैब, बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ शिक्षक, विद्यार्थियों और सहायक स्टाफ का एक ऐसा निर्णायक समूह तैयार होना जिससे सभी स्कूलों और स्कूल व्यवस्था का प्रभावी नेतृत्व, गवर्नेंस और प्रबंधन सुनिश्चित हो

स्कूल कॉम्प्लेक्स बनने से और कॉम्प्लेक्स के स्कूलों के बीच संसाधनों के साझे उपयोग से दूसरे भी बहुत से लाभ होंगे, जैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बेहतर सहयोग; ज्यादा विविध विषय पर आधारित विद्यार्थी क्लब और ज्यादा अकादमिक/खेल/कला/शिल्प आधारित कार्यक्रमों का आयोजन; कला, संगीत, भाषा और शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के साझे उपयोग से कक्षा में इन गतिविधियों का ज्यादा समावेश; सामाजिक कार्यकर्ता और सलाहकारों की मदद से विद्यार्थियों के लिए बेहतर सहयोग की उपलब्धता और बेहतर नामांकन, उपस्थिति और उपलब्धियों में सुधार, और एस सी एम सी (एस एम सी के बजाय) के माध्यम से बेहतर और मजबूत गवर्नेंस, निरीक्षण, निगरानी, नवाचार और स्थानीय हितधारकों द्वारा उठाये जाने वाले कदम। स्कूलों, संस्था प्रमुखों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, सहयोगी स्टाफ, माता-पिता और स्थानीय नागरिकों के बड़े और जीवंत समूहों के आधार पर संसाधनों का कुशल उपयोग करते हुए पूरी शिक्षा व्यवस्था उर्जावान और समर्थ बनेगी।

7.1. स्कूल कॉम्प्लेक्स द्वारा छोटे स्कूलों का अलगाव समाप्त करना

P7.1.1. सार्वजनिक स्कूल कॉम्प्लेक्स: बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के स्कूलों को साथ लाकर एक सांस्थानिक और प्रशासनिक इकाई का गठन किया जायेगा जिसे स्कूल कॉम्प्लेक्स कहा जायेगा। इसमें भौतिक रूप से स्कूलों का स्थान-परिवर्तन नहीं होगा और प्रशासनिक रूप से स्कूल कॉम्प्लेक्स का भाग होने के बावजूद हर स्कूल का संचालन जारी रहेगा।

स्कूल कॉम्प्लेक्स सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था के शैक्षिक प्रशासन की बुनियादी इकाई होगी और इस रूप में ही उसका विकास किया जायेगा।

- a. स्कूल कॉम्प्लेक्स का उपयोग उस घोर अलगाव को समाप्त करने में किया जायेगा जिसमें छोटे स्कूलों के शिक्षक आज काम करते हैं। इससे शिक्षकों और संस्था प्रधानों के एक समुदाय का निर्माण होगा जो एक-दूसरे से मिलेंगे और मिलकर, अकादमिक और प्रशासनिक मामलों में परस्पर सहयोग से काम करेंगे।
- b. स्कूल कॉम्प्लेक्स राज्य सरकार के हर स्तर पर प्रशासकों को ज्यादा प्रभावी रूप से कार्य करने में मददगार होगा क्योंकि स्कूल कॉम्प्लेक्स को एक इकाई माना जायेगा जिसको संचालन हेतु पर्याप्त स्वायत्तता और स्वतंत्रता उपलब्ध होगी जिस कारण प्रत्यक्ष प्रबंधन का दायरा सिमटेगा।
- c. हालाँकि हर स्कूल को पर्याप्त सुविधाएँ मुहैया की जाएँगी, कॉम्प्लेक्स बनने से साझे उपयोग द्वारा सभी स्कूलों में संसाधनों की उपलब्धता बेहतर होगी। उदाहरण के लिए सब विषयों और कक्षाओं के शिक्षकों की उपलब्धता, पुस्तकालय के लिए अधिक पुस्तकें, ज्यादा समृद्ध प्रयोगशालाएँ और खेल सुविधाएँ। विद्यार्थियों को अपने स्कूल कॉम्प्लेक्स में ही कक्षा 12 तक सब सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

P7.1.2. स्कूल कॉम्प्लेक्स की संरचना: हर स्कूल कॉम्प्लेक्स एक अर्ध-स्वायत्त इकाई होगी जो बुनियादी स्तर (3 से 8 वर्ष की उम्र) से लेकर कक्षा 12 (18 वर्ष) तक

की शिक्षा प्रदान करेगी। स्कूल कॉम्प्लेक्स में एक माध्यमिक स्कूल (कक्षा 9 से 12 तक) और उसके पड़ोस में स्थित पूर्व-प्राथमिक से लेकर कक्षा 8 तक के सरकारी स्कूल होंगे। सभी स्कूलों का चयन उनकी एक-दूसरे से नजदीकी के आधार पर किया जायेगा जिससे तार्किक रूप से उचित भौगोलिक समूह बने। यदि किसी कारणवश एक कॉम्प्लेक्स में कोई भी माध्यमिक स्कूल नहीं हो जहाँ कक्षा 9 से 12 का शिक्षण होता हो तो किसी भी स्कूल में इन कक्षाओं की शुरुवात की जाएगी। स्कूल कॉम्प्लेक्स में उससे सम्बद्ध शाला-पूर्व केंद्र (प्री-स्कूल)/आंगनवाड़ी, व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएँ, एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र (AEC) आदि होंगे। राज्य सरकारें स्कूलों के समूहों का स्कूल कॉम्प्लेक्स के रूप में गठन जनसंख्या वितरण, सड़क सुविधाओं और दूसरे स्थानीय आधारों को ध्यान में रखकर करेंगी। इसलिए स्कूल कॉम्प्लेक्स के आकार और संरचना में तो विविधता हो सकती है परन्तु इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा कि ऐसा करने से विद्यार्थियों और उनके परिवारों की स्कूल तक पहुँच, शिक्षकों और संस्था प्रधानों के सहयोग हेतु व्यवस्था और राज्य सरकार के लिए प्रशासनिक सुगमता सुनिश्चित हो।

P7.1.3. स्कूल कॉम्प्लेक्स का नेतृत्व: स्कूल कॉम्प्लेक्स का प्रधान माध्यमिक स्कूल का प्रधानाचार्य होगा। वह प्रशासनिक, वित्तीय और अकादमिक अधिकार संपन्न होगा जिससे वह कॉम्प्लेक्स के सभी स्कूलों की समन्वित विकास की देखरेख कर सके। उसे DSE, DEO और BEO के अधिकारियों का पर्याप्त प्रशासनिक सहयोग मिलेगा और साथ ही उसे प्रशासकीय, वित्त और लेखा कार्यों के लिए पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त भी कर्मचारी उपलब्ध कराये जायेंगे। कॉम्प्लेक्स के दूसरे स्कूलों के मुख्य अध्यापक/प्रधानाचार्य उसके निर्देशानुसार कार्य करेंगे। वे मिलकर एक टीम गठित करेंगे जो कॉम्प्लेक्स के प्रत्येक स्कूल में गुणवत्ता में सुधार के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसमें नामांकन बढ़ाना, ड्रॉप आउट दर को न्यूनतम करना और सभी बच्चों की कक्षा 12 तक पढ़ाई जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करना शामिल है।

7.2. स्कूल कॉम्प्लेक्स द्वारा स्कूलों का बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना

देश भर के स्कूलों को स्कूल कॉम्प्लेक्स के रूप में गठित कर देने से स्कूलों के बीच संसाधनों का साझा उपयोग संभव होगा। इसमें शामिल हैं – विषय शिक्षक, संगीत और कला शिक्षक, सलाहकार और सामाजिक कार्यकर्ता जैसे मानव संसाधन और प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय जैसे भौतिक संसाधन। स्कूल कॉम्प्लेक्स के स्तर पर ICT उपकरण, संगीत वाद्य-यन्त्र, खेल उपकरण, खेल का मैदान जैसे संसाधनों को बढ़ाने और बेहतर किये जाने से ये संसाधन आज की तुलना में कहीं ज्यादा बच्चों के लिए उपलब्ध होंगे।

P7.2.1. स्कूल में आधारभूत सुविधाएँ: हालाँकि हर स्कूल को उसके सामान्य संचालन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे। जो सुविधाएँ और उपकरण हर स्कूल में देना संभव नहीं होगा, उन्हें माध्यमिक स्कूल के स्तर पर साझे उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। उदाहरण के लिए, ऑडियो-विडियो उपकरण को पोर्टेबल जनरेटर के साथ विभिन्न स्कूलों तक ले जाया जा सकता है। इसी प्रकार माध्यमिक स्कूल में एक अच्छी प्रयोगशाला, संगीत वाद्य-यन्त्र, खेल उपकरण सहित खेल का मैदान हो सकता है जिसे नियमित रूप से कॉम्प्लेक्स के पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को उपलब्ध कराया जा सकता है। माध्यमिक स्कूल में एक बड़े पुस्तकालय की व्यवस्था हो सकती है जहाँ से पड़ोस के स्कूलों में पुस्तकों का लेन-देन हो सके। माध्यमिक स्कूल के प्रधानाचार्य सभी साझे उपयोग के संसाधनों के प्रभारी होंगे और वे उनका समुचित उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

P7.2.2. शिक्षक: कॉम्प्लेक्स के स्कूलों में शिक्षकों को भी साझा किया जा सकता है। पाठ्यचर्या के अनुसार जिन क्षेत्रों/विषयों में (बच्चों की संख्या को देखते हुए) हर स्कूल में शिक्षक नहीं दिया जा सकता, उनके लिए कॉम्प्लेक्स स्तर पर शिक्षक नियुक्त किये जा सकते हैं जिससे उनकी सेवाओं का समुचित उपयोग हो सके। उदाहरण के लिए भाषा शिक्षक, खेल शिक्षक, कला और संगीत शिक्षक, योग शिक्षक, स्कूल नर्स और सलाहकारों (कौन्सलर्स) को माध्यमिक

स्कूल के स्टाफ के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है जिससे कॉम्प्लेक्स के सभी स्कूलों को उनकी सेवाओं का लाभ मिल सके।

प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के अवकाश पर चले जाने पर, छोटे स्कूल होने के कारण, स्थानापन्न शिक्षक उपलब्ध कराना मुश्किल होता है। एकल विद्यालय के सन्दर्भ में तो समस्या और भी गहरी है क्योंकि शिक्षक के द्वारा अवकाश ले लेने पर यहाँ कोई शिक्षण कार्य संभव नहीं होता। स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा में माध्यमिक स्कूल को एक-दो ऐसे शिक्षक देना संभव होगा जो कॉम्प्लेक्स के स्कूलों में आवश्यकता पड़ने पर स्थायी शिक्षकों के अवकाश के दौरान स्थानापन्न शिक्षक के तौर पर वहाँ भेजे जा सकें। स्कूल कॉम्प्लेक्स में पाठ्यचर्या के क्षेत्रों/विषयों के आधार पर कॉम्प्लेक्स के सभी स्कूलों की जरूरतों का ख्याल रखते हुए पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध होंगे।

P7.2.3. सामाजिक कार्यकर्ता: स्कूल कॉम्प्लेक्स में उस भौगोलिक क्षेत्र में विद्यार्थियों एवं प्रोढ़ शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर पर्याप्त संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त किये जायेंगे।

स्कूल कॉम्प्लेक्स द्वारा सेवित क्षेत्र के समुदाय के साथ सामाजिक कार्यकर्ता एक गहरा जुड़ाव बनायेंगे। वे पूर्व-नियोजित ढंग से माता-पिता और बच्चों के साथ काम करेंगे जिससे नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित हो और बच्चों का स्कूल से 'ड्रॉप आउट' होना बंद हो। जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें वापस लाने के लिए भी सामाजिक कार्यकर्ता कार्य करेंगे। इस सन्दर्भ में विशेष ध्यान, उन क्षेत्रों में दिया जायेगा जहाँ बड़ी संख्या में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों के विद्यार्थी हैं। इसमें शहरी क्षेत्र भी शामिल हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता CWSN बच्चों की पहचान करने और उनका ध्यान रखने में शिक्षकों की मदद करेंगे, जिसमें ऐसे बच्चों के परिवारों और समुदाय के साथ जुड़ाव बनाना शामिल है। वे स्कूल कॉम्प्लेक्स द्वारा सेवित क्षेत्र में शिक्षकों के समुदाय के साथ जुड़ाव को भी सुगम बनाने का कार्य करेंगे।

सामाजिक कार्यकर्ता SMC को अधिक प्रभावी बनाने में भी सहायक होंगे। वे सलाहकारों (कौन्सलर्स) और परिवारों के साथ कार्य करके विद्यार्थियों के लिए उनकी पसंद के व्यवसायों की पहचान करवाएंगे और ऐसे वयस्कों को पहचान कर प्रोत्साहित करेंगे जो प्रोढ़ शिक्षा कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सकते हैं।

स्कूल कॉम्प्लेक्स सामाजिक कार्यकर्ताओं की इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हर संभव मदद करेंगे। राज्य-स्तरीय शिक्षा विभाग स्वास्थ्य और कानून प्रवर्तन विभागों से समन्वय कर वह प्रक्रिया निश्चित करेंगे जिससे सामाजिक कार्यकर्ताओं को आवश्यकता पड़ने पर मदद मिल सके। उदाहरण के लिए बीमारी के कारण विद्यार्थियों का अनुपस्थित रहना, शोषण और असुरक्षा आदि के मामले।

P7.2.4. सलाहकार/परामर्शदाता (काउन्सलर): हालाँकि विद्यार्थियों की देखभाल और खुशहाली में शिक्षकों की केन्द्रीय भूमिका होगी, हर स्कूल कॉम्प्लेक्स में एक या अधिक योग्य सलाहकार उपलब्ध होंगे। मानसिक स्वास्थ्य से लेकर व्यावसायिक मार्गदर्शन हेतु परामर्श उपलब्ध होगा। हालाँकि अन्य क्षेत्रों की पहचान कर उस सन्दर्भ में भी परामर्श उपलब्ध किया जा सकता है। यहाँ उन क्षेत्रों का जिक्र है जिन पर परामर्श नियमित रूप से उपलब्ध होगा।

- a. माध्यमिक कक्षाओं में विषयों के चयन, इसमें व्यावसायिक विषय, उच्च शिक्षा सम्बन्धी चुनाव और अंततः जीविका हेतु पेशे का चुनाव भी शामिल है
- b. उम्र आधारित विकास के मुद्दों पर, विशेषकर किशोरावस्था में, सहायता और परामर्श
- c. तनाव और मनोदशा सम्बन्धी विकार समेत मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर सहायता और परामर्श

परामर्श उपलब्ध कराने का तरीका क्या होगा, यह स्कूल कॉम्प्लेक्स की जमीनी हकीकत के आधार पर तय किया जायेगा। कुछ शिक्षकों या सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस हेतु प्रशिक्षित किया जा सकता है। एक या एक से अधिक कॉम्प्लेक्स के लिए पूर्ण-कालिक परामर्शदाता नियुक्त किये

जा सकते हैं जो नियमित रूप से स्कूलों में जाएँ। परामर्शदाता को मानसिक स्वास्थ्य के मामलों की भी पहचान करने में सक्षम होना चाहिए जिनमें चिकित्सीय मदद की जरूरत है। स्कूल कॉम्प्लेक्स इन मामलों में आवश्यक मदद उपलब्ध करा सके, इसके लिए राज्य के शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों में परस्पर समन्वय जरूरी होगा।

P7.2.5. सांस्थानिक सुविधाओं का समुचित उपयोग: शैक्षिक संस्थानों की भौतिक आधारभूत सुविधाएँ गहन निवेश की मांग करती हैं, इसलिए उचित प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा इनका प्रत्येक दिन और वर्ष भर समुचित उपयोग होना जरूरी है। सरकार द्वारा हर स्कूल कॉम्प्लेक्स के लिए एक प्रशासनिक योजना इस हेतु बनाना नितांत जरूरी है जिसे कॉम्प्लेक्स की विकास योजना में भी शामिल किया जाना चाहिए।

व्यावसायिक और प्रौढ़ शिक्षा की गतिविधियाँ भी क्योंकि स्कूल कॉम्प्लेक्स के द्वारा क्रियान्वित होंगी इसलिए भौतिक सुविधाओं को स्कूल समय के पश्चात भी उपयोग में लाना संभव होगा। इससे शिक्षक और विद्यार्थियों के नियमित कार्य और अवकाश पूर्ववत्, बिना व्यवधान के जारी रहेंगे।

पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, शिल्प-गृह और खेल के मैदान वर्ष भर खुले रहने चाहिए और दिन में अधिक नहीं तो कम से कम आठ घंटे उन सभी के लिए उपलब्ध होने चाहिए जो इन सुविधाओं के इस्तेमाल से सीखने की इच्छा रखते हैं। यहाँ तक कि कक्षा-कक्ष भी स्कूल समय के पश्चात उपयोग में लाये जा सकते हैं।

अवकाश के दिनों में कुछ विशेष कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा भी सांस्थानिक सुविधाओं का इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे शिक्षकों के व्यावसायिक विकास, सामुदायिक सेवा, प्रौढ़ शिक्षा, प्रतिभाशाली बच्चों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर केन्द्रित कार्यक्रमों का आयोजन।

सुविधाओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने वाले अनुकूल माहौल के चलते शिक्षक, विद्यार्थी और स्थानीय समुदाय स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के अधिकतम उपयोग हेतु अनगिनत तरीके खोज लेंगे।

7.3. स्कूल कॉम्प्लेक्स द्वारा एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देना

स्कूल कॉम्प्लेक्स की शिक्षा आयोग (1964-66) द्वारा की गयी परिभाषा, जो मूल रूप से छोटे स्कूलों के अलगाव को खत्म करने और शैक्षिक उपलब्धियों को बेहतर करने पर केन्द्रित थी, को वर्तमान सन्दर्भ में विस्तृत अर्थ दिया जायेगा। लक्ष्य एक भौगोलिक क्षेत्र में परस्पर सहयोगी और सुसंगत शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का है जिनमें शाला-पूर्व/आंगनवाड़ी, व्यावसायिक और प्रोढ़ शिक्षा केंद्र, शिक्षक शिक्षा संस्थान और CWSN बच्चों के लिए सहायता उपलब्ध हो।

ऐसा स्कूल कॉम्प्लेक्स सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की प्राथमिक प्रशासनिक इकाई बन जायेगा।

P7.3.1. आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का स्कूल कॉम्प्लेक्स के साथ

एकीकरण: स्कूल कॉम्प्लेक्स द्वारा ECCE पर आवश्यक ध्यान और जोर दिया जायेगा। इसके लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स के भौगोलिक क्षेत्र के दायरे में स्थित ECCE से सम्बद्ध सभी सार्वजनिक संस्थाओं को अकादमिक, प्रशासनिक और संसाधन सम्बन्धी सहयोग प्रदान किया जायेगा। जिन स्कूलों में पूर्व-प्राथमिक कक्षाएं पूर्व से ही हैं अथवा शुरू होनी हैं वहां ये कक्षाएं स्कूल कॉम्प्लेक्स व्यवस्था के साथ पूरी तरह से एकीकृत करके संचालित की जाएंगी।

स्कूल कॉम्प्लेक्स अपने दायरे की आंगनवाड़ी को विशिष्ट सहयोग प्रदान करेगा। आंगनवाड़ी को किसी एक स्कूल परिसर में स्थानांतरित किया जा सकता है, बशर्ते कि इस कदम का आंगनवाड़ी तक पहुँच पर नकारात्मक असर न पड़े और भौतिक सुविधाओं की दृष्टि से आंगनवाड़ी को लाभ हो। सहयोग में शामिल होगा - संसाधनों का उपयोग, सामाजिक कार्यकर्ता एवं शिक्षकों की सेवाओं की उपलब्धता के अलावा स्कूल कॉम्प्लेक्स में होने वाली व्यावसायिक विकास गतिविधियों में आंगनवाड़ी स्टाफ की भागीदारी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच बेहतर समन्वय को सुगम बनाने लिए राज्य सरकार की ओर

से पहल की जाएगी. RSA, अपनी समन्वय सम्बन्धी स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमेटी ऑन कूरडीनसन) के जरिये भी ऐसे सहयोग और समन्वय के कार्यक्रमों को औपचारिक रूप देने की दिशा में काम करेगा।

P7.3.2. व्यावसायिक और प्रौढ़ शिक्षा का स्कूल कॉम्प्लेक्स के साथ एकीकरण:

स्कूल कॉम्प्लेक्स ITI, पॉलिटैक्निक आदि संस्थानों, स्थानीय व्यवसाय (उद्योग, सेवा, कृषि आदि), स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल, कलाकार और कारीगर, और स्थानीय शिल्प और परम्पराओं का हुनर रखने वाले लोगों की साझेदारी में व्यावसायिक शिक्षा के बहुत से कोर्स चलाएगा (कृपया अध्याय 20 देखें)। क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा में बड़ा हिस्सा खुद करके सीखने का होता है, स्कूल कॉम्प्लेक्स को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि विद्यार्थियों को, अपनी सामान्य शिक्षा को पूरा करने के साथ-साथ, स्वयं करके सीखने का प्रशिक्षण अवश्य मिले। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाएँ (कृपया देखें P21.2.1) भी विशेष स्कूल कॉम्प्लेक्स के साथ जोड़ी जा सकती हैं और कॉम्प्लेक्स द्वारा सेवित पुरे समुदाय को उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

P7.3.3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे: हर स्कूल कॉम्प्लेक्स ऐसी जरूरी आधारभूत सुविधाएँ तैयार करेगा जिससे कॉम्प्लेक्स के सभी CWSN के लिए उपयुक्त मदद उपलब्ध कराना सुनिश्चित होगा। CWSN बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स के किसी एक स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए चाहे बच्चे को कैसी भी मदद की जरूरत क्यों न हो। इस हेतु आवश्यकतानुसार स्कूल लाने-ले जाने की सुविधा भी उपलब्ध की जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर सकने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। जब एक बार ऐसे बच्चों की पहचान हो जाती है और कॉम्प्लेक्स इस हेतु जरूरी सक्षमता नहीं रखता है तो स्कूल कॉम्प्लेक्स को ऐसे बच्चों को स्कूल समुदाय के साथ जोड़ने के लिए जरूरी धन और तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस कार्य हेतु रिहाबिलिटेसन कोनसिल ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में एक विशेष कोष बनाया जायेगा।

P7.3.4. उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका: स्कूलों के समीप स्थित विश्वविद्यालय, कॉलेज और पॉलिटैक्निक अपनी प्रासंगिक क्षमताओं के इस्तेमाल द्वारा अपने

पास के स्कूलों की उपलब्धियों के सुधार में योगदान देंगे। विशेषकर माध्यमिक स्कूलों के लिए – विषयों की विषय-वस्तु और प्रयोगशालाएं, पुस्तकें और खेल के मैदान जैसी भौतिक सुविधाओं के रूप में, यह सहयोग लाभदायक होगा। इससे स्कूलों को व्यावसायिक कोर्स चलाने के लिए विशेष योगदान की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए पास के कॉलेज और पॉलिटेक्निक में उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। हर कॉलेज व्यावहारिक रूप से अपने आस-पास के एक या अधिक स्कूल कॉम्प्लेक्स से सम्बद्ध होंगे और उन्हें इस प्रकार का सहयोग प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालय और कॉलेज स्थानीय स्कूलों/स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रतिभाशाली और विशेष रुचि वाले छात्रों को भी सहयोग कर सकते हैं। HEI जब अपने संस्थानिक विकास योजना (Institutional Development Plan) में सामुदायिक सेवा को समाहित करेंगे तो इस तरह की, स्कूल शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी, बहुत सी संभावनाएं पैदा होंगी।

हर जिले में उच्च गुणवत्ता का लिबरल एजुकेशन कार्यक्रम चलाने वाला कम से कम एक HEI होगा (कृपया देखें P10.15)। यह HEI जिले की स्कूल व्यवस्था को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उदाहरण के लिए शिक्षकों के व्यावसायिक क्षमतावर्धन और स्थानीय सन्दर्भों के अनुकूल व्यावसायिक कोर्स के विकास में।

जिले के DEO और BEO स्कूलों के लिए योजना और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए HEI के साथ काम करेंगे। स्थानीय स्कूलों को सहयोग देना सभी HEI की निर्धारित जिम्मेदारी का अंग होगा।

7.4. स्कूल कॉम्प्लेक्स के द्वारा शिक्षकों के लिए बेहतर सहयोग

स्कूल कॉम्प्लेक्स को इस तरह से गठित किया जायेगा कि उनमें शिक्षकों की संख्या 80 से 100 तक होगी जिससे शिक्षकों का एक सशक्त समुदाय बन सके। शिक्षकों के ऐसे

समुदाय साथ मिलकर ज्यादा प्रभावी तरीके से अपने व्यावसायिक विकास और स्कूलों के उपलब्धि स्तर को बेहतर करने के लिए काम कर सकेंगे।

अब जबकि शिक्षक स्कूल कॉम्प्लेक्स के स्तर पर नियुक्त होंगे, उनका आपस में और वहां के समुदाय के साथ स्थायी सम्बन्ध बना पाना संभव होगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स नए शिक्षकों को अपने शिक्षण को योजनाबद्ध तरीके से करने में भी मार्गदर्शन देने में संभव होंगे क्योंकि वहां बहुत से अनुभवी शिक्षकों का एक समूह होगा।

P7.4.1. शिक्षकों का सतत व्यावसायिक विकास: स्कूल कॉम्प्लेक्स की एक मुख्य जिम्मेदारी शिक्षकों की सतत व्यावसायिक विकास की भी होगी। इस हेतु एक व्यापक शिक्षक विकास योजना (TDP) विकसित की जाएगी जिसमें शिक्षक विकास हेतु विविध तरीकों का इस्तेमाल की बात होगी (कृपया देखें P7.4.2 और P7.6.2)।

कॉम्प्लेक्स के सभी शिक्षक एक-दूसरे को सहयोग दे सकें और साझे सीखने के अवसर उपलब्ध हों इस हेतु उन्हें एक समुदाय के रूप विकसित किया जायेगा। परस्पर सहयोग और सीखने हेतु सहकर्मियों के ये सहभागी समुदाय (participative communities of peer support and learning) होंगे जो सांस्कृतिक दृष्टि से अनौपचारिक और उत्साह जगाने वाले होंगे। सहकर्मियों के ऐसे परस्पर सहभागिता द्वारा सीखने वाले समूह विकसित करने के लिए स्कूल नेतृत्व और अन्य संसाधनों द्वारा सतत प्रयास की जरूरत होगी। ऐसे प्रभावी समुदाय कैसे तैयार किये जाएँ, इस उद्देश्य से SCERT और BITEs/DIETs विशेष कार्यक्रम तैयार करेंगे। सिविल सोसाइटी के संगठनों (CSOs) को भी प्रेरित किया जायेगा कि वे ऐसे समुदायों के विकास और संचालन में जुड़ें और योगदान दें।

स्कूल कॉम्प्लेक्स सहकर्मियों के परस्पर सहभागिता से सीखने वाले समूहों के लिए जरूरी व्यवस्थाएं बनाएगा, जैसे कि साप्ताहिक बैठक, शिक्षक अधिगम केंद्र, आदि। इसके अलावा CPD के दूसरे माध्यम भी उपलब्ध कराये जायेंगे, जैसे कि सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण, कक्षा-शिक्षण के दौरान परामर्श आदि।

P7.4.2. शिक्षक सहयोग तंत्र में तालमेल: DSE और SCERT द्वारा अकादमिक और शिक्षक सहयोग तंत्र से जुड़े संस्थानों का स्कूल कॉम्प्लेक्स व्यवस्था से अनुकूल सामंजस्य बिठाया जायेगा। इसमें CRCs, BRCs, BITEs और DIETs शामिल होंगे।

राज्य भौगोलिक आधार पर CRCs को स्कूल कॉम्प्लेक्स का ही अंग बनाने पर विचार कर सकते हैं। इसका अर्थ होगा कि CRC के संसाधन भी स्कूल कॉम्प्लेक्स को उपलब्ध होंगे। इन CRCs को स्कूल कॉम्प्लेक्स के लिए शिक्षक अधिगम केन्द्रों (TLCs) के रूप में विकसित किया जा सकता है। TLC में पुस्तकें, पत्रिकाएं, प्रयोग सम्बन्धी किट और ऑनलाइन संसाधन आदि हो सकते हैं।

BRCs और BITEs/DIETs के कार्य स्कूल कॉम्प्लेक्स व्यवस्था की जरूरतों के मुताबिक, यानि कॉम्प्लेक्स के शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को ध्यान में रखते हुए विशेषकर शिक्षक समुदाय के विकास पर, केन्द्रित होंगे। इन संस्थानों को अपनी अल्पावधि एवं मध्यावधि योजनाओं में स्कूल कॉम्प्लेक्स विकास योजना (SCDPs) की जरूरतों को, जिसमें TLC भी शामिल है, शामिल करना होगा और उन्हें पूरा करने में सहयोग देना होगा। शिक्षक विकास और अकादमिक सहयोग की योजना स्कूल कॉम्प्लेक्स, BRCs और BITEs/DIETs परस्पर परामर्श द्वारा बनायेंगे। DEOs और SCERT इस इस प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु पूरा प्रयास करेंगे।

हर राज्य द्वारा विभिन्न संस्थानों के बीच तालमेल हेतु एक योजना विकसित की जाएगी और SCERT इसमें सुगमकर्ता की भूमिका निभाएगी।

7.5. स्कूल कॉम्प्लेक्स का प्रशासन और प्रबंधन

स्कूल कॉम्प्लेक्स के गठन द्वारा परस्पर सहभागिता और सहयोग को सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक स्कूल का सुचारु प्रशासन और प्रबंधन सुगम किया जायेगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स ही अपने सभी स्कूलों की ओर से सरकार के साथ सीधे संपर्क में होगा। BEO और DEO जैसी प्रशासकीय ढांचे की व्यवस्थाएं और CRCs, BRCs, BITEs और DIETs जैसे अकादमिक सहयोग के संस्थान स्कूलों के एक समूह के लिए सीधे स्कूल कॉम्प्लेक्स से संपर्क और संवाद द्वारा ज्यादा बेहतर और प्रासंगिक सहयोग प्रदान कर पाएंगे।

P7.5.1. स्कूलों को स्कूल कॉम्प्लेक्स के रूप में गठित करना: जनसंख्या वितरण, आवागमन की सुविधाओं और अन्य स्थानीय आधारों का ध्यान रखते हुए राज्य सरकारें स्कूलों को स्कूल कॉम्प्लेक्स के रूप में गठित करेंगी। हालाँकि कॉम्प्लेक्स के आकार में विविधता रहेगी, ऐसा समूहीकरण विद्यार्थियों और परिवारों की स्कूल तक पहुँच, प्रशासकीय सुविधा और शिक्षक एवं प्रधानाचार्यों के लिए एक सहयोगी व्यवस्था को सुनिश्चित करने की दृष्टि के किया जायेगा।

स्कूलों को समूहों में गठित करने के कार्य में ऐसे स्कूलों की समीक्षा और समेकन किया जायेगा जिनका बहुत कम नामांकन (उदाहरण के लिए 20 से कम) होने की वजह से स्वतंत्र इकाई के रूप में अस्तित्व व्यावहारिक नहीं है। स्कूल कॉम्प्लेक्स के स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की सुरक्षित पहुँच के लिए आवागमन सुविधा (साइकिल, बस और आवश्यकतानुसार अन्य साधन) उपलब्ध कराई जाएगी।

राज्य सरकारें 2023 तक स्कूलों के स्कूल कॉम्प्लेक्स के रूप में गठन की प्रक्रिया पूरी करेंगी। इस कार्य में पर्याप्त योजना और तैयारी इस बात की करनी होगी कि स्कूल कॉम्प्लेक्स के गठन के पीछे का मूल भाव, जिसके केंद्र में विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में सुधार हेतु शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए एक सहयोगी व्यवस्था निर्माण करना है, सभी हितधारकों तक अवश्य पहुँच जाये।

- P7.5.2. स्कूल कॉम्प्लेक्स द्वारा स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं का उन्नयन और रख-रखाव सुनिश्चित करना:** स्कूलों को स्कूल कॉम्प्लेक्स के रूप में गठित करने की प्रक्रिया को हर स्कूल की मौजूदा आधारभूत सुविधाओं के आंकलन और उनके उन्नयन हेतु पर्याप्त धन एक-बार में ही उपलब्ध कराने के अवसर के रूप में भी देखा जायेगा। कक्षा कक्ष, शौचालय, पानी, बिजली, चाहरदीवारी और दूसरी महत्वपूर्ण सुविधाओं और शैक्षिक संसाधनों की कमी की पहचान और दर्ज कर उसे जल्द से जल्द पूरा किया जायेगा। तत्पश्चात, DSE द्वारा स्कूल कॉम्प्लेक्स को नियमित रूप से पर्याप्त बजट आधारभूत सुविधाओं के अच्छी हालत में रखरखाव के लिए दिया जायेगा।
- P7.5.3. स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति:** हर स्कूल कॉम्प्लेक्स में एक SCMC होगी जिसमें कॉम्प्लेक्स के प्रत्येक स्कूल से प्रतिनिधित्व होगा। SCMC का नेतृत्व कॉम्प्लेक्स के माध्यमिक स्कूल का प्रधानाचार्य के हाथ में होगा और इसमें कॉम्प्लेक्स के हर स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के अलावा एक शिक्षक और स्कूल की SMC से एक तथा सिविल सोसाइटी का एक सदस्य भी होगा। इसके अतिरिक्त, SCMC में स्कूल कॉम्प्लेक्स से सम्बद्ध सभी दूसरे संस्थानों, जैसे CRCs, AECs जैसे अकादमिक संस्थानों से भी प्रतिनिधित्व होगा। SCMC का कार्य कॉम्प्लेक्स के सभी स्कूलों के अधिगम स्तर में सुधार का होगा। इस उद्देश्य के लिए इस समिति के सदस्य महीने में कम से कम एक बार, सदस्यों के लिए सुविधाजनक समय (विशेषकर माता-पिता/सिविल सोसाइटी सदस्य को ध्यान में रखते हुए) पर मिलेंगे। इस बैठक में परस्पर विचार-विमर्श द्वारा स्कूल कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स के सभी स्कूलों की विकास योजनाएँ बनाई जाएँगी और उस दिशा में उठाये गए कदमों की समीक्षा होगी। इस बैठक में विभिन्न SMCs के प्रतिनिधि अपनी-अपनी SDMC के सदस्यों द्वारा - उठाये गए मुद्दों/दिए गए सुझावों/ दर्ज की गयी शिकायतों - को रख सकेंगे और उन पर विचार होगा। SCMC विशिष्ट दीर्घावधि उद्देश्यों पर काम करने के लिए छोटी टीमों/समितियों के गठन पर विचार करेगी जिसमें व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु समुदाय को विकसित करने जैसे मुद्दे शामिल हैं।

P7.5.4. स्कूल कॉम्प्लेक्स का प्रबंधन: देश में ऐसे बहुत कम स्कूल हैं जहाँ सहायक कर्मचारी होते हैं इसलिए सभी प्रकार के काम, चाहे मध्याह्न भोजन हो या स्कूल के लिए आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था करना, शिक्षकों को ही करने पड़ते हैं। स्कूल कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था कायम हो जाने पर यह सब बदल जायेगा। DSE द्वारा स्कूल कॉम्प्लेक्स को पर्याप्त संख्या में सहायक कर्मचारी उपलब्ध कराये जायेंगे जिससे स्कूल कॉम्प्लेक्स सुचारु रूप से कार्य कर सके। ये कर्मचारी लेखा कार्य, सामान्य प्रशासन जैसे कामों और आधारभूत सुविधाओं की स्वच्छता और रख-रखाव के लिए भी होंगे। ये पर्याप्त संख्या में शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और सलाहकारों के अलावा होंगे। स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रधान द्वारा इन सहायक कर्मचारियों और एक से अधिक स्कूलों में सेवाएँ देने वाले शिक्षकों के लिए आवागमन सुविधा अथवा आवागमन भत्ता उपलब्ध कराया जायेगा।

7.6. स्कूल कॉम्प्लेक्स द्वारा प्रभावी गवर्नेंस

स्कूल शिक्षा व्यवस्था में स्कूल कॉम्प्लेक्स के गठन से गवर्नेंस सम्बन्धी कम से कम दो महत्वपूर्ण लाभ होंगे। पहला है निर्णय लेने की जिम्मेदारी का विकेंद्रीकरण। यानि प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और स्कूल कॉम्प्लेक्स से सम्बद्ध अन्य हितधारकों को, जो निर्णय लेने की बेहतर स्थिति में हैं, निर्णय लेने का अधिकार मिलना। दूसरा, राज्य सरकारों की भूमिका और जिम्मेदारी का सरलीकरण जिसमें राज्यों के DSEs, कॉम्प्लेक्स को एक अर्द्ध-स्वायत्त इकाई के रूप में देखते हुए, सभी स्थानीय स्तर के निर्णय उन पर छोड़ देंगे और स्वयं व्यापक स्तर पर गुणवत्ता सुधार के प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करेंगे। राज्य सरकारों को जिला शिक्षा परिषद (District Education Council) नाम से एक जिला-स्तरीय गवर्नेंस इकाई का गठन करना होगा जो स्कूल कॉम्प्लेक्स और DSE के बीच की इकाई हो और स्थानीय जिला-स्तरीय निर्णय लेने का कार्य करे।

P7.6.1. स्कूल कॉम्प्लेक्स के द्वारा बेहतर गवर्नेंस: DSE स्कूल कॉम्प्लेक्स स्तर पर अपने अधिकारों का विकेंद्रीकरण करेगा जिससे हर कॉम्प्लेक्स एक अर्द्ध स्वायत्त इकाई बन जायेगा। DEO और BEO प्राथमिक रूप से हर स्कूल

कॉम्प्लेक्स को एक इकाई मानकर उसके साथ कार्य करेंगे। कॉम्प्लेक्स उन विकेंद्रीकृत कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं लेगा जो पूर्व में DSE के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किये जाते रहे हैं और इस प्रकार अपने सम्बद्ध स्कूलों के साथ कार्य करेगा।

DSE द्वारा स्कूल कॉम्प्लेक्स को काफी स्वायत्तता उपलब्ध होगी जिससे वह, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) और स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क (SCF) के दायरे में रहते हुए, समन्वित शिक्षा प्रदान करने और पाठ्यचर्या, शिक्षा-शास्त्र को लेकर प्रयोग कर सके।

इस व्यवस्था के तहत स्कूल मजबूत होंगे, ज्यादा स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकेंगे और कॉम्प्लेक्स को ज्यादा रचनात्मक और जवाबदेह बनाने की दिशा में योगदान दे पाएंगे। जबकि DSE व्यापक स्तर के लक्ष्यों पर ध्यान केन्द्रित कर पायेगा जिससे पूरा शिक्षा तंत्र की प्रभाविता सुधरे।

P7.6.2. योजनाबद्ध तरीके से काम करने की संस्कृति को पोषित करना: सभी शैक्षिक संस्थानों के नेतृत्व के स्तर पर, अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों के लिए, एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने की संस्कृति विकसित की जाएगी। स्कूल SMCs की भागीदारी से अपनी स्कूल की विकास योजनाएं (SDPs) बनायेंगे। ये योजनाएं स्कूल कॉम्प्लेक्स विकास योजना (SCDPs) बनाने का आधार बनेंगी। SCDP में स्कूल कॉम्प्लेक्स से सम्बद्ध दूसरे सभी संस्थानों, जैसे व्यावसायिक शिक्षा संस्थान आदि, की योजनाएं भी शामिल होंगी। यह SCDP स्कूल कॉम्प्लेक्स के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों द्वारा SCDC की भागीदारी से बनाया जायेगा।

योजना में शामिल होंगे - मानव संसाधन, पठन-पाठन सामग्री, आधारभूत ढांचे से सम्बद्ध और अन्य भौतिक संसाधन, सुधार हेतु किये जाने वाले प्रयास, वित्तीय संसाधन और शैक्षणिक उपलब्धियां। सुधार हेतु लिए जाने वाले प्रयासों में शामिल होंगे - स्कूलों के अधिगम स्तर सुधार हेतु शिक्षण पद्धतियों और स्कूली संस्कृति में आवश्यक बदलाव के लिए किये जाने वाले प्रयास सहित एक व्यापक और समन्वित शैक्षणिक योजना। इसमें TDP भी शामिल

होगा जिसमें स्कूल कॉम्प्लेक्स के समस्त विद्यार्थियों और शिक्षकों के जीवंत समुदाय बनाने की दिशा में लिए जाने वाले प्रयासों का विस्तृत विवरण होगा।

SDP और SCDP वे प्राथमिक माध्यम होंगे जो DSE समेत स्कूल के सभी हितधारकों को एक सूत्र में बाँधने का और सुचारु संचालन सुनिश्चित करने का काम करेंगे। SDP और SCDP को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध किया जायेगा। SMC और SCMC स्कूलों के कार्य और दिशा पर नज़र रखने के लिए SDP और SCDP का उपयोग करेंगे। वे इन योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मददगार होंगे।

DSE अपने उपयुक्त अधिकारी, जैसे कि BEO द्वारा हर स्कूल कॉम्प्लेक्स के SCDP को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। तत्पश्चात SCDPs के अल्पावधि (एक-वर्षीय) और दीर्घावधि (3 से 5 वर्ष) लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक संसाधन (वित्तीय, मानव और भौतिक आदि) प्रदान किये जायेंगे। अपेक्षित शैक्षणिक उपलब्धियों को हासिल करने के लिए दूसरी जरूरी सहायता भी स्कूल कॉम्प्लेक्स को उपलब्ध करायी जाएगी। DSE और SCERT द्वारा स्कूलों के लिए SDP और SCDP विकसित करने हेतु विशिष्ट मानदंड (वित्तीय, स्टाफ और प्रक्रिया सम्बन्धी) और रूपरेखा (फ्रेमवर्क) दी जा सकती है। इन मानदंडों और फ्रेमवर्क का समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

P7.6.3. डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कौंसिल - जिला शिक्षा परिषद्: हर जिले में एक DEC/ZSP होगी जो जिले की स्कूली शिक्षा के संचालन पर नज़र रखेगी और स्कूल, स्कूल कॉम्प्लेक्स, SCMCs और SMCs के संचालन एवं सशक्तिकरण के कार्य में मदद देगी। DEC राज्य के दूसरे विभागों, जैसे कि महिला और बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, के साथ समन्वय को भी संभव बनाएगी।

DEC DSE के प्रति उत्तरदायी होगी और जिले की शैक्षणिक उपलब्धियों को हासिल करने पर ध्यान केन्द्रित करेगी। उसकी किसी भी प्रकार की नियामक अथवा मानदंड तय करने वाली भूमिका नहीं होगी। DEC का एक मुख्य योगदान स्कूल और शिक्षकों को बेहतर कार्य करने हेतु प्रोत्साहन देने का होगा।

इस दृष्टि से यह स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स के लिए विशेष योजनाएं बना सकती है, विशेषकर अच्छे प्रयासों की पहचान और उनको बढ़ावा देना।

DEC की अध्यक्षता जिला-अधिकारी करेंगे। DEO इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। इसमें 15 से 20 सदस्य होंगे जिनमें शामिल हैं माता-पिता, शिक्षक, प्रधानाचार्य, सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधि और DIET के प्रधानाचार्य। DEC में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के अलावा शिक्षा में विशेषज्ञता रखने वाले और उस जिले में सार्वजनिक कार्यों में योगदान की पृष्ठभूमि वाले कम से कम 5 सदस्य होंगे। DEC में सभी BEOs को भी आमंत्रित किया जायेगा।

DEC जिले की SDPs और SCDPs के आधार पर एक अल्पावधि और एक मध्यावधि जिला शिक्षा विकास योजना (DEDP) बनाएगी। इसकी रूपरेखा DSE द्वारा तय की जाएगी।

P7.6.4. हर स्तर पर विकास हेतु योजना और समीक्षा: सभी स्तरों पर सम्बंधित शीर्ष संस्थानों द्वारा योजना निर्माण और समीक्षा की मजबूत संस्कृति विकसित की जाएगी और SDP, SCDP एवं DEDP के आधार पर यह समीक्षाएं होंगी। योजना और समीक्षा प्रक्रिया का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षा के सभी पक्षों का विकास करना होगा।

इन समीक्षाओं का उपयोग स्कूली शिक्षा में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सलाहकारों, स्कूलों और स्कूल कॉम्प्लेक्स आदि सभी के अच्छे प्रयासों और योगदानों की पहचान करने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए भी किया जायेगा। ये समीक्षाएं हर स्तर पर अगले वर्ष की योजना निर्माण प्रक्रिया का भी आधार बनेंगी।

7.7. स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रत्येक स्कूल का प्रभावी गवर्नेंस और प्रबंधन

स्कूल सामाजिक संस्थान हैं। वे समुदाय और उसके विकास के अभिन्न अंग हैं। स्कूल के सबसे बड़े और नजदीकी हितधारक समुदाय के लोग ही हैं, जिनमें वर्तमान और भावी विद्यार्थियों के माता-पिता शामिल हैं। स्कूल गवर्नेंस के कार्य को SCMCs और SMCs द्वारा सहयोग प्रदान करने और निगरानी रखने के लिए समुदाय ही सबसे बेहतर स्थिति में है। RTE अधिनियम के तहत यह व्यवस्था स्कूलों के लिए पूर्व से ही दे दी गयी है।

यह दृष्टिकोण भारत के स्थानीय शासन के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य, जिला और ग्राम आधारित त्रि-स्तरीय व्यवस्था बनाकर पंचायती राज और अन्य स्थानीय स्वशासन के संस्थानों को सबल बनाया गया था। लोगों के हाथ में अधिकार देना वह सीधा रास्ता है जिससे स्थानीय समस्याओं को प्रभावी ढंग से दूर किया जा सकता है और सन्दर्भ की आवश्यकतानुसार कार्य किया जा सकता है।

फिर भी, स्कूल गवर्नेंस के कार्य में SMCs द्वारा अपेक्षित सक्रिय भागीदारी की स्थिति अभी वास्तविकता नहीं बन पाई है। इसके बहुत से कारण हैं, जिसमें माता-पिता में जागरूकता की कमी, दैनिक मजदूरी पर आश्रित माता-पिता का SMC की बैठकों में भाग लेने में असमर्थता, महिलाओं की भागीदारी न हो पाना आदि। यह देखा गया है कि अक्सर SMC बैठकें आयोजित नहीं होती हैं, या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ होती हैं और उनका स्कूल के मामलों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

पिछले दो दशकों में, सामाजिक-आर्थिक रूप से मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों में ले गए हैं। इस प्रकार सरकारी स्कूलों के माता-पिता के रूप में वही लोग बचे हैं जो बहुत कम राजनैतिक और आर्थिक प्रभाव रखते हैं। इस बहुत ही असमान शक्ति समीकरण का SMCs और स्कूल के साथ अन्य सामुदायिक सहकार के काम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आज भी राज्य के स्कूलों का प्रबंधन और गवर्नेंस DSE के ही हाथ में बना हुआ है जबकि SMCs की भूमिका गौण बनी हुई है।

स्कूलों के स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस में सुधार हेतु SM Cs को प्रभावी बनाना: राज्य द्वारा SMCs के गठन के लिए दिशानिर्देश पूर्व से ही दिए जा चुके हैं। इसमें स्कूल शिक्षक,

माता-पिता, विद्यार्थी और समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। SMCs से जिस भूमिका को निभाने की अपेक्षा है, उस भाव से इनका गठन किया जायेगा और बेहतरी हेतु कदम उठाये जायेंगे। स्कूल में सामुदायिक सहभागिता वाला मॉडल स्कूल कॉम्प्लेक्स में भी लागू किया जायेगा जहाँ SCMCs का गठन होगा।

माताएं और बच्चे, जिनका हित स्कूल और उसके अच्छी हालत से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, वे ही स्कूल द्वारा बच्चों की जरूरतों और आशाओं को पूरा करने की दिशा में सबसे ज्यादा प्रयास करेंगे। इस समूह को SMC में अवश्य ही पर्याप्त और सक्षम भूमिका मिलनी चाहिए। स्कूल संचालन से जुड़े कुछ प्रासंगिक क्षेत्रों में दक्षता रखने वाले स्थानीय लोगों और अनुकरणीय सार्वजनिक भावना के लिए जाने जाने वाले लोगों को भी SMC का सदस्य बनाया जा सकता है। इससे SMC की स्कूल में भागीदारी काफी बढ़ेगी।

सरकारी स्कूली व्यवस्था द्वारा सेवित समुदाय से जुड़े असमान शक्ति और सामाजिक-राजनैतिक हलकों में कमजोर आवाज के मसले पर काम किया जायेगा क्योंकि SMCs को प्रभावी बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है। स्कूल कॉम्प्लेक्स और स्थानीय गवर्नेंस के दूसरे संस्थानों (जैसे पंचायत, वार्ड परिषद्) SMC के सहयोग से ऐसा किया जायेगा। साथ ही शिकायतों के निदान हेतु सुलभ और प्रभावी व्यवस्थाएं बनाई जाएँगी। इसमें एक सार्वजनिक IT आधारित मंच हो सकता है जिससे मामले को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जायेगा और मामलों के निपटारे की सार्वजनिक पड़ताल का अवसर मिलेगा।

शिक्षक और स्कूल नेतृत्व को स्कूल गवर्नेंस के मामलों में पूरी तरह से भाग लेना होगा तभी उनमें स्कूल के संचालन और विकास के प्रति एक गहरे स्वामित्व का भाव जागेगा। SMC और SCMC स्कूल नेतृत्व और उनकी टीमों को स्कूल संचालन हेतु सबल बनायेंगी।

DSE, जो राज्य भर में सरकारी स्कूलों के संचालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, इस गवर्नेंस और प्रबंधन व्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए काम करेगा जिसमें राज्य भर में संसाधन सुलभ कराना शामिल है।

P7.7.1. सामुदायिक सहयोग और निगरानी के माध्यम के रूप में स्कूल प्रबंधन समितियां: सभी स्कूलों (सरकारी, निजी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी गैर-सहायता प्राप्त) का संचालन SMC द्वारा किया जायेगा जिनका गठन

RTE अधिनियम के लागू हो जाने के बाद अनिवार्य हो गया है। राज्य निम्न दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए SMCs के गठन की समीक्षा कर सकते हैं:

- a. SMCs में 10-12 सदस्य होने चाहिए जिनमें से अधिकांश विद्यार्थियों के माता-पिता, विशेषकर माताएं होनी चाहिए। मुख्य अध्यापक के अलावा दो और शिक्षक इसके सदस्य होने चाहिए। अन्य सदस्य हो सकते हैं – एक या अधिक भूतपूर्व छात्र, एक पंचायत सदस्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में प्रतिष्ठा रखने वाले एक स्थानीय व्यक्ति
- b. SMC को एक अध्यक्ष का चुनाव करना होगा जो इस समिति का संचालन करेगा, बैठकें आयोजित करेगा, बैठकों का एजेंडा तय करेगा, कार्य प्रगति की समीक्षा करेगा और भावी योजना बनाएगा
- c. मुख्य अध्यापक/प्रधानाचार्य SMC के प्रति उत्तरदायी होगा। SMC के ऊपर स्कूल गवर्नेंस की निगरानी करने की जिम्मेदारी होगी। साथ ही वह शैक्षणिक परिणामों को लेकर स्कूल और DSE (और उसके पदाधिकारियों से) जवाब-तलब कर सकती है। SMCs समुदाय में एक स्वामित्व का भाव विकसित करेगी और सामाजिक एकता और मिलजुलकर काम करने के भावना को भी पोषित करेगी

P7.7.2. स्कूल प्रबंधन समितियों को प्रभावी ढंग से काम करने हेतु समर्थ बनाना:

SMCs की कार्यप्रणाली को बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए सतत रूप से विशेष प्रयास किये जायेंगे।

SMC माह में कम से कम एक बार मिलेगी। बैठकें सदस्यों के लिए, विशेषकर माता-पिता के लिए सुविधाजनक समय पर की जाएँगी। सभी बैठकों में हुई बातचीत का ब्यौरा रखा जायेगा और उसे सार्वजनिक किया जायेगा।

SMCs के लिए क्षमतावर्धन कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किये जायेंगे। यह कार्यक्रम DSE के द्वारा अपने संकुल और ब्लॉक स्तर के संसाधन केंद्र तथा इस कार्य में अनुभव रखने वाली सिविल सोसाइटी संगठनों की मदद से आयोजित किये जायेंगे।

स्थानीय पंचायत या वार्ड परिषद् यह निगरानी रखेगी कि उनके अधिकार क्षेत्र के प्रत्येक स्कूल की SMCs की बैठकें आयोजित हो रही हैं और वे प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं। जिले के शिक्षा प्रशासन को हर SMC के कार्य का आंकलन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे शक्तिशाली स्थानीय लोगों के स्वार्थ के गढ़ न बनें।

P7.7.3. शिक्षकों के कार्य निष्पादन का प्रबंधन: शिक्षकों और मुख्य अध्यापकों के कार्य निष्पादन के प्रबंधन में SMC एक मुख्य भूमिका निभाएंगी। यह वह शिक्षकों और मुख्य अध्यापकों के मूल्यांकन, जिसमें वार्षिक मूल्यांकन शामिल है, को अपनी ओर से मंजूरी देकर करेंगे। इस बारे में विस्तार से शिक्षकों वाले सेक्शन में बात की गयी है (कृपया देखें P 5.4.5)।

SMC जिन बातों पर नजदीकी नज़र रखेगी, उनमें शामिल हैं शिक्षक किस हद तक अपेक्षित आचार-व्यवहार का पालन करते हैं जैसे स्कूल में नियमित उपस्थिति, बच्चों के प्रति व्यवहार, स्कूली संसाधनों का सदुपयोग और ईमानदारी। यह शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के वार्षिक मूल्यांकन का अभिन्न अंग होगा।

SMC द्वारा शिक्षकों/प्रधानाचार्यों के आचार-व्यवहार के मूल्यांकन को मंजूरी मिलने पर ही उनकी वेतन वृद्धि और पदोन्नति की जा सकेगी।

P7.7.4. स्कूल प्रबंधन समिति से सम्बंधित मामलों और शिकायतों का निपटारा: SMCs के पास यह अधिकार होगा कि वह स्कूल की ओर से स्कूली मामलों में राज्य और उसके निकायों के साथ हस्तक्षेप कर सके। SMC सम्बंधित मुद्दों और शिकायतों के निपटारे को सुगम बनाने के लिए एक IT आधारित शिकायत दर्ज करने की प्रणाली विकसित की जाएगी जिस पर मोबाइल उपकरणों के जरिये आम जन की पहुँच होगी। मामले का निर्धारित समय-सीमा में निपटारा नहीं होने से मामला स्वतः राज्य शिक्षा व्यवस्था के उच्चधिकारियों तक भी चला जायेगा।

जिला शिक्षा परिषद SMCs और उनके मुद्दों को DSE और दूसरे सम्बंधित निकायों के समक्ष उठाएगी।

स्थानीय पंचायत/वार्ड परिषद् SMC की और से DSE, जिला परिषद्, जिला-अधिकारी और स्थानीय विधायक से मामलों का फॉलो-अप, समर्थन और पैरवी करेगी जिसमें उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी स्कूलों में पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता शामिल है। BEOs और DEOs के कार्य प्रदर्शन के मूल्यांकन में उनके क्षेत्र की SMCs और SCMCs से व्यवस्थित फीडबैक भी लिया जायेगा।

P7.7.5. स्कूल नेतृत्व: मुख्य अध्यापक/प्रधानाचार्य स्कूल का कार्यकारी प्रधान होगा और उस पर स्कूल के समस्त अकादमिक और प्रशासनिक मामलों की जिम्मेदारी और अधिकार होगा। वह DSE द्वारा तय मानदंडों और SDP में दिए विस्तृत विवरण के आधार पर शैक्षणिक परिणामों के लिए और स्कूल संचालन की सुचिता बनाये रखने के लिए SMC के प्रति जवाबदेह होगा। स्कूल नेतृत्व का चयन DSE और उसके उपयुक्त अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। यह चयन वरिष्ठता के आधार पर न होकर जरूरी क्वालिफिकेशन के आधार पर होगा जिसे कार्य प्रदर्शन के मूल्यांकन के जरिये जांचा जायेगा।

स्कूल कॉम्प्लेक्स द्वारा घोषित एक रूपरेखा के आधार पर स्वायत्तता और वित्तीय निर्णय लेने का अधिकार देकर स्कूल प्रधानाचार्यों की भूमिका को सशक्त बनाया जायेगा। वे इस स्वायत्तता का अच्छा सदुपयोग कर सकें, इसके लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स से भी मदद दी जाएगी। वित्तीय प्रवाह और निर्णयों पर स्कूल कॉम्प्लेक्स के मुखिया की निगरानी के अलावा SMC के द्वारा भी समीक्षा की जाएगी।

P7.7.6. एक टीम के रूप में स्कूल का प्रबंधन: शिक्षकों और प्रधानाचार्यों पर अपने संस्थानों को श्रेष्ठता की ओर ले जाने के लिए माता-पिता और समुदाय के सदस्यों को साथ लेते हुए एक टीम के रूप में काम करने की जिम्मेदारी बनी रहेगी। यह टीम विद्यार्थियों के शिक्षण के अलावा उनकी देखभाल और खुशहाली के लिए भी जिम्मेदारी होगी।

मुख्य अध्यापक/प्रधानाचार्य के नेतृत्व में शिक्षकों की टीम, अपनी जैसी ही कॉम्प्लेक्स के दूसरे स्कूल की टीम के साथ साझेदारी में, परस्पर सहभागिता द्वारा स्कूल का प्रबंधन करेंगे। यह टीम अल्पावधि (एक-वर्षीय या उससे कम

समय वाले) और दीर्घावधि (3 से 5 वर्ष) के लिए स्पष्ट पाठ्यचर्या, अधिगम और प्रशासकीय लक्ष्य निर्धारित करेगी। इन लक्ष्यों पर DSE, SCMC और स्थानीय SMC से भी सहमति ली जाएगी। इनमें विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार और कुल-मिलाकर स्कूली गुणवत्ता में सुधार के लक्ष्यों के साथ सभी के लिए बुनियादी साक्षरता और कक्षा 12 तक उम्र-अनुसार अपेक्षित अधिगम स्तर सुनिश्चित करने सम्बन्धी लक्ष्य भी होंगे। नामांकन बढ़ाने, ड्रॉप आउट को कम से कम रखने और सभी बच्चों को कक्षा 12 तक स्कूल में बनाये रखने सम्बन्धी लक्ष्य भी होंगे। इन सभी मुद्दों को SDP में जगह दी जानी चाहिए।

इस टीम के पास SDP के क्रियान्वयन और लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में निर्णय लेने की काफी स्वायत्ता होगी। SMC इस कार्य में सहयोग और निगरानी दोनों भूमिका निभाएंगी।

अध्याय 8

स्कूली शिक्षा का विनियमन (Regulation) एवं प्रमाणन (Accreditation)

उद्देश्य:

भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली एक ऐसे प्रभावी विनियमन और प्रमाणन तंत्र के माध्यम से सुदृढ़ होगी, जोकि अखंडता (integrity) सुनिश्चित करने के साथ ही साथ शैक्षिक परिणामों में निरंतर सुधार हेतु गुणवत्ता और नवाचार को भी बढ़ावा देती है।

विनियमन के मूल उद्देश्यों को पुनःस्पष्ट करना

विनियमन की प्रक्रिया को आवश्यक रूप से स्कूली शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए और शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए।

ऐसी संस्कृति के अभाव में हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में एक अपरिवर्तनीय-विरोधाभास (irreconcilable dichotomy) है। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसे नागरिकों का निर्माण करे जो जिम्मेदार, रचनात्मक, स्वायत्त, स्वतंत्र, मानवीय, और रचनात्मक हों; वहीं दूसरी तरफ हम पाते हैं कि विनियामक और शासन से संबन्धित संस्कृति रूढ़/कठोर और निराशाजनक है। अक्सर शिक्षकों और संस्थाप्रधानों को स्थानीय प्रकृति के जैसे कि शिक्षण-विधियों, शिक्षण-अधिगम सामग्री, समय-सारणी

निर्धारित करने के तरीके, और स्कूल के दैनिक संचालन के लिए आवश्यक मूलभूत आर्थिक मामलों आदि से संबंधित निर्णय जो कि उन्हें लेने चाहिए, की अनुमति नहीं होती। तंत्र के प्रबंधन के लिए अधिकारियों द्वारा अपनाया जाने वाले 'निरीक्षणात्मक' दृष्टिकोण के फलस्वरूप एक पेशेवर के रूप में भी शिक्षकों पर भरोसा नहीं किया जाता। और फिर यह 'निरीक्षणात्मक' दृष्टिकोण भी आमतौर पर शैक्षणिक मुद्दों के बजाय स्कूलों के दिखावे और प्रक्रियात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। फलस्वरूप एक मानवीय स्तर पर किसी भी मनुष्य के लिए अपरिहार्य मूल सम्मान के अभाव में ये (शिक्षक, संस्थाप्रधान) अधिकारियों के गलत व्यवहार का सामना करते हैं। तंत्र कि इसी प्रणाली के कारण स्कूल कि संस्कृति कई आयामों पर अवांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करती हुई आकार ग्रहण करती है।

स्कूली शिक्षण तंत्र की वर्तमान शासन प्रणाली में, सार्वजनिक शिक्षा के प्रावधान, समस्त शैक्षणिक संस्थानों के नियमन, और नीतियों के निर्माण से संबंधित तीनों प्रमुख कार्यों को स्कूल शिक्षा विभाग या इसके अंगों (उदाहरण के लिए, DSE और DEO, BEO जैसे इसके अधिकारी) द्वारा सम्पन्न किया जाता है, जिसका परिणाम शक्ति के सशक्त केंद्रीकरण और हितों के टकराव के रूप में सामने आता है। इसका एक और परिणाम स्कूल प्रणाली के अप्रभावी प्रबंधन के रूप में भी सामने आता है क्योंकि शिक्षा-प्रावधानों से संबंधित प्रयास, DSE द्वारा आवश्यक रूप से निभाई जाने वाली विनियमन और इस जैसी अन्य भूमिकाओं के कारण, अक्सर अपनी दिशा भटक जाते हैं।

वर्तमान नियामक सत्ता एक तरफ जहाँ मुनाफे के लिए खोले गए अधिकतर निजी स्कूलों द्वारा बड़े पैमाने पर हो रहे शिक्षा के व्यावसायीकरण और अभिभावकों के आर्थिक शोषण पर अंकुश लगाने में सक्षम नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ये अक्सर ही अनजाने में सार्वजनिक हितों के लिए समर्पित (public spirited) निजी / परोपकारी स्कूलों को हतोत्साहित करता है। सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए आवश्यक नियामक दृष्टिकोणों के बीच बहुत अधिक विषमता रही है, जबकि दोनों प्रकार के स्कूलों का लक्ष्य एक ही होना चाहिए: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।

इन मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाने और विनियमन को शिक्षा प्राप्ति और सुधार का एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बनाने के लिए, शासन और नियमन से संबंधित हमारे दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली एक जीवंत

लोकतान्त्रिक समाज का आधार है, और देश के लिए उच्चतम स्तर के शैक्षणिक परिणामों को हासिल करने के लिए इसके संचालन के तरीके को परिवर्तित और सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है। इस के साथ ही निजी क्षेत्र के परोपकारी स्कूलों को भी एक महत्वपूर्ण और फायदेमंद भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित और सक्षम किया जाना चाहिए।

शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति और इनके सुधार की प्रक्रिया को उत्प्रेरित एवं सुदृढ़ करने के लिए विनियमन

इस नीति की शासन और नियामक प्रणाली का निर्माण, उपरोक्त वर्णित हितों के टकराव व शक्ति के केन्द्रीकरण से संबन्धित मुद्दों को संबोधित करने के साथ ही साथ स्कूलों, स्थानीय समुदायों और सभी प्राथमिक हितधारकों के सशक्तिकारण को सक्षम बनाने के लिए किया गया है। इसके लिए, स्कूल शिक्षा प्रणाली से संबन्धित जिम्मेदारियाँ, और इसके विनियमन/रेगुलेशन से संबन्धित दृष्टिकोण के बारे में इस नीति के प्रमुख सिद्धान्त और सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

नीति निर्धारण, शिक्षा के प्रावधान/संचालन, और शिक्षा प्रणाली के नियमन से संबन्धित इन तीन अलग-अलग भूमिकाओं का संचालन अलग-अलग स्वतंत्र निकायों द्वारा किया जाएगा जिससे कि सत्ता के हितों में टकराव व शक्ति के केन्द्रीकरण की समस्या से बचा जा सके और इनमें से प्रत्येक भूमिका पर आवश्यक और गुणवत्तापूर्ण ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

स्कूल शिक्षा विभाग, वर्तमान में स्कूली शिक्षा के शीर्ष राज्य स्तरीय निकाय के रूप में कार्य करता है। यदि राज्य शिक्षा आयोग (देखें अध्याय 23) का गठन होता है तो यह शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा और फिर विभाग की भूमिका को इसी के अनुरूप निरूपित किया जाएगा। यह शीर्ष निकाय, समग्र निगरानी और प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए नीति निर्माण का प्राथमिक संस्थान होगा, किन्तु यह स्कूलों के संचालन (सेवा प्रावधान) या फिर प्रणाली के नियमन में दखल नहीं देगा और हितों के टकराव को टालने के लिए ये कार्य अन्य अलग-अलग निकायों द्वारा किए जाएंगे।

सम्पूर्ण राज्य के सार्वजनिक विद्यालयी प्रणाली के शैक्षिक संचालन और सेवा प्रावधान की ज़िम्मेदारी स्कूल शिक्षा निदेशालय (डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एडुकेशन / DSE) की होगी। यह निदेशालय शैक्षिक संचालन और प्रावधान से संबंधित नीतियों को लागू करने का काम करेगा, और इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित शीर्ष निकाय से अलग होगा और स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा।

प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण (द स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी / SSRA) नामक एक स्वतंत्र, राज्य-व्यापी नियामक संस्था का निर्माण किया जाएगा। स्कूलों को वर्तमान में जिन नियामक शासनादेशों के भारी बोझ का सामना करना पड़ता है उसे कम करने के लिए, SSRA द्वारा कुछ बहुत ही थोड़े बुनियादी मानकों (जैसे, बचाव, सुरक्षा, आधारभूत ढांचा, कक्षाओं और विषयों के आधार पर शिक्षकों की संख्या, ईमानदारी, और शासन की उपयुक्त प्रक्रिया) के आधार पर सभी विनियमन/रेगुलेशन के कार्य संपादित किए जाएंगे। SCERT द्वारा विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से शिक्षकों और स्कूलों से परामर्श के द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए इन मापदण्डों की रूपरेखा निर्मित की जाएगी। मापदण्डों की इन रूपरेखाओं को लागू करने के लिए प्रमाणन और ऑडिट का उपयोग किया जाएगा। सार्वजनिक निरीक्षण और जवाबदेही तय करने के लिए नियामक निकायों और स्कूलों द्वारा सभी नियामक सूचनाओं के पारदर्शी सार्वजनिक प्रकटीकरण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाएगा। मानकों की स्थापना और पाठ्यक्रम जैसे अकादमिक मुद्दे पर SCERT के नेतृत्व में कार्य होगा, जिसे कि BRC, BIET, और DIET जैसी अन्य अकादमिक सहायता संरचनाओं के साथ ही साथ सुदृढ़ करना आवश्यक होगा। प्रत्येक राज्य में स्कूली शिक्षा पूर्ण होने की अवस्था (स्कूल छोड़ने के दौरान) विद्यार्थियों की दक्षताओं के प्रमाणीकरण से संबंधित कार्य की ज़िम्मेदारी प्रमाणन/परीक्षा बोर्ड की होगी, जो कि इस उद्देश्य के लिए सार्थक परीक्षाओं का आयोजन करेगी। बोर्ड प्रत्येक विषय से संबंधित मुख्य दक्षताओं का मूल्यांकन करेगी (देखें सेक्शन 4.9), लेकिन इसकी पाठ्यचर्या (पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक सहित) को लागू करने में कोई भूमिका नहीं होगी।

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के स्कूलों का नियमन/रेगुलेशन समान मानदंडों, मानकों और प्रक्रियाओं द्वारा किया जाएगा, और इस दौरान आदेशों (mandates) के स्थान पर सार्वजनिक प्रकटीकरण और पारदर्शिता पर जोर दिया जाएगा, जिससे कि सार्वजनिक हितों को समर्पित निजी स्कूलों को प्रोत्साहित किया जा सके और यह भी सुनिश्चित हो

सके कि वे हतोत्साहित न हों। ट्यूशन फीस में मनमानी वृद्धि समेत अन्य मनमानी/अनैतिक आर्थिक प्रथाओं से अभिभावकों और समुदाय को बचाने और इस प्रक्रिया के द्वारा शिक्षा की बेहतर सार्वजनिक प्रकृति को पुष्ट करते हुए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबन्धित निजी परोपकारी प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा।

चूंकि RTE-ऐक्ट, 2009 पिछले एक दशक से स्कूली शिक्षा में नियमन और प्रशासन के लिए वैधानिक धुरी की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसे लागू किए जाने के बाद से प्राप्त अनुभवों और सीखों के आधार पर सुधारों को शामिल करने, और साथ ही इसे और सक्षम बनाने के लिए इस नीति की समीक्षा की जाएगी और उपयुक्त संसोधन भी किए जाएंगे।

समग्र प्रणाली की आवधिक 'स्वास्थ्य-जांच' के लिए, NCERT द्वारा छात्रों के सीखने का एक सैपल-आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (नेशनल आचीवमेंट सर्वे / NAS) जारी रखा जाएगा। राज्यों को अपने स्वयं के सेंसस-आधारित राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण (स्टेट असेसमेंट सर्वे / SAS) (देखें **P8.5.1**) आयोजित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, और इनके परिणामों का उपयोग, इसे शिक्षकों, छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ साझा करके केवल विकासात्मक उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा।

इस पूरी प्रक्रिया में हमें बच्चों और किशोरों को नहीं भूलना चाहिए; आखिरकार, इस विद्यालयी-प्रणाली का निर्माण उनके लिए ही किया गया है। शिकायतों को दर्ज करने के स्पष्ट, सुरक्षित और प्रभावी तंत्र के साथ ही साथ बच्चों/किशोरों के अधिकारों और सुरक्षा पर किसी भी प्रकार के संकट/उल्लंघन पर उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, बच्चों और किशोरों की सुरक्षा और अधिकारों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इसके द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न कठिन परिस्थितियों को तंत्र द्वारा उच्चतम महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार के तंत्र के त्वरित विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी जो सभी विद्यार्थियों के लिए प्रभावी, समयोचित, और सब की जानकारी में हों।

8.1 स्कूल शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा और भूमिकाएँ

P8.1.1. नीति निर्धारण, विनियमन/रेगुलेशन, संचालन, और अकादमिक मानकों से संबन्धित कार्यों का पृथक्करण: राज्य विनियमन से संबन्धित कार्यों को,

नीति निर्माण, स्कूल संचालन और शैक्षिक प्रावधान, अकादमिक विकास और मूल्यांकन, और इसकी आनुषांगिक सेवाओं से अलग करेगा। इस प्रकार वे नीति निर्माण, विनियमन/रेगुलेशन, संचालन और अकादमिक मुद्दों से संबंधित स्पष्ट और अलग प्रणालियाँ स्थापित करेंगे।

स्कूलों के लिए नए नियामक प्राधिकरण को राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण (स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी / SSRA) कहा जाएगा, इसके पास विनियमन के अधिकार होंगे और यह सार्वजनिक व निजी, दोनों प्रकार के स्कूलों के लिए बुनियादी और एक समान मानकों का निर्धारण करेगा। प्राधिकरण की स्थापना सार्वजनिक स्कूलों में शिक्षा के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए DSE से संबंधित प्रशासनिक संसाधनों को मुक्त करेगी, और नीति निर्माण, विनियमन/रेगुलेशन और सेवा प्रावधानों को अलग करने से संबंधित संरचनात्मक सुधार की प्रक्रिया को सहायता प्रदान करेगी।

विनियमन को लागू करने की प्रक्रिया वर्तमान निरीक्षकीय प्रक्रिया द्वारा संचालित नहीं होगी। बल्कि, स्कूल के आधारभूत ढाँचे, अपनी योग्यताओं के साथ शिक्षक संसाधन, सार्वजनिक परीक्षा में स्कूल के परिणाम, फीस, इत्यादि को अभिभावकों के लिए पब्लिक-डोमेन में रखा जाएगा/प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे कि वे प्रबुद्ध निर्णय ले सकें और इस प्रक्रिया में वास्तविक नियामक की भूमिका निभा सकें।

P8.1.2. नीति निर्माण और समग्र समन्वयन के लिए सर्वोच्च निकाय: राज्य का शिक्षा विभाग नीति निर्माण का सर्वोच्च निकाय होगा और इसके साथ ही साथ सम्पूर्ण तंत्र के समन्वयन और निगरानी के लिए भी जिम्मेदार होगा। यदि राज्यों द्वारा RjSA (देखें **P23.19**) की स्थापना करनी है तो विभाग और आयोग की भूमिकाओं को उपयुक्त रूप से वर्णित व स्पष्ट रूप से पृथक करना होगा।

P8.1.3. स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल स्वतंत्र नियामक: स्कूल प्रणाली की निगरानी और प्रमाणन के कार्यान्वयन सहित स्कूल विनियमन/रेगुलेशन के

सभी पहलुओं का ध्यान रखने के लिए एक स्वतंत्र SSRA की स्थापना की जाएगी। SSRA, NHERA की तरह का एक निकाय होगा (देखें **P18.1.4**)

नवगठित SSRA राज्य में स्कूल सेक्टर का एकमात्र नियामक होगा। SSRA 10-15 सदस्यों के स्वतंत्र बोर्ड द्वारा शासित होगा, ये सदस्य शिक्षा या अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे और साथ ही साथ अतुलनीय कार्यानुभव और उत्कृष्ट सत्यनिष्ठा को प्रदर्शित करने वाले होंगे। SSRA, RjSA को रिपोर्ट करेगा, और RjSA की अनुपस्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेगा।

- a. RjSA (या मुख्यमंत्री) के द्वारा अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, इनमें से प्रत्येक तीन वर्षों के दो लगातार कार्यकाल से अधिक समय के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता।
- b. SSRA के पास शासनादेशों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टाफ और संसाधन होंगे। यह सेक्शन 8.2 में वर्णित विनियमन/रेगुलेशन की प्रणाली का विकास और देखरेख करेगा।
- c. SSRA एक मजबूत और सुलभ सार्वजनिक शिकायत और निवारण तंत्र स्थापित करेगा, जिसका व्यापक रूप से प्रचार और प्रसार किया जाएगा। इसमें राज्य भर में एक से अधिक लोकपाल शामिल किए जा सकते हैं।
- d. SSRA एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण (quasi-judicial status) हो सकता है और त्वरित न्यायिक समाधान की आवश्यकता वाले मामलों के लिए अपने में से ही एक स्थगन निकाय (adjudication body) की स्थापना कर सकती है। इस निकाय के कार्यालय पूरे राज्य में हो सकते हैं। यदि राज्य एक सशक्त शैक्षिक न्यायाधिकरण का गठन करता है तो उस दशा में यह कार्य अधिकरण द्वारा किया जा सकता है। यदि प्रमाणन/प्रत्यायन से संबंधित बुनियादी न्यूनतम मापदंड पूरे/संतुष्ट नहीं हो रहे हों तो SSRA को विनियामक/रेगुलेटरी व्यवस्था को लागू करने का पूरा अधिकार होगा।

P8.1.4. सार्वजनिक स्कूल प्रणाली के संचालन से संबंधित जिम्मेदारियां: DSE, जिसे कि कुछ राज्यों में डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन (सार्वजनिक

शिक्षा निदेशालय) भी कहा जाता है, सार्वजनिक स्कूल प्रणाली के संचालन की ज़िम्मेदारी यथावत संभालते रहेंगे। ये स्कूली शिक्षा विभाग (DSE) को रिपोर्ट करना जारी रखेंगे। राज्य में स्कूल प्रणाली के पुनर्निर्मित स्वरूप में, विनियामक कार्यों की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से एसएसआरए के पास आ जाने से, DSE सार्वजनिक स्कूलों में सुधार, उनकी कार्यप्रणाली और संचालन पर ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम होगा।

प्रयासों को शिक्षा के प्रावधानों पर केन्द्रित करने के लिए सभी मौजूदा कार्यक्रमों (उदाहरण के लिए, समग्र शिक्षा अभियान जो कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक-शिक्षा को सम्मिलित रूप है, आदि) को DSE के साथ विलय / मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। DSE, नगर निगमों या अन्य सार्वजनिक निकायों द्वारा संचालित स्कूलों के लिए भी जिम्मेदार होगा।

P8.1.5. स्कूल शिक्षा निदेशालय की भूमिका में परिवर्तनों को लागू करना: DSE को स्कूलों के नियामक सह संचालक से मात्र संचालक (प्रभावी) के रूप में परिवर्तित करने के इस पूरे प्रयास में 2-3 वर्षों तक 'प्रबंधकीय परिवर्तन की प्रक्रिया' (change management process) के तहत एक परियोजना के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा – इस परिवर्तन के लिए DSE एक सुचारु रूपरेखा और योजना का निर्माण करेगा और एक पूर्ण रूप से सक्षम और सशक्त टीम का निर्माण करेगा। इस परिवर्तन के मुख्य आयाम इस प्रकार होंगे:

- a. पहला यह कि, सतत शैक्षणिक परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक विद्यालयी प्रणाली के अधिकारियों (उदाहरण के लिए, निदेशक, संयुक्त निदेशक, DEOs, BEOs) को स्वयं को सार्वजनिक स्कूलों के प्रभावी और कुशल कामकाज पर ध्यान केन्द्रित करने वाले शैक्षिक नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका में परिवर्तित करना पड़ेगा। डीएसई को प्रत्येक स्तर पर अपने अधिकारियों के सम्पूर्ण विवरण और अपेक्षाओं की समीक्षा और संशोधन करना चाहिये। अधिकारी (उदाहरण के लिए, BEOs, DEOs, सार्वजनिक शिक्षा के उपनिदेशक) अपने क्षेत्रों में स्कूलों के शैक्षिक परिणामों के लिए जवाबदेह होंगे।

- b. दूसरा यह कि, इन भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए अधिकारियों को पेशेवर विकास के साथ-साथ कार्यक्षेत्र में प्रगति के अवसर और कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन की पहचान जैसे प्रोत्साहन प्रदान किए जाने चाहिये।
- c. तीसरा यह कि, सशक्त SMC बेहतर ढंग से काम कर सकें इसके लिए आवश्यक है कि DSE और इसके अधिकारियों की प्रशासन संस्कृति और कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किया जाये, और यह BEO जैसे अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा। यह प्रणाली और इसके अधिकारी स्कूलों में परिवर्तन और सुधार के नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाएंगे, और इसके लिए वे स्कूलों की हर तरह से मदद करेंगे।
- d. और चौथा यह कि, DSE की समग्र योजना और प्रबंधन प्रणाली को पुनः संगठित करना होगा जिससे कि यह सशक्त SMC, स्कूल कॉम्प्लेक्स और DEC/ZSP के नए प्रशासनिक ढाँचे से अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। यह राज्य के SDP द्वारा समेकन और विश्लेषण के माध्यम से जमीनी स्तर पर संसाधन और अकादमिक योजना निर्माण में शामिल होगा लेकिन यहीं तक सीमित नहीं रहेगा।

P8.1.6. शैक्षणिक मामलों के शीर्ष निकाय: पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और शिक्षकों से संबंधित प्रक्रियाओं के मानकों (उदाहरण के लिए, नियुक्ति, विकास, मूल्यांकन और आंकलन), और प्रारम्भिक बाल्यावस्था की शिक्षा समेत स्कूली शिक्षा के समस्त स्तरों से संबंधित सीखने के प्रतिफलों से संबंधित सभी अकादमिक मुद्दों के मामले में शीर्ष निकाय राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (State Council for Education Research and Training / SCERT) होगा। यह सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य अकादमिक सहायता संस्थानों, जैसे CRC, BRC, और DIET का भी नेतृत्व करेगा।

राज्यों को अपने अनुभव और कुशलता से अकादमिक विज्ञान और नेतृत्व प्रदान करने के, और स्वयं को एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में स्थापित करने के लिए SCERTs को स्वयं को पुनः प्रतिस्थापित करना होगा। SCERT,

सार्वजनिक तथा अन्य स्कूल प्रणालियों द्वारा प्रयोग के लिए NCF के पदचिन्हों पर राज्यों के पाठ्यचर्या की रूपरेखा (State Curricular Frameworks / SCF) और पाठ्यचर्या (पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, आदि को सम्मिलित करते हुए) का निर्माण करेगी। SCF राज्य से संबंधित किन्हीं विशिष्ट आयामों को निर्मित और सम्मिलित करते हुए, NCF के सामान्य मुद्दों को और क्षेत्रों को ले सकते हैं। यह NCF में संशोधन के दो वर्षों के भीतर किया जाना अनिवार्य है (देखें अनुभाग 4.7 और 4.8)। पाठ्यचर्या की प्रत्येक 5 साल में समीक्षा होगी और संशोधन किया जाएगा। शिक्षकों, अन्य अकादमिक व्यक्तियों और नागरिक समाज के संगठनों, आदि से गहन विमर्श की प्रक्रिया के द्वारा SCERT पाठ्यचर्या का निर्माण और समीक्षा करेगी।

सार्वजनिक स्कूल प्रणाली के शिक्षकों और नेतृत्वकर्ताओं के क्षमता संवर्धन की ज़िम्मेदारी SCERT की होगी। DSE निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करे कि इसके सभी सदस्य, सभी शिक्षक और नेतृत्वकर्ता, सेवाकाल के दौरान शिक्षक के रूप में अपनी क्षमताओं के निरंतर संवर्धन के लिए, जो कि सेवाकाल के वर्षों के दौरान उनके मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिलक्षित होगा, प्रभावी CPD का भाग बनें। स्कूल नेतृत्वकर्ता (संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य) से लेकर DSE के उच्च पदाधिकारी तक सभी शैक्षिक नेतृत्वकर्ताओं के क्षमता संवर्धन पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए, यदि गठन हुआ है तो, प्रत्येक राज्य की राज्य शिक्षा प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान (The State Institute of Education Management and Training / SIEMAT), SIERT के साथ मिल कर काम करेंगी।

SCERT का नेतृत्व एक ऐसे उच्च योग्यता वाले शिक्षाविद के हाथों में होगा जिसके कार्यानुभव अतुलनीय और असंदिग्ध होंगे।

P8.1.7. CRC, BRC, और DIET को पुनर्स्थापित करना: CRC, BRC, और DIET व्यावसायिक शिक्षा और प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा समेत सभी स्तरों की स्कूली शिक्षा हेतु अपने क्षेत्रों के स्कूलों और शिक्षकों को शैक्षिक सहायता मुहैया कराएंगे। इसमें शामिल होगा, शिक्षकों और स्कूल-नेतृत्वकर्ताओं की CPD से संबंधित सहायता, प्रभावी शिक्षण-अधिगम सामाग्री के निर्माण और

सुलभ कराने से संबन्धित सहायता, अकादमिक मुद्दों पर SDP और SCDP के विकास और क्रियान्वयन से संबन्धित सहायता, आदि।

ये अकादमिक सहायता संस्थान मानवीय संसाधनों से पूर्ण होंगी और लोग अपेक्षित क्षमताओं वाले होंगे। इन संस्थानों को पुनर्स्थापित करना स्कूली-शिक्षा में सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इन संस्थानों में नियुक्त व्यक्तियों का चयन उपस्थित शिक्षकों में से ही, योग्यताओं के आधार पर एक पारदर्शी और दृढ़ चयन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। चयनित व्यक्ति SCERT द्वारा सावधानीपूर्वक निर्धारित एक सख्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से गुजरेंगे, जो कि SMC, संस्था प्रधान और शिक्षकों की आवश्यकताओं से अच्छी तरह से वाकिफ है।

इन संस्थानों को पुनर्जीवित करने के लिए SCERT, डीएसई की तरह ही एक “परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया” के तहत कार्य करेगा, जो कि 3 वर्षों के अंदर निश्चित रूप से इनकी क्षमताओं और कार्य-संस्कृति को बदल कर इन्हें उत्कृष्टता के जीवंत संस्थान के रूप में स्थापित करेगा।

P8.1.8. मूल्यांकन के बोर्ड: प्रत्येक राज्य में एक या एक से अधिक मूल्यांकन बोर्ड (Board of Assessment / BOA) होंगे, जोकि स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट से संबन्धित मूल्यांकन प्रक्रिया का आयोजन करेगी और उनका प्रमाणन भी करेगी। राज्य स्तरीय BOA के साथ ही साथ कुछ विद्यालयों के विद्यार्थियों के पास केंद्रीय-BOA या फिर अंतर्राष्ट्रीय-BOA से प्रमाणन का विकल्प भी मौजूद रहेगा। राज्यस्तरीय BOA शिक्षा विभाग को रिपोर्ट करेंगे और केंद्रीय BOA, MHRD या फिर RSA द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को। ये प्राधिकारी ही किसी भी नए BOA के गठन को पूर्वनिर्धारित प्रक्रियाओं और पारदर्शी मापदण्डों के आधार पर मंजूरी प्रदान करेंगे। ऐसे निजी गैर-लाभकारी BOA संभव हैं जो जो कि पूर्णरूपेण स्वतंत्र होंगे, और यह सुनिश्चित करने मात्र के लिए कि वे अनुमोदन की शर्तों का पालन करते हैं वे शिक्षा विभाग या MHRD के निरीक्षण में रहेंगे। उक्त अनुमोदन की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विश्वविद्यालय भी BOA का गठन कर सकते हैं।

राज्यस्तरीय और केंद्रस्तरीय BOA परीक्षा प्रणाली में सुधार के द्वारा इसे पूरी तरह से परिवर्तित करेंगे। ऐसा, वर्तमान समय में मुख्य रूप से विषय-वस्तु आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया को NCERT, SCERT, और अन्य प्रासंगिक निकायों द्वारा तैयार पाठ्यचर्या के उद्देश्यों के अनुसार दक्षताओं के वास्तविक मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिवर्तित कर किया जाएगा (देखें अनुभाग 4.9)।

BOA, किसी भी स्कूल के लिए किसी भी प्रकार से पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक का निर्धारण नहीं करेगा और न ही इनके निर्धारण में कोई भूमिका निभाएगा। ये सब राज्य स्कूल प्रणाली द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इनकी स्कूलों के नियमन और निरीक्षण में भी कोई भूमिका नहीं होगी।

राष्ट्रीय स्तर पर संचालित होते कुछ केंद्रीय BOA (उदाहरण के लिए, CBSE, ICSE, NIOS) के साथ, सभी राज्यों में एक से अधिक BOA संचालित हो सकते हैं। यह स्कूल पूर्णता प्रमाणन के लिए एक से अधिक विकल्पों के साथ एक उदार प्रणाली प्रस्तुत करेगा। BOA स्कूलों को स्वयं से सम्बद्ध नहीं करेंगे लेकिन चुनने के लिए स्कूलों और विद्यार्थियों को सेवाएँ प्रदत्त करेंगे; निर्धारित किये गए पाठ्यक्रम के अनुसार स्कूल यह निर्णय कर सकते हैं कि वे किस BOA को चुनें। सभी केंद्रीय और राज्य स्तरीय BOA NCF और SCF द्वारा निर्धारित मुख्य क्षमताओं और दक्षताओं को जाचेंगी। वो विद्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड का विकल्प चुनते हैं वे अपने पाठ्यक्रमों में उपयुक्त संशोधन करेंगे जिससे कि वो NCF/SCF (उदाहरण के लिए, भारतीय संदर्भों में त्रि-भाषा सूत्र और कला, संगीत, इतिहास और दर्शन आदि के क्षेत्र में) के अनुरूप हो।

P8.1.9. पाठ्यचर्या के चुनाव की स्वतन्त्रता/में लचीलापन: स्कूल और स्कूल-प्रणालियाँ अपने पाठ्यक्रम को चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि उद्देश्यों, अकादमिक विषयवस्तु और प्रक्रियाओं समेत समस्त स्कूलों की पाठ्यचर्याएँ NCF और SCF से जुड़ी हुई हों। सभी स्कूली शिक्षा प्राधिकरण और शैक्षणिक सहायता प्रदान करने वाले संस्थान, जिनकी चर्चा **P8.1.6-P8.1.7** में की गयी है, सार्वजनिक स्कूल प्रणाली के अंतर्गत स्कूलों के साथ मिलकर पाठ्यचर्या के विकास और कार्यान्वयन का समन्वय करेंगे।

P8.1.10. विकास के लिए योजना निर्माण और समीक्षा: इस अध्याय में वर्णित समस्त निकाय एवं संस्थान प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों के मार्गदर्शन हेतु यथार्थ योजनाओं का निर्माण करेंगे। वे मध्यावधि-योजनाओं (3-5 वर्ष) का भी निर्माण करेंगे। इन योजनाओं का निर्माण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा की संस्थान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें और इसके साथ ही साथ इसे उत्पादकता के सर्वोच्च स्तर के साथ शिक्षा प्रणाली में अपेक्षित भूमिका निभाने में सहायता प्रदान करें। सहायता, विकास और सुधार के उद्देश्य से इन योजनाएँ और इनके सफल क्रियान्वयन की समीक्षा संबंधित शीर्ष प्रशासनिक निकाय द्वारा की जाएगी।

RjSA (या स्कूल शिक्षा विभाग) योजना निर्माण और समीक्षा की इस प्रक्रिया का नेतृत्व करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न विभागों या संस्थानों से संबंधित व्यक्तिगत योजनाएँ शिक्षा-तंत्र के शैक्षिक परिणामों में सतत सुधार के लिए परस्पर अनुकूल और संगतता में हैं।

8.2. जवाबदेही के साथ स्वायत्तता का प्रत्यायन (Accreditation for autonomy with accountability)

प्रत्यायन यह सुनिश्चित करने की एक विधि है कि विद्यालय, स्कूल क्वालिटी एसेसमेंट ऐंड अक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क (School Quality Assessment and Accreditation Framework / SQAAF) और लाइसेंस टू स्टार्ट अ स्कूल (License to Start a School / LSS) के मानकों पर खरे उतर रहे हैं। इसे नीचे पारिभाषित किया गया है,

प्रत्यायन की प्रणाली और संरचना स्थानीय परिस्थितियों में व्याप्त विस्तृत विभिन्नताओं को, छोटी संस्थाओं और छोटे बच्चों के साथ व्यवहार के दौरान आवश्यक उदारता को, बड़ी संख्या में पूरे देश भर में फैले स्कूलों के संचालन से जुड़ी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी। इसके लिए, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए कार्यों को संभालने वाले एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता होगी जो ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए सशक्त

नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था के साथ ही साथ सभी स्कूलों को आसान पहुँच की सुविधा मुहैया कराने में भी सक्षम हो। यह नीति इस तथ्य में विश्वास रखती है और निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता भी महसूस करती है कि ज़िम्मेदारी और जवाबदेही को समन्वित रूप से सशक्तिकरण के साथ चलना चाहिए।

P8.2.1. स्कूल कि गुणवत्ता का निर्धारण और प्रत्यायन की रूपरेखा: SCERT प्रत्येक राज्य के लिए एक SQAAF का गठन करेगी। इसका उपयोग SSRA द्वारा प्रत्यायन की प्रणाली पर आधारित स्कूलों के विनियमन से संबन्धित अपने कार्यों में किया जाएगा।

SQAAF का गठन शिक्षकों, अन्य शैक्षणिक कर्मियों, स्कूल नेतृत्वकर्ताओं, स्कूलों, अभिभावकों, SMC, SCMC, और नागरिक समाज के संगठनों समेत शिक्षा के समस्त हितधारकों से व्यापक परामर्श से किया जाएगा। यह स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (School Education Quality Index / SEQI) के अनुभवों को शामिल करेगा और साथ ही साथ शाला सिद्धि (National Programme on School Standards and Evaluation) का कार्यान्वयन भी करेगा।

सभी राज्यों के लिए एक समान दृष्टिकोण को लागू करने के लिए NIEPA, NCERT के साथ मिल कर SQAAF के गठन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों की एक सूची तैयार करेंगे। यह कार्य राज्य और अन्य हितधारकों से परामर्श के साथ किया जाएगा। ये दिशा-निर्देश निर्धारणात्मक न होकर सुविधाजनक होंगे। ये दिशा-निर्देश और इसी कारण सभी राज्यों के SQAAF स्वयं भी इन सिद्धांतों पर आधारित होंगे,

- a. SQAAF कुछ बुनियादी पैमानों के आधार पर ऐसे मानकों को तय करेगा, जो किसी भी स्कूल को एक स्कूल के रूप में संचालित होने के लिए आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा। इन बुनियादी मानकों के अतिरिक्त कुछ अन्य मापदंड या आयाम भी संभव हैं, किन्तु इन अतिरिक्त मापदण्डों का स्कूल की नियामक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

b. ये बुनियादी पैमाने सिर्फ, स्कूल में उपस्थित सभी की सुरक्षा और बचाव, स्कूल के संचालन के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे, NCF/SCF से जुड़ा हुआ पाठ्यक्रम का स्पष्ट विवरण, विद्यार्थियों की संख्या और पढ़ाये जाने वाले विषय व कक्षाओं की संख्या के आधार पर शिक्षकों की संख्या और उनकी नियुक्ति, संचालन से जुड़े सभी पहलुओं से संबंधित सत्यनिष्ठा (probity), और विनियामक सूचनाओं के पारदर्शी और सार्वजनिक प्रकटीकरण समेत शासन की प्रक्रिया, से संबंधित मुद्दों को संबोधित करेंगे।

- आधारभूत संरचना के विषय में “सभी के लिए एक समान” प्रारूप का तरीका नहीं अपनाया जाएगा, वरन बचाव और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूर्ण संतुष्टि को सुनिश्चित किया जाएगा और स्थानीय वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायित्व तय किया जाएगा।
- स्कूल किसी भी पाठ्यक्रम को चुनने या फिर अपना स्वयं का विकसित करने के लिए स्वतंत्र होगा, बशर्ते कि वो NCF/SCF के अनुरूप हो; पाठ्यक्रम से संबंधित बुनियादी मानक स्कूल द्वारा अपनाए जा रहे पाठ्यक्रम के स्पष्ट विवरण की अपेक्षा मात्र होगी।
- शिक्षकों से संबंधित आवश्यकताएँ मात्र विषयों और कक्षाओं के अनुसार नियुक्त शिक्षकों की संख्या बताने तक सीमित होंगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये शिक्षक, शिक्षक-शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली द्वारा अपेक्षित योग्यताओं को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त इस विषय में किसी और जानकारी की आवश्यकता नहीं होगी।
- स्कूलों से अपेक्षाओं को निर्धारित करते हुए उद्देश्य और मापदंड सर्वोपरि होंगे तथा यंत्रवत इनपुट और प्रक्रिया केन्द्रित दृष्टिकोण को नहीं अपनाया जाएगा।
- अपेक्षित बुनियादी मानकों की सूची में कोई अन्य मापदंड न जोड़ा जाएगा।

c. SQAAF के यदि अन्य अतिरिक्त मापदंडों और आयाम हैं तो उन सभी को शैक्षक परिणामों में सुधार के उद्देश्य से शामिल किया जाएगा। ऐसी कुछ प्रक्रियाएँ/मापदंड इस प्रकार हो सकते हैं,

- पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा-कक्ष संचालन की प्रक्रियाएँ और फिर इनके संचालन की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा प्रक्रियाएँ;
- विद्यार्थियों के सीखने का सतत विकासात्मक मूल्यांकन और सीखने की व्यक्तिगत योजनाओं को प्रभावी बनाने में इनका उपयोग;
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक विद्यार्थी पर उचित ध्यान दिया जा रहा है और उसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, ऐसी प्रक्रियाएँ जो शिक्षकों को एक टीम के रूप में काम करने में सक्षम बनाती हैं;
- SMC के संचालन के साथ ही साथ स्कूलों में और स्कूलों के लिए SMC का समर्थन प्राप्त करने के तरीके;
- विद्यार्थियों के ठहराव और ड्रापआउट दरों को घटाने के लिए;
- शिक्षकों हेतु प्रभावी पेशेवर विकास की योजनाओं के लिए;
- स्कूल-कॉम्प्लेक्स के साथ स्कूल के सामंजस्यपूर्ण संचालन के लिए

LSS की आवश्यकताओं को निरूपित करने के लिए, SQAAF के बुनियादी मानकों का उपयोग SCERT द्वारा भी किया जा सकता है। LSS, SQAAF के इन बुनियादी मानकों के अतिरिक्त अन्य मानकों को अनिवार्य नहीं करेगा।

सभी हितधारकों से व्यापक परामर्श के द्वारा इन दोनों रूपरेखाओं (SQAAF और LSS) का एक निश्चित समयान्तराल के अंतर्गत अनिवार्य रूप से समीक्षा और अनुमोदन होना चाहिए; इसे 5 वर्ष में एक बार किया जाना सुनिश्चित किया जाये। DSE और SCERT, SQAAF का उपयोग राज्य में SDP हेतु रूपरेखा के बारे में सूचित करने के लिए कर सकते हैं।

इस सम्पूर्ण प्रणाली का गठन 2023 तक कीया जा सकता है, साथ ही DSE, SCERT, तथा RSA के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में इसकी प्रभावोत्पादकता की समीक्षा की जानी चाहिए।

P8.2.2. प्रमाणन आधारित विनिमय के द्वारा, विद्यालयी गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन रूपरेखा तथा विद्यालय आरंभ करने के लिए लाइसेन्स: SQAAF

किसी भी स्कूल के प्रत्यायन से संबंधित आधार तय करेगा और फिर SSRA द्वारा इनका उपयोग एक मजबूत प्रत्यायन प्रणाली के विकास में किया जाएगा, एक ऐसी प्रणाली जिसकी एक निश्चित समयान्तराल (5 वर्ष) पर प्राप्त अनुभवों और क्षेत्र में हुए अन्य विकास के आधार पर समीक्षा की जाएगी। उपयुक्त परीक्षा / प्रोबेशन अवधि के बावजूद भी SQAAF के बुनियादी मानकों को पूरा न कर पाने वाले स्कूलों को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके विद्यार्थियों को दूसरे नजदीकी स्कूल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

P8.2.3. स्व-मान्यता/प्रत्यायन: SQAAF के आधार पर, सभी विद्यालय समस्त बुनियादी मानकों को पूर्ण करने और इनसे संबंधित प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों को प्रदान करते हुए अनिवार्य रूप से स्व-प्रमाणित करें। इसके मान्य होने के लिए आवश्यक है कि पर्याप्त खोजबीन/यथेष्ट तत्परता के बाद दो सहायक स्कूल (peer school) और SMC इस स्व-प्रमाणन की प्रक्रिया का समर्थन करें।

स्व-प्रमाणन की यह प्रक्रिया प्रत्येक तीन वर्ष में दोहराई जानी आवश्यक है। सहायक स्कूल एक ही स्कूल-कॉम्प्लेक्स के स्कूल नहीं हो सकते। स्व-प्रमाणन, इसके समर्थन की प्रक्रिया और इनका सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा, जैसा कि P.2.5 में अधो-वर्णित है।

P8.2.4. प्रत्यायन/प्रमाणन के ऑडिट से संबंधित तंत्र: SSRA प्रमाणन के ऑडिट हेतु एक तंत्र का गठन करेगा। इसका गठन क्षमता और विश्वसनीयता युक्त सहायक स्कूलों और अन्य संस्थाओं के सहयोग से किया जाएगा, और सभी स्कूलों (सरकारी/सार्वजनिक, अनुदानित-निजी और अ-अनुदानित-निजी

स्कूल) को पाँच वर्ष में एक बार इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। परिणाम और विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगे, जैसा कि P.2.5 में अधो-वर्णित है।

DSE और इसके अधिकारी प्रमाणन और ऑडिट की इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अपने क्षेत्रों के विद्यालयों की योजना में प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए समय और संसाधनों को प्रदान कर वे अनिवार्य रूप से प्रमाणन की इस प्रक्रिया में मदद करेंगे। DSE या इसके अधिकारियों की प्रमाणन प्रक्रिया में ऐसी किसी भी बाधा, व्यवधान या दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा जो उनके कार्यों/निर्णयों या उनकी निष्क्रियता के कारण और/या द्वारा हुआ हो।

P8.2.5. प्रत्यायन/प्रमाणन और इसके ऑडिट से संबंधित जानकारी की सार्वजनिक उपलब्धता: प्रत्यायन प्रणाली से संबंधित समस्त चरणों और प्रक्रियाओं से जुड़ी सभी सूचनाओं और सहायक दस्तावेजों की सार्वजनिक जाँच का उपयोग निरीक्षण और जवाबदेही के प्रमुख तंत्र के रूप में किया जाएगा।

इसे सक्षम बनाने के लिए सभी स्कूलों के प्रमाणन से जुड़ी समस्त सूचनाओं (स्व-प्रमाणन सहित), ऑडिट, इसके औचित्य, और सहायक दस्तावेज सार्वजनिक रूप से और आसानी से उपलब्ध होंगे। इस हेतु SSRA एक सार्वजनिक वेबसाइट का विकास और संचालन करेगा जहां स्कूलों द्वारा इन सभी जानकारी को अपलोड और मेटेन किया जाएगा। सभी राज्यों में वर्ष 2024 तक इस वेबसाइट का निर्माण हो जाएगा। प्रकटीकरण की इस प्रक्रिया का प्रारूप SSRA द्वारा तय किया जाएगा।

SSRA द्वारा संचालित इस वेबसाइट के साथ ही साथ स्कूल अनिवार्य रूप से इन समान सूचनाओं का प्रकटीकरण उसी प्रारूप में अपनी वेबसाइट पर भी करें, और स्कूल में इन सूचनाओं के प्रिंट-आउट सुलभ करवाएँ तथा अनुरोध किए जाने पर स्वतंत्र रूप से साझा करें।

प्रकटीकरण में किसी भी प्रकार की विफलता, या किसी मिथ्यानिरूपण पर विद्यालय और साथ ही साथ समर्थकों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। लोगों को किसी भी मिथ्यानिरूपण को उजागर करने के लिए शिकायत निवारण प्रणाली या किसी अन्य प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

8.3. विनियमन, प्रमाणन और निजी स्कूलों का निरीक्षण

निजी परोपकारी स्कूलों ने भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है और भविष्य में भी निभाते रहेंगे। इन पहलों को संदेह के साथ हतोत्साहित करने की बजाय प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे स्कूलों को भी नियामक अधिभार और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्याओं से मुक्त कर सशक्त किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, ऐसे निजी ऑपरेटरों को रोका जाएगा जो शिक्षा के मूल सार्वजनिक अच्छे स्वभाव को नष्ट करते हुए स्कूल को एक वाणिज्यिक उद्यम के रूप में चलाने का प्रयास करते हैं।

शिक्षा और स्कूल 'बाज़ार के सामान' नहीं हैं। यहाँ 'जानकारी की पर्याप्त विषमता' है – स्कूलों को शैक्षिक प्रक्रियाओं और उसके परिणामों की बहुत अधिक जानकारी है, जो अभिभावकों और विद्यार्थियों को शायद ही कभी हो। इसके साथ ही यहाँ 'परिवर्तन की कीमत' पहुँच से बाहर है – विद्यार्थी भौगोलिक, सामाजिक, और आर्थिक कारणों से स्कूलों को बदलते नहीं रह सकते। यह शक्ति को स्कूल और उसको चलाने वालों के हाथों में केन्द्रित करता है। अतः शक्ति के इस अत्यधिक असमान बँटवारे में विद्यार्थियों, अभिभावकों, और समुदायों के पास पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए, विशेष रूप से कुछ स्कूलों द्वारा अक्सर किए जाने वाले मनमाने व्यवहार से।

सार्वजनिक स्कूलों के समान ही निजी स्कूलों के शैक्षणिक परिणामों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। यह निजी स्कूलों में पढ़ने वाले दसियों लाख बच्चों के भविष्य के लिए कतई जरूरी है। इस तरह के सुधार की जिम्मेदारी स्वयं निजी स्कूलों की है और साथ ही उनके प्रबन्धकों और मालिकों की। वे निजी विद्यालय जो इस सुधार के लिए सार्वजनिक

प्रणाली से विभिन्न प्रकार की सहायता चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त व्यवस्थाओं के तहत सहायता प्रदान की जाएगी।

P8.3.1. निजी स्कूलों का नियमन: निजी स्कूलों का नियमन भी सार्वजनिक स्कूलों के नियमन के समान एक ही रूपरेखा के आधार पर किया जाएगा, और उपरोक्त सभी नीतियाँ सार्वजनिक और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होंगी।

सिर्फ निजी स्कूलों के खिलाफ लागू विनियामक आवश्यकताओं से संबंधित भार को समाप्त किया जाना चाहिए और बुनियादी मानकों के आधार पर सार्वजनिक प्रकटीकरण पर जोर देने वाले सभी के लिए समान मानकों को लागू किया जाना चाहिए।

P8.3.2. निजी स्कूलों के नामकरण की प्रक्रिया को सही करना: निजी स्कूल किसी भी प्रकार के संचार, दस्तावेजीकरण, या स्थिति की घोषणा के दौरान अपने नाम में “पब्लिक” शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। सभी निजी स्कूलों द्वारा तीन वर्ष के अंदर इस परिवर्तन को आत्मसात करना होगा। “पब्लिक” स्कूल सिर्फ वही स्कूल होंगे जिन्हें सार्वजनिक अनुदान प्राप्त होंगे, जैसे सरकारी स्कूल (राज्य के किसी भी निकाय द्वारा संचालित स्कूलों समेत) और सरकार द्वारा अनुदानित स्कूल।

P8.3.3. नए स्कूल आरंभ करना: नए निजी स्कूलों को SSRA से LSS प्राप्त करना होगा – यह SSRA द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं और मानदंडों के अनुरूप स्व-प्रमाणन के आधार पर होगा। यह स्व-प्रमाणन अनिवार्य रूप से स्थानीय पंचायत / वार्ड कमेटी, SMC और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा समर्थित होना चाहिए। नया स्कूल होने के कारण इस अवसर पर SMC में कोई अभिभावक प्रतिनिधि नहीं होगा, लेकिन P7.7.1 में उल्लिखित अन्य सदस्य होंगे।

P8.3.4. सभी सूचनाओं का सार्वजनिक प्रकटीकरण: अभिभावक अपने बच्चों के स्कूल में दाखिले के समय उचित विकल्प चुनने में सक्षम होने चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि स्कूल से संबंधित सभी उपयुक्त सूचनाएँ सार्वजनिक डोमेन में हों; इसमें प्रमाणन प्रक्रिया के भाग के रूप में

उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त अन्य जानकारियाँ जैसे: शुल्क प्रारूप, सुविधाएं, सीखने के परिणाम, शिक्षकों और उनकी योग्यताओं का विवरण और अन्य मुद्दे जो कि किसी भी अभिभावक द्वारा उनके बच्चे के लिए स्कूल के चुनाव के विषय में प्रासंगिक जानकारियाँ हैं।

वे आयाम जिनसे संबंधित जानकारियों को सार्वजनिक किया जाना है और जिस प्रारूप में किया जाना है, वे SSRA द्वारा तय किए जाएंगे। सभी स्कूलों द्वारा इन जानकारियों को SSRA द्वारा संचालित वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा और अद्यतन रखना होगा, इसके साथ ही स्कूल की वेबसाइट पर और स्कूल में सार्वजनिक निरीक्षण या फिर किसी भी व्यक्ति के अनुरोध पर इसे स्कूल में भौतिक रूप में भी उपलब्ध कराना होगा।

P8.3.5. निजी स्कूलों के लिए विद्यालय प्रबंधन समितियाँ: सभी निजी स्कूलों के लिए आवश्यक है कि वे भी सार्वजनिक स्कूलों की तरह ही एक SMC का गठन करें, जिसकी सतत रूप से SDP द्वारा समीक्षा कि जाए और जो SMC द्वारा अनुमोदित हो। वे अनिवार्यतः पारदर्शी तरीके से अपने ऑडिट किए हुए वार्षिक वित्तीय विवरणों और अन्य रिपोर्टों को आयकर विभाग को, SMC को व जनता को प्रस्तुत करेगा। विवरणों के मान्य होने के लिए आवश्यक है कि SMC उनका अनुमोदन करे। इनके लिए वित्तीय प्रकटीकरण के मानक भी धारा 8 (गैर लाभकारी) की कंपनियों के समान ही होंगे। SDP और वित्तीय विवरण अनिवार्यतः स्वतंत्र रूप से सार्वजनिक रूप में उपलब्ध हों (ऑनलाइन समेत)।

P8.3.6. निजी स्कूलों में फीस: निजी स्कूल अपने लिए फीस के निर्धारण में स्वतंत्र होंगे, लेकिन वे मनमाने ढंग से स्कूल फीस (किसी भी मद में) नहीं बढ़ा सकते। सार्वजनिक जांच के दायरे में रहते हुए बढ़ती लागत के कारण (उदाहरण के लिए, मुद्रा स्फीति से संबंधित) तार्किक वृद्धि की जा सकती है। लेकिन फीस या इससे संबंधित किसी भी अन्य मद में, उदाहरण के लिए, 'विद्यालय विकास', 'इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड' आदि, में ऐसी कोई भी बड़ी या अप्रत्याशित वृद्धि नहीं की जानी चाहिए जिसे उचित न ठहराया जा सके। SSRA द्वारा प्रत्येक

तीन वर्ष में मुद्रा स्फीति आदि के कारण फीस में जायज प्रतिशत वृद्धि की दर निश्चित की जाएगी ।

P8.3.7. स्कूल अनिवार्य रूप से गैर-लाभकारी हों: स्कूल अनिवार्य रूप से गैर-लाभकारी संगठन हों और यह तथ्य उनके ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों से स्पष्ट होनी चाहिए, जिनके प्रकटीकरण के मानक स्पष्ट रूप से वही होने चाहिए जो कि धारा 8 की कंपनियों के लिए निर्धारित हैं । आयकर अधिनियमों की शर्तों के अतिरिक्त राज्य सरकार स्कूलों में व्यावसायिक लाभ को हतोत्साहित करने से संबंधित अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग के अतिरिक्त मानक तय कर सकती है ।

P8.3.8. निजी स्कूलों में विविधता: पिछले 50 वर्षों में निजी स्कूल सामाजिक-आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा कम विविधता लिए हुए हैं । यह स्कूल-प्रणाली को और इस तक पहुँच / इसकी सुलभता को हानिकारक रूप से स्तरीकृत करता है । इसे बदला जाना आवश्यक है, और इसके लिए नियामक प्राधिकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण को प्रवेश प्रक्रिया, लॉटरी, और छात्रवृत्तियों द्वारा निजी स्कूलों को अपने विद्यार्थियों के बीच पर्याप्त विविधता और समावेशन को प्रोत्साहित करना चाहिए । इसकी प्रेरणा आवश्यक रूप से शिक्षाविदों, NGO और बुद्धिजीवियों की ओर से आए । अंततः स्कूल यह निश्चय करें कि उन्हें इन परिवर्तनों की आवश्यकता है, क्योंकि RTE -एक्ट (12) (c) जैसे उपायों के जरिए स्कूलों को बाध्य करना आशानुरूप प्रभावी नहीं रहा है । उचित कार्यों और नवाचारों के लिए स्कूलों को स्वायत्तता प्रदान करना, स्कूलों को सर्वोत्तम तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का सामान्यतया बेहतर तरीका है और यह इस नीति के सिद्धांतों के अनुरूप भी है ।

P8.3.9. निजी स्कूलों के शैक्षणिक परिणामों में सुधार: निजी स्कूलों को अपने शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए भी प्रयास करना चाहिए, जिसके परिणामों को P8.3.4. के अनुसार सार्वजनिक रूप से प्रकट किया जाएगा। यदि एक निजी स्कूल ऐसे सुधारों के लिए सार्वजनिक प्रणाली की मदद लेना चाहता है तो, यह निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान की जाएगी:

- a. सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान निजी विद्यालयों के लिए कोई विशेष या अतिरिक्त प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन इन विद्यालयों को सार्वजनिक विद्यालय में चल रही गतिविधियों से लाभ उठाने में सक्षम बनाएँगे, उदाहरण के लिए, एक निजी स्कूल अपने शिक्षकों को सार्वजनिक स्कूल के शिक्षकों के लिए तैयार किए गए और संचालित किए गए क्षमता संवर्धन कार्यशालाओं में भेज सकता है, या निजी विद्यालय सार्वजनिक स्कूल-कॉम्प्लेक्स के साथ संसाधनों को साझा करने की गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं (उदाहरण के लिए, साझे खेल के मैदान का निर्माण या उपयोग या फिर व्यावसायिक शिक्षकों को साझा करना, आदि)।
- b. इस तरह के किसी भी सार्वजनिक समर्थन के लिए निजी स्कूलों द्वारा एक उचित शुल्क या लागत अदा करना पड़ सकता है।
- c. ऐसे किसी भी व्यवस्था पर निजी स्कूल और सार्वजनिक संस्थाओं (उदाहरण के लिए, स्कूल कॉम्प्लेक्स, BRC, DIET) की सहमति होनी चाहिए, और फिर इस व्यवस्था का संबंधित प्रशासनिक निकाय (उदाहरण के लिए, SMC, DEO, SCERT) द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए, और इस व्यवस्था के अंतर्गत निजी स्कूलों द्वारा किए गए उपयोगों और वहाँ किए गए खर्चों का सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण होना चाहिए।
- d. किसी भी दशा में निजी स्कूलों को दी जा रही यह मदद सार्वजनिक स्कूलों को मिलने वाले अवसरों और समर्थन की कीमत पर नहीं होगी, इस हेतु पारस्परिक लाभ और तालमेल हमेशा ही सबसे महत्वपूर्ण विचार होंगे।

8.4. RTE-ऐक्ट के निहितार्थ

RTE-ऐक्ट भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। इन नीति के कतिपय कार्यों के निहितार्थ RTE-ऐक्ट के अंतर्गत आने वाले कार्यों से जुड़े

हैं। यह नीति स्वयं को सक्षम करने के लिए, RTE-एक्ट की एक व्यापक और विस्तृत समीक्षा की परिकल्पना करता है। इस समीक्षा के बाद संभव है कि RTE-एक्ट उपयुक्त तरीके से संशोधित हो और/या सरकार इस नीति कि व्यापक विधायी सक्षमता पर विचार कर सकती है, क्योंकि RTE-एक्ट के अतिरिक्त समग्र नीति में भी कई विधायी आयाम हैं।

इसके साथ ही इस समीक्षा का उपयोग पिछले दशक की सीखों और अनुभवों के आधार पर RTE में सुधार के लिए भी किया जा सकता है। संक्षेप में कहें तो RTE को शैक्षणिक परिणामों पर अधिक और इससे संबंधित इनपुट पर कम ध्यान देना चाहिए। इसे इनपुट और प्रक्रियाओं पर मशीनी और निश्चयात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए वरन उत्तरदायी और समर्थकारी होना चाहिए, उदाहरण के लिए आधारभूत संरचना से जुड़ी आवश्यकताओं पर। शासनादेशों के स्थान पर इसे सार्वजनिक जांच के लिए प्रकटीकरण पर जोर देना चाहिए, और इसके अतिरिक्त इसे सार्वजनिक स्कूलों और सार्वजनिक हितों से जुड़े निजी स्कूलों को सशक्त बनाना चाहिए। ऐसा करने के लिए इसे स्कूलों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सर्वोत्तम तरीकों के अनुरूप निश्चित किए गए बुनियादी ढाँचे, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधाएँ, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन-बोर्ड, प्रवेश, शिक्षक विद्यार्थियों के समूह की पर्याप्त विविधता, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की सुविधाएं और छात्रवृत्तियाँ और इसी प्रकार के अन्य मुद्दों पर स्थानीय आवश्यकताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सहायता प्रदान कर सशक्त करना चाहिए।

P8.4.1. प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा को शामिल करने के लिए RTE-एक्ट, 2009 का विस्तार: यह सुनिश्चित करने के लिए कि वंचित और हाशिये के समुदायों के बच्चों सहित सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा में प्रतिभाग का निश्चित अवसर प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा (3 वर्ष से अधिक की आयु से) से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 12 तक) तक प्राप्त होगा – आज इन दोनों को (प्रारम्भिक बाल्यावस्था और उच्चमाध्यमिक शिक्षा) एक बच्चे के शैक्षणिक विकास और पारंगतता के लिए आवश्यक माना जाता है – को ध्यान में रखते हुए RTE-एक्ट को कक्षा 1 से पूर्व की तीन वर्ष की प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा को शामिल करने के लिए नीचे की ओर और कक्षा 11 और 12 की शिक्षा को शामिल करने के लिए ऊपर की ओर विस्तारित किया जाएगा।

दूसरे शब्दों में, सम्पूर्ण बुनियादी स्तर की शिक्षा से लेकर सम्पूर्ण माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए, 3 से 18 वर्ष की आयु-वर्ग के सभी बच्चों और किशोरों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का सरकारी प्रावधान होगा। **P1.8** और **P3.13** भी देखें।

P8.4.2. RTE-ऐक्ट की समीक्षा: इस नीति को सक्षम बनाने के लिए, और इस नीति के प्रकाश में पिछले दशक में प्राप्त अनुभवों और सीखों के आधार पर RTE-ऐक्ट की व्यापक समीक्षा की जाएगी:

- a. इनपुट पर आवश्यकता से अधिक जोर, और भौतिक तथा बुनियादी ढाँचे से संबंधित निर्देशों की मशीनी प्रकृति में परिवर्तन किया जाएगा और उन्हें जमीनी हकीकतों के प्रति अधिक उत्तरदाई बनाया जाएगा; उदाहरण के लिए भूमि और कमरों के आकार के विषय में, शहरी क्षेत्रों में खेल के मैदान से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों, आदि के विषय में। इन मानकों का समायोजन किया जाएगा और इन्हें उदार बनाया जाएगा जिससे कि सभी स्कूल स्थानीय आवश्यकताओं और चुनौतियों के आधार पर स्वयं निर्णय ले सकेंगे, लेकिन बचाव व सुरक्षा की आवश्यकताओं और एक सुखद और प्रभावी सीखने के स्थान से किसी भी प्रकार का समझौता किए बिना।
- b. शैक्षणिक परिणामों को उचित स्थान दिया जाएगा और इन्हें स्कूलों के मूल्यांकन में पर्याप्त रूप से शामिल किया जाएगा।
- c. इन नीति के प्रकाश में, RTE-ऐक्ट द्वारा पिछले दशक में प्राप्त सकारात्मक और नकारात्मक अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, धारा 12(1)(c) की समीक्षा की जाएगी।
 - अपने मूल अर्थ में, 12(1)(c) निजी स्कूलों में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को शामिल करने के अच्छे इरादे को समाहित किए हुए है। लेकिन यह क्लॉज़, नीति में वर्णित संस्थानों की स्वायत्तता के उन सिद्धांतों (विद्यार्थियों के प्रवेश सहित) के अनुरूप नहीं है जो स्कूलों को सशक्त करता है और सही कदम उठाने के लिए

उनमें विश्वास करता है। इसके साथ ही, इस क्लॉज़ को बहुत ही मिश्रित प्रभाव के साथ लागू किया गया, और इसने भ्रष्टाचार से संबन्धित कई संभावनाएं को उजागर किया है, जैसे कि झूठी विद्यार्थी संख्याओं और नकली प्रमाण पत्रों का निर्माण, फीस में वृद्धि, और फिर इस क्लॉज़ से बचने के लिए अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा पाने के लिए गुटबाजी, और इसके जैसा ही और भी बहुत कुछ। इसके अतिरिक्त, इस क्लॉज़ को लागू करने में व्यय हुई एक बड़ी रकम और प्रयासों का और भी प्रभावी तरीके से कहीं और निवेश किया जा सकता था, उदाहरण के लिए धन का निवेश सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को सशक्त करने में किया जा सकता था, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में – जो कि वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या को स्थायी तरीके से सहायता प्रदान करता।

- यदि समीक्षा यह सलाह देती है कि 12(1)(c) को इसी तरह से रखना चाहिए, तो इसे इस प्रकार बेहतर तरीके से लागू किया जाना चाहिए।
 - i. क्लॉज़ 12(1)(c) के अंतर्गत वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के प्रवेश को निष्पक्ष तरीके से और पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। सभी स्कूलों द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया के लिए एक पारदर्शी और सार्वजनिक IT-प्लेटफॉर्म आधारित तंत्र का निर्माण और प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसा कि कुछ राज्यों में पहले से ही किया जा रहा है। सभी स्कूलों को ठीक समय पर उनके लिए सुनिश्चित किया गया अपेक्षित धन मिल जाना चाहिए जिससे कि स्कूल की शैक्षिक गतिविधियां बाधित न हों।
 - ii. क्लॉज़ 12(1)(c) के तहत सहायता प्राप्त करने वाले स्कूल इस प्रकार प्रवेशित हुए बच्चों के स्वागत और उन्हें स्कूल से एकीकृत करने के लिए पूर्ण और विशिष्ट प्रयास करेंगे, और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके साथ किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदभाव न हो। ऐसे सभी बच्चे, जो कि अधिगम प्रक्रिया में पीछे छूट रहे हैं या जो इस प्रक्रिया में देर से जुड़े हैं, को सभी स्कूलों

द्वारा सहानुभूति पूर्वक और प्राकृतिक रूप से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी; उदाहरण के लिए, साथी से सीखने की प्रक्रिया और उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम द्वारा। भेदभाव, और अतिरिक्त फीस, या छिपी फीस, आदि के मामलों में शिकायत निवारण के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी; उदाहरण के लिए इसे SSRA की शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से लागू किया जा सकता है।

- iii. पिछले एक दशक में हुए RTE के कतिपय प्रावधानों/क्लॉज़ के दुरुपयोग को प्रभावी बाध्यकारी, प्रशासनिक और विधायी उपायों द्वारा रोका जाएगा। संभव है कि अन्य दुरुपयोग भी होंगे लेकिन दो प्रमुख दुरुपयोग हैं: (i) संभावना है कि क्लॉज़ 12(1)(c) का कतिपय निजी स्कूलों ने, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चों कि प्रवेश संख्या को बढ़ाकर, और विद्यार्थियों से राज्य द्वारा प्रतिपोषित धन के अतिरिक्त और उससे अधिक फीस वसूल कर और/या इन विद्यार्थियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करते हुए, दुरुपयोग किया हो। और (ii) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान न्यायिक छूट का फायदा उठाते हुए कतिपय स्कूलों द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा करके; जबकि वास्तविकता में इन स्कूलों के कुल विद्यार्थियों में प्रमुख रूप से उस अल्पसंख्यक समूह के विद्यार्थियों का अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि ये स्कूल मुख्यरूप से उस विशेष अल्पसंख्यक समूह के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं।
- d. गुरुकुल, मदरसा, पाठशाला, होम-स्कूल, वैकल्पिक स्कूल, आदि को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा प्रणाली (उदाहरण के लिए, BOAs में) में भाग लेने कि अनुमति देने के साथ ही सक्षम भी किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु को मान्य और सक्षम बनाया जाएगा और इसके लिए विशिष्ट मानदंड (शैक्षणिक परिणामों के संदर्भ को शामिल करते हुए) निर्धारित किए जाएंगे; ये मानदंड अत्यंत ही सीमित किन्तु अपरिहार्य होंगे, इनका

ईमानदारी से प्रयोग किया जाएगा, और दुरुपयोग को रोकने के लिए इन्हें सख्ती से लागू किया जाएगा।

- e. RTE-ऐक्ट में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और फेल न करने की नीति के संदर्भ में हुए संशोधनों की निश्चित रूप से समीक्षा होनी चाहिए। यह नीति बताती है की कक्षा 8 तक के बच्चों को रोका नहीं जाएगा; और इसके बजाय स्कूल यह सुनिश्चित करें कि बच्चे स्तर के अनुरूप अधिगम स्तरों को हासिल कर रहे हैं और उन्हें आवश्यक अतिरिक्त प्रासंगिक सहायता (उदाहरण के लिए, उपचारात्मक शिक्षण के कार्यक्रमों जैसे कि NTP और RIAP द्वारा) प्राप्त हो रही है।
- f. निजी स्कूलों सहित सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के अधिगम के मूल्यांकन हेतु तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन के लिए बेहतर प्रावधान हो सकते हैं।

8.5. विद्यालयी शिक्षण प्रणाली के कामकाज का मूल्यांकन

शैक्षणिक परिणामों का मूल्यांकन स्कूली शिक्षा प्रणाली के कामकाज और सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण फीडबैक-लूप तैयार करेगा।

P8.5.1. राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण और राज्य स्तरीय उपलब्धि सर्वेक्षण: बच्चों के अधिगम स्तरों से संबंधित NAS समय समय पर आयोजित किया जाएगा। मूल्यांकन चक्र कम से कम तीन वर्षों का होगा। मूल्यांकन की यह प्रक्रिया पाठ्यचर्या और अधिगम के सम्पूर्ण क्षेत्र को कवर करेगा, जिसमें विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान और कौशल और ऐसी सामान्य क्षमताएँ और कौशल शामिल होंगे जो किसी भी विद्यार्थी के लिए हासिल करना आवश्यक है। यह सर्वेक्षण शिक्षण प्रणाली का एक शैक्षणिक स्वास्थ्य-परीक्षण प्रदान करेगा और इस कारण एक सैंपल पर आधारित होगा और इसलिए इसे एक बड़े पैमाने पर नहीं करना चाहिए। NAS राष्ट्रीय स्तर पर एक समान राष्ट्रीय रूपरेखा के साथ आयोजित किया जाएगा। NAS के इस रूपरेखा का निर्धारण

NCERT द्वारा किया जाएगा। यह NCERT द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर संगठनों द्वारा आयोजित किया जाएगा।

राज्य एक निश्चित समयान्तराल पर कक्षा और स्कूल के स्तर पर बच्चों के सीखने से संबंधित सेंसस-आधारित मूल्यांकन कर सकते हैं, जो कि NAS के समान होगा, और जिसे राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण (State Assessment Survey / SAS) कहा जाएगा। यह कक्षा 3, 5, और 8 के लिए किया जा सकता है। SAS के परिणामों को पारदर्शिता पूर्वक शिक्षकों, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों, SMC, और समुदाय को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। SAS के आंकड़ों का, विद्यार्थियों के नामों को हटाकर गुप्त रूप में, उपयोग शोध के कार्यों और शैक्षणिक परिणामों में निरंतर सुधार हेतु नीतियों के मार्गदर्शन में किया जा सकता है।

SAS का उद्देश्य पूर्व में उल्लिखित इच्छुक पक्षों को सूक्ष्म और वृहद स्तर पर सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को समायोजित करने या इसमें मदद करने के लिए समरी-फीडबैक (summary feedback) प्रदान करना है। यह नीति स्पष्ट रूप से यह मानती है कि व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे शैक्षणिक योगात्मक मूल्यांकनों का उपयोग बहुत ही सीमित है और यह सतत व्यापक विकासात्मक मूल्यांकन की शैक्षणिक और विकासात्मक भूमिका को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, जिसे कि दृढ़ता से संचालित किए जाने की आवश्यकता है।

इस प्रकार SAS के परिणाम एक शैक्षणिक स्वास्थ्य-परीक्षण के रूप में इच्छुक पक्षों की सूचना मात्र के लिए हैं, और इनका उपयोग व्यक्तिगत रूप से किसी विद्यार्थी या शिक्षक से संबंधित किसी प्रशासनिक या शैक्षणिक निर्णयों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। विशेष रूप से NAS और SAS मूल्यांकनों का उपयोग व्यक्तिगत रूप से किसी शिक्षक, विद्यार्थी, और/या स्कूल के आकलन या ग्रेडिंग के लिए नहीं किया जाना चाहिए, साथ ही इनका उपयोग व्यक्तिगत विद्यार्थियों, स्कूलों या स्कूल-कॉम्प्लेक्स की ट्रेकिंग या लेबलिंग के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये सर्वेक्षण किसी विशेष विद्यार्थी, शिक्षक या स्कूल या फिर उसकी सामाजिक-जनसांख्यिकीय विशेषताओं से संबंधित

सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं करेंगे। इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य, स्थानीय हितधारकों को व्यक्तिगत-फीडबैक प्रदान करना, और समग्र आंकड़ों और एनॉनिमस-टेस्टिंग के आधार पर राज्य में सीखने और सीखने के परिणामों की सामान्य अवस्था को समझना, और शैक्षणिक प्रणाली में सतत सुधार को दिशा देने में सहायता प्रदान करना है।

सीखने से संबंधित चुनौतियों, विकासात्मक चुनौतियों, और अन्य प्रकार की चुनौतियों और आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान स्कूलों में की जाएगी और इस प्रक्रिया में शिक्षक और अभिभावक अनिवार्य रूप से जुड़ेंगे, और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यह प्रक्रिया पर्याप्त संवेदनशीलता के साथ पूरी की गई हो।

8.6. बच्चों और किशोरों के शिक्षा के अधिकारों का संरक्षण

बच्चों के अधिकारों का संरक्षण बच्चों की व्यक्तिगत सुरक्षा से कहीं अधिक है, और इसमें शामिल है: शारीरिक दंड की रोकथाम; शारीरिक या भावनात्मक शोषण या उत्पीड़न की समाप्ति; स्कूल की गतिविधियों के दौरान चोट से बचने की सावधानियाँ, सुरक्षित बुनियादी ढाँचा, बच्चों के अनुकूल भाषा और क्रियाओं का प्रयोग; भेदभाव का अभाव; आदि। यह बच्चों के लिए एक ऐसे उचित वातावरण के निर्माण की हिमायत करता है जो बच्चों के प्रति संवेदनशील हो। बच्चों की शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, बाल अधिकारों में किसी भी प्रकार के उल्लंघन के प्रति ज़ीरो टालरेंस का दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

इस हेतु निम्न पहलें की जाएंगी:

P8.6.1. स्कूल सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा और दिशानिर्देश विकसित किए जाएंगे, और इन्हें स्कूली शिक्षा के संस्थानों की मान्यता और पंजीकरण के लिए पात्रता शर्तों का हिस्सा बनाया जाएगा।

- P8.6.2.** सभी प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को बाल अधिकारों और उनके उल्लंघन के परिणामों के संदर्भ में प्रासंगिक अधिनियमों, नियमों और विनियमों से जुड़े प्रावधानों से अवगत कराया जाएगा, और इसके लिए शिक्षकों/प्रधानाचार्यों के शैक्षणिक/प्रशिक्षण कार्यक्रमों और रीफ्रेशर-कोर्स में इससे संबंधित एक मॉड्यूल शामिल किया जाएगा।
- P8.6.3.** विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के हित में स्वयं-सीखने से संबंधित एक ऑनलाइन-शिक्षण कार्यक्रम विकसित किया जाएगा।
- P8.6.4.** स्थानीय पुलिस के सहयोग से विद्यार्थियों द्वारा उनके अधिकारों के हनन से संबंधित घटनाओं की रिपोर्टिंग और अपराधियों के खिलाफ उचित कार्यवाही के लिए एक विश्वसनीय तंत्र को विकसित और कार्यान्वित किया जाएगा।
- P8.6.5.** किशोर शिक्षा कार्यक्रम और राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
- P8.6.6.** किशोर शिक्षा को माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के सेवा-पूर्व और सेवारत शिक्षण और विकास कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा।
- P8.6.7.** स्कूल और स्कूल-कॉम्प्लेक्स के परामर्शदाताओं (counsellors) को बढ़ते/बढ़ती उम्र के लड़के और लड़कियों द्वारा सामना किए जाने वाले समस्याओं पर अभिभावकों और शिक्षकों को गोपनीय रूप से सलाह देने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।



भाग II

उच्च शिक्षा

अध्याय 9

गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय: भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नई और भविष्योन्मुखी दूरदृष्टि

उद्देश्य:

उच्च-शिक्षा प्रणाली में सुधार करके देश भर में बहुअनुशासनात्मक उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित करना एवं वर्ष 2035 तक GER को कम से कम 50% तक बढ़ाना।

एक राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं लोगों की आजीविका के सतत उपार्जन में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है और मानव कल्याण में भी यह एक बड़ी तथा समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उच्च शिक्षा संविधान के आलोक में भारत को एक लोकतांत्रिक, न्याय के समक्ष समान, सामाजिक एवं व्यक्तिगत समझ से परिपूर्ण और सांस्कृतिक एवं मानवीय रूप में सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करती है जिसमें सबके लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना एवं न्याय हो। उच्च शिक्षा का लक्ष्य विचारों और नवाचारों के विकास के लिए एक केंद्र स्थापित करना है जो व्यक्तियों को प्रबुद्ध करने के साथ ही देश को सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने में मदद कर सके।

आज का भारत एक अच्छी अर्थव्यवस्था के साथ साथ ज्ञान से परिपूर्ण समाज बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। भविष्य में चतुर्थ औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करते हुए, इसके लिए आवश्यक रचनात्मक एवं विविध दक्षताओं की जरूरत के मध्यनजर, युवा भारतियों में उच्च शिक्षा की आकांक्षा का जन्म हुआ है। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में शीघ्रता से समायोजन, सुधार एवं जोश के संचार की जरूरत है ताकि लोगों की इस मूलभूत जरूरत और आकांक्षा को पूरा किया जा सके।

इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए, विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों की शिक्षा का जरूरी उद्देश्य, अच्छे, बहुमुखी प्रतिभा वाले और रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना और ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाना जहाँ पर वे किसी विषय में गहन स्तर पर या बहुअनुशासनात्मक अध्ययन कर सकें। इसके साथ ही व्यक्ति को जिज्ञासु, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों को मानने वाला, सेवा की भावना और विषयों की एक सीमा से परे देखने वाला बनाना होगा, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, व्यावसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक शिल्प शामिल हों। उच्च शिक्षा को व्यक्तिगत उपलब्धि, ज्ञान, रचनात्मकता, सार्वजनिक सहभागिता और समाज में उत्पादकता के साथ सकारात्मक योगदान देने के लिए सक्षम होना होगा ताकि छात्र अधिक सार्थक एवं संतोषजनक जीवन और भूमिकाओं के लिए तैयार होने के साथ आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी हो सकें। किसी भी अच्छे विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की शिक्षा का उद्देश्य खुशी और अच्छे अवसर देना होना चाहिए, जो सभी नागरिकों के लिए उनकी इच्छानुसार उपलब्ध हों।

सामाजिक स्तर पर, उच्च शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र को प्रबुद्ध, सामाजिक रूप से जागरूक, जानकार और सक्षम बनाना है जो अपने नागरिकों का उत्थान कर सके, और अपनी समस्याओं के लिए सशक्त समाधानों को ढूँढकर लागू कर सके। उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक है कि राष्ट्र में ज्ञान निर्माण और नवाचार का आधार बनकर अग्रसर अर्थव्यवस्था में गहरा योगदान दे सके। उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत रोजगार के अवसरों का सृजन करना ही नहीं बल्कि अधिक जीवंत और सामाजिक रूप से जुड़े हुए सहकारी समुदायों के साथ मिलकर एक अधिक खुशनुमा, सामंजस्यपूर्ण, उत्पादक, अभिनव और समृद्ध राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना है।

उपरोक्त निर्णायक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उच्च शिक्षा व्यवस्था में कुछ मौलिक गुण होने चाहिए। यह छात्रों को व्यापक और बहुविषयक शिक्षा और 21 वीं सदी के लक्षित कौशल प्रदान करने वाली होनी चाहिए और साथ ही दृढ़ता से बहुअनुशासनात्मक ज्ञान को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसे संकाय सदस्यों और छात्रों को स्थानीय समुदायों की वास्तविक एवं व्यवहारिक समस्याओं के साथ संलग्न करना चाहिए जहां वे समावेशन, सहयोग एवं बहुविध तरीकों से अन्तरविरोधी—अनुशासनों को सही मायने में समझ सकें। पूरी तरह से यान्त्रिक रूप से रटकर सीखने के बजाय, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को स्वतंत्र, तार्किक, वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान एवं निर्णय लेने की क्षमताओं को विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही युवा लोगों को राष्ट्रीय मुद्दों और वर्तमान की चिंताओं में संलग्न करना चाहिए। अंत में, इसे नए ज्ञान, नवीनतम खोज आदि का निर्माण करने के लिए मानव क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। उच्च शिक्षा की पाठ्यक्रम संरचना, और प्रक्रिया सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए जिससे इन उद्देश्यों को मजबूती के साथ प्राप्त किया जा सके।

इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि उच्च शिक्षा ऐसी विशेषज्ञता का निर्माण करे जिसकी समाज को अगले 25 साल और उससे भी अधिक समय तक जरूरत हो। केवल इस तरह की नौकरियों के लिए लोगों को तैयार नहीं करना है, जो आज मौजूद हैं, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है ये नौकरियां न रहें अथवा उनकी मौजूदगी न के बराबर ही रहे। उच्च शिक्षा में जिन नौकरियों के लिए लोगों को तैयार किया गया है उसका उपयोग वर्तमान में बहुत कम है। भविष्य के कार्यक्षेत्र समालोचक सोच, संवाद, समस्या निवारण, रचनात्मकता और बहुअनुशासनात्मक क्षमता की मांग करेंगे। एकल-कौशल और एकल-अनुशासनात्मक नौकरियों के समय के साथ स्वचालित होने की संभावना है। इसलिए, भविष्य की कार्य भूमिकाओं के लिए बहु-विषयक और 21वीं सदी की दक्षताओं पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता होगी जो वास्तव में ऐसी क्षमताएं हैं जो मनुष्यों को रोबोट से अलग बनाती है। विशेष रूप से, शिक्षा को भविष्य के लोगों को सशक्त बनाने और रचनात्मक नवाचार करने के लिए तैयार करना चाहिए। उसे बहु-विषयक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने छात्रों को न केवल उनकी पहली नौकरी के लिए तैयार करना होगा, बल्कि उनके दूसरे, तीसरे और भविष्य में सभी नौकरियों के लिए उनको भी तैयार

करेगी। विशेष रूप से, उच्च शिक्षा प्रणाली को आने वाली औद्योगिक क्रांति को केन्द्र में रखते हुए लोगों को इसके लिए तैयार करने का लक्ष्य रखना चाहिए।

संयोग से यह खुशी की बात होगी कि उपरोक्त लक्ष्य जो 21वीं सदी में अपेक्षित है जैसे तार्किक चिन्तन, संवाद, समस्याओं का समाधान, रचनात्मकता, सांस्कृतिक रूप से सक्षम, वैश्विक परिदृश्य के प्रति समझ, समूह में कार्य करने की भावना, नैतिक चिन्तन एवं समाज के प्रति सरोकार आदि केवल उत्कृष्ट कर्मचारी ही नहीं बल्कि साथ में अच्छे नागरिक और समाज का निर्माण करने में सक्षम हो सकेंगे।

वर्तमान भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के सामने क्या चुनौतियां हैं? भारत वर्तमान समय में उपरोक्त वर्णित उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है।

उच्च शिक्षा व्यवस्था का खण्डों में बटा हुआ होना: वर्तमान भारत में 800 से अधिक विश्वविद्यालय और 40,000 महाविद्यालय हैं, जो उच्च शिक्षा के छोटे खण्डों में बंटे होने के साथ साथ इस बात को दर्शाते हैं कि 40 प्रतिशत से अधिक महाविद्यालय केवल एक ही कार्यक्रम चला रहे हैं जो कि 21 वीं सदी की जरूरत के अनुसार बहुअनुशासनिक लक्ष्यों से बहुत दूर है। 20 प्रतिशत महाविद्यालय में 100 से नीचे का नामांकन है जबकि 4 प्रतिशत महाविद्यालय में 3000 से अधिक नामांकन है। (AISHE 2016-17). इस स्थिति को बदतर बनाने में वे छोटे-छोटे महाविद्यालय शामिल हैं जहां उनके पास पढ़ाने के लिए कोई संकाय सदस्य नहीं है। यह बात देश की उच्च शिक्षा की बेहतरी और प्रमाणिकता को गहरे से प्रभावित करती है।

उच्च शिक्षा व्यवस्था के इस विखंडन से विभिन्न स्तरों पर इसका सीधा गहरा प्रभाव देखने को मिलता है जैसे संसाधनों का प्रभावी उपयोग, कार्यक्रमों और विषयों का विस्तार उनकी संख्या, संकाय सदस्यों की विविधता और संख्या एवं उच्च गुणवत्ता वाले बहु-विषयक अनुसंधान को पूरा करने की क्षमता आदि गहरे से प्रभावित होती हैं।

विषयों के बीच खाईयां: विद्यार्थियों को बहुत पहले ही विशेषज्ञता की ओर धकेल देना: भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था ने विषयों और क्षेत्रों की कठोर सीमाएं तय की हैं और असल में शिक्षा क्या है, इस बात पर बहुत कम ध्यान दिया है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, इसकी सबसे हानिकारक बात यह है कि इसने ऐसे एकाकी संस्थानों की

विशाल संख्या विकसित की है जो कि पेशेवर और व्यावसायिक क्षेत्रों में सबसे उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए, हजारों एकल शिक्षण कार्यक्रम चलाने वाले शिक्षक—शिक्षा संस्थान हैं, और अधिकांश इंजीनियरिंग और मेडिकल महाविद्यालय ऐसे ही एकाकी संस्थान हैं। यहां तक कि एक से अधिक विषयों में कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले ऐसे संस्थान भी हैं जहाँ विषयों के बीच में दीवारें हैं। उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग में आम तौर पर अपने एकल कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को इससे बाहर के पाठ्यक्रम ((जैसे कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, या यहां तक कि सैद्धान्तिक विज्ञान आदि) लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, जिससे विविध विषयक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के बजाय समान शिक्षा वाले हजारों विद्यार्थी निकलकर सामने आते हैं। इससे वे एक व्यक्ति के रूप में अपनी रचनात्मकता, अपनी प्रतिभा एवं रुचि को ठीक तरीके से विकसित नहीं कर पाते। उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम से बाहर न जाने की प्रवृत्ति दरअसल शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। वे संस्थान जो उच्च शिक्षा में एकाकी विषयक अध्ययन व पाठ्यक्रम आदि को एकाकी मानकर कार्य कर रहे हैं वे शिक्षा की गुणवत्ता एवं इसके मायनों का उल्लंघन कर रहे हैं।

विशेष सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में पहुंच का अभाव: विगत वर्षों में उच्च शिक्षा की उपलब्धता में तो काफी सुधार हुआ है, लेकिन हमारे सभी युवा नागरिकों तक पहुंचने के लिए यह पर्याप्त नहीं है; शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जबकि उच्च शिक्षा में GER पिछले कई वर्षों में 25% के आसपास बढ़ा है, देखा जाये तो यह उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस नीति का उद्देश्य 2035 तक GER को 50% तक पहुंचाना है, यह हमारे युवाओं की आकांक्षा को पूरा करेगा एवं एक जीवंत समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देने का काम करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि कुल नामांकन वर्तमान के 35 मिलियन विद्यार्थियों से दुगुना हो जायेगा जिससे विशेषकर सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि और इस प्रकार के क्षेत्रों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में अधिक अवसर और उपलब्धता होगी।

शिक्षक एवं संस्थागत स्वायत्तता का अभाव: शिक्षक स्वायत्तता के अभाव में संकाय सदस्यों की प्रेरणा और नवाचार के लिए गुंजाइश में भारी कमी पैदा हो गई है। संकाय सदस्य और संस्था प्रमुख के पास व्यक्तिगत स्वायत्तता होनी चाहिए जो उन्हें अपने शिक्षण, सहज ज्ञान युक्त अनुसंधान एवं सेवा में नवाचार और अन्वेषण करने के लिए अवसर देती है। विशेष रूप से, संबद्ध कॉलेजों की प्रणाली को एक केंद्रीय पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम,

शिक्षाशास्त्र और पाठ्यपुस्तक आदि का अनुसरण करना जरूरी होता है, जिससे शिक्षकों को ऐसी स्वायत्तता प्रदान करना बहुत मुश्किल हो जाता है।

इसी तरह से अधिकतर संस्थान और संस्थागत प्रमुख शैक्षिक अनुसंधान और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में असमर्थ हैं क्योंकि ऐसे साहसिक और अभिनव कदम उठाने के लिए उनके पास शैक्षणिक, प्रशासनिक, या आर्थिक रूप से स्वायत्तता नहीं है।

हाल के वर्षों में एक निर्णायक चुनौती यह है कि 'स्वायत्तता' शब्द का अर्थ सार्वजनिक वित्त पोषण की 'कमी' समझा गया है, और हम इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वास्तव में स्वायत्तता का अर्थ नवाचार करने की स्वतंत्रता, प्रतिस्पर्धा और सहयोग करने की भावना है, अधिक स्थानीय भागीदारी को सुनिश्चित करना एवं संसाधनों को स्थानीय परिस्थितियों और अवसरों की सीधी जानकारी के आधार अधिक उपयोगी बनाना और एकाकीपन से निकलकर उत्कृष्टता की ओर बढ़ना है।

संस्था प्रमुखों एवं संकाय सदस्यों के कैरियर प्रबंधन एवं प्रगति के लिए अपर्याप्त

व्यवस्था: स्वायत्तता की कमी के अलावा, संकाय सदस्यों और संस्थागत प्रमुखों द्वारा समुचित पहल न करने का कारण, उनके कैरियर प्रबंधन के लिए व्यवस्थित ढांचे का न होना है। संकाय सदस्यों एवं संस्था प्रमुख के चयन, कार्यकाल, तरक्की, वेतन वृद्धि एवं आगे बढ़ना (vertical mobility) मेरिट आधारित नहीं है बल्कि यह वरिष्ठता आधारित और मनमाना है। इस व्यवस्था के रहते सभी स्तरों पर बहुत ही गंभीर विघटनकारी और नकारात्मक प्रभाव पड़ा है जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, इसके लिए प्रेरणा, एवं नवाचारों से संबंधित पक्ष पीछे रह गये हैं।

अधिकांश विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध की कमी, विषयक अनुशासनों

में पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी-समीक्षा शोध निधियों की कमी है: स्वतंत्रता के बाद के उच्च शिक्षा में शिक्षण संस्थानों और शोध संस्थानों के बीच विभाजन ने बहुत नुकसान पहुँचाया है। आज देश के अधिकांश विश्वविद्यालय और महाविद्यालय बहुत कम शोध करते हैं तथा यह दो स्तरों पर समस्याग्रस्त है। पहला, देश के अकादमिक समुदाय के द्वारा गंभीर शोध न करने (ऐसा करने के लिए कोई प्रोत्साहन न मिलना) से यह देश में शोध और नवाचार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। दूसरे स्तर पर अकादमिक पक्ष देखा जाये तो

उच्चतर शिक्षा में ज्ञान के निर्माण करने का वातावरण न होने के कारण उत्कृष्ट उच्च शिक्षा एवं शिक्षण का होना कठिन है। वास्तव में, छात्रों को ऐसे स्थान पर नवाचार करना कैसे सिखाया जा सकता है जहाँ नवाचार इनके एजेडे में है ही नहीं ?

वर्तमान समय में, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान की शुरुआत करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। विशेष रूप से राज्य विश्वविद्यालयों में यह एक नवजात अवस्था में है जहाँ उच्च शिक्षा में कुल छात्रों में से 93% छात्र इनमें नामांकित हैं, जो चिन्ता का विषय है। इसके अलावा, अधिकांश उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता युक्त अनुसंधान विचारों और प्रस्तावों के लिए बहुत कम धनराशि उपलब्ध है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण बहु-विषयक और अन्तर-अनुशासनात्मक क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए जैसे स्वच्छ जल, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, शिक्षा और शिक्षाशास्त्र, स्वास्थ्य, आदि से संबंधित।

उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रशासन और नेतृत्व क्षमता का अभाव: मौजूदा समय में उच्च शिक्षा संस्थानों का शासन और नेतृत्व, बाहरी निकायों और व्यक्तियों द्वारा, गहराई से प्रभावित और नियंत्रित किया जाता है। अक्सर इन बाहरी प्रभावों ने उच्च शिक्षा संस्थानों में राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से मुनाफा बनाने में रुचि बढ़ाई है।

सार्वजनिक संस्थानों को अक्सर सरकारी विभागों के विस्तार और विकल्प के रूप में संचालित किया जाता है। संस्थान प्रमुख एवं सदस्यों के चयन और कामकाज में विशेषरूप से बाहरी हस्तक्षेप है; यह हस्तक्षेप जिन लोगों के द्वारा किया जा रहा है वो उच्च शिक्षा में नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त रूप से उपयुक्त लोग नहीं हैं। उनके पास यह दक्षता नहीं है कि वे उच्च शिक्षा में नेतृत्व कर सकें और इसी के परिणामस्वरूप उच्च संस्थानों में जो लोग कार्य कर रहे हैं वे काफी अयोग्य दिखाई देते हैं। इन संस्थानों में शैक्षणिक मामलों जैसे पाठ्यचर्या पर अनेक प्रकार के बाहरी लोगों का नियंत्रण है। इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी काफी मनमानी एवं भ्रष्ट तरीके से की जाती है एवं किसी तरह की योग्यता एवं वरियता का ध्यान नहीं रखा जाता है। ये संस्थान इतने सशक्त नहीं हैं कि वे अपने समूह का ठीक तरह से प्रबन्धन कर सकें इसके साथ ही अपने संकाय सदस्यों की नियुक्ति, उनकी प्रगति, उन्हें उचित मानदेय देने आदि में उनका कोई प्रभाव नहीं है या ये अधिकार उनके पास नहीं हैं। इस वजह से इन संस्थानों की आन्तरिक प्रक्रियाएं प्रायः कमजोर एवं निष्क्रिय हो चुकी हैं।

एक ऐसी नियामक प्रणाली जो उत्कृष्ट एवं रचनात्मक संस्थानों को बाध्य करते हुए फर्जी कॉलेजों को पनपने की अनुमति देती है: कई कागजों पर चलने वाले महाविद्यालय हैं जो बिना किसी डर के चल रहे हैं, जबकि अच्छे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय रूप से अपने आप को विवश और बाधित महसूस कर रहे हैं। दशकों से यह नियम सख्त एवं असंवेदनशील रहे हैं जिसने उच्च शिक्षा प्रणाली में स्वायत्तता और जवाबदेही को नष्ट कर दिया है। वास्तव में बहुत अधिक नियन्त्रित करने की कोशिश की गई है जिसका असर बहुत ही कम है।

मशीनी और विघटनकारी नियामक प्रणाली बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त रही है, जैसे कुछ ही निकायों के पास शक्तियों का केन्द्रीकरण एवं आपसी हितों का टकराव है, परिणामस्वरूप जवाबदेही की कमी प्रभावित हुई है। इस नियामक संस्कृति ने दुर्भाग्य से नवाचार और रचनात्मकता को तो प्रभावित किया ही है इसके साथ ही इसने औसत दर्जे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है।

दूसरा सार्वजनिक संस्थानों एवं निजी HEIs के साथ एक समान स्तर पर व्यवहार नहीं किया गया है। एक तरफ इस दृष्टिकोण ने सार्वजनिक-हितभाव से कार्य करने वाले उच्च संस्थानों को तो हतोत्साहित किया ही है, जबकि दूसरी ओर यह शिक्षा के बाजारीकरण को रोकने में भी असमर्थ रहा है।

सभी तक अक्ल दर्जे के संस्थानों की उपलब्धता के लिए मार्ग में आने वाली उपरोक्त चुनौतियों से उभरना: यह नीति उच्च शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल बदलाव और नए जोश के संचार के लिए उपरोक्त आठ चुनौतियों को दूर करने लिए कहती है। जिससे सभी युवा लोगों को उनकी आकांक्षा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण, समान अवसर देने वाली एवं समावेशी उच्च शिक्षा मिले।

इस नीति की दृष्टि में वर्तमान उच्च शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन शामिल हैं:—

P9.1. ऐसी उच्च शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ना जिसमें विशाल बहुअनुशासनिक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हों: उच्च शिक्षा के बारे में इस नीति का मुख्य जोर उच्च शिक्षा को बड़े एवं बहुअनुशासनिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्थानांतरित करके उच्च शिक्षा में विखण्डन का

अन्त करना है। जिसमें प्रत्येक का लक्ष्य 5,000 या उससे भी अधिक छात्रों का उत्थान करना होगा।

यदि उच्च शिक्षा को पूरी तरह से बड़े बहुअनुशासनिक HIEs में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो यह वर्तमान उच्च शिक्षा के सामने आने वाली कई समस्याओं का समाधान करेगा: -

- यह छात्रों को सीखने के लिए विद्वानों और साथियों के जीवंत समुदाय देगा
- यह विषयों के बीच की उपजी खाईयों और उनके गहरे एकाकीपन को दूर करने में मदद करेगा
- यह छात्रों को उनके सम्पूर्ण मानसिक और चहुंमुखी (कलात्मक, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक) विकास करने में सक्षम बनाएगा। साथ ही उनके लिए सीखने के कार्यक्रम में और लचीलापन और व्यक्तिगत विशेषता लाने में मदद करेगा
- यह अनुशासनात्मक रूप से सक्रिय अनुसंधान समुदायों को विकसित करने में मदद करेगा विशेष रूप से अन्तर-अनुशासनिक अनुसंधान, जो कि 21 वीं सदी के नवाचार के लिए महत्वपूर्ण होगा
- इससे उच्च शिक्षा के दौरान संसाधनों और संसाधनों के बंटवारे, (सामग्री और मानव,) दोनों के उपयोग एवं कार्य कुशलता में काफी सुधार होगा

इस प्रकार, संरचना के स्तर पर उच्च शिक्षा के बारे में, यह नीति सबसे ज्यादा जोर इस बात पर देती है कि उच्च शिक्षा बड़े एवं बहुअनुशासनात्मक विश्वविद्यालयों की तरफ बढ़े। तक्षशिला और नालंदा के प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयजिनमें भारत और दुनिया के हजारों छात्र ऐसे जीवंत एवं बहुअनुशासनात्मक वातावरण में अध्ययन करते रहे हैं, आधुनिक विश्वविद्यालय भी आज बड़ी सफलता का प्रदर्शन करते हुये इस तरह के बड़े एवं बहु-अनुशासनात्मक अनुसंधान विश्वविद्यालय बन सकते हैं। अब समय आ गया है कि भारत इस महान भारतीय परंपरा को वापस लाए, जिसकी जरूरत आज पहले से कहीं ज्यादा है। बहुमुखी प्रतिभा वाले योग्य और

अभिनव व्यक्तियों को बनाने के लिए यह जरूरी है। कई देश पहले से ही शैक्षिक और आर्थिक रूप से इस दिशा में परिणत हो रहे हैं इसके लिए उच्च शिक्षा में बदलाव लाना जरूरी है।

बड़े एवं बहुअनुशासनात्मक HEIs की ओर यह कदम सोच समझ कर, जरूरी समय लेकर और एक प्रणाली के अंतर्गत उठाया जायेगा जिसमें मौजूदा संस्थानों को समेकित और पुनर्गठित करने के साथ देश भर में इस प्रकार के नए विश्व स्तरीय मॉडल संस्थानों की स्थापना कि जायेगी। प्रत्येक जिले में कम से कम एक बड़ा एवं गुणवत्ता युक्त बहुअनुशासनात्मक HEI होगा।

तीन तरह के HEIs जिसमें अनुसंधान, शिक्षण के साथ के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय होंगे जो देश की जरूरतों के अनुरूप होंगे। इसके साथ ही जो HEIs एकल अनुशासनात्मक है उन्हें बहुअनुशासनात्मक रूप में चरणबद्ध प्रक्रिया से परिवर्तित किया जाएगा।

P9.2. एक अधिक उदार (Liberal) स्नातक शिक्षा की ओर बढ़ते हुए: यह नीति हाथों-हाथ ऐसी पहल करने जा रही है जहां 21 वीं सदी की जरूरतों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि एक उदार एवं व्यापकता लिए हुए बहुअनुशासनात्मक शिक्षा ही हमारी उच्च शिक्षा के लिए आधार बनेगी। यह कला, मानविकी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, व्यावसायिक, तकनीकी, व्यावसायिक शिल्प, नैतिक रूप से सामाजिक सहभागिता और चुने हुए क्षेत्र या क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ अन्तर-अनुशासनात्मक क्षेत्रों में विशेष दक्षता रखने वाले व्यक्ति तैयार करने में मदद करेगी, जो कि आने वाली सदी की मांग है। आने वाले समय में इस तरह से सभी स्नातक कार्यक्रमों जिसमें तकनीकी, पेशेवर एवं व्यावसायिक कार्यक्रम शामिल हैं, के लिए उच्च शिक्षा में यह दृष्टिकोण समाहित करना होगा।

कल्पनाशील और लचीली पाठ्यचर्या से छात्रों को अध्ययन के लिए विषयों के रचनात्मक संयोजन को सक्षम बनाने में मदद करेगी, और कई उपयोगी प्रविष्टि और विशेष मुद्दों की पेशकश करेगी, जो वर्तमान में प्रचलित रूढ़ सीमाओं को ध्वस्त करती है और आजीवन सीखने की नई संभावनाएं पैदा करती है।

बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों में स्नातक (स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट) स्तर की शिक्षा, शोध-आधारित विशेषज्ञता प्रदान करने के साथ-साथ शिक्षा और प्रोद्योगिकी सहित बहुअनुशासनात्मक कार्यों के अवसर भी प्रदान करेगी। भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में एवं विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक साहित्य संयोजन की तथाकथित 'लिबरल' आर्ट्स में समग्र और बहु-अनुशासनात्मक रूप से सीखने की एक लंबी परंपरा रही है।

प्राचीन पुस्तकों में शिक्षा को 64 कलाओं या कलाओं के ज्ञान के रूप में वर्णित किया गया था, और इन 64 कलाओं में गायन, संगीत वाद्ययंत्र बजाना, और पेंटिंग जैसे विषय शामिल थे, लेकिन साथ ही साथ ऐसे वैज्ञानिक क्षेत्र जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा और गणित आदि भी शामिल थे।

कई कलाओं के ज्ञान की धारणा - अर्थात् आधुनिक काल में जिसे 'लिबरल आर्ट्स' कहा जाता है, उसे भारत की शिक्षा में वापस लाया जाना चाहिए, क्योंकि यह ठीक उसी प्रकार की शिक्षा है जो 21 वीं सदी या आने वाले समय के लिए जरूरी है।

P9.3. संकाय और संस्थागत स्वायत्तता की ओर बढ़ना: संकायों की स्वायत्तता के माध्यम से, संकाय को सक्षम और प्रेरित करने के लिए उन्हें शिक्षण और शैक्षणिक दृष्टिकोण, छात्र मूल्यांकन, सामुदायिक सेवा की पहल, और अनुसंधान में नवाचार करना होगा। साथ ही लगातार सुधार करने के लिए, विश्वविद्यालय व्यापकता के साथ बड़े मंचों पर एक दूसरे के साथ बेहतरीन क्रियाकलापों एवं विचारों को साझा करें। संस्थागत अकादमिक और प्रशासनिक स्वायत्तता के माध्यम से, संस्थान को बेहतर और अत्याधुनिक कार्यक्रमों को शुरू करने और चलाने में सक्षम बनाया जाएगा, नवीन पाठ्यक्रम का विकास होगा, परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय रूप से दिए गए स्थानीय ज्ञान को और अधिक अनुकूल बनाकर लोगों की कैरियर प्रबंधन प्रणाली को व्यवस्थित करना होगा। प्रशासन और शिक्षाविदों के सभी मुद्दों को स्थानीय स्तर पर (अर्थात्, संकाय और संस्था प्रमुख) सीधे तौर पर शामिल किया जाएगा। साथ ही उनको स्थानीय स्तर

पर (और नए उन्नत तरीके) बेहतर तरीके से संभाला जाएगा और उन्हें ऐसा करने के लिए सशक्त बनाया जाएगा।

सार्वजनिक संस्थानों को ऐसी शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करने एवं उनकी स्थिरता के लिए पर्याप्त रूप से फंड प्रदान किया जाना चाहिए। समय के साथ, विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों द्वारा वित्तीय सत्यनिष्ठा और इसके प्रति जिम्मेदारी को बढ़ाना होगा। वित्तीय स्वायत्तता की बढ़ोतरी करने से शिक्षण, सेवा, संसाधन और अनुसंधान के लिए संसाधनों का वितरण आदि स्थानीय स्तर पर हो जाएगा जिससे लोगों द्वारा संसाधनों का अनुकूलन स्थानीय जरूरत के हिसाब से तय किया जा सकेगा। सबसे बुनियादी जरूरत यह है कि, हमेशा की तरह, पूरी पारदर्शिता के साथ सभी वित्त संबंधित प्रकरण सार्वजनिक समझ के साथ हों एवं वित्त से संबंधित संरक्षण उचित रूप से देना होगा। वित्तीय स्वायत्तता का अर्थ वित्त संरक्षण में कटौती नहीं होगा, बल्कि यह तय करना होगा कि शैक्षिक प्राप्ति को अधिकतम करने के लिए धन को व्यवस्थित रूप से कैसे खर्च किया जाए।

निजी उच्च शिक्षण संस्थान अपने फंड्स की व्यवस्था स्वयं करेंगे हालाँकि, वित्तीय सत्यनिष्ठा, शैक्षणिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी का प्रदर्शन करने के लिए, जब तक वे सार्वजनिक रूप से अपने पूर्ण शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय विवरणों का खुलासा एक पारदर्शिता के साथ करते हैं तो उनको भी इस स्वायत्तता की अनुमति दी जाएगी जिससे वे भी इस ओर बढ़ेंगे।

सभी संस्थानों को स्वायत्तता के ऐसे क्रमिक अनुदान प्राप्त हों जो उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में वास्तव में वास्तविक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण होगा।

P9.4. पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र, मूल्यांकन और छात्रों को दिये जाने वाले सहयोग को फिर से व्यवस्थित करना: पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र, और मूल्यांकन पूरी तरह से यांत्रिक प्रक्रियाओं एवं तथ्यों के मात्र रट कर सीखने से दूर हो जाएंगे। उच्च शिक्षा में परीक्षा प्रणाली पूरी तरह से बदलनी होगी; मूल्यांकन पाठ्यक्रम के उद्देश्यों और शैक्षिक लक्ष्यों को केन्द्र में रखकर निर्देशित किये जाएंगे। इन परिवर्तनों को प्राप्त करने के लिए संकायों को

मदद दी जाएगी। भारतीय भाषाओं में उच्चतर शिक्षा को व्यवहारिक रूप से लागू किया जाएगा।

ODL प्रोग्राम को यह सुनिश्चित करने के लिए फिर से तैयार किया जाएगा कि उनकी गुणवत्ता कक्षागत कार्यक्रमों के बराबर ही बेहतरी लिये हुये हों। उच्च शिक्षा की पहुंच का विस्तार करने और इसमें सुधार लाने में ODL कार्यक्रम मदद करेगा।

छात्रों के लिए शैक्षणिक, वित्तीय, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से सहायता प्रणाली विकसित की जाएगी विशेष रूप से वंचित समूहों के लोगों पर विशेष ध्यान देने के साथ इसे रखा जाएगा।

P9.5. योग्यता के आधार पर नियुक्तियों और कैरियर प्रबंधन के माध्यम से संकाय स्थिति और संस्थागत नेतृत्व की अखंडता की पुनःपुष्टि करना: सभी संकाय पदों को एक समुचित मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर भरा जाएगा, साथ ही अनुबंध आधारित रोजगार को रोक दिया जाएगा। संकाय, उनके कार्यकाल, नियुक्ति पदोन्नति और सेवा दौरान मिलने वाले अन्य लाभ आदि में वृद्धि, योग्यता के आधार पर होगी। सेवा में रहते हुए उनके शिक्षण एवं उससे जुड़े अनुसंधान जिसका मूल्यांकन विद्यार्थियों, संस्थाप्रमुखों के द्वारा एक गहन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। जिसमें संस्था प्रमुख एवं HIE समितियां और गवर्निंग बोर्ड के साथ संस्थागत नेतृत्व स्पष्ट रूप से शामिल होगा।

संस्था प्रमुखों को पदों पर नियुक्ति के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण और पदोन्नति के विभिन्न चरणों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही तैयार करना होगा और इन पदों पर परिवर्तन एक नियत समय में अतिव्यापक एवं सरल तरीके से होगा। संस्थागत प्रमुख नवाचार और उत्कृष्टता की संस्कृति बनाने में मदद करेंगे जो कि उत्कृष्ट और अभिनव शिक्षण, शिक्षण—अनुसंधान, संस्थागत कार्य और संकाय सदस्यों के साथ HEI व समुदाय तक सबकी पहुंच को प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार के प्रोत्साहन से महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को सभी क्षेत्रों में जैसे शिक्षण, अनुसंधान और सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

P9.6. एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना: (NRF): सभी विषयों में उत्कृष्ट एवं रचनात्मक अनुसंधान प्रस्ताव के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना की जाएगी जिसमें प्रतिस्पर्धी अनुदान देने के लिए साथियों की समीक्षा और प्रस्तावों की सफलता को आधार रखा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, यह उन शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान को विकसित करने, और सुगम बनाने का लक्ष्य रखेगा, जहां अनुसंधान वर्तमान में एक नवजात अवस्था में है। अनुसंधान में सक्रिय विद्वानों की सलाह ली जाएगी, ये वे लोग होंगे जो वर्तमान समय में अनुसंधान के क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं या अब प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

NRF भी शोधकर्ताओं, सरकार, उद्योग और मंत्रालयों के बीच एक संपर्क के रूप में कार्य करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सबसे अधिक प्रासंगिक और सामाजिक रूप से उपयोगी अनुसंधान लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे।

अंत में, NRF शोधकर्ताओं के काम को पहचानने वाले पुरस्कारों और सेमिनारों के माध्यम से फंडिंग के साथ विषयों और विभिन्न श्रेणियों में, पहल के माध्यम से प्राप्त उत्कृष्ट शोध उपलब्धियों को मान्यता भी देगा।

ये सभी पहल, HIEs में कैरियर प्रबंधन उससे जुड़ी संरचनाओं को उपयुक्त रूप से प्रोत्साहन देने वाले अनुसंधानों के साथ मिलकर, अधिकांश राज्य विश्वविद्यालयों जहाँ अनुसंधान पहले एक मजबूत तरीके से मौजूद नहीं था, में अनुसंधान संस्कृतियों को विकसित करने में मदद करेंगी।

P9.7. पूर्ण रूप से अकादमिक और प्रशासनिक स्वायत्तता के साथ उच्च शिक्षा संस्थान स्वतंत्र बोर्डों द्वारा शासित होंगे: बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (BoG), HIE के चांसलर और वाइस चांसलर / डायरेक्टर / चीफ एक्जीक्यूटिव की नियुक्तियों के लिए स्पष्ट मेरिट बेस प्रक्रियाएं, सरकार से बाहरी हस्तक्षेप को समाप्त करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उच्च क्षमता वाले व्यक्तियों को शामिल करने का लक्ष्य रखेंगे जिन्होंने संस्था के प्रति मजबूती एवं प्रतिबद्धता के साथ जिम्मेदारियों का निर्वह किया है। संयुक्त एवं समन्वित रूप से संस्थागत शैक्षिक परिणामों के लिए जवाबदेही संस्थान बोर्ड के पास होगी। संस्था के

दीर्घकालिक विकास के लिए सरकार (और इसके निकायों) सहित सभी हितधारक/स्टेकहोल्डर्स का जुड़ाव करने के लिए मजबूत तंत्र स्थापित किया जाएगा।

P9.8. "लचिले लेकिन स्थायित्व प्रदान करने वाले नियामक": उच्च शिक्षा एवं पेशेवर शिक्षा की विनियामक प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए इसके लिए केवल एक नियामक बनाया जाएगा। बुनियादी मानकों पर प्रत्यायन (एक्रेडिटेशन), जैसे वित्तीय सत्यनिष्ठा आदि, सभी विनियमन के लिए आधार तैयार करेगा - ये पैरामीटर न्यूनतम होंगे लेकिन दृढ़ता के साथ लागू किए जाएंगे, जिनमें यह बात भी शामिल है वे HEI जो तय नियामकों पर सटीक अथवा उनको अपना नहीं रहे हैं उन्हें बन्द कर दिया जाये। HEI द्वारा सभी प्रासंगिक जानकारी का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी और इसका सार्वजनिक जांच और सूचित निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाएगा।

फंडिंग, मानक सूचकों, मान्यता और विनियमन के विभिन्न विशिष्ट कार्यों को अलग किया जाएगा और स्वतंत्र निकायों द्वारा इसे संचालित किया जाएगा, सत्ता का एक जगह केन्द्रण और व्यक्तिगत मतों के टकराव को समाप्त किया जाएगा। निजी और सार्वजनिक संस्थानों के नियामक शासन द्वारा एक जैसा ही माना जाएगा। शिक्षा के बाज़ारीकरण को रोका जाएगा और जनहित प्रयासों को अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाएगा।

उच्च एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस नीति के उक्त दृष्टिकोण का सारांश प्रस्तुत किया गया है। (Chapter 2 में, उपरोक्त प्रत्येक पहल पर विस्तार से विवरण दिया गया है।

शब्दावली.

एक कार्यक्रम में पाठ्यक्रम या सीखने के अन्य तरीकों का एक समुच्चय होता है, जिसके सफल समापन के परिणामस्वरूप डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त होता है। एक पाठ्यक्रम एक विशेष विषय में अध्ययन / निर्देश की एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई इकाई है, जिसका आमतौर पर व्याख्यान या पाठ की एक श्रृंखला के रूप में लेन-देन किया जाता

है या जिसके बरक्स कुछ प्रदान किया जाता है। (जैसे, कार्यक्रम के बारे में)। एक कोर्स आम तौर पर एक सेमेस्टर जो छमाही या ट्राइमेस्टर जो तिमाही के लिए चलेगा, जबकि कार्यक्रम आमतौर पर 3-5 साल तक चलते हैं। एक पाठ्यक्रम विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों के लिए एक संगठनात्मक ढांचा है, जो अध्ययन के कार्यक्रम को बनाते हुए, सीखने के पाठ्यक्रम और तरीकों के रूप में संरचनाबद्ध होता है।

यह नीति उच्च शिक्षा संस्थान (HEI) शब्द का उपयोग माध्यमिक विद्यालय स्तर के बाद (ग्रेड 12) शामिल किसी भी संस्थान के लिए करती है, जो किसी भी क्षेत्र या विषय—अनुशासन में किसी भी स्तर पर डिग्री प्रदान करता है। इसमें विश्वविद्यालय(सभी प्रकार के), स्वायत्त महाविद्यालय और ऐसे संस्थान शामिल हैं जिन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। संबद्ध कॉलेजों को शासन और विनियमन के उद्देश्य से संबद्ध विश्वविद्यालय का हिस्सा माना जाता गया है। पॉलिटेक्निक जैसे संस्थान, HEIs के भीतर तब तक शामिल नहीं किये जायेंगे जब तक वे केवल डिप्लोमा प्रदान करने का कार्य करते रहेंगे। इस तरह के संस्थानों को वोकेशनल एजुकेशन आदि के बारे में पॉलिसी के अध्याय 20 में रखा गया है और प्रासंगिक होने पर विशेष रूप से अन्यत्र भी संदर्भित किया गया है।

अध्याय 10

संस्थागत पुनर्गठन और समेकन

उद्देश्य:

ऐसे जीवंत और बहुअनुशासनात्मक गुणवत्तापूर्ण संस्थाओं का गठन जिनसे भारत में उच्च शिक्षा की क्षमता में बढ़ोतरी हो और इन तक सबकी पहुँच सुनिश्चित हो सके।

अध्याय 9 में उच्च शिक्षा के लिए जिस नींव का खाका खींचा गया है उसके लिए HEI पर एक नयी समझ की आवश्यकता है। HEI एक विश्वविद्यालय या एक कॉलेज के बारे में नई दूरदृष्टि है। एक HEI का लक्ष्य अपने आपको एक विस्तृत और व्यापक शिक्षा एवं शोध के केंद्र के रूप में स्थापित कर, एक बड़े स्तर पर बहुअनुशासनात्मक संस्था की तरह विकसित करना है। तदनुसार, विश्वविद्यालय मतलब एक ऐसी बहुअनुशासनात्मक संस्था जो उच्च स्तरीय अधिगम (लर्निंग) के लिए उच्च श्रेणी के शिक्षण और शोध के अवसरों के लिए ग्रेजुएट और अंडर-ग्रेजुएट प्रोग्राम चलाएगी। तो अगर विश्वविद्यालयों को परिभाषित करें तो ऐसे संस्थान जो शिक्षण और शोध (शोध विश्वविद्यालय) को बराबर महत्व दें, साथ ही ऐसे संस्थान जो गुणवत्ता शिक्षण (शिक्षण विश्वविद्यालय) को आधार मानकर सार्थक शोध में भी निवेश करें।

जबकि कॉलेज ऐसे संस्थान होंगे जो एक विश्वविद्यालय जितने बड़े नहीं पर उच्च स्तरीय अधिगम (लर्निंग) के बहुविषयक सेंटर होंगे जो अंडर-ग्रेजुएट प्रोग्राम चलाएंगे। एक कॉलेज या तो पूर्ण रूप से डिग्री देने वाले स्वायत्त संस्थान होंगे या फिर एक विश्वविद्यालय के एक अंग की तरह काम करेंगे। अगर वो चाहें तो एक समुचित मान्यता प्राप्ति के बाद, अपने आपको एक स्वायत्त शोध या शिक्षण संस्थान के रूप विकसित कर सकते हैं।

ये इस पालिसी का विजन है कि सभी HEI, इन तीन तरहों के संस्थाओं में विकसित हो, जिन्हें हम टाइप 1, 2, और 3 की तरह सन्दर्भित करेंगे- शोधविश्वविद्यालय, शिक्षण विश्वविद्यालय या कॉलेज। इन संस्थाओं की आधारीक संरचना (infrastructure) और संसाधनों के उपयुक्त उपयोग हो सके इसके लिए ये बहुअनुशासनात्मक संस्थाएं हजारों में विद्यार्थियों का नामांकन करने का लक्ष्य रखें और साथ ही रिसर्च, शिक्षण और सेवाओं के एक बहुअनुशासनात्मक तंत्र का खांका खींचा है उसे प्राप्त कर सकें।

भौगोलिक विविधता के साथ पूर्ण उपलब्धता, न्यायसंगतता और समावेश के लिए एक अच्छी खासी संख्या में ये टाइप 1-3 संस्थान विकसित हों। इस नीति की अवधि में निर्धारित किया जाने वाला GER लक्ष्य 50% है, जो लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप है और अन्य तेजी से विकासशील देशों के तुलनात्मक है (जैसे, जैसे चीन और ब्राज़ील, जिनका उच्च शिक्षा में GER है, 44% और 50% क्रमशः)। ऐसे में कई नए संस्थान विकसित किए जा सकते हैं, लेकिन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्षमता निर्माण का एक बड़ा हिस्सा मौजूदा संस्थानों का समेकन, विस्तार और इन्हीं में सुधार करके होगा। दोनों ही तरह के संस्थानों, सार्वजनिक और निजी, में विकास होगा, जिसमें बड़ी संख्या में टाइप 1, 2 और 3 उत्कृष्ट सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर ज्यादा ज़ोर दिया जाएगा। वंचित भौगोलिक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्तापूर्ण संस्थानों की उपलब्धता एक प्राथमिकता होगी। यह समेकन, विस्तार और सुधार देश भर में समान और उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा सुनिश्चित करेगा।

P10.1. जीवंत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के राष्ट्रव्यापी पारिस्थितिकी तंत्र: HEI ऐसे समुदायों में विकसित होंगे जो उच्च गुणवत्ता शिक्षण, अनुसंधान और सेवा देंगे व ये समुदाय सीखने और ज्ञान सृजन करने का एक राष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाएंगे। ये सभी नागरिकों की पहुंच में हो इसके लिए खास उपाय होंगे। इस विकास को सक्षम करने के लिए, कार्रवाई के सबसे महत्वपूर्ण आयाम निम्न हैं:

- a. सभी HEI बहुअनुशासनात्मक संस्थान बनेंगे, जिसमें अनुशासनों के इर्दगिर्द और फील्ड शिक्षण कार्यक्रम होंगे जो एक उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा के लिए निबंधात्मक है। ऐसे बहुअनुशासनात्मक संस्थानों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी रूप से विकसित करने के लिए आवश्यक

होगा कि सभी HEI में छात्रों की अपेक्षाकृत बड़ी संख्या हो। एक HEI को बहुआयामी तब कहा जाएगा यदि वह कला और मानविकी में कम से कम दो कार्यक्रम, दो विज्ञान और गणित में और कम से कम एक कार्यक्रम सामाजिक विज्ञान में प्रदान करता हो, हालांकि आने वाले समय में अधिकांश बहुविषयक HEI न्यूनतम आवश्यकता से अधिक प्रोग्राम ऑफर करेंगे, और इसमें व्यावसायिक और व्यावसायिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे।

- b. सभी HEI में पर्याप्त संसाधन और स्टाफ उपलब्ध होगा। साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले संकाय सदस्य और नेतृत्व की भूमिकाओं सहित अन्य भूमिकाओं के लिए टीम उपलब्ध होगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ज्ञान निर्माण, सेवा और उत्कृष्टता की संस्कृति बने इसके लिए इन समूहों (Teams) को सशक्त बनाया जाएगा और इनके कार्य का योग्यता-आधारित आंकलन का प्रभावी प्रबंधन होगा।
- c. सभी HEI धीरे-धीरे पूर्ण स्वायत्तता की ओर बढ़ेंगे -शैक्षणिक, प्रशासनिक और अंततः वित्तीय, ताकि यह संस्कृति बनी रहे। सार्वजनिक संस्थाओं की स्वायत्तता सार्वजनिक वित्तीय सहयोग से होगी। निजी संस्थान जो उच्च गुणवत्ता, समान शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं उन्हें प्रोत्साहित और समान रूप से देखा (treated on par) जाएगा। इस नीति द्वारा लागू की गई नई विनियामक प्रणाली समग्र रूप से इस संस्कृति को सशक्तिकरण और स्वायत्तता की ओर बढ़ावा देगी जिससे नवाचार होगा, और धीरे-धीरे संबद्ध कॉलेज की प्रणाली खतम होगी और स्थानीय नवाचार को प्रोत्साहन और बल मिलेगा।
- d. उच्च शिक्षा का क्षेत्र समग्र रूप से एक उच्च शिक्षा प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा- जिसमें व्यावसायिक और पेशेवर शिक्षा शामिल है। यह नीति, इसका दृष्टिकोण और विशिष्ट नीति बिंदु सभी सभी HEI पर समान रूप से लागू होंगे जो अंततः उच्च शिक्षा के एक सुसंगत पारिस्थितिकी तंत्र में विलय हो जाएंगे।

- P10.2. सार्वजनिक उच्च शिक्षा का विस्तार और सुधार:** सार्वजनिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व के प्रति प्रतिबद्धता की दृढ़ता से पुनः पुष्टि करते हुए सार्वजनिक संस्थानों का विकास और सुधार किया जाएगा।
- P10.3. उच्च शिक्षा के लिए नई संस्थागत वास्तुकला:** गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को सभी के लिए, जो उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं, सुलभ बनाने के लिए और शोध को बढ़ावा देने के लिए, एक नए संस्थागत ढांचे की जरूरत है जिसमें तीन प्रकार के संस्थानों को विकसित किया जाएगा। 2030 तक, सभी HEI संस्थान इन तीन प्रकारों में से एक में विकसित होंगे। ये तीन प्रकार के संस्थान, जहाँ तक लक्ष्य और कार्य का संबंध है, उनके फोकस में भिन्न होंगे, लेकिन उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समान प्रतिबद्धता होगी। ये तीन प्रकार के संस्थानों की विशेषताएं निम्न हैं:
- a. **टाइप 1: शोध विश्वविद्यालय।** ये अनुसंधान और शिक्षण पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे: वे नए ज्ञान सृजन के लिए अत्याधुनिक शोध के लिए प्रतिबद्ध होंगे, साथ ही परास्नातक, पीएचडी, व्यावसायिक और पेशेवर प्रोग्रामों के लिए उच्चतम गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देंगे। कई स्नातक और अनुसंधान संस्थान वर्तमान में स्नातक शिक्षा प्रदान नहीं करते, जो कि बेहतर ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इन संस्थानों को अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। के साथ-साथ इंट्रोक्व्यूशन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह उम्मीद है कि, दो दशकों की अवधि में, कुछ 100 या 200 संस्थाएं, कहे तो 150-300 संस्थाएं टाइप 1 श्रेणी में होंगे, और प्रत्येक का लक्ष्य ऑन-कैंपस 5000 से 25000 या अधिक छात्रों के नामांकन होगा। ये संस्थाएं विश्व स्तरीय अनुसंधान विश्वविद्यालय बनने और वैश्विक संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का लक्ष्य रखेंगे।
 - b. **टाइप 2: शिक्षण विश्वविद्यालय।** ये मुख्य रूप से स्नातक, परास्नातक और डॉक्टरेट, पेशेवर, व्यावसायिक, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कार्यक्रमों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेंगे, साथ ही अत्याधुनिक शोध में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ऐसे संस्थान अपने परिसरों में 5000-

25000 या उससे अधिक के बीच नामांकन को लक्षित करेंगे। उम्मीद है कि दो दशकों के समयकाल में ऐसे विश्वविद्यालय का नंबर 1000-2000 के बीच में होगा। उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के साथ जैसे-जैसे ये संस्थान अनुसंधान और अन्य प्रोग्रामों में उच्च गुणवत्ता प्राप्त करते जायेंगे, इनमें से कुछों का उद्देश्य टाइप 1 संस्थानों की श्रेणी में शामिल होना हो सकता है।

- c. टाइप 3: कॉलेज। ये संस्थान उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लक्ष्यों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे। ये संस्थान बड़े पैमाने पर परास्नातक कार्यक्रम चलाएंगे और साथ में व्यावसायिक और पेशेवर विषयों में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रम चलाएंगे। ऐसे ऑटोनॉमस कॉलेजों की एक बड़ी संख्या, जैसे 5000-10,000 होगी जो उच्च गुणवत्तापूर्ण उदार शिक्षा को बढ़ावा देंगे और 2000-5000 या उससे अधिक के ऑन-कैंपस नामांकन का लक्ष्य रखेंगे। इन कॉलेजों से व्यावसायिक शिक्षा में और पेशेवर शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करने की उम्मीद की जाएगी। यह देखते हुए कि अनुसंधान के माध्यम से शिक्षण मजबूत होता है और शिक्षण से अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलता है, इन कॉलेजों की फैकल्टी को अनुसंधान करने व निधि के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे वे वरिष्ठ स्नातक छात्रों को अनुसंधान का एक अनुभव देने में सक्षम होंगे। समय के साथ, ऐसे स्वायत्त कॉलेज अन्य कई विषयों में गुणवत्ता अनुसंधान का संचालन शुरू कर सकते हैं और स्नातक कार्यक्रम भी शुरू कर सकते हैं, जिससे ये टाइप 2 या टाइप 1 संस्थान बनने के लक्ष्य अपने लिए रख सकते हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन तीन प्रकारों के HEI का वर्गीकरण एक सपष्ट, बहिष्करणीय श्रेणीकरण नहीं है, बल्कि एक निरंतरता के साथ है। HEI को अपनी योजनाओं, कार्यों और प्रभावशीलता के आधार पर एक प्रकार से दूसरे प्रकार में जाने की स्वायत्तता और स्वतंत्रता होगी। संस्थानों के तीन प्रकारों को चिन्हित करने के लिए सबसे प्रमुख उनके लक्ष्यों और काम का

फोकस होगा। मान्यता प्रणाली तीनों प्रकार के HEI के लिए उचित रूप से अलग और प्रासंगिक मानदंडों का विकास और उपयोग करेगी।

हालाँकि, सभी प्रकार के HEI में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षण-अधिगम की अपेक्षाएँ समान होंगी। इनके अलावा, HEI अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ भी निभाएंगे, जैसे अन्य HEI को विकसित और स्थापित करने में सहयोग, सामुदायिक सहभागिता और सेवा, अभ्यास के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान, उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए संकाय विकास और स्कूली शिक्षा में योगदान, जिन्हें वे उपयुक्त संसाधनों और संरचना मुहैया कराने के माध्यम से निर्वहन करेंगे।

लंबी अवधि (2040 तक) में, भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली समेकित हो कर तीन प्रकार के HEI संस्थानों में सिकुड़ जाएगी जिनका नंबर तो कम होगा लेकिन इन संस्थानों का औसत आकार आज के औसत आकार की तुलना में बहुत बड़ा होगा जिससे संसाधन दक्षता, बहुअनुशासनात्मक क्षमता और गुणवत्ता में वृद्धि होगी, साथ ही GER में भी। सभी प्रकार के संस्थानों को राज्यों और क्षेत्रों में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए।

P10.4. उदार (Liberal) शिक्षा और प्रोग्राम/ / विभाग / उच्च शिक्षा संस्थानों के विद्यालय: एक उदार (Liberal) शिक्षा दृष्टिकोण सभी विषय और क्षेत्रों में स्नातक शिक्षा का आधार होगा। 'स्ट्रीमिंग' की धारणा, जहां विज्ञान, कला और व्यावसायिक छात्रों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन, बड़ी कंपनियों, हितों, या इस तरह के किसी भी अन्य मानदंडों के आधार पर अलग किया जाता है, समाप्त हो जाएगी। सभी विषयों के पाठ्यक्रम सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होंगे।

सभी HEI, विश्वविद्यालयों (प्रकार 1 और 2) सहित उदार (liberal) शिक्षा स्नातक कार्यक्रमों को चलाने की आवश्यकता होगी। शिक्षक शिक्षा के लिए सभी विश्वविद्यालय चार वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम भी प्रदान करेंगे जिससे उत्कृष्ट शिक्षकों का एक समूह तैयार हो; कई कॉलेज भी इसे स्थापित करने का लक्ष्य रखेंगे। सभी HEI, (प्रकार 1 और 2) स्नातक कार्यक्रम चलाएंगे। HEI, बुनियादी विषयों और विभिन्न क्षेत्रों में भी कार्यक्रम चलाएंगे और वे

अनुप्रयोग के क्षेत्रों सहित अध्ययन के उभरते क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक कार्यक्रमों का नवाचार और विकास करेंगे।

इन प्रोग्रामों को सक्षम करने के लिए HEI सभी क्षेत्रों में, विशेष रूप से भाषाओं, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, भौतिक विज्ञान, शिक्षा, गणित, कला, संगीत, खेल आदि में और अनुप्रयोग (application field) के क्षेत्र जैसे इंजीनियरिंग, दवा, फार्मसी, कृषि, वानिकी आदि में गुणवत्ता विभाग और स्कूल स्थापित करेगा।

P10.5. नए संस्थागत ढांचे का विकास: इस नए संस्थागत ढांचे का विकास, संस्थाओं की स्वायत्तता पूरे देश भर में पर्याप्त सार्वजनिक वित्तीय सहायता और निजी परोपकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करने से बढ़ेगा।

प्रत्येक HEI स्वयं को जिस टाइप के संस्थान में विकसित करना चाहता है उसे चुनकर अपने लिए एक एक्शन प्लान तैयार करेगा और उसके बाद अपने निरंतर विकास के लिए IDP निर्देशित एक लक्ष्य का चयन करेगा। इन योजनाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्रवाइयों का पर्याप्त हिस्सा HEI के भीतर होगा जो नीति द्वारा प्रदान की गई प्रशासनिक और पाठ्यक्रम संबंधी स्वायत्तता से मजबूत होगा। और साथ ही सम्बंधित पूर्ण सार्वजनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय प्रकटीकरण और पारदर्शिता इसे सशक्त करेगी।

HEI एवं उसके हितधारकों की प्रगति एवं विकास के लिए मुख्य तंत्र IDP होगा जो इनकी पंक्तिबद्धता, प्रतिबद्धता एवं मार्गदर्शन/विनियमन/ऑडिटिंग की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा।

P10.6. सार्वजनिक धन का निर्धारण करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली: सार्वजनिक HEI के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण सहायता के स्तर को बढ़ाने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली होगी। यह प्रणाली सार्वजनिक संस्थानों के विकास के लिए समान अवसर देगी।

मान्यता प्रणाली, मान्यता मानदंडों जैसे पारदर्शिता और प्रचारित मानदंडों (preannounced criteria) पर आधारित होगी। इस प्रणाली का उपयोग

संबंधित राज्य और / या केंद्र सरकार कर सकती हैं, जिसमें उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (HEGC) शामिल है, जो IDP को पूरा करने के लिए अल्पकालिक, मध्यम, दीर्घकालिक समर्थन के लिए प्रतिबद्ध है, और यह HEI के लक्ष्य और योजनाओं को प्रतिबिंबित करेगा।

वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए संबंधित सरकार / सार्वजनिक निकाय अन्य कारकों पर विचार कर सकते हैं जैसे कि टाइप 1 के 2 HEIs के क्षेत्रीय विस्तार को सुनिश्चित करना, छात्रों के लिए उपयोग में आसानी, और सहायक पारिस्थितिक तंत्र की उपलब्धता। ये अन्य कारक किसी भी सार्वजनिक संस्थान को मुहैया सहयोग, जो प्रचारित मानदंडों को पूरा करता हो, को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।

समय के साथ, जो संस्थान, पूर्ण और उचित सार्वजनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय प्रकटीकरण से वित्तीय पारदर्शिता और जिम्मेदारी दिखायेंगे, उन्हें और ज्यादा वित्तीय स्वायत्तता दी जा सकती है ताकि शिक्षण, सेवा, उपकरण और अनुसंधान के लिए संसाधनों का आवंटन स्थानीय आवश्यकताओं को समझने वालों द्वारा स्थानीय जरूरत के अनुकूल हो सके। परन्तु यह हमेशा की तरह पूरी पारदर्शिता के निरंतर प्रदर्शन पर निर्भर होगा। वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाने से वित्तीय सहायता में कमी नहीं आएगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी कि शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए धन कैसे खर्च किया जाए।

इस प्रणाली के फ्रेमवर्क को मिशन नालंदा (बिंदु P10.15 देखें) के शीर्ष निकाय द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसमें 2021 तक राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श होगा और RSA द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इसकी समीक्षा और संशोधन 2024 और 2030 में की जाएगी।

P10.7. केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थानों को टाइप 1 संस्थानों में विकसित करने के लिए: मौजूदा केंद्रीय विश्वविद्यालय (CUs), केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थान (CFTIs), राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (INIs) और अन्य

संस्थान (लगभग 50% या अधिक) केंद्रीय सरकार द्वारा समर्थित (उदाहरण के लिए NITs), और अनुसंधान संस्थान, सभी को टाइप 1 संस्थान बनने के लिए सहयोग दिया जाएगा।

यह सहयोग भी सार्वजनिक धन के लिए मानदंड-आधारित प्रणाली द्वारा संचालित किया जाएगा। कुछ शोध संस्थानों को टाइप 1 HEIs में विकसित होने में अड़चनें हो सकती हैं (जैसे कि परिसर का आकार जो 5000 + छात्रों को समायोजित नहीं कर सकता है)। ऐसे RIs टाइप 1 संस्थानों में विकसित होने के बजाय आसपास के टाइप 1 और 2 संस्थानों से जुड़े और अपनी अपने फैकल्टी को पर्याप्त शिक्षण और मेंटरिंग के अवसर प्रदान करें।

P10.8. नए संस्थागत ढांचे के लिए राज्य स्तर की योजनाएं: सभी राज्य सरकारों को अपने राज्यों में इस संस्थागत ढांचे के विकास के लिए एक व्यापक 10-वर्षीय योजना तैयार और निष्पादित करनी चाहिए। इस योजना को राज्य भर में संस्थानों के प्रकारों के विवेकपूर्ण वितरण की कल्पना करनी चाहिए, जिससे वंचित क्षेत्रों में पहुंच पर विशेष जोर दिया जा सके- जो विशेष शिक्षा क्षेत्रों (Special education zones see P6.1.2) के लिए योजना का एक अभिन्न अंग बन सकता है। प्लान विभिन्न प्रकार के संस्थानों की लगभग निम्नलिखित संख्या को लक्षित करेगा: प्रत्येक प्रकार 1, 2, और 3 में क्रमशः 50 लाख, 5 लाख और 2 लाख की आबादी, और ये केवल सांकेतिक संख्याएं हैं जो भौगोलिक रूप से अलग-अलग हो सकती हैं। इन योजनाओं में जनसांख्यिकी ट्रेंड्स पर भी विचार किया जाएगा और साथ ही यह भी दृष्टिगत होगा कि अच्छे विश्वविद्यालय अपनी उपस्थिति से, प्रगति और विकास का नेतृत्व करते हैं।

इस योजना की जरूरत है कि संस्थानों की पहुँच, वितरण और वर्तमान और भविष्य में गुणवत्ता के मुद्दों पर विचार करते हुए मौजूदा HEIs का एक उचित और विचारशील समेकन कर । यह योजना RUSA (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) की गति और प्रगति के साथ बन सकती है।

इस समेकन के परिणाम स्वरूप प्रत्येक HEI के भीतर ही बड़े और अधिक जीवंत शैक्षिक समुदाय बनने चाहिए। समेकन के दौरान जो मौजूदा संसाधन

जैसे इमारतें और मानव संसाधन प्रभावित हुए हों, उनका उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए: मानव संसाधनों को अतिरिक्त नहीं समझा जाएगा, क्योंकि HEIs की क्षमता बढ़ानी ही होगी और भौतिक संसाधनों (यानी एक कॉलेज परिसर) को राज्य के 10-वर्षीय शैक्षिक योजना के एक भाग के रूप में पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। इनका उपयोग व्यावसायिक शिक्षा के लिए स्कूल परिसरों के विकास से लेकर विस्तार केंद्रों तक के लिए भिन्न हो सकते हैं।

इन योजनाओं की सफलता के लिए, नीति में बदलाव से आने वाली विभिन्न जिम्मेदारियों का, सावधानीपूर्वक एक साथ संचालन करना होगा। विशेष रूप से केंद्रीय और राज्य सरकार के बीच इस प्रकार का तारतम्य RSA की स्थायी समिति (Standing committee) द्वारा सुगम किया जा सकता है। इसके लिए HEIs को एक प्रोत्साहन देने की संस्कृति की भी विकसित करनी होगी जिससे कि वे अपने विकास के लिए ऊर्जावान महसूस करें। इसके लिए पर्याप्त रूप से उच्च संसाधनों की उपलब्धता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी, साथ ही उन HEIs का सहयोग भी चाहिए होगा जिन्हें विशेष रूप से टाइप -1 और 2 HEI बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसके लिए राज्य, अपने स्तर के कारकों को देखते हुए, बढ़े हुए वित्तीय सहयोग के लिए मानदंड-आधारित प्रणाली के अपने संस्करण बना सकता है।

P10.9. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (National Research Foundation)

से सहायता: सभी HEI को ये आज़ादी होगी कि वे अपने विकास और स्वयं को टाइप 1 और 2 HEI में विकसित करने के लिए धनराशी जुटा सकें। यह धनराशी IDP से मिल रहे सहयोग के अतिरिक्त होगी। इस नीति के तहत एनआरएफ (National Research Foundation) द्वारा अनुसंधान को वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण तंत्र विकसित किया गया है। HEI को अपनी प्रणाली और संस्कृति को विकसित करने के लिए NRF से शोध अनुदान प्राप्त करने के लिए अपने संकाय को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह सहयोग तंत्र संस्थानों को टाइप 1 और 2 के संस्थानों में विकसित होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

राज्य सरकारों द्वारा संचालित विश्वविद्यालय अपनी अनुसंधान क्षमता को बढ़ा सके इसके लिए NRF 2040 तक एक विशेष कार्यक्रम चलाएगा जिससे टाइप 1 या 2 इंस्टीट्यूशन में परिवर्तित करने में ये विश्वविद्यालय सक्षम हो सकें। इस कार्यक्रम के तहत, NRF विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में हर साल 500 राष्ट्रीय पोस्टडॉक्टोरल फैलोशिप (NPDF) और 500 राष्ट्रीय डॉक्टरेट फैलोशिप (NDF) की पेशकश करेगा। फैलोशिप 3 और 5 साल के लिए होगी, और NRF द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय चयन प्रक्रिया के आधार पर दी जाएंगी। NPDF में नामांकित वाले लोग राज्य के विश्वविद्यालयों में अपने कार्यक्षेत्रों के अनुसंधान समूहों में शामिल हो सकते हैं। NPDF प्राप्तकर्ताओं को पर्याप्त सहयोग मिले इसके लिए NRF ऐसे विश्वविद्यालयों का चयन करेगा जो अनुसंधान के विशिष्ट क्षेत्रों में इनकी मेजबानी कर सके। राज्य विश्वविद्यालय विशिष्ट क्षेत्रों के लिए मेजबान संस्थानों के रूप में मान्यता पाने के लिए NRF को आवेदन कर सकते हैं। मेजबान HEI की सूची को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें वहां किए जा रहे शोधों की पूर्ण जानकारी होगी, ताकि उम्मीदवार अपने जुनून और रुचि के अनुसार उनमें आवेदन कर सकें। इस कार्यक्रम के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे और इसके गठन के एक वर्ष के भीतर NRF द्वारा प्रसारित किये जायेंगे।

P10.10. निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को समान प्रोत्साहन और सशक्तीकरण: निजी HEI को टाइप 1 और 2 संस्थानों में विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और टाइप 3 संस्थान बनने के लिए विकसित करना होगा। इस तरह के विकास के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था निजी HEI ही करेंगे परन्तु सरकार उनके साथ सार्वजनिक संस्थानों के जैसे ही समान व्यवहार करेगी, और उन्हें समान रूप से सशक्त करेगी। सार्वजनिक संस्थानों की तरह निजी HEI भी NRF से वित्तीय सहयोग प्राप्त कर सकेंगे।

P10.11. ओपन और डिस्टेंस लर्निंग की गुणवत्ता में परिवर्तनकारी बदलाव और उपलब्धता का प्रसार: सभी प्रकार के संस्थान ODI कार्यक्रम चला सकते हैं, बशर्ते उन्हें ऐसा करने के लिए विशेष रूप से मान्यता प्राप्त हो (खंड 12.3 देखें),

ताकि उनकी क्षमता में वृद्धि हो, पहुंच में सुधार हो, GER बढ़ सके और आजीवन सीखने के अवसर बढ़ें।

सभी ODI कार्यक्रम (और उनके घटक) जिनसे डिप्लोमा या डिग्री प्रदान की जाएगी वो HEI परिसर में संचालित उच्चतम गुणवत्ता कार्यक्रमों के बराबर मानक और गुणवत्ता वाले होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाले ODIs विकसित कर वितरित हों इसके लिए HEI अपने सर्वश्रेष्ठ संकाय का उपयोग करेगा, और पर्याप्त सुविधाओं और कर्मचारियों में निवेश करेगा। HEI पूरी दुनिया में उपलब्ध सर्वोत्तम संभव सामग्री, संसाधन और वेब-आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा और अपने स्वयं के संसाधनों तक सीमित नहीं रहेगा।

P10.12. सरलीकृत संस्थागत श्रेणियां और विश्वविद्यालय के नामकरण को सुव्यवस्थित करना: एक विश्वविद्यालय की परिभाषा केवल एक शब्द है, जिसका अर्थ है, उच्च शिक्षण का एक बहुअनुशासनात्मक संस्थान, जो परास्नातक, स्नातक और Ph.D कार्यक्रम चलाता है, और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण और अनुसंधान में संलग्न है। अभी देश में HEI का जटिल नामकरण 'डीम्ड यूनिवर्सिटी', 'संबद्ध (affiliating) विश्वविद्यालय', एकात्मक विश्वविद्यालय के रूप में किया जाता है, जो धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगा और विश्वविद्यालयों को केवल सार्वजनिक, निजी या निजी सहायता प्राप्त किया जाएगा; और बहुअनुशासनात्मक अनुसंधान विश्वविद्यालयों (टाइप 1) या व्यापक शिक्षण विश्वविद्यालयों (टाइप 2) के रूप में ही चरणबद्ध किया जायेगा।

P10.13. डिग्री प्रदान करने का अधिकार: डिग्री प्रदान करने का जो अधिकार वर्तमान में केवल विश्वविद्यालयों के साथ निहित है, यह बदल जाएगा, क्योंकि स्वायत्त कॉलेजों को भी अपनी डिग्री देने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। शिक्षा और अनुसंधान के सभी संस्थानों, सार्वजनिक और साथ ही निजी, को अपने स्वयं के नामों में डिग्री देने की अनुमति होगी, भले ही उनके नाम में विश्वविद्यालय हो या न हो। विश्वविद्यालयों को, डिग्री देने वाले कॉलेजों से, इस तथ्य से अलग किया जाएगा कि वे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला में स्नातक कार्यक्रम

प्रदान करते हैं, विशेष रूप से गुणवत्तापूर्ण पीएचडी कार्यक्रम, और विश्वविद्यालयों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होगा। 2032 तक, सभी उच्च शैक्षणिक योग्यताएं-जिसमें सभी डिग्री और डिप्लोमा शामिल हैं, केवल मान्यता प्राप्त (धारा 18.2 देखें) 1,2 या 3 संस्थानों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

P10.14. संबद्ध विश्वविद्यालयों में परिवर्तन: सभी संबद्ध विश्वविद्यालय अपने संस्थागत ढांचे को पूरी तरह से बदल देंगे:

- a. सभी संबद्ध विश्वविद्यालय एक या अधिक परिसरों के साथ, टाइप 1 या 2 संस्थान में परिवर्तित होंगे। विश्वविद्यालयों में संबद्ध कॉलेज नहीं होंगे।
- b. सभी (वर्तमान में) संबद्ध कॉलेज, 2032 तक स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेजों (type 3) में विकसित होने चाहिए, या पूरी तरह से उस विश्वविद्यालय के साथ विलय हो सकते हैं जिससे वे संबद्ध हैं, या फिर स्वयं विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो जायें (टाइप 1 और 2)। नई उच्च शैक्षिक संस्था के ढांचे के विकास के लिए ये बदलाव राज्य स्तरीय योजनाओं का एक हिस्सा होंगे। (देखें P10.3)
- c. महाविद्यालयों के HEI में परिवर्तन और विकास को सक्षम करने के लिए, परामर्श सहित पर्याप्त सहायता, टाइप 1 या 2 HEI या अन्य मेंटर संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए संस्थानों को विशेष बजट आवंटित किया जाएगा।
- d. 1 एक पर्याप्त समय अवधि प्रदान की जाएगी। यह समयावधि बारह वर्ष तक बढ़ सकती है। इस प्रकार, 2032 के बाद कोई संबद्ध विश्वविद्यालय या संबद्ध कॉलेज नहीं होंगे।
- e. 2032 तक जो कॉलेज टाइप 3 HEI में विकसित नहीं हो पाए उनकी सुविधाएं और संसाधनों का अन्य सार्वजनिक भलाई और सेवाओं के लिए बेहतर उपयोग किया जाएगा, उदाहरण के लिए वयस्क शिक्षा केंद्र, सार्वजनिक पुस्तकालय, व्यावसायिक शिक्षा सुविधाएं आदि। यह भी राज्य स्तरीय योजना का एक हिस्सा होगा।

- f. इन विकासमूल्यों को संस्थागत विकास के अलावा, शासन और रेगुलेटरी शासनों द्वारा सक्षम करने की आवश्यकता होगी, जो राज्य और केंद्र के संबंधित निकायों द्वारा सुगम किया जाएगा।

P10.15. नई संस्थागत वास्तुकला को उत्प्रेरित करने के लिए मिशन नालंदा और

तक्षशिला: भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए दीर्घकालिक दृष्टि जो ऊपर स्पष्ट है, इसे प्राप्त करने में काफी समय और प्रयास की आवश्यकता होगी। प्रयासों को प्रारम्भ करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि 2030 तक उच्च गुणवत्ता वाले टाइप 1, 2 और 3 संस्थानों की एक महत्वपूर्ण संख्या हो, मिशन नालंदा (MN) और तक्षशिला (MT) को मिलकर लॉन्च किया जाएगा। इन मिशनों का गठन RSA (Chapter 23 देखें) द्वारा किया जाएगा और इसमें एक आम सर्वोच्च निकाय-मिशन निदेशालय होगा।

मिशन नालंदा यह सुनिश्चित करेगा कि समान क्षेत्रीय वितरण के साथ 2030 तक कम से कम 100, टाइप 1 और 500, टाइप 2 HEIs कार्य कर रहे हैं। मिशन तक्षशिला भारत के हर जिले में कम से कम एक उच्च गुणवत्ता वाला HEI या उसके बराबर के संस्थान स्थापित करने का प्रयास करेगा, और बड़ी आबादी वाले जिलों में 2 या 3 ऐसे HEI होंगे, जिनमें प्रत्येक HEI में छात्रों के लिए आवासीय सुविधाएं होंगी।

मिशन निदेशालय नए संस्थागत ढांचे के विकास की देखरेख और प्रबंधन करेगा। मिशन के पास इस कार्य को पूरा करने के लिए स्पष्ट योजना, मुख्य पड़ाव और केंद्र एवं राज्य सरकारों से वित्त पोषण मिलता रहे तथा इसके प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। योजना में न केवल सभी संस्थागत विकास के पहलू शामिल होंगे, बल्कि स्थानीय अवसंरचना और सामुदायिक विकास जैसे अहम् पहलू भी शामिल होंगे, जो उच्च गुणवत्ता वाले HEI के विकास के लिए आवश्यक है। यह योजना राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से होनी चाहिए। उपरोक्त राज्य स्तरीय योजनाएँ मिशन की योजना का लाभ उठा सकती हैं और राज्य सरकारें MN और MT की योजना और क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदार होंगी।

MN के लिए पहले कदम के रूप में, उन मौजूदा संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो जल्दी से टाइप 1 और 2 संस्थानों में विकसित किए जा सकते हैं, जैसे कि CU, CFTI, NIT और बड़े राज्य विश्वविद्यालय। ये पूरी तरह से आवासीय विश्वविद्यालय होंगे। राज्य संस्थानों के मामले में, विकास के लिए मौजूदा बजट से अधिक धन की आवश्यकता होने पर MN और MT केंद्र और राज्य सरकारों से साझा धन प्राप्त करेंगे; केंद्रीय संस्थानों को केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित किया जाएगा।

कुछ नए मॉडल संस्थानों को इस मिशन के एक भाग के रूप में भी स्थापित और विकसित किया जा सकता है, जैसे, बहुअनुशासनात्मक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (MERUs) (P11.14 देखें) जो बहुअनुशासनात्मक स्नातक शिक्षा और अनुसंधान के लिए उदहारण की तरह होंगे। मिशन उन HEIs, जो टाइप 1 या 2 में विकसित होने की इच्छा रखते हैं, उनके विकास के लिए सहयोग करेंगे।

आने वाले दशक में कई संस्थानों को बहुअनुशासनात्मक क्षमता, मान्यता और स्वायत्तता को विकसित करने के साथ-साथ अपनी स्वायत्तता का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए सहयोग और सलाह की आवश्यकता होगी। इस तरह का सहयोग संस्थागत रूप में दिया जाएगा, और इसके तौर-तरीके RSA द्वारा बनाये जायेंगे। अन्य संस्थानों को अनुसंधान की शुरुआत और इसे विकसित करने के लिए सलाह की आवश्यकता होगी जो NRF (धारा 14.3 देखें) द्वारा उपलब्ध होगा। मिशन, विशेषज्ञता और ज्ञान के लिए इस तरह की सभी जरूरतों को ध्यान में रखेगा और उचित संसाधन उपलब्ध करायेगा।

अध्याय 11

लिबरल शिक्षा की तरफ कुछ कदम

उद्देश्य:

एक अधिक कल्पनाशील और व्यापक लिबरल शिक्षा की ओर बढ़ना जो सभी विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए एक बुनियाद का काम करें और साथ ही इसमें चुने गए विषयों की गहन विशेषज्ञता भी शामिल हो

‘लिबरल कलाओं’ से आशय यह है कि हम विभिन्न कला क्षेत्रों को एक अधिक व्यापक नजरिये और अर्थ में देखें। यह विचार कि इंसानी सृजन के सभी क्षेत्रों (जिसमें गणित और विज्ञान भी शामिल हैं) को ‘कलाओं’ के रूप में ही देखा जाना चाहिए, भारतीय चिंतन की देन है। बीते 2000 सालों में कई प्राचीन भारतीय पुस्तकें (जिसमें बाणभट्ट की कादम्बरी शामिल है जो लगभग 1400 साल पहले लिखी गयी थी और दुनियाँ के सबसे पहले उपन्यासों में जिसकी गिनती होती है) 64 कलाओं की विस्तार से व्याख्या करती हैं। इनमें बताया गया है कि सही मायनों में शिक्षित व्यक्ति वो है जो इन 64 कलाओं में पारंगत हो। इन 64 कलाओं में संगीत, नृत्य, पेंटिंग, मूर्तिकला, भाषाएं और साहित्य शामिल हैं। इनके अलावा इनमें विभिन्न विषय जैसे इंजीनियरिंग और गणित और व्यावसायिक विषय जैसे कारपेंट्री आदि भी शामिल हैं। आज जब हम ‘लिबरल कलाओं’ की बात करते हैं तो बहुत कुछ वैसा ही कहते हैं जैसा कि ऊपर कहा गया है! समय के साथ इन कलाओं में बढ़ोतरी हुई, ललिताविस्तार सूत्र में ऐसी 86 कलाओं का जिक्र है, जबकि 13वीं शताब्दी में यसोधरा के जयमंगल में ऐसी 512 कलाओं का वर्णन मिलता है। जैसे-जैसे अलग-अलग विषयों जैसे कलाओं और विज्ञानों के बीच एकीकरण (integration) बढ़ा वैसे-वैसे भारतीय साहित्य अधिक समृद्ध और परिपूर्ण हुआ। भरत मुनि (ईसा से 300 वर्ष पूर्व) का नाट्यशास्त्र इस एकीकरण का बेहतरीन उदहारण है जिसमें ना केवल संगीत और नृत्य पर गहरा चिंतन

किया गया है बल्कि इनका गणित और भौतिकी के सिद्धांतों के साथ सूक्ष्म संबंधों पर भी विमर्श किया गया है।

भारतीय विश्वविद्यालय जैसे तक्षशिला और नालंदा दुनियाँ के सबसे पुराने और बेहतरीन विश्वविद्यालय थे। इन सब विश्वविद्यालयों ने 'लिबरल कलाओं' और 'लिबरल शिक्षा' परम्परा पर ही जोर दिया। दुनियाँ भर से विद्यार्थी व्याकरण, दर्शन, चिकित्सा, राजनीति, खगोलशास्त्र, गणित, वाणिज्य, संगीत, और अन्य कई विषयों का अध्ययन करने यहाँ आते थे। प्रसिद्ध दर्शनशास्त्री और अर्थशास्त्री चाणक्य; संस्कृत व्याकरण-विशेषज्ञ, गणितज्ञ पाणिनि; राजनीतिज्ञ चन्द्रगुप्त मौर्य; और गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट आदि तमाम ऐसे लोग हैं जो इन विश्वविद्यालयों में पढ़े थे।

लिबरल कला शिक्षा का यह भारतीय विचार आज 21वीं शताब्दी में रोज़गार के सन्दर्भ में भी काफी महत्वपूर्ण हो चला है, और इस तरह की लिबरल कला शिक्षा आज विश्व भर में खूब प्रचलित है (उदहारण के लिए अमेरिका में Ivy League Schools)। यही समय है जब भारत अपनी इस महान परंपरा को फिर से इसका समुचित स्थान दिलाए।

आज लिबरल कला शिक्षा का महत्व और उद्देश्य इस बात में निहित है कि यह विद्यार्थियों को विज्ञान और मानविकी, गणित और कला, चिकित्सा और भौतिकी आदि के बीच महत्वपूर्ण रिश्तों को समझने और तमाम ज्ञान के क्षेत्रों में अन्तर्निहित एकात्मकता के प्रति जागरूकता विकसित करने में क़ाबिल बनाए।

एक लिबरल शिक्षा की सार्थकता इस बात में है कि वह एक इंसान में सभी काबलियतों – बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, सौन्दर्यबोध, शारारिक - को एक संतुलित और समन्वित रूप में विकसित करती हो। ऐसी शिक्षा जो लोगों में उनके व्यक्तित्व के हर आयाम को विकसित करने का प्रयास करती हों, और एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती हो, वही शिक्षा सही अर्थों में एक लिबरल शिक्षा है।

हालांकि, कोई व्यक्ति यह पूछ ही सकता है कि, "मैं इन सब चीज़ों को क्यों सीखूँ जिनका मेरे उस रोजगार या करियर से कोई सम्बन्ध नहीं जिसमें मैं भविष्य में जाना चाहता हूँ?" इस तरह के सवाल के कई ज़वाब दिए जा सकते हैं। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण जवाब यह है कि लिबरल कला शिक्षा एक व्यक्ति के अन्दर इंसानी जीवन को देखने और समझने के विभिन्न नज़रियों और सैद्धांतिक दृष्टिकोणों को विकसित करने में मदद करती

है। इसके चलते व्यक्ति अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर ढंग से और इसकी जटिलताओं को व्यापक अर्थों में समझ पाता है।

दूसरा, जिस तेजी से अर्थव्यवस्थाएँ बदल रही हैं, कौन जानता है कि हम भविष्य में किस तरह के काम कर रहे होंगे। और तो और हम यह भी नहीं कह सकते कि नौकरियों के वर्तमान स्वरूप भी ऐसे ही बने रहेंगे। जो काम और जिम्मेदारियाँ इनमें आज है वो कल भी वैसी ही रहेगी यह पक्का-पक्का नहीं कहा जा सकता। पत्रकार फरीद ज़कारिया ने सही ही कहा है कि लिबरल कला शिक्षा का उद्देश्य लोगो को केवल उनके पहले रोजगार के लिए तैयार करना भर नहीं है; बल्कि दूसरे, तीसरे, चौथे और आगे के कामों के लिए भी तैयार करती है। चौथी औद्योगिक क्रांति के आगाज़ के साथ, जहाँ रोजगार के स्वरूप और इनकी उपलब्धता की स्थिति तेजी से बदल रही हैं, लिबरल कला शिक्षा की प्रासंगिकता पहले से कई अधिक बढ़ी है।

तीसरा, यदि कोई यह जानता भी है कि वह भविष्य में किस तरह के रोजगार में जाना चाहता है और हमेशा वही काम करते रहना चाहता है; फिर भी यह आज अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि दूसरों विषयों और क्षेत्रों में होने वाले सैद्धांतिक और तकनीकी विकास कैसे हमारे काम को प्रभावित करेंगे। हो सकता है कि ये सभी बदलाव हमारे काम को भी बदल दे या इन्हें और बेहतर बनाए। दुनियाँ भर में ऐसा हुआ है और इस तरह के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे आज X-Ray, CAT Scans, MRI चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं लेकिन वास्तव में इनका विकास भौतिकशास्त्रियों ने किया था। कमाल की बात यह है कि वे इन चीज़ों का अध्ययन किसी दूसरे ही उद्देश्य के लिए कर रहे थे। रेडियोकार्बन डेटिंग एक दूसरा उदाहरण है। यह तकनीक आज आर्कियोलोजी, एन्थ्रोपोलोजी और इतिहास में खूब प्रयोग होती है। जबकि इसका विकास केमिस्ट्री और भौतिकी के क्षेत्रों में हुआ था। संगीत भी इसी तरह का एक उदाहरण है। आज संगीत मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इंजीनियरिंग, भौतिकी, और गणित जैसे क्षेत्रों में हुए विकसित तकनीकों का खूब इस्तेमाल कर रहा है।

एक लिबरल कला शिक्षा व्यक्ति के दोनों आयामों - सृजनात्मक/कलात्मक और विश्लेषणात्मक - को विकसित करने में सक्षम बनाती है। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक, नैतिक और कलात्मक मूल्य और दक्षताएँ मिलकर उसकी वैज्ञानिक दक्षताओं को बेहतर बनाती हैं और इससे प्रभावित होकर खुद भी बेहतर होती जाती हैं। इन सभी क्षेत्रों में यदि

किसी व्यक्ति को शिक्षित किया जाता है तो यह इन सभी क्षेत्रों में उसकी दक्षताओं और रुझानों को विकसित करने में काफी मदद करेगा। इसके चलते उसकी सृजनात्मकता, कुछ नया करने के प्रति रुझान, संवाद के कौशल, मूल्य, सामाजिक सरोकार, स्वतंत्र और तार्किक चिंतन, सहयोग का भाव आदि तमाम आयामों के विकास में मदद करेगा। औद्योगिक दुनियाँ में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहाँ ऐसे टीम-सदस्य उपलब्ध थे जो अलग-अलग क्षेत्रों में एक साथ रुचि रखते थे बल्कि खुद भी उनमें पारंगत थे। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स इस बात के लिए खासे प्रसिद्ध हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ इंजीनियरिंग और कला को उपयोग किया और Macintosh Computer को दुनियाँ भर में बेहतरीन बनाया। वो खुद कहते हैं, “यदि Macintosh दुनियाँ का बेहतरीन कम्प्यूटर बना तो यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि इसे बनाने वाले लोग एक तरफ तो संगीतज्ञ, कवि, कलाकार, जीवविज्ञानी, इतिहासकार थे और दूसरी ओर वे दुनियाँ के बेहतरीन कम्प्यूटर वैज्ञानिक भी थे।”

अवलोकन यह बताते हैं कि जिन स्नातक कक्षाओं में मानविकी और कला क्षेत्रों के साथ STEM क्षेत्रों को समन्वित किया गया वहाँ विद्यार्थियों का बेहतर और सकारात्मक सीखना हुआ- यहाँ इनकी सृजनात्मकता, तार्किक चिंतन, हल ढूँढने की क्षमता, सहयोग का भाव, टीम में काम करने की क्षमता, सामाजिक जागरूकता, शिक्षाक्रम के विभिन्न दायरों पर समान पकड़, सीखने में आनंद लेना आदि तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ बेहतर विकसित हुए। एक सर्वे के अनुसार यह पाया गया है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक एक आम वैज्ञानिक से तीन गुना ज्यादा कला में अभिरुचि रखते हैं।

भारत के अतीत में लिबरल शिक्षा को जिस तरह एक समग्रता और खूबसूरती के साथ परिभाषित किया गया है वह आज 21 वीं शताब्दी के आधुनिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। यहाँ तक कि IIT जैसे इंजीनियरिंग संस्थानों को भी मानविकी और कला शिक्षा को विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के साथ समन्वित करना चाहिए। वैसे भी भारत की कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपनी एक समृद्ध विरासत रही है इसलिए लिबरल शिक्षा की ओर जाना इसका एक स्वाभाविक कदम ही कहलायेगा।

लिबरल आर्ट्स एजुकेशन देने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो? भारत में लिबरल आर्ट्स शिक्षा बढ़े और हमारे युवा 21 वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने के लिए समुचित रूप से तैयार हों इसके लिए हमें कुछ आवश्यक कदम उठाने होंगे:

बहु-अनुशासनिक माहौल और संस्थान: जैसा कि हमने देखा कि एक अच्छी लिबरल शिक्षा की प्रकृति ही यह है कि इसमें बहु-अनुशासनिकता पर जोर रहता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि लिबरल शिक्षा का प्रसार हो और यह फले-फूलें तो हमारी उच्च शिक्षा को बहु-अनुशासनिकता की ओर जाना ही होगा। हमें अब केवल एक ही स्ट्रीम में शैक्षिक कार्यक्रम चलाने के बजाय अपने कॉलेज और विश्वविद्यालयों में एकीकृत बहु-अनुशासनिक कार्यक्रमों को शुरू करना होगा।

विश्वविद्यालयों में विषयों के बीच बढ़ती खाई को पाटना: देखने में आया है कि ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ बहु-अनुशासनिक कार्यक्रम चलाये भी जा रहे हैं वहाँ भी विद्यार्थी अपने स्ट्रीम के अन्दर ही या तो सभी विषयों को पढ़ने के लिए बाध्य हैं या फिर परंपरागत संकुचित स्ट्रीम (जैसे विज्ञान या मानविकी या इंजीनियरिंग) में ही बटें हुए हैं। यह चीज़ फायदे के बजाय नुकसान अधिक करती है। क्योंकि इस व्यवस्था में विद्यार्थियों को किसी प्रकार की आज़ादी नहीं है कि वे अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार अलग-अलग स्ट्रीम के विषय भी चुन सकें। इसके चलते उनमें बहु-अनुशासनिक रुझान और क्षमताओं का विकास भी नहीं हो पाता, और ना ही रचनात्मक और विश्लेषणात्मक क्षमताएं विकसित हो पाती। इसलिए ज़रूरी है कि अलग-अलग स्ट्रीम के बीच इन खाइयों को जल्द ही पाटा जाना चाहिए।

कल्पनाशील शिक्षाक्रम और शिक्षण-शास्त्र: उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा अपने शिक्षाक्रम में एक लचीलापन लाना होगा और विद्यार्थियों को नए और रुचिकर विकल्प मुहैया करवाने होंगे। यहाँ संकाय सदस्यों और संस्थानों को शिक्षाक्रम तय करने में अधिक स्वायत्तता दिए जाने से इस प्रक्रिया को बेहतर रूप से स्थापित करने में मदद करेगा। विभिन्न कोर्स में इस्तेमाल की जाने वाली शिक्षण विधियों को भी बदले जाने की जरूरत है। इनका फोकस रटने को प्रेरित करने के बजाय संवाद, चर्चा, बहु-अनुशासनिक चिंतन आदि के विकास पर होना चाहिए।

बहु-अनुशासनिकता और अंतर-अनुशासनिकता के लिए आवश्यक विभागों को स्थापित करना और इन्हें सशक्त बनाना: भाषाओं (खासतौर पर भारतीय भाषाओं), साहित्य (खासतौर पर भारतीय साहित्य) संगीत (जिसमें हिन्दुस्तानी, कर्नाटक, लोकसंगीत, सिनेमा शामिल है), दर्शन (खासतौर पर भारतीय दर्शन जिसमें बौद्ध और जैन दर्शन भी शामिल हैं), इंडोलोजी और अन्य अध्ययन-क्षेत्र जिसमें कला, नृत्य, थिएटर, शिक्षा,

सांख्यिकी, सैद्धांतिक और व्यावहारिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, आदि विभागों की किसी भी विश्वविद्यालय के अन्दर एक बहु-अनुशासनिक और विचारोत्तेजक माहौल का निर्माण करने में एक महती भूमिका है। इन विभागों या संकायों की स्थापना हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को देश भर में सुदृढ़ बनाने में मदद करेगा।

लिबरल शिक्षा के साथ गहन विशेषज्ञता पर जोर: एक व्यापक और लचीली शिक्षा के साथ-साथ कुछ चुने गए विषयों और क्षेत्रों में गहन विशेषज्ञता भी ज़रूरी है ताकि चुने गए क्षेत्रों और विषयों में ख़ास विशेषज्ञता हांसिल की जा सके। एक व्यापक और बहु-अनुशासनिक शिक्षा अपने चुने गए क्षेत्र या विषय की समझ, पारंगतता और सृजनात्मकता हांसिल करने में मदद करेगी। इसलिए स्नातक स्तर की शिक्षा में समुचित लचीलापन होना चाहिए और आज़ादी होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों को अध्ययन के लिए चुन सकें। साथ ही साथ वे अपने कोर विषयों (मेजर, डुअल मेजर या माइनर) की भी गहरी समझ और समुचित पारंगतता भी हांसिल कर सकें। इसके चलते हमारे युवा अपने समग्र विकास में और विषय-विशेष में पारंगतता हांसिल करने में सक्षम बन पायेंगे।

लिबरल एजुकेशन में सेवा का भाव और इसके प्रति प्रतिबद्धता का समावेश: हम अपने द्वारा अर्जित व्यापक ज्ञान, दृष्टिकोणों और विशेष कौशलों का इस्तेमाल अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को आगे आना होगा और सामुदायिक सेवा में नेतृत्व की बागडोर संभालनी होगी। इन्हें अपने द्वारा विकसित ज्ञान, कौशलों, रिसर्च और संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों की प्रतिभा और क्षमताओं का इस्तेमाल समुदाय की स्थानीय ज़रूरतों और चुनौतियों जैसे साफ़ पानी, ऊर्जा, प्रौढ़ शिक्षा, स्कूली शिक्षा के मुद्दे, आदि को हल करने के लिए किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को कुछ ऐसे सवालों के बारे में सोचना चाहिए कि, “कैसे कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल या व्यवसायिक हस्त-शिल्प आदि जो कुछ भी मैं सीख रहा हूँ या जिसका मैं अध्ययन कर रहा हूँ, यह कैसे दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है?” इसके लिए कार्यक्रमों को कुछ इस तरह निर्मित करना होगा कि सामुदायिक सेवा इनके शिक्षाक्रम का एक अहम हिस्सा बन पाए और जहाँ कहीं भी संभव हो (विश्वविद्यालय के अन्दर या बाहर) विद्यार्थी स्थानीय समुदायों से जुड़े और इनकी ज़रूरतों और चुनौतियों को समझे, इन पर काम करें। इस तरह के जुड़ाव ही विद्यार्थियों को एक संजीदा और सामाजिक सरोकार रखने वाला व्यक्ति बनने में मदद करेंगे। और साथ ही वे अपने विषयगत

ज्ञान और जीवन से इसके जुड़ाव को महसूस कर पाएंगे, इससे वास्तविक परिस्थितियों में रु-ब-रु हो पाएंगे।

इंटरनशिप और शोध अवसरों की उपलब्धता: लिबरल एजुकेशन में विद्यार्थियों को स्थानीय उद्योगों में इंटरनशिप के अवसर उपलब्ध करवाने होंगे। और साथ ही साथ उन्हें अपने और अन्य HEIs में संकाय सदस्यों और शोध-कर्ताओं के साथ शोध करने के अवसर देने होंगे। लिबरल आर्ट्स डिग्रियों का यह एक हिस्सा होगा और इसे मान्यता दी जाएगी। और जब वे स्नातकोत्तर शिक्षा या रोजगार के लिए आवेदन कर रहे होंगे तब अपने स्नातक कार्यक्रम में इस तरह की गतिविधियों में भागीदारी के अनुसार विद्यार्थियों को क्रेडिट मिलेंगे।

स्नातक डिग्रियों के विकल्पों में लचीलापन: लिबरल आर्ट्स एजुकेशन के जिन आदर्शों और ख़ासियतों का ऊपर जिक्र किया गया है उनको प्राप्त करने के लिए एक चार-वर्षीय बैचलर ऑफ़ लिबरल आर्ट्स (BLA) या बैचलर ऑफ़ लिबरल एजुकेशन (BLE) डिग्री (या BLA/BLE with Research) शुरू की जाएगी- इनमें व्यापक लिबरल एजुकेशन के साथ-साथ विषय-विशेष में गहन विशेषज्ञता पर जोर होगा। जो संस्थान ऐसे कार्यक्रम चलाने के लिए सक्षम हैं वहां ऐसे कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे। तीन-वर्षीय परम्परागत B.A., B.Sc. और B. Voc. जैसे कार्यक्रम भी चलते रहेंगे यदि संस्थान इन्हें चलाते रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसे सभी स्नातक कार्यक्रमों को लिबरल एजुकेशन एप्रोच को अपनाना होगा और इसके मुताबिक इन कार्यक्रमों को चलाना होगा।

HEIs में स्नातकोत्तर और शोध कार्यक्रमों को समृद्ध बनाने के लिए लिबरल एजुकेशन एप्रोच: एक बहु-अनुशासनिक और लिबरल एजुकेशन एप्रोच ना केवल स्नातक कार्यक्रमों को समृद्ध बनाएगा बल्कि स्नातकोत्तर और शोध कार्यक्रमों को भी समृद्ध करेगा। एक बहु-अनुशासनिक माहौल, जहाँ विषयों और स्ट्रीम्स के बीच कोई खाई ना हों, और जहाँ स्थानीय समुदायों और उद्योगों से गहरा जुड़ाव हों वह अवश्य ही कुछ संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों द्वारा सार्थक और प्रासंगिक शोध करने में सहायक होगा। यह अलग-अलग संकायों और विभागों को स्थानीय मुद्दों – जैसे साफ़ पानी, ऊर्जा, पर्यावरण, जेंडर समानता, लुप्तप्राय भाषाओं, स्थानीय कलाओं आदि को संरक्षित करना, आदि – को मिलकर अध्ययन करने और इनके हल ढूँढने को प्रेरित करेगा।

इस तरह लिबरल आदर्शों के मुताबिक यदि विश्वविद्यालय शोध और स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित किये जाए तो उच्च शिक्षा और शोध बेहतरी की ओर जायेंगे और अधिक प्रासंगिक होंगे। NRF (कृपया सेक्शन 14.2 और 14.3 देखें) के यह केन्द्रीय उद्देश्यों में से एक कि देश भर में फैले HEIs में बहु-अनुशासनिक, प्रासंगिक और उच्च स्तरीय शोध करने की संस्कृति को विकसित किया जाय और इनका जुड़ाव ना केवल अलग-अलग विषयों से हो बल्कि समाज की और सरकारी संस्थाओं और उद्योगों की ज़रूरत से भी हों।

11.1. लिबरल एजुकेशन: स्नातक कार्यक्रमों में ऊर्जा के संचार हेतु

स्नातक शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए संस्थानों को चाहिए कि वे ऐसे कोर्स और कार्यक्रम चलायें जहाँ मानविकी, कला, सामाजिक, शारारिक और भौतिक विज्ञानों, गणित, खेल, व्यवसायिक और पेशेवर क्षेत्रों को समन्वित या एकीकृत कर इनका अध्ययन किया जा सके। जहाँ विभिन्न कोर्स एक समुचित रूप में ग्रुप किये जा सकें और उचित रूप से क्रेडिट स्ट्रक्चर में बाँधे जा सकें तब कहीं जाकर ये अपने विद्यार्थियों को बेहतर विकल्प दे पायेंगे ताकि वे अपनी अभिरुचि के मुताबिक भी कोर्स चुन सकें और अपने कार्यक्रम की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें। साथ ही साथ विद्यार्थियों को एक क्रेडिट-आधारित व्यवस्था के तहत यह विकल्प भी दें कि कितने वर्ष में वे किसी कार्यक्रम को करना चाहेंगे। और उन्हें बार-बार इन कार्यक्रमों में आने (entry) और जाने (exit) की छूट हों। इस आमूल-चूल परिवर्तन को संभव बनाने के लिए यह जरूरी है कि सभी स्नातक कार्यक्रमों लिबरल एजुकेशन के बुनियादी आदर्शों को आधार बनाकर विकसित किये जाए ताकि सभी विद्यार्थियों में बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, सौन्दर्य-बोध, तर्क, आदि रुझान और दक्षताएं विकसित की जा सकें।

P11.1.1. लिबरल एजुकेशन के लिए स्नातक कार्यक्रमों को नया स्वरूप देना: स्नातक कार्यक्रमों को अंतर-अनुशासनिक होना चाहिए। इनके शिक्षाक्रम इस तरह विकसित किये जाने चाहिए कि वे विद्यार्थियों में व्यापक और उपयोगी क्षमताएं और महत्वपूर्ण रुझान तो विकसित करें ही, बल्कि चुने गए विषयों जैसे – कला,

मानविकी, भौतिक और जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, व्यवसायिक और पेशेवर अध्ययन क्षेत्रों में गहन विशेषज्ञता अर्जित कर सकें।

स्नातक कार्यक्रमों में यह आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए इनके शिक्षाक्रम में निम्न चीज़ें शामिल होनी चाहिए:

- a. एक कॉमन कोर शिक्षाक्रम/ सभी विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट; और
- b. एक या दो विशेषज्ञता के अध्ययन क्षेत्र

कॉमन कोर शिक्षाक्रम का उद्देश्य व्यापक दक्षताएं और महत्वपूर्ण रुझान विकसित करना होना चाहिए जिनमें समालोचनात्मक चिंतन (जैसे सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण, क्वांटिटेटिव मेथड्स पर कोर्स), संवाद दक्षताएं (जैसे लिखने और बोलने पर कोर्स); सौंदर्य-बोध (जैसे संगीत, थिएटर, विसुअल आर्ट्स पर कोर्स); वैज्ञानिक विधियाँ और दृष्टिकोण; भारत की समझ- हमारे दृष्टिकोण, चुनौतियाँ (जैसे भारतीय इतिहास और विविधता या वर्तमान भारत की सामाजिक परिस्थितियाँ); संवैधानिक मूल्य और उनकी प्रैक्टिस; सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक चिंतन, आदि शामिल हो। और साथ ही विभिन्न तरह के विषयों और अध्ययन क्षेत्रों जैसे कला, मानविकी, खेल, सामाजिक व पर्यावरण के सरोकारों के साथ विज्ञान आदि से वें गहराई से रु-ब-रु हो सकें।

शिक्षाक्रम के इस फोकस के अतिरिक्त पूरे संस्थान का माहौल कुछ इस तरह से बनाना और पोषित करना है कि विद्यार्थियों को उपरोक्त दक्षताएं और रुझान विकसित करने में मदद मिले। विद्यार्थियों को पर्याप्त विकल्प देने होंगे ताकि उन्हें अपनी अभिरुचि के मुताबिक कोर्स चुनने के मौके मिलें और कोर शिक्षाक्रम की ज़रूरतों को पूरा भी कर सकें।

विद्यार्थियों को अपने एक विशेषज्ञता का विषय या अध्ययन क्षेत्र भी चुनना होगा जिसे 'मेजर' (major) कहा जाना चाहिए (जैसे इतिहास, केमिस्ट्री, दर्शनशास्त्र, गणित, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)। इसी तरह उन्हें एक और अध्ययन क्षेत्र चुनना होगा जिसमें विकल्प उपलब्ध होंगे, इन्हें 'माइनर' (minor) कहा जायेगा (जैसे संगीत, तमिल, भौतिकी, जियोग्राफी, या फार्मेसी)। या फिर

वें 'डबल मेजर' (double major) का विकल्प भी चुन सकते हैं। विद्यार्थियों को सिद्धांतों और प्रायोगिक अनुभवों के ज़रिये अपने विषयों की एक गहन और गहरी समझ विकसित कर रहे होंगे (मेजर)। और साथ ही वें अपने चुने गए वैकल्पिक विषय पर भी गहरी समझ विकसित कर रहे होंगे (माइनर)। विद्यार्थी को आज़ादी दी जाएगी कि अलग-अलग 'स्ट्रीम्स' (streams) (यदि आज की व्यवस्था की भाषा में बोले तो) से, जिसमें व्यवसायिक और पेशेवर अध्ययन क्षेत्र भी शामिल हैं, विभिन्न विषय चुन सकते हैं: जैसे एक विद्यार्थी अपने मेजर में भौतिकी और अपने माइनर में इतिहास को चुन सकता है। यहाँ पुनः विद्यार्थियों को यह आज़ादी दी जाएगी कि वें अपने मुताबिक कोर्स चुन सकें और अपने मेजर और माइनर कोर्स की ज़रूरत को भी पूरा कर सकें।

सभी HEIs को इन उद्देश्यों और स्ट्रक्चर के साथ स्नातक कार्यक्रम विकसित करने के लिए आगे आना होगा। उपरोक्त विशेषताओं के अतिरिक्त, सभी स्नातक कार्यक्रमों में निम्न विशेषताएं होंगी:

सामुदायिक सेवा करने के अवसर खासतौर पर अपने चुने गए विषयों और HEI में अर्जित हुनरों को सामुदायिक सेवा में कैसे इस्तेमाल करें इसके अवसर। सभी HEIs इस तरह के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनायेंगे कि विद्यार्थियों को सामाजिक सरोकारों से जुड़ने का मौका मिले और वें न्याय, समानता और विकास के मुद्दों पर अपने योगदान दे सकें। ये सभी अवसर और इनमें शामिल गतिविधियाँ कुछ इस तरह गढ़ी जाएँ कि विद्यार्थी स्थानीय समुदाय, राज्य और देश के गंभीर मुद्दों के प्रति जागरूक हो और उनसे रु-ब-रु हों। जहाँ तक संभव हो ये सब अवसर इन कार्यक्रमों के शिक्षाक्रम में ही समन्वित होंगे- इनका हिस्सा होंगे। सामाजिक कार्यों/सामुदायिक सेवाओं के लिए पूरे कार्यक्रम के दौरान कम से कम एक पूरे सेमेस्टर जितना समय दिया जाना है। इन सब कार्यों या सेवाओं में भागीदारी स्थानीय समुदायों में स्वैच्छिक रूप से भागीदारी करके, सार्वजनिक सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों से जुड़कर, या फिर सिविल सोसाइटी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करके सुनिश्चित किया जा सकता है। यह नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल कैडेट कोर, और यूथ विंग ऑफ़ दी इंडियन रेड क्रॉस की गतिविधियों में शामिल होकर भी यह किया जा सकता है।

दुनिया के साथ व्यवहारिक जुड़ाव: सभी कार्यक्रमों को सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक क्रियाकलापों को जोड़कर देखना चाहिए ताकि विद्यार्थियों का बाहरी जीवन और दुनियाँ से एक प्रासंगिक जुड़ाव बनें (जैसे प्रायोगिक लैब के कामों के ज़रिये, फ़ील्ड वर्क के ज़रिये, इंटरनशिप, शिक्षण, रिसर्च प्रोजेक्ट के ज़रिये)।

भाषा, साहित्य, कला, खेल, और संगीत पर फोकस: सभी स्नातक कार्यक्रमों में भाषा शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। संस्थाओं को अनेक भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में कोर्स चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी और प्रेरित किया जाएगा ताकि विद्यार्थी भारतीय संस्कृति की और विश्व संस्कृति की एक व्यापक और मजबूत समझ विकसित कर सकें और अधिक से अधिक इसमें पारंगतता हांसिल कर सकें। ये कार्यक्रम भाषा और साहित्य दोनों को शामिल करेंगे। विद्यार्थियों को अपने मेजर विषय पर कोई उचित प्रोजेक्ट और इसका प्रस्तुतीकरण करना होगा और विषय के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा आदि किसी एक भारतीय भाषा में करने होंगे ताकि वे इस पर पारंगतता हांसिल कर सकें।

सभी स्नातक कार्यक्रमों को संगीत, विजुअल आर्ट्स, परफोर्मिंग आर्ट्स, और खेलों पर जोर देना होगा। इस सबमें भारत और इसकी प्रादेशिक कला, संगीत और खेल की समृद्ध परम्पराओं को शामिल किया जाना चाहिए। योग भी इन सबका एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। संस्थाओं को इस तरह के कार्यक्रमों को चलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और फण्ड किया जाएगा।

लिबरल एजुकेशन के अन्दर पेशेवर सामर्थ्य और कौशल: सभी लिबरल एजुकेशन स्नातक कार्यक्रमों में पेशेवर सामर्थ्य और कौशल के विकास पर काफी जोर होना चाहिए। शिक्षाक्रम और शिक्षण का काम का दुनियाँ से एक मजबूत जुड़ाव होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों में रोज़गारपरक कौशल और दक्षताएं विकसित की जा सकें और वे भविष्य में अपने काम में होने वाले संभावित बदलावों के लिए भी तैयार हो सकें।

पेशेवर और व्यवसायिक विषय: पेशेवर और व्यवसायिक अध्ययन क्षेत्र (जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून, और टीचर एजुकेशन) इन कार्यक्रमों का एक अभिन्न हिस्सा होंगे और लिबरल एजुकेशन एप्रोच और शिक्षाक्रम की ओर बढ़ेंगे। समय के साथ-

साथ, इन स्ट्रीम्स में से विभिन्न विषय स्नातक कार्यक्रमों में शामिल किये जायेंगे। (कृपया देखें अध्याय 15, 16 और 20).

एक चार-वर्षीय कार्यक्रम इस प्रकार पूर्ण रूप से बदली हुई लिबरल स्नातक एजुकेशन कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में मदद करेगा। इसे लिबरल आर्ट्स कार्यक्रम कहा जाना चाहिए, जिसके तहत BLA या BLE डिग्री प्रदान की जा सकेगी। जिन कार्यक्रमों के अंतिम वर्ष में विद्यार्थियों को गहन शोध करने का अवसर दिए जाएंगे उनके तहत BLA या BLE रिसर्च डिग्री प्रदान की जाएगी। वर्तमान में चल रहे तीन-वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों को भी लिबरल एजुकेशन के आदर्शों और उद्देश्यों की तर्ज पर बदलना होगा, नए स्वरूप में ढालना होगा। लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि इनका समय (तीन वर्ष) कम है और लिबरल एजुकेशन के व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बाधक है। इनमें गहन शोध और व्यापक एक्सपोजर के अवसर कम होंगे। हालांकि ये तीन-वर्षीय कार्यक्रम भी चलते रहेंगे और संस्थान-विशेष को यह तय करना होगा कि वे इनका समय तीन वर्ष रखना चाहते हैं या चार वर्ष। ज़ाहिर है कि चार-वर्षीय कार्यक्रम एक बेहतर अवसर प्रदान करेगा जिसमें विद्यार्थियों को व्यापक बहु-अनुशासनिक समझ, एक्सपोजर, शोध, इंटरनशिप आदि के ज्यादा अवसर मिलेंगे।

P11.1.2. संवैधानिक मूल्यों के विकास के लिए लिबरल एजुकेशन: HEIs सभी विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों की समझ, इनके प्रति रुझान और इनकी प्रैक्टिस के लिए जरूरी काबिलियत विकसित करेंगे। सभी कार्यक्रमों के शिक्षाक्रम और संस्थानों के अन्दर की संस्कृति और माहौल मिलकर इन सबके विकास में मदद करेंगे। भारत के सभी नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं और क्या अधिकार हैं और ये किन मूल्यों से संचालित होते हैं इन सब पर विस्तार से समझ विकसित की जाएगी। इन संवैधानिक मूल्यों का विकास कुछ इस तरह किया जायेगा ताकि उनका अनुकरण विद्यार्थी अपने जीवन में कर सकें और उनके जीवन में उसकी अनुपालना होते हुए देखा भी जा सके।

स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए प्रतिबद्धता; न्याय, समानता, निष्पक्षता के लिए प्रतिबद्धता; विविधता, बहुलता, समावेशन के लिए प्रतिबद्धता; मानवता और भाईचारे के भाव के लिए प्रतिबद्धता; सामाजिक जिम्मेदारी और सेवा के भाव के लिए प्रतिबद्धता; वसुधैव कुटुम्बकम् के भाव के लिए प्रतिबद्धता; वैज्ञानिक

दृष्टिकोण, और तार्किक संवाद के लिए प्रतिबद्धता और सत्यनिष्ठा व ईमानदारी के लिए प्रतिबद्धता आदि वो मूल्य हैं जिन्हें विकसित किये जाने पर जोर होगा।

P11.1.3. हर जिले में उच्च गुणवत्ता के बैचलर ऑफ़ लिबरल आर्ट्स कार्यक्रम: पूरे देश में हर जिले के अन्दर या इसके पास कम से कम एक HEIs ऐसे होने चाहिए जो चार-वर्षीय स्नातक BLA कार्यक्रम चला रहे हों। इनका ढांचा या स्वरूप ऐसा हो जिसमें यदि कुछ विद्यार्थी तीन वर्षों को पूरा करने के बाद तीन वर्षीय कार्यक्रम जैसे B.A., B.Sc., B.Voc. या अन्य उचित कार्यक्रमों की डिग्री लेकर अध्ययन को छोड़ सकें।

इस तरह के प्रयास पहले पहल शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जिलों में किये जाने चाहिए, जो बाद में 2030 तक बचे हुए जिलों में किये जा सकते हैं। इस तरह के HEIs को “मॉडल स्नातक कॉलेज” के रूप में स्थापित किया जा सकता है। इन HEIs में उच्च गुणवत्ता के संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग रिसोर्सेज और सभी विषयों के पर्याप्त संख्या में योग्य संकाय सदस्य उपलब्ध करवाए जायेंगे। ऐसे पिछड़े जिलों में लम्बे समय तक (10 साल से कम नहीं) काम करने के लिए यहाँ आने वाले कार्मिकों, जिसमें संकाय सदस्य भी शामिल हैं, को विशेष इंसेंटिव दिए जा सकते हैं।

P.11.1.4. नए बहु-अनुशासनिक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय या भारतीय लिबरल आर्ट्स संस्थान: जिस प्रकार 1950 के दशक के अंतिम वर्षों और 1960 शुरुआती वर्षों में IIT जैसे संस्थान स्थापित हुए। 1960 के दशक के शुरुआत में ही पहला IIM बना। इसी तरह 1970 और 1980 के दशकों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय बने। कुछ और IIT एक बार फिर 1990 के दशक में बने और फिर 2000 के दशक में IISERs स्थापित किये गए। इसी तरह इस नीति को भी अब नए पेस-सेटिंग संस्थानों को स्थापित करना चाहिए जहाँ लिबरल आर्ट्स और बहु-अनुशासनिक व शोध शिक्षा दी जा सकें। ये संस्थान समग्र शिक्षा के संस्थान होंगे और देश के ज्ञान और हुनर में इजाफा कर रहे होंगे।

दुनियाँ भर में ऐसे तमाम उदहारण उपलब्ध हैं जहाँ लिबरल आर्ट्स एजुकेशन ने राष्ट्रों के विकास और इनमें बदलावों को एक सकारात्मक दिशा दी है। Ivy League सालों तक अमेरिका के विकास में महती भूमिका निभाता रहा। अभी

हाल के वर्षों में Tsinghua ने चीन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारा खुद का इतिहास गवाह है जैसे नालंदा जहाँ से बेहतरीन विद्वान निकले जिनमें से कुछ ने तो इतिहास को बदला।

अगले पांच वर्षों में भारत में भी कुछ संख्या में (करीब 5) दुनियाँ भर के अग्रणी संस्थानों की तर्ज़ पर जैसे Ivy League (अमेरिका) और नालंदा, आदि बहु-अनुशासनिक और शोध विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेंगे जो विश्वस्तरीय लिबरल आर्ट्स शिक्षा मुहैया करवा सकें। ये किस लोकेशन पर स्थापित होंगे यह राज्य सरकारों की ज़मीन और वित्त सहायता देने की क्षमता पर निर्भर करेगा। राज्य सरकारों को इनके लिए विशाल भूखंड (2000 एकड़) जो कि किसी सुन्दर जगह स्थित हो और 50 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता मुहैया करवानी होगी।

Multidisciplinary Education and Research Universities (MERUs)/Indian Institutes of Liberal Arts (IILAs) जैसे संस्थान जो कि आवासीय सुविधाओं के सुसज्जित होंगे और पूरे भारत और विश्व में बहु-अनुशासनिक लिबरल आर्ट्स एजुकेशन और शोध में उत्कृष्टता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और समय के साथ 30,000 तक की संख्या में विद्यार्थियों को शिक्षित कर सकें। ये संस्थान उच्च दर्जे के BLA, स्नातकोत्तर और पी. एच. डी. जैसे कार्यक्रम चला रहे होंगे। यहाँ के संकाय सदस्यों और लीडरशिप को अतिरिक्त स्वतंत्रता दी जाएगी ताकि कम से कम समय में इन्हें दुनियाँ की बेहतरीन विश्वविद्यालय बना सके।

MERUs/IILAs विभिन्न भौतिक विज्ञानों, सामाजिक विज्ञानों, कलाओं, मानविकी और व्यावहारिक अध्ययन क्षेत्र में मेजर और माइनर विषयों में एक बड़ी संख्या और रेंज के साथ कार्यक्रम चलाएंगे। ये लिबरल आर्ट्स एप्रोच के साथ पेशेवर और व्यवसायिक शिक्षा को एकीकृत करेंगे। ये उन HEIs के लिए मॉडल का काम करेंगे जो अभी वर्तमान में पेशेवर और/या व्यवसायिक शिक्षा में लगे हुए हैं और अपने कार्यक्रमों को पुनर्गठित करना और बदलना चाहते हैं।

11.2. स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में ऊर्जा का संचार करने हेतु लिबरल शिक्षा एप्रोच

विषयों के बीच खाई को पाटते हुए और एक लिबरल एजुकेशन एप्रोच को अपनाते हुए स्नातकोत्तर और पी.एच.डी. कार्यक्रमों में एक बहु-अनुशासनिक और जीवन्त माहौल का निर्माण करना होगा ताकि इन कार्यक्रमों को काफी समृद्ध बनाया जा सके। यहाँ आग्रह बहु-अनुशासनिक और समुदायों व राष्ट्र के लिए प्रासंगिक शोध प्रोजेक्ट्स को विकसित करने पर होगा। शिक्षा का स्थानीय, राज्य, और राष्ट्रीय संस्कृतियों और समुदायों साथ ही साथ उद्योगों के साथ गहरा जुड़ाव होगा ताकि उच्च श्रेणी की गुणवत्ता हासिल की जा सके और प्रासंगिक शोध किये जा सकें। मास्टर और डोक्टोरल कार्यक्रमों को 'ग्रेजुएट' कार्यक्रम के नाम से जाना जाएगा क्योंकि ये स्नातक (अंडरग्रेजुएट) कार्यक्रमों के बाद होंगे। ग्रेजुएट कार्यक्रमों का उद्देश्य यह होगा कि वे अपने विद्यार्थियों को ज्यादा-से-ज्यादा स्नातक कार्यक्रमों में लिबरल एजुकेशन एप्रोच के मुताबिक शिक्षण के मौके दें; उद्योगों में इंटरनशिप में भागीदारी करवाए; सामुदायिक सेवाओं में उन्हें शामिल करें; और शोध संकाय सदस्यों के साथ मिलकर शोध करने में शामिल करें – ये सब अवसर और अनुभव मिलकर ग्रेजुएट कार्यक्रमों में दी जानी वाली शिक्षा की गुणवत्ता को पोषित करेंगे और इसे उच्चतम दर्जे की बनाने में मदद करेंगे। संस्थानों और संकाय सदस्यों को स्वायत्तता दी जाएगी जो गुणवत्ता सुधार के लिए जरूरी परिस्थितियों और प्रयासों के विकास में काफी मदद करेगा।

P11.2.1. लिबरल एजुकेशन एप्रोच के ज़रिये ग्रेजुएट कार्यक्रमों को समृद्ध बनाना:

लिबरल एजुकेशन एप्रोच जिसमें विषयों के बीच खाई को पाटना, अंडरग्रेजुएट कार्यक्रमों में लिबरल एजुकेशन एप्रोच से शिक्षण करना, उद्योगों के साथ मिलकर काम करना, और बहु-अनुशासनिक शोध आदि के ज़रिये और जीवन्त बहु-अनुशासनिक समूहों की उपस्थिति ना केवल अंडरग्रेजुएट बल्कि ग्रेजुएट कार्यक्रमों को भी समृद्ध बनाएगी।

इस तरह के विचारोत्तेजक बहु-अनुशासनिक माहौल में मास्टर और डोक्टोरल कार्यक्रम अपने-अपने अध्ययन क्षेत्रों में एक गहन और गहरी समझ और विशेषज्ञता विकसित करेंगे। ग्रेजुएट कार्यक्रम अपने क्षेत्रों में नए, प्रासंगिक, और

अंतर-अनुशासनिक ज्ञान – दोनों विशुद्ध सैद्धांतिक और व्यवहारिक – को विकसित करने के लिए जरूरी क्षमता का विकास करेंगे।

सभी स्नातकोत्तर विद्यार्थी अपने विषयों में बहु-अनुशासनिक थीम को समझेंगे और शोध का अनुभव ग्रहण करेंगे – यह सब मिलकर उन्हें बेहतर सीखने के अनुभव प्रदान करेंगे।

लिबरल एजुकेशन एप्रोच का एक उद्देश्य शिक्षा के सभी स्तरों पर बेहतर शोध और शिक्षा के बीच एक गहरा सम्बन्ध विकसित करना भी होगा। इस तरह के संबंधों को विकसित करने के लिए डोक्टोरल विद्यार्थी अपने शोध के दौरान समुचित समय शिक्षण कार्यों में लगायेंगे। सभी डोक्टोरल विद्यार्थी शिक्षण पर एक सेमेस्टर कोर्स/सेमिनार करेंगे – जिसमें शिक्षण-शास्त्र के सामान्य आयामों और उनके विषय के विभिन्न आयामों पर फोकस होगा। इस तरह के कोर्स को करने के बाद डोक्टोरल विद्यार्थी अंडरग्रेजुएट कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाने में और अपने संकाय सदस्यों को शिक्षण में मदद करने में भागीदारी निभा सकते हैं। यह ना केवल उनके समग्र और सार्थक सीखने में उनकी मदद करेगा बल्कि उन्हें इसके ज़रिये अपने खर्चों के लिए कुछ आमदनी भी हो जाएगी।

सभी डोक्टोरल विद्यार्थी कम से कम किसी एक भारतीय भाषा (अंगरेजी के अलावा) में (एक यूनिट) अध्ययन करेंगे और इसमें संवाद करने की सामर्थ्य को अर्जित करेंगे। उनके लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे इस भाषा में अखबारों में लेख लिखें, लोगो के इंटरव्यू करें, और ऐसे स्कूलों में जाकर शिक्षण करें जहाँ वह भाषा बोली जाती है। (जहाँ भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा होती है वहाँ यह ज़रूरत अपने आप ही पूरी हो जाती है।)

ग्रेजुएट कार्यक्रमों में (डोक्टोरल और मास्टर्स) जो कोर्स-कार्य किये जायेंगे वे विद्यार्थियों में महत्वपूर्ण कौशल और नैतिकता विकसित करने के उद्देश्य से बनाए जायेंगे (जैसे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि विचारों को रचनात्मकता के साथ कैसे गढ़ा जाता है, कैसे उन्हें विकसित किया जाता है, बौद्धिक ईमानदारी के मायने क्या है, दूसरों के विचारों को बिना समुचित क्रेडिट दिए चुरा लेना (plagiarism) और वित्तीय अनुदानों के लिए शोध या अन्य

प्रस्तावों को लिखना)। जहाँ कहीं भी संभव हो वहाँ उद्योगों में इंटरनशिप और फ़ील्ड स्टडीज को उनकी ट्रेनिंग का अहम् हिस्सा होना चाहिये।

वर्तमान में जो गुणवत्तापूर्ण शोध की कमी महसूस की जाती है वह धीरे-धीरे पूरी हो पायेगी जब बेहतर और ऊँचे दर्जे के शोध इन बहु-अनुशासनिक संस्थानों में होना शुरू होंगे और शिक्षा व शोध संस्थानों के बीच भी आपसी जुड़ाव बढ़ेगा। जब प्रमाणन व्यवस्था (Accreditation System) लागू होगी, तब केवल उन्हीं संस्थानों को Ph.D. कार्यक्रमों को चलाने की अनुमति होगी जिन्हें इस व्यवस्था के तहत प्रमाणित (Accredited) किया जायेगा। यह व्यवस्था घटिया क्वालिटी के Ph.D. कार्यक्रमों को खत्म करने में मदद करेगा।

NRF ने जिन अध्ययन क्षेत्रों की पहचान की है उनमें उच्च श्रेणी के शोध को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों को यह पोस्ट-डॉक्टोरल फ़ेलोशिप मुहैया करवाएगा जिसके लिए विदेशी विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इस तरह के पोस्ट-डॉक्टोरल कार्यक्रम ऐसे लोगों की संख्या वृद्धि में मदद करेंगे जो Ph.D. कार्यक्रमों में अध्ययन करना चाहेंगे और इन्हें एक बेहतरीन और आत्मनिर्भर शोधार्थी के रूप में विकसित करेंगे (देखें अध्याय 14)।

अभी जो HEIs चल रहे हैं उनके संकाय सदस्यों को अपने Ph.D. करने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी ताकि उनके पेशेवर विकास को भी बढ़ावा मिले और बहु-अनुशासनिक शोधों की गुणवत्ता में भी सुधार हों। संकाय सदस्यों के लिए देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिले लेने की एक अलग प्रक्रिया स्थापित की जाएगी ताकि देश भर के बेहतरीन शोधकर्ताओं को समुचित ढंग से मार्गदर्शन मिले और वे सार्थक शोध कर पायें।

11.3. लिबरल एजुकेशन एप्रोच के ज़रिये पेशेवर शिक्षा को समृद्ध बनाना

P11.3.1. पेशेवर शिक्षा और एकल-क्षेत्र (Single-Field) कार्यक्रमों को बदलना: देश भर में पेशेवर (जिसमें तकनीकी शिक्षा भी शामिल है) और एकल-क्षेत्र शिक्षा के ऐसे ढेरों कार्यक्रम हैं जिन्हें लिबरल एजुकेशन कार्यक्रमों में बदलना होगा जहाँ मेजर और माइनर कोर्स चलाये जा सकें। बदलाव की इस प्रक्रिया में, और ऐसे संस्थान जो पेशेवर कार्यक्रमों को चलाते रहना चाहते हैं, शिक्षाक्रमों को दुबारा से गढ़ना होगा ताकि इनमें अन्य विषयों जैसे मानविकी, कला, सामाजिक विज्ञान आदि को शामिल करना होगा ताकि बेहतर वैज्ञानिक चिंतन और सृजनात्मक और नवाचारी चिंतन को विकसित करने में मदद मिले। ये कार्यक्रम व्यापक सामाजिक सरोकार रखते हों और जन सेवा और सांस्कृतिक जागरण के उद्देश्य के साथ चलाये जाने चाहिए। इस तरह ये कार्यक्रम लिबरल एजुकेशन कार्यक्रमों की तरह ही एक व्यापक और प्रासंगिक हुनर, रुझान और समझ को विकसित करेंगे; और केवल कुछ तकनीकी कौशलों पर ही संकुचित रूप से केन्द्रित नहीं रहेंगे (देखें Section 16.1)।

अभी जो संस्थान किसी एक या कुछ अध्ययन क्षेत्रों में ही कोर्स चलाते हैं उन्हें अपने आप को अब 1, 2, या 3 टाइप के बहु-अनुशासनिक संस्थानों के रूप में विकसित करना होगा। अब उन्हें अपने यहाँ ऐसे अंडरग्रेजुएट और ग्रेजुएट कार्यक्रम चलाने होंगे जो बहु-अनुशासनिक होंगे। कई पेशेवर क्षेत्रों में ऐसा करना एक महत्वपूर्ण कदम होगा, खास तौर पर उन क्षेत्रों में – जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा/स्वास्थ्य, कानून, कृषि – जिनकी शिक्षा के लिए पहले से ही ऐसे संस्थान उपलब्ध हैं जो पर्याप्त संसाधनों से परिपूर्ण हैं। इसमें शिक्षक-शिक्षा संस्थान की भी अच्छी-खासी संख्या होगी।

ऐसे संस्थानों में लिबरल एजुकेशन की संस्कृति को पोषित करने और विकसित करने के लिए कुछ खास किस्म के प्रयासों को कल्पित करना और प्रभावी रूप से लागू करना होगा- जैसे 'आर्टिस्ट-इन-रेजिडेंस' और 'राइटर-इन-रेजिडेंस',

संगीत-समारोह, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में व्याख्यान और संगोष्ठी और स्कूली शिक्षा के साथ जुड़ाव आदि तमाम चीज़ें हैं जो करनी होंगी।

11.4. लिबरल एजुकेशन और शोध: एक दूसरे को पोषित करना और सामर्थ्यवान बनाना

जैसे कि पहले कहा गया है कि एक अच्छी लिबरल एजुकेशन के लिए यह ज़रूरी है कि सभी विषयों के अन्दर प्रासंगिक और बेहतरीन शोध हों; और इसी तरह लिबरल एजुकेशन का एक बहु-अनुशासनिक माहौल हो रहे शोध को प्रभावित करता है और इनकी गुणवत्ता को समृद्ध करता है। अनेकों वैज्ञानिक जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किये गए उनमें से अधिकांश कलाओं में अभिरुचि रखते थे। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि विज्ञान और कला या अन्य क्षेत्र एक दूसरे को सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए एक अव्वल दर्जे की लिबरल एजुकेशन और एक अव्वल दर्जे की रिसर्च उच्च शिक्षा संस्थानों में एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे को पोषित करते हुए सामर्थ्यवान बनाते जाते हैं।

P11.4.1. शोध को समृद्ध करने के लिए लिबरल एजुकेशन संस्कृति: उच्च शिक्षा संस्थानों में विषयों के बीच खड़ी दीवारों को तोड़ना होगा, तभी शायद यह संभव है कि इनके बीच संवाद बढ़े, और अंतर-अनुशासनिक शोध और प्रकाशन बढ़ें। लिबरल एजुकेशन एप्रोच जिस तरह के सम्बन्ध स्थानीय समुदायों और उद्योगों के साथ स्थापित करता है इसके चलते यह सम्भावना बनती है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में काम कर रहे संकाय सदस्य और अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को इनके लिए प्रासंगिक और सार्थक शोध करने में मदद मिलती है। इससे इनका ध्यान वास्तविक ज़रूरतों पर भी होगा और उन्हें इन पर शोध करके इनके हल भी ढूँढना होगा- जैसे पर्यावरण, साफ़ पानी, ऊर्जा, जेंडर समानता, लुप्त-प्राय भाषाओं का संरक्षण, स्थानीय कलाओं का संरक्षण, आदि। वर्तमान शोध संस्कृति में यदि लिबरल एजुकेशन मूल्यों की विकसित किया जाए तो ज़रूर हमारे शोध कार्यों की गुणवत्ता को यह समृद्ध बनाएगा और इसे बहु-अनुशासनिक और अंतर-अनुशासनिक बनाने में मदद करेगा।

P11.4.2. लिबरल एजुकेशन को पोषित करने वाले गुणवत्तापूर्ण शोधकार्यों और

शिक्षण को बढ़ावा देने वाले प्रयास: एक ऐसी शोध संस्कृति को भी बढ़ावा देना होगा, जो लिबरल एजुकेशन संस्कृति के विकास में योगदान दें। इसे आगे पोषित करने और विकसित करने के लिए कुछ खास कदम उठाने होंगे। यहाँ ऐसे चार उपायों को अभी साझा किया जा रहा, लेकिन भविष्य में ऐसे ही कुछ और उपायों को कल्पित किया जाएगा और यहाँ जोड़ दिया जाएगा:

- a. साझा शोध और शिक्षण के लिए अन्तर-विश्वविद्यालयों केन्द्रों को बढ़ावा देना: इस प्रयास के तहत साझा अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग अध्ययन क्षेत्रों में नए शोध-केन्द्र Inter-University Centres (IUCs) स्थापित किये जाएंगे। ये केंद्र उन विश्वविद्यालयों का एक अभिन्न अंग होंगे जहाँ ये स्थापित हैं। IUCs अलग-अलग विषयों के बीच अंतर-अनुशासनिक रिसर्च को बढ़ावा देने का काम करेंगे, शोधकर्ताओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करेंगे ताकि उनका क्षमता-संवर्धन किया जा सके और इनके शिक्षण कौशल और रचनात्मकता को समृद्ध किया जा सके। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय अनुसन्धान केन्द्रों और विश्वविद्यालयों के बीच नेटवर्क स्थापित किये जायेंगे ताकि इनके बीच बेहतर संवाद स्थापित हो सके।
- b. भाषा, भाषा शिक्षण, साहित्य, कला, दर्शन, इंडोलोजी और सम्बंधित सांस्कृतिक क्षेत्रों में शोध और शिक्षण: भाषा, भाषा शिक्षण, साहित्य, कला, दर्शन, इंडोलोजी और सम्बंधित सांस्कृतिक क्षेत्रों में शोध और शिक्षण को NRF द्वारा सहायता दी जाएगी और पर्याप्त वित्तीय अनुदान दिए जायेंगे। ऐसे मजबूत डिपार्टमेंट जहाँ सांस्कृतिक वैविध्य और इसकी समझ को विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न तरह के कोर्स चलाये जाते हों, इन्हें स्थापित करने में NRF की यह सहायता काफी मदद करेगी। और इसके चलते बेहतर और समाज के लिए ज्यादा सार्थक और प्रासंगिक शोध होने की परिस्थियाँ बनेगी। उन सभी संस्थानों को तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन और शिक्षण के लिए वित्तीय अनुदान दिए जायेंगे जो भाषा कार्यक्रमों की तवज्जी देते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं। (देखें P22.4)

- c. भारत के पड़ोसी देशों की संस्कृति और इतिहास पर शोध और शिक्षण: भारत के पड़ोसी देशों की भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास (जैसे चीन की सभ्यता और इसकी संस्कृति) के अध्ययन और शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारे पड़ोसी देशों के बारे में हमारी समझ और ज्ञान कालांतर में एक शांतिपूर्ण माहौल और साझी आर्थिक उन्नति की ओर ले जाती हैं।
- d. राष्ट्रीय महत्व के अध्ययन-क्षेत्रों में शिक्षण और शोध कार्यक्रमों को पुरजोर तरीके से शुरू करना: RSA द्वारा एक ऐसी कमेटी गठित की जाएगी जो एक निश्चित समय (हर पांच साल में एक बार) पर राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान और उभरते हुए अध्ययन क्षेत्रों की समीक्षा करेगी। अंडरग्रेजुएट और ग्रेजुएट कार्यक्रमों में ऐसी राष्ट्रीय जरूरतों को समझने के लिए रखा जाएगा ताकि विद्यार्थी इन्हें समझे और इनसे जुड़ने के अवसर पायें, इनके कुछ हल ढूंढ पायें। सामरिक क्षेत्र (जैसे एयरोस्पेस, राकेट प्रोपल्शन, एडवांस्ड मैटेरियल्स), आर्थिक महत्व के क्षेत्र (जैसे भूगर्भ विज्ञान, खनन आदि), और नए उभरते हुए क्षेत्र (जैसे बायो-इन्फोर्मेटिक्स, आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस) आदि वर्तमान में ऐसे कुछ प्रासंगिक अध्ययन क्षेत्र हैं।

P11.4.3. पुस्तकालय और ऑनलाइन जर्नल्स की पहुँच समृद्ध बनानी होगी: एक अच्छी लिबरल एजुकेशन और बहु-अनुशासनिक शोध संस्कृति को बढ़ावा देने और लगातार इसे पोषित करने के लिए अव्वल दर्जे के ऑनलाइन जर्नल्स और पुस्तकालयों तक सबकी पहुँच एक बेहद ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए भारतीय सरकार एक व्यवस्था बनाएगी – जैसे वह अकेले खुद इन सब संसाधनों को खरीदेगी और देश के सभी सार्वजनिक संस्थानों को ऑनलाइन जर्नल्स तक पहुँच को सुनिश्चित करेगी। इससे खर्च भी कम होगा और इन संसाधनों की पहुँच भी सुधरेगी। वर्तमान में कुछ शीर्ष और प्रतिष्ठित संस्थाओं को वित्तीय अनुदान दिया जाता है ताकि वे जर्नल्स को खरीद सकें और इनकी सदस्यता ले सकें। नयी व्यवस्था में इस प्रैक्टिस को बदल दिया जाएगा। इसमें अब सरकार अकेले खरीदेगी और सबके लिए इन्हें मुहैया करवाएगी। इससे खर्च में कमी आएगी और सबको ये मुहैया हो पाएंगे।

11.5. उच्च शिक्षा में कार्यक्रम, डिग्री और अन्य सर्टिफिकेशन

P11.5.1. उच्च शिक्षा में कार्यक्रम और सर्टिफिकेशन: प्रत्येक HEIs में जब कोई डिप्लोमा, डिग्री या अन्य सर्टिफिकेट प्रदान किये जाते हैं तो इसके लिए पहले विद्यार्थी को कुछ कोर्स एक खास संख्या में और एक खास कॉम्बिनेशन के साथ लेकर सफलतापूर्वक पूरा करना होता है। इन ज़रूरतों की प्रत्येक HEIs के शिक्षाक्रम की रुपरेखा में विस्तार से बताना होगा। अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यक्रमों के सर्टिफिकेशन के लिए अलग-अलग क्रेडिट की ज़रूरत होगी (जैसे कितने कोर्स को पूरा करना जरूरी होगा)। लेकिन इन सभी शिक्षाक्रमों में लिबरल एजुकेशन की बेसिक अपेक्षाओं को जरूर ही उचित स्थान दिया जाना होगा।

अंडरग्रेजुएट डिग्री को अब एक मजबूत लिबरल एजुकेशन एप्रोच की ओर बढ़ना होगा, चाहे वह किसी भी विषय में हो, और अब यह 3 से 4 वर्ष की होगी। सभी HEIs इन 3 से 4 वर्षों के भीतर विद्यार्थियों को एक से अधिक निकास-विकल्प (exit options) मुहैया करवाएंगे, और समुचित रूप से इनका सर्टिफिकेशन किया जाए- जैसे दो वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने पर किसी अध्ययन क्षेत्र में (जिसमें व्यवसायिक और पेशेवर अध्ययन क्षेत्र भी शामिल हैं) एडवांस्ड डिप्लोमा देना या एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने पर डिप्लोमा प्रदान करना।

चार-वर्षीय कार्यक्रम - BLA या BLE चुने गए मेजर और माइनर में - विद्यार्थियों को लिबरल आर्ट्स एजुकेशन के विस्तृत और व्यापक अनुभव प्रदान करेगा। तीन वर्षीय कार्यक्रम बैचलर डिग्री देंगे। दोनों ही तरह के कार्यक्रम रिसर्च के साथ (जैसे BLE with Research) भी किये जा सकते हैं। इसमें विद्यार्थी को संस्थानों द्वारा तय किये गए गहन रिसर्च प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा। HEIs अपने तीन-वर्षीय अंडरग्रेजुएट डिग्री को बैचलर ऑफ़ आर्ट्स, या साइंस, या वोकेशन या जो भी उचित पेशेवर क्षेत्र हो उसके मुताबिक इन्हें समुचित नाम दे सकते हैं।

कुछ खास स्ट्रीम में (जैसे शिक्षक शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून) अंडरग्रेजुएट कार्यक्रम केवल चार-वर्ष या उससे अधिक के ही होंगे।

सभी कार्यक्रमों का समय एक सामान्य तौर पर मान्य समय सीमा के मुताबिक ही होगा। हालांकि विद्यार्थियों को यह छूट होगी कि वे अपने मुताबिक कम या ज्यादा समय में इन कार्यक्रमों को पूरा कर सकें। यह विद्यार्थियों के अपने प्रयासों और HEIs द्वारा चलाये जा रहे कोर्स, आदि तमाम अन्य कारकों पर निर्भर करेगा।

HEIs के पास यह छूट होगी कि वे अलग-अलग तरह के डिजाईन के मास्टर प्रोग्राम चला सकें - जैसे जिन विद्यार्थियों ने तीन-वर्षीय अंडरग्रेजुएट कार्यक्रम पूरे किये हैं उनके लिए दो-वर्षीय मास्टर कार्यक्रम जिसमें दूसरे साल की पूरी तरह रिसर्च पर फोकस किया जा सकता है। इसी तरह एक एकीकृत 5-वर्षीय बैचलर/मास्टर कार्यक्रम भी बनाया जा सकता है। इसी तरह ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने चार-वर्षीय BLA/BLE with Resarch पूरा किया है, केवल 1-वर्ष का मास्टर प्रोग्राम बनाया जा सकता है।

अब Ph.D. में दाखिले के लिए या तो एक मास्टर डिग्री या चार-वर्षीय बैचलर डिग्री (रिसर्च के साथ) जरूरी होगी। M.Phil. कार्यक्रमों को बंद कर देना चाहिए।

सभी सार्वजनिक HEIs के अंडरग्रेजुएट कार्यक्रमों में दाखिला अब NTA के तहत आकलन प्रक्रिया के ज़रिये होगा। (देखें P4.9.6)

अध्याय 12

छात्रों के सीखने के श्रेष्ठ माहौल और उनकी सहायता

उद्देश्य:

आनंदपूर्ण, गहन और जरूरतों को पूरा करने वाला शिक्षाक्रम, प्रभावी व रुचिपूर्ण शिक्षण के तौर तरीके, छात्रों के बहुमुखी विकास और बेहतर सीखने में सहायता करना।

सीखना प्रभावी हो इसके लिए एक व्यापक एप्रोच की ज़रूरत है, जिसकी शुरुआत एक ऐसे पाठ्यक्रम से होने चाहिए जो प्रभावी हो, प्रासंगिक हो, और स्पष्ट रूप से अपेक्षित उद्देश्यों और इन्हें प्राप्त करने के तरीकों पर एक विज्ञान को रखता हो। हालाँकि, दुनिया के बेहतरीन पाठ्यक्रमों को भी अपनी सामग्री सिखाने के लिए प्रभावी शिक्षणशास्त्र की ज़रूरत होती है। शिक्षणशास्त्रीय तरीके ही छात्रों के सीखने के अनुभवों को तय करते हैं, इसलिए सीखने के प्रतिफलों को ये सीधे-सीधे प्रभावित कर रहे होते हैं।

इसके अतिरिक्त, वो क्षमताएँ जिनके विकास से छात्र कल्याण को बढ़ावा मिलता है - जैसे अच्छी सेहत, मनोवैज्ञानिक -सामाजिक कल्याण और मज़बूत नैतिक आधार- इनकी भी अच्छा सीखने के लिए आवश्यकता होती है। उच्च शिक्षा में पढ़ रहे युवा प्रतिबद्धता और उद्देश्यपूर्णता के साथ गहन प्रयास करने में सक्षम होते हैं। हालाँकि, उनके जीवन के इस चरण में भी उनके व्यक्तिगत, सामाजिक और बौद्धिक जीवन में अनेकों उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। अक्सर, उच्च शिक्षा एक ऐसा दौर होता है जब विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से काम करना और परिवार से अलग रह रहे होते हैं। इसके अपने दबाव और तनाव होते हैं जो उनकी सेहत और समस्त हितों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए, एक एक अच्छी देखभाल और

सहायता की व्यवस्था बेहद ज़रूरी है ताकि छात्रों के लिए उनकी सेहत और सभी हितों के लिए माकूल माहौल बनाया जा सके; यह एक बेहतर और प्रभावी सीखने की महत्वपूर्ण पूर्वशर्त है।

सारांश में कहे तो हम कह सकते हैं कि शिक्षाक्रम, शिक्षणशास्त्र और छात्रों की सहायता उनके बेहतर सीखने सीखने के लिए मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। हालाँकि, आधारभूत ढांचा, संसाधन, तकनीकी आदि ज़रूरी और महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन केवल इन आवश्यक स्थितियों के निर्माण हेतु एक साधन के रूप में ही।

भारत में ऐसे अनेकों उच्च गुणवत्ता वाले संस्थान हैं जहाँ पहले से ही ऐसी उत्कृष्ट प्रक्रियाएँ चलायी जा रही हैं जिन्हें छात्रों के बेहतर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन संस्थानों के पूर्व छात्र पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं और हर क्षेत्र में योगदान कर रहे हैं। हालाँकि देश भर के सभी संस्थानों को ऐसा ही करना चाहिए।

प्रभावी सीखने के माहौल की वर्तमान चुनौतियाँ: पिछले दशकों में अच्छी तरह से प्रयास करने के बावजूद, हमारे संस्थानों के अधिकांश, इन-क्लास और ODL मोड्स के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में कई चीज़ों की कमी रही है। पहली, पाठ्यक्रम गैर लचीला, संकुचित और पुराना रहा है। दुनिया भर में शैक्षिक प्रैक्टिस और विषयों के ज्ञान में जो कुछ विकास हुए हैं उन्हें हमारे शिक्षाक्रमों ने कभी भी उचित समय पर ना तो शामिल किया और ना ही बहुत तवज्जो दी। हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भारतीय सन्दर्भ – इसके इतिहास और संस्कृति- या फिर वैश्विक साक्षरता जिसकी 21वीं में बेहतर सीखने में ज़रूरत है – के बारे में कोई व्यापक समझ विकसित नहीं करते। इन सबकी हमारे कार्यक्रमों को आकर्षित बनाने और आज के भारतीय और वैश्विक नागरिकों के लिए प्रासंगिक बनाने में काफी ज़रूरत है।

दूसरा, संकाय के पास खुद यह स्वायत्तता नहीं होती कि वह शिक्षाक्रम बनाए, इस स्वायत्तता के ना होने से उनके शिक्षण के तौर-तरीकों पर नकारात्मक असर पड़ता है। संकाय तभी अच्छा कर सकते हैं जब वे अपने तरीके से, अपनी खुद की विशेषज्ञता को ध्यान में रखकर व छात्रों की ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाएँ। आज जिस जड़ शिक्षाक्रम को चलाया जा रहा है जिसमें छात्रों का बाहरी आकलन (external assessments) होता है और ज्यादातर संस्थानों में फोर्मेटिव आकलन की कोई औपचारिक प्रक्रियाएँ नहीं हैं – ज़ाहिर है वहा रटने पर ही जोर रहता है और गहन सोच, रचनात्मक प्रोजेक्ट्स, और विमर्श के लिए लगभग कोई जगह बचती ही नहीं।

आखरी में, लगभग सभी संस्थानों में विद्यार्थियों की सहायता तंत्र पूरी तरह से नदारद है। कुछ-एक संस्थानों में अकादमिक सहायता के लिए कुछ सहायता उपलब्ध हो सकती है, लेकिन परंतु युवाओं के लिए तरह की गुणवत्तापूर्ण देखभाल की ज़रूरत होती है वह आमतौर पर गायब है।

सभी छात्रों की सफलता के लिए सीखने में सहायक और मददगार माहौल को सुनिश्चित करना: संस्थानों और संकाय के पास पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन के मामलों में नवाचार करने की स्वायत्तता होनी चाहिए, जो कि उच्च शैक्षिक योग्ताओं के एक व्यापक फ्रेमवर्क से संचालित हो और सभी संस्थानों के बीच एक संगतता और विभिन्न कार्यक्रमों के बीच समानता सुनिश्चित कर पाए, दोनों तरह के रूपों में - ODL और परंपरागत शिक्षण। शिक्षाक्रम और शिक्षण के तौर-तरीकों को संस्थानों और प्रेरित संकाय-सदस्यों द्वारा डिजाईन किया जाना चाहिए ताकि सभी छात्रों के लिए सीखने का एक आनंददायी और विचारोत्तेजक माहौल बने। और मूल्यांकन का उपयोग भी प्रत्येक कार्यक्रम के लक्ष्यों में हांसिल प्रगति के आकलन के लिए हो।

प्रत्येक संस्थान को अपनी आकादमिक योजनाओं- शिक्षाक्रमीय सुधारों से लेकर कक्षा में सीखने-सिखाने तक - को वृहद् IDP में समन्वित करना चाहिए। हर संस्थान को छात्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। और छात्रों के विविध समूहों के आकादमिक, सामाजिक और अंतर-वैयक्तिक दायरों में - दोनों तरह के संवाद, कक्षा में औपचारिक अकादमिक और कक्षा के बाहर अनौपचारिक संवाद- सहायता करने के लिए एक मजबूत आंतरिक प्रणाली बनानी होगी। संकाय सदस्यों के पास ऐसी क्षमताएँ और प्रशिक्षण होना चाहिए जिससे वे कक्षा में एक शिक्षक के रूप में नहीं बल्कि मैटर और गाइड के रूप में छात्रों तक पहुँच पाएँ।

सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित समुदाय के छात्रों को उच्च शिक्षा की ओर सफलतापूर्वक बढ़ने और इसमें ढलने में खास किस्म का प्रोत्साहन और सहायता की बहुत ज़रूरत होती है। उच्च शिक्षा तक पहुँच मुहैया करवाना मात्र एक पहला कदम है; लगातार सहायता भी उपलब्ध करवाना चाहिए। विश्वविद्यालयों और कोलेजों को शिक्षा से वंचित समुदायों को उच्च दर्जे की अकादमिक सहायता मुहैया करवानी चाहिए और इसके लिए विश्वविद्यालयों/कोलेजों को पर्याप्त अनुदान और आकादमिक साधन मिलने चाहिए ताकि वे इस काम को प्रभावी ढंग से चला पाएँ।

ODL गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुँचने का एक स्वाभाविक रास्ता उपलब्ध करवाता है। ODL का पूरी तरीके से लाभ उठाने के लिए, उसमें मौजूद कमियों को व्यवस्थित ढंग से ठीक करना होगा और उसे बढ़ाने व मजबूत करने के लिए ठोस और साक्ष्य आधारित प्रयासों का इस्तेमाल करना होगा और स्पष्ट रूप से बताए गए गुणवत्ता के मानकों को पूरा करना होगा। ODL कार्यक्रमों को श्रेष्ठ गुणवत्ता के इन-क्लास कार्यक्रमों के जैसी गुणवत्ता विकसित करनी होगी।

सभी विषयों के कार्यक्रमों, कोर्स, शिक्षाक्रमों, जिसमें इन-क्लास और ODL मोड भी शामिल है; और साथ ही साथ छात्र सहायता का उद्देश्य विश्व-स्तरीय गुणवत्ता पाने का होना चाहिए। ऐसा करने से भारत में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या बढ़ेगी। जो छात्र भारत में पढ़ रहे हैं व विदेश की यात्रा, वहाँ पढ़ना, क्रेडिट ट्रांसफर करना या वहाँ के किसी संस्थान में रिसर्च करना चाहते हैं, उन्हें भी इससे अधिक से अधिक गतिशीलता मिल पाएँगी; ऐसे ही विदेशी छात्रों को। वे सभी विषय और कार्यक्रम जो भारत और इसकी भाषाओं, कला, इतिहास, संस्कृति और वैश्विक सन्दर्भों; वैश्विक साक्षरता; अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक शिक्षाक्रमों जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अन्य विषय; गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधाएं और कैम्पस के अन्दर सहायता, आदि को वैश्विक गुणवत्ता मानकों और 'internationalisation at home' के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पोषित किया जाना और बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

12.1. नवाचारी और उत्तरदायी शिक्षाक्रम और शिक्षण शास्त्र

P12.1.1. शिक्षाक्रम, शिक्षणशास्त्र और मूल्यांकन में स्वायत्तता: शिक्षाक्रम, शिक्षणशास्त्र और मूल्यांकन- और संसाधन सम्बन्धी मामलों (संकाय-सदस्यों की योग्यता भी इसमें शामिल हैं) में सभी HEIs को संपूर्ण स्वायत्तता मिलेगी। (देखें P17.1.20)

P12.1.2. गहन और जीवंत शिक्षाक्रम का विकास: प्रत्येक HEI के पास पूरी स्वायत्तता होगी की वह अपने कार्यक्रमों के लिए शिक्षाक्रम विकसित कर सके, लेकिन सभी शिक्षाक्रमों को पेशेवर प्रैक्टिस या सीखने के प्रतिफल या

ग्रेजुएट के गुणों के उन मानकों के प्रति उत्तरदायी होना होगा जो उस अध्ययन क्षेत्र/विषय में उचित और प्रासंगिक मनकों को तय करने वाले निकाय ने तय किये हैं।

बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स (देखें सेक्शन 17.1) HEI के कार्यक्रमों के विकास और इन्हें चलाने की योजनाओं को मंजूरी देंगे और यह IDP का एक अभिन्न हिस्सा होगा। एक कार्यक्रम-विशेष के अधिगम उद्देश्यों को एक सक्षम संकाय-सदस्यों के बहु-अनुशासनिक समूह द्वारा तय किया जाएगा। इन अधिगम उद्देश्यों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इनके शिक्षक्रमों को विकसित किया जाना चाहिए। संकाय-सदस्यों का यह समूह बाद में इन कार्यक्रमों को सामूहिक रूप से चलाएंगे। ज़रूरी दायरों में विकास, संकाय-सदस्यों और छात्रों के अनुभवों, और सीखने के प्रतिफलों में उपलब्धियों के ट्रैक रिकॉर्ड को आधार बनाते हुए सारे शिक्षक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करना और इनमें संशोधन करना होगा।

P12.1.3. सीखने के लक्ष्यों के लिए नेशनल फ्रेमवर्क: जिनके खुद के PSSBs (देखिये **P18.3.1**) नहीं हैं, National Higher Education Qualifications Framework (NHEQE) जो डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट से सम्बंधित सीखने के प्रतिफलों की रूपरेखा बताता हो, वह सभी विषयों और क्षेत्रों के शिक्षाक्रमों के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज होना चाहिए। यह फ्रेमवर्क General Education Council (GEC) तैयार करेगी (देखिये **P18.3.2**)। व्यवसायिक विषयों के सन्दर्भ में विषयों में समानता और गतिशीलता बनी रहे, उसके लिए National Skills Qualifications Framework (NSQF) और NHEQE के बीच तारतम्यता स्थापित करनी होगी।

P12.1.4. प्रभावी सीखने-सिखाने के तौर-तरीकों के ज़रिये सीखने के अनुभवों को प्रोत्साहित करना: कक्षा-कक्ष की प्रक्रियाओं, जिसमें शिक्षण-शास्त्रीय एप्रोच भी शामिल है, को रटत प्रणाली से अवश्य ही दूर जाना होगा, और संकल्पनात्मक समझ, बुनियादी मौलिक क्षमताओं और रुझानों का विकास, प्रैक्टिकल और जमीनी अनुभवों से जुड़े अभ्यास, विचार विमर्श और सीखने के लिए उत्साही भाव आदि चीजों को विकसित करना और प्रोत्साहित करना

होगा। HEIs द्वारा संकाय-सदस्यों को सशक्त बनाया जाएगा और लगातार उनकी सहायता की जाएगी ताकि वे उपरोक्त उद्देश्यों को हांसिल करने के लिए सीखने-सिखाने के तौर-तरीकों में नवाचार कर सकें और अपना सकें।

ऐसा करने के लिए मानक लेक्चर विधि से दूर जाना होगा, और शिक्षण की ऐसे एप्रोच अपनाने पड़ेंगे जो छात्रों को भागीदारी और विचार-विमर्श का और प्रासंगिक फ़ील्ड-वर्क और ज़मीनी अनुभव देने में मदद करते हों। सेमिनार, संगोष्ठियां, स्वतंत्र पठन जिसमें शिक्षक मदद करें, व्यक्तिगत और सामूहिक प्रोजेक्ट्स शिक्षण की कुछ ऐसी प्रक्रियाएँ हैं जो अपनाई जा सकती हैं। साझेदारी और सहपाठी-समर्थित गतिविधियाँ छात्रों को स्वयं के सीखने की ज़िम्मेदारी लेने में सशक्त करने में मदद करता है।

कक्षा-शिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चीज़ों को “कैसे” करें, इस बात पर केन्द्रित होना चाहिए- जैसे सिद्धांतों और विचारों को जीवन में कैसे अमल में लायें? सारे कार्यक्रमों (खासकर की जो visual या performing arts में, विज्ञान में या गणित में) के लिए पर्याप्त उपकरण, सामग्री और उचित जगह हो जहाँ छात्र प्रयोग कर सकें, समझ बना सकें और नए विचारों को आजमा सकें। सारे कार्यक्रमों (जिसमें मानविकी और सामाजिक विज्ञान भी शामिल हैं) को कुछ ऐसे स्थानीय और प्रासंगिक प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करने चाहिए ताकि सभी छात्रों को उचित ज़मीनी अनुभव मिलें और ज़मीनी मुद्दों से जुड़ाव बढ़े। कक्षा-कक्ष में जिन संकल्पनाओं पर काम हुआ है और सीखा गया है उसे और मज़बूत करने के लिए, साथ ही साथ छात्रों को फ़ील्ड की वास्तविकताओं, इसके अनुभवों का एक्सपोज़र देने के लिए सभी कार्यक्रमों में प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकम और इंटरनशिप आदि को शामिल किया जाएगा।

शिक्षण के तौर-तरीक़ों और इनके प्रैक्टिस यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किये जाएंगे कि छात्र शांतिपूर्ण संवाद के ज़रिये मुद्दों से जुड़ना और इनपर चिंतन करना सीखें। हमारे विद्यार्थी लोकतंत्र को संरक्षित करने और इसे पोषित करने में सहायक महत्वपूर्ण संवादों, शांतिपूर्ण सार्वजनिक चर्चाओं और सहिष्णुता के लिए आम सार्वजनिक जीवन और इसमें निहित मंचों के महत्व को समझने और इसे और मज़बूत बनाने में सक्षम होने चाहिए।

संकाय-सदस्यों के पास यह स्वतन्त्रता होनी ही चाहिए कि वे उन शिक्षण तौर-तरीको और एप्रोच को पहचान सके और उन्हें इस्तेमाल कर सकें जो उनके कोर्स और छात्रों के लिए श्रेष्ठ हैं। समावेश और विविधता के मुद्दों को शिक्षण की सभी एप्रोच द्वारा सुनिश्चित करना चाहिए।

P12.1.5. उच्च शिक्षा संस्थानों में सभी छात्रों के लिए सामाजिक जुड़ाव के सार्थक

अवसर: सभी HEIs ऐसी मैकेनिज्म बनाएंगे जिसके ज़रिये अंडरग्रेजुएट स्तर पर विद्यार्थी न्याय, समता, और विकास के मुद्दों में योगदान कर सकें। ये मैकेनिज्म इस तरह डिजाईन किये जाएंगे कि छात्रों को स्थानीय समुदाय, राज्य और देश के ज्वलंत मुद्दों का एक्सपोज़र मिले। और जहाँ तक भी संभव हो, ये मैकेनिज्म कार्यक्रम के शिक्षाक्रमों में समन्वित किये जाएंगे। पूरे कार्यक्रम के दौरान, हर विद्यार्थी के लिए कम से कम एक सेमेस्टर कोर्स जितना समय ऐसे सामाजिक जुड़ाव के लिए रखा जाएगा। यह सब स्थानीय समुदायों में प्रासंगिक स्वैच्छिक कार्यक्रमों के ज़रिये, सामाजिक जन-कल्याण कार्यक्रमों से जुड़ने, सिविल सोसाइटी संस्थानों के साथ साझेदारी करके, कैम्पस में ट्यूटोरिंग या सहायता-समूहों में भाग लेने या अन्य ऐसी सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने जो समान रूप से प्रभावी है, के द्वारा हासिल किया जा सकता है।

P12.1.6. आकलन छात्रों के विकास के लिए हो ना कि उनके बारे में राय बनाने के

लिए: सभी आकलन प्रणालियाँ HEIs द्वारा तय की जाएगी, इनमें वे प्रणालियाँ भी शामिल होगी जो फाइनल सर्टिफिकेशन में काम आएगी। UGC के Choice Based Credit System (CBCS) की समीक्षा की जाएगी और इसमें संशोधन किया जाएगा ताकि एक आधारभूत विज्ञान को स्पष्ट किया जा सकें और नवाचारों व लचीलेपन के लिए भी उसमें स्थान हो। HEIs को मानक-आधारित ग्रेडिंग प्रणाली की ओर जाना चाहिए जो प्रत्येक कार्यक्रम के सीखने के उद्देश्यों के बरक्स छात्रों की उपलब्धियों का आकलन कर सके। इससे यह पूरी प्रणाली अधिक निष्पक्ष बनेगी और परिणामों की बेहतर तुलना की जा सकेगी। HEIs को ऐसी परीक्षाएं से दूर जाना होगा

जिनमें बच्चों पर बेहद तनाव बनता और उनका बहुत कुछ दाँव पर लगा होता है, इसके बजाय उन्हें सतत और व्यापक मूल्यांकन की ओर जाना चाहिए।

सीखने के सभी आयामों का एक व्यापक आकलन होगा और यह इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि सीखने के अनुभवों के साथ सीखने के प्रतिफलों को भी जाना जा सके। छात्रों के केवल अकादमिक पहलुओं का ही नहीं बल्कि उन व्यापक क्षमताओं और रुझानों का भी आकलन होगा जो लिबरल शिक्षा के उद्देश्यों का हिस्सा हैं।

आकलन में ऐसे अवसर उपलब्ध होने चाहिए जहाँ छात्रों द्वारा बार-बार रिफ्लेक्शन किया जा सके, और संकाय सदस्यों द्वारा भी किया जा सके ताकि सीखने के जो अनुभव मुहैया करवाए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। आकलन का उद्देश्य छात्रों को लेबल करने या उन्हें मेरिट में कोई स्थान देना नहीं होना चाहिए बल्कि इसका उद्देश्य तो छात्रों के उन पहलुओं को पहचानना है जिनमें वे दक्ष हैं और जिनमें उन्हें सहायता की जरूरत है – और यह लगातार होना चाहिए जब वे अपने कार्यक्रमों द्वारा तय उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे होते हैं। इस उद्देश्य के लिए आकलन की प्रक्रियाओं और टूल्स की एक बड़ी रेंज इस्तेमाल करनी चाहिए – जैसे खुद अपना आकलन और सहपाठी द्वारा आकलन, पोर्टफोलियो, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, प्रस्तुतीकरण और शोध-निबंध। संकाय-सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से ही आकलन के मापदंड और रुब्रिक्स निर्धारित करने चाहिए और छात्रों के साथ इन्हें साझा करना चाहिए।

P12.1.7. शिक्षाक्रम और शिक्षणशास्त्र संस्थागत आकलन और विकास के अभिन्न

अंग होंगे: शिक्षाक्रम की गुणवत्ता, इसमें सुधार, कक्षा में शिक्षण की वास्तविक गुणवत्ता और छात्रों के सीखने के प्रतिफल सारे HEIs के IDP का एक अभिन्न हिस्सा होंगे। इसका इस्तेमाल संस्थानों, इनके कार्यक्रमों और संकाय के सदस्यों के आकलन के लिए एक व्यवस्थित और विवेकपूर्ण तरीके से होना चाहिए। इसमें छात्रों के आकलन, सहपाठियों की समीक्षा और अन्य प्रासंगिक मैकेनिज्म को शामिल किया जा सकता है। संस्थान का यह आकलन, सुधार के लिए स्व-आकलन के रूप में होना चाहिए, या मान्यता प्राप्त करने की

प्रणाली में मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में होना चाहिए।
(देखें सेक्शन 18.2)

12.2. सीखने और विकास के लिए छात्रों की सहायता

P12.2.1. छात्रों के लिए अकादमिक सहायता: सभी संस्थानों द्वारा छात्रों को नियमित कक्षाओं के अतिरिक्त अकादमिक सहायता मुहैया करवानी चाहिए। संस्थानों के अपने-अपने सन्दर्भों में जो साधन समुचित लगते हैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए- जैसे भाषाओं में दक्षताओं के सुधार के कदम, अकादमिक पठन, अकादमिक लेखन, अकादमिक संवाद, तर्क, और विश्लेषण; किसी विषय-विशेष पर केन्द्रित सहायता, अतिरिक्त सहायता/रेमेडियल सहायता के लिए विशेष ब्रिज कार्यक्रम/केंद्र (सूझबूझ और संवेदनशीलता के साथ विकसित किये गए), और विशेष ट्यूटोरियल और ट्यूटोरिंग कार्यक्रम और केंद्र। यूनिवर्सिटी/कॉलेज उन छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स ऑफर कर सकते हैं जो अभी-अभी उच्च शिक्षा में दाखिल हुए हैं- यह सब छात्रों पर सामाजिक और शैक्षिक वंचनाओं के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से किया जाएगा।

P12.2.2. छात्रों के लिए करियर हेतु सहायता: सभी संस्थान अपने छात्रों की रोजगार के लिए ज़रूरी तैयारी को सुनिश्चित करेंगे। शिक्षाक्रम ऐसे होंगे जो रोजगार/काम की दुनिया के लिए छात्रों की दक्षताओं और हुनरों को विकसित करने में मदद करेंगे। इसके अलावा, संस्थान अन्य तरीकों से भी छात्रों की मदद करेंगे- जैसे- प्लेसमेंट/काउंसलिंग सहायता के ज़रिये छात्रों को उनके रोजगार/काम के चुनाव में मदद करना, रोजगार के अवसरों को पहचानने की प्रक्रिया में उनकी मदद करना, और संभावित नियोक्ताओं के साथ संवाद स्थापित करना; और कार्यस्थलों से सम्बंधित हुनरों और दक्षताओं (जो उनके रेगुलर शिक्षाक्रम का हिस्सा नहीं हैं) पर वर्कशॉप/अल्प-अवधि के कोर्स ऑफर करना।

P12.2.3. छात्रों के लिए शारीरिक और भावनात्मक सेहत के लिए सहायता:

संस्थानों को छात्रों की शारीरिक और भावनात्मक सेहत को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाएँ और व्यवस्थाएँ बनानी चाहिए, और समुचित समय इस लगाना चाहिए। किसी बिमारी या मानसिक अवसाद की स्थिति में छात्रों को चिकित्सा की सुविधा, काउंसलिंग सेवाएँ, थेरेपी, उपचार आदि मुहैया करवाया जाना चाहिए। संस्थानों को मजबूत मेंटरिंग कार्यक्रम अपने संकाय-सदस्यों की मदद से चलाने चाहिए; इसके साथ-साथ सहपाठी-सहायता कार्यक्रम (जैसे, Buddy System और छात्र सहायता समूह) भी चलाने चाहिए। इन तमाम समूहों में आपसी संवाद को बढ़ावा मिले और सब इस प्रकार की देखभाल और सहायता के मूल्य को समझे, इसके लिए छात्रों और संकाय-सदस्यों के विकास के लिए कुछ औपचारिक कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। ये सभी कार्यक्रम छात्रों और संकाय-सदस्यों को यह समझने में मदद करने चाहिए कि एक दूसरे का ख्याल और देखभाल की चिंता हमारे बीच रिश्तों की क्वालिटी में और कैसे हम एक-दूसरे की ज़रूरतों और चुनौतियों में मदद करते हैं और इनसे मिलकर मुकाबला करते हैं, इन बातों में निहित है। यह सही है कि कुछ चीज़ों और ज़रूरतों को पहचानने के लिए विशेषज्ञों की देखभाल की ज़रूरत होती है, पर यह भी तभी संभव है जब इस तरह की ज़रूरतों को जल्दी ही पहचान लिया जाए; इसलिए इस तरह की क़ाबलियत और संस्कृति हर HEI में विकसित किया जाना महत्वपूर्ण होगा।

P12.2.4. छात्रों के लिए आर्थिक सहायता: जिन छात्रों को आर्थिक सहयोग की ज़रूरत

है उन्हें इस प्रकार की मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। आर्थिक तंगी के वजह से कोई भी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। एक नेशनल स्कालरशिप फण्ड स्थापित किया जाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी छात्रों को जिन्हें सार्वजनिक HEI में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक मदद की ज़रूरत है, उन्हें आर्थिक सहायता मिले- इसमें ना केवल फीस माफ़ी शामिल हो बल्कि बोर्डिंग, लॉजिंग और भत्ता भी शामिल हो। प्राइवेट संस्थान अपने सभी छात्रों में से कम से कम आधे छात्रों को 100 से 50 प्रतिशत तक की स्कालरशिप देंगे (देखें P18.6.3)

- P12.2.5. खेल और कला की सुविधाएँ:** सभी संस्थान इस प्रकार की सुविधाएँ, कक्षाएँ और क्लब छात्रों के लिए उपलब्ध करवाएंगे ताकि वे खेल, विजुअल और परफोर्मिंग आर्ट्स सम्बन्धी गतिविधियों में भागीदारी कर सकें। सभी HEIs में ऐसी सुविधाओं के विकास और इनकी देखरेख के लिए और 'आर्टिस्ट-इन-रेजिडेंस' कार्यक्रमों के लिए एक फण्ड अलग से रखा जाएगा।
- P12.2.6. संस्थागत प्रक्रियाओं में छात्रों को शामिल करना:** छात्रों को संस्थानों द्वारा स्थापित समुचित कमेटी और प्रक्रियाओं में शामिल किया जाएगा- इसके लिए कुछ उचित प्रणाली और तंत्र बनाए जाएंगे। छात्रों के शैक्षिक अनुभवों को समृद्ध करने और HEIs अपने छात्रों की ज़रूरतों और उनके फीडबैक के प्रति उत्तरदायी बने इसके लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा।
- P12.2.7. मुद्दा-केन्द्रित क्लब और गतिविधियाँ:** सभी HEIs में मुद्दा-केन्द्रित क्लब और गतिविधियों को छात्रों द्वारा (जरूरत के मुताबिक संकाय-सदस्यों और विशेषज्ञों की मदद के साथ) आयोजित करने हेतु फंडिंग के आवश्यक तंत्र और अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। उदाहरण के लिए, गणित, विज्ञान, काव्य, भाषा, साहित्य, वाद-विवाद, संगीत, टेबल-टेनिस आदि तमाम क्षेत्रों को समर्पित क्लब और गतिविधियाँ, आदि। समय के साथ, जब उचित संकाय विशेषज्ञता विकसित होगी और कैम्पस छात्रों की मांग भी बढ़ेगी तो तब इस तरह की गतिविधियों को शिक्षाक्रम में शामिल की जा सकती हैं।
- P12.2.8. शिकायतों के पर्याप्त निवारण:** छात्रों की शिकायतों और कष्टों का एक समय-सीमा के अन्दर निवारण और आला दर्जे की छात्र सेवाओं को सुनिश्चित किया जाएगा; यदि ऐसा नहीं होता है तो जिम्मेदार लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी।

12.3. मुक्त और दूरस्थ अधिगम: जीवन भर सीखने के अवसर और पहुँच को समृद्ध करने के लिए शिक्षाक्रम और शिक्षण-शास्त्र

P12.3.1. मुक्त और दूरस्थ अधिगम की क्वालिटी में आमूल-चूल परिवर्तन: ODL एक शिक्षाक्रमीय और शिक्षण-शास्त्रीय एप्रोच के रूप में अपने आप में काफी संभावनाएं लिए हुए है, इसके ज़रिये उच्च शिक्षा की पहुँच को बहुत बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब ODL कार्यक्रमों की क्वालिटी आला दर्जे की हो। ODL कार्यक्रमों को साफ़ तौर पर यह एक उद्देश्य होगा कि वे अपनी क्वालिटी संस्थानों में चलाये जा रहे इन-क्लास कार्यक्रमों की क्वालिटी के समान ही विकसित करें- और ऐसा करने के लिए इन्हें उपलब्ध संसाधनों, कोर्स, कार्यक्रमों और बेहतरीन संकाय-सदस्यों का इस्तेमाल करना होगा, और इन्हें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। संस्थानों में चल रहे कोर्स और कार्यक्रमों का छात्रों के उच्चतम आकलनों और सहपाठियों और शिक्षकों की समीक्षा को एक बहुत गहन प्रक्रिया के ज़रिये नामित किया जाएगा ताकि इसके ज़रिये इन्हें ODL कोर्स और कार्यक्रमों (खास तौर पर, MOOCs) के रूप में बदला जा सके और इनका समर्थन किया जा सके।

P12.3.2. गुणवत्तापूर्ण अधिगम अनुभव की पहुँच में सुधार करने के लिए मुक्त और दूरस्थ अधिगम को बढ़ावा देना: उच्च गुणवत्ता वाले ODL कोर्स और कार्यक्रमों का विस्तार आगे कही चीज़ों के लिए किया जाएगा: i) उच्च शिक्षा, जिसमें पेशेवर और व्यवसायिक शिक्षा शामिल है, की पहुँच को बढ़ाना; ii) जो लोग विभिन्न आजीविकाओं में लगे हुए हैं साथ ही साथ वे लोग जो दुबारा औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में आना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगो तक पहुँचते हुए जीवन-भर के सीखने और सर्टिफिकेशन को बढ़ावा देना; iii) स्कूली और उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लगातार पेशेवर विकास में सहायता देना।

P12.3.3. संस्थानों द्वारा दोनों तरह के-परम्परागत और मुक्त और दूरस्थ अधिगम

मोड्स- कार्यक्रम चलाना: सभी टाइप-1 और टाइप-2 संस्थानों को अपने सबसे अच्छे शिक्षकों की सहायता से नवाचारी ODL कार्यक्रम ऑफर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जो कार्यक्रम पहले से ही उपलब्ध हैं और उच्च गुणवत्ता वाले हैं उन्हें भी इनके अधिगम-उद्देश्यों के साथ नए ODL कार्यक्रम विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये संस्थान केवल ODL कार्यक्रम भी ऑफर कर सकते हैं लेकिन पुनः इन्हें इन-क्लास कार्यक्रमों के जैसी ही उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करना होगा। टाइप-3 संस्थान भी ODL कार्यक्रम ऑफर कर सकते हैं लेकिन तब जब उन्हें इनके लिए उचित मान्यता मिल जाए।

P12.3.4. मुक्त और दूरस्थ अधिगम की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना:

यह सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले ODL कार्यक्रमों का विकास हो और इन्हें चलाया जाए, सभी HEIs अपने श्रेष्ठ संकाय-सदस्यों, कोर्स, और कार्यक्रमों का इस्तेमाल करेंगे, और उच्चतम गुणवत्ता की विषय-वस्तु के साथ नवाचारी शिक्षाक्रम और शिक्षण-शास्त्रीय प्रैक्टिसेज को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रयासों के अतिरिक्त पर्याप्त सुविधाओं और सहायक-स्टाफ पर निवेश करेंगे। ODL कार्यक्रमों की गुणवत्ता का आकलन समान प्रकृति के बेहतरीन इन-क्लास कार्यक्रमों (विभिन्न HEIs में चलाये जा रहे) के सापेक्ष अधिगम-प्रतिफलों को कितने प्रभावी ढंग से हांसिल किया गया इस आधार पर होगा। सभी संस्थान जो ODL मोड में कोर्स और कार्यक्रम ऑफर कर रहे हैं वे राष्ट्रीय और स्थानीय ज़रूरतों के आधार पर इन्हें विकसित करेंगे और इनका मानकीकरण करेंगे। ODL कार्यक्रमों की मान्यता, नियमन और व्यवस्थात्मक विकास के लिए नियम, मानक और गाइडलाइन्स NHERA द्वारा तैयार की जाएगी, और ODL की गुणवत्ता के लिए फ्रेमवर्क जिसकी अनुपालना सभी HEIs के लिए जरूरी होगी, GEC द्वारा विकसित किया जाएगा।

ODL कार्यक्रमों की गुणवत्ता, इनमें नवाचार को बढ़ावा देने, और निरंतर इनके नवीनीकरण और पुनर्गठन को सुनिश्चित करने लिए सभी HEIs में ODL कोर्स और कार्यक्रम विकसित करने और ऑफर करने के लिए एक आन्तरिक नॉमिनेशन और समीक्षा करने की व्यवस्था बनायी जाएगी।

केवल वे HEIs जो ODL कार्यक्रम चलाने के लिए मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें ही ODL कार्यक्रम चलाने की इजाजत दी जाएगी (देखें सेक्शन 18.2)।

P12.3.5. ऑनलाइन डिजिटल रिपॉजिटरी: ODL कार्यक्रमों के लिए जो विषय-वस्तु विकसित की जाएगी उसे ऑनलाइन डिजिटल रिपॉजिटरी में शामिल किया जाएगा ताकि संसाधनों का ढंग से इस्तेमाल हो और सामग्री का अनावश्यक दोहरान ना हो, यह सुनिश्चित किया जा सके (देखें **P19.4.6**)। विषय-वस्तु की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए इसका लगातार निर्माण और इसकी समीक्षा के लिए एक उचित व्यवस्था बनायी जाएगी। पूरे देश में सभी छात्रों और संकाय-सदस्यों को विषय-वस्तु और इस पर पठन सामग्री मुफ्त उपलब्ध होगी।

P12.3.6. मुक्त और दूरस्थ अधिगम की गुणवत्ता में सुधार के लिए शोध हेतु फंडिंग: ODL सम्बंधित शिक्षण के तौर तरीकों और आकलन में निरंतर सुधार को सुनिश्चित करने, छात्रों की सहायता हेतु सेवाओं, ODL के मॉडल्स, और तकनीक के समावेशन पर शोध करने के लिए पर्याप्त फंडिंग उपलब्ध करवाई जाएगी।

P12.3.7. मुक्त और दूरस्थ अधिगम में नामांकित छात्रों के लिए सहायता सेवाएँ: उन सभी संस्थानों में जहाँ ODL ऑफर किए जाते हैं वहाँ छात्र सहायता सेवाएँ स्थापित की जानी चाहिए। ये सेवाएँ उतनी ही प्रभावी और प्रासंगिक होनी चाहिए जैसी कि इन्ही संस्थानों में फुल-टाइम छात्रों के लिए ऑफर की जाती हैं। इस सेवाओं में आगे कही बातें शामिल होंगी: अधिगम-सामग्री उपलब्ध करवाना (जैसे, कोर्सवेयर, रिपॉजिटरी, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज या OERs, MOOCs), हेल्प-डेस्क सेवाओं के ज़रिये मदद करना, ट्यूटोरिंग और काउंसलिंग; वेबिनार, डिस्कशन फोरम, वेबकास्टिंग आदि के जरिये कक्षाओं को चलाना, पुस्तकालय सुविधाएँ, वर्चुअल लैब, ई-लर्निंग मोड्यूल्स, छात्रों के प्रदर्शन पर समय से फीडबैक देना, ऑनलाइन परीक्षाएं, परिणामों की घोषणा, प्रमाण-पत्र देना, शिकायतों की सुनवाई, आदि।

P12.3.8. मुक्त और दूरस्थ अधिगम में विशेषज्ञता के लिए क्षमता विकास: ODL कोर्स और कार्यक्रमों के विकास और इनके संचालन हेतु संकाय-सदस्यों के क्षमता विकास के लिए टाइप-1 HEIs को फण्ड दिया जाएगा। इसमें ODL सामग्री के विकास के लिए और ऐसे अधिगम संसाधनों की व्यापक पहुँच के लिए एजुकेटर और लेखकों के प्रशिक्षण भी इसमें शामिल होंगे। ये कार्यक्रम दोनों ही मोड्स – इन-क्लास और ODL- में ऑफर किये जा सकते हैं। इन कार्यक्रमों के जरिये ODL पर विशेषज्ञों का एक कैडर इस तरह विकसित किया जाएगा।

P12.3.9 व्यापक स्तर पर मुक्त ऑनलाइन कोर्स: MOOCs, ODL के एक महत्वपूर्ण फॉर्म (form) के रूप में विकसित हुआ है। उच्च गुणवत्ता के MOOCs में दाखिले की मांग लगातार बढ़ने वाली है। हालांकि MOOCs ने अभी तक इनके उपयोग का शुरुआती अनुमान नहीं लगाया है, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि ये विशाल संख्या में छात्रों तक पहुँचने का एक कारगर जरिया हैं, और अभी भी अधिगम-प्रतिफल और संवाद की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल किये जा रहे हैं। यू.एस.ए. के बाद, भारत दूसरा ऐसा देश है जिसमें सर्वाधिक संख्या में छात्र MOOCs में दाखिला लेते हैं। अभी हाल ही में SWAYAM (Study Web of Active Learning for Young Aspiring Minds) नाम का प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है जो कि एक भारतीय प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न MOOCs ऑफर करता है और इन्हें व्यक्तिगत एजुकेटर की मदद के लिए और ऐसी मांगों को पूरा करने के लिए HEIs द्वारा उपयोग में लिया जाएगा।

P12.3.10. MOOCs की बढ़ती मांग को पूरा करना: HEIs को अपने श्रेष्ठ कोर्स ऑनलाइन चलाने के लिए फंडिंग और अन्य सहायता तंत्रों के जरिये प्रोत्साहित किया जाएगा। युवाओं और प्रौढ़ लोगों के ज्ञान का निरंतर नवीनीकरण करने के लिए MOOCs की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए HEIs या तो अपने मुक्त अधिगम प्लेटफॉर्म स्थापित करें या अपने कोर्स को SWAYAM प्लेटफॉर्म पर रख दें। पूरे देश में विभिन्न यूनिवर्सिटी और संस्थान द्वारा ऑफर किये जा रहे ऑनलाइन कोर्स को चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। अलग-अलग विशेषज्ञता-क्षेत्रों में देश भर के जाने-माने संकाय-सदस्यों को अपने क्षेत्रों में

MOOCs को डिजाइन करने और चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इनकी सहायता की जाएगी। जो HEIs और संकाय MOOCs ऑफर कर रहे हैं वे अपने सभी नामांकित छात्रों को उनके प्रदर्शन पर समय से फीडबैक देने और एक विश्वसनीय आकलन सुनिश्चित करने के लिए समुचित व्यवस्था स्थापित करेंगे।

P12.3.11. MOOCs द्वारा अर्जित क्रेडिट का संचय और मान्यता: NHEQF के हिस्से के रूप में GEC द्वारा एक व्यवस्था बनायी जाएगी जिसके ज़रिये MOOCs के अंतर्गत अर्जित किये गए क्रेडिट्स को मान्यता दी जाएगी और उनका संचय किया जा सकेगा। विश्व में कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी द्वारा ऑफर किये जा रहे MOOCs को मान्यता दी जा सकेगी यदि उनके विषय-वस्तु के मानक NHEQF के मानकों के समान हैं और इनसे मिलते हैं, और इनके चलाने के तौर-तरीकों पर, छात्रों के साथ संवाद के रूपों पर, और आकलन की प्रक्रियाओं पर समुचित निगरानी रहेगी। HEIs अपने छात्रों को उनकी इच्छा के अनुसार मान्यता प्राप्त MOOCs के ज़रिये सेमेस्टर-विशेष में कुल जरूरत के मुताबिक (खासतौर उन विषयों में जो अभी HEI में नहीं हैं) भागीदारी करने की छूट देंगे। अपनी-अपनी ज़रूरतों के हिसाब से विवरणों की व्याख्या HEIs पर छोड़ दी जाएगी।

P12.3.12. MOOCs की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना: HEIs को MOOCs (और सभी तरह के ODL) के लिए नॉमिनेशन और समीक्षा प्रक्रियाओं की गहनता को सुनिश्चित करने के लिए स्वयं आगे आना चाहिए और इनका नेतृत्व करना चाहिए, ताकि इनके संकाय-सदस्यों द्वारा ऑफर किये जा रहे MOOCs, और छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट्स को GEC की गाइडलाइन्स के मुताबिक संचालित किया जा सके, और HEI में चलाए जा रहे सबसे बेहतरीन कोर्स और कार्यक्रमों के समान ही इनकी गुणवत्ता को बनाया जा सके, और वांछनीय अधिगम प्रतिफलों को हांसिल करने के लिए छात्रों के साथ संवाद और उनकी सहायता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि एक HEI द्वारा किसी इन-क्लास कोर्स को MOOC (या अन्य ODL कोर्स में) में तब्दील करने का निवेदन किया जाता है तो यह उस संस्थान के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान माना जाएगा और इसके संकाय-सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। इस प्रकार के कोर्स

चलाने और इन्हें तब्दील करने के लिए जो संकाय-सदस्य आगे आयेंगे उन्हें संसाधनों (मानवीय, भौतिक, और तकनीकी संसाधन) के साथ मदद की जाएगी ताकि उच्च गुणवत्ता के MOOC सुनिश्चित किये जा सकें।

12.4. उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण

जब हम अपने छात्रों को दुनिया भर के और विभिन्न संस्कृतियों के अधिगम अनुभवों के ज़रिये दुनिया के मसलों और इसकी रोजमर्रा की प्रक्रियाओं में भागीदारी करने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हमें हमारे उच्च शिक्षा के कार्यक्रमों में भागीदारी करने के लिए दूसरे देशों से भी छात्रों को आकर्षित करना चाहिए। हमारे यहाँ प्राप्त शिक्षा से जो समझ ये छात्र हांसिल करेंगे और जो सम्बन्ध हमारे देश के साथ इनके बनेंगे यह उनके देश में इनके काम को प्रभावित करेगा। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। 700 BCE में हमारे यहाँ विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला में स्थापित हुआ। 7 CE में नालंदा विश्वविद्यालय जब अपने शीर्ष पर था तब यहाँ चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, जापान, पर्शिया, टर्की और दुनिया के अन्य देशों से आए छात्र अध्ययनरत थे। हालांकि, अब भारतीय छात्र बड़ी संख्या में अपनी शिक्षा के लिए विदेशों में जा रहे हैं। भारत में आज केवल 45,000 (11250 प्रति वर्ष) विदेशी छात्र उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं, इस संख्या के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक विदेशी छात्रों को आकर्षित करने वाले देशों की सूची में 26 वें स्थान पर आता है। यह विश्व स्तर पर विदेशों में पढ़ रहे छात्रों का 1 प्रतिशत से भी कम है, जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। 2014 के एक अध्ययन में पाया गया है कि विश्व स्तर पर लगभग 5 मिलियन छात्र अपने देशों से बाहर पढ़ रहे थे।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्र जब किसी देश का चुनाव उच्च शिक्षा के लिए करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती कि कौन से देश की शिक्षा उन्हें एक वैश्विक नागरिक बनाने और वैश्विक चिंतन में पारंगत बनाती है, उन्हें दुनिया भर में विभिन्न देशों में काम करने के क्राबिल और आत्मविश्वासी बनाती है, इस बात को ध्यान में रखकर छात्र अपना चुनाव करते हैं। और यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र संस्थानों की ख्याति और प्रतिष्ठा की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए सबसे पहला कदम ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों को विकसित करना और स्थापित करना होगा। इसलिए विदेशी छात्रों को आकर्षित करने में

सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ के संस्थानों द्वारा ऑफर की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता की है।

इसलिए, इस नीति में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए आगे कही बातों को सुझाया गया है और शामिल किया गया है: छात्रों और संकाय-सदस्यों की आवाजाही को सुनिश्चित करना, शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप स्थापित करना, उच्च शिक्षा कार्यक्रमों को बॉर्डर-पार भी चलाना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना ताकि दुनिया भर से छात्र संस्थानों में दाखिला ले सकें, और साथ ही यह संभव बनाना कि छात्र विभिन्न देशों में स्थित संस्थानों में अध्ययन करते हुए क्रेडिट्स हांसिल कर सकें, आदि।

P12.4.1. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक शिक्षा: इन नीति के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतियोगी शिक्षा को विकसित करने के लिए जिस स्वायत्तता और आजादी की अनुशंसा की गयी है उसका लाभ भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को उठाना चाहिए। शिक्षाक्रम, इसका क्रियान्वयन, आकलन की प्रक्रियाएँ, और छात्रों के सम्पूर्ण शैक्षिक अनुभव ऐसे हो जिनमें छात्र उन ज्ञान, हुनर, दक्षताओं को सीखें जो उन्हें वैश्विक नागरिक बनाने में मदद करते हों। पेशेवर शिक्षा में NHEQF और इसी तरह के अन्य क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क विश्व स्तर के मानकों की संगतता में होने चाहिए ताकि छात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त योग्यता हांसिल कर सकें। 'Internationalisation at home' के उद्देश्य को हांसिल करने के लिए की तरफ जो भी प्रयास किये जाए उनमें भारत के सन्दर्भ में जो ज़रूरतें हैं उन पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। संकाय-सदस्यों में एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उनकी भी सहायता की जाए। यह सब करने के लिए गुणवत्तापूर्ण अकादमिक संरचना जैसे सुसज्जित प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, कंप्यूटर सेवाएँ आदि पर निवेश करने की आवश्यकता होगी।

P12.4.2. भारतीय भाषाओं, कलाओं, संस्कृति, इतिहास, और परम्पराओं पर कोर्स: ऐसे विश्वविद्यालय जो विदेशी छात्रों के लिए एक आकर्षक केंद्र बनने की कोशिश करेंगे उन्हें खासतौर पर भारतीय भाषाओं, कलाओं, संस्कृति, इतिहास, और परम्पराओं, योग, आयुर्वेद, आदि पर कोर्स डिजाईन करने और विकसित करने के लिए फंड्स प्राप्त करेंगे। भारत में अन्य क्षेत्र जैसे STEM

विषय, कंप्यूटर साइंस, गेमिंग, और सम्बंधित मुद्दे आदि जो विदेशी छात्रों को आकर्षित करते हैं, भारत की शक्ति हैं। इन सब क्षेत्रों पर कोर्स को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए इन्हें इंटरनशिप और उद्योगों के साथ जोड़ने के प्रयास करने चाहिए। भारतीय सांस्कृतिक परम्पराओं के अन्य विशेष क्षेत्र भी हैं जैसे पाककला, टेक्सटाइल, आदि, आदि क्षेत्रों पर भी बेहद आकर्षक अध्ययन के अवसर ना केवल विदेशी छात्रों के लिए बल्कि भारतीय छात्रों के लिए भी विकसित किये जा सकते हैं। प्रतियोगिता के आधार पर कई संस्थानों के Department of Indic Studies को फण्ड दिया जाएगा ताकि भारतीय छात्रों को भी Indology का अध्ययन करने विदेशों में ना जाना पड़े, जैसा कि आज वर्तमान में होता है।

P12.4.3. संस्थागत साझेदारी को प्रोत्साहित करना: विदेशी और भारतीय संस्थानों के बीच साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा और इसे सहयोग दिया जाएगा ताकि शैक्षिक कार्यक्रमों को साझे तौर चलाया जा सकें- जहाँ छात्र किसी एक कार्यक्रम में एक भारतीय शैक्षिक संस्थान में दाखिला ले और कुछ हिस्सा भारत में पूरा करे और कुछ हिस्सा विदेशी संस्थान में पूरा करे या उल्टा। क्योंकि अंडरग्रेजुएट और ग्रेजुएट कोर्स की अवधि अलग-अलग देशों में अलग-अलग होगी, इसलिए MHRD कई देशों के साथ अनुबंध करेगी ताकि दोनों देशों की आपसी सहमति से डिग्रियों को मान्यता मिल सके, यह छात्रों को आकर्षित करेगा। अन्य रुचि लेने वाले देशों के साथ भी और अनुबंध करने चाहिए जैसे ग्लोबल साउथ क्योंकि अब U.S. और यूरोप में शिक्षा पर खर्च बेहद बढ़ता जा रहा है, ऐसे में दुनिया भर के छात्र सस्ती और आला दर्जे की भारतीय शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आकर्षित होंगे।

P12.4.4. अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रवेश को आसान बनाने की प्रक्रिया को सुधारना होगा। RSA विभिन्न मंत्रालयों की औपचारिकताओं की जांच करेगा ताकि इन्हें आसान बनाया जा सके, और इन सभी सूचनाओं को 'Study in India' पोर्टल पर उपलब्ध करवाएगा। यह पोर्टल MHRD द्वारा बनाया जाएगा। यह अन्य सभी महत्वपूर्ण मंत्रालयों के साथ काम करेगा ताकि अनुमति के मानदंड और प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके और इनमे सुधार किया जा सके। The Visa and Foreigner Registration Regional Office

(FRRO) की प्रक्रियाओं, रुकने की अवधि में बढ़ोतरी, और इंटरनशिप नीतियों को सरल बनाया जाएगा ताकि बेहतरीन छात्रों को पूरी दुनिया से आकर्षित किया जा सके।

विकासशील देशों से आए प्रतिभावान अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को शोध स्कालरशिप देने के लिए विशेष स्कीम चलाने के लिए NRF (देखें अध्याय 14) को प्रोत्साहित किया जाएगा कि यह इन्हें सहयोग दे। क्रेडिट-आधारित उच्च गुणवत्ता वाले शोर्ट-टर्म इंडियन स्टडीज कोर्स उन छात्रों को समर्थ बनाने के लिए ऑफर किये जाएंगे जो यहाँ कम अवधि के लिए रुकना चाहते हैं। जिन छात्रों ने यहाँ से डिग्री हांसिल की है उन्हें यहाँ पूर्व-निर्धारित समय के लिए काम करने की अनुमति दी जाएगी ताकि जब वे भारत से अपने देशों को लौटे तो उनके पास कुछ काम अनुभव हो।

P12.4.5. बाहर से आने वाले छात्रों का स्थानीय समुदायों में ठहरने और उनके घुलने-मिलने में उनकी मदद करना: कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के दाखिले के लिए 15% अतिरिक्त कोटा रखा गया है। हालाँकि, जो संस्थान अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने में रुचि लेते हैं उन्हें छात्रों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं को भी विकसित करना चाहिए जैसे ठहरने की व्यवस्था, जो या तो संस्थानों द्वारा खुद विकसित की जाए या सेवा-प्रदाताओं के साथ मिलकर की जाए। संस्थानों को बाहर से आए विदेशी छात्रों के लिए आवश्यक सामाजिक संरचना निर्मित करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए ताकि उनके लिए सुरक्षित, सकारात्मक, और समग्र अनुभव प्रदान करने वाले माहौल को मुहैया करवाकर उनकी मदद की जा सके। इसमें फैकल्टी-मेंटर मुहैया करवाना, Student Buddies और परिवारों की मेजबानी करना, और ज़रूरत के हिसाब से स्थानीय भाषाओं में और अन्य ब्रिज कोर्स ऑफर करना शामिल है। HEIs मेधावी छात्रों को आकर्षित करने के लिए स्कालरशिप शुरू कर सकते हैं। वर्तमान में, जो विदेशी छात्र भारत में पढ़ रहे हैं उनमें से अधिकाँश प्राइवेट संस्थानों में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये संस्थान छात्रों को बेहतरीन माहौल मुहैया करवाते हैं, लेकिन समय के साथ हमें केन्द्रीय और राज्य यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ानी चाहिए।

P12.4.6. छात्रों का आदान-प्रदान: भारतीय छात्रों को प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों में छोटी-अवधि के दौरों के माध्यम से विश्व-स्तरीय अनुभव अर्जित करने में सहायता की जाएगी। भारतीय विश्वविद्यालयों से अंडर-ग्रेजुएट और ग्रेजुएट छात्रों द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों में समेस्टर करने, शोर्ट-टर्म इंटर्नशिप करने, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट वर्क करने जाने के लिए आवाजाही को प्रोत्साहित किया जाएगा। विदेशों में स्थित शैक्षिक संस्थाओं के साथ स्टूडेंट-एक्सचेंज कार्यक्रमों को लेकर समझोते किये जाएंगे, इन्हें विस्तार दिया जाएगा और मजबूत किया जाएगा। ऐसे चुने गए छात्रों को क्रेडिट ट्रांसफर करने की सहूलियत प्रदान की जाएगी। जो छात्र विदेशों में जाकर शोध करना या उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और वापस लौटकर भारत आना चाहते हैं उन्हें स्कालरशिप या शैक्षिक-ऋण दिए जाने की सुविधाओं को और समृद्ध बनाया जाएगा।

P12.4.7. संकाय-सदस्यों की आवाजाही: भारतीय संस्थानों में काम कर रहे संकाय-सदस्यों को विदेशी विश्वविद्यालयों का एक्सपोज़र प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और इसी तरह विदेशी संकाय-सदस्यों को भारतीय विश्वविद्यालयों के एक्सपोज़र के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अंतर्गत कुछ नियत भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ एक्सचेंज कार्यक्रम, डेप्युटेशन/लियन, शोर्ट-टर्म असाइनमेंट/जॉब्स और शोर्ट-टर्म ट्रेनिंग कार्यक्रम शामिल किये जा सकते हैं। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में काम कर रहे संकाय-सदस्य सबैटीकल अवकाश प्राप्त करने के पात्र होंगे ताकि वे इसका इस्तेमाल इस तरह के अवसरों का लाभ उठा सके।

इसके अलावा, भारतीय संस्थान जो Global Initiative of Academic Networks (GIAN) स्कीम के तहत विदेशों से आए विद्वानों की मेजबानी करेंगे उन्हें इसी तरह के अवसर अपने संकाय-सदस्यों को विदेशी संस्थानों में जाने के लिए मुहैया करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

P12.4.8. शोध साझेदारी: भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच शोध सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए रणनीति के साथ पार्टनरशिप विकसित की जाएगी। NRF सयुक्त शोध प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के तहत प्रतिभाशाली

शोध छात्रों और पोस्ट-डॉक्टोरल फेलो की दोनों देशों में आवाजाही को वित्तीय सहायता मुहैया करवाएगा। एक बार फिर वीजा, रजिस्ट्रेशन, रुकने के समय में बढ़ोतरी आदि तमाम चीजों पर संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय दफ्तरों द्वारा सहायता की जाएगी। ये अंतर्राष्ट्रीय दफ्तर अंतर्राष्ट्रीयकरण की रणनीति के तहत स्थापित किये जाएंगे और नए स्थापित किये गए Inter-University Centre for International Education (IUCIE) के साथ काम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सहायता करेंगे (देखें **P12.4.12**)।

P12.4.9. देश की सीमाओं के बाहर संस्थान परिसर: प्राइवेट और सरकारी विश्वविद्यालय जो पात्रता के मानदंडों को पूरा करेंगे उन्हें चुनिन्दा देशों में, खास तौर पर ग्लोबल साउथ में अपने परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे कदम उठाये जा सकें इसके लिए दोनों- केन्द्रीय और राज्य सरकारें- केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में सुधारों की पहल करेंगी।

P12.4.10. MOOCs और मुक्त और दूरस्थ अधिगम: भारतीय HEIs को देश और विदेश की मांगों को पूरा करने के लिए इनके ODL कार्यक्रमों की पहुँच अन्य राज्यों और विदेशों में बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय भारत और विदेशों में अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों में ऑनलाइन और ब्लेंडेड कोर्स भी चलाने का सोच सकते हैं। ऐसे सभी संस्थानों के लिए ज़रूरी सॉफ्टवेयर और फंडिंग मुहैया करवाकर सहायता की जाएगी। इसके चलते, साझी डिग्रीयों की मान्यता के लिए दो देशों के बीच जो अनुबंध होंगे उनमें ऑनलाइन डोमेन भी शामिल होगा। भारतीय HEIs को अपने विदेशी साझेदारों के साथ मिलकर इनके बीच हुए अनुबंधों के तहत MOOCs और अन्य प्रकार के ऑनलाइन कोर्स और डिग्रीयों को साझी मान्यता देने पर काम करना चाहिए।

P12.4.11. भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को आमंत्रित करना: चुनिन्दा विश्वविद्यालयों (जैसे दुनिया के श्रेष्ठ 200 विश्वविद्यालय) को भारत में संचालन की अनुमति दी जाएगी। इस तरह की एंट्री में सहायक वैधानिक फ्रेमवर्क बनाए जाएंगे, और इस तरह के विश्वविद्यालयों को उन सभी रेगुलेटरी, गवर्नेंस

और कंटेंट नियमों-कायदों को मानना होगा जो भारतीय विश्वविद्यालयों पर भी लागू होते हैं।

P12.4.12. एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा हेतु एक अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र: अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा हेतु एक अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र (Inter-University Centre for International Education -IUCIE) के साथ-साथ एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र (International Education Centre -IEC) भी कुछ चुनिन्दा भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण में सहायता के लिए स्थापित किये जाएंगे। इन केन्द्रों के लिए ज़रूरी बजट का प्रावधान किया जाएगा ताकि ये सुचारु रूप से चल पाए।

P12.4.13 प्रचार-प्रसार और ब्रांडिंग: विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए ब्रांड निर्माण के लिए एक व्यवस्थित अभियान चलाया जाएगा। इसमें सभी प्रकार के कम्युनिकेशन और प्रचार-प्रसार के माध्यमों, जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, का उपयोग किया जाएगा। IUCIE, सरकार, और भारतीय HEIs को अपने अंतरराष्ट्रीय दफ्तरों के ज़रिये ब्रांड-निर्माण के अभियान को एक व्यवस्थित ढंग से अंजाम देना चाहिए। स्कालरशिप विदेशी छात्रों को भारत में आने के लिए आकर्षित करने का एक बेहद महत्वपूर्ण तत्व है। अंतर-राष्ट्रीय छात्रों के लिए भारत में अध्ययन हेतु एक बड़ी संख्या में स्कालरशिप उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्किट रिसर्च के आधार पर देश-विशेष के डोसियर तैयार किये जाएंगे। प्रत्येक चिन्हित देश में सेमिनार/वर्कशॉप/प्रस्तुतीकरण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भारत में उपलब्ध शैक्षिक अवसरों के बारे में बताया जाएगा। इस प्रकार के प्रचार-प्रसार के कार्यक्रमों को अंजाम देने के लिए चुने गए संस्थानों को फंडिंग उपलब्ध करवाई जाएगी।

अध्याय 13

ऊर्जावान, जुड़ाव रखने वाले और सक्षम संकाय

उद्देश्य:

उच्च दक्षता और गहन प्रतिबद्धता वाले सशक्त संकाय, पढ़ाने और शोध में उत्कृष्टता के लिए उर्जाशील।

एक उच्च शिक्षा संस्थान की सफलता में उसके संकाय सदस्यों की गुणवत्ता और जुड़ाव सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। यह महत्वपूर्ण बात इस देश की उच्च शिक्षा संस्थानों की मौजूदा प्रणाली से छिपी नहीं रही है। संकाय की उच्च शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका को महसूस करते हुए, पिछले कई वर्षों में विभिन्न पहल की गयी हैं जहाँ यह ध्यान में रखा गया है कि संकाय सदस्यों की व्यवस्थित नियुक्ति एवं भविष्य की प्रगति पर ध्यान दिया जाये और नियुक्ति में हर वर्ग का समान प्रतिनिधित्व हो।

पिछले कुछ वर्षों में सरकारी संस्थानों में एक संकाय के वेतन का स्तर काफी बढ़ा है। मानव संसाधन विकास केन्द्रों (HRDCs), जो पहले अकादमिक स्टाफ कॉलेज के नाम से जाने जाते थे, के माध्यम से संकाय के पेशेवर विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

सौभाग्य से, देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों में ऐसे हजारों ऐसे संकाय सदस्य हैं जो कि उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए प्रेरित, समर्पित, और पूरे तरीके से प्रतिबद्ध रहते हैं। शिक्षण और अनुसंधान के साथ-साथ समुदाय सेवा व अपने पेशे के प्रति समर्पण में उनकी लगातार भागीदारी, वास्तव में प्रेरणादायक रही है।

हालाँकि, आकादमिक क्षेत्र में इतने सुधार व आदर्श संकाय सदस्य मौजूद होने के बाद भी, औसतन, पढ़ाने, शोध, और विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की सेवाओं में संकाय से जो प्रेरणा अपेक्षित रहती है, उच्च शिक्षा के फलने फूलने और इसको अपेक्षित उच्च स्तर पर ले जाने के लिए, उससे वह बहुत कम रही है।

इस प्रकार के अपेक्षित से कम प्रेरणा स्तर के विभिन्न कारण हैं जिनका हमें सही तरीके से आकलन करना चाहिए। आकलन करने के बाद यह सुनिश्चित करना चाहिए की इन सभी कारणों पर ध्यान दिया जाए ताकि अपने पेशे और संस्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में संकाय सदस्य खुश, उत्साही, समर्पित और प्रेरित हों।

उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय सदस्यों को प्रेरित करने में चुनौतियाँ

वर्तमान समय में उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय प्रेरणा के लिए कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

पहली, अधिकतर संस्थानों में, जिसमें केन्द्रीय और राज्य के विश्वविद्यालय शामिल हैं, आधारभूत ढांचा और सेवा शर्तें आदर्श स्थिति से बहुत निम्न स्तर पर हैं। बहुत सारे संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं की कमी की वजह से संकाय (छात्र भी) काम पर आने में सहज नहीं हैं। ज़रूरतमंद सुविधाएं जैसे की साफ पीने का पानी, प्रयोग योग्य शौचालय, ब्लैक बोर्ड, कार्यालय, पढ़ाने की सामग्री, प्रयोगशालाएँ, खुशनुमा कक्षा-कक्ष एवं कैपस आदि को हर संस्थान में सही स्थिति में होना चाहिए जिससे संकाय को संस्थान में कार्य करने में वक्त बिताने की स्वयं इच्छा होगी।

संकाय सदस्यों की सेवा शर्तों की स्थिति बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। वर्तमान समय में, बहुत सारे संकाय सदस्य अस्थायी नियुक्तियों पर हैं जिनका वेतन बहुत कम है और भविष्य की अस्थिरता बनी रहती है। हालाँकि, संकायों के लिए स्थायी नौकरी की खाली जगह काफी ज़्यादा रही है, जैसे की नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 50% से ऊपर व नए IITs में 35% रही है जबकि अन्य विश्वविद्यालयों में तो यह स्थिति और बदतर है। अंशकालिक नियुक्तियाँ (ad-hoc and contractual appointments) काफी प्रचलित हैं, इसकी वजह से एक संस्थान की प्रक्रियाओं के साथ समझौता होता है और संकाय सदस्यों की ऊर्जा व

प्रेरणा एक दम कम रहती है। यह बात सार्वजनिक एवं निजी दोनों HEIs पर लागू होती है।

इसके साथ साथ, भारी शिक्षण भार (कम से कम 36 घंटे एक हफ्ते में) और हर कक्षा में अधिक छात्र-शिक्षक अनुपात की वजह से एक संकाय को कक्षा के लिए पर्याप्त तैयारी या छात्रों से बातचीत करने के लिए बहुत कम समय बच पाता है, शोध के लिए या विश्वविद्यालय की किसी गतिविधि या सेवाओं में काम करना तो दूर की बात है।

दूसरा मुद्दा यह है की संकाय के पास स्वायत्तता की बहुत कमी है, भले ही वह एक कोर्स बनाने की, पाठ्यक्रम से सम्बंधित, सेवाओं से जुड़ी नई पहल, या शोध करने की हो। संकाय सदस्य जो अंशकालिक नियुक्ति पर नहीं हैं, उनमें भी स्वतंत्र व सशक्त होने की भावना बहुत कम ही रहती है। पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्चा अक्सर संकाय सदस्यों को बस पकड़ा दिये जाते हैं, उनके लिए उसमें अपनी कोई नवीनता या रचनात्मकता दिखाने की कोई जगह नहीं होती, चाहे वे प्रदर्शन, सामाग्री, कार्यपत्र, या मूल्यांकन से जुड़ी हों। इससे शिक्षण उद्यम और संकाय की प्रेरणा को बिल्कुल बढ़ावा नहीं मिलता। इसके अलावा, भारी शिक्षण भार और हर क्लास में अधिक छात्र-शिक्षक अनुपात और अगर शोध एवं सेवा को छोड़ भी दें तो शिक्षक के लिए रचनात्मक तरीके से कक्षा की तैयारी करने के लिए बहुत कम समय बच पाता है।

संकाय की प्रेरणा बनाए रखने के लिए इससे आगे एक और चुनौती है, उनके भविष्य की प्रगति वरीयता के आधार पर न होकर वरिष्ठता, किस्मत या फिर बाकी मनमाफिक कारणों से होती हैं। बहुत सारे संस्थानों में व्यवसाय में प्रगति के लिए व्यवस्थित ढंग से कोई प्रणाली नहीं बनाई गयी है जो यह सुनिश्चित कर पाए कि संकाय की नियुक्ति उनका ठहराव, वेतन में बढ़ौतरी, पदोन्नति और ऊर्ध्व गतिशीलता (vertical mobility) उनकी योग्यता, पढ़ाने, शोध या सेवाओं के प्रदर्शन के आधार पर हो। इस पूरी प्रणाली में बहुत अच्छा काम करने के लिए कोई प्रोत्साहन (इंसेंटीव्ज़) भी नहीं दिया जाता। इसी वजह से उत्कृष्ट काम करने के लिए, संकाय की प्रेरणा और प्रतिबद्धता बहुत कम रहती है।

आखिर में, संस्थागत नेतृत्व की प्रणाली दयनीय स्थिति में है। संस्थान प्रमुखों को समय रहते पहले से प्रशिक्षित नहीं किया जाता और ना उन्हें कोई बढ़ावा मिलता है। वास्तव में संस्थान प्रमुख योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के बल पर चुने जाते हैं। अक्सर यह भी देखा जाता है कि संस्थान प्रमुखों को इस भूमिका में आने के लिए जरूरी समय

नहीं दिया जाता और खाली पदों पर कई महीनों तक कोई भी नियुक्त नहीं होता है। संस्थागत नेतृत्व की परिभाषा से जाएँ तो, उन्हे उत्कृष्टता व अच्छा प्रदर्शन करने की संस्कृति बनानी चाहिए, यह संस्कृति वरीयता के बल पर बनी होनी चाहिए। लेकिन, अगर ऐसी ही नेतृत्व की टूटी-फूटी प्रणाली चलती रही जहाँ भ्रष्टाचार होगा, तो इसका काफी बुरा असर संकाय और छात्रों की प्रेरणा पर होगा।

13.1. उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय को वापिस केंद्र में स्थापित करना

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए संकाय को ऊर्जावान बनाना और प्रेरित करना: HEIs में संकाय सदस्यों को प्रेरित, ऊर्जावान, और प्रोत्साहित रखना होगा ताकि वे अपनी ऊर्जा व्यक्तिगत व संस्थागत उत्कृष्टता में लगाएं। संकाय सदस्य तभी अच्छे से शिक्षण, शोध और सामाजिक सेवा कर पाएंगे जब सेवा शर्तें, संकाय सशक्तिकरण, प्रदर्शन का प्रबंधन, पेशेवर तरक्की और संस्थागत नेतृत्व को सम्पूर्णता में सही किया जाएगा।

उत्कृष्ट शिक्षण और शोध के लिए अच्छे काम की परिस्थितियाँ सुनिश्चित करना: सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) में आधारभूत ढांचा और सुविधाएं होनी चाहिए ताकि संस्थानों में अच्छे से काम किया जा सके। कम से कम साफ पीने का पानी, इस्तेमाल लायक शौचालय, ब्लैक बोर्ड्स, कार्यालय, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशालाएँ, खुशनुमा कक्षा और कैम्पस, आदि तो होने ही चाहिए। शिक्षण से जुड़े काम और छात्र-शिक्षक अनुपात ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि पढ़ाने की गतिविधियाँ अच्छे से हो सकें एवं छात्रों से बातचीत, शोध करने के लिए और अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए भी समय मिल पाए। संकाय सदस्यों को केवल एक ही संस्थान में ही नियुक्त करना होगा और बार बार ट्रांसफर नहीं होगा ताकि वे उस जगह को अपना समझ सकें और संस्थान व समाज के लिए अच्छे तरीके से काम कर पाएँ।

संकाय सशक्तिकरण के द्वारा जीवंतता पूर्ण विश्वविद्यालय समुदायों को बनाना और आगे बढ़ाना: संकाय सदस्यों की प्रेरणा कायम रखने के लिए, यह बहुत ज़रूरी है कि उन्हे

भरोसेमंद और सशक्त महसूस हो। उनके पास इतनी स्वतन्त्रता हो कि वे रचनात्मक तरीके से पाठ्यचर्या और शिक्षण-शास्त्रीय उपागमों को बना पाएँ। यह सब वो पाठ्यचर्या, शिक्षा-शास्त्र, आकलन, मूल्यांकन और पुस्तकों व शिक्षण सामाग्री के चुनाव तक करने को ध्यान में रखते हुए करें।

संकाय तब ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं जब वे अपने द्वारा विकसित नवाचारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हों और यह सब तब ही होगा जब वे खुद की विशेषज्ञता और अपने छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रख पाएँ। संकाय की सशक्तता इसलिए भी जरूरी है ताकि वह कुछ बुनियादी शर्तों के साथ यह तय कर पाएँ की उनका समय कहाँ और किस चीज़ में बीतना चाहिए, चाहे वे शोध हो या अन्य संस्थागत गतिविधियों से जुड़ा हो।

संक्षेप में यह कह सकते हैं कि संकाय को सशक्त करने से नवाचारी शोध, शिक्षण, और सेवाएँ ठीक रूप से होती रहेंगी। यह उन्हें प्रेरित रखने में और उत्कृष्ट एवं रचनात्मक तरीके से काम करने में मदद करेगा।

वरीयता-आधारित करियर प्रबंधन के माध्यम से उत्कृष्टता की ओर प्रोत्साहित करना:

संस्थागत नेतृत्व द्वारा संकाय नियुक्ति, शिक्षको का ठहराव, वेतन में प्रगति, पदोन्नति व ऊर्ध्व गतिशीलता से जुड़े संस्थागत निर्णय पूरी तरह से पढ़ाने, शोध करने की, और काम की गुणवत्ता के संबंध में वरीयता और प्रदर्शन पर आधारित होने चाहिए। साथ में, जो संकाय बुनियादी मानदंडों के हिसाब से काम नहीं करते, उन्हें भी निगरानी में रखना चाहिए।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सशक्त स्वायत्त संस्थानों का विज्ञान उत्कृष्टता प्रदर्शित करना है, इसके लिए सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय नियुक्ति के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित, स्वतंत्र व पारदर्शी प्रक्रिया होगी। इस बात पर भी ध्यान देना होगा की संस्थान में जो संकाय सदस्य नियुक्त हों वो उच्च गुणवत्ता के हों और अलग अलग विषयों में पारंगत हों।

एक मज़बूत और वरीयता-आधारित कार्यकाल ट्रैक, पदोन्नति और वेतन का ढांचा बनाया जाएगा, जिसमें संकाय के पदों में भी विभिन्न स्तर होंगे। कार्यकाल ट्रैक, पदोन्नति और वेतन में वृद्धि के द्वारा, एक उत्कृष्ट और प्रतिबद्ध संकाय को प्रोत्साहन और मान्यता दी जाएगी। प्रदर्शन का सही मूल्यांकन करने के लिए कई मापदंडों की प्रणाली बनाई जाएगी जिसमें सहकर्मी समीक्षा एवं छात्र समीक्षा भी हिस्सा होंगे। साथ में पढ़ाने, गुणवत्ता और

शोध का प्रभाव व संस्थान और समुदाय के लिए की गयी सेवाएँ भी देखी जाएंगी। ऐसे वरीयता-आधारित मूल्यांकन को सभी विभाग या संस्थान अपने हिसाब से, हर संकाय सदस्य के कार्यकाल के लिए निर्णय, पदोन्नति और वेतन में वृद्धि के लिए इस्तेमाल में लेंगे।

वरीयता के आधार पर संकाय की ऊर्ध्व गतिशीलता भी ज़रूरी है। जिन संकाय सदस्यों में नेतृत्व और प्रबंधन के कौशल हैं उन्हें कुछ समय तक प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे आकादमिक नेतृत्व के पदों पर आ सकें।

संकाय नियुक्ति, विकास, प्रदर्शन प्रबंधन और पेशेवर प्रगति, ये सब IDP का हिस्सा होंगे। (देखिये P17.1.7)

अच्छे संस्थागत नेतृत्व के द्वारा उत्कृष्टता की संस्कृति बनाना: एक संस्थान में वरीयता और प्रदर्शन-आधारित संस्कृति होनी चाहिए। ऐसी संस्कृति बनाने के लिए संस्थान में एक उत्कृष्ट और उत्साही संस्थागत नेतृत्व की मौजूदगी की सख्त ज़रूरत है ताकि वह नवीनता और उत्कृष्टता को उस जगह का हिस्सा बना पाएँ। संस्थान और उसकी संकाय की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण काम गुणवत्तापूर्ण संस्थागत नेतृत्व का है। जिन संकाय में आकादमिक और सेवाओं से जुड़ी हुई काबिलियत और साथ साथ अच्छा नेतृत्व और प्रबंधन का कौशल है उन्हें जल्द से जल्द पहचाना जाएगा और इसके लिए उन्हें छोटी छोटी नेतृत्व देने वाली भूमिकाओं में रख प्रशिक्षित किया जाएगा।

नेतृत्व की खाली जगह खाली नहीं रहेगी बल्कि किसी व्यक्ति के स्थानांतरण से पहले ही उसके स्थान को ग्रहण करने वाला व्यक्ति आ जाएगा, इससे वह काम को अच्छे से समझ पायेगा और संस्थान का काम भी सही तरीके से चल पाएगा। भ्रष्ट प्रक्रियाओं को हटाया जाएगा व उनकी जगह वरीयता-आधारित संस्थान प्रमुखों को लाया जाएगा।

संस्थान प्रमुख एक ऐसी संस्कृति को बनाने का उद्देश्य रखेंगे जहाँ नवीनता और उत्कृष्टता पनपे और कायम रहे। ऐसी संस्कृति सभी संकाय सदस्य और HEI के प्रमुखों को अच्छे और नवीन शिक्षण, शोध, संस्थागत सेवा और सामुदायिक पहुँच के लिए प्रोत्साहित करेगी।

P13.1.1. पर्याप्त आधारभूत ढांचा और सुविधाएं: सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में 2023 तक पर्याप्त आधारभूत ढांचा और सुविधाएँ होंगी। मूल रूप से स्वच्छता से जुड़ी सुविधाएँ तो होंगी ही जिसमें साफ पीने का पानी और चालू हालत में शौचालय, संकाय के लिए ऑफिस, सीखने सिखाने के लिए अनुकूल माहौल और साथ में पर्याप्त फर्नीचर होगा- खासकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, अच्छे ढंग से बने हुए कंपस, कंप्यूटर और उनके लिए कमरे व इंटरनेट की कनेक्टिविटी और संस्थान का ईमेल, विज्ञान की प्रयोगशाला, व्यवसाय शिक्षण के लिए जगह और कला और शिल्प के लिए सामग्री होगी।

P13.1.2. संकाय सदस्यों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना: हर संस्थान में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि वहां पर्याप्त संकाय हों, हर कार्यक्रम, विषय और क्षेत्र की जरूरी चीजें उपलब्ध हों, सही छात्र-शिक्षक अनुपात (30:1 से ज्यादा नहीं) बना रहे और विविधता कायम रहे। प्रचलित उपागम, जैसे की अंशकालिक नियुक्ति, को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए।

P13.1.3. प्रत्येक संस्थान के भीतर क्षमताओं का विवेकपूर्ण मिश्रण: संकाय में अकादमिक विशेषज्ञता और विषय की गहरी समझ के साथ में शिक्षण क्षमता व जन सेवा के लिए रुझान होना चाहिए। संकाय संविधान में मौजूद शिक्षा के लक्ष्य और देश के लिए विज्ञान से प्रेरित होकर अपने मार्ग पर चलें। संकाय में ऐसी क्षमता भी हो जिससे वे छात्रों के साथ सिर्फ एक शिक्षक की तरह ही ना पेश हों अपितु एक मेंटर और मार्गदर्शक की तरह उनसे लगातार जुड़े रहें।

संकाय निकाय में आकादमिक विद्वानों का और जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोगों का एक ऐसा मिश्रण होना चाहिए जो शिक्षा के क्षेत्र से एक मजबूत और गहरा संबंध बना पायें। इसलिए सामानांतर नियुक्ति को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसे संकाय जो जमीनी स्तर पे अच्छा काम कर चुके है, उनके अनुभव व क्षमताओं के आधार पर नियुक्त किया जाएगा ना की शैक्षिक उपाधियों के आधार पर।

P13.1.4. नियुक्ति के लिए संस्थानों की स्वायत्तता: सभी संस्थान यहां तक कि सार्वजनिक संस्थान (और अनुदान प्राप्त संस्थान) के पास यह स्वायत्तता होगी

कि वह अपने संकाय और अन्य सदस्यों की नियुक्ति अपने हिसाब से कर सके। यह नियुक्तियां सख्त और पारदर्शी मापदंड और प्रक्रियाओं पर आधारित होंगी और ये मापदंड सार्वजनिक रूप में उपलब्ध होंगे। जिस मापदंड की यहां बात की जा रही है उसमें विविधता, विषय की समझ, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, शैक्षणिक क्षमता व अभ्यास और अनुसंधान में योगदान शामिल है। खासकर वरिष्ठ पदों के लिए विविध समूहों के साथ काम करने की क्षमता भी एक महत्वपूर्ण मापदंड होना चाहिए। प्रेसिडेंट/ वाइस चांसलर/ डायरेक्टर के द्वारा BoG यह सुनिश्चित करेगी कि नियुक्ति की उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई जाए जिसके लिए उपयुक्त खोज और नियुक्ति समिति (Search and Recruitment Committee) गठित की जाए। (देखिये Section 17.1)

P13.1.5. संस्थान की संस्कृति को सशक्त और प्रेरित करना: एक ऐसी सक्षम और सहभागी संस्कृति जो हर सदस्य के मूल्य और गरिमा को समानता से सम्मान दे, ऐसा हर संस्थान में होना चाहिए। ऐसी संस्कृति के साथ ऐसा माहौल भी बने जहां नए और खुले विचारों को प्रोत्साहन मिले व कितनी भी असहमति की स्थिति हो उसमें भी बातचीत करने के लिए प्रतिबद्धता बनी रहे। साझा किए गए संस्थागत विज्ञान और लक्ष्य के द्वारा उत्तरदायित्व के भाव को बढ़ावा दिया जाएगा। संकाय को उनके कार्य और जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराया जाएगा एवं इनकी पूर्ति करने का उत्तरदायित्व उनका होगा। ऐसा करने से संस्थान के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में उनका काफी योगदान रहेगा। उनके लिए एक ऐसी जगह भी होनी चाहिए जहां वे अपनी चुनौतियों को साझा कर पाएँ और व्यावसायिक विकास के लिए मदद ले पाएँ।

संकाय को सशक्त करते रहने की इस संस्कृति का सबसे अनमोल तत्व आकादमिक स्वतन्त्रता देना होगा। यह स्वतन्त्रता उन्हें शोध करने, लिखने और नवीन शिक्षाशस्त्रीय व पाठ्यक्रम से जुड़े कार्य में मिलनी चाहिए। ऐसी संस्कृति को बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलु वाइस चांसलर या डायरेक्टर समेत संस्थान के प्रमुख का रहेगा।

P13.1.6. संकाय व विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए स्थायी (टैन्यूर) रोजगार
ट्रैक: एक व्यवस्थित रूप से संकाय और अन्य कर्मचारियों के लिए स्थायी

रोजगार ट्रैक (Permanent Employment track) प्रणाली आरम्भ की जाएगी। यह प्रणाली सभी संस्थानों में 2030 तक सम्पूर्ण रूप में कार्य करने लगेगी जिसमें निजी उच्च शिक्षा संस्थान भी शामिल है। प्रोबेशन का समय करीबन 5 सालों का होगा, मूल्यांकन होने के बाद ये बढ़ाया व घटाया भी जा सकेगा। स्थाईकरण विभिन्न जरूरतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सख्त और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित होगा। इसमें एक समय के दौरान का 360 डिग्री फीडबैक (सुपरवाइज़र, सहपाठी और विद्यार्थी रिव्यू) और कार्य के पोर्टफोलियो का आकलन भी शामिल हो सकता है। हर संस्थान यह खुद तय कर पाएगा की वे कर्मचारी को स्थाई करने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाना चाहेंगे। ऐसी नियुक्तियाँ किसी एक संस्थान के लिए ही होंगी और संकाय का दूसरे संस्थानों में ट्रांसफर नहीं होगा।

स्थायी रोजगार उस कर्मचारी से सम्बंधित है जिसे किसी पद पर बिना किसी पूर्व निर्धारित समय सीमा के नियुक्त/भर्ती किया जाये।स्थायी कर्मचारी, कुछ समय के लिए नियुक्त अस्थायी कर्मचारियों से बहुत अलग होगा क्योंकि इन सभी की समय सीमा पूर्व निर्धारित होगी। स्थाई कर्मचारी का पूरे कार्यकाल का स्पष्ट समय होगा एवं यह समय काल तभी समाप्त होगा जब वह कार्यमुक्ति की उम्र तक पहुँच गया हो, खुद इस्तीफा दिया हो या संस्थान से एक नियत प्रक्रिया के अन्तर्गत किसी वजह से सेवा समाप्त कर दी गई हो।

P13.1.7. संकाय सदस्य क्षमता संवर्धन योजना (Faculty Development Plan): सभी संस्थान संकाय के लिए एक CPD प्लान बनाएंगे व यह तय करेंगे कि इसे धरातल पर किस तरह उतारा जाए। इस योजना में क्षेत्र/विषय, शिक्षणशास्त्रीय क्षमता, शोध और कक्षा कार्य में योगदान के लिए क्षमता विकास पर अवश्य कुछ होना चाहिए। इसमें संस्थान के युवा संकाय सदस्यों के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम और स्वयं मूल्यांकन करने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम भी डाल सकते हैं जिससे संकाय खुद की समझ और प्रगति का आकलन कर सकेंगे।

HRDCs को बाहरी एजेंसी ना समझकर, जो विश्वविद्यालय इन्हें अभी चला रहे हैं उनमें ही एकीकृत किया जाएगा। MHRD इन HRDCs के खर्चे को दो

हिस्सों में अनुदान प्रदान करेगी 1. विश्वविद्यालय के बजट के हिस्से के रूप में केंद्र और स्टाफ के लिए और 2. प्रोफेशनल विकास योजनाओं में। HRDCs को निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की अनुमति दी जाएगी व इसके लिए धन का भुगतान भी लिया जा सकेगा। बहु - अनुशासनिक विश्वविद्यालयों में HRDCs की संख्या को अनुदान द्वारा बढ़ाया जाएगा।

राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा में शिक्षकों के पेशेवर विकास (Professional development) के लिए कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। पूरे देश भर में इस कार्यक्रम के लिए HEIs से सलाह लेते हुए, HRDCs पूरे पाठ्यचर्या का ढांचा बनाएँगे। इस ढांचे का इस्तेमाल HEIs द्वारा खुद के CPD कार्यक्रम चलाने के लिए भी किया जा सकेगा। प्रभावशाली CPD के लिए यही उच्च शिक्षा संस्थान स्वयं जिम्मेदार होंगे। (देखिये **P15.5.2**)

P13.1.8. नए संकाय सदस्यों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम: उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) में नए संकाय सदस्यों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम होने अनिवार्य होंगे। यह कार्यक्रम शिक्षा के विभाग या महाविद्यालयों द्वारा बनाए व प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस कार्यक्रम में संस्थान, अलग अलग कार्यक्रम और कोर्स, अच्छा शिक्षण व शिक्षाशास्त्रीय उपागम और संस्कृति और संस्थान के मूल्यों के बारे में परिचित कराया जाएगा। HEIs में इन संकाय सदस्यों को प्रभावी हिस्सा बनने में यह कार्यक्रम मदद करेंगे। हर नए संकाय सदस्य के लिए एक संकाय मैटर होगा जो काफी लंबे समय से HEI में रहा हो व उसका अनुकरणीय ट्रैक रिकार्ड रहा हो।

P13.1.9. लगातार सीनियर संकाय सदस्यों की सलाह मिलना: एक अच्छी संख्या में प्रभावशाली, वरिष्ठ एवं सेवानिवृत्त संकाय हैं जो अंशकालिक सलाह व पेशेवर सहयोग करने के लिए मौजूद हैं। ऐसे वरिष्ठ व सेवानिवृत्त संकाय सदस्य, विशेष रूप से जो भारतीय भाषाओं को पढ़ने की समझ रखते हों, उन्हें स्थापित एवं अनुदान प्रदान करना चाहिए।

विशेष विषयों की उत्कृष्ट समझ रखने वाले लोगों को इस कार्य के लिए खासकर ध्यान में रखना चाहिए। इन सभी लोगों का उपयोग पिछड़े इलाकों

में स्थापित HEIs में सुधार करने के लिए होना चाहिए। इसके लिए MN और MT के बीच में विशेष पहल की शुरुआत की जानी चाहिए। (देखिये **P10.15**)

P13.1.10. संकाय और अन्य कर्मचारियों के करियर और वेतन का प्रबंधन: सभी उच्च शिक्षा संस्थान अपनी मानव संसाधन सम्बन्धी प्रक्रियाओं, जिसमें करियर प्रगति, पदोन्नति, वेतन निर्धारण और सेवाओं की स्थिति शामिल है, का निर्णय कर सकेंगे।

HEIs सभी कर्मचारियों और संकाय की पेशेवर प्रगति, पदोन्नति, और वेतन निर्धारण (इसमें सेवा शर्तें भी शामिल हैं) की प्रभावी और निष्पक्ष प्रक्रियाएँ स्थापित करेंगे। यह प्रक्रियाएँ 'वरिष्ठता' के आधार पर न होकर कार्य प्रदर्शन में विकसित कर पहचान करके पुरस्कृत करने के आधार पर होंगी। यह प्रक्रियाएँ संस्थान द्वारा, BoG के स्पष्ट अनुमोदन के बाद, स्थापित होंगी और BoG की लगातार आकलन व निगरानी से यह सुनिश्चित होगा कि इनका पालन सही तरीके से बिना किसी भेद भाव के हो रहा हो। किसी भी व्यक्ति के वेतन का निर्धारण करने के लिए दो से अधिक लोगों (HEI के प्रबंधन में से) को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इन लोगों को व्यक्तिविशेष के योगदान, प्रदर्शन और क्षमता के बारे में अच्छे से पता होगा जिससे उसके वेतन में वृद्धि, या पदोन्नति या करियर की प्रगति से जुड़े बाकी मुद्दों पर निर्णय ले पाएँगे।

संस्थान में व्यक्तियों के काम के लक्ष्यों और उद्देश्यों की संदर्भ में रखकर, इन सब प्रक्रियाओं द्वारा, उनके प्रदर्शन और योगदान का आकलन किया जाएगा। यह सभी लक्ष्य, संस्थान के लक्ष्यों से उत्पन्न होंगे और दुनिया भर में संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए उठाए गए कदम द्वारा प्रेरित होंगे।

आकलन अनेक तरीकों से हो सकता है। उसमें शिक्षण, शोध, अन्य कार्य(जैसे अपने साथी कर्मियों के साथ काम, अडल्ट एडुकेशन, सामुदायिक सेवा, फील्ड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स) में योगदान के मूल्यांकन का 360 डिग्री फीडबैक (सुपरवाइज़र, सहपाठी और विद्यार्थी समीक्षा), संस्थान विकास (जैसे आकादमिक या प्रशासनिक समिति में काम, विद्यार्थी सहयोग) या HEI द्वारा निर्धारित किसी अन्य आयाम पर हो सकता है। किस मापदंड को ज़्यादा

महत्व दिया जाना है, यह संस्थान (टाइप 1, 2 या 3) किस बिन्दु पर ज़्यादा काम कर रहा है, उस पर निर्भर करेगा।

शोध का आकलन करने से यह सुनिश्चित हो पाएगा की काम की गुणवत्ता का भी लगातार मूल्यांकन होता रहे और सिर्फ कुछ प्रकाशनों की संख्या से प्रेरित न हो। इस बात पर विशेषकर ध्यान दिया जाएगा कि प्रकाशन के उपलब्ध मंचों की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा पर ज़्यादा ध्यान हो बजाय कि कम गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं पर।

अकादमिक स्टाफ के तीन स्तर होंगे- असिस्टेंट प्रोफेसर (Assistant Professor), एसोसिएट प्रोफेसर (Associate Professor) और प्रोफेसर (Professor)। इन स्तरों में पदोन्नति, संकाय के आकलन के आधार पर होगी। इन सभी स्तरों के वेतन में भी अंतर होगा। इसका पूरा ढांचा कैसा होगा, इसका निर्णय एक उच्च शिक्षा संस्थान स्वयं ले सकता है।

HEIs जिसमें सार्वजनिक HEIs शामिल हैं, इतने सशक्त होंगे की वे अपने कर्मचारियों के वेतन के स्तर और उनमें बढ़ोतरी निर्धारित कर पाये। हालांकि HEIs को अपने कर्मचारियों के वेतन में कुछ घटाना नहीं चाहिए और ना ही मिलते जुलते पदों पर दूसरे किसी कर्मचारी को नियुक्त करना चाहिए। भविष्य में वेतन में वृद्धि का अनुमान पूरी तरह से HEIs का विशेष अधिकार होगा।

P13.1.11. संकाय नियुक्ति और विकास, व्यवसाय में प्रगति और वेतन प्रबंधन का संस्थान विकास योजना (Institutional Development Plan) में हिस्सा बनना: संकाय से संबंधित सभी मामले IDP का हिस्सा होंगे और यह BoG द्वारा निर्धारित होंगे। यह मामले संकाय की संख्या से लेकर संकाय चुनने के मानदंड, पेशेवर प्रगति या वेतन निर्धारण करने तक के हो सकते हैं।

क्योंकि IDP सभी HEIs (सार्वजनिक HEIs भी) के लिए हितधारकों के साथ तालमेल की एक बुनियादी व्यवस्था है, वह सभी कर्मचारियों से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए सामान रूप से उपयोग होगी। इसमें लंबे समय के लिए उचित सार्वजनिक निकाय या प्रायोजित करने वाले संस्थान से प्राप्त अनुदान की प्रतिबद्धता है, जिसमें सभी कर्मचारियों के खर्चों व वेतन में सहयोग भी

शामिल होगा। 2030 तक, सभी उच्च शिक्षा संस्थान एवं ऐसे सार्वजनिक संस्थान भी, पूरी तरह से सशक्त होंगे ताकि वे इन सभी प्रक्रियाओं को संस्थान के विकास और वृद्धि के प्लान के साथ में रख कर, खुद बना भी पाये और इनको लागु भी कर पाएं।

अध्याय 14

राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान (NRF)

उद्देश्य:

देश भर में हरेक अकादमिक विषय में अनुसंधान और नवाचारों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना, साथ ही विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुसंधान को शुरू करने और विकसित करने पर विशेष ध्यान देना- और इसके लिए वित्त पोषण हेतु उच्च स्तरीय आपसी समीक्षा, मेंटरिंग और सहयोग के द्वारा एक अनुकूल तंत्र का निर्माण करना

किसी बड़ी और जीवंत अर्थव्यवस्था को विकसित करने, उसे स्थाई बनाए रखने, समाज की दशा को विकसित करने और किसी देश को लगातार ऊंचाइयों पर अग्रसर होने की प्रेरणा देने के लिए ज्ञान निर्माण और अनुसंधान की महती भूमिका सर्वविदित है। यहाँ तक कि प्राचीन समय से इतिहास की कई सबसे महान सभ्यताएँ (जैसे भारत, मेसोपोटेमिया, इजिप्ट, चीन और ग्रीस) से लेकर आधुनिक सभ्यताएँ (जैसे संयुक्त राज्य, जर्मनी, इजराइल, दक्षिण कोरिया और जापान) ज्ञान के मामले में बड़ी सशक्त थीं/हैं और जिन्होंने अपने विख्यात योगदानों से अपनी बौद्धिक और भौतिक सम्पदा का बड़ा हिस्सा निर्मित किया था। उन्होंने विज्ञान के साथ-साथ भाषा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में नए ज्ञान का सृजन किया, जिसने न केवल उनकी अपनी सभ्यताओं को उन्नत और समृद्ध बनाया वरन् विश्व की अन्य सभ्यताओं को भी इसका लाभ मिला।

आज की दुनिया में जिस तरह बड़े स्तर पर तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं (उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या गतिकी और प्रबंधन, बायोटेक्नोलॉजी, तेज़ी से विस्तारित होता हुआ डिजिटल बाज़ार और सीखने की क्षमता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता रखने वाली

मशीनों का उदय) उन्हें देखते हुए अनुसंधान के लिए एक सशक्त परितंत्र की महती आवश्यकता पहले से अधिक है। यदि भारत को इन भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अग्रणी सिद्ध होना है और अपने देश में छिपे विशाल प्रतिभावान समूहों की क्षमता को आगे लाते हुए अगले कुछ दशकों में फिर से एक सशक्त और अग्रणी ज्ञान समुदाय के रूप में पहचान बनानी है, तो देश को सभी क्षेत्रों में अपनी अनुसंधान क्षमता और उसके प्रतिफलों में महत्वपूर्ण विस्तार करना होगा। अब तक अनुसंधान को देश के आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और तकनीकी स्वास्थ्य और प्रगति के लिए कभी भी उतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया।

ऊपर दिए गए अवलोकन दुनिया भर में किए गए आर्थिक अध्ययन और उनके द्वारा जुटाए गए डाटा से सामने आए हैं। उदाहरण के लिए, यूरोपियन यूनियन द्वारा 2017 में “द एकोनॉमिक रेशनल फॉर पब्लिक आर एंड आई फंडिंग एंड इट्स इम्पैक्ट” शीर्षक से प्रकाशित किए गए एक पालिसी ब्रीफ में यह कहा गया है कि 1995 से 2007 तक यूरोप की आर्थिक वृद्धि का दो तिहाई हिस्सा अनुसंधान और नवाचार (R&I) के द्वारा आया। 2000 से 2013 के बीच यूरोप में उत्पादकता में हुई समस्त वृद्धि का 15% हिस्सा अनुसंधान और नवाचार (R&I) के द्वारा प्राप्त हुआ और इसमें यह भी बताया गया कि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में जीडीपी के 0.2% का निवेश जीडीपी में वार्षिक 1.1% की वृद्धि कर सकता है जो कि पाँच गुना लाभ जैसा है। विश्व के अन्य देश जिसमें संयुक्त राज्य भी शामिल है, भी इसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि उनकी आर्थिक वृद्धि के लिए अनुसंधान और नवाचार में निवेश करना अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। वास्तव में विकसित और विकासशील देशों में अनुसंधान और नवाचार (R&I) के क्षेत्र में निवेश और उनकी समृद्धि जैसे प्रति व्यक्ति आय (जीडीपी) के बढ़ने में स्पष्ट संबंध है।

दुर्भाग्य से भारत में अनुसंधान और नवाचार (R&I) के क्षेत्र में निवेश बढ़ा तो नहीं है उल्टे पिछले दशक से लगातार घटता ही गया है। यह निवेश जो 2004 में जीडीपी का 0.84% था वह 2014 में 0.69% रह गया जो आज तक उतना ही बना हुआ है। यदि बाकी देशों से इसकी तुलना करें तो पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 2.8%, चीन में 2.1%, इजराइल में 4.3% और दक्षिण कोरिया में 4.2% है अर्थात् सभी देश अनुसंधान और नवाचार (R&I) में देश की जीडीपी का कम से कम तीन प्रतिशत निवेश करते हैं।

भारत द्वारा अनुसंधान और नवाचार (R&I) के क्षेत्र में किए जा रहे अत्यंत कम निवेश का परिणाम यहाँ होने वाले शोध और उनके परिणामों में परिलक्षित होता है। भारत में एक लाख की जनसंख्या पर शोधार्थियों की संख्या केवल 15 है जो बेहद चौकाने वाला आंकड़ा है। इसकी तुलना में चीन में यह आंकड़ा 111, संयुक्त राज्य में 423 और इजराइल में 825 है (इकॉनोमिक सर्वे-2016-17)। इसके सीधा परिणाम यह होता है कि भारत किसी नई खोज के पेटेंट और प्रकाशन के क्षेत्र में पिछड़ा जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन (WIPO) के अनुसार चीन द्वारा 13,38,530 पेटेंट आवेदन प्रस्तुत किए गए जिनमें से केवल 10% अनिवासी चीनी लोगों के थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 605,571 पेटेंट आवेदन प्रस्तुत किए जबकि भारत में यह संख्या केवल 45,057 की रही जिनमें से 70% आवेदन अनिवासी भारतीयों के थे। प्रकाशन के क्षेत्र में भारत थोड़ा बेहतर काम कर रहा है जिसके परिणामों में लगातार वृद्धि दिखाई दे रही है और विज्ञान के क्षेत्र में इसका हिस्सा जो 2009 में 3.1% था वह 2013 में बढ़कर 4.4% हो गया। हालाँकि 2018 में यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा तय किए गए संकेतकों के आधार पर यह पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन द्वारा 2016 में भारत की तुलना में चार गुना अधिक आलेख प्रकाशित किए गए।

देश भर में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को प्रसारित करने का महत्व: आज भारत में सामाजिक रूप से व्याप्त चुनौतियों जैसे- हरेक नागरिक को पीने के लिए साफ पानी और स्वच्छ परिवेश की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन के उन्नत साधनों की उपलब्धता, वायु की गुणवत्ता, ऊर्जा और आधारभूत संरचनाओं- से निबटने के लिए ऐसे तरीकों और समाधानों को अपनाए जाने की आवश्यकता होगी जो उच्च स्तरीय विज्ञान और तकनीक के द्वारा निर्धारित होंगे और जिनमें देश के समाजविज्ञान, मानविकी और विविध सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों की गहरी समझ भी शामिल होगी। इन चुनौतियों का सामना करने और इनके समाधान खोजने के लिए जमीनी स्तर पर उच्च स्तरीय अंतर-विषयक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ेगी और वह अनुसंधान भी भारत में किया जाना होगा। किसी बाहरी देश से आयातित अनुसंधान के आंकड़ों और परिणामों से काम नहीं बनेगा। अपने देश के लिए आवश्यक शोधों को अपने देश में अपने ही लोगों द्वारा किए जाने की क्षमता होने पर ही कोई देश अपने सन्दर्भों से मिलते-जुलते अनुसंधान किसी अन्य देश से आयात करने में सक्षम बनता है।

सामाजिक समस्याओं के हल निकालने के साथ ही किसी देश की पहचान, उसकी प्रगति, आध्यात्मिक और बौद्धिक संतुष्टि और रचनात्मकता को उसके इतिहास, भाषा, कला और संस्कृति के माध्यम से अच्छी तरह से जाना जा सकता है। इसीलिए विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नवाचारों के साथ-साथ कला और मानविकी के क्षेत्रों में अनुसंधान किसी देश की प्रगति और प्रबुद्धता हेतु अत्यंत आवश्यक है।

भारत के संस्थानों, विशेषतः उन संस्थानों में जो उच्च शिक्षा से संबद्ध हैं, अनुसंधान और नवाचार को विकसित करना बहुत आवश्यक है। इतिहास के समय से दुनिया भर के श्रेष्ठ माने जाने वाले विश्वविद्यालय अपनी सीखने-सिखाने की प्रक्रियाओं के लिए ही जाने जाते हैं और ये प्रक्रियाएँ ऐसे वातावरण में घटित होती थीं जहाँ अनुसंधान और ज्ञान निर्माण की सशक्त परंपरा हुआ करती थी। इसके विपरीत दुनिया के श्रेष्ठ अनुसंधानों में से अधिकतर अनुसंधान वे हैं जो विश्वविद्यालयों की बहु-विषयक संस्कृति में हुए हैं।

यह समझना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि देश में आर्थिक विकास के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देने का दृष्टिकोण केवल सरकार ही विकसित कर सकती है।

भारत में विज्ञान और तकनीक से लेकर कला और साहित्य तथा स्वर विज्ञान (फोनेटिक्स) से लेकर भाषा, औषधि विज्ञान और कृषि आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान और ज्ञान निर्माण की एक लंबी ऐतिहासिक परंपरा रही है। अब समय आ गया है कि भारत अपनी परंपरा को फिर से जीवित करे और जितनी जल्दी हो सके 21 वीं सदी के अनुसंधान और नवाचारों की दिशा में अग्रणी होकर एक सशक्त और प्रबुद्ध समाज बनते हुए दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक का दर्जा हासिल करे।

वर्तमान समय में भारत में अनुसंधान और नवाचार के मार्ग में क्या बाधाएँ हैं? वर्तमान समय में भारत में अनुसंधान करने की राह में ढेरों बाधाएँ हैं। इसके परिणामस्वरूप कई प्रतिभाशाली भारतीय जो नवाचार करने की इच्छा रखते हैं अक्सर देश छोड़कर चले जाते हैं या फिर ऐसे पेशे में संलग्न हो जाते हैं जिसमें उनकी इस प्रतिभा का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता। अनुसंधान और नवाचार के रास्ते की इन बाधाओं को कम करना हमारे देश में अनुसंधान को बढ़ाने, देश की प्रतिभाओं को देश में ही बनाए रखने और फिर से अनुसंधान के क्षेत्र में एक गुणवत्तापूर्ण और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की कुंजी साबित हो सकता है। इससे भारत अपने देश की कुछ ज्वलंत समस्याओं को

सुलझाया सकता है और अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर सकता है और बौद्धिक तथा भौतिक संपन्नता को बढ़ा सकता है।

वर्तमान समय में भारत में अनुसंधान करने के मार्ग में आने वाली कुछ बाधाएँ निम्नानुसार हैं-

अनुसंधान के लिए धन की कमी: जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, निजी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में उत्कृष्ट अनुसंधान और नवाचारों के लिए धन की कमी आज भी एक बड़ा मुद्दा है।

अनुसंधान की संस्कृति और मानसिकता का अभाव: अनुसंधान और शोध के क्षेत्र में आने की इच्छा रखने वाले युवाओं के सम्मान और प्रोत्साहन की कमी इसी से मिलती-जुलती अगली समस्या है। अभिभावकों या समाज द्वारा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनके पसंद के क्षेत्र, उदाहरण के लिए- विज्ञान या मानविकी में अनुसंधान हेतु जाने के लिए शायद ही प्रोत्साहित किया जाता हो। यदि हर विद्यार्थी को एक ऐसा विषय चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता, सक्षम बनाया जाता जिसमें उनकी रुचि हो और जिसे करने की उनमें प्रतिभा हो तो यह उन विद्यार्थियों के लिए तथा देश के लिए सर्वश्रेष्ठ होता। आज के समय में जो विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करते हैं (भले ही उनकी रुचि किसी भी विषय में हो) उनसे कुछ निश्चित क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग या चिकित्सा विज्ञान में जाने का आग्रह होता है। ज्ञान और अनुसंधान की जीवंत संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत रुचियों के विषयों की पूरी श्रृंखला को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अधिकांश विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की क्षमता का न होना: यदि ऊपर बताए गई दो बाधाओं को पार कर भी लिया जाए तो हमारे देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में जहाँ देश के अधिकांश विद्यार्थी (93%) अध्ययन करते हैं, अनुसंधान की क्षमता का न होना एक गंभीर मुद्दा है। दुर्भाग्य से आज भारत के अधिकांश विश्वविद्यालयों में जहाँ स्नातक स्तर के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, वहाँ अनुसंधान की शुरुआत करने की, उसके लिए अनुदान इकठ्ठा करने की और उसे पूरा करवाने की क्षमता नज़र नहीं आती। स्वतंत्रता की बाद भारत में अनुसंधान और शिक्षण को अलग करने के निर्णय, जिसके अंतर्गत अनुसंधान कुछ ही वित्त पोषित अनुसंधान संस्थाओं में संचालित होता है और विश्वविद्यालय केवल शिक्षण का काम करते हैं और जिनके पास अनुसंधान के लिए अनुदान की हमेशा कमी बनी रहती है, ने देश में शिक्षण और अनुसंधान दोनों को ही बेहद नुकसान पहुँचाया है। देश में कुछ ही

विद्यार्थी (प्रति लाख लोगों में 15) ऐसे हैं जिन्हें स्वयं अनुसंधान करने में सक्षम बनाया गया है, वे अनुसंधान के इस ज्ञान और अनुभव को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने की स्थिति में नहीं हैं।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण और अनुसंधान के अलगाव के परिणामों को रोकने और उन्हें उलटने की दिशा में ठोस प्रयास किये जाने आवश्यक हैं। देश भर के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, जो अभी अनुसंधान की क्षमता नहीं रखते, में अनुसंधान को शुरू करना होगा, विकसित करना होगा और बढ़ावा देना होगा।

नए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना के द्वारा अनुसंधान की राह की बाधाएँ दूर करना और देश भर में अनुसंधान और नवाचार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा देना: यह नीति भारत में अनुसंधान की गुणवत्ता और मात्रा को रूपांतरित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की कल्पना करती है। इसमें स्कूली शिक्षा में एक निश्चित बदलाव करते हुए उसे स्वयं खोज करके और खेल-खेल में सीखने पर बल देने वाले सीखने के तरीकों पर आधारित बनाना शामिल है, जिसमें प्रमुख जोर वैज्ञानिक तरीकों और आलोचनात्मक चिंतन, स्कूल में विद्यार्थियों की रुचि और प्रतिभा की पहचान करने के लिए करियर काउन्सलिंग करने, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों का संस्थागत पुनर्गठन करने, उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुअनुशासनिक बनाने, लिबरल एजुकेशन पर जोर देने, स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में अनुसंधान और इंटरनशिप को शामिल करने, अनुसंधान को अपनी प्रधानता में शामिल करने के लिए संकायकरियर प्रबंधन तंत्र विकसित करने और संस्थागत स्वायत्तता और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नेंस और नियामक बदलाव करने पर होगा। ये सभी पहलू देश में अनुसंधान की मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन्हें इस नीति के अगले हिस्से में विस्तार दिया गया है।

इन विविध तत्वों में तालमेल स्थापित करते हुए आगे बढ़ना और इसके द्वारा देश में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ाना और प्रोत्साहित करने के लिए यह नीति NRF की स्थापना की कल्पना करती है। NRF का व्यापक लक्ष्य हमारे विश्वविद्यालयों के माध्यम से अनुसंधान की संस्कृति को सर्वत्र व्याप्त करने में सक्षम बनाना होगा।

NRF विशेष रूप से देश में अनुसंधान की राह में आ रही ऊपर उल्लेखित बाधाओं को दूर करने के लिए मेरिट के आधार पर पीयर-रिव्यूड-रिसर्च-फंडिंग हेतु विश्वसनीय आधार

उपलब्ध कराएगा, उत्कृष्ट अनुसंधानों को मान्यता और योग्य प्रोत्साहन देकर देश भर में अनुसंधान की संस्कृति को विकसित करने में मदद करेगा तथा राज्यों के सरकारी और अन्य विश्वविद्यालयों में जहाँ वर्तमान में अनुसंधान की क्षमता सीमित है, अनुसंधान को शुरू करने और विकसित करने के लिए बड़े कदम उठाएगा। सफल अनुसंधानों को विशेष पहचान और प्रोत्साहन मिलेगा और जहाँ प्रासंगिक हो, इसे सरकारी और निजी या जन कल्याणकारी संस्थाओं के साथ जुड़ाव के द्वारा क्रियान्वयित किया जाएगा।

NRF की प्राथमिक गतिविधियाँ निम्नानुसार होंगी:

- हरेक संकाय में और हर तरह के अनुसंधान के लिए फण्ड प्रतिस्पर्धी और पीयर रिव्यू किए गए प्रस्ताव
- शिक्षा संस्थानों में विशेषतः विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में जहाँ अभी अनुसंधान शैशवावस्था में हैं, अनुसंधान को शुरू करना, विकसित करना और उसके लिए सुविधा देना और इसके लिए अनुसंधान के क्षेत्र में देश भर के जाने-माने विद्वानों द्वारा इन संस्थानों को परामर्श प्रदान करवाना, उत्कृष्ट युवा शोधार्थी और संकाय को नियुक्त करना तथा ऐसे संस्थानों में वर्तमान में विद्यमान उच्च गुणवत्ता वाले ऐसे कार्यक्रमों के सुदृढीकरण करना और उन्हें मान्यता देना।
- शोधार्थियों और सरकार की संबंधित शाखाओं तथा उद्योगों के बीच संपर्क कराने का काम करना जिससे शोधार्थी वर्तमान में महत्वपूर्ण अनुसंधान के मुद्दों के प्रति जागरूक रह सकें तथा नीति निर्माता भी अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम सफलताओं के प्रति जागरूक रहें। इससे इन सफलताओं को सर्वश्रेष्ठ तरीके से नीति और उसके क्रियान्वयन में दर्ज किया जा सकेगा।
- NRF के अनुदान और मार्गदर्शन की सहायता से विविध विषयों में हुए उत्कृष्ट अनुसंधान और उनकी प्रगति को पुरस्कार और विशेष सेमीनार में शोधार्थियों के कार्य की प्रस्तुति द्वारा मान्यता देना ।

दुर्भाग्य से वर्तमान में भारत में ऐसा कोई सुनियोजित तंत्र मौजूद नहीं है जो अनुसंधान के क्षेत्र में इन महत्वपूर्ण मामलों का समाधान खोज सके।

14.1. एक नवीन अनुसंधान संस्थान का गठन करना

P14.1.1. NRF की स्थापना: भारत सरकार के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में नवीन NRF के गठन हेतु संसद में एक अधिनियम लाया जाएगा। NRF के गठन के द्वारा देश के शिक्षा संस्थानों में, प्रमुखतः महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के हर संकाय में अनुसंधान हेतु अनुदान और मार्गदर्शन देना, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए शोधार्थियों की क्षमता बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त आधारभूत संरचना और प्रशिक्षित स्टाफ मुहैया कराया जाएगा।

P14.1.2. कार्य का क्षेत्र: NRF के चार प्रमुख विभाग होंगे- विज्ञान, तकनीकी, सामाजिक विज्ञान तथा कला और मानविकी और यदि NRF की शासन परिषद् (गवर्निंग काउंसिल) को ऐसा लगेगा कि समाज के लाभार्थ इसमें और भी विभागों (जैसे स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरणीय मुद्दे) को जोड़ा जाना चाहिए तो ऐसा करने का प्रावधान भी मौजूद रहेगा।

NRF प्रतिस्पर्धात्मक रूप से हरेक संकाय में हर विषय में जैसे औषधि विज्ञान, भौतिकी, कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो साइंस से लेकर शिक्षा, सामाजिकी, पुरातत्व, कला इतिहास और साहित्य तक हर विषय में अनुसंधान हेतु अनुदान राशि प्रदान करेगा। समय-समय पर NRF अनुसंधान हेतु उन मुद्दों की भी पहचान कर सकता है जो देश के लिए महत्वपूर्ण हैं और उनके लिए अनुदान की व्यवस्था को प्राथमिकता के रूप में ले सकता है मगर यह सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रस्तावों को ही अनुदान देने पर विचार करेगा। NRF रक्षा संबंधी या ऐसे ही संवेदनशील अनुसंधानों के लिए सीधे अनुदान की मंजूरी नहीं देगा।

अनुसंधान प्रस्तावों को सीधे अनुदान देने के साथ-साथ NRF चयनित विश्वविद्यालयों को विशिष्ट संकायों के अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद करेगा जिससे वर्तमान में जिन संस्थानों में अनुसंधान के लिए व्यवस्थित तंत्र विकसित नहीं है या सीमित अवस्था में है, वहाँ इसे विकसित किया जा सके। अनुसंधान के लिए मार्गदर्शक दल उपलब्ध कराकर और

अनुसंधान का वातावरण तैयार करने के लिए पोस्ट डोक्टोरल और डोक्टोरल विद्यार्थियों को लाकर, संस्थागत अनुदान देकर आदि किया जाएगा।

NRF अपने शासकीय बोर्ड के जरिए शोधार्थियों और शासन के बीच संपर्क सूत्र का काम करेगा और यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि वर्तमान के अति महत्वपूर्ण मुद्दों का (जैसे साफ़ पानी, स्वच्छता, ऊर्जा आदि) अध्ययन शोधकर्ताओं द्वारा गहन रूप से किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि एक नीति के द्वारा इन अनुसंधानों के सफल परिणामों का क्रियान्वयन लोगों के लाभ के लिए प्रभावी रूप से किया जा सके।

अंत में, उत्कृष्ट प्रगति कर रहे अनुसंधानों को (विशेषतः वे अनुसंधान जिनके लिए NRF द्वारा अनुदान दिया गया है) NRF पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया जाएगा तथा परिवर्तनकारी अनुसंधानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार आयोजित करके मान्यता दिलाएगा। साथ ही उन उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधानों को सफलतापूर्वक बीजारोपित किया जाएगा जहां अभी यह क्षमता नहीं है।

अनुसंधान के लिए अनुदान हेतु आए सभी प्रस्तावों की वार्षिक अनुदान योजना, अनुसंधान की प्रगति की वार्षिक अद्यतन स्थिति और अंतिम परिणाम को NRF की वेबसाइट पर लगाया जाएगा और इसका विवरण ऐसी भाषा में होगा जिसे सामान्य व्यक्ति भी पढ़कर समझ सके।

P14.1.3. NRF के लिए वित्त पोषण: NRF को 20,000 करोड़ (2 खरब या जीडीपी का लगभग 1%) वार्षिक अनुदान दिया जाएगा और इसे अपनी वित्त व्यवस्था स्वयं संचालित करने की, नियम बनाने की और क्रियान्वयन की विधियाँ तय करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। देश भर में अनुसंधान और नवाचार की गतिविधियों को बढ़ावा देने के इसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जैसे गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के क्षेत्र में देश की क्षमता बढ़ती जाएगी, NRF की अनुदान राशि में भी वृद्धि की जाएगी। शुरुआती सालों में बची हुई अनुदान राशि को एक ऐसे कोष में रखा जाएगा और इसका प्रबंधन प्रोफेशनल लोगों द्वारा किया जाएगा। इस कोष का इस तरह से प्रबंधन किया जाएगा कि स्थिर एवं जोखिम मुक्त प्रतिफल प्राप्त हो।

- P14.1.4. गवर्निंग बोर्ड (शासी निकाय):** NRF के संचालन के लिए एक गवर्निंग बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसमें संबंधित क्षेत्रों के प्रमुख शिक्षाविद और पेशेवर शामिल होंगे। इस बोर्ड का गठन RSA द्वारा किया जाएगा।
- P14.1.5. विभागीय परिषद (डिविजनल काउंसिल):** NRF के चारों विभागों- विज्ञान, तकनीक, सामाजिक विज्ञान और कला तथा मानविकी की अपनी संबंधित विभागीय परिषद होगी जिनमें भारत के और विदेशों के भी जाने-माने शिक्षाविद शामिल होंगे जिनके पास उस विषय की व्यापक विशेषज्ञता मौजूद होगी। ये परिषद NRF की कार्यवाही के लिए श्रेष्ठ पैमाने तय करेगी। हर विभाग की विभागीय परिषद का गठन NRF के गवर्निंग बोर्ड या शासी निकाय के द्वारा किया जाएगा। यह परिषद अपने विभाग में सामान्य और व्यावहारिक (एप्लाइड) अनुसंधान के अनुदान के लिए एक दृष्टिपत्र तैयार करेगी। हरेक विभागीय परिषद का अध्यक्ष गवर्निंग बोर्ड का सदस्य होगा।
- P14.1.6. विषय समितियाँ और उनके अध्यक्ष:** विभाग में आ रहे विविध प्रस्तावों को बेहतरी से प्रबंधित करने के लिए हरेक विभागीय परिषद अपने विभागीय क्षेत्र को आवश्यकतानुरूप विषयों में विभाजित करेगी। विभागीय परिषद हरेक विषय के लिए विषय में व्यापक विशेषज्ञता रखने वाले लोगों की एक विषय समिति गठित करेगी।
- इंटरडिसिप्लिनरी और व्यावहारिक क्षेत्रों में पर्याप्त अनुसंधान हो सके इसे सुनिश्चित करके के लिए दो या अधिक विषयों के संयुक्त विषय समिति भी बनाई जाएगी। (इनमें स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, कृषि आदि को भी बाकी विषयों के साथ तब तक सम्मिलित किया जाएगा जब तक कि उन्हें स्वतन्त्र विषय का दर्जा नहीं मिल जाता।)
 - हरेक विषय समिति का एक 'अध्यक्ष' होगा जो उस विषय का प्रतिष्ठित विशेषज्ञ होगा। हरेक विषय समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति डिविजनल कमिटी के द्वारा की जाएगी। विषय समिति के अन्य सदस्यों का चयन विषय समिति के अध्यक्ष की सलाह से डिविजनल कमिटी द्वारा किया जाएगा।

- c. हरेक विषय समिति में लगभग 10 सदस्य होंगे, हालाँकि हर विषय के मामले में आवश्यकतानुसार इस संख्या में बदलाव हो सकता है। हर विषय और विषय समिति में सदस्यों को शामिल होने के लिए गुंजाइश इतनी रहेगी कि अनुसंधान के लिए आए सभी प्रस्तावों पर सीमित सदस्यों की शामिल के साथ गहराई से विचार किया जा सके, बशर्ते उनमें कोई हितों का टकराव न हो।
- d. सशक्त विषय समिटी विषय आधारित अनुदानों पर निर्णय लेगी।
- e. प्रत्येक विषय समिति उस विषयान्तर्गत अनुदान प्राप्त अनुसंधानों की प्रगति की रिपोर्ट प्राप्त करेगी और उनके आकलन के बाद ऐसे प्रस्तावों/प्रकल्पों को अपनी अनुशंसा सहित डिविसनल कमिटी को प्रेषित करेगी जो शासकीय या निजी संस्थानों में क्रियान्वयन हेतु तथा/या NRF के पुरस्कार हेतु उपयुक्त प्रतीत हो रहे हो।

P14.1.7. निधि का आबंटन: सभी चार विभागों को निधि का आबंटन हरेक विभाग की जरूरतों और धन की आवश्यकता के अनुरूप किया जाएगा। सामान्यतः विज्ञान और तकनीक विभागों को प्रयोगशाला उपकरण, प्रयोग आदि के लिए अन्य विभागों की तुलना में अधिक राशि की आवश्यकता होगी। मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभागों को आबंटित किए जाने वाली राशि में वर्तमान राशि की तुलना में वृद्धि की जाएगी चूंकि लम्बे समय से देश में ये विषय कभी भी पर्याप्त ध्यान का केंद्र रहे ही नहीं। विभागों को राशि के आबंटन का निर्णय NRF का गवर्निंग बोर्ड डिविसनल कमिटी की सलाह से लेगा। डिविसनल कमिटी इस बारे में विषय समितियों के अध्यक्ष से चर्चा करेगी और पूर्व के अनुसंधानों के अनुभवों और अनुसंधान की आवश्यकता के वार्षिक आकलन पत्रक के अनुरूप इसे हर साल बेहतर करती जाएगी। इसी तरह से विभागीय समितियाँ विषय समितियों के अध्यक्ष की सलाह से विषयों के बीच राशि के आबंटन को तय करेगी और इसके लिए हर विषय में पूर्व में किए गए अनुसंधानों, आने वाले प्रस्तावों और राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान के क्षेत्रों की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाएगा।

P14.1.8. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) का प्रशासन: गवर्निंग बोर्ड NRF के समग्र दृष्टिपत्र (विजन) का संरक्षक होगा और यह डिविसनल काउंसिल और विषय समितियों के साथ काम करते हुए यह योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक सुधारों को सुनिश्चित करेगा। इस उद्देश्य के लिए गवर्निंग बोर्ड डिविसनल काउंसिल और विषय समितियों के अध्यक्षों के साथ साल में कम से कम दो बार बैठक आयोजित करेगा। डिविसनल काउंसिल विषय समितियों के साथ काम करते हुए विषय समितियों के सुचारु रूप से कार्य करने को सुनिश्चित करेगी। गवर्निंग बोर्ड के सदस्य एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाएंगे और इसका निर्णय RSA के द्वारा किया जाएगा। विभागीय परिषद और विषय समितियों के सदस्यों का भी कार्यकाल निश्चित अवधि का रहेगा जिसे गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

P14.1.9. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए आवश्यक अहर्ताएँ: देश भर के सभी निजी और शासकीय शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और स्कूलों और अनुसंधान संस्थानों के शोधार्थी NRF द्वारा वित्त के लिए योग्य होंगे।

P14.1.10. अन्य वित्त पोषण संस्थाएँ: वे संस्थाएँ जो वर्तमान में अनुसंधान के लिए एक स्तर तक राशि स्वीकृत करती हैं जैसे DST, DAE, ICAR, ICMR, UGC तथा विविध निजी और अन्य जनकल्याणकारी संस्थाएँ अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकता के अनुरूप अनुसंधान के लिए राशि प्रदान करना जारी रखेंगी। दुनिया में अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी कई देशों में अनुसंधान के वित्त पोषण के लिए एकाधिक संस्थाएँ काम करती हैं और भारत में भी ऐसा करने से लाभ मिलेगा। हालाँकि एक केन्द्रीय NRF की कार्यसूची इन संस्थाओं की कार्यसूची से भिन्न होगी चूंकि इन संस्थाओं के विपरीत NRF का उद्देश्य देश भर में हर संकाय में अनुसंधान को शुरू करने और पारदर्शी रूप से वित्त पोषित करना और ऐसा करते हुए देश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुसंधान और नवाचारों को बढ़ावा देना है। इसमें अनुसंधान केवल विषय या भौगोलिक क्षेत्र की परिधि में सीमित न होकर इंटरडिसिप्लिनरी होंगे और इनके लिए एक सशक्त पीयर रिव्यू तंत्र भी स्थापित किया जाएगा।

14.2. सशक्त और कड़े पीयर रिव्यु के द्वारा आए अनुसंधान प्रस्तावों को वित्त पोषित करना

NRF का प्राथमिक कार्य सभी संकायों से पीयर रिव्यु द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसंधान प्रस्तावों को वित्त पोषण देना होगा।

P14.2.1. अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित करना: हर वर्ष हरेक डिविसनल काउंसिल अलग-अलग तरीके के अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित करेगी। डिविसनल काउंसिल राष्ट्रीय स्तर की आवश्यकता के अनुरूप किसी विशिष्ट विषय या क्षेत्र के अनुसंधान को प्रधानता देने का निर्णय कर सकती है मगर उस विभाग में अंतर्गत आने वाले सभी संकायों के प्रस्तावों को विचार हेतु शामिल किया जाना आवश्यक होगा। दो या अधिक विभागों के लिए आए हुए इंटरडिसिप्लिनरी प्रस्तावों का विशेष रूप से स्वागत किया जाएगा, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।

P14.2.2. प्रस्ताव के प्रकार: ये प्रस्ताव निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं:

- a. ऐसी अनुसंधान परियोजनाएँ जो प्रमुख अन्वेषक द्वारा अकेले संचालित की जानी हो
- b. अन्तःसंस्थागत और अंतरसंस्थागत परियोजनाओं के लिए संयुक्त अनुदान
- c. किसी मेंटर अनुसंधानकर्ता और अनुसंधान संस्थान द्वारा आरंभिक क्षमतावर्धन हेतु
- d. ऐसे संस्थान जो पहले से ही अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यों को उच्च स्तर पर लेकर जाने के लिए क्षमतावर्धन
- e. व्यवस्थित रूप आयोजित सम्मेलन जिनके द्वारा देश में अनुसंधान को आगे बढ़ाया जा सकता है

f. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अनुसंधान सुविधाएँ

g. राष्ट्रीय महत्व या प्रेरणा वाली लंबी अवधि की परियोजनाएँ/सुविधाएँ

इन प्रस्तावों में अनुसंधान के क्षेत्र के विवरण और विस्तृत संसाधनों और आवश्यक राशि के विस्तृत विवरण के साथ प्रस्तावित अनुसंधान का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा या प्रभाव वांछित है उसे भी शामिल किया जाए। उदाहरण के लिए: विद्यार्थियों और पोस्ट डॉक्टरल अध्येताओं का प्रशिक्षण, सार्वजनिक पहुँच, नदियों की सफाई, किसी बीमारी का उन्मूलन, फसल का उत्पादन बढ़ाना, लैंगिक समानता के लिए काम करना, पुरातन अभिलेख और कलाकृतियों का संरक्षण इत्यादि।

अनुसंधान प्रस्ताव सामान्यतः तीन साल की अवधि के लिए होंगे। हालाँकि उत्कृष्ट एवं अधिक प्रभावकारी प्रस्तावों की अवधि पाँच साल और कुछ विशेष मामलों में इससे अधिक की हो सकती है।

P14.2.3. सशक्त और ठोस पीयर रिव्यु के द्वारा अनुसंधान प्रस्तावों का आकलन और उन्हें वित्त पोषण की स्वीकृति प्रदान करना :

हरेक डिविजन में आए प्रस्तावों को विषयानुसार विषय समिति को सही तरीके से वितरित किया जाएगा। प्रस्तावों के लिए वित्त पोषण स्वीकृत करने का निर्णय विषय समिति के द्वारा ही लिया जाएगा।

a. विषय समिति किसी प्रस्ताव के लिए वित्त पोषण का निर्णय हरेक प्रस्ताव के विस्तृत लिखित आकलन के आधार पर लेगी, उस प्रस्ताव को वित्त पोषित करने के लिए पर्याप्त औचित्य, तुलना और तर्क प्रस्तुत करेगी। ये रिव्यु विषय समिति के सदस्यों द्वारा ही किए जाएँगे, यदि किसी विषय समिति में विशेषज्ञों की कमी हो तो उस स्थिति में पीयर रिव्यु के लिए आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाहरी सहायता ली जा सकती है। लिखित आकलन(रिव्यु) के विस्तृत रिकॉर्ड के साथ वित्त पोषण के निर्णय डिविजनल काउंसिल को भेजे जाएँगे। अनुसंधान प्रस्ताव के लेखकों को फीडबैक देने के उद्देश्य से पीयर रिव्यु की एक प्रति हर प्रस्तावक को (निर्णायकों के नाम गुप्त रखते हुए) भी मुहैया कराई जाएगी।

- b. पीयर रिव्यू प्रक्रिया का एक प्रमुख आयाम समिति के सदस्यों के निजी हितों के टकराव को रोकना होगा: यदि रिव्यू के लिए कोई प्रस्ताव ऐसा है जो समिति के किसी सदस्य के सहकर्मी, परिवार के सदस्य, भागीदार के द्वारा या किसी ऐसे संस्थान द्वारा आया हुआ है जिसे सदस्य ने पहले अनुदान लिया हुआ है तो उस स्थिति में वह सदस्य अपने आप को विलग रखते हुए प्रस्ताव पर चर्चा के समय वह कक्ष से बाहर चला जाएगा। ऐसे मामले में समिति के/का सदस्य लिखित समीक्षा में भी हिस्सा नहीं लेंगे/लेगा।
- c. मेगा प्रोजेक्ट, मून शॉट्स या लार्ज स्केल सुविधाओं (ऐसी परियोजनाओं के प्रस्ताव जिनके लिए सामान्य से अधिक धनराशि की आवश्यकता हो या सामान्य से अधिक समय की दरकार हो) के मामले में यदि इन परियोजनाओं का बड़े पैमाने पर समाज पर अत्यधिक सकारात्मक और विस्तृत प्रभाव दिखता है और साथ ही यदि यह परियोजना वित्तीय प्रावधान, प्रशासकीय प्रावधान और अन्य व्यावहारिक आवश्यकताओं के लिए अनुदान पा जाती है, तो संबंधित डिविजनल काउंसिल के द्वारा विषय विशेषज्ञों की एक विशिष्ट समिति गठित की जाएगी जो इस बड़ी परियोजना का अध्ययन और आकलन करेगी, ऐसे बड़े प्रस्तावों के वित्त पोषण के लिए गवर्निंग बोर्ड और डिविजनल काउंसिल के साथ-साथ इस विशिष्ट समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा।

P14.2.4. वित्त वितरण के तरीके: शोधार्थियों या संस्थानों को परियोजना के लिए स्वीकृत हुई राशि वार्षिक रूप से और तय समय सीमा में दी जाएगी। प्रतिवर्ष राशि का आबंटन उनके द्वारा परियोजना की प्रगति और खर्च की वार्षिक रिपोर्ट जमा करने पर ही किया जाएगा। अनुदान के प्रबंधन के लिए संस्थान को लगने वाले यथोचित अतिरिक्त खर्च की राशि को भी उपलब्ध कराया जाएगा। अनुसंधान परियोजनाओं के लिए पृथक ऑडिटिंग प्रक्रियाएँ और नियम तय किए जाएँगे और अनुसंधान के दौरान आने वाली संभावित जोखिम और अनिश्चितताओं पर भी निष्पक्ष विचार किया जाएगा।

P14.2.5. विषय समिति के अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण और समन्वयन: विषय समिति के अध्यक्ष द्वारा वित्त वितरण, सलाह, प्रगति और परियोजना की पूर्णता आदि आयामों पर वित्त पोषण के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का शुरु से अंत तक निरीक्षण किया जाएगा। विषय समिति का अध्यक्ष हरेक वित्त पोषित परियोजना के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का काम करेगा और समिति को हरेक परियोजना की वार्षिक प्रगति से अवगत कराएगा। विषय समिति के अध्यक्ष अपना काम ठीक तरह से कर सकें इसके लिए उन्हें उचित सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। उदाहरण के लिए- उन्हें उनके संस्थान में एक प्रशासनिक सहायक उपलब्ध करवाना।

P14.2.6. आकलन और जवाबदेही: NRF न केवल देश में वर्तमान में प्रचलित वित्त पोषण व्यवस्था में सुधार करेगा, वरन अनुसंधान की वर्तमान संस्कृति को जवाबदेह बनाएगा और प्राप्त अनुदान के सही इस्तेमाल में बदलेगा। प्रारंभिक अनुदान तभी मिलेगा जब प्रस्ताव निर्दिष्ट और उच्च मानकों पर खरे उतरते हों। परियोजना की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें राशि के इस्तेमाल और कार्य के परिणामों का पारदर्शी ब्यौरा होगा, शोधार्थियों और संबंधित संस्थानों द्वारा प्रति वर्ष साझा की जाएगी।

NRF की संबंधित संस्थान से अपेक्षा होगी कि वह अपने निर्देशन में चल रही अनुसंधान परियोजनाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की नियुक्ति को सुनिश्चित करें और इसके लिए NRF रिपोर्टिंग की विशिष्ट प्रक्रिया तय करेगा। आबंटित राशि के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए NRF समय-समय पर ऑडिट भी संचालित करेगा। अनुसंधान के प्रतिफलों का आकलन सहमति से तय किए गए गुणवत्ता मानकों के आधार पर वार्षिक रूप से होगा। (इसमें अनुसंधान में शामिल जोखिमों को ध्यान में रखा जाएगा।) NRF आगे जवाबदेही तय करने के लिए यह भी सुनिश्चित करेगा कि जिन लोगों ने पहले प्राप्त अनुदान का सही तरह से उपयोग किया है, भविष्य में अनुदान देने के लिए उन्हीं के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

P14.2.7. बौद्धिक संपत्ति पर शोधार्थियों का अधिकार: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही अच्छी प्रक्रियाओं के अनुरूप NRF के वित्त पोषण के अंतर्गत शोधार्थियों द्वारा किए गए सभी शोधों के प्रकाशन, पेटेंट आदि पर शोधार्थियों का ही एकाधिकार सुरक्षित रहेगा और शासन या शासन से सम्बद्ध संस्थाओं को इस शोध के समाज के लाभार्थ उपयोग करने, अभ्यास करने या इसका क्रियान्वयन करने हेतु बिना किसी शुल्क या रॉयल्टी के अनुमति देने का अधिकार भी शोधार्थी के पास रहेगा। जहाँ NRF का अनुदान किसी अन्य शासकीय, निजी या समाजसेवी संस्थान द्वारा प्रदान किया जा रहा हो तो शासन के साथ-साथ इस संस्थान को भी किसी अनुसंधान के परिणामों के उपयोग हेतु निशुल्क लाइसेंस और समान रॉयल्टी लेने का अधिकार रहेगा।

14.3. सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुसंधान की क्षमता का विकास करना

देश भर के अनुसंधान परियोजना के प्रस्तावों को पीयर रिव्यू के द्वारा अनुदान की स्वीकृति देने के साथ-साथ NRF का एक आवश्यक कार्य देश भर के सभी संस्थानों में, जहाँ अभी अनुसंधान बहुत सीमित मात्रा में है, अपनी शैशवावस्था में है, वहाँ अनुसंधान की संस्कृति के बीज रोपना, उसे विकसित करना और इसके लिए यथा-संभव सहायता प्रदान करना भी है। राज्यों के विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय जहाँ अनुसंधान अभी शैशवावस्था में है, वहाँ अनुसंधान की संस्कृति को विकसित करने के लिए NRF बाहरी मदद प्राप्त करेगा, अनुसंधान विश्वविद्यालयों में सेवारत या सेवानिवृत्त हुए शोधार्थियों को इन संस्थानों को अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति करने में सहायता करने के लिए नियुक्त करेगा। राज्यों के विश्वविद्यालयों में उत्कृष्ट अनुसंधान विभाग विकसित करना भी NRF की उच्च प्राथमिकता रहेगी। साथ ही विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुसंधान क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट युवा शोधार्थियों को डॉक्टरल और पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप प्रदान करना भी NRF की प्राथमिकता में रहेगा।

P14.3.1. ऐसे प्रस्तावों को प्रोत्साहन देना जिनसे राज्यों के विश्वविद्यालय में अनुसंधान की क्षमता बढ़े: ऐसे प्रस्तावों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जिसके द्वारा राज्यों के विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों में, जहाँ अब तक अनुसंधान की क्षमता बहुत कम है, वहाँ अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके। इसके लिए-

- a. रिसर्च मेंटर की सहायता से अनुसंधान को राज्यों के विश्वविद्यालयों तक ले जाना: राज्यों के विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों में काम कर रहे ऐसे अनुसंधान विशेषज्ञ जो सेवा में हैं, सेवा निवृत्ति के करीब हैं या सेवा निवृत्त हो चुके हैं, उन्हें राज्यों के विश्वविद्यालयों में रिसर्च मेंटर के रूप में चुना जा सकता है। यह चयनित मेंटर और राज्य के विश्वविद्यालय के संबंधित विषय विभाग के प्राध्यापक मिलकर एक विस्तृत अनुसंधान प्रस्ताव बनाएँगे जिसमें इस बात को विस्तार से उल्लेखित किया गया होगा कि राज्य विश्वविद्यालय के वर्तमान फैकल्टी सदस्य, नए पोस्ट-डॉक्टरल फेलो और विद्यार्थी रिसर्च सेल विकसित करने के लिए किस तरह से अनुसंधानों में हिस्सा ले सकेंगे। इस प्रस्ताव के साथ विश्वविद्यालय के अधिकारी का प्रतिबद्धता पत्र लगाया जाएगा जिसमें वह रिसर्च मेंटर और प्रस्तावित अनुसंधान को विश्वविद्यालय में ठीक से संचालित करने की जिम्मेदारी लेगा। जिन प्रस्तावों के लिए शुरुआत में 3-5 वर्ष के लिए (जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकेगा) अनुदान मंजूर हो जाएगा, उसमें से मेंटर को वेतन(उनकी पेंशन से अधिक और संभव हो तो उनके वास्तविक वेतन के समान) दिया जाएगा, साथ ही परियोजना के लिए अनुदान दिया जाएगा जिसमें अधोसंरचना, पोस्टडॉक्टरल और स्नातक स्तर के विद्यार्थी शामिल रहेंगे। राज्य विश्वविद्यालय के रिसर्च मेंटर न केवल प्रस्तावित अनुसंधान परियोजना पर काम करेंगे वरन विश्वविद्यालय समुदाय से जुड़ाव बनाए रखने के लिए साल में कम से कम एक कोर्स पढ़ाएँगे, साथ ही विश्वविद्यालय को अनुसंधान की संस्कृति विकसित करने से बढ़कर एक अनुसंधान संचालित करने वाले संस्थान में रूपांतरित करने की सलाह देंगे।

- b. मेंटर्स के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा: वे जब तक सक्रिय हैं, काम करने की स्थिति में हैं और संस्था के काम में गुणवत्ता ला सकते हैं, वे मेंटर के रूप में काम कर सकते हैं और वित्त पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं। देश में अनुसंधान के क्षेत्र के उत्कृष्ट लोग जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं, उनकी प्रतिभा का ठीक से उपयोग हुआ ही नहीं है। देश भर में अनुसंधान की संस्कृति को प्रसारित करने के लिए इन लोगों के अनुभवों का लाभ उठाने की दृष्टि से यह लाभप्रद होगा।
- c. राज्य के विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की वर्तमान स्थिति को उन्नत करना: देश भर के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों और शोध संस्थानों से अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट प्रस्ताव मँगाए जाएँगे, हालाँकि उन प्रस्तावों पर अनुदान के लिए अधिक प्राथमिकता से विचार किया जाएगा जिनमें राज्य के विश्वविद्यालयों में अनुसंधान किए जाने हों। विशेषतः संस्थानों में मौजूदा अनुसंधान कार्यक्रमों को सशक्त करने या अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनुदान पर विशेष विचार किया जाएगा जिसमें अधोसंरचना (खाका) तैयार करने के लिए (प्रमुख रूप से ऐसी संरचना जिसे अन्य समूहों के साथ साझा किया जा सके) के लिए, यात्रा और साझेदारी के लिए, पोस्टडॉक्टोरल और डॉक्टोरल विद्यार्थियों को नियुक्त करने के लिए अनुदान देने पर विशेष विचार किया जाएगा। इसमें राज्य विश्वविद्यालयों के रूप में ऐसे संस्थानों को जहाँ पहले से अनुसंधान की योग्यता और विशेषज्ञता मौजूद हो, प्राथमिकता दी जाएगी।
- d. NRF की डॉक्टोरल और पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप: शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा शोधार्थियों को बढ़ावा देना और उन्हें विकसित करना NRF का प्रमुख कार्य होगा। NRF राज्य विश्वविद्यालयों में उपयोग करने के लिए डॉक्टोरल और पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप के लिए एक व्यापक और प्रतिष्ठापूर्ण कार्यक्रम शुरू करेगा। NRF डॉक्टोरल और पोस्ट डॉक्टोरल पदों और परियोजनाओं की एक सूची अ और आ के अनुसार तैयार करेगा और इन पदों के लिए आवेदन मँगवाने हेतु सार्वजनिक रूप से विज्ञापन देगा। योग्य और उत्कृष्ट

उम्मीदवार एक या अधिक पदों के लिए अपने रुचि के क्षेत्र और विशेषज्ञता के मुताबिक आवेदन कर सकते हैं।

ऊपर दिए गए अ, आ, इ बिन्दुओं के बारे में निर्णय योग्यता के आधार पर किया जाएगा और इसके लिए सशक्त समितियाँ होंगी जो पीयर रिव्यू और आकलन द्वारा इसका निर्णय करेंगी। इ बिंदु के मामले में यथोचित उम्मीदवार के चयन हेतु PIs और co- PIs से मशविरा किया जाएगा।

P14.3.2. बड़ी, लंबी अवधि की या वृहद परियोजनाओं के द्वारा क्षमतावर्धन: NRF

बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु स्वीकार करेगा विशेषतः उन्हें जो विश्वविद्यालयों में अनुसंधान, शिक्षा और अन्य क्षमताओं को बढ़ाने का या विकसित करने का काम करेंगे या ऐसी परियोजनाएँ जिनसे समाज या आधारभूत ज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न होने की संभावना हो। ऐसी परियोजनाओं के उदाहरण निम्नानुसार हो सकते हैं:

- a. नदियों की सफाई से संबंधित राष्ट्रीय परियोजना: ऐसे विश्वविद्यालय जो नदियों के समीप बने हुए हैं वे नदियों की सफाई को लेकर अपना शोध संचालित करने के बारे में सोच सकते हैं। इसे वे शिक्षण या अनुसंधान के सन्दर्भ में शामिल कर सकते हैं, साथ ही इसके व्यावहारिक आयाम के अनुसार स्थानीय नदियों की सफाई के अभियान को बड़ा रूप देते हुए उसमें शामिल हो सकते हैं। (वैज्ञानिक उन्नति और सामाजिक जवाबदेही का पाठ दोनों ही बातों को पूरा किया जा सकता है।);
- b. गाँवों में स्वच्छ ऊर्जा लेकर आना: देश भर में स्थित विश्वविद्यालय इस बारे में चर्चा कर सकते हैं कि वे अपने क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा किस तरह से लेकर आ सकते हैं और अपने इलाके में इसके क्रियान्वयन के लिए प्रयास कर सकते हैं;
- c. कुछ बीमारियों के राष्ट्रीय स्तर पर उन्मूलन के लिए परियोजना जैसे: मलेरिया उन्मूलन;

- d. पढ़ना-लिखना सिखाने की उत्कृष्ट विधियाँ या स्थानीय भाषाओं, कला, संस्कृति के संरक्षण हेतु परियोजनाओं आदि को विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसंधान करके विकसित किया जा सकता है और देश भर में अपने-अपने इलाके में करके देखा जा सकता है;
- e. बड़े स्तर की ऐसी वैज्ञानिक परियोजनाएँ जिनमें देश भर के कई विश्वविद्यालय हिस्सा ले सकें और बड़े पैमाने पर उपलब्ध किसी डेटा का विश्लेषण कर सकें।

इस स्तर पर NRF क्षमता वर्धन के मसलों को हल करने की दिशा में प्रयास कर सकता है, तकनीक के क्षेत्र में नई क्षमताओं को सृजित कर सकता है, विभिन्न तकनीकों का उन्नयन कर सकता है, विश्वविद्यालयों की संरचना के भीतर आधारभूत अनुसंधान को आगे बढ़ा सकता है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों के विनिमय की प्रक्रिया को भी सहज बना सकता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए NRF वित्त पोषण देने वाली अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेगा।

P14.3.3. अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी को वित्त पोषण देना: अनुसंधान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। विशेषतः उन क्षेत्रों में जिनमें भारत के पास अनुसंधान की विशेषज्ञता नहीं है, NRF द्वारा सहयोग दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैसी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा जो भारतीयों के लिए भारतीयों को शामिल करते हुये अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता करे।

P14.3.4. अनुदान प्राप्ति के आवेदन और उसके प्रतिफलों हेतु मार्गदर्शन : NRF अनुसंधान हेतु न केवल अनुदान प्रदान करेगा वरन् क्षमतावर्धन हेतु ऐसे आवेदन जो ऐसी संस्थाओं से आए हों जहाँ अनुसंधान अभी शैशवावस्था में हो मगर जो ऐसी परियोजनाओं के आवेदन तैयार कर सकते हो जिनमें संभावनाएँ दिखाई दे रही हो और जिन्हें NRF का अनुदान मिल सकता हो, उन संस्थाओं को NRF के खर्च पर मेंटर उपलब्ध कराए जाएँगे जो उन्हें NRF की अपेक्षानुरूप अनुसंधान परियोजना के आवेदन को बनाने में मदद करेंगे

और विषय समिति के सामने आवेदन प्रस्तुत होने से पहले उसका आकलन करके उसे परिमार्जित करेंगे।

इस श्रेणी के शोधार्थी जिनके अनुसंधान हेतु वित्त पोषण की स्वीकृति मिल गई हो उन्हें भी NRF द्वारा मार्गदर्शन हेतु मेंटर उपलब्ध कराए जाएंगे और आवश्यकतानुसार सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे अपना अनुसंधान ठीक से कर सकें और वांछित परिणामों तक पहुँच सकें। सेवा निवृत्त वैज्ञानिक, समाज विज्ञानी और अन्य विषयों के अनुसंधानकर्ताओं को मेंटर के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्हें इस योगदान के लिए उचित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस वृहद मगर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए विशेषज्ञों के बड़े समूह की आवश्यकता होगी।

P14.3.5. अकादमियों की भूमिका: ऐसे शिक्षाविद जो राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी अकादमियों से जुड़े हुए हैं और वे जो मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं वे NRF के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। NRF इन अकादमियों को यह अधिकार प्रदान कर सकता है कि वे विशेषज्ञ के तौर पर अपनी रिपोर्ट बनाएँ और विविध विषयों पर अपनी सलाह दें जिनसे सरकार के प्रयासों को विशेषतः अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नीतियाँ बनाने में मदद मिल सके। ये अकादमियाँ शिक्षकों और शोधार्थियों के क्षमतावर्धन के क्षेत्र में भी योगदान दे सकती हैं। इनके सदस्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों की क्षमतावर्धन का कार्य कर सकते हैं चूँकि इन संस्थाओं को शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी क्षमता को बढ़ाने की बेहद ज़रूरत है। NRF इस तरह के जुड़ाव को (विशेषतः राज्य विश्वविद्यालयों के साथ) बनाने में भी मदद करेगा।

14.4. शासन, उद्योग और शोधार्थियों के बीच लाभकारी

जुड़ाव बनाना

वर्तमान समय में देश में हो रहे अनुसंधानों और राज्य तथा केंद्र शासन की इकाइयों के बीच कोई सीधा जुड़ाव दिखाई नहीं देता जिसके चलते अनुसंधानों के परिणाम और प्रतिफलों का समाज के हित के लिए क्रियान्वयन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस जुड़ाव को बनाने के लिए NRF महत्वपूर्ण योगदान देगा। NRF अनुसंधान, नवाचार और उनके क्रियान्वयन को सुचारु बनाने के लिए शोधार्थियों, शासन और उद्योगों के बीच के जुड़ाव को भी बनाएगा और तीनों की आपसी सहभागिता और तालमेल को बढ़ाएगा। इसके लिए शासकीय बोर्ड अन्य शासकीय इकाइयों के सतत संपर्क में रहेगा। इसके साथ-साथ NRF GoI के अनुदान के साथ-साथ GoI के अन्य मंत्रालयों से तथा राज्य के अन्य संस्थानों से भी अनुसंधान हेतु अनुदान राशि प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र के इकाइयाँ और जनकल्याणकारी संस्थाएँ भी NRF के द्वारा अनुसंधान के लिए अनुदान देने के लिए प्रोत्साहित की जा सकती हैं। अनुसंधान का ढाँचा जिसे पूरी तरह से NRF के द्वारा तैयार किया जाएगा, इसमें अनुसंधान परियोजना का शुरु से लेकर आखिरी तक के जीवन चक्र का प्रबंधन, आकलन प्रस्ताव, राशि का भुगतान, अनुसंधान के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता के लिए मेंटरिंग तथा शोध के परिणामों का सतत निरीक्षण और आकलन शामिल रहेगा। यह मंत्रालयों के लिए और अन्य संस्थानों के लिए जो अपने प्रयासों के लिए शोध कराना चाहते हैं, मूल्यवान होगा। NRF, मंत्रालयों और अन्य शासकीय इकाइयों, उद्योगों और समाज कल्याणकारी संस्थाओं के बीच सहभागिता के लिए विविध तरीके अमल में लाए जा सकते हैं।

P14.4.1. मंत्रालयों की शोध संबंधी आवश्यकताएँ: कई शासकीय मंत्रालयों की अनुसंधान को लेकर अपनी आवश्यकताएँ होती हैं जिन्हें वर्तमान समय में पूरा नहीं किया जा पा रहा है। कई मंत्रालयों के अपने शोध विभाग भी हैं जिनमें से अधिकांश सक्रिय या कार्यकारी अवस्था में नहीं हैं। NRF अपनी विशेषज्ञता को इन मंत्रालयों की शोध की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयोग में लाए जाने की पेशकश करेगा। मंत्रालयों की रुचि और आवश्यकता के अनुसंधान का वित्त पोषण भी NRF द्वारा तय प्रक्रिया के अनुरूप देश भर से प्रस्ताव मँगवाना, प्रस्तावों का विषय समितियों द्वारा पीयर रिव्यू के माध्यम

से आकलन (इस समूह में संबंधित मंत्रालय के किसी प्रतिनिधि को भी शामिल किया जा सकता है) अनुदान राशि का अनुमोदन और वितरण, मेटरिंग और परियोजना की प्रगति का निरीक्षण के द्वारा ही होगा। ऐसा संभव है कि समय के साथ जब मंत्रालय अनुसंधान की इस प्रक्रिया में अपनी सहभागिता के महत्व को समझने लगेंगे तो मंत्रालयों में अनुसंधान के लिए आबंटित बजट की राशि में 2% की वृद्धि होगी।

P14.4.2. राज्य सरकार की अनुसंधान की आवश्यकताएँ: अब तक राज्य सरकारों द्वारा अनुसंधान के क्षेत्र में किया गया योगदान न के बराबर है। DST के मुताबिक 2015-16 के बजट में यह राशि मात्र 7% थी। संभव है राज्य अपने क्षेत्र विशेष के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों को NRF के माध्यम से उचित अनुसंधान प्रस्तावों के माध्यम से वित्त पोषित करना चाहें (उदाहरण के लिए स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण, राज्य की भाषाओं, कला, साहित्य, शिल्प, पांडुलिपियों, ऐतिहासिक धरोहर आदि को प्रोत्साहन देने और उनके संरक्षण हेतु किए जाने वाले शोध)। {यदि ऐसा होता है तो इसके लिए भी विषय समिति में राज्य का एक प्रतिनिधि शामिल किया जा सकता है।}

P14.4.3. रणनीतिक अनुसंधान प्रतिष्ठानों के गैर रणनीतिक आयाम: बुनियादी अनुसंधान के ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें अनुसंधान किए जाने से रणनीतिक प्रतिष्ठान अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसके अंतर्गत तत्वों पर बुनियादी अनुसंधान, द्रव गतिकी, क्रिस्टोग्राफी, कोडिंग थ्योरी, वातावरणीय विज्ञान, लेसर, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, नैनोविज्ञान, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के वैज्ञानिक पहलू, फोटो वोल्टाइक, यंत्र अधिगम, बुनियादी अर्धचालक पदार्थों की भौतिकी आदि विषयों के साथ-साथ सामाजिक विज्ञान, मानविकी और भाषा के कई क्षेत्र शामिल हैं। रणनीतिक प्रतिष्ठानों से विशिष्ट विषयों पर अनुसंधान की आवश्यकता को किसी आधारभूत अनुसंधान प्रक्रिया की तरह से देखा जाना चाहिए जिसे इन प्रतिष्ठानों में एकल रूप से किए जाने के साथ-साथ NRF की संरचना द्वारा पूरा किया जा सकता है।

P14.4.4. अन्य शासकीय इकाइयों में अनुसंधान की आवश्यकताएँ: राज्य एवं शासन की अन्य शासकीय इकाइयों की अनुसंधान की आवश्यकताओं को भी NRF के द्वारा पूरा किया जा सकता है।

P14.4.5. उद्योगों और अन्य संस्थानों की अनुसंधान की आवश्यकताएँ: शासकीय और निजी क्षेत्रों के उद्योग और संस्थाएँ जिनमें समाज कल्याणकारी संस्थान भी शामिल हैं, को भी NRF की अनुसंधान प्रणाली में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। आवश्यक विशिष्ट अनुसंधानों के लिए NRF द्वारा वित्त पोषित किए जाने से उद्योगों और संस्थानों को देश भर में से अपनी आवश्यकता के अनुरूप विशेषज्ञों और अकादमिक समूह की पहचान करने में मदद मिलेगी जिनकी वे तलाश कर रहे हैं। उन्हें किसी अनुसंधान परियोजना को किसी विशेष अनुसंधान समूह को दिए जाने की NRF की पीयर रिव्यू प्रक्रिया का भी लाभ मिलेगा और वे इस बात को सुनिश्चित कर पाएँगे कि उनकी अनुसंधान परियोजनाओं का पर्याप्त निरीक्षण किया जा रहा है। NRF के द्वारा वित्त पोषण की प्रक्रिया विविध अकादमियों तथा संबंधित निजी और शासकीय कंपनियों तथा संस्थानों के बीच जुड़ाव बनाने का काम भी करेगी। इन स्रोतों से आई राशि के वितरण पर विचार-विमर्श के समय NRF की विषय समितियों में संबंधित संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा सकता है।

किसी भी वर्ष में विशेष अनुसंधानों के लिए NRF के वित्त पोषण के कुल बजट राशि का एक तिहाई से अधिक हिस्सा निजी और शासकीय उद्यमों से और अन्य संस्थानों से नहीं आना चाहिए। इन संस्थानों द्वारा विशेष अनुसंधान के लिए आए सभी प्रस्तावों का NRF के गवर्निंग बोर्ड और विभागीय समिति द्वारा उनके राष्ट्रीय स्तर पर लाभ, प्रस्तावित राशि, उन अनुसंधानों को संचालित करने की NRF क्षमता और विशेषज्ञता और आम क्षेत्रों में पूर्व में की गई संलग्नता आदि के आधार पर आकलन किया जाएगा। यदि किसी विषय विशेष (जैसे स्वास्थ्य, कृषि, साहित्य, भौतिकी आदि बशर्ते इसमें कोई विशिष्ट अनुसंधान परियोजना, आवश्यकता या निवेदन शामिल न हो) के लिए विविध संस्थानों द्वारा NRF को दान देने की पेशकश की जाती है तो दिए जाने वाले दान के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होगी।

P14.4.7. गवर्निंग बोर्ड शोधार्थियों, शासकीय इकाइयों और निजी क्षेत्र को जोड़ने वाली इकाई के रूप में: गवर्निंग बोर्ड NRF की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करेगा, इस प्रक्रिया में यह विषय समितियों और विभागीय परिषद द्वारा देश भर में हो रहे उत्कृष्ट अनुसंधानों की अनुशंसा प्राप्त करेगा जिन्हें वह शासकीय या निजी इकाइयों के साथ साझा कर सकते हैं और देश हित में इस तरह के अनुसंधानों के संभावित क्रियान्वयन की अनुशंसा कर सकते हैं। इसके विपरीत शासकीय और निजी इकाइयों और उद्योगों से अनुसंधान के बारे में आए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों, सुझावों से NRF को भी मदद मिलेगी।

14.5. NRF द्वारा वित्त पोषित किए गए अनुसंधानों में से उत्कृष्ट अनुसंधानों को अवार्ड और राष्ट्रीय सेमिनारों द्वारा पहचाना दिलाना

किसी भी शोधार्थी के लिए NRF द्वारा वित्त पोषित किया जाना ही अपने आप में सम्मान की बात होगी। हालाँकि NRF का एक अंतिम महत्वपूर्ण कार्य ऐसे सभी उत्कृष्ट अनुसंधानों जिन्हें NRF द्वारा वित्त पोषित किया गया हो या इसके अतिरिक्त ऐसे उत्कृष्ट अनुसंधान जो देश भर में हो रहे हो को पहचान दिलाना है। देश भर में होने वाले अनुसंधानों के प्रस्ताव, रिपोर्ट और उनसे संबंधित सभी जानकारी का केंद्र होने के नाते और सभी विषयों में सक्षम विषय विशेषज्ञों के द्वारा विस्तृत पीयर रिव्यू के प्रावधान के चलते NRF देश भर में चल रहे उत्कृष्ट अनुसंधानों का आकलन करने, उन्हें पहचानने और ऐसा करके देश भर में हो रहे उत्कृष्ट अनुसंधानों को अवार्ड, पुरस्कार और राष्ट्रीय सेमिनार में शामिल करके प्रोत्साहित करने का काम कर सकता है।

P14.5.1. राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान (NRF) द्वारा वित्त पोषित उत्कृष्ट अनुसंधानों को अवार्ड और सेमिनार द्वारा पहचान दिलाना: NRF देश भर में सफलतापूर्वक पूर्ण किए जा रहे सभी शोधों, विशेषतः जिन्हें NRF द्वारा वित्त पोषित किया गया हो, के लिए एक अवार्ड स्थापित करेगा। यह अवार्ड सभी

विभागों, विषयों और कई सारी श्रेणियों में दिए जाएँगे जैसे पोस्टडॉक्टोरल फैलो और युवा संकाय के लिए, ऐसी संस्थानों और लोगों के लिए जहाँ पहले अनुसंधान कार्य सीमित था और उन्होंने इसे विकसित करने के लिए सफल प्रयास किए आदि।

NRF उत्कृष्ट अनुसंधानों पर राष्ट्रीय स्तर के सेमीनार और सार्वजनिक व्याख्यान भी आयोजित करेगा, जिससे पुरस्कार विजेता शोधार्थियों का उत्साहवर्धन हो, साथ ही उन्हें तथा शिक्षाविदों और समाज के अन्य लोगों को इन अनुसंधानों द्वारा स्पष्ट किए जा रहे मुख्य मुद्दों से जुड़ने की प्रेरणा मिले।

अध्याय 15

शिक्षक शिक्षा

उद्देश्य:

शिक्षक शिक्षा प्रणाली को बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से जोड़कर और चार वर्षीय एकीकृत स्नातक डिग्री को स्कूल शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता स्थापित करके यह सुनिश्चित करना कि शिक्षकों को विषय, शिक्षण शास्त्र और प्रैक्टिस में गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त हो।

शिक्षक शिक्षा, शिक्षकों का एक ऐसा समुदाय बनाने में महत्वपूर्ण हैं जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य ढालेंगे। उच्च श्रेणी के सभी सेवाओं जैसे चिकित्सा और कानून में जहाँ जिंदगियां दाँव पर लगी हों और जहाँ लोगों का जीवन उस पेशेवर के हाथ में होता हो उस पेशे में सर्वोच्च मानक की शिक्षा और प्रशिक्षण की जरूरत होती है। शिक्षक को तैयार करना एक ऐसा काम है जिसमें बहु-विषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की जरूरत पड़ती है। साथ ही इसके लिए सही सोच और मूल्यों की रचना और श्रेष्ठ मार्गदर्शक के निर्देशन में रहने की जरूरत होती है। शिक्षकों को भारतीय सिद्धांतों, मूल्यों, ज्ञान और परम्पराओं से जुड़े रहने के साथ साथ शिक्षा और शिक्षण शास्त्र के आधुनिक तरीकों से भी अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए।

यह दुःख की बात है कि व्यावसायीकरण ने शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र को साधारणता और अनियंत्रित भ्रष्टाचार से घेर लिया है। आजकल के ज्यादातर शिक्षक शिक्षा संस्थान छोटे निजी कॉलेज हैं जहाँ पर एकल और बहुत सीमित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। इनमें उस प्रतिबद्धता की कमी साफ दिखती है जो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की तैयारी में होनी चाहिए। AISHE 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 17000 से ज्यादा महाविद्यालय हैं जो एकल कार्यक्रम चलाते हैं और उनमें से 90% शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हैं। सुप्रीम

कोर्ट द्वारा बनायी जे. एस. वर्मा कमीशन (2012) के अनुसार देश में 10000 से भी अधिक केवल शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले संस्थान हैं जो ठीक से शिक्षक शिक्षा का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं और सिर्फ पैसों के लिए डिग्रियां बेच रहे हैं।

अब तक के नियामक प्रयास ना तो अनियंत्रित भ्रष्टाचार को कम कर पाए हैं और ना ही गुणवत्ता के मूलभूत मानकों को लागू कर पाए हैं। उत्कृष्टता और नवाचार पर इसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ा है। एक अच्छी शिक्षक शिक्षा व्यवस्था के लिए उनके मानकों में निरंतर बेहतरी, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, प्रभाव और गुणवत्ता का बहाल होना होगा। इसके लिए इस क्षेत्र और इसकी नियामक व्यवस्था में तुरंत कठोर कदमों द्वारा पुनरुद्धार की जरूरत है।

शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता की बहाली

हज़ारों “शिक्षक शिक्षा संस्थानों” के कारण शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता में गिरावट आयी है। ये संस्थान केवल व्यवसायिक रूप से चलते हैं और शायद ही शिक्षक शिक्षा में कुछ काम करते हैं। अगर शिक्षक शिक्षा में सुधार करना है, सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता को उस स्तर पर पहुंचाना है जहाँ पर शिक्षा के व्यवसाय की प्रतिष्ठा बहाल हो और एक सफल विद्यालय व्यवस्था स्थापित हो तो इन निम्न स्तर के संस्थानों को तुरंत बंद करना होगा और सकारात्मक उद्देश्य से काम करने वाले अच्छे संस्थानों को मजबूत करना चाहिए, जैसा कि सेक्शन 15.1 में व्याख्यायित है।

भ्रष्ट और दोयम दर्जे के “संस्थान” ना ही चलने चाहिए और ना ही इनको चलने देना चाहिए। उनको बंद कर देना चाहिए। नीति यह साफ़ शासनादेश देती है और इस बाद पर ज़ोर देती है कि अगर इसका विरोध होगा तो पूरी ऊर्जा और इच्छाशक्ति से करवाई होगी। इसको तुरंत लागू करना चाहिए क्योंकि इस मामले में देश का भविष्य दाँव पर लगा है। अगर हम ऐसे फर्जी महाविद्यालयों को काम करने देंगे तो हमारे विद्यालयों की बुनियादी मूल्यों को और शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता को बहाल नहीं किया जा सकेगा।

बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सक्षम शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में क्षमता और उच्च गुणवत्ता लाना

जैसा कि अध्याय 5 में वर्णित है, शिक्षक शिक्षा में बहुविषयक प्रक्रिया के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता की विषय वस्तु और शिक्षण शास्त्र के सम्मिश्रण की जरूरत है। इसकी पूर्ण प्राप्ति तभी होगी अगर सम्मिलित बहुविषयक संस्थानों द्वारा शिक्षक की तैयारी होगी।

हमारे शिक्षकों के लिए इस तरह की समग्र और परिपूर्ण शिक्षा मुहैया करवाने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उन्हें आगे चलकर इसी प्रकार की शिक्षा बच्चों को देनी है, इसलिए इन उच्च शिक्षा संस्थानों को खुद इस तरह की समग्र और बहुविषयक शिक्षा देने वाली जगह बनना पड़ेगा।

उच्च शिक्षण क्षेत्र में शिक्षा के सारे स्तरों और पाठ्यक्रम के सारे क्षेत्रों में शिक्षक की तैयारी के लिए एकीकृत कार्यक्रमों को शुरू करना चाहिए, जबकि सिंगल स्ट्रीम कार्यक्रम को धीरे-धीरे बंद करना चाहिए। सारे बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों के साथ में सारे सार्वजनिक क्षेत्र के विश्वविद्यालयों और सारे माडल बहुविषयक महाविद्यालयों को उत्कृष्ट शिक्षा विभाग स्थापित और विकसित करना चाहिए। शिक्षा में महत्वपूर्ण शोध के साथ साथ इसे एक बी एड कार्यक्रम भी चलाना चाहिए जो अन्य विभागों जैसे मनोविज्ञान, तर्क शास्त्र, समाज शास्त्र, तंत्रिका विज्ञान, भारतीय भाषाएं, कला, इतिहास और साहित्य और साथ ही साथ अनेक विशिष्ट विषय जैसे विज्ञान और गणित के सहयोग से होना चाहिए। इसके साथ साथ, वर्तमान के सारे मौजूदा वास्तविक शिक्षक शिक्षा संस्थानों को 2030 तक बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान बनाने का लक्ष्य होगा। यह शिक्षक शिक्षा में एक मुख्य परिवर्तन है और आधुनिक शिक्षा की बहुविषयक जरूरतों के अनुसार व्यवस्था में उच्च गुणवत्ता लाएगा।

15.1. शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में सत्यनिष्ठा की बहाली

P15.1.1. दोगम और खराब शिक्षक शिक्षा संस्था को बंद करना: यम और खराब TEIs जो मौलिक शैक्षिक मापदंडों पर खरे नहीं उतरते, उनको बंद कर देना चाहिए। इस प्रयास को MHRD मिशन के रूप में एक मजबूत राजनैतिक इच्छाशक्ति, सकारात्मक प्रशासनिक सोच और प्रभावी रणनीति के साथ लागू करेगी। सभी TEIs अपने कार्यक्रमों के अनुमोदन की मूल शर्तों की अनुपालना के प्रति जबाव देह होंगे। उनको सुधार करने के लिए एक वर्ष दिया जाएगा। यदि इसके बाद कोई ऐसा संस्थान पाया गया जो उपरोक्त सुधार नहीं कर पाया, उसे बंद कर दिया जाएगा। हमें कुछ मजबूत कानूनी नियम बनाने होंगे जिनकी मदद से इन सुधारों को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

वर्ष 2023 तक भारत में शिक्षक की तैयारी के लिए केवल अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम ही चलेंगे जो कि शिक्षकों को पेशेवर रूप से सक्षम बनाएँ और बाकी सारे बंद हो जायेंगे।

P15.1.2. शिक्षक शिक्षा क्षेत्र को कचरामुक्त करने की प्रक्रिया की गहन निगरानी और समीक्षा: इस विशाल कचरामुक्ति के लिए हमें एक अर्ध-न्यायायिक निकाय स्थापित करना होगा। हर तीन महीने में NHERA और छ महीने में RSA इस प्रक्रिया के प्रगति की समीक्षा करेगी।

15.2. शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में लाना

आजकल छात्रों को उपलब्ध शिक्षा की गुणवत्ता सम्बंधित ज्यादातर परेशानियों की वजह दशकों से चलती आ रही शिक्षक शिक्षा की उपेक्षा है। ज्यादातर शिक्षक तैयारी हेतु कार्यक्रमों में दृष्टिकोण और क्षमता संवर्धन पर कम काम होता है। पाठ्यक्रम और कक्षा

कक्ष प्रक्रियाएँ पुराने ढंग की हैं और विद्यालयों की वास्तविकता और उनमें पढ़ने वाले बच्चों से दूर हैं। शिक्षक शिक्षा संस्थानों के शिक्षक शोधकर्ताओं और शिक्षकों के बड़े समुदाय से ज्यादातर कटे रहते हैं।

शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति को शैक्षिक दृष्टिकोण, विषय और थियोरी और प्रैक्टिस में जुड़ाव स्थापित करने वाला होना चाहिए। शिक्षकों का शिक्षा के इतिहास, उद्देश्य और सामाजिक व नैतिक संबंध से गहन जुड़ाव होना होगा। उन्हें विषय की वैचारिक समझ और इसे कैसे सिखाया जाये, यह सीखने की समझ के अलावा बच्चे के विकास और सीखने के सामाजिक संदर्भ जैसे विषयों की महत्व को पहचानने की ज़रूरत होगी।

एक शिक्षक की तैयारी के लिए पर्याप्त समय और स्थान की ज़रूरत होती है जिसमें शैक्षिक दृष्टिकोण, विषय और शिक्षणशास्त्र की समझ के साथ साथ एक शिक्षक की पहचान भी विकसित हो। इसके लिए सैद्धांतिक ज्ञान को प्रैक्टिस से जोड़ने हेतु लगातार अभ्यास की आवश्यकता होती है। दो बातें अनिवार्य हैं – पहली, अभ्यास विभिन्न प्रकार का होना चाहिए और दूसरा, सैद्धांतिक ज्ञान से उसके जुड़ाव की चर्चा अवश्य है। यह सबसे अच्छे तरीके से एक बहुविषयक शैक्षिक वातावरण में हो सकता है।

एक अच्छी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा से जुड़े हर क्षेत्र में विशेषज्ञता की ज़रूरत है। प्रारंभिक शिक्षा में विशेषज्ञता, विषयों के शिक्षणशास्त्र, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम की समझ और शिक्षा सामग्री बनाना, स्कूल नेतृत्व व प्रबंध के अलावा मनोविज्ञान, तर्क शास्त्र, समाज शास्त्र, भारत के बारे में ज्ञान और शिक्षा के इतिहास में विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है। संस्थानों को शिक्षक की अच्छी तैयारी के लिए शिक्षक शिक्षा के अलावा सभी विषयों के लिए शिक्षक और अलग अलग कार्यक्रमों को उपलब्ध कराना चाहिए।

ऐसे संस्थान जहाँ पर केवल शिक्षक शिक्षा ही दी जाती है, वो ऐसे वैविध्यपूर्ण हुनरमंद लोगो को तैयार नहीं कर सकते जो कि एक अच्छी शिक्षक शिक्षा के लिए ज़रूरी है। कुल मिलकर बात यह है कि शिक्षक शिक्षा में शिक्षक सिर्फ पाठ्यपुस्तकों का रटत शिक्षण नहीं कर सकते (जो कि आजकल ज़्यादातर होता है) बल्कि उनके पास विषय की गहन समझ के साथ शिक्षण के मज़बूत और सकारात्मक अनुभव भी होने चाहिए।

P15.2.1. शिक्षक की तैयारी के कार्यक्रमों को उच्च शिक्षा की बहुविषयक संस्थानों में लाना; शिक्षण विभाग बनाना और HEIs और स्कूल/स्कूल कॉम्प्लेक्सेस में संपर्क बनाना: जैसा सेक्शन P5.5 में वर्णित है कि 2030 से स्कूल शिक्षक बनने के लिए चार वर्षीय समंवित बीएड डिग्री न्यूनतम योग्यता होगी। अब से सारे सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम केवल उच्च शिक्षा के बहुविषयक संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। यह संस्थान शिक्षण पेशे की आधुनिक ज़रूरतों को पूरा करें और शिक्षकों को उत्कृष्ट शिक्षक बनने के लिए जरूरी बहुविषयक अनुभव और शिक्षण देंगे।

उच्च शिक्षा की बहुविषयक संस्थान उच्च गुणवत्ता के शिक्षण विभाग और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को बनाने के लिए कार्य करेंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरत अनुसार सरकार का सहयोग होगा। HEIs यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षा और इससे सम्बन्धित विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ उपलब्ध हों। प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान के पास सरकारी, गैर-सरकारी स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्सेस का एक नेटवर्क होगा जिसके साथ वे करीब से काम करेंगे और जहाँ पर भावी शिक्षक शिक्षा अभ्यास करेंगे (दूसरी सहायक गतिविधियों के साथ-साथ जो HEIs और स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के बीच में हो रही होगी जैसे समुदाय में काम, प्रौढ़ और व्यवसायिक शिक्षा आदि)। इस तरह के HEIs समग्र शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम विकसित करेंगे जो कि शिक्षा और विषय विशेष सम्बंधित विषय की अकादमिक समझ पर आधारित होंगे। शिक्षा में अद्यतन शिक्षणशास्त्र के अलावा पाठ्यचर्या समाज-शास्त्र, इतिहास, साहित्य, विज्ञान, दर्शन -शास्त्र, मनोविज्ञान, प्रारंभिक शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, भारत के बारे में ज्ञान और भारतीय मूल्यों/व्यवहार/कला/संस्कृति आदि की बुनियादी समझ पर आधारित होगा।

2030 तक सारे शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम कराने वाले HEI बहुविषयक होंगे और चार वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम उपलब्ध करायेंगे। यह चार वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम 'ड्यूल-मेजर-लिबरल-बैचलर्स-डिग्री' शिक्षा और कुछ विशेष विषयों (जैसे भाषा, इतिहास, संगीत, गणित, कम्प्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि) में होगा।

सारे HEIs जो अभी दो वर्षीय कार्यक्रम और डिप्लोमा कार्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं उनको चार वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम की बहुविषयक संस्थानों में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

जैसा P5.5.2 में वर्णित है, प्रत्येक HEI जो चार वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम उपलब्ध कराते हैं वो उन मेधावी छात्रों के लिए जिन्होंने पहले ही स्नातक डिग्री प्राप्त कर ली है और शिक्षण करना चाहते हैं, उनके लिए अपने परिसर में ही दो वर्षीय बी एड कोर्स का निर्माण करेंगे। इसके HEI विशिष्ट रूप से शिक्षित व्यक्तियों, जिनके पास शिक्षण में अनुभव और रुचि है, उनके लिए अन्य विशेष और ज्यादा व्यक्तिगत बीएड कार्यक्रमों का निर्माण कर सकते हैं।

P15.2.2. सेवा पूर्व शिक्षक की तैयारी हेतु कार्यक्रमों में प्रवेश: HEI की सारी प्रवेश प्रणालियों की तरह सेवा पूर्व शिक्षक की तैयारी हेतु कार्यक्रमों में भी ज्यादातर प्रवेश नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा कराये विषय और ऐपटीट्युड टेस्ट पर आधारित होगा। यह प्रक्रिया बोर्ड परीक्षा को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से अलग रखने के लिए की जाएगी। हालांकि प्रवेश का पूर्ण मापदंड और प्रक्रियाएं उन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों पर छोड़ दी जाएगी जो ये कार्यक्रम उपलब्ध करायेंगे।

P15.2.3. नए शिक्षकों के निर्माण हेतु पर्याप्त व्यवस्था करना: एक तरफ शिक्षक की तैयारी के लिए 4 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम में मूलभूत परिवर्तन और दूसरी ओर खराब संस्थानों को बंद करने के लिए नए शिक्षकों के निर्माण हेतु पर्याप्त व्यवस्था करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस क्षेत्र में पर्याप्त सरकारी निवेश की ज़रूरत होगी और प्राथमिकता के आधार पर दस वर्ष तक सालाना एक आकलन किया जाएगा। प्रत्येक सरकारी विश्वविद्यालय (2024 तक) और माडल बहुविषयक महाविद्यालय (2029 तक) शिक्षकों के निर्माण हेतु चार वर्षीय कार्यक्रम उपलब्ध करायेंगे। RSA की बनाई गयी विशेष योजनाओं के द्वारा फिलन्थ्रोपिक प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा।

P15.2.4. स्वतंत्र शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदलना: 2030 तक सारे स्वतंत्र TEIs को बहुविषयक संस्थानों में बदलने की ज़रूरत है क्योंकि

ये संस्थान शिक्षक की तैयारी के लिए चार वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम उपलब्ध करायेंगे।

15.3. विश्वविद्यालयों में शिक्षा के विभाग

शिक्षण के अलावा विश्वविद्यालयों में शिक्षा के विभागों में नवाचार और शोध को मज़बूत और विकसित करने की ज़रूरत होगी। ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और विश्वविद्यालयों में शिक्षा के विभागों को इसके लिए तैयार करना होगा जिससे वे हर विषय में शिक्षा के कार्यक्रमों को मज़बूती प्रदान करने के लिए एक मुख्य भूमिका निभाएंगे। यह कार्य वह अन्य संबन्धित विभागों के साथ सार्थक संबंध बनाकर करेंगे।

वे स्कूलों के सेवा-पूर्व प्रशिक्षण और शिक्षकों के सेवारत (CPD) प्रशिक्षण के साथ साथ उच्च शिक्षा में शिक्षकों की आवश्यकता पूरी करेंगे। वे शिक्षक शिक्षा के शिक्षकों को भी तैयार करेंगे जो कि एक महती ज़िम्मेदारी है।

इन विभागों में शिक्षकों का रूप बहुविषयक होगा और शोध व प्रकाशन में इनकी अच्छी उपलब्धियां होंगी। इन विभागों को स्नातकोत्तर और शोध डिग्रियों में अलग अलग विशेषज्ञता उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे अलग-अलग निपुणता को दे सकें। इन केन्द्रों को अभ्यासरत शिक्षकों के लिए ऐसे कार्यक्रम उपलब्ध कराने चाहिए जो समंवित और अंशकालिक हों, जिससे अभ्यासरत शिक्षक उच्च शिक्षण शिक्षा को प्राप्त कर सकें और उनके लिए व्यावसायिक लचीलापन हो। उनको शिक्षक के सेवारत CPD प्रशिक्षण और नए शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक कोर्स और गतिविधियों का निर्माण करना चाहिए।

P15.3.1. विश्वविद्यालयों में डिपार्टमेंट/ सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस इन एजुकेशन:

प्राथमिकता के अनुसार शिक्षक शिक्षा में सरकारी निधिकरण को बढ़ा दिया जाएगा। रुचि रखने वाले सारे विश्वविद्यालयों में डिपार्टमेंट/ सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस इन एजुकेशन स्थापित किया जाएगा और इन केन्द्रों की स्थापना भविष्य में स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों और शिक्षक शिक्षा में शिक्षकों की अनुमानित संख्या पर आधारित होगी। इन शिक्षा के विभागों का

उद्देश्य होगा कि वे शिक्षकों के लिए दोनों- सेवा पूर्व और सेवारत- में शिक्षक की उच्च तैयारी हेतु कार्यक्रम उपलब्ध करायेंगे। साथ ही शोधकर्ता और उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए शोध कार्यक्रम उपलब्ध करायेंगे। शिक्षक की तैयारी के लिए शिक्षा के विभाग, विश्वविद्यालय के विभागों के साथ और अपने आस पास के स्कूलों के साथ, जहाँ पर प्रशिक्षु शिक्षक शिक्षा अभ्यास कर सकें, सहयोगपूर्ण संबंध बनायेंगे।

P15.3.2. शिक्षक शिक्षा के लिए क्षमता संवर्धन योजना: RSA द्वारा तुरंत एक सुनियोजित और व्यापक योजना का निर्माण किया जाएगा। फिर हर पांच वर्ष में केंद्र और राज्य सरकार शिक्षक और शिक्षक शिक्षा संकाय की मांग और आपूर्ति की समीक्षा करेंगे। शिक्षकों की गिनती के अनुमान में यह भी देखा जाएगा कि सारे स्कूलों में कितने विषय के शिक्षक और स्पेशल शिक्षकों की ज़रूरत है। इसके अनुसार उन विश्वविद्यालयों और स्वायत्त महाविद्यालयों की गिनती निर्धारित होगी जो चार वर्षीय बीएड कार्यक्रम उपलब्ध करायेंगे।

P15.3.3. शिक्षक शिक्षा संकाय: डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन विभिन्न शिक्षकों को सम्मिलित करेगा जो शिक्षक की तैयारी में अलग-अलग विशेषज्ञता रखते हों। जिनको शिक्षा का ज्ञान और अनुभव हो, समाज, शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान की प्रकृति और समावेशन, शिक्षण शास्त्र, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के ज्ञान का बहुविषयक दृष्टिकोण हो। शिक्षकों का शोध, प्रकाशन, फील्ड एक्शन, स्कूल और शिक्षण के साथ जुड़ाव में एक अच्छा ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए। विभागों को ऐसे शिक्षक तैयार करने चाहिए जो कि उन अलग अलग विशेषज्ञता और पारंगतता में संतुलन बना सके जिनसे ऐसे बहुमुखी प्रतिभाशाली शिक्षक (आल राउंड टीचर) विकसित हो सके जो संवैधानिक मूल्यों से जुड़े हो, जिनमें सैद्धान्तिक ज्ञान और दृष्टिकोण की मज़बूत पकड़ हो और नए दृष्टिकोणों को अपनी कार्यप्रणाली में शामिल करने का तजुर्बा होगा।

P15.3.4. आनलाइन एजुकेशन: डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन को समंविता और अंश कालिक कार्यक्रम उपलब्ध कराने चाहिए जिससे अभ्यासरत शिक्षक उच्च शिक्षण शिक्षा को प्राप्त कर सकें और उनके लिए पेशेवर लचीलापन भी हो। उन्हें सेवारत शिक्षकों के लिए और नए शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक कार्यक्रम,

कोर्स और गतिविधियों का निर्माण करना चाहिए। सभी कोर्स को पूर्णकालिक के अलावा अंश कालिक, सायं कालिक, समंवित्र और ऑनलाइन भी अवश्य उपलब्ध होना चाहिए। शिक्षा विभाग में सेवारत शिक्षकों को एक अहम लक्षित विद्यार्थियों के समूह के रूप में देखना चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण होना चाहिए जो इन लोगों के शोध और उच्च शिक्षण रुचि के लिए विकसित करें। यह आनलाइन तथा नियमित कोर्स के रूप में उपलब्ध कराये जायेंगे।

P15.3.5. शोध आधारित शिक्षक की तैयारी: डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन ऐसे शोध समूहों को प्रोत्साहित करेंगे जो फील्ड में काफी शोध करे। सारे शिक्षक समूह शोध में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे। शिक्षण शोध, बच्चे कैसे सीखते हैं, शिक्षक की तैयारी और गुणवत्ता पूर्ण सीखने में स्कूल कैसे काम करते हैं, जैसी प्रक्रिया में पिछले तीस सालों में महत्वपूर्ण विकास हुए हैं।

ये सब अन्तराष्ट्रीय शोध कई ऐसे नवाचारी ज़मीनी प्रयोग का ही नतीजा है। इनमें से ज़्यादातर भारत से ही जुड़े हुए हैं। यदि हम एक बेहतर शिक्षक बनाना चाहते हैं तो प्रशिक्षु शिक्षकों को एक गहन समझ और समृद्ध प्रैक्टिस सिखाने के लिए उनको दी जाने वाली शिक्षा के अन्दर इन सभी बेहतरीन विमर्शों और ज़मीनी प्रयोगों, विश्वस्तर पर हुए बेहतरीन कामों को और साथ ही साथ भारतीय नवाचार और कोशिशों-को शामिल करना पड़ेगा। यह अच्छा होगा कि शिक्षक की तैयारी शोध और फील्ड एक्शन के क्षेत्रों में हो। इन केन्द्रों में ज्ञान और प्रैक्टिस के लिए शोध और नवाचार का एक जीवंत वातावरण उपलब्ध होगा। शोध आधारित शिक्षा और विशेषज्ञता यह सुनिश्चित करेगी कि ज्ञान और प्रैक्टिस समकालीन और स्कूलों तथा उच्च शिक्षा की आवश्यकता के अनुसार होगी।

P15.3.6. स्पेशल विषयों के लिए अंतर विभागीय सहयोग: विश्वविद्यालयों में कला, ललित कला, निष्पादन कलाएँ और लोक कला के विभागों को डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन के साथ मिलकर शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम बनाने और उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जब तक शिक्षक शिक्षा का यह क्षेत्र शिक्षा में विशेषज्ञता के रूप में नहीं उभरता, तब तक कला और ललित कला के विभागों को शिक्षक की तैयारी से सम्बंधित कार्यक्रमों के बनाने में

योगदान देने की ज़रूरत होगी। मास्टर इन एजुकेशन कार्यक्रम के साथ साथ स्नातकोत्तर कार्यक्रम में शिक्षा में विशेषज्ञता और कला में शोध कार्यक्रम को स्थापित किया जाएगा।

विषय के शिक्षक, विशेषज्ञ शिक्षक और विशेष विषय के शिक्षकों की स्तारानुसार तैयारी के लिए भी इसी प्रकार के बहुविषयक विभागीय संबंध की ज़रूरत है। विश्वविद्यालय प्रबंधन को इस प्रकार के अंतर विभागीय सहयोग का बढ़ावा देना चाहिए।

P15.3.7. स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रम: एम ए इन एजुकेशन (शोध) और पीएचडी कार्यक्रमों में शोध और शिक्षा में उच्च अकादमिक डिग्री के द्वारा विश्वविद्यालय को शिक्षा, शिक्षण शास्त्र और शिक्षा के अलग अलग पहलुओं जैसे समता, पिछड़ेपन के मुद्दे, अर्थशास्त्र, शिक्षा का वित्तीय प्रावधान, नीति और प्रबंधन और नेतृत्व संबंधित ज्ञान को विकसित किये जाने की ज़रूरत होगी।

एम ए इन एजुकेशन अपनी अलग अलग विशेषज्ञताओं के साथ, पेशेवर और उन शोधकर्ताओं के लिए जो शिक्षा के अलग अलग क्षेत्र- जिनमें विभिन्न पाठ्यक्रम संबंधी क्षेत्र जैसे शिक्षाशास्त्रीय अध्ययन, मूल्यांकन और आकलन, स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन, नीति अध्ययन, शिक्षा के बुनियादी क्षेत्र जैसे मनोविज्ञान, समाज-शास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र, शिक्षा का वित्तीय प्रबंधन, तुलनात्मक और अन्तराष्ट्रीय शिक्षा, ICT और शिक्षा शामिल है, उनके विकास को समर्थ करेगा।

15.4. शिक्षक शिक्षा के शिक्षक

शिक्षक शिक्षा के शिक्षकों के लिए बनाए कार्यक्रम को जितने प्रकार के बहुविषयक दृष्टिकोण हो सकते हैं उनको शामिल करना चाहिए

एक ऐसे शिक्षक की ज़रूरत होगी, जिनकी पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र, शिक्षा तकनीकों के बुनियादी क्षेत्र और शिक्षक शिक्षा शोध के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता हो। इनके साथ में विज्ञान शिक्षण, मानव विकास, भाषा शास्त्र, संज्ञानात्मक अध्ययन, मनोविज्ञान आदि विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर और पीएचडी डिग्री किए हुए शिक्षक नियुक्त किए जायेंगे।

शिक्षण अभ्यास, फील्ड स्टेशन में शोध अभ्यास, शिक्षा के अन्तराष्ट्रीय पीयर रिव्यूड जर्नल और सम्बंधित विषयों में प्रकाशन कुछ और महत्वपूर्ण कौशल और दक्षताएं हैं जो एक अच्छे शिक्षा के विभाग में सर्वगुण सम्पन्न शिक्षक बनाने की ओर ले जाएंगी।

P15.4.1. संकाय सदस्यों की तैयारी: स्कूल के लिए शिक्षक की तैयारी हेतु शिक्षण कार्यक्रमों का एक विस्तृत दायरा सारे स्तर और विषयों में संकाय की एक विशिष्ट विशेषज्ञता को दर्शाता है। ऐसी नामी संस्थान जो अन्तराष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरती हैं, उनमें पी.एच.डी इन एजुकेशन और कई सम्बंधित विषयों जैसे विज्ञान शिक्षा, गणित शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल विकास, समाजशास्त्र, भाषा शास्त्र आदि में पीएचडी करने वालों को इस पेशे में आने और शिक्षक शिक्षा के शिक्षकों को सीखने में योगदान के लिए प्रोत्साहित किया जाना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनमें से कुछ के पास पढ़ाने की विशिष्टता तो है पर शिक्षक की तैयारी के लिए अभ्यास नहीं है, उन शिक्षक सदस्यों के लिए शिक्षण का दायित्व लेने से पहले इंडक्शन और ओरिएंटेशन कोर्स उपलब्ध कराये जायेंगे। हर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को अपने शिक्षकों के लिए यह इंडक्शन कार्यक्रम बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा, जिसे वे अनुभवी संकाय सदस्यों द्वारा संचालित करायेंगे।

P15.4.2. संकाय सदस्यों की प्रोफाइल: डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में शिक्षक सदस्यों की प्रोफाइल को आवश्यक रूप से वैविध्यपूर्ण होना चाहिए। सभी को पी.एच. डी की ज़रूरत नहीं होगी लेकिन शिक्षण और फील्ड रिसर्च के अभ्यास

को अत्यधिक मूल्यवान माना जाएगा। वह शिक्षक जो स्कूल शिक्षा सम्बन्धित सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र (जैसे मनोविज्ञान, बाल विकास, भाषा शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र/राजनैतिकशास्त्र) में प्रशिक्षित हैं और जो विज्ञान शिक्षा, गणित शिक्षा, सामाजिक विज्ञान शिक्षा और भाषा शिक्षा कार्यक्रमों में प्रशिक्षित हैं, उनको शिक्षक शिक्षा संस्थानों में आकर्षित किया जाएगा और उन्हें सेवा में बने रहने दिया जाएगा। यह शिक्षकों की बहुविषयक शिक्षा और वैचारिक विकास को प्रबल करेगी। यह अपेक्षित है कि ऐसे कम से कम 50 प्रतिशत के पास बच्चों और शिक्षकों के साथ शोध/काम करने का अनुभव हो। यह भी अपेक्षित है कि शिक्षक के पास दोनों में से कम से कम एक एजुकेशन में डिग्री हो (एम एड या स्नातकोत्तर डिग्री या पीएचडी इन एजुकेशन) हालांकि यह आवश्यक नहीं होगा। डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन का फोकस एक बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न शिक्षकों का निर्माण करना होगा जिनमें विभिन्न आनुभव और विशिष्टाएँ होंगी।

15.5. उच्च शिक्षा में शिक्षक

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक सदस्यों की शिक्षा के विकास, पाठ्यक्रम, शिक्षणशास्त्र और विषयों का मूल्यांकन में यह अवसर देने की आवश्यकता है जिनसे वे अपनी समझ विकसित कर सकें। आधुनिक शिक्षक के तौर तरीकों और शिक्षण के विभिन्न संसाधनों के इस्तेमाल के बारे में उनको बताना और सिखाना होगा।

उच्च शिक्षा में संकाय सदस्यों के कुछ ज़रूरी योगदान जो उनके लिए सहायक होंगे: अपने विषय की संरचना और विषय वस्तु की गहन समझ होना जिनसे वे यूनिट और पाठ का निर्माण करेंगे; विषय वस्तु का चयन और आयोजन और सीखने के अनुभव; शिक्षा में ICT को लाना, सहयोगपूर्ण और समूह, प्रमाणिक नामांकन प्रणाली का निर्माण और शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त शिक्षण अनुभवों का निर्माण।

शिक्षक सदस्यों को कक्षा कक्ष में सामाजिक विविधताओं को समझने और समावेशी शिक्षण प्रक्रिया के निर्माण की जरूरत है।

P15.5.1. पी.एच.डी कार्यक्रमों के दौरान शिक्षणशास्त्र से परिचित करवाना:

पीएचडी में नवागंतुकों को (किसी भी विषय के हों) 8 क्रेडिट कोर्स लेना ज़रूरी होगा। यह कोर्स उनके पीएचडी काल में उनके पीएचडी विषय से संबंधित शिक्षण/शिक्षा/शिक्षणशास्त्र में होंगे।

यह अपेक्षित है कि उनको शिक्षणशास्त्रीय प्रक्रियाएं, पाठ्यक्रम निर्माण, प्रमाणिक नामांकन व्यवस्था, आदि से रुबरू कराया जाए क्योंकि बहुत से शोध विद्वान आगे चल कर शिक्षक सदस्य बनेंगे। उनके पास जरूरी रूप से वास्तविक शिक्षण में न्यूनतम घंटों का अनुभव होना चाहिए जो उन्हें टीचिंग असिस्टेंटशिप और अन्य तरीकों से प्राप्त होंगे। देशभर के विश्वविद्यालयों के पीएचडी कार्यक्रमों को इस कार्य के लिए पुनः स्थापित किया जाएगा। पीएचडी छात्रों के लिए यह अवसर बनाये जायेंगे कि वे शिक्षक सदस्यों के लिए सहायक शिक्षक बने और यह उनके पीएचडी कार्यक्रमों का हिस्सा होगा।

P15.5.2. शिक्षा के विभागों में मानव संसाधन विकास केंद्र और शिक्षकों का सतत

व्यवसायिक विकास (CPD): HRDC में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए सेवारत CPD चलता रहेगा। लेकिन किसी बाहरी संस्थान के बजाय इन केन्द्रों को पूरी तरीके से उन विश्वविद्यालयों में सम्मिलित कर दिया जाएगा जो अभी उन्हें आयोजित कर रहे हैं। अगर कहीं पर शिक्षा का विभाग है, तो HRDC उसी का हिस्सा बन जाएगा नहीं तो वह शिक्षा के विभाग के लिए एक शुरुआत का काम करेगा। सभी HRDC में एक समन्वय प्रणाली बनायी जाएगी जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विश्वविद्यालय व्यवस्था के सभी शिक्षक किसी न किसी HRDC में वो कोर्स कर सकें जो वो करना चाहते हैं। RSA द्वारा एक योजना अभ्यास के बाद HRDC की संख्या बढ़ा दी जाएगी। HRDCs की वित्तीय सहायता दो अलग अलग भागों में उपलब्ध कराई जाएगी: 1) विश्वविद्यालय के बजट हिस्से में केंद्र और कर्मचारियों की वित्तीय सहायता 2) शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में वित्तीय सहायता। HRDCs को यह अनुमति दी जाएगी कि वे निजी क्षेत्र में शिक्षक की तैयारी और विकास हेतु प्रबंध करेंगे।

P15.5.3. शिक्षकों के कार्य और उच्च शिक्षा के शिक्षक सदस्यों पर निरंतर ध्यान:

शिक्षकों से यह अपेक्षित है कि वे बदलावों का नेतृत्व करेंगे और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के लिए सहायक होंगे, तो किसी भी मुद्दे और कठिनाई को तुरंत संबोधित करना होगा। केंद्र और सभी राज्य सरकारों में से एक वरिष्ठ विभागीय अधिकारी जो सयुक्त सचिव के दर्जे के नीचे का न हो, वह शिक्षकों के मुद्दों को संबोधित करेंगे। वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षक सुचारु रूप से काम करें। शिक्षक RSA या समकक्ष राज्य संस्थानों में अपनी शिकायतों को आगे बढ़ा सकेंगे। इसका यह उद्देश्य होगा कि शिक्षक, शिक्षक अध्यापक और सारे उच्च शिक्षा के शिक्षक- जिनके कार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र में हैं, उनमें कभी बाधा न आये और इसमें निरंतर नवाचार और वृद्धि आती रहे।

अध्याय 16

पेशेवर शिक्षा

उद्देश्य:

पेशेवर शिक्षा का उद्देश्य एक समग्र दृष्टिकोण का निर्माण करना जो व्यापक आधार वाली दक्षताओं और २१वीं सदी के लिहाज़ से ज़रूरी कौशलों, सामाजिक-मानवीय संदर्भों की समझ और मजबूत नैतिक आदर्श के साथ-साथ उत्कृष्ट पेशेवराना क्षमताओं के विकास को सुनिश्चित करना होना चाहिए।

पेशेवर शिक्षा का प्रयास होना चाहिए कि वह व्यक्तियों में इन क्षमताएं को विकसित करे – सैद्धांतिक ज्ञान के मजबूत आधार के साथ-साथ विशिष्ट दक्षताओं का मिश्रण; सिद्धांतों को प्रैक्टिस के साथ जोड़ पाने की क्षमता; यह समझ कि उनका व्यवसाय किस प्रकार समाज को प्रभावित करता है और उससे स्वयं प्रभावित भी होता है; सामान्य दक्षताएं जैसे निर्णय लेना, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या –समाधान, सम्प्रेषण; एवं नैतिक समझ और रचनात्मकता तथा योगदान देने वाले नागरिक बनने की प्रवृत्ति का विकास। इस लक्ष्य को पाने के लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि पेशेवर शिक्षा को लिबरल शिक्षा के साथ एकीकृत किया जाए।

भारत में, कृषि, कानून, स्वास्थ्य, तकनीकी आदि क्षेत्रों में पेशेवर शिक्षा अमूमन, विषय-विशेष में और सामान्य उच्च शिक्षा से अलग-थलग रूप में दी जाती है। हर राज्य में तकनीकी विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं जो अपने विषय से सम्बंधित पेशेवर शिक्षा देने वाले कॉलेजों को सम्बद्धता प्रदान करते हैं और अलग विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के कारण यह अलगाव और भी गहरा हो जाता है। हालाँकि पेशेवर शिक्षा के प्रयास इस पर केन्द्रित रहते हैं कि छात्र नौकरियों के लिए तैयार हो सकें लेकिन रोजगार की योग्यता के रूप में जो परिणाम हैं वे संतोषजनक नहीं रहे हैं।

पेशेवर शिक्षा को पेशेवर प्रैक्टिस से भी अलग किया जाना चाहिए | उदाहरण के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेशेवर प्रैक्टिस के लिए, चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी पेशेवरों के ज्ञान को नियमित तौर पर नवीनीकृत करने एवं इलाज की प्रक्रियाओं और नियमों के पालन के संबंध में एक 'प्रोफेशनल निकाय' द्वारा निगरानी रखी जाती है। लेकिन MCI, INC, DCI एवं अन्य पेशेवर परिषद् जो कि पेशेवर प्रैक्टिस को विनियमित करती है, उन्ही के द्वारा पाठ्यचर्या का निर्धारण एवं पेशेवर शिक्षा का विनियमन किया जाना एक तरह की विसंगति है जिसे जल्द दुरुस्त किया जाना चाहिए |

- पेशेवर परिषद् को अपनी भूमिका को PSSB (देखें P18.3.1) तक सीमित रखना चाहिए |
- पाठ्यचर्या, शिक्षणशास्त्र आदि अकादमिक मसलों की ज़िम्मेदारी, पेशेवर शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को दे दी जानी चाहिए |
- अन्य जिम्मेदारियां जैसे गवर्नेंस, विनियमन, प्रमाणन एवं फंडिंग को सामान्य शिक्षा के अनुरूप किया जाना चाहिए | RSA(देखें Chap 23), NHERA, NAAC, HEGC की भूमिका को बढ़ाया जाना चाहिए जिसमें पेशेवर शिक्षा भी शामिल हो।

देश में पेशेवरों की भारी कमी है, विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में | यह महत्वपूर्ण है कि सावधानी पूर्वक एकत्रित किये गए आंकड़ों के माध्यम से नियमित तौर पर , उच्च शिक्षा के विभिन्न अनुशासनों में पेशेवरों की आवश्यकता की जानकारी जुटाई जाए और उसके अनुसार शैक्षिक संस्थानों की क्षमता को बढ़ाया जाये | पेशेवर शिक्षा के मुख्य क्षेत्रों जैसे कृषि ,कानूनी शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा में बदलाव की योजना बनाने के लिए अलग समितियों का गठन किया जाना चाहिए |

इस नीति में, जो निर्धारित सामान्य सिद्धांत, समग्र भाव और दृष्टिकोण उच्च शिक्षा के सुधार के बारे में है वही पेशेवर शिक्षा पर भी लागू होंगे | पेशेवर शिक्षा के साथ सामान्य शिक्षा के जुड़ाव के संबंध में नीतिगत पहलकदमियां और पेशेवर शिक्षा के हर क्षेत्र से सम्बंधित विशेष सुधार निम्नलिखित हैं:

16.1. पूर्व स्नातक शिक्षा

सभी पेशों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं और कुछ ऐसे भी जो उस पेशे की प्रैक्टिस के सन्दर्भ विशेष से जुड़े होते हैं। पेशेवर शिक्षा का समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव, इसके माप के अनुपात में काफी बड़ा होता है। समाज, पर्यावरण, मानवाधिकार और नैतिकता की हमारी समझ में बदलाव के कारण, सभी पेशों की प्रैक्टिस के सन्दर्भ भी लगातार पुनः परिभाषित हो रहे हैं। इसी के साथ-साथ विज्ञान और तकनीकी की बढ़ती गति के साथ पेशों में काफी विविधता आ रही है और नए पेशे विकसित हो रहे हैं। पूर्व-स्नातक पेशेवर शिक्षा को इस चुनौती के लिए तैयार होना होगा।

P16.1.1. पेशेवर शिक्षा का उच्च शिक्षा के साथ एकीकरण: समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बड़े प्रभाव के कारण पेशेवरों की शिक्षा में यह शामिल होना चाहिए: (i) लोक प्रयोजन के महत्व और नैतिकता की शिक्षा (ii) किसी पेशे की शिक्षा और उस पेशे के उद्देश्यों को प्राप्त करने में पेशेवर की भूमिका की शिक्षा (iii) पेशेवर प्रैक्टिस के लिए शिक्षा

यह प्रयोजन बेहतर तरीके से पूरा तभी हो सकता है जब पेशेवर शिक्षा देने वाले संस्थानों को उच्च शिक्षा के व्यापक तंत्र का हिस्सा बनाया जाये, वे अलग थलग न बने रहें। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को, जिनमें पेशेवर शिक्षा देने वाले संस्थान भी शामिल हैं, उनके द्वारा प्रस्तावित कोर्सेज के विषयक्षेत्र को व्यापक बनाने में सशक्त किया जायेगा ताकि प्रत्येक संस्थान एक बहु-अनुशासनीय संस्था बन सके जो विविध प्रकार के कोर्स चलाये।

P16.1.2. पेशेवर अनुशासनों में एकीकृत शिक्षा: सभी नए AUs ऐसे एकीकृत विश्वविद्यालय होंगे जो कृषि के परस्पर सम्बंधित पहलुओं पर शिक्षा प्रदान करेंगे, इनमें शामिल हैं बागवानी, पशुपालन, कृषि वानिकी, मत्स्यपालन, भोजन उत्पादन इत्यादि। मौजूदा AUs को जहाँ तक संभव हो सके एकीकरण करना चाहिए। प्रशिक्षण, बिज़नेस इन्क्यूबेशन, नए व्यवसाय स्थापित करने आदि के संबंध में सभी AUs को प्रासंगिक राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों के साथ मजबूत संपर्क बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि छात्रों की सोच और कौशलों की सीमाओं

का विस्तार हो सके। तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए भी इसी दृष्टिकोण को अपनाया जायेगा। उदाहरण के लिए आर्किटेक्चर के कार्यक्रम के मौजूदा ढांचे में, जहाँ उपयोगितावाद और समस्या-समाधान हावी है को बदल कर एक अंतरविषयी दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा जिसमें नगर नियोजन, सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र शामिल रहेगा। इसका उद्देश्य यह होगा कि भावी आर्किटेक्ट को इस प्रकार तैयार किया जाये कि वे तकनीकी कारणों और रहने की जगह को लेकर लोगों की आकांक्षाओं के बीच की खाई को दूर कर सकें। इसी प्रकार पेशेवर शिक्षा के अन्य अनुशासनों में दी जाने वाली शिक्षा के कार्यक्षेत्रों का भी विस्तार किया जाएगा।

P16.1.3. तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण: लाखों भारतीय युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की चुनौती, कृषि, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा आदि अनुशासनों में स्पष्ट तौर पर नज़र आती है। उदाहरण के लिए कृषि शिक्षा में कुशल लोगों को तैयार करने के लिए इससे जुड़े कई क्षेत्रों में शिक्षा शामिल है जैसे बागबानी, उर्वरक एवं कीटनाशक, खाद्य प्रौद्योगिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन आदि। इसी प्रकार तकनीकी शिक्षा में अभियांत्रिकी, तकनीकी, प्रबंधन, आर्किटेक्चर, नगर नियोजन, फार्मेसी, होटल प्रबंधन, केटरिंग तकनीकी आदि के डिप्लोमा और डिग्री कोर्स शामिल हैं, स्वास्थ्यसेवा शिक्षा में सम्बद्ध स्वास्थ्यकर्मियों का पूरा समूह जैसे रेडियोलॉजिस्ट, प्रयोगशाला तकनीशियन, फिजियोलॉजिस्ट, बुजुर्गों की देखभाल करने वाले एवं अन्य लोग की शिक्षा भी इसका एक हिस्सा है। WHO के अनुसार 2030 तक दुनियाभर में इन सब नौकरियों की कुल अनुमानित संख्या लगभग 80 लाख है। इनमें से कई क्षेत्र भारत के कल्याण एवं विकास के लिए अति महत्वपूर्ण हैं इसलिए व्यावसायिक शिक्षा के बड़े लक्ष्य को कई तरीकों से हासिल करना होगा। सरकारें, नियोक्ता, सेक्टर स्किल कौंसिल्स(SSCs) एवं अन्य सभी हितधारक इसके एक बड़े हिस्से को प्राप्त करने के लिए मिल कर काम कर रहे हैं लेकिन जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है, प्रशिक्षित युवाओं के घोषित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, कौशलों को प्रदान करने में अकादमिक संस्थानों की भूमिका बहुत अहम होगी।

P16.1.4. पेशेवर शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा का

प्रावधान: जैसा कि सामान्य शिक्षा के मामले में है, पेशेवर शिक्षा प्रदान करने वाले सभी विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्त कॉलेजों को इस हेतु सशक्त बनाया जायेगा कि अपने अनुशासन से सम्बंधित, पूर्व स्नातक स्तर की व्यावसायिक शिक्षा को डिप्लोमा, एडवांस्ड डिप्लोमा एवं B.Voc डिग्री के माध्यम से प्रदान कर सकें, यह डिग्री NSQF के स्तर 5,6 और 7 के अनुरूप होगी | National Skill Development Authority(NSDA) के साथ मिल कर, हर व्यावसायिक क्षेत्र से सम्बद्ध प्रोफेशनल काउंसिल और SSCs, उस व्यवसाय से सम्बंधित पेशेवर मानक स्थापित करेगी जो कि National Occupational Standards-Qualification Packs(NOS-QP) पर आधारित होंगे | इन कोर्सेस के लिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या विकसित करने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्त कॉलेजों की ही होगी | व्यावसायिक शिक्षा के प्रावधान के लिए शैक्षिक संस्थानों को वित्तीय सहायता देने का काम HEGC का ही रहेगा |

P16.1.5. उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान:

यह मानते हुए कि Vocational Education and Skills Board(VESB) के माध्यम से NSQF के 1-4 स्तर को स्कूली पाठ्यचर्या के साथ एकीकृत किया जायेगा (देखें chapter 20), यह जिम्मेदारी SSCs की होगी कि वह VESB के साथ मिल कर कृषि, कानून, तकनीकी एवं स्वास्थ्यसेवा शिक्षा जैसे अनुशासनों से सम्बंधित व्यावसायिक शिक्षा की पाठ्यचर्या विकसित करें | माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर की सामान्य स्कूली शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण का प्रावधान, एक नयी और रोमांचक चुनौती है जिसका निर्वहन VESB और NCERT दोनों के द्वारा मिल कर किया जायेगा | व्यावसायिक शिक्षा के, स्कूली शिक्षा संग एकीकरण के लिए वित्तीय सहायता, राज्य सरकारों द्वारा, स्कूल काम्प्लेक्स के माध्यम से प्रदान की जाएगी |

P16.1.6. विविध प्रवेश और प्रस्थान बिंदु के साथ बहु-अनुशासनिक शिक्षा:

विभिन्न अनुशासनों के बीच विचारों के निर्बाध आदान प्रदान को सुगम बनाने के लिए, विभिन्न अनुशासनों के पेशेवर शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कई

परस्पर रास्ते निर्मित करने होंगे, जिसमें प्रासंगिक क्षेत्रों में कार्यानुभव या दक्षता रखने वाले शिक्षार्थियों को भी समाहित किया जाना शामिल हो। इसके लिए Recognition of Prior Learning (RPL) की प्रणाली और उससे जुड़ी हुई आंकलन की रूपरेखा को पेशेवर शिक्षा में भी लागू करना होगा। इसे करने के लिए हर पेशेवर अनुशासन के लिए NSQF और NHEQF की समकक्ष रूपरेखा को साथ में लाना होगा। SCCs (देखें P23.10) के माध्यम से इस कार्य को शुरू करने में RSA मदद करेगा। इन कार्यक्रमों में प्रवेश करने एवं इन्हें पूर्ण करने की आयु सीमा और समय सीमा में ढील दी जाएगी ताकि शिक्षार्थियों को पढ़ाई के बीच में अंतराल लेने का मौका मिल सके। संस्थानों के मध्य कोर्स क्रेडिट के हस्तांतरण की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी।

16.2. पेशेवराना क्षमता का नियोजन

पेशेवर शिक्षा का क्षेत्र, कहीं मांग से अधिक आपूर्ति तो कहीं जरूरत से कम आपूर्ति से ग्रसित है। उदाहरण के लिए इंजीनियर और डेंटिस्ट काफी ज्यादा हैं जबकि डॉक्टर, नर्स, रेडियोलॉजिस्ट, कृषि स्नातक आदि पेशेवर कम संख्या में हैं। बेहतर डाटा संधारण पर आधारित बेहतर नियोजन से, अल्प शैक्षिक संसाधनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

P16.2.1. क्षमता सृजन की भावी योजना: भारत में पेशेवर शिक्षा के लिए भावी योजना बनाने का कार्य RSA द्वारा किया जायेगा जो कि एक व्यापक डाटा एकत्रीकरण और विश्लेषण पर आधारित होगा। इस योजना में पेशेवर शिक्षा के उन उभरते हुए क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जिनमें नए संस्थान और कार्यक्रम बनाये जाने की जरूरत है। यह योजना, वर्तमान एवं अगले 15 सालों में उभरते क्षेत्रों में, देश की अनुमानित, तकनीकी मानव संसाधन की जरूरतों का आंकलन करेगी।

नए संस्थान खोलने की अनुमति पर विचार करते वक़्त NHERA द्वारा इस जानकारी का इस्तेमाल किया जायेगा तथा अपने निर्णय लेते समय राज्य

सरकारों द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जायेगा। इसलिए एक लम्बी अवधि की प्रणाली बनायीं जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह व्यवस्था अद्यतन बनी रहे और नियोजन में उपयोगी हो।

NIEPA के अंतर्गत CESD (देखें **P6.1.5**) अपनी गतिविधियों को विस्तृत करेंगी और उसमें न केवल सामान्य शिक्षा बल्कि पेशेवर शिक्षा से संबंधित डाटा का भी संग्रहण शामिल होगा।

विभिन्न प्रकार की डिग्री के सम्बन्ध में एवं नए और उभरते क्षेत्रों में नियोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली योग्यताओं और डिग्रियों की गुणवत्ता से सम्बंधित वार्षिक डाटा एकत्रण, विश्लेषण और सूचना के प्रसार की प्रणाली को मज़बूत किया जायेगा। इस सूचनाओं को शैक्षिक संस्थानों के साथ साझा किया जायेगा और कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

16.3. स्नातकोत्तर शिक्षा एवं शोध

पेशेवर क्षेत्रों में स्नातकोत्तर शिक्षा को काफ़ी अधिक सुदृढ़ किये जाने की ज़रूरत है। पाठ्यचर्या से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्नातकोत्तर शिक्षार्थी ज्ञान, कौशल, आत्म-विश्वास और उद्यमिता का प्रशिक्षण प्राप्त कर पा रहे हैं जिससे वे सामाजिक और राष्ट्रीय उत्पादकता में अपना योगदान देने में सक्षम हो सकें।

स्नातकोत्तर छात्र या तो पेशेवर प्रैक्टिस करते हैं या फिर शिक्षण को अपनाते हैं, एक बहुत छोटी संख्या में छात्र शोध को जारी रखते हैं। इन सभी क्षेत्रों में पेशे की बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को यथा संभव बेहतर शिक्षा मिल सके।

P16.3.1. स्नातकोत्तर शिक्षा का नवीनीकरण: स्नातकोत्तर शिक्षा की पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय दृष्टिकोण को नवीनीकृत किया जाएगा जिससे विशेषज्ञता के प्रत्येक क्षेत्र के सन्दर्भ में पेशेवर प्रैक्टिस एवं अनुभव की प्राप्ति को सुनिश्चित

किया जा सके | इसके लिए HEI एवं विभिन्न पेशेवर संस्थाओं (जैसे स्वास्थ्यसेवा व्यवस्था) के बीच मजबूत आपसी सहयोग की ज़रूरत होगी |

P16.3.2. शोध : पेशेवर शिक्षा के कई अनुशासन, जैसे आर्किटेक्चर और फाइन आर्ट्स, प्रैक्टिस आधारित होते हैं और इन क्षेत्रों में शोध अभी शुरुआती स्तर पर है | उदाहरण के लिए देशी तकनीकों और हस्तकलाओं के आधुनिकीकरण के लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं, यह वो क्षेत्र है जिसमें काफी अधिक शोध सहायता की आवश्यकता है | शोध पद्धतियों को अन्य अकादमिक विषयों से उधार लिए जाने के कारण, शोध के ऐसे विषयों का चयन हो रहा है जो सैद्धांतिक और ज़मीनी वास्तविकता से दूर हैं | इसके साथ ही इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में कई अनसुलझे मुद्दे हैं, खासकर समाज के साथ उसकी अंतर्क्रिया से सम्बन्धित, और इन्हीं मुद्दों को गहन अकादमिक शोध का शुरुआती बिंदु बनाया जाना चाहिए | शोध को अधिक प्रासंगिक बनाये जाने के लिए पेशेवर प्रैक्टिस और शैक्षिक संस्थानों के बीच आपसी संप्रेषण एक अनिवार्य शर्त है |

सभी पेशेवर अनुशासनों में की जाने वाली शोध, NRF द्वारा मिलने वाली वित्तीय सहायता की पात्र होगी | मौजूदा फंडिंग एजेंसी जैसे ICMR एवं ICAR भी अपनी फंडिंग जारी रखेंगी | शोध को नए ज्ञान का निर्माण करने तथा पेशेवर शिक्षा की प्राप्तियों को सुधारने की दिशा में उन्मुख किया जायेगा | यह शोध राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण और भविष्य की योजना के लिए आधार प्रदान करेगी, जिसमें नए संस्थान स्थापित करने संबंधी निर्णय में सहायता करना शामिल है | संस्था के स्तर पर इससे पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्र में सुधार करने में मदद मिलेगी |

16.4. संकाय सदस्य

पेशेवर शिक्षा में, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षक-शिक्षा के कार्यक्रमों के उद्देश्य अमूमन काफ़ी व्यापक होते हैं | इसे अधिक केन्द्रित बनाना चाहिए एवं शिक्षकों को किसी एक खास विषय को पढ़ाने में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए पढ़ाया जाना चाहिए |

शिक्षकों की व्यक्तिगत समझ और पढ़ाने के तरीके खोजने की उनकी क्षमता पर अधिक निर्भरता से न सिर्फ छात्रों के सीखने में भारी अंतर आता है बल्कि इससे शिक्षकों पर भी अनावश्यक दबाव पड़ता है। मिल कर पढ़ाने एवं अनुभव आधारित अधिगम के तरीकों तथा पेशेवर नैतिकता के बारे में जागरूकता को एक बेहतर शिक्षक-शिक्षा के माध्यम से, व्यवस्थित रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

पेशेवर शिक्षा का क्षेत्र, लगातार एक ऐसा क्षेत्र बना हुआ है जिसमें शिक्षक अमूमन मास्टर डिग्री प्राप्त होते हैं और निकट भविष्य में भी ऐसा ही बने रहने की संभावना है। यह एक ऐसा क्षेत्र भी है जिसमें उद्ध्योगो /व्यवसायों /अस्पतालों में अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को वापस आने और उपयुक्त तैयारी के साथ, पढ़ाने की लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसको भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन नए सदस्यों को इंडक्शन प्रशिक्षण एवं सेवारत पेशेवर विकास के सतत मौके भी मिले।

P16.4.1. पेशेवर शिक्षकों की तैयारी हेतु शिक्षा विभागों की स्थापना: पेशेवर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक-शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, सभी विश्वविद्यालयों में, शिक्षा विभागों की स्थापना की जाएगी, यदि ये उनमें पहले से विद्यमान नहीं हैं और ये किसी भी पेशेवर क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेजों को सम्बद्ध करते हैं। यह अपेक्षा है कि अंततः यह विश्वविद्यालय बहु अनुशासनिक HEI के रूप में विकसित होंगे। यह शिक्षा विभाग, विशिष्ट पेशे से सम्बंधित शिक्षक-शिक्षा की पाठ्यचर्या को निर्मित करेंगे और शिक्षण एवं शोध में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करेंगे। शिक्षक बनने के सभी आकांक्षी लोगों के लिए यह डिग्री अनिवार्य होगी जो कि अपने विशिष्ट विषय की स्नातकोत्तर डिग्री के अतिरिक्त लेनी होगी। इस कोर्स द्वारा, पाठ्यचर्या निर्माण, शिक्षाशास्त्र, आंकलन की तकनीकों आदि पर, शिक्षक बनने एवं पेशेवर प्रैक्टिस करने के आकांक्षी व्यक्तियों का उन्मुखीकरण किया जायेगा। कोर्स को अंशकालिक, संयुक्त अथवा ऑनलाइन रूप में संचालित किया जायेगा ताकि कामकाजी पेशेवरों की पहुँच भी इन तक बन सके।

P16.4.2. विभिन्न अनुशासनों में संकाय सदस्यों की कमी को दूर करना: विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों को प्रोत्साहित किया जायेगा एवं उनकी सहायता की जाएगी की वह इन विभिन्न तरीकों से संकाय सदस्यों की कमी को दूर

करें: समीपवर्ती संस्थानों के साथ संकाय सदस्यों का आदान प्रदान; इंडस्ट्री से प्रतिष्ठित एवं सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों /प्रोफेसरों/विशेषज्ञों को शिक्षक के रूप में आमंत्रित करना; शोध छात्रों को सहायक शिक्षक बनाने का प्रावधान; निजी क्षेत्र की प्रतिभाओं का उपयोग करना; विदेशी शोधार्थियों को आमंत्रित करना।

छात्रों की अभिवृत्ति एवं कैरियर चुनाव में उनकी पसंद के महत्व को देखते हुए यह वांछनीय है कि शिक्षक होनहार छात्रों को उनकी पढ़ाई के दौरान उन्हें परामर्श दें एवं अकादमिक कैरियर का चुनाव करने के लिये उन्हें प्रोत्साहित करें। अकादमिक रुझान वाले वरिष्ठ छात्रों को अपने कनिष्ठ छात्रों को मेंटर करने के मौके दिए जा सकते हैं एवं उचित मामलों में उन्हें सहायक शिक्षक के रूप में मान्यता देते हुए अकादमिक क्रेडिट भी प्रदान किये जा सकते हैं।

P16.4.3. संकाय सदस्यों का पेशेवर विकास: संकाय सदस्यों के पेशेवर विकास के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों द्वारा सतत शिक्षा कार्यक्रम भी चलाये जाने चाहिए। सभी शिक्षकों के लिए शोध अनिवार्य नहीं होगा और शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए अधिक ज़ोर पढ़ाने के तरीकों, कक्षा में किये जाने वाले नवाचार और छात्र अभिप्रेरणा पर रहेगा। पाठ्यपुस्तक लेखन एवं विभिन्न भाषाओं के साहित्य के अनुवाद के लिए भी समर्थन एवं प्रोत्साहन की ज़रूरत होगी।

P16.4.4. शिक्षकों के लिए पेशेवर परिषद्: पेशेवर शिक्षा के हर अनुशासन के संकाय सदस्यों के लिए एक पेशेवर परिषद् का होना ज़रूरी है जो यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी ले सके कि हर सदस्य नियमित समयांतराल पर रिफ्रेशर कोर्स करे। उदाहरण के लिए मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों के लिए एक पेशेवर निकाय सृजित किया जाएगा ताकि शिक्षक हर पांच साल में अपने ज्ञान को उन्नत बना सकें। इस उद्देश्य के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र की हर शाखा जैसे नर्सिंग, डेंटल एवं अन्य सम्बद्ध क्षेत्र आदि में सतत शिक्षा मुहैया कराने के लिए आधारभूत संरचना को इस उद्देश्य हेतु मज़बूत किया जाएगा।

16.5. गवर्नेंस, विनियमन एवं प्रमाणन

पेशेवर शिक्षा के विकास का तारतम्य शेष उच्च शिक्षा क्षेत्र के साथ स्थापित करने की प्रक्रिया में, उपयुक्त प्रणालियों के माध्यम से RSA द्वारा परामर्श प्रदान किया जायेगा। इसका मार्गदर्शी सिद्धांत होगा कि उच्च शिक्षा को विभिन्न टुकड़ों में न देखकर समग्र रूप में देखा जाए।

उच्च शिक्षा के लिए विकसित किये गए नियामक ढांचे के कार्य-क्षेत्र का विस्तार करते हुए इसमें पेशेवर शिक्षा को भी लाया जाएगा और NHERA इसकी एकमात्र नियामक संस्था होगी।

पेशेवर शिक्षा से सम्बन्धित 17 से अधिक पेशेवर परिषदों जैसे BCI, ICAR, MCI, (या नवीन प्रस्तावित नेशनल मेडिकल कमीशन - NMC) INC, VCI आदि की नियामक भूमिका को परिवर्तित कर, जहाँ तक शिक्षा की बात है उन्हें PSSB में बदला जायेगा। वे पाठ्यचर्या का निर्धारण नहीं करेंगे इसके बजाय वे पेशेवर मानक और / अथवा पाठ्यचर्या की रूपरेखा निर्धारित करेंगे, जिसके आधार पर शैक्षिक संस्थान अपनी स्वयं की पाठ्यचर्या तैयार करेंगे।

HEIs को स्वायत्तता दे कर, अकादमिक प्रदर्शन को बेहतर किया जायेगा जिसमें पाठ्यचर्या, शिक्षण, और शिक्षकों की तैयारी में सुधार शामिल है। पेशेवर परिषदों से परामर्श लेते हुए, NAAC द्वारा चयनित प्रमाणन एजेंसी के द्वारा, पेशेवर शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों का आवश्यक रूप से हर 5 वर्ष में एक बार प्रमाणन किया जायेगा। स्वतंत्र प्रमाणन एजेंसी को चयनित कर उन्हें पेशेवर शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र के प्रमाणन की जिम्मेदारी दी जाएगी।

P16.5.1. पेशेवर शिक्षा की फीस: शैक्षिक संस्थानों को अपने तरीके से काम करने के लिए स्वायत्तता दिए जाने की भावना से तारतम्य रखते हुए, फीस तय करने की जिम्मेदारी भी शैक्षिक संस्थानों, चाहे वे सरकारी हों या निजी, उनके प्रबंधन पर छोड़ दी जानी चाहिए। लेकिन उनके लिए अपनी सामाजिक जवाबदेही को पूरा करने की अनिवार्यता होगी और उन्हें समाज के

सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए छात्रवृत्ति मुहैया करानी होगी | 50% छात्रों को किसी न किसी स्तर की छात्रवृत्ति एवं कम से कम 20% को पूर्ण छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए |

P16.5.2. गुणवत्तापूर्ण पेशेवर शिक्षा तक सबकी समान पहुँच: नए संस्थान स्थापित करने एवं बुनियादी संरचना और अधिगम संसाधनों से सम्बंधित निर्णयों का सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांत होगा, न्यायसंगत पहुँच | इन निर्णयों के लिए पेशेवर शिक्षा के प्रत्येक अनुशासन की अपनी विशेषताओं और जरूरतों को ध्यान में रखा जायेगा |

16.6. कृषि एवं अन्य सम्बद्ध अनुशासन

वर्तमान में 67 AU हैं, जो USA के लैंड ग्रांट मॉडल से प्रेरित हैं जिसमें केंद्र एवं राज्य से वित्तीय योगदान तथा विश्वविद्यालय द्वारा संसाधनों को सृजित करना शामिल है | हालाँकि देश के सभी विश्वविद्यालयों के लगभग 9 प्रतिशत विश्वविद्यालय AU हैं लेकिन उच्च शिक्षा में होने वाले नामांकन का 1% से भी कम नामांकन कृषि एवं उससे सम्बद्ध क्षेत्रों में होता है | सरकार में एवं डेवलपमेंट सेक्टर में कृषि स्नातकों की भारी मांग है | निजी क्षेत्र में भी कृषि से जुड़े सभी क्षेत्रों में मांग बढ़ रही है - एग्रो इंडस्ट्री, खाद्य उपक्रम और विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता वाले क्षेत्र जैसे वाटर एफिशिएंसी (Water efficiency), खाद्य सुरक्षा, व्यवसाय इत्यादि | कृषि में सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा दोनों ही की जरूरत है | कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुशल स्नातकों एवं तकनीशियन, नवाचारी शोध, तथा तकनीक और प्रैक्टिस से जुड़े मार्केट के विस्तार की आवश्यकता होगी |

P16.6.1. कृषि शिक्षा: प्रशिक्षित स्नातकों की इंडस्ट्री की मांग, खासकर कृषिजन्य व्यापार की मांग को, कृषि की मौजूदा पूर्वस्नातक शिक्षा पूरा नहीं कर पा रही है | यह मांग AU की वर्तमान क्षमता की दुगुनी से अधिक है | मौजूदा संस्थानों की क्षमता बढ़ा कर तथा नये AU स्थापित कर, कृषि एवं पशु-चिकित्सा विज्ञान से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में, एवं सामान्य शिक्षा के साथ, एकीकृत पूर्व स्नातक शिक्षा मुहैया कराने की क्षमता को बढ़ाया जायेगा | मांग के बावजूद

युवा वर्ग इस अनुशासन की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं। यह अत्यावश्यक है कि कृषि क्षेत्र में मौजूद अवसरों को छात्रों एवं पालकों दोनों ही के समक्ष रखा जाये ताकि उन्हें बोद्धपूर्ण चुनाव करने में मदद मिल सके।

P16.6.2. एकीकृत कृषि शिक्षा: किसान/कृषि-कर्म एक समेकित गतिविधि है, इसलिए इसके लिए दी जाने वाली शिक्षा को भी हर संभव तरीके से एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि वह समग्र बन सके। इसके लिए :

- a. सभी नए AUs को एकीकृत किया जाएगा, जिसमें सभी परस्पर सम्बंधित आयाम शामिल होंगे जैसे कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान, एग्रो-फॉरेस्ट्री, मत्स्यपालन एवं सभी खाद्यान्न उत्पादन व्यवस्थाएं। बहु तरीकों से परस्पर आदानप्रदान (multimode exchange) के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और विश्वविद्यालयों के साथ सक्रिय मेल जोल के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
- b. चार वर्षीय पूर्वस्नातक कार्यक्रम की शुरुआत में यथेष्ट रूप से बुनियादी विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के अनुशासन जैसे अर्थशास्त्र, कृषिजन्य व्यापार प्रबंधन, मार्केटिंग और ग्रामीण समाजशास्त्र, कृषि नीतिशास्त्र, कृषि नीतियां आदि को शामिल किया जायेगा। इसके अलावा पाठ्यचर्या से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षार्थी ज्ञान, कौशल, उद्यमशीलता की क्षमता, एवं आत्मविश्वास अर्जित करें और सामाजिक और राष्ट्रीय उत्पादकता में सहायक हो सकें।
- c. चूंकि कृषि एक संयुक्त आर्थिक गतिविधि है, AUs को, प्रशिक्षण, बिज़नेस इन्क्यूबेशन, नए व्यवसाय स्थापित करने आदि के संबंध में सभी प्रासंगिक राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों के साथ मजबूत संपर्क बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
- d. खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता आश्वासन तथा सामाजिक विज्ञान के अनुशासन जैसे अर्थशास्त्र, कृषिजन्य व्यापार प्रबंधन, मार्केटिंग और ग्रामीण समाजशास्त्र, कृषि नीतिशास्त्र, कृषि नीतियां जैसे पहलुओं को ध्यान में

रखते हुए, कृषि शिक्षा की पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को सतत रूप से उन्नत एवं नवीनीकृत करने के लिए एक उपयुक्त रूपरेखा का विकास किया जायेगा।

P16.6.3. व्यवसायिक शिक्षा और समुदाय/ विस्तार सेवाएँ: शिक्षा संस्थानों की यह भी जिम्मेदारी होती है कि वे अपने स्थानीय समुदाय को भी सीधे तरीके से लाभ पहुँचाएँ। उदाहरण के लिए यह महत्वपूर्ण है कि AUs छोटे और हाशिए पर स्थित स्थानीय किसानों को उनकी वर्तमान अवस्था से ऊपर आने में मदद करें।

हरेक AU को किसानों के स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क करना चाहिए और उन्हें अतिरिक्त सेवाएँ देनी चाहिए उदाहरण के लिए उन्हें यह बताना कि वे अपने व्यवसाय में आने वाली विपदाओं से कैसे पार पा सकते हैं (फसलों की कीट आदि) और कृषि प्रसंस्करण (Agri-Processing) जैसे लघु अवधि के पाठ्यक्रमों के ज्ञान द्वारा किस तरह से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। AUs को प्रौद्योगिकी के प्रसार हेतु कृषि प्रौद्योगिकी पार्क तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इन गतिविधियों के लिए उन्हें धन राशि HEGC के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

P16.6.4. केंद्र शासित प्रदेश/राज्य स्तरीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग: यह नीति राज्य स्तर पर कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन आदि जो वर्तमान में अलग-अलग मंत्रालयों के द्वारा प्रशासित किए जाते हैं, के शिक्षा के प्रशासन में बेहतर समन्वयन हेतु (DARE के क्रदमों का अनुसरण करते हुए) यथोचित संरचना और प्रणाली को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करती है। साथ ही इन सभी हितग्राहियों के बीच सही तालमेल बनाकर रखने के लिए और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, तकनीकी नवाचार, उसका व्यावहारिक उपयोग और व्यापक प्रसार हेतु क्षेत्र विशेष के व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने को भी प्रोत्साहित करती है।

P16.6.5. शासकीय अनुदान को बढ़ाना: भूमि अनुदान के अलावा AUs को केंद्र और राज्य सरकार की सहभागिता और परस्पर सहमति के द्वारा पर्याप्त शासकीय अनुदान की व्यवस्था की जाएगी।

16.7. कानूनी शिक्षा

21वीं सदी में भारत का विकास और वैश्विक परिदृश्य पर यथोचित स्थान हासिल करने का हमारा सपना शासकीय संस्थानों और उनके गवर्नेंस को सशक्त बनाने से ही पूरा हो सकता है। सरकारी प्रणाली का मुख्य आयाम इसके अंतर्गत आने वाली निजी और शासकीय संस्थाओं का संवैधानिक मूल्यों से जुड़े रहना और विधि लिखित नियमों को जिस तरह से हमारे देश के आधारभूत दस्तावेज में अरेखित किया गया है उन्हें स्थापित करना, सहयोग करना और उन्हें बनाए रखने की योग्यता का होना है। सामाजिक-राजनीतिक संस्थानों के रखरखाव और विकास के लिए न्यायिक प्रणाली में पेशेवरों का एक कांडर होना आवश्यक है जिसमें वकील, न्यायाधीश, पैरा लीगल और प्रशासनिक कर्मचारी शामिल हैं। इन सभी भूमिकाओं के सही निर्वहन के लिए कानूनी शिक्षा का सतत विकास होना आवश्यक है।

साथ ही यह नीति एक ऐसी कानूनी शिक्षा की कल्पना करती है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित हो तथा उन्हीं से प्रकाशित होती हो और जो लोकतंत्र के उपकरणों, कानून और मानव अधिकार नियमों के द्वारा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की ओर निर्देशित हो। यह इस बात को समझती है कि कानूनी पेशे की यह सामाजिक जवाबदेही है कि वह न्याय को सामुदायिक या सामाजिक न्याय कानून के द्वारा दूरस्थ ग्रामीण और आदिवासी इलाकों तक पहुँचाएँ। अतः कानूनी शिक्षा को निजी हित का उद्यम न समझते हुए सार्वजनिक हित का उद्यम समझा जाए जहाँ राज्य, समुदाय और बाज़ार, विशिष्ट हित और उचित अपेक्षाएँ रखते हुए समावेशी और न्यायसंगत विकास में अपना योगदान दें।

अंत में कानून के क्षेत्र में व्यवसायिक शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होना आवश्यक है जिसमें न्याय के पहुँच क्षेत्र को बढ़ाने और समय पर न्याय मिलने को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर कार्यप्रणाली और नई तकनीक को अपनाना होगा। इसलिए नई कानूनी शिक्षा नीति का बनाया जाना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है ताकि भविष्य के बदलावों को सही दिशा मिल सके।

P16.7.1. सामाजिक-सांस्कृतिक सन्दर्भ पर चिंतन हेतु पाठ्यचर्या: कानूनी शिक्षा को आवश्यक सामाजिक प्रासंगिकता और स्वीकार्यता प्रदान करने के लिए भारतीय प्रजातंत्र के आधारभूत मूल्यों का प्रसार करना कानूनी शिक्षा का आवश्यक दायित्व है। ऐसा करते हुए कानूनी शिक्षा का पाठ्यक्रम लोगों की संस्कृति और परम्पराओं जिनमें भारतीय साहित्य और मिथकों के अन्दर शामिल भारतीय कानूनी संस्थानों का सन्दर्भ और अधर्म पर धर्म की विजय जैसे आज्ञापत्र शामिल है, पर विचार करने में पीछे हट जाता है। दुनिया भर में इस बात पर एकमतता बढ़ रही है कि किसी देश में कानून का अध्ययन और अभ्यास समाज की संस्कृति के अध्ययन के बिना संभव नहीं है और इस अध्ययन में उस स्थान के पारम्परिक कानूनी पाठ का अध्ययन शामिल है। अतः विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि उनका पाठ्यक्रम देश में कानूनी विचार प्रक्रिया का इतिहास, न्याय के सिद्धांत, न्याय शास्त्र की कार्यप्रणाली और अन्य संबंधित अंशों को सप्रमाण, सही तरीके से और पर्याप्त मात्रा में शामिल करें।

P16.7.2. बहुभाषिक शिक्षा : बच्चों की नई पीढ़ी जो बड़ी हो रही है वह इस नीति के क्रियान्वयन के बाद पूरी तरह से बहुभाषिक होगी। उस समय तक के लिए कानूनी शिक्षा जैसे व्यावहारिक शिक्षा के कुछ क्षेत्रों को अपने क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक नवाचारी समाधान खोजने होंगे। आज भी भारत के अधिकांश राज्यों में निचली अदालतों में न्यायिक कार्यवाही क्षेत्रीय भाषाओं में होती है, वहीं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में यह केवल अंग्रेज़ी में ही संचालित की जाती है। इसके चलते निचली अदालत से आए मामले का जब तक अंग्रेज़ी में अनुवाद नहीं होता, उसे कार्यवाही के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसके चलते न्यायिक प्रक्रिया बेवजह लंबित होती रहती है।

भविष्य में कानूनी शिक्षा को द्विभाषिक बनाया जाना चाहिए जिसमें कानूनी विद्यार्थियों - वकील और न्यायाधीशों को अंग्रेज़ी और उस राज्य की अधिकारिक कार्यों की भाषा दोनों में शिक्षा दी जानी चाहिए। इस परिवर्तन को सहज बनाने के लिए विशेष कदम उठाए जाने होंगे जैसे: ऐसे शिक्षकों का चयन करना जो अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषा दोनों में पारंगत हो, पाठ्यपुस्तकें

दोनों भाषाओं में बनाई जाएँ और परीक्षा में विद्यार्थियों को दोनों में से किसी भी भाषा में लिखने की छूट मिले। साथ ही कानूनी पठन सामग्री का अंग्रेज़ी से राज्य की भाषा में या राज्य की भाषा से अंग्रेज़ी में अनुवाद करने के लिए भी विशिष्ट विभाग बनाए जाएँगे और ऐसे विद्यार्थी जो दोनों भाषाओं में सहज हो, उन्हें इस विभाग में अनुवाद के काम के लिए आमंत्रित किया जाएगा, और प्रोत्साहन दिया जाएगा।

16.8. स्वास्थ्य सेवा शिक्षा

आज वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा में एक बड़ा बदलाव हो रहा है जिसमें चिकित्सा को केवल उपचारात्मक अभ्यास मानने से हटकर इसे व्यापक रूप में ऐसी स्वास्थ्य सेवा के रूप में देखा जा रहा है जो तंदुरुस्ती, बीमारियों से बचाव और उपचार को संतुलित करती हो। इसके भारत की चिकित्सा शिक्षा के लिए गहरे निहितार्थ हैं। भारतीय हमेशा से चिकित्सा के क्षेत्र में बहुलतावादी चयन को अपनाते आए हैं अर्थात् अलग-अलग बीमारियों, अलग-अलग आवश्यकताओं के लिए अलग-अलग चिकित्सा प्रणालियों का उपयोग करते आए हैं। इससे भारत में चिकित्सा शिक्षा को वर्तमान में प्रचलित अलग-अलग खाँचों से निकालकर एकीकृत ढाँचे के रूप में देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वास्थ्य सेवा शिक्षा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कुशल चिकित्सक, नर्स और अन्य चिकित्सा सहयोगी कर्मचारियों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि वे विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली में विशेषज्ञता के साथ-साथ एकीकृत चिकित्सा प्रणाली के दृष्टिकोण का ज्ञान भी प्राप्त करें।

चिकित्सा शिक्षा में सुधार का प्रभाव देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर आवश्यक रूप से दिखाई देना चाहिए। चिकित्सा शिक्षा के लक्ष्य और मानक “सभी के लिए स्टेट ऑफ आर्ट, गुणवत्तापूर्ण और वहन करने योग्य स्वास्थ्य सेवा” के दृष्टिकोण से तय किए जाने चाहिए। चिकित्सा शिक्षा में सुधार देश भर में, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य को ही लक्षित करके होने चाहिए।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ग्रामीण विद्यार्थियों की स्वास्थ्य सेवा शिक्षा तक पहुँच बढ़ाना और स्वास्थ्य सेवा शिक्षा की लागत को कम करना सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है।

P16.8.1. MBBS उपाधि की उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करना: समाज की किसी व्यक्ति के चिकित्सक बनने की अपेक्षाएँ किसी अन्य व्यवसाय में जाने से काफी अधिक हैं। बावजूद इसके चिकित्सक बनने वाले व्यक्तियों की संख्या और उनकी गुणवत्ता दोनों की मात्रा घटती जा रही है। हर MBBS की उपाधि धारण किए हुए विद्यार्थी में 1. चिकित्सकीय कौशल 2. नैदानिक कौशल 3. शल्य चिकित्सा कौशल 4. आपातकालीन कौशल आवश्यक रूप से होने ही चाहिए और अतः चिकित्सा के विद्यार्थियों के लिए पुनर्निर्मित शिक्षा को इस बात को सुनिश्चित करना ही होगा। इसके लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रक्रिया, आंकलन और अध्ययन के दौरान कार्यानुभव लेना जैसी सभी प्रक्रियाओं में सुधार करना होगा। विद्यार्थियों का नियमित अंतराल में व्यवस्थित रूप से परिभाषित किए गए मानकों के आधार पर आंकलन किया जाना चाहिए जो प्राथमिक चिकित्सा सेवा में काम करने के लिए आवश्यक कौशलों और द्वितीयक रूप में अस्पतालों में काम करने के कौशलों के आंकलन पर आधारित हो। अनिवार्य रोटेशन इंटरनशिप जो वर्तमान में परिदृश्य से गायब ही हो गई है, को पुनः प्रचलन में लाया जाएगा और उसे अधिक सशक्त और प्रभावी बनाया जाएगा।

P16.8.2. बहुलतावादी स्वास्थ्य सेवा शिक्षा और उसका अंतरण: MBBS के पाठ्यक्रम का पहला साल या दो साल सभी विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सामान्य कालांश के रूप में लागू किया जाएगा जिसके बाद वे MBBS, BDS, नर्सिंग या अन्य किसी विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। सामान्य पाठ्यक्रम जो बहुलतावादी चिकित्सा पद्धति पर आधारित होगा, उसे पढ़ने के बाद विशिष्ट पद्धति पर आधारित मूल पाठ्यक्रम और ऐच्छिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएँगे ताकि विविध चिकित्सा प्रणालियों के बीच तालमेल बनाना आसान हो सके। अन्य चिकित्सा संकायों जैसे दन्त चिकित्सा, नर्सिंग आदि के स्नातक विद्यार्थियों को भी MBBS में प्रवेश की अनुमति रहेगी। इसके लिए एक चिकित्सा शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसे NMC के साथ मिलकर विकसित किया जाएगा।

देश में बहुलतावादी स्वास्थ्य सेवा शिक्षा को वैधता दिए जाने से देश में प्रचलित भिन्न-भिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रणालियाँ जैसे आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (AYUSH) मुख्य धारा में आ जाएँगी तथा सामाजिक स्वास्थ्य केन्द्रों में AYUSH चिकित्सा तक बेहतर पहुँच बनाई जा सकेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा मिशन द्वारा तय किए गए पूर्ववर्ती मानक जो AYUSH योजना के रूप में लागू हुए और कम दामों में दवाएँ उपलब्ध कराई गईं, इसकी प्रसिद्धि का लाभ उठाते हुए PHC/CHC स्तर पर AYUSH के चिकित्सक नियुक्त किए जाने पर विचार किया जायेगा और इस सारी व्यवस्था के स्तर को उन्नत किया जाएगा और आवश्यकनुसार परिवर्तित किया जाएगा।

P16.8.3. MBBS शिक्षा के लिए केंद्रीकृत निर्गम परीक्षा: MBBS में प्रवेश के लिए जिस तरह से NEET को एक समान एकीकृत प्रवेश परीक्षा के रूप में लागू किया गया है उसी तरह से MBBS के लिए एकीकृत निर्गम परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा (जिसकी अनुशंसा National Medical Bill में भी की गई है) यह परीक्षा दो भूमिकाएँ निभाएगी यानी निर्गम परीक्षा के साथ-साथ यह चिकित्सा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षा का भी काम करेगी। यह परीक्षा MBBS के चौथे साल में होगी ताकि विद्यार्थियों को अपने शिक्षण और व्यावहारिक कार्यानुभव के दौरान एक और प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करने के तनाव और श्रम से राहत मिलेगी और इससे वे अपने व्यावहारिक कार्यानुभव के समय को महत्वपूर्ण कौशल और क्षमताओं को हासिल करने में उपयोग में ला सकेंगे। इसी तरह की एकीकृत निर्गम परीक्षा दन्त चिकित्सा और अन्य विभागों के लिए भी आयोजित की जा सकती है।

P16.8.4. नर्सिंग शिक्षा और नर्स के व्यवसाय में प्रगति: दीर्घकाल में यह उचित होगा की नर्स बनने के लिए बीएससी नर्सिंग को एकमात्र योग्यता माना जाए। वर्तमान में नर्सिंग कर्मचारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए GNM कोर्स को कब और किस तरह से धीरे-धीरे समाप्त किया जाए, इसके बारे में सावधानीपूर्वक निर्णय लिया जाएगा। नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता (विशेषतः पाठ्यक्रम के विषय में) को सुधारा जाएगा और उसे सशक्त बनाया जाएगा।

जो संस्थाएँ नर्सिंग शिक्षा प्रदान कर रही हैं उनकी मान्यता की जाँच हर पाँच वर्षों में होगी और इस उद्देश्य के लिए नर्सिंग शिक्षा और अन्य संबंधित संकायों के लिए राष्ट्रीय मान्यता संस्थान का गठन होगा।

नर्सों के लिए अभ्यासी पाठ्यक्रम (practitioner course) भी शुरू किया जाएगा और इसे भारत भर में मान्यता मिलेगी जिससे जिन स्थानों पर चिकित्सकों का अभाव है वहाँ नर्सों को नियुक्त किया जा सके। नर्सों के लिए विविध स्तर वाले पेशेवर विकास के रास्ते निकाले जाएँगे। सभी नर्सों और नर्सिंग शिक्षा के शिक्षकों हेतु कंटीन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन (CNE) और लाइसेंस के नवीकरण हेतु दिशा निर्देश भारतीय नर्सिंग परिषद (INC) द्वारा तैयार किए जाएँगे। भारतीय नर्सों की एक फेहरिस्त (रजिस्ट्री) तैयार की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर INC की भूमिका को संशोधित और परिवर्तित किया जाएगा।

P16.8.5. किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रतिपादन हेतु संबद्ध स्वास्थ्य शिक्षा: स्वास्थ्य सेवा के प्रतिपादन को प्रभावी और बेहतर बनाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों और अन्य शासकीय केन्द्रों में नियुक्त किए जाने वाले सहायक कर्मचारियों जैसे जनरल ड्यूटी असिस्टेंट (GDA), इमरजेंसी मेडिकल तकनीशियन-बेसिक (EMT-B) और प्रयोगशाला सहायकों को लिए एक या दो वर्ष की अवधि के कौशल आधारित सर्टिफिकेट कार्यक्रम चलाए जाएँगे। इनका पाठ्यक्रम भारत भर में एक सा होगा जिसे स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों और शासन अधिकृत चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के द्वारा हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल के सुझावों के अनुरूप तैयार किया जाएगा और इसकी हर पाँच साल में समीक्षा और संशोधन किया जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अस्पताल आधारित होंगे और इन्हें उन अस्पतालों में चलाया जाएगा जिनमें पर्याप्त सुविधाएँ, स्टेट ऑफ आर्ट सिमुलेशन की सुविधा और विद्यार्थी-मरीजों का अनुपात सही हो। इन पाठ्यक्रमों को ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों के लिए आसान, किफायती और सुलभ बनाया जाएगा। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मेडिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

P16.8.6. स्वास्थ्य सेवा शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना: देश भर में 600 या उससे अधिक जिला चिकित्सालयों को जल्द से जल्द शिक्षा देने वाले अस्पतालों में रूपांतरित किया जाएगा और इसके लिए लक्षित चिकित्सा सेवा विशेषज्ञताओं और योग्य शिक्षकों के लिए राशि का निवेश किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा संस्थान और अस्पताल दोनों को ही कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक रूप से मान्यता प्राप्त करनी होगी। जिला अस्पतालों के उन्नयन और उनमें निवेश की योजना में केवल MBBS, नर्सिंग और दंत चिकित्सा के ही विद्यार्थियों के लिए ही नहीं वरन अन्य सभी संबद्ध संकायों जिनमें प्रशिक्षित लोगों की संख्या कम है और जिन्हें अस्पतालों में व्यवस्थित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, के विद्यार्थियों के प्रवेश और प्रशिक्षण की योजना भी शामिल होगी। देश के हर जिले में चिकित्सा शिक्षा की सभी शाखाओं जैसे औषधि, दन्त चिकित्सा, नर्सिंग, AYUSH और अन्य संबद्ध सेवाओं के लिए समुचित लोगों की व्यवस्था करने के लिए नियमित कालावधि में जैसे हर पाँच साल में CESD द्वारा एक व्यवस्थित योजना बनाई जाएगी।

P16.8.7. स्नातकोत्तर शिक्षा का विस्तार: वर्तमान में कई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में विशेषतः चिकित्सा पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के लिए सीट्स की संख्या बहुत कम हैं। चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीट्स की संख्या MBBS से ठीक आधी हैं। देश भर के अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर इस संख्या को तत्काल प्रभाव से बढ़ाया जाएगा। नई चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों को जिनमें पर्याप्त मरीज़ और शिक्षकों की तथा अन्य शिक्षण सुविधाएँ होंगी, उन्हें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी जाएगी और जिला अस्पताल को किसी चिकित्सा शिक्षा संस्थान से जोड़ा जाएगा। मध्यवर्ती विशेषज्ञताओं को धारण किए लोग पर्याप्त संख्या में मिल सकें, इसके लिए द कॉलेज ऑफ फिजीशियन एंड सर्जन कॉलेज द्वारा प्रस्तावित डिप्लोमा कोर्स जैसे कोर्सेज को देश भर में बढ़ावा दिया जाएगा।

16.9. तकनीकी शिक्षा

तकनीकी शिक्षा में इंजीनियरिंग, तकनीकी, प्रबंधन, स्थापत्य कला, शहर निर्माण योजना, फार्मेसी, होटल प्रबंधन और कैटरिंग तकनीक आदि क्षेत्र शामिल हैं और ये सभी क्षेत्र भारत

के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों में न केवल कई दशकों तक प्रशिक्षित और उच्च योग्यता रखने वाले लोगों की मांग बनी रहेगी वरन् इन क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधानों को संचालित करने के लिए उद्योगों और संस्थानों के बीच बढ़िया तालमेल की भी आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही सभी मानवीय प्रयासों को उन्नत करने में तकनीक के प्रभाव के चलते तकनीकी शिक्षा की अन्य संकायों से दूरी खत्म होगी, ऐसी अपेक्षा है।

पेशेवर शिक्षा में सीखने-सिखाने की प्रक्रियाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है चूंकि ये संकाय न तो पूरी तरह से ज्ञान आधारित हैं, न ही पूरी तरह से कौशल आधारित। इनमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही में ज्ञान और कौशल पर आधारित व्यक्तिगत रचनात्मकता वांछनीय होती है। कई संकायों में उचित पाठ्यपुस्तकों की कमी इस कठिनाई को और भी बढ़ा देती है और चूंकि विद्यार्थियों का प्रदर्शन उनके शिक्षा संस्थान और उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों पर निर्भर होता है अतः इससे उनके प्रदर्शन में कमी की संभावना बढ़ जाती है।

P16.9.1. स्नातक कक्षाओं के पाठ्यक्रम को सशक्त बनाना: इन कक्षाओं के पाठ्यक्रम को संशोधित करते समय यह ध्यान रखना होगा कि इसमें जमीन से जुड़ने और काम करने के अधिक अवसर मिलें और इसका अन्य संकायों के साथ तालमेल भी बना रहे। इंजीनियरिंग और तकनीकी कार्यक्रमों को ऐसे पेशेवर व्यक्तियों के विकास हेतु संशोधित किया जाएगा जो वर्तमान और भविष्य दोनों ही की प्रक्रियाओं के लिए बखूबी तैयार हों, साथ ही जो सामाजिक-आर्थिक तथा पर्यावरणीय बदलाव की जिम्मेदारी दी जाने पर उभरते विज्ञान और तकनीक से सामंजस्य बिठाते हुए काम कर सकें। स्थापत्य कला के भी वर्तमान के समाधान मूलक, उपयोगितावादी प्रक्रिया के अनुरूप गढ़े गए पाठ्यक्रम को इंटरडिसिप्लिनरी तरीके में बदला जाएगा जिसमें शहर निर्माण की योजना, सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र आदि शामिल होंगे जिसके द्वारा भविष्य में ऐसे वास्तुकार तैयार हो सकेंगे जो तकनीकी सुझावों और लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप रहने की जगह निर्मित करने के बीच की खाई को पाटने में समर्थ होंगे। स्थापत्य कला की शिक्षा और उसके व्यवहार में प्रयोग के बीच के अंतर को पाटने के लिए ऐसे पेशेवरों की तैयारी पर ध्यान दिया जाएगा जो समाज की समस्याओं को समझ सके, जिसे

ग्रामीण और शहरी प्रारूपों और आधारभूत संरचना के नेटवर्क की समझ हो और इन सबके समग्रता में समाधान निकाल पाने की काबिलियत हो।

हर संकाय का पाठ्यक्रम लगातार संशोधित किया जाएगा, इसमें दूसरे संकायों की सामग्री भी शामिल की जाएगी जिसे बड़ी ही सावधानी से चुना जाएगा, सिद्धांत और व्यवहार का जुड़ाव, उद्योगों के साथ तालमेल और इंटरनेट के लिए विविध तरह के अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जायेगा। पाठ्यक्रम के अंतरण में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि विद्यार्थी अपने ज्ञान का उपयोग पेशेवर तैयारी और अच्छे आचरण को शामिल करते हुए अलग और अनजाने परिदृश्य में भी कर सके।

P16.9.2. पेशेवर शिक्षा के क्षेत्र में नए और उभरते हुए संकायों पर रणनीतिक रूप

से जोर देना: भारत को उन सभी तकनीकी क्षेत्रों में बढ़त लेने का प्रयास करना चाहिए जो वर्तमान में तेज़ी से विकसित हो रहे हैं जैसे- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 3-D तकनीक, तकनीकी शिक्षा में बड़े डेटा का एनालिसिस और मशीनों से सीखना, जीनोमिक स्टडीज, बायो-टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूरोसाइंस और विज्ञान के ऐसे ही कई क्षेत्र। इन विषयों को और ऐसे ही कई अन्य विषयों को विज्ञान की तीनों राष्ट्रीय अकादमियों और इंडियन नेशनल अकैडमी ऑफ इंजीनियरिंग (INAE) के सहयोग से पाठ्यक्रम में शामिल करते हुए उपयुक्त पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। कार्यरत और सेवा निवृत्त वैज्ञानिकों और अभियंताओं को इन तकनीकी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्यापन के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

P16.9.3. उद्योगों के बीच संवाद को बढ़ाना: नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने

के लिए तकनीकी शिक्षा देने वाले संस्थानों और उद्योगों के बीच संवाद को सशक्त करना होगा। ऐसे संवादों, मान्यता/रैंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न कदम उठाये जायेंगे -

- a. उद्योग और अकादमिक सहभागिता के लिए संस्थानों में उद्योग के उत्कृष्ट और इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित किये जायेंगे (बौद्धिक संपत्ति के लिए संयुक्त वित्त पोषण और सुरक्षा के साथ)।

- b. ऐसे शिक्षकों को नियुक्त करना जिनके पास आवश्यक अकादमिक अहर्ताओं के साथ-साथ उद्योग का और अनुसंधान का अनुभव हो; तकनीकी फैकल्टी के लिए सिर्फ अकादमिक अहर्ताएँ काफी नहीं होगी।
- c. उद्योग के क्षेत्र में चयनित विशेषज्ञों की संस्था के अध्ययन बोर्ड में विशेष स्थान उपलब्ध कराना और अनुबंधित फैकल्टी के रूप में उनकी सेवाएँ लेना।
- d. स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उत्पाद विकसित करने हेतु विद्यार्थियों के लिए समीप के उद्योगों में इंटरनशिप के अवसर मुहैया करवाना | उद्योग इस तरह की सहयोगी गतिविधियों का उल्लेख CSR मद के तहत अपनी वार्षिक रिपोर्ट में करेंगे |
- e. स्टेट ऑफ द आर्ट संसाधन का शैक्षिक उद्देश्य के लिए उपयोग करना, विशेषतः उद्योगों के साथ महँगे उपकरणों को साझा करके या कहीं भी स्थित संसाधनों का परोक्ष (वर्चुअल) प्रयोगशालाओं द्वारा प्रयोग करके।

P16.9.4. तकनीकी शिक्षा में समता एवं समावेश को बेहतर करना: तकनीकी शिक्षा में URGs के नामांकन को बढ़ाने के लिए कई पहलकदमियाँ की जाएँगी | इन प्रयासों में यह सुनिश्चित करना शामिल होगा कि हर जिले में कम से एक सरकार समर्थ , प्रमाणन प्राप्त संस्थान अवश्य हो जो तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रम चलाता हो ; URGs के वे छात्र जो तकनीकी शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं एवं वे जो पहले से ही किसी उच्च गुणवत्ता के तकनीकी शिक्षा संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें मेरिट आधारित छात्रवृत्ति मिले; तकनीकी शिक्षा में लेटरल एंट्री के इच्छुक व्यक्तियों के लिए ब्रिज कोर्स हो | इसके अलावा निजी संस्थानों को इस बात की अनुमति मिलेगी कि वे अपने संसाधनों को बेहतर एवं प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर अतिरिक्त फंड अर्जित करें (उदाहरण के लिए काम के घंटों के बाद संस्थान एग्जीक्यूटिव कार्यक्रम चला सकता है या प्रयोगशाला को कौशल विकास कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है) और उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इस फंड का उपयोग URGs के छात्रों को अतिरिक्त मदद देने के लिए करें |

अध्याय 17

उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सशक्त प्रभावी शासन और प्रभावी नेतृत्व

उद्देश्य:

सक्षम और नैतिक नेतृत्व के साथ स्वतंत्र, स्व-शासित उच्च शिक्षा संस्थान।

नेतृत्व और शासन, संस्थानों के सभी पहलुओं को गहराई से प्रभावित करता है। मजबूत प्रशासन और प्रभावी नेतृत्व द्वारा अच्छे संस्थानों को विकसित करने के लिए अन्य सभी प्रयासों को एक साथ लाया जा सकता है, लेकिन समान प्रयास ज्यादातर कमजोर संस्थागत शासन और खराब नेतृत्व के साथ बदतर हो जाएंगे।

कमजोर नेतृत्व और शासन

दुर्भाग्य से, भारत में उच्च शिक्षा के अधिकांश संस्थानों के शासन और नेतृत्व में गंभीर कमी रही है। इन दोनों स्तरों पर बाहरी हस्तक्षेप से संस्थानों को नुकसान हुआ है।

बाहरी प्रभाव ने संस्था की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को कम कर दिया है, और अक्सर संस्थान के भले के लिए नहीं बल्कि निहित स्वार्थों के लिए काम किया जाता रहा है। इस तरह से बाहरी निकायों के द्वारा अनौपचारिक हस्तक्षेप और उच्च शिक्षा की औपचारिक संरचना और प्रणालियों द्वारा संस्थानों का शासन और नेतृत्व भी गहरे से प्रभावित होता है।

कई पहलुओं से संबंधित निर्णय जो संस्थागत शासन और नेतृत्व के दायरे में होने चाहिए, वह यूजीसी या राज्य और केंद्र के अन्य निकायों के स्तर पर केंद्रीकृत हैं।

कॉलेज अपने पाठ्यक्रमों को बनाने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा कई महत्वपूर्ण तरीकों से नियंत्रित होते हैं। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग और ऐसे अन्य

निकाय अक्सर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अपने पदानुक्रम (hierarchy) के विस्तार के रूप में मानते हैं। यह सब संस्थागत स्वायत्तता को गहराई से हतोत्साहित करते हैं।

संस्थागत शासन के विभिन्न निकाय (जैसे कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद, अदालत) अक्सर व्यवहार में जिम्मेदारी और जवाबदेही की विस्तृत श्रृंखला का आपस में घालमेल करते हैं, जिससे संस्थागत एवं समग्र जवाबदेही प्रणाली का फैलाव हो जाता है।

इन निकायों में व्यक्तियों की नियुक्ति या नामांकन प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जो यह सुनिश्चित नहीं करते हैं कि संस्था के प्रति प्रतिबद्ध, सक्षम व अच्छे और क्षमता वाले व्यक्ति निकायों में हों। इसके बजाय नियुक्ति / नामांकन कभी-कभी एक सामान्य वितरण प्रणाली के तहत हो जाता है।

संस्था प्रमुख अक्सर वे लोग नहीं होते जो इन भूमिकाओं में होने चाहिए। उनमें से बहुतों के पास नेतृत्व करने संगठनों और संस्थानों को आगे बढ़ाने की क्षमता का अभाव होता है।

जिस अनुपात में नैतिक मानकों, संस्थागत प्रतिबद्धता और सार्वजनिक उत्साह जो किसी भी शिक्षा संस्थान का नेतृत्व करने के लिए होना चाहिए, उसका यहां सर्वथा अभाव दिखाई देता है। यह आंशिक रूप से चयन और नियुक्ति प्रक्रिया का एक परिणाम है। ये प्रक्रिया अक्सर उन लोगों द्वारा प्रभावित, संचालित और तय की जाती है, जिनके पास स्वयं संस्थानों की भलाई के लिए आवश्यक प्रतिबद्धता नहीं है, अच्छे नेतृत्व के लिए कोई रचनात्मक साहस नहीं है। इस तरह से कई पहलुओं में ये प्रक्रिया विफल हो जाती है। अक्सर नेतृत्व क्षमता और योग्यता के बजाय वरिष्ठता को महत्व दिया जाता है। कई मुद्दों को तेज करने के लिए ये प्रक्रिया सभी तरह के प्रभाव लिये होती है जैसे : राजनीतिक प्रभाव से लेकर कई स्तर पर निम्नस्तर के भ्रष्टाचार भी इसमें शामिल है।

17.1. सशक्त शासन और प्रभावी नेतृत्व

समाज में विश्वविद्यालयों की विशिष्ट दर्जा दिलाना, डिग्री उपलब्ध करवाने, इसका नवीकरण एवं विकास, विशिष्ट सामाजिक प्रेरणा और स्वीकार्यता शामिल है। इसके लिए इन भूमिकाओं की भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, HIE के आगंतुक या कुलपति के रूप में स्थापित लोग अदा करेंगे।

सभी HEI एक सक्षम और प्रतिबद्ध बोर्ड द्वारा शासित स्वतंत्र संस्थान बन जाएंगे। शासकीय संस्थानों को सशक्त बनाना चाहिए। उसके लिए संस्था के उच्च क्षमता, स्वायत्तता एवं सावधानीपूर्वक चयनित व्यक्तियों के समूह के साथ जाना होगा ताकि संस्थान उत्कृष्टता को प्राप्त कर सके।

यह समूह किसी भी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। अकादमिक और प्रशासनिक नेतृत्व दोनों प्रदान करने में सक्षम होने के साथ निष्पक्ष और सार्वजनिक रूप से इसको प्रतिबद्ध होना चाहिए। यह समूह संस्था के बोर्ड के रूप में निरूपित होगा। इस बोर्ड के साथ HEI की जिम्मेदारी और जवाबदेही आवश्यक विधायी कार्यवाही के माध्यम से होगी, क्योंकि इसमें मौजूदा निकायों की भूमिकाओं, उनकी शक्ति और रिपोर्टिंग संरचनाओं को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता हो सकती है।

HEI की सार्वजनिक जवाबदेही के लिए स्पष्ट प्रक्रिया होगी। यह या तो स्वतन्त्र या उच्च रूप से योग्य व्यक्तियों की बोर्ड में नियुक्ति के द्वारा होगी या जहां सम्भव हो वहां HEI की अदालत में जन-प्रतिनिधि की नियुक्ति करके होगी। अब जबकि हम उच्च शिक्षा की सामग्री और प्रक्रिया को नवीनीकृत करने की दिशा में आगे बढे हैं, तो संस्थागत नेतृत्व की स्थिति में उन लोगों के लिए चयन और व्यावसायिक विकास की प्रक्रिया को फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए।

भूमिका के आधार पर देखा जाये तो प्रत्येक स्थिति के लिए अच्छी तरह से परिभाषित दिशानिर्देश और आवश्यक दक्षताओं के साथ नेतृत्व की स्थिति में लोगों के चयन के लिए दृढ़, निष्पक्ष, योग्यता-आधारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। संस्थानों में सभी नेतृत्व पदों (न केवल प्रमुख पद के लिए) को ऐसी भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त

व्यक्ति को आगे किया जाना चाहिए। इसे वरिष्ठता के आधार पर पेश नहीं किया जाना चाहिए।

नेतृत्व और प्रबंधन के लिए संवेदनशीलता और क्षमता वाले संस्थागत प्रमुखों को चुनने और नियुक्त करने की कसौटी होनी चाहिए। अकादमिक उत्कृष्टता के क्षमताओं का एक ही जैसा प्रारूप नहीं है। जबकि HEI के प्रमुखों में शैक्षिक और शैक्षणिक संवेदनशीलता आवश्यक है, नेतृत्व और प्रबंधन क्षमता महत्वपूर्ण हैं।

नेतृत्व के सभी पदों के लिए नियुक्ति (केवल प्रमुख की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं) को सभी प्रतिबद्धताओं के साथ और निष्पक्ष रूप से आकलन करके करना चाहिए, और प्रतिबद्धता दिखाने वाले लोगों के साथ रचनात्मक ऊर्जा का संचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।

भारत के कुछ और दुनिया के कई सर्वश्रेष्ठ संस्थानों का निर्माण संस्था प्रमुखों ने किया है। हो सकता है कि वे पारंपरिक धारणाओं में फिट न हो।

संस्था प्रमुखों को संवैधानिक मूल्यों और संस्थान की समग्र दृष्टि के साथ तालमेल रखना चाहिए, साथ ही एक मजबूत सामाजिक प्रतिबद्धता, समूह काम करने में विश्वास, बहुलवाद, विविधता के साथ काम करने की क्षमता और एक सकारात्मक दृष्टिकोण जैसी विशेषताओं के लिए होना चाहिए।

ये विशेषताएँ और क्षमताएँ एक HEI के भीतर सभी नेतृत्व भूमिकाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, न कि केवल संस्था के प्रमुख के रूप में।

चूंकि हम संस्थागत स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, मजबूत और नैतिक नेतृत्व महत्वपूर्ण हो जाता है। शासन निकायों और संस्था प्रमुखों के कार्यकाल के दौरान और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। जबकि एक उपयुक्त संस्कृति के विकास को सुनिश्चित करने के लिए कार्यकाल की स्थिरता महत्वपूर्ण है, उसी समय, नेतृत्व के लिए आगामी संस्था प्रमुख एवं उसके तैयारी की योजना बनाई जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी संस्थान की प्रक्रिया को परिभाषित करने वाली बातें व्यावहारिक रूप से नेतृत्व में बदलाव के साथ समाप्त न हो।

मजबूत, विविध अकादमिक और गैर-शैक्षणिक समूहों के निर्माण के लिए प्रयास होना चाहिए। कुछ व्यक्तियों द्वारा किए गए फैसलों के बजाय साझा योजनाएं संस्थागत लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का आधार होना चाहिए।

पर्याप्त वित्त, अकादमिक और प्रशासनिक स्वायत्तता और विधायी सक्षमता प्रदान करने के दौरान, संस्थानों को उन समुदायों के साथ जुड़ने के लिए सामाजिक और वित्तीय प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए जहां वे स्थित हैं।

P17.1.1. सामाजिक प्रेरणा और प्रतिष्ठा: समाज में विश्वविद्यालयों की विशेष स्थिति होगी, जिसमें पुरस्कार स्वरूप डिग्रीयों का समावेशन होगा। इसके नवीकरण और विकास के निकायों के रूप में, विशिष्ट निकायों के माध्यम से एक सामाजिक प्रेरणा की प्रतिष्ठापना होगी जो कि योग्य व्यक्तियों की भूमिकाओं द्वारा निष्पादित की जाएगी।

- a. केंद्रीय विश्वविद्यालय / HEIs (टाइप 1 या 2) भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के आगंतुक होंगे, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय के काम की समीक्षा कर सकते हैं और सलाह दे सकते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो योग्य एवं प्रतिष्ठित व्यक्तित्व वाले लोग होंगे। कुलपति दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे (जब ये प्रस्तुत किया जायेगा) और अदालत की अध्यक्षता भी करेंगे (देखें P17.1.3) यदि वे विश्वविद्यालय में मौजूद हों तो।
- b. राज्य विश्वविद्यालय / HEIs (टाइप 1 या 2) राज्य के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे, जो दीक्षांत समारोह (जो वर्तमान में है) की अध्यक्षता करेंगे, और समय-समय पर विश्वविद्यालय के काम की समीक्षा करने के साथ सलाह भी देंगे।
- c. निजी विश्वविद्यालय / HEI (टाइप 1 or 2) उस राज्य के राज्यपाल जिसमें विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, विश्वविद्यालय के आगंतुक होंगे और दीक्षांत समारोह जब होगा उसकी अध्यक्षता करेंगे। विश्वविद्यालय का प्रायोजक, विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति को नियुक्त करेगा, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय के काम की समीक्षा कर सकता है और सलाह दे सकता है।

- d. इन कार्यालयों के तहत, सभी HEI में एक ही शासन संरचना होगी, जो इस अध्याय के बाकी हिस्सों में विस्तृत रूप से बताया गया है। यदि किसी विशेष प्रकार के संस्थान के मामले में कोई अंतर है, तो यह इस अध्याय के भीतर उचित रूप से विस्तृत किया गया है।

P17.1.2. स्वतंत्र बोर्ड ऑफ गवर्नर्स: सभी HEI, सार्वजनिक और निजी, एक स्वतंत्र BoG द्वारा शासित होंगे, जो कि पूरी स्वायत्तता के साथ संस्था के लिए सर्वोच्च निकाय होगा।

BoG को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाहरी प्रभाव (जैसे राजनीतिक, सरकारी) को समाप्त किया जाए। BoG को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वह HEI उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने वाला सार्वजनिक एवं सक्रिय संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है न कि एक बाज़ारी/वाणिज्यिक निकाय के रूप में। BoG शैक्षिक परिणामों, अनुसंधान परिणामों और अच्छे प्रबंधन के लिए, दक्षता और उत्पादकता सहित, मजबूत और पारदर्शी शैक्षणिक, वित्तीय और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए जवाबदेह होगा।

इन परिणामों का मूल्यांकन BoG और इसके प्रायोजक निकाय (सार्वजनिक या निजी) के बीच पूर्व-स्वीकृत मानदंडों के आधार पर होना चाहिए।

P17.1.3. उच्च शिक्षा संस्थानों की सार्वजनिक जवाबदेही के लिए प्रणाली: संस्थानों के पास सार्वजनिक जवाबदेही के लिए स्पष्ट तंत्र होंगे। उनके शासन तंत्र के भीतर यह दो तरीकों में से एक के माध्यम से हो सकता है:

- a. संस्था के चांसलर के नेतृत्व में एक 'कोर्ट' (जिसे कभी-कभी सीनेट कहा जाता है) का गठन
- b. कोर्ट का गठन वर्तमान में जैसे कुछ CU या CFTI में होता है, या HEI के कानून द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार। इसके लिए सदस्यों का चुनाव नहीं किया जाएगा। इसमें सार्वजनिक हित का प्रतिनिधित्व करते हुए, कुछ चुनिन्दा श्रेष्ठ लोगों को शामिल किया जायेगा। चांसलर इस कोर्ट का नेतृत्व करेगा और BoG प्रत्येक वर्ष HEI के सार्वजनिक योगदान और उसकी प्रगति को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेगा

- c. BoG के कम से कम 50% सदस्य सरकारी सेवा का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति नहीं होंगे अर्थात् सरकार में किसी भी कार्यात्मक/प्रशासनिक/कार्यकारी भूमिका में ना हो और HEI के भीतर कोई भूमिका नहीं रखते हो।

दूसरा दृष्टिकोण दीर्घावधि में सरल और अधिक कुशल हो सकता है। 10 वर्षों के बाद, पहला विकल्प चुनने वाले संस्थान समीक्षा करते हुए अगर बदलाव उपयुक्त लगे तो विकल्प ब में परिवर्तन कर सकते हैं।

P17.1.4. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरपर्सन (अध्यक्ष): BoG अपने ही समूह में से किसी को अध्यक्षता के लिए चुने या इसके लिए बाहर से किसी बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें, जो पहचान की कठोर प्रक्रिया के बाद (जैसे एक खोज समिति के माध्यम से) और BoG की कमान संभाले। BoG की अध्यक्ष की भूमिका एक गैर-कार्यकारी भूमिका है।

P17.1.5. शीर्ष निकाय के रूप में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स: BoG, HEI का शीर्ष निकाय होगा; कोई समानांतर संरचना नहीं होगी और इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी HEI के आंतरिक शासन और प्रबंधन संरचनाओं को फिर से डिजाइन और पुनर्निर्मित किया जाएगा। HEI के सभी निकाय BoG को कुलपति / निदेशक के माध्यम से रिपोर्ट करेंगे। इन पुनः डिजाइन की गए संरचनाओं का संविधान पर पूरी तरह से BoG का विशेषाधिकार होना चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालयों में विशिष्ट विधायी सक्षमता (जैसे कि BoG की भूमिका, कोर्ट की भूमिका में परिवर्तन) की आवश्यकता हो सकती है।

P17.1.6. संचालक मंडल की संरचना: BoG का गठन और नियुक्ति संस्था की प्रभावकारिता के लिए लिंचपिन होगी। BoG में 10-20 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें एक तिहाई सदस्य HEI (जैसे शिक्षक, प्रशासनिक नेतृत्व) संस्था के भीतर से होंगे। संबंधित सरकारें (वह सरकार जो अधिकांश धन उपलब्ध कराती है, वह राज्य जिसमें HEI स्थित है, और केंद्र सरकार) सभी मिलकर BoG के लिए तीन व्यक्तियों तक नामांकन दे सकते हैं। BoG के अन्य सभी सदस्यों को संस्था के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और योगदान करने की क्षमता के अनुसार सावधानी से चुना जाना चाहिए। BoG में HEI के पूर्व छात्रों, स्थानीय

समुदाय और विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के विशेषज्ञों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

BoG के सभी नए सदस्यों की पहचान BoG द्वारा गठित एक समिति द्वारा की जाएगी। BoG इसके बाद व्यक्ति की सदस्यता पर मतदान कर सकता है। यदि बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो BoG उस नए सदस्य को आमंत्रित करेगी। BoG में सदस्यों को चुनने का तरीका, और प्रत्येक विशिष्ट मामले में सदस्यों को चुनने के मानदंडों को सार्वजनिक और पारदर्शी बनाया जाएगा।

P17.1.7. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जिम्मेदारी: BoG जैसे अन्य किसी भी स्वतंत्र संस्थानों की जिम्मेदारियों को निभाता है उसी प्रकार यहाँ भी वह संस्था के लिए जिम्मेदार होगा। इन जिम्मेदारियों में संस्था के उद्देश्य और मिशन को बनाए रखना और नवीकरण करना, रणनीतियों, रिसोर्स, प्रोग्राम, सिस्टम आदि का आयोजन शामिल हैं। जिम्मेदारियों में इस प्रकार कुलपति / निदेशक यानी HEI के मुख्य कार्यकारी (CE) और CE के माध्यम से HEI के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी क्षतिपूर्ति और सेवा शर्तें (देखें P17.1.10-P17.1.14) भी शामिल होगी। इसमें नेतृत्व, संकाय और अन्य सभी प्रशासनिक कर्मचारियों का चयन और नियुक्ति शामिल है। BoG के पास इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का अधिकार होगा और उनके लिए जवाबदेह होगा।

यह अपनी समीक्षा और रिकॉर्ड के पारदर्शिता के माध्यम से सार्वजनिक रूप से HEI के परिणामों के लिए जनता के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होगा। यह NHERA द्वारा अनिवार्य सभी नियामक दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

यह सुनिश्चित करेगा कि प्रभावी और मजबूत शैक्षणिक, वित्तीय और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को विकसित और बनाए रखा जाए; यह CE के माध्यम से BoG द्वारा किया जाएगा।

BoG एक दीर्घकालिक (10-15 वर्ष), एक मध्यम अवधि (5 वर्ष) और अल्पकालिक (1-3 वर्ष) संस्थागत विकास योजना विकसित करेगा, जिसमें वे अपने शैक्षिक और अनुसंधान परिणामों, गुणवत्ता और क्षमता मानकों,

वित्तीय और मानव संसाधन विकास योजनाओं और संगठनात्मक विकास योजनाओं को शामिल करेगा। BoG को IDP के साथ-साथ संस्थान की प्रगति को मापना चाहिए और IDP और उसकी समीक्षा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए।

P17.1.8. सार्वजनिक संस्थानों के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स: सभी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित HEI को 2020 तक एक BoG बनाने होंगे। इस तरह के पहले BoG का गठन मौजूदा शीर्ष सरकारी निकाय द्वारा किया जाएगा जिसकी सदस्यता इस नीति में निर्दिष्ट है। एक तिहाई सदस्यों को दो साल के कार्यकाल के लिए, एक तिहाई को चार साल की योजना के लिए और एक तिहाई को छह साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद, सभी नए सदस्यों को छह साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा। कोई भी सदस्य लगातार दो से अधिक लगातार कार्यकाल के लिए काम नहीं करेगा।

BoG के सदस्य BoG से सेवानिवृत्त हो सकते हैं या BoG के द्वारा निर्धारित किए गए कारणों से हटाए जा सकते हैं या BoG के बाकी सदस्यों द्वारा BoG के सञ्चालन में गैर-योगदान के लिए हटाये जा सकते हैं, जिसके लिए सभी जरूरी फैसले अध्यक्ष द्वारा लिए जायेंगे।

P17.1.9. निजी संस्थानों के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स: HEI के प्रायोजक इस रचना को सार्वजनिक संस्थानों के बराबर मानते हुए HEI के लिए BoG को नियुक्त करेंगे। BoG अपने ही सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करेगा, जिसे प्रायोजक अनुमोदित करेंगे और अन्य उसकी पुष्टि करेंगे।

P17.1.10. उच्च शिक्षा संस्थान के मुख्य कार्यकारी की भूमिका: कुलपति / निदेशक HEI के मुख्य कार्यकारी (CE) होंगे और BoG को रिपोर्ट करेंगे। HEI के भीतर सभी निकाय / प्राधिकरण / संरचना उसे रिपोर्ट करेंगे।

मुख्य कार्यकारी CE एक उच्च क्षमता, ईमानदार और सार्वजनिक भावना का व्यक्ति हो - यह मूल्यांकन करना BoG की जिम्मेदारी होगी। इस के लिए खोज और चयन समिति का गठन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष CE की नियुक्ति करेगा।

नियुक्ति की प्रक्रिया में BoG द्वारा उचित सहयोग के साथ CE (और HEI के अन्य नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए) की भूमिका के लिए योग्य एवं कुशल लोगों को आमंत्रित करने का प्रावधान होगा। इस प्रावधान का उपयोग बाहरी उम्मीदवारों और संस्था के भीतर विकसित किए गए समान योग्यता वाले आंतरिक उम्मीदवारों, जिन्हें HEI के द्वारा पहचाना गया हो, के लिए किया जा सकता है।

संस्थानों में नेतृत्व की भूमिका (CE सहित) उसे सौंपी जाएगी जो सबसे उपयुक्त व्यक्ति होगा। नेतृत्व और प्रबंधन के लिए संवेदनशीलता और क्षमता, इन संस्थानों के लीडर को चुनने और नियुक्त करने की कसौटी होगी। शैक्षिक और शैक्षणिक संवेदनशीलता जितनी आवश्यक होगी, नेतृत्व और प्रबंधन क्षमता उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया में इन सभी का कठोरता से और निष्पक्ष रूप से आकलन किया जाएगा। उन क्षमतावान उम्मीदवारों को चुनने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए जो पारंपरिक धारणाओं में फिट नहीं होते।

इसके कार्यकारी हेड और लीडर होने के नाते CE, IDP को एंकर करेगा और HEI और उसके सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार होगा। जो CE, BoG की मंजूरी के साथ, अनुसंधान परिषद और प्रबंधन बोर्ड आदि जैसे विभिन्न साथियों के लिए आंतरिक संरचना और तंत्र बनाने का निर्णय ले सकता है।

BoG की मंजूरी के साथ CE, HEI के भीतर वर्तमान में मौजूदा संरचना को बंद करने, पुनर्गठित करने, पुनर्परिभाषित करने और बदलने के लिए स्वतंत्र होगा।

छात्रों के कुछ निकायों के अलावा, HEI के भीतर किसी भी निकाय / संरचनाओं में कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होगा।

P17.1.11. अन्य नेतृत्व भूमिकाओं के लिए चयन: अन्य शैक्षणिक और परिचालन नेतृत्व पदों (जैसे डीन, विभागों के प्रमुख) के लिए लोगों को CE के समान, सजग, कठोर, निष्पक्ष, योग्यता आधारित प्रक्रिया से चुना जाएगा और हर पद की भूमिका के आधार पर और उस भूमिका के लिए आवश्यक दक्षताओं के लिए

निर्धारित दिशानिर्देश होंगे। इन प्रक्रियाओं द्वारा निर्देशित, इन सभी की नियुक्ति CE द्वारा की जाएगी।

P17.1.12. एक नेतृत्व पाइपलाइन बनाना: संस्थानों को नेतृत्व क्षमता वाले लोगों को उनके करियर में जल्द ही पहचान लेना चाहिए और उन्हें क्षमता निर्माण अनुभवों (जैसे अतिरिक्त जिम्मेदारियों, भूमिकाओं के लिए जो लोगों की किस्मों को संभालने की आवश्यकता होती है, नेतृत्व पर पाठ्यक्रम और उच्च शिक्षा में कानूनी / वित्तीय मुद्दों पर) से गुजरना चाहिए जिससे वो इस भूमिका के लिए सही समय पर तैयार हो सके। इसमें CE सहित सभी नेतृत्व भूमिकाओं के लिए उत्तराधिकारी नियोजन शामिल होना चाहिए। आईडीपी के लिए एक उत्तराधिकार नियोजन प्रक्रिया होनी चाहिए।

P17.1.13. कार्यकाल और सुचारु परिवर्तन की स्थिरता: नेतृत्व के पद में स्थिरता (न्यूनतम पांच वर्ष का कार्यकाल) सुनिश्चित की जाएगी। पदग्राही से नेतृत्व की भूमिका लिए के लिए बदलावों को अच्छी तरह से योजनाबद्ध किया जाएगा और ये बदलाव ओवरलैप की अवधि सहित सुचारु रूप से होंगे।

P17.1.14. संस्थानों के प्रमुखों और नेतृत्व की भूमिकाओं में अन्य के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास: नेतृत्व के पदों पर बैठे लोगों के लिए CDP के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। नयी भूमिका में आसानी से ढलने के लिए नए लीडर को औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। समान पदों पर अन्य सहयोगियों के लिए अन्य तंत्र जैसे कि नियुक्ति के बाद, व्यावसायिक सम्मेलन / सेमिनार, पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रम या औपचारिक उन्नत डिग्री पाने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, और नेतृत्व पदों पर आसीन लोगों के लिए संबंधित क्षेत्रों में लोग प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन जैसे प्रोग्राम उपलब्ध कराने चाहिए। वाइस चांसलर / डायरेक्टर्स अपने अनुभव साझा करें और एक दूसरे से सीख सके इसके लिए फोरम विकसित की जाएगी।

P17.1.15. उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र मजबूत परिचालन टीम: उच्च शिक्षा संस्थानों में गैर-शैक्षणिक भूमिकाओं के लिए लोगों के चयन और विकास में समान

रूप से मजबूत फोकस और निवेश होगा। इन भूमिकाओं के महत्व और उनके योगदान को मान्यता दी जाएगी। गैर-अकादमिक भूमिकाओं की सेवा शर्तें और सशक्तीकरण के मौके अकादमिक भूमिकाओं के समान होंगे।

P17.1.16. जीवंत शैक्षिक कार्यक्रमों और कठोर शैक्षणिक मानकों के लिए

अकादमिक परिषद: HEI का AC यह सुनिश्चित करेगा कि संस्था के कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं में उच्चतम शैक्षिक और शैक्षणिक मानकों को बनाए रखा जाए। सभी कार्यक्रम पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन योजनाएं ऐसे अन्य मामले हैं जिनका अकादमिक मानकों पर असर पड़ता है, उन्हें AC द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। AC का गठन CE द्वारा किया जाएगा, जिसमें BoG द्वारा अनुमोदित सदस्यता मानदंड होंगे। AC में HEI के संकाय से सदस्य और बाहरी सदस्य भी होने चाहिए, और इसकी अध्यक्षता CE द्वारा की जाएगी।

P17.1.17. संसाधन जुटाने के लिए मजबूत संरचनाएं और तंत्र - विकास कार्यालय:

उच्च शिक्षण संस्थान संसाधन जुटाने के स्थायी तरीकों के विकास और निर्माण के लिए सशक्त और प्रभावी संरचनाएं स्थापित करेंगे। इस तरह के 'विकास कार्यालय' में पर्याप्त संसाधन होंगे कैसे। वैश्विक नेताओं से संसाधन जुटाने के प्रयास कैसे किए जाएं, इसमें सहयोग दिया जायेगा। योग्य लोगों को विकास कार्यालय के लिए भर्ती किया जाएगा। विकास कार्यालय द्वारा जोड़ी गई धनराशि सार्वजनिक धन का विकल्प नहीं होना चाहिए; ये धन हमेशा HEI के लिए उपलब्ध कराए गए सार्वजनिक धन के अतिरिक्त होगा यानी सार्वजनिक धन विकास कार्यालय की सफलता के साथ कम नहीं होगा।

P17.1.18. समाज के साथ संबंध के लिए प्रभावी संरचना और तंत्र:

HEI स्थानीय समुदायों और व्यापक समाज की सेवा के लिए प्रत्यक्ष और प्रभावी योगदान हेतु सशक्त और प्रभावी संरचनाएं (जैसे सामाजिक योगदान परिषद या सामुदायिक कार्य परिषद) स्थापित करेगा। हालांकि इन संरचनाओं में योग्य और प्रासंगिक लोग होंगे पर शिक्षकों से उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप इन

प्रयासों में योगदान करने की उम्मीद की जाएगी; और यह उनके मूल्यांकन का एक हिस्सा बनेगा।

P17.1.19. सार्वजनिक संस्थानों का वित्त पोषण: सार्वजनिक निधि को IDP के आधार पर ब्लॉक अनुदान के रूप में सार्वजनिक संस्थानों को दिया जाना चाहिए। इसके लिए HEI (अपने BoG के माध्यम से) और संबंधित सरकारी विभागों / निकाय के बीच लंबी और मध्यम-अवधि IDP के आधार पर धन मुहैया कराने के लिए एक समझौता होना चाहिए। इसमें संस्थान को चलाने की सभी मूलभूत लागतों, जिसमें सभी कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति लागत, सभी सुविधाओं के रखरखाव (जैसे बुनियादी ढाँचा, सीखने के संसाधन), कार्यक्रमों की सभी आवर्ती लागत (जैसे प्रयोगशालाओं, इंटरनशिप पर खर्च) प्रवेश) के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता शामिल होगी आदि।

सरकार को धन कैसे खर्च हो इसके सूक्ष्म प्रबंधन में शामिल नहीं होना चाहिए और न ही अल्पकालिक IDP के साथ शामिल होना चाहिए।

HEI को सार्वजनिक धन के अच्छे और जिम्मेदार उपयोग के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। पर इससे HEI की स्वायत्तता पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। HEI को प्रयाप्त वित्तीय सहयोग प्राप्त हो और इस धन का प्रयोग करने का अधिकार, किसी भी वित्तीय नीति या राजनीतिक अर्थव्यवस्था, जैसे बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षित होना चाहिए। इसके लिए एक ठीक संतुलन की आवश्यकता है, जो वर्तमान में कुछ सफल सार्वजनिक HEI द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। यह नीति सभी HEI के लिए इस ठीक संतुलन को सक्षम करने के लिए एक ढांचा तैयार कर रही है, जबकि यह अंततः उन लोगों पर निर्भर करेगा जो प्रासंगिक भूमिकाओं के लिए कर्मचारी हैं।

P17.1.20. शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता: HEI को उत्कृष्टता में अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए वास्तविक और पूर्णरूप से शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता होगी। यह एक अवधि में किया जाएगा जिससे कि HEI में स्वायत्तता के साथ-साथ प्रभावी ढंग से काम करने के लिए क्षमता और एक प्रणाली विकसित की जा सके। HEI को इस विकासात्मक पथ पर प्रासंगिक और अन्य HEI संस्थानों द्वारा मेंटरशिप के

माध्यम से सहयोग किया जाएगा। अन्य प्रकार के सहयोग, उदाहरण के लिए, अनुभवी सलाहकार, सहयोगी फोरम द्वारा अनुभव और विशेषज्ञता कुछ मुद्दों जैसे लोगों और प्रबंधन प्रणाली जैसे मामलों पर सहयोग प्रदान किए जाएंगे।

- a. अकादमिक स्वायत्तता, विभिन्न विषयों में प्रोग्राम शुरू करने और पाठ्यक्रम को तय करने, शिक्षक और उनकी योग्यता सहित आवश्यक शैक्षिक संसाधनों का निर्धारण, अनुसंधान कार्यक्रमों को विकसित करने और उन्हें आगे बढ़ाने, छात्रों के लिए मानदंड और संख्या तय करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगी। एक से अधिक परिसरों को चलाने, ODL कार्यक्रम चलाने और अन्य सभी शैक्षणिक और शैक्षिक मामलों पर स्वतंत्रता होगी। HEI की स्वायत्तता में आने वाले सभी अकादमिक/शैक्षिक मामलों में पारदर्शिता होगी और ये सार्वजनिक होंगे। HEI अपनी अकादमिक स्वायत्तता को शैक्षिक और नैतिक जिम्मेदारी के साथ निभाएगा। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके शैक्षिक कार्यक्रम PSSB (देखें P18.3.1) द्वारा निर्धारित विभिन्न व्यावसायिक मानकों और GEC द्वारा व्यक्त 'उच्च शिक्षा से सीखने के परिणाम' (P18.3.2 देखें) के अनुसार हों।
- b. शीर्ष पर एक स्वतंत्र बोर्ड के साथ, स्वायत्त और स्वतंत्र संस्थाएं बनने के माध्यम से, HEI द्वारा प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त की जाएगी। पारदर्शिता अपनाते हुए और अपने हितधारकों और आम जनता के प्रति जवाबदेह रहते हुए यह बोर्ड कुलपति / निदेशक / मुख्य कार्यकारी को नियुक्त करने, शासन और संस्थान के सभी मामलों पर निर्णय लेगा। इसमें फैकल्टी सहित अपने सभी कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रबंधन के लिए स्वतंत्रता (क्षतिपूर्ति-जबकि कटौती की अनुमति नहीं होगी) शामिल हैं; अपने आंतरिक शासन और प्रबंधन संरचनाओं की स्थापना; और अपनी खुद की वृद्धि और विकास पथ पर नियंत्रण। CE संस्थान का नेतृत्व करेगा और बोर्ड CE के माध्यम से प्रबंधन करेगा।
- c. स्थिरता और निश्चितता वाले सार्वजनिक HEI को पर्याप्त सार्वजनिक धनराशि देकर वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त किया जाएगा। इन सभी

हितधारकों को दीर्घकालिक IDP से तालमेल करके सक्षम बनाया जाएगा। निजी HEI अपनी वित्तीय स्वायत्तता के लिए व्यवस्था करेंगे, लेकिन अन्य सभी मामलों में निजी और सार्वजनिक HEI की स्थिति समान और स्वतंत्र होगी। सभी HEI (निजी और सार्वजनिक) पारदर्शी और सार्वजनिक रूप से अपने ऑडिट किए गए वित्तीय और अन्य वित्तीय मुद्दे जैसे कि शुल्क का खुलासा करेंगे। निजी HEI अपने सभी कार्यक्रमों, 50% छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में सामाजिक जवाबदेही का निर्वहन करते हुए, की फीस निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। HEI ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ, वित्तीय स्वायत्तता का प्रयोग करेगा; कोई भी वित्तीय अव्यवस्था निश्चित और त्वरित नियामक कार्रवाई के लिए मांग करेगी, जिसमें जहां वारंट किया गया हो वहां HEI को बंद करना शामिल होगा।

- d. वित्तीय स्वायत्तता को संस्थानों की क्षमता और ईमानदारी के साथ विकसित किया जाएगा। वित्तीय स्वायत्तता को किसी भी तरह से मनमाने वित्तीय फैसलों या वित्तीय ईमानदारी की कमी की स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए, जैसे वेतन में मनमानी कटौती, गबन, धन शोधन, रिश्त-मामूली या बड़ी।
- e. जवाबदेही स्वायत्तता के साथ आएगी। HEI अपने शैक्षिक परिणामों, अपने कामकाज में ईमानदारी और आपने काम में समाज की भलाई के लिए जिम्मेदार होगा।

P17.1.21. वित्तीय जवाबदेही: सभी HEI अपने ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों को रिपोर्ट करेंगे और सार्वजनिक रूप से प्रमुख वित्तीय मामलों का खुलासा करेंगे; ऑडिटिंग और वित्तीय प्रकटीकरण में सेक्शन 8 (नॉट-फॉर-प्रॉफिट) जो अपेक्षित है उसका अनुसरण करेंगे। HEI की वित्तीय स्थिरता का आश्वासन भी होना चाहिए, क्योंकि अस्थिरता से छात्रों का भविष्य दांव पर लग सकता है। HEI के कार्य समाज की भलाई के लिए हैं इस बात के स्पष्ट संकेत दिखने चाहिए और ऑडिट किए गए वित्तीय सबूत हो जिससे यह विश्वास बने कि HEI एक गैर लाभकारी संस्था है।

HEI, NHERA प्रकटीकरण के एक प्रोफार्मा द्वारा सार्वजनिक रूप से फीस, शैक्षिक सुविधाओं सहित संकाय संख्या और छात्र अनुपात, छात्रावास, पुस्तकालय, और अन्य सभी सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण मामलों का खुलासा करेगा। प्रकटीकरणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि HEI ने जो छात्रों को वादा किया है, उसे ही डिलीवर कर रहा है, वह इस प्रोफार्मा में है - प्रोफार्मा में केवल श्रेणियां होंगी, जिनके पास कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

HEI के पास वित्तीय ईमानदारी को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नियंत्रक प्रणाली होनी चाहिए। NHERA, अन्य संबंधित निकायों द्वारा कार्रवाइयों के अलावा, वित्तीय अभिरुचि के मामलों में निर्णायक और त्वरित कार्रवाई करेगा।

P17.1.22. विधायी सक्षमता: इस अध्याय और विशेष रूप से अगले अगले अध्याय की नीतियों को केंद्र और राज्यों में व्यापक विधायी सक्षमता की आवश्यकता होगी, जो RSA द्वारा सक्षम होगी।

अध्याय 18

नियामक प्रणाली का रूपांतरण

उद्देश्य:

उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता और सार्वजनिक सेवा भाव को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी, सक्रिय और उत्तरदायी विनियमन ।

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है । पिछले कुछ दशकों में, खासकर निजी क्षेत्र में इसका विस्तार भी काफी तेज़ी से हुआ है ।

उच्च शिक्षा के समन्वय और विकास के लिए विनियमन

इतनी बड़ी शिक्षा प्रणाली के प्रबंधन में कुछ अंतर्निहित चुनौतियाँ हैं जिन्हें हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कुछ सफलताएँ मिली हैं और कुछ में नहीं मिली हैं । सार्वजनिक संस्थान की बात करें तो इसकी पहुँच, समता, प्रति विद्यार्थी लागत को मुनासिब करने की कोशिश और जद्दोजहद ने हमारी चुनौतियों को और बढ़ाया है।

जबकि केंद्रीकृत नियामक निकायों की स्थापना अनिवार्य रूप से देश भर में समन्वय स्थापित करने, कुछ मानकों के आधार पर नियमों का निर्धारण करने पर आधारित थी, जिसकी भूमिका हमेशा इसे आसान बनाने की थी । स्वायत्तता एक मूल सिद्धांत था जिससे प्रत्येक संस्थान अपने अधिकार, विज्ञान और भूगोल द्वारा निर्धारित अपनी अनूठी संस्कृति को बगैर समझौता किए विकसित कर सके ।

वर्तमान चुनौतियाँ

समय के साथ-साथ नियामक निकायों के अधिकार स्थानांतरित हो गए हैं। यह विशेष रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी/UGC) के लिए सच है जो नियामक के साथ-साथ अनुदान देने की संस्था के तौर पर दोहरी भूमिकाएँ निभाता है। निर्णय जो विश्वविद्यालयों के दायरे में होने चाहिए, मसलन दूरस्थ शिक्षा में कोई योजना शुरू करना, कोई नया विभाग/स्कूल खोलना, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ काम में शिरकत करना, इन सबके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी/UGC) की अनुमति की आवश्यकता होती है। यह न केवल स्वायत्तता को कम करता है, बल्कि निर्भरता का माहौल भी उत्पन्न करता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करता है जो स्थानीय कारकों को ध्यान में नहीं रखते।

यह अकादमिक विकास के लिए घातक है।

स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हम किसी प्रॉफिश्रल कोर्स को नियंत्रित करने वाले कई स्वतंत्र निकायों पर गौर करते हैं और प्रत्यायन/मान्यता के लिए प्रयाप्त संख्या में निकायों की कमी को देखते हैं। पहले के परिणामस्वरूप किसी प्रॉफिश्रल कोर्स को एक ही संस्थान के भीतर कई नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मसलन किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित तकनीकी शिक्षा के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी/UGC) ही नियामक निकाय नहीं होगा बल्कि उस कार्यक्रम के विशिष्ट डोमेन से संबंधित नियामक भी होगा। बाद वाले के परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्याओं में ऐसे संस्थान हैं जिन्हें प्रत्यायन प्राप्त होना बाक़ी है, इस प्रकार उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर बहस करना एक पूर्णतः सैद्धांतिक क्रिया बन के रह जाती है जो ज़मीनी स्थिति से व्यापक रूप से नावाक़िफ़ है।

दुनिया भर में देखें तो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को शुरू करने की सबसे कठिन शर्तें हैं, हालांकि यह काफी हद तक संसाधन और निवेश जुटाने, भूमि मानदंड एवं अन्य शर्तों से संबंधित हैं। साथ ही यह संकाय-सदस्य की योग्यता और पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन के लिए ऐसी कठोर शर्तों की मांग करती है जो केंद्रीकृत और पुरानी है, तथा जो एक प्रभावी नियामक प्रणाली के बजाए निरीक्षण केन्द्रित व्यवस्था बन गयी है। विडंबना यह है कि,

निरीक्षण केन्द्रित व्यवस्था से संबंधित रिकॉर्ड लगातार रूप से यह प्रमाणित करते हैं कि इससे अनुचित प्रथाएं, कार्यप्रणाली और संस्थानों बंद नहीं होती हैं।

क्या करना होगा

सबसे बुनियादी सिद्धांत यह है कि विनियमन का कार्य, शिक्षा का प्रावधान, वित्तीय सहायता, प्रत्यायन और मानकों को तय करना स्वतंत्र और सशक्त निकायों द्वारा किया जाना होगा। यह व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन बनाने, हितों के टकराव को कम करने और साथ ही केंद्रीकृत अधिकारों को कम करने के लिए आवश्यक है।

समूचे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक सामान्य विनियामक व्यवस्था होनी चाहिए जो संस्थानों के अलगाव और एकाकीपन को खत्म करे।

नियामक को सरल मगर मजबूत, एवं सुगम तरीके से नियंत्रित होना चाहिए अर्थात् कुछ जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनका प्रभावी ढंग से नियंत्रण होना चाहिए लेकिन अधिकांश निर्णय लेने के लिए एचईआई (HEIs) पर छोड़ देना चाहिए जो कि संस्थान की स्वायत्तता के लिए बहुत ज़रूरी है।

इस तरह के विनियमन के लिए प्राथमिक तंत्र प्रत्यायन (Accreditation) होगा जिसे एआई (Accreditation Institutions) एआई (AI) के स्वतंत्र तंत्र द्वारा किया जा सकता है जिसमें मुख्य रूप से परिणामों पर ध्यान केन्द्रित हो। विशिष्ट संस्थान सीखने और अभ्यास के किसी विशेष क्षेत्र में मानकों या अपेक्षाओं को निर्धारित कर सकते हैं, जबकि उनकी कोई नियामक भूमिका नहीं होगी। एचईआई (HEIs) यह खुद तय करेंगे कि उनके शैक्षिक कार्यक्रम इन मानदंडों और विचारों को किस प्रकार से देखते हैं, और वे ज़रूरत पड़ने पर मदद मांगने के लिए भी सक्षम होंगे। इस तरह का बनाया हुआ स्वरूप और तंत्र अलग-अलग कार्य करने वाले निकायों के सिद्धांत को जीवंत करेगा, यह एचईआई (HEIs) को अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय रूप से पूर्ण स्वायत्तता के साथ सशक्त करेगा। इसका मतलब यह है कि एचईआई (HEIs) में कोई बाहरी दखल नहीं होगा, यहाँ तक कि फंडिंग एजेंसियों का भी नहीं। एचईआई (HEIs) की स्वायत्तता प्रयाप्त सार्वजनिक अनुदान (public funding) के साथ बनी रहेगी। ज़िम्मेदारी और जवाबदेही मुख्य रूप से एचईआई (HEIs) के लिए विकसित की जाएंगी। निजी और सार्वजनिक एचईआई (HEIs) के बीच कोई फर्क नहीं किया जाएगा।

विनियमन सुशासन के साथ-साथ सार्वजनिक सेवा भाव, समता, उत्कृष्टता, वित्तीय स्थिरता व नियमितता, नैतिकता व ईमानदारी को सुनिश्चित करने के लिए परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। विनियमन, प्रक्रियाओं को आसान बनाने वाला व कम से कम पेचीदा होना चाहिए।

इस बदलाव के लिए मौजूदा संरचनाओं और संस्थानों को एक प्रकार के विकास से गुज़रना होगा। कार्यों के विभाजन से प्रत्येक संस्थान के पास नई भूमिकाएँ होंगी जो नई योजनाओं के लिए प्रासंगिक, सार्थक और महत्वपूर्ण है।

नए एचईआई (HEIs) की स्थापना को आसान बनाया जाएगा, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से यह सुनिश्चित करते हुए कि यह लोक-सेवा की भावना और उचित वित्तीय सहायता के साथ दीर्घकालिक स्थिरता के लिए स्थापित किया गया है।

18.1. नियामक प्रणाली की रूप-रेखा और बनावट

P18.1.1. व्यवस्था, संरचना और विनियम की संस्कृति के लिए मौलिक डिज़ाइन और संचालन सिद्धांत:

- **कार्यों का विभाजन:** विनियमन, शिक्षा के प्रावधान, वित्त पोषण, प्रत्यायन और मानक तय करने के कार्यों को अलग किया जाएगा, और यह एक ही संस्थान या संस्थागत पदानुक्रम द्वारा निष्पादित नहीं किया जाएगा। यह सारी चीज़ें स्वतंत्र और सशक्त निकाय द्वारा ही तय होगी।
- **विनियमन का स्वरूप:** विनियमन उत्तरदायी, न्यूनतर और सुगम होगा जिससे सार्वजनिक उत्साह, वित्तीय स्थिरता, ईमानदारी और सुशासन सुनिश्चित किया जा सके। कुछ सार्थक और महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से विनियमित करना चाहिए, जबकि बाक़ी सारी चीज़ों पे निर्णय शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों द्वारा ही लिये जाने चाहिए। नियामक प्रणाली में एचईआई (HEIs) और अन्य सभी संस्थानों द्वारा जानकारी और सूचनाओं को सार्वजनिक करना और इसकी

पारदर्शिता को सुनिश्चित करते हुए "लोकमत की अदालत" को नियामक आवश्यकताओं द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

- **विनियमन का डिज़ाइन:** विनियमन पारदर्शी और बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व प्रदान करते हुए सिस्टम के परिणामों पर केन्द्रित होगा ना कि निवेश पर। सार्वजनिक एवं निजी एचईआई (HEIs) को एक ही मापदंड, बेंचमार्क और प्रक्रियाओं पर विनियमित किया जाएगा। प्रौद्योगिक एवं व्यावसायिक (vocational) शिक्षा सहित पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही नियामक होगा। एक स्वतंत्र निकाय एचईआई (HEIs) के प्रत्यायन मापदंडों को तय करेगा। एचईआई (HEIs) को मान्यता/प्रत्यायन देने के लिए प्रत्यायन संस्थान (AIs) की व्यवस्था एवं प्रणाली स्वतंत्र होगी, जो विनियमन के लिए मुख्य तंत्र होगा। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यायन एक मूलभूत सिद्धांत या यूँ कहें कि बुनियादी पत्थर होगा।
- **मानकों को तय करना:** निकायों का एक समूह सीखने और अभ्यास के एक विशेष क्षेत्र में मानकों या अपेक्षाओं को निर्धारित करेगा। इन निकायों की कोई नियामक भूमिका नहीं होगी। एचईआई (HEIs) इन मानकों और अन्य विचारों जैसे सीखने या अभ्यास के किसी विशेष क्षेत्र की आवश्यकताएँ एवं सामाजिक आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर सभी शैक्षिक एवं संसाधनीय निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- **वित्तीय व्यवस्था:** सार्वजनिक संस्थानों का वित्त पोषण उन निकायों द्वारा किया जाएगा जिनके पास नियामक, मानकों को तय करना या प्रत्यायन की भूमिका नहीं होगी। इस उद्देश्य के लिए विशिष्ट अधिकार प्राप्त निकाय हो सकते हैं। एचईआई (HEIs) के आईडीपी (IDP) के अनुसार वित्त पोषण की प्रतिबद्धता लंबे समय के लिए होगी।
- **जवाबदेह संस्थान:** राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा एक प्रणाली स्थापित की जाएगी ताकि इस प्रणाली में सभी निकाय अपनी जिम्मेदारियों को पूरा

करने के लिए जवाबदेह हो सकें। इस प्रणाली के तहत राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा सामयिक समीक्षा की जाएगी और उस समीक्षा के परिणामों को सार्वजनिक किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

इस अध्याय में आगे के नीतिगत बिन्दु इन सिद्धांतों के आधार पर नियामक की पूर्ण बनावट और व्यवस्था को विस्तार पूर्वक बताता है। यह नीति इस ओर ध्यान दिलाती है कि इन नीतियों को लागू करने में उपरोक्त सिद्धांतों की भावना का पालन करना नितांत आवश्यक है।

P18.1.2. नियामक की बनावट: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण, प्रोफेशनल शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के लिए एकमात्र नियामक होगा (P18.1.4). NAAC कई प्रत्यायन संस्थानों को मिलाकर एक व्यवस्था विकसित करेगा और प्रत्यायन प्रक्रियाओं की देखरेख करेगा। एचईजीसी (HEGC) प्रोफेशनल शिक्षा सहित पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र में विकासात्मक अनुदान और फेलोशिप के वित्तीय पोषण के लिए जिम्मेदार होगा। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान (यूजीसी/UGC) आयोग उच्च शिक्षा अनुसंधान परिषद (एचईजीसी/HEGC) में बदल जाएगा। एनसीटीई (NCTE), एमसीआई (MCI), बीसीआई (BCI), और एआईसीटीई (AICTE) सहित अन्य सभी मौजूदा निकाय पीएसएसबी (PSSBs) में बदल सकते हैं। वे (पीएसएसबी/PSSBs) प्रॉफेशन (जैसे शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, आदि) के लिए मानकों को तय कर सकते हैं। इसके अलावा सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी/GEC) उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के प्रतिफल (learning outcomes) को तय करेगा जिसे “ग्रेजुएट अट्ट्रिब्यूट” भी कहा गया है। इसके अलावा सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी/GEC) एनएचईक्यूएफ (NHEQF) के माध्यम से **क्रेडिट ट्रान्सफर, equivalence** आदि मुद्दों के लिए सुविधाजनक मानदंड तय करेगा (P18.3.2)। नीति मानती है कि नियामक व्यवस्था और बनावट में आमूलचूल बदलाव समय और प्रयास ले सकता है। कुछ मामलों में परिवर्तन की समयावधि अगले 5-7 वर्षों की हो सकती है। इस तरह के विवरण नीचे के सेक्शन में दिये हुए हैं।

P18.1.3. नए नियामक रूपरेखा के अंतर्गत संस्थानों की जिम्मेदारियाँ: नियामक रूपरेखा और बनावट के अंतर्गत प्रत्येक संस्थान की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाएगा। मौजूदा अधिनियम, जिसके तहत मौजूदा नियामक प्राधिकरण और साथ ही प्रोफेशनल निकाय (professional body) बनाए गए हैं, उन्हें सक्रिय एवं सक्षम बनाने के लिए आवश्यक रूप से संशोधित किया जाएगा। साथ ही साथ यह संस्थान देश में शैक्षिक परिणामों की गुणवत्ता के लिए अलग से और समूहिक रूप से जवाबदेह होंगे।

अधिकार क्षेत्रों को अलग-अलग रखा जाएगा, और आरएसए (RSA) द्वारा तैयार किए गए निकायों के बीच समन्वय के लिए औपचारिक तंत्र होगा। आरएसए (RSA) देश में शिक्षा के लिए सर्वोच्च निकाय होगा (अध्याय 23 देखें)। इसके लिए प्रत्येक निकाय आईबी (IB/ Independent Board) द्वारा नियंत्रित और संचालित होंगे। आईबी (IB) में शामिल लोगों की संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता, सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता और लोक-सेवा में किए गए कार्यों की उपलब्धियाँ होंगी। सभी आईबी (IBs) का गठन आरएसए (RSA) द्वारा किया जाएगा जबतक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, जैसे PSSBs- अपवादों के मामले में, आईबी (IBs) को आरएसए (RSA) द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। सभी निकायों के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरएसए (RSA) द्वारा नियुक्त किए जाएँगे। ये निकाय अपने आईबी (IBs) के माध्यम से आरएसए (RSA) के प्रति जवाबदेह होंगे। आरएसए (RSA) प्रत्येक 5 वर्षों में विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र समूह के माध्यम से इन सभी निकायों और पूरी तंत्र/प्रणाली के कामकाज की समीक्षा करेगा। इस समीक्षा के निष्कर्ष/परिणाम और तंत्र के कामकाज में सुधार की कार्ययोजना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

P18.1.4. उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एकमात्र नियामक: सभी उच्चतर शिक्षा के लिए एनएचईआरए (NHERA) एकमात्र नियामक होगा।

एनएचईआरए (NHERA) निम्नलिखित आयामों के आधार पर विनियमन करेगा: सुशासन, वित्तीय पारदर्शिता और स्थिरता एवं शैक्षिक परिणाम।

नियामक के आयाम और मापदंड गैर-व्यावहारिक, निदेशात्मक और सीमित नज़रिये से देखने वाला नहीं होगा, उन्हे समाज, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी आदि में परिवर्तन के हिसाब से समय और परिस्थिति की मांग को देखते हुए उनका संबोधन करना होगा। वे भी विस्तार के उस स्तर पर नहीं होंगे जो सशक्तिकरण के मूल सिद्धांत के अनुरूप नहीं हैं। इस समग्र और महत्वपूर्ण प्रयासों के साथ तीनों आयामों (विनियम के आयाम) के सिद्धांत होंगे:

- **सुशासन:** इस आयाम का उद्देश्य स्पष्ट शासन तंत्र सुनिश्चित करना और इन तंत्रों को एचईआई (HEIs) के व्यवहार में लाना होगा। सुशासन के कार्यों के लिए एक सिफ़ारशी रूपरेखा होगी जो कि उच्चतर शिक्षा, सिविल सोसाइटी, व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में आईबी (IBs) द्वारा चलाये जा रहे संस्थानों के वैश्विक सुशासन क्रियाओं से प्रेरित होगी। हालांकि एचईआई (HEIs) सुशासन के इन सिद्धांतों के साथ अपने तंत्र और कार्यप्रणाली खुद स्थापित करने के लिए स्वतंत्र होगा। विनियमन केवल यह सुनिश्चित करेगा कि इनका कार्यान्वयन पारदर्शी और सार्वजनिक हो। सुशासन के सिद्धांतों की एक सूची के लिए इस अध्याय के अंत में बॉक्स को देखें।
- **वित्तीय पारदर्शिता और स्थिरता:** इस आयाम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि एचईआई (HEIs) के सभी वित्तीय मामलों को कानूनी रूप से संचालित किया जाए और पारदर्शी तरीके से रिपोर्ट किया जाए। यह संस्थान आर्थिक रूप से सम्पन्न हो, वित्तीय रूप से स्थिर हो और इसके वित्तपोषण में नियमितता हो ताकि विद्यार्थियों को शैक्षिक कार्यों में व्यवधान या बाधा का सामना नहीं करना पड़े। फीस और छात्रवृत्ति सहित एचईआई (HEIs) द्वारा की गयी सभी वित्तीय प्रतिबद्धता जिस तरह से स्वीकार्य की गयी थी उन्हे लागू किया जा रहा होगा। इसके लिए भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा सुझाया वित्तीय लेखा परिक्षण (financial audit) के सर्वोत्तम तरीकों का उपयोग किया जा सकता है।

- **शैक्षिक परिणाम:** इस आयाम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक एचईआई (HEIs) के अपने लक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट शैक्षिक परिणाम निर्धारित करें, उन्हें सार्वजनिक करें, और इन लक्ष्यों के अनुरूप एचईआई (HEIs) की प्रगति का निरंतर पारदर्शी आकलन हो। इसकी प्रक्रियाओं का विनियमन किसी विशेष परिणाम या इसके स्तर का निर्धारण नहीं करेगा। शैक्षिक परिणाम, उदाहरण के लिए विद्यार्थियों की संख्या और विविधता, विभिन्न कार्यक्रमों के सीखने के आकलन, शोध पत्रों का प्रकाशन आदि हो सकते हैं। यह सब परिणामों की गुणवत्ता पर केन्द्रित होना चाहिए न कि इनपुट, संसाधन, प्रक्रियाओं, शर्तों पर, जब तक कि ये विद्यार्थियों और एचईआई (HEIs) समुदाय की सुरक्षा और बचाव को प्रभावित नहीं करता है।

एनएचईआरए (NHERA) शिकायतों और समस्याओं को सुनने और निपटने के लिए देशभर में प्रयाप्त संख्या में लोकपाल के साथ लोकपाल तंत्र स्थापित करेगा जो लोगों को आसानी से अपनी शिकायतें और समस्याएँ रखने का मौका सुनिश्चित करेगा।

एनएचईआरए (NHERA) के पास एक अर्ध-न्यायिक दर्जा होगा और जरूरत पड़ने पर उन मामलों के त्वरित न्यायिक समाधान के लिए एक सहायक निकाय स्थापित करना होगा जो न्यायिक निर्णय ले सके। इस निकाय के देशभर में कार्यालय हो सकते हैं, जिन्हें जो एचईआई (HEIs) नियामक मानदंडों का पालन करने में विफल रहते हैं उन्हें किसी भी अन्य माध्यम से बंद करने, मान्यता रद्द करने या दंडित करने के लिए पूरी तरह से सशक्त और अधिकृत किया जाएगा।

जबतक एनएचईआरए (NHERA) और इसके नियामक तंत्र चल रहे हैं, मौजूदा नियामक प्राधिकरणों को उचित कानून के जरिये पूरी तरह से सशक्त करना चाहिए ताकि वो यह सुनिश्चित कर सकें कि उनकी निगरानी में एचईआई (HEIs) पूरी तरह से नियामक मानदंडों को पूरा कर रहे हैं और उनके संचालन में निष्ठा और ईमानदारी है। इन नियामक प्राधिकरणों को तब एक व्यवस्थित योजना विकसित करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए इसे लागू करना चाहिए कि एचईआई (HEIs) में कोई कदाचार और भ्रष्टाचार न हो। और इस तरह के कोई भी उदाहरण हों तो उसे अवश्य रूप से दंडित करना चाहिए, जिसमें संस्थान

को बंद कराना भी शामिल है। इससे अच्छे और सार्वजनिक सेवा भाव वाले संस्थान को मजबूत प्रोत्साहन मिल सकता है और ऐसे संस्थान बंद किये जा सकते हैं जिनमें ईमानदारी और नैतिक सिद्धांतों की कमी है। इस योजना और इसके कार्यान्वयन की समीक्षा आरएसए (RSA) द्वारा की जाएगी।

P18.1.5. नए नियामक व्यवस्था का कार्यान्वयन: एनएचईआरए (NHERA) अपने गठन के 6 महीने के भीतर NAAC और अन्य संबंधित निकायों के साथ मिलकर एक नई नियामक व्यवस्था के लिए विस्तृत योजना तैयार करेगा। इस योजना में सभी निकायों (NHRA, NAAC, PSSBs, GEC, HEGC, AIs, HEIs, etc.) की भूमिका, कार्यप्रणाली, कार्यविधियाँ, प्राधिकरण, जिम्मेदारियाँ एवं जवाबदेही तंत्र का विवरण शामिल होगा। आरएसए (RSA) इस योजना की समीक्षा करेगा और मंजूरी के बाद इसे लागू करेगा।

18.2. प्रत्यायन विनियमन का आधार

P18.2.1. उच्चतर शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन: HEIs का प्रत्यायन नियामक प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। NAAC में कुछ बदलाव करते हुए इसे पुनर्निर्मित किया जाएगा और इसको यूजीसी (UGC) से अलग करके पूरी तरह से स्वतंत्र और एक स्वायत्त निकाय में बदला जाएगा और सभी विषयों और क्षेत्र में उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों की मान्यता या प्रत्यायन की देखरेख की जिम्मेदारी दी जाएगी।

NAAC अपनी नयी भूमिका में शीर्ष स्तर के प्रत्यायन प्रदानकर्ता के रूप में कार्य करेगा और भारत में एचईआई (HEIs) के कार्यभार से निपटने के लिए हर 5-7 वर्ष में एक बार जितने एआई (AIs) की ज़रूरत होगी उतने को लाइसेंस जारी करेगा।

यह इन एजेंसियों को ट्रेनिंग भी दे सकता है और अवश्य रूप से एआई (AIs) और एचईआई (HEIs) के बीच के विवादों का निपटारा कर सकता है। एआई (AIs) के उपयोग हेतु आरएसए (RSA) द्वारा संबंधित कई हितधारकों जैसे

NHERA, NAAC, AIs, PSSBs और अन्य के परामर्श से एक आईएएफ़ (IAF/ Institutional Accreditation Framework) तैयार किया जाएगा। इसे समय और परिस्थिति के अनुकूल, और लचीला होना चाहिए न कि कठोर और अकल्पनीय। इसे परिणामों और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, न कि इनपुट या प्रक्रियात्मक मापदंडों पर। विनियमन (किसी संस्थान को शुरू करने या रखने के लिए लाइसेंस) विनियमन के आयामों (P18.1.4) पर आधारित होगा जिसका विवरण पहले दिया जा चुका है। अन्य आयाम और मापदंड संस्थानों को बेहतर और श्रेष्ठ करने के लिए होंगे। विनियमन के ये आयाम प्रत्यायन का एक अहम हिस्सा होगा, जिस पर विनियमन आधारित है। जबकि अन्य आयामों का उपयोग एचईआई (HEI) द्वारा सुधार करने के लिए और पारदर्शिता बनाने के लिए किया जा सकता है।

आईएएफ़ (IAF) को पहले कार्यान्वयन के सात वर्षों के भीतर व्यापक तौर पर सार्वजनिक परामर्श से संशोधित करना चाहिए। प्रत्यायन प्रणाली के स्थापित होने तक एवं एचईआई (HEI) को उसके प्रत्यायन मिलने तक उन्हें (विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत सहित) मौजूदा संबंधित व्यवस्था द्वारा विनियमित किया जाएगा।

एचईआई (HEIs) के प्रत्यायन और स्वायत्ता लेने के बीच 12-24 महीने का समय अंतराल हो सकता है और इस अवधि में यह चरणवार तरीके से स्वायत्तता हासिल कर सकता है। इसे एचईआई (HEIs) के आईडीपी (IDP) का हिस्सा बनना चाहिए।

वर्तमान में सभी एचईआई (HEIs) को 2030 तक स्वायत्त कर दिया जाएगा। इसमें सभी प्रकार के एचईआई (HEIs) शामिल हैं - सामान्य, प्रोफेशनल और व्यवसायिक जो किसी भी अध्ययन के माध्यम से छात्रों को डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करते हैं।

संबद्ध विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन संबद्ध कॉलेजों के शैक्षिक परिणामों के हिसाब से होगा। जबकि प्रत्यायन संस्थागत होगा और एचईआई (HEIs) के लिए कार्यक्रम प्रत्यायन पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। इस तरह के कार्यक्रमों को विभिन्न निकायों द्वारा प्रत्यायन दिया जा सकता है, लेकिन इसका असर

एचईआई (HEIs) पर नहीं पड़ेगा जो पूर्ण पाठ्यक्रम स्वायत्तता के साथ कार्यक्रम चला रहे हैं।

संस्थागत प्रत्यायन मानदंड ओडीएल (ODL) के मामले पर विशेष ध्यान देंगे, जिसका पूर्व में जाने अनजाने में दुरुपयोग और उसकी आपत्तिजनक गुणवत्ता की वजह से उसको नुकसान हुआ हो।

एचईआई (HEIs) को प्रत्यायन में उच्च गुणवत्ता वाले ओडीएल (ODL) देने के लिए एचईआई (HEIs) के क्षमता का आकलन भी शामिल होगा जो ओडीएल (ODL) के बिना प्रत्यायन कर सकता है।

P18.2.2. प्रत्यायन से स्वायत्तता के सफर की योजना: मौजूदा कॉलेजों को प्रत्यायन प्राप्त करने और एक दशक की अवधि में स्वायत्त होने के लिए एक चरणबद्ध योजना लागू की जाएगी। संशोधित और मजबूत प्रत्यायन तंत्र के आधार पर कॉलेजों की गुणवत्ता का आकलन किया जाएगा। पहले से प्रत्यायन प्राप्त कॉलेजों को अगले तीन वर्षों के भीतर उचित ग्रेडेड ऑटोनोमी (graded autonomy) दे दी जाएगी।

सार्वजनिक एचईआई (सरकारी कॉलेजों को मिलाकर) की सहायता के लिए विशेष वित्तीय कोष बनाया जाएगा; और उन्हें परामर्श और मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। नए स्वायत्त सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को एक बार अनुदान दिया जाएगा ताकि वह अपने इनफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकें। राज्य सरकारों को भी इस तरह का वित्तीय कोष बनाना होगा और अपने कुछ बेहतरीन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उदार अनुदान प्रदान करना होगा ताकि वे अपनी स्वायत्तता का पूरा इस्तेमाल कर सकें। ये योजनाएँ नई उच्च शिक्षा की संस्थागत बनावट और एमएन (MN) और एमटी (MT) की योजनाओं को स्थापित करने के लिए राज्य की योजनाओं का एक अहम हिस्सा होंगी।

P18.2.3. एनएएस/NAAC का नया रूप: NAAC नई उच्च शिक्षा प्रणाली में केन्द्रीय भूमिका निभाएगा। NAAC को पूरी तरह से नई कल्पना और विचार की आवश्यकता होगी। इन भूमिकाओं को निभाने के लिए NAAC की क्षमता को

विकसित करना होगा। गवर्नेंस और प्रबंधन को बदलना होगा ताकि ईमानदारी, नैतिकता और श्रेष्ठता सुनिश्चित हो सके। आरएसए (RSA) इस रूपान्तरण की योजना बनाने और उसे संभव करने के लिए एक कमेटी का गठन करेगी।

P18.2.4. एआई (AI) का उच्च गुणवत्तापूर्ण और नैतिकता, ईमानदारी का दृढ़

पालन करने वाला तंत्र: NAAC के लिए सबसे ज़रूरी कार्य प्रयास संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले नैतिक, न्यायप्रिय और ईमानदार एआई (AIs) को स्थापित करना होगा। प्रत्येक 100-200 एचईआई (HEIs) के लिए एक एआई (AI) की आवश्यकता हो सकती है। यह अनुमान NAAC की योजना में सटीक होना चाहिए और पहले 2-3 वर्षों के अनुभव के आधार पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। NAAC द्वारा उचित संख्या में सार्वजनिक एवं निजी गैर-लाभकारी संस्थानों को एक एआई (AI) के रूप में कार्य करने के लिए लाईसेंस दिया जाएगा जिसे मेटा अक्क्रीडिटेशन (meta accreditation) कहते हैं। एचईआई (HEI) और अन्य गैर-लाभकारी निकाय भी प्रत्यायन एजेंसियों/सेल्स को स्थापित करने के लिए चुन सकते हैं और वह लागत वसूलने के लिए अपनी सेवाओं के लिए शुल्क ले सकते हैं।

NAAC यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित और संचालित करेगा की एआई (AIs) 'कैलीब्रेटेड (calibrated)' हैं, यानी प्रत्यायन प्रक्रियाओं और उसके मापदंडों की एक सामान्य साझा समझ है, और यह एक ही एचईआई (HEI) के लिए विभिन्न एआई (AIs) द्वारा दिये गए प्रत्यायन में कम से कम भिन्नताओं से पता चलता है।

एआई (AIs) के स्वयं के कामकाज की समीक्षा 3-5 वर्षों में सख्ती से की जाएगी। उन्हें अपने कार्य के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा, जिसमें लिए गए निर्णय और इसको लेने वाले लोगों पर नज़र रखी जाएगी। प्रत्यायन इस प्रकार किया जाएगा कि परामर्श और राय प्रदान करने वाले लोग और एआई (AI) पर जनता का विश्वास हो और वे जिन भी संस्थानों का प्रत्यायन कर रहे हैं उनकी गुणवत्ता की ज़िम्मेदारी ले। एचईआई (HEIs) की रेटिंग और रैंकिंग जनता की राय और मार्केट फोर्स (market forces) पर छोड़ दी जाएगी।

इसकी प्रक्रियाओं और तंत्र को विकसित करने के लिए NAAC द्वारा एक विस्तृत योजना जून 2020 तक तैयार कर ली जाएगी और इसकी समीक्षा और स्वीकृति के लिए आरएसए (RSA) को सौंपा जाएगा। इसमें एक ऐसी प्रणाली होगी जहाँ एआई (AIs) का सांयोगिक तरीके से एचईआई (HEIs) को आंवंटन किया जाएगा। सभी एचईआई (HEIs), एनएचईआरए (NHERA) को सालाना एक 'प्रत्यायन शुल्क' का भुगतान करेंगे - जो एक मामूली राशि होगी - लेकिन एआई (AIs) के सभी खर्चों/लागत के लिए प्रयास होगा।

P18.2.5. एआई (AIs) काम को आसान करने और मार्गदर्शक के रूप में: प्रत्यायन के लिए अहर्ता प्राप्त करने के लिए संस्थानों को उस योग्य बनाने हेतु एआई (AIs) को उन्हें सरल व आसान बनाने वाला, सहायता व परामर्श प्रदान करने वाले के रूप में काम करना चाहिए। भविष्य में संस्थानों द्वारा प्रत्यायन प्राप्त करने के सभी प्रयास उनके लिए क्षमता संवर्धन अभ्यास बन जाएँगे। किसी एचईआई (HEIs) के लिए मार्गदर्शक प्रदान करने वाला एआई (mentoring AI) उस संस्थान को प्रत्यायन देने वाला एआई (AI) नहीं हो सकता है।

P18.2.6. आम जनों तक प्रत्यायन संबंधी जानकारी की उपलब्धता: प्रत्यायन से संबंधित डाटा (आंकड़े), प्रक्रियाएँ, आकलन, निर्णय और औचित्य सभी पारदर्शी रूप से जनता के लिए ऑनलाइन और अन्य किसी भी रूप में आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। सूचनाओं और जानकारीयों को पूरी तरह से सार्वजनिक करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का उद्देश्य लोगों में इसके प्रति अधिक से अधिक भरोसा और निष्ठा पैदा करना है।

18.3. मानकों को तय करने वाले निकाय

P18.3.1. मौजूदा नियामक निकाय पीएसएसबी (PSSBs) में बदल जाएँगे: अन्य सभी मौजूदा नियामक प्राधिकरण जैसे NCTE, AICTE, MCI, BCI, आदि

अपना नियामक कार्य एनएचईआरए (NHRA) को हस्तांतरित करेंगे जो उच्च शिक्षा के लिए एकमात्र नियामक बन जाएगा। ये निकाय खुद को PSSBs में बदल सकते हैं। PSSBs को अपने संबंधित प्रॉफेशन के लिए बौद्धिक नेतृत्व का प्रकाशस्तंभ/मार्गदर्शक बनना चाहिए और इसलिए इसमें चयनित लोग भी उस प्रकार से क्षमता रखते हों इसका ध्यान रखना चाहिए। इस परिवर्तन की विस्तृत योजना इन निकायों से संबंधित प्रत्येक मंत्रालय द्वारा अपने संविधान और गवर्नेंस सहित तैयार किया जाएगा व उसका कार्यान्वयन किया जाएगा। PSSBs किसी क्षेत्र में होने वाली इंटरनशिप आदि व संबंधित अन्य मामलों के लिए प्रॉफेशनल मानक बना सकता है, जो उस क्षेत्र के कार्यप्रणाली को नियंत्रित करे।

शिक्षा प्रणाली इन मानकों के प्रति परिस्थिति और समय की मांगों के अनुकूल होगी। पाठ्यचर्या, शिक्षणशास्त्र, आकलन व शिक्षकों की आवश्यकताएँ, इन सभी पहलुओं सहित प्रॉफेशनल मानकों पर एचईआई (HEIs) को विशेषाधिकार प्राप्त होगा। PSSBs एक पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार कर सकता है जो एचईआई (HEIs) की इस प्रक्रिया को आसान बनाएगा।

कार्यक्रमों/कोर्सों का प्रत्यायन उपलब्ध कराया जा सकता है। हालांकि, ऐसा कोई भी प्रत्यायन एचईआई (HEIs) के लिए पूरी तरह से स्वेच्छिक होगा, और इस तरह के किसी भी कार्यक्रम को डिज़ाइन करने और चलाने के लिए एचईआई के स्वायत्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः इस नीति का मूल सिद्धांत (इस मामले पर) यह है कि प्रॉफेशनल क्षेत्र के लिए शिक्षा को शिक्षा प्रणाली के तौर पर ही विनियमित और नियंत्रित किया जाना चाहिए, जबकि प्रॉफेशनल निकायों को खुद ही प्रॉफेशनल क्षेत्र को नियंत्रित और विनियमित करना चाहिए।

P18.3.2. जीईसी (GEC) के कार्य: उच्च शिक्षा प्रणाली से स्नातक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से अपेक्षित गुण और सीखने को निर्धारित करने के लिए जीईसी (GEC) का एक अकादमिक नेतृत्व संस्था (Academic leadership institute) के रूप में गठन किया जाएगा। यह सभी विषयों और क्षेत्रों के लिए पूर्वस्नातक, स्नातक और डॉक्टरेट स्तर पर होगा। इन “ग्रेजुएट

अट्रीब्यूट्स” में विषय आधारित ज्ञान और संग्यानात्मक, सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक क्षमताओं एवं मनोवृत्ति की एक सीमा भी शामिल होनी चाहिए जो अच्छी शिक्षा के उद्देश्य हैं। आरएसए (RSA) इन परिणामों के लिए हर 5 साल में उच्च शिक्षा प्रणाली का विद्यार्थियों के सैपल बेस्ड मूल्यांकन पर आंकलन करेगा।

एनएचईक्यूएफ़ (NHEQF), जीईसी (GEC) द्वारा बनाया जाएगा और इसे एनएसक्यूएफ़ (NSQF) के समकालीन किया जाएगा। उच्च शिक्षा योग्यता के प्रतिफल के रूप में डिग्री/डिप्लोमा, प्रमाणपत्र का निर्धारण एनएचईक्यूएफ़ (NHEQF) द्वारा किया जाएगा।

यह वर्गीकरण प्रणाली के प्रत्येक स्तर से अपेक्षित लक्ष्यों और सीखने के प्रतिफलों का विवरण शामिल करने के लिए एमएचआरडी (MHRD) की शिक्षा के वर्तमान भारतीय मानक वर्गीकरण (InSCED) का विस्तार करके संभव होगा। इस तरह के विवरण विश्वविद्यालयों को अपने स्वयं के पाठ्यचर्या की रूपरेखा और पाठ्यचर्या को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से अनुकूल और तुलनात्मकता बनाने में मदद करेगा।

एनएचईक्यूएफ़ (NHEQF) कुछ प्रक्रियाओं में सुगमता और लचीलेपन की अनुमति देगा- 'क्रेडिट ट्रान्सफर' की एक प्रणाली लागू की जाएगी जिससे विद्यार्थियों के विषय चयन और इसमें बदलाव निम्नलिखित तरीकों से संभव हो सके: स्ट्रीम्स ऑफ स्टडि में बदलाव (जैसे- कला से विज्ञान, व्यवसायिक से विज्ञान), अध्ययन क्षेत्रों के संयोजन का चुनाव (जैसे- संगीत और रसायन), कार्यक्रम में दाखिले और उससे निकलने के आसान तरीके, और संस्थानों और कार्यक्रमों में स्थानांतरण।

विद्यार्थियों को बिना रुकावट और बाधा के शिक्षा के अवसरों का लाभ उठाने के लिए जीईसी (GEC) क्रेडिट ट्रान्सफर, equivalence और इसी प्रकार के लिए राष्ट्रीय मानदंड स्थापित करेगा। आरपीएल (RPL) के लिए एक प्रणाली भी निर्धारित की जाएगी। एनएचईक्यूएफ़ (NHEQF) भारत के लिए विभिन्न देशों के साथ डिग्री को पारस्परिक रूप से पहचान देने के लिए पेक्ट्स/संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए आधार भी बन सकता है।

जीईसी (GEC) कार्यक्रमों और कोर्सेज के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करेगा जो एचईआई को कार्यक्रम शुरू करने और चलाने में मदद करेंगे जब तक कि वे इन मामलों पर पूरी तरह से स्वायत्त होने की क्षमता विकसित न कर लें। ये रूपरेखाएँ अनिवार्य नहीं होंगी बल्कि सिफारिशी और मार्गदर्शक के रूप में होंगी।

18.4. अन्य निकायों की भूमिका

P18.4.1. एचईजीसी (HEGC) की भूमिका: संस्थानों या किसी विशेष को वित्तपोषण की ज़िम्मेदारी को जारी रखते हुए यूजीसी (UGC), एचईजीसी (HEGC) में तब्दील हो जाएगा।

संस्थानों के लिए वित्तीय मापदंड का पुनः परीक्षण, सरलीकरण और उसे सुव्यवस्थित किया जाएगा। एआईसीटीई (AICTE) की वित्तपोषण की भूमिका एचईजीसी (HEGC) को भी हस्तांतरित की जा सकती है। एचईआई (HEIs) में कर्मचारियों (संकाय सदस्य या अन्य कर्मचारियों) के लिए वेतन निर्धारित या संकेत करने और ना ही एचईआई (HEIs) के लिए किसी भी प्रकार के मानक स्थापित करने की कोई भी भूमिका एचईजीसी (HEGC) के पास होगी। यह किसी भी शोध/अनुसंधान के लिए वित्तपोषण नहीं करेगा। यह पूरी तरह से एनआरएफ़ (NRF) द्वारा किया जाएगा जिसमें इनफ्रास्ट्रक्चर अनुसंधान भी शामिल है।

P18.4.2. उच्च शिक्षा और एसएचईसी (SHEC) के राजकीय विभाग: उच्च शिक्षा का राज्य विभाग जैसा कि इस नीति में परिकल्पना की गयी है, उच्च शिक्षा संस्थागत बनावट (institutional architecture) के विकास सहित राज्य में उच्च शिक्षा प्रणाली के समग्र सुधार के लिए उसके अनुरूप नीति निर्माण, समन्वय और तारतम्यता स्थापित करने की भूमिका निभाएगा। इसमें सार्वजनिक एचईआई (HEIs) को उनके आईडीपी (IDP) के आधार पर प्रयाप्त वित्तीय सहायता का प्रावधान शामिल होगा। SHECs (जिन राज्यों

में मौजूद हैं), एचईआई (HEIs) के बीच एक-दूसरे की सहायता करने के लिए सुविधा और सहूलियत प्रदान करने वाले निकाय में बदलेगा। शिक्षा का राज्य विभाग और एसएचईसी (SHEC) का एचईआई (HEIs) पर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होगा, और इसकी कोई नियामक भूमिका नहीं होगी।

P18.4.3. सरकार की भूमिका में संतुलन: सार्वजनिक उच्च शिक्षा क्षेत्र को जीवंत और उत्साहपूर्ण बनाने और विकसित करने के लिए सरकार की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी - इसे आवश्यक रूप से उच्चतर शिक्षा के लिए वित्तीय वायदे और प्रतिबद्धता को बढ़ाना होगा (P17.1.19 देखें)। यहाँ इस बिन्दु पर ज़ोर दिया जा रहा है वित्तीय पोषण करने वाले संस्थान (इस स्थिति में सरकार) के नियंत्रण करने की प्रवृत्ति को रोकना है और साथ ही जो संस्थान नियंत्रित नहीं कर सकते उनकी प्रतिबद्धता को कम होने से भी रोकना है।

एचईआई (HEIs) के वित्तपोषण के लिए वर्तमान में जिम्मेदार मंत्रालय और विभाग उनके वित्तीय प्रायोजक बने रहेंगे अर्थात् उनके लिए आर्थिक प्रबंधन जारी रखेंगे।

बारी-बारी से इनकी भूमिका की समीक्षा आरएसए (RSA) द्वारा की जाएगी। सरकार को विशेष तौर पर अच्छी संस्थानों की मदद उन्हें प्रयाप्त भूमि (बिना समुदाय को नुकसान पहुंचाए) दिला कर के करनी चाहिए।

P18.4.4. निजी संस्थानों के प्रायोजकों की भूमिका: निजी संस्थानों के प्रायोजकों को आवश्यक रूप से वित्तीय पारदर्शिता और नियमित वित्तीय सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना संस्थागत गवर्नेंस से समझौता होगा।

18.5. नए उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना

P18.5.1. नए उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना: कोई भी नया एचईआई (HEI) केवल संसद या राज्य विधानसभा द्वारा या एनएचईआरए (NHRA) के “एचईआई चार्टर (HEI Charter)” द्वारा स्थापित किया जाएगा। नए एचईआई (HEIs) स्थापित करना बहुत आसान हो जाएगा, मगर यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित

करना होगा कि ये सार्वजनिक सेवा भाव और लंबे समय के स्थायित्व के लिए उचित वित्तीय संबल के साथ स्थापित किए गए हैं।

‘एचईआई चार्टर’ को कुछ निर्दिष्ट मानदंडों के पारदर्शी आकलन के आधार पर प्रदान किया जाएगा। जबकि मानदंड का विस्तृत विवरण एनएचईआरए (NHERA) द्वारा करना होगा, जिसमें सार्वजनिकता का भाव, दीर्घकालिक स्थायित्व, वित्तपोषण के स्रोत, गवर्नेंस की मजबूती, और साथ ही जानकारीयों में पारदर्शिता, लोगों की विश्वसनीयता और काबिलियत शामिल हो ताकि उच्च गुणवत्ता वाले संस्थान के स्थापना को सुनिश्चित किया जा सके। जबकि एचईआई (HEIs) शुरू करने और चलाने के लिए प्रारम्भिक चार्टर इन मानदंड, तंत्रों और सामयिक समीक्षा के आधार पर दिया जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे चार्टर का पालन कर रहे हैं उपरोक्त प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा।

एनएचईआरए (NHERA) एक मॉडल अधिनियम तैयार करेगा जो एचईआई की स्थापना करने वाले किसी भी विधि-निर्माण निकाय को सूचित कर सकता है। एचईआई को सशक्त बनाने और इसे हर संभव स्वतंत्रता देने के लिए यह मॉडल अधिनियम इस नीति की भावना के पूर्णतः अनुकूल होगा।

कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजेज़, ऑफ कैम्पसेज़ और मल्टिपल कॉलेजेज़, को देश भर में (मौजूदा और नए) एचईआई द्वारा स्वतंत्र रूप से शुरू किया जा सकता है - इन्हें किसी नियामक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज विश्वविद्यालय का एक अभिन्न हिस्सा होगा जो उन्हें शुरू करता और चलाता है।

सभी नवगठित एचईआई (HEIs) को अपनी स्थापना के 5 वर्ष के भीतर एनएचईआरए (NHERA) द्वारा अनिवार्य रूप से प्रत्यायन प्राप्त कर लेना चाहिए और उन्हें 10 वर्ष के भीतर दूसरे एआई (AI) द्वारा दूसरा प्रत्यायन प्राप्त कर लेना चाहिए। यह दूसरा एआई पहले जिसने प्रत्यायन दिया था उससे अलग होना चाहिए।

P18.5.2. नए उच्च शिक्षा संस्थानों का वर्गिकरण: 2020 से सभी नई कॉलेज टाइप 3, यानि कि स्वायत्त कॉलेजेज़ के रूप में स्थापित होंगे। 2030 के बाद कोई भी अप्रिफ्लिएटेड कॉलेजेज़ नहीं होंगे। सभी कॉलेजेज़ को या तो स्वायत्त, डिग्री प्रदान करने वाली कॉलेजेज़ या विश्वविद्यालय बनने की और विकास करना होगा।

18.6. समान नियामक व्यवस्था

P18.6.1. समान नियामक व्यवस्था - निजी उच्च शिक्षा संस्थान: सभी एचईआई (सार्वजनिक व निजी) को इस नियामक व्यवस्था के भीतर समान माना जाएगा। विनियामक व्यवस्था शिक्षा में निजी परोपकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करेगी। साथ ही यह शिक्षा के व्यवसायिकरण को समाप्त करेगी।

सभी निजी एचईआई (HEIs) को सार्वजनिक संस्थानों के समान मानदंडों के साथ नियंत्रित और विनियमित किया जाएगा, जबतक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो। निजी एचईआई (HEIs) को इस नीति और राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों के संबंध में उनके नीतिगत अधिनियमों के अलावा अन्य आरक्षण दिशा-निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

P18.6.2. निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के चलाने के दिशा-निर्देश: आरएसए (RSA), एचईआई (HEIs) बनाने वाले सारे विधान अधिनियमों के लिए समान राष्ट्रीय अधिनियम जारी करेगा। ये समान न्यूनतम दिशा-निर्देश इस तरह के अधिनियमों को इस नीति की भावना को पूरी तरह से शामिल करते हुए निजी संस्थान एचईआई (HEIs) की स्थापना कर सकेंगे, इस प्रकार नीति व सार्वजनिक एचईआई (HEIs) के लिए समान नियामक व्यवस्था को बना सकेंगे। इन समान दिशा-निर्देशों में सुशासन, वित्तीय नियमितता व सुरक्षा, शैक्षिक परिणाम और इस अध्याय में वर्णित हर पहलू में पारदर्शिता शामिल होंगी। ये दिशा-निर्देश देश भर में अनुरूपता व समानता को बना पाएंगे और अधिनियमों को 'एचईआई चार्टर' और 'मॉडल अधिनियम' के समान बना पाएंगे। इस तरह की कार्यवाही यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार के निजी

एचईआई (HEIs) की स्थापना और कामकाज गैर-लाभकारी जनहित उद्देश्यों के लिए है नाकि व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए ।

जिस सार्वजनिक एचईआई (HEIs) की स्थापना की गयी है, उसमें इस नीति की भावना, स्थापना के सभी अधिनियमों और उसके कामकाज में पूरी तरह से दिखाई देगी।

P18.6.3. निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के लोकहित कार्यों की प्रकृति को ज़ाहिर करने

की फीस व्यवस्था: परोपकारी और जनहित कार्यों के इरादे वाले निजी एचईआई (HEIs) को फीस निर्धारण की प्रोग्रेसिव (progressive) व्यवस्था के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा । यह व्यवस्था निजी HEIs को उनके कार्यक्रमों की स्वतंत्र रूप से फीस निर्धारित करने के लिए सशक्त करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके विद्यार्थियों के एक अहम हिस्से को निशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति मिले । यह शुल्क व्यवस्था लागत की उचित वसूली सुनिश्चित करेगी यह सुनिश्चित करते हुए कि एचईआई (HEIs) अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करे ।

निजी एचईआई (HEIs) द्वारा उनके सभी कार्यक्रमों के लिए निर्धारित की गयी फीस, व किसी कार्यक्रम में नामांकित विद्यार्थियों के दल के लिए फीस में वृद्धि नहीं होनी चाहिए । साथ ही यह पारदर्शी और पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए । कार्यक्रम के अगले सत्र में नामांकित होने वाले विद्यार्थियों के लिए फीस बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उनके नामांकन से पहले । फीस में वो सभी राशि शामिल होगी जो एचईआई के सभी मदों या एजेंसियों द्वारा एकत्रित की जाती है, जिसमे हॉस्टल फीस शामिल है लेकिन भोजन के लिए शुल्क शामिल नहीं है ।

नामांकन 'नीड बलाइंड' के आधार पर किया जाएगा यानि आवेदकों को केवल उनकी योग्यता पर आंका जाएगा, भले ही वह ट्यूशन फी के भुगतान की क्षमता नहीं रखता हो। और एचईआई (HEIs) उन सभी प्रवेश के लिए फंडिंग और वित्तीय सहायता की आवश्यकता के समय वित्तपोषण की व्यवस्था के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा ।

एचईआई यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रत्येक कार्यक्रम में 50% विद्यार्थियों को 25-100% तक की फीस में छूट दी जाएगी। फीस की माफी सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों को वंचित की वर्तमान परिभाषा के आधार पर दी जाएगी, और एचईआई द्वारा फीस माफी की उपयुक्तता को निर्धारित करने के मानदंड को सार्वजनिक रूप से घोषित किया जायेगा।

- कम से कम 20% विद्यार्थियों को हर कार्यक्रम/कोर्स में 100% की फीस छूट दी जाएगी।
- कम से कम 30% विद्यार्थियों को हर कार्यक्रम/कोर्स में 100% से 25% तक की फीस में छूट होगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि फीस में छूट उन परिवारों के विद्यार्थियों के लिए होगी जिनकी आय हाल के एनएसएसओ (NSSO) सर्वे में खपत के 75वें प्रतिशत के स्तर पर है।

एचईआई (HEIs) सभी कार्यक्रमों को चलाएंगी, ताकि वे औसतन चार साल की अवधि में फीस माफी के दायित्वों को पूरा कर सकें। अगर वे इन शर्तों/दायित्वों को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें कार्यक्रम को बंद करना पड़ेगा।

फीस व्यवस्था का उचित और नैतिक कार्यान्वयन प्रत्यायन के लिए और साथ ही Financial Probity dimension of regulation का एक अहम हिस्सा होगा।

किसी भी एचईआई (HEI) द्वारा इन नीतियों के उल्लंघन से संबंधित सभी मामलों पर विद्यार्थियों के मुद्दों के समाधान के लिए एनएचईआरए (NHARA) के शिकायत निवारण तंत्र की मुफ्त सुविधा होगी।

P18.6.4. समान नियामक निकाय - संस्थान जो एचईआई (HEI) में नहीं आता है:

जिन संस्थानों को नीति में एचईआई के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें भी इस नीति में दिये गए सिद्धांतों के साथ नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है। वे अपने संबंधित नियामक प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए।

सुशासन के सिद्धांत

सिद्धांत 1 - बोर्ड संस्थान के विज्ञान, उद्देश्य और रणनीतियों को अनुमोदित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पूर्ण रूप से जनता और संस्थान के सदस्यों के प्रति जवाबदेह है और इसे आवश्यक रूप से उनके हित में कार्य करना चाहिए।

सिद्धांत 2 - बोर्ड नैतिक व सांस्कृतिक पक्ष निर्धारित करता है।

सिद्धांत 3 - सभी निदेशकों को स्वतंत्र फैसले पर अमल करना चाहिए और संस्थान के प्रबंधन का स्वतंत्र निरीक्षण करना चाहिए, और सदस्यों को संस्थान के व्यापक विज्ञान के अंतर्गत अपनी भूमिका का पालन करने के लिए स्वायत्तता सुनिश्चित करनी चाहिए।

सिद्धांत 4- संस्थान की गतिविधियों के पैमाने और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बोर्ड को उचित संख्या में निदेशकों को शामिल करना चाहिए। जिनके पास कौशल, विशेषज्ञता, अनुभव और ज्ञान का उचित और विविध विस्तार हो जो संस्थान के दैनिक कामकाज या व्यापक स्तर पर दोनों से संबंधित मुद्दे, विवाद, समस्याओं को प्रभावी ढंग से समझने में सक्षम हों। जहाँ व्यवहारिक है, बोर्ड के अध्यक्ष को स्वतंत्र होनी चाहिए: जिसमें अध्यक्ष की भूमिका सीई (CE) की भूमिका से अलग होगी।

सिद्धांत 5 - बोर्ड के पास संभावित मुद्दों और चुनौतियों को पता करने के लिए उपयुक्त प्रणाली होनी चाहिए, और इसे रोकने या इसका प्रबंधन करने के लिए प्रक्रियाओं को अमल में लाना चाहिए।

सिद्धांत 6 - निदेशकों को जानकारी के आधार पर बुद्धिमानी और लगन से कार्य करना चाहिए और उनकी पहुँच दुरुस्त, प्रासंगिक और साक्ष्य आधारित जानकारी तक होनी चाहिए।

सिद्धांत 7 - बोर्ड आमतौर पर कुछ कार्यों को संस्थान के प्रबंधन को सौंपता है। जहाँ यह होता है, जो कार्य सौंपे गए हैं उन कार्यों का स्पष्ट विवरण और समझ होनी चाहिए। किसी भी तरह से स्वायत्तता, खासकर अकादमिक से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

सिद्धांत 8 - सीई (CE) की नियुक्ति और पारदर्शी मानदंडों के आधार पर उसके कामकाज का निरंतर मूल्यांकन बोर्ड की ज़िम्मेदारी होगी।

सिद्धांत 9 - बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संस्थान नियमितता के साथ समय-समय पर संस्थान के सदस्यों और अन्य हितधारकों के साथ संवाद करे, ताकि उनके पास संस्थान के अंदर उनकी विशिष्ट भूमिकाओं से संबंधित उपयुक्त सोच-समझ के साथ निर्णय लेने के लिए प्रयास जानकारी हो ।

सिद्धांत 10 - बोर्ड के कामकाज (अध्यक्ष, सदस्य, निदेशक और जहाँ तक हो बोर्ड की उपसमिति के कामकाज सहित) को पहले से निर्धारित मानदंडों पर नियमित रूप से मूल्यांकन करने की ज़रूरत है, और किसी मुद्दे, समस्या या विवाद पर उचित कारवाई करने की ज़रूरत है ।



भाग III

अतिरिक्त प्रमुख फोकस क्षेत्र

अध्याय 19

शिक्षा में प्रौद्योगिकी

उद्देश्य:

शिक्षकों की तैयारी और विकास, शिक्षण - अधिगम और मूल्यांकन प्रक्रिया को बेहतर बनाने, वंचित समूहों तक शिक्षा की पहुँच को सुलभ बनाने, और शैक्षिक योजना, प्रशासन और प्रबंधन की प्रक्रिया, सहित शिक्षा के सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का उपयुक्त एकीकरण करना।

भारत ICT और अन्तरिक्ष जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान पूरे देश को एक सशक्त समाज में परिवर्तित करने में मदद कर रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इस रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी, और प्रौद्योगिकी स्वयं भी शैक्षिक प्रक्रिया एवं परिणामों के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस प्रकार सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी और शिक्षा के बीच दोतरफ़ा संबंध है।

शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को विस्तारपूर्वक चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से तीन का संबंध सीधे तौर पर विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कक्षा-कक्षीय प्रक्रियाओं से है। पहला और सबसे प्रमुख क्षेत्र शिक्षकों की तैयारी और उनकी सीपीडी (CPD) है। शैक्षिक परिणामों को बेहतर बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण मुहैया करवाना आवश्यक है। शिक्षकों की तैयारी में भी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा सकता है (उदाहरणतः ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के उपयोग के माध्यम से), परंतु प्रशिक्षण की गुणवत्ता उत्कृष्ट श्रेणी की होनी चाहिए। एक दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र कक्षा-कक्षीय शैक्षिक प्रक्रिया, सीखना और मूल्यांकन है जहाँ प्रौद्योगिकी प्रभावशाली हो सकती है। इन क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों को ध्यान

में रखते हुए एक सतत प्रक्रिया के तहत, प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों का निर्माण होना चाहिए। उपकरणों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन होना होगा जिससे यह सुनिश्चित हो कि उनके द्वारा पहले से उपस्थित चुनौतियों को सुलझाने में मदद मिले न कि वे स्वयं किसी नयी चुनौती का कारण बनें। तीसरा क्षेत्र, वंचित समूहों के लिए शिक्षा की पहुँच को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी का प्रयोग है, जिसमें विकलांग विद्यार्थी, बालिकाएँ, महिलाएं एवं दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले छात्र शामिल हैं। चौथा क्षेत्र, सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रबंधन, प्रशासन, और योजना है।

चूँकि में प्रौद्योगिकी परिवर्तन तेजी से होता है, ऐसे में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन की मुख्य धाराओं (ट्रेंड) को समझना आवश्यक है, ताकि उन तरीकों की पहचान की जा सके जिससे शिक्षा न केवल वर्तमान तकनीकियों बल्कि उभरती हुई तकनीकों का भी लाभ उठा सके। पहला प्रासंगिक प्रौद्योगिकी ट्रेंड विद्युत की बढ़ती पहुँच है, जिसकी एक वजह विद्युत के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए चल रही सरकारी पहल और दूसरी वजह सौर ऊर्जा जैसे स्थानीय रूप से उत्पन्न विद्युत की गिरती लागत है। इस ट्रेंड को देखते हुये, इस नीति के अधिवक्ताओं ने शिघ्रातिशीघ्र सभी शैक्षिक संस्थानों के विद्युतीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया, क्योंकि विद्युत तक पहुँच सभी प्रौद्योगिकी आधारित कार्यों के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। दूसरा प्रौद्योगिकी ट्रेंड संगणना, डेटा संग्रहण और डेटा संयोजन की गिरती लागत है। यह ट्रेंड बहुत हद तक बाज़ार की ताकतों द्वारा संचालित है, और यह परिष्कृत शैक्षिक अनुप्रयोगों की व्यावहारिकता को बढ़ाता है जो कि डेटा को एकत्रित कर संधारित और साझा कर सकते हैं (सामान्य स्टैंड अलोन एप्लिकेशन के विपरीत)। यह सीधे तौर पर तीसरे प्रौद्योगिकी ट्रेंड अर्थात डेटा के बढ़ते महत्व से जुड़ा है। इससे न केवल डेटा को एकत्रित और संवर्धित करना सरल हो रहा है, बल्कि परिष्कृत डेटा विश्लेषण करने के लिए उपयोग में आने वाले उपकरणों को इस्तेमाल में लाना भी सरल हुआ है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि डेटा का दुरुपयोग न हो और गोपनीयता से संबन्धित चिंताओं को सावधानीपूर्वक दूर किया जाये। इस डेटा का विश्लेषण करने के लिए निश्चित ही एक उपयुक्त संस्थान को अधिकृत करना चाहिए। यह कार्य CESD को सौंपा गया है जिसे NIEPA में स्थापित किया जायेगा (देखें **P6.1.5**)। और अंत में, एक और महत्वपूर्ण तकनीकी ट्रेंड अत्यंत तीव्रता से नवीन, अपरम्परागत और प्रभावशाली प्रौद्योगिकियों का उभरना है।

इन रुझानों को देखते हुये, आधारिक संरचना, एंड-यूजर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर विकास, विस्तार, और डेटा के लिए उनके निहितार्थ को उजागर करना आवश्यक है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग से विद्युत, हार्डवेयर और कनेक्टिविटी जैसी आधारिक संरचना में काफी निवेश की आवश्यकता है। दूरदराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों में, बड़ी संख्या में स्कूलों और कॉलेजों में आधारभूत ज़रूरतें (विद्युत, हार्डवेयर और विश्वसनीय कनेक्टिविटी) तक भी नहीं पहुँच पा रही हैं, अतः सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस स्थिति में जल्द से जल्द सुधार हो, यदि व्यक्तिगत स्कूल स्तर पर नहीं तो स्कूल-कॉम्प्लेक्स के स्तर पर निश्चित रूप से ही ये सुधार हो।

एंड-यूजर हार्डवेयर के संबंध में, संस्थागत उपकरणों जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, कक्षा प्रोजेक्टर, वाई-फ़ाई राउटर आदि और व्यक्तिगत उपकरणों (जैसे स्मार्टफोन और लैपटाप) के बीच अंतर का स्पष्ट होना आवश्यक है। शैक्षिक संस्थानों को प्रौद्योगिकी आधारित शैक्षिक गतिविधियों जैसे मिश्रित शिक्षण और कंप्यूटर आधारित प्रयोगशालाओं का समर्थन करने के लिए संस्थागत उपकरणों को खरीदने और उनकी देखभाल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। चिंता का प्रमुख विषय इन स्थानों पर सभी उपयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करने और बनाए रखने में स्थानीय विशेषज्ञता की अनुपलब्धता है। उदाहरणस्वरूप, स्कूल-कॉम्प्लेक्स में प्रशिक्षित IT कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हालांकि इस प्रयास को इन स्तरों पर प्रशिक्षित स्थानीय युवाओं, इंजीनियर या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में पर्याप्त प्रौद्योगिकी रूप से प्रवीण लोगों को नियुक्त करके कल्पनाशील तरीके से पूरा किया जा सकता है। उन्हें आवश्यक रूप से दो-तीन साल की विशेष, प्रतिष्ठित फ़ेलोशिप प्रदान की जानी चाहिए, जिसके दौरान वे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों, विद्यालय परिसरों और अन्य शैक्षिक संस्थानों के साथ जुड़ सकें ताकि उन्हें प्रौद्योगिकी को समझने व उपयोग में सहायता मिल सके (देखें

P19.4.5)।

संस्थागत उपकरणों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले उपायों की सफलता सीमित है, जिसका कारण उन्हें खरीदने के लिए संसाधनों की असमान उपलब्धता और कुछ उपकरणों की देखभाल के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जानकारी की कमी है। अतः व्यक्तिगत उपकरणों की बढ़ती उपलब्धता पर सावधानी पूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। आजकल कम लागत वाले निजी उपकरण एक साथ डेटा संचार, कंप्यूटेशन और मल्टीमीडिया प्रदान करते हैं, और छात्र आमतौर पर उन्हें जल्दी और प्रभावी ढंग से

संचालित करना सीख जाते हैं। इसलिए, निजी उपकरणों में प्रौद्योगिकी आधारित शैक्षिक पहलों का समर्थन करने की क्षमता है। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि इस तरह के उपकरणों तक पहुँच व्यापक नहीं है, और यह कि वे व्यसनी और विचलित करने वाले भी हो सकते हैं, अतः ये सीखने में बाधक भी हो सकते हैं। शिक्षण संस्थानों में निजी उपकरणों के उपयोग हेतु एक सुविचारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

शिक्षा हेतु उपयुक्त सॉफ्टवेयर निर्माण के कई मॉडल मौजूद हैं, जैसे देशव्यापी उपयोग हेतु MHRD द्वारा कमीशन किए गए SWAYAM जैसे एप्लिकेशन और सॉफ्टवेयर, और IIT बॉम्बे जैसे शिक्षण संस्थानों द्वारा विकसित और परीक्षण किए गए सॉफ्टवेयर, जिनकी संख्या में बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए, और यदि उपयोगी पाया जाता है तो उद्यमियों द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का मूल्यांकन और विस्तारण किया जाना चाहिए। यद्यपि पिछले 2-3 दशकों में कई नए रचनात्मक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन ईजाद किये गए हैं और उपयोग में लाये जा रहे हैं, तंत्र में निम्न कार्यों हेतु प्रणाली की कमी है :

- हितधारकों (विद्यार्थी, शिक्षक, प्रशासक) की आवश्यकताओं की पहचान करना,
- इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये प्रौद्योगिकी आधारित समाधान खोजना,
- सार्थक पायलट अध्ययनों द्वारा इन समाधानों का आंकलन करना,
- आवश्यकतानुसार, सरकारी आर्थिक सहायता से उन्हें बड़े पैमाने पर प्रसारित करना।

इस कार्य हेतु एक विशेष निकाय की स्थापना कर इस समस्या का निराकरण किया जा सकता है (देखें **P19.1.1**)।

सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंडक्शन के लिए टॉप डाउन (ऊपर से नीचे) और बॉटम अप (नीचे से ऊपर), दोनों तरीकों को सतत रूप से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। क्लाउड-कम्प्यूटिंग प्रौद्योगिकी के प्रसार ने राज्यों या राष्ट्रीय स्तर पर, सभी शैक्षिक संस्थानों में सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस के बड़े पैमाने पर फैलाव को अपेक्षाकृत सरल कर दिया है। इस सिद्धान्त की अच्छी तरह व्याख्या करने वाले उदाहरणों में ICT के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Education through ICT / NMEICT) के रूप में बनाए गए सॉफ्टवेयर शामिल हैं, जैसे कि वर्चुअल प्रयोगशालाएँ जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों में प्रयोगशालाओं को दूरस्थ पहुँच प्रदान करती हैं,

और स्पोकैन-ट्यूटोरियल्स जो विद्यार्थियों को भारतीय भाषाओं में आडिओ कमेंटरी सुनकर ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर को सीखने और उपयोग करने में सहायता करते हैं। कुछ विशेष प्रकार के शैक्षिक सॉफ्टवेयर को मानकीकृत किया जा सकता है (राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर), जिससे प्रति व्यक्ति/संस्थान विकास और परिचालन लागत को कम करने में मदद मिल सके।

शिक्षा में एक अन्य क्षेत्र, ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, और FOSSEE (शिक्षा में फ्री और ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर) के मौजूदा प्रयास को और अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है। निःशुल्क और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर (फ्री एंड ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर) के प्रयोग में आने वाली प्रमुख बाधा हर संस्थान के स्तर पर प्रौद्योगिकी दक्षता के उच्च स्तर की मांग है और इस चुनौती को दूर करने के लिए अवश्य ही प्रयास होने चाहिए (देखें P19.4.5)। इसके अतिरिक्त संस्थानों में शिक्षा में सॉफ्टवेयर के प्रमुख अवयवों के विकास में शामिल संकाय-सदस्यों के लिए सक्रिय प्रोत्साहन होना चाहिए, ताकि वे स्टार्ट-अप कंपनियों के साथ जुड़ कर इन सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस के मूल्यांकन और शिक्षण संस्थानों में इनके सक्रिय रूप से वितरण सुनिश्चित हो सके। अतीत में, संकायों द्वारा प्रौद्योगिकी या अन्य क्षेत्रों में उद्यमशीलता को सक्रिय रूप से हतोत्साहित किया गया है। अब बदलाव आ रहा है लेकिन उद्यमिता में संलग्न होने के लिए संकाय एवं छात्र दलों के लिए अधिकाधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इसके लिए संकाय-सदस्यों को उनके कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन के दौरान पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

हालांकि यह स्वाभाविक है कि भारत सरकार द्वारा IIT बॉम्बे और होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एडुकेशन (HBCSE) जैसे कई संस्थानों में बीज रूप में बहुत सी सॉफ्टवेयर पहलों को वरीयता दी गयी है, पर इसी तरह देश के सभी शिक्षण संस्थानों में इन सॉफ्टवेयरों को उपलब्ध कराने के कार्य पर भी पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। एक से अधिक तरीकों द्वारा ऐसा किया जा सकता है तथा इसमें लक्षित समूहों के आकार, तात्कालिक जरूरत और लागत के आधार पर उपयुक्त विकल्प चुनने की आवश्यकता है:

- जैसा कि आजकल हो रहा है स्वयं सॉफ्टवेयर विकसित करने वाले ही उस उत्पाद को लोकप्रिय बनाते हैं और यह कुछ विशिष्ट प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सोल्यूशंस के लिए अच्छा है;

- उन्हें उन्नत कम्प्यूटिंग विकास केंद्र (Centre for development of advanced computing, CDAC) जैसे संस्थानों को सौंपा जा सकता है, जो उन्हें 24 x 7 हेल्प डेस्क सुविधा के साथ बनाए रखें जिसका लाभ शैक्षिक संस्थान उठा सकें;
- सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली संस्था द्वारा ही एक नयी कंपनी शुरू की जा सकती है जो सोल्यूशंस को सक्रिय रूप से लोकप्रिय बनाने और शिक्षण संस्थानों द्वारा इन सोल्यूशंस को अपनाने एवं उनके रखरखाव हेतु सहायता प्रदान करने का कार्य करे।

इन सबके लिए PPP मॉडल का भी अन्वेषण किया जा सकता है और सरकार निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किये गए ऐसे सोल्यूशंस का भुगतान करने पर भी विचार कर सकती है जिन्हें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाया जाये। सोल्यूशंस प्राप्त करने वाले शैक्षिक संस्थान या तो PULL मॉडल में विशिष्ट तकनीकों का मूल्यांकन करने और उन्हें अपनाने के लिए बजटीय आवंटन प्राप्त कर सकते हैं, या उन्हें यह PUSH मॉडल के तहत राज्य या केंद्र सरकार के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाए। दोनों विकल्प विभिन्न संदर्भों में उपयोगी हैं और इनका उचित रूप से उपयोग किए जाने की आवश्यकता है, अन्यथा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बिना इस्तेमाल के ही पड़े रहेंगे, जैसा कि आजकल कई संस्थानों में होता है।

डेटा के संबंध में, कम से कम तीन श्रेणियाँ विचारणीय हैं। कुछ डेटा शिक्षकों और युवा छात्रों के व्यक्तिगत डेटा हैं। गोपनीयता की सुरक्षा के लिए, सबसे सख्त गोपनीयता व्यवस्था आवश्यक है जिससे यह सुनिश्चित हो कि संबन्धित व्यक्तियों या उनके अभिभावकों की स्पष्ट सहमति के बिना व्यक्तिगत डेटा को साझा नहीं किया जा सकता। कुछ डेटा सामूहिक (जैसे किसी विशेष कक्षा के सभी छात्रों या किसी विशेष संस्थान के सभी शिक्षकों) से संबन्धित होते हैं और इनकी गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे डेटा को समुचित सुरक्षा उपायों के साथ साझा किया जा सकता है। एक तीसरी श्रेणी, शैक्षिक सॉफ्टवेयर द्वारा उत्पन्न और उपयोग में आने वाले डेटा की भी है। इस तरह के सॉफ्टवेयर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (artificial intelligence) में हो रहे विकास के बल पर और उन्नत रूप ले रहे हैं और इनसे उपजे डेटा का महत्व बढ़ रहा है। यह नीति ऐसे डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ ऐसे दिशानिर्देशों को विकसित करने की आवश्यकता की पहचान करती है जिन्हें समय-समय पर समीक्षा द्वारा बेहतर बनाया जाता रहे।

19.1. एक नये राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी मंच की स्थापना

स्कूलों और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए तकनीक के उपयोग पर पिछले दो दशकों में पूरे देश में कई प्रयोगों और पायलट अध्ययनों पर काम हुआ है। इन तकनीकी के परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए और सावधानीपूर्वक उनके लाभ, जोखिम, और प्रभाविता का मूल्यांकन होना चाहिए। साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या उन्हें बड़े पैमाने पर अपनाया जा सकता है और क्या वे विभिन्न सन्दर्भों में कारगर रहेंगी। यह एक जटिल कार्य है जिसके लिए विविध प्रकार की विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी।

P19.1.1. राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी मंच: शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन आदि में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान-प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी मंच (National Educational Technology Forum, NETF) का निर्माण किया जाएगा। NETF का उद्देश्य प्रौद्योगिकी को अपनाये जाने और किसी क्षेत्र विशेष में उसके उपयोग से संबंधित निर्णयों को सुगम बनाना होगा। NETF यह कार्य, शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों, केंद्रीय और राज्य सरकारों व अन्य हितधारकों को, नवीनतम ज्ञान व अनुसन्धान के साथ ही साथ सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को एक-दूसरे से साझा करने और परामर्श के अवसर प्रदान करके करेगा।

P19.1.2. राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी मंच की भूमिका एवं कार्य: एनईटीएफ की निम्नलिखित भूमिकाएँ होंगी:

- a. तकनीकी आधारित हस्तक्षेप में केंद्र एवं राज्य सरकार की एजेंसियों को स्वतंत्र एवं प्रमाण आधारित परामर्श उपलब्ध कराना;
- b. शैक्षिक तकनीकी में बौद्धिक एवं संस्थागत क्षमता का निर्माण;
- c. इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावी कार्यों की परिकल्पना करना; और
- d. अनुसंधान और नवाचार के लिए नई दिशाओं को स्पष्ट करना।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी के तीव्रता से परिवर्तित हो रहे क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहने के लिए NETF विविध स्रोतों से, जिनमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी के आविष्कारकों और उस प्रौद्योगिकी को विशेषकर जमीनी स्तर पर इस्तेमाल करने वाले लोग शामिल हैं, से प्राप्त प्रमाणिक डेटा के नियमित प्रवाह को बनाए रखेगा और शोधकर्ताओं के विविध वर्ग के साथ मिलकर इस डेटा का विश्लेषण करेगा। तकनीकी के लोकतान्त्रिक विस्तार से उत्पन्न बिखरी हुई ऊर्जा को उपयोग में लाने हेतु एक मंच के रूप में यह कार्य करेगा; विशेषकर देश के उन युवाओं की ऊर्जा जिन्होंने अपनी रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता का नियमित रूप से प्रमाण दिया है। साथ ही इसके द्वारा शोध और गहन अध्ययन वाले पक्ष पर होने वाले काम से यह सुनिश्चित होगा कि इन प्रयासों का कुल-मिलकर सकारात्मक परिणाम आये।

P19.1.3. राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी मंच हेतु पूंजी और समर्थन: शिक्षा के क्षेत्र के साथ गहरा जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए NETF को CIET/NCERT/NIEPA या फिर RSA द्वारा निर्धारित किसी अन्य उपयुक्त निकाय का हिस्सा बनाया जा सकता है। आरंभ में NETF सार्वजनिक फंड की सहायता से कार्य करेगा, फिर इसे अन्य स्रोतों जैसे कि सदस्यता, या फिर अन्य तटस्थ तकनीकी औद्योगिक निकायों जैसे NASSCOM से फंड प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। राज्य और जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत संस्थागत ढांचों द्वारा NETF के कार्यों का समर्थन किया जाएगा जिसकी विस्तृत रूपरेखा RSA राज्यों के साथ परामर्श द्वारा तय कर सकता है।

P19.1.4. सामूहिक आंकलन और तकनीकी सोल्यूशन्स का अपनाया जाना: ज्ञान एवं उसके प्रयोग और इस दिशा में सतत नए सृजन को बढ़ावा देने के लिए, NETF अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी शोधकर्ताओं, उद्यमियों और तकनीकी को उपयोग में ला रहे व्यक्तियों के विचारों से लाभान्वित होने के लिए कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करेगा। फिर NETF इन विचारों का स्कूलों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और अन्य संगठनों के शैक्षिक विशेषज्ञों की सहायता से मूल्यांकन करवाएगा। यह

मूल्यांकन शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोणों से वर्तमान सर्वोत्कृष्ट प्रथाओं के रोशनी में किया जायेगा। इस प्रक्रिया द्वारा:

- a. मौजूदा सर्वोत्कृष्ट प्रथाओं की पूरक कुछ जरूरी पहल की पहचान की जाये जिन्हें विशिष्ट संदर्भों में तुरंत लागू किया जाये;
- b. आशाजनक पहलों की पहचान हो जिनके लिए बड़े पैमाने पर अतिरिक्त अध्ययन की आवश्यकता होगी और जिन्हें, उदाहरण के लिए, NRF द्वारा वित्तपोषित किया जा सकता है; और
- c. अनुचित पहल भी समझ में आएँगी जिन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी।

इस तरह के विश्लेषण को नियमित और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा और इसका इस्तेमाल केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों को शैक्षिक तकनीकी से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देने के लिए किया जा सकता है, जिसमें किसी पहल को जारी रखना, किसी को बड़े पैमाने पर पायलट करना अथवा किसी पहल को स्थगित कर देना भी शामिल होगा। NETF इस विश्लेषण का उपयोग NRF को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों और शैक्षिक प्रौद्योगिकी में शोध को दिशा देने हेतु प्रस्ताव देने के लिए कर सकता है, जिससे कि NRF फंडिंग से संबंधित निर्णय ले सके।

19.2. प्रौद्योगिकी को शामिल करने के प्रति दृष्टिकोण

वैश्विक अनुभव बताते हैं कि विशेष रूप से छोटे बच्चों के कक्षा-कक्षीय प्रक्रियाओं और शैक्षिक परिणामों पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव मामूली और मिले-जुले रहे हैं, और इनके कई समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव भी रहे हैं। हालांकि बड़े बच्चों के शिक्षण, अधिगम और आंकलन में प्रौद्योगिकी द्वारा बदलाव की जबर्दस्त सम्भावना है। अतः प्रौद्योगिकी को एक बड़े पैमाने पर शामिल करने के बारे में एक सकारात्मक किन्तु सतर्क

दृष्टिकोण अपनाया जाएगा जिससे शैक्षिक प्रौद्योगिकी हेतु उपलब्ध सीमित पूंजी और ऊर्जा का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो।

P19.2.1. केंद्रीय भूमिका निभा रहे शिक्षकों के साथ शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लिए योग्य समर्थन: शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग और एकीकरण का समर्थन किया जाएगा और उसे अपनाया जाएगा, बशर्ते इन पहलों को बड़े पैमाने पर लागू करने से पहले इनका प्रासंगिक संदर्भों में सावधानीपूर्वक और पूरी पारदर्शिता से आकलन किया गया हो। शिक्षा प्रौद्योगिकी संभवतः एक शिक्षक द्वारा अपने कार्यों के दौरान अपनाये जा सकने वाले सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों का समूह है। शिक्षकों को प्रशिक्षण और सहायता के द्वारा पूरी तरह से सक्षम बनाया जाएगा जिससे कि वे कक्षा-कक्ष में उपयुक्त प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल द्वारा गतिविधियों का नेतृत्व कर सकें और शैक्षण संस्थानों में अन्य प्रकार से भी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकें।

P19.2.2. शैक्षिक परिवेश में प्रौद्योगिकी का एकीकरण और प्रयोग: शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और इसके एकीकरण को एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। अतः, ध्यान सिर्फ उच्च गुणवत्ता की विषयवस्तु के निर्माण और वितरण पर नहीं होगा बल्कि, प्रौद्योगिकी का उपयोग - विषयवस्तु के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद; सीखने में चुनौतियों समस्या का सामना कर रहे शिक्षार्थियों (differently-abled) को सहायता प्रदान करना; इंटेलीजेंट ट्यूटोरिंग सर्विस और अनुकूल मूल्यांकन प्रणालियों द्वारा शिक्षण विधियों और सीखने की प्रक्रियाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना; नए प्रकार के इंटरैक्टिव (interactive) और इमर्सिव (immersive) सामग्री का निर्माण, उदाहरण के लिए संवर्धित और आभासी वास्तविकता (augmented and virtual reality) के उपयोग द्वारा; शैक्षिक योजना और प्रबंधन को सशक्त करना, परीक्षा प्रणाली और इसके साथ ही साथ गवर्नेंस और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बेहतर पारदर्शिता और प्रभाविता को बढ़ाना; शिक्षा के प्रबंधन जैसे कि शिक्षक विकास कार्यक्रमों में सहयोग करना; और ODL प्रणाली को सशक्त करना जिससे कि यह सभी आयु-वर्ग के लोगों की, सम्पूर्ण स्कूली शिक्षा की, उच्च शिक्षा की, पेशेवर

विकास और व्यावसायिक शिक्षा की, वयस्क शिक्षा की, और जीवनपर्यंत सीखने, की जरूरत को पूरा कर सके।

P19.2.3. शैक्षिक-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केंद्र: प्रमुख विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में शैक्षिक-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता-केन्द्रों को स्थापित किया जाएगा जो उपयुक्त प्रौद्योगिकीय समाधानों को लेकर शोध कार्य और अन्य सहयोगी कार्य करेंगे। इन उत्कृष्टता-केन्द्रों का प्रतिनिधित्व NETF में होगा और ये ज्ञान और संबन्धित प्रक्रियाओं को NETF के अन्य सदस्यों के साथ साझा करने की प्रक्रिया में शामिल होंगे।

P19.2.4. प्रौद्योगिकी आधारित पहलों से संबन्धित सामान्य दिशा-निर्देश: प्रौद्योगिकी आधारित अधिकतर पहलों के तीन अभिन्न अंग होंगे: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। सामान्यतया इससे संबन्धित निम्न दिशा-निर्देशों का प्रयोग किया जाएगा और यदि कोई अपवाद होंगे तो उनके लिए सावधानीपूर्वक और सार्वजनिक रूप से उचित कारण दिए जायेंगे।

- a. हार्डवेयर: अंतिम उपयोगकर्ताओं (end-users) के लिए क्लाउड-आधारित व्यावसायिक सुविधाओं और व्यक्तिगत कंप्यूटर उपकरणों जैसे कमोडिटी-हार्डवेयर समाधानों को प्रमुखता दी जाएगी।
- b. सॉफ्टवेयर: शैक्षिक उपयोगों के लिए प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर मुख्यरूप से FOSSEE होगा। जहाँ जरूरी होगा सरकार पेशेवरों द्वारा सॉफ्टवेयर के विकास और रख-रखाव का खर्च वहन करेगी और उस सॉफ्टवेयर के शिक्षार्थियों, शिक्षकों और संस्थानों हेतु मुफ्त और असीमित ऑफलाइन इस्तेमाल हेतु वितरण के अधिकार प्राप्त करेगी। यह सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाये जायेंगे कि लोकप्रिय और अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले कंप्यूटर उपकरणों में यह सॉफ्टवेयर काम करे।
- c. डेटा: सभी सार्वजनिक आंकड़ों पर सरकार का अधिकार होगा और इनका उपयोग शैक्षिक मानकों (देखें सेक्शन 19.6) के सुधार में किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति का उससे संबन्धित डेटा पर पूरा अधिकार होगा और उस

डेटा का उपयोग इन व्यक्तियों की स्पष्ट अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। डेटा-सुरक्षा से जुड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं के अनुरूप शैक्षिक आंकड़ों को पूरी तरह से गोपनीय (anonymised) कर लेने के बाद, इन्हें ओपेन-डेटा-इनीशिएटिव (Open Data Initiative) के अनुरूप शोध कार्यों के लिए नियमित रूप से सार्वजनिक किया जाएगा।

19.3. शिक्षक की तैयारी और सतत पेशेवर विकास

इस नीति के कार्यान्वयन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों की CPD से संबंधित बहुत अधिक प्रयासों की जरूरत होगी। सीखने के कई ऑनलाइन-प्रयोग पहली बार विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहे लोगों के लिए अपेक्षानुरूप कार्य नहीं करता है, उन्हें आवश्यक रूप से ऐसे कक्षा-कक्षीय वातावरण की आवश्यकता होती है जो साथ-साथ एक-दूसरे के सीखने के अवसर उपलब्ध कराने के अतिरिक्त संकाय-सदस्यों/शिक्षकों से सलाह और मार्गदर्शन के अवसर भी उपलब्ध कराती है। हालाँकि यह मौजूदा संकाय सदस्यों पर लागू नहीं होता जो इतने परिपक्व होते हैं कि ऑनलाइन कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। अधिकतर संकाय सदस्यों को अपने विषय ज्ञान को परिवर्धित करने की आवश्यकता होगी जोकि ऑनलाइन-शिक्षा के द्वारा भी किया जा सकता है।

चार-वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम के द्वारा स्कूली शिक्षक की तैयारी से संबंधित मुद्दे अन्य सभी स्नातक कार्यक्रमों के समान ही हैं। इस सिलसिले में अत्यंत विवेकपूर्ण ढंग से ऑनलाइन, और ओपन एवं दूरस्थ शिक्षा दोनों का उपयोग किया जा सकता है। शिक्षकों को कक्षा-कक्ष में शिक्षण-प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए भी तैयार करने की भी आवश्यकता होगी।

P19.3.1. शिक्षण-प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए शिक्षकों को तैयार करना: सभी स्तरों पर शिक्षण-प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में शिक्षकों को दक्ष करने के लिए शिक्षक तैयारी से संबंधित सभी कार्यक्रमों में प्रौद्योगिकी आधारित संसाधनों के उपयोग से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण को शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत कनेक्टिविटी से संबंधित सामान्य समस्याओं को हल करना, उपकरणों के रख-रखाव व उनका सुरक्षित संचालन, ई-सामग्री के उपयोग

(फ्लिप-मोड में कक्षाओं को प्रभावी रूप से संचालित करने और MOOCs का लाभ उठाने सहित) से संबन्धित शिक्षण प्रक्रियाएँ, सीखने-सिखाने की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए उचित टूल (उदाहरण के लिए CWSN की मदद हेतु टूल और कक्षा-कक्षीय प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड कर अपनी शिक्षण पद्धतियों के स्वयं मूल्यांकन से सम्बंधित टूल) के उपयोग से संबन्धित बिन्दुओं को शामिल किया जाएगा।

ओपेन एजुकेशन रिपोजिटरी (देखें P19.5.2) के वीडियो का उपयोग सभी विषयों से संबन्धित शिक्षक प्रशिक्षण के विमर्शों में किया जाएगा। प्रशिक्षु शिक्षकों की क्षमताओं के आकलन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित टूल्स का निर्माण किया जाएगा जिनसे अन्य बातों के अलावा शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में शिक्षण-प्रौद्योगिकी के प्रयोग की क्षमताओं का भी आकलन हो सकेगा।

आरंभ में प्रमाणित मास्टर शिक्षक प्रशिक्षकों की एक बड़ी संख्या को चरण बद्ध तरीके से प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए CIET द्वारा एक उपयुक्त पहल आरंभ कर उसे 5-6 वर्षों तक मिशन मोड में संचालित किया जायेगा।

P19.3.2. शिक्षकों के सतत पेशेवर विकास हेतु शैक्षिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल:

एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच का विकास किया जाएगा जो प्रशिक्षुओं को विशिष्ट क्षेत्रों में प्रमाणित करने की उचित व्यवस्था से सम्बद्ध होगा और जो सेवारत शिक्षकों को शिक्षा के हर क्षेत्र में सक्षम बनाने का कार्य करेगा जिससे कि वे अत्याधुनिक पठन-पाठन की प्रक्रियाओं से जुड़े रहें।

क्योंकि शिक्षकों की व्यक्तिगत कम्प्यूटिंग यंत्रों (जैसे स्मार्टफोन) तक पर्याप्त पहुँच होगी, अतः सभी सेवारत शिक्षकों को पर्याप्त कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी जिससे वे इन प्रशिक्षण मंचों में भागीदारी कर सकें, उच्च गुणवत्तायुक्त शैक्षिक संसाधनों की पहचान कर अपनी शैक्षिक प्रक्रियाओं में सम्मिलित कर सकें, और ऐसे ऑन-लाइन शिक्षक समुदायों में भागीदारी करने का अवसर मिले जहाँ सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को साझा किया जा सके। यह ऑनलाइन मंच शिक्षकों को अपने विचार साझा करने और अपनी सर्वश्रेष्ठ शिक्षण पद्धतियों

को प्रदर्शित करने का भी अवसर देगी। अद्वितीय पोर्टफोलियो वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सत्रों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों आदि में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और NETF में अपने कार्यों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

P19.3.3. विशिष्ट प्रौद्योगिकी संबंधित नीतिगत निर्णय: अनिवार्य पहलों में निश्चित रूप से संकाय-सदस्यों की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रख कर बनाने गए कोर्स SWAYAM जैसे मंचों पर अवश्य उपलब्ध होने चाहिए। शिक्षकों और उच्च शिक्षा के संकाय-सदस्यों के लिए सीखने से संबंधित सैद्धांतिक पहलुओं की जरूरत SWAYAM आसानी से पूरी कर सकता है। इसी के साथ DIET और HRDCs क्रमशः स्कूली शिक्षकों और उच्च शिक्षा में संकाय-सदस्यों को अकादमिक सहयोग प्रदान करना जारी रखेंगे। कोर्स की विषयवस्तुओं को ऑनलाइन-मोड के अनुसार पुनः सृजित और संगठित किया जाना चाहिए और केवल कक्षा-कक्ष प्रक्रियाओं की रिकॉर्डिंग भर से काम न चलाया जाये। इसी प्रकार प्रमाणन के लिए किए जाने वाले आकलन को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि वह शिक्षकों के लिए सुविधाजनक तो हो, लेकिन मापदंडों के अपेक्षित स्तर से किसी प्रकार का समझौता न किया जाये।

शिक्षकों के पेशेवर अधिगम समुदायों (professional learning community) का बनना एक आशाजनक पहल है जो पूर्व से ही कई राज्यों में हो रही है और जिसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। इस मंच के द्वारा शिक्षक उसी विषय में काम करने वाले अन्य शिक्षकों से चर्चा कर सकते हैं, जानकारीयां, अनुभव और यहाँ तक कि शैक्षिक विषयवस्तु भी साझा कर सकते हैं। इस पहल को अवश्य ही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और इसे विभिन्न विषयों में और विभिन्न राज्यों में विस्तार भी दिया जाना चाहिए।

19.4. शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार

इंटरनेट ऐसी लिखित, श्रव्य और दृश्य सामग्रियों का एक सचमुच का खजाना है जिसका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। पर्याप्त संख्या में इंटरनेट तक पहुँच के उपकरणों (स्मार्टफोन, या आई-पैड और इसके समकक्ष अन्य उपकरण) और सुरक्षा कारणों से इस पहुँच को नियंत्रित करने के उपकरणों की उपलब्धता शिक्षकों के साथ ही साथ विद्यार्थियों को भी इन संसाधनों के उपयोग हेतु सक्षम बना सकती है और साथ ही उनके द्वारा उनके द्वारा इन संसाधनों को और समृद्ध करने की सम्भावना भी पैदा करती है। वे सीखने के कई सक्रिय तरीके अपना सकते हैं, जैसे उपलब्ध संसाधनों का उपयोग प्रोजेक्ट कार्य के लिए कर सकते हैं, व्यक्तिगत और समूह आधारित तरीके अपना सकते हैं जिससे शिक्षण के भारत के अधिकांश भागों में आज भी प्रचलित 'चॉक और टॉक' विधि को पूरी तरह से रूपांतरित किया जा सके।

P19.4.1. शैक्षिक प्रौद्योगिकी को स्कूली पाठ्यक्रम में एकीकृत करना: स्कूल के विद्यार्थियों को डिजिटल युग के लिए तैयार करने और STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Design, and Mathematics) शिक्षा में प्रयासों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

- a. स्कूल पाठ्यचर्या में 6 वर्ष की उम्र से कंप्यूटेशनल-थिंकिंग (समस्याओं और समाधानों को अभिव्यक्त करने की ऐसी विचार प्रक्रिया, जो कंप्यूटर प्रभावी रूप से सम्पन्न कर सकते हैं) को शामिल किया जाएगा। डिजिटल-युग में यह एक बुनियादी कौशल है और इसे अच्छी तरह से तैयार पेपर कार्य-पत्रकों द्वारा प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है।
- b. उपकरणों के सस्ते होने और व्यापक प्रसार को देखते हुए, संभवतः वर्ष 2025 तक सभी विद्यार्थियों के पास अपना व्यक्तिगत कनेक्टेड-उपकरण होगा। स्कूली पाठ्यचर्या इन व्यक्तिगत उपकरणों और इनके साथ ही साथ उपलब्ध डिजिटल-संसाधनों (कंप्यूटर लेबोरेटरी, टिंकिंग लेबोरेटरी, मेकरस्पेस इत्यादि) के द्वारा डिजिटल-साक्षरता को बढ़ावा देगी।

- c. स्कूली पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर की अंतिम कक्षाओं और माध्यमिक स्तर के चरणों में प्रोग्रामिंग और अन्य एडवांस कंप्यूटर आधारित गतिविधियों पर केन्द्रित वैकल्पिक विषयों को उपलब्ध कराएंगी।

P19.4.2. शैक्षिक सॉफ्टवेयर का विकास: सभी स्तरों पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत से शैक्षिक सॉफ्टवेयर विकसित कर उपलब्ध करवाये जायेंगे। ऐसे सभी सॉफ्टवेयर सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे और CWSN, तथा विशेष शारीरिक/मानसिक चुनौतियों से जूझ रहे विद्यार्थियों समेत सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे। इनमें शामिल होंगे:

- a. विशेष चुनौतियों से जूझ रहे विद्यार्थियों की सहायता के लिए सॉफ्टवेयर (उदाहरण के लिए, दृष्टि बाधित या आंशिक रूप से देख पाने वाले विद्यार्थियों के लिए सभी मुख्य भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट-टू-स्पीच सॉफ्टवेयर)।
- b. संख्या ज्ञान और बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सभी भारतीय भाषाओं में इंटेलीजेंट ट्यूटिंग प्रणालियों को बढ़ावा देना।
- c. संवर्धित और आभासी वास्तविकता का उपयोग करने वाले गंभीर खेलों, सिमुलेशन के रूप में शैक्षिक सॉफ्टवेयर।
- d. प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए पाठ्यक्रम के आधार पर सीखने के वैयक्तिक भावी अनुमान पथ (learning trajectory) को तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर, जिसमें कि विषयवस्तु (पाठ्यसामाग्री, दृश्य सामग्री, इंटरैक्टिव-वर्कशीट, आदि) को सीढ़ीनुमा चरणों में व्यवस्थित किया गया हो।
- e. अनुकूलित आकलन टूल्स जो कि शिक्षार्थियों को रचनात्मक फीडबैक मुहैया कराएंगे जिससे कि वे स्वाध्याय या फिर साथी विद्यार्थियों के साथ मिलकर सीखने जैसे उपचारात्मक कदम उठा सकें।
- f. सॉफ्टवेयर जो कि शिक्षकों को रचनात्मक और योगात्मक, दोनों प्रकार के अनुकूलित आकलन तैयार करने में सहायता प्रदान करे, उन आकलनों

का मूल्यांकन करे, और शिक्षार्थियों को उचित फीडबैक प्रदान करे। ऐसे आकलन रटंत प्रणाली के महत्व को कम करेंगे और इसके स्थान पर 21वीं शताब्दी से संबंधित कौशलों, जैसे आलोचनात्मक और रचनात्मक विचार-प्रक्रिया, संवाद और सहयोग पर ध्यान केन्द्रित करेगी। सॉफ्टवेयर आधारित टूल्स से शिक्षार्थियों के प्रदर्शन और समग्र संस्थागत प्रदर्शन सम्बन्धी जो आंकड़े प्राप्त होंगे उन्हें विश्लेषण और शोध हेतु NRED में दर्ज कर लिया जाएगा (देखें P6.1.5)।

P19.4.3. वीडियो देखने से संबंधित उपकरण: ओपेन-एजुकेशनल-रिपोजीटरी में उपलब्ध सामग्रियों के अधिकतम उपयोग हेतु संस्थानों का सस्ते और पोर्टेबल वीडियो देखने से संबंधित उपकरणों (उदाहरण के लिए, सौरऊर्जा आधारित वीडियो प्लेबैक और प्रोजेक्शन उपकरण) को उपलब्ध कराया जायेगा। शिक्षकों को अपनी शिक्षण प्रक्रियाओं में ऐसे वीडियो, जो शिक्षण को और प्रभावी बनाने में मदद करें, शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

P19.4.4. उन्नत ऑनलाइन पाठ्यक्रम: शैक्षिक संस्थानों को उन विद्यार्थियों को कोर्स-क्रेडिट प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों (विशेष रूप से एडवांस-ऐक्सिक) को ऑनलाइन पूरा करते हैं, उदाहरण के लिए SWAYAM या फिर भविष्य में विकसित किए जाने वाले ऐसे अन्य मंच। इन कोर्सों में शामिल होंगे - IT इनेबल्ड सर्विसेज (ITES), व्यावसायिक शिक्षा और वयस्क शिक्षा से जुड़े ऐसे अन्य क्षेत्र जो कि ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से लाभान्वित हो सकते हैं।

P19.4.5. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उचित उपयोग का समर्थन: अधिकतर शैक्षिक संस्थानों को अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की देख-रेख और उपयोग करने में मुश्किलें पेश आती हैं। इस समस्या का समाधान उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रमों को पूर्ण कर चुके विद्यार्थियों के लिए अधिक संख्या में प्रतिष्ठित 'IT-एम्बेसडर फैलोशिप' प्रारम्भ करके किया जा सकता है। इस भूमिका में वे स्कूल-कॉम्प्लेक्स में सूचना प्रौद्योगिकी की बुनियादी-सुविधाओं का रख-रखाव कर सकेंगे। ग्रामीण सेवा का यह रूप कुछ उसी प्रकार होगा जैसे कुछ देशों में सैन्य सेवा का प्रावधान है। इन विद्यार्थियों को कंप्यूटर हार्डवेयर और

उसका रखरखाव, और इसके साथ ही साथ सॉफ्टवेयर इन्स्टालेशन (विशेष रूप से ओपेन-सोर्स-सॉफ्टवेयर) और उसका रखरखाव का प्रशिक्षण अवश्य दिया जाये। जहां तक संभव हो ये फैलोशिप स्थानीय लोगों को दी जाये। यह इन फेलो विद्यार्थियों में भविष्य में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने का भी काम करेगी।

P19.4.6. विशिष्ट प्रौद्योगिकी संबंधी नीतिगत कदम: इन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है - आवश्यक पहल और आशा-जगाने वाली पहल। शिक्षण, अधिगम और आकलन की प्रक्रिया से संबंधित कुछ आवश्यक पहल निम्नलिखित हैं:

a. **शैक्षिक सामग्रियों के लिए भारतीय भाषाओं में सामग्री-कोष (रिपोजीटरी):** यह सामग्रियों को अपलोड करने हेतु संपादकीय प्रक्रिया को निर्धारित करने के अलावा उन आकलन (रेटिंग) विधियों को भी शामिल करेगा जिससे श्रेष्ठ सामग्रियों तक पहुँच में आसानी हो। सामग्रियों को आवश्यक रूप से क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेन्स के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाये। नेशनल रिपोजीटरी फॉर ओपेन एजुकेशनल रिसोर्सेज (NROER) इसी प्रकार का एक उदाहरण है लेकिन इसके साथ-साथ और अधिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है जिससे कि अधिक से अधिक सामग्रियाँ ऑनलाइन हो पाएँ और अधिक से अधिक लोग इन्हें उपयोगी पायें। इस तरह के कोष को चलाने के लिए एक उपयुक्त वित्तीय मॉडल का चयन करना होगा। सामग्री कोष में भुगतान व्यवस्था का भी विकल्प रखा जा सकता है जिससे सामग्री तैयार करने वाले को इस कार्य हेतु कुछ भुगतान किया जा सके। NETF उपयुक्त वित्तीय मॉडल के आधार पर ही यह निर्णय लेगा कि सभी राज्यों के लिए अलग-अलग कोष का निर्माण किया जाये या सम्पूर्ण सामग्री को एक ही कोष में शामिल किया जाये।

b. **किसी भी सामग्री कोष में अपलोड कि गयी सामग्री का मशीनी अनुवाद:** इसमें अनुवाद की गुणवत्ता की जांच हेतु संपादकीय प्रक्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे कि किसी भी भाषा में

उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण सामग्री का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा सके।

कुछ आशा जगाने वाली पहलें इस प्रकार हैं:

- a. **शैक्षिक सामग्रियों हेतु प्रकाशन सॉफ्टवेयर:** शिक्षकों एक या एक से अधिक कोषों से मुफ्त में सामग्री इकट्ठा करने में सक्षम होने चाहिए जिससे वे रोचक कोर्स निर्माण कर सकें और इससे संबन्धित सामग्रियों को विद्यार्थियों के साथ पीडीएफ (pdf) के रूप में साझा कर सकें। कई पुराने विश्वविद्यालयों में मुद्रण विभाग हैं जिनका उपयोग उन विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सामग्रियों की अपेक्षाकृत सस्ती प्रतियाँ प्रिंट करने में किया जा सकता है जो उनकी इच्छा रखते हैं।
- b. **ऑनलाइन मूल्यांकन:** मूल्यांकन आंशिक रूप से ऑनलाइन बहुविकल्पीय परीक्षा के रूप में हो सकता है और साथ ही प्रोजेक्ट और अन्य व्यावहारिक कार्य द्वारा जिनका शिक्षकों द्वारा अलग से मूल्यांकन किया जा सके। कुछ ऐप-आधारित ऑनलाइन बहुविकल्पीय परीक्षा प्रणालियाँ पहले से ही उपलब्ध हैं जो कि संकाय सदस्यों के लिए प्रश्नोत्तरी (क्विज़) आयोजित करने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना देती हैं।

19.5. शैक्षिक पहुँच को बढ़ाना

ICT के उपयुक्त उपयोग द्वारा यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि कोई भी विद्यार्थी पीछे न छूटे। इससे सुदूर क्षेत्रों के विद्यार्थियों, महिलाओं, CWSN, स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों, वयस्क और दूसरे बहुत से लोग जो जीवन-पर्यंत सीखने की इच्छा रखते हैं, सभी तक पहुँचा जा सकता है। यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि इन उद्देश्यों के लिए शैक्षिक सामग्रियों का निर्माण विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

- P19.5.1. सुदूर क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी तक पहुँच:** जिन तक हम अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं उन तक पहुँचने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्सों को नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। इसके लिए उनका विद्युत, कंप्यूटर/स्मार्ट फोन या अन्य एक्सेस डिवाइस और इंटरनेट से लैस होना जरूरी है, अन्यथा दूर-दराज के लोगों तक पहुँचने की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी।
- P19.5.2. ओपेन-एजुकेशनल-रिपोजीटरी में उच्चगुणवत्ता युक्त विशेष जरूरतों के आधार पर तैयार सामग्री उपलब्ध कराना:** सभी शिक्षार्थियों के पास उच्च गुणवत्तायुक्त शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, कॉपी-राइट से मुक्त पाठ्यपुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, वीडियो (आदर्श रूप में, सबटाइटल्स के साथ), शिक्षण-अधिगम सामग्री, आदि को निर्मित और क्यूरेट किया जाएगा और इन्हें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी या NROER जैसे एकल ऑनलाइन डिजिटल रिपोजीटरी में उपलब्ध कराया जाएगा। यह रिपोजीटरी इस प्रकार से व्यवस्थित होनी चाहिए जिससे कि कोई भी व्यक्ति आसानी और तीव्रता से सामग्रियों को ढूँढ सके और उन्हें डाउनलोड कर सके। अधिक से अधिक शिक्षकों और विद्यार्थियों तक पहुँचने के लिए एक मामूली फीस के द्वारा इस सामग्री के किसी भी रूप में प्रसार को सहायता और बढ़ावा दिया जाएगा।
- P19.5.3. सामग्रियों की गुणवत्ता को बनाए रखना:** यह सुनिश्चित करना अत्यंत ही आवश्यक होगा कि P19.5.2 में वर्णित रिपोजीटरी एक उच्च गुणवत्तायुक्त और अद्यतन संसाधन बना रहे। इस प्रकार यह न सिर्फ औपचारिक शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी होगा बल्कि जीवनपर्यंत सीखने हेतु एक संबल होगा। अतः इन शैक्षिक संसाधनों के निर्माण और समीक्षा के लिए एक प्रणाली विकसित की जाएगी (उदाहरण के लिए, विद्यार्थी और शिक्षक, दोनों प्रकार के उपयोगकर्ताओं द्वारा सामग्रियों की गुणवत्ता, प्रासंगिकता, उपयोगिता पर ऑनलाइन फीडबैक द्वारा, और इसके साथ ही साथ ऐसी प्रतियोगिताओं द्वारा जो अद्वितीय सामग्री निर्माण को राष्ट्रीय पहचान दिलाएँगी)। अतः यह मंच पूरे देश से सभी विषयों, स्तरों और भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के कार्यों और शिक्षण की अनुकरणीय

विधियों को प्रदर्शित करेगा। एक बार इस मंच (सभी साझा संसाधनों के मामलों में) का पाइलट हो जाने और इसकी NETF द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की संस्तुति हो जाने के बाद इसके रख-रखाव की ज़िम्मेदारी अनिवार्य रूप से CDAC जैसे किसी विशेषज्ञ संगठन या फिर निजी उद्योग की होनी चाहिए। इस प्रकार के साझा संसाधनों के पेशेवर-रखरखाव हेतु धन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।

P19.5.4. शैक्षिक सामग्री के स्वचालित भाषायी अनुवाद हेतु उपकरणों का निर्माण: किसी एक भाषा में निर्मित सामग्री को तेजी से दूसरी भाषाओं में उपलब्ध करवाने के लिए, NRF सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्री के स्वचालित और/या क्राउड आधारित भाषायी अनुवाद हेतु उपकरणों के अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता देगा।

P19.5.5. प्रौद्योगिकी संबंधी विशिष्ट नीतिगत कदम: आवश्यक पहलों के रूप में, सभी उम्र के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु एडाप्टिव-लर्निंग (adaptive learning) से संबन्धित सॉफ्टवेयर तैयार किया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षणशास्त्र में पर्याप्त शोध की आवश्यकता होगी। इसके लिए NRF द्वारा विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कारवाई जा सकती है; ऐसा ही इंटेलिजेंट ट्यूटोरिंग सर्विस और अन्यो के साथ भी किया जा सकता है।

NRED संस्थानों, शिक्षकों और विद्यार्थियों से संबन्धित सभी रिकॉर्ड का संधारण डिजिटल-फॉर्म में करेगा।

19.6. शैक्षिक योजना और प्रबंधन को व्यवस्थित करना

निश्चित रूप से ICT से सबसे अधिक फायदा गवर्नेंस और प्रबंधन के क्षेत्र में है, जहां आईसीटी-टूल्स आंकड़ों को इकट्ठा करने, उनका विश्लेषण करने और उनके रिकॉर्ड-संधारण में मदद कर सकते हैं। ICT, नकली डिग्री और इसी तरह की अन्य ऐसी समस्याओं

के लिए जिन्होंने लंबे समय से इस क्षेत्र को त्रस्त किया हुआ है, के लिए अपेक्षाकृत सरल और सस्ते समाधान प्रस्तुत कर शिक्षा को मुख्यधारा में लाने में मदद कर सकता है।

P19.6.1. शैक्षिक आंकड़ों की राष्ट्रीय-रिपोजिटरी: शैक्षिक सूचनाओं के कुशल और सुरक्षित रखरखाव के लिए ICT का पूरी तरह से लाभ उठाया जाएगा। संस्थानों, शिक्षकों, और विद्यार्थियों से सम्बंधित सभी रिकॉर्ड एक ही एजेंसी द्वारा डिजिटल रूप में NRED में संधारित किये जायेंगे। इसे डिजिटल-इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्थापित किया जा सकता है (देखें P6.1.5)। NRED के कार्य होंगे:

- a. अधिकृत संस्थागत उपयोगकर्ताओं द्वारा आंकड़ों को दर्ज करने और अपडेट करने से संबंधित उपयुक्त प्रणाली का विकास करना। शिक्षकों को वर्ष में अधिकतम चार बार आंकड़े दर्ज करने को कहा जाएगा, जिससे कि शिक्षकों पर सतत रूप से आंकड़ों को एकत्रित, प्रबंधित और संचारित करने में पड़ने वाले अधिक बोझ को कम किया जा सके। यह सरकारी एजेंसियों (राज्य और केंद्र दोनों की) को निगरानी, प्रमाणन, रैंकिंग, रेटिंग, और सरकारी योजनाओं की पात्रता हेतु संस्थानों द्वारा आंकड़ों को प्रकट करने की एकमात्र प्रणाली होगी।
- b. शिक्षकों के रोजगार रिकॉर्ड और शिक्षार्थियों (जो कि, उदाहरण के लिए, अपने आधार नंबर से पहचाने जाएंगे) द्वारा अर्जित क्रेडिट को मान्य करना। यह शिक्षार्थियों और शिक्षकों की छात्रवृत्ति, रोजगार, संस्थानों के मध्य स्थानांतरण, और शिक्षा-प्रणाली में पुनर्प्रवेश से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाएगा। यह विद्यार्थियों और शिक्षकों को ट्रैक करने के मानवीय प्रयासों को भी कम करेगा।
- c. सीखने के प्रतिफलों (उदाहरण के लिए NAS) के मूल्यांकन के प्रयासों में मदद करना। इस हेतु प्रत्येक शिक्षार्थी और संस्थाओं के प्रदर्शन का विश्लेषण करना और इन प्रतिफलों को हासिल करने के दौरान होने वाली विफलताओं के अनुमान का प्रयास करना जिससे कि पूर्व से ही इस दिशा में मदद हेतु सक्रिय उपाय किए जा सकें।

- d. राष्ट्रीय मानदंडों, सर्वोत्तम प्रथाओं, और आकड़ों की गोपनीयता से संबंधित मानदंडों का पालन करते हुए रिकार्डों का संधारण करना। 'अस्पष्टता द्वारा सुरक्षा' (security by obscurity) पर आधारित कार्य प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा। यह नीति आगे यह भी स्पष्ट करती है कि प्रत्येक व्यक्ति की गोपनीयता को सुरक्षित रखने के लिए जल्द से जल्द कानूनों को सशक्त किया जाना चाहिए।
- e. नीतियाँ उच्च गुणवत्ता युक्त आंकड़ों पर आधारित हों इसके लिए आवश्यक है कि आंकड़ों की सामयिकता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने से संबंधित उचित प्रणाली का विकास किया जाये। राज्य और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा वर्तमान में उपयोग की जा रही सर्वोत्तम प्रणालियों का अध्ययन किया जा सकता है और उसे आधार मान कर आगे बढ़ा जा सकता है।
- f. संबंधित सरकारी एजेंसियों को ऐसे महत्वपूर्ण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के रुझानों के बारे में तभी सचेत करना, जब वे विकसित हो रही हों, जिससे कि आवश्यकता होने पर तत्काल कार्रवाई कर सके और इन विश्लेषणों को वार्षिक आधार पर सार्वजनिक करना। इन विश्लेषणों में जिले स्तर पर स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन भी शामिल है।
- g. प्रवासी शिक्षार्थियों की निगरानी करना। उनके स्वास्थ्य और शैक्षिक प्रगति पर नज़र रखना जिससे कि लगातार होने वाले विस्थापन से उनके ऊपर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कुछ कदम उठाये जा सकें।

P19.6.2. शासन और प्रशासन में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी: सामुदायिक निगरानी हेतु शैक्षिक सूचना प्रबंधन प्रणाली (Educational information management system) को निर्मित किया जाएगा और NRED के साथ इसे समन्वित किया जाएगा। इन प्रणालियों का उपयोग शैक्षिक योजना निर्माण, प्रवेश, उपस्थिती, मूल्यांकन, आदि से संबंधित मानवीय प्रक्रियाओं

को व्यवस्थित करने के लिए किया जाएगा। स्थानीय समुदाय, पंचायत और SMC इन आकड़ों को स्वयं से ही देख और समझ सकेंगे। ICT-आधारित टूल्स का प्रयोग फौरन शुरू होगा जहां वे प्रभाव और सटीकता को बढ़ा सकते हैं, जिसमें प्रवेश, छात्रवृत्ति, मूल्यांकन, काउंसिलिंग, नियुक्ति, प्रमाणन, आदि शामिल हैं। ICT का उपयोग अधिक प्रभावी सूचना प्रसार में और आंकड़ों को एकत्र करने के लिए किया जाएगा ताकि बेहतर निर्णय लिए जा सकें। हितधारकों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को संभव बनाने और इसमें निरंतर मदद करने के लिए, समस्त शैक्षिक संस्थान, सभी हितधारकों (विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, स्टाफ सदस्यों, आदि) को आधिकारिक संस्थागत संचार माध्यमों (उदाहरण के लिए, संस्थागत ईमेल) तक पहुँच सुनिश्चित करेंगे।

P19.6.3. प्रौद्योगिकी-संबंधी खास नीतिगत कदम: ईमेल को इज़ाद हुए 30 वर्षों से भी अधिक हो गए हैं, इसके बावजूद आज भी हमारे बहुत से शैक्षिक संस्थान अपने संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों को संस्थानिक-ईमेल की सुविधा नहीं प्रदान करते। संचार को प्रभावी बनाने की क्षमता जो कि संस्थागत ईमेल और लिस्ट-सर्वर के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है, को बिना किसी और देरी के समस्त शैक्षिक संस्थानों को प्रदान किया जाना चाहिए।

नई ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा अब नकली डिग्री की समस्या से अंत्यत प्रभावी तरीके से निजात पायी जा सकती है। सभी राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्य के समस्त शैक्षिक संस्थानों के लिए 'राष्ट्रीय अकादमिक डिपोजिटरी' के समान ही अपनी स्वयं की सर्टिफिकेट-डिपोजिटरी का गठन करना चाहिए।

शिक्षा के प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र का, इससे संबन्धित कई पहलुओं जैसे, प्रवेश, विद्यार्थी-रिकॉर्ड, और यहाँ तक कि राज्यों के कुछ विश्वविद्यालयों में होने वाली परीक्षाओं के ऑनलाइन-मूल्यांकन आदि का पहले ही काफी हद तक कंप्यूटरीकरण हो चुका है। आवश्यकता है इनका सभी शैक्षिक संस्थानों तक प्रसार हो।

19.7. प्रभावी प्रौद्योगिकी (Disruptive Technology)

प्रौद्योगिकी बहुत ही तेजी से शिक्षा सहित मानव समाज के कई पहलुओं को बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रही है। इनमें से कुछ अत्यंत ही प्रभावी तकनीकें हैं जिनका सीधे-सीधे शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग हो सकता है, और NETF के द्वारा ऐसी तकनीकों को शिक्षा-प्रणाली में एकीकृत करने की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। यह खंड इन प्रभावशाली तकनीकों के व्यापक परिणामों को संबोधित करता है जो शिक्षा जैसे अनुसंधान, डि-स्किलिंग, और जागरूकता को बढ़ाना आदि के लिए महत्वपूर्ण हैं।

जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986/1992 बनायी गयी थी, तब इंटरनेट के क्रांतिकारी प्रभावों का अनुमान लगाना मुश्किल था, उसमें भी विशेष रूप से विकास दरों में जिस तरह इसने अपना योगदान दिया और अन्य प्रभावशाली प्रौद्योगिकी के विकास में मदद की। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली की इन तीव्र और युगांतरकारी परिवर्तनों का सामना करने की असमर्थता इस तेजी से प्रतिस्पर्धी होती दुनिया में हमें (व्यक्तिगत रूप से और एक राष्ट्र के रूप में) खतरनाक और हानिकारक स्थिति की ओर धकेल दे रही है। उदाहरण के लिए, आज जब कंप्यूटर ने तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान के मामले में मनुष्य को काफी पीछे छोड़ दिया है, तब भी हमारी शिक्षा व्यवस्था, उच्च स्तर की दक्षताओं के विकास की कीमत पर, अपने विद्यार्थियों पर शिक्षण के सभी स्तरों के दौरान ऐसे ज्ञान का अत्यधिक बोझ डालती रहती है।

यह नीति ऐसे समय में आ रही है जबकि चतुर्थ औद्योगिक क्रांति पहले ही शुरू हो चुकी है, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (artificial intelligence) जैसी बेहद प्रभावशाली तकनीकें उभर चुकी हैं। मूल रूप से देखें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूर्वानुमान लगाने के कार्यों की लागत को कम कर देती है (जैसे की, “इस मरीज के लक्षण”), जिनमें उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल जानकारीयों के बीच की खाई (जैसे कि, “इस मरीज को क्या बीमारी है?”) को भरने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित पूर्वानुमानों की लागत कम होती जाएगी, वैसे-वैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कुशल पेशेवरों की बराबरी करने लगेगी और यहाँ तक की उनसे आगे भी निकल जाएगी, जैसे डॉक्टर के कुछ पूर्वानुमान के काम और उनके कार्यों में उनके लिए एक मूल्यवान सहायता होगी। इसलिए यह बहुत साफ़-साफ़ देखा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितनी प्रभावशाली और क्षमतावान है।

नीति आयोग ने हाल ही में “कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राष्ट्रीय रणनीति: #AI For All” शीर्षक पर एक सामयिक चर्चा-पत्र प्रस्तुत किया। इस चर्चा-पत्र में MHRD और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा किये गए अनुसंधानों से महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियों को विश्लेषित किया गया, और इसके आधार पर भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से जुड़ी चुनौतियों को पहचाना गया, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और कार्यवाही एजेंडा के निर्माण के प्रयासों को प्रस्तुत किया गया। यह नीति से शिक्षा से संबंधित NITI-आयोग की सिफारिशों का मोटे तौर पर समर्थन करती है। आगे यह स्पष्ट करती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस बात का एक एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे प्रभावशाली प्रौद्योगिकियों से जुड़े नीतिगत कदम कुछ खास प्रौद्योगिकी पर लागू किए जा सकते हैं। इसलिए नीचे बताये गए प्रत्येक नीतिगत कदम कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर इनके अनुप्रयोग से संबंधित टिप्पणियों के साथ दर्ज हैं।

P19.7.1. संभावित प्रभावशाली प्रौद्योगिकी की निगरानी: RSA की सलाहकार परिषद (देखें अध्याय 23) के स्थायी कार्यों में से एक उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को उनकी क्षमता और उनके प्रभावशाली बनने की अनुमानित समय सीमा के आधार पर वर्गीकृत करना और समय-समय पर इन विश्लेषणों को RSA के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इन सूचनाओं के आधार पर RSA औपचारिक रूप से ऐसी तकनीकियों की पहचान करेगा जिनके उद्भव के लिए शिक्षा प्रणाली से सहयोग/प्रतिक्रिया आवश्यक होगी। प्रौद्योगिकी विकास की बढ़ती गति को देखते हुए, शिक्षा नीति के संशोधन का पारंपरिक चक्र ऐसे प्रभावशाली प्रौद्योगिकी के प्रति प्रतिक्रिया देने में संभवतः बहुत धीमा होगा। RSA की सलाहकार समिति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यों के आधार पर विशिष्ट तकनीकियों से संबंधित क्या कदम उठाये जाए यह प्रस्तावित करेगी, जिनको अकादमिक, औद्योगिक, और व्यापक रूप में जनता द्वारा परामर्श से परिष्कृत किया जाएगा। ये निर्णय/प्रतिक्रियाएँ RSA के EC द्वारा मार्गदर्शित की जाएंगी। ऐसे समय में जब कि शिक्षा प्रणाली में कुछ चपलता आवश्यक है, एक तकनीकी विशेष के प्रभावशाली प्रभावों को समझने के लिए आवश्यक सचेत विमर्श की आवश्यकता को कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा बहुत ही प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया है (जिसमें कि कई अलग-अलग तकनीकी

शामिल हैं)। दशकों पूर्व कुछ विशेषज्ञों ने नियम-आधारित विशेषज्ञ प्रणालियों को प्रभावशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आगाज़ माना। वास्तव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वर्तमान प्रगति, 1990 (फीडबैक सहित बहुस्तरीय तंत्रिका नेटवर्क) के दशक में विकसित विभिन्न तकनीकियों पर आधारित है, और हाल ही में कंप्यूटेशन के क्षेत्र में हुई प्रगति और बड़े डेटा-सेट्स की उपलब्धता के चलते यह और तेजी से बढ़ी है। NITI-आयोग के चर्चा पत्र एक ऐसे मार्ग का प्रस्ताव रखता है जिसके आधार पर सलाहकार परिषद प्रौद्योगिकी आधारित नीतिगत परिवर्तनों की अनुशंसा कर सकती है।

P19.7.2. प्रभावशाली प्रौद्योगिकी में अनुसंधान: RSA द्वारा नवीन प्रभावशाली प्रौद्योगिकी को औपचारिक रूप से स्वीकार करने के प्रतिउत्तर में, NRF उपयुक्त क्षेत्र में अनुसंधान का प्रारम्भ या विस्तार करेगी, जिसमें क्षेत्र-विशेष में मौलिक शोध, प्रौद्योगिकी के विकास को आगे बढ़ाना, और प्रौद्योगिकी के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का आकलन करना शामिल है। कुछ विशेष प्रभावशाली प्रौद्योगिकी हेतु NRF अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के साथ मेगा-परियोजनाओं को आर्थिक सहायता दे सकता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में, NRF त्रि-आयामी एप्रोच अपना सकता है:

- a. कोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च को आगे बढ़ाना
- b. एप्लिकेशन आधारित अनुसंधान का विकास और प्रयोग, और
- c. स्वास्थ्य, कृषि, और जलवायु संकट जैसे वैश्विक संकटों की चुनौतियों को सामना करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के प्रयासों की स्थापना करना।

P19.7.3. कौशल निर्माण और नए कौशलों का निरंतर विकास: उच्च शिक्षा की नवीन संस्थानिक संरचना शीघ्रता पूर्वक विद्यार्थियों को कौशल प्रदान करने और वर्तमान में काम कर रहे लोगो को नए कौशल सिखाने के लिए पूरी तरह अनुकूल है। टाइप-1 और टाइप-2 संस्थान न सिर्फ प्रभावशाली प्रौद्योगिकी

पर अनुसंधान में सक्रिय भूमिका निभा रहे होंगे बल्कि अत्याधुनिक क्षेत्रों में आरंभिक निर्देशात्मक सामग्री और पाठ्यक्रम (ऑनलाइन पाठ्यक्रमों सहित) का निर्माण भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ पेशेवर शिक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उनके प्रभाव का आकलन भी। टाइप-III संस्थान इस प्रकार के शिक्षण और कौशल निर्माण के कामों को बढ़ाने के लिए आदर्श संस्थान हैं, इसके अंतर्गत रोजगार की तैयारी के लिए लक्षित प्रशिक्षण के प्रयास भी शामिल किये जाएंगे। प्रभावी प्रौद्योगिकियाँ कुछ नौकरियों को निरर्थक बना देंगी, अतः रोजगार पैदा करने और उन्हें बनाए रखने के लिए स्किलिंग और डि-स्किलिंग के प्रति प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होगा। संस्थानों को कौशल और उच्च शिक्षा के साथ एकीकृत किये जा सकने वाले प्रशिक्षण देने के लिए संस्थागत और गैर-संस्थागत भागीदारों को मंजूरी देने की स्वायत्तता होगी।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में, टाइप-I और टाइप-II संस्थान मूल क्षेत्रों/ कोर एरिया (जैसे कि मशीन लर्निंग), बहुविषयक क्षेत्रों ("कृत्रिम बुद्धिमत्ता + X") और पेशेवर क्षेत्रों (स्वास्थ्य, कृषि, विधि) में पीएचडी और स्नातकोत्तर कार्यक्रम चला सकते हैं। ये SWAYAM जैसे मंचों की सहायता से इन क्षेत्रों में आधिकारिक पाठ्यक्रमों को विकसित और इनका प्रसार कर सकते हैं। शीघ्रता से अपनाने के लिए टाइप-III संस्थान आरंभ में इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को औपचारिक शिक्षा के स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ मिला सकते हैं। टाइप-III संस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सहायता प्रदान करते कम विशेषज्ञता की मांग वाले क्षेत्रों, जैसे डेटा एनोटेशन, इमेज क्लासिफिकेशन और स्पीच ट्रांसक्रिप्शन, में लक्षित प्रशिक्षण भी दे सकते हैं। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (Natural Language Processing/NLP) के संदर्भ में कुछ कम-विशेषज्ञता वाले कार्य (जैसे, साधारण वाक्यों का अनुवाद) भी शैक्षिक विधियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए, स्कूली विद्यार्थियों को भाषा सिखाने के प्रयासों को भारत की विविध भाषाओं के लिए एनएलपी को समृद्ध बनाने के प्रयासों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

P19.7.4. जागरूकता बढ़ाना: जैसे ही प्रभावशाली प्रौद्योगिकियाँ उभरती हैं, स्कूली और वयस्क शिक्षा इनके अत्यंत शक्तिशाली प्रभावों के बारे में आम जनता

की जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगी, और इसके साथ ही संबंधित मुद्दों को भी संबोधित करेगी। इन प्रौद्योगिकियों से संबंधित मुद्दों पर एक सोची-विचारी सार्वजनिक सहमति बनाने के लिए यह जागरूकता आवश्यक है। स्कूल में, नैतिक मुद्दों (देखें सेक्शन 4.6.8) और समसामयिक मुद्दों (देखें सेक्शन 4.6.10) के अध्ययन में RSA द्वारा चुने गए मुद्दों में अत्यंत प्रभावशाली प्रौद्योगिकियों पर चर्चा को शामिल किया जाएगा। सतत शिक्षा हेतु उचित निर्देशात्मक एवं विमर्शात्मक सामग्री भी तैयार की जाएगी।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकों के लिए डेटा एक महत्वपूर्ण ईंधन के समान है, गोपनीयता के मुद्दों पर, डेटा-संधारण, डेटा-सुरक्षा आदि से जुड़े कानून और मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाना अति-आवश्यक है। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रौद्योगिकी के विकास और प्रयोग से जुड़े नैतिक मुद्दों को उठाना और इन पर विमर्श करना भी आवश्यक है। शिक्षा इन मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अध्याय 20

व्यवसायिक शिक्षा

उद्देश्य:

व्यवसायिक शिक्षा को सभी शैक्षिक संस्थानों- स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय- के साथ एकीकृत किया जाए। वर्ष 2025 तक लगभग 50% छात्रों तक व्यवसायिक शिक्षा को पहुँचाना।

कामकाजी दुनिया के लिए व्यक्तियों की तैयारी में उच्च शिक्षा की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। निसंदेह सभी प्रकार की उच्च शिक्षा को सार्थक कामकाजी भूमिका की तरफ ले जाना चाहिए लेकिन कुछ विशेष प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम लोगों को विशिष्ट काम धंधों के लिए तैयार करने के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं उसे व्यवसायिक शिक्षा कहते हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुमान के मुताबिक भारत के कामकाजी लोगों के 19 से 24 आयु वर्ग में 5% से भी कम लोगों ने व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त की है। इसकी तुलना में USA में यह 52 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत, कोरिया में 96 प्रतिशत है। यह आंकड़े भारत में व्यवसायिक शिक्षा की गति को बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। व्यवसायिक शिक्षा के लिए अपर्याप्त संस्थात्मक संरचना भी एक गहन चिंता का विषय है क्योंकि 1986 की शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के दौरान खड़ी की गई आधारभूत संरचना या तो कमजोर हो चुकी है या निष्क्रिय पड़ी है।

व्यवसायिक शिक्षा, अकादमिक शिक्षा से इस मायने में अलग है कि इसमें ज्ञान और कौशल का, व्यावहारिक चुनौतियों और अर्थव्यवस्था की कार्य-स्थितियों के बीच गहरा संबंध होता है। व्यवसायिक शिक्षा का उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था के जिन विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में उस क्षेत्र से सम्बंधित ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति की ज़रूरत होती है उसमें छात्र तयशुदा व्यावहारिक दक्षताएं अर्जित कर सकें।

व्यवसायिक शिक्षा की व्यापक परिभाषा में पेशेवर शिक्षा भी शामिल है (कानूनी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा)। भारत में व्यवसायिक शिक्षा से सम्बंधित वर्तमान संस्थागत और नियामक संरचनाओं के कारण chapter 18 में इस पर अलग से चर्चा की गयी है। इसके अलावा इस नीति में हम “व्यवसायिक शिक्षा” शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं हालाँकि इस सम्बन्ध में प्रायः तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (Technical and vocational education and training) शब्द प्रयुक्त होता है।

व्यवसायिक शिक्षा को कौशल एवं कौशल विकास से अलग देखा जाना चाहिए। व्यवसायिक शिक्षा में ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति का एक एकीकृत रूप समाहित होता है। कुछ काम धंधे ऐसे होते हैं जिनमें संपूर्ण व्यवसायिक शिक्षा की ज़रूरत शायद नहीं पड़ती बल्कि केवल किसी विशेष कौशल में प्रशिक्षण की ही ज़रूरत होती है। इसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण का इस्तेमाल कर सकते हैं- घरेलू कामों के लिए इलेक्ट्रीशियन बनाम किसी फैक्ट्री का बिजली सम्बन्धी रखरखाव, राजगीरी बनाम किसी निर्माण स्थल की जिम्मेदारी इत्यादि। व्यवसायिक शिक्षा उन क्षेत्रों के लिए सबसे प्रभावी होगी जहाँ प्रैक्टिस के लिहाज़ से केवल apprenticeship या अनुकरण से सीखना अपर्याप्त और अप्रभावी हो।

यह सही है कि जिन पेशों में कौशल विकास की आवश्यकता है और जिनमें व्यवसायिक शिक्षा की, उन्हें निरंतरता (continuum) में देखा जाना चाहिए, जहाँ उचित विकास से व्यक्ति एक से दूसरे की ओर प्रगति कर सकता है। लेकिन व्यक्तियों और व्यवस्था के प्रभावी और कार्यकुशल प्रगति के लिए व्यवसायिक शिक्षा और कौशल एवं कौशल विकास में अंतर किया जाना महत्वपूर्ण है। यह वर्तमान में खासतौर पर प्रासंगिक है क्योंकि इन शब्दों को अमूमन एक दूसरे के पर्यायवाची की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कामकाज की तेज़ी से बदलती दुनिया में काम कर पाने के लिए छात्रों के लिए ज़रूरी व्यापक शिक्षा के माध्यम से व्यवसायिक शिक्षा, न सिर्फ हाथ से किये जाने वाले कौशल बल्कि सैद्धांतिक ज्ञान, अभिवृत्ति एवं मानसिकता बल्कि किसी पेशे के लिए ज़रूरी सॉफ्ट स्किल्स को भी समाहित करती है।

सामाजिक हैसियत का पदानुक्रम और व्यवसायिक शिक्षा

पेशों की सामाजिक हैसियत के पदानुक्रम ने उच्च शिक्षा में कई तरीकों से दिक्कत पैदा की है। इसने व्यवसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में आम जन की समझ को और इसके चलते उच्च शिक्षा में छात्रों द्वारा किये जाने वाले चयन को भी काफी हद तक प्रभावित किया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यवसायिक शिक्षा को चुनने वाले छात्रों के लिए भी यह कम वांछनीय रही है।

अन्य कारकों ने भी व्यवसायिक शिक्षा के बारे में लोगों की सोच को प्रभावित किया है। अकादमिक और पेशेवर शिक्षा से व्यवसायिक शिक्षा के अलगाव ने जो कि स्कूली शिक्षा से ही इनके संरचनात्मक और पाठ्यचर्यात्मक अलगाव में परिलक्षित होता है और व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों की सामान्यतः खराब गुणवत्ता ने स्पष्ट रूप से इसमें भूमिका अदा की है।

यह परिस्थिति अविलंब बदलाव की मांग करती है। व्यवसायिक शिक्षा को छात्रों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाया जाना चाहिए। पहले से श्रमशक्ति में शामिल या शामिल होने जा रहे लाखों लोगों के कल्याण के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी यह समान अहमियत रखता है।

व्यवसायिक शिक्षा की नयी एप्रोच

सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी कदम के रूप में व्यवसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन को सुधारना होगा। यह सुधार शिक्षक विकास और नियुक्ति, पाठ्यचर्या, बुनियादी संरचना आदि सभी आयामों में होना चाहिए। इस महत्वपूर्ण कदम के अलावा व्यवसायिक शिक्षण के विचार को ही पूर्णतः बदलना होगा और स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में इसकी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना होगा जिसकी यह हकदार है।

व्यवसायिक शिक्षा का विकास 'मुख्यधारा' की शिक्षा से अलग नहीं किया जाना चाहिए। इसे 'मुख्यधारा' की शिक्षा में पूरी तरह एकीकृत करना चाहिए ताकि सभी छात्र व्यवसायिक शिक्षा के बारे में जान सकें और उनके पास व्यवसायिक शिक्षा की विशिष्ट धारा को चुनने

का विकल्प हो। अहर्ताओं / सर्टिफिकेशन और क्रेडिट व्यवस्था की स्पष्ट समकक्षता हो ताकि छात्र व्यवसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच आसानी से आ-जा सकें। इससे व्यवसायिक शिक्षा को व्यापक बनाने में, सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ाने में और सभी छात्रों को केवल व्यवसायिक शिक्षा अथवा व्यवसायिक शिक्षा और पेशेवर एवं अकादमिक अनुशासनों को संयुक्त रूप से पढ़ने के मौके देने में मदद मिलेगी।

इस नयी सोच की धुरी होगी यह लचीलापन कि सभी छात्रों के पास अपने अकादमिक करियर के दौरान व्यवसायिक शिक्षा को चुनने का विकल्प रहेगा, और इस चुने गए विकल्प पर एक उचित समयावधि तक काम किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें अधिक व्यापक कोर्स का लाभ भी मिलेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आगे चल कर उनके पास यह विकल्प रहेगा कि वे उच्च व्यवसायिक डिग्री ले सकें या फिर किसी अन्य विषय/संकाय के प्रोग्राम में पढ़ाई जारी रख सकें। सार रूप में, वर्तमान स्थिति की बनिस्पत जिसमें एक विकल्प चुन लेने के बाद बदलाव संभव नहीं होता, इस लचीलेपन से हर एक छात्र के लिए कई संभावनाएं खुली रहेंगी।

शिक्षा की यह नवीन कल्पना व्यक्तियों और देश दोनों के ही आर्थिक लक्ष्यों को पाने में अनेकों तरीकों से अपना योगदान देगी। इससे आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु, जिसमें रोजगार और उद्दमिता शामिल है, व्यक्तियों में सक्षमता और प्रवृत्ति का विकास भी होता है। इसके अलावा, विभिन्न पेशों एवं व्यवसायों के मौजूदा कठोर सोपानिक पदक्रम (hierarchy) को तोड़ते हुए, इन पेशों की सामाजिक समानता में भी योगदान देगा।

अकादमिक, पेशेवर और व्यवसायिक इन सभी प्रकार की शिक्षा का गहन और निर्बाध एकीकरण- यही है इस नीति में लिबरल या उदारवादी शिक्षा की कल्पना।

इस नयी एप्रोच के महत्वपूर्ण आयाम

2015 में शुरू हुई NPSDE (National Policy on Skills Development and Entrepreneurship) ने यह साफ किया था कि 25% शैक्षिक संस्थानों के द्वारा व्यवसायिक शिक्षा की पेशकश (offer) की जाएगी। हम इस नीति को एक बड़ा मोड़ देते हुए यह स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ना सिर्फ 25% बल्कि सभी शैक्षिक संस्थानों-

स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को, चरणबद्ध तरीके से व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम को समेकित करना होगा।

कक्षा 9 से 12 के दौरान हर स्कूली छात्र को कम से कम एक व्यवसाय में व्यवसायिक शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। छात्रों को स्कूल द्वारा पेश (offer) किए जा रहे कोर्सों में से एक को चुनना होगा। स्कूल द्वारा यह पेशकश व्यावहारिक प्रशिक्षण सुविधाओं और उस क्षेत्र के रोजगार के मौकों की उपलब्धता के आधार पर की जाएगी। अपनी रुचि के अनुसार 4 साल की उच्चतर माध्यमिक स्कूली शिक्षा के दौरान छात्र अपने चुने हुए व्यवसाय में विभिन्न स्तरों की विशेषज्ञता प्राप्त करेंगे।

HEIs के द्वारा भी व्यवसायिक कोर्स चलाये जाएंगे जिन्हें अंडरग्रेजुएट शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया गया होगा। इसकी विषयवस्तु ऐसी होगी जिसमें ज़रूरी सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के साथ पर्याप्त व्यावहारिक अनुभवों को एक सामान्य शैक्षिक सन्दर्भ में पढ़ाया जाएगा।

लेकिन अभी कुछ समय तक इसमें कई चुनौतियाँ आएँगी क्योंकि वर्तमान में व्यवसायिक शिक्षा में कई मंत्रालय और कई अन्य हितधारक शामिल हैं। इसलिए व्यवसायिक शिक्षा के कई पहलुओं के एकीकरण के संबंध में अधिक बारीक अध्ययन की ज़रूरत होगी। इसके साथ ही, सभी हितधारकों के साथ समन्वय करने, आगे के नियोजन और क्रियान्वयन करने की एक प्रणाली के निर्माण की ज़रूरत होगी। एक अलग समिति - NCIVE (National Committee for the Integration of Vocational Education) का गठन किये जाने की आवश्यकता होगी जो इस नीति में सुझाए दीर्घ कालिक लक्ष्यों की रूपरेखा की समीक्षा करे और उन्हें प्राप्त करने हेतु लिए जाने वाले क़दमों पर सुझाव दे और योजना बनाए। इस समिति के सदस्य विभिन्न मंत्रालयों से होंगे। इस अध्याय में अलग अलग जगहों पर हम कुछ मुद्दों को रेखांकित करेंगे जिनपर NCIVE को गौर करना चाहिए।

व्यवसायिक शिक्षा की इस नयी कल्पना के लिए केंद्र सरकार एवं अपनी अपनी राज्य सरकार द्वारा समर्थित समस्त शिक्षा क्षेत्र, जिसमें सभी स्कूलों, स्कूल काम्प्लेक्स, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्य और प्रबंधन शामिल है, सभी को साथ आना होगा। ताकि जिन दीर्घस्थायी कमियों से यह क्षेत्र अभी तक ग्रसित रहा है उन्हें दूर करने के लिए सम्मिलित प्रयास किये जा सकें।

व्यवसायिक शिक्षा का एकीकरण, अकादमिक समुदाय के लिए कुछ अतिरिक्त चुनौतियाँ भी पेश करता है। शिक्षा पूर्ण करने पर विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के स्नातकों को रोजगार के पर्याप्त मौके मिल सकें, इसके लिए उन्हें उद्योगों की मानक संस्थाओं और भावी नियोक्ताओं के साथ मिल कर काम करना होगा। शैक्षिक संस्थानों को उनसे की जाने वाली अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए यथेष्ट विशेषज्ञता विकसित करनी होगी। जिन विशेषज्ञताओं को विकसित किया जाना है उनमें सभी शैक्षिक संस्थानों के प्रबंधन, प्रशासन और शिक्षकों को निम्नलिखित कार्य करने के लिए अपनी क्षमताओं का विकास करना शामिल है:

- आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्थानीय उद्योगों और कारोबार, खेतों, अस्पतालों, गैर सरकारी संस्थाओं और ऐसी अन्य सुविधाओं के साथ समन्वय करना, जहाँ छात्रों को व्यावहारिक कौशलों का प्रशिक्षण मिल सके तथा ऐसे व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को विकसित करना जो मुख्यधारा की शिक्षा से एकीकृत हो और इस व्यावहारिक प्रशिक्षण को, उससे संबद्ध सैद्धांतिक ज्ञान से सम्पूर्ण कर सके। इन कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण जीवन कौशलों जैसे सम्प्रेषण कौशल, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता आदि से सम्बंधित कोर्स भी शामिल होने चाहिए।
- Pandit Sunderlal Sharma Central Institute of Vocational Education (PSSCIVE) के माध्यम से NCERT और SCERT के साथ (राज्य के व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों के माध्यम से, जहाँ कहीं वे अस्तित्व में हैं) मिल कर व्यवसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और स्थानीय ज़रूरतों के मुताबिक सप्लीमेंट्री शैक्षिक सामग्री का निर्माण करना। यह एक बहुत बड़ा काम है जिसके लिए काफ़ी अधिक प्रयासों और सामर्थ्य /योग्यता की आवश्यकता होगी। NCIVE को सभी हितधारकों के साथ मिल कर इसके लिए योजना बनानी होगी।
- विभिन्न विषयों के एक्सटर्नल विशेषज्ञों को, अंशकालिक या पूर्णकालिक संकाय सदस्य के तौर पर शामिल करना, और छात्रों के प्रशिक्षण के लिए उन्हें आवश्यक उन्मुखीकरण प्रदान करना। भिन्न आयु - समूह के छात्रों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल का निर्माण करना होगा।
- स्कूल एवं HEIs के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना ताकि वे छात्रों को व्यावहारिक कौशलों के कुछ बुनियादी और सीधे अनुभव देते हुए व्यवसायिक शिक्षा प्रदान

करने में अपना योगदान दे सकें। स्कूलों के मामले में यह कार्य वर्तमान में PSSCIVE द्वारा किया जा रहा है, लेकिन व्यापक स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के मॉडल की ज़रूरत होगी जो स्कूली शिक्षकों के लिए स्कूल काम्प्लेक्स और डाइट एवं उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों की क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकें।

- व्यावहारिक कौशलों का प्रशिक्षण देने वाले साझेदारों के साथ मिल कर सभी व्यवसायिक कोर्स का आकलन करना। यह भी एक जटिल और बड़ा काम है जिसमें व्यापक पैमाने पर क्षमता संवर्धन की आवश्यकता होगी। इस काम के लिए शैक्षिक संस्थानों को सेक्टर स्किल काउंसिल(SSC) के साथ मिल कर काम करने की ज़रूरत होगी।
- NSQF स्तरों के अनुसार युवाओं और वयस्कों के पूर्व-अधिगम (Prior Learning) के आंकलन के लिए क्षमता विकसित करना और प्रमाणन करना। इस कार्य की 'Recognition of Prior Learning' (RPL) की अवधारणा के रूप में तो अच्छी समझ है लेकिन इसे करने के लिए कोई सुविचारित प्रक्रिया अभी तक विकसित नहीं की जा सकी है। शैक्षिक संस्थाओं को ऐसी आकलन प्रक्रिया को विकसित करने और उसके मानकीकरण में योगदान देना चाहिए ताकि स्कूल ड्रापआउट और वयस्कों सहित सभी छात्रों की विशेषज्ञता का आकलन हो सके और उन्हें क्षैतिज और ऊर्ध्व गतिशीलता(Horizontal & Vertical mobility) के मौके मुहैया कराये जा सकें।

क्षमता निर्माण के इन प्रयासों के लिए राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा उदारता से वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए और व्यवसायिक शिक्षा के व्यापक प्रसार के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में शैक्षिक संस्थाओं को हर संभव मदद प्रदान करनी चाहिए। केंद्र और राज्य स्तर पर एक समन्वयकारी संस्था पूर्व-अधिगम की जानकारी इकट्ठी और दर्ज कर, व्यापक स्तर पर इसका प्रसार कर सकती है। इस तरह की संस्था सभी हितधारकों – शिक्षक एवं प्रैक्टिशनर को साथ में ला सकती है ताकि नियमित मीटिंग, कांफ्रेंस के ज़रिये उनके अनुभवों को साझा किया जा सके और गुणवत्तापूर्ण व्यवसायिक शिक्षा की तकनीकी जानकारी के प्रसार में गति लायी जा सके। NCIVE इसकी जिम्मेदारी ले सकती है।

व्यवसायिक शिक्षा की इस नयी एप्रोच को क्रियाशील करने के लिए, इस नीति की अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं:

- व्यवसायिक शिक्षा का स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ प्रासंगिक और सार्थक एकीकरण। इसके लिए कौशल विश्लेषण और स्थानीय अवसरों का पता लगाना और साथ ही RPL, प्रौढ़ शिक्षा, ऑनलाइन सीखना आदि तरीकों से कामगारों में शामिल युवाओं की क्षमताओं को औपचारिक रूप देने के प्रयास।
- सभी चरणों में छात्रों के सीखने के मौकों को अधिकाधिक उपयोगी बनाने के लिए मंत्रालयों, संस्थाओं, एजेंसी के साथ साथ स्थानीय उद्योग और व्यक्तियों के गठबंधन का निर्माण करना।
- बुनियादी संरचना एवं व्यवसायिक शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लोगों की भर्ती, तैयारी और सहयोग के लिए पर्याप्त निवेश।
- डाटाबेस का रख-रखाव और व्यवसायिक शिक्षा के संभावित मॉडलों का अध्ययन, जो हमारे सन्दर्भों में लागू किये जा सकते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संगतता एवं पाठ्यचर्या और आकलन को NHEQF और NSQF के साथ संगति बैठाने के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं और संकायों के मध्य छात्रों की गतिशीलता।
- व्यवसायिक शिक्षा की क्षमताओं को बढ़ाना विशेषतः उच्च शिक्षा के चरण में तथा ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में।
- पाठ्यचर्या में स्थानीय शिल्पकारों एवं दस्तकारों के काम को समेकित करना, इसके साथ ही उनके कामों के अधिक व्यापक प्रसार के लिए कदम उठाना।

20.1. व्यवसायिक शिक्षा का सभी स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों के साथ एकीकरण

व्यवसायिक शिक्षा को मुख्यधारा के साथ सार्थक तरीके से एकीकृत करने की चुनौती का सामना करने के लिए तंत्र के इन सभी हितधारकों के सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता होगी: (i) कौशल विकास एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय (MSDE) तथा MHRD और व्यवसायिक शिक्षा से सम्बद्ध राज्य एवं केंद्र के अन्य मंत्रालय; (ii) व्यवसायिक शिक्षा के समर्थकारी निकाय जैसे National Skills Development Agency (NSDA), और अब National council for Vocational Education and Training (NCVET), State skill development mission (SSDMs), SSCs, वित्तीय संस्थाएं एवं अन्य; (iii) क्रियान्वित करने वाले निकाय जैसे आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्थानीय उद्योगों और कारोबार एवं प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के साथ-साथ स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय; (iv) स्वयं लाभार्थी, युवा एवं व्यस्क।

P20.1.1. व्यवसायिक शिक्षा का सभी माध्यमिक स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ एकीकरण: सभी अकादमिक संस्थाओं से अपेक्षा है कि एक दशक के भीतर, चरणबद्ध तरीके से अपने सभी शैक्षिक कार्यक्रमों को व्यवसायिक शिक्षा के साथ एकीकृत करें। इसके लिए वे आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्थानीय उद्योगों और कारोबार, खेतों, अस्पतालों, गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिल कर काम करेंगे। प्रत्येक शैक्षिक संस्थान द्वारा व्यवसायिक शिक्षण हेतु, उस स्थानीय क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता के आधार पर कुछ क्षेत्रों का सचेत चयन किया जायेगा। व्यापक आधार वाली शिक्षा के साथ-साथ, व्यावहारिक कौशलों एवं उससे सम्बद्ध सैद्धांतिक ज्ञान के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

P20.1.2. शैक्षिक संस्थाओं के मध्य तकनीकी जानकारी और उत्कृष्ट प्रेक्टिस को साझा करने को सुगम बनाना: मार्गदर्शन देने एवं तकनीकी ज्ञान को साझा करने के औपचारिक तरीकों को स्थापित किया जायेगा। इस कार्य के लिए समर्पित, एक औपचारिक निकाय का गठन किया जाना चाहिए। यह निकाय स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को सहयोग प्रदान कर सकता है ताकि

स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के मध्य आपसी समन्वय एवं सहयोग स्थापित करने में मदद मिल सके।

P20.1.3. स्किल गैप एनालिसिस और स्थानीय अवसरों का पता लगाना: विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता का एक मोटा अनुमान लगाने के NSDC द्वारा किये गए कार्यों को आगे बढ़ाते हुए, राज्य सरकारें अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण की ज़रूरतों का बारीकी से पता लगाएँगी। शैक्षणिक संस्थान, इस राज्य स्तरीय जानकारी के आधार पर आगे शोध करेंगे और मानव संसाधन और व्यवहारिक कौशलों के प्रशिक्षण की सुविधाओं की उपलब्धता और संभावित ज़रूरत के बीच के अनुमानित अन्तर के आधार पर अपनी संस्था द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए व्यवसायों का चुनाव करेंगे।

P20.1.4. व्यवसायिक शिक्षा का साथ सभी शैक्षिक संस्थानों के साथ एकीकरण हेतु वित्तीय सहयोग: व्यवसायिक शिक्षा के पाठ्यचर्यात्मक एकीकरण हेतु वित्तीय प्रावधानों की ज़रूरत होगी- शिक्षक की तैयारी और उनके पेशेवर विकास के लिए, शैक्षिक संस्थानों के स्तर पर बुनियादी संरचनाओं (उपकरण, प्रयोगशाला आदि) के निर्माण के लिए, जहां ज़रूरत हो वहां स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों को जुटाने के लिए, प्रतियोगी वेतन द्वारा व्यवसायिक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए। व्यवसायिक शिक्षा का शैक्षिक संस्थानों के साथ एकीकरण करने के लिए फंड की स्थापना की जाएगी। NCIVE द्वारा इस फंड के वितरण और प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए प्रक्रियाओं की स्थापना की जाएगी।

P20.1.5. MHRD एवं MSDE के बीच समन्वय: युवा भारतीयों तक व्यवसायिक शिक्षा को पहुंचाने में मुख्यधारा के शैक्षिक संस्थानों की भूमिका के मद्देनजर यह ज़रूरी है कि **MHRD एवं MSDE** के अलावा कौशल प्रशिक्षण में शामिल सभी मंत्रालय आपस में समन्वय के साथ काम करें। इस आपसी समन्वय से, अकादमिक संस्थाओं के, MSDE द्वारा संचालित कौशल विकास की संपूर्ण व्यवस्था में शामिल तत्वों के साथ परस्पर क्रिया में सहयोग मिल सकेगा। इन तत्वों में NCVET भी शामिल है जो कि वर्तमान में NSQF एवं SSCs के लिए जिम्मेदार है, जो पेशेवर मानकों के निर्धारण एवं आकलन को

संचालित करते हैं। केंद्र एवं राज्य में इस उद्देश्य को प्राप्त करने में SCC के माध्यम से RSA द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई जाएगी।

P20.1.6. व्यवसायिक शिक्षा की शुरुआत के लिए डाटा एक्त्रीकरण, MIS और तकनीकी सहयोग: व्यवसायिक शिक्षा का संचालन सही दिशा में हो इसे सुनिश्चित करने के लिए लगातार डाटा एक्त्रीकरण और विश्लेषण करते रहना होगा। वर्तमान में NCVET, Labour Market Information System-LMIS का संचालन करती है जो प्रमाणित अभ्यर्थियों, कोर्सों, प्रशिक्षण प्रदाता, प्रशिक्षकों, आकलनकर्ताओं आदि की जानकारी रखती है, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाना चाहिए। बड़े पैमाने पर व्यवसायिक शिक्षा के एक्त्रीकरण को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए तकनीकी का उपयोग करना होगा – (i) विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में किस प्रकार के और किस प्रकृति के कोर्स की आवश्यकता होगी यह पता लगाने के लिए डाटा एक्त्रीकरण; (ii) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सभी संस्थानों द्वारा संचालित किए गए सफल कोर्स के डाटा के लिए MIS; और (iii) शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं शुरु से अंत तक व्यवसायिक शिक्षा के संचालन के लिए तकनीकी प्लेटफार्म। इस प्रकार के डाटा एक्त्रीकरण और विश्लेषण की योजना का निर्माण NCIVE द्वारा किया जायेगा।

20.2. रूपरेखा और मानक

कई देश सामान्य शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा के बीच के अंतर को कम करने की प्रक्रिया में हैं। इसके लिए हर स्तर पर छात्रों द्वारा जिन अधिगम प्रतिफलों और दक्षताओं को प्राप्त करना चाहिए उन्हें स्पष्ट करने के लिए qualifications framework बनाये जा रहे हैं। विभिन्न देशों के फ्रेमवर्क में स्तरों की संख्या 6 से 12 के बीच है। भारत में NSQF 2013 में बना था जिसमें 10 स्तर हैं। अधिगम प्राप्ति को स्पष्ट करने के लिए जो साझे मापदंड इस्तेमाल में लाए जाते हैं वो सामान्यतः 4 या 5 होते हैं जिनमें पेशेवर ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति शामिल है। NSQF द्वारा यह भी निर्देशित किया गया था कि सभी नौकरियों में पात्रता अहर्ता और सभी शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश को NSQF की दक्षताओं के स्तरों के

आधार पर परिभाषित किया जायेगा। मंशा यह थी कि जो छात्र अभी नौकरियों में हैं वे आगे चल कर आसानी से उच्च शिक्षा में जा सकें क्योंकि ज़रूरी दक्षताओं को क्रेडिट आधारित व्यवस्था के माध्यम से समय के साथ-साथ प्राप्त किया जा सकता है।

अधिगम प्रतिफलों को स्पष्ट करने से शिक्षार्थी बेहतर तरीके से यह जान पाता है कि उन्हें क्या सीखने की ज़रूरत है और किस प्रकार उनका यह ज्ञान दूसरे कोर्स और प्रोग्राम से जुड़ता है। भावी नियोक्ता भी यह जान सकेंगे कि शैक्षिक संस्थानों और उनमें पढ़े छात्रों से क्या अपेक्षाएं रखी जा सकती हैं। इससे शिक्षा प्रदाताओं की अपेक्षित जवाबदेही भी सुदृढ़ बन सकेगी। चूंकि दक्षताएं कई माध्यमों से प्राप्त की जा सकती हैं – औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा, इसलिए NSQF न सिर्फ व्यवसायिक शिक्षा और मुख्यधारा की शिक्षा के एकीकरण बल्कि रोजगार/नौकरी के दौरान अनौपचारिक रूप से प्राप्त कौशल प्रशिक्षण को भी उसमें जोड़ने में मदद करेगा बशर्ते मांग करने पर स्वतंत्र रूप से छात्रों में इन दक्षताओं का आकलन किया जा सके और NSQF के किसी स्तर के अनुरूप दक्षताओं की प्राप्ति का प्रमाणन किया जाये।

P20.2.1. नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) का विवरण: NSQF के व्यापक फ्रेमवर्क में, सभी 10 स्तरों पर जिन सामान्य दक्षताओं को परिभाषित किया गया है उन्हें विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों के अनुशासनों / व्यवसायों / पेशों की विशिष्ट दक्षताओं के रूप में परिभाषित किया जाएगा। अकादमिक संस्थानों द्वारा, अन्य हितधारकों के साथ मिल कर, इन स्तरों के अनुरूप कोर्स की विषयवस्तु, आकलन के मापदंड और पाठ्यचर्या एवं आकलन की उपयुक्त रूपरेखा को मानकीकृत किया जायेगा। स्वयं NSQF के स्तरों के विवरण की भी विस्तृत समीक्षा एवं शैक्षिक संस्थानों के अभी तक के अनुभवों के आधार पर उसमें बदलाव की भी ज़रूरत है। इन सभी कार्यों का समन्वय NCIVE द्वारा किया जा सकता है।

P20.2.2. नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स (NOS) और मानकों की अंतर्राष्ट्रीय संगतता: भारतीय मानकों की, ILO द्वारा बनाए International Standard Classification of Occupations -ISCO के साथ भी संगति बैठानी पड़ेगी; इस आधार पर Qualification Packs- National Occupational Standards (QPs-NOS) की भी समीक्षा करनी पड़ेगी

ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों (स्टैंडर्ड्स) के साथ उसकी संगतता को सुनिश्चित किया जा सके। एक बार यह हो जाता है तो नियोजित अपनी संस्था में हर कार्य-भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त मानकों को स्पष्टतः रेखांकित कर सकेंगे और शिक्षक /प्रशिक्षक उन मानकों के अनुसार प्रशिक्षण दे सकेंगे।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ISCO 2008 के अनुसार National Classification of Occupations 2015 (NCO-2015) की घोषणा कर चुका है। यह भी दावा किया जा रहा है कि NCO-2015, QPs-NOS के अनुसार है। लेकिन सभी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा व्यवसायिक शिक्षा प्रदान किये जाने के निर्देश की रोशनी में यह महत्वपूर्ण है कि NCIVE सभी मंत्रालयों के व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के मानकों की पुनः समीक्षा करे और उन्हें एक दूसरे से एवं प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों से भी सुसंगत बनाये।

P20.2.3. नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर (NQR): NQR को, NSQF से संगत सभी योग्यताओं के आधिकारिक राष्ट्रीय सरकारी रिकॉर्ड के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसका प्रबंधन NCVET द्वारा किया जाता है। जो शैक्षिक संस्थान NSQF के अनुसार योग्यताएं प्रदान करते हैं वे अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वर्णन NQR पोर्टल पर डाल सकते हैं जिसे अन्य संस्थानों द्वारा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। कोर्स की विषयवस्तु और सामग्री के व्यापक पुनरुपयोग के लिए नीतियों, जैसे 'क्रिएटिव कॉमन' टाइप के लाइसेंस, का भी निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त NQR के कोर्स की विषयवस्तु की समीक्षा और प्रकाशन की एक अधिक मजबूत और संवेदनशील प्रणाली को भी उपलब्ध कराना होगा। MSDE और MHRD के परामर्श से NCIVE इसके तौर-तरीकों एवं साधनों का विकास कर सकती है।

20.3. सेकेंडरी स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा

व्यवसायिक शिक्षा का शैक्षिक संस्थानों के साथ एकीकरण करने से यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक छात्र को कम से कम एक व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त हो और यदि रुचि हो तो

ज्यादा में। सेकेंडरी स्कूल के 4 साल के दौरान कक्षा 9 से 12 का उपयोग ना सिर्फ छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के बारे में एक्सपोजर या जानकारी देने के लिए किया जाएगा बल्कि उनके चुने हुए व्यवसाय में उत्तरोत्तर एक स्तर की विशेषज्ञता विकसित करने के लिए भी किया जाएगा। लेकिन व्यवसाय का चुनाव एवं किस स्तर की विशेषज्ञता (कोर्स की संख्या) को छात्र हासिल करना चाहता है यह पूरी तरह उस पर निर्भर करेगा। स्कूल काम्प्लेक्स की उपस्थिति स्कूलों और व्यावहारिक कौशल सिखाने की सुविधायुक्त व्यवसायिक संस्थानों के आपस में समन्वय और सहयोग में मदद करेगी। छात्रों को इस बात में सक्षम बनाया जाएगा कि जिस दौरान वे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इन सुविधाओं की मदद से अपना कुछ समय व्यावहारिक अनुभव लेने में बिताएं।

स्कूल के आखिरी चार सालों, ग्रेड 9-12 के पुनर्गठन के लिए जो नयी कल्पना की गयी है उसमें लिबरल एप्रोच और सेमेस्टर व्यवस्था लागू किये जाने से छात्र, भाषा, गणित, व्यवसायिक शिक्षा आदि विषय समूहों में से अपनी पसंद के कोर्स ले सकेंगे और बोर्ड परीक्षाओं के नियमों में थोड़ी ढील दिए जाने से व्यवसायिक शिक्षा की शुरुआत करने में मदद मिलेगी (देखें P4.1.1)। ग्रेड 6-8 के दौरान छात्रों को एक से अधिक क्षेत्रों के व्यवसायों का अनुभव दिया जाना चाहिए और उनका उन्मुखीकरण किया जाना चाहिए जिसमें स्कूल परिसर के भीतर शुरुआती व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल हो, ताकि 9-12 ग्रेडों में वे सुविज्ञ चुनाव कर सकें।

P20.3.1. हाईस्कूल/सेकेंडरी स्कूल – ग्रेड 9-12: स्कूल काम्प्लेक्स को, NSFQ के स्तर 1 से 4 के साथ सुसंगत पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन में विशेषज्ञता का निर्माण करना चाहिए जिसमें उससे जुड़ी व्यावहारिक प्रशिक्षण को बाह्य साझेदारों के साथ मिल कर या तो स्कूल के भीतर या बाहर दिया जा रहा हो। SKP (स्किल्स नॉलेज प्रोवाइडर) के रूप में उपयुक्त साझेदारों को साथ में जोड़ने की क्षमता, स्कूल काम्प्लेक्स द्वारा छात्रों को दिए जा रहे व्यवसायिक प्रशिक्षण के चुनाव को प्रभावित करेगी। स्थानीय SKP यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों को स्थानीय क्षेत्र के प्रासंगिक व्यवसायों में प्रशिक्षण मिले जिससे 12वीं के बाद स्थानीय स्तर पर काम के मौके मिलने की संभावना बढ़ेगी। स्कूल काम्प्लेक्स में उपलब्ध 'काउंसलर' यानि परामर्शदाता से बच्चों को व्यवसाय का चुनाव करने में मदद मिलनी चाहिए।

स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 12वीं ग्रेड तक छात्र स्कूल में टिके ताकि वे अधिक व्यापक आधार वाली सामान्य शिक्षा प्राप्त कर सकें और साथ ही सॉफ्ट स्किल जैसे सम्प्रेषण कौशल, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के कोर्स, उद्यमिता का कोर्स आदि भी कर सकें। स्कूल के बचे हुए समय में अंशकालिक अपरेंटिसशिप और कौशल प्रशिक्षण भी किये जा सकते हैं। संध्यकालीन/रात्रि कक्षाओं के बारे में भी सोचा जा सकता है। छात्रों के लिए यह संभव होगा कि वे ऐसी सर्वांगीण शिक्षा के साथ 12वीं ग्रेड पूर्ण करें जो उन्हें काम-काजी दुनिया में प्रवेश का मौका दे सके।

P20.3.2. पाठ्यचर्या एवं आकलन: स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से पाठ्यचर्या में फ़ेरबदल किया जाना चाहिए, जो कि पाठ्यचर्या निर्माण के 'डिस्ट्रिब्यूटेड मॉडल' की ओर इशारा करता है। व्यवसायिक शिक्षा के आकलन को अनिवार्य रूप से दो भागों में किया जाना चाहिए, आनुभविक हिस्सा जिसका SKP द्वारा आकलन हो और बचे हुए हिस्सा जिसका आकलन शैक्षिक संस्थान और/अथवा BOA (देखें P8.1.8) द्वारा होना चाहिए। PSSCIVE, राज्य स्तरीय संस्थानों और BOA के साथ मिलकर, NCIVE द्वारा इसके लिए उपयुक्त रूपरेखा का निर्माण किया जाना चाहिए।

P20.3.3. शिक्षक एवं प्रशिक्षक: व्यवसायिक शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित और नियमित शिक्षकों के अलावा, विभिन्न व्यवसायिक विशेषज्ञता रखने वाले लोगों को, बड़ी संख्या में समाज के विभिन्न हिस्सों में से लिया जाना चाहिए। उनकी विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में उन्हें अतिथि शिक्षक के रूप में, ज़रूरत के हिसाब से या तो सिर्फ व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए या फिर सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल दोनों ही पढ़ाने के लिए लाया जा सकता है। जिन मामलों में विशिष्ट व्यावहारिक प्रशिक्षण स्कूल के बाहर दिलाया जा रहा हो, बाहरी प्रशिक्षकों को सैद्धांतिक पक्षों के शिक्षण के लिए स्कूल में लाया जा सकता है। इन प्रशिक्षकों को स्कूल काम्प्लेक्स द्वारा, DIET में लघु अवधि के कोर्स के माध्यम से मदद की जानी चाहिए ताकि वे नए अकादमिक माहौल में सहज हो सकें, छात्रों को संभाल सकें और पाठ्यचर्या एवं आकलन की रूपरेखा का अनुपालन करते हुए अपने कार्यों को कर सकें।

P20.3.4. शिक्षक प्रशिक्षण: व्यवसायिक शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के साथ-साथ शिक्षकों को सहायता कर पाने की क्षमताओं के अभाव को दूर किया जाना चाहिए। शिक्षकों की तैयारी में शामिल विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों एवं SCERT, DIET, SIVEs और स्वयं स्कूल के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा, शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल और शिक्षक हैंडबुक बनाने में PSSCIVE को, मदद दी जानी चाहिए, ताकि अपेक्षित संख्या में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सके। शैक्षिक संस्थानों द्वारा इसके लिए लघु अवधि के कोर्स डिज़ाइन किये जाने चाहिए और SCERT एवं DIET के माध्यम से उनका ऑनलाइन एवं ऑफ़लाइन दोनों ही प्रकार से व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। बाहरी प्रशिक्षक जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उन्हें भी CRC, BRC, और DIET में स्थानीय शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बुलाया जा सकता है। NCIVE एक बड़ी संख्या में बाहरी एवं अंशकालिक शिक्षकों के साथ साथ नियमित शिक्षकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न विकल्पों को तलाश सकती है।

P20.3.5. व्यवसायिक शिक्षा को उपलब्ध करवाने के लिए PSSCIVE और राज्य स्तर की संरचनाओं को सुदृढ़ करना: PSSCIVE को काफ़ी मज़बूत किये जाने की ज़रूरत है। इसके लिए मानव संसाधन और तकनीकी सहित बुनियादी संरचनाओं में अधिक पूंजीनिवेश करना होगा ताकि PSSCIVE, तेज़ी से बढ़ती व्यवसायिक शिक्षा में अपनी अहम भूमिका को निभा सके। इसी प्रकार से राज्य सरकारों द्वारा राज्य स्तर के संस्थानों का सुदृढ़ किया जाना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई राज्यों में SIVEs सक्रिय नहीं हैं और व्यवसायिक शिक्षा की जिम्मेदारी अधिकांशतः तकनीकी शिक्षा निदेशालय की होती है। क्रियान्वयन योजना के हिस्से के तौर पर, RSA(देखें अध्याय 23) के SCC (देखें P23.10) के साथ समन्वय करते हुए, NCIVE को हर राज्य में सभी प्रासंगिक संस्थानों और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ नए संस्थानों को सृजित कर, इन सभी को शामिल करने की नयी रणनीति बनानी होगी।

20.4. उच्च शिक्षा के अभिन्न अंग के तौर पर व्यवसायिक शिक्षा

यदि व्यवसायिक शिक्षा की स्वीकार्यता को तेज़ी से बढ़ाना है और इस नीति में तय किये गए उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो उसके लिए व्यवसायिक शिक्षा का कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ सुचारु एवं आसान एकीकरण अपरिहार्य हो जाता है। नयी B.Voc. डिग्री चलती रहनी चाहिए लेकिन ४ साल के एकीकृत 'लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम' सहित सभी स्नातक डिग्री में नामांकित छात्रों के लिए व्यवसायिक कोर्स भी उपलब्ध होने चाहिए। वे संस्थान जिन्होंने सबसे पहले इन कार्यक्रम को अपनाया है उन्हें नवाचार करना चाहिए और सफलतापूर्वक काम करने वाले मॉडल और प्रैक्टिस को, NCVIE द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के माध्यम से अन्य संस्थाओं के साथ साझा करना चाहिए ताकि व्यवसायिक शिक्षा की पहुँच को अधिक व्यापक बनाने में मदद मिल सके।

P20.4.1. अंडरग्रेजुएट स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा का प्रसार: अंडरग्रेजुएट स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा का विस्तार किया जायेगा और 2025 तक, वर्तमान नामांकन जो कि 10% से नीचे है, उसे बढ़ा कर सभी इच्छुक छात्रों (कुल नामांकन के 50% तक) के लिए मुहैया कराने का लक्ष्य रखा जायेगा। कई क्षेत्रों से सम्बंधित व्यवसायिक शिक्षा को B.Voc. के माध्यम से पहले से ही अंडरग्रेजुएट पाठ्यचर्या के साथ एकीकृत किया जा रहा है। प्रमुख विश्वविद्यालयों और स्वायत्त कॉलेजों से शुरुआत करते हुए, सभी इच्छुक उच्च शिक्षण संस्थानों- HEIs में डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और B.Voc. डिग्री के माध्यम से व्यवसायिक शिक्षा का सञ्चालन किया जाएगा। यह सभी कार्यक्रम NSQF के स्तर 5 से 7 के अनुरूप होंगे। अंडरग्रेजुएट स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा के लिए विशेष कोष सृजित किया जायेगा। HEIs अपने संस्थान में व्यवसायिक शिक्षा के स्कूल /विभाग की स्थापना कर सकते हैं और स्वतंत्र रूप से अथवा इंडस्ट्री के साथ साझेदारी कर, उच्च शिक्षा से एकीकृत व्यवसायिक शिक्षा के कार्यक्रम चला सकते हैं। कोर्स किस सेक्टर से होगा, किस प्रकार का होगा और उसकी समयावधि क्या होगी इसका चुनाव स्वायत्त संस्थान के ऊपर छोड़ दिया जायेगा लेकिन वे कोर्स से सम्बंधित

डाटा और उसकी विषयवस्तु को, साझा करने एवं विश्लेषण हेतु, NQR और /अथवा NCIVE द्वारा सुझाए किसी अन्य निकाय के सामने प्रस्तुत करेंगे।

P20.4.2. सामान्य शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा के बीच छात्रों की गतिशीलता:

लिबरल आर्ट्स के अंडरग्रेजुएट कार्यक्रम, व्यवसायिक शिक्षा में मेजर और माइनर कोर्स प्रस्तुत करेंगे। स्वायत्त HEIs जो 4 वर्ष के अंडरग्रेजुएट डिग्री कार्यक्रम चलाते हैं, वे अपने संस्थान के लिए कई अलग-अलग व्यवसायिक कोर्स चुन सकते हैं। कई उत्कृष्ट संस्थानों से अपेक्षा है कि वे नवाचारी पाठ्यक्रम निर्मित करेंगे और पांच वर्ष के भीतर उसे लागू कर देंगे। इसके उपरान्त वे अन्य संस्थानों को मेंटर करेंगे यानी उनका मार्गदर्शन करेंगे और संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करेंगे। सामान्य शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा के मध्य छात्रों की आवाजाही के में सहयोग के लिए NHEQF को NSQF के अनुरूप बनाया जायेगा (देखें P12.1.3)।

P20.4.3. कार्य-समेकित प्रशिक्षण एवं अन्य मॉडल: व्यवसायिक शिक्षा के कई मॉडल विभिन्न देशों द्वारा इस्तेमाल में लाये जा रहे हैं। किसी भी मॉडल या कई मॉडल के संयुक्त रूप को इस्तेमाल करने की अनुशंसा करने से पूर्व इन सभी मॉडल्स का विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए। ऐसे अध्ययन के समन्वय की जिम्मेदारी NCIVE द्वारा ली जा सकती है।

P20.4.4. अपरेंटिसशिप को प्रोत्साहित करना: NCIVE को अपरेंटिसशिप के और कार्य-समेकित प्रशिक्षण के अधिक मौके सृजित करने की नीति के बारे में सोचना चाहिए। व्यवसायिक शिक्षा के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पाने में SKP का सहयोग अति महत्वपूर्ण है। NCIVE को छात्रों के लिए अधिक एवं बेहतर प्रशिक्षण के मौके प्रदान करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के तरीके ढूँढने होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के कार्यक्रमों/ स्कीमों के तहत अपरेंटिसशिप के लिए भी इसी समान नियम निर्धारित करने चाहिए ताकि छात्रों की आवाजाही सुगम हो सके।

P20.4.5. मुख्यधारा शिक्षा में शामिल छात्रों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स: उच्च शिक्षा की पूर्णतः एकीकृत व्यवस्था जिसमें व्यवसायिक शिक्षा शामिल हो, ऐसे

परिवर्तन में अभी कई वर्ष लगेंगे, इस दौरान सॉफ्ट स्किल और जीवन कौशलों के लघु अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स छात्रों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं- जैसे सम्प्रेषण कौशल, डिजिटल साक्षरता और बुनियादी वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता एवं इस तरह के अन्य विषय। छात्रों के आत्मविश्वास एवं रोजगार पाने की योग्यता बढ़ाने के लिए सभी संस्थानों में छात्रों के पास इस तरह के कोर्स के कई विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में तकनीकी का कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है।

P20.4.6. पाठ्यचर्या एवं प्रशिक्षक: HEIs व्यवसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के मामले में स्वायत्ता होगी। उन्हें नवाचारी पाठ्यक्रम विकसित करना चाहिए और साथ ही उसे लागू करने एवं आकलन करने के नवाचारी तरीकों/प्रक्रियाओं के विकसित करना चाहिए। कई छात्रों को ब्रिज कोर्स की ज़रूरत होगी ताकि विभिन्न क्षेत्रों/अनुशासनों के मध्य एवं किसी क्षेत्र के भीतर भी (क्षैतिज एवं ऊर्ध्व) गतिशीलता में मदद मिल सके। अन्य लघु एवं दीर्घ अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स जिनमें कार्य-समेकित प्रशिक्षण तत्व नहीं है, उन्हें इंटरनशिप एवं कर के सीखने के अन्य तरीकों, जिन्हें इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिल कर शैक्षिक संस्थानों द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए, पर निर्भर होना पड़ेगा। इन प्रयासों में NCIVE एक रूपरेखा (ब्लूप्रिंट) बना कर मदद कर सकती है।

व्यवसायिक शिक्षा में प्रशिक्षकों के लिए जिन अहर्ताओं की ज़रूरत है उनमें अनिवार्य रूप से व्यापक प्रकार की विशेषज्ञताएँ शामिल रहेंगी। प्रशिक्षकों को समाज के विभिन्न हिस्सों से लेना होगा और उनके कार्यानुभव को अकादमिक योग्यता के समकक्ष मानना होगा। HEIs द्वारा उन्हें अंशकालिक या पूर्ण कालिक तौर पर जोड़ा जा सकता है। ऐसे प्रशिक्षकों के लिए किसी अग्रणी HEIs द्वारा एक लघु अवधि के प्रशिक्षण (इंडक्शन ट्रेनिंग) की कल्पना की जा सकती है और डिज़ाइन किया जा सकता है, जिसे इंटरनेट के माध्यम से व्यापक रूप से साझा किया जा सकता है।

P20.4.7. इन्क्यूबेशन केंद्र एवं उत्कृष्टता केंद्र: छात्रों के नवीन विचारों का समर्थन एवं पोषण करने तथा उनमें उद्यमिता की संस्कृति विकसित करने के लक्ष्य में सहयोग देने के लिए, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को इन्क्यूबेशन केंद्र

स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। विश्वविद्यालयों को भी इसके लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा कि वे, जिन समुदायों के बीच काम करते हैं उनके विशिष्ट कौशलों के एक-दो उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence), उद्योगों के साथ साझेदारी करते हुए, सृजित करें। राजस्थान में जेवर डिज़ाइन करना इसका एक अच्छा उदाहरण होगा। ऐसे केंद्र HEIs और उसके स्थानीय समुदाय के बीच अंतःक्रिया की धुरी बनेंगे और HEIs के लिए आय भी उत्पन्न करेंगे।

20.5. युवाओं एवं प्रौढ़ों के लिए व्यवसायिक शिक्षा

NSQF और QPs-NOS के अनुरूप पाठ्यचर्या निर्माण में विशेषज्ञता निर्मित करनी पड़ेगी और वो भी जल्द। साथ ही इसे RPL की आकलन प्रक्रिया के साथ जोड़ना होगा ताकि पूर्व शैक्षिक अनुभवों की भिन्नता के बावजूद सभी युवाओं और प्रौढ़ों की पहुँच इस शिक्षा तक बन सके।

P20.5.1. ड्राप आउट बच्चों का पुनः समायोजन: NIOS में व्यवसायिक शिक्षा को चुने जाने के आंकड़े का अध्ययन किया जाना चाहिए और ज़रूरत के अनुसार उसके व्यवसाय संबंधी हिस्से को मज़बूत किया जाये। जिन राज्य सरकारों ने अभी तक यह नहीं किया है उन्हें State Institute of Open Schooling खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे 12 वीं तक हर बच्चे को शिक्षित करने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। जो छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें, ब्रिज कोर्स और पूर्व अधिगम के आकलन एवं RPL सर्टिफिकेशन के बाद, नियमित विद्यालयों में वापस लाया जा सकता। उन्हें व्यवसायिक शिक्षा से सम्बंधित परामर्श तथा सामान्य कोर्स से एकीकृत अतिरिक्त व्यवसायिक कोर्स तक पहुँच मुहैया की जानी चाहिए। ये कोर्स PSSCIVE द्वारा या इसके कार्यस्वरूप गठित निकाय द्वारा डिज़ाइन किये गए हों।

P20.5.2. पूर्व-अधिगम का आकलन एवं मान्यता: वर्तमान श्रम बल के मौजूदा कौशलों के आकलन का ढांचा यह सुनिश्चित करेगा कि जिन युवाओं और प्रौढ़ों को कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है और जिनके कौशल

स्वअर्जित हैं, उन्हें उपयुक्त RPL सर्टिफिकेशन प्राप्त हो सके। इस प्रकार की प्रणाली, जिसमें मांग करने पर आकलन और सर्टिफिकेशन हो सके, NSQF के स्तरों के अनुरूप दक्षताओं के विस्तृत वर्णन के पूरक के तौर पर काम करेगी और व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं की क्षैतिज एवं ऊर्ध्व गतिशीलता में मदद करेगी। प्रौढ़ शिक्षा के संस्थान, स्कूल ड्राप आउट्स के साथ काम करने वाले संस्थानों सहित सभी शैक्षिक संस्थान जो व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं, उन्हें अपने रुचि के क्षेत्र में आकलन करने की क्षमता को विकसित करना होगा ताकि आने वाले छात्रों को RPL सर्टिफिकेशन मिल सके।

P20.5.3. कौशलों के नवीनीकरण और पुनः कौशलों को अर्जित करना: नए अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण से कई गुना ज्यादा बड़ी ज़रूरत है युवाओं के कौशलों के नवीनीकरण एवं नए कौशलों को सिखाने की। उच्च शिक्षण संस्थान (HEIs), सांयकालीन कोर्स, ऑनलाइन कोर्स इत्यादि के माध्यम से इस ज़रूरत को पूरा करने के तरीकों पर विचार कर सकते हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो सकती है। यह कोर्स अधिकांशतः लघु अवधि के कोर्स के रूप में होंगे। एक बार कोई संस्थान पाठ्यचर्या बना ले और उसे लागू करने के तरीके निकाल ले, जिसमें अपने छात्रों को व्यावहारिक अनुभव देने का तत्व और आकलन के तरीके शामिल हों, तो वे अतिरिक्त आय के लिए उसे समुदाय के सदस्यों के लिए भी प्रस्तुत कर सकते हैं। संस्था के साथ आमदनी साझा करने की व्यवस्था द्वारा संस्था के शिक्षकों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

P20.5.4. असंगठित क्षेत्र के लिए व्यवसायिक शिक्षा: भारत के श्रमबल का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र एवं छोटे व्यवसायों में कार्यरत है। उनके पास यह विकल्प होना चाहिए कि वे अकुशल या अर्ध-कुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने की स्थिति से निकल कर कुशल श्रमिक के रूप में नियुक्त हों और उसके अनुरूप उच्च मेहनताना पा सकें। उनमें से कई लोग उद्यमिता, वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण से काफी लाभान्वित हो सकते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) को इस आवश्यकता की पूर्ति के मॉडल खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। काम के घंटों के बाद उन्हें प्रशिक्षण

पाने के मौके देने के लिए, प्रौढ़ शिक्षा एवं ऑनलाइन शिक्षा की संरचनाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए

P20.5.5. ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से सर्टिफिकेट कोर्स: ऑनलाइन शिक्षा का इस्तेमाल व्यवसायिक कोर्स के सैद्धांतिक पक्ष के संचालन के लिए किया जा सकता है चूँकि छात्र काम के घंटों के बाद या सप्ताहांत में इनका उपयोग कर सकते हैं। स्कूल कॉम्प्लेक्स एवं उच्च शिक्षण संस्थान इस तरह के छोटे मोड्यूल विकसित कर सकते हैं और उसे ऑनलाइन उपलब्ध करा सकते हैं, जिसका संचालन NCIVE द्वारा चिन्हित उपयुक्त निकाय द्वारा किया जा सकता है। और इसमें सर्टिफिकेशन के लिए ऑनलाइन परीक्षा का तत्व जोड़ा जा सकता है, जिससे एक बड़ी संख्या में छात्रों, युवाओं और प्रौढ़ों को फायदा मिलेगा। यह संभव होना चाहिए कि छात्र अपना व्यावहारिक प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर प्राप्त कर सकें और प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा स्थानीय स्तर पर ही उसका मूल्यांकन भी हो पाए। सैद्धांतिक हिस्से और अन्य कोर्स जो उनके लिए अनिवार्य हैं, उसके लिए छात्र ऑनलाइन तरीके अपना सकते हैं।

20.6. विशिष्ट महत्व वाले क्षेत्र

भारत में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विकास और प्रबंधन के जो तौर-तरीके और ज्ञान विकसित हुए हैं उनमें हजारों वर्षों का ज्ञान समाहित है। इसकी एक व्यापक रेंज है, महीन काम वाले वस्त्रों और कशीदाकारी से ले कर ऐतिहासिक इमारतों के भव्य स्थापत्य तक; औषधियों की स्थानीय ज्ञान पद्धति के विकास से ले कर कला और शिल्पकारी की अनगिनत किस्मों तक; जल संरक्षण इत्यादि। “लोक विद्या” के इस सामर्थ्य की इस असीम निधि को भी वोकेशन के रूप में पोषित किया जाना चाहिए। और इसका इस्तेमाल इनमें लगे हुए कलाकारों/लोगों के आर्थिक कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। साथ ही एक व्यवस्थित तरीके से इस ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। यह ना सिर्फ भारत की इस सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत को सहेजने बल्कि देश के लाखों कारीगरों के हित के लिए भी आवश्यक है।

- P20.6.1. स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों के काम को बढ़ाना:** लोक विद्या में विपुल आर्थिक संभावनाएं हैं इसलिए व्यवसायिक शिक्षा के उपयुक्त कोर्स के साथ इनका एकीकरण किया जाना चाहिए और अधिक व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इस ज्ञान के संरक्षण, पोषण और बढ़ावे के साथ ही इसके कार्यक्षेत्र में विस्तार करने और इसकी पहुंच को बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर-एडेड डिज़ाइन एवं कंप्यूटर-एडेड निर्माण जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- P20.6.2. ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान:** शैक्षिक रूप से वंचित हर एक जिले में एक उच्च शिक्षण संस्थान (HEI) होगा जो अंडर-ग्रेजुएट कार्यक्रमों के ज़रिये एकीकृत उच्च गुणवत्तापूर्ण व्यवसायिक शिक्षा (देखें P11.1.3) मुहैया कराएगा और इसकी पहुंच को व्यापक बनाएगा। यह HEI अपने क्षेत्र के स्कूलों, आईटीआई और/अथवा पॉलिटेक्निक के साथ काम करेंगे सेकेंडरी स्कूलों में दी जा रही व्यवसायिक शिक्षा में मदद करेंगे ताकि 12वीं ग्रेड तक प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके।
- P20.6.3. जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान:** एकीकृत उच्च शिक्षा का यह मॉडल जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जनजातीय युवाओं की मुख्यधारा की शिक्षा प्राप्त करने की आकांक्षाओं को, उनकी स्थानीय अर्थव्यवस्था के तत्वों पर आधारित व्यवसायिक शिक्षा के साथ मिलाया जा सकता है, उदाहरण के लिए Bamboo Research Centre या Centre for Wildlife Conservation या फिर Centre for Traditional Medicine। इन क्षेत्रों के स्कूल कॉम्प्लेक्स एवं HEIs को, इसके लिए पाठ्यक्रम विकसित करने और उसके क्रियान्वयन में मदद देने के लिए, सहयोग एवं वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए।

अध्याय 21

प्रौढ़ शिक्षा

उद्देश्य:

सन 2030 तक युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता दर को 100% पहुँचाना और प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा कार्यक्रमों को पर्याप्त विस्तार देना।

बुनियादी साक्षरता और शिक्षा प्राप्त करने एवं किसी आजीविका में संलग्न होने की क्षमताओं को सभी नागरिकों के बुनियादी अधिकारों के तौर पर देखा जाना चाहिए। सभी नागरिक इस अधिकार का उपयोग कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए, गुणवत्तापूर्ण प्रौढ़ शिक्षा तक पहुँच होना महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रौढ़ शिक्षा से परिपक्व शिक्षार्थियों को अपना ज्ञान बढ़ाने, नए कौशलों को सीखने, लाभकारी योग्यताओं और अर्हताओं को प्राप्त करने और अपने कैरियर की संभावनाओं को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। इस प्रकार वे सही मायनों में अपने जीवन को समृद्ध करने में सक्षम हो पाते हैं। एक संपूर्ण साक्षर और शिक्षित श्रमशक्ति के बल पर ही कोई देश उत्पादकता में बढ़त हासिल करता है और एक प्रबुद्ध राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर होता है और इसी आधार पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न्याय और समता, प्रति व्यक्ति आय और सकल घरेलू उत्पाद में काफी वृद्धि होती है।

पिछले तीन दशक के दौरान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (1988-2009), साक्षर भारत (2009-2017), प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए स्वेच्छिक एजेंसियों को समर्थन देने की स्कीम और वर्तमान में पढ़ना-लिखना अभियान (2018 से आरंभ) जैसी पहलकदमियों के माध्यम से भारत ने प्रौढ़ शिक्षा और अधिगम तक पहुँच बनाने में काफी बढ़त हासिल की है। इन पहलकदमियों का उद्देश्य प्रौढ़ व्यक्तियों को केवल बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान अर्थात् पढ़ने, लिखने और शुरुआती गणितीय संक्रियाओं को करने का कौशल भर देने तक सीमित न होकर उन्हें वित्तीय, डिजिटल, चुनावी, पर्यावरण एवं कानून संबंधी

साक्षरता तथा कौशल विकसित करना भी था. वस्तुतः भारत में कुल साक्षरता दर में 2001-2011 के बीच 9% की वृद्धि दर्ज की गयी जिससे वह बढ़कर 74% हो गयी।

पिछली जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में अभी भी 3.26 करोड़ युवा (15-24 आयु वर्ग) और कुल मिला कर 26.5 करोड़ वयस्क (15 वर्ष से अधिक आयु के) गैर साक्षर हैं। यह संख्या स्कूलों और उच्च शिक्षा क्षेत्र के छात्रों की कुल संख्या के समतुल्य है जो कि संपूर्ण विश्व की गैर-साक्षर जनसंख्या का एक तिहाई है।

1988 में जब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गयी तो यह मुख्यतः लोगों की स्वैच्छिक भागीदारी और सहयोग पर आधारित था। जिसके फलस्वरूप साक्षरता मिशन न केवल बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में सुधार लाने में सफल रहा बल्कि मद्यपान (Alcoholism) जैसे कई महत्वपूर्ण, प्रासंगिक सामाजिक मुद्दों पर संवाद और चर्चा की भी शुरुआत हो सकी। 1991-2011 के दशक के दौरान साक्षरता में हुई वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि NLM की मुख्य रणनीति, संपूर्ण साक्षरता अभियान (Total Literacy Campaign - TLC) काफ़ी सफल रहा। TLC एक निश्चित क्षेत्र विशेष में, स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं पर आधारित प्रौढ़ साक्षरता के प्रति समर्पित एक परिणामोन्मुख कार्यक्रम था। प्रौढ़ साक्षरता के प्रयासों में स्कूल एवं सामुदायिक संस्थाएं भी सक्रिय रूप से शामिल थीं। TLC के स्वैच्छिक कार्यकर्ता आधारित काल में जनसंख्या के एक बड़े अनुपात में, खासकर महिलाओं तक, इसकी पहुँच बन पाई। दुर्भाग्य से, अभियान के समाप्त होते होते इसकी स्वैच्छिक प्रकृति कमज़ोर हो गयी और इस अभियान ने अपनी प्रभाविता को खो दिया।

भारत एवं विश्वभर (उदाहरण के लिए चीन और ब्राज़ील) में हुए व्यापक शोध अध्ययन और विश्लेषण स्पष्ट तौर पर दर्शाते हैं कि स्वैच्छिकता और समुदाय की लामबंदी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की सफलता के प्रमुख कारक थे, साथ ही राजनैतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत संरचना, सही नियोजन, समुचित वित्तीय सहायता और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं का उच्च गुणवत्तापूर्ण क्षमता संवर्धन। स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं पर आधारित साक्षरता कार्यक्रम के परिणामस्वरूप न सिर्फ समुदाय के वयस्क जनों की साक्षरता में वृद्धि होती है बल्कि इससे समुदाय में सभी बच्चों की शिक्षा हेतु मांग भी बढ़ती है. साथ ही सकारात्मक सामाजिक बदलाव और न्याय के लिए समुदाय की भागीदारी में भी बढ़ोतरी होती है।

बड़े पैमाने के इच्छित परिणाम केवल सरकारी प्रयासों से नहीं लाये जा सकते; इसके लिए पूरे देश के स्तर पर प्रतिबद्धता, सामुदायिक स्तर पर व्यापक स्वैच्छिक जुड़ाव और लामबंदी और सरकार की प्रतिबद्धता और ठोस समर्थन की ज़रूरत होती है। देश में 100 प्रतिशत साक्षरता के उद्देश्य को पाने में वास्तव में गति लायी जा सके, इसके लिए स्वैच्छिक और सामुदायिक जुड़ाव को इस अभियान में जल्द से जल्द पुनर्जीवित किया जाना चाहिए।

वर्ष 2030 तक युवाओं एवं प्रौढ़ जनों के बीच 100 प्रतिशत साक्षरता लाने के लिए यह अत्यावश्यक है कि समुदाय, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के जुड़ाव हेतु सशक्त प्रावधानों के साथ सरकार के व्यापक समर्थन द्वारा साक्षरता कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जाये एवं देश भर में इसका विस्तार किया जाए। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी वयस्क जनों को जीवनपर्यंत सीखने के प्रचुर और सुदृढ़ अवसर मिलें ताकि उन्हें अपने जीवन को समृद्ध करने और उत्पादकता और आय को बढ़ाने में मदद मिल सके। भारत में निहित असीम सम्भावना को साकार करने के लिए इन सब पहलों की अहम भूमिका होगी।

प्रौढ़ शिक्षा का महत्व

किसी समुदाय के निरक्षर सदस्य होने की कई सारी चुनौतियाँ हैं। जिन कार्यों को कर पाने में वे असमर्थता महसूस करते हैं, उनमें शामिल हैं: बुनियादी आर्थिक लेन देन करना; खरीदी गई वस्तु के दाम के आधार पर उसकी मात्रा/गुणवत्ता की तुलना करना, नौकरी, कर्ज़, सेवाओं इत्यादि के लिए आवेदन फॉर्म भरना; न्यूज़ मीडिया में छपे सार्वजनिक परिपत्रों और आलेखों आदि को समझना; संचार और अपने व्यवसाय/व्यापार हेतु पारंपरिक एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल का उपयोग कर पाना; अपने जीवन एवं काम धंधे को बेहतर करने के लिए इंटरनेट और अन्य तकनीकी की मदद लेना; सड़कों में दिशा-सम्बन्धी निर्देशों और दवाइयों में उपयोग एवं सुरक्षा हिदायतों को समझना; बच्चों को उनकी शिक्षा में मदद करना; भारत के नागरिक होने के नाते अपने मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जागरूकता; साहित्यिक कृतियों की सराहना; और साक्षरता की मांग वाले मध्यम एवं उच्च उत्पादक क्षेत्रों में रोज़गार हासिल करना।

इस प्रकार साक्षरता और बुनियादी शिक्षा किसी व्यक्ति के वैयक्तिक, नागरिक, आर्थिक और जीवनपर्यंत शिक्षा के अवसरों की एक नवीन दुनिया को खोल देती है जो व्यक्ति को निजी और पेशेवराना दोनों ही स्तरों पर आगे बढ़ने में मदद करती है। समाज और देश के स्तर पर साक्षरता और बुनियादी शिक्षा एक ऐसी शक्ति के रूप में काम करती है जो विकास हेतु किये जा रहे अन्य सभी प्रयासों की सफलता को कई गुना बढ़ा देती है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि किसी देश की साक्षरता दर और उसकी प्रति व्यक्ति आय अथवा जीडीपी (GDP) में उच्च सहसंबंध होता है।

दुर्भाग्य से, पिछली कई पीढ़ियों के दौरान, शिक्षा के सार्वजनीकरण के क्षेत्र में असफलता के चलते वयस्कों की एक बड़ी संख्या को स्कूल जाने या शिक्षा पूरी करने के अवसर कभी नहीं मिल पाए। विगत में शिक्षा तक पहुँच में इस कमी को प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक सुदृढ़ और प्रभावी तंत्र के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है।

प्रौढ़ शिक्षा को व्यापक विस्तार देने और प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है?

प्रौढ़ शिक्षा की पाठ्यचर्या का ढांचा विकसित करना: विभिन्न प्रकार एवं स्तरों के परिपक्व शिक्षार्थियों के लिए क्या उपयोगी और सार्थक होगा इसे ध्यान में रखते हुए प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक बेहतरीन पाठ्यचर्यात्मक ढांचा विकसित किया जाना चाहिए। इस ढाँचे को इतना लचीला होना चाहिए कि वह स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सके, साथ ही उसमें कम से कम निम्न पांच प्रकार के कार्यक्रम शामिल होने चाहिए:

- बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान
- महत्वपूर्ण जीवन कौशल (जैसे वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक कौशल, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, शिशु पालन एवं शिक्षा और परिवार कल्याण)
- व्यावसायिक कौशल विकास (स्थानीय रोज़गार प्राप्ति के मद्देनज़र)

- बुनियादी शिक्षा (प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के समकक्ष) एवं
- सतत शिक्षा (जैसे कला, विज्ञान, तकनीकी, संस्कृति, खेल, मनोरंजन आदि के अलावा स्थानीय शिक्षार्थियों की रुचि अथवा लाभ की दृष्टि से अन्य विषयों, उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण जीवन कौशलों पर अधिक उन्नत सामग्री, पर लिबरल प्रौढ़ शिक्षा कोर्स)

आदर्श स्थिति में, प्रौढ़ शिक्षा की पाठ्यचर्या का ढांचा NCERT द्वारा गठित और पर्याप्त सहयोग प्राप्त एक नवीन घटक द्वारा विकसित किया जाना चाहिए जो प्रौढ़ शिक्षा के प्रति समर्पित हो। ऐसा करने से NCERT की साक्षरता, बुनियादी संख्या ज्ञान, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशलों इत्यादि में उत्कृष्ट पाठ्यचर्या निर्माण में मौजूदा विशेषज्ञता का लाभ भी मिलेगा और उससे सामंजस्य रखते हुए प्रौढ़ शिक्षा की पाठ्यचर्या ढांचा तैयार होगा। ऐसा करते हुए वयस्कों और बच्चों के शिक्षणशास्त्र में अंतर का भी ध्यान रखा जायेगा (यानि यह जागरूकता कि कई मामलों में वयस्कों को, बच्चों के साथ इस्तेमाल किये जाने वाले तरीकों और सामग्री की जगह, भिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों और सामग्री की आवश्यकता होती है)।

पहुँच सुनिश्चित करने के लिए साझी आधारभूत संरचना का निर्माण एवं उपयोग:

सभी इच्छुक वयस्कों की पहुँच प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों तक हो सके इसके लिए समुचित आधारभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी, स्कूलों (स्कूली समय के बाद एवं सप्ताहांत में) एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों का इस्तेमाल प्रौढ़ शिक्षा कोर्स के लिए किया जाना। जब संभव हो सके इन सुविधाओं को ICT समर्थ भी बनाया जायेगा। आधारभूत सुविधाओं के स्कूली शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा द्वारा साझा इस्तेमाल एक ओर तो भौतिक और मानव संसाधन के समुचित उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और साथ ही इन तीनों प्रकार की शिक्षा के परस्पर सामंजस्य के लिए काफ़ी अहम होगा। इन कारणों से AECs को स्कूल काम्प्लेक्स के अभिन्न अंग के रूप में देखा जायेगा। देश भर में जो वर्तमान में संसाधन समृद्ध और ICT-समर्थ AECDCs और जन शिक्षण संस्थान हैं उन्हें विशेष तौर पर मजबूत किया जाना चाहिए और ऐसे नए केंद्र विभिन्न क्षेत्रों और स्कूल काम्प्लेक्स में, जहाँ

उनकी ज़रूरत है, अवश्य खोले जाने चाहिए। जहाँ भी संभव हो उन्हें स्कूलों, सार्वजनिक पुस्तकालयों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ ही स्थापित किया जाना चाहिए।

प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रशिक्षकों का प्रभावी प्रशिक्षण: पाठ्यचर्या को परिपक्व शिक्षार्थियों तक ले जाने के लिए बेहतरीन प्रशिक्षकों/ शिक्षकों /प्रेरकों के संवर्ग (कैडर) की ज़रूरत होगी। प्रौढ़ शिक्षा के पाठ्यचर्यात्मक ढांचे में उल्लिखित पांचों तरह की प्रौढ़ शिक्षा के प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर के संसाधन सहयोग संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा ताकि वे AECs पर सीखने-सिखाने की गतिविधियों का संचालन और अगुआई कर सकें और साथ ही स्वैच्छिक रूप से जुड़ने वाले/स्वयंसेवी प्रशिक्षकों और ट्यूटर के साथ समन्वय कर सकें। समुदाय से योग्य सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे लघु अवधि के प्रशिक्षण कोर्स करें और स्वैच्छिक कार्यकर्ता के बतौर या तो व्यापक स्तर पर प्रौढ़ साक्षरता प्रशिक्षक के रूप में या फिर निजी शिक्षक/ट्यूटर के रूप में काम करें। राष्ट्र के लिए की गयी इस महत्वपूर्ण सेवा के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जायेगा।

सहभागिता सुनिश्चित करना: वे सभी वयस्क जन जो स्थानीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकते हों या इच्छुक हों, उन्हें इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए जागरूक एवं प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो सामाजिक कार्यकर्ता सामुदायों में जा कर गैर-नामांकित एवं स्कूल छोड़ देने वाले छात्रों का पता लगाते हैं और उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं (देखें P6.6.2), उनसे भी ऐसे अभिभावकों, किशोरों और अन्य इच्छुक लोगों के आंकड़े इकट्ठे करने का अनुरोध किया जायेगा जो प्रौढ़ शिक्षा के अवसरों (शिक्षार्थी अथवा प्रशिक्षक /ट्यूटर के बतौर) में रुचि रखते हों; इसके उपरांत वे सामाजिक कार्यकर्ता इन लोगों की सूचना स्थानीय AECs को देंगे एवं उन्हें इससे जोड़ेंगे। गैर-सरकारी संस्थाओं और अन्य स्थानीय संस्थाओं की गतिविधियों एवं विभिन्न पहलकदमियों के माध्यम से भी प्रौढ़ शिक्षा के अवसरों का व्यापक प्रचार किया जायेगा।

समुदाय को लामबंद करना: बड़े पैमाने पर प्रौढ़ साक्षरता एवं शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी साक्षरता अभियान को सामाजिक संस्थाओं और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को लामबंद करना होगा। समुदाय के योग्य सदस्य, जो अपने समुदाय एवं देश की सेवा के लिए, प्रौढ़ साक्षरता प्रशिक्षक के रूप में या फिर निजी शिक्षक/ट्यूटर के रूप में स्वैच्छिक रूप से काम करने की इच्छा रखते हैं, उनको बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान और अन्य प्रौढ़ शिक्षा सामग्री को सिखाने के लिए स्वागत किया जायेगा। वे इस

कार्य को AECs के मार्गदर्शन एवं समन्वयन में करेंगे। सरकार, गैर सरकारी संस्थाओं और अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ कर काम करेगी और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करेगी ताकि साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा के प्रयासों में तेज़ी लायी जा सके।

जैसा की अध्याय 2 में उल्लिखित है “यदि समुदाय का हर साक्षर सदस्य एक व्यक्ति को साक्षर बनाने की जिम्मेदारी ले तो देश का परिदृश्य बहुत जल्द बदल जायेगा। इस मिशन को जबरदस्त प्रोत्साहन और सहयोग दिया जायेगा।” यदि सभी नागरिक साक्षर हों तो अपनी विशाल एवं प्रतिभावान जनसँख्या के बल पर भारत अकल्पनीय उत्पादकता और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करना भारत के सभी लोगों की सबसे उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

21.1. प्रौढ़ शिक्षा की पाठ्यचर्या के ढाँचे का विकास

P21.1.1. प्रौढ़ शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण के लिए तकनीकी और संसाधन सहयोग प्रदान करने वाली संरचना की स्थापना: NCERT के घटक के रूप में एक स्वायत्त केन्द्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान (Central Institute of Adult Education, CIAE) की स्थापना की जाएगी जिसमें प्रौढ़ शिक्षा के विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह संस्थान प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (National Curriculum Framework for Adult Education, NCFAE) विकसित करेगा। प्रौढ़ शिक्षा के लिए सीखने-सिखाने की प्रभावी सामग्री तैयार करना और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन और निरीक्षण में सहयोग देना भी इस संस्थान की जिम्मेदारी होगी। प्रत्येक SCERT और DIET में एक अलग प्रौढ़ शिक्षा विभाग/इकाई स्थापित की जाएगी ताकि CIAE के कार्यों को स्थानीय सन्दर्भों के आधार पर ढाला जाये और केंद्र में CIAE द्वारा किये जा रहे उन सभी कार्यों को राज्य एवं जिला स्तर पर किया जा सके, जैसे राज्य-स्तरीय प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक पाठ्यचर्या की रूपरेखा (State Curriculum

Framework for Adult Education) विकसित करना, सीखने-सिखाने की सम्बंधित सामग्री तैयार करना और राज्य एवं जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन और निरीक्षण करना।

P21.1.2. प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (National Curriculum Framework for Adult Education): CIAE द्वारा मोटे तौर पर, प्रौढ़ शिक्षा के कम से कम इन पांच क्षेत्रों के लिए संशोधित NCFAE तैयार किया जायेगा: (i) बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (ii) महत्वपूर्ण जीवन कौशल (iii) व्यावसायिक कौशल (iv) बुनियादी शिक्षा एवं (v) सतत शिक्षा

2011 में मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (National Curriculum Framework) बनाया गया था। CIAE द्वारा इसे वर्तमान समय के हिसाब से प्रासंगिक बनाया जायेगा और समय-समय पर इसे अपडेट किया जायेगा, विशेषकर डिजिटल साक्षरता के सन्दर्भ में। इस कार्य में CIAE द्वारा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय एवं प्रौढ़ साक्षरता और शिक्षा को समर्पित अन्य संस्थाओं (जिनमें गैर सरकारी संस्थाएं भी शामिल होंगी) से परामर्श लिया जायेगा। इस पाठ्यचर्या के सभी हिस्से इतने लचीले रखे जायेंगे कि स्थानीय ज़रूरतों (रोज़गार सम्बन्धी ज़रूरत सहित) को समाविष्ट किया जा सके और साथ ही यह भी ध्यान में रखा जायेगा कि स्थानीय कला, साहित्य, भाषा, संस्कृति, ज्ञान, रुचि और परम्पराओं को शामिल किया जाए।

a. **बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान:** शुरुआत में इस कार्यक्रम की सामग्री में बुनियादी पढ़ना-लिखना (संख्याओं का भी) समाविष्ट होगा ताकि शिक्षार्थी घर से बाहर के ज़रूरी कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकें। इनमें शामिल हैं - चिन्हों, मूल्य-चिप्पी, रसीद, लाइसेंस प्लेट आदि पढ़ना और साथ ही आवेदन पत्र भरना, पत्र के लिफाफों पर पता लिखना। इसके उपरान्त यह बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की तरफ बढ़ेगा ताकि शिक्षार्थी मूलभूत एवं सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशों, समाचार पत्र, किताब आदि पढ़ सकें, पत्र लिख-पढ़ सकें और सर्वे फॉर्म भरना इत्यादि कर सकें।

स्कूली स्तर के बुनियादी और साक्षरता पाठ्यक्रम से इतर प्रौढ़ शिक्षा में पढ़ना-लिखना वयस्कों की रुचि के मुद्दों पर केन्द्रित होगा, जिनमें प्रतिष्ठित साहित्यिक रचनाओं से कहानियां, बच्चों की परवरिश से सम्बंधित कहानियां, भारत के संविधान के अध्याय या फिर समकालीन सामाजिक मुद्दों जैसे बाल विवाह, महिलाओं के अधिकार, मद्यपान आदि से जुड़ी शिक्षाप्रद चर्चाएँ शामिल होंगी।

- b. **महत्वपूर्ण जीवन कौशल:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य होगा कि नव-साक्षर आधुनिक समय के लिए ज़रूरी जीवन कौशलों को सीख सकें: बैंक में खाता कैसे खोलें और मूलभूत आर्थिक लेनदेन कर सकें; कम्प्यूटर/टेबलेट/स्मार्ट फ़ोन का इस्तेमाल और ई-मेल भेजने के लिए इंटरनेट से कैसे जुड़ना है; NIOS या अन्य वेबसाइट से सीखना या व्यवसाय चलाना; इंटरनेट के दुरुपयोग और खतरों से वाकिफ़ होना (विशेषकर बच्चों एवं किशोरों के लिए); बच्चों की शिक्षा में कैसे मदद की जाये और साथ ही 21वीं सदी के अन्य परवरिश सम्बन्धी कौशल; घर के एवं व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए हिसाब-किताब संभालना; बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और पोषण सम्बन्धी जागरूकता; परिवार कल्याण। जो ज़रूरी कौशल सिखाये जायेंगे वे निःसंदेह स्थानीय क्षेत्र और उसकी ज़रूरतों पर निर्भर करेंगे जैसे आर्थिक या स्वास्थ्य संबंधी स्थानीय मुद्दे।
- c. **बुनियादी शिक्षा :** बुनियादी शिक्षा का जोर इस बात पर होगा कि नव साक्षरों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से भी आगे जा कर औपचारिक शिक्षा व्यवस्था अथवा ओपन स्कूल के माध्यम से प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के समकक्ष शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम बनाना। लचीली बुनियादी शिक्षा के लिए NLM द्वारा विकसित किये गए स्तर I, स्तर II और स्तर III के competency level जो मोटे तौर पर औपचारिक स्कूली व्यवस्था के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर की पूर्णता के समकक्ष हैं और रहेंगे, उन्हें ही इस कार्यक्रम की संरचना एवं प्रमाणीकरण (certification) का आधार बनाया जायेगा।

- d. **व्यावसायिक कौशल विकास:** व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य होगा कि निरक्षर एवं नव-साक्षर वयस्कों को व्यावसायिक कौशलों से संपन्न किया जाए ताकि उनका जीवन स्तर और धनोपार्जन क्षमता में सुधार हो सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण इन काम धंधों से सम्बंधित हो सकता है – बढ़ईगिरी, नलसाजी, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, सिलाई-कढ़ाई, सौंदर्य देखभाल और प्रसाधन, स्वास्थ्य देखभाल, फैशन डिज़ाइन, कंप्यूटर सहयोग, वाहन मरम्मत, कृषि, घरेलू उद्योग एवं हस्तशिल्प, कपड़ा उद्योग तकनीकी, निर्माण, परिवहन, बहीखाता एवं लेखांकन, भोजन सेवा इत्यादि। हर क्षेत्र विशेष में व्यावसायिक कौशल कार्यक्रमों को काम धंधे की स्थानीय मांग और रोज़गार की क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अध्ययन के आधार पर तय किया जायेगा।
- e. **सतत शिक्षा:** सतत शिक्षा कार्यक्रम (Continuing Education programme-CEP) नवसाक्षरों एवं अन्य लक्षित लाभार्थियों को जीवन पर्यंत सीखने के मौके मुहैया करायेगा। कार्यक्रम में शामिल होंगे लघु अवधि के थीम आधारित कोर्स, उदाहरण के लिए स्वास्थ्य देखभाल/ जागरूकता; भोजन एवं पोषण; जल संरक्षण एवं पेय जल; साफ़-सफ़ाई; शिक्षा; AIDS/STD; उपभोक्ता जागरूकता/अधिकार; कानूनी साक्षरता; वर्तमान सामाजिक मुद्दों पर समूह चर्चाएँ; व्यावसायिक और कौशल विकास; प्रतिष्ठित साहित्य का पठन एवं चर्चा (स्थानीय साहित्य भी शामिल होगा जैसे स्थानीय भाषा में कविता); खेल-कूद (स्पोर्ट्स), मनोरंजन एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ; संगीत शिक्षा; तकनीकी का प्रदर्शन एवं इस्तेमाल; चुनावी साक्षरता एवं मतदान; और अन्य विषय (जैसे उपर्युक्त (a) से (d) तक की सामग्री का विस्तार)

P21.1.3. सीखने सिखाने की गुणवत्तापूर्ण सामग्री: प्रौढ़ साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन कौशलों के लिए पाठ्य-पुस्तकें, अभ्यास-पुस्तिका एवं अन्य सीखने-सिखाने की सामग्री को, प्रस्तावित CIAE द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में विकसित

किया जायेगा और SCERT की प्रौढ़ साक्षरता इकाई द्वारा, अन्य भाषाओं में इसके अनुरूप सामग्री का निर्माण किया जायेगा जिसमें आवश्यकतानुसार NGO और स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं की सहायता ली जाएगी। स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों (देखें section 4.8) की तरह इन सीखने-सिखाने की सामग्री को लागत मूल्य पर बेचा जायेगा ताकि अधिकतम लोग इसे वहन कर सकें। बुनियादी साक्षरता कार्यक्रम में नामांकित वयस्कों के लिए स्कूली पाठ्य-पुस्तकों को भी लागत मूल्य पर ही उपलब्ध कराया जायेगा।

P21.1.4. अधिगम स्तर का मूल्यांकन और प्रमाणन के निष्पक्ष मापदंड: NLM, साक्षरता अभियान और NIOS के तत्वाधान में व्यावहारिक साक्षरता (functional literacy) और संख्या ज्ञान, कौशल विकास, पूर्व ज्ञान और समकक्षता से सम्बंधित अधिगम स्तर मूल्यांकन करने के लिए विकसित किये गए मापदंडों और सामग्री को CIAE और राज्य और जिले में इससे सम्बद्ध इकाइयों द्वारा और बेहतर किया जायेगा। इनका इस्तेमाल AECs द्वारा वयस्क शिक्षार्थियों के उपलब्धि स्तर के मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेशन) के लिए और उनके द्वारा चुने हुए कार्यक्रम, खासकर साक्षरता कार्यक्रम को पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए किया जायेगा।

21.2. आधारभूत सुविधाओं और सब तक पहुँच को सुनिश्चित करना

P21.2.1. उपयुक्त आधारभूत सुविधाओं एवं सामग्री: सभी वयस्कों तक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (सभी पांच प्रकार के, जैसा कि P21.1.2 में दिया है) की पहुँच सुनिश्चित करने एवं देश में शत-प्रतिशत साक्षरता जल्द से जल्द पाने के लिए देश भर में प्रौढ़ शिक्षा के लिए समुचित संस्थागत संरचना एवं बुनियादी सुविधाओं के लिए सहयोग दिया जाएगा। प्रभावी वित्तीय व्यवस्था के लिए एक अहम रणनीति होगी, स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा के मध्य संरचनाओं, आईसीटी (ICT) सीखने-सिखाने की सामग्री और मानव

संसाधनों की साझेदारी। इससे इन तीनों प्रकार की शिक्षा के बीच परस्पर सामंजस्य में भी मदद मिलेगी।

AECs को स्कूल कॉम्प्लेक्स में शामिल किया जाएगा ताकि सामग्री और मानव संसाधन की उपयोगी साझेदारी में आसानी हो। इन स्कूल कॉम्प्लेक्स में पहले से ही स्थापित पुस्तकालय या पठन कक्ष को केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा और सुदृढ़ एवं अधिक संसाधन समृद्ध बनाया जाएगा ताकि यह बहु-उपयोगी बन सके तथा युवाओं और वयस्कों दोनों की ही स्थानीय जरूरतों को पूरा कर सके। देश भर के मौजूदा संसाधन समृद्ध एवं आईसीटी संपन्न AESDCs और जन शिक्षण संस्थानों को भी मजबूत बनाया जाएगा और विभिन्न क्षेत्रों और स्कूल कॉम्प्लेक्स में जरूरत के अनुसार ऐसे नए संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इन्हें, जहाँ तक संभव हो, स्कूलों, सार्वजनिक पुस्तकालय या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ स्थापित किया जायेगा ताकि अपेक्षित संसाधन साझेदारी एवं सामंजस्य संभव हो सके।

सभी AECs को शैक्षिक सामग्री, पाठ्य-पुस्तकों और अभ्यास पुस्तकों से संपन्न किया जाएगा जिससे प्रौढ़ शिक्षा के अध्यापकों द्वारा उनका समुचित उपयोग हो सके। इच्छुक वयस्कों को उच्च गुणवत्तापूर्ण पाठ्य-पुस्तकें और अभ्यास पुस्तकें लागत मूल्य पर ही बेची जाएँगी।

P21.2.2. सीखने के रास्तों की बहुलता: मुख्य जोर जीवन पर्यंत सीखने के मौकों को सुनिश्चित करने पर दिया जायेगा। इसके लिए सीखने के विविध औपचारिक एवं अनौपचारिक माध्यमों, जैसे ODL, एक व्यक्ति के लिए एक ट्यूटर, स्मार्टफोन ऐप आदि, को मजबूत करना होगा ताकि सभी युवा एवं वयस्क जन साक्षर हो सकें और देश की तेज़ी से बदलती अर्थव्यवस्था और कौशलों की मांग के अनुरूप ज्ञान प्राप्त कर सकें।

ओडीएल के माध्यम से युवाओं और वयस्कों के लिए प्रासंगिक (विशेषतः व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा के संदर्भ में) कोर्स की उपलब्धता द्वारा सीखने के इच्छुक लोगों को मौके देने के लिए एनआईओएस को विशेष तौर पर सुदृढ़ किया जायेगा।

NIOS को विशेषकर सुदृढ़ किया जायेगा ताकि ODL के माध्यम से, युवाओं और वयस्कों के लिए प्रासंगिक (विशेषतः व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा के सन्दर्भ में) कोर्स/कार्यक्रम की उपलब्धता द्वारा इच्छुक लोगों को सीखने के मौके मिल सकें। NIOS द्वारा स्थानीय भाषा में समरूप कार्यक्रम विकसित किये जायेंगे जिसमें NIOS तकनीकी और अकादमिक सहायता प्रदान करेगी।

AEC को ICT उपकरणों से समृद्ध किये जाने की अपेक्षा के मद्देनजर विभिन्न तरह की डिजिटल सामग्री विकसित की जाएँगी जो AEC और व्यक्तिगत स्मार्टफोन पर उपयोग के लिए उपलब्ध होंगी। वयस्कों को व्यावहारिक साक्षरता (फंक्शनल लिटरसी) और अन्य ज्ञान/कौशल प्रदान करने के लिए बेहतरीन स्मार्टफोन ऐप और डिजिटल सामग्री को देश की सभी भाषाओं में विकसित करने के उद्देश्य से प्रतियोगिता आयोजित की जाएँगी। एक बड़ा उद्देश्य होगा कि साक्षरता और सीखने के अन्य मौके उपलब्ध कराने के लिए बड़ी संख्या में बेहतरीन ऐप वयस्कों को स्मार्टफोन में (न्यूनतम या बिना शुल्क के) डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो सकें।

21.3. प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं (वालंटियर्स) के कैडर का प्रशिक्षण

P21.3.1. प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के प्रबंधकों और प्रशिक्षकों के कैडर को सृजित करना:

BITEs, DIETs, BRCs और CRCs में प्रौढ़ शिक्षा के लिए गठित विशेष इकाइयों द्वारा विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल की मदद से योग्य और प्रमाणित प्रेरक (जो AECs का प्रबंधन और शिक्षण कार्य करते हैं) और प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षक (जो AECs में शिक्षण करते हैं) के एक कैडर का सृजन किया जाएगा। प्रेरक और अन्य शिक्षक उसी स्थानीय क्षेत्र के शिक्षित वालंटियर होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता, सामुदायिक संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं, वालंटियर और पंचायत

– सभी को स्थानीय क्षेत्र से ऐसे शिक्षित लोगों की पहचान में शामिल किया जायेगा जो 100% साक्षरता पाने के सबसे महत्वपूर्ण अभियान में अपने समुदाय की मदद करने की इच्छा रखते हैं। सभी प्रेरकों और प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षकों को सरकार द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाएंगे जिसमें उनकी सेवा भूमिका, कक्षा में पढ़ाये घंटे और / अथवा उनके द्वारा साक्षर किये गए लोगों की संख्या का उल्लेख होगा।

प्रेरकों और प्रौढ़ शिक्षा शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल में इन विषयों की सामग्री शामिल होगी: AECs और वयस्क शिक्षार्थियों का प्रबंधन; सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक संस्थाओं एवं वालंटियर के साथ काम करना; NCFAE; किस प्रकार कक्षाओं, व्यक्तिगत ट्यूटर एवं तकनीकी के इस्तेमाल के माध्यम से साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा प्रदान की जाए; सीखने-सिखाने के संसाधन जैसे पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, स्मार्टफोन ऐप एवं अन्य सामग्री; विकासात्मक मूल्यांकन की तकनीकें।

P21.3.2. हाल ही में स्थापित National Adult Tutors Programme (NATP) के माध्यम से निजी ट्यूटर की एक बड़ी टीम का निर्माण: स्कूली स्तर पर NTP कार्यक्रम की ही तरह (देखें P2.5), NATP द्वारा साक्षर और शिक्षित वयस्कों की बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी और उन्हें ट्यूटर बनने और साथी वयस्कों को साक्षर बनाने का मौका दिया जाएगा। NATP के वालंटियर का प्रबंधन AEC द्वारा किया जाएगा और उन्हें उन निरक्षर वयस्कों से जोड़ा जाएगा जो NATP कार्यक्रम के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। NATP के सभी ट्यूटर को देश और समुदाय के लिए की गई उनकी सेवा को मान्यता देते हुए सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जिसमें उनके द्वारा पढ़ाये घंटे और उनके द्वारा साक्षर किये गए लोगों की संख्या का उल्लेख होगा।

21.4. प्रौढ़ शिक्षा में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना

P21.4.1. समुदाय के लोगों को चिन्हित कर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षार्थी अथवा प्रशिक्षक के रूप में जुड़ने के लिए आमंत्रित करना: प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकने या उसमें पढ़ा सकने वाले वयस्कों/किशोरों की पहचान समुदाय में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की पहचान के काम के साथ-साथ की जाएगी जैसा कि P3.7 और P3.8 में उल्लिखित है। उदाहरण के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता जो अपने समुदाय में स्कूल छोड़ने वाले एवं स्कूल ना जाने वाले बच्चों की पहचान करते हैं, उन्हें यह काम भी सौंपा जाएगा कि वे वालंटियर्स, NGOs, सामुदायिक संस्थाओं एवं जिला साक्षरता समितियों (जहां कहीं भी वे अस्तित्व में हैं) के साथ मिल कर प्रौढ़ शिक्षा के अवसर से (खासतौर पर साक्षरता के संदर्भ में) लाभान्वित हो सकने वाले वयस्कों की पहचान करें। इस आंकड़े को लाभार्थी की अनुमति से दर्ज किया जाएगा और प्रेरकों/AEC के साथ साझा किया जाएगा ताकि इन वयस्कों को उनके लिए प्रासंगिक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों से जोड़ा जा सके। खासतौर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा स्कूली बच्चों के अभिभावकों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे कि वे स्वाभाविक रूप से अपने बच्चों की शिक्षा में भी शामिल हो सकें। निरक्षर के रूप में चिन्हित 14 से 18 वर्ष के किशोरों को या तो प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम से जुड़ने या फिर NTP और RIAP जैसे उपचारात्मक (remedial) शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से औपचारिक शिक्षा में पुनः प्रवेश का विकल्प दिया जाएगा।

सामाजिक कार्यकर्ता, सामुदायिक संस्थाओं और जनसेवा घोषणाओं द्वारा उत्साही साक्षर वयस्कों को, अपने समुदाय ने 100 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने के अति-महत्वपूर्ण अभियान में, वालंटियर ट्यूटर अथवा प्रमाणित प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षक के रूप में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया जायेगा और उन्हें प्रेरक और AEC से सम्बद्ध किया जायेगा।

देश से निरक्षरता को समाप्त करने की रणनीति का एक अहम कदम यह होगा कि देश के प्रत्येक साक्षर सदस्य की कम से कम एक व्यक्ति को पढ़ाने के

लिए प्रोत्साहित किया जाये। यह कार्य AEC प्रबंधक (प्रेरक) के रूप में, प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षक या निजी ट्यूटर के रूप में किया जा सकता है।

P21.4.2. प्रौढ़ साक्षरता और शिक्षा के लिए राज्यों एवं सामाजिक संस्थाओं के सम्मिलित प्रयास एवं साझेदारी: AEC पर सेक्शन P21.1.2 में उल्लिखित सभी पांचों प्रकार के कार्यक्रम प्रौढ़ साक्षरता और शिक्षा कार्यक्रम स्थापित करने के लिए राज्यों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं एजेंसियों के साथ साझेदारी की जाएगी। राज्यों, सामाजिक/समाजसेवी संस्थाओं, स्थानीय उद्योगों, उच्च शिक्षण संस्थानों और गैर सरकारी संस्थाओं को, प्रौढ़ साक्षरता और शिक्षा कार्यक्रमों में सहभागिता करने और अपने क्षेत्र में इसकी अगुआई करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। इसमें वालंटियर चिन्हित करना, इन कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सकने वाले वयस्कों की पहचान करना और स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से प्रासंगिक शिक्षा कार्यक्रमों का नियोजन एवं विकास करना शामिल होगा।

प्रौढ़ साक्षरता के उद्देश्य के प्रति समर्पित राज्यों, सामाजिक संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं को मदद देने के लिए भारत सरकार एक “साक्षरता कोष” स्थापित करेगी। इसमें दो तरह से फंडिंग की जाएगी- फार्मूला निधि और विवेकाधीन निधि। फार्मूला निधि, राज्यों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध रहेगी।

विवेकाधीन निधि राज्यों को उन समुदाय आधारित क्रदमों को समर्थन देने और उसे बड़े पैमाने पर लागू करने में सक्षम बनाएगी जो स्थानीय सन्दर्भ का ध्यान रखते हुए युवाओं और वयस्कों की साक्षरता और शिक्षा सम्बन्धी ज़रूरतों को पूरा करते हों। इस निधि का एक हिस्सा समुदाय आधारित कार्यक्रमों की निगरानी करने और उनकी कार्यक्रम क्रियान्वयन करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए तकनीकी मदद देने में इस्तेमाल होगा।

P21.4.3. उच्च शिक्षण संस्थानों का जुड़ाव: उच्च शिक्षण संस्थाएं भी अपने सामुदायिक सेवा हेतु ली जाने वाली पहलों के माध्यम से स्थानीय प्रौढ़ शिक्षा के प्रयासों में मदद करेगी। सामाजिक सेवा या इंटर्नशिप की ज़रूरतों के हिस्से के तौर पर छात्र स्थानीय प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रित प्रयासों में शामिल हो सकते

हैं। उच्च शिक्षण संस्थाओं को प्रौढ़ शिक्षा में शोध करने और प्रौढ़ शिक्षा/आजीवन शिक्षा के विभाग खोलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जायेगा। कालांतर में, जब हम 100 प्रतिशत साक्षरता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सबकी पहुँच के लक्ष्य प्राप्त कर चुके होंगे तब, व्यावसायिक और सतत/आजीवन शिक्षा के रूप में प्रौढ़ शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा विश्वविद्यालयों के जिम्मे होगा।

P21.4.4. महिलाओं एवं सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों और क्षेत्रों पर

ज़ोर: चूँकि महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों और अन्य वंचित समूहों के युवाओं और वयस्कों की साक्षरता दर लगातार कुल साक्षरता दर से नीचे बनी हुई है, इसलिए महिलाओं और अपेक्षाकृत निम्न युवा एवं वयस्क साक्षरता दर वाले समूहों के लिए किये जाने वाले प्रौढ़ शिक्षा के सभी प्रयासों पर विशेष बल एवं सहयोग दिया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों एवं वर्तमान में कम साक्षरता वाले राज्यों और जिलों की युवा एवं वयस्क साक्षरता दर को बढ़ाने पर भी विशेष जोर रहेगा।

P21.4.5. साक्षरता अभियान के बारे में व्यापक जन जागरूकता: 100 प्रतिशत

साक्षरता प्राप्त करने के राष्ट्रीय अभियान के बारे में और इसके चलते समुदाय और वालंटियर के जुड़ाव के मौकों की उपलब्धता के बारे में आम जनता को जागरूक किया जाना होगा। अध्याय 2 में युवाओं की साक्षरता के सम्बन्ध में जिन पहलों की व्याख्या की गयी है उनके साथ-साथ इस दिशा में बड़े पैमाने पर जन सेवा घोषणाओं, मीडिया अभियान और AEC एवं उसके समुदाय के बीच सीधे सम्प्रेषण को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका एक लक्ष्य तो प्रौढ़ साक्षरता एवं शिक्षा कार्यक्रमों में व्यापक नामांकन अर्जित करना होगा और दूसरा लक्ष्य प्रौढ़ शिक्षा और स्कूली शिक्षा की पहलकदमियों (NATP, RIAP और NTP कार्यक्रम सहित) के लिए समुदाय के सदस्यों और वालंटियर की शिक्षक के रूप में भर्ती करना। प्रत्येक साक्षर नागरिक कम से कम एक बच्चे या वयस्क को पढ़ना सिखाने की जिम्मेदारी ले, इस सिद्धांत को व्यापक रूप से प्रचारित, प्रोत्साहित और समर्थित किया जायेगा।

P21.4.6. प्रौढ़ शिक्षा को सहयोग और संसाधन देने वाले संस्थानों का पुनरुत्थान

एवं कायाकल्प: केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा को सहयोग और संसाधन देने वाले संस्थानों – जैसे प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, राज्य स्तर के प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय और ज़िला साक्षरता समितियों को प्रौढ़ शिक्षा के सभी प्रयासों के समन्वय एवं सहयोग के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पुनरुज्जीवित किया जायेगा और उनमें आवश्यक सुधार किये जायेंगे जिससे कि 2030 तक 100 प्रतिशत साक्षरता के घोषित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

अध्याय 22

भारतीय भाषाओं का संवर्धन और प्रसार

उद्देश्य:

सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, विकास और जीवंतता को सुनिश्चित करना।

भारतीय भाषाएँ दुनिया की सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक और भावाबोधक रही हैं, जिनमें इस विश्व का महत्वपूर्ण ज्ञान और साहित्य रचा गया है। ये सभी भाषाएँ सच्चे अर्थों में क्रियाशील हैं, करोड़ों लोग ना सही पर इन भाषाओं का लाखों लोग रोज़ाना अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, और विभिन्न आंचलिक क्षेत्रों और पीढ़ियों की सदियों पुरानी संस्कृति और विरासत का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन इन सभी क्षेत्रों की संस्कृति और परम्पराओं का ठीक रूप से समावेश और संरक्षण, साथ ही साथ छात्राओं को इनकी ठीक समझ तभी हो सकती है जब इन सभी भारतीय भाषाओं (आदिवासी भाषाओं सहित) को उपयुक्त सम्मान मिलेगा। इसीलिए इन समृद्ध भाषाओं और साहित्य का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, ठीक उसी तरह जैसे तकनीकी रूप से विकसित देशों (जैसे साउथ कोरिया, जापान, फ़्रांस, जर्मनी, हॉलैंड) ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया से जूझते हुए किया है।

वैसे तो भारत में अपनी सांस्कृतिक विरासत का एक अत्यंत समृद्ध भंडार है परंतु भारतीय भाषाओं में आकादमिक साहित्य और पुस्तकों की गुणवत्ता अभी भी एक उच्चतम स्तर की नहीं है जिसकी वजह से जिन छात्रों की ये मातृ भाषा है, वे अक्सर नुकसान में रहते हैं। जहां इन भारतीय भाषाओं की मौलिक पुस्तके और काम उपलब्ध है, वहाँ सिर्फ कुछ विद्यालय, शिक्षक और छात्र ही इन पुस्तकों और कामों को पढ़ पाते हैं क्योंकि इनके प्रचार-

प्रसार का घोर अभाव है। इसकी वजह से हमारे अधिकांश छात्र अपनी स्थानीय भाषा में विचार, अनुसंधान और व्याख्या करने से वंचित ही रह जाते हैं।

जितना ज़रूरी इन पुस्तकों और आकादमिक कामों का अनुवाद करना है, उतना ही ज़रूरी और नई साहित्यिक सामग्री को बनाना भी है। यह काम सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि सरकार और लोककल्याणकारी संस्थाओं के प्रयासों से कुछ ऐसी प्रक्रियाएँ अपनायी चाहिए जिससे भारतीय भाषाओं में मौलिक पुस्तकों का, कहानियों का और बाकी साहित्यिक सामग्री का एक समृद्ध संग्रह बन पाए।

जैसे-जैसे ज्ञान विकसित होता है और दुनिया भर में इसे अर्जित किया जाता है, वैसे-वैसे सभी भारतीय भाषाओं में इन पर्याप्त शब्दावली जोड़ते रहने की ज़रूरत है ताकि वे ज्ञान के क्षेत्र में हो रहे विकासों के कदम से कदम मिलाकर इनके साथ आगे बढ़ती रहें। यह कम से कम आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule) में शामिल भाषाओं में होना ही चाहिए। बाकी देशों में, जैसे की फ्रांस में बाकायदा विशेषज्ञों की ऐसे आकादमी हैं जो केंद्रीय और राज्य स्तर पर इन भाषाओं की गति और विकास में मदद करते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित करने की कोशिश करते हैं, बिना स्थानीय वैविध्य के साथ कोई छेड़-छाड़ किये। ऐसा ही भारत में भी होना चाहिए।

शिक्षा संस्थानों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वे स्कूल और उच्च शिक्षा के स्तर पर भारतीय भाषाओं में समृद्ध और बेहतरीन कार्यक्रम चलाए। ऐसा करने के लिए विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भारतीय भाषाओं में योग्य बनाना होगा। इसलिए, भारतीय भाषाओं और उनकी साहित्यिक परम्पराओं के संकाय/विभाग हर उच्च शिक्षा संस्थान में स्थापित किये जाने चाहिए; ये विभाग, भाषा के शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। इसके बाद इन शिक्षकों को पूरे देश भर के स्कूलों में भेजा जाना चाहिए ताकि देश के बच्चे अपनी मातृ भाषा।

अच्छे से सीख सकें और साथ ही साथ राष्ट्रीय अखंडता और एकीकरण को भी सुनिश्चित किया जा सके। यह चक्र शिक्षा व्यवस्था द्वारा भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत और परम्पराओं के विकास और जीवंतता को बनाए रखने में इसके योगदान का आधार बनेगा। दशकों से जो नहीं हुआ वह हमें अब करना होगा, हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीय भाषाओं को पुनर्जीवित और संरक्षित रखना होगा।

- P22.1. उच्च शिक्षा संस्थानों में भारतीय भाषाओं और साहित्य के उच्च गुणवत्तापूर्ण और सशक्त कार्यक्रम:** भारतीय भाषाओं के कार्यक्रम और उनकी क्षमताओं को स्थापित और पुनर्जीवित करने के लिए पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों की सहायता की जाएगी। ऐसा सभी प्रकार के HEIs (Type 1, 2, 3) में होना चाहिए। यह सिर्फ आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि आदिवासी भाषाएँ भी शामिल करनी चाहिए। स्कूल शिक्षा के लिए सभी शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों में भारतीय भाषाओं के घटकों को यह मजबूत बनाएगा। 4-वर्षीय एकीकृत B.Ed. कार्यक्रमों को इन भाषा कार्यक्रमों को पर्याप्त तरीके से एकीकृत करना चाहिए।
- P22.2. शिक्षक और संकाय-सदस्यों की नियुक्ति:** सारे उच्च शिक्षा संस्थानों में स्थानीय भारतीय भाषा के अलावा, तीन भारतीय भाषाओं में, गुणवत्तापूर्ण संकाय को नियुक्त करना चाहिए। सारे राज्यों में प्रत्येक स्कूल कॉम्प्लेक्स में कम से कम एक ऐसे शिक्षक की नियुक्ति हो जो स्थानीय भाषा से अलग कोई भाषा जानता हो।
- P22.3. भारतीय भाषाओं, साहित्य, भाषा शिक्षण और सम्बंधित सांस्कृतिक क्षेत्रों में शोध:** सारी भारतीय भाषाओं पर, साहित्य पर, भाषा शिक्षण और सम्बंधित सांस्कृतिक क्षेत्रों पर शोध के लिए NRF की ओर से पर्याप्त अनुदान द्वारा सहायता की जाएगी।
- P22.4. शास्त्रीय भाषाएँ:** शास्त्रीय भारतीय भाषाओं और साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएँ सारे उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा बनाई जानी चाहिए। इन भाषाओं के लिए वर्तमान में मौजूद संस्थान और राष्ट्रीय संस्थान को मजबूत बनाया जाएगा। पालि, फ़ारसी व प्राकृत भाषाओं के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाएगा। वो सभी संस्थान जो भाषा कार्यक्रमों को

बढ़ावा देंगे, वे विश्वविद्यालयों से संबद्ध होंगे और प्राथमिकता इस बात को दी जायेगी की इन्हें विश्वविद्यालयों में ही स्थापित किया जाए। ऐसे संस्थानों को तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन के लिए वित्तीय अनुदान भी दिए जाएंगे।

P22.5. भारतीय भाषाओं में शब्दावली: जो अनुशंसा Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT) के द्वारा दी गई हैं, वह सिर्फ भौतिक विज्ञान तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि उसे नए सिरे से कल्पित किया जाएगा और व्यापक बनाया जाएगा ताकि विभिन्न विषय और क्षेत्र उसमें शामिल किए जा सकें। ऐसा करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी, विशेषज्ञों की लगातार मीटिंग्स व अनुदान हो ताकि इसके सारे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

इसी तरह के उद्देश्यों के साथ क्षेत्रीय निकाय व आकादमियों को भी स्थापित किया जाएगा ताकि आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से हर एक भाषा के लिए ऐसे प्रयास राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर संचालित किये जा सकें। दोनों ही CSTT और क्षेत्रीय निकाय, विश्वविद्यालयों के स्तर पर विद्वानों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर नयी शब्दावली का विकास और मानकीकरण और सम्बंधित भाषा के अन्य मसलों पर काम करेंगे। कुछ भाषाएँ जैसे हिन्दी और संस्कृत जो किसी एक राज्य से बंधी हुई नहीं हैं, उनका केन्द्रीय स्तर पर अन्य राज्यों के साथ परामर्श करते हुए संचालन किया जा सकता है, बाकी भाषाओं को राज्य स्तर पर एक उपयुक्त केंद्र/राज्य संचालन के ज़रिये देखा जा सकता है ताकि एक सामान्य शब्दावली का ज्यादा-से-ज्यादा इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके।

हर 3 साल में, प्रत्येक निकाय अपनी संबन्धित भाषाओं के नवीनीकृत और व्यापक शब्दकोश प्रकाशित करेंगे।

इन संस्थानों में विकसित की गयी मानकीकृत शब्दावली सभी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में इस्तेमाल की जाएगी।

शिक्षा संस्थानों के शिक्षक व संकाय-सदस्यों, अखबारों और पत्रिकाओं में और पुस्तकों के लेखन में लगे हुए लोगों द्वारा मानकीकृत शब्दावली का प्रचुर मात्र में इस्तेमाल नयी विकसित किये शब्दकोशों और शब्द-संग्रहों के प्रचार-प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कदम होंगे।



भाग IV

शिक्षा में बदलाव

अध्याय 23

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग

उद्देश्य:

नए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नेतृत्व में भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विज़न से क्रियान्वयन, सभी स्तरों पर समता और उत्कृष्टता प्रदान करने, और एक तारतम्यता के साथ काम करने की ओर बढ़ना

एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था नए भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर, शिक्षा भी अपने लक्ष्यों और प्रकृति के चलते असाधारण रूप से जटिल क्षेत्र है। इसके अलावा, यह नीति, जैसा कि पहले के अध्यायों से स्पष्ट है, एक नॉलेज सोसाइटी (knowledge society) के निर्माण पर ज़ोर देती है जो शिक्षा के विविध आयामों के साथ-साथ इसकी समग्र प्रकृति को समझता है और इसे स्वीकार करता है।

इस देश में शिक्षा का वर्तमान गवर्नेंस (governance) इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफी नहीं है। यह स्थिति इस नीति को लागू करने में अतिरिक्त जटिलताएँ और चुनौतियाँ पैदा करेगी। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए मौजूदा शासन प्रणाली, इसकी संरचनाएँ एवं नेतृत्व प्रक्रिया को फिर से देखने की ज़रूरत है। विशेष रूप से, उदाहरण के लिए, इस नीति की कई कड़ियों को सफल बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के बीच तालमेल और समन्वय बिठाने की ज़रूरत है और साथ ही शैक्षिक वातावरण की गतिशील प्रकृति को भी संबोधित करने की ज़रूरत है। इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य, संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर एक दीर्घकालिक विज़न, विशेषज्ञता की निरंतर उपलब्धता और संबंधित लोगों द्वारा ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, नीति एक राष्ट्रिय शिक्षा आयोग (NEC/RSA) - भारतीय शिक्षा का

सर्वोच्च निकाय- के गठन या निर्माण की कल्पना करती है। सरकार के आला अधिकारी के रूप में, प्रधान मंत्री इस निकाय की अध्यक्षता करेंगे और शैक्षिक प्रयासों को दिशा देने व शिक्षा के विज्ञान को पूरा करने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान करेंगे। इसके अलावा, इस तरह का कदम देश में शिक्षा के कई आयामों के बीच आवश्यक सामंजस्य और तालमेल सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

प्रधान मंत्री के नेतृत्व में, प्रख्यात शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और संबंधित क्षेत्र के लोगों के साझा विज्ञान और नॉलेज सोसाइटी (knowledge society) की जटिल मांगों के बारे में उनकी समग्र समझ राष्ट्रीय शैक्षिक प्रयास को एक प्रभावी व उच्च स्तरीय दिशा प्रदान करेगी। साथ ही, यह भी सुनिश्चित होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (NCE/RSA) एक गतिशील और तेजी से बदलते माहौल की अनिवार्यताओं के प्रति लचीला, उत्तरदायी और अनुकूल है। केवल शैक्षिक गवर्नेंस के प्रयास से वांछित सफलता प्राप्त नहीं होगी जब तक समाज के बाकी लोगों में शिक्षा के प्रति उचित रवैया और संस्कृति ना हो। यह नीति, आने वाले वर्षों में इसकी प्राप्ति के लिए निश्चित रूप से गवर्नेंस (governance) में असाधारण कदमों/उपायों की अनुशंसा करेगी, ऐसे कदम जो अभूतपूर्व हैं और अपने आप में आगाज़ है ऐसी कुछ पहलों को जो भारत को अपने सम्पूर्ण विकास को साकार करने के लिए दूसरे क्षेत्रों में भी करनी होंगी।

P23.1. शिक्षा के लिए एक नया शीर्ष निकाय- राष्ट्रीय शिक्षा आयोग: एक नया शीर्ष निकाय का गठन किया जाएगा जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (RSA/NCE) के रूप में नामित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग सतत रूप से देश में शिक्षा के विज्ञान को विकसित करने, इसे स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त करने, और इसके क्रियान्वयन, मूल्यांकन और संशोधन के लिए जिम्मेदार होगा। यह उस संस्थागत ढांचे का निर्माण और देखरेख भी करेगा जो शिक्षा के विज्ञान को साकार करने में मदद करेगा।

P23.2. शिक्षा मंत्रालय (MoE): पुनः शिक्षा और सीखने पर ध्यान करने के लिए, एमएचआरडी (MHRD) को नया स्वरूप दिया जाएगा और इसे शिक्षा मंत्रालय (MoE) के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा।

P23.3. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष होंगे। प्रधान मंत्री वर्ष में कम से कम एक बार राष्ट्रीय शिक्षा आयोग

(RSA/NCE) की बैठक बुलाएँगे, या जितनी बार आवश्यकता समझी जाएगी उतनी बार, जिसमें प्रधानमंत्री समग्रता में भारत की शिक्षा की प्रगति की समीक्षा और अपने अधिकार के तहत आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को उचित रूप से सशक्त बनाने और प्रेरित करने के लिए उचित कदम उठाएँगे।

P23.4. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के उपाध्यक्ष: केंद्रीय शिक्षा मंत्री राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रमुख काम करने वाली निकायों को नेतृत्व व अध्यक्षता प्रदान करेंगे जैसा कि नीचे विस्तृत रूप से बताया गया है।

P23.5. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सदस्यता: राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में लगभग 20-30 सदस्य शामिल होंगे। सदस्यों में बदलते क्रम में कुछ केंद्रीय मंत्री होंगे जिनका मंत्रालय सीधे तौर पर शिक्षा को प्रभावित करता है (जैसे- स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, वित्त) और साथ ही कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री (बदलते क्रम में), प्रधान मंत्री के मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठतम सचिव और दूसरे ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिसे सरकार उपयुक्त समझे। कम से कम 50 फीसद सदस्य, प्रख्यात शिक्षाविद, शोधकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, व्यवसाय, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक कार्य के अग्रणी पेशेवर होंगे। सभी सदस्य उच्च विशेषज्ञता के लोग होंगे जो काफी विश्वसनीय और स्वायत्त होंगे।

P23.6. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (NCE/RSA) नियुक्ति समिति: राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (NCE/RSA) की नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, संसद में विपक्ष के नेता और शिक्षा मंत्री होंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा अन्य अहम भूमिकाओं व संरचनाओं सम्बन्धी नियुक्तियाँ करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

P23.7. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की कार्यकारी परिषद: राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (NCE/RSA) की एक कार्यकारी परिषद होगी। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (NCE/RSA) के उपाध्यक्ष होने के नाते इस कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के विज्ञान को अमली जामा पहनाने

या उसको साकार करने के लिए कार्यकारी परिषद जिम्मेदार होगा। यह परिषद स्कूल, उच्च शिक्षा व संबंधित क्षेत्र में वांछित दिशा में विकास को सुनिश्चित करेगा, आंकड़ों के लगातार विश्लेषण से इसकी प्रगति का आकलन करेगा और ज़रूरत पड़ने पर सुधारात्मक कार्यवाई को भी अंजाम देगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के तौर पर विधायिका, कार्यकारिणी और न्यायपालिका के साथ-साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके लिए उपयुक्त सहायता और समर्थन जुटाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के कामकाज को अंजाम देंगे।

P23.8. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (RSA/NCE) के कार्यकारी निदेशक: राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के कार्यकारी प्रमुख ही कार्यकारी निदेशक होंगे, जो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष भी होंगे और साथ ही दोनों Standing Committees on Coordination (SCCs; see P23.10) के सदस्य भी होंगे। कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति RSAAC द्वारा की जाएगी और उनके पास राज्य मंत्री का दर्जा होगा। कार्यकारी निदेशक भारत की शिक्षा प्रणाली की गहरी समझ के साथ शिक्षा में व्यापक अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा, जिसके पास सार्वजनिक क्षेत्र में किए गए बेहतरीन योगदान का रेकॉर्ड व प्रशासन तथा नेतृत्व का व्यापक अनुभव होगा। कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति का पांच साल का कार्यकाल होगा, जिसे एक बार नवीनीकृत किया जा सकेगा।

P23.9. कार्यकारी परिषद की सदस्यता: कार्यकारी परिषद में 10-15 सदस्य होंगे, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा पांच साल के लिए नामित किया जाएगा जो सिर्फ एक बार नवीनीकरणीय होगा। कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य अपने संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता, विश्वसनीयता और महत्ता रखने वाले लोग होंगे। कार्यकारी परिषद के दो तिहाई सदस्य शिक्षा और अनुसंधान के लोग होंगे। कार्यकारी परिषद के एक तिहाई सदस्य ऐसे लोग होंगे जिनकी प्रशासन, नीति और विकास के दूसरे क्षेत्रों में नेतृत्व की अहम भूमिकाएँ होती हैं। इसमें शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वित्त मंत्रालय के सचिव और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी शामिल होंगे।

- P23.10. स्टैंडिंग कमिटीज़ ऑन कोर्डिनेशन:** राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के उपाध्यक्ष दो SCCs की भी अध्यक्षता करेंगे। पहली समिति में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री होंगे। दूसरी समिति में शिक्षा से जुड़े सभी संबंधित मंत्रालयों के केन्द्रीय मंत्री होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा वर्णित शिक्षा के विज्ञान से जुड़े उद्देश्यों व लक्ष्यों के समय पर समन्वयन और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समितियों को Joint Review and Monitoring Board (JRMB) (देखें P23.14) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
- P23.11. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त भूमिकाएं:** वर्तमान में एमएचआरडी (और संबंधित मंत्रालय) के मौजूदा कार्यों और भूमिकाओं (जिसमें इसके सहायक तंत्र व टीमों की ज़िम्मेदारियाँ और भूमिकाएँ भी शामिल हैं) की राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से तारतम्यता व सामंजस्यता बिठाने के लिए समीक्षा की जाएगी। इसके लिए जल्द से जल्द, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली एक कमेटी गठित की जाएगी जिसमें कार्यकारी निदेशक और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा नियुक्त कुछ सदस्य होंगे। समय के साथ-साथ, जैसे-जैसे भूमिकाएं और कार्य स्थिर होते जाएंगे, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा।
- P23.12. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सलाहकार परिषद:** राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की एक सलाहकार परिषद होगी जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतरीन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को मिलाकर 20-30 लोगों का एक विविधतापूर्ण समूह होगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के लिए सलाहकार परिषद एक प्रबुद्ध मंडल (थिंक टैंक) के रूप में काम करेगा। यह नीति आयोग, राज्यों और साथ ही केंद्र व राज्यों के अन्य निकायों के साथ मिलकर काम करेगा। यह कार्यकारी परिषद के साथ आँकड़ों का विश्लेषण, क्षेत्र अनुसंधान कराना और उपयुक्त नीति की सिफारिशें करने का काम करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, सलाहकार परिषद के अध्यक्ष होंगे और कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य होंगे।

P23.13. सलाहकार परिषद की सदस्यता: राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, सलाहकार परिषद के अध्यक्ष को नियुक्त करेगा और इसके सदस्यों को भी नामित करेगा। सलाहकार परिषद निम्न समूहों के सदस्यों से मिलकर बनेगी:

- a. भारत और दुनिया भर के प्रख्यात शिक्षाविद, और
- b. सिविल सोसाइटी और शिक्षा व अनुसंधान से संबंधित अन्य क्षेत्रों के लोग। सभी सदस्यों का पाँच वर्ष का कार्यकाल होगा। सलाहकार परिषद की वर्ष में कुछ बार बैठक की जाएगी जिसकी सिफारिशों को कार्यकारी परिषद और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा विचार-विमर्श और उन पर अमल के लिए लिया जाएगा।

P23.14. संयुक्त समीक्षा व निगरानी बोर्ड: राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा और उचित शैक्षिक विकास और समय पर उद्देश्य व लक्ष्यों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त समीक्षा व निगरानी परिषद का गठन किया जाएगा। संयुक्त समीक्षा व निगरानी परिषद दो साल के कार्यकाल के साथ एक स्थायी बोर्ड होगा। संयुक्त समीक्षा व निगरानी परिषद राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के सभी निकायों के प्रभावी रूप से कार्यों के निर्वहन के लिए सहायक होगी जिसमें कार्यकारी परिषद, SCCs और सलाहकार समिति भी शामिल हैं।

P23.15. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग सचिवालय: राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के लिए एक सचिवालय होगा जिसमें विभिन्न स्तरों के प्रशासनिक अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ (technocrats) होंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के विभिन्न फैसलों को कुशलता और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध होगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग सचिवालय पर्याप्त लोगों और संसाधनों से लैस होगा, और यह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग/शिक्षा मंत्रालय के परिसर में ही स्थित होगा।

P23.16. नियामक निकायों (regulatory bodies) के साथ समन्वयन:

निम्नलिखित राष्ट्रीय स्तर के सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को रिपोर्ट करेंगे, जो उनके सुचारु और प्रभावी कामकाज की देखरेख करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग निम्न सभी निकायों, जो इसको रिपोर्ट करेंगे, के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और बोर्ड के सदस्यों को नियुक्त करेगा:

- (प्रस्तावित) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण (National Higher Education Regulatory Authority)
- राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC)
- (प्रस्तावित) सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council)
- (प्रस्तावित) उच्च शिक्षा अनुदान आयोग (Higher Education Grants Council)
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)
- राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (National Institute of Educational Planning and Administration)
- (प्रस्तावित) राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (National Research Foundation)

P23.17. विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र: नियामक निकायों के विभिन्न घटकों के कामकाज में विवाद या टकराव की स्थिति में, कार्यकारी निदेशक की ज़िम्मेदारी होगी कि वह उपयुक्त तंत्र की स्थापना के माध्यम से इसको सुलझाने की कोशिश करे।

P23.18. बजट की समीक्षा: भारत सरकार की शिक्षा से संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा बजट और उसके उपयोग की समीक्षा और स्वीकृति राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा की जाएगी। शिक्षा की दिशा में समन्वयन और निरंतर प्रयासों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के अनुसार खर्च की प्राथमिकताओं को तय किया जाएगा।

P23.19. राज्य शिक्षा आयोग (State Education Commission): राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के तर्ज पर प्रत्येक राज्य में राज्य शिक्षा आयोग का गठन किया जा सकता है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी, उस राज्य के शिक्षा मंत्री राज्य शिक्षा आयोग के उपाध्यक्ष होंगे जिसे मुख्यमंत्री द्वारा ही नामित किया किया जाएगा। राज्य शिक्षा आयोग के सदस्य के तौर पर उस राज्य के शिक्षा मंत्री, शिक्षा से संबंधित अन्य मंत्रालयों के मंत्री, प्रख्यात शिक्षाविद और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से एक प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रत्येक राज्यों में राज्य शिक्षा आयोग का गठन केंद्र के साथ बेहतर समन्वयन स्थापित करेगा।

शब्दावली (Terminology): जहाँ कहीं भी इस नीति में “RSA”/ “NEC” (Rashtriya Shiksha Ayog / National Education Commission) शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है तो इसका अर्थ है कि यह RSA और इसके द्वारा प्राधिकृत (authorised) इसकी सभी संरचनाओं/ढाँचों या भूमिकाओं जो RSA की मदद करती हैं, को सूचित किया जा रहा है। इस प्रकार के प्राधिकृतियों (authorisations) का विस्तृत विवरण RSA के गठन के बाद किया जाएगा।



परिशिष्ट - क्रियान्वयन

परिशिष्ट A1

वित्तपोषण

शिक्षा 21वीं सदी में व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। इस तरह के विकास को दिशा देने वाली और समतामूलक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था बनाने और चलाने के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी। इस निवेश में विशेषज्ञता, ऊर्जा, समय और पैसे की आवश्यकता होगी।

यह नीति बिना किसी संदेह के शिक्षा में जरूरी निवेश लाने के लिए प्रतिबद्ध है – जिसमें पर्याप्त मात्रा में शासकीय निवेश तथा नागरिकों द्वारा लोकहित में किए गए निवेश में पर्याप्त बढ़ोतरी शामिल है।

यहाँ पर यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यह नीति, शिक्षा के लिए मिलने वाले प्रत्येक सहयोग और खर्च को 'निवेश' मानती है न कि 'व्यय'। साफ है कि शिक्षा पर किया जाने वाला हर पैसा हमारे राष्ट्र के भविष्य के लिए एक निवेश है।

A1.1. शिक्षा – समाज के लिए संभवतः सर्वोत्तम निवेश

शिक्षा का स्वभाव कुछ ऐसा है जिसे अर्थशास्त्री अर्थ-जन परोपकार कहकर बुलाते हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षा का फ़ायदा न केवल शिक्षित लोगों को मिलता है बल्कि पूरे समाज को मिलता है। ये फ़ायदे शिक्षा के उन उद्देश्यों और फ़ायदों के अलावा हैं, जिनकी गणना आर्थिक रूप से नहीं की जा सकती, जैसे – एक सशक्त लोकतन्त्र, समता मूलक समाज और सांस्कृतिक जीवंतता।

हालाँकि सभी शिक्षा के फ़ायदों को सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। लेकिन निम्नलिखित कुछ बिन्दु शिक्षा में निवेश को एक आर्थिक मुद्दे के रूप में पेश करते हैं।

आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो शिक्षा में निवेश से होने वाले फ़ायदों को 'निवेश के प्रतिफल' (Return on Investment) की तरह देखा जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखते समय भी इन निवेश के प्रतिफलों को कई स्तरों पर देखा जाना चाहिए।

- सबसे बुनियादी स्तर पर देखें तो शिक्षा का प्रतिफल शिक्षित किसी व्यक्ति के लिए उसके जीवन काल में उसकी बढ़ी हुई कमाई (मेहनताने) के रूप में आता है। इसको 'निजी या व्यक्तिगत प्रतिफल' के रूप में देखते हैं।
- इससे आगे के फ़ायदों में वो फ़ायदे शामिल हैं जो एक शिक्षित व्यक्ति को सुख के दूसरे रूपों में मिलते हैं, जिनको आर्थिक साहित्यों में बहिर्मुखता कहते हैं, उदाहरण के लिए बेहतर स्वास्थ्य, ज्यादा लंबी उम्र और ज्यादा उपयोगी व्यावसायिक एवं सामाजिक पहुँच। ये फ़ायदे पैसे के रूप में नहीं होते लेकिन इनमें कई फ़ायदों को पैसे के रूप में भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का बेहतर स्वास्थ्य उस व्यक्ति और पूरे स्वास्थ्य तंत्र के लिए कम खर्चीला होगा। यहाँ यह स्पष्टता ज़रूरी है कि इस तरह के 'मुद्रीकरण' की दृष्टि से हम कुछ सीमित फ़ायदों को ही देख पाते हैं, उदाहरण के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के समग्र फ़ायदों के उस व्यक्ति और उसके परिवार पर पड़ने वाले प्रभावों को सिर्फ आर्थिक दृष्टि से नहीं आँका जा सकता।
- इसी तरह शिक्षा के सामाजिक फ़ायदों को अर्थशास्त्र की भाषा में (जिसे 'सामाजिक प्रतिफल' के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है) सिर्फ आंशिक रूप से ही मापा जा सकता है। ये फ़ायदे कई बातों से मिलकर होते हैं, उदाहरण के लिए- पढ़े-लिखे कामकाजी लोगों की बेहतर उत्पादक क्षमता, आर्थिक गतिविधियों में बेहतर तकनीकी उपयोग, शोध और नए ज्ञान पर आधारित नवाचार, ज्यादा उत्पादक कार्यों में महिलाओं का बेहतर प्रतिभाग, बेहतर जन-स्वास्थ्य नतीजे, अपराध दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी, बेहतर परिवार नियोजन, बेहतर जीवन-प्रत्याशा इत्यादि।

शिक्षा को आर्थिक दृष्टिकोण से फ़ायदों को देखने पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण निम्नलिखित बातें नज़र आती हैं :

- निवेश के प्रतिफल सभी जनसांख्यिकीय/सामाजिक समूहों जैसे महिलाओं, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और पिछड़े क्षेत्रों के लिए बेहतर मिलते हैं।

- शिक्षा के विभिन्न स्तरों जैसे स्कूल पूर्व शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और इससे ऊपर की शिक्षा पर निवेश के प्रतिफल |

शिक्षा पर निवेश पर प्रतिफल की सूची यहाँ समाप्त नहीं होती और ये विभिन्न स्तरों और अर्थों में सामने आती रहती है। इन मुद्दों पर दुनिया भर में हर दशक में किए गए शोध इसी बात की पुष्टि करते हैं। भारत में अन्य मुद्दों की तरह इस मुद्दे पर भी शोध अभी तक कम हुये हैं। इसीलिए नीचे दिये गए आंकड़े वैश्विक परिदृश्य को दिखाते हैं जो कि कम विकसित से लेकर अधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं से लिए गए हैं। दिये गए निवेश के प्रतिफल के आंकड़े मानक तरीकों से मापे और प्रस्तुत किए गए हैं अर्थात् '%' के रूप में और ये महाविद्यालय स्तर तक शिक्षा में प्रत्येक वर्ष के निवेश के प्रतिफल के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

- प्रति एक वर्ष कि शिक्षा उस व्यक्ति के आय के 6-12 प्रतिशत के आसपास प्रतिफल देती है। निवेश का प्रतिफल महिलाओं और सुविधाविहीन लोगों के लिए विशेष रूप से बड़ा होता है : महिलाओं के लिए निवेश का प्रतिफल पुरुषों के मुकाबले औसतन एक प्रतिशत अंक ज्यादा होता है। स्कूल पूर्व शिक्षा के मामले में यह प्रतिफल 7%-18% तक होता है और औसतन 13% तक बड़ा होता है। ऐसा विकास के शुरुआती वर्षों में स्कूल पूर्व शिक्षा एवं देखभाल से मिले फ़ायदों की वजह से होता है जो समग्र स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा के रूप में मिलता है।
- शिक्षा हर तरह से व्यक्ति को वैसे आर्थिक फ़ायदे पहुँचाती है जिसको मुद्रा कि परिभाषा से समझना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए शिक्षा की वजह से प्राप्त बेहतर स्वास्थ्य व्यक्ति की 3-4 प्रतिशत अतिरिक्त आय का साधन हो सकता है।
- शिक्षा से होने वाले सामाजिक फ़ायदों के एक छोटे से हिस्से को ही मौद्रिक रूप से परिमाणित (संख्याओं में मापा) किया सकता है। इसको मापने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम दुनिया भर के देशों के शिक्षा के सालों के अंतर और प्रति व्यक्ति आय (नतीजों) के अंतरसंबंधों को देखें। इस तरह से मापने पर पता चलता है कि शिक्षा में निवेश से समाज स्तर पर प्राप्त प्रतिफल, व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त प्रतिफल से करीब-करीब 3-4 गुना ज्यादा होते हैं। दूसरे शब्दों में ये सामाजिक प्रतिफल 6%-12% व्यक्तिगत प्रतिफल दर से 25%-30% प्रतिफल दर अधिक और अतिरिक्त होते हैं। यहाँ फिर से यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि इस अनुमानित

प्रतिफल में वो सामाजिक प्रतिफल शामिल नहीं हैं जिनको मौद्रिक रूप से नहीं मापा जा सकता।

ऊपर दिये गए आंकड़ों को अन्य आर्थिक निवेशों की तुलना में देखा जाना चाहिए। लंबी अवधि तक किए गए शोध बताते हैं कि सट्टा बाज़ार में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के 'सट्टे' में निवेश का वैश्विक औसत प्रतिफल 5% के आसपास होता है जबकि ऋण के बॉन्ड (प्रतिभूति) जैसे वित्तीय साधनों पर ये प्रतिफल मात्र 1.8% होता है।

अगर आर्थिक प्रतिफल को संकीर्ण दृष्टि से देखें तब भी शिक्षा में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता बनती है। दरअसल समाज में किए जाने के लिए इससे बेहतर निवेश कोई दिखता नहीं है। और ऐसा तब है जब शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिफलों को मौद्रिक रूप से नहीं मापा सकता और ये आर्थिक विश्लेषणों का हिस्सा नहीं बन पाता। ये प्रतिफल ज्यादा समतापूर्ण सामाजिक वातावरण से लेकर बेहतर मानवाधिकार और सशक्त लोकतन्त्र तक होते हैं।

सर्वसुलभ स्पष्टता के लिए इस अध्याय में शब्द 'प्रतिफल' का उपयोग किया गया है जैसे की आर्थिक जगत में शिक्षा के फ़ायदों को मापने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ 'आर्थिक लाभ' से कतई नहीं लगाया जाना चाहिए। यह नीति स्पष्टता और मुखरता से कहती है कि समाज में शिक्षा को आर्थिक लाभ से मुक्त गतिविधि और उपक्रम होना चाहिए।

A.1.1.1. सरकारी शिक्षा व्यवस्था की ज़रूरत

यह स्पष्ट है कि शिक्षा पर निवेश के प्रतिफल आर्थिक रूप से भी और उन रूपों में भी जिनको मौद्रिक रूप से नहीं मापा जा सकता, समाज को बहुत अधिक मिलते हैं। यह भी स्पष्ट है कि ये फ़ायदे व्यक्तिगत मिलने वाले फ़ायदों के अतिरिक्त होते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि समाज में आम जनों की शिक्षा के लिए निवेश हो। आम जनों की शिक्षा में निवेश से समतापूर्ण नतीजे निकलते हैं – इस प्रकार के निवेश से सबसे ज्यादा वो लोग लाभान्वित होते हैं जिनके पास अपनी शिक्षा पर खर्च करने के लिए पूंजी नहीं होती है।

संक्षेप में, शिक्षा पर निवेश संभवतः राष्ट्र के लिए सबसे अच्छा निवेश हो सकता है। यह नीति एक सशक्त शिक्षा व्यवस्था की कल्पना करती है जो पर्याप्त निवेश की बुनियाद पर खड़ी हो।

A.1.2. अपर्याप्त निवेश और अन्य वित्तीय मुद्दे

धन की दृष्टि से देखें तो भारत में शिक्षा ने अनेकों चुनौतियों का सामना किया है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। साथ ही यही नीति इन चुनौतियों से कैसे निबटेगी यह भी दिया गया है।

A.1.2.1. अपर्याप्त निवेश

2017-18 भारत में शिक्षा पर सरकारी खर्च कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2.7% था। यह (केंद्र तथा राज्य सरकारों के कुल सरकारी खर्च का 10% था (इकनॉमिक सर्वे 2017-18)। आम जनों की शिक्षा के लिए सरकारी खर्च कभी भी कुल सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक नहीं पहुँच पाया जिसकि 1968 की शिक्षा नीति में अनुशंसा कि गयी थी और जिसको 1986 की शिक्षा नीति और 1992 की कार्ययोजना (प्रोग्राम ऑफ एक्शन) में दोहराया गया था।

दुनिया भर के देश शिक्षा पर भारत से बहुत ज्यादा सरकारी निवेश (खर्च) करते हैं। ऐसा आकार और आर्थिक विकास की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर विद्यमान देशों में भी है। पिछले 5 सालों में भारत में शिक्षा पर सरकारी निवेश कुल सकल घरेलू उत्पाद के 3% के आसपास रहा है। इसकी तुलना में (दृष्टांत रूप में) यह निवेश भूटान, ज़िम्बाब्वे और स्वीडन में 7.5%; कोस्टा रिका और फ़िनलैंड में 7%; किरगिस्तान, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में 6%; यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिलिस्तीन में 5.5%; और मलेशिया, केन्या, मंगोलिया, कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 5% है (ओईसीडी एवं यूनेस्को, 2017)

यहाँ यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि इनमें से कई देश, विशेषकर ओईसीडी देश और मध्य-आय वाले देश आज उस स्थिति में हैं जहाँ अब शिक्षा में विस्तार के लिए उनको बहुत कम निवेश की आवश्यकता है क्योंकि उनकी शिक्षा व्यवस्था सुचारु रूप से स्थापित हो चुकी है और जो प्रायः गुणवत्तापूर्ण नतीजों के साथ-साथ सभी बच्चों की पहुँच में है। इसलिए

निर्धारित आबंटन सिर्फ व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए है। इसके ठीक उलट, भारत को अभी भी क्षमता निर्माण और शिक्षा तंत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए भारी निवेश का इंतज़ार है।

इसके साथ-साथ शिक्षा के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए भी अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है।

हमें सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश के लिए सरकारी धन की आवश्यकता है। आवश्यकता और उपलब्धता के बीच की खाई का असर अंततः शिक्षा के नतीजों और सुधारों पर पड़ता है। शिक्षा पर सरकारी खर्च का एक बड़ा हिस्सा कर्मचारियों (शिक्षकों समेत) के वेतन पर खर्च होता है और अन्य कार्यों जैसे – सीखने-सिखाने की सामग्री, स्कूल के रख-रखाव, प्रयोगशालाओं, मध्याह्न भोजन इत्यादि के लिए यह आबंटन सर्वथा अपर्याप्त होता है। इससे भी कम खर्च वास्तविक बदलावों और व्यवस्था के विकास पर खर्च किए जाते हैं, जो शैक्षिक नतीजों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा जितने लोगों (शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों) की आवश्यकता है उनको नहीं जोड़ा जा रहा है, या फिर जोड़ा जा रहा है भी तो अल्पकालिक अनुबंधों और कम वेतन पर। यह सब वित्तीय संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता की वजह से होता है।

A.1.2.2. शिक्षा में निवेश के लिए इस नीति का दृष्टिकोण

इस शिक्षा नीति की सोच शिक्षा में निवेश को पर्याप्त रूप से बढ़ाने की है। इसकी सोच वर्तमान के सालाना 10% सरकारी खर्च को अगले 10 वर्षों में बढ़ाकर 20% करने की है। यह क्रमिक बढ़ोत्तरी यह सुनिश्चित करेगा कि जब तक यह नीति कार्यान्वित हो तब तक पर्याप्त धन उपलब्ध हो और साथ में सरकार को योजनाओं को लागू करने और इस बढ़ोत्तरी को शामिल करने का समय हो।

भारतीय अर्थव्यवस्था के दो प्रचलनों से इस निवेश को मदद मिलेगी। पहला ये कि भारतिए अर्थव्यवस्था का तेजी से हो रहा विकास इसे वर्ष 2030-32 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देगा। उस समय तक इसका आकार 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर (नीति आयोग के 2016 के आंकड़ों के अनुसार) हो जाएगा जो अभी 2.8 ट्रिलियन यू एस डॉलर है। दूसरा, सरकार द्वारा सुनियोजित ढंग से चलाये गए कार्यक्रमों की वजह से करें

से आने वाले सकल घरेलू उत्पाद में बेहतरी आएगी। पिछले चार साल में यह 1.5 प्रतिशत बेहतर हुआ है।

इसलिए यह नीति आश्वस्त है कि शिक्षा में सरकारी निवेश बढ़ेगा जिसका इस नीति के निर्देशों द्वारा उचित तरीके से आबंटन किया जाएगा। इस अध्याय के A.1.4 में इस बढ़े हुये आबंटन के उपयोग से जुड़े दिशानिर्देशों का सारांश दिया गया है।

A1.2.3. संचालन संबंधी कठिनाई और भ्रष्टाचार

भारत की वित्तीय प्रणाली में व्याप्त अक्षमता और कठिनाई का असर सीधे-सीधे स्कूलों और कॉलेजों के संचालन पर पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र सही समय पर पैसा भुगतान न करने की समस्या से ग्रस्त है। उदाहरण के लिए कॉलेज के शिक्षकों का वेतन कई राज्यों में महीनों बाद मिलता है, स्कूलों को मध्याह्न भोजन के लिए पैसा देर से आता है, स्कूलों के रख-रखाव का खर्च लंबे अंतराल के बाद भेजा जाता है, जबकि इनकी ज़रूरत दैनिक और साप्ताहिक रूप से होती है।

अक्सर धनराशि उपयोगकर्ता को साल के अंतिम महीनों में जारी की जाती है। इससे एक समस्या ये पैदा होती है कि या तो धनराशि का उचित उपयोग समय कम बचे होने की वजह से नहीं होता है (जैसे कि सही अधिगम सामग्री का चुनाव और खरीद करने के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण के लिए)। या फिर ये होता है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए खर्च कर दिया जाता है, बिना किसी वास्तविक शैक्षिक प्रभाव के। ये समस्या तब और बढ़ जाती है क्योंकि अगले वर्ष का बजट आबंटन काफी हद तक वर्तमान वर्ष के बजट उपयोग पर निर्भर करता है।

इससे भी ज्यादा बड़ी मूलभूत समस्या यह है कि लोगों के क्षमता निर्माण के निवेश सर्वथा अपर्याप्त है। इसका शैक्षिक व्यवस्था पर कई रूपों में क्रमिक प्रभाव पड़ता है और इससे शैक्षिक परिणाम गहरे रूप से प्रभावित होते हैं। ऐसा करना, वित्तीय दृष्टि से, पैसे का अप्रभावी उपयोग करना है। उदाहरण के लिए, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) में कुल अनुमोदित पदों में से 45 प्रतिशत पद खाली हैं। साथ ही जो लोग इन पदों पर हैं उनकी क्षमता इस भूमिका के अनुरूप नहीं है। इसका अर्थ यह कि या तो DIET में पैसे का उपयोग नहीं होता या फिर होता भी है तो अप्रभावी रूप से।

यहाँ ईमानदारी और सत्यनिष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अन्य विभागों की तरह शिक्षा व्यवस्था भी इस बीमारी से व्यथित है। इसकी वजह से आबंटित धन का भ्रष्टाचार होता है और बच्चों के विकास के लिए जिन संसाधनों को खरीदा जाना होता है वह नहीं हो पाता है।

A1.2.4. शिक्षा के वित्तीय तंत्र में संचालन संबंधी कठिनाइयों और भ्रष्टाचार पर नीति का दृष्टिकोण:

इस नीति के अंतर्गत जिस प्रकार के प्रशासन तथा प्रबंधन की कल्पना की गयी है उसमें धनराशि समय पर और निर्बाध रूप से उपलब्ध होगी और उसे ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ खर्च किया जाएगा। यह भूमिकाओं के स्पष्ट विभाजन के द्वारा किया जाएगा (उदाहरण के लिए – ‘स्कूली तंत्र को चलाने’ की जिम्मेदारी स्कूली शिक्षा निदेशालय (DSE) की और इसके नियमन की जिम्मेदारी राज्य स्कूल नियामक अथॉरिटी (SSRA) की होगी। संस्थानों के सशक्तिकरण और स्वायत्तता (उदाहरण के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों (HIE) और स्कूल कॉम्प्लेक्स को), वैसे लोग की नियुक्ति जिनमें नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आने की क्षमता है (उदाहरण के लिए – ब्लॉक शिक्षा अधिकारी [BEOs] और निदेशक), जन सहयोग युक्त निरीक्षण (उदाहरण के लिए – स्कूलों के लिए सशक्त स्कूल प्रबंधन समितियाँ [SMCs] और HIEs के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स [BoGs], नियोजन की गहन प्रक्रिया (उदाहरण के लिए- स्कूलों के लिए विद्यालय विकास योजना (SDPs) की जिम्मेदारी राज्य शिक्षा आयोग (RjSA) और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (RSA) की होगी। इसके साथ ही यह नीति सभी स्तरों पर लोगों की क्षमता को बनाने और बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता देगी।

नीति के इस सोच को इनसे संबंधित अध्यायों में विस्तार से वर्णन है (देखें अध्याय 7, 8, 17 और 18)। इस अध्याय में सिर्फ कुछ दिशासूचक बिन्दु दिये गए हैं।

A.1.2.5. गैर-सरकारी धन स्रोतों की भूमिका

भारत में निजी फिलन्थ्रोपिक शैक्षिक गतिविधियों और शिक्षा में सीधे हस्तक्षेप का एक लंबा इतिहास रहा है। लेकिन आज़ादी के बाद इसमें काफी कमी आई है। यह शायद

इसलिए हुआ कि लोगों ने समय के साथ निजी लोक-हितैषी गतिविधियों को लाभ कमाने की गतिविधि के तौर पर देखा और इससे अविश्वास बढ़ा। इसके साथ ही 1960-80 के दशक के बीच शिक्षा में बढ़े सरकारी नियंत्रण से भी ऐसा हुआ। सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के मामले में देश भर के कई निजी संस्थान सरकारी वित्तीय सहायता पर निर्भर रहने लगे। इससे सार्वजनिक और निजी गतिविधियों का अंतर धूमिल हुआ।

1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के बाद जो निजी शैक्षिक भागीदारी बढ़ी और एक गति आई वह पहले की निजी भागीदारियों से अलग है। अब यह साफ है कि शिक्षा क्षेत्र में भागीदारी करने वाले निजी सेवादाताओं के एक बड़े भाग के लिए शिक्षा एक व्यावसायिक लाभ लेने का क्षेत्र बन गया है। नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने के लिए लाइसेंस लेने पर कठोर सरकारी नियंत्रण की वजह से ऊंची राजनैतिक पहुँच वाले लोगों ने इसमें अपनी पैठ बैठा ली।

शिक्षा में व्यावसायिक लाभ से प्रेरित लोगों पर नियंत्रण करने की कोशिश में सरकारों ने कठोर नियमन किए। इससे यह हुआ कि इन निजी संस्थानों की स्वायत्तता और नवाचार करने की क्षमता छिन गयी। शिक्षक शिक्षा पर जिस तरह से इन नियमनों के माध्यम से नियंत्रण बनाने का प्रयास किया गया वह हमारे लिए सचेत करने वाला है। इन नियमनों से सरकार न तो कभी इन मुनाफे से प्रेरित संस्थानों पर नियंत्रण कर पायी और न ही सार्वजनिक सेवा से प्रेरित संस्थानों को प्रोत्साहित कर पायी। इससे शैक्षिक परिणामों में भी कोई बेहतर हुई।

सेवा से प्रेरित लाभ- निरपेक्ष शैक्षिक प्रयासों ने अन्य बाधाएँ भी झेली हैं। उदाहरण के लिए, सरकारी तंत्र के साथ मिलकर काम करने में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतें, इनके अच्छे योगदानों के समुचित उपयोग के लिए किसी प्रकार की प्रणाली का अभाव, सरकारी अधिकारियों की ओर से उत्साहपूर्ण सहयोग। जैसा कि भारत और दुनिया के अन्य देशों के अनुभवों से स्पष्ट है कि शिक्षा में लोक-हितैषी पूंजी की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। इसके बावजूद हम इसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे। उदाहरण के लिए दुनिया के कुछ सबसे अच्छे विश्वविद्यालय लोक-हितैषी निजी अनुदानों से चलते हैं, जबकि भारत में कुछ ही गिने चुने ऐसे उदाहरण हैं। ऐसी स्थिति लोक-हितैषी निजी प्रयासों में आने वाली बाधाओं और अमीर लोगों के लोक-हित में अनुदान करने की अनिच्छा दोनों की वजह से है।

A.1.2.6. लाभ-निरपेक्ष और जन-सेवा से प्रेरित फिलन्थ्रोपिक निजी अनुदानों को प्रोत्साहित करने के प्रति इस नीति का दृष्टिकोण

यह नीति शिक्षा क्षेत्र में निजी फिलन्थ्रोपिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने और समर्थन देने की अनुशंसा करती है। इन जन-सेवा से प्रेरित लोक-हितैषी अनुदानों के स्रोतों को HEIs के अंदर 'विकास कार्यालय' बनाकर, नेशनल रिसर्च फ़ाउंडेशन (NRF) के माध्यम से शोधों को अनुदानित कर प्रोत्साहित किया जाएगा। यहाँ 'फिलन्थ्रोपिक अनुदान' शब्द का उपयोग इस नीति में बृहद अर्थों में लिया गया है। इसमें वो शिक्षा के लिए दिये गए सभी अनुदान शामिल होंगे जो जन-सेवा से प्रेरित हों और व्यावसायिक लाभ-निरपेक्ष हों। इसमें व्यक्तियों द्वारा जन-सेवा से प्रेरित अनुदान (छोटे या बड़े), औद्योगिक घरानों के कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से दिया गया अनुदान और समुदाय से इकट्ठे किए गए अनुदान शामिल हैं। यह नीति इस बात को भी अनुसंधान करती है कि उन विद्यार्थियों से क्षमतानुसार फीस ली जाए जो अपनी उच्च शिक्षा का खर्च उठा सकने की क्षमता रखते हों। हालांकि, नीति इस बात को समझती है कि ये HEI की वित्तीय जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती और उन्हें निजी अनुदान (या फिर सरकारी) सहायता की ज़रूरत बनी रहेगी (देखें P18.6.3)।

शिक्षा के व्यावसायीकरण के मामले से इस नीति ने कई दूसरे मोर्चों पर निपटने की कोशिश की है, जैसे कि नियमन के मामले में 'नरम लेकिन कसा हुआ' नियमन, सरकारी शिक्षा में पर्याप्त निवेश, अच्छे प्रशासन और पारदर्शिता के लिए प्रणाली। इन मामलों पर नीति के अध्याय 8, 17 और 18 में विस्तार से चर्चा की गयी है।

A.1.3. शिक्षा में गुणवत्ता और समता को बढ़ाने के लिए बड़े निवेश की नीति

आने वाले वर्षों में शिक्षा में निवेश पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाएगा (केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा) ताकि राष्ट्र की जरूरतों के हिसाब से शिक्षा का लक्ष्य हासिल किया जा सके। इनके अलावा वित्त के अन्य साधनों को भी बढ़ाना होगा।

A.1.3.1. शिक्षा में गुणवत्ता और समता बढ़ाने के लिए सरकारी निवेश

यह नीति शिक्षा में सकल घरेलू उत्पाद के 6% प्रतिशत सरकारी निवेश की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को दोहराती है और यह मानती है कि यह तभी हो सकता है जब सकल घरेलू उत्पाद में टैक्स का अनुपात बढ़े। हाल में लिए गए निर्णायक फैसलों और प्रोत्साहित करने वाले परिणामों को देखते हुये 6% तक का ये आंकड़ा मध्यम-से-लंबी अवधि में संभव हो सकेगा।

यह ज्यादा प्रभावी (और कारगर) होगा कि कम-से-मध्यम अवधि में शिक्षा में निवेश के लक्ष्य को कुल सरकारी खर्च का हिस्सा बनाकर पूरा किया जाए। इस हिसाब, यह नीति यह सोच रखती है कि शिक्षा पर सरकारी खर्च में कुल सरकारी खर्च – केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर- के 20% की बढ़ोत्तरी होनी चाहिए ताकि उपयुक्त नीति निर्धारित कदम उठाए जा सकें।

संसाधनों के आबंटन में क्रमिक, सतत और निश्चित बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। ये सरकारी पैसे पर होने वाले अन्य खर्चों के बावजूद होना चाहिए। जिस रफ्तार से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसको देखते हुये कुल सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोत्तरी बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। किसी विशेष राजस्व को (जैसे उपकर) को शिक्षा के लिए समर्पित करके किया जा सकता है या फिर राजस्व में होने वाली बढ़ोत्तरी के एक बड़े भाग को शिक्षा के लिए आरक्षित करके किया जा सकता है।

A1.3.1.1. सरकारी निवेश में तब तक बढ़ोत्तरी जब तक कि ये कुल सरकारी खर्च के 20% तक न पहुँच जाए : समग्र रूप से अगर सरकारी निवेश को 1% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ाया जाए तो वर्तमान के 10% प्रतिशत से उसे 20% होने में 10 साल लग जाएंगे। बाल्यावस्था की शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर इन अनुदानों को नीतिबद्ध तरीके से उपयोग में लाया जाना चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच सभी लोगों तक हो सके। इसके अतिरिक्त भी, सभी स्तरों पर शिक्षा के लिए, एकमुश्त राशि चाहिय होगी। इसके अलावा विभिन्न स्तरों पर स्वायत्तता देनी होगी और विश्वासपूर्ण ज़िम्मेदारी तय करनी होगी। इस नीति के मुख्य बिन्दुओं को लागू करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होगी उनकी दिशात्मक सूची इस अध्याय के अंत में संलग्न है।

A1.3.1.2. अनुदान के विभिन्न स्रोत- जो सरकारी अनुदानों के संपूरक होंगे : सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में, वित्त उपलब्धता के कई स्रोत हैं। जिनमें सरकारी राजस्व आधारित अनुदान, जन-सेवा से प्रेरित लोक-हितैषी अनुदान और व्यापार से संबंधित अनुदान शामिल हैं। उदाहरण के लिए सरकारी खर्च सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अपने राजस्व से उपलब्ध कराये गए अनुदानों पर निर्भर नहीं करते बल्कि इनमें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा दिये गए CSR अनुदान भी शामिल होते हैं जो कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 2013 के तहत उनके लिए करना अनिवार्य है। इस प्रकार के सभी अनुदान के स्रोतों को वित्त के संपूरक स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए जो कि इस नीति द्वारा निर्धारित कार्यों को पूरा करने में बल प्रदान करेगा।

A1.3.1.3. केंद्र सरकार द्वारा किया जाने वाला सरकारी खर्च दोगुना हो : शिक्षा में सरकारी निवेश को कुल सरकारी खर्च के 20% तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होगा कि केंद्र सरकार द्वारा किये जाने वाले वर्तमान खर्च को उचित अनुपात में बढ़ाया जाए। शिक्षा में निवेश के लिए धन का प्राथमिक स्रोत कर से प्राप्त धन ही होगा। कर संग्रह को लेकर जिस तरह के रुझान और भविष्यवाणियाँ आशा जगाते हैं। उदाहरण के लिए 'GST के अंतर्गत विशिष्ट अप्रत्यक्ष करदाताओं में हुई 50% बढ़त' और नवम्बर 2016 से लेकर अभी तक 1.8 मिलियन अतिरिक्त व्यक्तिगत करदाताओं (इकनॉमिक सर्वे 2017-18) जैसे रुझान जारी रहे तो धन के आबंटन को तेजी से बढ़ाया जा सकता है।

A1.3.1.4. कुछ राज्यों में राज्य सरकार के खर्चों में पर्याप्त रूप से बढ़ोत्तरी : भारत के राज्य शिक्षा पर होने वाले कुल खर्च का 75% उपलब्ध कराते हैं। कुछ राज्यों ने अपने कुल सरकारी खर्चों का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने में सफल रहे हैं। यह इस बात को दिखाता है कि शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च का हमेशा उस राज्य की आर्थिक स्थिति से संबंध नहीं होता। आर्थिक रूप से पिछड़े रहे राज्यों ने शिक्षा परियोजनाओं के लिए तुलनात्मक रूप से ज्यादा धनराशि खर्च की है। कुछ राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अपने कुल खर्चों का करीब एक चौथाई या पाँचवाँ भाग तक शिक्षा पर खर्च करते हैं, जबकि अन्य 11-12% ही खर्च करते हैं। सभी राज्य सरकारों को शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और धनराशि का आबंटन बढ़ाना चाहिए ताकि इस नीति में दिये गए शिक्षा के राष्ट्रीय अजेंडा को आगे बढ़ाया जा सके। यह नीति इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी राज्य अपने कुल सरकारी खर्च का कम से कम 20% शिक्षा पर खर्च करें।

A1.3.1.5. सभी मुद्दों पर उचित आबंटन: वांछित धन को सभी मदों के लिए आबंटित किया जायेगा। यह विशेष ध्यान रखा जाएगा कि प्रमुख मदों के लिए वित्तीय सहायता के मामले में किसी प्रकार से कोई समझौता न किया जाए। उदाहरण के लिए सीखने के संसाधन, विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, पोषण सहायता, कर्मचारियों की पर्याप्तता, शिक्षकों का क्षमता संवर्धन और उनकी सहायता।

A1.3.2. सरकारी पैसे का सही वितरण एवं उपयोग – संचालन की व्यावहारिक कठिनाइयाँ

ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर आधारित एक सशक्त प्रबंधकीय व्यवस्था बनाने से संबन्धित ढांचागत, प्रशासकीय और नियामक प्रणालियों को बनाने के संबंध में अन्य अध्यायों में बात की जा चुकी है (देखें अध्याय 18.6)। यह बेहतर प्रणाली वर्तमान कठिनाइयों पर नज़र रखकर बेहतर वित्तीय प्रबंधन और धन-प्रवाह को सुनिश्चित कर पाएगी। इन कठिनाइयों को क्रमबद्ध तरीके से दूर किया जाएगा। यह वित्तीय व्यवस्था ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और शिक्षा तंत्र के प्रभावी संचालन में पर्याप्त, समय पर, बिना अनिश्चितता के और उपयोग की बेहतर क्षमता के साथ वित्तीय सहयोग करेगी।

A.1.3.2.1. समय पर धन की उपलब्धता: यह बहुत महत्वपूर्ण है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सभी आबंटित धनराशि सही समय पर जारी किया जाए ताकि समय पर इसका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। एक बार बजट पारित हो जाने के बाद धनराशि को रोक कर रखने का कोई कारण नहीं होना चाहिए।

धनराशि को पूरी तरह से और IDPs की शर्तों के अनुरूप जारी किया जाएगा। योजना को क्रियान्वित करने और इस नीति को लागू करने के लिए यह आवश्यक है इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। धनराशि जारी होते ही किसी भी स्तर पर कोई देरी नहीं होनी चाहिए और उस इकाई के पास पहुंचनी चाहिए जहां उसको खर्च किया जाना है। धनराशि को वितरित करने की प्रक्रिया को इस तरह से पारदर्शी बनाया जाएगा कि ये आसानी से देखी जा सकें और सभी स्तरों पर ज़िम्मेदारी तय की जा सके।

A1.3.2.2. आबंटित धनराशि का उपयोग: शिक्षा में वित्त को बेहतर बनाने के लिए जारी किये गए धनराशि का सम्पूर्ण और समय पर उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आबंटित धनराशि

वित्त वर्ष के शुरू में ही IDP के अनुसार संबंधित अकाउंट में भेज दिया जाएगा और इसका उपयोग वर्ष के पूरे समय में होगा या फिर IDP में उल्लिखित समय अनुसार किया जाएगा। योजना में किसी भी प्रकार का फेरबदल की अनुमति वित्त वर्ष के अंदर ही होगी ताकि योजना को लागू करने को प्रोत्साहित किया जा सके। हालांकि वित्त वर्ष के अंत में राशि को एकमुश्त तरीके से खर्च करने को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा।

A1.3.2.3. धनराशि का सही उपयोग: IDP के अनुसार आबंटित हुये धनराशि का पूर्णतया उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह नीति सभी हितधारकों को सभी स्तरों पर इसके लिए प्रोत्साहित करेगी। यह नीति सभी स्तरों पर प्रस्तुत योजना के आलोक में आवश्यक ज़िम्मेदारी के साथ स्वायत्तता प्रदान करेगी। साथ ही योजना में कुछ हद तक फेरबदल की अनुमति योजना में परिवर्तन या किसी बाह्य कारण की वजह से दी जा सकेगी।

धनराशि को रोका नहीं जाना चाहिए और हर हाल में समय पर जारी किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि धनराशि का अर्थपूर्ण उपयोग हो और यह उपयोग के नाम पर किया जाने वाला उपयोग न हो। विभिन्न प्रशासकीय स्तरों सभी हितधारक बिना किसी भय के धनराशि का ईमानदारी पूर्वक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किये जाएंगे। योजना और उसके क्रियान्वित करने की प्रक्रिया के आलोक में ईमानदारी को मापा जाएगा। इसीलिए प्रक्रिया को इतना पारदर्शी बनाया जाना चाहिए कि सभी ईमानदार हितधारकों किसी भी धनराशि के उपयोग में सुगमता हो और साथ ही सजग हितधारक हुये खर्च को लेकर जागरूक रहें।

A.1.3.2.4. धनराशि के सर्वोत्कृष्ट उपयोग के लिए क्षमता निर्माण: धनराशि के उचित उपयोग के लिए ज़रूरी मानव तथा संस्थागत क्षमता निर्माण के लिए पर्याप्त निवेश किया जाएगा।

A1.3.3. जन-सेवा से प्रेरित फिलन्थ्रोपिक अनुदानों से शिक्षा को सहायता पहुँचाने के लिए क्रमबद्ध प्रोत्साहन एवं अवसर

इस नीति का ज़ोर शिक्षा के लिए पर्याप्त धन जुटाना है, लेकिन बढ़ा हुआ सरकारी निवेश जन-सेवा से प्रेरित निजी गतिविधियों की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

शिक्षा में सरकारी और निजी गतिविधियाँ एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं लेकिन साथ में इनको एक दूसरे का संपूरक होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में निजी निवेश, जो पूरी तरह से लाभ-निरपेक्ष और जन-सेवा से प्रेरित हों, को निश्चित रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उसको सुगम बनाया जाना चाहिए। साथ ही साथ कोई अगर इस अवसर को लाभ कमाने के लिए इस्तेमाल न करे इसपर निगरानी रखने की आवश्यकता होगी और इसे वर्तमान कानूनों की मदद से तुरत रोकना होगा। यह सेक्शन इस बात का विस्तार से वर्णन करता है कि किस प्रकार निजी गतिविधियाँ जैसे जन-सेवा से प्रेरित, CSR प्राप्त अनुदान को शिक्षा में बेहतरी के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

A1.3.3.1. फ़िलन्थ्रोपी की संस्कृति को प्रोत्साहन: राज्य व केंद्र सरकारें जन-सेवा से प्रेरित अनुदानों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तरीके विकसित करेंगी। इन फिलेन्थ्रोपी गतिविधियों के सफल या असफल होने में सरकारी तंत्र में जमीनी स्तर पर मिलने वाला सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है, अतः इसके लिए सरकारी तंत्र के अंदर संस्कृति एवं क्षमता का निर्माण करना –खासकर उन स्तरों पर जिनपर इन मामलों को संचालित करने की जिम्मेवारी होती है। यह सहयोग छोटे और बड़े हर प्रकार के फ़िलेन्थ्रोपी प्रयासों के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

A1.3.3.2. अनुदान देने वाले नए निजी संस्थानों की एक नयी श्रेणी ताकि प्रोत्साहित करने वाला वातावरण बन सके: अनुदान देने के लिए निजी संस्थानों की एक नयी श्रेणी स्थापित करना जो सत्यनिष्ठ हो और जो छोटे निजी अनुदानों को नए संस्थानों और पहले से स्थापित संस्थानों को सहयोग करने के लिए इकट्ठा कर सके। सरकार ऐसे संस्थानों को स्थापित करने के लिए बड़े निजी दान दाताओं –व्यक्तिगत और ट्रस्ट दोनों का उपयोग कर सकते हैं साथ ही आवश्यक नियम भी बना सकती है जो इसमें मदद कर सकती है। दूसरे शब्दों में निजी फिलन्थ्रोपिक ट्रस्ट मॉडल, जो पहले से ही देश में उपलब्ध है, के द्वारा संचालित कर सकती है।

A1.3.3.3. नियमन मे गुणात्मक बदलाव : शुद्ध रूप से लाभ- निरपेक्ष, निजी प्रयासों को फिलन्थ्रोपिक अनुदानों के माध्यम से प्रोत्साहित और क्रियान्वित किया जाना चाहिए। फिलन्थ्रोपिक अनुदान जो इसको संचालित करने में मदद करेंगे, की सीधे हस्तक्षेप के रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सीधा हस्तक्षेप दो स्तरों पर काम करेगा।

- a. उच्च गुणवत्ता वाले संस्थान स्थापित करना, जो प्रावधानों में गुणवत्ता और समता दोनों को बेहतर बनाए, और
- b. सीधे लाभान्वित होने वाले अंतिम व्यक्ति के पास स्थापित संस्थानों के माध्यम से सीधे पहुँचे। व्यावसायिक लाभ के लिए संचालित कोई भी शैक्षिक गतिविधि तत्काल प्रभाव से बंद करनी चाहिए।

A1.3.3.4. समावेश को सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च गुणवत्ता पूर्ण फिलन्थ्रोपिक संस्थान में मदद करना : प्रत्येक राज्य सरकारें नये संस्थानों को शुरू करने के लिए फास्ट ट्रैक अनुमति की प्रक्रिया स्थापित करेगी जिसमें लाभ निरपेक्ष संस्थानों के लिए आधारभूत ढाँचा बनाने की अनुमति भी शामिल होगी। अनुदान दाताओं की न केवल काम को शुरू करने की क्षमता चाहिए बल्कि लंबी अवधि तक कार्पस /एंडोमेंट राशि के माध्यम से इसे चलाये रखने की क्षमता होनी चाहिए।

इस तरह के प्रयासों को वास्तविकता में उतारने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर इन अनुदान दाताओं के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करे। साथ ही स्पष्ट वित्तीय दिशा निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए कि इस तरह के सभी संस्थान गुणवत्ता के शैक्षिक और वित्तीय मानदंडों को पूरा करें। उदाहरण के लिए-ऐसे सभी संस्थान अपने खर्चों के लिए फीस पर 25% से ज्यादा निर्भर ना रहें; विद्यालय में विद्यार्थी-शिक्षक का अनुपात 30:1 से ज्यादा ना हो और उच्च शैक्षिक संस्थानों में 20:1 से ज्यादा ना हों; इनकी उपस्थिति छोटे कस्बों और विशेष शिक्षा क्षेत्रों (देखें अध्याय 6) में होनी चाहिए।

इस प्रकार के प्रत्येक संस्थानों की सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों के समावेश के लिए लंबी अवधि की प्रतिबद्धता होनी चाहिए और उन्हें उनको स्नातक तक की पढ़ाई के लिए ब्रिज कार्यक्रमों, मेंटरिंग और अन्य क्रमबद्ध शैक्षिक प्रयासों से सहायता प्रदान

करनी चाहिए। साथ ही साथ इन संस्थानों की पूर्ण वित्तीय एवं पाठ्यचर्यात्मक स्वायत्तता होनी चाहिए, जैसा कि 'सक्षम शासन और प्रभावी नेतृत्व' के अंतर्गत सेक्शन 17.1 में दिया गया है (देखें **P17.1.20** एंड पेज नंबर पी**17.1.21**)। इस तरह के नए उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों के प्रोत्साहन को प्राथमिकता के क्षेत्रों पर केन्द्रित किया जाएगा जैसे कि पिछड़े क्षेत्र और वर्ग के बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा, उच्च शिक्षा में ऐसे कोर्स जो लिबरल अंडर ग्रेजुएट कोर्स के रूप में आए, शिक्षक शिक्षा और सवास्थ्य शिक्षा। तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए उद्योगों को शामिल किए जाने को प्रोत्साहित किया जाएगा।

A1.3.3.5. वर्तमान की संस्थाओं के फंडिंग को जुटाने लिए महत्वपूर्ण बिन्दु:

वर्तमान की संस्थाओं की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी निजी फिलन्थ्रोपिक अनुदानों को जुटाने की जरूरत पड़ेगी। यह नीति वर्तमान के शैक्षिक कार्यों में मदद के लिए 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करती है। यह अनुदान सभी सरकारी और निजी संस्थानों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यह अंतिम सूची नहीं है और जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे इसमें नए क्षेत्रों को जोड़ दिया जाएगा।

- a. **निजी अनुदानों को जुटाने के लिए पहला महत्वपूर्ण क्षेत्र है छात्रवृत्ति:** शिक्षा के हर स्तर पर जरूरत और उपलब्धि पर आधारित छात्रवृत्तियों को देने हेतु निजी अनुदान जुटाने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास किया जाना चाहिए। यह प्रयास अनुदान देने वाली संस्था के द्वारा संचालित किए जा सकते हैं जिनका जिक्र आने वाले पैराग्राफों किया गया है। इन अनुदानों को प्रबंधित करने के लिए संस्थागत प्रक्रियाएँ पारदर्शी, कम लाल फ्रीताशाहीयुक्त होने चाहिए और ऐसे संस्थाओं द्वारा प्रबंधित हों और जिनका ट्रक रेकॉर्ड और जिनकी ईमानदारी उच्च स्तर की हो। डोक्टरल कार्यक्रमों के लिए अनुदान जो उच्च शिक्षा के लिए शिक्षक तैयार करने में मदद करेंगे, एक महत्वपूर्ण प्रयास हो सकता है।
- b. **निजी अनुदानों को जुटाने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है आधारभूत ढांचे के लिए अनुदान:** देश के बहुत सारे वर्तमान संस्थान अपने भौतिक आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने के लिए अनुदान का इंतज़ार कर रहे हैं। विश्व स्तर पर, अनुदान जुटाने के लिए एक ऐसे आधारभूत ढांचा निधि बनाना महत्वपूर्ण होगा। राष्ट्रीय

और अंतर राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्थान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आढ़भूत ढांचे के लिए एक मुश्त धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी जिसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंक और अंतर राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- c. **निजी अनुदानों को जुटाने के लिए तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षा के तृतीयक क्षेत्रों का विकास करना:** वर्तमान में चल रहे संस्थानों को शिक्षकों की नियुक्ति में मदद करने के लिए विशेष अनुदान दिया जाए। वर्तमान में चल रहे अनेकों संस्थान अपने शिक्षण की गुणवत्ता और शोध को बेहतर नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उनके पेशागत शिक्षक कार्यक्रम कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। इन संस्थानों के शिक्षकों के विकास और अल्पकालिक रूप से शिक्षकों को भर्ती करने के लिए (जो शिक्षक प्रोफेशनल डेवलपमेंट कार्यक्रम में होंगे) अनुदान इन प्रयासों को किया जा सकता है। इस संबंध में सबसे जांचा-परखा तरीका हो सकता है HEIs में अध्यक्ष की नियुक्ति। कई प्रकार के राष्ट्रीय और अंतर राष्ट्रीय संस्थानों की मदद से देश के लगभग सभी बड़े HEIs में अध्यक्षों की नियुक्ति करना।
- d. **निजी अनुदानों को जुटाने के लिए चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिक्षकों का पेशेवर विकास और स्कूली शिक्षा के लिए संस्थानिक अनुदान:** शिक्षकों के पेशेवर विकास लिए सरकारी तंत्र में अनुदानों की काफी कमी रही है और यही काफी अप्रभावी रहा है। ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें बड़े पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप किए जा सकते हैं। इसके अलावा, प्राइवेट प्रयासों की आवश्यकता ऐसे कम्प्यूटिंग प्लैटफार्म, ऐप और टूल बनाने के लिए पड़ेगी जिससे ये संस्थान अपने अदधारभूत ढांचे, कार्यसंचालन और संचार तंत्र के प्रभावी रूप से प्रबंधित कर सकें।
- e. राज्य सरकारें ऐसे स्वतंत्र ट्रस्ट का निर्माण करे की कोशिश कर सकती है जो गणमान्य लोगों द्वारा प्रशासित होती हो और जो फिलन्थ्रोपिस्ट्स से मिले अनुदानों को सरकारी स्कूलों के विभिन्न जरूरतों के लिए जैसे आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए, भोजन को बेहतर बनाने के लिए किताबें खरीदने के लिए कर सकती है। ऐसे ट्रस्ट इन फिलन्थ्रोपिस्ट्स को शिक्षा में सेवा के लिए अपने अनुदानों को ज्यादा से ज्यादा देने बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

- f. **शोध और नवाचार के लिए फिलन्थ्रोपिक गतिविधियां:** जिन क्षेत्रों में शोध एवं नवाचार की आवश्यकता होगी उनमें फिलन्थ्रोपी को बढ़ाना। इसके लिए NRF शोध अनुदानों के मौके देगा।

स प्रकार का प्रोत्साहन उन कार्यों के लिए भी दिया जाएगा जिसमें खतरा शामिल हो और जिसमें सरकारी तंत्र भाग लेने से आनाकानी करता है और काम के सफल नमूशकिल कर देता है। ऐसा प्रयासों को सीखने के लिए उपयोग किया जा सकता है और अंततः सरकारी तंत्र द्वारा बड़े क्षेत्र में लागू किया जा सकता है।

A.1.3.4. फिलन्थ्रोपिक अनुदान के कुछ विशेष स्रोत

सभी प्रकार के फिलन्थ्रोपिक स्रोतों, चाहे वो व्यक्तिगत हों, कार्पोरेशन से हों या समुदाय से हों, को प्रोत्साहित किया जाएगा। वैसे व्यक्ति जो बड़े स्तर के अनुदान देते हों या वो जो उतने ही समर्पित हों लेकिन कम आय की वजह से कम अनुदान दे रहे हों, दोनों को बराबर तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा। A.1.3.3 में वर्णित व्यवस्थाएँ और कार्य फिलन्थ्रोपी के सभी स्रोतों पर लागू होंगे लेकिन कार्पोरेशन और कुछ समुदायों के संदर्भ में कुछ मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

A1.3.4.1. व्यापार और उद्योग कार्पोरेशन

कंपनीज एक्ट, 2013 वैधानिक निर्णयों में एक मील का पत्थर और अपने आप में विश्व में अनोखा है जिसमें CSR के खर्च को दिशानिर्देशित और मात्र को निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। यह एक्ट जो 1 अप्रैल 2014 से प्रभाव में आया, ने सभी कंपनियों, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड (जिसकी कुल कीमत 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़ या शुद्ध मुनाफा 5 करोड़ हो) के लिए अनिवार्य कर दिया कि वे अपने कुल मुनाफे के 2 प्रतिशत को 3 वर्षों के अंदर CSR गतिविधि के रूप में खर्च करें। CSR के लिए सूचीबद्ध किए गए क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष बच्चों की शिक्षा और रोजगार के साथ, बच्चों, महिलाओं, उम्रदराज लोगों और विशेष क्षमता वाले बच्चों और आजीविका के लिए काम करना शामिल है। इसको इस नीति में दिये गए विशेष प्राथमिकता की तरफ CSR अनुदानों को मोड़कर इसे और मजबूती प्रदान किया जाएगा।

- a. CSR के माध्यम से शिक्षा के लिए पर्याप्त धनराशि आनी चाहिए। बड़े व्यापारिक घरानों और उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे शिक्षा के इस राष्ट्रीय अजेंडा को पूरा करने में आगे आएं।
- b. सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के लिए CSR: सार्वजनिक क्षेत्र के निकाय की CSR गतिविधियां शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दे सकती हैं विशेषकर पिछड़े हुये समुदायों में और उन इलाकों में जहां वे काम करते हैं।

A.1.3.4.2 पूर्व छात्र एवं स्थानीय समुदाय

हमारे संस्थानों के पूर्व छात्र अनुदान के एक ऐसे स्रोत हैं जिनकी संभावनाओं को अभी तक ठीक से टटोला नहीं गया गया है। ऐसे उद्घरण आते हैं कि संस्थानों के पूर्व छात्र अपने शिक्षण संस्थानों, जहां से उनकी शिक्षा हुई है, वहाँ के अनेक कार्यों के लिए अनुदान देने को तैयार रहते हैं, लेकिन वे ऐसा कर पाएँ इसका सही रास्ता उनको नहीं मिल पाता। स्थानीय समुदाय से जुड़ना और शिक्षा के लिए उनकी मदद लेना भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भरसक प्रयास नहीं हुये हैं। इन दोनों ही मामलों में देश में सफल उदाहरण उपलब्ध हैं जिनसे हैइन सीखने की ज़रूरत है।

- a. **पूर्व छात्रों और स्थानीय समुदाय से मदद को सुगम बनाना :** पूर्व छात्रों और स्थानीय समुदाय के लोगों की शिक्षा में योगदान देने की आकांक्षा को साकार करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। पारदर्शिता इसका मूल सिद्धान्त होना चाहिए। अगर लोगों को यह भरोसा हो जाए कि उनके दिये हुये योगदान का ठीक से उपयोग होगा तो यह अनुदान का सतत स्रोत बन सकते हैं, खासकर उन संस्थानों के लिए जो स्थापित हैं और पुराने हैं। ऐसे संस्थान ज़्यादातर सरकारी हैं। संस्थान ऐसी कार्यप्रणालियाँ बनाएँगी जिससे इस तरह के योगदान को प्रोत्साहन मिले। HEIs के मामले में 'विकास कार्यालय' इसमें मुख्य भूमिका निभाएगा (देखें P17.1.17. संसाधन जुटाने के लिए मजबूत ढांचा और कार्यप्रणाली – विकास कार्यालय). इस दिशा में पहला कदम यह हो सकता है कि एक डोजीयर तैयार किया जाए जिसमें HEIs के पूर्व छात्रों के बारे में उपयोगी जानकारी हो। पूर्व छात्रों के

बारे में डोजीयर बनाना और उसको अपडेट करना देश की हर HEI की संस्कृति का अंग बन जाना चाहिए।

- b. **राष्ट्रीय शैक्षिक गतिविधियों में धार्मिक संस्थानों के सतत भागीदारी:** हिन्दू मठ एवं आश्रम, क्रिश्चियन मिशनरी संस्थान, इस्लामिक ट्रस्ट, बौद्ध एवं जैन समुदाय के प्रयास, गुरुद्वारा इत्यादि ने देश के इतिहास में अनेकों शैक्षिक प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद की है। इन धार्मिक संस्थानों ने राष्ट्रीय शैक्षिक प्रयासों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए और ऐसी भागीदारी और प्रयासों को और मजबूत किया जाना चाहिए ताकि इस नीति के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

A1.4. अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी ?

इस नीति को लागू करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ अतिरिक्त निवेश 'एक बार' वाले (देखें A1.5, तालिका A1.9) होंगे और कुछ सतत चलने वाले होंगे (देखें तालिका A1.1 से A1.8)। शिक्षा पर वर्तमान के कुल सरकारी खर्च के 10% को एक निर्धारित अवधि में बढ़ाकर 20% कर देने से इस नीति को लागू करने में मदद मिलेगी।

इस खंड में नीति के विभिन्न भागों पर खर्च का एक मोटा अनुमान बताया जा रहा है। ये अनुमान सिर्फ दिशा सूचक हैं और वास्तविक खर्च इस काफी अलग हो सकते हैं जो देशकाल, तात्कालिक आर्थिक स्थिति और आंकड़ों के रुझान पर निर्भर करेगा। ये अनुमानित खर्च केवल सरकारी अनुदान हैं; निजी फिलन्थ्रोपिक अनुदान इन निवेशों के अतिरिक्त होंगे।

A1.4.1. अतिरिक्त सतत/आवर्ती खर्च का संछिप्त विवरण

प्रतिशत में दिये गए आंकड़े उस मद विशेष में अनुमानित अतिरिक्त खर्च को दिखाते हैं जो कुल सरकारी खर्च के एक अनुपात होंगे जिसकी ज़रूरत होगी। 2017-18 (बजट अनुमान)

के खर्च के आंकड़े दिये गए हैं - रुपयों की भाषा में ये आंकड़े सरकारी अनुदान के साथ बदलेंगे।

Allocation items	Annual* expenditure % to total expenditure by government#	Relevant sections in this Policy Document
A. Early childhood education - expansion / improvements	1.4	Chapter 1 (P1.2)
B. Foundational literacy and numeracy - NTP / RIAP / Libraries - NTP / RIAP / Libraries	0.2	Chapter 2 (P2.5., P2.6. and P2.15.)
C. Schools - additional teacher costs / complex resources	2.0	Chapter 7 (7.1 and 7.2)
D. Food / nutrition (MDM+) - Breakfast / enhanced nutrition component	1.3	Chapter 2 P2.1 Chapter 5(5.3. and 5.5.)
E. Teacher education and continuing professional development of teachers	0.6	Chapter 10 (P10.3, P10.7 and P10.11)
F. Universities and colleges - Quality / faculty /operations	5.0	Chapter 14 (P14.1.3)
G. Research - NRF funding	0.4	
Total additional expenditure as % of overall public expenditure (per annum)	10.9	

Current proportion of public expenditure on education (per annum)	10	
Overall proportion of Public Expenditure on Education (per annum)	20.9	
*recurring / will grow with the public finance growth #all percentages are rounded off to the closest first decimal NTP: National Tutors Programme RIAP: Remedial Instructional Aides Programme		

तालिका A1.1

तालिका A1.1 में दिये गए हर आइटम की एक उच्च स्तरीय व्याख्या और एक अनुमानित हिसाब-किताब नीचे दी जा रही है।

A1.4.2. ECE का विस्तार एवं सुधार

ECE में सुधार किया जाएगा और यह स्कूली शिक्षा का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। साथ ही यह RTE कानून में भी शामिल किया जाएगा।

Additional expenditure required for:	% to Total Government Expenditure*
1. Universalisation of early childhood education - Catering to all children in the age group 3-6 years	1.3 0.1

2. Capacity development of teachers & helpers - 20 days of annual in-service programme	
Total additional expenditure required for Early Childhood Education * all % are rounded off to the closest first decimal	1.4

तालिका A.1.2

ECE में निवेश इसके लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा तैयार करने, सीखने की सामग्री विकसित करने, शिक्षकों के क्षमता निर्माण और पोषण को सुनिश्चित करने पर होगा।

आधारभूत ढांचे को दो मोर्चों पर सुधारना होगा। एक तरफ, अभी वर्तमान में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों को सुधारना होगा वहीं दूसरी तरह जहां कहीं ECE के लक्ष्य समूह के बच्चे हैं वहाँ स्कूलों में इसके लिए आधारभूत ढांचा बनाना होगा।

सभी ECE केंद्र पर्याप्त रूप से संसाधनों से परिपूर्ण होंगे जिसमें सुरक्षा से लेकर सहज एवं खुशनुमा वातावरण तैयार करना तक शामिल होगा। सीखने की सामग्री पहले से बेहतर होगी।

वर्तमान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को काफी गहन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ेगा ताकि वे सक्षम बाल्यावस्था शिक्षक बन सकें। इसके साथ ही स्कूल के शिक्षकों की तरह ही सतत पेशेवर विकास के कार्यक्रमों से उनको जोड़ना होगा। इस स्तर पर पर्याप्त शिक्षक हों इसके लिए अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। इसके अलावा आंगनवाड़ी कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाएगा।

पोषण के स्तर को हर बच्चे के लिए सुधारा जाएगा जिसके लिए बाल्यावस्था केंद्र महत्वपूर्ण हैं। अभी बच्चों के पोषण के मामले में आंगनवाड़ी केंद्र न्यूनतम स्तर पर कुछ कर पा रही हैं जिसको बहुत ज्यादा सुधारे जाने की आवश्यकता है।

A1.4.3. पढ़ने लिखने और गणना करने की बुनियादी क्षमता

पढ़ने-लिखने और गणना करने के बुनियादी कौशल पर तुरत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के सीखने में काफी कमी है। इस संदर्भ में NTP और RIAP को क्रियान्वित करने की ज़रूरत है; इन दोनों कार्यक्रमों के बड़े टीमों के सुप्रशिक्षित कार्यकर्ता इस कमी को तुरंत पाटने में शिक्षकों की मदद करेंगे।

Additional expenditure required for:	% to Total Government Expenditure*
1. National Tutors programme (NTP) for all public schools.	0.04
2. Remedial Instructional Aides programme (RIAP) - Aid Instructors (AI) for every school complex	0.03
3. Capacity building of WAIs	0.01
4. Libraries - creating print rich environment in each class	0.09
Total additional expenditure for Foundational Literacy - Numeracy	0.2
* all % are rounded off to the closest first decimal	

तालिका A.1.3

NTP और RIAP अल्प से मध्यम अवधि के उपायों का हिस्सा हैं। शिक्षक और सीखने में सामग्रियों के साथ सहायता करने वालों को तब तक सतत प्रशिक्षण से गुजरना होगा जब

तक कि पढ़ने-लिखने और गणना करने की बुनियाद क्षमता के लक्ष्य को सभी बच्चों के लिए पूरा नहीं कर दिया जाता।

पढ़ने-लिखने की उपयुक्त सामग्री पढ़ने-लिखने और गणना करने के कौशल को विकसित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ज़रूरी आई है सभी सीखने के स्थानों को प्रिंट रिच वातावरण में तब्दील किया जाए जिसमें पुस्तकालय कोना, कक्षा कक्ष का पुस्तकालय और स्कूल पुस्तकालय शामिल हैं। निवेश संसाधनों पर होगा जिसमें किताबें और पत्रिकाएँ शामिल हैं। ये पढ़ने की सामग्रियाँ न केवल कक्षा के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का काम करेंगी बल्कि बच्चों को भी उनके जीवन के शुरुआती सालों में पढ़ने लिखने के लिए उत्साहित करेंगी।

A1.4.4. सभी स्कूलों के लिए पर्याप्त और उपयुक्त संसाधन, स्कूल कॉम्प्लेक्स की क्षमता का लाभ लेना

सभी विद्यालय पर्याप्त और उपयुक्त संसाधनों से लैस होंगे जिनमें भौतिक आधारभूत ढांचा, सीखने की सामग्री, मानव संसाधन और शिक्षक शामिल होंगे। इसके लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स को शैक्षिक प्रशासन की मूलभूत इकाई के तौर देखा जाएगा ताकि अधिकतम कार्यकुशलता प्रपट की जा सके।

Additional expenditure required for:	% to Total Government Expenditure*
1. Additional staff resourcing	
- Filling all teacher vacancies - salary impact	0.5
- Teachers for special education, theatre, arts, sports etc. for every school complex - Social workers for school complex	0.5
	0.05
2. Increase in maintenance budget for Schools	0.7
	0.3

3. Recurring expenditure on learning resources	
Total additional expenditure required for adequate Resourcing of schools	2.0
* all % are rounded off to the closest first decimal, except item 3	

तालिका A1.4

शिक्षकों के सभी पद सही मानक छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार भरे जाएंगे और सभी विषय के शिक्षकों की जितनी आवश्यकता है उतनी नियुक्तियाँ की जाएंगी। विशेष बच्चों की शिक्षा के लिए, कला, नाटक, योग के लिए शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। नियुक्तियाँ स्कूल कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से संसाधन सम्पन्न बनाने, प्राथमिक विद्यालयों के सभी पदों को भरने और कॉम्प्लेक्स के अंदर विषय के शिक्षकों और विशेष शिक्षकों की उपस्थिति का लाभ उठाने की दृष्टि से की जाएंगी। स्कूल कॉम्प्लेक्स को पर्याप्त संख्या में सहायक कर्मचारी उपलब्ध कराये जाएंगे।

विभिन्न प्रकार के सीखने सिखाने की सामग्री जिसमें डिजिटल सामग्री, किताबें, और प्रयोगशाला सामग्री भी शामिल है, उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें वह सामग्री भी शामिल होगी जिनके साथ बच्चों के साथ काम किया जा सकता है। जैसे व्यावसायिक शिक्षा, खेल, संगीत इत्यादि।

स्कूल के अंदर सभी सुविधाओं की देखभाल के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें बिजली, पानी, आधारभूत ढांचे की मरम्मत और रोज़मर्रा की साफ सफाई शामिल हैं।

A1.4.5. भोजन एवं पोषण

आवश्यक पोषण के महत्व को बताने की आवश्यकता नहीं है। स्कूलों में मध्याह्न भोजन ने बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन अब अपर्याप्त

वित्तीय आबंटन की वजह से अपर्याप्त साबित हो रहा है। स्कूलों के हरेक स्तर पर भोजन की गुणवत्ता को सुधारा जाएगा ताकि विद्यार्थियों को पूरा और पर्याप्त पोषण मिले।

Additional expenditure required for:	% to Total Government Expenditure*
1. Adding Breakfast	0.6
2. Increasing per meal allotment for nutritional adequacy	0.7
Total additional expenditure required for Breakfast and MDM+	1.3
* all % are rounded off to the closest first decimal	

तालिका A1.5

प्रति भोजन आबंटन को बढ़ाया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को उनकी उम्र और पोषण की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त भोजन मिल सके। इसको भोजन स्फीति से भी जोड़ा जाएगा ताकि हमेशा भोजन की उपलब्धता और पोषण में बढ़ोत्तरी होती रहे। स्कूलों में दिये जाने वाले भोजन में सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा। स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले भोजन की योजना को 12 कक्षा तक बढ़ाया जाएगा। भोजन की सामग्री का चुनाव समझदारी के साथ पोषण की जरूरतों, स्थानीय उपलब्धता और विविधता को ध्यान में रखकर किया जाएगा। सुरक्षा और भोजन की गुणवत्ता सबसे उच्च प्राथमिकता पर होगी। इसके लिए पर्याप्त निवेश किया जाएगा।

A1.4.6. शिक्षक शिक्षा और शिक्षकों का सतत पेशेवर विकास

शिक्षक शिक्षा में सुधार के लिए और शिक्षकों के प्रभावी एवं सतत पेशेवर विकास के लिए शिक्षकों को बहुत अधिक और विशिष्ट तरह की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी।

Additional expenditure required for:	% to Total Government Expenditure
1. High quality four-year integrated B.Ed. programmes across the country - investment in faculty, learning resources, operations	0.3 0.3
2. Reimagined continuous professional development for over 8 million teachers.	
Total additional expenditure required for Teacher Development *all % are rounded off to the closest first decimal	0.6

तालिका A.1.6

भारत में शिक्षक शिक्षा 4 वर्षीय उच्च गुणवत्तापूर्ण एकीकृत बीएड कार्यक्रम की तरफ बढ़ेगा। इसके लिए बहुत ज्यादा निवेश और क्षमता निर्माण की ज़रूरत पड़ेगी। इस उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा को कारगर बनाने के लिए सुविधाओं को इकट्ठा किया जा

सके और टीचर एड्युकटर तैयार किए जा सकें, इसके लिए बहुत निवेश की ज़रूरत पड़ेगी। शिक्षकों की शिक्षा के प्रति जो अभी सोच विद्यमान है उसे पूरी तरह से बदला जाएगा ताकि उनको प्रभावी, मल्टीमॉडल और उच्च गुणवत्ता वातावरण से सीखने के अवसर मिल सकें। यह अल्प से मध्यम अवधि में शैक्षिक परिणामों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

A.1.4.7. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय

उच्च शिक्षा के नए भवन जो बहुविषयक संस्थान होंगे और जिनमें लिबरल शिक्षा दी जाएगी, के लिए भारी निवेश की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें शिक्षक, सीखने के संसाधन, भवन और आधारभूत ढांचा, मरम्मत इत्यादि सब शामिल होंगे।

Additional expenditure required for	% to Total Government Expenditure*
1. Type 1: 150-300 HEIs (research universities)	1.0
2. Type 2: 1000-2000 HEIs (teaching universities)	3.5
3. Type 3: 5000-10000 HEIs (colleges)	0.5
Total additional expenditure required for Higher Education	5.0
*all % are rounded off to the closest first decimal	

तालिका A.1.7

छोटे HEIs के विलय और बड़े बहुविषयक संस्थान बनने से संसाधन के समुचित उपयोग की संभावना बढ़ेगी। हालांकि फिर भी पर्याप्त सुविधाओं, सीखने के संसाधनों और

शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें टाइप 1 और टाइप 2 के संस्थानों में शिक्षण के साथ रिसर्च के लिए पर्याप्त लोगों की नियुक्ति भी शामिल है।

मुख्यधारा की शिक्षा के साथ साथ उच्च गुणवत्ता के व्यावसायिक शिक्षण के लिए भी काफी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी।

A1.4.8. शोध

शोध के लिए अनुदान लोगों की पहुँच में होने चाहिए और सभी विषयों में होना चाहिए। उच्च गुणवत्ता के शोध के लिए एक जीवंत व्यवस्था विकसित करनी पड़ेगी।

Additional expenditure required for:	% to Total Government Expenditure*
Support for NRF	0.4
Total additional expenditure required for Research activities *all % are rounded off to the closest first decimal	0.4

तालिका A1.4.8

NRF अब देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च संस्था होगी। NRF एक स्वायत्त संस्था होगी जो शोध के लिए अनुदान देने और मेंटोरींग के द्वारा क्षमता निर्माण का काम करेगी।

A1.5. एक-मुश्त खर्च

विभिन्न अंगों पर होने वाले आवर्ती खर्चों के अलावा भी कुछ चीजों पर एक-मुश्त खर्च आएगा। ये एक-मुश्त खर्चे मुख्यतः आधारभूत संरचना से संबंधित संसाधनों पर होंगे।

Allocation items	% to Total Government Expenditure*
	One-time
A. Expansion and improvement of ECCE centres	0.6
B. Strengthening school infrastructure	0.3
C. Digital resources	0.1
D. HEI Teaching infrastructure and residences	1.4
E. Scholarships endowments	0.6
Total Additional Expenditure required	3.0
* all % are rounded off to the closest first decimal	

तालिका A1.9

परिशिष्ट A2

भावी कदम

उद्देश्य:

यह सुनिश्चित करना कि योजना और शैक्षिक संस्थानों में तालमेल के माध्यम से नीति दोनों भावना और इरादे के मुताबिक क्रियान्वित की जाए

कोई भी नीति उसके क्रियान्वयन जितनी ही अच्छी होती है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के रूपांतरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को उसकी मूल भावना के साथ कार्यान्वित करना होगा। इसके क्रियान्वयन के लिए विविध प्रयास किये जाने आवश्यक हैं जिन्हें विभिन्न निकायों द्वारा परस्पर सामंजस्यपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से किया जाना होगा। इसके अलावा, क्रियान्वयन की कार्यनीति में उपयुक्त समय-सीमा और प्राथमिकतायें तय करना भी शामिल होगा।

A2.1. नीति क्रियान्वयन

भारत के पास कल्याणकारी उद्देश्यों हेतु ली गयी सुविचारित नीतिगत पहलों का इतिहास रहा है जिनका आधार शिक्षा में पहुँच, समता और गुणवत्ता के सिद्धांत रहे हैं और जिन्हें सोच-समझ कर संवेदनशीलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। हालाँकि विभिन्न निकायों और हितधारकों से सम्बंधित इन नीतिगत पहलों की क्रियान्वयन सम्बन्धी चुनौतियाँ आज भी बनी हुई हैं। साथ ही, निवेश, समीक्षा, मध्यावधि संशोधन, संचार, स्थानीय सन्दर्भ में प्रासंगिकता और पैरवी आदि बहुत से मुद्दे क्रियान्वयन की जटिलता को बढ़ा देते हैं।

ये मुद्दे जिस प्रकार की चुनौतियों को जन्म देते हैं उनमें से कुछ हैं - नीति और उसके क्रियान्वयन में असंगतता, आंशिक कार्यान्वयन, खंडित और/या कार्यक्रम आधारित और अल्पावधि दृष्टिकोण, एक साझा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बनाये कार्यक्रम और

गतिविधियों के बीच सामंजस्य का अभाव, संसाधनों का अपर्याप्त या अनुचित वितरण, अपर्याप्त निगरानी तंत्र इत्यादि।

इस अध्याय में इस नीति के क्रियान्वयन के लिए कुछ मुख्य मार्गदर्शीय सिद्धांत दिए गए हैं। साथ में उचित निकायों/प्राधिकारियों द्वारा उठाये जाने वाले कदमों पर व्यापक दिशा-निर्देश भी शामिल हैं। यह स्पष्ट है कि ये सिद्धांत और दिशा निर्देश (रोड मैप) व्यापक स्तर पर मार्गदर्शन करते हैं जबकि क्रियान्वयन के लिए ज़िम्मेदार निकायों को अपने स्तर पर योजना की बारीकियों को स्वयं ही तय करना होगा।

A2.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शीय सिद्धांत

नीति के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए निम्न सिद्धांतों के मार्गदर्शन में उसका क्रियान्वयन किया जायेगा:

A2.2.1. भाव और उद्देश्य: नीति की भावना और प्रयोजन क्रियान्वयन हेतु सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हालाँकि नीति में बहुत सी बातें शामिल हैं, उसके क्रियान्वयन में नीति में निहित मूल भाव और प्रयोजन को अवश्य ही सबसे ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए।

A2.2.2. चरणबद्ध कार्यान्वयन: यह आवश्यक है कि नीति का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से हो।

- a. नीति के हर बिंदु में कई कदम हैं
- b. प्रत्येक चरण इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह अगले चरण के क्रियान्वयन का आधार बनता है
- c. चरणबद्ध क्रियान्वयन नीति को एक बेहतर सम्पूर्णता प्रदान करता है

A2.2.3. प्राथमिकता: नीतिगत पहलों को उचित रूप क्रमबद्ध करने के लिए प्राथमिकीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है।

- a. हालांकि इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को बड़े पैमाने पर रूपांतरित करने का है, इसके लिए छोटे-छोटे कदम उठाते हुए आगे बढ़ने की दृष्टि की जरूरत होगी अतः काम को प्राथमिकता के आधार पर तय करना होगा।
- b. प्राथमिकीकरण द्वारा काम को एक ऐसे क्रमबद्ध तरीके से किया जाना संभव होगा जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और अति-आवश्यक कार्यों को पहले करना होगा जिससे एक मजबूत नींव तैयार हो।

A2.2.4. व्यापकता: क्रियान्वयन की व्यापकता यानि टुकड़े-टुकड़े में प्रयास करने के बजाय पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक समग्र दृष्टि रखते हुए क्रियान्वयन किया जाना।

- a. यह नीति देशभर की शिक्षा को रूपांतरित करने पर केन्द्रित है और इसीलिए यह एक व्यापक नज़रिया, समग्रता रखती है।
- b. अतः उद्देश्य प्राप्ति के लिए एक समग्र दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ना होगा।

A2.2.5. जितना संभव हो मौजूदा तंत्र/संरचनाओं का इस्तेमाल: प्राथमिकता, जहाँ तक संभव हो, मौजूदा संरचनाओं को पुनर्जीवित और मजबूत करने की होगी। नयी संरचनाओं को बनाना दूसरे दर्जे की प्राथमिकता होगी और ये नयी संरचनाएं मौजूदा संरचनाओं के दायरे में ही स्थापित की जाएँगी।

- a. एक अच्छी नीति की मजबूती मौजूदा संरचनाओं, विशेषकर व्यवस्थाओं और संस्थाओं के सदुपयोग पर ध्यान देने पर निर्भर करती है इसलिए यह नीति मौजूदा संरचनाओं को सशक्त करने की प्राथमिकता देगी।
- b. नए ढाँचे और संस्थान शिक्षा क्षेत्र और उसके प्रयासों एक सूत्र में बाँधने में सहायता करेंगे।

A2.2.6. संयुक्त निगरानी और समन्वयपूर्ण क्रियान्वयन: क्योंकि शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी का क्षेत्र है, अतः इसमें सावधानीपूर्वक योजना निर्माण, संयुक्त निगरानी और समन्वयपूर्ण क्रियान्वयन की जरूरत होती है।

A2.2.7. उपयुक्त संसाधन जुटाना: समय से आवश्यक मानव, ढांचागत और वित्तीय संसाधनों को जुटाना संतोषजनक निष्पादन के लिए अहम बिंदु है।

A2.2.8. विश्लेषण और समीक्षा: क्रियान्वयन हेतु लिए जाने वाले विविध कदमों के बीच परस्पर जुड़ाव का सावधानीपूर्वक विश्लेषण और समीक्षा सभी पहलों के एक-दूसरे से प्रभावी जुड़ाव को सुनिश्चित करने की दृष्टि से जरूरी होगी। इस हेतु कुछ ऐसे कार्यों में शुरू में ही निवेश करना होगा जो न सिर्फ एक मजबूत नींव बनाने की दृष्टि से जरूरी हैं बल्कि भावी कार्यक्रमों और कार्यों के बाधारहित संचालन के लिए भी आवश्यक हैं।

A.2.3. कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश (रोड मैप) हेतु दृष्टिकोण: विविध निकायों के नेतृत्व में उठाये जाने वाले मुख्य कदम

नीचे दिए खण्ड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में दी गयी नीतिगत पहलों के लिए व्यापक समय-सीमा और जिम्मेदारियों की रूपरेखा बताई गयी है।

हर पहल/कार्य के लिए क्रियान्वयन की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गयी है (इसे चमकदार अंकों में कोष्ठक में दिया गया है)। यह तिथि दर्शाती है कि नीतिगत पहल को उसकी परिकल्पना के अनुरूप पूरी तरह से लागू कर दिया गया है और वह स्थिर अवस्था में है।

किसी नीतिगत पहल के क्रियान्वयन की लगाम उस निकाय/निकायों के सुपुर्द की गयी है जिनकी सुधार कार्यक्रम को गति देने में केन्द्रीय भूमिका रहेगी। इसका अभिप्राय यह है कि एक ही लक्ष्य को पूरा करने के लिए जितने भी निकाय काम कर रहे होंगे, उनको साथ लेकर चलना होगा और वे सभी अंतिम परिणाम के प्रति जवाबदेह होंगे। उदाहरण के तौर पर, उच्च शिक्षा को NHERA नियंत्रित कर रहा होगा लेकिन NAAC और AIs द्वारा भी उसके साथ काम करने की आवश्यकता पड़ेगी।

दिशा-निर्देश (रोड मैप) वृहद् तंत्र के स्तर पर नीतिगत पहलों की पहचान करता है जबकि धरातल पर नीति के क्रियान्वयन के लिए कहीं अधिक बारीकियों में जाने की आवश्यकता होगी। यह उन निकायों की जिम्मेदारी होगी जो किसी विशेष नीतिगत पहल के क्रियान्वयन का नेतृत्व कर रहे हैं कि वे उपर्युक्त सिद्धांतों का पालन करते हुए विस्तृत योजना निर्माण करें।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उठाये जाने वाले कदम

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (RSA)/ नेशनल एजुकेशन कमिशन (NEC) को स्थापित किया जाना इस नीति को व्यापक और समग्र रूप से लागू किये जाने की दिशा में पहली प्राथमिकता होगी।

MHRD.1 RSA/NEC को स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना से सम्बंधित सभी पहलों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की देख-रेख में सम्पादित किया जायेगा। [2019]

MHRD.2 RSA द्वारा नियुक्त समिति (RSACC), जो प्रधानमंत्री (PM), भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोक सभा के स्पीकर, संसद में विपक्ष के नेता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री की सदस्यता से गठित होगी, RSA में और अन्य सम्बंधित भूमिकाओं में नियुक्तियां करेगी। [2019]

MHRD.3 MHRD को पुनः शिक्षा मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन (MoE)) के रूप में जाना जायेगा। [2019]

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और शिक्षा मंत्रालय द्वारा उठाये जाने वाले कदम

MHRD द्वारा उपर्युक्त 1-3 कदम उठा लेने के बाद आदर्श स्थिति में RSA और MoE द्वारा निम्न कार्य किये जाएंगे:

RSA-MoE.1 RSA और उसकी निकायों को RSAAC द्वारा स्थापित किया जाएगा और उचित नियुक्तियाँ की जाएंगी। इसमें एकजीक्यूटिव काउंसिल, स्टैंडिंग कमिटी आन

कोओरडीनेशन और ऐडवाइज़री काउंसिल शामिल होंगे। इसमें RSA के कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति भी शामिल है। जैसा कि नीति में उल्लेखित है, इस परिवर्तन में MoE, RSA और इनके निकायों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को औपचारिक रूप देना भी शामिल है। [2020]

RSA-MoE.2 समूची उच्च शिक्षा नियन्त्रण व्यवस्था को रूपांतरित किया जायेगा. अब केवल एक नियामक निकाय होगा और जो मौजूदा कई नियामक निकाय हैं उनको नई भूमिकाएँ दी जाएँगी. राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण (NHERA) स्थापित किया जायेगा जो समस्त उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक मात्र नियामक निकाय के रूप में कार्य करेगा. UGC और मौजूदा नियामक निकायों को हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल (HEGC) और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ (PSSBs) का रूप दिया जायेगा. सामान्य शिक्षा परिषद (जनरल एजुकेशन काउंसिल, GEC) को एक अकादमिक नेतृत्व संस्थान के रूप में गठित किया जायेगा। [2020]

RSA-MoE.3 प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा को पूरी तरह से स्कूली शिक्षा के साथ एकीकृत कर दिया जाएगा जैसा कि MoE-SDoE.1 में वर्णित है। इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए, प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा की निगरानी की ज़िम्मेदारी MoE पर होगी, जबकि MWCD और MHFW अपनी अधिकृत जिम्मेदारियों का निर्वाह पूर्ववत् करती रहेंगी। MoE MWCD, RSA और उसी के समकक्ष राज्य स्तर के निकायों के साथ समन्वय द्वारा इस ज़िम्मेदारी का निर्वहन करेगी। [2020]

RSA-MoE.4 नीति को समर्थ बनाने के लिए RTE की समग्र रूप से समीक्षा की जाएगी। RTE अधिनियम में निःशुल्क और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता को एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया जाएगा। RTE अधिनियम में निःशुल्क और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दायरे में 9-12 तक की कक्षाओं को भी शामिल किया जायेगा। [2020]

RSA-MoE.5 इन्डियन इंस्टिट्यूट आफ लिबरल आर्ट्स (IILAs) या बहुअनुशासनिक शिक्षा (Multidisciplinary) और शोध विश्वविद्यालयों (MERUs) को शिक्षा के प्रति एक लिबरल दृष्टिकोण के मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसमें विशिष्ट ध्यान

इस बात पर होगा कि उच्च शिक्षा की मुख्य विषयधारा में व्यवसायिक और पेशेवर शिक्षा को समेकित किया जा सके। [2025]

RSA-MoE.6 कम से कम हर जिले में एक गुणवत्तापूर्ण HEI को स्थापित किया जाए जिसमें बहुअनुशासनिक शिक्षा और लिबरल आर्ट्स के कार्यक्रम उपलब्ध होंगे। यह प्रयास शिक्षा में पिछड़े जिलों से शुरू किया जाएगा। यह कार्य MoE-SDoE.6 के साथ सामंजस्य रखते हुए किया जाएगा। [2025]

RSA-MoE.7 देश भर में, विशेषकर वंचित जिलों में ज्यादा जोर देते हुए, काफी संख्या में तीनों प्रकार के उच्च गुणवत्तापूर्ण HEI की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी जिससे 2035 तक 50% GER का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। नालंदा और तक्षशिला मिशन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच को संभव बनाया जाएगा। [2035]

RSA-MoE.8 राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन (नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NRF) को इस उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा कि वे शोध क्षमताओं को मज़बूती प्रदान करें और मुख्य रूप से उच्च शिक्षा व्यवस्था पर जीवंत शोध को उत्प्रेरित करें। [2020]

RSA-MoE.9 शिक्षा में तकनीकी के इस्तेमाल से जुड़े प्रयासों की समीक्षा और उत्कृष्ट प्रयासों को साझा करने के लिए एक स्वायत्त नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम (NETF) को स्थापित किया जाएगा। [2020]

RSA-MoE.10 गवर्नेंस और प्रबंधन में सुधार के लिए तकनीकी में निहित संभावनाओं के इस्तेमाल की दृष्टि से नेशनल रिपोजिटरी ऑफ़ एजुकेशनल डाटा (NRED) को स्थापित किया जाएगा। [2020]

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और राज्य स्तर के शिक्षा विभागों द्वारा उठाये जाने वाले कदम

RSA-SDoE.1 जब PMO-MHRD.1-3 और RSA-MoE.1 के तहत प्रयास पूरे हो जायेंगे तब राज्यों और RSA के बीच परस्पर संचार-समन्वय (interface) व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्य शिक्षा आयोग (RSA) का गठन किया जा सकता

है जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और अध्यक्ष द्वारा शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत होंगे। इन निकायों का गठन, संरचना और मानक RSA जैसे हो सकते हैं और वे राज्य स्तर पर RSA जैसी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे। [2020]

राज्य सरकार और राज्य शिक्षा विभागों द्वारा उठाये जाने वाले कदम

SG-SDoE.1 सभी स्कूलों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने और जनसंख्या वितरण, आवागमन सुविधाओं और अन्य स्थानीय सन्दर्भ से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को समूहों में स्कूल कॉम्प्लेक्स के रूप में गठित करने के लिए सभी राज्य सरकारें अपने राज्य शिक्षा विभागों के साथ मिलकर व्यापक योजनाएं बनायेंगी।

हालाँकि स्कूल कॉम्प्लेक्स का आकार और उनके गठन में तो भिन्नता होगी पर इस प्रक्रिया द्वारा स्कूलों तक पहुँच/ विद्यार्थियों और परिवारों द्वारा सुरक्षित पहुँच हेतु सहयोग, प्रशासकीय सुविधा और शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की मदद के लिए व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा।

संसाधन पूर्ति योजना से पर्याप्त शिक्षक, भौतिक मूलभूत सुविधाएँ, पठन-पाठन सामग्री और सहायक सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँगी। इस योजना में बहुत कम छात्र संख्या (<20) वाले स्कूलों के एकीकरण की कार्यनीति भी शामिल होगी। यह एकीकरण उसी स्थिति में किया जायेगा जब इसके द्वारा स्कूल तक की पहुँच प्रभावित नहीं होगी। [2022]

SG-SDoE.2 SG-SDoE.1 के तहत योजना को लागू किया जाएगा। स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स के स्तर पर शिक्षकों की आवश्यकता के आंकलन के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापन एक विस्तृत योजना के तहत किया जायेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूल कॉम्प्लेक्स के सभी स्कूलों में सभी विषयों के शिक्षक अपेक्षित संख्या में हों। शिक्षकों के पेशेवर विकास, काम करने की परिस्थितियों और कार्य प्रदर्शन के प्रबंधन पर मुख्य ध्यान होगा। हालाँकि संसाधनों को स्कूल कॉम्प्लेक्स के स्कूलों के बीच आपस में साझा किया जाएगा, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में नीति के अनुरूप कार्य करने हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। [2022]

SG-SDoE.3 SCERT.1-3 में वर्णित पाठ्यक्रम सुधार के साथ-साथ सभी स्कूलों में अनुकूल वातावरण निर्माण और प्रासंगिक पठन-पाठन सामग्री करायी जाएगी जिससे नयी पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्रीय और मूल्यांकन मानकों का पालन सुनिश्चित हो | [2023]

शिक्षा मंत्रालय और राज्य शिक्षा विभाग द्वारा उठाये जाने वाले कदम

MoE-SDoE.1 RSA और इसके राज्य स्तरीय निकाय, MWCD की मदद से, प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा को स्कूली शिक्षा के साथ एकीकृत कर दिया जाएगा। यह एकीकरण सभी पक्षों में होगा – गवर्नेंस, नियमन, पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्र | लेकिन मौजूदा संरचनाओं का भौतिक एकीकरण नहीं किया जाएगा। यह कार्य RSA- MoE.3 के साथ सामंजस्य से होगा। [2020]

MoE-SDoE.2 MoE-SDoE.1 के पूरे होने के बाद, प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा का सभी राज्यों में संस्थागत स्तर पर क्रियान्वयन स्थानीय ज़रूरतों, भूगोल एवं आधारभूत सुविधाओं की व्यवहार्यता के आधार पर चार तरीकों से किया जाएगा। NCERT.1 और SCERT.1 के अनुसार 2022 तक प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा की पाठ्यचर्या को लागू करने और इस हेतु उपयुक्त आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई जाएगी और 2028 तक इसको पूरी तरह से क्रियान्वित कर दिया जाएगा। यह कार्य SG-SGoDE.2 के सामंजस्य में किया जाएगा। [2022-2028]

MoE-SDoE.3 निम्न चरणों में, विशेष उम्र समूह के लिए प्रासंगिकता, आंतरिक संगतता और समग्रता का ध्यान रखते हुए, स्कूल की पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्र का पुनर्गठन किया जाएगा:

- पांच वर्ष का बुनियादी स्तर: 3 वर्षों का पूर्व प्राथमिक स्कूल और 1-2 स्तर
- तीन वर्ष का प्राथमिक स्तर: 3-5 स्तर
- तीन वर्ष का उच्च प्राथमिक स्तर: 6-8 स्तर
- चार वर्ष का माध्यमिक स्तर: 9-12 स्तर

माध्यमिक स्तर में कक्षा स्तर 9 से 12 तक 4 वर्ष का अध्ययन होगा और हर वर्ष 2 सेमेस्टर में बंटा होगा इस प्रकार कुल 8 सेमेस्टर होंगे | [2022]

MoE-SDoE.4 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए तुरंत ही कदम उठाये जायेंगे और आवश्यकतानुसार अपरंपरागत उपाय अपनाये जाएंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुदाय की बड़े पैमाने पर लामबंदी (mobilisation) और जुड़ाव सुनिश्चित किया जायेगा। स्कूल शिक्षकों की सहायता के लिए रेमिडियल इंस्ट्रक्शनल एड प्रोग्राम (RIAP) और नेशनल ट्यूटर प्रोग्राम (NTP) को आरम्भ करा जाएगा।

स्कूली शिक्षकों को RIAP और NTP के नेतृत्व के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और वे विशेष क्षमता संवर्धन कार्यक्रम से गुजरेंगे जिससे सभी विद्यार्थियों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस कार्य में सरकारी स्कूलों के समस्त शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। [2022]

MoE-SDoE.5 MoE-SDoE.3-4, NCERT.1-2 और SCERT.1-3 के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के साथ सभी स्कूलों में एक अनुकूल माहौल के निर्माण और प्रासंगिक पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे नयी पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्रीय और मूल्यांकन के लिए तय मानकों के अनुसार कार्य सुनिश्चित हो। [2023]

MoE-SDoE.6 उच्च शिक्षा में नए संस्थानों की संरचना में तीन प्रकार के संस्थान होंगे | प्रकार 1 (टाइप 1) के संस्थान शोध और शिक्षण पर बराबरी से ध्यान देंगे, प्रकार 2 (टाइप 2) मुख्य रूप से शिक्षण पर ही ध्यान देंगे लेकिन उनके कार्य में कुछ महत्वपूर्ण शोध भी शामिल होंगे। प्रकार 3 (टाइप 3) के संस्थान सिर्फ शिक्षण पर ध्यान देंगे। वर्तमान स्थिति के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के आधार पर इन तीनों प्रकार के HEIs विकसित करने की योजना बनायी जाएगी। यह योजनायें RSA-MoE.6 का आधार बनेंगी | [2020]

MoE-SDoE.7 HEIs के सारे अकादमिक और गैर-अकादमिक पदों को स्थायी (कार्यकाल) व्यवस्था के तहत भरा जाएगा। संकाय के पेशेवर विकास की प्रक्रिया को HEI और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर संस्थागत रूप से किया जाएगा। MoE और राज्य शिक्षा विभाग NHERA के साथ समन्वयपूर्वक इस ज़िम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। [2023]

MoE-SDoE.8 देश भर के सभी स्तरों में शैक्षिक रूप से वंचित और अल्प-प्रतिनिधित्व वाले समूहों को शिक्षा के हर स्तर पर जोड़ने सम्बंधित पहलों में से एक शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों में विशेष शिक्षा क्षेत्र (स्पेशल एजुकेशन ज़ोन) बनाया जाना होगा जिस हेतु निर्धारित निवेश भी उपलब्ध होगा | यह स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों के लिए लागू होगा| विद्यार्थियों को स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनुदान की व्यवस्था बनायी जाएगी | शिक्षा में समावेशन को बेहतर करने के लिए भी इस कोष का उपयोग होगा| URGs की विशेष ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से सहायता और कार्यक्रम उपलब्ध कराये जाएंगे| ये कार्य RSA-MoE.7 और SG-SDoE.2 के साथ सामंजस्य रखते हुए किये जायेंगे | [2025]

MoE-SDoE.9 बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने वाले प्रयासों में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम और स्कूली स्तर पर इनके पालन हेतु औपचारिक प्रक्रियाएं स्थापित करना शामिल होगा | अधिकारों के अनुपालन हेतु स्कूली प्रक्रियाएं SSRA.1 का आधार बनेंगी | [2020]

MoE-SDoE.10 व्यावहारिक साक्षरता और संख्याज्ञान पर जोर देने के लिए और तदुपरांत बुनियादी शिक्षा, कौशल विकास और सतत शिक्षा हेतु कार्यक्रम चलाये जायेंगे| यह कार्यक्रम ज़्यादातर महिलाओं और सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की शिक्षा पर केन्द्रित होंगे | [2020]

MoE-SDoE.11 विविध प्रकार की शैक्षिक सामग्री का ऑनलाइन संकलन उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें उच्च गुणवत्तापूर्ण संसाधन होंगे. इसमें अलग-अलग भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद और भारतीय और विदेशी भाषाओं के बीच अनुवादित सामग्री भी शामिल होगी| मूल ग्रंथों को सभी भारतीय भाषाओं में विकसित किया जाएगा| इसकी शुरुआत अनुसूची 8 (Schedule 8) की भाषाओं से होगी, लेकिन यह काम इन भाषाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा| [2030]

MoE-SDoE.12 शिक्षक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा| हर स्तर के लिए शिक्षक की तैयारी के लिए सिर्फ बहुअनुशासनिक विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय कार्यक्रम उपलब्ध किये जायेंगे | इसकी पाठ्यचर्या और प्रक्रियाओं को समकालिक मुद्दों की रोशनी में संशोधित किया जाएगा| जो संस्थान अभी दो वर्षीय कार्यक्रमों को उपलब्ध

करा रहे हैं वे या तो चार-वर्षीय रूप ले लेंगे या चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिए जाएंगे। किसी भी नए दो वर्षीय कार्यक्रम को मान्यता नहीं दी जाएगी। इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए MoE और राज्य शिक्षा विभाग PSSBs के रूप में NHERA और NCTE के साथ समन्वय करेंगे। [2030]

राज्य शिक्षा विभागों द्वारा उठाए जाने वाले कदम

SDoE.1 राज्य की समग्र शिक्षा व्यवस्था के लिए (जिसमें पूर्व प्राथमिक स्कूल भी शामिल हैं) एकमात्र नियामक के रूप में एक स्वतंत्र अर्ध-न्यायिक निकाय के तौर पर एक राज्य स्कूल नियामक प्राधिकरण (SSRA) स्थापित किया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी में स्कूल मान्यता सम्बन्धी व्यवस्था और कार्य पर निगरानी रखना भी शामिल होगा। दोनों, सरकारी और निजी स्कूलों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा जिससे निजी परोपकारी प्रयासों को बढ़ावा मिले और शिक्षा की लोकहित वाली भूमिका को सुनिश्चित किया जाये। संचालन DSE संभालेगी। राज्य भर की सरकारी स्कूली व्यवस्था DSE द्वारा संचालित होगी | [2020]

SDoE.2 शिक्षक नियुक्ति और प्रबंधन की व्यवस्था को बदला और सुधारा जाएगा। [2023]

SDoE.3 स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित होंगे। [2023]

राज्य स्कूल नियामक प्राधिकरण (SSRA) द्वारा उठाये जाने वाले कदम

SSRA.1 NIEPA के साथ साझेदारी में विकसित राज्यों की स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन व्यवस्था (School Quality Assessment and Accreditation System, SQAAS) का उपयोग SSRA द्वारा नियामक कार्यों के लिए किया जाएगा और यह LSS की आवश्यकताओं और मानकों का आधार होगा। [2023]

स्कूली शिक्षा निदेशालय द्वारा उठाये जाने वाले कदम

DSE.1 जिला शिक्षा परिषद के गठन द्वारा गवर्नेंस का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। इसका नेतृत्व कलेक्टर/जिलाधीश करेंगे और स्कूल/स्कूल कॉम्प्लेक्स की प्रबंधन समितियों के माध्यम से स्कूल के शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों और समुदाय की भागीदारी गवर्नेंस कार्य में सुनिश्चित की जाएगी। [2023]

DSE.2 स्कूल प्रमुखों को नियुक्ति उनकी नेतृत्व क्षमता और भूमिका के लिए उपयुक्तता के आधार पर की जाएगी न कि वरिष्ठता के आधार। स्कूल प्रमुखों को सतत पेशेवर विकास हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। [2023]

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा उठाये जाने वाले कदम

NCERT.1 स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए, प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा से कक्षा 12 तक के लिए नीति के मुताबिक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को विकसित किया जाएगा। इसमें MoE-SDoE.3 में दिये गए नए शिक्षा-शास्त्रीय ढांचे को ध्यान में रखा जाएगा। यह रूपरेखा एकीकृत और लचीली प्रकृति की होगी और इसका मुख्य ध्यान अनिवार्य अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन, लचीलापन, बहुभाषिकता, भाषा और साहित्य, संचार, परिमाणात्मक तर्क वितर्क, रचनात्मकता, शारीरिक स्वास्थ्य, नैतिक तर्क, व्यावसायिक कौशल के अवसर, डिजिटल साक्षरता और भारत और समकालीन मुद्दों के बारे में ज्ञान पर होगा। प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा को शामिल करने के लिए NCERT के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। [2020]

NCERT.2 NCERT.1 के साथ सामंजस्य रखते हुए एक नयी मूल्यांकन व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा जिसका मुख्य उद्देश्य मूल अवधारणाओं और कौशलों के साथ-साथ उच्च स्तर की क्षमताओं का मूल्यांकन करना होगा। समुचित अधिगम सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग तरीकों से रचनात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के हर क्षेत्र में अधिगम और विकास के मूल्यांकन हेतु नयी मूल्यांकन व्यवस्था के अनुरूप दिशा-निर्देश उपलब्ध कराये जायेंगे। [2021]

राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (अथवा समकक्ष संस्थानों) द्वारा उठाये जाने वाले कदम

SCERT.1 एक बार NCERT.1 के पूरा हो जाने के बाद, SCERT (या उसके समकक्ष संस्थान) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से संगतता में राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा को विकसित करेंगे। [2021]

SCERT.2 NCERT.2 और SCERT.1 से संगतता में राज्य की मूल्यांकन व्यवस्था को विकसित किया जाएगा। [2022]

SCERT.3 राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा और SCERT.1-2 में मूल्यांकन व्यवस्थाओं के अनुरूप विविध भाषाओं में सम्पूर्ण पाठ्यचर्या क्षेत्रों में पाठ्यपुस्तकें और अन्य सामग्री का निर्माण किया जाएगा। [2023]

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद और हर राज्य में राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (या समकक्ष संस्थानों) द्वारा उठाये जाने वाले कदम

N/SCERT.1 सभी राज्यों में शिक्षकों के लिए सतत पेशेवर विकास व्यवस्था को नया रूप दिया जाएगा। पर्याप्त योग्य लोगों को नियुक्त करके, मूलभूत सुविधाओं में सुधार और सशक्तिकरण द्वारा CRCs, BRCs, BITEs, DIETs और SCERTs को पुनरुज्जीवित किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये संस्थान प्रशासनिक कार्यों में न उलझे रहें। इस ज़िम्मेदारी के निर्वाह के लिए NCERT SCERTs की सहायता करेगा। [2023]

N/SCERT.2 शिक्षक और संस्थान प्रमुखों का शिक्षणशास्त्र, अन्य पाठ्यचर्यात्मक मुद्दों और शिक्षा के प्रबंधन में तकनीकी के इस्तेमाल के बारे में उन्मुखीकरण किया जाएगा। [2025]

केंद्रीय और राज्य मूल्यांकन बोर्ड द्वारा उठाये जाने वाले कदम

CB-SB.1 केन्द्रीय और राज्य बोर्ड की सर्टिफिकेट परीक्षा को NCERT.1-2 और SCERT.1-2 में दिए पाठ्यचर्यात्मक और मूल्यांकन सम्बन्धी सुधारों के अनुरूप नया स्वरूप दिया जायेगा। मुख्य रूप से, कक्षा 10 और कक्षा 12 में समग्र बोर्ड परीक्षा को समाप्त कर दिया जायेगा और इसकी जगह हर विषय का मॉड्यूल-आधारित मूल्यांकन किया जायेगा जिन्हें कक्षा 9 से कक्षा 12 तक कभी भी लिया जा सकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर के अंत में और कक्षा 10 और कक्षा 12 के स्तर पर सर्टिफिकेट की आवश्यकता को नया स्वरूप दिया जायेगा. विशेष तौर पर कक्षा 10 और 12 की सर्टिफिकेट परीक्षा सेमेस्टर और मॉड्यूल-आधारित परीक्षा व्यवस्था को दर्शाएगी।

हालाँकि स्कूल छोड़ते वक्त विद्यार्थियों के कौशल स्तर अनुसार सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मूल्यांकन बोर्ड निभाएगा लेकिन पाठ्यचर्या निर्माण (पाठ्यपुस्तक समेत) में बोर्ड की कोई भूमिका नहीं रहेगी। [2023]

शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा उठाये जाने वाले कदम

MoE-NTA.1 स्वायत्त नेशनल टेस्ट एजेंसी (NTA) विभिन्न विषयों में और रुझान सम्बन्धी परीक्षा (aptitude test) आयोजित करेगी जिसे वर्ष में कई बार दिया जा सकता है। [2023]

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा उठाये जाने वाले कदम

NAAC.1 NAAC एक पूरी तरह से विकसित प्रत्यायन परितंत्र (Accreditation ecosystem) का निर्माण करेगा। इसमें लगभग 100-150 प्रत्यायन संस्थान होंगे और जिनके तहत HEIs को नियमित रूप से प्रत्यायित किया जाएगा। [2032]

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण (NHERA) द्वारा उठाये जाने वाले कदम

NHERA.1 प्रत्यायित (accreditation) होने के बाद सभी HEIs के पास सम्पूर्ण प्रशासनिक, अकादमिक और आर्थिक स्वायत्ता और सशक्त और स्वतंत्र संचालक बोर्ड (बोर्ड ऑफ़ गवर्नर) होगा | विश्विद्यालयों से सम्बद्ध होने की व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। NHERA इस जिम्मेदारी का निर्वाह NAAC के साथ मिलकर पूरा करेगा। [2030]

NHERA.2 घटिया प्रदर्शन करने वाले और तय मानकों की अनुपालना नहीं करने वाले शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा। [2023]

उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (HEGC) द्वारा उठाये जाने वाले कदम

HEGC.1 सार्वजनिक अनुदान के निर्धारण के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली स्थापित की जाएगी जो प्रत्यायन के अनुरूप मानदंडों पर आधारित होगी। [2023]

सामान्य शिक्षा परिषद (जनरल एजुकेशन काउंसिल) द्वारा उठाये जाने वाले कदम

GEC.1 एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता रूपरेखा (नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, NHEQF) तैयार की जाएगी जो ऐसे सभी पाठ्यचर्या विषयों और क्षेत्रों के लिए जिनके खुद के पेशेवर मानक निर्धारित करने वाले निकाय नहीं हैं, डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेशन से सम्बन्धित सीखने के प्रतिफल तय करने वाला एक मार्गदर्शीय दस्तावेज़ होगा | व्यावसायिक धारा के कोर्स के मामले में, तुल्यता और गतिशीलता बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा और NHEQF के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। [2023]

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण (NHERA) और सामान्य शिक्षा परिषद (जनरल एजुकेशन काउंसिल (GEC)) द्वारा उठाये जाने वाले कदम

NHERA-GEC.1 मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओपन और डिस्टेंस लर्निंग, ODL) के व्यवस्थित विकास और नियमन के लिए NHERA मानक और दिशा-निर्देश तैयार करेगा। ODL की गुणवत्ता के लिए GEC द्वारा एक रूपरेखा तैयार की जाएगी जो सभी HEIs के लिए अनुशासनात्मक होगी। [2023]

उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा उठाये जाने वाले कदम

HEI.1 पेशेवर और व्यावसायिक - सारे स्नातक कार्यक्रम लिबरल एजुकेशन कार्यक्रम चलाएंगे जिनमें बहुअनुशासनिक दृष्टिकोण रखते हुए विशेषज्ञता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन कार्यक्रमों से बाहर निकलने के लिए कई विकल्प उपलब्ध होंगे। सारे स्नातक कार्यक्रमों को इन सिद्धांतों के आधार पर नया स्वरूप दिया जायेगा। यह रूपांतरण RSA-MoE.5 के द्वारा किया जाएगा। [2023]

HEI.2 अध्ययन के पेशेवर और व्यावसायिक क्षेत्रों (उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग, मेडिसिन, कानून, शिक्षक शिक्षा) को पूरी तरीके से उच्च शिक्षा में एकीकृत कर दिया जाएगा और एक तरह की लिबरल दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा। यह जिम्मेदारी नियामक व्यवस्था, GEC और PSSB द्वारा निभाई जाएगी। [2023]

HEI.3 NFHEQ के आधार पर बनी रचनात्मक, जीवंत, पुष्ट और आवश्यकतानुरूप पाठ्यचर्या सीखने के लिए प्रेरित करने वाले अनुभवों और विकासात्मक मूल्यांकन में मदद करेगी। यह कार्य GEC.1 के साथ सामंजस्य में होगा। सभी HEIs में सीखने के लिए एक प्रभावशाली और सम्पन्न वातावरण का निर्माण किया जाएगा।

HIEs को ये जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए GEC और सम्बंधित PSSBs द्वारा सहयोग दिया जायेगा। [2030]

HEI.4 उच्च शिक्षा की चाह रखने वाले सभी लोगों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ODL कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्र को पुष्ट किया जाएगा जिससे इन कार्यक्रमों की गुणवत्ता कक्षा-आधारित कार्यक्रमों की गुणवत्ता से बेहतर या समकक्ष हो। HEIs को इस जिम्मेदारी के निर्वाह हेतु NHERA से सहयोग प्राप्त होगा। यह कार्य NHERA-GEC.1 के साथ सामंजस्य में किया जाएगा। [2030]

HEI.5 सिर्फ अकादमिक कामयाबी हासिल करने के लिए ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की देखभाल, उनके समग्र विकास हेतु HEIs में सहायता प्रदान की जाएगी। यह MoE-SDoE.8 के साथ सामंजस्य में किया जाएगा। [2030]

प्रासंगिक नियुक्ति निकाय/ समिति द्वारा उठाये जाने वाले कदम

ALL.1 एक स्पष्ट, दुरुस्त और पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा RSA, NHERA, NCERT, SCERT, BITE, DIET, स्कूल प्रमुख, आदि सभी निकायों और संस्थानों में नेतृत्व के पदों पर नियुक्तियों की जाएँगी। नियुक्ति प्रक्रिया की सार्वजनिक जांच संभव होगी। नेतृत्व पदों पर उन्हीं लोगों की नियुक्ति होगी जो व्यक्तिगत स्तर पर उँचे दर्जे की ईमानदारी और उत्कृष्ट अकादमिक रिकार्ड रखते होंगे और जो प्रतिबद्धता और पारदर्शिता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। [2020]

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाये जाने वाले कदम

UG-SG.1 सार्वजनिक निवेश में तब तक उत्तरोत्तर थोड़ा-थोड़ा वृद्धि की जाती रहेगी जब तक वह सम्पूर्ण सार्वजनिक व्यय के 20 प्रतिशत तक नहीं पहुँच जाता। [2030]

A2.4. निष्कर्ष

RSA और समतुल्य राज्य स्तर के निकाय द्वारा गठित टीम द्वारा नीति के क्रियान्वयन की प्रगति की संयुक्त वार्षिक समीक्षा हर निर्धारित कार्य के उद्देश्य के आधार पर की जाएगी।

निर्धारित समय सीमा के अन्दर यदि राज्य के कुछ लक्ष्य पूरे नहीं होते तो उसके कारणों की जांच के बाद उनकी समय सीमा के पुनः निर्धारण का प्रावधान होगा और साथ ही जिन कारणों से ऐसा किया जायेगा उन्हें सुलझाने के लिए उपचारी कदम तुरंत उठाये जाएंगे।

2030 तक यह अपेक्षित है कि इन दस सालों में मूल्यांकन के लिए, क्रियान्वयन दुरुस्त करने के लिए और आवश्यकतानुसार बड़े बदलावों के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो गए होंगे। अतः समग्रता में नीति के क्रियान्वयन की एक व्यापक समीक्षा की जाएगी।

दशक 2030-40 तक सम्पूर्ण नीति को लागू कर दिया जाएगा और उसके बाद एक और व्यापक समीक्षा की जाएगी। साथ में यह भी अपेक्षित है कि वार्षिक समीक्षाएँ भी जारी रहेंगी।



अनुबंध: भाग I

Appendix I

Drafting Committee for Draft National Education Policy

1	Manjul Bhargava R. Brandon Fradd Professor of Mathematics, Princeton University Princeton, U.S.A.
2	K. Ramachandran Advisor, IAIEPA National Institute of Educational Planning and Administration New Delhi
3	Anurag Behar CEO, Azim Premji Foundation & Vice Chancellor, Azim Premji University Bengaluru
4	Leena Chandran Wadia Chief Consultant, Technical Secretariat to the Committee for Draft National Education Policy 2018 Bengaluru

Appendix II

Peer Reviewers of the Draft National Education Policy

1	Jayaprakash Narayan General Secretary Foundation for Democratic Reforms, Hyderabad
2	P. Rama Rao Chairman Governing Council Indian Institute of Science, Bengaluru
3	J.S. Rajput India's representative to the Executive Board of UNESCO Former Director, NCERT, New Delhi
4	Vijay Kelkar Former Chairman National Institute of Public Finance and Policy New Delhi
5	Aniruddha Deshpande Former Principal Bruhan Maharashtra College of Commerce, Pune
6	Dinesh Singh Former Vice-Chancellor, Delhi University, New Delhi
7	Mohandas Pai Chairman, Manipal Global Education, Bengaluru

Appendix III

Secretariat to the Committee for Draft National Education Policy

The University Grants Commission (UGC), New Delhi was the Secretariat to the Committee, which provided all administrative and secretarial assistance as well as logistical support for conduct of meetings, hospitality, travel and stay arrangements.

1.	Dev Swarup Joint Secretary (Admn.), University Grants Commission
2.	Jitendra K. Tripathi Joint Secretary (Admn.), University Grants Commission
3.	Tirath Ram Under Secretary, University Grants Commission
4.	Hitesh Manik University Grants Commission
5.	Dwarka Prasad University Grants Commission

Appendix IV

Technical Secretariat to the Committee for Draft National Education Policy

The University Grants Commission (UGC) set up a Technical Secretariat in the National Assessment and Accreditation Council (NAAC), Bengaluru with office space and basic facilities for the smooth day to day functioning of the Committee. M. K. Sridhar, Member, headed the same. A team of Chief Consultants were inducted to assist the Committee in data analysis and research. Two consultants on the National Education Policy from the Ministry also assisted the Technical Secretariat.

1	Leena Chandran Wadia Observer Research Foundation, Mumbai
2	Viraj Kumar Visiting Professor Divecha Centre for Climate Change, Indian Institute of Science, Bengaluru
3	Vinayachandra Director Veda Vignana Shodha Samsthanam, Bengaluru
4	Chetan B. Singai Assistant Professor Ramaiah College of Law, Bengaluru Deputy Director, Ramaiah Public Policy Centre, Bengaluru

5	Gowrisha Head New Initiatives, Centre for Educational and Social Studies, Bengaluru
6	Hem Raj Assistant Section Officer (ASO), MHRD
7	Shakeel Ahemed Quereshi Consultant (NEP), MHRD
8	Ramanand Pandey Consultant (NEP), MHRD
9	Soumya Prakash B.S. Researcher

NAAC, Bengaluru, as the agency nominated by UGC, provided the space and other logistics for the Technical Secretariat. For ensuring smooth facilitation, the following NAAC officials played a critical supportive role.

1	Vishnukant S. Chatpalli Advisor
2	M. Arun Administrative Officer
3	V. Uma Shankar Finance Officer
4	V. Lakshman Senior Facilitation cum Liaison Officer

Appendix V

परामर्श प्रक्रिया : पुनरावलोकन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2018, एक गहन, सहभागितापूर्ण, समावेशी और बहु-आयामी परामर्श प्रक्रिया का परिणाम है। इस समिति का कार्य इस नाते भी चुनौतीपूर्ण रहा कि ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्तमान में जारी प्रक्रिया जो जनवरी 2015 में शुरू की गयी थी उसका समेकन था। समिति के स्वयं के प्रयासों से पूर्व इसे एक विशाल मात्रा में प्राप्त सुझावों, इनपुट, रिपोर्टों, आउटकम दस्तावेजों का विश्लेषण एवं परीक्षण करने के दुस्साध्य कार्य का दायित्व मिला था।

इस महत्वपूर्ण दस्तावेज के निर्माण के दौरान जिस अन्तर्निहित भावना से समिति निर्देशित हो रही थी वह मुख्यतः एक ऐसा दृष्टिपत्रक बनाना था जो कम से कम अगले 20 वर्षों तक प्रासंगिक बना रहे। अतः समिति के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था कि अनुशंसाओं में, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के साझा न्यूनतम उद्देश्य की तरफ बढ़ते हुए, विभिन्न हितधारकों की विविध आवश्यकताओं को सुसंगत और विवेकपूर्ण ढंग से पूरा किया जाए।

पूर्व में हुए विस्तृत परामर्शों के बावजूद, इस व्यापक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस समिति ने स्वयं भी, विभिन्न हितधारकों के साथ अलग से विचार विमर्श एवं चर्चाएँ आयोजित कीं। इनमें स्वायत्त निकायों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT), भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU), राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (NIEPA), राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC); विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख शैक्षिक संस्थान; सरकारी, निजी एवं गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थान एवं संस्थाएं; विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियाँ; पेशेवर शैक्षिक समूह, जैसे तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, कानूनी शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा, एवं कृषि शिक्षा, साथ ही प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा शामिल है। समिति ने भारत

सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, कौशल विकास एवं उद्यमिता, कानूनी मामलों, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय तथा साथ ही नीति आयोग एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) के साथ बैठकें करीं। समिति ने राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, लिबरल आर्ट्स तथा मानविकी एवं भाषा की अकादमियों तथा विशेषज्ञ समूहों के साथ बातचीत की।

देश की विविधता के प्रति संवेदनशीलता के चलते समिति ने देश की विभिन्न अल्पसंख्यक संस्थाओं (जैसे मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, पारसी एवं बौद्ध) तथा निःशक्तजनों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ट्रांसजेंडर तथा अन्य हाशियाकृत समूहों के प्रतिनिधियों के भी विचार एवं सुझाव लेने के प्रयास किये। इन मशविरों का उद्देश्य था कि इनमें से हर वर्ग की ज़रूरतों और चुनौतियों को समझना ताकि सभी को सहभागिता करने के समान अवसर एवं न्यायपूर्ण परिस्थितियां सुनिश्चित हो सके।

विभिन्न औद्योगिक एसोसिएशन/निकाय एक अन्य बड़ा हिस्सा था जिनसे परामर्श किया गया। उन्होंने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने, कौशल विकास के माध्यम से रोजगार की योग्यता को बढ़ाने तथा शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने के संबंध में विस्तृत प्रेजेंटेशन दिए। देश की संघात्मक प्रकृति एवं शिक्षा के समवर्ती सूची का विषय होने के तथ्य के मद्देनज़र, समिति ने पूर्व में राज्य सरकारों के साथ किये गए विचार विमर्श को ज़मीनी स्तर की संस्थाओं के साथ बातचीत से अनुपूरित किया। इन संस्थाओं में शामिल हैं माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, निजी एवं सरकारी विद्यालय, राज्यों के सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालय तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थान।

इस समिति के कार्य को, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जनवरी 2015 में शुरू किये गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के कार्य की निरंतरता में देखा जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए 33 थीम की पहचान की गयी जिसमें 20 थीम उच्च शिक्षा तथा 13 थीम स्कूली शिक्षा से संबंधित थीं। पूर्व में किये गए प्रयासों जिसमें टॉप डाउन नज़रिया अपनाया गया था, जहाँ एक शिक्षा आयोग द्वारा अपने आंतरिक कार्य समूहों के प्रतिवेदनों के आधार पर अनुशंसायें दी गई थी उससे यह परामर्श प्रक्रिया

काफ़ी अलग रही। यह प्रक्रिया अधिक सहभागी और लोकतांत्रिक थी जिसमें बॉटम अप या ज़मीनी स्तर से परामर्श किये गए ताकि हर नागरिक को नीति निर्माण करने में सहभागिता करने के अवसर मिल सके। एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया जिसमें MyGov पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन परामर्श, विभिन्न तरह के संस्थानों/संस्थाओं द्वारा थीम आधारित एवं विशेषज्ञों द्वारा परामर्श तथा तकनीकी प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हुए, पंचायतों से लेकर राज्य स्तर के मंत्रालय-संचालित और राज्य-निर्देशित ज़मीनी परामर्श शामिल रहे।

सहकारी संघवाद की भावना को सुनिश्चित करते हुए, इस परामर्श प्रक्रिया की चर्चा अगस्त 2015 में हुई केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) की 63वीं बैठक में की गयी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, सितम्बर से लेकर अक्टूबर 2015 तक, पूर्वी, मध्य, उत्तर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तरी मण्डलों में 6 मण्डलीय बैठकें आयोजित की गईं जिनमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। इन मण्डलीय बैठकों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों और अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। अक्टूबर 2016 में हुई केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) की 64वीं बैठक में भी नई शिक्षा नीति पर चर्चा की गयी। मई 2015 से अक्टूबर 2015 के बीच 2.5 लाख पंचायतों, 6600 ब्लॉक, 6000 शहरी स्थानीय निकायों, 676 जिलों एवं 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ज़मीनी स्तर पर परामर्श किये गए। आखिर में 110623 गांवों, 3250 ब्लॉक, 962 शहरी स्थानीय निकायों, 406 जिलों, 21 राज्यों ने इन परामर्शों के निष्कर्षों को survey.mygov.in पर अपलोड किया। जो सुझाव, इनपुट और टिप्पणियाँ प्राप्त हुई उसमें आम जनता के विभिन्न वर्गों से लगभग 35000 ऑनलाइन सुझाव, भारत सरकार के 31 मंत्रालयों से, 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से, 76 सांसदों, 305 अति विशिष्ट व्यक्तियों (VIP), 324 संस्थाओं/संस्थानों, व्यक्तियों के 485 पत्र, 7613 इलेक्ट्रॉनिक सन्देश तथा प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति सचिवालय से मिले इनपुट शामिल थे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण हेतु, 31 अक्टूबर 2015 में, पूर्व कैबिनेट सचिव, भूतपूर्व श्री.टी.एस.आर. सुब्रमनियन की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन मई 2016 में सौंपा। इसके उपरान्त मंत्रालय ने कुछ आंतरिक प्रक्रियाएँ संपन्न की

जिसकी परिणिति “*Some Inputs for Draft National Education Policy, 2016*” दस्तावेज़ के रूप में हुई। वर्तमान समिति द्वारा, इस दस्तावेज़ तथा टी.एस.आर सुब्रमनियन समिति की रिपोर्ट को इनपुट के रूप में लिया गया। 10 अगस्त 2016 में संसद के मानसून सत्र के दौरान, नियम 176 के अंतर्गत राज्य सभा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (प्रारूप) पर एक अल्प अवधि चर्चा आयोजित की गयी। सांसदों के साथ नयी शिक्षा नीति पर चर्चा करने के लिए नवम्बर 2016 में एक ‘शिक्षा संवाद’ आयोजित किया गया।

समिति के लिए, वृहद् एवं प्रचुर इनपुट एक बड़ा अवसर भी था और इसने एक चुनौती भी पेश की। किन थीम पर जोर रहेगा इसका निर्णय करने के लिए समिति ने कुछ महत्वपूर्ण शब्द चिन्हित किये। समिति को न सिर्फ स्वयं के द्वारा संचालित परामर्शों और विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ाव से मदद मिली बल्कि नीति (policy action) बनाते वक़्त व्यापक सुझावों और प्रतिवेदनों से भी काफी कुछ गृहण किया है।

समिति की 12 बैठकें हुई और इनमें सोच विचार, महत्वपूर्ण थीम चिन्हित करने से लेकर थीम को एक नीतिगत दस्तावेज़ में ढालने के की चर्चा की गयी। इस दौरान कई बदलाव होते रहे ताकि पहुँच, समता, गुणवत्ता, जवाबदेही और वहनीयता के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। इन परामर्श बैठकों का विवरण परिशिष्ट VII में दिया गया है।

शकीला शम्सु

ओ.एस.डी. (एन.ई.पी.) एवं समिति सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

Appendix VI

Meetings of the Committee for Draft National Education Policy

	Details	Date & Venue
1	First Meeting	11 July 2017 – UGC, New Delhi
2	Second Meeting	16-18 August 2017 – NAAC, Bengaluru
3	Third Meeting	21-22 September 2017 – NAAC, Bengaluru
4	Fourth Meeting	10-12 October 2017 – UGC, New Delhi
5	Fifth Meeting	14-15 November 2017 – NAAC, Bengaluru
6	Sixth Meeting	30 November-1 December 2017 – NAAC, Bengaluru
7	Seventh Meeting	22-23 December 2017 – NAAC, Bengaluru
8	Eighth Meeting	30-31 January 2018 – NAAC, Bengaluru
9	Ninth Meeting	19-20 February 2018 – NAAC, Bengaluru
10	Tenth Meeting	26 March 2018 – Raman Research Institute, Bengaluru
11	Informal Meeting of the Committee Members with the Chairman	29 May 2018 – UGC, New Delhi
12	Eleventh Meeting	4 June 2018 – UGC, New Delhi
13	Committee Briefing Meeting	17 August 2018 – UGC, New Delhi
14	Informal Meeting of the Committee	20 October 2018 – NAAC, Bengaluru

Appendix VII

Details of Consultations by the Committee for Draft National Education Policy (July 2017 onwards)

The following is an inventory of various organizations, autonomous bodies, institutions, ministries, eminent persons and individuals with whom the Committee or any member has met and interacted. It is to be noted that under the first category, only institutions/ organizations have been listed which were represented by several functionaries and officials, whose individual names have not been included.

I. Ministries / Institutions / Associations / Organizations

1. *Aga Khan Foundation*
2. *Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad*
3. *Akshay Patra Foundation*
4. *All India Council for Technical Education*
5. *All India Management Association*
6. *All India Secondary Teachers Association*

7. *Anjuman-I-Islam*
8. *Associated Chambers of Commerce of India*
9. *Association of Healthcare Providers India, Bengaluru*
10. *Association of Indian Universities, New Delhi*
11. *Azim Premji University*
12. *Bharath Shikshana Mandal*
13. *Bharatiya Shiksha Shodh Sansthan, Lucknow*
14. *Catholic Bishops' Conference of India*
15. *Center for Contemporary Studies – Indian Institute of Science, Bengaluru*
16. *Confederation of Indian Industry*
17. *Consortium of Christian Minority Higher Education Institutions*
18. *Darul Uloom Deoband*
19. *Department of Higher Education, MHRD*
20. *Department of Legal Affairs, New Delhi*
21. *Department of School Education and Literacy, MHRD*
22. *Education Promotion Society of India, New Delhi*
23. *Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry*
24. *Indian Academy of Sciences*
25. *Indian Council of Agricultural Research, New Delhi*
26. *Indian Council of Historical Research*

27. *Indian Council of Philosophical Research*
28. *Indian Institute of Management, Ahmedabad*
29. *Indian Institute of Science, Bengaluru*
30. *Indian National Academy of Engineering*
31. *Indian National Science Academy*
32. *Indian Society for Training and Development*
33. *Institute of Chinese Studies*
34. *International Conference on Harmonisation*
35. *International Institute of Information Technology, Bengaluru*
36. *Librarians from leading Institutions, Bengaluru*
37. *Maharashtra Cosmopolitan Education Society, Pune*
38. *Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad*
39. *Ministry of Agriculture, New Delhi*
40. *Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi*
41. *Ministry of Science and Technology, New Delhi*
42. *Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, New Delhi*
43. *Ministry of Women and Child Development, New Delhi*
44. *Muslim Educational Society*
45. *National Academy of Sciences*
46. *National Assessment and Accreditation Council, New Delhi*
47. *National Association of Software and Services Companies*

48. *National Council of Educational Research and Training*
49. *National HRD Network*
50. *National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi*
51. *National Institute of Labour Economics Research, New Delhi*
52. *National Institute of Personnel Management*
53. *National Law School of India University, Bengaluru*
54. *National Social Science Association*
55. *New Delhi Institute of Management*
56. *NITI Aayog, New Delhi*
57. *Osmania University, Hyderabad*
58. *PHD Chamber of Commerce and Industry*
59. *Prime Minister's Office, Government of India*
60. *Pune International Centre, Pune*
61. *R V College of Engineering, Bengaluru*
62. *R V Institute of Management, Bengaluru*
63. *Rahmani Foundation, Bihar*
64. *Rashtrorothana Parishat, Bengaluru*
65. *Representatives from Transgender groups*
66. *Shanthilal Mutha Foundation*
67. *Shiksha Sankul, Bengaluru*
68. *Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee*

69. *Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College*
70. *Tata Trusts*
71. *Technology Information Forecasting and Assessment Council*
72. *UNICEF*
73. *University Grants Commission*
74. *University of Mysore*

II. Eminent Persons

1. *Bharat Ratna, C.N.R. Rao, JNCASR, Bengaluru*
2. *Acharya Vidyasagarji Maharaj, Jain Muni, Pratibhasthali, Near Raipur*
3. *Alexander Thomas, Association of Health Care Providers, Bengaluru*
4. *Anantha Kumar Duraiappah, UNESCO, New Delhi*
5. *Anil Kakodkar, TIFAC, Former Chairman, Atomic Energy Commission, GOI*
6. *Anil D Sahasrabuddhe, Chairman, AICTE*
7. *Anurag Behar, Vice- Chancellor, Azim Premji University, Bengaluru*
8. *Anuradha Bakshi, Head Department of Human Development, Nirmala Niketan, Mumbai*
9. *Anuradha Deshmukh, Director (collaborations and special initiatives), YCMOU, Nashik*

10. *Ajay Seth, Additional Chief Secretary, Government of Karnataka*
11. *Anindya Gupta, American India Foundation, New Delhi*
12. *A.K. Sengupta, Higher Education Forum, Mumbai*
13. *Antara Sengupta, ORF Mumbai*
14. *Arman Ali, National Centre for Promotion of Employment for Disabled People, New Delhi*
15. *Asha Thomas, The Samhita Academy, Bengaluru*
16. *Ashish Dhawan, Co-founder, Ashoka University, Sonapat*
17. *Ashish Jain, CEO, Healthcare Sector Skill Council, New Delhi*
18. *Ashwini Chandrashekhar, Embibe, Bengaluru*
19. *Arun Aggarwal, Former Dean Maulana Azad Medical College, New Delhi*
20. *Anna Pulimood, Principal, CMC Vellore*
21. *Ajay Srivastava, Department of Radiology & Radiotherapy, UCMS & GTB Hospital, New Delhi*
22. *Balakrishna Pisupathi, former VC, Trans Disciplinary University, Bengaluru*
23. *Late Baldev Raj, National Institute of Advanced Studies, Bengaluru*
24. *Bhanumati Narsimhan, Art of Living Foundation, Bengaluru*
25. *Bhaskar Ramamurthi, Director, IIT Madras*
26. *Bhimaraya Metri, Director, IIM Trichy*
27. *Bikramjit Basu, IISc, Bengaluru*

28. *Binaifer Chogga, Principal Udayachal School, Mumbai*
29. *B.N. Suresh, ISRO, Bengaluru*
30. *Bhushan Patwardhan, Vice Chairman, UGC*
31. *Bhabatosh Biswas, Former Vice President, NBE*
32. *B.P. Sable, Former VC, YCMOU, Nashik*
33. *B.V. Ravishakar, Vice-Principal, BMS College of Engineering, Bengaluru*
34. *B N Gangadhar, Director, NIMHANS, Bengaluru*
35. *Camille Framroze, Holland and Knight LLP, Boston, USA*
36. *CBS Venkataramana, Former IAS, ASCI*
37. *Chandrashekar, Education Consultant*
38. *Chadrashekar Nair, Professor Emeritus*
39. *C. Siva Ram Murthy, IIT Madras*
40. *Late Dada J.P. Vaswani, Sadhu Vaswani Mission, Mumbai*
41. *Damodar Pujari, UNDP, Pune*
42. *David Gross, Nobel Laureate, University of California at Santa Barbara, USA*
43. *Darshan Shankar - Vice Chancellor, Trans Disciplinary University, Bengaluru*
44. *Deviprasad Shetty, Founder Narayana Health, Bengaluru*
45. *Divya Balagopal, Mundkur Law Partners, Bengaluru*
46. *D.V. Jagadish, IIT-Bombay, Mumbai*

-
47. *Dwiti Vikramaditya, Kalinga Institute of Social Sciences, Bhubaneshwar*
 48. *Dymphena Dias, Mukangan, Mumbai*
 49. *Dilip Kumar, President, Indian Nursing Council, New Delhi*
 50. *D.G. Kanhere, University of Pune*
 51. *Elizabeth Mehta, Founder-Director of the Mukangan Schools Network, Mumbai*
 52. *Elizabeth John, Former Additional Director Training, General Military Nursing Services, New Delhi*
 53. *Farida Lambay, Co-Founder Pratham, Mumbai*
 54. *Frazer Mascarenhas Former Principal St Xaviers College, Mumbai*
 55. *Furqan Qamar, Secretary-General , Association of Indian Universities, New Delhi*
 56. *Geeta Singh, Director, UGC-HRDC, University of Delhi*
 57. *Gadadhar Misra, Indian Institute of Science, Bengaluru*
 58. *Geeta Gandhi Kingdon, University College London, UK*
 59. *G. Chandrashekhar Indian Merchants Chamber, Mumbai*
 60. *G. Nagarjuna, Homi Bhabha Centre for Science Education-TIFR, Mumbai*
 61. *Govindaraju, Project Head, CESS, Bengaluru*
 62. *Gurumurthy Kasinathan, IT for Change, Bengaluru*
 63. *Guna Magesan, VC, Institute of Advanced Research, Gandhinagar*
-

64. *G.Raghuram, Director, Indian Institute of Management Bengaluru*
65. *Girish Maindarkar, President, College of Physicians, Mumbai*
66. *G. Vishwanathan, Chancellor, VIT, Vellore*
67. *Hrishikesh Senapaty, Director NCERT, New Delhi*
68. *H.S. Nagaraj, BASE Educational Services, Bengaluru*
69. *H.R Nagendra, Chancellor, SVYASA, Bengaluru*
70. *Hemlata Bagla, K.C. College, Mumbai*
71. *Indranil Manna , Director, IIT Kanpur*
72. *Indu Prasad, Azim Premji University, Bengaluru*
73. *I.P. Sharma, Ex. Additional Director, Secondary Education, Allahabad*
74. *J.B.G. Tilak, Former Vice Chancellor, NUEPA, New Delhi*
75. *Jyotsna Jha, Centre for Budget and Policy Research, Bengaluru*
76. *J.S. Rajput, Former Director, NCERT, New Delhi*
77. *Jayakar Shetty, Vice President, Dental Council of India, New Delhi*
78. *J.A.K Tareen, Former Vice Chancellor, Kashmir University*
79. *Jayaprakash Narayan, Foundation for Democratic Reforms, Hyderabad*
80. *Jayashree Shinde, Head, Department of Educational Technology, SNDT Women's University, Mumbai*
81. *John Kurrien, RTE Forum, Pune*

-
82. *Joy Chakraborty, Chief Operating Officer, P D Hinduja Hospital & MRC, Mumbai*
 83. *Venerable Kabir Saxena Bhikkhu Sumati Sasana, Buddhist Monk, New Delhi*
 84. *Kamini Kapadia, UNICEF Consultant, Maharashtra*
 85. *K. Ramachandran, National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi*
 86. *K.S. Venkatesh, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai*
 87. *K.S. Misra, Allahabad University*
 88. *Kumaraswamy T, CCL-NLSIU Bengaluru*
 89. *Kadey Soren, Orissa Tribal Council, Bhubaneswar*
 90. *K Vijay Raghavan, NCBS-TIFR; PSA, Govt. of India*
 91. *Karthik Muralidharan, University of California, San Diego, USA*
 92. *K Sadashiva Shetty, Principal, Bapuji Dental College and Hospital, Davangere*
 93. *Lalit M Patnaik, Former Vice Chancellor, DIAT, Pune*
 94. *L.S. Shashidhara, IISER Pune*
 95. *L. Subramaniam, Founder, Subramaniam Academy of Performing Arts, Bengaluru*
 96. *Latha Venkatesan, Principal, Apollo College of Nursing, Chennai*
 97. *M. Sasikumar, Centre for Development of Advanced Computing, Mumbai*
-

98. *M.R. Jayaram, Chairman, Gokula Education Foundation, Bengaluru*
99. *Madhav Menon, Founder National Law School of India University Bengaluru*
100. *Manjula Rao, British Council, New Delhi*
101. *Maya Menon, The Teacher Foundation, Bengaluru*
102. *M.A. Balasubramanya, Director, Swami Vivekananda Youth Movement, Bengaluru*
103. *Milind Mhaske, Praja, Pune*
104. *Michel Danino, IIT Gandhinagar*
105. *M. D. Srinivas, Chairman, Centre for Policy Studies, Chennai*
106. *M.M. Salunkhe, Vice Chancellor, Bharati Vidyapeeth, Pune,*
107. *Mohd. Akhtar Siddiqui, I.A.S.E, Faculty of Education, Jamia Milia Islamia, New Delhi*
108. *Mufti Abul Qasim Sahab, Mohtamim of Darul Uloom Deoband, Uttar Pradesh*
109. *Mohammed Ashraf Dar, University of Kashmir*
110. *M. R. N. Murthy, Indian Institute of Science, Bengaluru*
111. *M.S. Ananth, Former Director IIT Madras*
112. *M S Hegde, Indian Institute of Science, Bengaluru*
113. *M.S. Raghunathan, IIT Bombay*
114. *Nachiketa Tiwari, Prof. IIT Kanpur*
115. *Narasimha Murthy, Bengaluru University*

116. *Nagaraju H. N*
117. *Nalini Chugani, President, Association for Education and Development, Mumbai*
118. *Neela Dabir, Dean, School of Vocational Education, TISS, Mumbai*
119. *N.V. Satyanarayana, Informatics India Ltd, Bengaluru*
120. *N.V. Varghese, Vice-Chancellor NIEPA, New Delhi*
121. *Neelima, ISKCON, Bengaluru*
122. *Nirmala Raja*
123. *N Sathyamurthy, IISER, Mohali*
124. *N. Mukunda, Indian Academy of Sciences, Bengaluru*
125. *Om Pathak, Chairman at Delhi Public School Ghaziabad Society, New Delhi*
126. *Padma Sarangapani, Tata Institute of Social Sciences (TISS), Bengaluru*
127. *Pankaj Chandra, Ahmedabad University*
128. *Parth Shah, Centre for Civil Society, New Delhi*
129. *Paul Ravindran, CMC Vellore*
130. *Pavnesk Kumar, CBSE, New Delhi*
131. *Piyush Swami, Professor of Education, University of Cincinnati (USA)*
132. *Poornima Contractor, Secretary, Association for Education and Development, Mumbai*
133. *Pradeep Ramavath, NLSIU, Bengaluru*

-
134. *Prakash Padukone, co-founder of Olympic Gold Quest, Mumbai*
 135. *Pratap Bhanu Mehta, Vice-Chancellor, Ashoka University, Sonapat*
 136. *P.J. Lavakare, International Advisory Board at Asian Institute of Technology*
 137. *Prasad, Principal KLE Ayurveda College, Belgaum.*
 138. *Purnendu Ghosh, Executive Director , Birla Institute of Scientific Research, Jaipur*
 139. *P.S. Goel, NIAS, Bengaluru*
 140. *Pawan Kapoor, DGMS (Air), New Delhi*
 141. *Prem Vrat, Northcap University, Gurgaon*
 142. *Radhika Prabhu, India Research Group, Washington D.C.*
 143. *Rajendra K, Samarthanam*
 144. *Raj K. Kaushal, SM, VSM (Retd.)*
 145. *Rajan Saxena, NMIMS, Mumbai*
 146. *Rajani Konantambigi, TISS, Mumbai*
 147. *Rajesh Khambayat, Central Institute of Vocational Education, Bhopal*
 148. *Ravi Narayan, Advisor, Centre for Public Health and Equity, Bengaluru*
 149. *Ramasubramanian K., IIT Bombay*
 150. *Rajaram Nityananda, Azim Premji University, Bengaluru*
 151. *Ravi Subramaniam, Homi Bhabha Centre for Science Education, TIFR, Mumbai*
-

152. *Rajiv Yeravdekar, Symbiosis Institute of Health Sciences, Pune*
153. *Renuka Gupta, Pardada Pardadi, New Delhi*
154. *Renuka Raju, CMD, Kovida Limited, Hyderabad*
155. *Reeta Sonawat, Head, Department of Human Development, SNDT Women's University, Mumbai*
156. *Ribhu Vohra*
157. *R. Karthikeyan, Indian Society for Training and Development, New Delhi*
158. *Rohini Paul, Nursing Head, Corporate, Narayana Health, Bengaluru*
159. *S Ayyappan, Former Secretary, Department of Agricultural Research and Education, New Delhi*
160. *Sadhana Nair, Air Officer Commanding, Medical Training Center, IAF.*
161. *Sabyasachi Bhattacharya, Former Director TIFR, Ashoka University, Sonipat*
162. *Saikat Majumdar, Ashoka University, Sonipat*
163. *Sampath Kumar, Tata Motors, Jharkhand*
164. *Sandip Trivedi, Director, Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai*
165. *Sanjay Awasthi, Member-Secretary, NCTE, New Delhi*
166. *Sanjay Inamdar, Member Board of Governors, College of Engineering, Pune*
167. *Sanjay Salunkhe, CEO, Jaro Institute of Technology Management & Research Pvt. Ltd., Mumbai*

168. *Sanchayan Bhattacharjee, ORF Mumbai*
169. *Sandeep Shastri, Pro Vice-Chancellor, Jain University,
Bengaluru*
170. *Sanjay Mittal, IIT Kanpur*
171. *Santosh Mehrotra, Human Development Economist, JNU, New
Delhi*
172. *Sankaran Valiathan, National Research Professor, GOI*
173. *Satish Modh, Director, IMSR, Mumbai*
174. *Satyajit Mayor, Director, National Centre for Biological
Sciences-TIFR, Bengaluru*
175. *Saumen Chattopadhyay, Jawaharlal Nehru University*
176. *Shail Kumar, Author, Building Golden India, USA*
177. *Shanti Satish, R'eussir Trust, Bengaluru*
178. *Sharath Ananthamurthy, University of Hyderabad*
179. *Shobha Bharat, P.N. Doshi College of Home Science, Mumbai*
180. *Spenta R. Wadia, Founding Director, International Centre for
Theoretical Sciences-TIFR, Bengaluru*
181. *Srikanth Sastry, JNCASR, Bengaluru*
182. *Srinath Sridharan, South Indian Education Society, Mumbai*
183. *Srinivasan Ramani, founding Director, National Centre for
Software Technology (now CDAC), Mumbai*
184. *Srinivas Murthy, former Additional Chief Secretary Finance,
Government of Karnataka*
185. *Subramanya, Principal, R.V.Engineering College, Bengaluru*
186. *Subhash Khuntia, Former Secretary SE&L, MHRD*

187. *Subodh Kumar, University of Lucknow*
188. *Suja Koshy, SVT College of Home Science, SNDTWU, Mumbai*
189. *Sujata Sriram, Professor Human Ecology, TISS, Mumbai*
190. *Suman Sharma, Principal, Lady Shri Ram College for Women, New Delhi*
191. *Sunil Mehta, Muktangan, Managing Trustee of the Muktangan Schools Network, Mumbai*
192. *Sujaya Rathi, Center for Study of Science, Technology and Policy, Bengaluru*
193. *Sudheendra Kulkarni, Observer Research Foundation, Mumbai*
194. *Sunil Kumar Pandey, Professor, Department of Statistics, University of Lucknow*
195. *Surendra Prasad, Former Director, IIT Delhi*
196. *Suvrat Raju, International Centre for Theoretical Sciences-TIFR, Bengaluru.*
197. *S.V. Ranganath, Former Chief Secretary, Government of Karnataka*
198. *S. Kannan, Director, UGC Human Resource Development Centre, Madurai Kamaraj University*
199. *Sunil Koshy, Formerly at Vydehi Institute of Medical Sciences, Bengaluru*
200. *Selva Titus, Dean, College of Nursing, CMC Vellore*
201. *T.J. Mathew, Pillai College of Engineering and Technology, Mumbai*

-
202. *Late T.S.R. Subramanian, Former Cabinet Secretary, GOI, New Delhi*
 203. *T.D. Kemparaju, Vice Chancellor, Bengaluru North University*
 204. *Tanil Kilachand, Indian Merchant Chambers, Mumbai*
 205. *Tushar Kanti Senapati, Kalinga Institute of Social Sciences, Bhubaneswar*
 206. *Uma Mahadevan, Principal Secretary, Government of Karnataka*
 207. *Uday Salunkhe, Group Director, WE School, Mumbai*
 208. *Venita Kaul, Professor Emeritus, Ambedkar University, New Delhi*
 209. *Vidushi Sharma, Fulbright Scholar, Princeton University, USA*
 210. *Vijay Khole, VC, Amity University, Maharashtra*
 211. *Vikram Sampath, Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi*
 212. *Vincent G Furtado, Institute of Philosophy and Religion, Mysore*
 213. *V.S. Basavaraju, DNA, Bengaluru*
 214. *V.S. Chauhan, former Chairman, NAAC, New Delhi*
 215. *V. S. Prasad, Former PVC, IGNOU, New Delhi*
 216. *V. C. Shanmuganandan, Coordinator, Joint Director, AHPI, Bengaluru*
 217. *Vishal Dang, Manav Rachna Dental College, Faridabad, UP*
-

Appendix VIII

आभार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (प्रारूप) समिति कई संस्थाओं, संस्थानों, एसोसिएशन एवं व्यक्तियों का आभार व्यक्त करना चाहती है, जिनके योगदान और सहयोग के बिना, जो दायित्व भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हमें सौंपा था उसे शायद हम प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक संपन्न नहीं कर पाते।

जिस क्रम में नामों का उल्लेख किया जा रहा है उससे किसी की भूमिका या योगदान किंचित भी कम या ज्यादा नहीं हो जाता। इसी प्रकार किसी के नाम का उल्लेख करना उचित नहीं होगा क्योंकि संक्षिप्तता की ज़रूरत के चलते जिनके नाम का उल्लेख नहीं किया जायेगा उसके प्रति यह भेदभाव करने के बराबर होगा। और ऐसा करते हुए, समिति को अपनी महती जिम्मेदारी पूरी करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति के योगदान को हम कम करके नहीं आंकना चाहते।

यह उचित ही होगा कि सबसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय का आभार व्यक्त किया जाए विशेषतः उच्च शिक्षा सचिव एवं संयुक्त सचिव, पालिसी ब्यूरो का और साथ ही अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों का भी जिन्होंने अनवरत प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् के निदेशक एवं स्टाफ, ICTS के निदेशक एवं उनकी टीम, रमन शोध संस्थान के निदेशक एवं उनकी टीम, डा.कस्तूरीरंगन का निजी स्टाफ। इसके साथ ही अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के कुलपति एवं उनके स्टाफ का तहे तिल से शुक्रिया किया जाना चाहिए। अपने संकाय सदस्यों को तकनीकी सचिवालय में प्रतिनियुक्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षण समिति ट्रस्ट, पी .ई एस विश्वविद्यालय, रमैया कॉलेज ऑफ़ लॉ तथा वेद विज्ञान शोध संस्थानम को हमारा विशेष आभार।

हमारे कार्य को समृद्ध करने के लिए, प्रत्येक सूचीबद्ध संस्थाओं और उनके प्रतिनिधियों और साथ ही अनेकों व्यक्तियों को, उनके द्वारा दिए रचनात्मक और सूचनाप्रद इनपुट के लिए हार्दिक धन्यवाद। जिस निष्ठा और तत्परता से प्रत्येक मूल्यवान योगदान दिया गया उससे

हम अभिभूत हैं। हम उन सभी लोगों की भी सराहना करते हैं जिन्होंने अपनी राय, सुझाव और इनपुट विभिन्न तरीकों- ईमेल, पत्र, दस्तावेज़ या तो प्रत्यक्ष या विभिन्न कार्यालयों के माध्यम से हम तक भेजे। देश भर से, विभिन्न आयु समूह और समाज के विभिन्न वर्गों से, कई भाषाओं में आम जनता और नागरिकों से जिस प्रकार की अभिभूत करने वाली प्रतिक्रिया मिली वह उल्लेखनीय है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री के कार्यालय ने शुरू से ही हस्तक्षेप न करने के नीति अपनायी लेकिन जब भी ज़रूरत हो सम्प्रेषण सुगम हो यह सुनिश्चित किया। केन्द्रित चर्चाओं के लिए अलग से समय देने के लिए हम प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति भी आभारी हैं।

और आखिर में हम उन सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे जो हमारे काम के पूर्व, नीति निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया में शामिल रहे, जिससे प्रारूप नीति (draft policy) के समग्र एवं व्यापक विकास में हमें सहायता मिली।

शकीला शम्सु

समिति सचिव



અનુબંધ: ભાગ II

Appendix IX

**F. No. 7-48/2015-PN-II
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
(PN-II Section)**

New Delhi, Dated 24th June, 2017

Sub: Constitution of the Committee for the draft National Education Policy.

The National Policy on Education formulated in 1986 and modified in 1992 is the extant policy in the education sector. The Government has initiated the process of formulating a New Education Policy for which an exhaustive democratic exercise was carried for the last 30 months.

2. It has been decided to constitute a Committee for preparation of the draft National Education Policy under the Chairmanship of eminent scientist **Padma Vibhushan Dr. K. Kasturirangan**. The other members of the Committee are:-

- (i) **Dr. Vasudha Kamat**, former Vice-Chancellor of SNDT University, Mumbai
- (ii) **Shri K.J. Alphonse**, former IAS.
- (iii) **Dr. Manjul Bhargava**, Professor of Mathematics, Princeton University USA, Fields Medalist in Mathematics.
- (iv) **Dr. Ram Shankar Kureel**, Vice Chancellor of Baba Saheb Ambedkar University of Social Sciences, Madhya Pradesh.
- (v) **Prof. T.V. Kattimani**, Vice Chancellor Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak.
- (vi) **Shri Krishna Mohan Tripathy**, former Chairperson of Uttar Pradesh High School and Intermediate Examination Board.
- (vii) **Dr. Mazhar Asif**, Professor, Department of Persian, Gauhati University, Guwahati.
- (viii) **Dr. M.K.Sridhar**, former Member Secretary Karnataka Innovation Council and Karnataka Knowledge Commission, CABB member.

3. Dr. Shakila T. Shamsu, OSD (New Education Policy) will act as the Secretary to the Committee and will maintain the records of the meeting.

4. The University Grants Commission (UGC), New Delhi will be the Secretariat and will provide all administrative / secretarial assistance and logistic support to the Committee. The Members of the Committee will be paid TA/DA as per extant rules of the Government of India. UGC will appoint a nodal officer who will make all necessary arrangements for the Committee and its meetings, including travel, boarding and lodging of its members.



5. Suggestions/ Recommendations received in the Ministry of Human Resource Development will be handed over by the Policy Division of MHRD to the Committee. The Committee will examine various suggestions and inputs emerged during the consultations for formulating New Education Policy and prepare the Draft National Education Policy. The Committee may co-opt members and hold further consultations with experts, if that is felt necessary by them. The Committee will submit its report by 31st December 2017.



(Rakesh Ranjan)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: 011-23071486

1. Dr K. Kasturirangan
2. Dr. Vasudha Kamat
3. Shri K.J. Alphonse
4. Dr. Manjul Bhargava
5. Dr Ram Shankar Kureel
6. Dr. T.V. Kattimani
7. Shri Krishna Mohan Tripathy
8. Dr. Mazhar Asif
9. Dr. M.K. Sridhar

Copy for kind information to:

1. Secretary, UGC
2. OSD (NEP)
3. PS to HRM
4. PS to MoS (UK) and PS to MoS (MNP)
5. PPS to Secretary (HE)
6. PPS to Secretary (SE&L)
7. PS to AS(TE) / AS (SE), MHRD
8. PS to JS(P), OSD (NEP), MHRD
9. PN-II Section, MHRD
10. CMIS – with the request to upload the same on MHRD's website

Appendix X

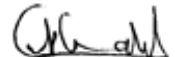
**F. No. 7-48/2015-PN-II
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
(PN-II Section)**

Shastri Bhawan, New Delhi,
Dated 27th December, 2017

Sub : Extension of tenure of the Committee for Drafting National Education Policy.

Reference is invited to the letter dated 18.12.2017 of the Chairman of the Committee for Draft National Education Policy addressed to the Hon'ble Minister seeking extension of the Committee's tenure till 31st March 2018.

2. Approval of the Government of India is hereby conveyed for extending the tenure of the Committee upto 31st March 2018 for submission of the Draft National Education Policy.
3. The University Grants Commission (UGC), New Delhi will continue to be the Secretariat and provide all possible logistic support to the Committee.
4. This issues with the approval of the Hon'ble Human Resource Development Minister.


(A K Chattopadhyay)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 011-23381434

1. Dr K. Kasturirangan
2. Dr. Vasudha Kamat
3. Dr. Manjul Bhargava
4. Shri K.J. Alphonse
5. Dr Ram Shankar Kureel
6. Dr. T.V. Kattimani
7. Shri Krishna Mohan Tripathy
8. Dr. Mazhar Asif
9. Dr. M.K. Sridhar
10. Shri Rajendra Pratap Gupta

Copy for kind information to:

1. Chairman, UGC
2. Secretary, UGC
3. JS (Admn), UGC
4. OSD (NEP)
5. PS to HRM
6. PS to MoS (UK) and PS to MoS (SPS)
7. PPS to Secretary (HE)
8. PPS to Secretary (SE&L)
9. PS to SS(T) / SS (SE), PS to JS(P), MHRD
10. PN-II Section, MHRD
11. CMIS – with the request to upload the same on MHRD's website

Appendix XI

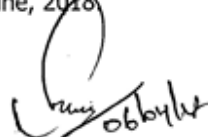
**F.No.7-48/2015-PN-II
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
(PN-II Section)**

Room No. 111-C, Shastri Bhawan,
New Delhi, dated the 6th April, 2018

Subject: Extension of the Committee for Draft National Education Policy for post-submission work and for completion of procedural formalities.

With reference to this Department's earlier communications of even number dated 24.06.2017 regarding Constitution of the Committee for the draft National Education Policy and extension of the tenure of the above said Committee dated 27.12.2017, the Committee has informed that the draft National Education Policy has been prepared within the given time.

However, as informed by the Committee, the stage between Pre-Final Draft Policy and formal submission of Final Draft Policy involves some procedural formalities. Therefore, for carrying on with the interim activities as also the continuation of administrative and secretariat services of the UGC & NAAC during this period, the Government of India has extended the period of the Committee for undertaking interim procedural activities till 30th June, 2018.


(N. Saravana Kumar)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: 011-23071486

1. Dr K. Kasturirangan
2. Dr. Vasudha Kamat
3. Dr. Manjul Bhargava
4. Shri K.J. Alphonse
5. Dr. Ram Shankar Kureel
6. Dr. T.V. Kattimani
7. Shri Krishna Mohan Tripathy
8. Dr. Mazhar Asif
9. Dr. M.K. Sridhar

Copy for kind information to:

1. Chairman, UGC
2. Secretary, UGC
3. Director, NAAC
4. OSD (NEP)
5. JS (Admn), UGC
6. PS to HRM
7. PS to MoS (UK) and PS to MoS (SPS)
8. PPS to Secretary (HE)
9. PPS to Secretary (SE&L)
10. PS to SS(SE), AS(T), PS to JS(P), MHRD
11. PN-II Section, MHRD
12. CMIS - with the request to upload the same on MHRD's website

Appendix XII

F. No. 7-48/2015-PN-II
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
(PN-II Section)

Room No. 111-C, Shastri Bhawan
New Delhi, dated the 20th June, 2018

Subject: Extension of the tenure of the Committee to Draft National Education Policy upto 31.08.2018.

With reference to this Department's earlier communications of even number dated 24.06.2017 regarding Constitution of the Committee to draft National Education Policy and extensions of the tenure of the above said Committee dated 27.12.2017 and 6th April 2018, it has now been decided to extend the term of the Committee to draft National Education Policy for further two months i.e. 31.08.2018.

2. Approval of the Govt of India is hereby conveyed for extending the tenure of the Committee upto 31st August, 2018 for submission of the Draft National Education Policy.
3. The University Grants Commission (UGC), New Delhi will continue to be the Secretariat and provide all possible logistical support to the Committee.
4. This issues with the approval of the Hon'ble Human Resource Development Minister.

(N. Saravana Kumar)

Joint Secretary to the Government of India
Tel: 011-23071486

1. Dr K. Kasturirangan
2. Prof. Vasudha Kamat
3. Dr. Manjul Bhargava
4. Shri Krishna Mohan Tripathy
5. Prof. T.V. Kattimani
6. Dr. Mazhar Asif
7. Dr Ram Shankar Kureel
8. Dr. M.K. Sridhar

Copy for kind information to:

1. Chairman, UGC
2. Secretary, UGC
3. JS (Admn), UGC
4. OSD (NEP), MHRD
5. PS to HRM
6. PS to MoS (UK) and PS to MoS (SPS)
7. PPS to Secretary (HE)
8. PPS to Secretary (SE&L)
9. PS to AS(TE) / AS (SE), PS to JS(P), MHRD
10. PN-II Section, MHRD
11. CMIS – with the request to upload the same on MHRD's website

Appendix XIII

F. No. 7-48/2015-PN-II
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
(PN-II Section)

Room No. 111-C, Shastri Bhawan
 New Delhi, dated the 28th August, 2018

Subject: Extension of the tenure of the Committee to Draft National Education Policy upto 31.10.2018.

With reference to this Department's earlier communications of even number dated 24.06.2017 regarding Constitution of the Committee to draft National Education Policy and extensions of the tenure of the above said Committee dated 27th December, 2017, 6th April 2018 and 20th June 2018, the Committee is considering to interact with State Education Ministers before submitting the final draft policy to the Ministry. Hence, it has now been decided to extend the term of the Committee to draft National Education Policy for further two months i.e. 31.10.2018.

2. Approval of the Govt of India is hereby conveyed for extending the tenure of the Committee upto 31st October, 2018 for submission of the Draft National Education Policy.
3. The University Grants Commission (UGC), New Delhi will continue to be the Secretariat and provide all possible logistical support to the Committee.
4. This issues with the approval of the Hon'ble Human Resource Development Minister.


 (N. Saravana Kumar)
 Joint Secretary to the Government of India
 Tel: 011-23071486

1. Dr K. Kasturirangan
2. Prof. Vasudha Kamat
3. Dr. Manjul Bhargava
4. Shri Krishna Mohan Tripathy
5. Prof. T.V. Kattimani
6. Dr. Mazhar Asif
7. Dr Ram Shankar Kureel
8. Dr. M.K. Sridhar

Copy for kind information to:

1. Chairman, UGC
2. Secretary, UGC
3. JS (Admn), UGC
4. OSD (NEP), MHRD
5. PS to HRM
6. PS to MoS (UK) and PS to MoS (SPS)
7. PPS to Secretary (HE)
8. PPS to Secretary (SE&L)
9. PS to AS(TE) / AS (SE), PS to JS(P), MHRD
10. PN-II Section, MHRD
11. CMIS – with the request to upload the same on MHRD's website

Appendix XIV

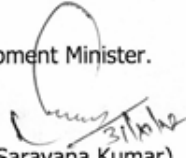
**F. No. 7-48/2015-PN-II
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
(PN-II Section)**

Room No. 111-C, Shastri Bhawan
New Delhi, dated the 31st October, 2018

Subject: Extension of the tenure of the Committee to Draft National Education Policy upto 15.12.2018.

With reference to this Department's earlier communications of even number dated 24.06.2017 regarding Constitution of the Committee to draft National Education Policy and extensions of the tenure of the above said Committee dated 27th December, 2017, 6th April 2018, 20th June 2018 and 28th August 2018, the Committee has informed that the draft Policy/Report is ready. However, due to the code of conduct of the Election Commission being in force, it has been decided to extend the term of the Committee to draft National Education Policy upto 15.12.2018.

2. Approval of the Govt of India is hereby conveyed for extending the tenure of the Committee upto 15th December, 2018 for submission of the Draft National Education Policy.
3. The University Grants Commission (UGC), New Delhi will continue to be the Secretariat and provide all possible logistical support to the Committee.
4. This issues with the approval of the Hon'ble Human Resource Development Minister.


(N. Saravana Kumar)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: 011-23071486

1. Dr K. Kasturirangan
2. Prof. Vasudha Kamat
3. Dr. Manjul Bhargava
4. Shri Krishna Mohan Tripathy
5. Prof. T.V. Kattimani
6. Dr. Mazhar Asif
7. Dr Ram Shankar Kureel
8. Dr. M.K. Sridhar

Copy for kind information to:-

1. Chairman, UGC
2. Secretary, UGC
3. JS (Admn), UGC
4. OSD (NEP), MHRD
5. PS to HRM
6. PS to MoS (UK) and PS to MoS (SPS)
7. PPS to Secretary (HE)
8. PPS to Secretary (SE&L)
9. PS to AS(TE) / AS (SE), PS to JS(P), MHRD
10. PN-II Section, MHRD
11. CMIS – with the request to upload the same on MHRD's website



प्रारूप
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019